रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)--72

Regd. No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 56] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 15, 1983/चैत्र 25, 1905
No. 56] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 15, 1983/CHAITRA 25, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वाणिज्य मंत्रालय
आयात व्यापार नियंत्रण
नई दिल्ली, दिनांक 15 अप्रैल, 1983

विषय:—अप्रैल, 1983—मार्च 1984 के लिए आयात-निर्यात क्रियाविधि पुस्तक

सार्वजनिक सूचना संख्या 11 आई टी सी (पी एन)/83 अप्रैल, 1983–मार्च, 1984 के लिए आयात-निर्यात क्रियाविधि पुस्तक इस सार्वजनिक सूचना के लिए अनुबंध में दी जाती है।

रीमा मजुमदार मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

अध्याय 1
प्रस्तावना

1. **उद्भव**: भारत में आयात व्यापार नियंत्रण को द्वितीय महायुद्ध के प्रारंभिक काल में युद्धकालीन उपाय के रूप में आरंभ किया गया था। इस संबंध में भारत रक्षा नियमावली के अधीन प्रदत्त अधिकारों को लागू करने के लिए 20 मई, 1940 को एक अधिसूचना जारी की गई। इस अधिसूचना का मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा के स्रोतों को सुरक्षित करना और वास्तविक आयात पर प्रतिबन्ध लगाना था जिससे कि जलयानों के लिए उपलब्ध सीमित स्थान पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सके। प्रारंभिक आदेश के अनुसार आयात की जाने वाली केवल उन 68 वस्तुओं पर नियंत्रण लागू किया गया जिनमें ज्यादातर उपभोक्ता वस्तुएं थी। विदेशी मुद्रा के स्रोतों पर दबाव पड़ने के कारण बाद में आयात नियंत्रण अन्य वस्तुओं पर भी लागू कर दिया गया। 31 दिसम्बर, 1940 को कच्चे इस्पात और अर्धविनिर्मित इस्पात पर भी नियंत्रण लागू कर दिया गया। 15 फरवरी, 1941 को मशीन के औजारों के आयात पर भी नियंत्रण लागू कर दिया गया। 23 अगस्त, 1941 को बहुत-सी अन्य वस्तुओं को विशेषकर पूंजीगत माल और औद्योगिक आवश्यकता की वस्तुओं को भी आयात नियंत्रण की सीमा में ले लिया गया। इस प्रकार आयात, नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं की सीमा बढ़ती गई। जनवरी, 1942 में कुछ और मदें भी इसकी सीमा में ले ली गई। 1 जुलाई, 1943 को अंतिम रूप से एक समेकित अधिसूचना जारी की गई जिनमें मशीन के औजारों के अतिरिक्त सभी नियंत्रित मदें शामिल थी।

2. **विधान का विकास**

युद्ध समाप्त होने पर भारत रक्षा नियमावली रद्द हो गई, इसलिए आयात व्यापार नियंत्रण उपबन्धों को जारी रखने के लिए सितम्बर, 1946 में आयात उपबन्ध (जारी रखना) अध्यादेश, 1946 जारी किया गया। अंत में इन नियमों के बदले में आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) बनाया गया जो शुरू में 25 मार्च, 1947 से तीन वर्ष के लिए लागू किया गया। तत्पश्चात् इस अधिनियम की वैधता 5-5 वर्ष की दो अवधियों के लिए लगातार बढ़ा दी गयी, जिसकी पहली अवधि छः वर्ष थी और इसके बाद की दूसरी अवधि 31 मार्च, 1971 तक 5 वर्ष की थी।

इसके बाद इस अवधि को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। इस अधिनियम के अधीन समय-समय पर अनेक अधिसूचनाएं जारी की गई। इनकी जगह 7 दिसम्बर, 1955 को आयात (नियंत्रण) आदेश सं. 17/55 के नाम से समेकित आदेश जारी किया गया। इस आदेश में समय-समय पर संशोधन किया गया और यह अब तक लागू है। आयात सुविधाओं के दुरुपयोग के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की दृष्टि से उपबन्ध बनाने के लिए 4 नवम्बर, 1975 को आयात और निर्यात (नियंत्रण) संशोधन अध्यादेश 1975 (1975 की सं. 19) जारी किया गया। बाद में इस अध्यादेश के स्थान पर संसद ने आयात और निर्यात (नियंत्रण) संशोधित अधिनियम, 1976 पारित किया। 31 मार्च, 1982 तक संशोधित अधिनियम, आयात और निर्यात (नियंत्रण) 1947 और आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955, इस पुस्तक के परिशिष्ट 1 और 2 में दिए गए हैं।

3. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 को परिशिष्ट 2 में पुनः उद्धृत किया गया है।

नियंत्रण के अधीन आने वाली मदें :—

4. वास्तव में आजकल सभी वस्तुएं आयात नियन्त्रण के अधीन हैं और इन्हें आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की अनुसूची 1 में शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार की मदों का आयात करना निषेध है। लेकिन, लाइसेन्स के अनुसार अथवा उक्त आदेश के अंतर्गत जारी किए गए सीमा शुल्क निकासी परमिट अथवा केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए खुले सामान्य लाइसेंस या यदि वे मदें उक्त आदेश के खण्ड 11 में उल्लिखित किसी शर्त के अन्तर्गत आती हैं, तो उन का आयात किया जा सकता है। सोने, चांदी, करेंसी नोट, बैंक नोट और सिक्कों के आयात पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अंतर्गत रिजर्व बैंक आफ इंडिया का नियंत्रण है।

निर्यात नियंत्रण

5. (1) निर्यात नियंत्रण में केवल निर्यात (निबंत्रण) आदेश, 1977 की अनुसूची 1 में शामिल की गई मदें आती हैं। निर्यात लाइसेन्स के बिना निम्नलिखित माल का निर्यात किया जा सकता है:—

(क) वह माल जो उक्त अनुसूची में शामिल न हो; या

(ख) वह माल जो निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 की धारा 15 की व्याप्ति के भीतर आता हो; या

(ग) वह माल जो आयात-निर्यात-नीति 1983-84 में शामिल खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आता हो।

(2) सोना, करेंसी नोटों, बैंक नोटों और सिक्कों का निर्यात विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

आयात/निर्यात नीति

6. (1) आयात और निर्यात नीति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत के असाधारण राजपत्र में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से घोषित की जाती है। 1983-84 के लिए आयात-निर्यात नीति दो भागों में जारी की गई है। भाग-1 में आयात एवं निर्यात संवर्धन के लिए नीति निहित है और भाग-2 में उन मदों के संबंध में नीति निहित है जो निर्यात लाइसेंस शर्त के अधीन हैं। ये मूल्य पर उपलब्ध होने वाले प्रकाशन हैं और क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों, प्रकाशन प्रबन्धक, दिल्ली और सरकारी प्रकाशनों के अन्य अधिकृत व्यापारियों के पास बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

2. आयात या निर्यात नीति में परिवर्तन/संशोधन जो समय-समय पर आवश्यक हो जाते हैं, वे सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से अलग से अधिसूचित कर दिए जाते हैं; जब और जैसे ही ऐसे संशोधन/परिवर्तन अधिसूचित हो जाते हैं, उपर्युक्त नीति पुस्तकों की व्यवस्थाएं उसके अधीन आ जाती हैं।

(3) इस पुस्तक में निहित अनुदेश और मार्गदर्शन ऐसे संशोधनों/परिवर्तनों के अधीन लागू हैं जो समय-समय पर किए जा सकते हैं।

(4) मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात सार्वजनिक सूचना जारी करके किसी भी लाइसेंस अवधि या पण्य वस्तु या आयातकों/निर्यातकों की किसी भी श्रेणी के सम्बन्ध में आयात-निर्यात लाइसेंस जारी करने के लिए कोई भी विशेष-क्रियाविधि प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे मामलों में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के लिए और उन पर विचार करने के लिए निर्धारित क्रियाविधि केवल उसी सीमा तक लागू होगी जो उस सार्वजनिक सूचना में निर्धारित की जाती है।

अन्य कानूनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आयात/निर्यात लाइसेंस जारी करना

7. आयात या निर्यात लाइसेन्स उन अन्य कानूनों के प्रचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किया जाता है जिनके अधीन माल या आवेदक/लाइसेन्सधारी प्रभावित हो सकते हैं। यह बात खुले सामान्य लाइसेंस में रखे गए आयात/निर्यात के लिए अनुमेय माल के लिए भी लागू होती है। प्रत्येक सम्बद्ध व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि उसने सभी समय अपने मामले पर लागू अन्य सभी कानूनों का पालन किया है और करता रहेगा।

आयात/निर्यात के देश

8. जब तक कि लाइसेंसों में अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, आयात और निर्यात के लिए लाइसेंस और खुले सामान्य लाइसेंस दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी-पश्चिमी अफ्रीका को छोड़कर संसार के किसी भी देश से और किसी भी देश को आयात और निर्यात करने के लिए वैध होंगे।

अध्याय 2

सामान्य लाइसेंस क्रियाविधि

9. इस अध्याय में आयात लाइसेंस क्रियाविधि दी गई है। निर्यात प्रक्रिया एक अलग अध्याय में दी गई है। इस पुस्तक में दिए गए अनुदेश, सम्बद्ध आयात-निर्यात नीति प्रावधानों के अधीन होंगे।

आयातक का "कोड नम्बर"

10. आयातकों का कोड नम्बर-आबंटन की पद्धति 1 जुलाई 1982 से प्रारम्भ की गई है। भारत में माल आयात करने वाला प्रत्येक व्यक्ति (चाहे वह निजी अथवा फर्म या कम्पनी आदि हो) को कोड नम्बर की आवश्यकता होगी जब तक कि वह मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा इससे विशिष्ट रूप से मुक्त न कर दिया गया हो। सीमा शुल्क प्राधिकारी इसमें किसी भी व्यक्ति को भारत में माल आयात करने के लिए अनुमति नहीं देगा जब तक कि उसके पास वैध आयातक कोड नम्बर न हो। अतः आयातकों को सलाह दी जाती है कि वे अपेक्षित कोड नम्बर प्राप्त करने के लिए शीघ्र कदम उठाएं। कोड नम्बरों का आबंटन सम्बद्ध क्षेत्रीय आयात व्यापार नियंत्रण लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा। कोड नम्बर प्राप्त करने की क्रियाविधि इस पुस्तक में दी गई है।

आयातकर्ताओं की श्रेणी

11. (1) आयातकर्ताओं को लाइसेंस जारी करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है:—

(1) वास्तविक उपयोक्ता

(क) औद्योगिक

(ख) गैर-औद्योगिक

(2) पंजीकृत निर्यातकर्ता अर्थात जो पंजीकृत निर्यातकर्ताओं के लिए आयात नीति के अन्तर्गत आयात करते हैं।

(3) अन्य

(2) लाइसेंस के आवेदन-पत्रों पर सम्बद्ध लागू नीति के अनुसार विचार किया जाता है।

आवेदन-पत्र

12. (1) लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र में होने चाहिए।

(2) आवेदन के लिए निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट 11 में दिए गए हैं। पंजीकृत निर्यातकों के लिए प्रपत्र परिशिष्ट 10 में दिए गए हैं।

(3) आवेदन-पत्र लाइसेंस कार्यालयों और सरकारी प्रकाशनों के प्राधिकृत विक्रेताओं से खरीदा जा सकता है। यदि फार्म तुरन्त उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक निर्धारित फार्म की टाइप, साइक्लोस्टाइल या मुद्रित प्रतियों का उपयोग कर सकता है।

(4) आवेदक को नियमों के अधीन या निर्धारित आवेदन फार्म में निर्दिष्ट मांगी गई आवेदन-पत्र की एक या अधिक प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।

आवेदन-पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति

13. आयात लाइसेंस के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र या आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम या आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अन्तर्गत अन्य दस्तावेज या प्रपत्र आवेदक द्वारा स्वयं या आवेदक द्वारा विधिवत/कानूनी रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। आवेदन-पत्र/दस्तावेज/प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा धारित फर्म कानून प्राधिकारी की स्थिति और स्वरूप क्या है, यह उसके पद की सरकारी मोहर के साथ स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए। अन्यथा ऐसे आवेदनपत्र/दस्तावेज/प्रपत्र पर लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। ये बातें किसी सरणीबद्ध मद के सीधे आबंटन के लिए सरणीबद्ध अभिकरण को दिए गए आवेदन पत्रों के लिए समान रूप से लागू होती हैं।

आवेदन शुल्क

14. (1) आयात आवेदन-पत्रों की विभिन्न श्रेणियों के लिए चुकाए जाने वाले शुल्क का मापक्रम आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की अनुसूची 3 में दिया गया है, देखिए परिशिष्ट 2 जिसमें सीमा शुल्क निकासी परमिटों के लिए मापक्रम भी शामिल है। प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ निर्धारित शुल्क के भुगतान का साक्ष्य देते हुए एक वैध रसीद/डिमाण्ड ड्राफ्ट होना चाहिए। यदि आवेदक को आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अन्तर्गत ऐसे भुगतान से छूट प्राप्त है तो यह स्पष्ट रूप से आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट होना चाहिए।

(2) शुल्क चुकाने के लिए क्रियाविधि परिशिष्ट 9 में दी गई है।

(3) सरणीबद्ध करने वाले अभिकरण से नीति के अन्तर्गत सारणीबद्ध मद के सीधे आबंटन चाहने वाले आवेदक को शुल्क चुकाने की आवश्यकता नहीं है।

(4) जमा किए गए आवेदन शुल्क की वापसी की मांग के लिए अनुसरण की जाने वाली क्रियाविधि परिशिष्ट 9 में दी गई है।

आवेदन करने की अन्तिम तिथि

15. (1) आवेदकों की विशिष्ट श्रेणियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अन्तिम तिथियां 1983-84 की आयात-निर्यात नीति में दी गई हैं। जिस मामले में ऐसी तिथि न दी गई हो, उसमें आवेदन-पत्र 29 फरवरी, 1984 तक किसी भी समय दिए जा सकते हैं।

(2) यदि अंतिम तिथि सार्वजनिक छुट्टी की तिथि हो या अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों से आवेदन उक्त अंतिम तिथि को या इससे पहले लाइसेंस प्राधिकारी के पास कार्यालय में न पहुंच सका हो, तो अगले कार्य दिवस को प्राप्त किए

गए आवेदन-पत्र अन्तिम निर्धारित तिथि को प्राप्त किए गए ही समझे जाएंगे।

(3) जिस मामले में आवेदन-पत्र प्रायोजक प्राधिकारी के माध्यम से भेजना पड़ता है, उस में आवेदन-पत्र निर्धारित अंतिम तिथि से काफी पहले भेजना चाहिए। प्रायोजक प्राधिकारी लाइसेंस प्राधिकारी को भेजी गई सिफारिश में वह तिथि रिकार्ड करेगा जिस तिथि को उसने आवेदनपत्र वास्तव में प्राप्त किया था। सभी प्रायोजक प्राधिकारियों से यह आशा की जाती है कि वे ऐसे प्रत्येक आवेदन-पत्र सम्बद्ध लाइसेन्स प्राधिकारी को ऐसे समय में भेजें जिससे कि वे निर्धारित अंतिम तिथि को या इससे पहले पहुंच जाएं।

16. (1) लाइसेंस अवधि के दौरान अलग अलग व्यक्तियों द्वारा उन के स्वयं के उपयोग के लिए माल के आयात के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की कोई अन्तिम तिथि नहीं होगी।

(2) लाइसेंस अवधि के दौरान पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत अग्रिम/अग्रदाय लाइसेंस प्रदान करने के लिए भी आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की कोई अन्तिम तिथि नहीं होगी।

आयकर सत्यापन

17. (1) आयात लाइसेन्स के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ, परिशिष्ट 11 में दिए गए प्रपत्र में आवेदक द्वारा भरे गए आयकर विवरण और देय करों के भुगतान के संबंध में एक घोषणा पत्र (दो प्रतियों में) होना चाहिए। इस तथ्य की ओर विशेषकर ध्यान आकर्षित किया जाता है घोषणापत्र दो भागों में हो, भाग (क) एवं भाग (ख) और आवेदक को निश्चय कर लेना चाहिए कि उसके लिए जो भाग लागू नहीं है उसे स्पष्ट रूप से काट दिया गया है।

(2) सभी सार्वजनिक क्षेत्र संस्थान (केन्द्रीय या राज्य) उपर्युक्त उप-कंडिका (1) में उल्लिखित आयकर घोषणा-पत्र भरने से मुक्त होंगे।

(3) निजी क्षेत्र के वे आवेदक जिन्हें वित्त मंत्रालय द्वारा आरम्भ की गई पाइलट योजना के अधीन आयकर सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए छूट प्रदान कर दी गई है उन्हें भी उपर्युक्त कंडिका (1) में उल्लिखित आयकर घोषणापत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी।

लाइसेंस प्राधिकारी

18. (1) लाइसेन्स प्राधिकारी का पद, क्षेत्राधिकार एवं पता परिशिष्ट 8 में दिया गया है। जहां आवेदक स्थित हो, उसी के अनुसार ही आवेदनपत्र इन प्राधिकारियों को देने चाहिएं।

(2) पंजीकृत निर्यातक को आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के लिए परिशिष्ट-8 में उल्लिखित सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारियों के पास आवेदन करना चाहिए।

(3) जब तक अन्यथा रूप से प्रावधान न हो, वास्तविक उपभोक्ता को चाहिए कि वह उसी लाइसेंस प्राधिकारी को आवेदन करे जिसके क्षेत्राधिकार में आवेदक का कारखाना स्थित है।

(4) वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक) को एक से अधिक स्थानों पर स्थित होने पर सभी फैक्टरियों की जरूरतों के लिए समेकित आवेदनपत्र देने का विकल्प होगा। ऐसे मामलों में प्रत्येक एकक की जरूरतों को समेकित आवेदनपत्र के लिए संलग्न सूची में अलग से दर्शाना चाहिए और जिसमें प्रत्येक के लिए उपभोक्ता प्रमाण-पत्र भी अलग से साथ हो। लाइसेंस प्राधिकारी जिनके क्षेत्राधिकार में पंजीकृत/मुख्य कार्यालय स्थित है, को किए गए समेकित आवेदन-पत्र के आधार पर नीति की शर्तों के अनुसार प्रत्येक एकक को उसके लिए अनुमत्य मूल्य/मद के लिए अलग लाइसेंस जारी किये जाएंगे।

(5) जहां अकेला एकक एक से अधिक अन्तिम उत्पादों का विनिर्माण करता है वहां अन्तिम उत्पाद-वार आवेदन-पत्र देना चाहिए। लेकिन, सम्बद्ध अन्तिम उत्पादों के लिए केवल एक ही आवेदन-पत्र भेजा जा सकता है।

त्रुटिपूर्ण आवेदन-पत्र

19. आयात आवेदन-पत्र जो (1) निर्धारित प्रपत्र में नहीं होंगे; (2) अपेक्षित आवेदन शुल्क के लिए बैंक रसीद/डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ नहीं होंगे; (3) आवश्यक दस्तावेजों के साथ नहीं होंगे; (4) जिन के साथ हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के प्राधिकार को निर्दिष्ट करने वाले दस्तावेज नहीं होंगे; या (5) जो नीति में निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त किए जाएंगे या (6) जिन के साथ उचित रूप से निष्पादित आय-कर घोषणापत्र नहीं होगा, वे अस्वीकार कर दिए जाएंगे। आवेदकों से आशा की जाती है कि वे आवेदन-पत्र के सभी कालम सत्यता-पूर्वक और उचित रूप से पूर्ण करेंगे। इन सब बातों को सुनिश्चित रूप से पूर्ण करने के लिए वे काउण्टर सहायता पद्धति से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

मुद्रा क्षेत्र

20. निम्नलिखित दो प्रकार के आयात लाइसेन्स जारी किए जाते हैं:—

(1) "सामान्य मुद्रा क्षेत्र लाइसेन्स" जो सभी देशों से आयात के लिए वैध हैं, किन्तु उन देशों को छोड़ कर जहां से आयात निषेध है; और

(2) "विशिष्ट लाइसेन्स" जो कि विशिष्ट देश या देशों से आयात के लिए वैध हैं।

लाइसेंस अवधि

21. (1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष अर्थात् अप्रैल से मार्च के लिए आयात-निर्यात नीति घोषित की जाती है जिसे सामान्यतः "लाइसेन्स अवधि" कहा जाता है।

(2) आयात-निर्यात नीति पुस्तक और इसके साथ-साथ आयात-निर्यात क्रियाविधि पुस्तक कीमत पर बिकने वाले प्रकाशन हैं। ये सरकारी प्रकाशनों के प्राधिकृत विक्रेताओं से खरीदे जा सकते हैं।

मदों का वर्गीकरण

22. (1) इस पुस्तक के परिशिष्ट 2 में उद्धृत आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की अनुसूची 1 आयात व्यापार नियंत्रण अनुसूची के नाम से जानी जाती है और इसमें आयात व्यापार के अन्तर्गत आने वाली सभी मदों का वर्गीकरण दिया गया है।

(2) इस पुस्तक के परिशिष्ट 2 में उद्धृत आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की अनुसूची 1 में पहली अप्रैल, 1976 से सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अनुसार संशोधन किया गया है। संशोधित आयात व्यापार नियंत्रण अनुसूची के 21 खण्ड हैं, जिन्हें 99 अध्यायों में उप-विभाजित किया गया है।

(3) अब आयात व्यापार नियंत्रण वर्गीकरण और भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ वर्गीकरण में पूर्ण सह-सम्बन्ध है। ये दोनों बी.टी.एन. (ब्रूसल्स व्यापार नोमेन्क्लेचर) पर आधारित है।

आयातकों के लिए महत्वपूर्ण संकेत

23. (1) लाइसेन्स के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जाना चाहिए।

(2) आवेदन-पत्र को साफ और ठीक तरह भरना चाहिए। कोई भी कालम खाली नहीं छोड़ना चाहिए। आवेदन पत्र के कालमों में जहां कहीं भी आवश्यक हो, वहां 'हां' या 'नहीं' या 'लागू नहीं होता है' शब्दों का इस्तेमाल करें। यदि आवेदक किसी विशेष कालम का उत्तर देने में असमर्थ हो, तो उसे उसका वास्तविक कारण बताना चाहिए ।

(3) निर्धारित प्रपत्र में सूचना सही और ईमानदारी से देनी चाहिए।

(4) आवेदित मूल्य के आधार पर आवेदन शुल्क की अदायगी की मूल खजाना/बैंक रसीद आवेदन पत्र के साथ भेजनी चाहिए।

(5) सभी आवश्यक कागजात आवेदन-पत्र के साथ दिए जाने चाहिए और आवेदन पत्र के आवरण पत्र में प्रत्येक कागजात का विवरण देते हुए सभी उन संलग्नकों के ब्यौरे देने चाहिए।

(6) आवेदन-पत्र पर किसी प्राधिकृत व्यक्ति के पते और पद सहित हस्ताक्षर होने चाहिएं ।

(7) आवेदक का पूरा पता साफ-साफ अक्षरों में लिखा होना चाहिए।

(8) यदि लाइसेंन्स प्राधिकारी की कोई संदर्भ संख्या है, तो उसका सही और पूरा संदर्भ उद्धृत करना चाहिए।

(9) कार्यविधि में दी गई व्यवस्था के अनुसार जैसा भी मामला हो, अंतिम तारीख से पहले उपयुक्त लाइसेंस प्राधिकारी या संबंधित प्रायोजक प्राधिकारी आवेदन-पत्र डाक से भेजा जाना चाहिए या लाइसेंस प्राधिकारी अथवा प्रायोजक प्राधिकारी के कार्यालय के काउन्टर पर निर्धारित अन्तिम तारीख से पूर्व दे देना चाहिए ।

(10) महानिदेशक, तकनीकी विकास के रजिस्टर में दर्ज वास्तविक उपयोक्ताओं को अपने आवेदन पत्रों में तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा प्रदान की गई कोड संख्या भी उद्धृत करनी चाहिए। यदि कोई कोड संख्या नहीं दी गई हो, तो निर्धारित प्रपत्र के ऊपर उचित खाने में "नहीं दी गई" शब्द लिखना चाहिए।

(11) वास्तविक उपयोक्ता को एक ऐसा समेकित आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें यूनिटों के लिए प्रत्येक तैयार-उत्पाद के लिए अपेक्षित कच्चे माल और संघटकों की आवश्यकता को शामिल कर लिया गया हो । उसी एकक द्वारा विनिर्मित सम्बद्ध अन्तिम उत्पादों के लिए केवल एक ही आवेदन पत्र भेजा जा सकता है ।

(12) आवेदकों को आयात किए जाने वाले माल की सूची संलग्न करते हुए यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पत्तन से माल की निकासी के समय संभावित असुविधा को दूर करने के उद्देश्य से सूची अच्छे और टिकाऊ कागज पर तैयार की गई है। जिन यूनिटों के नाम महानिदेशालय, तकनीकी विकास के रजिस्टर में दर्ज हैं उनके आवेदकों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उन्होंने लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए माल की सूची की जो प्रतियां तैयार की हैं वे महानिदेशालय, तकनीकी विकास द्वारा निकासी की गई सूची के अनुसार हैं।

(13) आयात लाइसेंस प्राप्त करने पर, लाइसेंसधारी को सावधानीपूर्वक इस बात की जाच कर लेनी चाहिए कि लाइसेंस सभी तरह से पूर्ण है। लाइसेंसधारी को विशेष रूप से निम्नलिखित बातों की जाच करनी चाहिए :—

(क) क्या लाइसेंस के साथ आयात के लिए स्वीकृत वस्तुओं की सूची लगी है, यदि ऐसी सूची का उल्लेख लाइसेंस में किया गया है।

(ख) क्या सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर लाइसेंस प्राधिकारी ने विधिवत रूप से हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) क्या सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर लाइसेंस प्राधिकारी ने सुरक्षा सील लगाई है।

(घ) यदि सूची में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, तो क्या लाइसेंस प्राधिकारी ने विधिवत् रूप से उनको साक्ष्यांकित किया है।

(ङ) क्या लाइसेंस की दोनों प्रतियों पर लाइसेंस प्राधिकारी ने सुरक्षा सील लगाई है।

(च) क्या लाइसेंस पर लगाई गई शर्तों पर लाइसेंस प्राधिकारी ने विधिवत् हस्ताक्षर किए हैं।

(छ) यदि लाइसेंस में से कोई शर्त काट दी गई है, तो क्या लाइसेंस प्राधिकारी ने उसे साक्ष्यांकित किया है।

(ज) क्या विदेशी साख पर जारी किए गए लाइसेंसों के मामले में साख पर लागू होने वाली शर्तों को लाइसेंस के साथ संलग्न कर दिया गया है, यदि लाइसेंस में इस तरह के आदेश का संदर्भ है, तो क्या ऐसी शर्तों पर लाइसेंस प्राधिकारी ने विधिवत हस्ताक्षर किए हैं।

(झ) लाइसेंस पर या लाइसेंस के साथ संलग्न सूची पर या लाइसेंस के साथ नत्थी की गई शर्तों पर लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा किए गए प्रत्येक हस्ताक्षर को विधिवत प्रमाणित करने के लिए हस्ताक्षर के ऊपर सुरक्षा सील लगी है।

यदि लाइसेंसधारी को यह पता लगे कि लाइसेंस किसी भी प्रकार से अपूर्ण है, तो उसे यह बात तुरन्त सम्बन्धित लाइसेंस प्राधिकारी के ध्यान में लानी चाहिए और लाइसेंस प्राधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए लाइसेंस वापस कर देना चाहिए।

अध्याय 3

वास्तविक उपयोक्ता

24 (1) परिभाषा.—"वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक)" का अर्थ होगा, एक औद्योगिक उपक्रम चाहे वह वृहत पैमाने, लघु पैमाने या कुटीर उद्योग क्षेत्र का हो और जो किसी उस वस्तु के विनिर्माण में लगा हुआ हो जिसके लिए उसके द्वारा उचित सरकारी प्राधिकारी से लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण-पत्र इनमें से जो भी लागू हो प्राप्त किया गया हो।

(2) वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) वे होते हैं जिन्हें औद्योगिक विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल के लिये कच्चे माल, संघटकों, सहायक उपकरणों, मशीनों और पुर्जों की जरूरत पड़ती है।

(3) वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) के पास उस के विनिर्माण इकाई के लिए औद्योगिक मशीनरी स्वामित्व या पट्टे के आधार पर हो सकती है। पट्टे के आधार प्राप्त की गई मशीनरी के मामले में वास्तविक उपयोक्ता द्वारा सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी को सूचना भेजी जानी चाहिए।

(4) **वास्तविक उपयोक्ताओं की श्रेणियां:**—स्थूल रूप से औद्योगिक वास्तविक उपयोक्ताओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है अर्थात् (1) तकनीकी विकास महानिदेशालय के रजिस्टरों में दर्ज अनुसूचित उद्योग (2) अनुसूचित उद्योग जिनके नाम तकनीकी विकास महानिदेशालय के रजिस्टरों में दर्ज नहीं होते और लघु उद्योगों से इतर गैर अनुसूचित उद्योग, (3) लघु उद्योग।

प्रायोजक अधिकारी

25 (1) प्रायोजक प्राधिकारियों की एक सूची परिशिष्ट 7 में दी गई है।

(2) जिला उद्योग केन्द्रों के महाप्रबन्धकों को भी लघु पैमाना और कुटीर क्षेत्रों से सम्बद्ध एककों के लिये प्रायोजक प्राधिकारियों के रूप में मनोनीत किया गया है।

(3) उन मामलों में जहां लागू आयात नीति के अन्तर्गत आयात आवेदन पत्र प्रायोजक प्राधिकारी के माध्यम से भेजे जाते हैं, वहां प्रायोजक प्राधिकारी, एककों के लिये लागू आयात नीति को ध्यान में रखते हुए उनकी आयात जरूरतों का निर्धारण करेंगे।

(4) आयात आवेदन पत्रों पर कार्रवाई करने के मामले में विकास आयुक्त (लघु पैमाना एकक), नई दिल्ली, प्रायोजक प्राधिकारी को ऐसे सामान्य निर्देश दे सकता है जिन्हें वह वांछनीय या आवश्यक समझे। विकास आयुक्त यह देखने के लिये प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा लाइसेंस जारी करने के लिये की गई कायान्तर सिफारिशों की जांच भी कर सकता है कि क्या उक्त सिफारिशें सामान्य नीति के अनुसार की गई थीं या नहीं।

पंजीकरण योजना

26. जिन यूनिटों को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें यह परामर्श दिया जाता है कि समय-समय पर अपने आवेदनपत्रों को अधिक सुविधापूर्वक निपटान के लिए वे अपने आप को सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी से पंजीकृत कराएं। जिन यूनिटों के पास उक्त अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण-पत्र हैं, वे भी अपनी यदि कोई हो, तो अन्य आवश्यकताओं के सम्बन्ध में ऐसा कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र का संगत प्रपत्र इस पुस्तक के परिशिष्ट 15 में दिया गया है।

27. (1) लघु उद्योगों के पंजीकरण की पद्धति 1960 से प्रचलित रही है। आयातित निवेश की आवश्यकता करने वाले सभी लघु उद्योग और जो इस पद्धति के अन्तर्गत आते हैं उन्हें अपने आप को सम्बद्ध राज्य के उद्योग निदेशक के पास पंजीकृत कराना होता है।

(2) वास्तविक उपयोक्ता (गैर-औद्योगिक) को इस नीति के उद्देश्य के लिए राज्य के उद्योग निदेशकों के साथ स्वयं को पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है, यद्यपि कुछ मामलों में आयात-नीति के लिए उनके आयात आवेदनपत्रों को राज्य के उद्योग निदेशकों की सिफारिश की आवश्यकता है।

28 आयात लाइसेन्स के लिये या सरणीबद्ध मद के आवंटन के लिये अपने आवेदनपत्र में आवेदक को इस पद्धति के अन्तर्गत यूनिट को आवंटित पंजीकरण संख्या (और उसकी तिथि) उद्धृत करनी चाहिए। वैध पंजीकरण संख्या के बिना ऐसे आवेदनपत्र सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिये जायेंगे। प्रत्येक लाइसेंस प्राधिकारी और सरणीबद्ध अभिकरण को एतद्द्वारा आगे ऐसी सूचना मांगने के लिये प्राधिकृत किया जाता है जिसे पंजीकरण की वैधता या क्षेत्र के विषय में वह अपने आपको संतुष्ट करने के लिये आवश्यक समझे।

29. (1) उद्योग निदेशकों (राज्य) लाइसेन्स प्राधिकारियों और सम्बद्ध सारणीबद्ध अभिकरणों को उनके क्षेत्राधिकार में लघु उद्योगों को जारी किए गए प्रत्येक पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति भेजेंगे। राज्य के उद्योग निदेशकों द्वारा लाइसेंसों को रद्द करने या उन में कुछ संशोधन करने के विषय में सूचना लघु उद्योगों को भेजे जाने वाले पत्र के साथ-साथ ही लाइसेंस प्राधिकारियों और सरणीबद्ध अभिकरणों को भी भेजी जानी चाहिए।

(2) यदि एक विद्यमान एकक एक नए अन्तिम उत्पाद के विनिर्माण के लिये (अतिरिक्त मशीनरी के साथ या उसके बिना पंजीकृत हो तो राज्य के उद्योग निदेशक ऐसे नए अंतिम उत्पाद की प्रविष्टि वर्तमान पंजीकरण प्रमाण पत्र में करेंगे जो कि उस यूनिट के पास पहले से ही है; ऐसे मामलों में अलग पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा और सम्बद्ध यूनिट आयात लाइसेंस के उद्देश्य के लिए एक विद्यमान यूनिट के रूप में समझी जाती रहेगी।

30. यदि पंजीकरण के समय तक किसी यूनिट ने मशीनरी नहीं लगाई है या वह यूनिट उत्पादन नहीं करती है तो पंजीकरण प्रमाणपत्र पर "उत्पादन में नहीं है" का पृष्ठांकन किया जाएगा यह पृष्ठांकन उद्योग निदेशक (राज्य) द्वारा केवल इस बात का सत्यापन करने के बाद हटा दिया जाएगा कि यूनिट में उत्पादन होने लगा है।

31. महानिदेशक तकनीकी विकास की सूची के लघु क्षेत्र को हस्तांतरित की गई यूनिटों को अपने आप को तत्सम्बन्धी राज्य उद्योग निदेशकों से शीघ्र ही पंजीकृत करा लेना चाहिए और इसी तरह उनके उपरान्त लघु पैमाना क्षेत्र से महानिदेशक तकनीकी विकास के हस्तांतरित यूनिटों को। लेकिन, ऐसे मामलों में महानिदेशक, तकनीकी विकास या राज्य के उद्योग निदेशक, जो भी हो, के पास पंजीकरण के लिए पड़े हुए मामलों में सम्बद्ध एकक उचित अवधि के लिए अपनी वर्तमान स्थिति में ही आयात की सुविधा प्राप्त करते रहेंगे।

32. लाइसेंस प्राधिकारी के लिये या सरणीबद्ध अभिकरण के लिए छूट होगी कि वह वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) को (राज्य) उद्योग निदेशक द्वारा जारी किये गए पंजीकरण प्रमाणपत्र को स्वीकार न करें। जिस मामले में ऐसा समझा जाए उसमें यूनिट से नया पंजीकरण प्राप्त करने को कहना चाहिए।

33(1) लेकिन, उपर्युक्त प्रावधानों की सामान्यता को ध्यान में रखे बिना 1982-83 के लिए लघु पैमाने की यूनिटों को उपर्युक्त लाइसेंस पहले से उनके पास पंजीकरण प्रमाणपत्रों के आधार पर या 1983-84 में उनको जारी किए गए प्रमाणपत्रों के आधार पर आवेदक द्वारा यह घोषणा प्रस्तुत करने पर प्रदान किए जाएंगे कि उनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द नहीं किया गया है या वापस नहीं लिया गया है और यह कि यूनिट वास्तव में प्रचालित है। इस घोषणा के लिए उन मामलों में आग्रह नहीं किया जाएगा जिनमें उनका पंजीकरण प्रमाणपत्र 1-4-1983 को 5 वर्ष से कम का था।

(2) उपकंडिका 1 में दी गई व्यवस्थाएं सरणीबद्ध करने वाले अभिकरणों द्वारा सरणीबद्ध मदों के आबंटन के लिए भी लागू होंगी।

वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा खपत का लेखा रखना

34. (1) प्रत्येक वास्तविक उपयोक्ता को परिशिष्ट 18 में दिये गये प्रपत्र में आयातित माल के उपभोग और उपयोग का सही और उचित लेखा रखना चाहिए। लाइसेंस और खुले सामान्य लाइसेंस के आधार पर आयात किये गये माल के सम्बन्ध में या सरणीबद्ध अभिकरणों से आबंटनों के रूप में प्राप्त माल के सम्बन्ध में इस प्रकार का लेखा रखने में असमर्थ रहने पर भविष्य में लाइसेंस या आबंटन जारी करने के लिये आवेदन-पत्र उस अन्य कार्रवाई को ध्यान में रखे बिना अस्वीकार कर दिये जाएंगे जो कि आवेदक के विरुद्ध कानून के अन्तर्गत की जा सकती है। प्रायोजक प्राधिकारी को और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को या अन्य लाइसेंस प्राधिकारी को इस बात से संतुष्ट करने का पूर्ण दायित्व सदैव वास्तविक उपयोक्ता पर होगा कि उसने उचित और सही लेखा रखा है और विशेष रूप से लागू वास्तविक उपयोक्ता शर्त सहित किसी भी संदेह के बिना वह अपनी सदाशयता को सिद्ध करने की स्थिति में है और यह कि जिन शर्तों के अधीन उसने आयातित माल का आयात या आबंटन या हस्तांतरण/ऋण प्राप्त किया था उससे संबंधित कानून का पूर्ण रूप से अनुपालन किया है। वास्तविक उपयोक्ता को आयातित माल के लेखे और प्राप्ति के रजिस्टरों, उपभोग और उपयोग को लाइसेंस प्राधिकारी या प्रायोजक प्राधिकारी या मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य सरकारी प्राधिकारी को उनके द्वारा निरीक्षण करने या सत्यापन करने के लिये मांग करने पर प्रस्तुत करना होगा।

(2) व्यापार सदन, निर्यात सदन, वास्तविक उपयोक्ताओं की संस्थाएं या सहकारी समितियां या सार्वजनिक क्षेत्र के अभिकरण-जिन्हें लागू आयात-निर्यात नीति के अन्तर्गत वास्तविक उपयोक्ताओं को आयातित माल संभरण करने का कार्य सौंपा गया है, से वास्तविक उपयोक्ता द्वारा अधिप्राप्त आयातित माल भी "वास्तविक उपयोक्ता" शर्त के अधीन होगा। ऐसे माल की अधिप्राप्ति एवं उपभोग का उचित लेखा और माल प्राप्त करने के उस स्रोत को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हुए रखना चाहिए जिससे माल प्राप्त किया गया था।

(3) 1982-83 में वास्तविक उपयोक्ताओं को उनके लिए लागू आयात नीति के अंतर्गत यूनिट द्वारा संयुक्त लाइसेंसों की पद्धति के अंतर्गत प्राप्त की गई मदों के आयात और उपभोग का अलग लेखा रखना चाहिए।

35. 1975-76 वर्ष और इससे आगे के वर्षों के लिए आयातित माल की प्राप्ति, उपभोग और उपयोग के लेखे जिस वर्ष से सम्बद्ध लेखा सम्बन्धित है, उसकी समाप्ति से कम से कम 8 साल की अवधि तक लाइसेंसधारी द्वारा सुरक्षित रखे जायेंगे। पिछले वर्षों के लेखे भी जिस वर्ष से लेखा सम्बन्धित है उसकी समाप्ति से 8 वर्षों के लिये या 1-4-1975 से 2 वर्षों के लिये, इन में जो भी बाद में हो उस अवधि के लिए सुरक्षित रखे जायेंगे।

36. यदि वास्तविक उपयोक्ता किसी परिस्थिति में उपर्युक्त पैरा 35 का पालन करने में असमर्थ है तो वह मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली से लिखितरूप में पूर्व अनुमति मांग सकता है, परन्तु वह अपने वर्तमान रजिस्टर को अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ सुरक्षित (और उनका पोस्टिंग रखेगा) रखेगा। लेकिन, ऐसे सभी मामलों में उपर्युक्त पैरा 34 में निर्धारित कर्तव्य और आभार वास्तविक उपयोक्ता के कर्तव्य और आभार होंगे।

37. आयातित मशीनरी रखने वाले औद्योगिक एकक के हस्तांतरण के लिये आवेदनों पर विचार करते समय प्रायोजक प्राधिकारी स्वयं इस बात की संतुष्टि करेगा कि हस्तांतरणकर्ता द्वारा रखे गये उपर्युक्त लेखे और रजिस्टर उसी के द्वारा सुरक्षित रखे जायेंगे या परिचय-सूची के आधार पर हस्तांतरण लेने वाले व्यक्ति को दिये जाएंगे। अपने कर्तव्यों और आभारों का उचित और पूर्णरूपेण पालन करने के लिये हस्तांतरण करने वाला और हस्तांतरण लेने वाला दोनों व्यक्ति अलग-अलग और संयुक्त रूप से कानूनन पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।

लाइसेंस की स्वीकृति/अस्वीकृति की सूचना

38. (1) प्रत्येक मामले में लाइसेंस प्रदान करने अथवा अस्वीकृति की सूचना लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी को भेजी जाएगी, इसमें आटोमेटिक लाइसेंस भी शामिल होंगे। इस उद्देश्य के लिये "लाइसेंस अग्रेषणपत्र" की प्रति और उस के लाइसेंस मूल्य के साथ अनुमित मदों की सूची (यदि कोई हो) या अस्वीकृति-पत्र पृष्ठांकित किया जाएगा। उक्त अग्रेषणपत्र अन्तिम उत्पाद को भी निर्दिष्ट करेगा। लाइसेंस प्राधिकारी ऐसे पत्र की प्रतियां आवेदक से सम्बद्ध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी और आय-कर प्राधिकारी को भी भेजेगा।

(2) प्रायोजक प्राधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण और आय-कर प्राधिकारी को सूचना भेजते समय खपत विवरण की वे प्रतियां भी भेजी जाएंगी जिन के आधार पर आटोमैटिक लाइसेन्स प्रदान किया जाता है।

(3) उपर्युक्त उप-पैरा (1) के अन्तर्गत यथा-अपेक्षित "वास्तविक उपयोक्ता" शर्तों के साथ विनिर्माता निर्यातकों को आर. ई. पी. लाइसेन्स प्रदान के सम्बन्ध में सूचना लाइसेन्स प्राधिकारी और सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी को भी भेजनी होगी।

प्रायोजक प्राधिकारियों को सूचना देने के लिए सरणीबद्ध अभिकरण

39. प्रत्येक सरणीबद्ध अभिकरण सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारियों को सारणीबद्ध मदों के अपने द्वारा किये गये सीधे आवंटन के विषय में मासिक विवरणपत्र भेजेगा जिसमें आवंटी के नाम, उनके पते, लाइसेंस पंजीकरण संख्या और आवंटन/रिहाई की मात्रा और तिथि निर्दिष्ट करेगा।

माल के उपयोग की जांच

40. सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी इस बात की जांच करेंगे कि उनके अधिकार क्षेत्र में वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा आयातित माल का उचित उपयोग किया गया है या नहीं और उन्होंने निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित तरीके से आयात और उपभोग का सही और उचित लेखा रखा है या नहीं। जैसा कि नीति में उल्लिखित है, वे एक वास्तविक उपयोक्ता से दूसरे वास्तविक उपयोक्ता को आयातित माल के हस्तांतरण को उधार लेने के लिये आवेदनों पर सहमति देने में अपने निजी विवेक का भी प्रयोग करेंगे। वे सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारियों को ऐसे मामलों की तुरन्त सूचना देंगे जिनमें वास्तविक उपयोक्ताओं ने उन शर्तों का उल्लंघन किया है जिनके अधीन माल और पूंजीगत माल के आयात की अनुमति दी गई थी या सरणीबद्ध अभिकरण द्वारा आबंटित किया था या अन्य प्रकार से हस्तांतरित किया गया था/उधार दिया गया था। तब लाइसेंस प्राधिकारी चूक-कर्ता के विरुद्ध आयात कानून के अन्तर्गत यथा-अपेक्षित कार्रवाई प्रारम्भ करेगा परन्तु यह कार्रवाई उस अन्य दण्डनीय कार्रवाई के अतिरिक्त होगी जो प्रायोजक प्राधिकारी यदि कोई हो, अपने निजी अधिकारों के अन्तर्गत कर सकता है।

सनदी/लागत लेखापाल और सनदी इंजीनियर

41. (1) सनदी/लागत लेखापालों और सनदी इंजीनियरों से आशा की जाती है कि आयात/निर्यात नीति में निहित विभिन्न उद्देश्यों के लिये प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते समय उचित ध्यान रखें और कर्तव्य परायणता का पालन करें। यह कार्य उनके कार्यों में से इस प्रकार का उत्तरदायी कार्य है जो कि इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि उदार क्रियाविधि की सफलता इसी पर निर्भर करती है। यह उन अन्य व्यक्तियों के लिए भी इसी प्रकार से लागू होगा जो लोग आयात नीति के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत हैं। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि उनके द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र में सही सूचना नहीं थी तो उन्हें आयात तथा निर्यात नियंत्रण विनियमों के दण्डात्मक प्रावधानों के अधीन दण्ड दिया जाएगा।

(2) आयात-निर्यात नीति में विभिन्न प्रावधान शामिल हैं, जिनके अनुसार उन आयातकों को उपभोग/निर्यात विवरण भेजने हैं जो निर्यात सदन प्रमाणपत्र या व्यापार सदन प्रमाणपत्र या निर्यात निष्पादन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं और उन्हें अपने निष्पादन, व्यावसायिक सनदी लेखापाल या लागत लेखापाल, जो सम्बद्ध फर्म या कम्पनी या उनकी सहयोगी कम्पनी के साझीदार, स्वामी या निदेशक या कर्मचारी न हों, के द्वारा सत्यापित करवाने चाहिए। ऐसे मामलों में सम्बद्ध व्यक्ति सनदी लेखापाल या लागत लेखापाल के बजाए व्यावसायिक कम्पनी सचिव से भी अपेक्षित प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं।

आटोमैटिक लाइसेंस

42. ओटोमेटिक लाइसेंस के लिये आवेदन पत्र आयात नीति में निर्धारित प्रपत्र में एवं विधि से सम्बद्ध क्षेत्रीय प्राधिकारियों को भेजे जाने हैं। आयात लाइसेंसों में विशेष मदों की सूची नहीं होगी और ये सम्बद्ध आयात नीति के प्रावधानों के अनुसार कच्चे माल, संघटक, उपभोज्य सामग्री और फालतू पुर्जों के आयात के लिये वैध होंगे। वास्तविक उपयोक्ताओं के लिये यह अनिवार्य होगा कि वे केवल उन्हीं मदों का आयात करें जो लाइसेंस में अनुमित हैं और जिनकी आवश्यकता कारखाने में उस अन्तिम उत्पाद के निर्माण के लिये है जिसके लिये उन्होंने लाइसेंस प्राप्त किया है।

पूरक लाइसेंस

43. (1) वे वास्तविक उपयोक्ता जिनकी आयात की जरूरतें आटोमैटिक लाइसेंसों से पूरी नहीं होती हैं, वे संबद्ध आयात नीति के प्रावधानों के अनुसार कच्चे माल, संघटकों, उपभोज्य सामग्री और फालतू पुर्जों के पूरक आयात लाइसेंस के लिये आवेदन कर सकते हैं। ऐसे लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्र सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी के माध्यम से भेजने चाहियें।

(2) निर्धारित अन्तिम तिथि के भीतर पूरक लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्र दिये जाने चाहिए। ऐसे आवेदनपत्र केवल तब भेजे जा सकते हैं जबकि वास्तविक उपयोक्ता ने उसी लाइसेंस अवधि के लिए आटोमैटिक लाइसेंस के लिए आवेदन किया हो या प्राप्त किया हो। पहले से ही आवेदन किए गए या प्राप्त किए गए आटोमैटिक लाइसेंस के साथ-साथ पूरक लाइसेंस के लिए जरूरत के औचित्य के लिए पर्याप्त सूचना देनी चाहिए।

(3) चालू आयात नीति के अनुसार भेजी जाने वाली अन्य आवश्यक जानकारी के अलावा पूरक लाइसेंस के लिये प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ आयात की जाने वाली प्रत्येक मद और उसके मूल्य की सूची भी भेजी जानी चाहिये। पूरक लाइसेंसों के लिये दावा करते समय वास्तविक उपयोक्ता को इसके लिये पूरे औचित्य देने चाहियें।

(4) प्रायोजक प्राधिकारी जब पूरक लाइसेंस के आवेदन पत्र की सिफारिश कर रहा हो तब उन्हें अपनी सिफारिश में उस कारण का भी उल्लेख करना चाहिए जिसके लिये उनके द्वारा सिफारिश की गई मदें आवश्यक हैं और वास्तविक उपयोक्ता की जरूरतें आटोमैटिक लाइसेन्स या देशी स्रोतों के आयात के अन्य प्राधिकृत माध्यम से पूरी हो सकती हों।

बिक्री के बाद सेवाओं के लिए फालतू पुर्जे

44. (1) आयात नीति में दिये गये प्रावधानों के अनुसार ग्राहकों के लिये आश्वासन पूरा करने/बिक्री के बाद सेवाओं की व्यवस्था के लिये वांछित फालतू पुर्जों के आयात के लिये आवेदन पत्र सम्बद्ध क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी को उसी प्रपत्र में भेज सकते हैं जो कि आटोमैटिक लाइसेंसों के लिये लागू हैं, लेकिन, इसके साथ आयात नीति के अन्तर्गत अतिरिक्त जानकारी और प्रमाण पत्र भी भेजने होंगे।

(2) इस प्रावधान के अन्तर्गत जारी किये गये आयात लाइसेंस निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे :—

> "इस लाइसेंस के मद्दे आयातित माल का उपयोग केवल लाइसेंस धारी द्वारा निर्मित मशीनरी/उपस्कर/वाहन की सर्विसिंग और रख रखाव (चाहे वह निशुल्क हो या मूल्य पर हो) के लिये किया जायेगा।"

(3) इस प्रावधान के अन्तर्गत वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) द्वारा प्राप्त किये गये आयात लाइसेंस के मूल्य की सूचना महानिदेशक, तकनीकी विकास, नई दिल्ली को भेजी जानी चाहिये ताकि महानिदेशक, तकनीकी विकास वास्तविक उपयोक्ता द्वारा ग्राहकों को किस दर्जे की सेवा प्रदान की गई है उस पर निगरानी रख सकें।

(4) निर्यातित मशीनरी के सम्बन्ध में दिये गये आश्वासन/बिक्री के बाद सेवा के लिये पंजीकृत निर्यातकों में सम्बद्ध अध्याय में अलग से व्यवस्था की गई है।

45. **फालतू पुर्जों के लिए आपाती लाइसेन्स**—लागू आयात नीति के अधीन फालतू पुर्जों के आयात के लिए आपाती लाइसेन्स के आवेदनपत्रों के साथ आयात किए जाने वाली मदों की सूची और मुख्य कार्यकारी अर्थात अध्यक्ष/प्रबन्धक निदेशक/कार्यकारी निदेशक/प्रबन्धक साझीदार का निम्न प्रकार का एक घोषणापत्र होना चाहिए :—

"मैं घोषणा करता हूं कि फालतू पुर्जों के लिए आपाती लाइसेन्स प्रदान करने के लिए हमारे आवेदनपत्र लागू आयात नीति के समरूप है क्योंकि मशीनरी के उत्पादन में वास्तविक/निकटवर्ती विकार हो गया है। निम्नलिखित कारणों से फालतू पुर्जों का आपाती आयात अनिवार्य हो गया है :—

(स्थिति का विस्तृत ब्यौरा दिया जाना है)

उत्पादन विवरणियां

46. (1) सभी वास्तविक उपयोक्ताओं को मासिक विवरण (लघु उद्योग के एककों के मामलों में त्रैमासिक) अपने प्रायोजक प्राधिकारियों को भेजने चाहियें। पूर्ण मासिक/त्रैमासिक विवरणी भेजने में असमर्थ एककों के नाम प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा संबद्ध लाइसेन्स प्राधिकारी को सूचित किए जाएंगे। ऐसे दोषी एककों को आगे लाइसेन्स प्रदान करने के लिये दिए गए आवेदन पत्रों को, इस सम्बन्ध में उनके विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई के अलावा, रद्द कर दिया जायगा।

(2) उन मामलों में जहां आयात आवेदन पत्र प्रायोजक प्राधिकारी के माध्यम से दिये जाते हैं, आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करते समय, प्रायोजक प्राधिकारी यह भी जांच करेगा कि आवेदक ने अन्तिम उत्पाद से सम्बद्ध नजदीकी वर्ष और अद्यतन वर्ष के लिये पूर्ण मासिक/त्रैमासिक विवरणी भेज दी हैं, जिससे आवेदन पत्र सम्बन्धित है।

(3) आयात-निर्यात नीति में सभी वास्तविक उपयोक्ताओं के लिये यह भी प्रावधान है कि वे खुले सामान्य लाइसेन्स के अधीन किए गए अपने आयात का विवरण/घोषणा सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी और प्रायोजक प्राधिकारी को भेजें। इस आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ वास्तविक उपयोक्ताओं के विरुद्ध आयात नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई भी की जा सकती है।

(4) आयात-निर्यात नीति में सभी वास्तविक उपयोक्ताओं के लिए यह भी व्यवस्था है कि वे अपने अनुमोदित चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम में प्राप्त किए गए स्वदेशीपन की प्रतिशता बताते हुए छमाही विवरणिका भेजें। इस आवश्यकता को पूरा करने वाले असमर्थ वास्तविक उपयोक्ता के विरुद्ध आयात-नियंत्रण अधिनियम के अधीन कार्रवाई भी की जा सकती।

(5) ऐसे महानिदेशक तकनीकी विकास के एकक जिन्हें चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम पूरा करना है उनके द्वारा संघटकों के आयात के लिए 1 अप्रैल, 1983 से विशेष सूची सत्यापन क्रियाविधि (एल. ए. क्रियाविधि) चालू की गई है। उनके मामले में संघटकों के आयात चाहे वे आटोमेटिक लाइसेंस या खुले सामान्य लाइसेंस या आयात नीति के किसी भी ढील से सबद्ध प्रावधानों के अधीन किए गए हों, सूची सत्यापन क्रियाविधि द्वारा शासित होंगे। इस क्रियाविधि के विस्तृत ब्यौरे 1983-84 की आयात-निर्यात नीति (जिल्द-I) के अध्याय 20 में निहित हैं। ऐसे वास्तविक उपयोक्ता जो निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करने में असमर्थ होंगे उनके विरुद्ध आयात नियंत्रण विनियमों के अधीन कार्रवाई की जाएगी और उन्हें आगामी आयात सुविधाएं प्रदान करनी बन्द कर दी जाएंगी।

ग गए
ारा
ाक

अध्याय-4

पंजीकृत निर्यातक

निर्यातकों का पंजीकरण

पंजीकरण प्राधिकारी

47 (1) भिन्न-भिन्न निर्यात उत्पादों के लिए पंजीकरण प्राधिकारियों के नाम परिशिष्ट 10 (अनुबंध 1) में दिए गए हैं।

47 (2) निर्यात संवर्धन परिषद् मद्रास और इसके कार्यालयों, यदि कोई है तो उसके स्थान पर हथकरघा उत्पादों के निर्यातकों के लिए पंजीकरण प्राधिकारी के रूप में विकास आयुक्त हथकरघा, उद्योग भवन, नई दिल्ली को मनोनीत किया गया है। यह निर्णय 1 अप्रैल, 1983 से लागू है। वे निर्यातक जिनके पास पहले से ही, हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद्, मद्रास या इसके क्षेत्रीय कार्यालयों, यदि कोई है, द्वारा 31 मार्च, 1983 तक जारी किए गए वैध पंजीकरण प्रमाण-पत्र हों तो वे विकास आयुक्त हथकरघा, नई दिल्ली के पास निर्यातक के रूप में पंजीकृत किए गये समझे जाएंगे। निर्यातकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे नया पंजीकरण प्राप्त करने या पहले प्राप्त किए गए पंजीकरण के नवीकरण के हथकरघा विकास आयुक्त, नई दिल्ली को आवेदन करें।

48. निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित राज्यों से रत्न तथा आभूषण से भिन्न मदों के निर्यातकों के मामलों में पंजीकरण प्राधिकारी सम्बद्ध (राज्य) उद्योग निदेशक या सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में नामित अन्य अधिकारी होगा :--

(1) अण्डमान और निकोबार द्वीप
(2) अरुणाचल प्रदेश
(3) लक्षद्वीप
(4) मणिपुर
(5) मिज़ोरम
(6) नागालैण्ड
(7) त्रिपुरा
(8) जम्मू और कश्मीर
(9) गोवा, दमन और दिव

49. (1) जिन निर्यात सदनों/व्यापार सदनों के पास निर्यात सदन प्रमाण-पत्र हैं, वे यदि ऐसा चाहें तो संबद्ध निर्यात परिषद्/पण्यवस्तु बोर्ड के बजाय अपने आप को भारतीय निर्यात संगठन के संघ पी एच डी हाउस, श्री इन्स्टिट्यूशनल एरिया होज खास नई दिल्ली के साथ पंजीकृत करा सकते हैं। भारतीय निर्यात संगठन संघ के साथ ऐसा पंजीकरण सभी उत्पाद ग्रुपों के लिए वैध होगा। लेकिन, मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात द्वारा जारी किए गए निर्यात सदन/व्यापार सदन प्रमाण पत्र को प्राप्त किए हुए निर्यात सदनों/व्यापार सदनों को भारतीय निर्यात संगठन के संघ के सदस्यों के रूप में पंजीकृत कराना होगा। निर्यात सदनों/व्यापार सदनों को निर्यात के लिए अपनी विस्तृत योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रतियां और पण्यवस्तुवार और देशवार अपने निर्यातों के त्रैमासिक और वार्षिक विवरणपत्र भी उस तरीके से भारतीय निर्यात संगठन के संघ को भेजने होंगे जिसे वह समय समय पर निर्धारित करें। [वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (ई. पी. प्रभाग), नई दिल्ली को भेजी जानी चाहिएं।] व्यापार सदनों को यह सलाह दी जाती है कि वे निर्यात संवर्धन कार्यक्रम के लिए विदेश में बिक्री-बाद सुविधाएं प्रदान करें। उन्हें भारतीय निर्यातक के समुदाय के महासंघ और मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात, नई दिल्ली को भेजी जाने वाली वार्षिक और त्रैमासिक रिपोर्टों में उनके द्वारा इस सम्बन्ध में हुई प्रगति का ब्यौरा भेजना चाहिए।

(2) स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र में स्थित एककों के मामलों में संबद्ध क्षेत्र का विकास आयुक्त पंजीकरण प्राधिकारी होगा।

(3) वे निर्यातक जिनके लिए कोई भी पंजीकरण प्राधिकारी विनिर्दिष्ट न किया गया हो या (जिनके कोई भी पंजीकरण प्राधिकारी पंजीकरण को स्वीकार न करे।) वे पत्तनों अर्थात् बंबई, मद्रास और कलकत्ता के निर्यात संवर्धन अधिकारियों के पास स्वयं को पंजीकृत करवा सकते हैं। उनके क्रमशः पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र क्षेत्राधिकार होंगे। उत्तरी क्षेत्र के मामले में पंजीकरण प्राधिकारी संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात, केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र, नई दिल्ली होगा।

50. सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक संस्थानों, राज्य स्वामित्व या नियंत्रण में आने वाले निगमों, सरकार या सरकारी विभागों द्वारा स्थापित किए गए सांविधिक निकायों को भी पंजीकृत निर्यातकों के लिये आयात नीति के अंतर्गत लाभ प्रदान करने के उद्देश्य के लिए संबंधित पंजीकरण प्राधिकारी के पास पंजीकरण कराना होगा। लेकिन, यदि वे चाहें, तो संबद्ध निर्यात संवर्धन परिषद/पण्य बोर्ड के स्थान पर अपने आप को भारतीय निर्यात संगठनों के संघ के पास पंजीकृत करा सकते हैं। भारतीय निर्यात संगठनों के पास किये गए इस प्रकार के पंजीकरण सभी उत्पादों के लिए वैध होंगे।

पंजीकरण के लिए आवेदन-पत्र

51. पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र सम्बद्ध पंजीकरण प्राधिकारी को भेजने चाहिएं। शाखाओं वाली व्यापार संस्थाओं के मामले में पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र लिमिटेड कम्पनियों के मामले में पंजीकृत कार्यालय द्वारा भेजे जा सकते हैं और अन्यों के मामले में मुख्य कार्यालय द्वारा। ऐसे मामलों में पंजीकृत कार्यालय/मुख्य कार्यालय को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र इसकी शाखाओं के लिए भी वैध होगा। शाखाएं पंजीकरण के लिए अलग से भी आवेदन कर सकती हैं, ऐसे मामले में पंजीकरण प्राधिकारी आवेदक शाखा को एक अलग पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा; लेकिन निर्यात सदन अपनी सभी शाखाओं और सम्बद्ध मुख्यालयों के लिए समेकित आधार को छोड़ कर अपने आर. ई. पी और अतिरिक्त लाइसेंसों के लिए स्वतंत्र रूप से आवेदन पत्र भेजने के लिए पात्र नहीं होंगे।

52. (1) पंजीकरण के लिए आवेदन-पत्र परिशिष्ट-10 (अनुबंध-2) में दिए गए प्रपत्र में भेजे जाने चाहिए।

(2) महानिदेशक, तकनीकी विकास के पास पंजीकृत से भिन्न विनिर्माताओं के मामले में पंजीकरण व सदस्यता प्रमाण-

पत्र का भाग-2 संबद्ध प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा भरा जाना है। लेकिन, एक पंजीकरण प्राधिकारी संबद्ध राज्य उद्योग निदेशक या प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा आवेदक को जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रमाण-पत्र के भाग-2 को स्वयं भरे। इस आधार पर आवेदक को एक व्यावसायिक पंजीकरण व सदस्यता प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है। इसके बाद जैसा भी मामला हो, पंजीकरण प्राधिकारी को चाहिए कि जैसा भी मामला हो राज्य उद्योग निदेशक या प्रायोजक प्राधिकारी से आवश्यक सत्यापन परिवर्तन करे और वहां से "व्यावसायिक" शब्द को भी हटा दे।

53. पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए :—

(1) आवेदक की वित्तीय क्षमता की पुष्टि में बैंक प्रमाण-पत्र, और

(2) विधिवत भरे हुए भाग-1 और भाग-2 के संबंधित कालम के साथ पंजीकरण व सदस्यता प्रमाण-पत्र।

पंजीकरण प्रमाण-पत्र

54. पंजीकरण प्रमाण-पत्र का प्रपत्र परिशिष्ट 10 (अनु-बंध-3) में दिया गया है।

55. रेयन टैक्सटाइल के निर्यातकों के मामले में पंजीकरण का एक अलग प्रपत्र परिशिष्ट 10 के अनुबन्ध - 3 में निर्धारित किया गया है।

56. यदि आवेदक विनिर्माता निर्यातक और व्यापारी निर्यातक दोनों है तो सम्बद्ध पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा उसको एक अलग प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा। (यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई विनिर्माता अन्य द्वारा विनिर्मित उत्पादों का भी निर्यात करता है तो उसे ऐसे निर्यातों के लिए अपने आप को व्यापारी निर्यातक के रूप में पंजीकृत करवाना चाहिए)।

पंजीकरण के लिए पात्रता

57. भूतकालीन निर्यात निष्पादन, अच्छा रिकार्ड और अनुभव रखने वाले निर्यातक जो सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषद् के सदस्य हैं, पंजीकरण के लिये पात्र हैं। जिस आवेदक को किसी विशेष क्षेत्र में निर्यात का अनुभव नहीं है, उसका भी पंजीकरण किया जा सकता है बशर्ते कि पंजीकरण प्राधिकारी आवेदक की सामान्य वाणिज्यिक पृष्ठभूमि, उसके औद्योगिक अनुभव या अन्य क्षेत्रों में उसके निर्यात निष्पादन के विषय में सन्तुष्ट हो।

पंजीकरण की शर्तें

58. (क) पंजीकरण प्रमाण-पत्र ऐसी शर्तों के अधीन जारी किया जायेगा जिसे पंजीकरण प्राधिकारी आवश्यक समझे। पंजीकरण की एक शर्त यह होगी कि पंजीकृत निर्यातक तिमाही के बाद के महीने के पन्द्रहवें दिन तक निर्यात का एक तिमाही विवरणपत्र (शून्य विवरणपत्र सहित) पंजीकरण प्राधिकारी को भेजेगा।

(ख) निर्यात संवर्धन परिषद या पण्यवस्तु बोर्ड द्वारा किसी मद के लिये पंजीकरण उन सभी मदों के लिये लागू होगा जिनसे विशेष परिषद/बोर्ड सम्बद्ध है। (लेकिन यह उपर्युक्त कंडिका 55 में किए गए प्रावधानों के अधीन होगा)

(ग) जो इंजीनियरी माल और हथकरघा (वस्त्र और तैयार वस्तुएं) के संवर्धक, प्रतिपूर्ति लाइसेंसों की मंजूरी के लिए उनके विनिर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्री पर निर्भर करते हुए अलग-अलग उत्पाद ग्रुपों के अंतर्गत वर्गीकृत किये गये हैं, उनके मामले में पंजीकृत निर्यातक अपने आप को किसी भी सम्बद्ध पंजीकरण प्राधिकारी के पास पंजीकृत करा सकते हैं। इसी प्रकार से बहु-मूल्य/कम बहुमूल्य रत्नों की बनी वस्तुएं जैसे राखदानी, कलम-दान आदि जो 'हस्तशिल्प' के अन्तर्गत आते हैं, उनके मामले में निर्यातकों को अपने आपको पंजीकृत नहीं कराना होगा बशर्ते कि वे रत्न व आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् के पास पहले ही पंजीकृत हैं। यदि लाइसेंस प्राधिकारी यह निश्चित कर देता है कि हस्तशिल्प के रूप में निर्यात किया गया उत्पाद वास्तव में किसी अन्य स्थान पर वर्गीकरणीय है तो उस मामले में भी आवेदक यदि अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के साथ पहले ही पंजीकृत है तो अन्य पंजीकरण प्राधिकारी से पंजीकरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

अखिल भारतीय हस्तशिल्प के पास पंजीकृत ई.पी.एन.एस. वस्तुओं के निर्यातकों के लिए भी इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् के पास अलग से पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं होगी।

(घ) जिन मिश्रित मदों में अलग-अलग उत्पाद ग्रुपों के अंतर्गत आने वाली कच्ची सामग्री अर्थात प्लास्टिक, इंजीनियरी आदि हो, उनके मामले में यदि प्रयोग की गई किसी विशेष कच्ची-सामग्री का मूल्य मिश्रित मद के मूल्य से 50% से अधिक हो तो इतना ही पर्याप्त होगा कि आवेदक अपने आपको मिश्रित मद की मुख्य मात्रा के संबंध में सम्बद्ध पंजीकरण प्राधिकारी के पास पंजीकृत करा ले।

(ङ) "परियोजना निर्यातों" के मामले में यदि निर्यातक इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् के पास पंजीकृत है तो उसके लिये विषयाधीन परियोजना में शामिल विभिन्न पण्य वस्तुओं से सम्बद्ध अन्य निर्यात संवर्धन परिषदों/पण्य वस्तु बोर्ड के साथ पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं होगा।

(च) एक बार पंजीकृत कर लिये जाने के बाद पंजीकरण (जारी होने की तारीख से) चार वर्षों के लिए तब तक वैध रहेगा जब तक कि पंजीकृत निर्यातक के रूप में निर्यात करना बन्द न कर दे, या किसी कारण से उसका नाम अपंजीकृत न कर दिया जाये या वह प्रमाणपत्र रखने के लिए अपात्र न बन जाये। जो पंजीकरण प्रमाण-पत्र (इसमें भारतीय निर्यात संगठन के संघ के साथ पंजीकृत निर्यात सदन भी शामिल है) 1982-83 के दौरान समाप्त हो जायें, वे 6 महीनों की अतिरिक्त अवधि के लिये लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किए जा सकते हैं जिससे निर्यातक नया पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त कर सके।

(छ) काण्डला स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र और सान्ताक्रुज इलेक्ट्रानिक निर्यात संसाधन क्षेत्र, बम्बई में स्थित यूनिटों के मामले में पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता अवधि सम्बद्ध पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा यथा निर्दिष्ट होगी।

पंजीकरण के लिए आवेदनपत्र की तिथि से पहले निर्यात

59. पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र देने की तिथि से 12 महीने की अवधि की तिथि से पहले पंजीकृत निर्यातक द्वारा किये गये निर्यात आयात प्रतिपूर्ति के लिये पात्रता प्रदान नहीं करेंगे। इस उद्देश्य के लिए आवेदनपत्र प्रस्तुत करने की लागू तिथि वह तिथि होगी जिस तिथि को पूर्ण आवेदनपत्र प्राप्त किया हो (गैर-महानिदेशक तकनीकी विकास एककों के मामले में पंजीकरण-व-सदस्यता प्रमाण-पत्र के भाग 2 को भरने के प्रयोजन के लिए प्रयोजक प्राधिकारी द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने की तारीख इस कंडिका के प्रयोजन के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन करने की तारीख ही गिनी जाएगी)। 12

माह की अवधि पर पहुंचने के लिए उस महीने को उसमें नहीं गिना जाएगा जिसके दौरान पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किया जाता है। निर्यात की जो मदें केवल विदेशी मुद्रा की वसूली के बाद प्रतिपूर्ति के लिए पात्रता प्रदान करती हैं उनके संबंध में 12 महीनों की अवधि निर्यात की अवधि में गिनी जाएगी और भुगतान की वसूली की तिथि से नहीं।

संगठन या स्वामित्व में परिवर्तन

60. (1) जिस मामले में किसी पंजीकृत निर्यातक के स्वामित्व, संगठन, नाम या पते में परिवर्तन हुआ हो उसके लिए परिवर्तन की सूचना 3 महीने के भीतर पंजीकरण प्राधिकारी को देना आवश्यक होगा। इस सम्बन्ध में पंजीकरण प्राधिकारी 3 महीने तक के विलम्ब को क्षमा कर सकता है। विनिर्माता निर्यातकों के मामले में पंजीकरण प्राधिकारी इस बात का भी सत्यापन करेगा कि परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रायोजक प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त की गई है या नहीं। उचित सत्यापन करने के बाद पंजीकरण करने वाला प्राधिकारी नई या पुनर्गठित व्यापार संस्था का एक नया पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा जो नाम, स्वामित्व, या संगठन, जो भी हो में परिवर्तन की तिथि से वैध होगा। (निर्यात सदनों के लिए आयात नीति 1983-84 के अध्याय 18 का संदर्भ दिया जा सकता है)

(2) जिस मामले में किसी साझीदार के प्रवेश या सेवा निवर्तन या मृत्यु के कारण (या अविभाजित हिन्दू परिवार व्यापार संस्था के मामले में कर्ता के परिवर्तन के कारण) पंजीकृत निर्यातक व्यापार संस्था के संघटन में परिवर्तन हुआ हो और पुनर्गठित व्यापार संस्था अपने नाम और पते में किसी परिवर्तन के बिना पूर्ण व्यवसाय को संभाल लेती हो तो ऐसे परिवर्तन में पंजीकरण प्राधिकरण से नया पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मामलों में पंजीकरण प्राधिकारी को केवल परिवर्तन के विषय में सूचना दे देनी चाहिए। इसी प्रकार प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में पब्लिक लिमिटेड कम्पनी या इसके विपरित परिवर्तित होने पर पंजीकरण प्राधिकारी को केवल सूचना भेजनी चाहिए, और ऐसे परिवर्तनों में किसी नये पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

निर्यातकों का विपंजीकरण

61. (1) पंजीकरण प्राधिकारी निर्धारित या अनिश्चित अवधि के लिये और एक या अधिक निर्यात उत्पादों के लिए किसी निर्यातक को निम्नलिखित मामलों में विपंजीकृत कर सकता है :—

(क) निर्यातक में पंजीकरण के लिये अपेक्षित योग्यताएं न रही हों या उसने पंजीकरण की शर्तों का उल्लंघन किया हो, अथवा

(ख) निर्यातक किसी अनुचित, भ्रष्ट, या कपटपूर्ण कार्य में फंस गया हो या किसी निर्यात आभार को पूर्ण न कर सका हो; या

(ग) निर्यातक या साझेदारी होने के नाते, भागीदार या लिमिटेड कम्पनी होने के नाते उस का पूर्णकालीन संचालक या प्रबन्ध संचालक पिछले निर्यात के लिये आबंटित किसी भी कोटे को संतोषपूर्वक उपयोग करने में असफल रहा हो।

(2) विपंजीकृत करने से पहले निर्यातक को सामान्यतः एक कारण बताओ नोटिस दिया जायेगा।

(3) पंजीकृत निर्यातक के विरुद्ध प्राप्त किसी शिकायत के संबंध में या लिखित रूप में रिकार्ड किये जाने वाले किसी विशेष और पर्याप्त कारण के सम्बन्ध में पड़ी हुई पूछताछ के लिए पंजीकरण प्राधिकारी या मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात या मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय के अपर मुख्य नियंत्रक या निर्यात आयुक्त, निर्यातक के पंजीकरण को निर्धारित अवधि के लिए निलम्बित रख सकते हैं।

(4) यदि निर्यात सदन भारतीय निर्यात संगठनों के महा संघ से और सम्बन्धित निर्यात संवर्धन परिषद्/पण्य वस्तु बोर्ड में भी पंजीकृत है तो उस के पंजीकरण को संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद/पण्य वस्तु बोर्ड में भारतीय निर्यात संगठनों के महा संघ द्वारा स्वतः विपंजीकृत किया गया समझा जाएगा। इसी प्रकार यदि ऐसा निर्यातक, निर्यात संवर्धन परिषद/पण्य वस्तु बोर्ड से विपंजीकृत है तो यह संबंधित निर्यात उत्पाद (दों) के लिए भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ के साथ उस के पंजीकरण के लिए स्वतः लागू होगा।

(5) जब एक कम्पनी या फर्म को विपंजीकृत किया जाता है या पंजीकरण को आस्थगन में रखा जाता है तो विपंजीकरण/आस्थगन आदेश में फर्म/कम्पनी के मालिक/साझीदार/संचालक के नामों का भी उल्लेख होगा।

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा पंजीकरण और विपंजीकरण

62. मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात या मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय के अपर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात या निर्यात आयुक्त किसी निर्यातक को पंजीकृत या विपंजीकृत कर सकते हैं या ऐसा करने के लिये पंजीकरण प्राधिकारी को निदेश दे सकते हैं। इस उपबन्ध के अन्तर्गत विपंजीकरण का आदेश उपर्युक्त पैरा 61 में आने वाले कारणों से दिया जा सकता है या उन मामलों में दिया जा सकता है जिन में निर्यातक ने विदेश व्यापार से संबंधित किसी कानून, नियम या विनियम का उल्लंघन किया हो या विदेशी पार्टी के साथ ठेके का अपर्याप्त कारणों से उल्लंघन किया हो या विदेशी एजेन्ट को देय कमीशन की धनराशि चुकाने में असमर्थ रहा हो या किसी मांगी गई सूचना या आंकड़े भेजने में असफल रहा हो या अन्य कोई पर्याप्त कारण जो निगाह में आए हों।

भारतीय निर्यातकों के विरुद्ध शिकायत

63. प्रत्येक निर्यातक के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा की जायेगी। चूक करने वाले निर्यातकों को चेतावनी देने के लिये कारवाई की जायेगी जिससे कि समुद्रपार भारतीय निर्यातों की प्रतिष्ठा को कायम रखा जा सके।

निर्यातों का प्रमाणीकरण

64. (1) पोतलदान के समय पंजीकृत निर्यातक के पास सीमाशुल्क विभाग द्वारा विधिवत प्रमाणीकृत पोत परिवहन बिल की एक प्रति होनी चाहिये।

(2) पोतलदान के बाद पंजीकृत निर्यातक को सौदा तय करने और/या बिलों को प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी अर्थात बैंक को निर्यात दस्तावेज प्रस्तुत करते समय उनसे निर्यातों को प्रमाणित कराना चाहिये। निर्यात दस्तावेज प्रस्तुत करते समय उसे "एक दम" बिक्री के आधार पर किये गये निर्यातों के लिये परिशिष्ट 10 (अनुबन्ध-5) में दिये गये प्रपत्र 1 में और परेषण के आधार पर/अनुमोदन के

आधार पर किये गये निर्यातों के लिये परिशिष्ट 10 (अनुबन्ध 5) में दिये गये प्रपत्र 2 में एक घोषणा (तीन प्रतियों में) भरनी चाहिये और बैंक को देनी चाहिये।

(3) बैंक निर्यातों के जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य को भारतीय रुपये में प्रमाणित करेगा और निर्यात दस्तावेजों के सन्दर्भ में आवश्यक सत्यापन के बाद घोषणा पर प्रति-हस्ताक्षर करेगा। बैंक यह भी सत्यापन करेगा कि पोत परिवहन बिल सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा विधिवत प्रमाणीकृत किया गया है या नहीं। इसके पश्चात् बैंक मूल प्रमाण-पत्र को बैंक द्वारा साक्ष्यांकित बीजक की सम्बन्धित प्रति के साथ सम्बन्धित पंजीकृत निर्यातक को भेजेगा। दूसरी प्रति संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को भेजेगा और तीसरी प्रति अपने रिकार्ड के लिये रख लेगा। परेषण के आधार पर/अनुमोदन के आधार पर किये गये निर्यातों के मामले में बैंक जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य को प्रमाणित करेगा, उस पर प्रति हस्ताक्षर करेगा और प्रपत्र संख्या 2 के अनुसार प्रमाण पत्र पंजीकृत निर्यातक को केवल तब भेजेगा जब कि निर्यात बिक्री की रकम वसूल कर ली गई हो और भारतीय मुद्रा विनिमय नियंत्रण विभाग को सौंप दी गई हो। एक से अधिक माल परेषण को शामिल करने वाला बैंक प्रमाण पत्र भी स्वीकार किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत क्रियाविधि परिशिष्ट 10 (अनुबन्ध 6) में दी गई है। उन मामलों में जहां बैंक ने यह सत्यापित न किया हो कि जहाजरानी बिल सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित किए गए हैं और निर्यातक सम्बन्धित जहाजरानी बिल के बजाय सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा विधिवत् प्रमाणित निर्यात संवर्धन प्रति प्रस्तुत करता है तो लाइसेन्स प्राधिकारी उसे स्वीकार कर सकता है यदि वह अन्यथा रूप से सही हो।

(4) जिस मामले में पंजीकृत निर्यातक पोत परिवहन कम्पनी के बाद में "भाड़े की छूट" प्राप्त करता है जिसके परिणामस्वरूप जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य बढ़ जाता है तो वह इस अतिरिक्त जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य पर आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस प्राप्त करने के लिए बैंक प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है। ऐसे मामलों में अतिरिक्त लाभ उठाने के लिए आवेदन पत्र एक वर्ष की उसी तिमाही के दौरान जिसमें सम्बद्ध उत्पाद का निर्यात किया गया हो या भाड़े में छूट की प्राप्ति के तीन मास के दौरान, इनमें जो भी पहले हो, उसके भीतर भेजा जाना चाहिए।

(5) आयात प्रतिपूर्ति की हकदारी की गणना करने के प्रयोजन के लिए विदेशी अभिकर्ता को भुगतान कर दिए गए या भुगतान किए जाने वाले कमीशन या छूट की धनराशि निर्यातों के जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य में से काट दी जाएगी।

(6) लेकिन, हाइड्रालिक, परीक्षण और पेन्ट संबंधी भाड़ों, प्रबन्ध और जहाजी कुली सम्बन्धी भाड़ों को जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य की गणना करने के लिए लेखे में लिया जाएगा। ब्याज प्रभार भी जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के एक भाग के रूप में लेखे में केवल तभी लिए जाएंगे जबकि वे बीजक में अलग से दर्शाए गए हों और बैंक ने ब्याज प्रभार सहित उस धनराशि के बिल के लिए सौदा कर लिया हो।

(7) विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा निर्यातों के प्रमाणीकरण के लिए ऊपर उल्लिखित क्रियाविधि निम्नलिखित मामले में लागू नहीं होगी :—

(1) सिनेमैटोग्राफिक फिल्म (अभिदर्शित),

(2) डाक पार्सलों द्वारा मूल्य देय निर्यात,

(3) पुस्तकों, पत्रिकाओं और सावधिकों के निर्यात,

(4) विदेश में अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में की गई बिक्री,

(5) अग्रिम भुगतान के प्रति विदेशी पर्यटकों को कालीनों का निर्यात,

(6) भारत में अन्तर्राष्ट्रीय बैंक, पुनःनिर्माण तथा विकास/अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए किए गए संभरण,

(7) स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा में भुगतान के मद्दे भारत में किए गए संभरण,

(8) विदेश में संयुक्त उद्योगों में भारतीय समान सहयोग के मद्दे मशीनरी और उपस्कर का निर्यात।

लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की क्रियाविधि

65. (1) एक उत्पाद वर्ग में सभी उत्पादों के निर्यात के मद्दे आयात लाइसेंसों के लिए समेकित आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र एवं विधिनुसार उस लाइसेंस अधिकारी को किए जाने चाहिए जिसके क्षेत्राधिकार में, एक लिमिटेड कम्पनी के मामले में पंजीकृत कार्यालय और अन्य पंजीकृत निर्यातकों के मामले में मुख्यालय स्थित हो। लाइसेंस प्राधिकारी के नाम और उनके क्षेत्राधिकार परिशिष्ट 8 में संकेतित हैं।

(2) वे क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी जिन के पास सामान्य क्षेत्राधिकार है वे 1 अप्रैल, 1983 से पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अंतर्गत उन के क्षेत्राधिकार में स्थित निर्यातकों के संबंध में भी आयात लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्रों पर विचार करेंगे।

(3) लेकिन पंजीकृत ठेकों या परियोजना निर्यातों के मामले में एक उत्पाद ग्रुप से संबंधित सभी निर्यातों को शामिल करने के बजाए आवेदनपत्र ठेकेवार या उत्पादवार भरे जा सकते हैं।

(4) लिमिटेड कम्पनी या पंजीकृत निर्यातक की शाखा के लिए यह छूट होगी कि वह अपने द्वारा किए गए निर्यातों के मद्दे आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस के लिए उस लाइसेंस प्राधिकारी से आवेदन करे जिसके अधिकार क्षेत्र में वह शाखा स्थित है बशर्ते कि ऐसी शाखा एक निर्यातक के रूप में अलग से पंजीकृत हो या इस सम्बन्ध में एक साक्ष्य प्रस्तुत करे कि लिमिटेड कम्पनी/मुख्य कार्यालय को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र विषयाधीन शाखा के लिए वैध है। इस प्रकार के मामलों में आवेदन पत्र के साथ मुख्य कार्यालय या पंजीकृत कार्यालय, जो भी हो, का एक प्रमाणपत्र इस संबंध में होना चाहिए कि उसने आवेदनपत्र में शामिल निर्यातों के मद्दे किसी प्रतिपूर्ति लाइसेंस का न तो दावा किया है और न करेगा।

आवेदन पत्रों की आवृत्ति

66. पंजीकृत निर्यातक को एक महीने या एक तिमाही (अप्रैल - जून आदि) या छमाही (अप्रैल-सितम्बर) या वर्ष (अप्रैल-मार्च) के दौरान किए गए निर्यातों के आधार पर लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहिए। पंजीकृत निर्यातकों द्वारा आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस के लिए आवेदनपत्र प्रत्येक मास या त्रैमासिक या प्रत्येक छमाही या वार्षिक आधार पर जैसे भी सुगम हो, भेजने चाहिए। प्रत्येक निर्यातक यह सुनिश्चय करेगा कि वह किस क्रियाविधि को अपनाना चाहेगा और इसकी

सूचना आर.ई.पी. लाइसेंस के लिए पहला आवेदन करते समय लाइसेंस प्राधिकारी को भेजेगा। यदि वह किसी भी क्रियाविधि को चुनने में असमर्थ रहता है तो यह मान लिया जाएगा कि उसने त्रैमासिक क्रियाविधि को चुना है। (लाइसेंस अवधि के दौरान चुनाव के परिवर्तन के लिए स्वीकृति नहीं दी जाएगी।) परेषण/अनुमोदन के आधार पर निर्यातों के मामले में ऐसे आवेदनपत्र इसी प्रकार से वसूल की गई बिक्री की रकम के सम्बन्ध में दिए जाने चाहिए।

आवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा

67. (1) आयात प्रतिपूर्ति के लिए आवेदनपत्र ऐसे समय में भेजना चाहिए जिससे कि वह निर्यात की तीन महीने की अवधि के अन्त होने के भीतर या परेषण निर्यात के मामले में बिक्री की रकम की प्राप्ति की अवधि के अंत होने से तीन महीने के भीतर, जैसा भी मामला हो, सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को पहुंच जाए। उन मामलों में जहां बिक्री की रकम अग्रिमरूप में प्राप्त होती है या जहा निर्यात भारतीय रिजर्व बैंक के आस्थागित भुगतान शर्तों के आधार पर किए जाते हैं तो आयात प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन-पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा की गणना वास्तविक निर्यात की अवधि के संदर्भ में की जाएगी।

(2) यदि एक निर्यातक एक विशेष निर्यात अवधि में एक उत्पाद वर्ग के अधीन अपने निर्यात से सम्बद्ध एक समेकित आवेदन पत्र देने के बजाए एक से अधिक आवेदन-पत्र देता है तो लाइसेंस प्राधिकारी ऐसे बाद वाले आवेदन-पत्र (पत्रों) पर स्वीकार्य प्रतिपूर्ति के भीतर 5% या 5000/- रुपए, इन में जो भी कम हो, की कटौती कर के विचार कर सकता है। यह कटौती उसके अतिरिक्त होगी जो कि इस पैरा के उप-पैरा (4) के अधीन उसी आवेदनपत्र के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के कारण लगाई जाएगी ।

(3) यदि आयात आवेदन-पत्र के साथ आवेदन शुल्क के भुगतान की बैंक रसीद/दर्शनी हुण्डी या निर्यात का विवरण या निर्यात को सत्यापित करने वाले दस्तावेजों से इतर अन्य दस्तावेज नहीं भेजे गए हों तो लाइसेंस अधिकारी 1% की कटौती लगाकर जो अधिकतम 100 रुपया होगी इन दस्तावेजों के देर से प्रस्तुतीकरण को स्वीकार कर सकता है। (इस उप-कंडिका के अंतर्गत आने वाले मामलों में निर्यातक को नीचे की उप-कंडिका (4) के अधीन दर्शाई गई अधिक कटौती नहीं देनी पड़ेगी)।

(4) लाइसेंस प्राधिकारी उन आवेदन पत्रों (जिन में अतिरिक्त लाइसेंसों के आवेदन पत्र भी शामिल हैं) पर भी विचार कर सकता है, जो निर्धारित समय के बाद मिले अथवा जिनमें आवेदन पत्र देने की अंतिम तारीख के बाद त्रुटियों को सुधारा गया हो, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक होगा कि आवेदन-पत्र देने के लिए निर्धारित तारीख से तीन महीने के अन्दर आवेदन पत्र पेश कर दिया जाए अथवा आवेदन पत्र की त्रुटियों को सुधार लिया जाय । इस अवधि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसी स्थिति में सम्बद्ध निर्यात के मद्दे स्वीकार्य आयात-प्रतिपूर्ति मूल्य में कटौती करके इस प्रकार के आवेदन पत्रों पर गुण-दोष के आधार पर लाइसेंस प्राधिकारी विचार कर सकता है। उक्त मामले में, मूल्य में नीचे लिखे ढंग से कटौती की जाएगी :—

(1) निर्यात अवधि के अन्तिम महीने से 6 महीने के बाद किन्तु 12 महीने के अन्दर की अवधि में प्राप्त आवेदन पत्र.........5% कटौती।

(2) निर्यात अवधि के अंतिम महीने से 12 महीने के बाद किन्तु 18 महीने के अन्दर की अवधि में प्राप्त आवेदन पत्र........10% कटौती।

(3) निर्यात अवधि के अन्तिम महीने से 18 महीने के बाद किन्तु 24 महीने के अंदर की अवधि में प्राप्त आवेदन पत्र.....15% कटौती।

(4) निर्यात अवधि के अन्तिम महीने से 24 महीने के बाद की अवधि में प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किए बिना ही कालातीत मानकर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(5) जिन उत्पादों के निर्यात के मद्दे प्रतिपूर्ति केवल विदेशी मुद्रा की वसूली के बाद अर्हता प्राप्त करती है तो उनसे सम्बन्धित देर से प्राप्त/त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों में उस अवधि के हिसाब से कटौती की जाएगी, जब निर्यातकर्ता के खाते में राशि जमा करायी गयी हो, निर्यात अवधि के समय से नहीं।

(6) रत्नों और आभूषणों तथा चलचित्र फिल्मों (एक्सपोज्ड) को छोड़कर वी. पी. पी. से निर्यात किए जाने वाले अन्य उत्पादों के मामले में पोस्ट मास्टर के प्रमाण पत्र अथवा सूचना पर्ची में दी गयी भुगतान की तारीख से आवेदन पत्र देने की समय सीमा का हिसाब लगाया जाएगा।

(7) जहां आवेदन पत्र आंशिक रूप से अपूर्ण हो अर्थात कुछ पोतलदानों से सम्बद्ध निर्यात दस्तावेज प्रस्तुत न किए गए हों तो लाइसेंस प्राधिकारी आवेदन पत्र के उस अंश के लिए आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस जारी कर सकते हैं जिसके लिए पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हों। ऐसे मामलों में उस हिस्से के दावे को अपूर्ण हिस्से के दावे के कारण न रोका जाए जिसके आवश्यक दस्तावेज भेज दिए गए हों।

पोतलदान/परेषण की तिथि

68. पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत आयात प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन पत्रों पर विचार करने के उद्देश्य से निर्यात की सम्बन्धित तिथि निम्नलिखित अनुसार निश्चित की जाएगी :—

(क) सागर द्वारा पोतलदानों के मामले में निर्यात की तिथि निम्नलिखित अनुसार निश्चित की जाएगी :—

(1) पोत द्वारा निर्यातित ब्रेक-बल्क कार्गो के मामले में लदान बिल की तिथि अथवा मालिम रसीद की तिथि इनमें जो भी बाद में होगी, वही निर्यात की तिथि होगी।

(2) आधानीकृत कार्गो के मामले में पोत पर आधान के लदान का साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए "पोत पर लदान बिल" की तिथि ही निर्यात की तिथि होगी। लेकिन आधान में निर्यात माल के लदान की तिथि का साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए "पोत-लदान के लिए लदान बिल के लिए प्राप्त" तिथि भी निर्यात की तिथि मानी जा सकती है यदि साख-पत्र ऐसे लदान बिल की विशेषरूप से व्यवस्था करता हो। अन्तरदेशीय आधान डिपो (आईडीसी) से आधानों द्वारा निर्यात के मामले में निर्यात की तिथि वही होगी जो सीमा शुल्क द्वारा निकासी के बाद आईडीसी

में निर्यात माल के लदान के समय पोतपरिवहन एजेन्टों द्वारा जारी किए गए लदान बिल की तिथि हो।

(3) लैश बार्ज द्वारा निर्यात के मामले में निर्यात तिथि वही होगी जो बार्ज पर उस निर्यात माल के लदान का साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए लदान बिल की तिथि हो जिसको मातृ-पोत पर ले जाने वाले बार्ज तक ले जाना है।

(ख) वायुयान द्वारा निर्यातों के मामले में निर्यात की तिथि वायु मार्ग बिल की तिथि द्वारा निश्चित की जाएगा।

(ग) डाक पार्सल द्वारा निर्यातों के मामले में निर्यात की तिथि डाक रसीद पर अंकित तिथि द्वारा निश्चित की जाएगी।

(घ) रेल द्वारा निर्यातों के मामले में निर्यात की तिथि रेलवे रसीद की तिथि द्वारा निश्चित की जाएगी।

(ङ) सड़क द्वारा निर्यात के मामले में निर्यात की तिथि स्थल सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित माल भेजने की तिथि द्वारा निश्चित की जाएगी।

आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

69. लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र सब प्रकार से पूर्ण और आवेदन शुल्क के लिए उचित धनराशि के लिए बैंक रसीद/दर्शनी हुण्डी और अन्य निर्धारित दस्तावेजों द्वारा समर्थित भेजने चाहिए।

70. जिन निर्यातों के मद्दे आयात के लिए आवेदन-पत्र दिया गया है उसका ब्यौरा निर्दिष्ट करते हुए परिशिष्ट-10 (अनुबन्ध-7) में दिए गए प्रपत्र में निर्यातों का विवरण आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ भेजा जाना चाहिए।

71. आयात प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित निर्यात दस्तावेज भी प्रस्तुत करने चाहिएं :—

(1) पैरा 64 (7) में उल्लिखित उत्पादों से भिन्न उत्पादों का निर्यात :—

(1) निर्यातों का बैंक प्रमाणपत्र (मूल रूप में)।

(2) बीजक की बैंक साक्ष्यांकित प्रति।

(2) रत्न व आभूषण और सिनेमैटोग्राफिक फिल्मों (अभिदर्शित) से भिन्न उत्पादों का मूल्य देय डाक पार्सलों (वी.पी.पी) द्वारा निर्यात :—

(1) माल, अलग-अलग मद का वजन और वास्तव में निर्यात-किए गए माल के कुल वजन का विवरण देते हुए सीमाशुल्क द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित बीजक।

(2) सम्बन्धित डाक रसीद या उसकी फोटो स्टेट प्रति या डाक घर द्वारा जारी किया गया डाक से भेजने का प्रमाणपत्र; और

(3) पोस्ट मास्टर का भुगतानों का प्रमाणपत्र या एक सूचना पर्ची जो मूल्यदेय डाक पार्सल (वी. पी. पी.) द्वारा किए गए निर्यातों की रकम पर देने वाले भारतीय प्राप्तकर्ता को डाक विभाग द्वारा दी गई हो।

(3) उन पंजीकृत निर्यातकों द्वारा डाक द्वारा पुस्तकों और समाचार पत्रों का किया गया निर्यात जिनको पी. पी. औपचारिकताओं का पालन किए बिना अपने निर्यात करने की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दी गई है, या सामान्य बैंकिंग सूत्रों के माध्यम से ऐसी हर औपचारिकताओं के बिना प्रेषिती को सीधे ही दस्तावेज भेजने की अनुमति दी गई है।

(1) डाक रसीद या डाक घर द्वारा जारी किया गया डाक का प्रमाण-पत्र या जिन मामलों में मूल डाक रसीद आयातक को भेज दी गई हो, उनमें कोई अन्य साक्ष्य। साधारण डाक द्वारा निर्यात के मामले में यदि निर्यातक डाक से भेजने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं है तो डाक खर्चों के पूर्ण ब्यौरे, निर्यातों की तिथियों और निर्यातों के ब्यौरे देते हुए सनदी लेखापाल का एक प्रमाण-पत्र डाक घर द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र के बदले में प्रस्तुत करना चाहिए।

(2) निर्यातों, भाड़े आदि के ब्यौरे देते हुए सनदी लेखापाल का एक प्रमाणपत्र।

(3) सनदी लेखापाल द्वारा प्रमाणित बीजक।

(4) जिन मामलों में आवेदक उपर्युक्त (1) से (3) तक के दस्तावेज प्रस्तुत करने में समर्थ न हो, और निर्यातित माल के मद्दे उस ने भुगतान पहले ही प्राप्त कर लिया हो, उनमें लाइसेंस प्राधिकारी निम्नलिखित दस्तावेज स्वीकार कर सकता है, अर्थात:—

(क) निर्यात किए गए प्रत्येक प्रकाशन का नाम, किए गए निर्यातों का मूल्य और विषयाधीन परेषणों पर किए गए डाक खर्चों की कुल धनराशि का संकेत करते हुए सनदी लेखापाल से एक प्रमाणपत्र;

(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित निर्यातों को शामिल करते हुए विदेशी मुद्रा में भुगतान की प्राप्ति के समर्थन में एक बैंक प्रमाणपत्र; और

(ग) इस सम्बन्ध में आवेदक की यह घोषणा कि उसने इस विदेशी मुद्रा वसूली के आधार पर अलग से आर.ई.पी. लाइसेंस के लिए न तो दावा किया है और न करेगा जिससे उपर्युक्त (ख) में बैंक प्रमाणपत्र संबंधित है।

(4) जिन पंजीकृत निर्यातकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पी.पी. औपचारिकताओं से छूट नहीं दी गई है, उनके द्वारा पुस्तकों, समाचार पत्रिकाओं और आवधिकों का डाक द्वारा निर्यात:—

(1) मूल डाक रसीद या उसकी फोटो स्टेट प्रति या डाक घर द्वारा जारी किया गया डाक से भेजने का प्रमाणपत्र। साधारण डाक द्वारा निर्यात के मामले में यदि निर्यातक डाक से भेजने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो डाक खर्चों के पूर्ण ब्यौरे, निर्यात की तिथियां और निर्यात के ब्यौरे देते हुए सनदी लेखापाल से एक प्रमाणपत्र भेजना चाहिए।

(2) पी. पी. फार्म संख्याएं निर्दिष्ट करते हुए सनदी लेखापाल द्वारा प्रमाणित बीजक।

(3) विदेशी मुद्रा में भुगतान की रसीद और संबंधित पी.पी. फार्म संख्या निर्दिष्ट करते हुए बैंक प्रमाण-पत्र (पी.पी. फार्म के बिना साधारण डाक द्वारा किए गए 50/- रुपए से कम के निर्यात इस क्रिया-विधि के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति के लिए पात्रता प्रदान नहीं करेंगे)।

(5) जिन पंजीकृत निर्यातकों को जी. आर. प्रपत्र की औपचारिकताओं का पालन किए बिना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयात की अनुमति दे दी गई है, या उन्हें अपने प्रलेखों को सामान्य बैंकिंग चेनल के माध्यम से भेजे बिना सीधे ही परेषिती को भेजने की अनुमति है, उनके द्वारा जल/वायु मार्ग द्वारा पुस्तकों और समाचार पत्र पत्रिकाओं का निर्यात :—

(1) सनदी लेखापाल द्वारा प्रमाणित बीजक,

(2) लदान–वायुमार्ग बिल,

(3) सम्बन्धित जी.आर. प्रपत्रों के मद्दे तिथिक्रम से रखी गई निर्यात रकमों की वसूली से संबंधित निर्यातक के बैंक/सनदी लेखापाल द्वारा विधिवत प्रमाणित एक विवरणपत्र। लेकिन, जिन मामलों में निर्यातकों ने भारतीय रिजर्व बैंक से जी. आर. औपचारिकताओं से छूट का सामान्य परमिट प्राप्त कर लिया हो, उनमें (निर्यातकों) के लिए जी.आर. प्रपत्र संख्याएं निर्दिष्ट करते हुए प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है और इसके बजाए वे सनदी लेखापाल/निर्यातक के बैंक द्वारा जारी किए गए विवरणपत्र में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई सामान्य परमिट संख्या उद्धृत कर सकते हैं।

(6) रत्न व आभूषण और सिनेमैटोग्राफिक फिल्मों (अभिदर्शित) से भिन्न उत्पादों का पंजीकृत डाक द्वारा निर्यात:—

(1) निर्यातक के बैंक द्वारा जारी किया गया निर्यात का बैंक प्रमाणपत्र (मूल रूप में)

(2) माल, अलग-अलग मद का वजन और वास्तव में निर्यात किए गए माल के कुल वजन का विवरण देते हुए सीमा-शुल्क द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित बीजक।

(3) डाक रसीद या जिन मामलों में डाक रसीद परेषिती को भेज दी गई हो, उसमें स्पष्ट रूप से डाक रसीद संख्या, दिनांक और धनराशि निर्दिष्ट करते हुए और प्रेषिती को डाक रसीद भेज दी गई है यह प्रमाणित करते हुए निर्यातक के बैंक या डाक निरूपक विभाग द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

(7) विदेशी पोत परिवहन कम्पनियों को पोत-भण्डारों और अन्य माल (आधानों को छोड़कर) के रूप में किए गए माल के सम्भरण:

(1) विदेशी मुद्रा या विदेशी मुद्रा विनिमय से भारत में किए गए भारतीय रुपयों की प्राप्ति के सम्बन्ध में बैंक प्रमाणपत्र (मूल रूप में)।

(2) बैंक का साक्ष्यांकित बीजक।

(3) विदेशी पोत परिवहन कम्पनियों को कि[illegible] संभरण के संबंध में सीमा शुल्क विभाग द्व[illegible] विधिवत् प्रमाणित पोत परिवहन बिल की [illegible] प्रति।

(4) जिस मामले में सीमा शुल्क विभाग द्वारा प्रमाणित पोत परिवहन बिल उपलब्ध न हो, उस में सीमा शुल्क का 'अनुमति आदेश'।

(5) जिन मामलों में आवेदक उपर्युक्त (1) और (2) के दस्तावेज प्रस्तुत करने में समर्थ न हो उनमें लाइसेंस प्राधिकारी इन दस्तावेजों के बदले में पोत परिवहन कम्पनी या इसके एजेन्ट से एक प्रमाणपत्र स्वीकार कर सकता है, यह प्रमाणपत्र सनदी लेखापाल द्वारा इस सम्बन्ध में विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित होगा कि (क) बिल की धनराशि (जिसका पूर्ण ब्यौरा निर्दिष्ट किया जाना चाहिए) ऐसी कम्पनी के भाड़े की कमाई में से चुकाई गई है और (ख) खर्च भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किए जाने वाले भुगतान के मासिक विवरणपत्र में प्रदर्शित कर दिया गया है या कर दिया जाएगा।

(8) (1) व्यापार प्रदर्शनी अभिकरण द्वारा विदेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में बेचे गए माल का निर्यात :—

माल के पूर्ण विवरण, जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य, भारतीय निर्यातक का नाम, बिक्री की तिथि को निर्दिष्ट करते हुए और विषयाधीन बिक्रियों के मद्दे भुगतान भारत को भेज दिया गया है और भारतीय मुद्रा विनिमय नियंत्रण विभाग को सौंप दिया गया है, यह प्रमाणित करते हुए व्यापार प्रदर्शनी प्राधिकरण के निदेशक से एक प्रमाणपत्र/आवेदनपत्र प्रस्तुत करने की समय-सीमा बिक्री की तिथि से गिनी जाएगी।

(2) निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा, विदेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में बेचे गए माल का निर्यात :—

(1) माल का पूर्ण विवरण, जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य और भारतीय निर्यातक का नाम, बिक्री की तिथि निर्दिष्ट करते हुए और विषयाधीन बिक्रियों के मद्दे भुगतान भारत को भेज दिया गया है और भारतीय मुद्रा विनिमय नियंत्रण विभाग को सौंप दिया गया है, यह प्रमाणित करते हुए निर्यात संवर्धन परिषद् से एक प्रमाणपत्र।

(2) विदेशी मुद्रा में भुगतान की प्राप्ति को निर्दिष्ट करते हुए बैंक प्रमाण-पत्र। परिशिष्ट-10 (अनुबंध-9) में दिया गया बैंक प्रमाणपत्र का प्रपत्र उचित आशोधनों के साथ उपयोग किया जाए। आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की समय-सीमा बैंक प्रमाणपत्र में यथाप्रदर्शित भुगतान की तिथि से गिनी जाएगी।

(3) जिस मामले में आवेदक इस कारण से बैंक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ हो कि दस्तावेज बैंक के माध्यम से नहीं भेजे गए थे, उसमें लाइसेंस प्राधिकारी उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेज

इस शर्त पर स्वीकार कर सकता है कि अन्य साक्ष्य के आधार पर वह इस बात से संतुष्ट है कि विषयाधीन माल के लिए भुगतान प्राधिकृत सूत्रों के माध्यम से प्राप्त किया गया है।

(3) जहां व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा भारतीय विनिर्माताओं/निर्यातकों को सीधे भाग लेने के लिए अनुमति दिए जाने पर उनके द्वारा विदेश में अंतर्राष्ट्रीय मेलों/नुमायशों में बेचे गए माल का निर्यात :—

(1) माल का पूर्ण विवरण, जहाज पर निःशुल्क मूल्य, भारतीय निर्यातकों का नाम, बिक्री की तिथि दर्शाते हुए व्यापार मेला प्राधिकरण से प्रमाणपत्र।

(2) विदेशी मुद्रा में भुगतान की रसीद दर्शाने वाला बैंक प्रमाण-पत्र। परिशिष्ट 10 (अनुबंध-9) में दिए गए बैंक प्रमाण-पत्र का प्रपत्र उचित संशोधनों के साथ उपयोग में लाया जा सकता है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा की गणना बैंक प्रमाण पत्र में दर्शाई गई तारीख से की जाएगी।

(9) उन ख्यातिलब्ध समाचार कैमरामैन द्वारा समाचार फिल्म और टी.वी. फिल्मों का निर्यात जिन्हें जी आर आई/पीपी औपचारिकताओं का अनुपालन करने से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा छूट प्रदान की गई है :--

(1) वायुमार्ग बिलों की सत्यापित प्रतियों के साथ संबद्ध वायुमार्ग बिल संख्या दर्शाते हुए निर्यातित समाचार फिल्मों/टी.वी. फिल्मों की सूची

(2) विदेशी मुद्रा की रसीद दर्शाने वाला बैंक प्रमाण-पत्र,

(3) आवेदक की घोषणा कि उसने उपर्युक्त (2) में रखे गए बैंक प्रमाण-पत्र के लिए विदेशी मुद्रा वसूली के आधार पर अलग-अलग प्रतिपूर्ति लाइसेन्स के लिए दावा नहीं किया है और न किया जाएगा।

(10) ऊनी कालीनों का निर्यात जिस के लिए विदेशी पर्यटकों से (क) विदेशी मुद्रा पर्यटक चेकों, (ख) क्रास्ट विदेशी बैंक ड्राफ्ट, और (ग) विदेशी बैंकों के नाम व्यक्तिगत चेक के रूप में, भुगतान स्थानीय रूप में (पूर्णरूप में या आंशिक रूप में) प्राप्त किए जाते हैं:—

(1) परिशिष्ट-10 (अनुबन्ध-10) में दिए गए प्रपत्र में, निर्यातक के बैंक द्वारा जारी किया गया भुगतान का प्रमाणपत्र (मूलरूप में)।

(2) बैंक का साक्ष्यांकित बीजक,

(3) डाक से निर्यातों के मामले में मूल डाक रसीद, और

(4) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिक्रेता को जारी किए गए मनी चेंजर्स लाइसेंस की एक प्रति।

(11) महासागर भाड़ा आधानों की बिक्री के मामले में निम्नलिखित दस्तावेज भेजे जाने चाहिए :—

(1) विदेशी क्रेता से प्राप्त किया गया आदेश,

(2) बेचे गए माल और उसके मूल्य के ब्यौरे देते हुए बैंक द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित बीजक,

(3) विदेशी क्रेता या भारत में उनके अधिकृत एजेन्ट द्वारा प्राप्त किए गए माल का साक्ष्य, और

(4) परिशिष्ट-10, अनुबंध-5 (प्रपत्र-2) में दिए गए प्रपत्र में बैंक प्रमाणपत्र (मूल में)। (पोतलदान बिल के अभाव में जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की वसूली को बैंक द्वारा बीजक के आधार पर सत्यापित किया जा सकता है।

(12) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से भारत में सहायता प्राप्त परियोजनाओं द्वारा किए गए संभरण, जिस मामले में भारतीय निर्यातक विदेशी क्रेता को निर्यात दस्तावेज भेजता है और विदेशी क्रेता स्वयं को प्रदान किए गए ऋण में से आपसी तौर से निर्यातक को भुगतान करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से आवेदन करता है :—

(1) बिक्री की रकम की वसूली प्रदर्शित करते हुए परिशिष्ट-10 के अनुबन्ध-5 के प्रपत्र-2 में बैंक प्रमाणपत्र जो ऐसे विलोपनों/आशोधनों के साथ जो अलग-अलग सौदे या बीजक के मद्दे भारत में निर्यातक के लेखे में जमा करने के लिए भुगतान की प्राप्ति को निर्दिष्ट करने के लिए पर्याप्त हो,

(2) सीमा शुल्क कार्यालय द्वारा विधिवत् प्रमाणित पोत परिवहन बिल,

(3) अन्य बातों के साथ-साथ पोत परिवहन बिल की संख्या और तिथि को निर्दिष्ट करते हुए बीजक की प्रति,

(4) लदान बिल, और

(5) बीमा रसीद ।

(13) विदेश में संयुक्त उद्यमों में भारतीय साम्य सहयोग शेयर के मद्दे मशीनरी और उपस्कर का निर्यात :—

(1) बीजक की प्रति/बीजक में एक अभ्युक्ति होनी चाहिए, अर्थात्, "वाणिज्य विभाग के पत्र संख्या. . . . . .दिनांक. . . . . द्वारा यथा अनुमोदित संयुक्त उद्यम, सर्वश्री . . . .(स्थान और देश का नाम) के नाम में साम्य सहयोग करने के लिए निर्यात।"

(2) निर्यातों के लागत बीमा-भाड़ा/लागत और भाड़ा/जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य, यदि कोई किया गया हो तो भाड़ा और बीमा खर्च, परिशिष्ट-10 में दिए गए अनुबन्ध-11 के अनुसार जी. आर. प्रपत्र आदि को प्रमाणित करते हुए सनदी लेखापाल का मूल रूप में प्रमाणपत्र।

(3) साम्य सहयोग के रूप में उपयोग किए जाने के लिए निर्यातों के मूल्य की अनुमति देते हुए सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी की एक प्रति।

(14) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के मद्दे या द्विपक्षी/बहुपक्षी सहायता परियोजनाएं, या संयुक्त संघ

के सहायता कार्यक्रमों और अन्य बहु राष्ट्रीय अभिकरणों के अंतर्गत भारतीय संस्थाओं द्वारा भारत में अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर किए गए और विदेशी मुद्रा में चुकाए गए संभरण :--

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज और संभरणों के प्रति प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए अनुसरण की जाने वाली क्रियाविधि परिशिष्ट-10 के अनुबन्ध-19 में दी गई है।

(15) विदेश में तकनीकी/परामर्श कार्य/निर्माण कार्य लेने से परामर्शदात्री संस्थाओं और डिजाइन इंजीनियरी व्यापार संस्थाओं द्वारा कमाई गई विदेशी मुद्रा :--

(1) परामर्श शुल्क/अन्य खर्च/निर्माण खर्च की धनराशि को प्रदर्शित करते हुए मूलरूप में बैंक प्रमाणपत्र,

(2) परामर्श समझौते का अनुमोदन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र की संख्या और तिथि, यदि कोई हो,

(3) विदेशों में इंजीनियरों/अन्य भ्रमण आदि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिहा की गई विदेशी मुद्रा की धनराशि जिसके साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए परमिट की संख्या और तिथि हो, और

(4) कार्मिकों की यात्रा बुक करने के लिए भारत में चुकाई गई यात्रा की धनराशि।

उपर्युक्त (2) से (4) तक के ब्यौरे सनदी लेखापाल द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।

(16) विदेश में निर्यात संवर्धन परिषद् के प्रदर्शन कक्ष में प्रदर्शित माल की बिक्री:--ऐसे मामलों में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज वही होंगे जो उपर्युक्त उप-पैरा (8) में निर्दिष्ट किए गए हैं, वे इस आशोधन के साथ होंगे कि निदेशक, व्यापार प्रदर्शनी प्राधिकरण प्रमाणपत्र के बजाये सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषद् का प्रमाणपत्र होना चाहिए। आवेदनपत्र प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा बिक्री की तिथि से गिनी जाएगी।

(17) स्वतंत्र विदेशी मुद्रा के मद्दे यात्रियों को कर मुक्त दुकानों पर बेचे गए माल की बिक्री के मामले में आवेदनपत्र के साथ भारतीय पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) का प्रमाणपत्र होना चाहिए जिसमें कैशमीमों की तारीख, बेची गई मद का नाम (यदि माडल हो तो उसका भी नाम), बेची गई मद का और वसूल की गई विदेशी मुद्रा को दर्शाया जाए। विवरण मदवार तैयार किया जाना चाहिए और वह कर मुक्त दुकान के प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और नियंत्रक (दुकान) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए और विवरण के अन्त में निम्नलिखित प्रमाणपत्र भी देना चाहिए :--

> "विवरण में दिए गए ब्यौरे सत्य और सही हैं और विवरण में दर्शायी गई विदेशी मुद्रा वसूल कर ली गई है और उसे हवाई अड्डे पर स्थित स्टेट बैंक में जमा करा दिया गया है।"

(आवेदन-पत्र के साथ कैश मीमो भेजने की आवश्यकता नहीं है।)

(18) समुद्र में चलने वाले जहाजों के लिए भारतीय पोत कारखानों में जुड़नार मदों (पूंजीगत माल किस्म की) का संभरण :--

(क) भारतीय पोत कारखानों भवन से समुद्र की तरफ जाने वाले जहाजों के लिए जुड़नार मदों के संभरण के मद्दे भुगतान की रसीद को दर्शाने वाला बैंक प्रमाण-पत्र।

(ख) बैंक द्वारा सत्यापित आपूर्ति बीजक।

72. ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों के अतिरिक्त पंजीकृत निर्यातकों को वे अन्य दस्तावेज/सूचना भी प्रस्तुत करने होंगे जो लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझे जाएं या सम्बन्धित आयात नीति और लागू क्रियाविधियों के अनुसार आवश्यक हों।

73. रत्न और आभूषण की मदों और सिनेमेटोग्राफिक फिल्मों (अभिदर्शित) से भिन्न उत्पादों के नियमित निर्यातकों के प्रत्येक तिमाही में प्रतिपूर्ति के लिए निर्यात सौदों की बड़ी संख्या वाले आवेदनों पर प्रतिपूर्ति के लिए उनके आवेदन पत्र स्वीकार करने के लिए आवेदनों पर अन्य दस्तावेजी साक्ष्य जैसे सनदी लेखापाल का प्रमाण-पत्र जिसमें निर्धारित निर्यात दस्तावेजों में यथा निहित संबंधित ब्यौरे निर्दिष्ट किए गए हों के आधार पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनका वार्षिक निर्यात 50 लाख रुपये से अधिक हो और आगे यह भी शर्त होगी कि निर्यात उत्पाद केवल आयात प्रतिपूर्ति के लिए पात्रता प्रदान करता हो।

74. पंजीकृत निर्यातकों को भाड़े और बीमे के खर्चों का साक्ष्य सम्बद्ध बैंक को प्रस्तुत करना चाहिए जिससे कि वह बैंक प्रमाणपत्र में निर्यातों के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का सत्यापन कर सके। पोतलदान के समय विदेशी पोत परिवहन कम्पनियों द्वारा भाड़े के खर्चे में दी गई तत्काल छूट भी जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की गिनती करते समय बैंक द्वारा हिसाब में ली जानी चाहिए। जिन मामलों में निर्यात ठेके में भाड़ा विभिन्नता धारा हो उनमें निर्यातक भाड़ा विभिन्नता पर वसूल की गई विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए पात्र होगा।

75. निर्यात सदनों को आयात के लिए अपने आवेदन-पत्रों के साथ मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए निर्यात सदन प्रमाणपत्र की एक प्रति इस घोषणा के साथ प्रस्तुत करनी चाहिए कि यह न तो रद्द किया गया है और न वापस लिया गया है।

रत्न व आभूषण से भिन्न मदों की विदेशी पर्यटकों को बिक्री

76. (1) एक पंजीकृत निर्यातक अर्थात वह व्यापारी जिसको उसके द्वारा विदेशी पर्यटकों को की गई बिक्री के लिए विदेशी मुद्रा में भुगतान प्राप्त करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, वह (1) विदेशी मुद्रा पर्यटक चैक, (2) क्रास्ड विदेशी बैंक ड्राफ्ट (3) विदेशी बैंकों के नाम लिखे गए व्यक्तिगत चैक और (4) विदेशी मुद्रा के नोटों और सिक्कों के मद्दे विदेशी पर्यटकों को बेचे गए विशिष्ट माल के लिए प्रतिपूर्ति लाइसेंस की मंजूरी के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा।

(2) ऐसी बिक्रियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित क्रियाविधि लागू होगी :--

(क) पंजीकृत निर्यातक को मुद्रित और क्रमवार संख्यांकित वाउचर पुस्तकें रखनी होंगी। वाउचर का एक नमूना इस पुस्तक के परिशिष्ट-10 के अनुबंध-12 में दिया गया है,

(ख) पर्यटक का नाम और राष्ट्रिकता, उसके पासपोर्ट की संख्या, बेची गई मदों का विवरण, विदेशी मुद्रा में बिक्री मूल्य और उसके तुल्य रूपए के सम्बन्ध में ब्यौरे प्रदर्शित करते हुए प्रत्येक बिक्री वाउचर तीन प्रतियों में होगा,

(ग) मूल बिक्री वाउचर पर्यटक को उसके निजी उपयोग के लिए सौंप दिया जाएगा,

(घ) वाउचर की अनुलिपि प्रति व्यापारी द्वारा प्रतिपूर्ति लाइसेंस के लिए आवेदनपत्र के साथ उसे प्रस्तुत करने के समय भेज दी जाएगी, और

(ङ) तीसरी प्रति व्यापारी द्वारा अपने निजी रिकार्ड के लिए रख ली जाएगी।

(3) पंजीकृत निर्यातक को निम्नलिखित ब्यौरों वाला एक रजिस्टर रखना होगा :—

(1) क्रम संख्या,
(2) बिक्री वाउचरों की संख्या,
(3) बिक्री की तिथि,
(4) विदेशी क्रेता का नाम,
(5) उसके पासपोर्ट की संख्या,
(6) बेची गई मद की संख्या और उस सामग्री का नाम जिससे वह बनी है।
(7) रुपयों में मूल्य,
(8) अभ्यर्पित की गई तुल्य विदेशी मुद्रा,
(9) उस बैंक का नाम जिसमें विदेशी यात्रा चैक/रेखांकित विदेशी बैंक ड्राफ्ट/चैक जमा किए गए हैं उसका नाम,
(10) जमा करने की तिथि, और
(11) अभ्युक्तियां।

सरकार रजिस्टर की कभी भी जांच कर सकती है।

(4) आवेदनपत्र विदेशी मुद्रा में भुगतान की प्राप्ति के बाद निर्धारित अवधि के भीतर सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को भेजने चाहिएं। लेकिन, आयात प्रतिपूर्ति की दर बिक्री की तिथि से सम्बन्धित होगी। आवेदनपत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिएं :—

(1) आवेदनपत्र के शुल्क के लिए उपयुक्त धनराशि की बैंक रसीद/डिमाण्ड ड्राफ्ट;

(2) (क) पर्यटक का नाम और राष्ट्रिकता, (ख) पर्यटक के पासपोर्ट की संख्या, (ग) यात्री चैक/क्रास्ड विदेशी बैंक ड्राफ्ट/विदेशी बैंको के नाम में लिखे गए वैयक्तिक चैकों, (घ) जिस सामग्री से वे वस्तुएं बनी हैं उसको निर्दिष्ट करते हुए बेची गई वस्तुओं का विस्तृत विवरण और (ङ) प्रत्येक वस्तु के मूल्य के ब्यौरे देते हुए बिक्री वाउचरों/कैश मीमों की सत्य प्रमाणित प्रतियां,

(3) सम्बन्धित बिक्री वाउचर/कैश मीमों की संख्या और तिथि निर्दिष्ट करते हुए और सम्बन्धित विदेशी मुद्रा यात्री चैक/क्रास्ड विदेशी बैंक ड्राफ्ट/विदेशी बैंकों के नाम लिखे गए व्यक्तिगत चैक की प्राप्ति और भारतीय मुद्रा विनिमय नियंत्रण विभाग को किए गए अभ्यर्पण को प्रदर्शित करते हुए बैंक प्रमाणपत्र। (विदेश बैंकों के नाम व्यक्तिगत चैकों के मामलों में बैंक को यह भी प्रमाणित करना चाहिए कि चैकों की रकम मुद्रा विनिमय नियंत्रण विनियमों के अनुसार विदेशी मुद्रा में वसूल की गई है), और

(4) बिक्री वाउचर/कैश मीमो, इसकी संख्या और दिनांक, जिस सामग्री से बनी है उसको निर्दिष्ट करते हुए बेची गई वस्तुओं के विवरण, अभ्यर्पित की गई विदेशी मुद्रा के रुपयों में मूल्य, यात्री चैक/विदेशी बैंक ड्राफ्ट/व्यक्तिगत चैक को अभ्यर्पित करने की तिथि और व्यक्तिगत चैक के मामले में विदेशी मुद्रा की वसूली की तिथि के ब्यौरे देते हुए परिशिष्ट-10 के अनुबन्ध-13 के नमूना प्रपत्र के अनुसार बिक्रियों का एक विवरणपत्र।

(5) डिनर्स क्लब और अमरीकन एक्सप्रेस इन्टरनेशनल के द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्डों के माध्यम से की गई ऐसी बिक्रियों के भुगतान भी इस पैरे में निर्धारित शर्तों के अधीन और प्राधिकृत बैंक सूत्रों के माध्यम से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के साक्ष्य पर इस नीति के अन्तर्गत आयात प्रतिपूर्ति के लिए पात्रता प्रदान करेंगे।

रत्न और आभूषणों का निर्यात

77. रत्न और आभूषणों के निर्यातकों को वही दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे जो अन्य निर्यातकों को प्रस्तुत करने हैं। अन्तर केवल इतना होगा कि ऐसे निर्यातकों को सीमा शुल्क कार्यालय द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित बीजक की एक प्रति अतिरिक्त प्रस्तुत करनी होगी। प्रेषण के आधार पर निर्यातों के मामले में विदेशी मुद्रा की पावती का बैंक प्रमाणपत्र इस पुस्तक के परिशिष्ट-10 के अनुबन्ध-9 में दर्शाए गए प्रपत्र में भेजा जाना चाहिए।

रत्न और आभूषण की मदों की विदेशी पर्यटकों को बिक्री

78. (1) पंजीकृत निर्यातक (आभूषण व्यापारी) जिसके पास भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया "प्राधिकृत मनी चेन्जर्स" लाइसेंस हो और जो निर्यात संवर्धन प्राधिकरण, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास द्वारा और अन्य पत्तनों पर लाइसेंस अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो वह विदेशी पर्यटकों को की गई रत्न और आभूषणों की बिक्री के मद्दे आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए उन मामलों में पात्र होगा जिन में भुगतान प्राधिकृत मनी चेन्जर्स लाइसेंस के अन्तर्गत अनुमेय तरीके से प्राप्त किए गए हों। भारत से बाहर के बैंक के नाम लिखे गए व्यक्तिगत चैकों के मामले में विदेशी मुद्रा प्राधिकृत व्यापारी से इस सम्बन्ध में एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि चैक की रकम वसूल कर ली गई है। अन्य सभी मामलों में इस सबंध में एक यह प्रमाणपत्र पर्याप्त होगा कि चैक/धनराशि भारतीय मुद्रा विनिमय नियंत्रण विभाग को अभ्यर्पित कर दी गई है।

(2) पंजीकृत निर्यातक (आभूषण व्यापारी) जो अवमूल्यन तिथि से पहले अनुमोदित किया गया था और जिसके पास अब भी "प्राधिकृत मनी चेन्जर्स" (सराफा) लाइसेंस है, वह इन उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूर्ति का दावा करने के उद्देश्य के लिए "अनुमोदित" रूप में समझा जाएगा।

(3) इस योजना के अन्तर्गत लाभों की इच्छा रखने वाला पंजीकृत निर्यातक (आभूषण व्यापारी) जिस के पास "मनी चेन्जर्स" (सराफा) लाइसेंस नहीं है वह निर्धारित प्रपत्र में भारतीय रिजर्व बैंक से ऐसे लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता

है और उसको प्राप्त करने पर वह सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषद्/लाइसेंस प्राधिकारी से अनुमोदन के लिए सम्पर्क कर सकता है।

(4) विदेशी मुद्रा में भुगतान की वसूली के लिए आभूषणों के एक अनुमोदित व्यापारी को विदेशी पर्यटकों को 50,000/- रुपये के बराबर न्यूनतम वार्षिक बिक्री करनी होगी। अनुमोदन के लिए आवेदन करते समय पंजीकृत निर्यातक (आभूषण व्यापारी) पत्तनों पर सम्बद्ध अनुमोदन प्राधिकारी को इस सम्बन्ध में एक वचनपत्र भेजेगा कि (क) न्यूनतम 50,000/- रुपये के मूल्य की बिक्री विदेशी पर्यटकों को अगले 12 महीनों के दौरान कर दी जाएगी और (ख) रद्द हो जाने पर वह इसकी सूचना तुरन्त सम्बद्ध अनुमोदन प्राधिकारी को भेजेगा।

(5) यदि एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर बिक्री की न्यूनतम सीमा पूरी नहीं हो पाती है या यदि इस अवधि के दौरान किसी कारण से प्राधिकृत "मनी चेन्जर्स" (सराफा) लाइसेंस वापस ले लिया जाता है तो संबद्ध पंजीकृत निर्यातक (आभूषण व्यापारी) विदेशी पर्यटकों को बिक्री के मद्दे अनुमेय प्रतिपूर्ति के लिए हकदार नहीं होगा।

(6) वाणिज्य मंत्रालय और/या मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात कोई भी कारण बताए बिना ही पत्तनों पर अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा दिए गए अनुमोदन को वापस ले सकता है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए लाइसेंस को रद्द करने की सिफारिश कर सकता है।

(7) विदेशी मुद्रा/यात्री चैकों पर भारत में विदेशी पर्यटकों को की गई रत्न और आभूषण की मदों की बिक्री के सम्बन्ध में आभूषणों के पंजीकृत अनुमोदित व्यापारियों द्वारा अपनाई जाने वाली क्रियाविधि निम्नलिखित है :—

(क) अनुमोदित पंजीकृत आभूषण व्यापारियों को मुद्रित, क्रमवार संख्यांकित वाउचर पुस्तकें रखनी होंगी जिनके ब्यौरे अनुमोदित प्राधिकारी को पहले ही अधिसूचित कर देने चाहिएं। वाउचर का एक नमूना परिशिष्ट-10 (अनुबन्ध-14) में है।

(ख) पर्यटक का नाम और राष्ट्रिकता, उसके पासपोर्ट की संख्या, बेचे गए रत्न व आभूषण मदों का विवरण, विदेशी मुद्रा में बिक्री मूल्य और पर्यटक द्वारा दिये गये विदेशी मुद्रा यात्री चैकों के तुल्य रुपये के ब्यौरे प्रदर्शित करते हुए प्रत्येक बिक्री वाउचर चार प्रतियों में होगा।

(ग) मूल बिक्री वाउचर पर्यटक को सुपुर्द कर देना चाहिए क्योंकि भारत छोड़ते समय उसे सीमा शुल्क प्राधिकारी को देना होगा।

(घ) बिक्री वाउचर की अनुलिपि प्रति पर्यटक को उसके अपने उपयोग के लिये दे दी जाएगी।

(ङ) बिक्री वाउचर की तीसरी प्रति आभूषणों के व्यापारी द्वारा प्रतिपूर्ति लाइसेंस के आवेदनपत्र के साथ भेज दी जाएगी।

(च) चौथी प्रति आभूषणों के व्यापारी द्वारा अपने रिकार्ड के लिये रख ली जाएगी।

(8) आभूषणों के अनुमोदित व्यापारी को निम्नलिखित ब्यौरों के साथ एक रजिस्टर रखना होगा :—

(1) क्रम संख्या,

(2) बिक्री वाउचर की संख्या,

(3) बिक्री की तिथि,

(4) विदेशी क्रेता का नाम,

(5) उसके पासपोर्ट की संख्या,

(6) बेची गई मद का विवरण,

(7) रुपयों में मूल्य,

(8) अभ्यर्पित की गई तुल्य विदेशी मुद्रा,

(9) उस बैंक का नाम जिसमें विदेशी यात्री चैक जमा किये गये हैं,

(10) जमा करने की तिथि, और

(11) अभ्युक्तियां।

सरकार कभी भी रजिस्टर की जांच कर सकती है।

(9) डिनर्स क्लब और अमरीकन एक्सप्रैस इन्टरनेशनल द्वारा जारी किये गये क्रेडिट कार्डों के माध्यम से की गई ऐसी बिक्रियों पर भुगतान निर्धारित शर्तों के अधीन और प्राधिकृत बैंक सूत्रों के माध्यम से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के साक्ष्य पर इस नीति के अन्तर्गत आयात प्रतिपूर्ति के लिये पात्रता प्रदान करेंगे।

(10) सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को आयात के लिये आवेदनपत्र विदेशी मुद्रा में भुगतान की प्राप्ति के बाद निर्धारित अवधि के भीतर भेजने चाहिएं लेकिन, ऐसे मामलों में आयात प्रतिपूर्ति बिक्री की तिथि से सम्बन्धित होगी। आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिएं :--

(1) आवेदनपत्र शुल्क के लिये निर्धारित धनराशि की बैंक रसीद/दर्शनी हुण्डी,

(2) बेची गई मदों, भारतीय रुपये में उनका मूल्य, विदेशी पर्यटकों के ब्यौरे, उसके पासपोर्ट की संख्या, भुगतान के तरीके और विदेशी मुद्रा यात्री चैकों की धनराशि का पूर्ण विवरण देते हुए बिक्री वाउचरों की तीन प्रतियां; और

(3) यात्री चैक के आधार पर विदेशी पर्यटकों को की गई बिक्री से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति का साक्ष्य देते हुए मूलरूप में बैंक प्रमाणपत्र।

फिल्मों (अभिवर्धित) का निर्यात

79. सिनेमेटोग्राफिक (अभिवर्धित) फिल्मों, टी. वी. फिल्मों, समाचार फिल्मों और मूक समाचार फोटो के निर्यातक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :—

(क) विदेशी मुद्रा की वसूली प्रदर्शित करते हुए और निर्यातित माल के ब्यौरे निर्दिष्ट करते हुए परिशिष्ट 10 अनुबंध 9 में दिया गया बैंक प्रमाण-पत्र। निर्यातक जहां अग्रिम/अग्रदाय लाइसेंस प्राप्त करता है वहां निर्यात आभार पूर्ण करने के साक्ष्य में निर्धारित प्रपत्र में बैंक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए)।

(ख) बैंक द्वारा विधिवत् सांख्यांकित बीजक।

अग्रिम/अग्रदाय लाइसेंस

80. आयात नीति 1982-83 में अग्रिम लाइसेंस और अग्रदाय लाइसेंस प्रदान करने की व्यवस्था है। "अग्रिम

लाइसेंस" शब्द का प्रयोग केवल उन मामलों में किया जाता है जहां आयात की स्वीकृति कर छूट योजना (आयात नीति का परिशिष्ट-19) के अन्तर्गत दी जाती है जबकि "अग्रदाय लाइसेंस" शब्द का प्रयोग उन मामलों में किया गया है जहां आयात की स्वीकृति, कर छूट योजना की सीमा से परे दी जाती है।

अग्रदाय लाइसेंस

81. (1) आयात लाइसेंस के लिये आवेदनपत्रों पर निर्यात आदेश के मद्दे विचार किया जाएगा और उन मामलों में भी जिनमें निर्यातक गत दो लाइसेंस अवधियों के दौरान नियमित निर्यातक रहा है और उसे निर्यात उत्पादन के लिये आयातित निवेश की आवश्यकता है चाहे उसके पास उस समय कोई भी निर्यात आदेश न हो।

(2) सामान्यतः एक निर्यात आदेश यदि वह अपरिवर्तनीय साख-पत्र या पर्याप्त अग्रिम भुगतान के साथ हो तो पक्का आदेश माना जाएगा। लेकिन भुगतान की विभिन्न पद्धतियों जैसे साइट ड्राफ्ट/डी.ए. आधार, के साथ अन्य प्रकार के पक्के निर्यात आदेशों के निष्पादन के लिए आवेदनपत्रों पर भी विचार किया जा सकता है।

(3) निम्नलिखित किस्म के मामलों में लाइसेंस प्राधिकारी आयात लाइसेन्स जारी करने से पूर्व मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा:--

(1) जहां आयात की जाने वाली कोई मद, आयात-निर्यात नीति, 1983-84 के परिशिष्ट-4 में आती है।

(2) जहां निर्यात उत्पाद और आयात की जाने वाली मद 1982-83 की आयात-निर्यात नीति के परिशिष्ट-17 के अनुसार हो परन्तु आवेदित अग्रदाय लाइसेन्स का मूल्य आयात नीति के परिशिष्ट-17 में संबंधित निर्यात उत्पाद के सामने संकेतिक आयात प्रतिपूर्ति दर के अनुसार स्वीकृत मूल्य से अधिक हो।

(3) जहा निर्यात उत्पाद आयात-निर्यात नीति, 1983-84 के परिशिष्ट-17 में आता हो, और आवेदक एक ऐसी मद जो आयात-निर्यात नीति, 1983-84 के परिशिष्ट 3, 4 या 6 में दर्शाई गई है का आयात करना चाहता हो। लेकिन वह मद उस निर्यात उत्पाद के मद्दे परिशिष्ट-17 के कालम 4 या 5 में न आती हो; और या जो सम्बद्ध निर्यात उत्पाद के मद्दे परिशिष्ट-17 में कालम 4 या 5 में अनुमित मूल्य से अधिक मूल्य के लिए आयात की जानी हो।

(4) जहां निर्यात उत्पाद आयात-निर्यात नीति, 1982-83 परिशिष्ट-17 में न आता हो और आवेदक आयात-निर्यात नीति 1983-84 के परिशिष्ट-3, 4 अथवा 6 में दर्शाई गई मद का आयात करना चाहता हो लेकिन उत्पाद व्यापार में जोड़ा गया मूल्य 75 प्रतिशत से कम हो; और

(5) जब आयात की जाने वाली मद आयात-निर्यात नीति, 1983-84 में आयात के लिए सरणीबद्ध है और सम्बद्ध निर्यात उत्पाद के मद्दे परिशिष्ट-17 में कालम 4 अथवा 5 में नहीं दर्शाई गई है।

(4) सिनेमेटोग्राफ फिल्म (अभिदर्शित) के निर्यातों के मद्दे किसी किस्म के अग्रदाय लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(5) अग्रदाय लाइसेंस के लिये आवेदनपत्र परिशिष्ट-10 (अनुबंध-15) में दिये गये प्रपत्र में सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारियों को निम्नलिखित दस्तावेज के साथ भेजे जाने चाहिए:--

(1) आवेदनपत्र शुल्क के भुगतान के प्रति अपेक्षित धनराशि की बैंक रसीद/दर्शनी हुण्डी;

(2) जहां कहीं उपलब्ध हो निर्यात आदेश और साखपत्र की प्रमाणित प्रति (जहां आवेदन निर्यात आदेश के मद्दे किया गया हो);

(3) निर्यात किये जाने वाले उत्पाद का विवरण, मात्रा और जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य और 1980-81 और 1981-82 में किये गये उसी उत्पाद के निर्यातों का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (जहां कोई भी निर्यात आदेश न हो);

(4) उन मामलों में जहां उत्पाद का निर्यात किया जाना है और आयात की मदें या आवेदित अग्रदाय लाइसेंस का मूल्य पूर्ण रूप से परिशिष्ट-17 के अनुरूप नहीं है वहां स्वतंत्र व्यावसायिक सनदी लेखापाल (या उत्पादन के मुख्य तकनीकी अधिकारी/सनदी लेखापाल या लागत लेखापाल जैसा भी मामला हो) का एक प्रमाण-पत्र जिसमें आयात की जाने वाली मदों की सूची, उनकी मात्रा और अपेक्षित प्रत्येक मद के मूल्य को दर्शाया गया हो;

(5) यदि निर्यात आस्थगन भुगतान के आधार पर किए गए हों तो भुगतान शर्तों के लिये भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की एक प्रति।

(6) वे महानिदेशक तकनीकी विकास के एकक जिन्हें चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम पूरा करना है उन के द्वारा संघटकों के लिए सम्बद्ध आयात नीति के अध्याय-20 में किए गए प्रावधान लागू होंगे।

(6) यदि निर्यात आदेश के बिना अग्रदाय लाइसेन्स जारी कर दिया गया है तो दूसरा लाइसेंस तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक प्रथम लाइसेन्स के मद्दे निर्यात आभार पूर्ण न कर दिये गये हों या निर्यात आदेश न प्राप्त कर लिया गया हो और आभार उस आदेश के साथ न लगा दिया गया हो। लाइसेंस प्राधिकारी सामान्यतः मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात के विशेष अनुमोदन के बिना ऐसे आवेदक जिसे अभी दो या दो से अधिक अग्रदाय/अग्रिम लाइसेंसों के निर्यात-आधार पूर्ण करने हैं, को पहले के अग्रदाय अग्रिम लाइसेंसों के निर्यात-आधार पूर्ण करने हैं, को तब तक अग्रदाय लाइसेंस जारी नहीं करेगा जब तक (क) निर्यात आदेश अपरिवर्तनीय साख-पत्र द्वारा समर्थित न हो या (ख) निर्यात आदेश सरकार या विदेश में सार्वजनिक क्षेत्र संस्थान (या आई. बी. आर. डी./आई. डी. ए. द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं के मामलों में भारत में) द्वारा प्राप्त न किया गया हो या (ग) आवेदक सार्वजनिक क्षेत्र संस्था है या एक ऐसा निर्यात सदन है जिसके पास 3 वर्ष की पूर्ण अवधि के लिए जारी किया गया प्रमाणपत्र है।

(7) जिन मामलों में अग्रदाय लाइसेंस स्वीकृत प्रतिपूर्ति से कम मूल्य के लिए जारी किया गया है उनमें आवेदक विचाराधीन पक्के आदेश के मद्दे किए गए निर्यातों और मुक्त कर दिए गए निर्यात बाण्ड के पश्चात् शेष धनराशि के लिये आयात लाइसेंस का दावा कर सकते हैं बशर्ते कि जारी किये गये लाइसेंस

के लिये कोई प्रतिकूल शर्त न हो। सामान्यतः निर्यातकों से यह आशा की जाती है कि वे अलग से एक समेकित आवेदनपत्र दाखिल करें जिसमें विशेष अग्रदाय लाइसेंस के संबंध में बाण्ड आभार के अलावा किये गये सारे अतिरिक्त निर्यात शामिल हों। लेकिन इस शर्त को प्रत्येक मामले में लिखित रूप से दिये जाने वाले कारण के आधार पर सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा हटाया जा सकता है। ऐसे मामलों में, आवेदन-पत्र सम्बन्धित निर्यात बांड के विमोचन की तिथि से 3 मास के भीतर दिये जाने चाहिएं।

(8) **आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि वे आवेदनपत्र** में निर्यात आदेश के निष्पादन के लिये समुद्रपार क्रेताओं के साथ सहमत संभरण की विशिष्ट अवधि का साफ-साफ उल्लेख करें। यह आवेदन-पत्र के ठीक निपटान और निर्यात आभार को पूरा करने के लिए उचित समय के निर्धारण में भी सहायता करेगा। जहां तक अन्यथा रूप से इस विधि से व्यवस्थित न हो लाइसेंस-धारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह अग्रिम लाइसेंस के मद्दे प्रथम प्रेषण के आयात की तारीख से छः मास के भीतर निर्यात आभार को पूरा करें।

(9) प्रथम प्रेषण के आयात की तिथि से पूर्व किन्तु अग्रदाय लाइसेन्स के लिये आवेदन करने की तारीख के बाद किए गए निर्यात पर भी निर्यात-आभार अनुपालन के रूप में विचार किया जा सकता है। लेकिन, ऐसे मामलों में अग्रदाय लाइसेंस (या पूर्व की नीतियों के अन्तर्गत जारी किये गये अग्रिम लाइसेंस) के मद्दे आयात किये गए और सम्बद्ध निर्यात आदेश के निष्पादन के लिये निर्यातित माल के विनिर्माण में उपयोग न किए गए माल का उपयोग आगामी निर्यात आदेशों के निष्पादन के लिये या निर्यात उत्पादन के लिए लाइसेंसधारी के कारखाने में घरेलू उत्पादन के लिए किया जा सकता है। यदि इस माल का उपयोग किसी अन्य तरीके से किया जाना है या किसी अन्य पार्टी को हस्तांतरित किया जाना है तो लाइसेंसधारी को सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी की पूर्व-लिखित अनुमति लेनी चाहिए और ऐसा करते समय उसे इस संबंध में उचित औचित्य देने चाहिएं कि वह निर्यात उत्पादन के लिए उपर्युक्त माल का उपयोग करने में क्यों असमर्थ रहा।

(10) प्रथम प्रेषण की निकासी से पूर्व या रिहाई आदेश के मद्दे माल के संभरण को प्राप्त करने से पूर्व जैसा भी मामला हो, आवेदक के लिए यह आवश्यक होगा कि वह निर्यात आभार को पूरा करने के लिए लाइसेंस/रिहाई आदेश के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के 50% के बराबर (या लघु पैमाने के विनिर्माता निर्यातक के मामले में 25% के बराबर) (या अदा करने योग्य सीमा शुल्क दर की धनराशि के तुल्य, इनमें से जो भी ज्यादा हो) धनराशि के लिए निर्धारित प्रपत्र में बैंक गारन्टी के साथ एक बाण्ड का निष्पादन करें। बांड के प्रपत्र का नमूना परिशिष्ट 23 में दिया गया है।

(11) निम्न प्रकार के मामलों में लाइसेंस प्राधिकारी बैंक गारंटी के स्थान पर कानूनी करार स्वीकार कर सकता है:--

(क) उन विनिर्माता निर्यातकों के मामले में जो पिछले 2 वर्षों से अपने उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं।

(ख) उन मामलों में जहां अग्रिम/अग्रदाय लाइसेंस का मूल्य 5 लाख रुपया या इससे अधिक हो, चाहे आवेदक एक व्यापारी हो या विनिर्माता या (लघु पैमाना क्षेत्र के विनिर्माता निर्यातकों के मामले में 2.5 लाख रुपये या इससे अधिक हो)।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के विनिर्माता-निर्यातकों के मामले में।

टिप्पणी :--(1) यह लाइसेंस प्राधिकारी की इच्छा पर होगा कि वह ऊपर (क) एवं (ख) में उल्लिखित मामलों में भी लाइसेंस (सों) के मद्दे आयात की जाने वाली मद (दों) की किस्म को ध्यान में रख कर बैंक गारन्टी मंगवाए।

(2) यह लाइसेंस प्राधिकारी पर निर्भर होगा कि वह नए निर्यातको और उन निर्यातकों के मामले में, जो नियमित रूप से निर्यात व्यापार में स्थापित नहीं हुए हैं, अपनी संतुष्टि के लिए बैंक गारन्टी मांगे।

(3) लाइसेंस प्राधिकारी को यह भी छूट होगी कि वह आवेदित मूल्य के भीतर किसी भी एक समय में कम मूल्य के लिए अग्रदाय/अग्रिम लाइसेंस प्रदान करें किन्तु यह आयात की जाने वाली मद (मदों), निर्यात व्यापार और साथ ही साथ उद्योग में निर्यातक के स्थान और अन्य संबद्ध विचारणीय बातों पर निर्भर करेगा।

(12) निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्यात आभार को पूर्ण न करने पर बान्ड की धनराशि जब्त की जा सकती है। यह कार्रवाई उस अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त होगी जो लाइसेन्स-धारी या किसी व्यक्ति के विरुद्ध यथा-संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अधीन उनके आगामी वास्तविक उपयोक्ता लाइसेन्सों, आर. ई. पी. लाइसेन्सों और अन्य लाइसेन्सों में कटौती करके पहले प्रदान किए गए अति लाइसेन्सों के समंजन करने, उनका विपंजीकरण करने या कोई अन्य कार्रवाई करने से सम्बद्ध होगी।

(13) सम्बद्ध लाइसेन्स प्राधिकारी मामले के गुण-दोष के आधार पर सम्बद्ध निर्यात आभार को पूरा करने के लिए 6 मास तक की समय-वृद्धि की स्वीकृति प्रदान कर सकता है। लेकिन और आगे समय-वृद्धि के लिए मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

(14) निर्यात आभार को पूरा करने के साक्ष्य और बाण्ड की विमुक्ति के लिए लाइसेंसधारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह वही दस्तावेज भेजे जो पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत पिछले निर्यातों के लिए प्रतिपूर्ति लाइसेंस का दावा करने के लिए भेजने होते हैं। (पूंजीगत माल लाइसेंस या औद्योगिक लाइसेन्स या विदेशी सहयोग के अनुमोदन पर लगाए गए निर्यात आभार को पूरा करने के मद्दे वही निर्यात अलग से भी उपयोग में लाया जा सकता है)

अग्रिम लाइसेंस

82. (1) कर छूट योजना के लिए ब्यौरे 1983-84 की आयात निर्यात नीति के परिशिष्ट-19 में दिए गए हैं।

(2) **इस योजना के अन्तर्गत अग्रिम लाइसेंस के लिए आवेदन-**पत्र 1983-84 की आयात-निर्यात नीति में यथानिर्धारित प्रपत्र में संबद्ध प्रायोजक/लाइसेन्स प्राधिकारी को भेजे जाने चाहिए। साथ ही साथ आवेदक को चाहिए कि वह आवेदन-पत्र की प्रतियां मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (ईपी-2 अनुभाग), महानिदेशक तकनीकी विकास, नई दिल्ली (आयात तथा निर्यात नीति सेल)

और राजस्व तथा कंपनी विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग (पार्लियामेंट स्ट्रीट), नई दिल्ली के उप-सचिव (शुल्क वापसी) को भी भेजें। सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा अग्रिम लाइसेंस मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली की अग्रिम लाइसेंस समिति द्वारा लिये गए निर्णय के आधार पर जारी किया जाएगा।

(3) अग्रिम लाइसेंस उपयुक्त निर्यात आभार की शर्तों के अधीन होगा। जहां लाइसेन्स के लिए आवेदन निर्यात आदेश के मद्दे किया जाता है वहां ऐसे आदेश का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य ही निर्यात-आभार की गणना करने का आधार होगा। यदि आवेदक के पास निर्यात आदेश नहीं है तो निर्यात-आभार उसी आवेदक द्वारा उसी उत्पाद के नवीनतम निर्यात के लगभग मात्रक जहाज पर्यन्त निः शुल्क मूल्य के आधार पर नियत किया जाएगा।

(4) अग्रिम लाइसेंस जारी करने वाला लाइसेंस प्राधिकारी सम्बन्धित कर छूट हकदारी प्रमाण-पत्र भी जारी करेगा। प्रमाण-पत्र दो पृथक-पृथक भागों में जारी किया जाएगा—एक आयात के लिए और दूसरा निर्यात के लिए।

(5) जिन मामलों में किसी निर्यात उत्पाद के सम्बन्ध में सम्बन्धित निवेश/उत्पाद मानदण्ड को अग्रिम लाइसेन्स समिति ने अनुमोदित कर दिया हो और वही निर्यातक, उसी निर्यात उत्पाद के लिए निर्यात उत्पादन के उसी मानदण्ड के आधार पर कर की छूट का लाभ प्राप्त करना चाहता हो तो वह एक और अग्रिम लाइसेंस (जो प्राप्त निर्यात आदेश पर आधारित हो या अन्यथा रूप से हो) सम्बद्ध कर छूट हकदारी प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिए भी सम्बन्धित क्षेत्रीय लाइसेन्स प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है, आवेदनपत्र और समर्थक दस्तावेज की प्रति मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (ईपी-2 अनुभाग), नई दिल्ली, निदेशक (शुल्क वापसी), वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग), नई दिल्ली को भेजेगा। ऐसे मामले में लाइसेंस प्राधिकारी अग्रिम लाइसेंस और कर छूट हकदारी प्रमाणपत्र जारी करेगा और इसकी कार्योत्तर सूचना अग्रिम लाइसेंस समिति को देगा। ऐसे मामले में अग्रिम लाइसेंस प्रदान करने के लिए भी मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात जहां आवश्यक समझे क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी को अग्रिम लाइसेंस समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए निदेश दे सकता है।

(6) अग्रिम लाइसेन्स के मद्दे माल के प्रथम प्रेषण की निकासी से पूर्व या रिहाई आदेश के मद्दे माल के संभरण को प्राप्त करने से पूर्व, इनमें से जो भी मामला हो, उस में पार्टी को सम्बद्ध लाइसेन्स प्राधिकारी के पास एक निर्यात बाण्ड (देखें परिशिष्ट-38) का निष्पादन करना होगा। सीमा शुल्क कर छूट और आयात व्यापार नियंत्रण दोनों के लिए यह एक संयुक्त निर्यात बांड होगा। उपर्युक्त कंडिका 81 की उप कंडिका (10), (11) और (12) में की गई व्यवस्थाएं ऐसे मामलों में लागू होंगी।

(7) यदि एक निर्यातक ने अग्रिम लाइसेंस प्राप्त किया हो तो लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा अग्रिम लाइसेन्स आवेदनपत्र प्राप्त करने की बाबती की तिथि से निर्यातक द्वारा किए गए निर्यात, निर्यात आभार पूरा करने के लिए स्वीकार किए जा सकते हैं बशर्ते कि निर्यात अन्यथा रूप से स्वीकार्य हो और सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा संगत कर छूट हकदारी प्रमाणपत्र में विधिवत पृष्ठांकन कर दिया गया हो। निर्यातक इस सुविधा का दावा अधिकार के रूप में नहीं कर सकता।

(8) यदि अग्रिम लाइसेन्स के मद्दे प्रथम परेषण के आयात से पूर्व अग्रिम लाइसेन्स के मद्दे आंशिक रूप में निर्यात आभार पूरा किया गया हो तो लाइसेंस प्राधिकारी अनुरूपतः कम मूल्य के लिए ऊपर के उप-पैरा (6) में उल्लिखित सम्मिलित निर्यात बाण्ड को स्वीकार कर सकते हैं जिससे केवल निर्यात आभार के अपूर्ण हिस्से का पता लग सके। ऐसे मामलों में जिस घटाए गए आभार के लिए निर्यात बांड लिया जा सकता है, लाइसेन्स प्राधिकारी उसका निश्चय सम्बन्धित सीमा शुल्क प्राधिकारियों से सलाह करके करेगा।

(9) जहां आवेदक एक सरणीबद्ध मद के लिए कर छूट के लिए हकदार है वहां उसे यह छूट होगी कि वह चाहे तो उस मद का सीधे आयात कर ले या सम्बद्ध सरणीबद्ध करने वाले अभिकरण के बांडिड स्टाक में से आयातित माल का संभरण प्राप्त करने के लिए अग्रिम रिहाई आदेश प्राप्त करे।

(10) लाइसेन्स प्राधिकारी आवेदन करने पर उन मामलों में मूल्य को बढ़ा सकता है जहां अधिक भाड़े के कारण या मुद्रा दर में अधिक भिन्नता के कारण ऐसी वृद्धि आवश्यक हो बशर्ते कि अग्रिम लाइसेन्स के मूल्य में ऐसी वृद्धि से बढ़ाया गया मूल्य न्यूनतम निर्धारित स्तर में बढ़ाए गए मूल्य को कम न करता हो।

(11) जहां विदेशी मुद्रा के प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के फलस्वरूप अग्रिम लाइसेन्स का मूल्य कम पड़ता हो, वहां सीमा शुल्क प्राधिकारी इस आधार पर बढ़ाए जाने वाले लाइसेन्स के मूल्य पर जोर न दें।

(12) निर्यात आभार को पूरा करने के लिए अवधि में 6 मास तक की अवधि वृद्धि के लिए आवेदन पत्रों पर सम्बद्ध लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है। इससे अधिक समय-वृद्धि के लिए अग्रिम लाइसेंस समिति द्वारा विचार किया जाएगा। (विस्तृत क्रियाविधि आयात नीति के परिशिष्ट-19 में दी गई है)

(13) यदि कोई निर्यातक इस प्रयोजन के लिए प्रारम्भिक निर्धारित वैध अवधि और प्रदान की गई समय वृद्धि के दौरान निर्यात आभार को पूर्ण करने में असफल रहता है तो वह आयात पर उस सीमा शुल्क कर की धनराशि का भी भुगतान करेगा जिसके लिए उसे छूट प्रदान की गई थी और उसके साथ ही उसे आयातित माल की निकासी की तारीख से उसे वापिस की गई सीमा शुल्क कर की धनराशि की तारीख तक भुगतान की जाने वाली सीमा शुल्क कर की धनराशि पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना पड़ेगा। ब्याज का यह भुगतान इस संबंध में की जाने वाली अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त होगा।

नौभार निर्यात का समेकन

83. जिन मामलों में मान्यता प्राप्त नौभार के माध्यम से निर्यातों के लिए अलग-अलग निर्यात प्रेषणों का समेकन किया जाता है उन में इस सम्बन्ध में निर्यातकों द्वारा अपनाई जाने वाली क्रियाविधि परिशिष्ट-34 में दी गई है।

अनुज्ञप्ति/निष्पादन गारन्टी अवधि के दौरान मुफ्त बदलाई के रूप में फालतू पुर्जों का निर्यात

84. (1) मशीनरी और उपस्कर के निर्यातकों को मशीनरी/उपस्कर के फालतू पुर्जों को बदलाई के रूप में मुफ्त निर्यात करने की अनुमति तभी दी जाएगी जब कि वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों :—

(1) विषयाधीन फालतू पुर्जे, मशीनरी और उपस्कर के विदेशी खरीददार को अनुज्ञप्ति/निष्पादन गारन्टी की अवधि के दौरान संभरित किए जा रहे हों;

(2) मुफ्त में संभरण किए जाने वाले फालतू पुर्जों का कुल मूल्य निर्यातित मशीनरी/उपस्कर के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 2.5% से अधिक न हो;

(3) इस व्यवस्था के अधीन फालतू पुर्जों का संभरण मुख्य उपस्कर के साथ या बाद में किया जा सकता है;

(4) यदि मुख्य उपस्कर के साथ फालतू पुर्जों का संभरण किया जाता है तो ऐसे फालतू पुर्जों को निर्यातक के बीजक, लदान बिल और जी-आर-आई प्रपत्र में दर्शाया जाना चाहिए। निर्यातक द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए लाइसेंस प्राधिकारी को भेजे जाने वाले बैंक प्रमाणपत्र में ऐसे फालतू पुर्जों के ब्यौरों को दर्शाना आवश्यक नहीं होगा; और

(5) पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत ऐसे फालतू पुर्जों के निर्यात आर. ई. पी. लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे। ऐसे फालतू पुर्जों के मूल्य को निर्यातक की आर. ई. पी. हकदारी के मद्दे बढ़ाया भी नहीं जाएगा।

(2) उन मामलों में जहां इस व्यवस्था के अधीन मुख्य उपस्कर/मशीनरी के निर्यात के बाद फालतू पुर्जों का संभरण किया जाता है, वहां निर्यातक इस संबंध में सीमाशुल्क प्राधिकारियों को साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि फालतू पुर्जों का संभरण अनुज्ञप्ति/गारंटी अवधि के दौरान किया जा रहा है। निर्यातक फालतू पुर्जों का निर्यात करते समय सीमाशुल्क प्राधिकारी को एक घोषणा-पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि उसी मशीनरी/उपस्कर के संबंध में मुफ्त बदलाई में पहले से ही संभरण किए गए फालतू पुर्जों का और इस समय संभरण किए जा रहे फालतू पुर्जों का कुल मूल्य संबद्ध मशीनरी/उपस्कर के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 2.5% से अधिक नहीं है।

(3) जहां मुफ्त में संभरण किए गए फालतू पुर्जों का मूल्य मुख्य उपस्कर के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 2.5% से अधिक हो जाए वहां निर्यातक को भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक से ऐसी अनुमति प्राप्त करते समय निर्यातक को यह भी चाहिए कि वह उसी उपस्कर/मशीनरी के संबंध में पहले से ही मुफ्त में संभरण किए गए फालतू पुर्जों के मूल्य और निर्यात किए गए उपस्कर/मशीनरी के कुल लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के बारे में भी भारतीय रिजर्व बैंक को बताए।

(4) निर्यातक के लिए ऐसे फालतू पुर्जों के निर्यात के लिए लाइसेंस प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि ऐसे फालतू पुर्जों के लिए निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 के अधीन एक निर्यात लाइसेन्स की आवश्यकता न हो।

(5) उपर्युक्त व्यवस्थाओं के अन्तर्गत न आने वाले पुर्जों के निर्यात के लिए आवेदनपत्रों पर भी गुण दोष के आधार पर विचार किया जाएगा ताकि निर्यातक बिक्री के बाद सेवा/वारन्टी आभार या विदेश में ली गई परियोजनाओं के निष्पादन से सम्बद्ध अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। ऐसे मामलों में निर्यात के लिए दी गई अनुमति यथा उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी।

सलाहकार फर्मों/निर्माण अभिकरणों/डिजाइन इन्जीनियर फर्मों को तदर्थ लाइसेंस

85. ऐसी फर्मों के नाम में तदर्थ लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदनपत्र परिशिष्ट-10 (अनुबन्ध-18) में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में सम्बद्ध क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजे जाएं।

विदेश में भारतीय ठेकेदारों द्वारा मोटर वाहनों की खरीद

86. ऐसे भारतीय ठेकेदार जो विदेश में परियोजना पूर्ण (टर्नकी)/निर्माण ठेके में लगे हुए हैं, वे अपने परियोजना क्रियाकलापों के भाग के रूप में विदेशी मोटर वाहनों की खरीद के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी खरीद को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करना पड़ेगा:—

(1) भारतीय कार के संभावित उपयोग की पूरी तरह जांच करने के बाद ही विदेश में कम से कम कार/वाहनों को खरीदा जाए;

(2) कार/वाहनों की पूरी कीमत ठेके की सेवा सेगमेन्ट के आधार पर प्राप्त होने वाले फण्ड में से अदा की जानी चाहिए (न कि भारतीय संभरण के मूल्य में से जो कि भारत को पूर्ण रूप से प्रेषित किया जाना है);

(3) विदेशी मुद्रा अर्जन में से विदेशी कार/वाहनों के लिए ऐसी चुकाई गई कीमत को रिजर्व बैंक के अनुमोदन के साथ विशिष्ट ठेके के निष्पादन के संबंध में खोले गए विदेशी मुद्रा बैंक लेखे के लिए संचालन के विवरण में पूर्ण रूप से दर्शाया जाना चाहिए और इसके साथ अन्य उपर्युक्त दस्तावेजी साक्ष्य भी होना चाहिए;

(4) विशिष्ट परियोजना/ठेके के पूर्ण होने के बाद भारत में खरीद करके लाई गई ऐसी कारों/वाहनों का आयात समय-समय पर लागू आयात नीति के अधीन होना चाहिए; और

(5) विदेश में खरीदी गई ऐसी कार/वाहन यदि विदेश में ही बेच दी जाती है तो बिक्री से प्राप्त मूल्य सामान्य बैंकिंग सूत्र के माध्यम से भारत को प्रेषित किया जाना चाहिए और इसके समर्थन में रिजर्व बैंक का एक प्रमाणपत्र भी भेजा जाना चाहिए।

व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा पैकेज सेवाएं

87. व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा अपने ग्राहकों को अर्पित पैकेज सेवाओं के ब्यौरे परिशिष्ट-14 में उद्धृत किए गए हैं।

निर्यात उत्पादों का वर्गीकरण/पुनः वर्गीकरण

88. निर्यात उत्पादों के वर्गीकरण/पुनः वर्गीकरण के लिए सुझाव पूर्ण औचित्य, आयात प्रतिपूर्ति की दर के सम्बन्ध में समर्थक आंकड़े और उत्पाद के विनिर्माण में उपयोग के लिए अपेक्षित आयातित सामग्री के साथ सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषद/पण्य वस्तु बोर्ड के माध्यम से मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (ई. पी. सैल.), नई दिल्ली को भेजे जा सकते हैं।

एयर इण्डिया/इण्डियन एयर लाइन्स के माध्यम से आयात

89. जिस मामले में आयात एयर इण्डिया/इण्डियन एयर लाइन्स के माध्यम से किए गए हों उसमें वायु भाड़े की धनराशि आयात लाइसेंस के नामे डालने के लिए क्रियाविधि परिशिष्ट-31 में दी गई है।

अध्याय 5

पूंजीगत माल

पात्रता

90. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 में शामिल मदों के विनिर्माण के लिए पूंजीगत माल के वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) के आवेदनपत्र पर केवल तब विचार किया जाएगा जबकि उस को उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आशय-पत्र जारी कर दिया गया हो। यदि अन्यथा रूप से अनुमित हो, तो आशय-पत्र को औद्योगिक लाइसेंस के परिवर्तन की प्रत्याशा में पूंजीगत माल के लिए आयात लाइसेंस भी जारी किया जा सकता है।

91. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की शर्तों से छूट वाले संस्थानों के मामले में आवेदन-पत्रों पर केवल तब विचार किया जाएगा जबकि आवेदक आवेदन-पत्र के साथ उस सम्बन्ध में एक घोषणापत्र ऐसी छूट के समर्थन में सरकारी अधिसूचना की संख्या और तिथि का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करें।

92. प्रत्येक आवेदनपत्र के साथ औद्योगिक लाइसेंस, आशय-पत्र या पंजीकरण प्रमाणपत्र जो भी उचित हो, की फोटोस्टेट प्रति होगी।

93. जिस मामले में आशय-पत्र या औद्योगिक लाइसेंस यह निर्धारित करता है कि संयंत्र और मशीनरी के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी, उस मामले में केवल मशीनरी के आधुनिकीकरण बदलाई, सुरक्षा, परीक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और गुण नियंत्रण उपस्कर के आयात के लिए आवेदन-पत्रों पर लागू नीति के अनुसार विचार किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसे उपस्कर का आयात अनुज्ञप्त अनुमोदित क्षमता से अधिक न हो।

94. जिन मामलों में पूंजीगत माल के आयात की व्यवस्था विदेशी सहयोग के अन्तर्गत की जाती है, उनमें आवेदन-पत्र के साथ सम्बन्धित सरकारी अनुमोदन की फोटोस्टेट प्रति, उसके मूल विषय और जिस विशेष धारा के अन्तर्गत आयात किया जाना है, उसका उल्लेख लगा होना चाहिए।

95. (1) आयात-निर्यात नीति, 1983-84 के परिशिष्ट-2 में आने वाले पूंजीगत माल का आयात वास्तविक उपयोक्ताओं के लिये खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन उसमें निर्धारित शर्तों के अधीन अनुमेय होगा ।

(2) वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) आयात-निर्यात नीति, 1983-84 में निर्धारित शर्तों के अधीन खुले सामान्य लाइसेन्स के अधीन जिगों जुडनारों, मोल्डस (डाई कास्टिंग के लिए मोल्डस सहित) मोल्ड के भाग और प्रेस औजारों का आयात कर सकते है।

96. (1) संबंधित आयात-निर्यात नीति और इस अध्याय में दिए गए प्रावधानों के अधीन पूंजीगत माल के आयात के लिए आवेदनों पर संबंध प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित आयात की अनिवार्यता, महानिदेशालय तकनीकी विकास द्वारा या किसी अन्य सम्बद्ध तकनीकी प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई देशीय दृष्टिकोण से निकासी और आयात के लिए वित्तदान करने के लिए विदेशी साधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा।

(2) पूंजीगत माल/एच ई पी के आयात के लिए जारी किए गए सभी लाइसेंस "वास्तविक उपयोक्ता शर्तों" के अधीन होंगे। लाइसेंस में सीमाकारी गुणक के रूप में मूल्य और मात्रा दोनों का संकेत होगा।

आवेदन प्रस्तुत करना

97. (1) पूंजीगत माल के आयात के लिए आवेदनपत्र निम्नलिखित तरीके से प्रस्तुत किए जा सकते हैं:—

(1) जिस मामले में लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य 20 लाख रुपये तक हो उसमें आवेदनपत्र उस लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत करना चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र में लाभग्राही कारखाना या संस्थान स्थित हो।

(2) जिस मामले में लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक और 50 लाख तक हो, आवेदन पत्र मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली को प्रस्तुत करना चाहिए।

(3) जिस मामले में लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक हो, उसमें आवेदनपत्र औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय, उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रस्तुत करना चाहिए। (ऐसे आवेदन पत्रों की प्रतियां मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को पृष्ठांकित करने की आवश्यकता नहीं है)।

(4) उपर्युक्त शर्तें उस सीमा के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों के लिए लागू होती हैं जिस सीमा तक उनके लिए नीचे के पैरा 101 और 102 की शर्तें लागू होती हैं।

(2) अधिकतम 2 लाख रुपये (लागत-बीमा-भाड़ा) मूल्य की मशीनरी के आयात के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक) के आवेदनों पर प्रायोजक प्राधिकारी की सिफारिश के बिना ही सम्बद्ध क्षेत्रीय लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है। लेकिन, इसके लिए देशी दृष्टिकोण से निकासी प्राप्त करनी होगी।

98 (1) प्रतिस्थापन, संतुलन या आधुनिकीकरण के लिए या सामान्य प्रचालन के लिए मशीनरी के आयात के लिए आवेदन करने वाली विद्यमान यूनिट 6 महीने में आवेदन-पत्र भेज सकता है। द्वितीय छमाही में आवेदन पत्र, फरवरी के अंत होने से पूर्व देने चाहिए वे मामले जिनकी आवश्यकता के बारे में लाइसेंस प्राधिकारी सन्तुष्ट है उसी लाइसेंस अवधि के अन्दर एक तीसरे आवेदन पत्र पर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन, निर्माणाधीन प्रमुख परियोजनाओं के मामले में एक बार से अधिक आवेदनपत्रों पर भी विचार किया जा सकता है, इसी प्रकार आपातकालीन परिस्थिति अर्थात् मशीनरी के खराब हो जाने पर या विशेष विदेशी ऋण को पूरा करने के लिए या आर ई पी हकदारियों के अभ्यर्पण के मद्दे बारम्बार आवेदनपत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं ।

(2) अखबारी कागज प्रतिष्ठान फरवरी, 1984 के अन्त तक एक वर्ष में किसी भी समय दो आवेदन पत्र दे सकते हैं।

(3) उन मामलों में जहां एक औद्योगिक एकक एक से अधिक अन्तिम उत्पादों के विनिर्माण में लगा हुआ है और उसके पास ऐसे प्रत्येक अन्तिम उत्पाद के लिए अलग-अलग औद्योगिक लाइसेंस या पंजीकरण है तो छः मास में एक बार लागू होने वाली सामान्य प्रक्रिया प्रत्येक अन्तिम उत्पाद के लिए अपेक्षित मशीनरी के लिए भी लागू होगी।

99. (1) जिन मामलों में 5 लाख रुपये से अधिक लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के अनुकृति उपस्कर सहित इलैक्ट्रानिकी मदों को या मूल्य को ध्यान में न रखते हुए समुद्री उपस्कर आयात करने की इच्छा की गई हो, उनमें इलैक्ट्रानिकी विभाग, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसलिए, आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि वे सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारियों को आवेदनपत्र प्रस्तुत करते समय उपर्युक्त इलैक्ट्रानिकी मदों का पूर्ण ब्यौरा देते हुए अपने आवेदनपत्र की एक प्रतिलिपि इलैक्ट्रानिकी विभाग को भेजें।

(2) जहां कागज, चीनी, इस्पात, एल्यूमीनियम और सीमेन्ट उद्योगों के लिए आयात किए जाने वाले पूंजीगत माल में नियंत्रण और औद्योगिक इलैक्ट्रोनिक उपस्कर/सब सिस्टम शामिल हों वहां आयातों की स्वीकृति से पूर्व इलैक्ट्रानिक विभाग (महानिदेशक, तकनीकी विकास से परामर्श करने के बाद) से विशिष्ट निकासी भी आवश्यक होगी।

परियोजना अनुमोदन बोर्ड

100. मिश्रित प्रस्तावों अर्थात् वे प्रस्ताव जिनमें पूंजीगत माल के आयात सहित एक से अधिक अनुमोदन हों, उन पर औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय में परियोजना अनुमोदन बोर्ड विचार करेगा। ऐसे मामलों में आवेदनपत्र औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय (समन्वय अनुभाग), उद्योग मंत्रालय को प्रस्तुत करने चाहिए।

101. (1) 5 करोड़ रुपये तक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (नई परियोजना की स्थापना करने या पर्याप्त विस्तार करने से संबंधित) में पूंजी निवेश के मामलों में भी औद्योगिक लाइसेंस, विदेशी सहयोग शर्तें यदि कोई हों तो, के लिए और पूंजीगत माल के आयात के लिए परियोजना अनुमोदन बोर्ड की आवश्यकता होगी। ऐसा आवेदनपत्र इस सचिवालय को पहले भेजना चाहिए।

(2) सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यन्वयन के अन्तर्गत सभी नई परियोजनाओं के लिए 20 लाख रुपए मूल्य तक के पूंजीगत माल के लिए आवेदन पत्र मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात नई दिल्ली को भेजे जाने चाहिए न कि सम्बन्धित क्षेत्रीय प्राधिकारियों को, बशर्ते कि आयात के लिए विदेशी मुद्रा सरकार द्वारा परियोजना के नाम में रिहा कर दी गई हो। परियोजना प्राधिकारी को चाहिए कि वह आयात की जाने वाली मदों के सम्बंध में भी महानिदेशक तकनीकी विकास से देशी निकासी प्राप्त कर ले।

102. यदि ऐसी पूंजी निवेश 5 करोड़ रुपए से अधिक हो जाए तो विदेशी मुद्रा के आबंटन सहित आवश्यक निकासी प्राप्त करने के बाद आवेदनपत्र सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली को प्रस्तुत करने चाहिए।

103. लेकिन, उर्वरक परियोजना से सम्बद्ध मिश्रित प्रस्ताव परियोजना अनुमोदन बोर्ड को भेजने के बजाय उर्वरक परियोजना विषयक सचिवों की विशेष समिति, रसायन एवं उर्वरक विभाग, नई दिल्ली को भेजे जा सकते हैं।

अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए पूंजीगत माल का आयात

104. अनुसन्धान और विकास कार्यों के लिए पूंजीगत माल के आयात के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

भारी विद्युतीय संयंत्र

105. भारी विद्युतीय संयंत्र और मशीनरी जिस में संबंधित उपस्कर और विद्युत संयंत्र के लिए अनिवार्य सामग्री भी शामिल है (विद्युतीय पावर के जनरेशन या ट्रांसफोरमेशन के आयात के लिए आवेदन पत्र निर्धारित सी. जी. प्रपत्र में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के माध्यम से उपर्युक्त कन्डिका 97 में बताए गए के अनुसार सम्बद्ध लाइसेन्स प्राधिकारी को प्रस्तुत करने चाहिए। राज्य विद्युत बोर्ड/संस्थान/परियोजना की आवश्यकताओं के लिए पूंजीगत माल के मामलों में आवेदन-पत्रों के साथ विद्युत बोर्ड/संस्थान/परियोजना से यह घोषणापत्र होना चाहिए कि इस उद्देश्य के लिए विदेशी मुद्रा आबंटित कर दी गई है। ऐसे मामलों में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण इस क्षेत्र द्वारा सामान्यतः अपेक्षित मदों के लिए या तो अलग-अलग आवेदनपत्रों के सम्बन्ध में या पैकेज निकासी के रूप में देशी निकासी की स्वीकृति महानिदेशक, तकनीकी विकास से प्राप्त करेगा।

वास्तविक उपयोक्ता (गैर-औद्योगिक)

106. (1) वास्तविक उपयोक्तों (गैर-औद्योगिक) के मशीनरी के आयात के लिए आवेदनपत्रों पर भी उपर्युक्त पैरा 97 में उल्लिखित लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जा सकता है। इस प्रकार के आवेदनपत्रों पर विचार राज्य उद्योग निदेशक या राज्य या केन्द्रीय सरकार के आवेदन से संबंधित उचित प्राधिकारियों की सिफारिश पर विचार किया जाएगा। आवेदनपत्र, जब तक अन्यथा रूप से व्यवस्था न कर दी जाए, इस पुस्तक में वास्तविक उपयोक्ताओं (गैर-औद्योगिक) के लिए निर्धारित प्रपत्र में भेजे जाने चाहिए। इन आवेदन-पत्रों पर विचार करते समय देशीय दृष्टिकोण से उपलब्धता, आयात के लिए अनिवार्यता, इस उद्देश्य के लिए विदेशी मुद्रा की उपलब्धता और अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

(2) निर्माण संबंधी मशीनरी के आयात के लिए आवेदनपत्रों पर विचार संबंधित अभिकरणों द्वारा किया जाएगा। आवेदन-पत्र प्रपत्र "ई" (पूंजीगत माल) में भेजे जाने चाहिए और उसे मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली को संबोधित किए जाने चाहिएं, जो राज्य सरकार के संबंधित विभाग के साथ परामर्श कर अपनी सिफारिश करेगा। आवेदक को चाहिए कि वह इस बात का उल्लेख करे कि जो उपस्कर वह आयात कर रहा है, वह किस देश से कर रहा है।

(3) स्टूडियो उपस्कर के आयात के लिए आवेदनपत्र पर विचार राज्य उद्योग निदेशक या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की सिफारिश पर फिल्म स्टूडियों और फिल्म प्रोसेसिंग लैबोरेट्रीज द्वारा किया जा सकता है। आवेदनपत्र उपर्युक्त पैरा 97 में उल्लिखित लाइसेंस प्राधिकारी को भेजा जाना चाहिए।

(4) रसायनिक विश्लेषण और अन्य औद्योगिक एककों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की जांच पड़ताल में लगे हुए एककों के आवेदनपत्रों पर उन आवश्यक मशीनरी, मशीनी-औजार और उपस्करों के आयात के लिए विचार किया जाएगा जो देश में नहीं बनाए जाते। आवेदनपत्र निर्धारित प्रपत्र में राज्य उद्योग निदेशक के माध्यम से संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंस

प्राधिकारियों को भेजे जाने चाहिएं। उद्योग निदेशक को चाहिए कि वे लाइसेंस के लिए सिफारिश करने से पहले महा-निदेशक, तकनीकी विकास, नई दिल्ली से देशी निकासी प्राप्त कर लें।

पूंजीगत माल के आवेदन पत्रों की प्रतियां

107. आवेदक द्वारा सभी पूंजीगत माल आवेदनपत्रों की प्रतियां सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारियों को साथ-साथ भेजी जानी चाहिए।

कम्प्यूटर सिस्टम (और उनके प्रारम्भिक फालतू पुर्जे)

108. (1) आयात-निर्यात नीति, 1983-84 के अध्याय 5 में यह व्यवस्था की गई है कि मूल्य को ध्यान में रखे बिना (आर ई पी लाइसेंसों के मद्दे आयात किए जाने वाली मदों सहित) सभी कम्प्यूटर सिस्टम के लिए इलैक्ट्रानिक विभाग से पूर्व आयात निकासी प्राप्त करनी होगी। सभी वास्तविक उपयोक्ताओं को इलैक्ट्रानिक विभागों (कम्प्यूटर निदेशालय), लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली के माध्यम से आवेदन करना होगा जो कि कम्प्यूटर सिस्टम के लिए प्रायोजक प्राधिकारी है। उस विभाग द्वारा दी गई निकासी के आधार पर मामले निम्न प्रकार से निपटाए जायेंगे :—

(क) वास्तविक उपयोक्ताओं के आवेदनपत्रों का निपटान ऊपर के पैरा 97 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

(ख) वास्तविक उपयोक्ता (गैर-औद्योगिक) अर्थात् अनुसंधान एवं विकास एकक आदि जो 1983-84 की आयात-निर्यात नीति के पैरा 48 के अन्तर्गत आते हैं, उन्हें खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन प्रारम्भिक फालतू पुर्जों के साथ कम्प्यूटर सिस्टम का आयात करने की अनुमति होगी, यदि वे अन्यथा रूप से स्वीकृत हैं तो यह अनुमति केवल इलैक्ट्रानिक विभाग से उनके द्वारा प्राप्त की गई पूर्व आयात निकासी के आधार पर ही दी जाएगी।

(2) निर्यात अभिमुख एककों को कम्प्यूटर सिस्टम के आयात की अनुमति निर्यात आभार की शर्त के अधीन निम्नलिखित तरीके से दी जा सकती है:—

(क) जहां आवेदक अनुमित आयात के लागत-बीमा भाड़ा मूल्य के दुगुने के बराबर जहाज पर्यन्त निः-शुल्क मूल्य के साफ्ट वेयर के निर्यात करने का वचन देता हो,

(ख) जहां आवेदक विदेश में कमाई गई अपनी निजी विदेशी मुद्रा में से कम्प्यूटर सिस्टम का आयात करता हो और अनुमित लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के बराबर जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के साफ्ट वेयर का निर्यात करने का वचन देता हो,

(घ) निर्यात आभार जिस तिथि को आयातित कम्प्यूटर के लिए आवेदन करते समय आवेदक को यह साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि निर्धारित किए जाने वाले निर्यात आभार के कम-से-कम 20% को शामिल करते हुए पक्के निर्यात आदेश उसके पास हैं।

(घ) निर्यात आभार जिस तिथि को आयातित कम्प्यूटर सिस्टम लगाया गया है उस तिथि से आरम्भ करके अधिकतम 5 वर्षों की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाएगा। आगे यह भी शर्त होगी कि आभार पूर्ण करने के लिए किए जाने वाले निर्यात निम्न-लिखित तरीके से किए जाएंगे :—

(1) द्वितीय वर्ष के अन्त तक पूरा किए जाने वाले निर्यात का स्तर कुल आभार का कम-से-कम 20% रखा जाएगा।

(2) तृतीय वर्ष के अन्त तक पूरा किए जाने वाले निर्यात का स्तर कुल आभार का कम-से-कम 40% रखा जाएगा।

(3) चतुर्थ वर्ष के अन्त तक पूरा किए जाने वाले निर्यात का स्तर कुल आभार का कम-से-कम 60% रखा जाएगा, और

(4) पांचवें वर्ष के अन्त तक पूरा किए जाने वाले निर्यात का स्तर आभार के कुल मूल्य के बराबर होगा।

(ङ) लाइसेंस के मद्दे आयात के प्रथम प्रेषण के समय आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में एक निर्यात बान्ड भरना होगा।

(च) आवेदक किए गए निर्यातों का एक अर्धवार्षिक विव-रणपत्र कम्प्यूटर निदेशालय, इलैक्ट्रानिकी विभाग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली को भेजेगा।

(3) विशिष्ट निर्यात आदेश के मद्दे हार्डवेयर और/या साफ्ट वेयर सिस्टम का विस्तार करने/संशोधन करने के उद्देश्य के लिए भी कम्प्यूटर सिस्टम के आयात के लिए आवेदन पत्र इस शर्त के साथ स्वीकार किए जा सकते हैं कि आयातित कम्प्यूटर सिस्टम निर्यात आदेश के निष्पादन के बाद पुनः निर्यात कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में आयातित कम्प्यूटर सिस्टम का उपयोग घरेलू कार्य के लिए नहीं किया जाएगा।

(4) यदि कम्प्यूटर सिस्टम का आयातक उन शर्तों का अनु-पालन करने में असफल रहता है जिनके अधीन आयात की अनु-मति है तो ऐसे मामलों में उनके विरुद्ध आयात-निर्यात नियंत्रण विनियमनों के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

(5) वास्तविक उपयोक्ताओं को परिशिष्ट-11 में पूंजीगत माल प्रपत्र में ही आयात लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहिए। अन्य वास्तविक उपयोक्ता इस पुस्तक में दिए गए प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं।

(6) भारत में न रहने वाले भारतीयों के लिए आयात-निर्यात नीति, 1983-84 के अध्याय-14 में एक अलग प्रावधान भी है।

मुद्रण मशीन का आयात

109. (1) आयात-निर्यात नीति, 1983-84 के परिशिष्ट-2 में सूचीबद्ध प्रिंटिंग मशीनरी के आयात की अनुमति पात्र वास्तविक उपयोक्ताओं को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन दी जाएगी।

(2) यदि मशीनरी का मूल्य 50 लाख (लागत-बीमा-भाड़ा) रुपये से अधिक न हो तो अन्य प्रिंटिंग मशीनों के आयात के लिए आवेदन पत्र मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली को भेजने चाहिएं और यदि मशीनरी का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक हो तो आवेदन पत्र उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय, नई दिल्ली को भेजने चाहिए।

(3) रुपये में भुगतान व्यवस्थाओं के अन्तर्गत परियोजना एवं उपस्कर निगम लि. द्वारा आयातित मुद्रण मशीनों का वितरण, पात्र वास्तविक उपयोक्ताओं को लाइसेंस प्राधिकारी

द्वारा जारी किए गए निकासी परामर्श पत्र के आधार पर परियोजना एवं उपस्कर निगम द्वारा ही किया जाएगा। ऐसे मामलों में भी, जैसा भी मामला हो, आयात आवेदनपत्र मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली या औद्योगिक अनुमोदन के लिए सचिवालय को भेजे जाने चाहिएं।

यंत्रों, परीक्षण मशीनों आदि का आयात

110. (1) यन्त्रों, परीक्षण उपस्कर, भार तोलने की मशीनों, प्रयोगशाला उपस्कर, औजारों और टैकल्स आदि के आयात के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं के आवेदनपत्र उसी प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित किये जायेंगे जो कि इस अध्याय में पूंजीगत माल आयातों के लिए लागू है।

(2) आयात-निर्यात नीति, 1983-84 के परिशिष्ट-15 में सूचीबद्ध वैज्ञानिक और मापने के यंत्रों के आयात को आयात नीति में दिए गए उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। जो यंत्र उक्त परिशिष्ट-15 में प्रदर्शित नहीं हैं, उनके आयात के लिए आवेदनपत्रों पर पूंजीगत माल के लिए लागू नीति और क्रियाविधि के अनुरूप पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा।

(3) ऐसे संस्थान (गैर औद्योगिक) जिन्हें अपने स्वयं के उपयोग के लिए औजारों की आवश्यकता है वे परिशिष्ट-11 में निर्धारित प्रपत्र में प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं।

विज्ञापन क्रियाविधि

111. (1) जिस मामले में अपेक्षित पूंजीगत माल का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक हो, उसमें इच्छुक आवेदक को नीचे दिए गए तरीके से अपनी आवश्यकता का विज्ञापन देना चाहिए जिससे इच्छुक देशी विनिर्माताओं को पहले उसका उत्तर देने का अवसर प्राप्त हो सके। अन्य बातों के साथ-साथ विज्ञापन में सम्बद्ध पूंजीगत माल के विशिष्टिकरण के पर्याप्त ब्यौरे, मेक, माडल और/या अन्य ब्यौरे, वितरण की वांछित अवधि और अन्य यथार्थ तथ्य जो आवेदक पसन्द करें, के ब्यौरे दिए जाएंगे। इसमें यह भी उल्लेख होना चाहिए कि सम्बन्धित ड्राइंग पहले ही उपलब्ध है या बाद में दी जाएगी। (केवल मुख्य मद को विज्ञापित किया जाना चाहिए अर्थात उप-साधित्र फालतू पुर्जों, औजारों आदि को छोड़कर)।

(2) जहां आयात किए जाने वाले पूंजीगत माल में डी. सी. ड्राइव्स, प्रोगामेबल लाजिक नियंत्रण सिस्टम, इन्स्ट्रूमेन्टेशन सिस्टम, बिजली से तौलने का सिस्टम आदि शामिल हो तो इन मदों के पूर्ण विशिष्टिकरण विज्ञापन में दिए जाने चाहिए ताकि देशी विनिर्माताओं से सार्थक उत्तर प्राप्त किए जा सकें। मुख्य मेकेनिकल संयंत्र के एक भाग के रूप में अपूर्ण विशिष्टिकरण के साथ या सामान्य विवरण के अन्तर्गत ऐसी मदों के आयात के लिए स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

112. विज्ञापन या तो (1) भारतीय व्यापार पत्रिका में या (2) भारतीय निर्यात सेवा बुलेटिन में प्रकाशित होना चाहिए। पहले (प्रदर्शन के रूप में विज्ञापन) के सम्बन्ध में सभी पत्राचार भारत सरकार मुद्रणालय, सत्रागाच्छी, हावड़ा को सम्बोधित किए जाएंगे। इसके साथ ही विज्ञापन सामग्री की एक प्रति विभागीय प्रभारी, भारत सरकार के बुक डिपो सं. 8, के. एस. राय रोड, कलकत्ता-1 को भेजी जाए। बाद वाले के संबंध में प्रबंध निदेशक, भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली को संबोधित किया जाना चाहिए।

113. देशी विनिर्माताओं को अपना प्रस्ताव (इच्छुक) आवेदक को देने के लिए विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 45 दिन की अवधि उपलब्ध होगी। ऐसी पार्टियों को अपने प्रस्ताव आवेदक को सीधे भेजने चाहिए और प्रस्तावों की एक-एक प्रति पंजीकृत पावती डाक द्वारा महा-निदेशक, तकनीकी विकास (समन्वय अनुभाग), नई दिल्ली को और सम्बद्ध विज्ञापन के प्रायोजक प्राधिकारी को भेजनी चाहिए। इन प्रतियों में सम्बद्ध विज्ञापन की क्रम संख्या और तिथि का उल्लेख किया जाएगा। देसी विनिर्माता जिन मदों की आपूर्ति करने की स्थिति में हों, उनके विशिष्टिकरण और अन्य पर्याप्त ब्यौरे, सुपुर्दगी की वह अवधि जिसके लिए आश्वासन दिया जा सकता है, कीमत और अन्य यथार्थ सूचना प्रस्तावों में होनी चाहिए।

114. जिन अन्य वास्तविक उपयोक्ताओं के पास उनकी निजी आवश्यकता से अधिक पूंजीगत माल हो और उनकी समझ में वह माल आवेदक की आवश्यकता के लिए उपयुक्त है, वे भी अपने प्रस्ताव इसी प्रकार भेज सकते हैं।

115. ऊपर निर्धारित सीमा का पालन न करने पर देशी विनिर्माता/वास्तविक उपयोक्ता के मामले आगे विचार करने के लिए/प्रतिवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

116. विज्ञापन की तिथि से 45 दिन की अवधि बीत जाने के बाद इच्छुक आयातक विषयाधीन पूंजीगत माल का आयात करने के लिए सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी से लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है (यदि ऐसा आवेदन उस तारीख के 12 माह के भीतर सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी या प्रायोजक प्राधिकारी को नहीं किया जाता है, और सचिव, तकनीकी विकास विभाग द्वारा उसके नाम में विशेष रूप से छूट नहीं दे दी जाती है तो विज्ञापन की प्रक्रिया दोहराई जानी चाहिए)। आयात के लिए आवेदनपत्र में विज्ञापन के प्रकाशन की क्रम संख्या और तिथि, प्राप्त किए गए प्रस्ताव और आवेदक द्वारा उनके अलग-अलग मूल्यांकन का उल्लेख होना चाहिए। प्रस्ताव अस्वीकार करने के कारण स्पष्ट रूप से देने चाहिए। आवेदन-पत्र के साथ विज्ञापन की दो फोटोस्टेट प्रतियां भी होनी चाहिए।

117. (1) लेकिन विज्ञापन प्रक्रिया मुद्रण मशीनरी, सिनमेटोग्राफिक उपस्कर कम्प्यूटर सिस्टम और उनके फालतू पर्जों आदि-रूपों अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं द्वारा अपेक्षित पूंजीगतमाल, अन्य वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थान, केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य उच्चतर शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान, केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य उच्चतर शैक्षणिक संस्थान या हस्पताल के लिए लागू नहीं होगी, साथ ही साथ यह प्रक्रिया विदेशों से लौटने वाले भारतीयों के लिए विशेष लागू योजनाओं, या विदेशों में रह रहे अप्रवासी भारतीयों/भारत मूल के व्यक्तियों के लिए जो अनुमोदित औद्योगिक संस्थाओं में पूंजी लगा रहे हैं, उनके लिए भी लागू नहीं होगी। पुरानी (उपयोग की गई) मशीनरी के आयात के लिए भी विज्ञापन प्रक्रिया लागू नहीं होगी।

(2) सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रम के मामले में यदि सरकार ने पूंजीगत माल के आयात को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा रिहा कर दी है और आयात की जाने वाली मदों के लिए देशी निकासी प्राप्त कर ली गई है तो उपक्रम के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह आयात लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन करें।

(3) मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली पूंजीगत माल की उन मदों के सम्बन्ध में महानिदेशक, तकनीकी विकास या अन्य सम्बद्ध तकनीकी प्राधिकारियों से भारी मात्रा में देशी निकासी प्राप्त कर सकता है जो सामान्यतः देशी दृष्टिकोण से

आयात के लिए स्वीकृत कर दी जाती है। पूंजीगत माल की ऐसी सूची परिशिष्ट-45 में दी गई है। व्यक्तिगत वास्तविक उपयोक्ता जो उस पूंजीगत माल का आयात करने के इच्छुक हों उन के लिए विज्ञापन देना आवश्यक नहीं होगा। वे विज्ञापन के बिना ही निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

कुछ उद्योगों के सम्बन्ध में पूंजीगत माल के आयात के लिए विशेष क्रियाविधि

118. देशी पूंजीगत माल वाले उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकताओं से सामंजस्य बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में पूंजी निवेश की कुल लागत को कम करने की आवश्यकता को मान्यता प्रदान की गई है और ऐसी परियोजनाओं/उद्योगों की निम्नलिखित सूची इस उद्देश्य के लिए अभिज्ञात की गयी है :—

1. उर्वरक ।
2. अखबारी कागज और कागज।
3. प्राथमिक औषधि।
4. कीटनाशक दवाइयों और महामारीनाशी दवाइयों के लिए प्राथमिक तकनीकी सामग्री।
5. विद्युत उत्पादन, संचरण और वितरण।
6. खनिज की खोज, खनन और लाभग्रहण ।
7. पैट्रोलियम पर्यवेक्षण और उत्पादन।
8. पोलिमर की अवस्था तक पैट्रो-कैमिकल्स।
9. व्यावसायिक श्रेणी के इलैक्ट्रानिक संघटकों का विनिर्माण।
10. वेस्ट डिस्पोजल रिसाइकिलिंग और एफ्लुएंट ट्रीटमेन्ट प्रोजेक्ट्स और परिस्थिति विज्ञान सम्बन्धी इंजीनियरी।
11. पत्तनों पर माल का संचालन करने की परियोजनाएं।
12. चीनी।
13. सीमेन्ट और सीमेन्ट उत्पाद (अदह सहित)।

119. उपर्युक्त क्षेत्रों में से किसी में भी महत्वपूर्ण विस्तार के लिए व्यक्तियों द्वारा ली गई परियोजनाओं के लिए अधिप्राप्त किए जाने वाले वांछित सभी पूंजीगत माल के लिए विश्व निविदाएं आमंत्रित कर सकते हैं और ये निविदाएं इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना की जा सकती है कि पूंजीगत माल देश में विनिर्मित है या नहीं । माल आपूर्ति करने के लिए देशी विनिर्माताओं को सुअवसर प्रदान करने के लिए आवेदक को उपर्युक्त पैरा 111 में उल्लिखित क्रियाविधि के अनुसार भी विज्ञापन देना चाहिए, परन्तु विज्ञापन का उत्तर देने के लिए न्यूनतम 60 दिनों की अवधि दी जानी चाहिए। जहां कहीं लागू हो, विज्ञापन में पूंजीगत माल की मदों आई. एस. आई. के अनुरूप विशिष्टिकरण निर्दिष्ट होने चाहिए। लेकिन, उत्पादन लागत को कम करने और स्रोतों को आशावादिता की दिशा में ले जाने वाली प्रोद्योगिकी की उन्नति के हित में विशिष्टिकरण में अन्तर की अनुमति दी जाएगी। लेकिन, विज्ञापित विशिष्टिकरण आपूर्ति के केवल स्रोतों के अनुकूल ही नहीं होने चाहिए ।

120. यदि उपर्युक्त अनुसार दिए गए विज्ञापन के प्रत्युत्तर में कोई आदेश हो तो उसकी प्राप्ति के बाद परियोजना प्राधिकारी अधिप्राप्त किए जाने वाले वांछित पूंजीगत माल (या तो आयातित या देसी या आयातित/देसी) के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं, इन प्रस्तावों के साथ स्थलीय लागत अर्थात् लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर देशी और विदेशी बोलियों के बीच तुलना और विदेशी बोली के संबंध में उद्ग्राह्य शुल्क का एक विवरणपत्र होना चाहिए। प्रस्तावों पर भारी उद्योग विभाग की अधिकृत समिति द्वारा विचार किया जाएगा और यह समिति भारी उद्योग सचिव की अध्यक्षता में होगी जिसमें अन्य सम्बद्ध मंत्रालयों के प्रतिनिधि होंगे (उपर्युक्त पैरा 99 के प्रावधान भी ऐसे प्रस्तावों पर विचार करने के लिए संगत होंगे) और सामान्यतौर पर ऐसे प्रस्तावों की प्राप्ति के 8 सप्ताह के भीतर समिति अपने विचारों/सिफारिशों को अन्तिम रूप देगी। इन विचारों/सिफारिशों में समिति के निर्णय में यथा उपर्युक्त विदेशी मुद्रा के स्रोत के साथ-साथ अपेक्षित निकासी भी शामिल होगी। सम्बद्ध आयात लाइसेंस जारी करने के लिए मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को निर्णय से सूचित किया जाएगा। अधिकृत समिति किसी परियोजना प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सहायता भी निविदा-पूर्व स्तर पर भी दे सकेगी।

121. उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत भारतीय परियोजना प्राधिकारियों से उपस्कर के लिए आदेश प्राप्त करने वाले भारतीय संभरकों को ऐसे पूंजीगत माल के विनिर्माण के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्री, संघटकों, उपभोज्यों और अतिरिक्त सामान के आयात के लिए अनुमति देसी उपलब्धता के दृष्टिकोण से किसी भी प्रतिबन्ध के बिना दी जाएगी। ऐसे आयात पर आयात शुल्क की दर सम्बद्ध पूंजीगत माल के लिए लागू दर से अधिक नहीं होगी । उपर्युक्त सुविधाएं अतिरिक्त होंगी और सामान्य नीति के अन्तर्गत वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक) को उपलब्ध सुविधाओं के बदले में नहीं होंगी।

क्रियाविधि

122. आवेदनपत्र प्रपत्र "ड" (सी जी) में 4 अतिरिक्त प्रतियों के साथ, आवेदन शुल्क के भुगतान की बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट के साथ पूंजीगत माल की सूची की सात प्रतियां भी होनी चाहिए । उद्गम देश/देशों का उल्लेख करने के अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना आवेदनपत्र के साथ होनी चाहिए :—

(क) प्रत्येक मुख्य मद के अलग-अलग लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के साथ पूंजीगत माल की विस्तृत सूची;

(ख) (आवेदित पूंजीगत माल के आयात के देश की मुद्रा में) (1) भाड़ा और (2) लागत बीमा भाड़ा मूल्य में शामिल किए गए बीमे के निमित्त धन राशि को या आयात के वैकल्पिक स्रोत को अलग-अलग प्रदर्शित करते हुए विदेशी संभरकों के बीजक-प्रपत्र की चार साक्ष्यांकित या फोटोस्टेट प्रतियां; और

(ग) विनिर्माताओं का निदर्शी पेम्फलेट (आवेदनपत्रों के शीघ्र निपटान के लिए जितना शीघ्र संभव हो सके प्राप्त करने चाहिए और भेजने चाहिए ।)

123. जिस मामले में आवेदक किसी अनुमोदित वित्तीय संस्थान से पूंजीगत माल की लागत पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा का ऋण मांगना चाहता है तो इस का उल्लेख आवेदनपत्र में विशेषरूप से करना चाहिए। ऐसे आवेदकों से यह आशा की जाती है कि—वे आशय पत्र की प्राप्ति के 6 महीनों के भीतर वित्तीय संस्थान को आवेदन करें।

पुरानी मशीनरी का आयात

124. (1) 50 लाख रुपए (लागत-बीमा-भाड़ा) मूल्य तक के पुराने पूंजीगत माल (उपयोग किया हुआ) के आयात के लिए आवेदन पत्र मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली को भेजे जाने चाहिए। इस से अधिक मूल्य के लिए आवेदन पत्र, उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली के औद्योगिक अनुमोदन के लिए सचिवालय को भेजे जाने चाहिएं। क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी पुराने (उपयोग किए गए) पूंजीगत माल के आयात के लिए किसी भी आवेदन-पत्र पर विचार नहीं करेंगे।

(2) जिन मामलों में पुराने (उपयोग की हुई) पूंजीगत माल के आयात की इच्छा की गई हो उनमें सम्बन्धित आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज/सूचना होनी चाहिए :—

(क) स्वतन्त्र व्यवसायी सनदी इंजीनियर उस देश के किसी समकक्ष संस्थान से जहां से मशीनरी का आयात किया जाता हो यह संकेत करते हुए एक प्रमाण-पत्र :—

(1) संयन्त्र और मशीनरी के विनिर्माता का नाम।

(2) विनिर्माण का वर्ष ।

(3) मुख्य रिकन्डीशनिंग/मरम्मत की लागत, यदि कोई की गई हो तो और समुद्रपार की उस फर्म का नाम जिसने रिकन्डीशनिंग/मरम्मत की है।

(4) संयन्त्र और मशीनरी की वर्तमान दशा और उसकी भावी शेष अवधि । ऐसे आयात के माध्यम से किस प्रकार की प्रौद्योगिकी का उत्पादन होगा, स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए, और

(5) यदि कोई नया माल खरीदा गया हो तो समतुल्य पूंजीगत माल का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य।

(ख) पुराने संयन्त्र और मशीनरी का पूर्ण विशेष विवरण और यदि उपलब्ध हो तो इसके फोटोग्राफ के साथ कीमत (प्रपत्र बीजक)। जहां सम्भव हो तो अलग-अलग मूल्य अर्थात् पूंजीगत माल का मूल्य, पुर्जे खोलने की लागत, भाड़ा और बीमा, अलग से प्रपत्र बीजक में दिखाया जाना चाहिए।

(ग) यदि संभरक से कोई निष्पादन गारन्टी प्राप्त की गई हो तो उसका स्वरूप।

(घ) ऐसे आयातों के औचित्य से संगत सूचना, विशेष-कर वे फायदे जो कि आयातित पुराने प्लान्ट की शीघ्र प्राप्ति होने के कारण मूल्य में और लागत से ह्रास होने से प्राप्त होंगे।

टिप्पणी:—खुले सामान्य लाइसेंस में शामिल मशीनरी की पुरानी मदों का आयात करने के लिए संगत आयात-निर्यात नीति के उपबन्धों का उल्लेख किया जाए।

125. जिन मामलों में पूंजीगत माल के आयात के लिए देशी दृष्टिकोण से निकासी कर दी गई हो, परन्तु पूंजीगत माल के लिए लाइसेंस जारी करने में वित्तीय या औद्योगिक लाइसेन्स औपचारिकताओं या क्रियाविधि से सम्बन्धित औप-चारिकताओं को पूर्ण करने की प्रतीक्षा की जा रही हो तो ऐसे अनुमोदन की तिथि से अधिकतम 24 महीनों की अवधि इन औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए आवेदक को उपलब्ध होगी। जिस मामले में यह अवधि अपर्याप्त होगी उसमें नई निकासी मांगनी पड़ेगी। ऐसे मामलों में नए विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होगी।

126. कीमत में वृद्धि हो जाने के कारण या माल में केवल परिवर्तन के कारण या विशिष्टिकरण में अपेक्षाकृत छोटे परिवर्तन के कारण पूंजीगत माल के लाइसेंस के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य में अधिकतम 10 प्रतिशत की वृद्धि के लिए आवेदनपत्र सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को सीधे भेजे जा सकते हैं। यदि कोई अन्य परिवर्तन होता है तो आवेदक को केवल प्रायोजक प्राधिकारी के माध्यम से लाइसेंस प्राधिकारी को आवेदन करना चाहिए।

तकनीकी विकास निधि के लिए विशेष समिति

127. प्रौद्योगिकी विकास और आधुनिकीकरण को संवर्धित करने के लिए उद्योग मंत्रालय ने निम्नलिखित के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए एक तकनीकी विकास निधि की स्थापना की है :—

(क) पैदावार के गुण और/या मात्रा पर पर्याप्त संघात रखने वाले कम मूल्य के संतुलन करने वाले उपस्कर के आयात के लिए;

(ख) आयातित तकनीकी ज्ञान के लिए;

(ग) विदेशी परामर्शदायी सेवा के लिए, यदि आवश्यकता हो तो;

(घ) ड्राइंग और डिजाइन के आयात के लिए; और

(ङ) सामान्य रूप से या विशेष रूप से अपनी निर्यात क्षमता में सुधार करने के लिए औद्योगिक एककों द्वारा अपेक्षित किसी अन्य निवेश के लिए।

अब इस योजना की स्वीकृति सभी उद्योगों के लिए दे दी गई है।

128. इस योजना के अन्तर्गत किसी भी यूनिट के लिए लगाई गई कुल विदेशी मुद्रा प्रति वर्ष 5 लाख अमरीकी डालर है। निम्नलिखित के लिए जिन प्रस्तावों का लक्ष्य तेजी से और समेकित तरीके से सुधार करने का होगा उन्हें अधि-मान्यता दी जाएगी:—

(1) निर्यात क्षमता और निर्यात मात्रा,
(2) लागत कटौती,
(3) क्षमता का उपयोग,
(4) प्रौद्योगिकी विकास,
(5) उत्पाद-मिश्रित पुनर्गठन, और
(6) आधुनिकीकरण और वैज्ञानिकीकरण।

129. आयात के लिए आवेदनपत्र विशेष समिति, तकनीकी विकास निधि, भारी उद्योग विभाग (प्राप्ति व निर्गम अनुभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली को पूंजीगत माल के आयात, विदेशी सहयोग आदि के लिए निर्धारित प्रपत्र में और अपेक्षित प्रतियों के साथ भेजने चाहिए। इस पुस्तक की कन्डिका 98(1) में दर्शाए गए प्रतिबन्ध इन मामलों में नहीं लागू होंगे। पूंजीगत

माल के लिए आवेदनपत्र के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क के लिए बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए। इनके साथ यूनिट की व्यापक आधुनिकीकरण योजना का विस्तारपूर्वक उल्लेख करते हुए और आयातित माल निर्यात विकास प्रौद्योगिकी सुधार क्षमता के उपयोग आदि में किस प्रकार सहायता करेगा, इसका उल्लेख करते हुए एक टिप्पणी होनी चाहिए।

130. (1) अनुमोदित परियोजनाओं के सुविधापूर्वक शीघ्र कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित सरलीकरण भी आरम्भ किया गया है :—

(क) विदेशी मुद्रा का निर्धारण आयात के अनुमोदन के साथ-साथ होगा और आगे विदेशी मुद्रा का ऋण मांगने के लिए किसी क्रियाविधि की आवश्यकता नहीं होगी;

(ख) प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा देशी निकासी की जाएगी और उपयुक्त मामलों में देशी निकासी की शर्त हटा दी जाएगी;

(ग) आवेदनपत्रों पर निर्णय 45 दिनों के भीतर दिया जाएगा; और

(2) आयात लाइसेंस क्षेत्रीय लाइसेंस कार्यालयों द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

131. जो आवेदनपत्र इस योजना के अन्तर्गत अनुमोदित नहीं किए जाएंगे उन पर सामान्य क्रियाविधि के अन्तर्गत निपटाने के लिए स्वतः विचार किया जाएगा। आवेदक के लिए नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

डीजल जनरेटिंग सेट का आयात

132. (1) 1000 के वी ए और इससे अधिक के रेटिंग डीजल जनरेटिंग सेटों के आयात के लिए लाइसेंस की मंजूरी के लिए आवेदनपत्रों पर विचार किया जाएगा। लेकिन, 500 के वी ए से अधिक और 1000 के वी ए तक की रेन्ज के डीजल जनरेटिंग सेटों के आवेदन पत्रों पर देशी स्रोतों से उनके वितरण को देखते हुए, गुणवत्ता के आधार पर विचार किया जाएगा। पात्र वास्तविक उपयोक्ता जहां मूल्य 50 लाख रुपये (लागत-बीमा-भाड़ा) मूल्य से अधिक न हो अपने आवेदनपत्र परिशिष्ट-11 में पूंजीगत माल के आयात के लिए निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र 'ङ' सी जी) में सीधे ही मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (सी. जी. सेल), नई दिल्ली को भेज सकते हैं और जहां मूल्य इससे अधिक हो तो औद्योगिक अनुमोदन के लिए सचिवालय उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजे जा सकते हैं।

(2) 500 के वी ए तक के डी जी सेटों के आयात के लिए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

133. (1) आवेदन पत्रों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना/दस्तावेज होने चाहिए :—

(क) जिस वास्तविक उपक्रम या संस्थान के लिए आयात करने की मांग की गई है, उसका ब्यौरा।

(ख) विद्युत विधान के अनुसार उपयुक्त राज्य विद्युत बोर्ड से या अन्य विद्युत आपूर्ति प्राधिकरण से एक "अनापत्ति प्रमाणपत्र" मूल रूप में आयात आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना चाहिए।

(ग) आयात के लिए प्रस्तावित जनरेटिंग सेटों के रेटिंग और अन्य विशिष्टिकरण, आयात का सम्भाव्य देश; लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य और वितरण अनुसूची जिस के साथ विदेशी संभारकों का मूल रूप में बीजक प्रपत्र हो।

(घ) जिस उपक्रम/संस्थान के लिए (अब) आवेदन किया जा रहा है, उसके लिए आवेदक के पास पहले से ही किसी स्टेन्डबाई/कैप्टिव जनरेटिंग क्षमता का ब्यौरा।

(2) आवेदनपत्रों पर सामान्य क्रियाविधि के अंतर्गत विचार किया जाएगा, परन्तु जो लाइसेंस प्रदान किया जाएगा, उसकी अवधि इस शर्त के साथ केवल 12 महीने होगी कि संभरकों को केवल प्रथम 6 महीनों के अन्दर आदेश दे दिए जाएंगे।

(3) विनिर्माता-निर्यातकों को उनके ही प्रयोग के लिए 500 के वी ए से अधिक के डीजल जनरेटिंग सैटों को उनके आर ई पी लाइसेन्स के मद्दे देशी दृष्टिकोण से निकासी के सन्दर्भ के बिना ही आयात करने की अनुमति दी जा सकती है।

(4) आवेदकों के लिए विज्ञापन क्रियाविधि का अनुसरण करना आवश्यक नहीं होगा चाहे आयात करने के लिए प्रस्तावित जनरेटिंग सेट्स का मूल्य 20 लाख रुपये से भी अधिक क्यों न हो।

(5) 3.5 के वी ए तक के विद्युतीय पोर्टेबल जनित्रों का आयात निषेध है। अधिक क्षमता के आयात के लिए आवेदन पत्र सामान्य पूंजीगत माल प्रक्रिया द्वारा शासित होंगे।

आर. ई. पी. हकदारियों के मद्दे पूंजीगत माल का आयात

134. (1) वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक) को आर. ई. पी. लाइसेंसों के मद्दे पूंजीगत माल का आयात करने की स्वीकृति नीचे संकेतित विधि दी जा सकती है :—

(2) आयात-निर्यात नीति, 1983-84 में यह प्रावधान है कि एक विनिर्माता-निर्यातक को सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी की सिफारिश के बिना और देशी निकासी प्राप्त किए बिना ही पूंजीगत माल/आदि रूपों के आयात के लिए उसके अपने विनिर्मित उत्पादों के निर्यातों के मद्दे उसे जारी किए गए आर ई पी लाइसेन्स(सों) का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि (1) सम्बद्ध विनिर्माता-निर्यातक ने पिछले किसी भी दो वित्तीय वर्षों में चुनिंदा उत्पादों के कम से कम 10% उत्पादन का निर्यात किया था जो न्यूनतम 5 लाख रुपये के अधीन था या पिछले किसी भी दो वित्तीय वर्षों के दौरान उसके चुनिंदा उत्पादों के निर्यातों का जहाज पर निशुल्क मूल्य कम से कम 1 करोड़ रुपये था, (2) 1983-84 वर्ष में आयात की जाने वाली मशीनरी का कुल लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक न होता हो, (3) आयात की जाने वाली मशीनरी 1983-84 की आयात-निर्यात नीति की निषेध सूची में न दर्शाई गई हो, (4) आवेदक यह घोषणा करता हो कि विषयाधीन मशीनरी उसकी अनुज्ञप्त/अनुमोदित क्षमता से अधिक नहीं होती और (5) मशीनरी का आयात "वास्तविक उपयोक्ता" शर्त के अधीन होगा। इस सुविधा के लिए पात्र बनने के लिए विनिर्माता-निर्यातकों को मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय, नई दिल्ली के निर्यात आयुक्त से निर्यात निष्पादन प्रमाण पत्र प्राप्त करने होंगे जिनके लिए उन्हें आयात-निर्यात

नीति, 1983-84 के अध्याय-20 में यथा निर्धारित प्रपत्र में और विधि के अनुसार 31 अक्तूबर, 1983 को या इससे पूर्व आवेदन करना पड़ेगा। निर्यात निष्पादन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् पात्र विनिर्माता-निर्यातक निम्नलिखित दस्तावेज के साथ उस सम्बद्ध लाइसेन्स प्राधिकारी को आवेदन कर सकते हैं जिसके क्षेत्राधिकार में वास्तविक उपयोक्ता का कारखाना स्थित हो :--

(क) निर्यात निष्पादन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति,

(ख) सम्बद्ध औद्योगिक एकक के औद्योगिक लाइसेन्स या पंजीकरण की प्रमाणित प्रति,

(ग) इस सम्बन्ध में मूल घोषणा पत्र कि आवेदित मशीनरी का आयात आवेदक एकक की अनुज्ञप्त/अनुमोदित उत्पादन क्षमता से अधिक नहीं होगा।

(घ) आर ई पी लाइसेंसों के ब्यौरे देते हुए एक विवरण अर्थात् उनकी संख्या, दिनांक और मूल्य या उन निलम्बित आर ई पी लाइसेन्सों के ब्यौरे जिनके मद्दे अभी लाइसेन्स जारी किए जाने हैं और जिनके मद्दे विषयाधीन मशीनरी का आयात किया जाना है।

(ङ) आयात की जाने वाली मशीनरी का पूर्ण विवरण (5 प्रतियां)।

(3) आयात-निर्यात नीति, 1983-84 में यह व्यवस्था है कि उपर्युक्त उप-कंडिका (1) में उल्लिखित सुविधा उस विनिर्माता-निर्यातक को भी उपलब्ध होगी जिस के पिछले किसी भी दो वित्तीय वर्षों में चुनिंदा उत्पादों के निर्यात उपर्युक्त उल्लिखित सीमा से कम थे किन्तु उसके मामले में आयात जैसा भी मामला हो, महानिदेशक, तकनीकी विकास या वस्त्र आयुक्त या पटसन आयुक्त से देशी निकासी के अधीन होगा। यदि आयात की जाने वाली मशीनरी का मूल्य 1982-83 में एक लाख रुपए से अधिक हो जाता है तो उपर्युक्त (2) में बताई गई अन्य शर्त लागू होंगी। इस श्रेणी में आने वाले विनिर्माता-निर्यातक भी उपर्युक्त उल्लिखित उन्हीं दस्तावेज के साथ सम्बद्ध लाइसेन्स प्राधिकारी को आवेदन कर सकते हैं किन्तु अन्तर केवल इतना होगा कि उन्हें निर्यात निष्पादन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बजाए आयात की जाने वाली मशीनरी के सम्बन्ध में सम्बद्ध तकनीकी प्राधिकारी से प्राप्त किए गए मूल निकासी प्रमाण पत्र भेजना चाहिए। किन्तु यह वहां लागू होगा जहां आयात एक लाख रुपए से अधिक हो जाता है। लाइसेन्स प्राधिकारी को आवेदन करने से पूर्व आवेदक को चाहिए कि वह सम्बद्ध प्राधिकारी से देशी निकासी प्राप्त कर लें। महानिदेशक, तकनीकी विकास के मामले में निकासी महानिदेशक, तकनीकी विकास (आयात-निर्यात नीति सेल) उद्योग भवन, नई दिल्ली से प्राप्त की जानी चाहिए।

(4) उपर्युक्त (2) तथा (3) के अन्तर्गत न आने वाले मामलों में, अर्थात् जहां मशीनरी का आयात आवेदक द्वारा विनिर्मित उत्पादों के मद्दे उसके स्वयं के निर्यातों के लिए जारी किए गए से भिन्न आर ई पी लाइसेन्सों के मद्दे किया जाना है और या उसका मूल्य निर्धारित उच्च सीमा से अधिक हो जाता है तो सामान्य पूंजीगत माल क्रियाविधि तभी लागू होगी यदि मशीनरी/आदि रूपों के आयात के लिए आर ई पी लाइसेन्स का उपयोग करने की मांग की गई हो। ऐसे मामलों में पूंजीगत माल के आयात के लिए आवेदन पत्र, पूंजीगत माल आवेदन पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार भेजे जाएं। आवेदक को चाहिए कि वह उन आर ई पी लाइसेन्सों/हकदारियों के ब्यौरों का संकेत करें जिनके मद्दे मशीनरी का आयात किया जाएगा।

(5) उपर्युक्त सभी प्रकार के मामलों में अधिक संख्या में वैध आर ई पी लाइसेंसों के लिए भी स्वीकृति प्रदान की जाएगी जिससे कि इन व्यवस्थाओं के अधीन लाइसेन्स धारक मशीनरी के आयात के प्रयोजन के लिए उनके मूल्य को समेकित करने में समर्थ हो सके।

(6) इन व्यवस्थाओं के अधीन मशीनरी के आयात के प्रयोजन के लिए अभ्यर्पित किए जाने वाले आर ई पी लाइसेन्सों में पूंजीगत माल के आयात के लिए आवेदन करने की तारीख को, कम से कम तीन मास की शेष अप्रयुक्त वैध अवधि होनी चाहिए। अभ्यर्पित आर ई पी लाइसेन्सों/आर ई पी हकदारियों के मद्दे जारी किए गए पूंजीगत माल के लिए लाइसेन्स के लिए, यथा लागू सामान्य वैधता अवधि प्रदान की जाएगी।

7. आयात निर्यात नीति में लकड़ी के फर्नीचर के निर्यात के लिए, लकड़ी के फर्नीचर के विनिर्माता-निर्यातकों के लिए भी उन के लकड़ी के फर्नीचर के निर्यात के मद्दे अपेक्षित मशीनों के आयात के लिए आयात लाइसेन्स प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस उद्देश्य के लिए जैसा भी निर्यातक चाहे तिमाही या छमाही या सालाना आधार पर आवेदन पत्र दिए जा सकते हैं। ये आयात आर ई पी हकदारी के नामे नहीं डाले जाते हैं।

8. उपर्युक्त उपकंडिका-2 में निहित सुविधा उस विनिर्माता को भी उपलब्ध होगी जिसका कोई भी उत्पाद परिशिष्ट-17 में दिए गए के अनुसार आर. ई. पी. हकदारी के लिए पात्र न होता हो, चाहे 1982-83 के दौरान उसके द्वारा विनिर्मित ऐसे उत्पादों के निर्यात का जहाज पर निशुल्क मूल्य उसके उत्पादन के वास्तविक मूल्य के 25% से कम का और 5 लाख रुपए (जहाज पर निशुल्क मूल्य) से भी कम का नहीं था। बशर्ते कि 1983-84 के दौरान अनुमेय मशीनरी का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य उसके निर्यातों के जहाज पर निशुल्क मूल्य के 5% से अधिक न हो, और यह अधिकतम 20 लाख रुपए मूल्य के अधीन हो। उपर्युक्त उप-कंडिका-2 में निर्धारित (3), (4) और (5) की अन्य शर्तें समान रूप से लागू होंगी।

9. आयात आवेदन-पत्र के साथ उत्पादित माल का विवरण, आयात की तारीख और जहाज पर निशुल्क मूल्य को प्रदर्शित करते हुए बैंक प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदक के लिए यह आवश्यक होगा कि वह इस उद्देश्य के लिए प्रायोजक प्राधिकारी की सिफारिश प्रस्तुत करें।

10. समुद्री उत्पादों के विनिर्माता-निर्यातकों के मामले में जो आर ई पी हकदारी के मद्दे मशीनरी का आयात करना चाहते हैं, उनके लिए प्रायोजक प्राधिकारी समुद्री उत्पाद निर्यात विकास (एम पी ई डी ए) प्राधिकरण होगा।

135. (1) आयात-निर्यात नीति में इस बात का भी प्रावधान है कि निर्यात सदन व्यापार सदन को वास्तविक उपयोक्ताओं को बिक्री के लिए ऐसी निकासी के अधीन अपने आर ई पी लाइसेन्सों के मद्दे एक वर्ष में 20 लाख रुपये तक खुले सामान्य लाइसेंस से भिन्न मशीनरी के आयात करने की अनुमति दी जा सकती है। जो निर्यात सदन/व्यापार सदन इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे अपने निर्यात या हस्तांतरण द्वारा प्राप्त किए अतिरिक्त लाइसेंसों, आर ई पी लाइसेंसों पर मशीनों के पृष्ठांकन के लिए क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी से सम्पर्क स्थापित करें। उन्हें सर्व प्रथम महानिदेशक, तकनीकी विकास (आयात-निर्यात नीति सेल), उद्योग भवन, नई दिल्ली से देशी अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। यदि आवेदक ने महानिदेशक तकनीकी विकास से देशी निकासी प्राप्त नहीं की है तो लाइसेंस प्राधिकारी आयात की अनुमति देने से पहले इसे प्राप्त करेंगे। मशीन के आयात के लिए पृष्ठांकन इस शर्त पर होगा कि मशीनरी वास्तविक पात्र उपयोक्ता (औद्योगिक) को बेची जाएगी और इस बिक्री के तुरन्त बाद इसकी सूचना सम्बन्धित लाइसेन्स प्राधिकारी और प्रायोजक प्राधिकारी को दी जाएगी।

(2) आयात-निर्यात नीति में इस बात का प्रावधान है कि निर्यात सदनों/व्यापार सदनों को आर ई पी लाइसेन्सों के मद्दे पूंजीगत माल के आयात की अनुमति दी जाए ताकि वे आम सेवा केन्द्रों की स्थापना कर सकें। जो निर्यात सदन/व्यापार सदन इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, वे आयात की जाने वाली मशीनरी का विवरण, लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य और उनके द्वारा स्थापित किए जाने वाले आम सेवा केन्द्रों का ब्यौरा देते हुए मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात, (ई पी-3), नई दिल्ली से सम्पर्क स्थापित करें। जब उन्हें मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली से देशी अनुमति मिल जाती है तो इस उद्देश्य के लिए आयात की जाने वाली मशीनरी के लिए अपने खुद के निर्यातों पर प्राप्त या उनके द्वारा अधिप्राप्त किए गए अपने अतिरिक्त लाइसेन्सों या आर ई पी लाइसेन्सों पर उपयुक्त पृष्ठांकन के लिए सम्बन्धित लाइसेन्स प्राधिकारी से सम्पर्क स्थापित करना चाहिए। ऐसे लाइसेंस वास्तविक उपयोक्ता शर्तों के अधीन होंगे।

विदेश से वापस आने वाले/विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए विशेष सुविधाएं

136. (1) आयात-निर्यात नीति 1983-84 का अध्याय 14 उन गैर-आवासी भारतीयों से संबंधित है जो भारत में बसने के लिए वापस लौट रहे हों और उनसे भी संबंधित है जो विदेश में ही रहना जारी रखते हों, परन्तु भारत के अनुमेय उद्यमों में पूंजी लगाना चाहते हों।

(2) 1983-84 के लिए आयात नीति अवासीय भारतीयों को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन 20 लाख रुपए (लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य) मूल्य तक की मशीनरी का आयात करने की अनुमति देती है।

(3) खुले सामान्य लाइसेन्सों के अन्तर्गत न आने वाले आयात के लिए आवेदन-पत्र परिशिष्ट-11 में निर्धारित प्रपत्र में भेजे जाने चाहिए। आवेदन-पत्र मूल्य पर ध्यान दिए बिना ही मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली को भेजे जाने चाहिए।

(4) जो व्यक्ति उपर्युक्त उपबंधों के अंतर्गत मशीनरी के आयात के लिए पात्र हैं, वे आयात करने के बजाय वही मशीनरी स्वतंत्र विदेशी मुद्रा में किए जाने वाले भुगतानों के मद्दे देसी उत्पादकों से खरीद सकते हैं। ऐसे संभरण के बदले देसी उत्पादक पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात-नीति के अंतर्गत आयात प्रतिपूर्ति के लिए और निर्यात आभार यदि कोई हो तो उसके लिए पात्र होगा।

पूंजीगत माल लाइसेंसों पर निर्यात शर्तें

137. पूंजीगत माल के आयात के लिए आवेदनपत्रों पर प्रत्येक मामले में यथानिश्चित निर्यात शर्तों के अधीन विचार किया जा सकता है; जिसके लिए यथा निर्धारित शर्तों के अनुसार विशेष विवरण और मूल्य/मात्रा के माल का निर्यात निर्धारित समय सीमा के भीतर लाइसेन्सधारी को करना होगा। भूटान को निर्यात करने से निर्यात आभार से छुटकारे के लिए पात्रता प्राप्त नहीं होगी, इसी प्रकार अफगानिस्तान और नेपाल को भी स्वतंत्र विदेशी मुद्रा में निर्यात करने से निर्यात आभार से छुटकारा नहीं मिलेगा।

138. निर्यात आभार की शर्त के साथ पूंजीगत माल के आयात के लिए जारी किया गया लाइसेंस अन्य बातों के साथ-साथ इस शर्त के अधीन होगा कि लाइसेंसधारी निर्धारित निर्यात निष्पादन को पूर्ण करने के संबंध में बांड भरेगा। बांड के साथ वार्षिक निर्यात आभार के मूल्य के बराबर की बैंक गारन्टी होनी चाहिए। बैंक गारन्टी के बदले में लाइसेंसधारी द्वारा इस सम्बन्ध में भरे गए एक कानूनी समझौते को भी लाइसेंस प्राधिकारी स्वीकार कर सकते हैं कि निर्धारित निर्यात आभार के अनुसार माल का सीधे निर्यात करने में अपनी असमर्थता या असफलता पर वह निर्धारित वार्षिक निर्यात वचनबद्धता/आभार और वास्तविक निर्यात के बीच के अंतर के बराबर मूल्य के माल को राज्य व्यापार निगम को या ऐसी अन्य एजेन्सी को जो सरकार (मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली सहित) नामित करे, को सौंप देगा और इसके अतिरिक्त निर्धारित हानि की निर्दिष्ट धनराशि को नामित एजेन्सी को चुकाएगा। जिस प्रपत्र में लाइसेंसधारी को कानूनी समझौता देना होगा वह परिशिष्ट 22 में प्रदर्शित है। यह स्पष्ट कर लिया जाए कि लाइसेंसधारी द्वारा यह बांड/कानूनी समझौता या तो उस क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी के साथ भरना चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र में वह स्थित है या लाइसेंस के मद्दे आयात किए जाने वाले माल की निकासी के पत्तन पर लाइसेन्स प्राधिकारी के साथ। लाइसेन्सधारी को पूंजीगत माल लाइसेन्स जारी करने वाले लाइसेन्स प्राधिकारी को उस लाइसेन्स कार्यालय के नाम से अवगत कराना चाहिए जिसमें वह बांड/कानूनी समझौता भरेगा जिससे कि लाइसेन्स प्राधिकारी पूंजीगत माल के लाइसेंस पर लगाई गई निर्यात शर्तों में उस कार्यालय के नाम को समाविष्ट कर सके।

139. मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली के कार्यालय में "निर्यात आभार कक्ष" (एक्सपोर्ट आबलिगेशन सेल) के नाम से अभिज्ञात एक कक्ष खोला गया है जिसका कार्य उन मामलों में अनुवर्ती कार्रवाई करना है जिनमें पूंजीगत माल के आयात लाइसेंस, औद्योगिक लाइसेंस या विदेशी सहयोगियों को अनुमोदन, निर्यात शर्तों के अधीन दिए जाते हैं। सम्बद्ध विनिर्माता यूनिटों को मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, उद्योग भवन, नई दिल्ली (निर्यात आभार कक्ष) को अपने निर्यात निष्पादन निर्दिष्ट करते हुए उस प्रपत्र में और उस तरीके से आवधिक विवरणपत्र भेजने होंगे जो मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात निर्धारित करें। ऐसे विवरणपत्र उन विवरणपत्रों के अतिरिक्त होंगे जो यूनिट को बांड/कानूनी समझौते के अनुसरण में क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों और सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों को भेजने पड़ेंगे।

140. जिन विनिर्माता यूनिटों को पूंजीगत माल के आयात लाइसेंस, या उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत उद्योग लाइसेंस, या विदेशी सहयोग व्यवस्थाओं का अनुमोदन, निर्यात आभार की शर्त के अधीन प्रदान किए जाते हैं, उनके निष्पादन पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालय समिति द्वारा पुन: विचार किया जाएगा, इस समिति में सम्बद्ध मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य व्यापार निगम के प्रतिनिधि, सदस्य के रूप में होंगे।

141. अप्रैल, 1970 से निर्यात आभार पूर्ण करने के लिए विनिर्माताओं द्वारा किए गए निर्यात पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अनुसार आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस प्रदान करने के लिए ऐसी शर्तों या प्रतिबंधों के अधीन पात्र होंगे जो इस संबंध में निर्धारित की जाएं। पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत आयात प्रतिपूर्ति के लिए पात्र समझे गए निर्यात भी निर्यात आभार को पूरा करने के लिए पात्र समझे जाएंगे।

142. जिस मामले में औद्योगिक यूनिट को आयातित मशीनरी की अनुमति निर्यात आभार की शर्त के अधीन दी जाए और मशीनरी के आयात के लिए यूनिट को सीधे ही आयात लाइसेंस जारी न किया जाए, परन्तु मशीनरी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम या किसी ऐसी ही अन्य एजेन्सी के माध्यम से प्राप्त की जाए तो ऐसे मामले में निर्यात आभार को पूर्ण करने के लिए यूनिट को बान्ड/कानूनी समझौता राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से मशीनरी प्राप्त करने से पहले भरना पड़ेगा। ऐसे मामलों में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम आदि को जारी किए गए आयात लाइसेन्सों के मामले में इस सम्बन्ध में एक उपयुक्त शर्त होगी।

मुख्यत: देशी मशीन का प्रयोग करने वाले औद्योगिक एककों द्वारा मशीनों का आयात।

143. आयात-निर्यात नीति 1983-84 के अध्याय-3 में देशी स्रोतों से अधिप्राप्त या अधिप्राप्ति के लिये प्रस्तावित पूंजीगत माल के क्रय मूल्य के 10% के समतुल्य लागत-बीमा-भाड़ा तक के पूंजीगत माल का आयात करने के लिए आवेदनपत्रों पर विचार करने की व्यवस्था है, बशर्ते कि आयात 1 करोड़ रुपए लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य से अधिक न हो।

144. पात्र वास्तविक उपयोक्ता जो उपर्युक्त कंडिका 143 में व्यवस्थित सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें अपने आवेदन पत्र सीधे ही सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रपत्र (इ. सी. जी.) में भेजने चाहिए और उनके साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी भेजने चाहिए :—

(1) आवेदन-शुल्क के भुगतान के प्रति उचित धनराशि की बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट ।

(2) जहां किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता न हो वहां वैध औद्योगिक लाइसेंस या सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी के पास पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति के साथ।

(3) अपनी जरूरतों की 90% की सीमा तक देशी स्रोतों से मशीन खरीदने के सम्बन्ध में साक्ष्य। देसी स्रोतों से पहले से ही अधिप्राप्त मशीन के क्रय मूल्य के समर्थन में सनदी लेखापाल या लागत लेखापाल (जो व्यवसाय में हो) का प्रमाण पत्र या प्रायोजक प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

(4) देसी स्रोतों से प्रस्तावित अधिप्राप्त की जाने वाली मशीन के मामले में, विषयाधीन मशीन के खरीदने के लिए आवेदक द्वारा देशी विनिर्माताओं के साथ की गई संविदा की सत्यापित प्रति।

145. नियमानुसार नई परियोजना स्थापित करने या वास्तविक विस्तार के लिए अपेक्षित संयंत्र और मशीन के वास्तविक मूल्य के आयात लाइसेन्सों के आवेदनपत्रों पर निम्नलिखित एक या एक से अधिक स्वीकार्य वित्त दान के साधनों के मद्दे विचार किया जाएगा :—

(क) परियोजना की पूंजी में लम्बी अवधि की विदेशी पूंजी निवेश;

(ख) भारतीय औद्योगिक ऋण निवेश निगम, बम्बई और औद्योगिक वित्त निगम, नई दिल्ली से परियोजना के लिए विदेशी मुद्रा ऋण;

(ग) समय-समय पर यथा अनुमोदित और घोषित, वित्त-दान संस्थान से लम्बी अवधि के लिए विदेशी मुद्रा ऋण;

(घ) भारतीय राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, नई दिल्ली द्वारा लघु पैमाना उद्योगों के लिए उनकी भाड़े पर खरीद योजना के अधीन वित्तदान किए गए आयात;

(ङ) विदेशी सरकार या वित्तीय संस्थान से भारत सरकार को ऋण जिसके मद्दे नकद लाइसेंस प्रदान किया जा सकता है; और

(च) भारत सरकार और विदेशों के बीच व्यापार और भुगतान समझौते जिनके मद्दे नकद लाइसेंस प्रदान किया जा सकता है।

146. योजना की प्राथमिकता और प्रस्तावित वित्तदान की पद्धति को ध्यान में रखकर आयात लाइसेंस के लिए आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा। नियमानुसार, आयात के वित्तीय स्रोत ऊपर के पैरा 145 में संकेतिक विकल्पों तक सीमित होंगे। यदि योजना की उचित प्राथमिकता को न समझा गया हो और/या सरकार के पास उपलब्ध निधि को आबंटित न किया गया हो तो ऐसी योजनाओं के संबंध में आयात आवेदनपत्रों को रद्द कर दिया जाएगा।

कर्जों के लिए पत्र-व्यवहार

147. आयातकर्ताओं द्वारा कर्जों के संबंध में विदेशी वित्त दाता संस्थाओं के साथ पत्र-व्यवहार करने के लिए सिद्धांत रूप में सरकार की पूर्व-स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। आयात-कर्ताओं द्वारा विदेशी वित्त-दाता संस्थाओं के साथ कर्जों के सम्बंध में सीधे पत्र-व्यवहार करने के लिए सिद्धांत रूप में सरकार से पूर्व-स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। इस प्रकार के आवेदन संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को भेजे जाएं। इन आवेदनों में यह बताया जाए कि संबंधित उपस्कर का मूल्य, आयात करने का प्रयोजन क्या है, उसे किस देश या किन देशों से आयात किया जाना है, उस आयातित कच्चे माल/उन संघटकों का मूल्य कितना है जिनकी यूनिट को उत्पादन आरंभ कर देने के बाद हर वर्ष जरूरत होगी, और यदि परियोजना के लिए उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम के अधीन कोई विनिर्माण लाइसेंस प्राप्त किया गया हो, तो उस लाइसेंस का ब्यौरा भी आवेदन-पत्र में दिया जाए।

स्वतंत्र साधनों के आधार पर आयात

148. नकद या आस्थगित अदायगी पर स्वतंत्र साधनों के आधार पर आयातक:—यदि आयातित संयंत्र और उपकरण पर परिव्यय अपेक्षाकृत कम हो और योजना के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप तीन वर्ष के अंदर इससे होने वाली मुद्रा की बचत या उसकी अर्जित राशि से उसे पूरा किया जाना हो (आयात/निर्यात के वर्तमान स्तर को विधिवत् ध्यान में रखते हुए) तो नकद या आस्थगित अदायगी के आधार पर स्वतंत्र साधनों के मद्दे लाइसेन्स देने के लिए कुछ सीमा तक आवेदन-पत्रों पर विचार किया जा सकता है। सामान्यतः सरकार अल्प या मध्यम पूर्तिकर्ता क्रेडिट शर्तों पर, आयात को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव नहीं रखती और आस्थगित भुगतान व्यवस्थाओं पर अपवाद स्वरूप मामलों में केवल तब विचार किया जाएगा जबकि सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो कि आयात किए जाने के लिए प्रस्तावित संयंत्र और मशीनरी में उत्पादन के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की बचत भुगतान आभार को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त होगी। इसी प्रकार जिस माल के उत्पादन के लिए संयंत्र का आयात किया जाना है उस माल के लिए संतोषजनक गारन्टी है तो ऐसी व्यवस्था अनुमोदित की जा सकती है।

अध्याय-6

सरणीबद्ध करना

149. आयात निर्यात नीति (जिल्द I) 1983-84 के परिशिष्ट 8 और 9 सरणीबद्ध मदो की सूची निर्दिष्ट करते हैं। परिशिष्ट 9 मे शामिल मदे सरकार के संबद्ध प्रशासकीय मंत्रालय द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार शासित होंगी।

150. निम्नलिखित क्रियाविधि परिशिष्ट-8 में विशिष्टकृत सरणीबद्ध मदो के आयात और वितरण के लिये लागू होगी :—

(1) कच्चा रेशम और रेशम का कीडा (कोकून) (2) कच्ची रूई (3) पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न जिसमे बेस फ्लैट फर्स्ट क्वालिटी (पूर्ण/आंशिक रूप से अभिमुख) और नाइलान फिलामेंट यार्न धागो मे निम्नलिखित शामिल नहीं है. (1) बेउ फ्लैट फर्स्ट क्वालिटी (पूर्ण/आंशिक रूप से अभिमुख) और (2) 210 डेनियर और अधिक के औद्योगिक नाइलान यार्न। (4) संश्लिष्ट गैर सल्युलोज जिसमे पोलिएस्टर फाइबर/टो पोलिनोसिक फाइबर, नाइलान फाइबर/ए एक्रिलिक फाइबर और पोलिप्रोपलीन फाइबर/टो शामिल नहीं है। (5) किसी भी पशु से उत्पन्न टेलो, जिसमे मटन टेलो भी शामिल है। (6) प्राकृतिक रबड (7) डी० डी० टी० तकनीकी और 75 डब्ल्यू डी० पी० (8) केप्रोलेक्टम (9) सभी प्रकार के लेखन एवं मुद्रण कागज जिसमें आर्ट और क्रोम कागज और बोर्ड शामिल नहीं है। (10) लोहे की कतरन जिसमें पिग आयरन चिप्स भी शामिल है। (11) सभी श्रेणी के कार्बन स्टील मेल्टिंग स्क्रैप	आयात की मात्रा और वितरण के लिए नीति सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।
(12) सभी श्रेणी के कार्बन स्टील -रि-रोले-बल स्क्रैप (13) अलाय स्टील (जिसमें जगावरोधी/ताप अवरोधक/हाई स्टील भी शामिल है) मैल्टिंग स्क्रैप लेकिन इसमें रि-रोलेबल स्क्रैप शामिल नहीं है। (14) ब्रेक अप के लिए पुराने जहाज, पोत आदि।	आयात और वितरण इस्पात विभाग, नई दिल्ली के परामर्श से किया जायेगा।
(15) एल्यूमीनियम/एल्यूमीनियम राड्स (परिष्कृत/अपरिष्कृत)।	आयात की मात्रा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी। आयातित माल का वितरण सर्वश्री भारत एल्यमीनियम कपनी लिमिटेड (बाल्को) के माध्यम मे किया जा सकता है।
(16) निम्नलिखित इलैक्ट्रानिक घडियो के संघटक/माड्यूल्स — (क) सभी किस्म की इलैक्ट्रानिक घडियो के संपूर्ण इलैक्ट्रानिक माड्यूल्स, (ख) इलैक्ट्रानिक्स घडियो, दीवार घडियो और टाइमपीसो (डिजिटल और एनलाग दोनो के लिए) के निम्नलिखित संघटक — (1) घड़िया, दीवार घडियो और टाइमपीसो मे उपयोग के लिए सभी किस्म के बडे पैमाने व इनटिग्रेटिड सर्किट्स/डिवाइसिस/चिप्स। (2) तरल क्रिस्टल डिस्प्ले (3) क्वारटज क्रिस्टल (4) स्टेप्पर मोटर (17) निम्नलिखित विद्युतीय संघटक — (1) फ्लोपी ड्राइव्स (स्टेन्डर्ड/मिनी)। (2) मैट्रिक्स प्रिन्टर्स (120/80 सी०पी० एस०) (3) लाइन प्रिन्टर्स (300/600 एल० पी० एम) (4) विनचेस्टर ड्राइव्ज (50/80 एम० ब्यूट्स)।	आयात की मात्रा और वितरण की नीति इलैक्ट्रानिक्स विभाग, नई दिल्ली की सिफारिश पर निर्धारित की जाएगी। केवल वे औद्योगिक एकक जिनका विनिर्माण कार्य क्रम केन्द्रीय सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित है, वे ही सरणीबद्ध अभिकरण से आयातित माल का आबटन प्राप्त करने के लिए पात्र होगे।
(18) कोल्ड रालिंग के लिए आयातित हाट रोल्ड/जंगावरोधी इस्पात शीट 500 एम एम० से अधिक चोड़ाई वाले ताप रोधक इस्पात कायल	वे वास्तविक उपयोक्ता जिनके पास जिस चाडाई में आयात किया जाता है, उसी मे कायल के रूप मे मे ऐसे माल को कोल्ड रोल्ड करने के लिए सुविधाए है, वहीं केवल पात्र होंगे।
(19) फिलिन्ट बट्नस (अनवतनाक 1625, 1,645 और 1,700)	आयात की मात्रा सरकार द्वारा समय-समय पर निश्चित की जाएगी और आयातित माल का वितरण सर्व श्री भारत आप्थाल्मिक ग्लास लि० के माध्यम से किया जाएगा।

151. (क) तांबे के मामले मे वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) अपनी आवश्यकताएँ सरणीबद्ध करने वाले अभिकरण (खनिज तथा धातु व्यापार निगम) और देशी उत्पादक, सर्वश्री हिन्दुस्तान कापर लि० के पास इस प्रकार दर्ज करा सकते हैं —

खनिज तथा धातु व्यापार निगम	हिन्दुस्तान कापर लि०
(1)	(2)
(1) इन्सुलेटिड वाइंडिंग तार/स्ट्रिप्स के विनिर्माता	(1) सभी सरकारी विभाग
(2) इन्सूलेटिड केबल के विनिर्माता	(2) खनिज तथा धातु व्यापार निगम के अन्तर्गत आने वाले से भिन्न सभी केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक उद्यम।
(3) दूर संचार केबल के विनिर्माता	(3) सेमि, अलाय और आटो अनुषंगी के विनिर्माता
(4) कम्प्यूटर सेगमेन्ट/प्रोफाइल्स केवल वह ताम्बा जिसके ऊपर चॉंदी लगी हुई हो) के विनिर्माता	(4) अन्य कोई भी उपयोक्ता
(5) स्विचगेयर और ट्रान्सफार्मर के विनिर्माता।	
(6) कम्यूटेटर सेगमेन्टस/बिना चॉंदी वाले तॉंबे के प्रोफाइल्स के विनिर्माता	
(7) सर्वश्री भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०, सर्वश्री न्यू गवर्नमैंट इलैक्ट्रिक फैक्ट्री बंगलौर और सर्वश्री हिन्दुस्तान कैबिल्स लि०	
(8) नगे तॉंबे की तार/पटिटया।	

(ख) खनिज तथा धातु व्यापार निगम हिन्दुस्तान कापर से उक्त माल को प्राप्त करने वाले पात्र वास्तविक उपयोक्ता किन्हीं भी पिछले दो वित्तीय वर्षों या 1982-83 इनमें से जो भी अधिक हो, उसके दौरान अपने प्रमाणित उपयोग की सीमा तक अपनी आवश्यकताओं को पंजीकृत करा सकते है। लेकिन बडे पैमाने के एककों के मामले में उनकी यह स्वीकृति पंजीकृत मात्रा के 125 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ग) उपर्युक्त (ख) में संकेतित ताम्बे के मामले में वास्तविक खपत का आधार अन्य गैर लौह धातुओं के लिए भी लागू होगा अर्थात् जिंक, टिन और निकल।

(घ) नए एकक या वे एकक जिनकी पिछले दो वर्षों में कोई खपत न थी या वर्तमान वास्तविक उपयोक्ता जिन्हें अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता हो, वे उपर्युक्त श्रेणियों के अनुसार खनिज तथा धातु व्यापार निगम को या हिन्दुस्तान कापर लि. को तभी आवेदन कर सकते हैं जब कि उनकी मांगें संबद्ध प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा प्रायोजित कर दी जाती हों।

152. उपर्युक्त के अतिरिक्त वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) अपने अनुज्ञप्त/प्राधिकृत विनिर्माण कार्यकलापों के लिये आवश्यक अन्य सरणीबद्ध मदों के लिये अपनी आवश्यकताएं आयात-निर्यात नीति, 1983-84 (जिल्द-।) के परिशिष्ट-12 में निर्धारित तरीके से और प्रपत्र में पंजीकृत करा सकते हैं।

153. प्रत्येक सरणीबद्ध अभिकरण समय-समय पर उन मदों का निश्चय कर सकता है जिन मदों के लिए आयात-निर्यात नीति, 1983-84 के अनुसार अतिरिक्त सूचना या स्पष्टीकरण चाहेगा।

154. 1983-84 की आयात निर्यात नीति के अधीन सरणीबद्ध करने वाले अभिकरण से यह आशा की जाती है कि वह आयातों की व्यवस्था करने से पूर्व देशी उत्पादित सामान की उपलब्धता को ध्यान में रखे। किसी भी व्यक्ति को जिसने अपनी आवश्यकताएं सरणीबद्ध करने वाले अभिकरण के पास पंजीकृत कराई हों, उसे किसी विशेष ब्रांड या मेक के बारे में पूछने का अधिकार नहीं होगा।

155. (1) सरणीबद्ध मदों के आबंटन के लिए सरणीबद्ध अभिकरण के साथ अपनी आवश्यकता पंजीकृत कराते समय वास्तविक उपयोक्ता को सरणीबद्ध अभिकरण को त्रैमासिक आधार पर या मासिक आधार पर यदि ऐसा सरणीबद्ध अभिकरण द्वारा निर्धारित किया जाए, माल प्राप्ति का चरणबद्ध कार्यक्रम निर्दिष्ट करना चाहिए। सरणीबद्ध अभिकरण ऐसे पंजीकरण की जांच करेगा और 90 दिनों की अवधि के भीतर वह व्यवस्था निर्दिष्ट करेगा जिसके अनुसार वह संभरण कर सकेगा। यदि सरणीबद्ध अभिकरण (क) पंजीकरण की तिथि से कम से कम तीन महीने आगे तक संभरण की अवधि के लिए ऐसा कोई संकेत नहीं देता है या (ख) अपने साथ यथा पंजीकृत वितरण को प्रभावित नहीं करता है और जिस के लिए उस के पास या उसने 1983-84 की आयात-निर्यात नीति में निर्धारित वित्तीय सहायता प्राप्त कर ली हो तो वास्तविक उपयोक्ता मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (मोनिटरिंग समिति), नई दिल्ली से सीधे आयात के तरीके से उचित राहत के लिए सम्पर्क कर सकता है। वास्तविक उपयोक्ताओं को सीधे ही आयात करने की भी अनुमति सरणीबद्ध अभिकरण द्वारा जारी किए गए 'अनापत्ति' प्रमाण पत्र के आधार पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली द्वारा दी जा सकती है या वहां भी दी जा सकती है जहां मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात इस बात से संतुष्ट हो जाए कि सरणीबद्ध अभिकरण ने वास्तविक उपयोक्ता की उनकी ओर से किसी भी प्रकार की त्रुटि के न होते हुए भी माल का संभरण नहीं किया है या माल का संभरण करने में असमर्थ रहा है।

(2) यदि वास्तविक उपयोक्ता ने अपनी मांग को सम्बद्ध सरणीबद्ध प्राधिकारी के पास पंजीकृत करवाया है और सरणीबद्ध अभिकरण माल सप्लाई करने के लिए उस तारीख से जिस तारीख से वास्तविक उपयोक्ता ने अग्रिम धन भुगतान किया है, तीन महीने के अंदर कोई ठोस कदम नहीं उठाता है, तो वास्तविक उपयोक्ता वह पिछले वित्तीय वर्ष में सरणीबद्ध करने वाले प्राधिकारी द्वारा आबंटित उस माल की मात्रा 25% तक के लिए सीधे आयात लाइसेन्स के लिए सम्बद्ध क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी के पास आवेदन कर सकता है जो कि अधिकतम 1.0 लाख रुपये मूल्य (लागत-बीमा-भाड़ा) के अधीन होगा और इसके लिए उसे सरणीबद्ध करने वाले अभिकरण से "अनापत्ति" प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सीधे आयात लाइसेंस के लिए ऐसे आवेदन पत्र के साथ आवेदक फर्म/कम्पनी के वरिष्ठ व्यवस्थापक द्वारा सरणीबद्ध अभिकरण के पास अग्रिम धन के भुगतान की तारीख, पंजीकृत माल के विवरण, उसकी मात्रा को दर्शाते हुए एक घोषणा पत्र होना चाहिए, जिसमें यह भी साफ-साफ बताया जाना चाहिए कि अग्रिम धन के भुगतान से तीन महीने के भीतर सरणीबद्ध करने वाले अभिकरण ने माल की सप्लाई करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। घोषणा पत्र में आवेदक फर्म/कम्पनी को सरणीबद्ध करने वाले अभिकरण द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में आबंटित उसी माल के विवरण और मात्रा का भी संकेत होना चाहिए। लेकिन, यह सुविधा 1983-84 के लिए आयात-निर्यात नीति की उपर्युक्त कंडिका 150 और 151 में सूचीबद्ध मदों और परिशिष्ट 9 की मदों के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

156. यह नोट कर लिया जाए कि समय-समय पर लागू नीति के अन्तर्गत जो माल आयात के लिए सरणीबद्ध हैं उनका आयात जब तक अन्य प्रकार से व्यवस्थित न किया जाए तब तक लागू आयात नीति के अनुसार उस विशेष मद के आयात के लिए मनोनीत सरणीबद्ध अभिकरण द्वारा ही आयात किया जाएगा। उपहार के रूप में उनके आयात के लिए आवेदनों पर भी मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली द्वारा प्रत्येक मामले को पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा। ऐसा करते समय आयात-निर्यात नीति, 1983-84 के अध्याय 16 में निर्धारित सामान्य शर्तें ध्यान में रखी जाएंगी।

अध्याय 7

विशेष उपबन्ध

पिछड़े क्षेत्रों की या शिल्पियों आदि की यूनिटें

157. पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगों के लिए या व्यावसायिक विषयों में स्नातकों/डिप्लोमाधारियों द्वारा या भूतपूर्व सैनिकों/अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों द्वारा लगाए गए उद्योगों के लिए आयात-निर्यात नीति, 1983-84 के अनुसार विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं। जिन पिछड़े क्षेत्रों के लिए यह सुविधा लागू होती है उनकी सूची परिशिष्ट 28 में दी गई है।

कम्प्यूटर सिस्टम और अन्य इलैक्ट्रानिकी मदें

158. आयात-निर्यात नीति, 1983-84 के अध्याय 3 की कंडिका 7 के साथ पढ़े जाने वाले अध्याय 5 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। इस संबंध में पूंजीगतमाल के लाइसेन्स प्रदान करने की त्रि-स्तरीय पद्धति संशोधित कर दी गई है। पूंजीगत माल का लाइसेन्स प्रदान करने के उद्देश्य से आवेदन पत्र पर विचार करने से पहले प्रत्येक कम्प्यूटर सिस्टम के आयात की निकासी इलैक्ट्रानिकी विभाग से करा लेनी पड़ेगी (यदि कम्प्यूटर सिस्टम का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य 5 लाख रुपये या इससे अधिक हो तो ऐसे आयातों की निकासी के लिए उस विभाग में एक विशेष क्रियाविधि है)। आवेदक को अपने आयात आवेदनपत्र की एक प्रति निकासी प्राप्त करने के लिए इलैक्ट्रानिकी विभाग को भेजनी चाहिए। ऐसे मामलों में आवश्यक निकासी देने के बाद आयात लाइसेन्स सम्बद्ध लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे।

राज्य विद्युत बोर्ड/परियोजनाएं/औद्योगिक संस्थाएं

159. इन मामलों में भारत सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा की रिहाई सम्बद्ध बोर्ड/परियोजना/औद्योगिक संस्थान के पक्ष में उनकी अतिरिक्त पुर्जों और भण्डारगारों के रखरखाव और परिचालन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए की जाती है। इसका संचारेक्षण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। जैसा कि आयात-निर्यात नीति, 1983-84 में दिया गया है, फालतू पुर्जों के आयात के लिए उनका परिचालन खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत होना चाहिए। 20 लाख रुपये मूल्य तक के पूंजीगत माल सहित उनकी अन्य आवश्यकताओं के लिए आयात आवेदन पत्र परिशिष्ट 11 में वास्तविक उपयोक्ताओं के लिए निर्धारित प्रपत्र में क्षेत्रीय लाइसेन्स प्राधिकारी को भेजे जाने चाहिए। लेकिन, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के लिए उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने या आयकर घोषणापत्र दाखिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदनपत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिएं :—

(1) आयात करने के लिए चाहे गए माल को शामिल करते हुए विदेशी मुद्रा की रिहाई की स्वीकृति वाले पत्र की एक साक्ष्यांकित प्रति,

(2) आयात की जाने वाली प्रस्तावित मदों की सूची की 5 प्रतियां (निषेध सूची या पूंजीगत माल की सूची में आने वाली मदों के सम्बन्ध में महानिदेशक, तकनीकी विकास से देशी निकासी प्राप्त करनी चाहिए)

(3) आवेदनपत्र के निर्धारित शुल्क के भुगतान को प्रदर्शित करते हुए एक बैंक रसीद/दर्शनी हुण्डी, और

(4) जिस मामले में 5 लाख रुपये या इससे अधिक लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के लिए प्रतिकृति उपस्कर सहित इलैक्ट्रानिकी मदों को आयात करने का प्रस्ताव किया गया हो, उसमें इलैक्ट्रानिकी विभाग से निकासी।

टिप्पणियां:—(1) यदि किसी मामले में सम्बन्धित आयात को शामिल करने के लिए विदेशी मुद्रा का कोई आबंटन किया गया हो तो आवेदनपत्र केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली के माध्यम से भेजने चाहिएं।

(2) उपर्युक्त अनुसार जारी किए गए लाइसेंस के आधार पर माल का आयात करने के बाद बोर्ड/परियोजना/औद्योगिक संस्थान को वास्तव में आयात की गई मदों की एक सूची केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली को तुरन्त भेजनी चाहिए जिससे कि यह प्राधिकरण देसी उपलब्धता की तुलना में इस प्रकार आयात की गई मदों की पुनरीक्षा कर सके।

(3) एक विशेष लाइसेंस अवधि में रख-रखाव और परिचालन के लिए मदों के आयात के लिए खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत फालतू पुर्जों के आयात द्वारा और लाइसेन्स प्राप्त करके इस प्रकार उपयोग की गई विदेशी मुद्रा की धनराशि के ब्यौरे देते हुए राज्य विद्युत बोर्ड/परियोजना/औद्योगिक संस्थान को एक त्रैमासिक विवरण-पत्र सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय/राज्य/केन्द्रीय सरकार के विभाग और वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग—एफ. ई. बी. 2 शाखा) को भेजना चाहिए।

2. राज्य विद्युत बोर्ड/परियोजना/औद्योगिक संस्थान आयात-निर्यात नीति में उल्लिखित तरीके से आपाती फालतू पुर्जों के आयात के लिए भी लाइसेन्सों के लिए पात्र है। ऐसे लाइसेन्स जारी करने के साथ-साथ लाइसेंस प्राधिकारी ऐसे लाइसेंसों को

ब्यौरे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली को भेजेगा जिससे कि वह प्राधिकरण सम्बद्ध बोर्ड/परियोजना/औद्योगिक संस्थान को दी गई विदेशी मुद्रा की रिहाई का समन्वय और संचारेक्षण करेगा (ऐसे आपाती लाइसेंसों की वैधता की अवधि साधारणतः 6 महीने होगी, परन्तु एक साधारण आवेदन करने पर लाइसेंस प्राधिकारी इस अवधि को बढ़ाकर 12 महीने कर सकते हैं)।

समाचार-पत्र प्रतिष्ठान

160. जैसा कि प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स एक्ट, 1867 में परिभाषा दी गई है, समाचारपत्रों के मामले में भारत के समाचारपत्र पंजीयक, प्रायोजक प्राधिकारी होंगे।

161. अखबारी कागज का आयात और वितरण भारत के राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सरणीबद्ध है। समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों को अखबारी कागज की अपनी आवश्यकताओं के लिए परिशिष्ट-11 में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में आबंटन के लिए आवेदन करना चाहिए।

162. समाचारपत्र प्रतिष्ठानआयात-निर्यात नीति, 1983-84 के अध्याय-9 में दिए गए के अनुसार अनुमेय और गैर-अनुमेय अतिरिक्त पुर्जों का आयात करने के लिए पात्र होंगे।

163. (1) अन्य सामग्री और उपभोज्य (अतिरिक्त पुर्जों से भिन्न) की अपनी परिचालन और रख रखाव की आवश्यकताओं के लिए वे सनदी या लागत लेखापाल जो आवेदक फर्म या सहयोगी फर्म में साझीदार, संचालक या कर्मचारी न हो, के द्वारा विधिवत् प्रमाणित निर्धारित प्रपत्र में एक खपत प्रमाणपत्र के आधार पर या 1981-83 या 1982-83 जो भी आवेदक चाहे, के लिए ऐसी सभी मदों की खपत को प्रदर्शित करते हुए प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणित खपत प्रमाणपत्र के आधार पर एक आटोमैटिक लाइसेन्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। उक्त खपत प्रमाणपत्र में इस प्रकार उपभोग की गई मदों का और उनके कुल लागत—बीमा-भाडा मूल्य का ब्यौरा होना चाहिए। आटोमैटिक लाइसेंस के साथ उन्हीं मदों की सूची होगी जो खपत प्रमाणपत्र में प्रदर्शित की गई है।

टिप्पणियां:—(1) उपर्युक्त क्रियाविधि इस तथ्य पर विचार किए बिना लागू होगी कि सम्बद्ध मदें प्रतिबंधित/निषेध सूचियों में हैं या वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक) के लिए खुले सामान्य लाइसेन्स में है।

(2) जो प्रतिष्ठान केवल स्थलीय लागत के ब्यौरे भेजने की स्थिति में हों, परन्तु प्रदर्शित मदों के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के ब्यौरे भेजने की स्थिति में न हों, उसके मामले में इस प्रकार प्रमाणित किए गए खपत प्रमाणपत्र की गणना उस लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य की गणना करने के उद्देश्य के लिए 60 प्रतिशत पर की जाएगी जिस पर आटोमैटिक लाइसेन्स का प्रदान किया जाना 1983-84 पर आधारित होगा।

(2) वे प्रतिष्ठान प्रायोजक प्राधिकारी की सिफारिश पर सम्पूरक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भी पात्र होंगे। सब प्रकार से पूर्ण आवेदनपत्र 29-2-1984 तक किसी भी समय भेजे जा सकते हैं।

164. अखबारी कागज और अन्य आवश्यकताओं के लिए उपर्युक्त सुविधाओं का विस्तार उन सहयोगी मुद्रणालयों के लिए भी किया जाएगा, जिन्होंने समाचारपत्रों के मुद्रण के लिए समाचारपत्रों के मालिकों के साथ लम्बी अवधि के लिए व्यवस्थाएं/ठेके कर लिए हैं। ऐसे मामलों में आवेदक को ऐसी व्यवस्था/ठेके का संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए।

165. समाचारपत्रों की सामूहिक स्वामित्व की यूनिटें को अपनी विभिन्न यूनिटों की आवश्यकता शामिल करते हुए और प्रत्येक यूनिट की आवश्यकता का ब्यौरा देते हुए संयुक्त आवेदन-पत्र भेजना चाहिए। ऐसे आवेदन-पत्र उस क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी को भेजने चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र में सम्बंधित मुख्य कार्यालय स्थित हो।

166. समाचारपत्र प्रतिष्ठानों की पूंजीगत माल की आवश्यकताओं के लिए भी पूंजीगत माल प्रक्रिया लागू होगी।

167. समाचारपत्रों प्रतिष्ठानों को आयातित माल की खपत और उपयोग का एक लेखा परिशिष्ट 18-क में दिए गए प्रपत्र में रखना चाहिए।

वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक) द्वारा बिक्री के बाद सेवा

168. आयात-निर्यात नीति, 1983-84 के अनुसार वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) अपने ग्राहकों को आश्वासन/बिक्री के बाद आभार प्रदान करने के लिए अतिरिक्त पुर्जों के आयात के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। इस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त पुर्जों के आयात के लिए आवेदनपत्र वास्तविक उपयोक्ताओं के लिए निर्धारित प्रपत्र में सम्बद्ध क्षेत्रीय लाइसेन्स प्राधिकारी को भेजने चाहिए। इस उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए आयात लाइसेंस निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे :—

"इस लाइसेन्स पर आयात किया गया माल, लाइसेन्सधारी द्वारा विनिर्मित मशीनरी/उपस्कर/वाहन की केवल मरम्मत और रख-रखाव के लिए उपयोग किया जाएगा चाहे मुफ्त हो या मूल्य पर हो।"

गैस सिलिण्डरों, अन्य आधानों आदि का आयात

169. (1) गैस सिलिन्डर, लौटाने योग्य कोप्स और बोबिन्स, ड्रम क्लोजर्स, समुद्र में चलने वाले आधानों आदि जैसी मदें जो कि आयातित मदों की सहायक मदें हैं, उनके मामले में सीमा शुल्क प्राधिकारी, उनके पुनः निर्यात करने के तरीके के विषय से अपने आपको संतुष्ट करके उनके आयात की अनुमति बिना किसी लाइसेंस के दे सकते हैं।

(2) ऊपर पैरा (1) में दिए गए प्रावधान उन खाली गैस सिलिण्डरों के आयात के लिए भी लागू होंगे जिनका गैस भरने के बाद निर्यात किया जाना है। आयातित सिलिण्डरों की निकासी के समय आयातक को विस्फोटक निदेशक, नागपुर से सिलिण्डरों की उपयुक्तता के विषय में एक प्रमाणपत्र सीमा शुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत करना होगा। अपेक्षित प्रमाण-पत्र के लिए विस्फोटक निदेशक से सम्पर्क करते समय आयातक को विषयाधीन सिलिण्डरों के ब्यौरे यह निर्दिष्ट करते हुए भेजने चाहिए :—(1) सिलिण्डरों के विनिर्माता का नाम और पता (2) वह विशिष्टिकरण सिलिण्डर जिसके समरूप है (3) वह विशिष्टिकरण जिसके समरूप सिलिण्डरों में फिट किए गए वाल्व हैं और (4) सिलिण्डरों की क्रम संख्या।

विद्युत् ट्रांसफार्मरों के साथ-साथ ट्रांसफार्मरों के तेल का आयात

170. (1) ट्रान्सफार्मर के साथ पहली बार भरने के लिए दिया गया तेल भी ट्रान्सफार्मर का ही एक भाग समझा जा सकता है और इसकी निकासी की अनुमति ट्रान्सफार्मरों के लिए जारी किए गए लाइसेंस पर दी जा सकती है। लेकिन, यह बात नोट कर ली जाए कि इस प्रकार अनुमित किए गए ट्रान्सफार्मर तेल की मात्रा किसी भी परिस्थिति में ट्रान्सफार्मर के टैन्क की क्षमता से अधिक नहीं होगी। इस बात का सुनिश्चय कर लेना भी आवश्यक है कि तेल का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य और ट्रान्सफार्मर का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य मिल कर ट्रान्सफार्मर के लिए लाइसेंस में निर्दिष्ट लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के भीतर होना चाहिए।

(2) जिस मामले में तेल और सम्बन्धित ट्रांसफार्मर अलग-अलग देशों से लादे गए हों, उसमें तेल के लिए अलग लाइसेंस की आवश्यकता होगी। लेकिन, यदि ट्रान्सफार्मर के लिए लाइसेंस ट्रान्सफार्मर के साथ अपेक्षित तेल के लिए भी कुछ निर्धारित शर्तों के अधीन विशेष रूप से वैध किया गया है तो यह शर्त लागू नहीं होगी।

अनुमोदित होटलों की विशेष आवश्यकताएं

171. अनुमोदित होटल अर्थात् जो पर्यटन विभाग द्वारा इस उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त हैं, वे विदेशी पर्यटकों की विशेष आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए आवेदन पत्र पर्यटन विभाग, नई दिल्ली के माध्यम से मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली को प्रस्तुत करेंगे। आवेदन-पत्रों पर सिफारिश करने से पहले पर्यटन विभाग अनुमेय मदों के सम्बन्ध में महानिदेशक, तकनीकी विकास से आवश्यक निकासी प्राप्त करेगा। लाइसेन्स उस धनराशि के लिए जारी किए जाएंगे जिसके लिए आर्थिक कार्य विभाग से परामर्श करके पर्यटन विभाग सिफारिश करेगा।

औद्योगिक कच्चा माल सहायता केन्द्र योजना

172. (1) आयात-निर्यात नीति, 1982-83, राज्य व्यापार निगम/खनिज तथा धातु व्यापार निगम/राज्य लघु उद्योग विकास निगम और सार्वजनिक क्षेत्र की इसी प्रकार की अन्य एजेन्सियों द्वारा औद्योगिक कच्चा माल केन्द्र योजना (आई. आर. एम. ए. सी.) के अन्तर्गत हाजिर आयातित कच्चे माल के सम्भरण के लिए व्यवस्था प्रदान करती है। इस उद्देश्य के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियां थोक में अग्रिम लाइसेन्स के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं के लिए लागू निर्धारित पत्र में योजना के प्रचालन के लिए मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली को आवेदन-प्रपत्र भेज सकती हैं, परन्तु इन्हें खपत प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बाद में लाइसेन्सों के लिए आवेदन पत्र पहले ही वितरित कर दिए गए स्टाक की प्रतिपूर्ति करने के लिए दिए जा सकते हैं।

(2) आयात-निर्यात नीति में यह व्यवस्था की गई है कि मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली वास्तविक उपयोक्ताओं को आई. आर. एम. ए. सी. की सुविधायें प्रदान करने के लिए कुछ निर्यात सदनों और व्यापार सदनों को अनुमति दे सकता है। ऐसे निर्यात सदन/व्यापार सदन थोक में आयात लाइसेन्सों की मन्जूरी के लिए मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात से भी आवेदन कर सकते हैं।

मोटर वाहनों का आयात

173. कारों और अन्य मोटर वाहनों के आयात के लिए लागू नीति और क्रियाविधि परिशिष्ट-6 में दी गई है। ऐसे सभी आवेदनपत्र मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली को भेजने चाहिए।

कृषि विकास और खाद्य संसाधन उद्योगों के लिए आयात

174. (1) 1982-83 की आयात-निर्यात नीति में कृषि विकास और खाद्य संसाधन उद्योगों के लिए खाद्य मशीनरी और अन्य मदों के आयात के लिए विशेष प्रावधान है। कृषि विकास के लिए मशीनरी, हरित सदनों और अन्य मदों के आयात के लिए इन प्रावधानों के अंतर्गत मदों के लिए जो देशी रूप में उपलब्ध नहीं है, उनके आवेदनपत्रों पर संबंधित राज्य सरकारों की सिफारिशों पर पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा। आवेदनपत्र राज्य सरकार के कृषि विभाग के माध्यम से मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली को भेजे जाने चाहिएं। इस प्रकार के आयात के लिए विज्ञापन और अन्य पूंजीगत माल प्रक्रिया लागू नहीं होगी। आवेदन-पत्रों की जांच पड़ताल 1983-84 की आयात एवं निर्यात नीति, (भाग-I) के अध्याय-19 में उल्लिखित मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की समन्वय समिति द्वारा की जाएगी। समन्वय समिति ऐसे मामलों पर वाणिज्य मंत्रालय के निर्यात संवर्धन प्रभाग की सिफारिश पर भी विचार कर सकती है।

(2) आवेदन पत्र इस उद्देश्य के लिए परिशिष्ट-11 में निर्धारित प्रपत्र में भेजे जाने चाहिए। किये जाने वाले आयात के लिए पूर्ण औचित्य दिया जाना चाहिए। विशेष रूप से इस बात का भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि क्या प्रस्तावित आयात निर्यात में भी सहयोग प्रदान करेगा और यदि हां, कब और किस सीमा तक।

(3) इन मामलों में आयात लाइसेन्स मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अधीन होंगे। निर्यात वास्तविक उपयोक्ता शर्त के अधीन होगा।

(4) इस प्रकार के आवेदन पत्रों पर विचार विदेशी मुद्रा की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

अशक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का स्वास्थ्य लाभ

175. (1) केवल अशक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के स्वास्थ्य लाभ के लिए उद्योग स्थापित करने के लिए अपेक्षित विशेष अशक्तता नियंत्रण/यंत्रों के साथ फिट की हुई मशीनरी के आयात के लिए वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) 20 लाख रुपए (लागत-बीमा-भाड़ा) मूल्य तक के आवेदन पत्रों पर विचार पात्रता के आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार के आवेदनपत्र सीधे ही मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली को भेजे जा सकते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत वर्तमान औद्योगिक उपक्रम भी मशीनरी के आयात के लिए आवेदन कर सकते हैं बशर्ते कि वे अपनी स्थापना में अशक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के स्वास्थ लाभ प्रदान करने के लिए इच्छा जाहिर करते हैं।

(2) औद्योगिक एकक जो उपर्युक्त उप-पैरा (1) के अंतर्गत आयात लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें राज्य उद्योग निदेशक के पास जैसाकि लघु पैमाने के एककों के लिए अपेक्षित है, पंजीकृत होना पड़ेगा।

(3) इस प्रकार के वाहनों के विनिर्माता अशक्त/शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों द्वारा उपयोग करने के लिए वाहनों के विनिर्माण में उनके द्वारा फिट किए जाने के लिए अपेक्षित अशक्तता नियंत्रण/यंत्रों के आयात के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार के आवेदन पत्र वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्यो-

गिक) द्वारा कच्चे माल और संघटकों के आयात के लिए निर्धारित प्रपत्र में महानिदेशक, तकनीकी विकास के माध्यम से सम्बन्धित क्षेत्रीय लाइसेन्स प्राधिकारियों को भेजे जा सकते हैं। इस प्रकार के मामलों में जारी किए जाने वाले लाइसेन्स अन्य बातों के साथ-साथ इस शर्त के अधीन होंगे कि वाहनों के विनिर्माता महानिदेशक, तकनीकी विकास को इस प्रकार के विनिर्मित वाहनों और उनके निपटानों की एक विशेष उत्पादन विवरणिका भेजेंगे।

खेलों का विकास

176. (1) स्पोर्टस् शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों, खिलाड़ियों की संस्थाओं खेल-कूद क्लबों और श्रेष्ठ खिलाड़ियों से सम्बन्धित केन्द्र या राज्य सरकार के संगठनों से देश में अनुपलब्ध खेल के समान/उपस्कर के आयात के लिए उन आवेदन पत्रों पर पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के सम्बद्ध विभागों द्वारा विधिवत प्रायोजित और अनुसंसित हों।

(2) आवेदन पत्र परिशिष्ट-1। में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र में संबद्ध प्राधिकारी के माध्यम से मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली को भेजे जाएं। आयातों की सिफारिश करने से पूर्व, प्रायोजक प्राधिकारी महानिदेशक तकनीकी विकास (आयात-निर्यात नीति सेल) उद्योग भवन, नई दिल्ली से देशी निकासी प्राप्त करेंगे। लेकिन इसमें वे मदें शामिल नहीं होंगी जिनकी देशी निकासी दी जा चुकी हो और जो आयात निर्यात पुस्तक (जिल्द-1) 1983-84 के परिशिष्ट 37 में सूचीबद्ध है।

(3) ऐसे मामलों में आयात लाइसेंस ऐसी शर्तों के अधीन होंगे जो आयातित उपस्कर के उपयोग और वितरण के सम्बन्ध में मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ने विनिर्दिष्ट की हैं।

(4) विदेशी मुद्रा की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ऐसे आवेदन-पत्रों पर विचार किया जाएगा।

पूंजीगत माल/प्रारम्भिक स्थापन/संयोजन के लिए अपेक्षित मशीनरी के संघटक पुर्जों का आयात—शुल्क की रियायती दर के लिए पात्रता

177. (1) किसी परियोजना के प्रारम्भिक स्थापन के लिए या मौलिक विस्तार के लिए अपेक्षित पूंजीगत माल और संबंधित कच्ची सामग्री और संघटकों के लिए जारी किए गए आयात लाइसेन्सों पर स्वीकार्यता के अनुसार शुल्क की रियायती दर उपलब्ध करने के लिए सम्बन्धित प्रायोजक प्राधिकारी की सिफारिशों पर पृष्ठांकन किया जाएगा। सिफारिश करने से पूर्व प्रायोजक प्राधिकारी स्वयं इस बात की संतुष्टि करेगा कि वित्त मंत्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में जारी की गई अधिसूचना के अन्तर्गत यह मामला आता है। लाइसेंस पर पृष्ठांकन निम्नलिखित अनुसार किया जाएगा :—

"सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के खण्ड-16 की शीर्ष संख्या-84.66 के अधीन निर्धारण के लिए परियोजना आयात"।

(2) यह नोट कर लिया जाए कि एक विशेष आयात, परियोजना आयात के रूप में सीमा-शुल्क की रियायती दर के लिए पात्र है या नहीं, इसका सुनिश्चय करने के लिए सीमाशुल्क प्राधिकारी उपयुक्त प्राधिकारी है। जहां कहीं अनुमेय होगा, ऐसे प्राधिकारी रियायती सीमा-शुल्क दर की अनुमति दे सकते हैं और यहां तक कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित लाइसेन्स पर लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा पृष्ठांकन नहीं किए जाने पर भी प्रायोजक प्राधिकारी की सिफारिश पर वे अनुमति दे सकते हैं।

(3) जहां मशीनरी का आयात खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत अनुमेय हो तो वहां सीमा शुल्क की रियायती दर का लाभांश सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी की सिफारिश पर पत्तन अधिकारी द्वारा अनुमित किया जा सकता है।

पुनः निर्यात के आधार पर निर्माण उपस्कर और अन्य सामग्री का आयात

178. सरकारी परियोजनाओं/उपक्रमों से सीमा शुल्क निकासी परमिटों की मंजूरी के लिए आवेदन पत्रों पर निर्माण उपस्करों और अन्य सामग्री के पुनः निर्यात के आधार पर आयात के लिए विचार किया जा सकता है। ऐसे मामलों में आयात की अनुमति केवल महानिदेशक तकनीकी विकास, नई दिल्ली से प्राप्त देसी निकासी की शर्त के अधीन दी जाएगी। यदि किसी मामले में सीमा शुल्क परमिट जारी किए जाएंगे तो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे :—

"लाइसेंस के अधीन आयात किया गया और निर्माण कार्य के दौरान उपभोग न किया गया माल उस कार्य के पूर्ण होने पर पुनः निर्यात कर दिया जाएगा जिसके लिए उसका आयात किया गया था या आयात की तिथि से दो वर्षों के भीतर उसका पुनः निर्यात कर दिया जाएगा, इनमें जो अवधि पहले हो वही लागू होगी। लाइसेंसधारी आयात के पत्तन पर लाइसेंस प्राधिकारी के पास पुनः निर्यात के लिए एक बान्ड भरेगा।"

निर्यात बांड के समर्थन में परियोजना प्राधिकारी से कोई बैंक गारन्टी नहीं ली जाएगी।

रेडिओ-एक्टिव आइसोटाप्स का आयात

179. रेडियो एक्टिव आइसोटाप्स के आयात के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग, बम्बई में आवेदन करना होगा।

संवाददाताओं और समाचार एजेंसियों को फिल्म के लिए सीमाशुल्क परमिट प्रदान करना।

180. नियमित संवाददाताओं/समाचार एजेंसियों द्वारा अप्रदर्शित फिल्मों के निःशुल्क आयात के लिए सीमा शुल्क निकासी परमिट जारी करने के लिए प्रेस सूचना ब्यूरो, नई दिल्ली की सिफारिश पर क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जाएगा।

न पहचानने योग्य या लावारिस माल, अतिरिक्त अवतरित माल, भाडन आदि की निकासी

181. (1) न पहचानने योग्य या लावारिस माल की निकासी के लिए स्टीमर के एजेन्टों से प्राप्त आवेदन-पत्रों के आधार पर सम्बद्ध क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी सीमा-शुल्क निकासी परमिट जारी कर सकते हैं। जिस मामले में ऐसे माल का मूल्य 80/- रुपए से अधिक न हो उसमें सीमा शुल्क निकासी परमिट के बिना ही सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा निकासी की अनुमति दी जा सकती है।

(2) अतिरिक्त संख्या में अवतरित माल की निकासी के लिए सीमा शुल्क निकासी परमिट प्रदान करने के लिए भी

स्टीमर एजेन्ट क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों से आवेदन कर सकते हैं। ऐसे मामलों में यदि माल का मूल्य 5000/- रुपए से अधिक हो तो सम्बद्ध सीमा शुल्क प्राधिकारियों से माल की वास्तविकता का सत्यापन करने के बाद सीमा शुल्क निकासी परमिट जारी किया जाएगा।

(3) सीमा शुल्क प्राधिकारी वास्तविक झाड़न (अर्थात् गोदी में शेडों की झाड़न द्वारा प्राप्त थैलों में भरे हुए माल के अवशिष्ट) की निकासी की अनुमति आयात लाइसेंसों के बिना ही दे सकते हैं चाहे वह शुल्क योग्य हो अथवा नहीं, बशर्ते कि :—

(1) झाड़न एक विशेष पोत से प्राप्त हो;

(2) यदि माल शुल्क चुकाने योग्य हो तो विषयाधीन पोत के सारे सूचीबद्ध माल पर पूर्ण शुल्क चुका दिया गया हो या यदि माल शुल्क मुक्त हो तो सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा सारे सूचीबद्ध माल की निकासी कर दी गई हो।

(3) एक विशेष पोत पर अतिरिक्त माल नहीं था और

(4) पत्तन ट्रस्ट प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणित कर दिया गया हो कि झाड़न यथार्थ है और गोदी के शेडों से प्राप्त किया गया है।

(4) इन मामलों में यदि निकासी किए जाने वाले माल का आयात लागू आयात नीति के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की एजेन्सी के माध्यम से सरणीबद्ध हो तो निकासी इस शर्त के अधीन होगी कि सरणीबद्ध अभिकरणों को माल स्थलीय लागत पर बेचा जाएगा।

बेकार पोत भण्डार की निकासी

182. बेकार पोत भण्डारों की निकासी निम्नलिखित अनुसार नियंत्रित की जाएगी :—

(1) प्रत्येक मामले में 2000/- रुपये की मूल्य सीमा तक बेकार पोत भण्डार की निकासी की अनुमति सम्बद्ध सीमा शुल्क समाहर्ता द्वारा सीमा शुल्क निकासी परमिट के बिना ही दी जा सकती है।

(2) जिस मामले में बेकार पोत भण्डारों का मूल्य एक समय में 2000/- रुपये से अधिक हो और विदेशी पोतों से निकासी की अनुमति दे दी गई हो, उस मामले में क्षेत्रीय लाइसेंस अधिकारी करेन्सी द्वारा निर्धारित दर के आधार पर मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियों के बिना सीमा शुल्क निकासी परमिट जारी कर सकते हैं। ऐसे सभी सीमा शुल्क निकासी परमिटों का मूल्य, सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की तदर्थ उच्चतम सीमा के नामे डाल दिया जाएगा।

(3) जिन मामलों में विदेशी पोत शामिल नहीं हैं और भण्डारों का मूल्य 2000/- रुपए से अधिक है, ऐसे सभी मामलों में लाइसेंस प्राधिकारी मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियों के बिना सीमा शुल्क निकासी परमिट जारी कर सकते हैं।

महानिदेशक, सम्भरण और निपटान द्वारा आदेशित सरकारी ठेके/भण्डार

183. महानिदेशक, संभरण और निपटान द्वारा व्यक्तियों या व्यापार फर्मों आदि को माल के लिये दिये गये ठेकों के सम्बन्ध में आयात लाइसेंसों के लिये उनके आवेदनपत्रों को निपटाने के लिये विशेष व्यवस्था की गई है।

184. आयात संस्तुति प्रमाण-पत्र :—ऐसे मामलों में आवेदक को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें दर्शाते हुए उपयुक्त संभरण निदेशक से आयात संस्तुति प्रमाण-पत्र (आई. आर. सी) प्राप्त कर लेना चाहिए :—

(1) ठेके की संख्या और तिथि।

(2) माल का विवरण और आयात का देश।

(3) माल का ठेका सम्बन्धी मूल्य।

(4) माल का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य।

(5) माल वितरण की प्रत्याशित अवधि।

(6) मांगकर्ता का नाम।

(7) जिस सन्दर्भ के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा रिहा की गई है, उसकी संख्या और दिनांक।

(8) वह स्रोत जिससे विदेशी मुद्रा की व्यवस्था की गई है और भुगतान का तरीका।

(9) आयात के लिये आवेदित माल के सम्बन्ध में महानिदेशक, तकनीकी विकास से देशी दृष्टिकोण से जो निकासी प्राप्त की गई है, उसकी संख्या और दिनांक।

(10) प्रतिरूप उपस्कर सहित इलैक्ट्रानिक मदों के संबंध में 5 लाख रुपये या अधिक मूल्य के लिये और जहाजी उपस्कर और उनके पुर्जों के संबंध में मूल्य को ध्यान में न रखते हुए इलैक्ट्रानिकी विभाग से जो निकासी प्राप्त की गई है, उसकी संख्या और दिनांक।

टिप्पणियां (क) यह बात स्पष्ट की जाती है कि लाइसेंस के लिये आवेदन पत्र देते समय लागू आयात नीति के अनुसार जिस माल के लिए लाइसेंस, वास्तविक उपयोक्ताओं को दिया जा सकता है उस माल के आयात के लिये किसी भी देशी निकासी की आवश्यकता नहीं होगी। निषेध मदों के सम्बन्ध में महानिदेशक, आपूर्ति और निपटान के लिये यह आवश्यक होगा कि आयात की सिफारिश करने से पहले वह महानिदेशक, तकनीकी विकास से निकासी प्राप्त करें। इस्पात की मदों के मामले में भी, इसी प्रकार की निकासी, इस्पात विभाग, नई दिल्ली से प्राप्त की जाएगी। यदि कोई उपस्कर आयात करना होगा तो उसके मामले में सभी मदों के लिए देशी दृष्टिकोण से निकासी की आवश्यकता होगी और उपस्कर की निषेध किस्मों की मदों के आयात की अनुमति नहीं होगी।

(ख) महानिदेशक, आपूर्ति और निपटान संगत ठेके से सम्बन्धित सभी शर्तों के निर्णीत हो जाने के बाद आयात संस्तुति प्रमाणपत्र जारी करेगा और आयात संस्तुति प्रमाणपत्र में इस संबंध में संकेत करेगा।

185. आवेदनपत्र का प्रपत्र और उसे भेजने का तरीका :—आयात संस्तुति प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर आवेदक को इस पुस्तक के परिशिष्ट-11 में दिये गये प्रपत्र "ख" में प्रत्येक संविदा के संबंध में सभी माल को शामिल करते हुए एक समेकित आवेदनपत्र देना चाहिए। आवेदनपत्र के शीर्ष पर "महानिदेशक, आपूर्ति और निपटान ठेका" साफ-साफ अक्षरों में लिखा होना चाहिए। आवेदनपत्र के साथ इसके शुल्क के भुगतान को दर्शाते हुए बैंक रसीद/दर्शनी हुण्डी सहित आपूर्ति निदेशक से प्राप्त प्रमाण-पत्र और अन्य सम्बन्धित दस्तावेज होने चाहिए और इन्हें मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात, नई दिल्ली को भेजना चाहिए। इस श्रेणी के अन्तर्गत आवेदनपत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि कोई नहीं होगी।

186. लाइसेंस प्राधिकारी को सूचना :—यदि किसी कारण से लाइसेंसधारी आयातित माल को उस कार्य में उपयोग करने में असमर्थ रहता है जिस कार्य के लिये उसको लाइसेंस जारी किया गया है और उसी अवधि के दौरान उपयोग करने में असमर्थ रहता है जो अवधि संबंधित ठेके में निर्धारित है तो जिस उद्देश्य के लिये माल के आयात की अनुमति दी गई थी, उस उद्देश्य के लिये माल का उपयोग करने में असफल रहने के कारणों का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को इस सम्बन्ध में लिखित रूप में तुरन्त आवश्यक सूचना देगा। इस सूचना के प्राप्त होने पर लाइसेंस प्राधिकारी यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 10-ग के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारम्भ करने पर विचार कर सकता है और यह कार्रवाई उस अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त होगी जो लाइसेंसधारी या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध इस सम्बन्ध में की जा सकती है।

रेलवे द्वारा आदेशित भण्डार

187. स्टेट रेलवे द्वारा व्यक्तियों या फर्मों आदि को दिए गये आदेशों को शामिल करने के लिए उनके आयात लाइसेंसों के लिए आवेदनपत्रों को निपटाने के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है।

188. आवेदन पत्र का प्रपत्र और उसे भेजने का तरीका :—आवेदक को प्रत्येक ठेके के सम्बन्ध में केवल एक आवेदनपत्र परिशिष्ट-11 में प्रदर्शित निर्धारित प्रपत्र 'ख' में भेजना चाहिए। आवेदन पत्र रेलवे सम्पर्क अधिकारी, नई दिल्ली के माध्यम से मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली को भेजे जाने चाहिए।

189. लाइसेंस के लिए सिफारिश :—आयात के लिये सिफारिश करते समय रेलवे प्राधिकारियों को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित ब्यौरे भी निरपवादरूप से देने चाहिए :-

(1) रेलवे आदेश, उसकी संख्या और दिनांक।
(2) आयात के लिये आवेदित माल का विवरण और आयात का देश।
(3) माल का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य।
(4) माल की सुपुर्दगी की प्रत्याशित अवधि।
(5) मांगकर्ता का नाम।
(6) जिस संदर्भ के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा रिहा की गई है, उसकी संख्या और दिनांक।
(7) वह स्रोत जिससे विदेशी मुद्रा दी गई है और भुगतान का तरीका।
(8) जिस संदर्भ के अन्तर्गत महानिदेशक, तकनीकी विकास से देशी दृष्टिकोण से निकासी प्राप्त की गई है, उसकी संख्या और दिनांक।
(9) प्रतिरूप उपस्कर सहित इलेक्ट्रानिक मदों के संबंध में 5 लाख रुपये या अधिक मूल्य के लिये और जहाजी उपस्कर तथा उनके सम्बन्ध में मूल्य को ध्यान में न रखते हुए इलेक्ट्रानिकी विभाग से जो निकासी प्राप्त की गई है, उसकी संख्या और दिनांक।

टिप्पणी:

(1) यह बात स्पष्ट कर भी दी जाए कि लाइसेंस के लिए आवेदनपत्र देते समय लागू आयात नीति के अनुसार जिस माल के लिए लाइसेंस, वास्तविक उपयोक्ताओं को दिया जा सकता है, उस माल के आयात के लिए किसी भी देशी निकासी की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य सभी मदों के सम्बन्ध में रेलवे सम्पर्क अधिकारी के लिए यह आवश्यक होगा कि आयात की सिफारिश करने से पहले वह महानिदेशक, तकनीकी विकास/इस्पात विभाग से निकासी प्राप्त करें।

(2) संगत ठेके से सम्बन्धित सभी शर्तें निर्णीत हो जाने के बाद रेलवे प्राधिकारी लाइसेंस के लिए सिफारिश जारी करेंगे और अपनी सिफारिश में इस सम्बन्ध में संकेत देंगे।

रक्षा ठेके

190. (1) रक्षा संगठन द्वारा व्यक्तियों या फर्मों आदि को दिए गए ठेकों से सम्बन्धित माल के लिए उन व्यक्तियों या फर्मों के आवेदनपत्रों पर भी ऐसे संगठन द्वारा जारी किए गए आयात संस्तुति प्रमाण पत्रों के आधार पर विचार किया जाएगा। आवेदनपत्र परिशिष्ट-11 में दिए गए प्रपत्र (ख) में मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली को सम्बोधित होने चाहिए।

(2) आयात सिफारिश प्रमाण-पत्र उपर्युक्त कंडिका 189 में यथा निर्धारित तरीके से ही जारी किया जाएगा।

नेपाल से आयात और नेपाल को निर्यात

191. नेपाल से आयात और नेपाल को निर्यात की अनुमति आयात-निर्यात नियंत्रण प्रतिबंधों के बिना दी जाती है, बशर्ते कि माल या तो सम्बन्धित देशों में उत्पादित हो या उन में विनिर्मित हो, यह उन अपवादों और सीमाओं के अधीन होगा जो बना दी गई है और लागू है, या भविष्य में बनाई जा सकती है।

व्यापार समझौतों के अधीन लाइसेंस प्रदान करना

192. भारत सरकार ने कई विदेशों के साथ व्यापार समझौते किए हैं। ये व्यापार समझौते समय-समय पर परिशोधित किए जाते हैं। व्यापार समझौतों के अतिरिक्त कुछ देशों के साथ विशेष भुगतान एवं व्यापार व्यवस्थाएं भी लागू की गई हैं। इन विशेष देशों के साथ विशेष भुगतान और व्यापार व्यवस्थाओं के अधीन समय-समय पर लाइसेंस जारी किए जाते हैं। आयातकों को सलाह दी जाती है कि पूर्ण विवरण के लिए मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली से सम्पर्क करें।

अध्याय 8

लाइसेंसों की वैधता की अवधि और पुनर्वैधीकरण

आयात

वैधता की अवधि

193. आयात-निर्यात नीति में इसके अन्तर्गत प्रदान किए गए लाइसेन्सो की विभिन्न श्रेणियो के लिए लागू वैधता की अवधि निर्धारित की गयी है। जब तक अन्यथारूप से व्यवस्था न की जाए आयात लाइसेंस की प्रारम्भिक वैधता अवधि 12 मास की होगी।

194. विभिन्न पण्यवस्तु सहायता कार्यक्रमों या रुपये में भुगतान व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदान किए गए आयात लाइसेंस (पूंजीगत माल से भिन्न मदों के लिए) के मामले में वैधता की अवधि 12 महीने होगी, यह इस शर्त के अधीन होगी कि वैधता की अवधि संबंधित ऋण की अंतिम तिथि से आगे नहीं हो।

195 प्रतिबद्ध ऋण या विदेशी सहायता के प्रति पूंजीगत माल लाइसेन्सो से भिन्न अन्य पूंजीगत माल लाइसेन्सो की आरम्भिक वैधता अवधि 24 महीने होगी। "प्रतिबद्ध ऋण/विदेशी सहायता" के प्रति जारी किए गए पूंजीगत माल लाइसेंसो के मामले में वैधता की प्रारम्भिक अवधि 24 महीने या सम्बन्धित "ऋण या सहायता" की अंतिम तिथि, इनमें से जो भी पहले हो, वह होगी।

196 पूंजीगत माल के लिए आयात लाइसेंस इस शर्त के अधीन होंगे कि ऐसे लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 6 महीनों अथवा लाइसेंस में इस प्रयोजन के लिए दर्शाई गई अवधि के भीतर विदेशी संभरक को पक्का आदेश दे दिया गया हो। यदि इस अवधि के भीतर लाइसेंसधारी पक्का आदेश देने में असमर्थ रहता है या विदेशी संभरक इस अवधि के भीतर आदेश को स्वीकार नहीं करता है तो आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए आवेदन पर लाइसेन्स प्राधिकारी पात्रता के आधार पर विचार कर सकते हैं। यह बात पंजीकृत निर्यातकों के लिए नीति के अन्तर्गत आयात के लिए अनुमेय पूंजीगत माल के लिए भी लागू होगी।

197. महानिदेशक, संभरण और निपटान, रेलवे और रक्षा ठेकों को पूर्ण करने के लिए जारी किए गए लाइसेंसो की वैधता की अवधि सम्बन्धित सिफारिशों के अनुसार होगी।

198. सीमाशुल्क निकासी परमिट की प्रारम्भिक वैधता अवधि 6 महीने होगी। परन्तु यदि आवेदक को अधिक अवधि की आवश्यकता होगी तो लाइसेंस प्राधिकारी इस अवधि को 12 महीनों तक बढ़ा सकता है।

199 आपाती लाइसेन्स की प्रारम्भिक वैधता की अवधि 6 महीने होगी। ऐसे लाइसेंसों के पुनर्वैधीकरण के लिए प्रार्थना साधारणतः स्वीकार नहीं की जाएगी।

पुनर्वैधीकरण

200. (1) 1 अप्रैल, 1978 को या इसके बाद में किए गए निर्यातों के मद्दे जारी किए गए आर. ई. पी. लाइसेन्सो की वैधता की अवधि में वृद्धि के लिए किसी भी आवेदन पर सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन, यथार्थ कठिनाई वाले मामलो में पुनर्वैधीकरण सम्बद्ध लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा, लगाई जाने वाली शर्तों के अधीन अनुमित किए जा सकते हैं और यह अवधि 6 मास से अधिक के लिए नहीं होगी। लम्बी अवधि के लिए, समय वृद्धि के लिए आवेदनपत्रों पर पात्रता के आधार पर, लगाई जाने वाली शर्तों के अधीन, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली के अनुमोदन पर विचार किया जाएगा।

(2) वे आर ई पी लाइसेंस जिन का उपयोग आयात-निर्यात नीति (जिल्द-I) की कंडिका 138 के अधीन कर लिया जाता है उन की वैधता अवधि में वृद्धि के लिए आवेदनपत्रों पर संबंधित लाइसेंस प्राधिकारियो द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जा सकता है और एक समय में 6 मास तक के पुन. वैधीकरण की स्वीकृति दी जाएगी और यह कुल मिला कर 12 मास से अधिक की भी नहीं होगी।

(3) पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत जारी किए गए अग्रिम और अग्रदाय लाइसेंसों की वैधता की अवधि में वृद्धि के लिए आवेदनों पर सम्बन्धित लाइसेंस प्राधिकारियो द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जा सकता है और ऐसा पुनर्वैधीकरण अधिकतम 6 महीने के लिए प्रदान किया जा सकता है। इससे अधिक अवधि के लिए भी पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदनो पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली के अनुमोदन से विचार किया जा सकता है।

201. (1) सरकारी विभागो और सार्वजनिक क्षेत्र के निगमो/निकायों (गैर-औद्योगिक) को जारी किए गए आयात लाइसेन्सों के पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदनपत्रों पर सम्बद्ध लाइसेन्स प्राधिकारियो द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (औद्योगिक) के मामले में एक समय 6 मास तक और कुल मिला कर 2 मास तक की अवधि के लिए पुनः वैधीकरण के लिए आवेदनपत्रो पर सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारियो द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा ।

(2) अन्य लाइसेंस के पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदनो पर सम्बन्धित लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा और अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए पुनर्वैधीकरण की अनुमति दी जाएगी। इससे अधिक अवधि के लिए पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदनो पर मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात, नई दिल्ली के पूर्व अनुमोदन और लागू की गई शर्तों के अधीन विचार किया जाएगा ।

(3) पूंजीगत माल लाइसेंस के मामलो में, लाइसेंस में निर्धारित प्रारंभिक अवधि के बाद पोतलदान अवधि में वृद्धि के लिए आवेदन विदेशी संभरकों द्वारा संविदा के अनुसार पूंजीगत माल की सुपुर्दगी की अवधि को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जा सकता है। (लेकिन टाइड क्रेडिट अथवा अनुदान के मद्दे जारी किए गए लाइसेंसों के मामले में, पुनर्वैधीकरण के लिए ऐसे आवेदनो पर विचार करने समय अन्तिम तिथि को ध्यान में रखा जाएगा)। पूंजीगत माल के लाइसेंसो की वैधता अवधि में ऐसी वृद्धि लाइसेंस जारी होने की तिथि से 3 वर्षों की अवधि तक लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा की जा सकती है, इस से आगे वैधता की अवधि में वृद्धि के लिए लाइसेंस प्राधि-

कारी को पहले मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली से आदेश प्राप्त करने होंगे।

पोतलदान/परेषण की तिथि

202. वैधता की अवधि का अर्थ है सम्बद्ध माल के लिए अनुमेय पोतलदान/परेषण की अवधि।

203. समुद्र द्वारा किए गये पोत लदानों के मामले में यह तिथि लदान बिल की तिथि होगी।

204. वायु मार्ग द्वारा आयातों के मामलों में सम्बन्धित माल परेषण नोट की तिथि सामान्य रूप से परेषण की तिथि समझी जाएगी, इस की यह शर्त होगी कि यह उस तिथि को प्रदर्शित करती हो जिसतिथि को माल ने उस देश का अन्तिम हवाई अड्डा छोड़ा हो जिससे आयात किया गया है। सीमा शुल्क प्राधिकारियों को इस बात की छूट होगी कि वे इस सम्बन्ध में अपने आपको संतुष्ट करने के लिए आगे सूचना मांगें।

205. डाक पार्सलों के मामले में पैकेट पर परेषक कार्यालय की मोहर की तिथि या परेषण नोट की तिथि परेषण की तिथि समझी जाती है।

206. स्थल से जुड़े हुए देशों से आयात के मामले में रेल, सड़क या परिवहन के अन्य अभिज्ञात तरीके से माल परेषण के आधार पर भारत में प्रेषित के माल के परेषण की तिथि पोत लदान की तिथि समझी जाएगी (यह जर्मन जनवादी गण राज्य के लिए किए गए आयातों के सम्बन्ध में उस देश द्वारा जारी किए गए ख़ास बार्डर प्रमाण-पत्रों के लिए भी लागू होगी)।

टिप्पणी :—सभी वास्तविक ब्यौरों में समरूप और यात्रा में पड़ाव या व्यवधान द्वारा अनुचित विलम्ब नहीं हुआ है इस का साक्ष्य देते हुए एक "आद्योपान्त लदान पत्र" सामान्यतः 'सम्पूर्ण माल परेषण' का प्रचुर प्रमाण होगा।

आयात को पूरा करने के लिए आयात लाइसेंसों की वैधता

207. (1) **वैधता पोतलदान/माल भेजने की तिथि से संबंधित है** :—आयात लाइसेंस की वैधता माल भेजने वाले देश से वास्तविक पोतलदान/माल भेजने की तिथि से निश्चित की जाती है, भारतीय पत्तन पर माल पहुंचने की तारीख से नहीं।

(2) जिस मामले में आयात लाइसेंस की समाप्ति की तिथि महीने की अंतिम तिथि से पहले पड़ती है, तो ऐसे मामलों में उस महीने के अन्त तक लाइसेंस स्वतः वैध होगा। लाइसेंस की वैधता की अवधि की गणना करने में भी लाइसेंस जारी करने की तिथि छोड़ दी जाती है। उदाहरणार्थ, यदि एक लाइसेंस 10 नवम्बर, 1982 को जारी किया गया है और वह 12 महीने के लिए वैध है तो वह साधारणतः 10 नवम्बर, 1983 को समाप्त होगा, लेकिन इस कण्डिका के प्रावधानों के अनुसार ऐसा लाइसेंस 30 नवम्बर, 1983 तक वैध समझा जाएगा।

रियायती अवधि

208. जिन मामलों में आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से पहले या लाइसेंस की वैधता में वृद्धि के अनुमोदन से पहले माल का लदान कर दिया गया हो, परन्तु वह लदान उस तिथि के बाद हुआ हो जिसको आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो, उनमें सीमा शुल्क प्राधिकारी माल की निकासी की अनुमति दे सकता है, बशर्ते कि (क) माल का पोत लदान आवेदनपत्र की तिथि को या इसके बाद में हुआ हो और (ख) भारतीय पत्तन पर माल आ पहुंचने के समय तक आवेदक आयातक को एक वैध आयात लाइसेंस/वैधता की अपेक्षित वृद्धि प्रदान कर दी गई हो।

209. (1) लाइसेंसों के आधार पर सामान के लदान/प्रेषण को सुविधाजनक बनाने के लिए लाइसेंस अवधि समाप्त होने की तारीख के बाद 60 दिन तक छूट-अवधि दी जाती है। उपर्युक्त उप-पैरा 205 (2) में उल्लिखित मामले में छूट की अवधि 1 दिसम्बर, 1983 से आरम्भ होगी, और 30 जनवरी, 1984 को यह लाइसेन्स पूर्णतः समाप्त हो जाएगा।

(2) सीमाशुल्क निकासी परमिटों के सम्बन्ध में भी 60 दिन की छूट की अवधि दी जाएगी।

(3) आयातकर्ता पुनर्वैधीकृत लाइसेंसों के सम्बन्ध में भी 60 दिन की छूट की अवधि का लाभ उठा सकते हैं।

(4) छूट की अवधि अधिकार रूप में नहीं मांगी जा सकती। छूट की अवधि के दौरान लाइसेंस के मद्दे न तो कोई साख-पत्र खोला जा सकता है और न ही कोई आदेश दिया जा सकता है।

(5) विदेशी क्रेडिट के आधार पर जारी किए गए लाइसेंसों के सम्बन्ध में भी छूट की अवधि का उपयोग किया जा सकेगा बशर्ते कि यह अवधि संबंधित विदेशी क्रेडिट पर लागू होने वाली शर्तों में अनुबद्ध माल के लदान/प्रेषण की अनुबद्ध तारीख के अन्दर ही पड़ती हो।

(6) कुछ अवसरों पर, जैसे सामान का लदान करने वाले देश में डाक यार्ड की हड़ताल के समय, जबकि आयातकर्ताओं को वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और माल का लदान समय से नहीं किया जा सकता है तो लाइसेन्स प्राधिकारी पत्र जारी करके किसी लाइसेन्स की वैधता की अवधि तदर्थ आधार पर निश्चित अवधि के लिए बढ़ा सकता है। यदि किसी मामले में ऐसी अवधि प्रदान की जाएगी तो वह बढ़ाई गई रियायती अवधि के रूप में होगी और आयातक ऐसी वृद्धि के दौरान माल की आपूर्ति के लिए साख-पत्र खोलने अथवा आदेश देने के लिए हकदार नहीं होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि इस प्रकार बढ़ाई गई वृद्धि 60 दिन से अधिक है तो लाइसेंसधारी इस कंडिका की उप-कंडिका (1) के अन्तर्गत 60 दिन की सामान्य रियायती अवधि को अलग से उपयोग में नहीं ला सकता।

210. (1) पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदन-पत्र समय के भीतर ही भेजे जाने हैं :—

लाइसेंसों के पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदन लाइसेंस की वैधता-अवधि के अन्दर ही भेजे जाने चाहिए। फिर भी वास्तविक कठिनाई के मामलों में लाइसेंस प्राधिकारी पुनर्वैधीकरण के लिए दिए गए आवेदनपत्र के विलम्ब को माफ कर सकता है यदि ऐसा प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि पुनर्वैधीकरण के लिए दिए गए आवेदन-पत्र में विलम्ब लाइसेंसधारी के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण था।

(2) **वह तारीख जिससे पुनर्वैधीकरण किया जाएगा--**

(क) लाइसेंस की अवधि समाप्त होने से पहले लाइसेंस के पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदन-पत्र किए जाने पर यदि लाइसेंस के पुनर्वैधीकरण की अनुमति दे दी जाती है तो वह उस तारीख से आरम्भ होगी जिस तारीख को वह समाप्त हुआ था।

(ख) जिन मामलों में लाइसेंस के पुनर्वैधीकरण के लिए वैधता की अवधि समाप्त होने के बाद प्रस्तुत किया गया हो और उसके पुनर्वैधीकरण की अनुमति दे दी गयी हो, तो लाइसेंस उस तारीख से वैध होगा जिस तारीख को इस सम्बन्ध में आवेदन-पत्र भेजा गया था और लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस पर इस आशय का विशेष रूप से एक पृष्ठांकन करेगा।

(ग) उपर्युक्त उप-पैरा (ख) के उपबन्धों में की गयी व्यवस्था के बावजूद विशेष कठिनाई वाले मामलों में लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस समाप्त होने की तारीख से पुनर्वैधीकरण की अनुमति दे सकता है चाहे पुन: वैधीकरण के लिए सम्बन्धित लाइसेंस, लाइसेंस अवधि समाप्त होने के बाद क्यों न प्रस्तुत किया गया हो।

(3) लाइसेंस के पुनर्वैधीकरण के लिए सभी आवेदन केवल लाइसेंसधारी द्वारा ही किए जाने चाहिए; ऐसे पुनर्वैधीकरण को पृष्ठांकित करने के लिए लाइसेन्स प्राधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व भी उसका होगा।

(4) पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदन पत्र 50/- रुपये की बैंक रसीद/डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र-च) में दिया जाना चाहिए।

रिहाई आदेश की वैधता अवधि और पुनर्वैधीकरण

211. (1) रिहाई आदेश की वैधता अवधि उसके जारी होने की तारीख से 12 महीने होगी।

(2) रिहाई आदेशों के पुनर्वैधीकरण के लिए उन आवेदनों पर विचार किया जा सकता है जहां पर माल, रिहाई आदेश के धारक के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण मूल वैधता अवधि के भीतर नहीं भेजा जा सका हो।

(3) ये शर्तें देशी उत्पादकों अथवा आई आर एम ए सी योजना के अन्तर्गत निर्यात सदन से माल प्राप्त करने के लिए जारी किए गए रिहाई आदेशों पर भी लागू होंगी।

निर्यात

पोतलदान की अवधि

212. जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो, एक निर्यात लाइसेंस (पोत लदान बिल पर लाइसेंस पृष्ठांकन से भिन्न) उसमें उल्लिखित माल के पोत लदान के लिए लाइसेन्स के जारी होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के लिए वैध होगा। लेकिन, उच्चतम सीमा व्यवस्था के अधीन जारी किया गया निर्यात लाइसेंस केवल 45 दिनों के लिए वैध होगा। लाइसेंस के मद्दे पोतलदान भारत में किसी भी पत्तन से किया जा सकता है, लेकिन प्रलेखन, पुनर्वैधीकरण आदि के लिए निर्यातक को उस लाइसेंस प्राधिकारी को रिपोर्ट करनी होगी जिसने निर्यात लाइसेंस जारी किया है।

213. जब तक उसमें अन्य तिथि निर्दिष्ट न की जाए, पोत लदान बिलों पर लाइसेंस पृष्ठांकन के मामले में, माल के पोत लदान के लिए वैधता की अवधि एक महीना होगी।

जिन पड़ोसी देशों के साथ भारत रेलों द्वारा जुड़ा हुआ है, उनके किसी स्थान को रेल द्वारा बुक किए गए माल परेषण के निर्यात की निर्णायक तिथि

214. जिन पड़ोसी देशों के साथ भारत रेल द्वारा जुड़ा हुआ है उनके किसी स्थान को रेलवे के माध्यम से जब कोई माल भेजा जाए तो निर्यात व्यापार नियंत्रण के उद्देश्य के लिए रेलवे रसीद की तिथि निर्यात की तिथि समझी जाएगी बशर्ते कि निर्यात लाइसेंस और साखपत्र रेलवे रसीद के जारी होने की तिथि को वैध हो। यदि माल परेषण की यात्रा के दौरान बार्डर पर अन्तिम भारतीय सीमा शुल्क चैकपोस्ट पर सीमा शुल्क विभाग द्वारा निकासी कर देने तक निर्यात लाइसेंस और साखपत्र की वैधता समाप्त हो जाती है तो उसके पश्चात् इन की वैधता समाप्त होने के कारण से माल परेषण को मना नहीं किया जाएगा। रेलवे रसीद जारी होने के बाद ऐसे माल के निर्यात पर लगाया गया कोई प्रतिबन्ध भी ऐसे माल परेषण पर लागू नहीं होगा।

पुनर्वैधीकरण

215. **(1) उपर्युक्त पैरा 212 में उल्लिखित सीमित** निर्धारित उच्चतम सीमा के अन्तर्गत निर्यात लाइसेंस जिसकी प्रारम्भिक वैधता अवधि 45 दिन की हो, के मामले में पोत लदान की वैधता की अवधि में कोई भी वृद्धि उन परिस्थितियों के अतिरिक्त नहीं की जाएगी जो नीति में दी गई हैं।

(2) निर्यात लाइसेंसों या पोत लदान बिलों पर लाइसेंस पृष्ठांकन के अन्य मामलों में वृद्धि के लिए आवेदन (यदि यह आवेदन अन्य सब प्रकार से वर्तमान निर्यात नीति के अनुरूप है) पर संबद्ध लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा तब विचार किया जा सकता है जब कि वह इस बात से सन्तुष्ट हो कि देश के भीतर पण्य-वस्तु की कीमत और संभरण की स्थिति संतोषजनक चल रही है और यह कि माल के पोत लदान में विलम्ब निर्यातक के नियंत्रण से बाहर के कारणों से हुआ था। ऐसे मामलों में प्रदान की गई वृद्धि एक समय में एक महीने से अधिक नहीं होगी और कुल मिला कर तीन महीने से अधिक नहीं होगी बशर्ते कि इस प्रकार प्रदान किया गया पुनर्वैधीकरण उस लाइसेंस अवधि के समाप्त होने से 15 दिन से अधिक नहीं है जिस अवधि में निर्यात लाइसेंस जारी किया गया था या पोत लदान बिल पृष्ठांकित किया गया था। (लेकिन, यह उपबन्ध उन मामलों में लागू नहीं होगा जिनमें सम्बन्धित लाइसेन्स अवधि के लिए निर्यात नीति में उससे बाद में आने वाली लाइसेंस अवधि में कोई परिवर्तन न हुआ हो)।

अध्याय—9

निर्यात लाइसेंस प्रदान करने की क्रियाविधि

निर्यातकों की श्रेणियां

216. लाइसेंस के लिए निर्यातकों को निम्नलिखित दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है :—

(1) सुस्थापित निर्यातक अर्थात् वे निर्यातक जिनके पास लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा स्वीकृत निर्धारित आधारभूत अवधि में विशेष प्रकार की पण्यवस्तु का निर्यात हो। आधारभूत अवधि एक पण्यवस्तु से दूसरी पण्यवस्तु के लिए बदलती रहती है।

(2) नए व्यापारी अर्थात वे व्यापारी जिनके पास निर्धारित आधारभूत अवधि में कोई निर्यात न हो, परन्तु विशेष क्षेत्र में या तो आधारभूत अवधि से बाहर निर्यातक के रूप में या सम्बद्ध पण्यवस्तु के आंतरिक व्यापार में व्यापारी के रूप में काफी अनुभव हो।

कोटा लाइसेंस देना

217. (1) पण्य वस्तुएं जिनका निर्यात कोटे के आधार पर सुस्थापित निर्यातकों को अनुमेय है, उनका उल्लेख निर्यात-नीति जिल्द-I में किया गया है। जहां ऐसी किसी पण्यवस्तु के लिए निर्यातक, निर्यात कोटा लेने की इच्छा जाहिर करता है तो उसे ऐसी पण्यवस्तु के लिए निर्धारित आधारभूत विनिर्दिष्ट अवधि में से उस के द्वारा चुने गए एक वर्ष या एक वर्ष के किसी एक भाग के दौरान उस पण्यवस्तु के निर्यात को सिद्ध करना अपेक्षित है।

(2) निर्यातक को यह स्वतंत्रता है कि वह निर्धारित आधारभूत अवधि में से अपने सर्वोत्तम वर्ष या उसके एक भाग, जैसा भी मामला हो, को चुने। आधारभूत अवधि के निर्यात के समर्थन में लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित साक्ष्य स्वीकार किए जा सकते हैं :—

(क) लदान बिल;

(ख) जहां लदान बिल उपलब्ध नहीं है, वहां सीमाशुल्क के मेनीफेस्ट निकासी विभाग से प्रमाणपत्र;

(ग) उन मामलों में जहां निर्यात रेल या सड़क के जरिये किया जाता है वहां भूमि सीमा शुल्क अनुबन्ध की सत्यापित प्रतियां;

(घ) निर्यात बीजक; और

(ङ) डाक द्वारा निर्यात के मामले में डाक रसीद। (जहां विदेशी ग्राहकों को, वसूली के उद्देश्य के लिए मूल डाक रसीद बैंकों द्वारा भेजी जाती है तो सम्बद्ध बैंकों से प्रमाणपत्र, वैध साक्ष्य के रूप में स्वीकृत है)।

(3) निर्यातक के कोटे की गणना सामान्यतः उसके "मूल निर्यात" के आधार पर की जाती है, लेकिन कुछ मामलों में जिनमें समता के विचार से वृद्धि कर दी गई है, वे समायोजन के अधीन होंगे जैसे निर्यात कोटे के लिए न्यूनतम और/या अधिकतम सीमा निर्धारण। कभी-कभी किसी पण्यवस्तु की सीमित मात्रा निर्यात के लिए रिहा की जाती है। ऐसे मामलों में प्रत्येक निर्यातक के कोटे का हिसाब अनुपात के आधार पर लगाया जाता है, और निर्यात के लिए कुल रिहा की गई मात्रा पर किए गए निर्धारित निर्यात के प्रतिशत पर आकलन आधारित है।

(4) अधिकतर मामलों में, निर्यात के लिए अनुमत्य मूल्य या मात्रा के आकलन के लिए निर्धारित प्रतिशत की घोषणा कर दी जाती है। व्यक्तिगत निर्यातक के कोटे का हिसाब उसके मूल निर्यात के लिए निर्धारित प्रतिशत को ध्यान में रख कर लगाया जाएगा।

(5) कुछ मामलों में जहां सुस्थापित निर्यातकों की संख्या, निर्यात के लिए उच्चतम निर्धारित सीमा की तुलना में अधिक है वहां कोटा समान दर पर प्रदान किए जाते हैं।

(6) उन मामलों में जहां कोटे का कम उपयोग हुआ हो या बिल्कुल उपयोग न हुआ हो, वहां मद अन्य निर्यातकों के लिए अनुमति देने के लिए समझी जाती है और यह आवश्यक समझी जाने वाली शर्तों के अधीन है।

(7) कोटे के सद्दे जिन मदों के लिए लाइसेन्स दिया जा सकता है, उनके लिए आवेदनपत्र, परिशिष्ट-12 में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार दिए जाने चाहिएं। इसके साथ में जहाजरानी बिल, लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त कोटा स्लिप और/या अन्य ऐसे दस्तावेज जो संगत व्यापार सूचनाओं की शर्तों के अनुसार भेजे जाने आवश्यक हैं या आवेदक उन्हें भेजना आवश्यक समझता है, भेजे जाने चाहिएं।

नए आगन्तुकों को लाइसेंस देना

218. यदि पहले से विद्यमान सुस्थापित निर्यातकों के कोटे की तुलना में निर्यात के लिए जब तक अनुमत्य मात्रा कम रहती है तो सामान्यतः नए व्यापारियों को निर्यात व्यापार में शामिल करने के लिए व्यवस्था करने का प्रयास किया जाता है। केवल ऐसी व्यापारिक संस्थाएं, नव-आगन्तुक व्यापारी लाइसेन्स के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं जिन्हें

सम्बद्ध पण्यवस्तु की अच्छी जानकारी है तथा जो आर्थिक स्थिति आदि में मजबूत हैं। साधारणतः आवेदकों को विशेष अवधि के दौरान पण्यवस्तु के आंतरिक व्यापार से अपनी स्थिति सिद्ध करनी आवश्यक होती है। जो शर्तें एक व्यक्ति को पूर्ण करनी चाहिए और जिस तरीके से उसे अपने अनुभव को सिद्ध करना चाहिए उनकी घोषणा आवेदन पत्र मांगते समय कर दी जाती है। सनदी लेखापालों, जो कि प्रार्थी फर्म या उसकी सम्बद्ध शाखाओं में भागीदार, निदेशक या कर्मचारी नहीं हैं द्वारा क्रय एवं विक्रय को प्रमाणित करते हुए प्रमाण-पत्र साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। कभी-कभी प्रदत्त बिक्री-कर की रसीदों को साक्ष्य के लिए मांगा जाता है। इसके अतिरिक्त, नए आगन्तुक आवेदक के लिए यह आवश्यक है कि लाइसेंस प्राधिकारी के पास पहले से ही उसके द्वारा विदेशी खरीददारों के साथ तय की गई बिक्री संविदा प्रस्तुत करते हुए, वह निर्यात व्यापार में शामिल होने की अपनी योग्यता सिद्ध करे।

219. नए व्यापारियों को निर्यात के लिए आवेदनपत्र परिशिष्ट 12 में दिए गए प्रपत्र में देने चाहिएं। इसके साथ जहाजरानी बिल और/या ऐसे अन्य दस्तावेज जो संगत व्यापार सूचना की शर्तों के अधीन भेजे जाने हैं या आवेदक द्वारा आवश्यक समझे जाते हैं, संलग्न होने चाहिए।

सरणीबद्ध निर्यात

220. निर्यात की कुछ मदें सरणीबद्ध अभिकरण अर्थात् राज्य व्यापार निगम या अन्य मान्यताप्राप्त अभिकरण/संगठन के माध्यम से निर्यात की जाती हैं। ऐसी मदों की सूची और ऐसे मनोनीत अभिकरण, 1983-84 के लिए निर्यात-नीति (जिल्द-2) के खण्ड-2 के अनुबन्ध-1 में दिए गए हैं। इन मदों के लिए निर्यात की अनुमति केवल सम्बन्धित सरणीबद्ध अभिकरणों के माध्यम से ही दी जाएगी। इन मदों के सम्बन्ध में जिस मात्रा तक निर्यात की अनुमति दी जा सकती है और उनसे सम्बन्धित अन्य जो ब्यौरे हो सकते हैं उनका निश्चय सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाता है। इसलिए, इस सम्बन्ध में सरणीबद्ध करने वाले अभिकरणों के संचालन सरकार द्वारा उनको दिए जाने वाले ऐसे निदेशों के अधीन हैं।

खुला सामान्य लाइसेंस

221. खुला सामान्य लाइसेन्स जब तक वैध है, उसके अधीन आने वाली मदें, लाइसेंस की औपचारिकता के बिना ही उसमें अनुमित सभी गन्तव्य स्थानों को निर्यात की जा सकती है।

222. इस समय निम्नलिखित चार खुले सामान्य लाइसेन्स लागू हैं और उनका मूल पाठ 1983-84 की निर्यात नीति पुस्तक (जिल्द-2) में निहित है :—

(क) खुला सामान्य लाइसेन्स संख्या-1 निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 के लिए अनुसूची-1 में शामिल किसी भी माल का जिसका परेषण ट्रांजिट ट्रैफिक नियंत्रित करने के लिए निर्धारित क्रियाविधि के अंतर्गत किया जाता है, तो भारत के निकटवर्ती किसी भी देश जिसकी कोई भी समुद्री बंदरगाह नहीं है, को स्थल मार्ग से निर्यात करने के लिए लागू होता है।

(ख) खुला सामान्य लाइसेन्स 2, वास्तविक नमूनों के निर्यात के लिए लागू होता है।

(ग) खुला सामान्य लाइसेन्स 3 उन मदों की सूची दर्शाता है जो प्रत्येक मद के सामने कालम 4 में दर्शायी गई शर्तों को पूर्ण करने पर निर्यात की जा सकती है।

(घ) खुले सामान्य लाइसेंस 4 में उन मदों की सूची शामिल है जो प्रत्येक मद के सामने कालम 4 में उल्लिखित सरणीबद्ध अभिकरणों द्वारा सीधे ही निर्यात की जा सकती हैं।

सीमित स्वतन्त्र लाइसेंस प्रदान करना

223. जहां किसी पण्यवस्तु का निर्यात उच्चतम निर्धारित सीमा के भीतर नियंत्रित है या जहां व्यापार का कोई सुव्यवस्थित तरीका नहीं है, वहां निर्यात पहले आए सो पहले पाए के आधार पर अनुमेय होगा। ऐसे मामलों में निम्नलिखित सिद्धान्त एवं प्रक्रिया लागू होगी :—

(1) नीति घोषित करते हुए तथा उन लाइसेंस कार्यालयों को दर्शाते हुए जिनको ऐसे आवेदनपत्रों पर विचार करने के उद्देश्य से उपलब्ध उच्चतम निर्धारित सीमा नियत की गई है, एक सार्वजनिक सूचना/व्यापार सूचना जारी की जाएगी;

(2) जब तक सार्वजनिक सूचना/व्यापार सूचना में अन्यथा रूप से नहीं दर्शाया गया हो, आवेदनपत्र सार्वजनिक/व्यापार सूचना के जारी होने की तिथि से 15 दिन के बाद प्राप्त किए जाएंगे;

(3) प्रपत्र "ए. एक्स." में दिये गए सभी आवेदनपत्र जो सब प्रकार से पूर्ण होंगे और निर्धारित तिथि को प्रातः 10-30 और 1 बजे के बीच में प्राप्त किए जाएंगे उन्हें एक समान वरीयता प्राप्त होगी। ऐसे आवेदनपत्रों के साथ इस आशय का साक्ष्य होना चाहिए कि भारतीय निर्यातक आवेदक ने विदेशी खरीददारों का पण्यवस्तु खरीदने का प्रस्ताव आवेदित मात्रा के लिए स्वीकार कर लिया है, लेकिन यह केवल इस शर्त के अधीन होगा कि लाइसेंस उसके नाम में है;

(4) नियमानुसार लाइसेंस प्राधिकारी आवेदनपत्र अस्वीकार करने के कारणों को लिखित रूप से रिकार्ड करेंगे;

(5) प्रत्येक निर्यातक को एक दिन में केवल एक आवेदन-पत्र देने की अनुमति होगी और इसके साथ एक विदेशी क्रेता से केवल एक संविदा भेजी जाएगी। प्रत्येक निर्यात आवेदन-पत्र के साथ निर्यातक इस सम्बन्ध में एक घोषणा-पत्र भी भेजेगा कि उसने उसी लाइसेंस अवधि के दौरान किसी अन्य लाइसेन्स प्राधिकारी को उसी पण्य-वस्तु के लिए कोई निर्यात आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। लाइसेन्स प्राधिकारी उप-कंडिका (6) में निर्धारित शर्तों के अधीन पूर्णरूप से यथा अनुपात के आधार पर कोटे का आबंटन करेंगे।

(6) किसी भी पात्र आवेदक को एक दिन में सीमा के 10 प्रतिशत से अधिक की अनुमति सम्बद्ध कार्यालय को आबंटित उच्चतम निर्धारित

नहीं दी जाएगी। यदि पहले दिन प्राप्त होने वाले आवेदनपत्रों के निपटान के बाद उच्चतम सीमा की कुछ मात्रा बच जाती है तो उसे अगले दिन प्राप्त होने वाले नए आवेदनपत्रों के लिए रख लिया जाएगा; यह प्रक्रिया तब तक दुहराई जाएगी जब तक उच्चतम सीमा खत्म न हो जाए।

(7) जारी होने की तिथि से 45 दिन की वैध अवधि के साथ, निर्यात लाइसेंस जारी करके निर्यात की अनुमति दी जाएगी;

(8) वह संविदा जिसके मद्दे लाइसेन्स जारी किया गया है, उसमें आने वाली मात्रा का वैध अवधि के भीतर पोतलदान किया जाएगा। निम्नलिखित परिस्थिति के सिवाय अन्य किसी भी हालत में समय की रियायत प्रदान नहीं की जाएगी :—

(क) लाइसेंस जारी करने वाला प्राधिकारी, लाइसेंस जारी होने के सात दिन के भीतर इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि उक्त 45 दिन की अवधि के भीतर परेषण ले जाने के लिए कोई जहाज उपलब्ध नहीं है; या

(ख) लाइसेन्स की वैध अवधि के भीतर, पत्तन पर वह लाइसेन्स प्राधिकारी जिसे परेषण दिया जाता है, संतुष्ट है कि प्रारंभिक वैध अवधि के भीतर जहाज के पहुंचने में विलम्ब हुआ है।

दोनों ही स्थितियों में पोतलदान पूरा करने के लिए केवल 15 दिन तक की रियायत दी जाएगी। दूसरी बार रियायत नहीं दी जाएगी अर्थात् इसके बाद लाइसेंस स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।

(9) पोतलदान करने के बाद लेकिन पोतलदान के सात दिनोंकी अवधि के भीतर प्रत्येक लाइसेंसधारी लाइसेंस जारी करने वाले लाइसेंस प्राधिकारी को वास्तव में किए गए पोतलदान की सूचना देगा। उस मामले में भी जहां पर लाइसेंस बिल्कुल उपयोग में नहीं लाया गया है अथवा आंशिक उपयोग में लाया गया है, लाइसेन्सधारी पोतलदान की तारीख से 7 दिनों के भीतर अथवा लाइसेंस की समाप्ति की तारीख को, जैसा भी मामला हो, सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को स्थिति के बारे में अवगत कराएगा। ऐसा न करने पर लाइसेंस अवधि के लिए समय-समय पर यथा संशोधित निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 की धारा 5 (थ) के अधीन सीमित उच्चतम निर्धारित सीमा के अन्तर्गत अनुमेय मदों का और आगे निर्यात करने के लिए निर्यात लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाएगा।

(10) पहले के लाइसेंस के मद्दे आबंटित कोई भी मात्रा जो उपर्युक्त कारणों से समाप्त हो गई हो, वह सम्बद्ध लाइसेन्स कार्यालय को, उसी ढंग से पुनःआबंटन के लिए उपलब्ध हो सकती है जैसा कि ऊपर निर्धारित किया गया है।

स्वतन्त्र रूप से लाइसेंस देना

224 जहां एक मद निर्यात के लिए स्वतंत्र रूप से अनुमेय है, परन्तु वह खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन नहीं आती है तो इच्छुक निर्यातक को सम्बद्ध जहाजरानी बिलों पर सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी से लाइसेंस पृष्ठांकन प्राप्त करना चाहिए। आवेदनपत्र परिशिष्ट-12 में दिए गए प्रपत्र में दिया जाना चाहिए।

तदर्थ लाइसेंस देना

225. (1) नए बाजारों के विकास के लिए और नए निर्यात उत्पादों के उत्पादन में घरेलू धन्धों पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए छोटी मात्रा में निर्यातों के लिए आवेदनों पर कभी-कभी तदर्थ आधार पर विचार किया जाता है, चाहे ऐसी मदों का स्वदेशी उत्पादन कुछ हद तक सीमित क्यों न हो। एकत्र स्टाक की निकासी करने और निरन्तर उत्पादन बनाए रखने के लिए एक उद्योग या यूनिट को समर्थ बनाने के लिए तदर्थ लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

(2) ऐसी मदों के निर्यात के लिए आवेदनपत्र निर्धारित प्रपत्र में दिए जाने चाहिए और उसके साथ जहाजरानी बिल और/या अन्य ऐसे दस्तावेज जो संगत व्यापार सूचनाओं की शर्तों के अनुसार भेजे जाने आवश्यक है या आवेदक उन्हें भेजना आवश्यक समझता है, भेजे जाने चाहिए।

निषेध से पूर्व के किए गए सौदे

226. (1) जब तक अन्यथा रूप से व्यवस्था नहीं की जाती, निषेध पूर्व (नियंत्रण से पूर्व सहित) निम्नलिखित सौदों के लिए साधारणतः निर्यात नियंत्रण के उद्देश्य के लिए मान्यता दी जाएगी :—

(क) निर्यातक/निर्यात करने वाली फर्म के मामले में जहां पर एक विशिष्ट निर्यात आदेश के मद्दे विदेशी खरीददार द्वारा परेषण के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 100 प्रतिशत के बराबर एक अपरिवर्तनीय साख पत्र खोला गया है और निषेध/नियंत्रण की तिथि से पूर्व भारत में अनुसूचित बैंक द्वारा स्वीकृत किया गया है;

(ख) जहां पर अग्रिम धन प्राप्त कर लिया गया है बशर्ते कि;

(1) एक विशिष्ट निर्यात आदेश के मद्दे अग्रिम धन प्राप्त किया गया है और जो परेषण के जहाज पर निशुल्क मूल्य के 100% के बराबर है; और

(2) अग्रिम भुगतान विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से निषेध की तिथि को अथवा इस से पूर्व प्राप्त किया गया है।

सरकार उपर्युक्त बातों के होते हुए भी उपर्युक्त प्रावधानों के अंतर्गत न आने वाले किसी अन्य दावे को भी समुचित कारणों के आधार पर निषेध पूर्व के सौदों के रूप में मान सकती है।

(2) निषेध से पूर्व की गई वचनबद्धताओं/निर्यात संविदाओं (या नियंत्रण से पूर्व वचनबद्धताओं/संविदाओं) की प्रतियां सम्बद्ध व्यक्तियों द्वारा संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजी जानी चाहिए और इसके साथ में, की गई वचनबद्धताओं/संविदाओं के समर्थन में विश्वसनीय प्रलेखीय साक्ष्य भी भेजा जाना चाहिए। ये दस्तावेज सार्वजनिक/व्यापार सूचना सम्बद्ध पण्यवस्तु के निर्यातों पर लगाए गए प्रतिबंधों की घोषणा करने की अधिसूचना होने की तारीख से या जिस तारीख से इस

प्रकार की पण्यवस्तु को निर्यात नियंत्रण के अधीन लाया गया हो। जैसा भी मामला हो, उस तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्री डाक से लाइसेंस प्राधिकारी को भेजे जाने चाहिए। सुनवाई केवल तभी की जाएगी यदि दस्तावेज समय पर दाखिल कर दिए गए हैं। लेकिन साक्ष्य प्रस्तुत कर देने से सम्बद्ध व्यक्ति को यह अधिकार नहीं मिल जाएगा कि वह निर्यात लाइसेंस या निर्यात की अनुमति अवश्य प्राप्त करेगा।

टिप्पणी :—प्रस्ताव किए जाने के बाद और दूसरी पार्टी द्वारा स्वीकृत हो जाने पर संविदा निर्णीत समझी जाएगी। आपस में स्वीकृत शर्तों के सम्बन्ध में यह सुस्पष्ट होना चाहिए अर्थात् यह निर्दिष्ट होना चाहिए कि इसके बाध्यकरण के संदर्भ में यह दोनों के लिए बाध्यकारी है।

227. जहां ऐसे साक्ष्य जैसा कि पैरा 225 में मांगे गए हैं, तार/टेलेक्स सन्देश की प्रकृति के हैं जिसमें प्रस्ताव या संविदा की स्वीकृति के ब्यौरे हों, तो निषेध से पूर्व वचनबद्धता/निर्यात संविदा (या नियंत्रण से पूर्व की वचनबद्धता/संविदा) को प्रमाणित करने वाले विश्वसनीय साक्ष्य के साथ, उपर्युक्त संदेश भेजने के तत्काल बाद सम्बद्ध लिफाफा जिस पर डाकखाने की मोहर लगी हो, के साथ संदेश की (पुष्टि करने वाली) डाक प्रति भी होनी चाहिए।

आवेदनपत्र का प्रपत्र

228. निर्यात लाइसेंस या जहाजरानी बिलों पर लाइसेंस पृष्ठांकन के लिए आवेदनपत्र निर्धारित प्रपत्रों में संगत दस्तावेजों के साथ दिए जाने हैं। ये प्रपत्र परिशिष्ट-12 में दिए गए हैं। आवेदक अपने टाइप किए हुए/साइक्लोस्टाइल्ड या मुद्रित प्रपत्रों का भी उपयोग कर सकता है।

आवेदनपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति

229. निर्यात लाइसेंस या जहाजरानी बिलों पर लाइसेंस पृष्ठांकन के प्रत्येक आवेदनपत्र स्वयं आवेदक द्वारा या उसके द्वारा विधिवत्/कानूनी तौर पर प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। आवेदनपत्र/दस्तावेज/प्रपत्र हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा गृहीत स्थिति या ऐसे कानूनी प्राधिकार की प्रकृति उसमें स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए और इसके साथ उससे सम्बद्ध हैसियत के कार्यालय की मोहर भी होनी चाहिए। अन्यथा, लाइसेंस प्राधिकारी ऐसे आवेदनपत्रों, दस्तावेजों या प्रपत्रों पर कोई ध्यान नहीं देंगे। यह आवश्यकता सारणीबद्ध अभिकरणों को दिए गए आवेदनपत्रों के लिए भी लागू होगी।

अपूर्ण आवेदनपत्र

230. जो आवेदनपत्र (1) निर्धारित प्रपत्र में नहीं हैं, (2) जिनके साथ आवश्यक निर्यात दस्तावेज संलग्न नहीं हैं, (3) हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा नहीं है; या (4) जो निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होते हैं, उन्हें एकदम अस्वीकार कर दिया जाएगा। आवेदकों से आशा की जाती है कि वे आवेदनपत्र के सभी कालम ठीक-ठीक एवं उचित तरीकों से भरेंगे। यह निश्चय करने के लिए कि सभी जरूरतें पूर्ण हो गई हैं, वे खिड़की पर प्रदान की जाने वाली सहायता प्रक्रिया से सहायता ले सकते हैं।

लाइसेंसों में संशोधन एवं परिवर्तन

231. लाइसेंसधारी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा माल के ब्यौरों में या परेषक या परेषिती के नाम में और लाइसेन्स की शर्तों एवं अधिनियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कोई भी अप्राधिकृत परिवर्तन लाइसेंस को अप्रभावी कर देगा और इसके अलावा अपराधी को दंडनीय भी घोषित करेगा। संशोधन या परिवर्तन के लिए आवेदन-पत्र, लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारी को भेजे जाने चाहिए।

आदेश प्राप्त करने और पुनः आयात करने के लिए भारतीय मूल के नमूनों का निर्यात

232. कुछ शर्तों एवं कुछ औपचारिकताओं के अनुपालन के अधीन आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 और सीमा शुल्क अधिनियम 1962, विक्रेताओं का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भारतीय व्यापारियों द्वारा विदेश में भेजे गए या उनके द्वारा ले जाए गए नमूनों के पुनः आयात की अनुमति प्रदान करते हैं। भारतीय व्यापारियों को पुनः आयात करते समय जो कठिनाइयां आती हैं उनसे बचने की दृष्टि से भावी निर्यातकों को चाहिए कि वे विदेशों में नमूनों का निर्यात करने से पूर्व सीमा शुल्क/आयात व्यापार नियंत्रण प्राधिकारी से सम्पर्क करें और इसका सुनिश्चिय करें कि निर्धारित की गई विभिन्न शर्तें पूर्ण कर दी गई हैं।

क्षेत्राधिकार

233. जब तक अन्यथा रूप से उल्लेख न किया गया हो, जो मदें सामान्यतः अनुमेय नहीं हैं या जिनका निर्यात गुण-वत्ता के आधार पर अनुमेय है, उन मदों के निर्यात के लिए आवेदनपत्र मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली को सम्बोधित किए जाने चाहिए। अन्य सभी नियंत्रित मदों के निर्यात के लिए आवेदनपत्र, जिस पत्तन से निर्यात किया जाना है, परिशिष्ट-8 में दिए गए लाइसेन्स प्राधिकारी में से जो उनसे सम्बन्धित हो, किसी एक को सम्बोधित किए जाने चाहिए। उन पण्य वस्तुओं के मामले में जहां निर्यात उच्चतम सीमा, एक या एक से अधिक विशिष्ट लाइसेंस प्राधिकारियों के अधिकार के अधीन होगी, इच्छुक निर्यातक इनमें से ऐसे किसी एक लाइसेन्स प्राधिकारी को भी आवेदन करें सकते हैं। ऐसे मामलों में प्रत्येक आवेदनपत्र के साथ निर्यातक को इस संबंध में एक घोषणापत्र भी भेजना चाहिए कि उसने किसी भी अन्य लाइसेंस प्राधिकारी को उसी पण्यवस्तु के लिए (उसी लाइसेंस अवधि के लिए) आवेदन नहीं किया है।

नए सुस्थापित निर्यातकों को मान्यता एवं कोटे का हस्तांतरण (टी.क्यू.आर.)

234. (1) एक सुस्थापित निर्यातक; (1) एक व्यक्ति, (2) साझीदार संस्था, (3) परिवार के व्यापारके सम्बन्ध में अविभाजित हिन्दू परिवार का कर्ता, (4) एक लिमिटेड कम्पनी, तथा (5) कोई संघ या व्यक्तियों का निकाय हो सकता है। सस्थापित निर्यातकों से सम्बद्ध व्यापार के नाम में लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं। जहां कहीं व्यापार के स्वामित्व, व्यवस्था या नाम में परिवर्तन होता है तब चूंकि वह सुस्थापित निर्यातक नहीं रहता है इसलिए लाइसेंस के लिए पात्र नहीं होगा। लेकिन, सार्वजनिक हित में और व्यापार को चालू रखने के लिए लाइसेंस प्राधिकारी आगे के पैरा में दिए गए प्रावधानों के अनुसार किसी व्यापार के संबंध में नए सुस्थापित निर्यातकों को मान्यता दे सकते हैं।

(2) जहां कहीं किसी सुस्थापित निर्यातक के व्यापार के नाम में बिना किसी परिवर्तन के, व्यापार के स्वामित्व या व्य-

संस्था में परिवर्तन होता है और नया स्वामी या पुनः संस्थापित संस्था जैसा भी मामला हो, वास्तविक संस्था से संबंधित कोटे को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेती है तो वास्तविक संस्था से सम्बद्ध कोटा नई संस्था को हस्तान्तरित किया गया समझा जाएगा। नए संस्थान ऐसे कोटे के आधार पर निर्यात लाइसेंस प्राप्त कर लेता है, यदि अन्यथा रूप से स्वीकार हो। ऐसे मामले में टी. क्यू. आर. के लिए कोई आवेदनपत्र नहीं दिया जाना चाहिए। परन्तु परिशिष्ट-26 के अनुसार परिवर्तन की सूचना लाइसेंस प्राधिकारी को परिवर्तन की तिथि से 90 दिन के भीतर भेज देनी चाहिए। लाइसेंस के लिए अगले आवेदनपत्र में परिवर्तन की प्रकृति और किस तिथि से परिवर्तन किया गया है, उसका संकेत करते हुए नए संस्थान की व्यवस्था का भी सामान्य रूप से संकेत किया जाना चाहिए। जहां 90 दिन की अवधि समाप्त हो जाने पर परिवर्तन के बारे में सूचना भेजी जाती है तो परिवर्तन के बाद प्रथम लाइसेंस अवधि में आवेदक 25 प्रतिशत कटौती के लिए उत्तरदायी होगा। लेकिन, लाइसेंस प्राधिकारी यदि संतुष्ट है कि आवेदक के नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों के कारण विलम्ब हुआ था तब वे विलम्ब को क्षमा कर सकते हैं।

(3) जहां व्यापार के स्वामित्व या व्यवस्था में परिवर्तन किए बिना सुस्थापित निर्यातक के व्यापार में परिवर्तन होता है, वहां टी.क्यू.आर. के लिए आवेदनपत्र देना आवश्यक नहीं है। सुस्थापित निर्यातक को सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी के पास आवश्यक परिवर्तन के लिए कोटा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए। उसके साथ नाम के परिवर्तन का शपथ-पत्र और यह स्वीकृति होनी चाहिए कि भविष्य में पुराने नाम से वह किसी लाइसेंस का दावा नहीं करेगा। जहां एक निजी लि. कम्पनी, सार्वजनिक लि. कम्पनी बन जाती है या एक सार्वजनिक लि. कम्पनी निजी कम्पनी बन जाती है तो सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को तथ्य बताए जाने चाहिए।

(4) जहां सुस्थापित निर्यातक के व्यापार के नाम के साथ साथ उसके स्वामित्व या व्यवस्था में भी परिवर्तन होता है, तब नई संस्था टी.क्यू.आर. अपने नाम में प्राप्त किए बिना मूल संस्थान के कोटे के आधार पर निर्यात लाइसेंस का दावा नहीं कर सकती। टी.क्यू.आर. के लिए आवेदनपत्र संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को भेजे जाने चाहिए।

(5) जहां सुस्थापित निर्यातक के व्यापार में स्वामित्व या व्यवस्था में परिवर्तन होता है और ऐसे परिवर्तन के परिणामस्वरूप मूल संस्था के कोटे का एक भाग अलग किया जाता है या मूल संस्था का कोटा विभाजित किया जाता है, कोटे के ऐसे पृथक्करण या विभाजन, जैसा भी मामला हो, के आवेदनपत्र सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को दिये जाने चाहिए। यदि अलग किए जाने वाला कोटा किसी व्यक्ति के नाम में हस्तांतरित भी किया जाना है तो हस्तांतरक को भी सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को टी.क्यू.आर. के लिए आवेदनपत्र देना चाहिए। ऐसे मामलों में नए स्वामी या पुनः स्थापित संस्था टी.क्यू.आर. प्राप्त किए बिना मूल संस्थापक के नाम के कोटे के आधार पर निर्यात लाइसेंस का दावा नहीं कर सकती।

(6) जहां सुस्थापित निर्यातक एक लिमिटेड कम्पनी है और कम्पनी किसी अन्य कम्पनी के साथ मिल गई है, नई कम्पनी के नाम के टी.क्यू.आर. के लिए आवेदनपत्र संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को भेजे जाने चाहिए। इसके साथ सक्षम कोर्ट आदेश या विलय होने के अन्य साक्ष्य होने चाहिए।

टी.क्यू.आर. के लिए आवेदनपत्र

235. टी. क्यू. आर. के लिए आवेदनपत्र परिशिष्ट-12 में दिए गए प्रपत्र (प्रपत्र टी एक्स) में निर्धारित पर्याप्त साक्ष्य के साथ दिया जाना चाहिए। पत्तन के लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा ऐसे आवेदनपत्रों पर विचार करने के क्षेत्राधिकार परिशिष्ट-32 में दिए गए हैं। सभी शाखाओं को शामिल करते हुए आवेदक के सम्बद्ध मुख्य कार्यालय द्वारा टी.क्यू.आर. के लिए आवेदनपत्र दिया जाना चाहिए और ऐसे आवेदनपत्र उस लाइसेंस प्राधिकारी को दिए जाने चाहिए जिसके क्षेत्राधिकार में मुख्य कार्यालय स्थित है।

236. उपर्युक्त पैरा 234 (6) और 235 की शर्तों के अनुसार दिए गए आवेदनपत्रों के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए :—

(1) किसी व्यक्ति की मृत्यु के मामले में मृत्यु प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिए;

(2) किसी व्यक्ति के नाम पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिकार छोड़ने के मामले में अधिकार छोड़ने का शपथपत्र दिया जाना चाहिए;

(3) यदि कोटे का हस्तान्तरण का दावा वसीयत के आधार पर किसी वैध उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारियों के नाम में किया जाता है तो आवेदनपत्र के साथ उक्त वसीयत और उसका इच्छापत्र या अन्य वैध उत्तराधिकारियों की सहमति का शपथ-पत्र होना चाहिए;

(4) अलग होने वाली संस्था का साझीदारी संलेख;

(5) यदि यह साझीदार संस्था है तो इसमें शामिल होने वाली संस्था का साझीदारी संलेख;

(6) यदि व्यापार बेचा गया है तो दस्तावेजों के पंजीकर्त्ता के पास विधिवत् पंजीकृत हस्तान्तरण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, यदि फर्म विघटित की गई है तो विघटन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए;

(7) जहां कोटे के परिकलन के लिए समान आधार वर्ष की अपेक्षा है तो आवेदनपत्र के साथ इस आशय का शपथपत्र होना चाहिए कि पार्टियां अलग होने वाली संस्था द्वारा किए गए व्यापार के आधार पर उन्हीं मदों या उन्हीं की तरह की मदों के संबंध में कोटे की स्थापना के लिए समान आधार वर्ष का चुनाव करेंगी; और

(8) अन्य दस्तावेज, जिस पर आवेदक अपने आवेदन-पत्र के समर्थन में निर्भर कर सकता है।

237. कोटे के हस्तांतरण/विभाजन के लिए आवेदक द्वारा आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत किया गया शपथपत्र प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के सामने शपथ लिया हुआ होना चाहिए।

238. (1) नीचे के उप-पैरा (2) के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार एक सुस्थापित निर्यातक कोटे से सम्बद्ध व्यापार को संपूर्ण रूप में हस्तांतरित करने के सिवाय और किसी रूप में हस्तान्तरित नहीं कर सकते।

(2) यदि किसी सुस्थापित निर्यातक की दो या दो से अधिक शाखाएं हैं और उनसे संबंधित प्रत्येक का कोटा अलग-अलग है तो ऐसे सुस्थापित निर्यातक के लिए यह स्वतंत्रता होगी कि वह किसी भी ब्रांच के व्यापार को उस ब्रांच के हिस्से के संपूर्ण कोटे के साथ हस्तांतरित करेगा।

239. निम्नलिखित किस्म के मामलों में निर्यात लाइसेंसों के लिए दावा केवल उसी मद या समान मदों के संबंध में समान मूल वर्ष पर परिगणित कोटों के मद्दे अलग होने वाली व्यापार संस्था द्वारा किए गए व्यापार (व्यवसाय) के आधार पर किया जा सकता है।

(1) जहां कई व्यक्तियों में अलग-अलग कई हिस्सों में कोटे को विभाजित और हस्तांतरित किया गया हो तो जिस व्यक्ति के नाम से कोटा हस्तांतरित किया गया हो, उसे समान आधार वर्ष चुनना होगा। लेकिन, जहां कोई व्यक्ति अपने नाम में हस्तांतरित किसी मद का कोटा प्राप्त करता है और उसके पास उसके द्वारा स्वयं किए गए अलग व्यापार की वजह से उसी मद का पहले से ही कोटा हो तो उसके लिए उसे यह स्वतंत्रता होगी कि वह उन्हीं मदों या उसी प्रकार की मदों के सम्बंध में दोनों कोटों के मिश्रित मूल्य पर लाइसेंस का दावा करे, चाहे कोटा प्रमाणपत्र अलग-अलग आधार वर्षों के क्यों न हों। यह प्रक्रिया दो लिमिटेड कम्पनियों के विलय के मामले में भी लागू होगी;

(2) उपर्युक्त पैरा 238 (2) के अधीन आने वाले मामलों में हस्तांतरक और हस्तान्तरी को उन्हीं मदों का या उसी प्रकार की मदों का समान आधार वर्ष चुनना होगा; और

(3) इस पैराग्राफ में दिए गए प्रावधान उन मामलों में भी लागू होंगे जहां पार्टियों को टी क्यू.आर. के आवेदनपत्र देने से मुक्त किया गया हो।

240. जहां इन प्रावधानों के अनुसार टी. क्यू. आर. के आवेदनपत्र दिए जाने हैं वहां सभी प्रकार से पूर्ण आवेदनपत्र, जैसा भी मामला हो, व्यापार के स्वामित्व, व्यवस्था या नाम में परिवर्तन की तिथि से 90 दिनों के भीतर सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को भेजने चाहिए। लेकिन, लाइसेंस प्राधिकारी उचित मामलों में, इस प्रकार के आवेदन पत्र देने में हुए विलम्ब को माफ कर सकते हैं यदि ऐसे प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि विलंब आवेदक के नियंत्रण के बाहर की स्थिति के कारण हुआ है। यदि दस्तावेजी पंजीकर्ता के पास पंजीकृत व्यापार के हस्तांतरण पत्र प्राप्त करने में की गई औपचारिकताओं के कारण आवेदक, निर्धारित 90 दिन की अवधि में, सभी प्रकार से पूर्ण आवेदनपत्र देने में असमर्थ है तो हस्तांतरण पत्र की सत्यापित प्रति साथ में यह दिखाने के लिए भेज सकता है कि मूल दस्तावेज पंजीकरण के लिए जमा करवा दिए गए हैं और उसे इस आशय की वचनबद्धता देनी चाहिए कि विधिवत् पंजीकृत मूल दस्तावेज, पंजीकरण के 15 दिन के भीतर भेज दिए जाएंगे।

241. जहां टी क्यू. आर. के लिए आवेदनपत्र सभी प्रकार से पूर्ण हैं अर्थात् उपर्युक्त पैरा 236 में निर्धारित दस्तावेजों के साथ, व्यापार के स्वामित्व, व्यवस्था या नामों में परिवर्तन जैसा भी मामला हो, की तिथि से 90 दिन के भीतर सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्राप्त होते हैं या आवेदनपत्र प्राप्त होने में विलम्ब को लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा माफ कर दिया गया है तो जैसा कि ऊपर पैरा 240 में उल्लिखित है, लाइसेंस की जिस अवधि में यह परिवर्तन हुआ है, उसी अवधि में हस्तांतरक कोटे के हस्तांतरण के लिए पात्र होंगे। अन्य मामलों में, टी.क्यू.आर. उस लाइसेंस अवधि से प्रभावी होंगे जिस अवधि के दौरान टी.क्यू.आर. के लिए सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन-पत्र दिए गए हों। त्रुटिपूर्ण आवेदनपत्रों के मामलों में, टी.क्यू. आर. उस अवधि से वैध होगा जिसमें उपर्युक्त पैरा 236 में निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हों।

242. जहां आवेदक उपर्युक्त पैरा 236 में निर्धारित प्रपत्र में मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ हो, वहां टी.क्यू.आर. के आवेदनपत्र के समर्थन में उनकी फोटोस्टेट/प्रमाणित/सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत कर सकता है। बाद में आवेदक मूल दस्तावेज यह दिखाने के लिए भेज सकता है कि फोटोस्टेट/प्रमाणित/सत्यापित प्रतियां ठीक हैं। ऐसे मामलों में टी. क्यू. आर. का लाभ उस तिथि से दिया जाएगा जिस तिथि को उक्त दस्तावेजों की फोटोस्टेट/प्रमाणित/सत्यापित प्रतियां प्राप्त हुई हों, यदि ऐसी तिथि में टी.क्यू.आर. अन्यथा रूप से स्वीकार्य हो।

243. लाइसेंस प्राधिकारी टी. क्यू. आर. के आवेदन-पत्रों का अविलम्ब निपटान करेंगे। यदि टी.क्यू.आर. के लिए सभी प्रकार से पूर्ण आवेदनपत्र एक मास के भीतर नहीं निपटाया जाता है तो लाइसेंस प्राधिकारी आवेदक को अन्तरिम जवाब भेजेंगे। यदि कोई आवेदक इस सीमित अवधि में अंतरिम जवाब नहीं प्राप्त करता है तो वह सम्बद्ध निर्यात व्यापार नियंत्रण कार्यालय के जन-सम्पर्क अधिकारी के सामने इस मामले को रख सकता है या अपने आवेदनपत्र के निपटान में हुए विलम्ब का कारण जानने के लिए पूछताछ अधिकारी के माध्यम से सम्बद्ध अधिकारी से साक्षात्कार का समय ले सकता है।

244. जहां एक सुस्थापित निर्यातक ने लाइसेंस के लिए विधिवत आवेदनपत्र दिया हो, लेकिन, लाइसेन्स प्रदान करने से पूर्व व्यापार के स्वामित्व या व्यवस्था या नाम में परिवर्तन हो जाता है तो लाइसेंस ऐसे आवेदनपत्र पर जारी किया जाएगा, यदि अन्यथा रूप से नए स्वामी या स्वामियों या नई स्थापित फर्म आदि को उनके सुस्थापित निर्यातक के रूप में मान्यता प्राप्त करने के पश्चात् स्वीकार्य हो, बशर्ते कि टी. क्यू. आर. की वैधता उपर्युक्त पैरा 241 के अधीन आती हो। लाइसेंस प्राधिकारी व्यापार के दौरान पुराने स्वामियों के रोके गए दावों के मद्दे व्यापार के नए स्वामी (यों) या पुनः स्थापित उद्योगों आदि के नाम से लाइसेंस प्रदान करने पर विचार कर सकते हैं यदि अन्यथा रूप से स्वीकार्य हों, बशर्ते कि पार्टियों के बीच में समझौता या शपथपत्र या स्वत्व त्याग आदि के आशय का विशेष प्रावधान निहित हो।

245. यदि लाइसेंस प्राधिकारी सन्तुष्ट है कि आवेदक के नियंत्रण के बाहर की स्थितियों के कारण मान्यता का अनुमोदन और कोटे के अनुदान में विलम्ब हुआ है तो यह लाइसेंस प्राधिकारी की इच्छा पर होगा कि यदि आवेदनपत्र अन्यथा रूप से ठीक हो, तो अनुमोदन से पूर्व ही आवेदक को लाइसेन्स प्रदान करें।

246. निम्न प्रकार के मामलों में सुस्थापित निर्यातक का कोटा रद्द हो जाएगा:—

(1) यदि सुस्थापित निर्यातक एक व्यक्ति हो और दिवालिया घोषित कर दिया जाता है; और

(2) सुस्थापित निर्यातक एक लिमिटेड कम्पनी हो जो अपने व्यापार के हस्तान्तरण की व्यवस्था किए बिना ही समाप्त हो जाती है।

247. निम्न प्रकार के मामलों में इन नियमों के लिए व्यापार के स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा:—

(1) सार्वजनिक या निजी लिमिटेड कम्पनी में संचालकों या साझीदारों में कोई परिवर्तन नहीं होगा;

(2) जब तक अन्यथा रूप से कर्त्ता की मृत्यु न हो जाए या सेवा निवृत्ति न हो जाए। जन्म या मृत्यु से हिन्दू अविभाजित परिवार में कोई परिवर्तन नहीं होगा; और

(3) सुस्थापित निर्यातक के व्यापार के पत्ते का परिवर्तन।

248. कोई भी मामला जो उपर्युक्त पैराग्राफ के अधीन नहीं आता है, उस पर उसके अनुरूप नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा।

249. उन मामलों में जहां पूर्वोक्त प्रावधानों के अधीन टी.क्यू.आर. के लिए आवेदनपत्र भेजना आवश्यक नहीं है, आवेदनपत्र के साथ परिशिष्ट 26 में दिए गए प्रपत्र में घोषणा-पत्र संलग्न होना चाहिए।

250. जहां नए सुस्थापित निर्यातकों को टी. क्यू. आर. के लिए आवेदनपत्र देने से छूट दी गई है, यदि अन्यथा रूप से स्वीकार्य है तो, उन्हें सामान्य रूप से नियमित लाइसेंस जारी किया जाएगा। लेकिन, लाइसेंस के लिए अपने आवेदनपत्र में, व्यापार में हुए परिवर्तनों और किस तिथि से ये परिवर्तन हुए हैं, उनका उल्लेख करना होगा। यदि ऐसे मामलों में, किसी समय में दावा किए गए लाइसेंस या प्रदान किए गए लाइसेंस पर किसी व्यक्ति द्वारा आरोप लगाया गया हो तो लाइसेंस प्राधिकारी ऐसे आरोपों की जांच करेंगे और दोनों पार्टियों से आवश्यक समझे जाने वाले साक्ष्य मंगवाए जाएंगे। यदि जांच के परिणामस्वरूप, लाइसेंस प्राधिकारी यह पाता है कि सुस्थापित निर्यातक वह सारा कोटा या उसका कुछ भाग प्राप्त करने का हकदार नहीं है जिसके आधार पर वह टी. क्यू. आर. की मंजूरी लिए बिना लाइसेंस का दावा कर रहा है तो सुस्थापित निर्यातक का कोटा तदनुसार कम किया जाएगा और गलत घोषणा दिए जाने और इन नियमों का उल्लंघन करने में दोषी पाई गई पार्टियां आयात-निर्यात नियंत्रण, अधिनियम और उसके अधीन जारी किए गए आदेशों के अधीन दण्ड की भागी होंगी। ऐसे मामलों में, पार्टी द्वारा पहले से प्राप्त लाइसेंस के बढ़े हुए मूल्य/मात्रा को भी भविष्य में पार्टी की किसी भी मद के कोटे में समंजित किया जाएगा।

251. यदि उपर्युक्त पैरा 250 की शर्तों के अनुसार, सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को सुस्थापित निर्यातक के व्यापार की व्यवस्था, स्वामित्व या नाम में परिवर्तन की तिथि से 3 मास की अवधि के भीतर आरोप लगाए जाते हैं और आपत्तिकर्ता पूर्ण कोटा या कोटे के हिस्से का हकदार पाया जाता है तो वह ऐसे कोटे को अपने नाम में हस्तांतरण करने का हकदार होगा। यदि लाइसेंस प्राधिकारी संतुष्ट होता है कि आरोप लगाए जाने में विलम्ब आपत्तिकर्ता के नियंत्रण से परे की स्थिति के कारण हुआ है तो वह आरोप लगाए जाने में विलम्ब को माफ कर सकता है।

252. निम्नलिखित मामलों में टी. क्यू. आर. के आवेदन पत्र को रद्द करना लाइसेंस प्राधिकारी पर निर्भर होगा:--

(1) यदि आवेदनपत्र या आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज त्रुटिपूर्ण है;

(2) यदि लाइसेंस प्राधिकारी यह निर्णय करे कि कोटे की मान्यता या अनुदान सार्वजनिक हित में या व्यापार को जारी रखने के लिए नहीं है;

(3) यदि लाइसेंस प्राधिकारी निर्णय लेता है कि कोटे का हस्तान्तरण/विभाजन हस्तांतरण करने वाले के लेनदारों को पराजित करने के इरादे से मांगा गया है; और

(4) रिकार्ड किए जाने वाले किसी भी अन्य कारणों के आधार पर।

253. जिन व्यक्तियों को सुस्थापित निर्यातक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है और जिन्हें कोटा प्रदान किया गया है तो इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें पाई जाने पर उन्हें सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, लाइसेंस प्राधिकारी नए सुस्थापित निर्यातक को मान्यता और प्रदान किए गए कोटे से सम्बन्धित आदेश को संशोधित कर सकता है या रद्द कर सकता है :—

(1) कि कोटे की मान्यता और अनुदान के लिए आवेदन-पत्र में कोई झूठी, धोखेबाजी या गुमराह करने की सूचना शामिल है;

(2) कि आवेदक द्वारा दिए गए साक्ष्य में कोई ऐसा दस्तावेज शामिल है जो झूठा या जाली है या उसमें कोई हेर-फेर किया गया है;

(3) कि आवेदक अपने आवेदन-पत्र के मामले में भ्रष्ट या छलपूर्ण व्यवहार के लिए दोषी है; और

(4) किसी झूठी या गलत सूचना की वजह से या असावधानी से या गलती से कोटे की मान्यता दी गई है।

कोटा लाइसेंस का उपयोग करने की अनुमति

254. जहां एक सुस्थापित निर्यातक को निर्यात लाइसेंस प्रदान किया गया हो और लाइसेंस प्रदान करने के बाद किन्तु उपयोग करने से पूर्व सुस्थापित निर्यातक के व्यापार के स्वामित्व या व्यवस्था या नाम में परिवर्तन हो जाता है तो व्यापार का नया स्वामी या पुनः स्थापित उद्योग जैसा भी मामला हो, जिस लाइसेंस प्राधिकारी ने लाइसेंस जारी किया था या निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 की उपधारा 4(2) की शर्तों के अनुसार ऐसे प्राधिकारी द्वारा उसके नाम में प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति से विधिवत् लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना विषयाधीन लाइसेंस का प्रयोग नहीं कर सकता। ऐसे मामलों में सम्बद्ध प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ, प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के सामने शपथ-ग्रहण कर इस आशय का शपथपत्र संलग्न होना चाहिए कि वह उस व्यापार का असली अधिकारी है जिसके लिए उक्त लाइसेंस जारी किया गया था। इस सम्बन्ध में बाद

में पाए गए किसी भी गलत विवरण के परिणामस्वरूप की जाने वाली कारवाई के लिए वह उत्तरदायी होगा।

कोटा विभाजन/हस्तान्तरण के परिणामस्वरूप नया कोटा प्रमाणपत्र जारी करना

255. (1) नए स्वामी या पुन: स्थापित उद्यम में जैसा भी मामला हो, व्यापार के नाम में परिवर्तन किए बिना व्यापार के स्वामित्व या व्यवस्था में परिवर्तन होने पर टी. क्यू. आर. के लिए आवेदन पत्र नहीं देना है, मूल उद्यम के नाम कोटा प्रमाण-पत्र सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा उसमें परिवर्तन की प्रकृति और तिथि जिससे परिवर्तन हुआ है का संकेत करते हुए पृष्ठांकित किया जाएगा।

(2) यदि व्यापार का नाम बदल जाता है तो सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी सुस्थापित निर्यातक के कोटा प्रमाणपत्र में प्रदर्शित व्यवसाय के नाम में परिवर्तन करते हुए कोटा प्रमाण-पत्र में संशोधन करेगा। जिस तिथि से परिवर्तन हुआ है उसका संकेत देते हुए कोटा प्रमाण पत्र पर एक पृष्ठांकन भी किया जाएगा।

(3) जहां कोटे का विभाजन किया गया हो वहां विघटित फर्म के नाम में आने वाले कोटा प्रमाणपत्र और उसके प्रतिपर्ण रद्द कर दिये जाएंगे और नाम में कोटा हस्तांरित के भाग (शेयर) के अनुसार सम्बद्ध परवर्ती पार्टी के नाम में नए कोटा प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे। जिस आदेश के अधीन सम्बद्ध निर्यात व्यापार नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा विभाजन/हस्तान्तरण की अनुमति दी गई है, उसकी संख्या एवं तिथि दर्शाते हुए पुराने और नए कोटा प्रमाणपत्रों पर उनके प्रतिपर्ण पर उचित पृष्ठांकन किया जाएगा।

(4) ऊपर संकेतित परिवर्तन होने के तत्काल बाद ही संबंधित व्यक्ति को कोटा प्रमाणपत्र जारी करने वाले लाइसेंस प्राधिकारी के पास कोटा प्रमाणपत्र आवश्यक पृष्ठांकन/संशोधन के लिए भेजने चाहिए। उन मामलों में जहां नये स्वामी या पुन:-सुस्थापित उद्यम को, टी. क्यू. आर. के लिए आवेदन करना है, नए स्वामी या पुन:सुस्थापित उद्यम को, जैसा भी मामला हो, सुस्थापित निर्यातक के रूप में मान्यता देने के बाद, तत्काल ही हर हालत में, 30 दिन से पूर्व कोटा प्रमाणपत्र आवश्यक पृष्ठांकन/संशोधन के लिये संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को दिया जाना चाहिए।

अध्याय 10

अपील

256. (1) जहां कोई व्यक्ति लाइसेन्स प्राधिकारी/अपील सुनने वाले प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह उसके लिए निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील/परिशोधन आवेदन पत्र दे सकता है :—

(2) निम्नलिखित किस्म के मामलों में अपील/परिशोधन आवेदन पत्र पर विचार किया जाएगा :—

(क) आयात लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र के संबंध में;

(ख) निर्यात आभार को पूरा करने के लिए या आयात लाइसेंस के लिए लागू किसी भी शर्त के लिए आयातकों द्वारा निष्पादित विधि समझौतों/निर्यात बाण्ड/बैंक गारंटी के प्रवर्तन से सम्बन्धित मामलों में।

(3) निर्यात सदन/व्यापार सदन प्रमाणपत्र प्रदान करने के सम्बन्ध में और निर्यातकों के पंजीकरण/अपंजीकरण से सम्बद्ध मामलों में इस अध्याय में किए गए प्रावधानों के अनुसार अपील/पुनरीक्षा आवेदनपत्रों पर भी विचार किया जाएगा।

(4) इसके बाद की निहित क्रियाविधि उन मामलों में भी आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होगी जिनमें निर्यातक अपने आवेदन पत्र के विरुद्ध लिए गए निर्णय से असन्तुष्ट हो और इस सम्बन्ध में अपील/परिशोधन आवेदनपत्र देना चाहता हो।

257. **पहली अपील** :—उपर्युक्त कंडिका 256 की उप-कंडिका (2) में उल्लिखित आयात लाइसेंस के लिए आवेदनपत्र, या विधि समझौतों के प्रवर्तन से सम्बन्धित मामलों में आवेदन पत्र के सम्बन्ध में अपील, पहली बार निम्नलिखित को छोड़कर उस कार्यालय के अध्यक्ष के पास की जाएगी जिसमें आवेदन-पत्र पर विचार किया गया था :—

(क) मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली के कार्यालय में मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (लाइसेंसिंग) के मुख्यालय में विचार किए गए आवेदन पत्र के सम्बन्ध में,

(ख) (1) पांडिचेरी (2) चण्डीगढ़ और श्रीनगर (3) शिलांग, अगरतला, पटना और कटक (4) राजकोट और काण्डला, (5) विशाखापत्तनम और (6) पणजी में आयात व्यापार नियंत्रण कार्यालयों में विचार किए गए आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में क्रमशः मद्रास, केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र (नई दिल्ली), कलकत्ता, अहमदाबाद हैदराबाद और बम्बई के संयुक्त मुख्य नियंत्रक विचार करेंगे।

258. **द्वितीय अपील** :—यदि अपीलकर्ता अपनी प्रथम अपील पर अपील सुनने वाले प्राधिकारी द्वारा किए गए निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली (अपील स्कन्ध) से द्वितीय अपील कर सकता है।

259. पुनरीक्षा याचिका.—(1) द्वितीय अपील पर किए गए निर्णय के परिशोधन/पुनरीक्षण के लिए याचिका पर भी मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली द्वारा विचार किया जाएगा। परिशोधन/पुनरीक्षण की याचिका पर निर्णय किए जाने के बाद आगे किसी भी आवेदन पर पुनरीक्षा के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

(2) मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली भी अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी के पास विचाराधीन या उसके द्वारा निर्णीत निर्णय किसी भी मामले के रिकार्ड को अपने आदेश से या अन्यथारूप से मंगा सकता है और उसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश दे सकता है जिसे वह उपयुक्त और न्यायोचित समझे।

(3) मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली अपील/पुनरीक्षा आवेदनों को या तो स्वयं सुन सकता है और निपटा सकता है या अपने सामान्य या विशेष आदेश से किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी (प्राधिकारियों) को इस उद्देश्य के लिए नामित या नियुक्त कर सकता है।

अपील/पुनरीक्षा याचिका प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा

260. (1) अपील/पुनरीक्षा याचिका इस प्रकार प्रस्तुत करनी चाहिए कि जिस आदेश/निर्णय के विरुद्ध अपील की जा रही है उस आदेश/निर्णय की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर सम्बद्ध प्राधिकारी को पहुंच जाए। लेकिन, यदि अपील सुनने वाला/पुनरीक्षा करने वाला प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता पर्याप्त कारणों से निर्धारित समय में अपील नहीं कर सका तो वह अपील/पुनरीक्षा याचिका प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ कर सकता है। निर्यात सदन प्रमाणपत्र प्रदान करने/नवीकरण करने के संबंध में यदि इनकार कर दिया जाता है तो उस के लिए किए गए प्रतिवेदनों पर मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात द्वारा तभी विचार किया जा सकता है जब कि ऐसे प्रतिवेदन रद्द करने का आदेश जारी करने के 45 दिनों के भीतर दाखिल कर दिए जाते हैं।

(2) यदि आयात के लिए आवेदन-पत्र संगत आयात नीति में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रायोजक प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है और आवेदक उस आवेदनपत्र पर किए गए निर्णय से संतुष्ट न होने के कारण प्रथम अपील करना चाहता है तो ऐसी अपील उस प्रायोजक प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी, जो भी हो, के माध्यम से अपील सुनने वाले प्राधिकारी को सम्बोधित की जाए जिसको मूल आवेदनपत्र भेजा गया था।

(3) निर्णय भेजते समय, लाइसेन्स प्राधिकारी/अपील सुनने वाला प्राधिकारी इस बात का संकेत करेगा कि असंतुष्ट व्यक्ति द्वारा किस प्राधिकारी को अपील/पुनरीक्षा के लिए आवेदन किया जाए।

व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अवसर

261. यदि कोई अपीलकर्ता या याचिकादाता उसके द्वारा दायर की गई अपील/पुनरीक्षा/परिशोधन आवेदनपत्र के सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूप से कुछ कहना चाहता है और उसने अपनी अपील/याचिका में एक विवरण भेजा है या विशेष रूप से इस सम्बन्ध में संकेत किया है तो उसे व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अवसर प्रदान किया जाए। लेकिन, यदि अपीलकर्ता/याचिकादाता उसके दिए गए मौके का लाभ नहीं उठाता तो अपील पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर गुणवत्ता के आधार पर निर्णय दे दिया जाएगा।

अपील/परिशोधन आवेदन के साथ भेजे जाने वाले दस्तावेज

262. (1) अपील/परिशोधन आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज और विवरण दो प्रतियों में भेजे जाने चाहिए:--

(1) अपीलकर्त्ता का नाम और पता

(2) आयातक/निर्यातक की श्रेणी

(3) वह लाइसेंस अवधि जिससे आवेदनपत्र सम्बद्ध है

(4) आयात किए जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण

(5) मूल आवेदन पत्र और इसके साथ भेजे गए अन्य दस्तावेज की प्रति

(6) निर्णय/आदेश के विरुद्ध की गई अपील की एक प्रति

(7) अपील/परिशोधन का आधार

(8) कोई अन्य दस्तावेज/साक्ष्य जिसके आधार पर अपील की गई है।

(9) इस कथन के साथ कि क्या अपीलकर्त्ता व्यक्तिगत सुनवाई के लिए इच्छुक है।

(2) दूसरी अपील/पुनरीक्षा/परिशोधन याचिका के मामले में 10 रुपए की बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट शुल्क भुगतान के सबूत भी भेजना चाहिए।

(3) सभी अपील/परिशोधन याचिकाओं के पृष्ठ के बिल्कुल ऊपर यह स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए कि यह प्रथम अपील है या द्वितीय अपील है या परिशोधन याचिका है और संबंधित आवेदक की श्रेणी को भी दर्शाया जाना चाहिए।

निर्यात सदन/व्यापार सदन प्रमाण-पत्र को अस्वीकार अथवा रद्द करने के विरुद्ध अपील

263. (1) पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अधीन निर्यात सदन/व्यापार सदन प्रमाण-पत्र प्रदान करने अथवा नवीकरण करने के लिए आवेदन पत्र को रद्द करने के निर्णय के विरुद्ध की गई अपील अथवा निर्यात सदन/व्यापार सदन प्रमाण-पत्र को रद्द करने के विरुद्ध की गई अपील मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय, नई दिल्ली (ई. पी. प्रभाग) को भेजी जाएगी। इस प्रकार की गई अपील उस निर्णय की प्राप्ति की तिथि से जिसके विरुद्ध अपील की गई है 45 दिनों की अवधि के अन्दर अपील सुनने वाले प्राधिकारी के पास पहुंच जाए।

(2) उपर्युक्त उप-कंडिका (1) के अधीन अपील पर लिए गए निर्णय का परिशोधन/पुनरीक्षा के लिए आवेदन पत्र मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा संशोधित/पुनरीक्षा किए जाने वाले निर्णय की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों की अवधि के अन्दर भी प्राप्त किए जाएंगे।

सीमा शुल्क द्वारा लिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील

264. सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध सीमा-शुल्क विनियमों के अनुसार-निर्धारित सीमाशुल्क प्राधिकारियों के पास अपील की जाएगी।

सांविधिक आदेशों के विरुद्ध अपील

265. उन मामलों में जहां आदेश आयात एवं निर्यात अधिनियम या आयात/निर्यात (नियंत्रण) आदेश के अधीन पास किया गया है, तो अपील उनसे सम्बन्धित अधिनियमों एवं आदेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

266. (1) आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 10(2) में यह व्यवस्था है कि जहां कोई व्यक्ति धारा 8 या 8-क या 9 के अधीन की गई कार्रवाई से असन्तुष्ट होता है तो, वह ऐसी की गई कार्रवाई के विरुद्ध की गई कार्रवाई की सूचना की तिथि से 45 दिनों के भीतर ऐसे प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है जिसे अपीलों की सुनवाई के लिए केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से व्यवस्था करती है।

(2) निर्यात (नियंत्रण) आदेश, की धारा 12(2) में यह वयवस्था है कि जहां कोई व्यक्ति धारा 7 या 8 या 11 (1) के अधीन की गई कार्रवाई से असन्तुष्ट होता है तो वह ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध की गई कार्रवाई की सूचना की तिथि से 30 दिनों के भीतर ऐसे प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है जिसे केन्द्रीय सरकार अपीलों की सुनवाई के लिए सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से व्यवस्था करती है।

(3) आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 10 की उपधारा (2) और निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 की धारा 12 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार ने आयात (नियंत्रण) आदेश की धारा 8-क की उपधारा (1) और (3) तथा धारा 9 (1) और निर्यात (नियंत्रण) आदेश की धारा 7, 8, 11 (1) के अधीन कानूनी आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने और उन्हें निपटाने के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्राधिकारियों की नियुक्ति की है :--

(I) जहां उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात या संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा कार्रवाई की गई हो वहां प्रथम अपील मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात या अपर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात या निर्यात आयुक्त, नई दिल्ली को की जाएगी।

(II) जहां उपर्युक्त मद सं. (1) में उल्लिखित प्राधिकारी से भिन्न अन्य प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाती है तो वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली के सचिव और दो संयुक्त सचिव और मुख्य सतर्कता अधिकारी से बनी समिति को अपील की जाएगी।

(4) इस प्रावधान के अधीन की गई अपील के साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, उसकी सत्यापित प्रति

और कोई अन्य दस्तावेज या सूचना जिन पर अपीलकर्ता को विश्वास हो, लगी होनी चाहिए। अपील के साथ निम्नलिखित सूचना देते हुए एक प्रपत्र संलग्न होना चाहिए :—

(क) वह प्राधिकारी जिसके निर्णय के विरूद्ध अपील की गई है,

(ख) जिस आदेश के विरूद्ध अपील की गई है उसकी तिथि;

(ग) क्या अपील, लाइसेंस प्राप्त करने से विवर्जित करने या आस्थगन के विरुद्ध है (विवर्जन के मामले में, जिस अवधि के लिए अपीलकर्ता को लाइसेंस प्राप्त करने से विवर्जित किया गया हो उस अवधि का भी उल्लेख किया जाए); और

(घ) अपील करने के आधार (संक्षेप में)।

(5) जिस प्राधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपील की जा रही है, उस अपील की एक प्रति अपीलकर्ता द्वारा उस प्राधिकारी को भी निरपवाद रूप से भेजी जाए।

निर्यातकों के पंजीकरण/अपंजीकरण से संबंधित अपील और पुनरीक्षण आवेदन-पत्र

267. (1) जहां निर्यातक परिशिष्ट 10 (अनुबन्ध 1) में सूचीबद्ध पंजीकरण प्राधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट हो, जिसने उसे पंजीकृत या विपंजीकृत करने से मना किया हो तो जिस पत्र के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा रही है उस की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर वह मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को अपील कर सकता है।

(2) यदि कोई व्यक्ति मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली द्वारा उपर्युक्त उप पैरा (1) अथवा इस पुस्तक के पैरा 62 के अन्तर्गत लिए गए निर्णय से असन्तुष्ट हो तो वह ऐसे निर्णय के पुनरीक्षण के लिए जिस पत्र के निर्णय के विरूद्ध प्रतिवेदन किया जा रहा है उस की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर प्रतिवेदन कर सकता है। ऐसे प्रतिवेदनों पर विचार करने पर यदि ऐसा निश्चय किया जाता है तो मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली या तो स्वयं निर्यातक का पुनः पंजीकृत कर सकता है अथवा पंजीकरण को फिर से चालू कर सकता है या वह पंजीकरण प्राधिकारी को ऐसे निर्यातक को पुनः पंजीकृत करने या उसके पंजीकरण को चालू करने के लिए निदेश दे सकता है। ऐसे मामलों में पुनः पंजीकरण या पंजीकरण को चालू रखना, मुख्य नियंत्रक द्वारा निर्णीत शर्तों के अधीन होगा।

अध्याय 11

आयात-निर्यात लाइसेंस क्रियाविधियों से छूट

आयात

आयात प्रतिबंधों से छूट

268. (1) आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अधाव खंड 11 के अन्तर्गत उल्लिखित माल के आयात के लिए किसी आयात लाइसेंस या सीमाशुल्क निकासी परमिट की आवश्यकता नहीं है।

(2) आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की बचाव कंडिका 11 (1) (न) उस माल के आयात के लिए आयात लाइसेंस अथवा सीमाशुल्क निकासी परमिट प्रस्तुत करने से छूट देता है जिसके माल का आयात सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा-20 के अधीन पुनः आयात करने पर सीमाशुल्क से विमुक्त है। पुनः आयात करने पर आयात लाइसेंस/सीमाशुल्क निकासी परमिट प्रस्तुत करने की यह छूट उस माल के आयात पर भी लागू होगी जिस के लिए आयातक को भारतीय सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा-20 के प्रवधानों के अनुसार शुल्क वापसी और निर्यात करने के समय उपलब्ध की गई उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क के बदले में सीमाशुल्क चुकाना है।

269. आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के उप-खंड 11 (1) (छछ) में यह दिया गया है कि उपहार के रूप में प्राप्त किए गए माल से भिन्न इस खंड के अन्तर्गत आयातित माल के संबंध में भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारियों के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। इस संबंध में निम्नलिखित बातें स्पष्ट की जाती हैं:--

(1) कथित उप-खंड में वह उपहार-पार्सल शामिल नहीं है जिसके संबंध में उपहार प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा विदेश में रखी गई विदेशी मुद्रा के लेखे में से भुगतान किया जाता है; और

(2) विदेश में विदेशी मुद्रा का वह लेखा जो भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से परिचालित किया जा सकता है, उसके लेखाधारी व्यक्ति उक्त उप-खंड के अन्तर्गत आयातित माल के संबंध में ऐसी निधियों में से केवल भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से, यदि अन्यथा रूप से स्वीकार्य हो तो भुगतान कर सकते हैं।

270. आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के बचाव खंड 11 (1) के उपखंड (ज) के अनुसार सीमाशुल्क प्राधिकारियों को कार्य निष्पादन संबंधी यह अनुदेश जारी किए गए हैं कि निम्नलिखित किस्मों के माल के आयात को प्रत्येक माल के सामने उल्लिखित सीमा तक आयात व्यापार नियंत्रण क्रियाविधियों से छूट दी जाए:--

अभिदर्शित सिनेमेटोग्राफिक फिल्मों को बांड में रखना

271. सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा सेंसरशिप पुनरीक्षा या पुनः निर्यात के लिए आयात की गई और बांड में रखने के लिए अनुमित अभिदर्शित फिल्में।

अनुमोदन के आधार पर मरकत और अन्य बहुमूल्य रत्नों और हीरों का आयात और निकासी से पहले अन्तर्वस्तुओं की जांच

272. जल मार्ग या वायुमार्ग (डाक से भिन्न) द्वारा आयातित मरकत और अन्य बहुमूल्य पत्थर और हीरे आ पहुंचने पर निरीक्षण के लिए बांड में रखे जाते हैं। माल की वह मात्रा जो निरीक्षण के पश्चात् अनुमोदित की जाती है, उस की निकासी की अनुमति वैध आयात लाइसेंस के मद्दे दी जा सकती है।

टिप्पणी--पूर्वोक्त सुविधा डाक पार्सलों द्वारा मरकतों और बहुमूल्य के रत्नों के आयात के मामले में उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि यूनिवर्सल पोस्टल कनवेंशन के अंतर्गत एक पार्सल दो भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता अर्थात् एक भाग रख लेने और दूसरा भाग भेजने वाले को लौटा देने के लिए विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, डाक पार्सलों की अंतर्वस्तुएं या तो स्वीकार की जा सकती हैं या कुल मिलाकर अस्वीकार की जा सकती हैं। लेकिन, यदि माल पाने वाला ऐसा चाहेगा तो आयातक या उसके एजेंट को ऐसे डाक पार्सलों की अंतर्वस्तुओं का सीमाशुल्क प्राधिकारियों के पर्यवेक्षण में निरीक्षण करने की सुविधाएं दी जाएंगी। निरीक्षण की अनुमति सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय और तिथि को दी जाएगी। यदि आयातक नियुक्त समय और तिथि को निरीक्षण के लिए नहीं आता है तो पार्सल भेजने वाले को लौटा दिया जाएगा। यदि आयातक पार्सल को स्वीकार कर लेता है तो वह वैध लाइसेंस के आधार पर इसकी निकासी प्राप्त कर सकता है और पार्सल का सारा मूल्य लाइसेंस के नामे डाल दिया जाएगा और एक बार लाइसेंस के नामे डाला गया मूल्य रद्द नहीं किया जाएगा।

जिन मामलों में विदेश व्यापार में लगे हुए जलयान तटीय व्यापार में हस्तान्तरित कर दिए जाते हैं, उनमें पोत के भंडारगारों का हस्तान्तरण

273. उन मामलों में जहां विदेश व्यापार में लगे हुए जलयान तटीय व्यापार को हस्तान्तरित कर दिए जाते हैं, उनमें जलयान के उपभोज्य भंडार को सीमाशुल्क के भुगतान पर जलयान के साथ ही हस्तान्तरित करने की अनुमति दी जाती है।

विज्ञापन ब्लाक्स

274. प्रेषित माल के साथ विज्ञापन ब्लाक्स जो भारतीय प्रेस में विदेशी व्यापार संस्थाओं द्वारा दिए गए विज्ञापन से संबंधित समाचार प्रतिष्ठानों को निःशुल्क भेजे गए हों बशर्ते कि उनका लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य किसी भी एक समय में 800/- रुपए से अधिक न होता हो।

खाद्य पदार्थ के पार्सल

275. उपहार के रूप में विदेश से भेजे गए खाद्य पदार्थ के पार्सल।

धर्मार्थ संगठनों/व्यक्तियों द्वारा खाद्य पदार्थ आदि

276. जाति, धर्म या वर्ण के किसी भेद के बिना गरीबों और दरिद्रों को मुफ्त वितरण के लिए किसी विदेशी लोकोपकारी संगठन से या व्यक्तियों से मुफ्त उपहारों के रूप में किसी धर्मार्थ संगठन या किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थ, औषधियां, कपड़े और कम्बल, अधिसूचना सं. 84 कस्टम्स, दिनांक 13-8-1960 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार सीमाशुल्क से मुक्त हैं।

विदेशी नागरिकों द्वारा खाद्य पदार्थ और खाद्य सामग्री

277. भारत में रहता हो परन्तु भारत का नागरिक न हो, ऐसे व्यक्ति द्वारा वे खाद्य पदार्थ और खाद्य सामग्री (फल उत्पाद, अल्कोहल और तम्बाकू को छोड़कर) जो अधिसूचना सं. 135-कस्टम्स, दिनांक 20-6-1966 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार सीमाशुल्क से मुक्त हैं, बशर्ते कि एक व्यक्ति जिसके साथ उस पर निर्भर कोई संबंधी न रहता हो, उसके मामले में एक वर्ष में लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य 800/- रुपये से अधिक न हो और जिस व्यक्ति के साथ उस पर निर्भर कोई संबंधी रहता हो उसके मामले में लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य एक वर्ष में 1600/- रुपये से अधिक न हो।

भारतीय रेडक्रास सोसायटी को मुफ्त उपहार

278. भारतीय रेडक्रास सोसायटी को विदेश से प्राप्त मुफ्त उपहार बशर्ते कि ऐसे माल पर सीमा शुल्क छूट हो।

पेंटिंग

279. चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट, नेहरू हाउस, नई दिल्ली, को संबोधित "शंकर्स इन्टरनेशनल कम्पीटीशन" के लिए बच्चों की पेंटिंग।

निर्यातकों द्वारा नमूने

280. विदेश यात्रा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई विदेशी मुद्रा की ब्लैंकिट रिहाई की मद्दे निर्यात संवर्धन के लिए निर्यातकों द्वारा आयातित नमूने।

सरकारी समझौतों के अधीन राहत सप्लाई और पैकेज

281. विदेशी सरकार के साथ भारत सरकार द्वारा किए गए समझौते में शामिल किसी सरकारी एजेंसी या अन्य अनुमोदित एजेन्सी के माध्यम से समझौते में दी गई शर्तों के अधीन उपहारों के रूप में प्राप्त राहत सप्लाई और पैकेज—बशर्ते कि वे सीमाशुल्क से मुक्त हों।

वैज्ञानिक उपस्कर

282. वैज्ञानिक अनुसन्धान या गैर-वाणिज्यिक शिक्षा के उद्देश्य के लिए शिक्षा व समाज कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जिन वैज्ञानिक या शैक्षिक संस्थानों (लाभ न कमाने वाले) का अनुमोदन किया जा सकता है या कर दिया गया है, वे पुनः निर्यात की शर्त के अधीन नीचे निर्दिष्ट वैज्ञानिक उपस्कर का आयात कर सकते हैं बशर्ते कि वे उपस्कर अधिसूचना सं. 84/एफ.-11/75-कस्टम-5 दिनांक 11-9-1971 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार सीमाशुल्क से मुक्त हों :—

(1) वैज्ञानिक उपस्कर जैसे औजार, उपकरण, मशीन या उनके उप-साधित्र;

(2) ऊपर (1) में उल्लिखित वैज्ञानिक उपस्कर के फालतू पुर्जे; और

(3) जो वैज्ञानिक उपस्कर केवल वैज्ञानिक अनुसंधान या शिक्षा के उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है, उसके रख-रखाव, जांच करने, गेज करने या मरम्मत करने के लिए विशेष रूप से रूपांकित यंत्र।

लेबल, कीमत टैग और ऐसी ही निर्यात उत्पादों के लिए वस्तुएं

283. (1) भारतीय निर्यातकों को विदेशी क्रेताओं द्वारा दिए गए विशेष आदेशों के आधार पर माल पर लगाए जाने के लिए विदेशी क्रेताओं द्वारा भेजे गए लेबल, कीमत टैग और ऐसी वस्तुओं की निकासी की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि सीमाशुल्क प्राधिकारी मामले की प्रमाणिकता से सन्तुष्ट हों। इस में मुफ्त में संभरित किए जाने वाले "हैंगर्स" की के आयात भी शामिल होंगे जिनका पोशाकों के साथ पुनः निर्यात किया जाना है।

(2) पोशाकों, सलाई से बुने हुए वस्त्रों और तैयार मदों के पंजीकृत निर्यातक जब वे बाहर से आ रहे हों तो उन्हें किसी भी आयात नियंत्रण के बिना अधिकतम 1,000 रुपये (लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य) तक के लिए असबाब के एक भाग के रूप में लेबल्स की आयात करने की अनुमति होगी।

यात्रियों का असबाब

284. यात्री के असबाब के रूप में एक व्यक्ति द्वारा आयातित माल के लिए आयात लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु यह समय-समय पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा जारी किए गए असबाब नियमों के अधीन प्राप्त सीमा तक कुछ सीमाओं/शर्तों के अधीन है। केवल ऐसी वस्तुओं के लिए यह अनुमति दी जाएगी जो असबाब नियमों के अन्तर्गत यथार्थ असबाब समझे जाएंगे।

285. असबाब नियमों के अधीन माल के आयात के लिए सुविधाओं के ब्यौरे देते हुए संबंधित सीमाशुल्क अधिसूचना और पब्लिक नोटिस परिशिष्ट 4 में उद्धृत किए गए हैं। पर्यटकों, कर्मीदलों के लिए लागू नियम और निवास स्थान हस्तान्तरण नियम भी उसी परिशिष्ट में निहित हैं।

286. असबाब के रूप में मोटर वाहनों के आयात के लिए आवेदनपत्र पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली द्वारा परिशिष्ट 6 में दी गई क्रियाविधि के अनुसार विचार किया जाएगा।

राष्ट्रीय रक्षा कोष को दान

287. राष्ट्रीय रक्षा कोष को दान में दी गई वस्तुएं या रक्षा कर्मचारियों के उपयोग के लिए भारत सरकार को दान में दी गई वस्तुएं और भारतीय रेड क्रास सोसायटी को दान में दिए गए ऊन/ऊनी वस्त्र और ऊनी परिधान, बशर्ते कि वे कस्टम्स अधिसूचना सं. 168, 169 और 170—कस्टम्स, दिनांक 8-11-1972 (समय-समय पर यथा संशोधित) अनुसार सीमाशुल्क कर से मुक्त हों।

वाणिज्यिक नमूने/विज्ञापन सामग्री

288. वे वाणिज्यिक नमूने और विज्ञापन सामग्री, जिनका आयात 7-11-1952 को जनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अन्तर्गत और उसके अनुसार सीमाशुल्क कर से मुक्त है। पूर्ण ब्यौरे सम्बद्ध सीमाशुल्क समाहर्ता से प्राप्त किए जा सकते हैं।

टेलीविजन/टेप रिकार्डिंग आदि का उपहार

289. टेलीविजन/टेप रिकार्डिंग, विद्युतीय रिकार्डिंग/डिस्कस और ग्रामोफोन रिकार्ड्स के मुफ्त उपहार जिनमें कोई विदेशी मुद्रा शामिल नहीं है और जिनका कोई वाणिज्यिक

मूल्य नहीं हो, की अनुमति आकाशवाणी अथवा दूरदर्शन को है।

संयुक्त राष्ट्र संघ

290. संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारी और इसकी विशेष एजेन्सियां जो संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार एवं प्रतिरक्षण) अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत सीमाशुल्क कर के भुगतान से मुक्त है, के द्वारा माल का आयात जिसमें आयात के समय संयुक्त राष्ट्र संघ या इसकी विशेष एजेन्सियों द्वारा उनके संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकर्ताओं द्वारा या इसकी विशेष एजेन्सियां जो भी हों—द्वारा प्रकाशनों का आयात शामिल है।

अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय प्रदर्शनियों या मेलों के लिए अपेक्षित प्रदर्शन की वस्तुएं

291. भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय प्रदर्शनियों या मेलों के संबंध में अपेक्षित गैर-उपभोज्य माल के आयात की अनुमति बिना किसी आयात लाइसेंस या सीमाशुल्क निकासी परमिट के दी जा सकती है बशर्ते कि भारत में आयात की तिथि से 6 महीनों की अवधि के भीतर विषयाधीन माल का पुनः निर्यात किया जाए और माल की निकासी के समय इस उद्देश्य के लिए एक अपेक्षित बांड और बैंक गारन्टी या सक्षम सीमा शुल्क अधिकारी की संतुष्टि के लिए कोई दस्तावेज सीमाशुल्क प्राधिकारियों को भेजा जाए।

292. प्रदर्शन की वस्तुओं की बिक्री की यदि अनुमति दी जाती है तो वह केवल निर्यात के लिए अनुमित बांड अवधि के भीतर वैध आयात लाइसेंस की मद्दे दी जाएगी। यह सुविधा ऐसे वास्तविक उपयोक्ताओं को भी उपलब्ध होगी जो खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत उसी माल का आयात करने के लिए पात्र हैं। यदि आयातक के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण माल की बिक्री बांड की अवधि के भीतर नहीं की जाती है तो सीमाशुल्क प्राधिकारी अपने स्वविवेक से बांड की अवधि की वृद्धि की अनुमति दे सकते हैं।

293. प्रदर्शन की वस्तुओं से सम्बन्धित उपभोज्य मदों जैसे मुद्रित सामग्री, पैम्फलेट, साहित्य आदि के आयात की भी आयात व्यापार नियंत्रण क्रियाविधि से छूट होगी। विज्ञापन की वस्तुओं के अतिरिक्त 1500 रुपये तक के उपभोज्य माल की निकासी की अनुमति भी सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा सीमाशुल्क निकासी परमिट या आयात लाइसेंस के बिना दी जा सकती है।

विदेशी पर्वत आरोहण अभियान दल द्वारा असबाब के रूप में माल

294. विदेशी पर्वत आरोहण अभियान दलों के सदस्यों द्वारा असबाब के रूप में आयातित माल, बशर्ते कि ऐसा माल :—

(1) सीमाशुल्क कर के भुगतान से मुक्त हो; और

(2) माल की निकासी के समय आयातक सीमाशुल्क प्राधिकारियों को यह घोषणापत्र दे कि वह भारत छोड़ेगा तो गैर-उपभोज्य माल का पुनः निर्यात किया जाएगा।

टिप्पणी :—यदि आयातित माल अभियान दल के किसी एक सदस्य का नहीं है, परन्तु सारे दल का है तो दल के नेता द्वारा उपर्युक्त (2) में उल्लिखित घोषणापत्र दिया जा सकता है; तब यह देखना उसका उत्तरदायित्व होगा कि उसके द्वारा भारत छोड़ने से पहले समय तक विषयाधीन माल का पुनः निर्यात कर दिया जाता है।

भारतीय डाक्टरों द्वारा चिकित्सा उपस्कर का आयात

295. भारत में व्यवसाय करने के लिए विदेश से लौटने वाले भारतीय डाक्टरों (मेडिकल प्रैक्टीशनरों) को अधिकतम एक लाख रुपये के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के नए या उपयोग किए गए चिकित्सा उपस्करों की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि (1) सम्बन्धित व्यक्ति कम से कम दो वर्षों की अवधि से लगातार विदेश में रह रहा हो; (2) आयातित उपस्कर भारत में उसके अपने निजी पेशे के उपयोग के लिए अपेक्षित हो; (3) विषयाधीन उपस्कर विदेश में उसकी विदेशी मुद्रा की कमाई से खरीदा गया हो। एक लाख रुपए की अधिकतम मूल्य सीमा उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां विषयाधीन उपस्कर का उपयोग आयातक द्वारा उसके भारत लौटने से पूर्व विदेश में कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए किया गया हो।

वैज्ञानिकों द्वारा वैज्ञानिक औजारों/उपकरणों का आयात

296. भारत में स्थायी रूप से रहने के लिए आने वाले उच्च योग्यता प्राप्त वैज्ञानिकों को नए या उपयोग किए गए व्यावसायिक वैज्ञानिक औजारों या उपकरणों के आयात की अनुमति अधिकतम एक लाख रुपये के मूल्य तक बिना किसी आयात लाइसेंस या सीमाशुल्क निकासी परमिट के दी जा सकती है बशर्ते कि :—

(1) सम्बन्धित वैज्ञानिक कम से कम 2 वर्षों की अवधि से लगातार विदेश में रह रहा हो;

(2) आयातित उपस्कर की आवश्यकता भारत में उसके निजी उपयोग के लिए हो; और

(3) उपस्कर विदेश में विदेशी मुद्रा की उसकी निजी कमाई में से खरीदा गया हो।

एक लाख रुपए की अधिकतम मूल्य सीमा उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां विषयाधीन उपस्कर का उपयोग आयातक द्वारा उसके भारत लौटने से पूर्व विदेश में कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए किया गया हो, किन्तु कम्प्यूटर सिस्टम के मामले में (चाहे वह नया हो या पुराना) जिस का आयातक द्वारा विदेश में कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए उपयोग कर लिया जाता है तो अधिकतम मूल्य सीमा 5 लाख रुपए लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य तक होगी।

इस उद्देश्य के लिए, उच्च योग्यता प्राप्त वैज्ञानिक वह व्यक्ति होगा जो किसी भारतीय विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरी या चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री या इसके बराबर डिग्री रखता हो और जिसने अपनी विशिष्टता के क्षेत्र में विदेश में एक साल से अधिक वैतनिक पेशा किया हो।

297. जिस मामले में उपर्युक्त पैरा 295 और 296 में उल्लिखित आयातित चिकित्सा उपस्कर/औजार का मूल्य एक लाख रुपये से अधिक होता हो, उसमें सीमाशुल्क निकासी परमिट जारी करने के लिए मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली को आवेदनपत्र भेजना चाहिए। यह तभी किया जा सकता है जबकि आयातक उपर्युक्त कंडिका 295 और 296 में यथा व्यवस्थित उच्च मूल्य सीमा में छूट के लिए पात्र नहीं हों। ऐसे मामलों में सीमाशुल्क निकासी परमिट 1.5 लाख

रुपये के मूल्य तक बिना देशी निकासी की आवश्यकता के जारी किया जाएगा।

कमियों को दूर करने के लिए माल का पुनः आयात और उसके बाद पुनः निर्यात

298. भारतीय विनिर्मित माल का निर्यात और माल पाने वाले से मरम्मत और पुनः निर्यात के लिए विनिर्माता द्वारा उस माल की वापस प्राप्ति।

निजी प्रदर्शनी और प्रदर्शन के उद्देश्य के लिए पुनः निर्यात की शर्त के साथ आयात

299. (1) निजी प्रदर्शनी/प्रदर्शन के उद्देश्य के लिए उपस्कर के आयात की अनुमति बिना किसी भी आयात लाइसेन्स सीमाशुल्क निकासी परमिट के दी जाएगी बशर्ते कि विषयाधीन माल आयात करने की तिथि से 6 महीने की अवधि के भीतर पुनः निर्यात किया जाए और सम्बद्ध सीमाशुल्क प्राधिकारी के माध्यम से और उसके पास से माल की निकासी के समय आयातक इस उद्देश्य के लिए एक बांड और बैंक गारन्टी या सक्षम सीमा शुल्क अधिकारी की संतुष्टि के लिए कोई दस्तावेज का निष्पादन करें।

(2) यदि 6 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर आयातक माल का पुनः निर्यात करने में असमर्थ हो तो वह ऐसी अवधि की वृद्धि के लिए पात्रता के आधार पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली से आवेदन कर सकता है।

(3) प्रदर्शन की वस्तुओं की बिक्री, यदि अनुमेय हो तो, निर्यात के लिए अनुमित बान्ड अवधि के भीतर केवल वैध आयात लाइसेंस के मद्दे अनुमति दी जाएगी। यह सुविधा ऐसे वास्तविक उपयोक्ताओं को भी उपलब्ध होगी जो खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत उसी माल का आयात करने के लिए पात्र हैं।

खुले सामान्य लाइसेंस सं. 4 के अन्तर्गत आयात

300. (1) यथा संशोधित आयात नीति में पुनः प्रदर्शित खुला सामान्य लाइसेंस सं. 4, उसमें निर्धारित शर्तों के अधीन लाइसेंस तथा सीमाशुल्क निकासी परमिट के बिना कुछ मदों के आयात की अनुमति देता है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं :—

(1) सीमा शुल्क प्राधिकारी खुले सामान्य लाइसेंस सं. 4 के अन्तर्गत अनुमेय नमूनों और विज्ञापन सामग्री की निकासी की अनुमति दे सकते हैं चाहे सम्बन्धित आयातक को भाड़ा और बीमा खर्च क्यों न देना पड़े, बशर्ते कि नमूनों अथवा विज्ञापन सामग्री का कुल मूल्य जिसमें भाड़ा और बीमा खर्च भी शामिल हो, एक प्रेषण में खुले सामान्य लाइसेंस सं. 4 में दर्शाई गई सीमा से अधिक न हो। ऐसी परिस्थिति में, सीमा शुल्क समाहर्ता सम्बन्धित प्रविष्टि बिल पर समुचित रूप से पृष्ठांकन करेगा ताकि आयातक भाड़ा और बीमा खर्चे के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक से प्रेषण सम्बन्धी सुविधाएं प्राप्त कर सके।

(2) यह प्रतिवेदित किया गया है कि कुछ मामलों में तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वास्तविक तकनीकी और व्यापार नमूनों का आयात हवाई भाड़ा पार्सल द्वारा किया जाना चाहिए जबकि प्रेषण का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य खुले सामान्य लाइसेंस सं. 4 में निर्धारित सीमा से अधिक होता हो। यह निश्चय किया गया है कि वास्तविक तकनीकी और व्यापार नमूनों की निःशुल्क की गई ऐसी आपूर्ति के संबंध में यदि विदेशी संभरक बीमा और वायु भाड़े से सम्बन्धित खर्च भी सहता है तो सीमा शुल्क प्राधिकारी निकासी की अनुमति दे सकता है बशर्ते कि आयात अन्यथा रूप से खुले सामान्य लाइसेंस-4 के अन्तर्गत आता हो।

(3) एक प्रश्न उठाया गया है कि खुले सामान्य लाइसेंस सं. 4 के अन्तर्गत वास्तविक तकनीकी और व्यापार नमूने अथवा विज्ञापन सामग्री के अनेक प्रेषण, जिसमें प्रत्येक प्रेषण अनुमेय मूल्य सीमा के अन्तर्गत हो, एक ही संभरक द्वारा उसी प्रेषक को भेजा जाता है और उसी डाक से प्राप्त किया जाता है तो निकासी के उद्देश्य के लिए उसको एक ही प्रेषण माना जाना चाहिए अथवा विभिन्न प्रेषण। यह निश्चय किया गया है कि उपर्युक्त दर्शाए गए तरीके से विभिन्न प्रेषणों का आयात (यद्यपि प्रत्येक प्रेषण निर्धारित मूल्य सीमा से अधिक नहीं है) एक प्रेषण में वास्तविक तकनीकी और व्यापार सामग्री अथवा विज्ञापन सामग्री के आयात के लिए निर्धारित की गई सीमा का उल्लंघन होगा अतः खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली रियायत नहीं दी जाएगी।

(4) यद्यपि खुले सामान्य लाइसेंस 4 में किसी विशेष प्रकार के आयातक का उल्लेख नहीं है जो कि नमूने आयात करने के लिए पात्र है, यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल ऐसे आयातक जो कि उत्पादन अथवा वाणिज्यिक बिक्री अथवा माल के वितरण से सम्बन्धित हैं वे, विदेशी संभरकों से निःशुल्क नमूने/विज्ञापन सामग्री मंगवा सकते हैं। अतः यह निश्चय किया गया है जो आयातक उत्पादन अथवा वाणिज्यिक बिक्री अथवा वितरण से संबंधित नहीं हैं वे इन रियायतों को प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे। लेकिन, वे निर्यात संवर्धन परिषद और निर्यात सदन जिनके पास मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए निर्यात सदन प्रमाण-पत्र हैं, सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा खुले सामान्य लाइसेंस 4 के अन्तर्गत तकनीकी और व्यापार नमूनों के आयात के सम्बन्ध में रियायत दी जाएगी।

(5) व्यापार नमूना वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए सम्बद्ध मद की बिक्री को बढ़ाने के लिए है। विनिर्माता द्वारा तकनीकी नमूने की आवश्यकता उसके अन्तिम उत्पाद(दों) के डिजाइन को सुधारने/उसका विकास करने के लिए है। यह स्पष्ट किया जाता है कि खुले सामान्य लाइसेंस संख्या 4 के अन्तर्गत व्यापार नमूनों के रूप में आयात की जाने वाली उस मद के लिए, सीमा शुल्क प्राधिकारी अनुमति नहीं देगा यदि विषयाधीन मद पोतलदान के समय चालू नीति के अन्तर्गत आयात के लिए अनुमेय नहीं हो। सीमा शुल्क प्राधिकारी तकनीकी नमूने के रूप में आयात की जाने वाली मद के लिए भी अनुमति नहीं देगा यदि आयातक इस मद के उत्पादन में नहीं लगा हुआ हो और न ही इस स्थिति में हो कि वह सीमा शुल्क प्राधिकारी को

संतुष्ट कर सके कि विषयाधीन मद के उत्पादन के लिए उसकी योजना सम्बन्धित प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दी गई है।

विदेशी तकनीशियनों द्वारा निजी असबाब के रूप में निर्माण औजारों का पुनः निर्यात के आधार पर आयात

301. (1) अध्ययन, अनुसंधान अथवा अन्य अनुमोदित कार्यक्रमों के लिए भारत में आने वाले विदेशी तकनीशियन/विशेषज्ञों को भारत में उनके कार्य से सम्बन्धित औजारों और उपस्करों को पुनः निर्यात के आधार पर सीमा शुल्क निकासी परमिट के बिना ही निकासी के लिए स्वीकृति दी जा सकती है और यह स्वीकृति ऐसी वचनबद्धता के अधीन होगी जिसे सीमा शुल्क प्राधिकारी आवश्यक समझें।

(2) संरचना कार्य के लिए आने वाले विदेशी तकनीशियनों को संरचना कार्य के लिए आवश्यक संरचना औजार/परीक्षण उपकरण के लिए सीमा-शुल्क निकासी परमिट के बिना ही पुनः निर्यात के आधार पर आयात करने की स्वीकृति दी जाएगी किन्तु यह सीमा-शुल्क प्राधिकारी द्वारा मांगी जाने वाली वचन बद्धता के अधीन होगा।

विदेशी प्रचारकों अर्थात् रेडियो, प्रेस, फिल्मों और दूरदर्शन दलों और दूरदर्शन कम्पनियों द्वारा उपस्करों, कोरी फिल्मों आदि का आयात।

302. (1) भारत आने वाली विदेशी दूरदर्शन कम्पनियों द्वारा आयात किए गए उपस्कर और कोरी फिल्मों को आयात व्यापार नियंत्रण से छूट दी जाएगी; इसकी शर्त यह होगी कि विदेश मंत्रालय के विदेश प्रचार प्रभाग से और जहां आवश्यक हो, गृह मंत्रालय से भी निकासी प्राप्त करने के बाद, भ्रमण विदेश मंत्रालय/सूचना और प्रसारण मंत्रालय/पर्यटन विभाग द्वारा प्रयोजित किया गया हो। निकासी की अनुमति देते समय सीमाशुल्क प्राधिकारी आयातक से बैंक गारंटी या अन्य जमानत के साथ इस सम्बन्ध में एक वचनपत्र प्राप्त करेंगे कि भारत छोड़ते समय आयातक आयातित मदों का पुनः निर्यात कर देगा।

(2) भारत में फिल्मों की शूटिंग के लिए पुनः निर्यात के आधार पर विदेशी फिल्म कम्पनियों द्वारा सिनेमा उपस्कर और कोरी फिल्म के आयात को आयात व्यापार नियंत्रण प्रतिबन्ध से मुक्त किया गया समझा जाएगा बशर्ते कि विषयाधीन आयात को वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा सीमा शुल्क से छूट दे दी गई हो और इस के लिए या तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय या विदेश मंत्रालय (एक्स पी. डी.) द्वारा निकासी प्रदान कर दी गई हो।

भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पूना द्वारा फिल्मों का आयात

303. भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार द्वारा और बाल फिल्म सोसाइटी, बम्बई द्वारा (1) उपहारों के रूप में (2) या ऋण पर (3) या विनिमय के आधार पर (4) या विभिन्न देशों से भुगतान के आधार पर फिल्मों के आयात की अनुमति आयात नियंत्रण प्रतिबन्धों के बिना दी जायेगी बशर्ते कि आयात सीमाशुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त हो।

निर्यात

निर्यात प्रतिबन्धों से छूट

304. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 के खंड 15 की व्याप्ति के भीतर आने वाले माल के लिये किसी निर्यात लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से आयात-निर्यात नीति (जिल्द-II) 1983-84 में प्रदर्शित खुले सामान्य लाइसेंस (सो) में शामिल माल के लिये किसी निर्यात लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

वास्तविक निजी असबाब

305. जिन मदों के निर्यात के लिये सामान्यतः निर्यात लाइसेंस की आवश्यकता होती है और जिन्हें यात्री अपने निजी उपयोग के लिये या यादगार के रूप में भारत से बाहर ले जाना चाहते हैं, उनके लिये निर्यात लाइसेंसों के लिये **आवेदन करने की कठिनाई से यात्रियों को बचाने के लिये कुछ रियायतें दी गई हैं।**

306. बाहर जाने वाले यात्रियों के निजी वास्तविक असबाब, चाहे उनका निर्यात यात्रियों के साथ किया गया हो या उनके द्वारा भारत छोड़ने के 4 महीने पहले या बाद में निर्यात किया गया हो, निर्यात व्यापार नियंत्रण प्रतिबन्धों से मुक्त हैं। उपर्युक्त मामलों में सीमाशुल्कः समाहर्ता द्वारा उसके निजी विवेक से समय सीमा एक साल तक बढ़ाई जा सकती है।

307. यह रियायत केवल परिशिष्ट 5 में सूचीबद्ध उपयोग की गई या उपयोग न की गई वस्तुओं के लिये सूची में निर्धारित सीमा तक प्रतिबन्धित है बशर्ते कि वे वस्तुएं यात्री के निजी उपयोग के लिये या उसके साथ यात्रा करने वाले उसके परिवार के सदस्यों के लिये हों और अन्य पार्टियों को बिक्री या हस्तान्तरण के लिये न हों। यदि कोई यात्री ऐसी कोई वस्तु अपने साथ ले जाना चाहता हो जो परिशिष्ट 5 की सूची के क्षेत्र से बाहर है तो उसे पोत आरोहण के पत्तन या स्थल सीमा शुल्क चुंगी के सीमा शुल्क प्राधिकारियों से या साथ में न जाने वाले असबाब के मामले में निर्यात के पत्तन के सीमाशुल्क प्राधिकारियों से आवेदन करना चाहिये। सीमाशुल्क समाहर्ता अपने विवेक से निर्यात की अनुमति देने के लिये प्राधिकृत है। यदि परिशिष्ट 5 में निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा होगी तो इस सम्बन्ध में निर्यात लाइसेंस के लिये आवेदनपत्रों पर साधारणतः निर्यात व्यापार नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा किसी नियंत्रित खाद्य वस्तु जैसे अनाज, दाल आदि वस्तुओं के अतिरिक्त के लिये विचार नहीं किया जायेगा।

पोत-भण्डार

308. विदेश में जाने वाले भारतीय जलयान और विदेशी जलयान जिन में भारतीय शिपिंग एजेन्ट हों और यात्रा के दौरान भारतीय पत्तनों से होकर जाएं तो कर्मीदल और यात्री दोनों के वास्तविक उपयोग के लिए पोतभण्डारगारों के रूप में जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय परिवहन विंग द्वारा भारत के राजपत्र दिनांक 2-8-1975 में प्रकाशित अधिसूचना एस. ओ. सं. 2473 के अनुसार निर्धारित अनुपात में (परिशिष्ट 39 में दर्शाया गया) है। नियंत्रित खाद्य पदार्थ और रसद जैसे गेहूं, आटा, चावल, दाल, वनस्पति तेल आदि ले जा सकते हैं। उपर्युक्त अनुपात के आधार पर मदों का निर्यात सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सीधे ही अनुमेय होगा।

डाक द्वारा निर्यात

309. उपहार के रूप में या वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिये डाक पार्सल द्वारा माल का निर्यात पोस्टल नोटिस सं. 13, दिनांक 3-12-1973 की शर्तों के अनुसार नियंत्रित किया गया है। पोस्टल नोटिस परिशिष्ट 17 में उद्धृत किया गया है।

310. पोस्टल नोटिस की व्याप्ति के भीतर आने वाली मदों को छोड़कर अन्य सभी मदों के निर्यात की अनुमति (दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी-पश्चिमी अफ्रीका संघ को छोड़कर) चाहे उपहार के रूप में या वाणिज्यिक माल परेषण के रूप में निर्यात लाइसेन्सों के बिना दी जायेगी।

311. पोस्टल नोटिस में शामिल वस्तुओं वाले पार्सलों का निर्यात तब तक अनुमेय नहीं है जब तक उपयुक्त लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये निर्यात लाइसेन्सों में वे मदें शामिल न हों। लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्र परिशिष्ट 12 में उद्धृत प्रपत्र बी. एक्स में देने चाहिए।

312. डाक पार्सल द्वारा या जलमार्ग या वायुमार्ग द्वारा भेजे गए वाणिज्यिक नमूने आयात-निर्यात नीति (जिल्द-I) 1983-84 के परिशिष्ट 17 में उद्धृत खुले सामान्य लाइसेंस-2 में शामिल हैं।

313. माल भेजने वाले का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि जिस मामले में ऐसे लाइसेंस की आवश्यकता हो, तो उस मामले में पार्सल उचित निर्यात लाइसेंस में शामिल है, ऐसा न होने पर पार्सल वापस किया जा सकता है। पार्सल पहली बार में ही डाकखाने द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो इस बात की गारन्टी नहीं मिल जाती है कि निर्यात नियंत्रण की आवश्यकताएं पूरी कर ली गई हैं और डाक से भेजने की वजह से प्रतिपूर्ति या वापसी के लिये कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

अध्याय 12

आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण विनियमनों का अतिक्रमण

314. इस समय लागू आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 और निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977, परिशिष्ट 1 और 2 में उद्धृत किए गए हैं। आयातक, निर्यातक और अन्य सम्बद्ध व्यक्ति अधिनियम और उससे सम्बद्ध आदेशों में दिए गए प्रावधानों को ध्यान पूर्वक पढ़ें क्योंकि उनका किसी प्रकार का उल्लंघन करने पर उन्हें सजा दी जाएगी।

315. अधिनियम के खंड 6 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार ने अधिनियम के खंड 5 के अधीन सजा योग्य किसी भी प्रकार के अपराध के सम्बन्ध में अदालत में लिखित रूप में शिकायत करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारियों को प्राधिकृत किया है :—

(1) संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात (2) उप मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात (3) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन सीमाशुल्क के अधिकारी (4) लोहा एवं इस्पात, नियंत्रक और लोहा एवं इस्पात उपनियंत्रक (5) केन्द्रीय जांच ब्यूरो के आर्थिक जुर्म खंड के पुलिस अधीक्षक।

316. जुर्माने के अलावा जो कि यथा-संशोधित आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम और सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अधीन लगाए जा सकते हैं जारी किए गए लाइसेन्स, जैसा भी मामला हो, आयात (नियंत्रण) आदेश या निर्यात (नियंत्रण) आदेश में उल्लिखित एक या अन्य स्थितियों में रद्द अथवा अप्रभावित किए जा सकते हैं।

आयातित माल के उपयोग की जांच करना

317. (1) वास्तविक उपयोक्ता और पंजीकृत निर्यातकों द्वारा आयातित माल के उपयोग की जांच के लिए, जांच-पड़ताल की एक प्रक्रिया विद्यमान है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत (राज्य) औद्योगिक निदेशक से और अन्य प्रायोजक प्राधिकारी से परामर्श कर लाइसेंस प्राधिकारी, वास्तविक उपयोक्ताओं ने जिस सीमा तक और जिस तरीके से आयातित माल का उपयोग किया है, उसकी जांच करेंगे और यह जांच उन शर्तों को ध्यान में रखकर करेंगे जिन शर्तों के अधीन ऐसे माल के आयात/आबंटन की अनुमति दी गई थी।

(2) जहां एक वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) को किसी भी उत्पाद के संबंध में महानिदेशक तकनीकी विकास, नई दिल्ली या विकास आयुक्त (लघु पैमाना उद्योग), नई दिल्ली या इलैक्ट्रोनिक विभाग, नई दिल्ली या संबद्ध प्रायोजक अधिकारी द्वारा यथा निर्धारित चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम पूरा करना है तो ऐसे वास्तविक उपयोक्ता द्वारा इस प्रकार के उत्पाद के 63 विनिर्माण के लिए आयात लाइसेंस के मुद्दे या लागू आयात नीति के अन्तर्गत खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन आयातित संघटकों का उपयोग, पूरी तरह निर्धारित चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम की शर्तों के अनुसार किया जाएगा। अनुमोदित चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम की शर्तों का उल्लंघन करके यदि आयातित संघटकों का किसी भी प्रकार से उपयोग किया जाता है तो प्रायोजक प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपने अधिकारों का प्रयोग कर वास्तविक उपयोक्ता के विरुद्ध जो भी कार्रवाई कर सकता है उस के अलावा वास्तविक उपयोक्ता के विरुद्ध आयात व्यापार नियंत्रण विनियमों के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

318. अन्य बातों के साथ-साथ रिहाई आदेश इस शर्त के अधीन भी है कि आयातक निर्धारित तरीके से आयातित माल के उपभोग एवं उपयोग का निर्धारित तरीके से लेखा रखेगा और ऐसे लेखे को लाइसेंस प्राधिकारी/प्रायोजक प्राधिकारी या अन्य सम्बद्ध प्राधिकारी को उनके द्वारा निर्दिष्ट समय में प्रस्तुत करेगा।

319. अपराध की किस्में जिनमें आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण अधिनियमों के उल्लंघन के साथ-साथ आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम या उसके अधीन जारी आदेशों या उन शर्तों का उल्लंघन भी शामिल है जिनके अधीन लाइसेंस जारी किया गया था और साथ ही लाइसेंस प्राप्त करने में या आयातित माल का आबंटन प्राप्त करने में कोई गलत अभ्यावेदन या विदेश व्यापार में अन्य कोई अपराध किया गया हो तो वह भी शामिल है। सीमा-शुल्क, विदेशी मुद्रा अधिनियम आदि से सम्बद्ध अन्य कानूनों का उल्लंघन करने पर भी कार्रवाई की जाएगी।

320. जहां कोई लाइसेन्स किसी समय अस्थाई रूप से या गलती से या असावधानी से जारी किया गया है या किया गया था या लाइसेंसधारी की हकदारी से अधिक है या भ्रामक अभ्यावेदन से प्राप्त किया गया है या लागू नियमों एवं अधिनियमों के विपरीत प्राप्त किया है तो इस विषय में की जाने वाली अन्य कार्रवाई को ध्यान में रखे बिना लाइसेंस प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे लाइसेंसों का मूल्य घटा ले या उस मद की या किसी अन्य मद या मदों की किसी श्रेणी के अन्तर्गत लाइसेंसधारी की बाद की हकदारी में उसे समंजित करे। यह प्रक्रिया सरणीबद्ध अभिकरणों द्वारा किए गए आबंटन और रिहाई आदेश के लिए भी लागू है।

रिहाई आदेश को रद्द करना

321. लाइसेन्स प्राधिकारी आयातित माल के आबंटन के लिए जारी किए गए रिहाई आदेशों को रद्द कर सकता है या अन्यथा रूप से उन्हीं आधारों पर अप्रभावी कर सकता है जो आयात लाइसेंस को रद्द करने के लिए लागू होते हैं। रिहाई आदेश रद्द करने की कार्रवाई करने से पूर्व रिहाई आदेशधारी को मामले की सुनवाई के लिए उचित अवसर दिया जाएगा।

सनदी/लागत लेखापाल/सनदी इंजीनियर की जिम्मेदारी

322. आयात-नीति के अंतर्गत सनदी/लागत लेखापाल/सनदी इंजीनियर को विभिन्न प्रकार के दायित्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं। उनसे यह आशा की जाती है कि वे सम्बद्ध आवेदक को ऐसे प्रमाण पत्र देते समय आवश्यक सावधानी और कर्त्तव्यपरायणता का उपयोग करेंगे। ऐसा करने में असमर्थ होने पर और अनुचित या गलत प्रमाणपत्र देने पर उन के विरुद्ध दण्डात्मक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है यह उन सभी व्यक्तियों के लिए बराबर लागू होगा जिन्हें आयात नीति के अधीन इसी प्रकार की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अध्याय 13

अप्राधिकृत आयात

वैध आयात

323. आयात लाइसेन्स के अधीन किए गए आयात को तभी विधिवत् माना जाता है जब आयातित माल का ब्यौरा, मूल्य और मात्रा लाइसेंस के अनुसार हो और संभरक देश से माल का पोत-लदान/परेषण लाइसेंस की वैध अवधि में हो जाता है।

लाइसेंसों के अधीन न आने वाले आयात

324. कोई मद जिसके लिए लाइसेन्स अपेक्षित हो यदि वह बिना वैध लाइसेंस के ही आयात की जाती है या उसकी निकासी की जाती है तो देश में उसका आगमन अप्राधिकृत माना जाएगा और माल का आयातक/स्वामी, आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और उसके अधीन जारी किए गए आदेशों के अधीन इस विषय में की गई अन्य कार्रवाई को ध्यान में रखे बिना ही सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के प्रावधानों के अधीन सजा का भागी होगा।

सीमा-शुल्क के क्षेत्राधिकार

325. माल की निकासी और कर-निर्धारण का काम सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा। आयातित माल लाइसेंस में दिए गए ब्यौरे के समरूप है या नहीं, उनका निर्णय करना सीमाशुल्क प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार में होगा। यद्यपि लाइसेंस में दिए गए माल के सही ब्यौरे या आयात से सम्बद्ध अन्य मामले के सम्बन्ध में सन्देह होने पर सीमाशुल्क प्राधिकारी आयात व्यापार नियंत्रण प्राधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं; परन्तु अन्ततः मामला सीमाशुल्क प्राधिकारियों के हाथों में ही रहेगा।

संयुक्त समिति

326. वास्तविक कठिनाइयों के मामले में आयातकों की सहायता के लिए, प्रत्येक पत्तन पर लाइसेंस और सीमाशुल्क प्राधिकारियों की संयुक्त समिति बनाई गई है। समिति की नियमित बैठक होती है और आयातों से पहले एवं बाद की पूछ-ताछ और आयातकों की कठिनाइयों पर विचार करती है।

पोतलदान से पूर्व संशोधनों के लिए निवेदन

327. यदि आयातक लाइसेन्स में कोई असंगति पाता है तो उसे सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को लाइसेंस में संशोधन के लिए तत्काल आवेदन करना चाहिए। किसी भी मामले में इस प्रकार के संशोधन के लिए संभरण को देश से माल लादे जाने/प्रेषण किए जाने से पूर्व निवेदन करना चाहिए जिससे कि यदि किसी वजह से परिवर्तन या संशोधन की अनुमति नहीं दी जाती है तो आयातक अपने संभरक को आवश्यक समंजन की सलाह दे सकें। लाइसेंस में किसी संशोधन या पुनर्वैधीकरण चाहने वाले आवेदक को स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए कि उस लाइसेंस के अधीन आने वाले माल को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप में पहले से ही लादा गया है/परेषण किया गया है या नहीं। इस विषय में कोई भी भूमिक/या गलत विवरण देने पर लाइसेंसधारी/आयातक पर, आयात व्यापार नियंत्रण नियमों एवं विनियमों के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

328. संभरक देश से माल के पोतलदान/परेषण के बाद लाइसेंस के संशोधन के लिए किए गए निवेदन, यदि कोई हो तो, को आयात व्यापार नियंत्रण प्राधिकारी सरसरी तौर पर रद्द कर सकता है। ऐसी अवस्था में मामला सीमा शुल्क प्राधिकारियों के पास पड़ा रहेगा इसलिए आयतकों को उस सीमा शुल्क प्राधिकारी से सम्पर्क करना चाहिए जो संगत नियमों के संदर्भ में ऐसे मामलों पर विचार करेंगे।

अप्राधिकृत आयात के लिए दण्ड

329. अप्राधिकृत आयात के संबंध में लगाया गया जुर्माना/दण्ड अधिक भी हो सकता है और यहां तक की माल को जब्त भी किया जा सकता है या माल के आयात/स्वामी पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में, माल के आयातक/स्वामी को माल के पुनः लदान की अनुमति भी दी जा सकती है; परन्तु, ऐसे मामलों में भी माल का आयातक/स्वामी देय जुर्माने/दण्ड का भागी होगा। इसलिए, आयातक अपने भले के लिए यह आश्वासन दें कि जो कुछ भी माल देश में वे आयात कर रहे हैं वे लाइसेंस में दिए गए ब्यौरों के बिल्कुल अनुरूप हैं और न तो परेषण लाइसेंस में दिए गए मूल्य या मात्रा की सीमा से अधिक है और न ही जो कुछ भी आयात के लिए प्राधिकृत किया गया है उससे किसी भी तरह भिन्न है।

जब आयातक लाइसेंस प्रस्तुत करने में असमर्थ हो तब माल की निकासी

330. उस मामले में जहां आयातक आयातित माल के लिए वैध आयात लाइसेंस रखने का दावा करता है परन्तु वह विभिन्न पत्तनों पर लाइसेंस के अधीन आने वाले माल के पहुंच जाने पर, विशेष पत्तन पर सीमा शुल्क समाहर्ता को लाइसेंस प्रस्तुत करने में असमर्थ होता है या अन्य किसी वजह से लाइसेंस प्रस्तुत करने में असमर्थ होता है तो सीमाशुल्क समाहर्ता यदि आयातक के तर्क से सन्तुष्ट होता है तो जहां तक आयात व्यापार नियन्त्रण अधिनियमों का सम्बन्ध है, आयातक द्वारा बांड या परिशिष्ट 25 में दिए गए प्रपत्र में गारन्टी पत्र प्रस्तुत करने पर माल की निकासी की अनुमति देगा। यह सीमाशुल्क समाहर्ता की इच्छा पर निर्भर होगा कि वह बाद की तिथि को माल के लिए आयात लाइसेंस प्रस्तुत करने के लिए आयातक से बांड या गारन्टी पत्र स्वीकार करे या न करे।

अध्याय 14

जन-सम्पर्क

331. मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में जन-सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। छोटे कार्यालयों में, कार्यालय का प्रमुख अधिकारी यह कार्य स्वयं करेगा।

काउन्टर सहायता पद्धति

332. लाइसेन्सों के लिए आवेदन-पत्रों को शीघ्र निपटाने के लिए लाइसेंस कार्यालयों में "काउन्टर सहायता पद्धति" आरम्भ की गई है। इस पद्धति के अंतर्गत लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्रों को औपचारिक रूप से दाखिल करने से पहले उसकी तुरन्त जांच करने के लिए प्रत्येक लाइसेंस कार्यालय में काउंटर पर कम से कम नियंत्रक के ओहदे का एक अधिकारी उपलब्ध होगा। इसलिए आवेदक काउन्टर पर ऐसे अधिकारी से सम्पर्क कर सकता है और विधिवत् भरा हुआ अपना आवेदन-पत्र उनको दिखा सकता है। सम्बद्ध अधिकारी आवेदन-पत्र को पढ़ेगा और यदि कोई त्रुटि होगी तो उसे आवेदक को बताएगा। आवेदन पत्रों की पहले ही इस प्रकार जांच कर लेने से बार-बार पत्राचार करने में और आवेदनपत्रों को निपटाने में जो विलम्ब होता है उसमें पर्याप्त कमी होगी और इससे आवेदक को सहायता मिलेगी।

333. काउन्टर पद्धति उन छोटे संशोधनों या लाइसेन्सों के पुनर्वैधीकरण के लिए भी उपलब्ध की जा सकती है जिनमें विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं होती, जैसे माल की सूची में शुद्धियों के लिए आवेदन करना, लाइसेंस पर या माल की सूची पर सुरक्षा मोहर लगाना, या लाइसेंस पर लगाई गई किसी शर्त के नीचे या लाइसेंस से संलग्न माल की सूची पर लाइसेंस प्राधिकारी के हस्ताक्षर कराना। ऐसे मामलों में आवेदन-पत्र एक रसीद देकर "काउन्टर" पर लिए जाएंगे और आवेदक को लाइसेंस वापस लेने के लिए निश्चित तिथि दी जाएगी जो उक्त रसीद वापस कर देने पर दिया जाएगा।

विलम्ब की रोकथाम

334. (1) लाइसेन्सों के लिए आवेदन-पत्रों या पत्राचारों को निपटाने में होने वाले विलंब को रोकने के लिए हर प्रकार का प्रयत्न किया जाता है। अत्यधिक विलम्ब के मामलों की सूचना जन-सम्पर्क अधिकारी को दी जा सकती है।

(2) आयात आवेदन-पत्रों पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए क्षेत्रीय लाइसेंस कार्यालयों में एक "समयबद्ध" निपटान पद्धति आरंभ की गई है। इस पद्धति के विस्तृत ब्यौरे मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के सभी कार्यालयों में उपलब्ध हैं।

335. मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली को विलम्ब से संबंधित भेजी गई शिकायतों के शीर्ष पर "विलम्ब के विरुद्ध शिकायत" शब्द विशेष रूप से लिखे होने चाहिएं। ऐसी शिकायतों पर उचित समय के भीतर कार्रवाई की जाए इसको सुकर बनाने के लिए आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी शिकायतें दो प्रतियों में भेजें।

पूछ-ताछ स्लिप

336. यदि किसी आवेदक को उसके आवेदन-पत्र की तिथि से 15 दिनों की अवधि (संशोधित/पुनर्वैधीकरण के मामले में 10 दिन) के भीतर उसके आवेदन-पत्र का उत्तर प्राप्त नहीं होता है और वह आवेदक अपने मामले की स्थिति का पता लगाना चाहता है, तो वह परिशिष्ट 30 में दिए गए प्रपत्र में पूछताछ स्लिप भरे और उसे सम्बद्ध लाइसेंस कार्यालय में पूछताछ काउन्टर पर दे। जन-सम्पर्क अधिकारी/पूछ-ताछ अधिकारी सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदक को तिथि और समय बताएगा। उसे सूचना एकत्र करने के लिए दी गई तिथि और समय पर कार्यालय से सम्पर्क करना चाहिए।

आयात/निर्यात नीति और क्रियाविधियों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

337. आयात-निर्यात नीति, 1983-84 के अध्याय 20 के उपबंधों की ओर विशेष ध्यान दिलाया जाता है। जो व्यक्ति आयात-निर्यात नीति और संबन्धित क्रियाविधियों के संबंध में किसी प्रकार का मार्ग दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, वे क्षेत्रीय कार्यालयों के जन-संपर्क अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। यदि वे जन-संपर्क अधिकारी द्वारा दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो उनको कार्यालय अध्यक्ष से मिलने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात भी व्यापार और उद्योग सदनों/संस्थाओं से/नीति और क्रियाविधियों के सम्बन्ध में पत्रों पर सहर्ष विचार करेगा। एक ही विषय पर बार-बार में स्पष्टीकरण न देना पड़े, इसके लिए वे अपने प्रश्न मासिक आधार पर समेकित कर सकते हैं। मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात प्रश्नकर्ताओं और वाणिज्य विभाग के प्रकाशनों के लिए चन्दा देने वाले व्यापार सदनों और संस्थानों को उत्तर परिचालित करेंगे।

मुलाकात

338. सामान्य रूप से सभी मामले पत्राचार द्वारा तय कर लेने चाहिए, परन्तु अपने मामले की स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवेदक द्वारा पूछ-ताछ स्लिप की सुविधा भी उपलब्ध की जा सकती है। लेकिन, जिन मामलों में पूछ-ताछ स्लिप में दी गई सूचना से या अपील के सम्बन्ध में आवेदक संतुष्ट न हुआ हो और वह व्यक्तिगत रूप से मामले पर लाइसेंस अधिकारी से विचार विमर्श करना आवश्यक समझता हो, तो वह संबद्ध अधिकारी से मुलाकात कर सकता है। उचित मामलों/परिस्थितियों में मुलाकातों के लिए उन आवेदनों पर भी विचार किया जा सकता है जिसमें आवेदक ने उपर्युक्त पैरा 336 में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग न किया हो।

339. (1) मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली से और क्षेत्रीय लाइसेंस कार्यालयों के मुख्य अधिकारियों से मुलाकात करने की व्यवस्था उनके निजी सचिवों के माध्यम से करनी चाहिए।

(2) अन्य अधिकारियों से मुलाकात की व्यवस्था सामान्यतः प्रत्येक कार्यालय से सम्बद्ध पूछताछ कार्यालय के माध्यम से होनी चाहिए। आवेदक को मुलाकात का उद्देश्य और अपने मामले का ब्यौरा निर्धारित प्रपत्र, देखिए परिशिष्ट-16, में देना चाहिए। जन सम्पर्क अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए प्रपत्र भरने की आवश्यकता नहीं है। विशेष रूप से बाहर से आने वाले आवेदकों को निर्धारित प्रपत्र में सूचना न देने पर मामले का ब्यौरा देते हुए, अनुरोध करने पर उनको मुलाकात करने का मौका दिया जाए।

(3) मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली के कार्यालय में संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात या इस से ऊपर के अधिकारी आवेदक द्वारा परिशिष्ट 16 का प्रपत्र भरे बिना भी अत्यावश्यक मामलों में मुलाकात की अनुमति दे सकते हैं।

340. जब तक अन्यथा रूप से प्राधिकृत न किया गया हो, मुलाकात केवल उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात या इससे ऊपर के अधिकारियों द्वारा मंजूर की जाएगी। यह बात नोट कर लेनी चाहिए कि मुलाकात बुक कराने वाला व्यक्ति आवेदक फर्म या कम्पनी का मालिक/साझीदार/संचालक होना चाहिए या उसका नियमित कर्मचारी होना चाहिए या वह व्यक्ति आवेदक फर्म द्वारा उस लिखित प्राधिकारपत्र द्वारा प्राधिकृत होना चाहिए जो मुलाकात बुक कराते/मांगते समय पूछ-ताछ अधिकारी और मुलाकात अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। मुलाकात चाहने वाले व्यक्ति को ऐसी मुलाकातों से सम्बन्धित सभी अनुदेश जो सभी लाइसेंस कार्यालयों में नोटिस बोर्ड पर लिखे हुए हों या अन्यथा प्रकाशित किए गए हों, का अनुपालन करना चाहिए। लेकिन, आयात व्यापार नियंत्रण संगठन के कर्मचारियों के कमरों में प्रविष्टि या स्टाफ के साथ व्यक्तिगत रूप से सम्बन्ध पर कठोर प्रतिबन्ध है।

341. (1) एक लाइसेन्स प्राधिकारी अपनी निजी समझ-बूझ से उस व्यक्ति को मुलाकात के लिए मना कर सकता है जो आवेदक फर्म या कम्पनी का मालिक/साझीदार/संचालक न हो या उसका नियमित रूप से कर्मचारी न हो चाहे, उस व्यक्ति के पास आवेदक फर्म का प्राधिकार पत्र क्यों न हो।

(2) आयातकों और निर्यातकों को अपने निजी हित के लिए उन व्यक्तियों (फर्म या कम्पनी के या इनके नियमित रोजगार में स्वामी/साझीदार/संचालक से भिन्न) के नाम और पूर्ण पते देते हुए अग्रिम सूचना सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजनी चाहिए जो उनके मामलों को लाइसेंस कार्यालयों में प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने प्राधिकृत किए हैं। ऐसी सूचना सम्बद्ध लाइसेंस कार्यालय के जन सम्पर्क अधिकारी को अधिक से अधिक 15 मई, 1983 तक अवश्य पहुंच जानी चाहिए। उसके बाद ऐसे व्यक्तियों को मुलाकात की अनुमति केवल तब दी जाएगी जब कि उन के नामों की सूचना विधिवत् प्राप्त हो गई हो। इन में वे मामले शामिल नहीं होंगे जिनमें मुलाकात प्राधिकारी अन्य विश्वसनीय कारणों से व्यापार/उद्योग मंडल/संघ आदि के सदस्यों को मुलाकात की अनुमति देगा।

(3) वे आयातक और निर्यातक जिन्होंने 1982-83 में उपर्युक्त उप-कंडिका (2) के अंतर्गत लाइसेंस प्राधिकारियों को सूचनाएं भेज दी थीं, उन्हें पुनः वही सूचना भेजने की तब तक आवश्यकता नहीं है जब तक कि पहले भेजे गए नामों में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

अध्याय 15

विविध

पंजीकरण का पत्तन

342. आयात तथा निर्यात नीति 1982-83 के अन्तर्गत जारी किया गया प्रत्येक आयात लाइसेंस भारत में किसी भी सीमा शुल्क पत्तन (वायु सीमा शुल्क सहित) के माध्यम से माल के आयात के लिए वैध होगा। किसी भी प्रकार का पृष्ठांकन नहीं किया जाएगा या इस सम्बन्ध में इसकी आवश्यकता नहीं होगी। अतः प्रत्येक लाइसेंसधारी को सलाह दी जाती है कि वह अपने लाइसेन्स को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और उसमें बताए गये नियम एवं क्रियाविधि के अन्तर्गत पत्तन के उस उचित सीमा-शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराये जिसके माध्यम से वह आयात करना चाहता है।

खण्डित लाइसेंस

343. (1) लाइसेन्स प्राधिकारी विभिन्न सीमा शुल्क पत्तनों पर माल की निकासी के लिए या आर. ई. पी. लाइसेंसों के आंशिक रूप से हस्तान्तरण के लिए प्रमुख लाइसेंस के बदले में 'खंडित' लाइसेंस जारी करने के आवेदनों पर विचार कर सकते हैं। लाइसेंसधारी को 'खंडित' लाइसेंसों के लिए अपने आवेदन के समर्थन में पर्याप्त औचित्य प्रस्तुत करना चाहिए। 'खंडित' लाइसेंसों के लिए आवेदन पर सीमा शुल्क पत्तन पर केवल मुख्य लाइसेंस के पंजीकरण के पूर्व ही विचार किया जाएगा। (एक ही सीमा शुल्क कार्यालय के विभिन्न भागों के माध्यम से माल की निकासी के लिए लाइसेंसधारी नीचे की कंडिका 343 के अन्तर्गत पूरक लाइसेंस प्राप्त कर सकता है)।

(2) "खंडित" लाइसेंस जारी करते समय मुख्य लाइसेंस का मूल्य तदनुरूप घट जाएगा। 'खण्डित' लाइसेंस की वही वैधता अवधि होगी जो मुख्य लाइसेंस की है।

(3) वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक) को जारी किए गए आटोमैटिक लाइसेंसों के मामले में 'खण्डित' लाइसेंस पर एक शर्त यह होगी कि वे निषेध मदों के आयात के लिए वैध नहीं होंगे।

(4) निर्यात सदनों, व्यापार सदनों को जारी किए गए अतिरिक्त लाइसेन्सों के मामले में 'खंडित' लाइसेन्स जारी करते समय लाइसेंस प्राधिकारी निम्न प्रकार से मुख्य लाइसेंस पर और प्रत्येक 'खण्डित' लाइसेंस पर भी पृष्ठांकन करेगा :—

> "लाइसेंसधारी इस बात का सुनिश्चय करेगा कि यदि मुख्य लाइसेंस और 'खण्डित' लाइसेंस दोनों को मिला दिया जाए तो उनके मद्दे एकल मद के आयात का मूल्य निर्धारित अधिकतम मूल्य सीमा से अधिक नहीं होगा और इस सम्बन्ध में वह सम्बद्ध प्रविष्टि बिल पर एक घोषणा भी करेगा।"

दूसरी ओर लाइसेंसधारी को मुख्य अतिरिक्त लाइसेंस और इसके 'विखण्डित' लाइसेंसों की प्रत्येक मद के लिए अनुमेय अधिकतम मूल्य सीमा को विभाजित करने की स्वतन्त्रता होगी और यह तब तक होगी जब तक कि नीति के अधीन अनुमेय उस मद का अधिकतम मूल्य/मदवार मूल्य आयात के लिए अनुमेय कुल मूल्य से अधिक न हो जाता हो।

(5) आर. ई. पी. लाइसेंसों (अतिरिक्त लाइसेंसों से भिन्न) के सम्बन्ध में भी 'खण्डित' लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदनों पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि :—

(1) मांगे गए "खण्डित" लाइसेंस का मूल्य 5 लाख रुपये से कम न हो और इसके साथ-साथ मुख्य लाइसेंस में बाकी रहा शेष मूल्य भी 5 लाख रुपए से कम न हो, और

(2) जहां मुख्य लाइसेंस एक मद के आयात के लिए प्रतिशत, मूल्य सीमा और साथ ही साथ सम्पूर्ण अधिकतम मूल्य सीमा दोनों के अधीन वैध हो तो मुख्य लाइसेंस और साथ ही साथ 'खंडित' लाइसेंस पर प्रतिशत मूल्य सीमा की अतिरिक्त उपयुक्त विशिष्ट अधिकतम मूल्य सीमा भी चिह्नित होगी जिससे कि 'खंडित' लाइसेंस का मद-वार मूल्य अनुमेय सीमाओं से अधिक न हो जाए।

(6) उन मामलों में भी 'खंडित' लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदनों पर विचार किया जा सकता है जिनमें आर. ई. पी. लाइसेंस का धारक आर. ई. पी. लाइसेंस का एक भाग हस्तांतरण करना चाहता हो और शेष भाग 'वास्तविक उपयोक्ता' शर्त के साथ उपयोग करना चाहता हो। ऐसे मामलों में उपर्युक्त उप-कंडिका 5 में आने वाले मामलों को छोड़कर मुख्य लाइसेंस के मद्दे एक से अधिक 'खंडित' लाइसेंस नहीं जारी किया जाएगा।

(7) 'खंडित' लाइसेंस के लिए आवेदन पत्रों के निर्धारित आवेदन शुल्क के भुगतान को दर्शाते हुए प्रत्येक खंडित लाइसेंस के लिए 25 रुपए की बैंक रसीद/बैंक ड्राफ्ट लगा होना चाहिए।

पूरक लाइसेंस

344. (1) एक ही सीमा शुल्क कार्यालय के विभिन्न अनुभागों के माध्यम से माल की निकासी को सुविधाजनक बनाने के लिए पत्तन के लाइसेंस प्राधिकारी वर्तमान लाइसेंस के आधार पर सहायक लाइसेंस जारी करने के आवेदन-पत्रों पर विचार करेंगे। सहायक लाइसेंस प्राप्त करने के सम्बन्ध में किसी भी पत्तन के लाइसेंस प्राधिकारी को आवेदन-पत्र दिया जा सकता है। मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात, नई दिल्ली मुख्यालय से जारी किये गये लाइसेंसों के विषय में ऐसे अन्य आवेदन पर भी क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी विचार करेंगे।

(2) **हवाई अड्डों पर सामान की निकासी के लिए सहायक लाइसेंस**:—हवाई अड्डों के सीमा शुल्क प्राधिकारियों के माध्यम से सामान की निकासी के लिए सहायक लाइसेंस प्राप्त करने के सम्बन्ध में आये आवेदनों पर भी विचार किया जायेगा।

(3) **सहायक लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र**:—सहायक लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र भेजते समय आवेदक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए :—

(1) सहायक लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र सामान भेजने वाले देश से सामान की रवानगी/लदान से काफी पहले भेजना चाहिए।

लेकिन, एक लाइसेंस प्राधिकारी मुख्य लाइसेंस समाप्त हो जाने पर लाइसेंसधारी को मुख्य लाइसेंस की वैधता अवधि के दौरान माल की निकासी में समर्थ बनाने के लिए सहायक लाइसेंस प्रदान करने के आवेदन-पत्र पर विचार कर सकते हैं।

(2) मूल लाइसेंस के मूल्य को ध्यान में न रखते हुए सहायक लाइसेंस की सुविधा देने पर विचार किया जायेगा।

(3) यदि सहायक लाइसेंस दे दिया गया हो तब भी उसके सम्बन्ध में अंकित मूल्य के प्रतिबन्ध या मूल लाइसेंस पर लागू होने वाली अन्य शर्तें लागू होंगी। आयातक को यह छूट है कि वह आवेदन करें और स्वीकार्य सीमा तक अंकित मूल्य प्रतिबंध वाली मदों के लिए विशेष रूप से वैध अलग से सहायक लाइसेंस प्राप्त करें। मुख्य या मूल लाइसेंस के मुवद अनुमित प्रतिबंधित वस्तुओं का मूल्य दिखाने वाले ये लाइसेन्स अप्रतिबंधित मदों के आयात के लिये भी वैध होंगे।

(4) सहायक लाइसेंसों के आवेदन-पत्र के साथ प्रत्येक सहायक लाइसेन्स के लिए निर्धारित 25-रु. की आवेदन-फीस की अदायगी के प्रमाण के रूप में खजाना रसीद भी संलग्न की जानी चाहिए।

(5) सहायक लाइसेंस की वैधता अवधि वही होगी जो मुख्य लाइसेंस की होगी। यदि मुख्य या मूल लाइसेंस का पुनर्वैधीकरण किया गया हो तो वह सहायक लाइसेंस पर भी लागू होगा। सामान की निकासी की सुविधा के लिये लाइसेंस प्राधिकारी सहायक लाइसेंस पर वैधता अवधि लिखेंगे।

(6) संदर्भ और जांच की सुविधा के लिये सहायक लाइसेंस पर मुख्य लाइसेंस की संख्या और तारीख पृष्ठांकित की जायेगी।

सहायक लाइसेंस जारी करते समय लाइसेंस प्राधिकारी सहायक लाइसेंस के मूल्य/मदों की सीमा तक माल की निकासी और परेषण के लिए मुख्य लाइसेंस को अवैध कर उस पर उचित (सीमा शुल्क और मुद्रा विनिमय नियंत्रण दोनों प्रतियों पर) पृष्ठांकन करेंगे। लाइसेंस प्राधिकारी को यह स्वतन्त्रता होगी कि वह केवल सीमा-शुल्क प्रति के लिए अनुपूरक लाइसेंस जारी करे और न कि मुख्य लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति के लिए ।

प्रतिस्थापन लाइसेंस

345. (1) पहले आयात किया हुआ माल जो खराब पाया गया था या प्रयोग के लिये दोषपूर्ण पाया गया था या आयात के बाद खो गया था या नष्ट हो गया था, उस माल के बदले में आयात किये गये माल की निकासी खुले सामान्य लाइसेंस सं 4 के अधीन अनुमेय की जाएगी बशर्ते कि उक्त खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन निर्धारित शर्तें पूर्ण कर दी गई हों। ऐसे प्रतिस्थापन आयात के सम्बन्ध में पोतलदान उस तिथि से 24 मास के भीतर करना चाहिए जिस तिथि से सीमा शुल्क द्वारा पहले ही आयात किए गए माल की निकासी की गई हो या मशीनों या उनके पुर्जों के मामले में गारन्टी अवधि के भीतर पोतलदान करना चाहिए। उन मामलों में जहां पोतलदान 24 मास के भीतर नहीं किया गया है, सामान्यतया उस पर विचार नहीं किया जायेगा। लेकिन, आवेदक के नियंत्रण के बाहर के कारणों की वजह से वास्तविक कठिनाइयों वाले मामले में लाइसेंस प्राधिकारी प्रत्येक मामले के निवेदन पर गुणवत्ता के आधार पर विचार करेगा। ऐसे मामलों में, आवेदकों को चाहिए कि वे वही दस्तावेज प्रस्तुत करें जो आयात के लिए खुले सामान्य लाइसेन्स 4 में निर्धारित किए गए हैं और यह कारण भी बताएं कि खुले सामान्य लाइसेंस 4 के अधीन आयात क्यों नहीं किए जा सके ।

(2) उन मामलों में जहां माल कम लाया गया हो, कम उतारा गया हो या वास्तविक आयात से पूर्व पारगमन में खो गया हो, और उसका पता सीमा शुल्क के माध्यम से निकासी के समय चला हो, तो वहां माल की कमी पूरी करने के लिए कोई लाइसेन्स नहीं जारी किया जायेगा। उन मामलों में जहां मूल लाइसेंस की वैधता अवधि समाप्त हो गई हो, वहां ऐसे माल के पुनः आयात को सरल बनाने के लिए लाइसेंस को पुनः वैध किया जायेगा।

(3) उपर्युक्त उप-कंडिका (1) और (2) में न आने वाले मामलों में प्रतिस्थापन लाइसेंस जारी करने के लिए लाइसेंस प्राधिकारी आवेदन-पत्र पर गुणवत्ता के आधार पर विचार कर सकते हैं। ऐसे आवेदन-पत्र सम्बद्ध आवेदकों की श्रेणी के लिए संगत प्रपत्र में दिए जाने चाहिए।

पूर्तिकर्ताओं को भुगतान

346. (1) यदि खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत माल का आयात किया जाना है तो, विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत विक्रेता इस बात से संतुष्ट होने पर कि जिन वस्तुओं के आयात के लिए आदेश दिया गया है, वे वस्तुएं खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत शामिल की गयी हैं, तो उनके संबंध में वे साख-पत्र खोल सकते हैं या अन्य प्रकार से धन भेज सकते हैं।

(2) जो वस्तुएं खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत नहीं आतीं, उनके संबंध में जब तक आयातकर्ता के पास विदेशी मुद्रा-विनिमय नियंत्रण प्रति सहित एक वैध आयात लाइसेंस न हो तब तक न तो साख-पत्र खोला जा सकता है और न ही विदेशी मुद्रा भेजी जा सकती है। विदेशी मुद्रा के किसी प्राधिकृत विक्रेता को यदि विदेशी मुद्रा के प्रेषण के लिए आवेदन भेजना हो, तो लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह प्राधिकृत विक्रेता को लाइसेन्स की एक प्रति प्रस्तुत करे जिस पर "विदेशी मुद्रा नियंत्रण संबंधी प्रयोजनों के लिए" लिखा होना चाहिए।

(3) यह नोट कर लेना चाहिए कि सौदे तय करने के प्रयोजन से जिस अवधि के लिए साख-पत्र खुला रखा जाना चाहिए। उसे निर्धारित करने के लिए कोई भी साख-पत्र खोलते समय खुले सामान्य लाइसेंस या वैध लाइसेंस के समाप्त होने की तारीख को ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

347. **लदान सम्बन्धी दस्तावेज प्राप्त करने से पहले कोई राशि न भेजी जाये:**—यह नोट कर लिया जाये कि यद्यपि सामान के लदान/रवानगी से पहले लाइसेंस की विदेशी मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के आधार पर साख-पत्र खोला जा सकता है, लेकिन उसका प्रेषण तभी संभव होगा जब लदान संबंधी दस्तावेज प्राप्त हो चुके हों। पूंजीगत माल और भारी विद्युत संयंत्रों के लाइसेंस के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी पूर्तिकर्ताओं को बयाने की राशि के रूप में आंशिक भुगतान करने का प्राधिकार दे सकता है।

348. (1) आयात लाइसेन्स में दिया गया मूल्य हमेशा आयात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के बराबर होता है, और उसमें पूर्तिकर्ता/विनिर्माता द्वारा आयातकर्ता या एजेन्ट को दिया गया कमीशन भी शामिल होता

है। सीमा-शुल्क के प्रयोजनों के लिए आयात-लाइसेंस की राशि के नामे डाले जाने वाला मूल्य, आयात की गयी वस्तुओं के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के बराबर होगा और इसका निर्धारण सीमा शुल्क प्राधिकारी करेंगे। आयात लाइसेंस के अंतर्गत दी गयी वस्तुओं के मूल्य की अदायगी के संबंध में विदेशी मुद्रा विनिमय नियंत्रण विनियम लागू होंगे और इस राशि में विदेशी पूर्तिकर्ताओं/विनिर्माताओं द्वारा आयातकर्ताओं/एजेन्टों को दिया जाने वाला कमीशन, छूट और इसी प्रकार की अन्य कटौतियों को शामिल नहीं किया जाएगा। अतः लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस पर इस आशय की एक शर्त विशेष रूप से लिखेगा कि इसके मद्दे किए जाने वाले प्राधिकृत भुगतान में विदेशी पूर्तिकर्ताओं/विनिर्माताओं द्वारा भारत के आयातकर्ताओं/एजेंटों को दिया जाने वाला कमीशन, छूट और इसी प्रकार की अन्य कटौतियां शामिल नहीं होंगी।

टिप्पणी:—(1) वस्तुओं के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य में जहाज के कुलियों का खर्च भी शामिल है, क्योंकि यह भी भाड़े का ही एक भाग है और ऐसे खर्च लाइसेंस के नामे डाले जाते हैं।

(2) यदि सामान पोत निःशुल्क लादा गया हो तो लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य का पूरी तरह उपयोग नहीं हो सकता। ऐसे मामलों में, रुपयों में भुगतान करने के लिए बीमे और भाड़े की लागत के लिए कुछ गुंजाइश रखनी पड़ती है। जब भाड़े या बीमे की रकम का भुगतान भारत में रुपयों में हुआ हो, तो उस राशि को विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत विक्रेता के लाइसेंस के मूल्य में से घटा दिया जाएगा।

सीमा-शुल्क सदनों द्वारा आयात लाइसेंस को अन्तिम रूप से नामे डालना

349. सीमा-शुल्क कार्यालय कभी-कभी आयातित वस्तुओं के 'भारित मूल्य को अनन्तिम रूप से आयात लाइसेंसों की राशि के नामे डाल देते हैं। बाद में जांच करने के पश्चात् या किसी अपील पर कोई लाइसेंस-अवधियों के बाद लदान की मात्रा कम कर दी जाती है 'भारित मूल्य' में कमी के कारण लाइसेंस का पुनर्वैधीकरण नहीं किया जाएगा।

लाइसेंसों के संयुक्त धारकों के रूप में बैंक

350. (1) जहां किसी आयातकर्ता ने किसी बैंक के माध्यम से एक अपरिवर्तनीय साख-पत्र खोला हो और बाद में वह बिल की अदायगी न कर पाए और उस संबंधित बैंक ने विदेशी पूर्तिकर्ताओं को विदेशी मुद्रा में भुगतान करने का वचन भी दिया हो तो बैंक को आयात करने में काफी कठिनाई होती है क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं होता। ऐसी संभावना से बचने के लिए विनियम बैंक या जिन प्राधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से साख-पत्र खोला गया हो उन्हें उस सीमा तक लाइसेंस का संयुक्त धारक समझा जाएगा, जहां तक वे वस्तुएं उस क्रेडिट के अन्तर्गत आती हों, इससे बैंक विदेशी पूर्तिकर्ताओं के साथ किए गए वचन का पालन कर सकता है। इस सम्बन्ध में क्रिया-विधि का उल्लेख परिशिष्ट 27 में किया गया है।

(2) इस पैरा के उप-पैरा (1) में उल्लिखित मामलों में और उन मामलों में भी जहां सामान किसी बैंक या किसी राज्य वित्त निगम के पास बंधक हो और उधारकर्ता अपनी शर्तों को पूरा न करे तो जैसा भी मामला हो, बैंक या राज्य वित्त निगम के पास रखे आयातित सामान के संबंध में यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 10 ग के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में इस पुस्तक के पैरा 374 में लिखी कार्य पद्धति के अनुसार वास्तविक उपयोक्ताओं या राज्य व्यापार निगम/खनिज और धातु व्यापार निगम, राज्य लघु उद्योग या इसी प्रकार की किसी अन्य एजेन्सी को सामान बेचा जा सकता है।

विदेशों में मरम्मत होने के बाद माल का पुनः आयात

351. जो माल आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अनुच्छेद 11(1) (ट) के अधीन नहीं आते हैं और जो मरम्मत करवाने और बाद में वापस मंगवाने के लिये निर्यात किए जाते हैं, उन मामलों में आयातक को पहले से ही आयात लाइसेंस प्राप्त करना चाहिये और मरम्मत करवाने के लिये माल का निर्यात संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी से उनके लिए पुनः आयात लाइसेंस प्राप्त करने के बाद करना चाहिए। जहां माल की मरम्मत करवाने के बाद पुनः आयात में विदेशी मुद्रा का मामला शामिल होता है, वहां मरम्मत, भाड़ा एवं बीमा की लागत के लिये प्रेषित की जाने वाली धन-राशि लाइसेंस के आवेदन-पत्र में संकेतित होनी चाहिए।

उपर्युक्त प्रावधान मरम्मत आदि के लिए बाहर भेजे गए भारतीय मूल की मदों के लिए भी लागू होगा। लेकिन, ऐसे मामलों में महानिदेशक, तकनीकी विकास से इस सम्बन्ध में एक प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा कि विषयाधीन माल की भारत में मरम्मत नहीं की जा सकती।

टिप्पणी:—अधिकृत विदेशी सम्वाददाताओं के मामलों में व्यावसायिक उपकरणों की मरम्मत के लिए आवेदनपत्रों पर प्रेस सूचना ब्यूरो की सिफारिश पर विचार किया जाएगा।

आयात/निर्यात लाइसेंसों/सीमाशुल्क निकासी परमिटों/रिहाई आदेशों की अनुलिपि प्रतियां

352. जहां लाइसेंस, (अग्रिम/अग्रदाय लाइसेंस सहित) सीमा-शुल्क निकासी परमिट या रिहाई आदेश खो जाता है या अस्थानस्थ हो जाता है तो अनुलिपि प्रति के लिये आवेदनपत्र पर केवल तभी विचार किया जायेगा जब संबंधित लाइसेंस प्राधिकारी निवेदन की प्रमाणिकता के बारे में संतुष्ट हो जाता है।

353. जिन पत्तन पर लाइसेन्सधारी ने लाइसेन्स पंजीकृत करवाया है, उसके सम्बन्ध में घोषणापत्र के साथ ऐसे आवेदनपत्र मूल लाइसेंस/रिहाई आदेश जारी करने वाले लाइसेंस प्राधिकर को भेजे जाने चाहिये। ऐसे आवेदन-पत्रों के साथ आवेदन शुल्क के रूप में 25 रु. की बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट और परिशिष्ट 20 में निर्धारित स्टाम्प पेपर पर उचित न्यायिक प्राधिकारी के सम्मुख विधिवत् शपत लेकर एक शपथपत्र भी होना चाहिये।

354. लाइसेन्स/रिहाई आदेश की अनुलिपि प्रति को अनुलिपि के रूप में चिन्हित किया जायेगा (आयात लाइसेन्सों के मामले में सीमा-शुल्क निकासी और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां दोनों पर) और लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट शब्दों में निम्न प्रकार से पृष्ठांकन किया जाएगा :—

"चूंकि लाइसेंस/सीमा शुल्क निकासी परमिट/रिहाई आदेश सं. ------------------ दिनांक ....

का पूर्ण मूल्य या आंशिक मूल्य------रु. तक उपयोग करने पर रद्द कर दिया गया था, इसके बदले में लाइसेन्स/सीमा-शुल्क निकासी परमिट/रिहाई आदेश जारी किया गया है" ।

355. लाइसेंस की अनुलिपि जारी करने की सूचना लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा उस सीमाशुल्क प्राधिकारी को भेजी जाएगी जिसके पास मूल लाइसेंस पंजीकृत करवाया है। उन मामलों में जहां लाइसेंस सीमा-शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत करवाने से पूर्व खो गया है, उसकी सूचना सभी सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को भेजी जायेगी। मूल लाइसेंस रद्द करने के आदेश भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जायेंगे।

रिहाई आदेश के मामले में अनुलिपि रिहाई आदेश जारी करने की सूचना सम्बद्ध सरणीबद्ध अभिकर्ता को भेजी जायेगी।

356. 1-4-78 या इससे पूर्व जारी किये गये स्वतंत्र रूप से हस्तान्तरणीय आर.ई.पी. लाइसेंसों के मामले में कोई अनुलिपि प्रति जारी नहीं की जाएगी। लेकिन, ऐसे मामलों में लाइसेंस प्राधिकारी केवल उस स्थिति में अनुलिपि लाइसेंस प्रदान करने के लिये आवेदनपत्रों पर विचार कर सकते हैं जहां मूल लाइसेंस खो गया हो, या आयात तथा निर्यात नियंत्रण संगठन में अस्थानस्थ हो गया हो तो ऐसे आवेदन-पत्रों के लिए संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा निर्णय लिया जायगा। (उन मामलों में जहां उप मुख्य नियंत्रक ही सब से बड़ा अधिकारी है, वहां जिस क्षेत्र में वह कार्यालय पड़ता है वहां के संयुक्त मुख्य नियंत्रक का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

दो प्रतियों में जारी किया गया लाइसेंस

357. सामान्यतः आयात लाइसेंस की दो प्रतियां जारी की जाती हैं। इनमें से एक प्रति, जो सीमा शुल्क के प्रयोजन के लिए होती है, आयातकर्ता को आयात किए गए माल को छुड़ाने के लिए प्रविष्टि बिल के साथ सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत करनी होगी। दूसरी प्रति अर्थात विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रति आयातकर्ता साख-पत्र प्राप्त करने के लिए या विदेशी मुद्रा भेजने के लिए बैंक को प्रस्तुत करेगा। जिन मामलों में विदेशी मुद्रा न भेजी जानी हो, उनमें लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति जारी नहीं की जाती ।

बेचे गए, पुराने या मरम्मत किए गए माल का आयात

358. (1) 7 दिसम्बर, 1955 को यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अनुसार प्रत्येक लाइसेंस की एक शर्त यह है कि जब तक लाइसेंस में अन्यथा निर्दिष्ट न हो, जिन वस्तुओं के लिए लाइसेंस दिया गया है वे निपटान किए गए माल से भिन्न नयी वस्तुएं होंगी। निपटाने योग्य वस्तु चाहे वे नई ही क्यों न हों, उनको नई नहीं समझा जाएगा ।

(2) निपटाए जाने वाले या पुराने अथवा मरम्मत किए गए माल के आयात के लिए आवेदन मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना स्वीकार नहीं किए जाएंगे। लेकिन, मरम्मत किए गए पुराने पूंजीगत माल के आयात के लिए इस पुस्तक के अध्याय 5 में दी गई क्रिया-विधि लागू होगी।

लाइसेंस/रिहाई आदेश देने से इन्कार किया जाना

359. (1) लाइसेंस प्राधिकारी निम्नलिखित मामलों में लाइसेंस/रिहाई आदेश देने से इन्कार कर सकता है:—

(क) यदि आवेदन-पत्र 7 दिसम्बर, 1955 को यथा-संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की किसी भी शर्त के अनुरूप न हो;

(ख) यदि आवेदन-पत्र में कोई झूठा, छलपूर्ण या भ्रामक वक्तव्य हो;

(ग) यदि आवेदक ने आवेदन-पत्र की पुष्टि में कोई ऐसा प्रलेख प्रस्तुत किया हो जो झूठा हो या जाली हो या फेर बदल वाला हो;

(घ) यदि लाइसेंस/रिहाई आदेश के लिए दिया गया आवेदन-पत्र किसी भी प्रकार से त्रुटिपूर्ण हो और निर्धारित नियमावली और क्रियाविधि के अनुसार न हो;

(ङ) यदि आवेदक संबंधित और लागू आयात व्यापार नियंत्रण नीति और क्रियाविधि के अनुसार लाइसेंस/रिहाई आदेश पाने का पात्र न हो;

(च) यदि आवेदक कोई ऐसा प्रलेख प्रस्तुत न कर पाये जिसे लाइसेंस प्राधिकारी ने मांगा हो;

(छ) यदि आवेदक लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर अपने आवेदन-पत्र में किसी कमी को पूरा नहीं कर पाता;

(ज) यदि लाइसेंस/रिहाई आदेश प्राप्त करने के लिए आवेदक ने गलत तरीकों का इस्तेमाल किया हो; और

(झ) कोई भी अन्य कारण जिसका उल्लेख लिखित रूप में किया गया हो।

(2) लाइसेंस प्राधिकारी 7 दिसम्बर, 1955 को यथा-संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 6 की शर्तों के अनुसार भी लाइसेंस देने से इन्कार कर सकता है।

360. निर्यात सम्बन्धी दायित्व को पूरा करने के लिए आयातकर्ता को परिशिष्ट 22 में उल्लिखित बांड का फार्म भरना होगा।

अनुसंधान एवं विकास एककों को मान्यता

361. औद्योगिक संस्थानों से संलग्न ऐसे अनुसन्धान एवं विकास एकक जो खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात नीति 1983-84 के लाभ प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वे केन्द्रीय सरकार से मान्यताप्राप्त करने के लिये विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग, नई दिल्ली को आवेदन कर सकते हैं। आवेदनपत्र परिशिष्ट-19 में निर्धारित प्रपत्र में 12 प्रतियों में सचिव, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, तकनीकी भवन, नई महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजे जाएंगे। मान्यता साधारणतः 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाती है जिसकी समाप्ति संबंधित वित्तीय वर्ष की 31 मार्च होती है। कुछ मामलों में मान्यता कम अवधि के लिए भी प्रदान की जाती है। मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदनपत्र परिशिष्ट-19 "क" में निर्धारित प्रपत्र में 6 प्रतियों में अंतिम तिथि से तीन मास पूर्व भेजे जाने चाहिए।

362. लेकिन, निम्नलिखित संस्थाओं के मामले में विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग से अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक नहीं है :—

(1) केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन केन्द्रीय सरकार के अनुसन्धान विभाग और/या शिक्षण संस्था (सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को छोड़कर);

(2) सी एस आई आर, आई सी ए आर और आई सी एम आर की सभी प्रयोगशालायें;

(3) सभी विश्वविद्यालय, आई आई टी, भारतीय विज्ञान संस्था और भारतीय खान विद्यालय, धनबाद;

(4) विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग के साथ परामर्श करने पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा अधिसूचित की गई अन्य संस्थायें;

(5) संसद या सम्बद्ध राज्य के विशेष अधिनियम द्वारा निर्धारित सभी संस्थायें।

(6) औद्योगिक क्षेत्र के सभी संघ जो सी एस आई आर/मंत्रालय से सहायक अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।

वास्तविक उपयोक्ता के व्यापार के नाम, गठन या स्वामित्व में परिवर्तन

363. जब तक हस्तान्तरी द्वारा पूर्ण रूप से या व्यक्तिगत रूप से हस्तान्तरक के वैध आभारों और दायित्वों को ले नहीं लिया जाता है तब तक लाइसेंसधारी के नाम, गठन या स्वामित्व में परिवर्तन को प्रभावित करने के लिये मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली का अनुमोदन आवश्यक नहीं है।

नाम में परिवर्तन

364. जहां इसके परिणामस्वरूप व्यापार/क्रियाकलाप या लाइसेंसधारी की पहचान में कोई परिवर्तन नहीं होता है अर्थात् अन्तर्ग्रस्त सम्पत्ति से कोई हस्तान्तरण नहीं होता (उसके नाम में) तो वर्तमान लाइसेंस में किसी आवश्यक संशोधन के लिये इस लाइसेंसधारी को उस लाइसेंस प्राधिकारी के पास आवेदन करना चाहिये जिसने लाइसेंस जारी किया था। ऐसे निवेदन सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी के माध्यम से किए जाने चाहिये।

365. परिवर्तन की तिथि के बाद लाइसेंस के लिये दिये गये प्रथम आवेदन पत्र में यह स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होना चाहिये कि उसके विनिर्माता के व्यापार के स्वामित्व या व्यवस्था में परिवर्तन किये बिना उसके नाम में परिवर्तन हुआ है। यदि लागू आयात नीति की शर्तों के अनुसार ऐसे आवेदन-पत्र सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी के माध्यम से न भेज कर सीधे ही लाइसेंस प्राधिकारी को भेजने की जरूरत पड़े तो वास्तविक उपयोक्ता अपने प्रमाण पत्र के साथ प्रायोजक प्राधिकारी के लिये इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे कि प्रायोजक प्राधिकारी के पास वास्तविक नाम का पंजीकरण तदनुसार संशोधित कर दिया गया है।

स्वामित्व या गठन में परिवर्तन

366. जहां पर वास्तविक उपयोक्ता के व्यापार के नाम में परिवर्तन होने पर या परिवर्तन हुए बिना उसके स्वामित्व या गठन (विभाजन द्वारा परिवर्तन भी उसमें शामिल है) में परिवर्तन होता है तब निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे:—

(1) यदि मूल स्वामी ने सम्बद्ध औद्योगिक एकक में आयातित मशीन या अन्य कोई आयातित माल रखा था तो उसे सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी से नये स्वामी या पुनः स्थापित उद्यम, जैसा भी मामला हो, व्यापार हस्तान्तरित करने की पूर्व अनुमति लेनी चाहिये। मूल स्वामी को भी सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी को परिवर्तन की सूचना देनी चाहिये। उस मामले में जहां किसी साझीदार के प्रवेश करने या अलग हो जाने से या मृत्यु हो जाने के कारण व्यापार की व्यवस्था में परिवर्तन होता है और पुनः स्थापित फर्म उनके नाम या पते में परिवर्तन किये बिना ही सारा व्यापार सम्भाल लेती है तो प्रायोजक प्राधिकारी की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मूल फर्म को केवल परिवर्तन की सूचना लाइसेंस प्रदान करने वाले और सम्बद्ध प्रायोजित प्राधिकारियों को भेजनी चाहिये।

(2) ऊपर उल्लिखित (1) में परिवर्तन होने पर, मूल स्वामी को चाहिए कि हस्तान्तरित की जाने वाली सभी मशीनरी एवं एकक में उपयोग किए जाने के लिए आयातित सभी सामग्री को नये स्वामी या पुनः स्थापित उद्यम, जैसा भी मामला हो, के नाम में हस्तान्तरित कर दे।

(3) जहां मूल स्वामी को आयात लाइसेंस जारी किया गया हो और उक्त लाइसेंस के मद्दे माल के आयात से पूर्व व्यापार के स्वामित्व या गठन में परिवर्तन हो जाता है, तो आयात नियंत्रण आदेश, 1955 की शर्तों के अनुसार व्यापार के वास्तविक और नये स्वामी को, जिस लाइसेंस प्राधिकारी ने लाइसेंस जारी किया था, उसे नये स्वामी या पुनः स्थापित उद्यम, जैसा भी मामला हो, के नाम में लाइसेंस हस्तान्तरण की अनुमति के लिये संयुक्त आवेदनपत्र देना चाहिये। आवेदन पत्र नये स्वामी के प्रायोजक प्राधिकारी के माध्यम से दिया जाना चाहिये और आवेदनपत्र में यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि व्यापार के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वास्तविक स्वामी के लिये उचित अनुमोदन प्रायोजक प्राधिकारी से ले लिया है या नहीं जैसा कि ऊपर उपखंड (1) में बताया गया है।

(4) यदि परिवर्तन के समय कोई अप्रयुक्त लाइसेंस पास में नहीं है तो नए स्वामी या पुनः स्थापित उद्यम को जैसा भी मामला हो, परिवर्तन की तिथि के बाद लाइसेंस के लिये दिये गये प्रथम आवेदनपत्र में यह स्पष्ट सूचित करना चाहिये कि व्यापार के स्वामित्व या गठन में परिवर्तन हो चुका है। यदि वर्तमान आयात नीति की शर्तों के अनुसार ऐसे आवेदनपत्र सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी को न भेज कर लाइसेंस प्राधिकारी को सीधे ही भेजने आवश्यक हों तो आवेदनपत्र के साथ इस आशय का साक्ष्य होना चाहिये कि व्यापार के स्वामित्व या व्यवस्था के सम्बन्ध में वास्तविक स्वामी के लिये प्रायोजक प्राधिकारी का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है और नये स्वामी को सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी के पास विधिवत् पंजीकृत करवा दिया गया है।

367. जहां वास्तविक उपयोक्ता फैक्टरी या आयातित मशीनरी का केवल एक ही हिस्सा हस्तान्तरित करता है या वह व्यापार या फैक्टरी जिसके लिये उक्त माल आयात किया गया था, उसे बेचे बिना जब कोई वास्तविक उपयोक्ता किसी अन्य आयातित माल को बेचने का प्रस्ताव रखता है; या जहां वास्तविक उपयोक्ता अपनी फैक्टरी/विनिर्माण करने वाले व्यापार को बेच देता है, परन्तु खरीददार सम्बद्ध औद्योगिक एकक से सम्बन्धित आयातित कच्चे माल, संघटक, उपभोज्य सामग्री या फालतू पुर्जे प्राप्त नहीं करता है और वास्तविक उपयोक्ता को ऐसा माल दूसरी पार्टी को बेचना पड़ता है, तो

ऐसी बिक्री इस अध्याय में अन्यथा रूप से निर्धारित प्रक्रिया और आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 10-सी द्वारा नियंत्रित होगी।

368. प्रायोजक प्राधिकारी की सिफारिश के आधार पर लाइसेंसों के हस्तान्तरण के आवेदनपत्रों पर लाइसेंस प्राधिकारी केवल उन्हीं मामलों पर विचार करेगा जहां आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अधीन हस्तान्तरी लाइसेंस प्राप्त करने से विवर्जित या निलम्बित नहीं हुआ हो। उसी प्रकार से प्रायोजक प्राधिकारी व्यापार के हस्तान्तरण के निवेदनों पर केवल उन्हीं मामलों में विचार करेंगे जब हस्तांतरक और हस्तांतरी दोनों ही आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अधीन लाइसेंस प्राप्त करने से विवर्जित या निलम्बित न किये गये हों।

369. उपर्युक्त प्रावधान पंजीकृत निर्यातकों को जारी किये गये लाइसेंसों के लिये भी समान रूप से लागू होंगे। ये केवल आयात नीति, 1978-79 के अधीन जारी किये गये आर. ई. पी. लाइसेंसों में लागू नहीं होंगे, यदि वे स्वतन्त्र रूप से हस्तान्तरणीय हों।

आयातित माल का हस्तान्तरण करना/उधार देना

370. जहां वास्तविक उपयोक्ता जिस उद्देश्य के लिये माल प्राप्त करता है, उसके लिये आयातित माल का उपयोग करने में असमर्थ होता है या आयातित माल उसकी आवश्यकताओं से अधिक है, तो वह सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी की लिखित अनुमति से अन्य वास्तविक उपयोक्ता को ऐसे आयातित माल को हस्तान्तरित कर सकता है या उधार दे सकता है बशर्ते कि क्रेता और विक्रेता वास्तविक उपयोक्ता (उधार देने वाला और लेने वाला) एक ही प्रायोजक प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार में हों।

371. जहां तत्सम्बन्धी प्रायोजक प्राधिकारी अलग-अलग हों, परन्तु संविदा करने वाले वास्तविक उपयोक्ता उसी राज्य या संघ क्षेत्र में स्थित हों, तो (राज्य) उद्योग निदेशक, आयातित माल के हस्तान्तरण करने/उधार देने की लिखित अनुमति दे सकता है और बाद में उसका अनुश्रवण भी कर सकता है।

372. अन्य मामलों में, लाइसेंस प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति आवश्यक है। हस्तान्तरण की शर्तों पर सहमत होने पर दोनों वास्तविक उपयोक्ताओं अर्थात् क्रेता और विक्रेता को क्रेता वास्तविक उपयोक्ता के प्रायोजक प्राधिकारी के माध्यम से आवेदन करना चाहिए।

373. उपर्युक्त व्यवस्थाएं खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयातित या सरणीबद्ध अभिकरण से प्राप्त किए गए माल के लिए भी लागू होंगी।

सार्वजनिक क्षेत्र अभिकरण को आयातित माल का हस्तांतरण

374. सार्वजनिक क्षेत्र के अभिकरण या राज्य (लघु) उद्योग विकास निगम को आयातित माल हस्तांतरित करने के लिये प्रायोजक प्राधिकारी या लाइसेंस प्राधिकारी की अनुमति अपेक्षित नहीं है। वास्तविक उपयोक्ता रजिस्टर्ड डाक द्वारा केवल ऐसे हस्तांतरण की सूचना 30 दिन की अवधि के भीतर लाइसेंस प्राधिकारी और प्रायोजक प्राधिकारी को भेजेगा।

अनुसूचित बैंकों द्वारा आयातित माल का निपटान

375. अनुसूचित बैंकों के पास पड़े हुए माल के निपटान में उपर्युक्त प्रक्रिया वहां लागू होगी जहां (क) जिस लाइसेंस के मद्दे माल का आयात किया गया था उसके संयुक्तधारक के रूप में सीमाशुल्क से माल की निकासी करवा ली गई हो या (ख) आयात किया गया माल बैंक के पास लाइसेंसधारी द्वारा गिरवी रखा हुआ हो और लाइसेंसधारी विषयाधीन माल को छुड़वाने की स्थिति में न हो बशर्ते कि बैंक ने बिक्री के लिए वैध अधिकार प्राप्त कर लिया है।

376. जब राज्य व्यापार निगम/धातु एवं खनिज व्यापार निगम या इसी प्रकार के अन्य अभिकरण बैंक से आयातित माल खरीदने के इच्छुक न हों और बैंक प्रायोजक प्राधिकारी या प्रसिद्ध अखबारों के उचित विज्ञापन के माध्यम से ऐसे माल का कोई अन्य क्रेता नहीं ढूंढ पाता है तो बैंक माल की नीलामी की अनुमति के लिए सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी से सम्पर्क कर सकता है, बशर्ते कि लाइसेंसधारी बिक्री के लिए सहमत हो या बैंक के पास वैध संविदा सम्बन्धी शर्तों के अन्तर्गत अन्यथा रूप से माल बेचने के लिए वैध अधिकार हो।

राज्य (लघु) औद्योगिक विकास निगम सहित सार्वजनिक क्षेत्र के अभिकर्ताओं द्वारा माल का निपटान

377. जहां कुछ वास्तविक उपयोक्ताओं की ओर से सार्वजनिक क्षेत्र के अभिकरण ने माल आयात किया हो और ये वास्तविक उपयोक्ता माल उठाने में असमर्थ हों तो लाइसेंस प्राधिकारी की अनुमति के बिना दूसरे वास्तविक उपयोक्ता को माल बेच सकते हैं, परन्तु उस बिक्री की सूचना इसमें बिक्री की तिथि से 30 दिनों के भीतर लाइसेंस प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक संस्थान

378. सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक संस्थान, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में दूसरे वास्तविक उपयोक्ता को, आयातित कच्चे माल, संघटक, उपभोज्य सामग्री या फालतू पुर्जे हस्तांतरित कर सकते हैं। जो एकक हस्तांतरणों को प्रभावी करते हैं उन्हें ऐसे हस्तांतरण की तिथि से 30 दिनों के भीतर ऐसे हस्तांतरण का विवरण रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रायोजक प्राधिकारी के साथ साथ लाइसेंस प्राधिकारी को भी भेजना चाहिए। उपर्युक्त व्यवस्थाओं के अधीन न आने वाले मामले के लिये लाइसेंस प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक है।

पूंजीगत माल का हस्तांतरण

379. (1) फालतू पुर्जे, उसके सहायक पुर्जे (या संलग्नक) सहित पूंजीगत माल के आयात किये जाने की तिथि से 10 वर्ष बीत जाने के बाद उस माल को केवल वास्तविक उपयोक्ताओं के नाम में हस्तांतरण के लिये लाइसेंस प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक नहीं होगी। लेकिन, उसकी सूचना बिक्री के दिन से 30 दिनों के भीतर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रायोजक प्राधिकारी के साथ-साथ लाइसेंस प्राधिकारी को भी भेजी जानी चाहिए। यह क्रेता पर निर्भर है कि वह सुनिश्चित करे कि विषयाधीन माल खरीदने पर वह लाइसेंस में दी गई/प्राधिकृत की गई क्षमता को नहीं बढ़ाएगा।

(2) उपर्युक्त उप-कंडिका (1) में न आने वाले पूंजीगत माल के हस्तान्तरण से संबंधित मामले उपर्युक्त कंडिकाओं 370--387 में दर्शाए गए प्रावधानों के अनुसार निपटाए जाएंगे।

मुक्त व्यापार क्षेत्रों में आयातित माल का हस्तांतरण

380. मुक्त व्यापार क्षेत्र में आयात किये गए माल के हस्तांतरण अथवा ऋण के लिये निम्नलिखित क्रियाविधि लागू होगी :—

(1) आयातित माल संबंधित क्षेत्र के विकास आयुक्त की लिखित अनुमति के आधार पर उसी क्षेत्र में दूसरे एकक को हस्तान्तरण अथवा ऋण के रूप में दिया जा सकता है।

(2) मुक्त व्यापार क्षेत्रों में आयातित माल को उस क्षेत्र से बाहर स्थित एकक को ऋण के रूप में देने की अनुमति नहीं होगी।

(3) उन मामलों में जहां क्षेत्र में स्थित एकक आयातित माल को उस प्रयोजन के लिये उपयोग में लेने में असमर्थ है जिसके लिये उसका आयात किया गया था अथवा उक्त माल उसकी आवश्यकता से अधिक है तो वह माल क्षेत्र से बाहर वास्तविक उपयोक्ता अथवा सार्वजनिक क्षेत्र अभिकरण को संबंधित लाइसेंस प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के आधार पर हस्तांतरित किया जा सकता है बशर्ते कि (1) मामला संबंधित क्षेत्र के विकास आयुक्त और क्रेता के प्राधिकृत प्राधिकारी (जहां क्रेता एक वास्तविक उपयोक्ता है) द्वारा भेजा गया हो (2) क्षेत्र की सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को सीमा-शुल्क, अन्य खर्चें, यदि कोई हो तो, का भुगतान होने पर क्षेत्र से बाहर माल ले जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

सामान्य

381. (1) उपर्युक्त सभी मामलों में क्रेता और विक्रेता वास्तविक उपयोक्ताओं को आयातित कच्चे माल/पूंजीगत माल आदि का मूल्य निर्धारण करना चाहिए।

(2) उन सभी मामलों में जहां प्रायोजक प्राधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी की अनुमति से उधार दिया जाता है/हस्तांतरण होता है, क्रेता और विक्रेता दोनों वास्तविक उपयोक्ता को चाहिए कि उस तरह हस्तांतरित किये गये/अधिप्राप्त किये गये माल की मात्रा का ब्यौरा परिशिष्ट 18 में निर्धारित किए गए के अनुसार आयातित माल के भंडार की प्राप्ति और उपभोग के लिये रखे गये रजिस्टर में प्रविष्टि करें।

(3) वास्तविक उपयोक्ता द्वारा खरीदे गये आयातित माल का मूल्य, उसका वर्तमान लाइसेंस यदि कोई हो तो, उसके लिये/सामान्य हकदारी के लिये नामे नहीं डाला जायेगा।

(4) अखबारी कागज उधार देने/हस्तांतरण करने के मामले में अखबारी कागज (नियंत्रण) आदेश लागू होंगे।

(5) उपर्युक्त कंडिकाओं 370-380 में दर्शाए गए प्रावधान उन आयातित माल पर लागू होंगे जो अग्नि में नष्ट हो गए है अथवा उपयोग के लिए ठीक नहीं है।

उद्योग संघ, सार्वजनिक क्षेत्र निगम और निर्यात सदनों व्यापार सदनों के माध्यम से आयातों के लिए योजना

382. (1) सार्वजनिक क्षेत्र निगम, सहकारिता समितियों उद्योग संघ और उनके मान्यता प्राप्त निर्यातों सदनों/व्यापार सदनों को लघु एककों को उनकी कच्चे माल, संघटकों, उपभोज्य सामग्री और फालतू पुर्जों की आयात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए अनुमति दी जाएगी। वे सम्बद्ध एककों को माल के आयात और वितरण के लिए इस प्रकार के एककों की ओर से निम्नलिखित निर्धारित प्रावधानों के अधीन समेकित लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं :

(1) इस योजना के अन्तर्गत सम्बद्ध अभिकरण (अर्थात् एक संघ, सहकारिता समिति सार्वजनिक क्षेत्र, निगम, निर्यात सदन/व्यापार सदन) उन एककों के बारे में समेकित आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा जो उसी राज्य में स्थित हैं और उसी उद्योग में लगे हुए हैं जिन्हें पर्याप्त रूप से आयात की उन्हीं मदों की आवश्यकता है। आवेदन पत्र उसी क्षेत्रीय लाइसेन्स प्राधिकारी को किए जाएंगे जिसके क्षेत्राधिकार में औद्योगिक एकक स्थित हों। प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र के एककों के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र दिए जाने चाहिए।

(2) संघों और सहकारिता समितियों के मामले में केवल उन्हीं के आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा जिन्हें इस प्रयोजन के लिए सम्बद्ध राज्य उद्योग निदेशक द्वारा मान्यता प्राप्त है।

(3) आवेदन पत्र परिशिष्ट I में दिए गए प्रपत्र "ट" में भेजे जाने चाहिए। इनके साथ एक संबद्ध एकक के ब्यौरे, उनके नाम और पते (कारखाने के पते सहित) विनिर्मित अन्तिम-उत्पाद, प्रत्येक मामले में मद वार आवेदित मूल्य और तत्संबंधी कुल मूल्य देते हुए एक विवरण होना चाहिए। प्रत्येक सम्बद्ध एकक द्वारा इस सम्बन्ध में एक घोषणा पत्र भेजा जाना चाहिए कि आयातित माल का उपयोग "वास्तविक उपयोक्ता" शर्त के अनुसार उसके अपने कारखाने में किया जाएगा। आटोमेटिक लाइसेंस के मामले में प्रत्येक एकक का खपत प्रमाणपत्र भी भेजा जाना चाहिए। अनुपूरक लाइसेंसों के लिए अभिकरण को सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी के माध्यम से आवेदन करना चाहिए और खपत प्रमाण पत्र को छोड़कर उपर्युक्त विवरण भेजे जाने चाहिए और प्रत्येक एकक के लिए एक नोट भेजा जाना चाहिए जिसमें अनुपूरक लाइसेंसों का औचित्य दर्शाया जाना चाहिए।

(4) ऐसे समेकित आवेदन पत्रों के लिए भुगतान किए जाने वाले आवेदन पत्र शुल्क की गणना आवेदित कुल मूल्य के आधार पर की जाएगी।

(5) इस योजना के अधीन 'नए' या 'प्रस्तावित' एकक शामिल नहीं किए जाएंगे।

(6) सम्बद्ध आवेदक अभिकरण के नाम में आयात के लिए अनुमेय मदों, की सूची और मूल्य और/या प्रत्येक मद के लिए मात्रा के साथ जारी किए जाएंगे क्योंकि लाइसेन्स का कुल मूल्य सीमाकारी तत्व होंगे।

(7) आयात लाइसेंस इन शर्तों के अधीन होगा कि अभिकरण उन सम्बद्ध एककों को आयातित कच्चे माल का वितरण करेगा जिनकी ओर से उसने लाइसेंस प्राप्त किया है और वितरण से संबद्ध रिपोर्ट संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी और सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी को भेजेगा।

2. यह योजना "सीधे" आबंटन योजना के अधीन आने वाली सरणीबद्ध मदों के आबंटन प्राप्त करने के लिए भी लागू होगी। विस्तृत जानकारी के लिए अभिकरणों को संबद्ध सरणीबद्ध करने वाले अभिकरण के साथ सम्पर्क स्थापित करना चाहिए।

3. यह योजना कुटीर क्षेत्र के एककों या व्यक्तिगत उपयोक्ताओं जैसे मछुए/कृषक आदि को उनके मान्यता प्राप्त संघ या सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों के माध्यम से आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी लागू होगी।

4. उपर्युक्त ढंग से प्रदान किया गया कोई लाइसेंस/सीधा आबंटन इस शर्त के अधीन होगा कि इस प्रकार प्राप्त माल उन वास्तविक उपयोक्ताओं को अभिकरणों द्वारा आबंटित किया जाएगा जिनके नाम पर लाइसेंस/सीधे आबंटन के लिए आवेदन पत्र दिया गया था; उनके बदले में, उक्त लाइसेंस आबंटन में भाग लेने वाले प्रत्येक लघुपैमाना एकक व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार वास्तविक उपयोक्ता शर्तों के अधीन होंगे; मानो कि लाइसेंस/सीधा आबंटन उनके अपने खुद के नाम में और उनके पक्ष में किया गया था।

5. खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत जैसा भी मामला हो, ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास अपने आयातित मोटर वाहन या कृषि ट्रैक्टर हैं, उनके अपने उपयोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक मोटर/ट्रैक्टर के लिए 5,000/- रुपए लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य तक के लिए मोटर वाहन/कृषि ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस में निर्धारित शर्तों के अधीन अनुमत किया गया है। इस सुविधा का उपयोग ऐसे पंजीकृत संघों/सहकारी समितियां द्वारा जिनके पास उनके सदस्य के रूप में आयातित मोटर वाहन या कृषि ट्रैक्टर हैं, अपने सदस्यों के नाम में मोटर-वाहनों और कृषि ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जों का आयात करने के लिए भी किया जा सकता है। आयातित माल की निकासी के समय और आयात के प्रति प्रेषण के समय संबंधित संघ/सहकारी समिति, सीमा-शुल्क प्राधिकारियों/विदेशी मुद्रा के व्यापारियों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे :—

(क) उन सदस्यों के नाम की सूची जिनकी ओर से आयात किया गया है जिसमें (1) सदस्य का नाम और पता, (2) सदस्य द्वारा प्राप्त आयातित मोटर-वाहन/ट्रैक्टर का मेक (3) वाहन/ट्रैक्टर के पंजीकरण प्रमाण पत्र की संख्या एवं दिनांक (4) तिथि जिस तक पंजीकरण प्रमाण पत्र वैध है और (5) संबंधित सदस्य के लिए आयातित फालतू पुर्जों का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य दिया गया हो।

(ख) प्रत्येक सदस्य से इस संबंध में संघ/सहकारी समिति द्वारा विधिवत् प्रति हस्ताक्षरित एक घोषणा पत्र कि सदस्य ने मोटर वाहन अधिनियम, 1839 के अन्तर्गत करों का अद्यतन भुगतान कर दिया है और उसी वित्तीय वर्ष के दौरान पहले से आयातित उसी मोटर वाहन या कृषि ट्रैक्टर के ऐसे माल का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य 5000/- रुपये से अधिक नहीं है। घोषणा पत्र में, संबंधित सदस्य को यह भी बताना चाहिए कि उसने संबंधित संघ/सहकारी समिति को अपनी ओर से आयात करने के लिए प्राधिकृत किया है।

(ग) संगत कानून के अन्तर्गत संबंधित संघ अथवा सहकारी समिति का वर्तमान वैध पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

एक शर्त यह होगी कि आयातकर्ता संघ/सहकारी समिति द्वारा उस प्रत्येक सदस्य को आयातित पुर्जे संभरित किए जाएंगे जिसके लिए आयात किया जाता है। संघ/सहकारी समिति ऐसे सभी आयात और वितरण का (रजिस्टर के रूप में) लेखा रखेंगे और यह लाइसेन्स प्राधिकारियों अथवा इनकी ओर से किसी भी अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा हर समय निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा। लेकिन, वास्तविक उपयोक्ता की शर्त ऐसे सभी मामलों में इसी प्रकार लागू होगी जैसा कि आयात प्रत्येक सदस्य द्वारा अपनी इच्छा से सीधे ही किया गया हो।

6. उपर्युक्त उप-कंडिका (5) के अन्तर्गत ट्रैक्टर के फालतू पुर्जों के आयात, सम्बद्ध राज्य के ट्रैक्टर के अलग-अलग स्वामियों की ओर से राज्य एग्रो-इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन द्वारा भी किए जा सकते हैं। लेकिन उनके मामले में उप-कंडिका (5) में विस्तृत क्रियाविधि लागू नहीं होगी। इसके अतिरिक्त वे नियमों के अधीन निर्धारित सम्बद्ध प्रविष्टि बिल या अन्य किसी दस्तावेज में यह घोषणा करेंगे कि "फालतू पुर्जों का आयात लागू आयात नीति के प्रावधानों के अधीन उन आयातित ट्रैक्टर के अलग-अलग स्वामियों की ओर से किया गया है जो (राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम दिया जाना है) में स्थित हैं"। इस बातका सुनिश्चय करने का उत्तरदायित्व निगम का होगा कि ट्रैक्टर के वे अलग-अलग स्वामी जो उनके माध्यम से सम्भरण प्राप्त करते हैं वे उसी लाइसेन्स अवधि के दौरान उपर्युक्त उप-कंडिका (5) में उल्लिखित किसी भी संघ/सहकारी समितियों के माध्यम से या स्वयं सीधे ही उनका आयात नहीं करते हैं।

एजेन्टों के माध्यम से आयात

383. (1) 1978-79 से लागू आयात नीति में लाइसेंसधारी की ओर से लाइसेंस के मद्दे माल को आयात करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को प्राधिकृत करते हुए प्राधिकारपत्र जारी करने की लाइसेंस प्राधिकारी के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। लाइसेंसधारी को एतद्द्वारा यह अधिकार दिया जाता है कि लाइसेंस द्वारा अनुमित आयातों को व्यवस्था करने के लिए अपने एजेन्ट के रूप में किसी भी व्यक्ति को नियुक्ति करें। लेकिन, लाइसेंस लाइसेंसधारी के ही नाम में रहता रहेगा और लाइसेंसधारी या प्राधिकारपत्र के धारक के कर्तव्यों और आभारों के संबंध में आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अन्य प्रावधान संबद्ध व्यक्तियों पर क्रमशः लागू रहेंगे अन्य शर्तों और कानूनी आवश्यकताओं के अधीन लाइसेंसधारी के लिए यह स्वतंत्रता होगी कि वह अपना निजी प्राधिकारपत्र निश्चित करें। परन्तु ऐसे प्राधिकारपत्र के धारक के कार्य इन बातों तक सीमित होंगे कि वह आदेश दे, साख-पत्र खोले, माल का आयात करने के लिए भुगतान के धन का परेषण करें, माल के संचालन की व्यवस्था करें और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के खण्ड 147 को ध्यान में रखते हुए लाइसेंसधारी की ओर से सीमा शुल्क के माध्यम से माल की निकासी करायें और विषयाधीन लाइसेंस के प्रचालन से सम्बन्धित किसी अन्य मामले की व्यवस्था करें, परन्तु इसके स्वामित्व की नहीं।

(2) वर्तमान आयात नीति के उप-पैरा (1) में दी गई सुविधाएं निर्यात गृहों तथा व्यापारिक गृहों को आयात के लिए उपलब्ध नहीं होंगी क्योंकि आयात लाइसेंस "अहस्तांतरणीय" चिह्नित हैं। उदाहरणतः अतिरिक्त लाइसेंस या आर ई पी लाइसेंस अहस्तांतरणीय चिह्नित हैं। इस प्रकार के लाइसेंस के लिए निर्यात गृहों/व्यापारी गृहों को अपनी ओर से लाइसेंस का संचालन करने या आयातित वस्तुओं का वितरण करने के लिए एजेन्ट नियुक्त करने या प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुमति नहीं चाहिए। इस प्रकार के कार्य स्वयं निर्यात सदन व्यापार सदन को ही करने चाहिए। निर्यात गृह या व्यापारिक गृह को किसी विशेष लाइसेंस या आयातित मदों के संबंध में वैध कारणों से एजेन्ट नियुक्त करना आवश्यक हो तो पूर्व अनुमति के लिए मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात से सम्पर्क स्थापित करना चाहिए जिस पर मुख्य नियंत्रक पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और वह उन शर्तों के अधीन होगा जो लगाई जा सकें।

(3) उपर्युक्त उप कंडिका (1) में व्यवस्थित सुविधा विदेशी मशीनरी/औजार विनिर्माता के भारतीय अभिकर्ताओं को उन मामलों में उपलब्ध नहीं होगी जहां लागू सम्बद्ध आयात नीति के प्रावधानों के अधीन स्टाक और बिक्री के लिए फालतू पुर्जों के आयात के लिए ऐसे अभिकर्ताओं को लाइसेंस जारी कर दिए गए हों।

384. (1) खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत माल का आयात करते समय कोई व्यक्ति केवल आदेश देने, माल का संचालन करने या सीमाशुल्क के माध्यम से माल की निकासी की व्यवस्था करने के लिए एजेन्ट की सेवाओं का उपयोग कर सकता है, परन्तु धन परेषण के लिए या साख-पत्र खोलने के लिए नहीं। खुले सामान्य लाइसेंस की सुविधा के लिए हकदार व्यक्ति एजेन्ट के कार्य या अकार्य से उत्पन्न उन्हीं कानूनी आभारों और जुर्मानों का पात्र समझा जाएगा जिनके लिए अन्यथा रूप से वह स्वयं पात्र होता।

(2) निम्नलिखित मामलों में एजेन्ट भी पात्र आयातकों की ओर से साख-पत्र खोल सकते हैं और धन का परेषण कर सकते हैं:—

(1) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक या अनुसंधान प्रयोगशालाओं, उच्चतर शिक्षा के संस्थानों और अस्पताल के लिए माल का आयात करने वाले एजेन्ट।

(2) सरकार के विभागों, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अपने निजी या इन के द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित सांविधिक निकायों के लिए माल का आयात करने के लिए एजेन्ट।

(3) मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी किए गए वैध निर्यात गृह/व्यापार गृह प्रमाणपत्रों के धारक और वास्तविक उपयोक्ताओं की ओर से माल का आयात करने वाले निर्यात सदन व्यापार सदन।

(4) राज्य के सम्बद्ध उद्योग निदेशक द्वारा मान्यता प्राप्त और अपने सदस्यों की ओर से माल का आयात करने वाली सहकारी समितियां या वास्तविक उपयोक्ताओं के संघ।

(5) वास्तविक उपयोक्ताओं की ओर से माल आयात करने वाले सार्वजनिक उपक्रम अभिकरण।

(3) उपर्युक्त उपकंडिका (2) में शामिल मामलों में आयातित माल सम्बद्ध सहकारी समिति/संघ या अभिकर्ता द्वारा लाभग्राही वास्तविक उपयोक्ता को दिया जाएगा। ऐसे सारे आयातों और माल के वितरण का लेखा (रजिस्टर के रूप में) रखा जाना चाहिए और यह लेखा प्रत्येक समय लाइसेंस प्राधिकारी और प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा।

(4) यदि आयातित माल का किसी भी तरीके से दुरुपयोग किया जाएगा या ऐसे एजेन्ट द्वारा आयात नीति (सम्बन्धित लाइसेंस के उपयोग के सम्बन्ध में) में किसी प्रकार का उल्लंघन किया जाएगा तो उपर्युक्त व्यवस्थाओं से लाइसेंसधारी को मुक्ति नहीं मिल जाएगी या किसी भी प्रकार से उसे आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अंतर्गत उत्तरदायित्वों से छुटकारा नहीं मिल जाएगा।

लाइसेंसों का संशोधन/पुनर्वैधीकरण

385. लाइसेंस के संशोधन या पुनर्वैधीकरण के लिए सभी आवेदन केवल लाइसेंसधारी द्वारा किए जाएंगे। उसका यह भी उत्तरदायित्व होगा कि वह ऐसे संशोधन या पुनर्वैधीकरण प्राप्त करने के लिए लाइसेंस प्राधिकारी के सामने लाइसेंस प्रस्तुत करें। यह कार्य अभिकर्ता द्वारा निष्पादित नहीं किया जा सकता है।

कन्टेनरों का उपयोग

386. कम लागत पर आयात करने में देश को समर्थ बनाने के लिए लाइसेंसधारी या खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत पात्र व्यक्ति एक ही स्थान/पोतलदान के पत्तन से आरम्भ होने वाले अपने आयातों को कन्टेनरों में अधिक परिमाण में भर सकते हैं।

सहयोगी व्यापार संस्थाएं

387. आयात/निर्यात नीति और क्रियाविधियों के उद्देश्य के लिए व्यापार संस्थाएं आपस में सहयोगी हैं या नहीं, इसका सुनिश्चय करने के लिए निम्नलिखित मापदण्ड होंगे :—

(1) दोनों व्यापार संस्थाओं का आय-कर निर्धारण संयुक्त रूप से होता हो या स्वामित्व सामान्य हो; या

(2) दोनों व्यापार संस्थाओं का आयकर निर्धारण अलग-अलग होता हो और उनका स्वामित्व सामान्य न हो; परन्तु

(क) व्यापार संस्थाओं में से एक संस्था का साझीदार जिसका उस संस्था में प्रमुख भाग हो, वह दूसरी व्यापार संस्था का मालिक हो; या

(ख) व्यापार संस्थाओं में से एक संस्था में साझीदार या कुछ साझीदार दूसरी व्यापार संस्था में प्रमुख भाग रखता हो या रखते हों; या

(3) व्यापार संस्थाओं में से एक संस्था लिमिटेड कम्पनी हो और लिमिटेड कम्पनी का संचालक दूसरी व्यापार संस्था में मालिक के रूप में रुचि रखता हो; या

(4) व्यापार संस्थाओं में से एक संस्था दूसरी संस्था का परामर्शदाता हो या ठेकेदार हो; या

(5) व्यापार संस्थाएं मूल रूप से संचालकों के सामान्य बोर्ड सहित लिमिटेड कम्पनी हों या एक ही परिसर में स्थित पंजीकृत कार्यालयों के साथ लिमिटेड कंपनी हों।

388. कीटनाशक का आयात कोई भी व्यक्ति जो खुले सामान्य लाइसेंस या लाइसेंस के अधीन भुगतान के मद्दे या मुफ्त नमूने के रूप में या अन्यथा रूप से कीटनाशक का आयात करना चाहता है, उसे चाहिए कि वह आयात के ब्यौरों को दर्शाते हुए पादप सुरक्षा सलाहकार, भारत सरकार फरीदाबाद को इस की सूचना भेजे। जिस प्रपत्र में यह सूचना दी जानी चाहिए उसे परिशिष्ट-40 में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम

30 अप्रैल, 1979 तक यथा-संशोधित आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम--1947

यह अधिनियम आयात एवं निर्यात को निषिद्ध करने या नियंत्रित करने के लिए है, चूंकि आयात और निर्यात को निषिद्ध, प्रतिबंधित या अन्यथा नियंत्रित करने के लिए यह आवश्यक है।

इसलिए एतद्द्वारा यह अधिनियम बनाया जाता है :--

1. संक्षिप्त नाम, व्याप्ति, प्रारंभ और अवधि

(1) यह अधिनियम, आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 कहलाएगा।

(2) यह सम्पूर्ण भारत में लागू होगा।

(3) यह 25 मार्च, 1947 से लागू होगा।

2. **परिभाषा** :--इस अधिनियम में जब तक संदर्भ में अन्यथा रूप से आवश्यक न हो :--

(क) "न्याय प्राधिकारी" का अर्थ है खण्ड 4ट के अंतर्गत या उसमें विशिष्टिकृत प्राधिकारी;

(ख) "अपील प्राधिकारी" का अर्थ है, खण्ड-4-ढ में उल्लिखित प्राधिकारी;

(ग) "मुख्य नियंत्रक" का अर्थ है, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात;

(घ) "नियंत्रण आदेश" का अर्थ है इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाया गया या बनाया गया समझा जाने वाला नियंत्रण आदेश;

(ङ) "सीमा शुल्क केन्द्र" का अर्थ वही है जो सीमा शुल्क अधिनियम 1962 में उसके लिए दिया हुआ है;

(च) "उप-मुख्य नियंत्रक" का अर्थ है, उप मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात;

(छ) "आयात" और "निर्यात" का अर्थ है समुद्री जहाज, स्थल वाहन या हवाई जहाज द्वारा क्रमशः भारत में सामान लाना या बाहर भेजना;

(ज) "प्राधिकार-पत्र" का अर्थ है एक ऐसा पत्र जिसमें लाइसेंसधारी को प्राधिकृत किया गया हो कि उस को प्रदान किए गए लाइसेंस के मद्दे उक्त पत्र में नामांकित किसी अन्य व्यक्ति को सामान के आयात करने की अनुमति दी जाए;

(झ) "लाइसेंस" का अर्थ है प्रदान किया गया एक लाइसेंस और इसमें किसी भी नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत जारी किया गया सीमा शुल्क निकासी परमिट भी शामिल है;

(ञ) "निर्धारित" का अर्थ इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित नियम;

(ट) "मान्यताप्राप्त अभिकरण" का अर्थ है वह अभिकरण जिसको आयातित माल के वितरण का कार्य मुख्य नियंत्रक, द्वारा सौंपा गया हो।

3. **आयात और निर्यात को निषेध या प्रतिबंधित करने का अधिकार** :--(1) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके निम्नलिखित सभी मामलों में या इन मामलों की विशेष श्रेणियों में यदि कोई हो तो और ऐसे अपवादों के अधीन निषेध करने, प्रतिबंधित करने या अन्यथा रूप से नियंत्रित करने के लिए शर्तें बना सकती है जो उस आदेश द्वारा या उस के अधीन बनाई जाए :--

(क) उल्लिखित प्रकार के माल का तट से आयात या निर्यात करना या पोत भण्डार के रूप में उसका लदान;

(ख) यदि उल्लिखित प्रकार का माल जहाज या वाहन जिसमें वह ले जाया जा रहा है उसमें से उतारे बिना भारत से बाहर ले जाया जा रहा हो तो उसे भारत के किसी पत्तन या स्थान पर लाना।

(2) जिस माल पर उप-धारा (1) के अधीन कोई आदेश लागू होता हो उसका आयात या निर्यात सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 11 के अधीन निषिद्ध माना जाएगा और उस पर तदनुसार उपर्युक्त अधिनियम के सभी उपबन्ध लागू होंगे।

(3) उपर्युक्त अधिनियम में उल्लिखित बातों के बावजूद भी केन्द्रीय सरकार राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके भारत में आयातित किसी भी सामान या किसी विशेष श्रेणी के सामान की निकासी को निषेध कर सकती है, प्रतिबंधित कर सकती है या उस पर शर्तें लगा सकती है चाहे वह सामान घरेलू खपत के लिए हो या विदेश को लदान के लिए।

(4) **वर्तमान आदेशों का जारी रहना** :--भारत सुरक्षा नियमावली के नियम 84 के अधीन या आपात् उपबन्ध (जारी रखने का) अध्यादेश 1946 (वर्तमान आदेश 1946 का 20 जारी रहना) के अधीन और इस अधिनियम के लागू होने से तुरन्त पहले लागू उक्त नियम के अधीन जारी किए गए सभी आदेश जिस सीमा तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं हैं उस सीमा तक, लागू रहेंगे और उन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत माना जाएगा।

(4क) **लाइसेन्स के लिए आवेदन करने, और उसे जारी करने अथवा उसका नवीकरण करने की फीस** :--केन्द्रीय सरकार आदेश जारी कर के, उस आदेश में यदि किसी व्यक्ति या किसी श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में कोई छूट दी गई हो

तो उसे छोड़कर शेष मामलों में किसी आवेदन-पत्र के लिए या इस अधिनियम के अधीन दिए गए अथवा इस अधिनियम के अधीन जारी माने गए आदेश के अधीन जारी किए गए या नवीकरण किए गए लाइसेंस के लिए फीस वसूल कर सकती है।

4ख. प्रवेश और निरीक्षण करने के प्राधिकार :— इस बारे में मुख्य नियंत्रक द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किया हुआ कोई व्यक्ति या उसके अधीन कार्य करने वाला कोई अधिकारी जो उप मुख्य नियंत्रक के पद से कम का न हो, (उसे इसके बाद इस अधिनियम में ''प्राधिकृत व्यक्ति'' कहा जाएगा) वह किसी भी उचित समय पर ऐसे किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकता है जहां :—

(1) ऐसा आयातित माल या सामग्री हो जिसे इस अधिनियम के अधीन जब्त किया जा सकता हो, या

(2) लेखा पुस्तकें या दूसरा कोई दस्तावेज या चीजें, जो उसकी राय में, इस अधिनियम के अधीन कार्रवाई करने के लिए उपयोगी होंगे या उससे संबद्ध होंगे उन्हें छिपाकर रखने का सन्देह है तो वह ऐसे आयातित माल, सामग्री लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों और चीजों का निरीक्षण कर सकता है और यदि उचित समझे तो उन लेखा पुस्तकों या दस्तावेज की नकल या उनसे उद्धरण ले सकता है।

4ग. तलाशी लेने का अधिकार :— यदि प्राधिकृत व्यक्ति को किसी कारणवश यह विश्वास हो जाए कि :—

(1) कोई आयातित माल या सामग्री, जिसे इस अधिनियम के अधीन जब्त किया जा सकता है, या

(2) कोई लेखा, पुस्तक, या दूसरे दस्तावेज या चीजें जो उसकी राय में, इस अधिनियम के अधीन कार्रवाई करने के लिए उपयोगी होंगी या उससे सम्बन्ध रखती होंगी, किसी जगह छिपाकर रखी है, तो वह ऐसे आयातित माल, सामग्री, लेखा पुस्तकों, दस्तावेज या चीजों की तलाशी लेने के लिए ऐसे स्थान या परिसर में प्रवेश कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है।

4घ. आयातित माल या सामग्री को जब्त करने का अधिकार :—

(1) यदि प्राधिकृत व्यक्ति को किसी कारणवश यह विश्वास हो जाए कि इस अधिनियम के अधीन किसी आयातित माल या सामग्री को जब्त करना जरूरी है तो वह उस माल और सामग्री और यदि वे किसी पैकेज या कागज या बर्तन में हों तो उन्हें भी और यदि आयातित माल या सामग्री किसी दूसरे माल और सामग्री में मिला कर रखी हो तो उस माल और सामग्री को भी जब्त कर सकता है :

किन्तु यदि ऐसे माल या सामग्री को जब्त करना व्यावहारिक न हो, तो प्राधिकृत व्यक्ति माल या सामग्री के मालिक को आदेश दे सकता है कि वह उस की पूर्वानुमति के बिना उस माल या सामग्री को न हटाए, न अलग करे या उसे अन्यथा न निपटाए।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन किसी माल या सामग्री को जब्त किया गया हो और उस माल या सामग्री को जब्त करने के छः महीने के भीतर धारा 4ठ के अंतर्गत उनकी जब्ती का कोई नोटिस नहीं दिया गया हो तो जिस व्यक्ति से उस माल या सामग्री को जब्त किया गया है उस व्यक्ति को वह माल और सामग्री वापस की जाएगी।

किन्तु मुख्य नियंत्रक उपर्युक्त छः महीने की अवधि को पर्याप्त कारण होने पर ज्यादा से ज्यादा छह महीने और बढ़ा सकता है।

(3) प्राधिकृत व्यक्ति ऐसे किसी भी दस्तावेजों या चीजों को जब्त कर सकता है जो उस की राय में इस अधिनियम के अधीन कार्रवाई करने के लिए उपयोगी होंगी या उससे सम्बन्धित होंगी।

(4) जिस व्यक्ति से उपधारा (3) के अधीन किसी दस्तावेज को जब्त किया जाएगा उस व्यक्ति को प्राधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में उन दस्तावेज की प्रतिलिपियां बनाने या उनसे उद्धरण लेने की अनुमति दी जाएगी।

(5) जो व्यक्ति उपधारा (3) के अधीन जब्त किए गए दस्तावेज या दूसरी चीजों का कानूनी हकदार है उसे यदि प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उन दस्तावेज या चीजों को अपने पास रख लेने पर किसी कारण से आपत्ति हो तो उसे अपनी आपत्ति का कारण बताते हुए उन दस्तावेज और चीजों को लौटाने के लिए केन्द्रीय सरकार से आवेदन करना होगा।

(6) केन्द्रीय सरकार उपधारा (5) के अधीन आवेदन मिलने पर आवेदक को अपनी बात कहने का अवसर देगी और उस पर जो आदेश देना उचित समझेगी वह आदेश देगी।

(7) जहां :—

(क) किसी व्यक्ति ने कोई दस्तावेज पेश या प्रस्तुत किया हो अथवा किसी व्यक्ति की अभिरक्षा या नियंत्रण से इस अधिनियम या इस समय लागू किसी दूसरे कानून के अधीन कोई दस्तावेज जब्त किया गया हो, अथवा

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के संबंध में अपराध के किसी आरोप की जांच करते समय भारत से बाहर किसी स्थान से (ऐसे प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा निर्धारित ढंग से विधिवत् अधिप्रमाणित) कोई दस्तावेज प्राप्त हुआ हो।

और जिस व्यक्ति ने वह दस्तावेज पेश किया हो या जिस व्यक्ति से वह दस्तावेज जब्त किया हो उस व्यक्ति के खिलाफ अथवा उसके साथ जिस व्यक्ति पर मुकदमा चल रहा हो या कार्रवाई की जा रही हो उस व्यक्ति के खिलाफ वह दस्तावेज प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत किया जाए तो यथास्थिति अदालत या न्याय निर्णय करने वाला प्राधिकारी, उस समय लागू किसी भी दूसरे कानून में उसके विपरीत की गई व्यवस्था के बावजूद भी :—

जब तक अन्यथा प्रमाणित न हो जाए यह मानेगा कि हस्ताक्षर और उस दस्तावेज का प्रत्येक अंश, जो किसी खास व्यक्ति के हाथ का लिखा प्रतीत होता है या जिसके बारे में अदालत या न्याय

करने वाला प्राधिकारी उचित कारणों से यह समझेगा कि वह हस्ताक्षर और हस्त-लेख किसी खास व्यक्ति का है, उस खास व्यक्ति की अपनी लिखावट में है और जो दस्तावेज लिखा या साक्ष्यांकित किया गया है उसके मामले में यह मानेगा कि जिस व्यक्ति द्वारा वह लिखा या साक्ष्यांकित किया गया प्रतीत होता है उसी व्यक्ति ने उसका निष्पादन और साक्ष्यांकन किया है,

(ii) यदि वह दस्तावेज अन्यथा प्रमाण स्वरूप स्वीकार्य हो तो स्टाम्प लगे न होने पर भी उसे प्रमाण स्वरूप स्वीकार करेगा।

4ङ. **वाहनों को रोकने और कब्जे में लेने का अधिकार** :--

यदि किसी प्राधिकृत व्यक्ति को किसी कारणवश सन्देह हो कि किसी ऐसे आयातित माल या सामग्री को, जो उस अधिनियम के अधीन जब्त हो सकती है, ले जाने के लिए कोई वाहन या जानवर इस्तेमाल किया जा रहा है या इस्तेमाल किया जानेवाला है और इस प्रकार माल या सामग्री ले जाने से इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन हो रहा है या होने वाला है तो वह किसी भी समय ऐसे वाहन या जानवर को रोक सकता है अथवा यदि वह वाहन हवाई जहाज हो तो उसे जमीन पर उतरने को मजबूर कर सकता है, और

(क) उस वाहन या उसके किसी भाग की छानबीन कर सकता है अथवा तलाशी ले सकता है;

(ख) वाहन में या जानवर पर रखे माल या सामग्री की जांच कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है;

(ग) यदि किसी वाहन या जानवर को रोकना जरूरी हो तो वह उसके लिये सभी प्रकार के कानूनी तरीके अपना सकता है और यदि कानूनी तरीके विफल हो जाएं तो वाहन या जानवर पर गोली चला सकता है।

और यदि उसे इस बात का यकीन हो जाए कि इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या किसी नियंत्रण आदेश अथवा किसी लाइसेंस या प्राधिकार-पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने के लिये ऐसे वाहन या जानवर को कब्जे में लेना आवश्यक है तो वह उसे कब्जे में ले सकता है।

स्पष्टीकरण.--इस धारा में जहां भी वाहन शब्द आया है वहां उसमें यदि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो तो हवाई जहाज, गाडी और जलयान शामिल है।

4च. **तलाशी और जब्ती दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुसार किए जाएंगे** :--इस अधिनियम के अधीन जो भी तलाशी ली जाएगी और जब्ती की जाएगी उस पर तलाशी और जब्ती के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्ध, जहां तक हो सके, लागू होंगे।

4छ. **अधिग्रहण** : कोई भी आयातित माल या सामान जिस के, सम्बन्ध में :--

(क) जिस लाइसेंस या प्राधिकार पत्र के अधीन आयात किया गया है उसमें उस माल या सामग्री के उपयोग या वितरण के संबंध में उल्लिखित किसी शर्त का, या

(ख) उक्त माल या सामग्री के उपयोग या वितरण के संबंध में जिन शर्तों पर वे किसी मान्यताप्राप्त एजेन्सी से या उसके माध्यम से प्राप्त हुए हैं उनमें से किसी शर्त का, या

(ग) नियंत्रण के आदेश में उस माल या सामग्री की बिक्री के बारे में उल्लिखित किसी निदेश का

उल्लंघन किया गया हो, या किया जा रहा हो या करने की कोशिश की गई हो तो उस माल या सामग्री को और साथ ही जिस पैकेज, कवरिंग या बर्तन में वे थे उस पैकेज, कवरिंग या बर्तन का अधिग्रहण कर लिया जाएगा और यदि वह माल या सामग्री किसी दूसरे माल या सामग्री के साथ इस तरह मिलाकर रखी हो जिससे उन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता हो तो उस दूसरे माल या सामग्री का भी अधिग्रहण कर लिया जाएगा;

किन्तु यदि यह प्रमाणित हो जाए और न्याय निर्णय करने वाले प्राधिकारी इस बारे में संतुष्ट हों कि इस अधिनियम के अधीन जिस माल या सामग्री का अधिग्रहण किया जा सकता है वह माल और सामग्री किसी व्यापार या उद्योग के लिये नहीं है बल्कि निजी उपयोग के लिये आयात किया गया था/की गई थी और वह उस व्यक्ति का नहीं है जिसके किसी कार्य या चूक के कारण उसका अधिग्रहण किया गया है और उसने यह कार्य या चूक उस व्यक्ति की जानकारी या सहमति के बिना की है जिसका कि यह माल या सामग्री है, तो न्याय निर्णय करने वाला प्राधिकारी अधिग्रहण का आदेश नहीं देगा; लेकिन जिस व्यक्ति के किसी कार्य या चूक के कारण उस माल या सामग्री का अधिग्रहण किया जा रहा था उस व्यक्ति पर इस अधिनियम के अधीन कोई दूसरी कार्रवाई की जाएगी।

4ज. **वाहन का अधिग्रहण** :--इस अधिनियम के अधीन जिस आयातित माल या सामग्री का अधिग्रहण किया जा सकता है उस माल या सामग्री को ले जाने के लिए जो वाहन या जानवर इस्तेमाल किया गया था, किया जा रहा है या करने की कोशिश की गई, उस वाहन या जानवर का अधिग्रहण कर लिया जाएगा, लेकिन यदि वाहन या जानवर का मालिक यह प्रमाणित करे कि स्वयं मालिक या उसके एजेन्ट की अथवा उस वाहन या जानवर के प्रभारी व्यक्ति की जानकारी या सहमति के बिना उसका इस्तेमाल इस काम के लिये किया गया था, किया जा रहा अथवा किया जाने वाला था, और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति ने वाहन या जानवर का इस तरह इस्तेमाल होने के विरुद्ध सभी उचित पूर्वोपाय किए हैं, तो उस वाहन या जानवर का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा;

किन्तु माल या यात्रियों को ले जाने के लिये इस्तेमाल किए गए किराए के जानवर के मामले में वाहन या जानवर के मालिक को वाहन या जानवर के अधिग्रहण के बदले में, उस वाहन से जो आयातित माल या सामग्री ले जाई गई, ले जाई जा रही थी, या ले जाने की कोशिश की गई उसके मूल्य तक के बराबर जुर्माना देने का विकल्प होगा।

4झ. (1) **जुर्माने की देयता** :—जो व्यक्ति,

(क) किसी लाइसेंस या प्राधिकार पत्र के अधीन आयातित किसी माल या सामग्री का उपयोग या इस्तेमाल उस लाइसेंस या प्राधिकार-पत्र की शर्तों के अनुसार न करके अन्यथा करता है; या

(ख) मान्यताप्राप्त एजेन्सी द्वारा आयातित या सामग्री दिए जाने पर उसका उपयोग और इस्तेमाल, जिस प्रयोजन से उसे वह माल या सामग्री दी गई थी उस प्रयोजन के लिये प्रयोग न करके किसी अन्य प्रयोजन के लिये प्रयोग करता है या करवाता है; या

(ग) निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए घोषणा-पत्र दे दिया हो :—

(1) किसी माल या सामग्री के आयात करने का लाइसेंस या प्राधिकार-पत्र लेने के लिये, या

(2) उस लाइसेंस या प्राधिकार-पत्र में कोई तबदीली करवाने के लिए, या

(3) किसी भी आयातित माल के आबंटन को प्राप्त करने के लिये ऐसा घोषणा पत्र देता है और उस घोषणा-पत्र में कोई गलत या झूठा बयान पाया जाए; या

(घ) जिस लाइसेंस अथवा प्राधिकार पत्र के अनुसरण में माल अथवा सामग्री का आयात किया गया था उसकी शर्तों का उल्लंघन करते हुए आयातित माल या सामग्री खरीदता है, उसे बेचता है अथवा उसे अन्यथा रूप से दे देता है अथवा उसे खरीदने, बेचने अथवा अन्यथा रूप से देने की अनुमति देता है; या

(ङ) मान्यता प्राप्त एजेन्सी द्वारा किए गए आबंटन की शर्तों का उल्लंघन करके कोई आयातित माल अथवा सामग्री खरीदता है, बेचता है अथवा अन्यथा रूप से दे देता है अथवा उसे खरीदने, बेचने अथवा अन्यथा रूप में दे देने की अनुमति देता है; या

(च) जिस माल अथवा सामग्री का आयात किसी लाइसेंस अथवा प्राधिकार पत्र के अन्तर्गत किया गया है अथवा जो किसी मान्यता प्राप्त एजेंसी से अथवा उसके माध्यम से प्राप्त किया गया है, उस माल या सामग्री के बेचने के बारे में जारी किए गए नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत दिए गए किसी निर्देश का उल्लंघन करता है,

तो उसे चाहे उस माल अथवा सामग्री का अधिग्रहण किया गया हो अथवा न किया गया हो या अधिग्रहण के लिए वह मौजूद हो या न हो, उस माल अथवा सामग्री के मूल्य के पांच गुणा अथवा एक हजार रुपए इसमें से जो भी अधिक हो तक अर्थ दण्ड दिया जा सकता है।

स्पष्टीकरण : इस धारा में "मूल्य" का अर्थ वही लिया जाएगा जो अर्थ सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 14 की उपधारा (1) में दिया गया है।

(2) यदि कोई व्यक्ति ऐसे किसी कार्य को करने या न करने के लिए उकसाता है जिस कार्य को करने या न करने पर किसी व्यक्ति पर उपधारा (1) के अन्तर्गत जुर्माना किया जा सकता है या ऐसा कार्य करने की कोशिश करता है तो चाहे ऐसे माल का अधिग्रहण किया गया हो अथवा न किया गया हो या उसका अधिग्रहण किया जा सकता हो या न किया जा सकता हो, इस प्रकार उकसाने या उकसाने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को जिस माल अथवा सामग्री के बारे में उकसाया गया है अथवा उकसाने का प्रयास किया गया है, उस माल या सामग्री के मूल्य के अधिकतम पांच गुना तक अथवा एक हजार रुपये, इन में से जो भी अधिक हो, तक का अर्थ दण्ड दिया जाएगा।

(3) यदि उपधारा (1) अथवा उपधारा (2) के अन्तर्गत किया गया जुर्माना नहीं दिया जाता है तो उसे लगान के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा :

किन्तु उपधारा (1) अथवा उपधारा (2) के अन्तर्गत जिस व्यक्ति पर जुर्माना किया गया है उस व्यक्ति की निजी धनराशि को अथवा उसे कर्ज दी गई रकम को न्याय निर्णय प्राधिकारी आदेश जारी करके कुर्क कर सकता है और इस कुर्की की कार्यवाई उसी प्रकार होगी जैसे सिविल न्यायालय द्वारा की गई कुर्की में की जाती है।

4ञ. **अन्य दण्ड में हस्तक्षेप किए बिना अधिग्रहण या अर्थ दण्ड** :—

इस अधिनियम के अन्तर्गत किए गए अधिग्रहण अथवा जुर्माने के कारण इस अधिनियम के उपबन्धों अथवा उस समय लागू किसी अन्य कानून के अन्तर्गत दिए जाने वाले दण्ड पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

4ट. **न्याय निर्णय** :—इस अधिनियम के अन्तर्गत

(क) मुख्य नियंत्रक अथवा जिन मामलों में वह अपने सामान्य अथवा विशिष्ट आदेशों के अंतर्गत अपर मुख्य नियंत्रक को यह अधिकार दे उनमें अपर मुख्य नियंत्रक;

(ख) इस बारे में निर्धारित सीमा के अन्दर केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके कम से कम उप मुख्य नियन्त्रक के रैंक के अधिकारी को प्राधिकृत करती है वह अधिग्रहण करने का निर्णय करेगा अथवा अर्थ दण्ड देगा।

4ठ. **माल के स्वामी को अवसर प्रदान करना आदि** :—

अधिग्रहण अथवा अर्थदण्ड का आदेश तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि माल, सामग्री, वाहन अथवा जानवर के मालिक अथवा अन्य सम्बद्ध व्यक्ति को लिखित रूप में :—

(1) वे कारण सूचित किए जाएं जिनके आधार पर ऐसे माल, सामग्री, वाहन अथवा जानवर का अधिग्रहण करने अथवा उसे अर्थदण्ड देने का प्रस्ताव है;

(2) लिखित नोटिस देकर उसे नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर उसमें उल्लिखित अधिग्रहण अथवा अर्थ दण्ड के विरुद्ध अपना लिखित अभिवेदन का समुचित अवसर न दिया जाए और यदि वह चाहे तो उसे मौखिक रूप से अभ्यावेदन करने का अवसर भी दिया जाएगा ।

4ङ. अपील :—इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए निर्णय या दिए गए आदेशों से यदि कोई व्यक्ति व्यथित हो तो निम्नलिखित स्थितियों में वह अपील कर सकता है :—

(क) जिन मामलों में मुख्य नियन्त्रक अथवा अपर मुख्य नियन्त्रक अथवा केन्द्रीय सरकार ने निर्णय दिया हो अथवा आदेश जारी किया हो,

(ख) जिन मामलों में अपर मुख्य नियन्त्रक से नीचे के स्तर के अधिकारी ने निर्णय लिया हो उन मामलों में मुख्य नियंत्रक को, अथवा जिस मामले में वह ऐसा निर्देश दे उसमें अपर मुख्य नियंत्रक को अपील कर सकता है।

उस व्यक्ति को अपनी अपील, आदेश प्राप्त होने से 45 दिन के भीतर करनी होगी :

किन्तु अपील प्राधिकारी यदि इस बात से सन्तुष्ट है कि अपीलकर्ता पर्याप्त कारणों से उक्त 45 दिनों के अन्दर अपील दायर न कर सका, तो इस प्रकार की अपील दायर करने के लिए वह 45 दिन का समय और दे सकता है :

किन्तु अर्थ दण्ड के आदेशों के विरुद्ध की जाने वाली अपील पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलकर्ता अर्थ दण्ड की रकम जमा नहीं करता :

किन्तु यदि अपील प्राधिकारी के विचार में अर्थ दण्ड की रकम जमा कराने से अपीलकर्ता को अकारण परेशानी होगी तो वह अपने विवेकाधिकार से, बगैर किसी शर्त के अथवा शर्त के साथ उसे जुर्माने की राशि जमा कराने से मुक्त कर सकता है।

(2) यदि अपीलकर्ता चाहे तो अपील प्राधिकारी उसे सुनवाई का उचित मौका देकर और आवश्यक पूछताछ करने के बाद पिछले आदेशों की पुष्टि कर सकता है, उनमें परिवर्तन कर सकता है अथवा निर्णय बदल सकता है, या अपील के खिलाफ आदेश दे सकता है, अथवा वह जैसा उचित समझे और यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त साक्ष्य लेकर अपने निर्देशों सहित मामले को फिर से न्याय अथवा निर्णय के लिए लौटा सकता है :

किन्तु जुर्माने को बढ़ाने या लगाने या अधिक मूल्य के माल अथवा सामग्री का अधिग्रहण करने के आदेश इस धारा के अन्तर्गत तब तक जारी नहीं किए जाएंगे जब तक कि अपीलकर्ता को अपने बचाव में लिखित अभिवेदन देने तथा यदि वह चाहे तो सुनवाई का अवसर न दिया जाए।

4छ. **मुख्य नियंत्रक को पुनरीक्षण के अधिकार** :—मुख्य नियंत्रक स्वयं या अन्यथा किसी भी ऐसी कार्रवाई के अभिलेख मंगवाकर, जिसमें अधीनस्थ अधिकारी ने अधिग्रहण अथवा अर्थ दण्ड का आदेश दिया हो, और जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई हो, उस आदेश या निर्णय की सत्यता, वैधता या औचित्य के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए उनकी जांच कर सकता है और उस पर जैसा उचित समझे वैसा आदेश जारी कर सकता है :

किन्तु इस धारा के अधीन किसी निर्णय या आदेश में इस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिसमें किसी व्यक्ति पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े जब तक कि उस व्यक्ति को—

(क) ऐसे निर्णय या आदेश दिए जाने की तारीख से दो वर्ष के अन्दर निर्णय या आदेश बदलने के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस न दिया जाए, और

(ख) बचाव में अपनी सफाई देने का उचित मौका न दिया जाए और यदि वह सुनवाई चाहता है तो उसकी सुनवाई न की जाए।

4ज. **न्याय निर्णय और अन्य प्राधिकारियों के अधिकार** :—

(1) इस अधिनियम के अधीन न्याय निर्णय करने वाले या किसी अपील को सुनने वाले या पुनर्विचार करने का अपने अधिकारों का प्रयोग करने वाले प्रत्येक प्राधिकारी को निम्नलिखित मामलों में मुकदमे सुनते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय के सभी अधिकार प्राप्त होंगे, अर्थात्:—

(क) गवाहों को बुलाने और उनकी हाजिरी सुनिश्चित करने में;

(ख) किसी दस्तावेज को खोजने और पेश कराने में;

(ग) किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख या उनकी प्रति मांगने में,

(घ) हलफिया बयान लेने में; और

(ङ) गवाहों और दस्तावेज की जांच के लिये कमीशन भेजने में।

(2) इस अधिनियम के अधीन न्याय निर्णय करने या अपील की सुनवाई करने वाले या पुनरीक्षण के अधिकार का प्रयोग करने वाले प्रत्येक प्राधिकारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 345 और 346 के उद्देश्यों के लिये सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

(3) इस नियम के अधीन न्याय निर्णय करने वाले या अपील की सुनवाई करने वाले या पुनरीक्षण के अधिकार का प्रयोग करने वाले प्रत्येक प्राधिकारी को ऐसे अन्तिम आदेश जैसा कि वह उचित समझे, देने का अधिकार होगा, और वह किसी भी निर्णय या आदेश को पर्याप्त कारण होने पर स्थगित करने के लिए आदेश दे सकता है।

4झ. **मृत्यु या दिवालिया होने की स्थिति में कार्रवाई का चालू रहना** :—

(1) यदि न्याय निर्णय करने वाले अधिकारी ने जुर्माना कर दिया हो और—

(क) इस प्रकार अर्थ दण्ड दिए जाने के आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी के समक्ष कोई अपील न की गई हो और अपील दाखिल किए जाने की अवधि समाप्त होने से पहले अपील करने के हकदार व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए, या

(ख) इस प्रकार अर्थ दण्ड दिए जाने के आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर दी गई हो लेकिन अपील पर निर्णय होने से पहले अपीलकर्ता की मृत्यु हो जाए या उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए,

तो उस व्यक्ति के बदले में, जैसा भी मामला हो, उसके कानूनी प्रतिनिधि या सरकारी समनुदेशिती या सरकारी रिसीवर को अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने या अपील पर कार्रवाई जारी रखने की अपील दायर करने का कानूनी अधिकार होगा और जैसे भी मामला हो, ऐसी अपील पर यथा

सम्भव 4ड धारा के उपबन्ध लागू होंगे या लागू होते रहेंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन सरकारी प्रतिनिधि या सरकारी रिसिवर के अधिकारों का प्रयोग, जैसा भी मामला हो, प्रेसिडेन्सी टाउन्स इन्सॉल्वेन्सी एक्ट, 1909 या प्रान्तिशियल इन्सोलवेन्सी एक्ट 1920 के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।

5. **दण्ड** —यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दिए गए या दिए गए समझे गए किसी आदेश से या इन आदेशों के अधीन मंजूर किए गए लाइसेंस की शर्तों का या ऐसे प्राधिकार जिसके अधीन मान्यताप्राप्त अभिकरण के माध्यम से उस आयातित माल प्राप्त हुआ था, से सबद्ध शर्तों का उल्लंघन करे, या उल्लंघन करने का प्रयत्न करे या उल्लंघन करने में सहायता करे तो वह सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) के उपबन्धों के अधीन अधिग्रहण या दण्ड पर विपरीत प्रभाव डाले बिना ही निम्नलिखित अनुसार होगा —

(क) जिस सामान के सम्बन्ध में इस प्रकार का उल्लंघन किया गया हो या उल्लंघन करने का प्रयास किया गया हो या उल्लंघन करने में सहायता की गई हो यदि उस सामान का मूल्य 10 लाख रुपये से अधिक हो तो सात साल तक की कैद और जुर्माने का भी दण्ड दिया जा सकता है, तथा

(ख) किसी अन्य मामले में तीन साल तक की कैद और जुर्माने की सजा भी दी जा सकती है।

किन्तु इसके विरुद्ध विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, जिनका न्यायालय के निर्णय में उल्लेख किया जाएगा यह कैद छः महीने से कम नहीं होगी।

5क. न्याय प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश का उल्लंघन करने पर जुर्माना —यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी न्यायिक अधिकारी या अपील प्राधिकारी द्वारा किया गया जुर्माना अदा नहीं करता या इस अधिनियम के अधीन दिए गए या दिए गए समझे गए किसी निदेश या आदेश का उल्लंघन करता है, तो न्यायालय में दोष सिद्ध हो जाने पर उसे 2 वर्ष तक की कैद या जुर्माने की सजा दी जा सकती है या उसे यह दोनों दण्ड दिए जा सकते हैं।

5ख **लेखन या गणना की गलतियां ठीक करना** :—किसी निर्णय या आदेश में लेखन या गणना की गलतियां या संयोगवश हुई किसी भूल-चूक के कारण कोई अशुद्धि हो गई हो, तो निर्णय या आदेश देने वाला प्राधिकारी उसे किसी भी समय स्वयं या व्यथित व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर ठीक कर सकता है

परन्तु यदि इस धारा के अधीन किए जाने वाले सुधार से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, तो ऐसे व्यक्ति को इस विषय में प्रतिवेदन करने का उचित अवसर दिए बगैर इस प्रकार का सुधार नहीं किया जाएगा और यह सुधार उस निर्णय या आदेश के दिए जाने की तारीख से 2 वर्ष व्यतीत होने के बाद नहीं किया जाएगा।

6 **अपराधों का संज्ञान** —केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की गई लिखित शिकायत के अलावा कोई भी न्यायालय, धारा 5 के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध की सुनवाई नहीं करेगा और प्रेसीडेन्सी मैजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से निम्न न्यायालय ऐसे किसी अपराध की जांच नहीं कर सकेगा।

7. इस अधिनियम के अधीन दिए गए या दिए गए समझे गए किसी आदेश को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी और न ही किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक किए गए या करने का इरादा रखे गए किसी काम के विरुद्ध या इसके अधीन दिए गए या दिये गए समझे गए किसी आदेश के विरुद्ध कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।

8 **नियम बनाने का अधिकार** —(1) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना निकाल कर इस अधिनियम के उपबन्ध लागू करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) भारत से बाहर किसी स्थान से किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरीके से प्राप्त कोई भी दस्तावेज अधिप्रमाणित माना जाएगा अर्थात् —

(क) इन नियमों में निम्नलिखित सब मामलों या किसी भी मामले की व्यवस्था विशेष रूप से और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता को ध्यान में रखे बिना की जा सकती है,

(ख) कोई अन्य विषय जिसका विधान करना अनिवार्य हो, या जिसका विधान किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये प्रत्येक नियम बनाए जाने के यथा शीघ्र बाद संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष तब प्रस्तुत किए जाने चाहिए जब सदन की सत्रावधि एक सत्र में या दो या दो से अधिक अनुवर्ती सत्रों में कुल मिलाकर 30 दिन हो और यदि ऐसे सत्र के तत्काल बाद के सत्र या पूर्वोक्त अनुवर्ती सत्रों के समाप्त होने से पहले दोनों सदन उस नियम में कोई परिशोधन करने की स्वीकृति दे दें या दोनों सदनों की यह राय हो कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो उसके बाद जैसा भी मामला हो या तो संशोधित नियम लागू होगा या बिल्कुल लागू नहीं होगा, परन्तु इस प्रकार के संशोधन या निषेध से ऐसे नियम के अधीन पहले से की गई किसी बात की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

परिशिष्ट—2

आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955

भारत सरकार

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 (15 अप्रैल, 1983 तक यथासंशोधित)

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1955

सं. 17/55—केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा भारत में और पाण्डिचेरी राज्य में लागू आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 और 4क के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात्:—

आदेश

1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख:

(1) यह आदेश आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 कहा जाएगा।

(2) यह तत्काल लागू होगा।

2. **परिभाषा** : इस आदेश में, जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक:—

(क) "अधिनियम" से आयात और निर्यात नियंत्रण अधिनियम, 1947 (1947 का 18) अभिप्रेत है;

(कक) "लाइसेंस" के लिए आवेदन में आयात व्यापार नियंत्रण नियमावली के अधीन दिया गया कोई भी आवेदन सम्मिलित है;

(ककक) मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात में अपर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय में निर्यात आयुक्त, संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, उपमुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात और लोहा तथा इस्पात उप नियंत्रक सम्मिलित हैं;

(कककक) "लाइसेंस" में इस आदेश के अधीन जारी किया गया सीमा शुल्क निकासी परमिट सम्मिलित है;

(ख) "लाइसेंसधारी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे इस आदेश के अधीन लाइसेंस या सीमा शुल्क निकासी परमिट दिया गया हो;

(ग) "लाइसेंस देने वाला प्राधिकारी" से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है जो इस आदेश के अधीन लाइसेंस या सीमा शुल्क निकासी परमिट देने के लिए सक्षम हो;

(घ) "अनुसूची" से इस आदेश की अनुसूची अभिप्रेत है;

(ङ) "मूल्य" से वह अर्थ अभिप्रेत है जो अर्थ सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (1) में दिया गया है।

3. **कुछ माल के आयात पर रोक**:—(1) इस आदेश में अन्यथा की गई व्यवस्था को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति केन्द्रीय सरकार या अनुसूची 2 में निर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी द्वारा दिए गए लाइसेंस या सीमा शुल्क परमिट के अधीन या उसके अनुसार आयात किए जाने वाले माल को छोड़कर अनुसूची 1 में निर्दिष्ट माल का आयात नहीं करेगा।

(2) यदि किसी मामले में, यह पता चल जाए कि लाइसेंस अधीन आयातित माल लाइसेंस में दिए गए ब्यौरे के अनुसार नहीं है या जिस लाइसेंस के अधीन माल आयात किया गया है उसके जारी होने की तारीख से पहले माल जहाज से रवाना हो चुका था, तो उस आयात के बारे में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन लाइसेंसधारी के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह समझा जाएगा कि लाइसेंस का उपयोग उक्त माल के आयात के लिए कर लिया गया है।

(3) यदि किसी मामले में यह पता चल जाए कि लाइसेंस के अधीन आयातित माल सभी बातों में निम्नलिखित अनुसार अर्थात् :—

(1) लाइसेंस में दिए गए माल के विवरण या मूल्य; के अनुसार, या

(2) लाइसेंस पर लागू होने वाली या लाइसेंस में दिए गए ऐसे माल से सम्बन्धित अन्य शर्तों के अनुसार नहीं है—

तो ऐसे माल का आयात वर्जित समझा जाएगा।

3-क. यदि आयातक उस लाइसेंस को माल के आ जाने पर प्रस्तुत न कर सके जो उसे प्रदान किया गया था, तो सीमा शुल्क प्राधिकारी अपने विवेक पर आयातक को माल छुड़ाने की अनुमति दे सकता है, बशर्ते कि आयातक इस आशय का एक बाण्ड अथवा जमानत-पत्र निष्पादित करे कि उसके पास आयात किए गए माल का वैध लाइसेंस है, जिसे वह यथोचित सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय में प्रस्तुत कर देगा और यदि वह ऐसा करने में असमर्थ रहा तो वह संबंधित माल के अप्राधिकृत आयात के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन उसके विरुद्ध हो सकने वाली कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बाण्ड या जमानत पत्र में उल्लिखित धन राशि यथोचित सीमा शुल्क प्राधिकारी को दे।

4. **लाइसेंस के लिए आवेदन-शुल्क** :—(1) लाइसेंस के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र लाइसेंस देने वाले उचित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) प्रत्येक आवेदन के लिए अनुसूची 3 में उल्लिखित फीस उसी प्रकार दी जाएगी जिस प्रकार अनुसूची में कहा गया है लेकिन ऐसे आवेदन के बारे में कोई फीस नहीं दी जाएगी, जो निम्नलिखित द्वारा दिया गया हो:—

(क) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या कार्यालय द्वारा;

(ख) किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निजी उपयोग के लिए माल के आयात के लिए;

(ग) किसी शिक्षा संस्था, धर्मार्थ संस्था या मिशनरी संस्था द्वारा निजी उपयोग के लिए माल के आयात के लिए।

(घ) किसी आदेश के पुनर्विचार के लिए आवेदन अर्थात् लाइसेंस देने वाले उस प्राधिकारी को जिसने मामले पर मूल रूप से विचार किया हो, लाइसेंस के लिए दिए गए आवेदन-पत्र पर की गई प्रथम अपील के लिए।

एक बार प्राप्त हुई फीस निम्नलिखित को छोड़कर, किसी भी मामले में वापस नहीं की जाएगी:—

(1) जब निर्धारित राशि से अधिक फीस जमा की गई हो;

(2) जब फीस तो जमा की गई हो परन्तु आवेदन पत्र न दिया गया हो;

(3) जब फीस गलती से जमा कर दी गई हो लेकिन आवेदक को लाइसेंस फीस की अदायगी के लिए छूट दी गई हो;

नोट: मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को की गई अपील के लिए जमा की गई फीस किसी भी परिस्थिति में लौटाई नहीं जाएगी।

5. **लाइसेंसों की शर्तें**:—(1) लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी इस आदेश के अधीन लाइसेंस जारी करते समय नीचे दी गई एक या एक से अधिक शर्तों पर लाइसेंस जारी कर सकते हैं:—

(1) यह कि लाइसेंस में उल्लिखित माल लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट तरीके के अलावा किसी अन्य तरीके से निपटाया नहीं जाएगा या लाइसेन्स देने वाले प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किए गए व्यक्ति की लिखित स्वीकृति के बिना उसका अन्यथा उपयोग नहीं किया जाएगा;

(2) यह कि लाइसेंस के अधीन माल के आयात के बाद लाइसेंस में दिए निदेशों के अनुसार निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर न तो बेचा जाएगा और न ही वितरित किया जाएगा;

(3) यह कि लाइसेंस के लिए आवेदक एक बाण्ड भरेगा जिसमें वह यह वचन देगा कि मैं उन शर्तों का अनुपालन करूंगा जिन पर मुझे लाइसेन्स दिया जा रहा है।

2. इस आदेश के अधीन जारी किया गया लाइसेंस अनुसूची 5 में दी गई शर्तों के भी अधीन होगा।

3. प्रदान किया जाने वाला प्रत्येक लाइसेंस निम्नलिखित शर्तों के भी अधीन समझा जाएगा:—

(1) कोई भी व्यक्ति लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए लाइसेंस को लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी या इस बारे में ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसे अधिकार प्रदान किए जाए उस व्यक्ति की लिखित स्वीकृति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा और न ही उसे हस्तांतरण द्वारा प्राप्त करेगा।

(2) वह माल जिसके आयात के लिए लाइसेंस दिया गया है, आयात के समय और इसके बाद जब तक कि सीमा शुल्क कार्यालय से उसे छुड़ा न लिया जाए, लाइसेंस धारी की सम्पत्ति होगी।

परन्तु इस उप-खण्ड की मद (1) और (2) की शर्त भारत के राज्य व्यापार निगम, भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम और केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण और स्वामित्वाधीन इस प्रकार की अन्य संस्थाओं और एजेन्सियों को जिन्हें आयात सरणीबद्ध करने का काम सौंपा गया है, को जारी किए गए लाइसेन्स पर लागू नहीं होंगी।

इसके अलावा इस उप-खण्ड की मद (1) और (2) की शर्तें (क) पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अधीन वास्तविक उपयोक्ताओं को बेचे जाने वाले माल के आयात के लिए पात्र निर्यात सदनों या व्यापार सदनों को जारी किए गए लाइसेंस; और (ख) लागू आयात नीति के अंतर्गत वास्तविक उपयोक्ता के लिए माल के निपटान के लिए केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या लिए गए अभिकरणों को जारी किए गए लाइसेंस पर भी लागू नहीं होगी।

(3) जिस माल के आयात के लिए लाइसेंस दिया गया है वह माल यदि लाइसेंस में अन्यथा उल्लिखित न हो तो डिस्पोजल के माल से इतर नया माल होगा।

(4) इस आदेश के अधीन प्रदान किए गए लाइसेंस में ऐसी अन्य शर्तें भी हो सकती हैं जो अधिनियम या इस आदेश से असंगत नहीं हों और जिन्हें लाइसेंस प्राधिकारी ठीक समझें।

5. लाइसेंसधारी इस खण्ड के अन्तर्गत लगाई गई अथवा लगाई जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा।

6. **लाइसेंस मंजूर न करना**.—(1) केन्द्रीय सरकार या आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक निम्नलिखित स्थितियों में लाइसेंस देने से इन्कार कर सकते हैं या लाइसेंस देने वाले किसी अन्य प्राधिकारी को लाइसेंस प्रदान न करने के लिए कह सकते हैं:—

(क) यदि इस उद्देश्य के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध न हो;

(ख) यदि आवेदक को लाइसेंस देना राज्य के हितों के विरुद्ध हो;

(ग) यदि सामग्री का आयात और वितरण किसी विशेष या विशेषज्ञ एजेंसी या किसी अन्य माध्यम से सरणीबद्ध करने का निश्चय किया गया हो;

(घ) यदि आवेदक किसी भागीदार फर्म में साझीदार या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का निदेशक हो जिस-

के सम्बन्ध में फिलहाल खण्ड 8, 8क अथवा 8ख के अधीन कोई कार्रवाई की जा रही हो;

(घघ) यदि आवेदक पर फिलहाल खण्ड-8, 8क अथवा 8ख के अधीन कोई कार्यवाही की जा रही है;

(ङ) यदि आवेदक ऐसी भागीदारी फर्म या लिमिटेड कम्पनी है, तो उसका कोई साझी या पूर्णकालिक निदेशक अथवा संचालक, जैसी भी स्थिति हो, जिसके विरुद्ध खण्ड 8, 8क या 8ख के अधीन कार्रवाई की जा रही है;

(च) यदि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन आवेदक से जो राशि जमा करने के लिए कहा गया है या उक्त अधिनियम के अधीन उस पर जो जुर्माना किया गया है, वह तीन महीने से दिया नहीं गया है; और

(छ) यदि आवेदक अधिनियम के अंतर्गत अंतिम रूप में उस पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में असमर्थ रहता है।

(2) उप-खण्ड (1) के अन्तर्गत लाइसेंस प्रदान करने से इन्कार कर देने पर उस अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित आयात नीति और लागू क्रियाविधि के अधीन की जाएगी।

7. **लाइसेंस में संशोधनः**—लाइसेंस देने वाला प्राधिकारी स्वयं या लाइसेंसधारी द्वारा आवेदनपत्र दिए जाने पर इस आदेश के अधीन दिए गए लाइसेंस में ऐसा संशोधन कर सकता है जो लाइसेंस को इस अधिनियम या इस आदेश या उस समय लागू किसी कानून के उपबन्धों के अनुसार बनाने के लिए या लाइसेंस की किसी अशुद्धि या त्रुटि को सुधारने के लिए आवश्यक हो, लेकिन लाइसेंस देने वाला प्राधिकारी, लाइसेन्सधारी के अनुरोध पर लाइसन्स में जो भी संशोधन करेगा वह आयात व्यापार नियंत्रण विनियमावली के अनुसार ही करेगा।

8. **माल आयात करने से, लाइसेंस प्राप्त करने से या आयातित माल के आबंटन से वंचित करने का अधिकार :—**

(1) केन्द्रीय सरकार या आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक किसी लाइसेंसधारी या आयातक या किसी अन्य व्यक्ति को सभी से या निम्नलिखित में से प्राप्त एक अर्थात् माल का आयात करने या लाइसेंस प्राप्त करने या आयातित माल को भारतीय राज्य व्यापार निगम, भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम या इसके समान किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से या सीधे आबंटन के लिए वंचित कर सकते हैं और उसके विरूद्ध इस सम्बन्ध में की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल असर डाले बिना यह आदेश दे सकते हैं कि कोई लाइसेंस या आयातित माल का आबंटन नहीं किया जाएगा और उसे इस आदेश के अंतर्गत एक निश्चित अवधि के लिए माल का आयात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(क) यदि लाइसेंस के लिए उसका आवेदन-पत्र किसी भी समय इस आदेश के उपबन्धों के अनुसार न पाया जाए; या

(ख) यदि ऐसे आवेदन-पत्र में कोई कथन मिथ्या, कपटपूर्ण या भ्रामिक हो; या

(ग) यदि यह पता लगे कि उसने अपने आवेदन-पत्र के समर्थन में किसी ऐसे प्रलेख का उपयोग किया है जो मिथ्या या जाली है या जिसमें तथ्यों को तोड़ा-मरोड़ा गया है; या

(घ) यदि उसने, किसी भी समय, आयात लाइसेंस में कोई हेरफेर किया हो या बिना लाइसेंस के माल आयात किया हो या अपने व्यापार के सिलसिले में या लाइसन्स प्राप्त करने में किसी भ्रष्ट तरीके या धोखाधड़ी के कार्य में शामिल हो कर या किसी लाइसेंसधारी को कुछ प्रलोभन देकर या अन्यथा कोई लाइसेंस प्राप्त करने की कोशिश करता पाया गया हो; या

(ङ) यदि उसकी तरफ से उसके किसी एजेंट या कर्मचारी ने लाइसेंस प्राप्त करने में कोई भ्रष्ट तरीका अपनाया हो या धोखाधड़ी के किसी काम में शामिल हुआ हो; या

(च) यदि उसने लाइसेंस या लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र में दी गई या उसके साथ लगी शर्तों का पालन नहीं किया हो या उल्लंघन किया हो या उल्लंघन करने का प्रयास किया हो या उल्लंघन करने के लिए किसी को प्रेरित किया हो; या

(छ) यदि उसने सीमा शुल्क, माल के आयात और निर्यात या विदेशी मुद्रा से सम्बद्ध किसी कानून को भंग (किसी नियम, आदेश या विनियम सहित) किया हो; या

(ज) यदि उसने आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक या लाइसेंस देने वाले किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा मांगी गई कोई सूचना न दी हो या कोई दस्तावेज प्रस्तुत न किया हो; या

(झ) यदि वह डी जी टी डी अथवा किसी अन्य संबंधित प्रायोजक प्राधिकारी को नियमित रूप से उत्पादन विवरण प्रस्तुत करने में असमर्थ हो; या

(ञ) यदि वह आयातित माल के संबंध में वितरण पर नियंत्रण, जहां पर यह नियंत्रण लागू हो, करने में असमर्थ हो।

(2) केन्द्रीय सरकार अथवा मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, विशिष्ट लिखित आदेश द्वारा :—

(क) विवर्जित कर सकता है —

(1) उस व्यक्ति को जिसके संबंध में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी कार्यकलाप निरोध अधिनियम, 1974 (1974 का 52) (इसके बाद 1974-अधिनियम कहा गया है) के अधीन कारावास का आदेश लागू किया गया हो, या

(2) उस साझेदार फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी जिसका ऐसा व्यक्ति साझेदार या पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबंध संचालक हो, को भारतीय राज्य व्यापार निगम, भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम अथवा किसी अन्य ऐसे ही अभिकरण के माध्यम से

लाइसेंस अथवा आयातित माल का आबंटन प्राप्त करने से; और

(ख) ऐसे व्यक्ति साझीदार फर्म या कम्पनी के विरुद्ध जो अन्य कार्रवाई की जा सकती है इस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह निदेश दे सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति साझीदार फर्म या कम्पनी को ऐसे विशेष आदेश में निदिष्ट अवधि के लिए माल के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी और लाइसेंस अथवा आयातित माल का आबंटन प्रदान नहीं किया जाएगा। शर्त यह होगी कि ऐसे व्यक्ति, या जैसा भी मामला हो, साझीदार फर्म या कम्पनी जिसका वह व्यक्ति साझीदार या पूर्णकालिक संचालक या प्रबंध संचालक हो, के संबंध में ऐसा विशिष्ट आदेश तब लागू नहीं होगा जब कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कारावास का आदेश :—

(1) वह कारावास का आदेश हो जिसके लिए अधिनियम, 1974 के खण्ड-9 या खण्ड 12-क के परन्तुक लागू न होते हों इस कारण वह कारावास का आदेश इस अधिनियम के खण्ड 8 के अन्तर्गत सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर या सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले या सलाहकार बोर्ड को संदर्भ भेजने से पहले रद्द कर दिया गया हो, अथवा

(2) वह कारावास का आदेश हो जिसके लिए अधिनियम, 1974 के खण्ड 9 के परन्तुक लागू होते हों इस कारण वह कारावास का आदेश खण्ड 9 के उप-खण्ड (3) के अन्तर्गत पुनरीक्षा के लिए समय की समाप्ति से पहले या पुनरीक्षा के आधार पर या उस अधिनियम के खण्ड 9 के उप-खण्ड (2) के साथ पढ़े जाने वाले खण्ड-8 के अन्तर्गत सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर रद्द कर दिया गया हो; अथवा

(3) वह कारावास का आदेश हो जिसके लिए अधिनियम, 1974 के खण्ड 12 (क) के परन्तुक लागू होते हों इस कारण वह कारावास का आदेश उस खण्ड के उप-खण्ड (3) के अन्तर्गत प्रथम पुनरीक्षा के लिए समय की समाप्ति से पहले या प्रथम पुनरीक्षा के आधार पर या उस अधिनियम के खण्ड 12क के उप-खण्ड (6) के साथ पढ़े जाने वाले खण्ड 8 के अन्तर्गत सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर रद्द कर दिया गया हो, या

(4) सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत द्वारा वह कारावास का आदेश हटा दिया गया हो।

(3) केन्द्रीय सरकार अथवा मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात एक आयातक अथवा लाइसेंसधारी अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति को भारतीय राज्य व्यापार निगम, भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम या इससे मिलते जुलते किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से किसी भी माल का आयात करने अथवा लाइसेंस प्राप्त करने अथवा आयातित माल का आबंटन करने से रोक सकती है और इस मामले में ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध की जाने वाली अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त यह निदेश दे सकती है कि ऐसे व्यक्ति को न तो कोई लाइसेंस और न ही आयातित माल का आबंटन प्रदान किया जाएगा और इस आदेश के अन्तर्गत विशिष्टिकृत अवधि के लिए ऐसे व्यक्ति को किसी भी माल का आयात करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी यदि केन्द्रीय सरकार अथवा मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के विचार में,

(क) ऐसा लाइसेंसधारी, आयात अथवा अन्य व्यक्ति; या

(ख) जहां, जैसा भी मामला हो, ऐसा लाइसेंसधारी, आयातक अथवा अन्य व्यक्ति, साझीदार फर्म अथवा एक लिमिटेड कम्पनी हो या उसका साझीदार अथवा पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबंध संचालक हो, अथवा

(ग) जहां, जैसा भी मामला हो, ऐसा लाइसेंसधारी, आयातक अथवा अन्य व्यक्ति साझीदार फर्म में साझीदार हो अथवा लिमिटेड कम्पनी, साझेदारी की फर्म या साझेदारी की लिमिटेड कम्पनी में पूर्णकालिक निदेशक या प्रबन्ध संचालक हो,

(1) ऐसा लाइसेंसधारी, आयातक अथवा अन्य व्यक्ति अथवा ऐसा साझीदार अथवा पूर्ण-कालिक निदेशक अथवा प्रबन्धक संचालक अथवा ऐसी साझीदार फर्म अथवा लि. कम्पनी, जैसा भी मामला हो, प्रदान किए गये किसी भी आयात लाइसेंस का बिना किसी उचित कारण के इस्तेमाल करने में असमर्थ रहा है अथवा पूर्ण रूप से इस्तेमाल करने में असमर्थ रहा है, अथवा

(2) निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 की धारा 7 की उप-धारा (3) की कण्डिका (1) में निर्दिष्ट कोई कार्य किया है।

8क. माल का आयात करने, लाइसेंसों की मंजूरी या आयातित माल के आबंटन को स्थगित करने के अधिकार :—

केन्द्रीय सरकार या आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक किसी भी व्यक्ति द्वारा माल का आयात अथवा लाइसेंस की मंजूरी या भारतीय राज्य व्यापार निगम, भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम या इसके समान किसी अन्य एजेन्सी के माध्यम से लाइसेंसधारी को या आयातक को या किसी अन्य व्यक्ति को आयातित माल का आबंटन तब तक के लिए रोक सकते हैं जब तक कि उसके विरुद्ध खण्ड 8 में दिए गए एक या इससे अधिक आरोपों की जांच का निर्णय न हो जाए। लेकिन इससे उसके विरुद्ध की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

लेकिन इस खण्ड के अधीन लाइसेंस की मंजूरी या आयातित माल का आबंटन सामान्य रूप से 12 महीने से अधिक अवधि के लिए स्थगित नहीं किया जाएगा;

किन्तु स्थगन का ऐसा आदेश वापस लिए जाने पर उप-र्युक्त प्राधिकारी जो शर्तें, पाबन्दियां या सीमाएं निर्धारित करना उचित समझे उन शर्तों, पाबन्दियों और सीमाओं के अधीन स्थगन की अवधि के लिए विदेशी मुद्रा की स्थिति, स्वदेशी उत्पादन और अन्य संगत कारणों को ध्यान में रखते हुए लाइसेन्स या आयातित माल का आबंटन कर सकता है।

8ख. लाइसेंस के लिए आवेदन या आयातित माल के आवंटन को स्थगित करने के अधिकार :—

जब किसी लाइसेंसधारी या आयातक या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध खण्ड 8 में उल्लिखित किसी आरोप की जांच चल रही हो और केन्द्रीय सरकार या आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक इस बात से सन्तुष्ट हों कि उक्त आरोप के बारे में और जांच पूरी किए बिना लाइसेंस देना या आयातित माल का आवंटन करना लोक हित में नहीं है, तो केन्द्रीय सरकार या आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक इस आदेश में उल्लिखित किसी भी बात के बावजूद ऐसे व्यक्ति से लाइसेंस के लिए प्राप्त आवेदन पर निर्णय को स्थगित कर सकते हैं या भारतीय राज्य व्यापार निगम, भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम या इसके समान किसी अन्य एजेन्सी को ऐसे व्यक्ति को आयातित माल का आवंटन बिना कारण बताए और इस बारे में की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना स्थगित रखने के लिए आदेश दे सकते हैं —

लेकिन इस खण्ड के अधीन लाइसेंस की मंजूरी या आवंटन सामान्य रूप से 6 महीने से अधिक समय के लिए स्थगित नहीं किया जाएगा।

8ग. खण्ड 8 या 8क के अधीन की गई कार्रवाई का प्रचार

(1) यदि केन्द्रीय सरकार के विचार में जिस व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध खण्ड 8 या 8-क के अधीन कार्रवाई की गई है उसके या उनके नाम तथा अन्य सम्बद्ध विवरण लोक हित को ध्यान में रखते हुए प्रकाशित करना जरूरी या लाभप्रद है तो वह ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम तथा इस प्रकार का विवरण जिस तरीके से चाहे प्रकाशित कर सकती है अथवा प्रकाशित करवा सकती है।

(2) यदि अपील दायर न की गई हो तो जब तक अपील प्राधिकारी के पास अपील दायर करने की अवधि समाप्त न हो जाए तब तक और यदि अपील दायर की गई हो तो जब तक अपील पर निर्णय न हो जाए तब तक इस संबंध में की गई इस प्रकार की किसी भी कार्रवाई के बारे में उप-खण्ड (1) के अधीन कुछ भी प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

व्याख्या:—किसी फर्म, कम्पनी या व्यक्तियों की अन्य संस्था के बारे में यदि केन्द्रीय सरकार की राय में मामले की परिस्थितियां उचित ठहरें तो जैसा भी मामला हो, फर्म के साझीदारों के नाम, कम्पनी के निदेशकों, प्रबन्धक एजेन्टों, सचिवों और खजांचियों या प्रबन्धकों के नाम या संस्था के सदस्यों के नाम प्रकाशित किए जा सकते हैं।

9. लाइसेंस रद्द किया जाना:—(1) केन्द्रीय सरकार या मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात या इस सम्बन्ध में प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी इस आदेश के अन्तर्गत दिए गए किसी भी लाइसेन्स को निम्नलिखित परिस्थितियों में रद्द कर सकता है या उसे निष्प्रभावी बना सकता है — -

(क) यदि लाइसेन्स भूल से या गलती से जारी किया गया है या धोखाधड़ी अथवा तथ्यों को गलत बयान करके प्राप्त किया गया हो;

(ख) यदि लाइसेन्स इस आदेश के उपबन्धों या नियमों के विपरीत प्रदान किया गया हो,

(ग) यदि लाइसेन्सधारी ने लाइसेन्स की किसी शर्त का उल्लंघन किया हो;

(घ) यदि केन्द्रीय सरकार या सम्बद्ध अधिकारी को यह विश्वास हो कि जिस प्रयोजन के लिए लाइसेंस दिया गया था उससे वह प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा;

(ङ) यदि लाइसेंसधारी ने सीमाशुल्क के किसी कानून या सामान के आयात-निर्यात संबंधी किसी नियम और विनियमन या विदेशी मुद्रा संबंधी किसी विनियमन का उल्लंघन किया हो।

(2) केन्द्रीय सरकार अथवा मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात अथवा इस सम्बंध में अन्य कोई प्राधिकृत अधिकारी लिखित रूप में विशिष्ट आदेश द्वारा इस आदेश के अंतर्गत निम्नलिखित को प्रदान किए गए किसी भी लाइसेंस को अप्रभावी कर सकता है —

(क) एक व्यक्ति को जिसके संबंध में अधिनियम-1974 के अन्तर्गत कारावास का आदेश लागू किया गया हो, अथवा

(ख) एक साझेदार फर्म अथवा प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी को जिसका वह व्यक्ति साझेदार अथवा पूर्णकालिक निदेशक या प्रबन्धक संचालक, जैसा भी मामला हो!

शर्त यह होगी कि ऐसा विशिष्ट आदेश उस व्यक्ति के सम्बंध में या उस साझेदारी की फर्म या कम्पनी के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा जिसका वह व्यक्ति साझेदार या पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबन्धक संचालक हो जब कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध दिया गया ऐसा कारावास का आदेश:—

(1) वह कारावास का आदेश हो जिसके लिए 1974 के अधिनियम के खण्ड 9 या खण्ड-12क के परन्तुक लागू न होते हों इस कारण वह कारावास का आदेश इस अधिनियम के खण्ड 8 के अन्तर्गत सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर या सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले या सलाहकार बोर्ड को संदर्भ भेजने से पहले रद्द कर दिया गया हो; अथवा

(2) वह कारावास का आदेश हो जिसके लिए अधिनियम 1974 के खण्ड 9 के परन्तुक लागू होते हों इस कारण वह कारावास का आदेश खण्ड 9 के उप-खण्ड (3) के अन्तर्गत पुनरीक्षा के लिए समय की समाप्ति से पहले या पुनरीक्षा के आधार पर या उस अधिनियम के खण्ड 9 के उप-खण्ड (2) के साथ पढ़े जाने वाले खण्ड 8 के अन्तर्गत सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर रद्द कर दिया गया हो; या

(3) वह कारावास का आदेश हो जिस के लिए अधिनियम 1974 के खण्ड 12-क के परन्तुक लागू होते हों इस कारण वह कारावास का आदेश उस खण्ड के उप-खण्ड (3) के अन्तर्गत प्रथम पुनरीक्षा के लिए समय की समाप्ति से पहले या प्रथम पुनरीक्षा के आधार पर या उस अधिनियम के खण्ड 12-क के उप-खण्ड (6) के साथ पढ़े जाने वाले खण्ड (8) के अन्तर्गत सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर रद्द कर दिया गया हो; अथवा

(4) सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत द्वारा वह कारावास का आदेश हटा दिया गया हो।

(3) केन्द्रीय सरकार अथवा मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात अथवा इस मामले में कोई भी प्राधिकृत अधिकारी लिखित रूप में विशिष्ट आदेश द्वारा इस आदेश के अधीन जारी किए गए

किसी भी लाइसेंस को अप्रभावित घोषित कर सकता है अथवा रद्द कर सकता है जब कि ऐसे लाइसेंस को रद्द करने की प्रक्रिया उपधारा (1) के अंतर्गत की गई हो, लेकिन फिर भी ऐसा प्रत्येक विशिष्ट आदेश ऐसे मामले में रद्द कर दिया जाएगा जिसमें लाइसेंस रद्द करने का फैसला ऐसी प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद किया गया हो।

10. सुनवाई का अवसर दिया जाना—(1) सुनवाई का उचित अवसर दिए बगैर किसी लाइसेंसधारी या किसी आयातक या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध धारा 7 की उप-धारा (1) या उप-धारा (3) या धारा 8-क या धारा 9 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(2) यदि कोई व्यक्ति धारा 8 या धारा 8 (क) की उप-धारा (1) या उप-धारा (3) या धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन उसके विरुद्ध की गई किसी कार्रवाई से व्यथित हो तो वह की गई कार्रवाई की सूचना दिए जाने की तारीख से 45 दिन के भीतर इस प्रकार की कार्रवाई के विरुद्ध अपील दायर कर सकता है। यह अपील उस अधिकारी के पास दायर की जाएगी जिसकी नियुक्ति अपीलें सुनने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के रूप में सरकारी राजपत्र में अधिसूचित की गई हो।

(3) उप-खण्ड (2) में निर्दिष्ट प्राधिकारी आवेदक को उसकी इच्छा पर सुनवाई के लिए उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात और आगे अपनी इच्छानुसार कोई आवश्यक पूछताछ करने के पश्चात अपील के विरुद्ध की गई कार्रवाही की पुष्टि करते हुए उसमें आशोधन करते हुए या उसको प्रतिलोमित करते हुए ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे या यदि वह आवश्यक समझे तो अतिरिक्त साक्ष्य प्राप्त करने के बाद ऐसे निर्देश के साथ मामले को नई कार्रवाई या कार्यवाही के लिए वापस भेज सकता है, जिन्हें वह उचित समझे।

बशर्ते कि धारा 8 के अन्तर्गत जिस अवधि के लिए आवेदक वंचित किया गया है उसमें वृद्धि करने के लिए कोई आदेश इस धारा की उपधारा के अंतर्गत तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसको यदि वह ऐसा चाहता है, अपने पक्ष में सुनवाई के लिए प्रतिवेदन करने का अवसर प्रदान न किया गया हो।

10क. आयातित माल के मूल्य, किस्म आदि की घोषणा:—

चाहे शुल्क लगता हो अथवा नहीं, किसी भी सामान का किसी भी सीमा शुल्क पत्तन पर आयात करने पर, इस प्रकार के सामान का मालिक अपनी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार प्रविष्टि बिल या नियमानुसार निर्धारित किए गए प्रलेख में इस प्रकार के सामान के मूल्य, किस्म तथा गुण के बारे में विवरण देगा और इस प्रकार के प्रविष्टि बिल या प्रलेखों में नीचे की ओर, दिए गए ब्यौरे के सत्य होने की घोषणा करेगा।

आयातक कोड संख्या के रूप में घोषणा किसी भी सीमा शुल्क पत्तन पर किसी भी माल का आयात करते समय आयातक आयात को प्रविष्टि बिल अथवा नियमों द्वारा निर्धारित अन्य दस्तावेजों पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसको आबंटित "आयातक कोड संख्या" का अभिलेख करेगा। और ऐसे प्रविष्टि बिल अथवा दस्तावेज के अन्त में इस प्रकार के किए गए अभिलेख की सच्चाई के समर्थन में घोषणा देगा। जहां पर इस प्रकार की आयातक को आयात कोड संख्या प्राप्त करने से छूट प्राप्त है वह इस प्रकार की छूट प्रदान करने वाले मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के प्राधिकारी का नाम बतायेगा। (यह धारा 1 जुलाई 1982 से लागू होगी।

10ख. आयातित माल का उपयोग—(1) भारतीय व्यापार निगम द्वारा या मान्यताप्राप्त किसी अन्य एजेंसी द्वारा किए गए आबंटन या वितरण के दौरान प्राप्त किया गया किसी भी आयातित माल का उपयोग वह भी ऐसे ही तरीके से और उसी उद्देश्य के लिए करेगा जो उसने आबंटन या वितरण के लिए अपने आवेदनपत्र में या ऐसे आवेदनपत्र की पुष्टि में दिए गए दस्तावेजों में घोषित किया हो।

(2) धारा 10(ग) के उपबन्धों के अधीन कोई भी व्यक्ति लाइसेंस के मद्दे आयात किए गए माल को, आयात व्यापार के नियंत्रण अधिनियम के अधीन जारी किए गए प्राधिकार पत्र के बल पर तब तक न तो उपयोग करेगा न बेचेगा जब तक कि ऐसे प्राधिकार-पत्र में ऐसा करने की शर्तें न हों।

10ग. कुछ मामलों में आयातित माल की बिक्री के लिए निर्देश देने का अधिकार :—

(1) जिस मामले में माल का आयात करने पर या उसके बाद किसी समय भी, मामले की सुनवाई के लिए लाइसेंसधारी को उचित अवसर प्रदान करने के बाद मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि ऐसे माल का उपयोग इस उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है जिस के लिए वह आयात किया गया था, तो वह आदेश द्वारा अथवा माल के आयात को (यदि माल का आयात खुले सामान्य लाइसेंस अथवा विशेष सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत किया हो) अथवा लाइसेंसधारी को या ऐसे माल को या अधिकार नियंत्रण में रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे माल का ऐसे व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर ऐसी कीमत पर और ऐसे तरीके से बेचने का निर्देश दे सकता है जो उस निर्देश में उल्लिखित हो।

(2) उप खंड (1) के अधीन निर्धारित किये जाने वाले मूल्य में सामान के उतारने तक की कुल कीमत, छुलाई और लदाई तथा इस संबंध में मामले की परिस्थितियों को देखते हुए मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जो भी प्रासंगिक खर्चे उचित समझे जाएं, शामिल किए जाएंगे।

(2-क) यदि माल का आयात भारतीय राज्य व्यापार निगम, भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन इसी प्रकार के किन्हीं अन्य संस्थाओं या एजेंसियों या किसी अन्य मान्यताप्राप्त एजेंसी की मार्फत किया गया हो और इस प्रकार आयात किया गया सामान किसी व्यक्ति को आबंटित किया गया हो तो ऐसे व्यक्ति को भी सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

(3) जिस लाइसेंसधारी या व्यक्ति को खण्ड (1) के अधीन कोई निर्देश दिया जाए, उसे उस निर्देश का पालन करना होगा।

10 घ किसी घोषणापत्र, विवरणपत्र या दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने आदि की मनाही :—

(1) यदि किसी व्यक्ति को यह ज्ञात हो या उसके पास यह मानने का पर्याप्त आधार हो कि किसी घोषणा, वक्तव्य या प्रलेख में कोई ब्यान गलत दिया गया है तो वह कोई लाइसेन्स प्राप्त करने या किसी प्रकार का सामान आयात करने के लिए इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं करेगा

या वक्तव्य या प्रलेख नहीं देगा या प्रलेख पर हस्ताक्षर नहीं करेगा और न ही किसी दूसरे से ऐसी घोषणा करवायेगा या वक्तव्य नहीं दिलवाएगा या प्रलेख पर हस्ताक्षर नहीं करवाएगा और न उन्हें इस्तेमाल करेगा और न ही किसी को इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करेगा।

(2) लाइसेंस प्राप्त करने या कोई माल आयात करने के लिए कोई भी व्यक्ति कोई भ्रष्ट तरीका या कपटपूर्ण पद्धति नहीं अपनाएगा।

10क मुख्य नियंत्रक/अपर मुख्य नियंत्रक द्वारा संशोधन करने का अधिकार :—

मुख्य नियंत्रक अथवा अपर मुख्य नियंत्रक अपनी इच्छानुसार या अन्यथा रूप से किसी भी ऐसी कार्रवाई के रिकार्ड को मंगवा सकता है और जांच पड़ताल कर सकता है जिसमें उसके अधीनस्थ किसी भी अधिकारी द्वारा धारा 8 की उप-धारा (1) अथवा उप-धारा (3) के अन्तर्गत विवर्जित करने या धारा 9 की उप धारा (1) के अन्तर्गत लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की गई हो अथवा उसे पूर्ण किया गया हो (जो भी कुछ इसका परिणाम हो) और ऐसी कार्यवाही के सही होने, वैधानिकता अथवा औचित्य के लिए उसको संतुष्ट करने के प्रयोजनार्थ कोई अपील प्रस्तुत न की गई हो और उस कार्रवाई पर ऐसे आदेश दे सकता है जो वह ठीक समझे

बशर्ते कि इस उप-धारा के अन्तर्गत की गई कोई भी कार्रवाई इस सीमा तक परिवर्तित नहीं होगी कि वह किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जब तक कि वह व्यक्ति :—

(1) ऐसी कार्रवाई की जाने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर यह कारण प्रदर्शित करने का एक नोटिस प्राप्त न करले कि ऐसी कार्रवाही परिवर्तित क्यों न कर दी जाए, और

(2) जब तक कि उसे प्रतिवेदन देने का उचित अवसर प्रदान न किया गया हो और यदि वह ऐसा चाहे तो बचाव के लिए सुनवाई का सुअवसर न दिया गया हो।

11. **बचाव :— (1)** इस आदेश में से कोई भी बात निम्नलिखित किसी भी माल के आयात पर लागू नहीं होगी :—

(क) रक्षा कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण या स्वामित्व के अधीन एजेंसियों/उपक्रमों द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुएं।

(ख) आपूर्ति मंत्रालय के क्रय संगठन के अभिकरण अर्थात लन्दन स्थित इण्डिया सप्लाई मिशन और वाशिंगटन स्थित इन्डिया सप्लाई मिशन की मार्फत केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार, साविधिक निगम, सार्वजनिक निकाय या संयुक्त स्टाक कम्पनी के रूप में चलाए जा रहे किसी सरकारी उपक्रम द्वारा आयात किया जाने वाला सामान;

(ग) केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी सांविधिक निगम या सार्वजनिक निकाय या संयुक्त स्टाक कम्पनी के रूप में चलाए जा रहे किसी सरकारी उपक्रम द्वारा आयात किया जाने वाला ऐसा सामान जिसके बारे में आदेश महानिदेशालय, पूर्ति और निपटान, नई दिल्ली की मार्फत दिये जाते हों;

(घ) वाहनान्तरण द्वारा या आयातित और आ पहुंचने पर पोत भंडार के रूप में या अन्य प्रकार से भारत से बाहर परन्तु नेपाल, तिब्बत और भूटान को छोड़कर किसी देश को पुनः निर्यात के लिए बान्डिड या आयातित और आ पहुंचने पर यथापूर्वोक्त पुनः निर्यात के लिए बान्डिड माल परन्तु बाद में राजनयिक कर्मचारियों, भारत में कान्सुलर अधिकारियों और संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारियों और उसकी विशेष एजेंसियों को रिहा किया गया माल जिन्हें क्रमश: वित्त मंत्रालय (डी. आर.) अधिसूचना सं. 3 दिनांक 8 जनवरी, 1957 और संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षण) अधिनियम, 1947 के अधीन शुल्क का भुगतान करने से छूट है;

(घघ) अनुमोदित कर मुक्त दुकानों पर बिक्री के लिए पहुंचने पर आयातित और बान्डिड चाहे वह स्वतंत्र विदेशी मुद्रा में भुगतान के मद्दे बाहर जाने वाले या आने वाले यात्रियों के लिए हो;

(ङ) ऐसा सामान जो डाक द्वारा या अन्यथा रूप से भारत के रास्ते से भेजा जा रहा हो या उसे नेपाल, तिब्बत और भूटान को छोड़कर डाक द्वारा या अन्यथा रूप से भारत से बाहर किसी अन्य देश को पुनः प्रेषित किया जा रहा हो, परन्तु शर्त यह है कि ऐसा सामान भारत में जब तक रहे तब तक वह डाक/सीमा शुल्क प्राधिकारियों के कब्जे में रहे;

(च) शुल्क से छूट या शुल्क की पूर्णरूप से या आंशिक रूप से वापसी का दावा करते हुए नेपाल, तिब्बत और भूटान को भारत के रास्ते से वायुमार्ग द्वारा अफगानिस्तान को या स्थल मार्ग से भारत से बाहर किसी अन्य देश को भेजा जाने वाला माल, परन्तु शर्त यह है कि सामान का आयात किसी ऐसे देश द्वारा स्वयं या उसकी सरकार की ओर से किया गया हो जिसकी सीमा भारत से लगती हो या आयातकर्ता यह वचन दे कि वह निश्चित अवधि के भीतर यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर देगा कि इस प्रकार का सामान भारत की सीमा से बाहर चला गया है और यदि ऐसा न हुआ तो वह यथोचित सीमा-शुल्क प्राधिकारी द्वारा इस सामान के बारे में जो भी जुर्माना किया जाएगा वह जुर्माना भरेगा, इसके अलावा यह शर्त भी होगी कि उस सामान में कोई ऐसी वस्तुएं न हों जो निर्यात व्यापार नियन्त्रण विनियमावली के अधिकार क्षेत्र से बाहर हों;

(छ) यात्री असबाब के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा उस समय लागू असबाब नियमावली के अन्तर्गत स्वीकार्य सीमा तक आयात किया जा सकता हो परन्तु इस सामान में अनुसूची-1 के शीर्ष सं. 29.01/45 के अन्तर्गत आने वाली 1/2 पौंड पाउडर की 500 गोलियां या 100 एम्पमूल्स से अधिक कुनेन शामिल नहीं है।

परन्तु किसी पर्यटक द्वारा किये जाने वाले आयात के मामले में शर्त यह है कि जिन मूल्यवान वस्तुओं को पर्यटक असबाब नियमावली 1978 के नियम 7 के अनुसार पुनः निर्यात करना अनिवार्य हो उसे भारत छोड़ने पर पुनः निर्यात किया जाएगा और ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि वे वस्तुएं

ऐसी हैं जिनका सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52वां) के अधीन आयात निषेध है;

इसके अलावा जिन वस्तुओं पर इस उप पैरा के उपबन्धों के अधीन छूट है उनके मामले में यह छूट इस शर्त पर होगी कि (क) अग्नि शस्त्रों और टी. वी. सेटों के मामले में जब तक इन्हें इस प्रकार के व्यक्तियों या यात्रियों या कर्मीदल के सदस्यों द्वारा छुड़ाए जाने की तारीख से क्रमशः कम से कम 5 वर्ष तक इस्तेमाल न कर लिया जाए अथवा (ख) अन्य वस्तुओं के मामले में, जब तक कि उनका बाजार मूल्य उनकी खरीद के नए बाजार मूल्य की तुलना में घटकर 50% से कम नहीं रह जाता, जब तक इस प्रकार की वस्तुएं नहीं, प्रदर्शित या विज्ञापित नहीं की जाएगी और न ही इन्हें बेचने के सम्बन्ध में कोई बात की जाएगी और न ही किसी दुकान में बिक्री के लिए प्रदर्शित की जाएगी;

(छछ) किसी व्यक्ति द्वारा डाक के जरिए निजी प्रयोग के लिए आयात किया गया सामान या किसी संस्थान अथवा अस्पताल द्वारा अपने प्रयोग के लिए आयात किया गया सामान, परन्तु जिसमें निम्नलिखित सामान शामिल नहीं है :—

(1) अनुसूची 1 की शीर्ष संख्या 12.05/10 के अन्तर्गत आने वाले वनस्पति बीजों के पैकेट पार्सल जिनका वजन एक पौंड से अधिक हो।

(2) अनुसूची-1 की शीर्ष संख्या - 01.01/06 के अंतर्गत आने वाली सजीव निर्जीयां।

(3) अनुसूची - 1 की शीर्ष संख्या 09.01/10 के अंतर्गत आने वाली चाय।

(4) पुस्तकें, पत्रिकाएं, जर्नल और साहित्य जिसको फिलहाल लागू आयात नीति के अनुसार आयात करने की मनाही हो।

(5) माल, जिसका आयात लागू आयात नीति के अन्तर्गत सरणीबद्ध है।

(6) नशीले पेय-पदार्थ ।

परन्तु शर्त यह है कि एक समय में यथा पूर्वोक्त आयात किए गए माल का लागत बीमा भाड़ा मूल्य 500 रुपये से अधिक नहीं होगा।

टिप्पणी.—उपहार में प्राप्त वस्तुओं के अलावा, अन्य वस्तुओं के मूल्य की अदायगी रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की अनुमति से प्राधिकृत व्यापारियों के जरिये विदेशी मुद्रा में की जा सकेगी।

(ज) मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा सीमा शुल्क प्राधिकारियों के लिए जारी किये गये किसी कार्यकारी अनुदेश के अन्तर्गत आने वाली वस्तुएं।

(झ) राजनयिकों, कांसुलरों, अधिकारियों और भारत में व्यापार आयुक्तों द्वारा या उनकी ओर से आयात किया गया सामान जिस पर इन्हें भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 8 जनवरी, 1957 की अधिसूचना संख्या 3 के अनुसार सीमा शुल्क अदा नहीं करना पड़ता।

(ञ) किसी ऐसे देश से आयात किया गया सामान जिसे पुनः आयात करने पर सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52वां) की धारा 20 के अधीन भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की तारीख 16 मई, 1957 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 113, तारीख 25 मार्च, 1958 की अधिसूचना सं. 103, 11-10-1958 की अधिसूचना सं. 260 और 261, 25-10-1958 की अधिसूचना सं. 269, 270, 271, 273 274, 275 और 276 और 27-5-1961 की अधिसूचना सं. 68 या 24-9-1966 की यथा संशोधित अधिसूचना सं. 174 भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की या तारीख 21-6-1969 की अधिसूचना सं. 98 या तारीख 29-8-1970 की अधिसूचना सं. 80 के अनुसार सीमा शुल्क नहीं देना होता है।

(ट) भारत में या विदेशों में निर्मित ऐसी वस्तुओं के पुर्जे जो विनिर्माताओं को परेषिती से मरम्मत करने और पुनः निर्यात करने के लिए प्राप्त हुए हों, परन्तु शर्त यह है कि :—

(1) सीमा शुल्क प्राधिकारियों को सम्बद्ध मामले की सत्यता पर विश्वास हो; और

(2) तारीख 9-12-1961 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 132 के अधीन पुनः आयात करने पर सीमा-शुल्क की अदायगी में छूट प्राप्त वस्तुओं से इतर वस्तुओं के मामले में आयातकर्ता सम्बद्ध पत्तन पर आयात व्यापार नियंत्रण प्राधिकारी के पास यह बंध-पत्र प्रस्तुत करे कि इस प्रकार आयात की गई वस्तुएं मरम्मत करने के बाद 6 महीने के भीतर पुनः निर्यात कर दी जाएगी।

(ठ) संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारियों और उसकी विशेष एजेंसियों द्वारा आयात किया जाने वाला सामान जिस पर संयुक्त राष्ट्र संघ (विशेषाधिकार और प्रतिरक्षण) अधिनियम, 1947 के अनुसार सीमा शुल्क की छूट है।

(ड) निजी गाड़ियों के अस्थायी आयात संबंधी सीमा-शुल्क समझौते के अनुच्छेद 1 में परिभाषित गाड़ियां या उक्त समझौते के अनुच्छेद 4 में उल्लिखित उनके पुर्जे, जिन पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 53-कस, दिनांक 1 मई, 1977 द्वारा उत्तरोत्तर यथा संशोधित अधिसूचना सं. 296 दिनांक 2 अगस्त, 1976, के अनुसार सीमा शुल्क की छूट है, परन्तु शर्त यह है कि —

(1) इस प्रकार की गाड़ियां या उनके पुर्जे उक्त अधिसूचना में दी गई अवधि या सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा बढ़ाई गई अवधि के भीतर पुनः निर्यात कर दिए जाएं।

(2) इस प्रकार की गाड़ियां या उनके पुर्जों के बारे में अस्थायी वाहन आयात अनुज्ञापत्र या पारगमन अनुज्ञापत्र के उपबन्धों या उक्त अधिसूचना के उपबन्धों का उल्लंघन न किया जाए;

अन्यथा इस प्रकार की गाड़ियों और संघटक पुर्जों पर इस आदेश में दिए गए उपबंध लागू होंगे और इस प्रकार की गाड़ियां या संघटकों को ऐसी वस्तुएं माना जाएगा,

जिनका सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अनुसार आयात करने की मनाही है।

परन्तु शर्त यह है कि इन अपवादों में दी गई किसी भी बात से किसी वस्तु या किसी ऐसी अन्य मनाही या विनियमावली पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा जो ऐसी वस्तुओं को आयात किये जाने के समय लागू हों।

(ण) कोई ऐसा सामान जो नेपाल की सरकार द्वारा जारी किए गए आयात लाइसेंस में शामिल हो और आयातक यथोचित सीमा-शुल्क प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुसूचित बैंक में यथोचित सीमा शुल्क प्राधिकारी को इस संबंध में जमानत दे कि वह उस सम्पूर्ण माल या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में शुल्क और आयात व्यापार नियंत्रण प्रतिबन्धों का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया जुर्माना चुकाएगा जिसके नेपाल राज्य में दाखिल होने की अनुमति नहीं है।

(त) भारतीय निर्माता को या अन्यथा रूप से केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मरम्मत के लिए माल और जो विदेशों में भारतीय दूतावासों या विदेशों में स्थित केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के किसी अन्य कार्यालय को पुनः निर्यात किया जाना हो।

(2) इस आदेश का कोई भी उपबन्ध भारतीय खाद्य निगम द्वारा आयात किए जाने वाले खाद्यान्न पर लागू नहीं होगा बशर्ते कि निकासी के समय आयातक सीमा शुल्क प्राधिकारियों को यह घोषणा-पत्र प्रस्तुत कर दे कि सम्बद्ध आयात के लिए केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृति दे दी है।

(3) इस आदेश में दिया गया कोई भी उपबन्ध मुफ्त दी जाने वाली ऐसी किसी सामग्री तथा खाद्य सामग्री के आयात पर लागू नहीं होगा जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अनुमोदित एजेंसियों द्वारा मुफ्त उपहार के रूप में सप्लाई की जाती है और जिन पर वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की 21 जून, 1975 की अधिसूचना संख्या-जी एस आर 766 के अधीन सीमा शुल्क की छूट प्राप्त है।

(4) धारा 5 की उप-धारा (3) के पैरा (3), धारा 8, धारा 8-क, धारा 8-ग और धारा 10-ग को छोड़कर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए खुले सामान्य लाइसेंस अथवा विशेष सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत किसी भी माल का आयात इस आदेश में दिए गए के अनुसार लागू नहीं होगा।

12. निरसन——अनुसूची 4 में दी गई अधिसूचना में निहित आदेश एतद् द्वारा निरस्त किये जाते हैं :——

परन्तु किये गये किसी भी कार्य या की गई किसी भी कार्रवाई को जिसमें उक्त आदेशों के अधीन की गई नियुक्ति या जारी किया गया लाइसेंस भी शामिल है, इस आदेश के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई माना जाएगा।

परिशिष्ट 2—जारी

अनुसूची 1

(खंड 3 देखें)

नोट :—कालम (1) में प्रत्येक शीर्षक संख्या सीमा शुल्क दर अधिनियम, 1975 (1975 का 21) की अनुसूची के संबंधित अध्याय और शीर्ष संख्या के अनुरूप है, तथा कालम (2) की प्रत्येक प्रविष्टि का वही अर्थ और सीमा है जो उक्त पहली अनुसूची के तदनुरूपी अध्याय और शीर्षक की है।

शीर्षक संख्या	वस्तुओं का विवरण
1	2

खंड—1

जीवित पशु : पशु उत्पाद

अध्याय—1

जीवित पशु

01·01	जीवित घोड़े, गधे, खच्चर और हिनी
01·02	गोजातीय किस्म के जीवित पशु
01·03	जीवित सूअर
01·04	जीवित भेड़ तथा बकरियां
01·05	जीवित कुक्कुटादि, जैसे मुर्गे, बत्तखें गीज, पीरू और गायना मुर्गे
01·06	अन्य जीवित पशु

अध्याय—2

मांस और मांस के भोज्य छीछड़े

02·01	शीर्षक सं. 01·01, 01·02, 01·03 अथवा 01·04 के अन्तर्गत आने वाले पशुओं के मांस और मांस के भोज्य छीछड़े, ताजा, शीतित अथवा जमे हुए।
02·02	मृत कुक्कुटादि (जैसे मुर्गे, बत्तख, हंस, पीरू और गायना मुर्गे) और उनके भोज्य छीछड़े (जिगर को छोड़कर), ताजा, शीतित अथवा जमे हुए।
02·03	कुक्कुटादि जिगर, ताजा, शीतित, जमे हुए, नमकीन अथवा लवण-जल में रखे हुए।
02·04	अन्य मांस एवं मांस के भोज्य छीछड़े, ताजा, शीतित अथवा जमे हुए।

1	2
02·05	सूअर की चरबी जिसमें क्षीण मांस और कुक्कुटादि की चरबी नहीं हो (पिघली हुई या विलायक निस्सारित नहीं), ताजा, शीतित, जमे हुए, नमकीन, लवण जल में रखे हुए, सूखे या धूमायित।
02·06	मांस और मांस के भोज्य छीछड़े (कुक्कुटादि जिगर को छोड़कर) नमकीन, लवण जल में रखे हुए, सूखे या धूमायित।

अध्याय—3

मछली, क्रस्टेशियन और मालस्कस

03·01	मछली, ताजी (जीवित या मृत) शीतित, अथवा जमी हुई।
03·02	मछली, सूखी, नमकीन अथवा लवण जल में रखी हुई; धूमायित मछली, चाहे धूमायित प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान पकाई गई हो या नहीं।
03·03	क्रस्टेशियन और मालस्कस, चाहे सीपी में हों या नहीं, ताजे (जीवित या मृत), शीतित, जमे हुए, नमकीन, लवण जल में रखे हुए या सुखाए हुए; क्रस्टेशियन, सीपी में, साधारणतः पानी में उबले हुए।

अध्याय—4

डेरी उत्पाद; पक्षियों के अंडे; प्राकृतिक शहद; पशुओं से उद्भूत खाद्य उत्पाद, जो अन्य कहीं विशिष्टकृत या शामिल न किए गए हों।

04·01	दूध और क्रीम, ताजा; गाढ़ा या मीठा नहीं हो।
04·02	दूध और क्रीम, परिरक्षित, गाढ़ा या मीठा नहीं हो।
04·03	मक्खन
04·04	पनीर और दही
04·05	पक्षियों के अंडे और अंडों की जर्दी, ताजी, सुखाई हुई या अन्य प्रकार से परिरक्षित, मीठी बनाई हुई या मीठी न बनाई हुई।
04·06	प्राकृतिक शहद
04·07	पशुओं से उद्भूत खाद्य उत्पाद जो और कहीं विशिष्टकृत या शामिल न किए गए हों।

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
	अध्याय 5
	पशुओं से उद्भूत उत्पाद, जो और कहीं विशिष्टिकृत या शामिल न किए गए हों
05.01	मानव-बाल जिन पर काम न किया गया हो, चाहे उन्हें धोया या चमकाया गया हो या नहीं, मानव-बाल के अपशेष।
05.02	सूअर, खस्सी सूअर एवं बराह के ब्रिस्टल या बाल; बजर बाल और अन्य ब्रुश बनाने वाले बाल; ऐसे ब्रिस्टल एवं बाल के अपशेष।
05.03	घोड़े के बाल और घोड़े के बाल के अपशेष, चाहे उन्हें एक तह में रखा गया हो या अन्य माल की दो तहों के बीच में रखा गया हो।
05.04	पशुओं की अंतड़ियां, थैलियां, एवं पेट (मछली को छोड़कर), पूर्ण रूप से और उनके टुकड़े।
05.05	अपशेष मछली
05.06	नस एवं कडरा; कच्ची खाल एवं चमड़े की छीलन और मिलते जुलते अपशेष।
05.07	पक्षियों की चर्म और उनके अन्य भाग, उनके पंख या रोएं सहित, पंख और पंख के भाग (चाहे साफ सुथरे किनारों के साथ हो या नहीं) और रोएं, साफ करने के अतिरिक्त उन पर और कोई कार्य न किया गया हो, रोगाणुओं से मुक्त या सुरक्षित रखने के लिए हों, पंख के चूर्ण और अपशेष या पंख के भाग।
05.08	हड्डियां और श्रृंग-बीज, जिन पर कोई कार्य न किया गया हो, डिफैटिड, साधारण रूप से तैयार किये गये हो (किन्तु आकार में नहीं काटे गये हो) तेजाब के साथ संसाधित हों या डिजेलेटिनाइज्ड हों, उन उत्पादों के चूर्ण या अपशेष।
05.09	पशुओं के सींग, एन्टलर, हुव, नाखून, पंजे और चोंच, जिन पर कोई कार्य न किया गया हो या साधारण रूप से तैयार किए गए हों किन्तु आकार में नही काटे गए हों और इन उत्पादों के अपशेष और चूर्ण; ह्वेलबोन और इससे मिलते जुलते, जिन पर कोई कार्य नहीं किया गया हो या साधारण रूप से तैयार किए गए हों किन्तु आकार में नहीं काटे गए हों और इन उत्पादों के बाल और अपशेष।
05.10	हाथी दांत, जिन पर कोई काम न किया गया हो या साधारण रूप से तैयार किए गए हों किन्तु किसी आकार में न कटे हुए हों, हाथी दांत के चूर्ण और अपशेष।
15.11	कच्छप शैल (शैल और स्केल), जिन पर कोई काम न किया हुआ हो या साधारण रूप से तैयार किए गए हों परन्तु आकार में न कटे हुए हो; पंजे और कच्छप शैल के अपशेष।
05.12	मूंगा और इसी से मिलते जुलते पदार्थ, जिन पर कोई काम न किया गया हो या साधारण रूप से तैयार किए गए हों परन्तु उन पर अन्यथा रूप से कोई कार्य न किया गया हो, शैल, जिन पर कोई काम न किया गया हो या साधारण रूप से तैयार किए गए हों परन्तु आकार में न कटे हुए हों; शैल का चूर्ण और अपशेष।
05.13	प्राकृतिक स्पंज।
05.14	अम्बरगोरिस, कास्टोरियम, बिलाव कस्तूरी और कस्तूरी, कैन्थराइड्स, पित्त, चाहे सूखी हों या सूखी नहीं हों, पशु उत्पाद, ताजा, शीतित एवं जमे हुए या अन्यथा अनन्तिम रूप से परिरक्षित हों, ऐसी किस्म जिसका प्रयोग फार्मेस्यूटिकल उत्पादों के तैयार करने में किया जाता है।
05.15	पशु उत्पादन जो अन्यथा कहीं विशिष्टिकृत नहीं किए गए हों या शामिल नहीं किए गए हों, अध्याय 1 अथवा अध्याय 3 के मृत पशु जो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त न हों।
	खंड-2
	वनस्पति उत्पाद
	अध्याय-6
	जीवित पेड़ और पौधे; कंद जड़ें और ऐसे ही पदार्थ, कटे हुए फूल और सजावटी पत्तियां
06.01	सकन्द कन्द, कन्दाकार जड़, घनकन्द, क्राउन्स एवं रिहजोम, डोरमेन्ट, वर्धन में हो या फूल में हों।
06.02	अन्य जीवित पौधे जिनमें पेड़, झाड़ी, झुरमुट, जड़ें, कटिंग और स्लिप्स शामिल हैं।
06.03	ऐसे प्रकार के कटे हुए फूल और फूल कलियां जो गुलदस्ते बनाने या सजावटी प्रयोजनों में उपयुक्त हैं, ताजा, सूखे, रंजित, ब्लीच्ड, इम्प्रेगनेटिड अथवा अन्यथा रूप से तैयार किए गए।
06.04	वृक्ष के बेल-बूटे, शाखाएं और अन्य भाग (फूल और कलियों से भिन्न) झाड़ी, झुरमुट और अन्य पौधे एवं मोसेज, लाइकेन और घास, इस प्रकार के माल के जो गुलदस्ते और सजावटी प्रयोजनों में उपयुक्त हैं, ताजे, सूखे, रंजित, ब्लीचड इम्प्रेगनेटिड अथवा अन्यथा रूप से तैयार किए गए।

अध्याय–7

खाद्य वनस्पतियां और कुछ जड़ें तथा कन्दमूल

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
07·01	वनस्पतियां, ताजी या शीतित।
07·02	वनस्पतियां (चाहे पकाई हुई हों या न पकाई हुई हों), बर्फ द्वारा परिरक्षित।
07·03	वनस्पतिया जो अन्तिम रूप से लवण जल मे परिरक्षित हो, गन्धक के पानी मे या अन्य परिरक्षक घोल मे परिरक्षित हों परन्तु विशेष रूप से तुरन्त उपभोग के लिए तैयार न की गई हों।
07·04	सूखी डिहाइड्रेटिड या पानी रहित वनस्पति, पूर्ण, कटी हुई, स्लाइस्ड, तोड़ी हुई या चूर्ण में, किन्तु और आगे तैयार न की गई हों।
07·05	सुखाई हुई फलीदार वनस्पतिया, छिलके वाली, चाहे छिलकेदार अथवा स्पिलिट हों या न हों।
07·06	आलू का पौधा, अरारोट, सालम मिश्री, जेरूसेलम, आर्टिचोक मीठे आलू और इसी से मिलती जुलती जड़ें और कन्दमूल जिनमें उच्च मात्रा का स्टार्च या इन्सुलिन वस्तु हो, ताजा या सूखा, सम्पूर्ण या सलाइस्ड; साबूदाना सत्व।

अध्याय–8

खाद्य फल और गिरीदार फल; तरबूज के छिलके या नींबू के फल

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
08·01	खजूर, केले, नारियल, तिकोना फल (जिसमें गिरी होती है), काजू, अनानास, एवोकेडोस, आम, अमरूद और मंगष्ठ, ताजा अथवा सूखा, छिलके वाला या बिना छिलके वाला।
08·02	नींबू जाति के फल, ताजा अथवा सूखे।
08·03	अंजीर, ताजी अथवा सूखी
08·04	अंगूर, ताजे अथवा सूखे
08·05	शीर्षक सं. 08·01 के अन्तर्गत आने वालों से भिन्न गिरी, ताजी अथवा सूखी, छिलके वाली या बिना छिलके वाली
08·06	सेब, नाशपाती और सूरजफल, ताजे
08·07	गुठलीदार फल, ताजे
08·08	सरस फल, ताजे
08·09	अन्य फल, ताजे
08·10	बर्फ द्वारा परिरक्षित फल (चाहे पकाए हुए या न पकाए हुए) परन्तु उनमें चीनी न मिली हुई हो।
08·11	फल जो अस्थाई रूप से परिरक्षित (उदाहरणार्थ-सल्फर डाइआक्साइड गैस द्वारा, लवण जल में, गन्धक जल में या अन्य परिरक्षण घोल में) परन्तु उस स्थिति में तुरन्त उपभोग के लिए उपयुक्त न हों।
08·12	शीर्षक सं. 08·01, 08·02, 08·03, 08·04, या 08·05 के अंतर्गत आने वालो से भिन्न फल, सूखे।
08·13	तरबूज के छिलके एवं नीबू जाति के फल, ताजे, जमाए हुए, सूखे अथवा अस्थायी रूप से लवण जल मे, गन्धक जल मे या अन्य परिरक्षण घोल में परिरक्षित।

अध्याय–9

कहवा, चाय, मेट और मसाले

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
09·01	कहवा, चाहे भुना हुआ या न भुना हुआ या कैफीन से मुक्त किया हुआ; कहवा की भूसी और छाल, कहवा के प्रतिस्थानी जिनमें कहवा किसी अनुपात मे अन्तर्विष्ट हो।
09·02	चाय
09·03	मेट
09·04	"पाइपर" प्रकार की मिर्च, "कैप्सिकम" प्रकार का पिमेन्टो अथवा "पिमेन्टा" किस्म
09·05	वैनिला
09·06	दालचीनी और दालचीनी के वृक्ष के फूल
09·07	लौंग (सम्पूर्ण फल, लौंग और डण्डी)
09·08	जायफल, जावित्री और इलायची
09·09	सौंफ, बदयन, मैथी, धनिया, प्याज, अजवायन और हाउऊबेर के बीज।
09·10	अजवायन, केसर और तेजपात के पत्ते; अन्य मसाले।

अध्याय–10

अनाज

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
10·01	गेहूं और मैसलिन (मिश्रित गेहूं और राई)
10·02	राई
10·03	जौ
10·04	जई
10·05	मक्का
10·06	चावल
10·07	कुट्टू, बाजरा, केनरी बीज और गल्ला सारधम; अन्य अनाज।

अध्याय-11

मिल उद्योग के उत्पाद, माल्ट और स्टार्च; ग्लूटिन इंसुलिन

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
11·01	अनाज का आटा
11·02	अनाज का दलिया और अनाज का बेसन; अन्य संसाधित अनाज के दाने (उदाहरणार्थ बेलित, टुकड़े किए हुए, पालिश किए हुए, पीस कर मोती जैसे बनाए हुए, या कुचले हुए, परन्तु इससे आगे उन पर कोई काम न किया गया हो) इसमें छिलकेदार, चमकीला, पालिश किया गया या तोड़ा हुआ चावल शामिल नहीं है; अनाज के बीज, सम्पूर्ण रूप में, बेलित, टुकड़े किए हुए या ग्राउन्ड।
11·03	शीर्षक सं. 07·05 के अन्तर्गत आने वाली फलीदार वनस्पतियों का आटा।
11·04	अध्याय 8 में किसी भी शीर्षक के अन्तर्गत आने वाले फलों का आटा।
11·05	आटा, आलू का आटा और फ्लेक्स।
11·06	आटा और साबूदाने और सेगीयक का चूर्ण अरारोट, सेलप और अन्य जड़ें और कन्द जो शीर्षक सं. 07·06 के अन्तर्गत आते हैं।
11·07	माल्ट, भुना हुआ और बिना भुना हुआ
11·08	स्टार्च; इनसुलिन
11·09	गेहूं का सत्त, चाहे सूखा हो या न हो।

अध्याय-12

तिलहन और तेलदार फल; विविध प्रकार के दाने, बीज और फल; औद्योगिक और चिकित्सा में काम आने वाले पौधे, भूसा और चारा

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
12·01	तिलहन और तेलदार फल, साबुत या खण्ड किए हुए।
12·02	तिलहन और तेलदार फल का आटा या बेसन जिसमें से चर्बी न निकाली गई हो (सरसों के आटे को छोड़कर)
12·03	बीज, फल और बीजाणु जो बोने के लिए उपयोग में आने वाली किस्म के हों।
12·04	चुकन्दर, साबुत या टुकड़े, ताजी, सुखाई गई या चूर्ण की हुई; गन्ना।
12·05	कासनी की जड़ें, ताजी या सुखाई गई, साबुत या कटी हुई, बिना तपाई गई।
12·06	हाफ कोन्स और लपूलिन
12·07	पौधे और पेड़ों (बीजों और फलों सहित) के भाग, झाड़-झंखाड़, झाड़ियां या अन्य पौधे, जो मुख्य रूप से इत्रसाजी में, औषध निर्माण में या कीड़े मारने के लिए, फफूंदी नाश करने के लिए या अन्य समान कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले माल की एक किस्म होते हैं; या ताजी, सुखाई हुई, पूर्ण, कटी हुई, कुचली हुई, पिसी हुई या चूर्ण के रूप में।
12·08	टिड्डी सेम, ताजी या सुखाई हुई, कुचली हुई या पिसी हुई हो या नहीं परन्तु इससे आगे तैयार न की गई हो; फलों की गिरी और मुख्य रूप से मनुष्य के भोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य वनस्पति उत्पादों की किस्म जो किसी अन्य शीर्षक के अन्तर्गत नहीं आती है।
12·09	अनाज की पुआल और भूसी, बिना तैयार किए गए या खण्ड किए गए परन्तु अन्य प्रकार से तैयार न किए गए हों।
12·10	मेन्गोल्ड्स, स्वीडस, चारा-जड़ें, सूखी घास, लसनघास, तिपतिया घास, छोटी घास, करमसाग का चारा, ल्यूपिन मोठ और इसके समान चारा उत्पाद।

अध्याय-13

रंगने में या चमड़ा कमाने में प्रयोग करने के लिए उपयुक्त किस्म की कच्ची वनस्पति सामग्री : लाख, गोंद, रेजिन और वनस्पति के अन्य रस और सत्त

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
13·01	रंगने में या चमड़ा कमाने में मुख्य रूप से प्रयोग करने के लिए उपयुक्त किस्म की कच्ची वनस्पति की सामग्री।
13·02	चमड़ा, लाख के दाने, छड़ी लाख और अन्य लाख; प्राकृतिक गोंद, रेजिन, गोंद रेजिन और बालसम।
13·03	वनस्पति के रस और सत्त; पैक्टिक सार, पैक्टिनेट और पैक्टेट्स; अगर-अगर और अन्य लासा तथा स्थूल पदार्थ, वनस्पति उत्पादों से उद्भूत।

अध्याय-14

वनस्पति की शिकन डालने और नक्काशी करने की सामग्री; वनस्पति उत्पाद जो और कहीं विशिष्टिकृत या शामिल नहीं हैं

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
14·01	मुख्यतः शिकन डालने में उपयोग की जाने वाली वनस्पति सामग्री (उदाहरणार्थ अनाज, भूसा, साफ किया हुआ, ब्लीच्ड अथवा रंगा हुआ, बेंत, रीड्स, रशिम, ताड़, बांस-रैफिया और लाइमबार्क)।
14·02	वनस्पति सामग्री, चाहे किसी अन्य सामग्री की एक तह पर या दो तहों के बीच रखी गई हो और ऐसी किस्म की मुख्यतः स्टफिंग

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
	या पैडिंग के रूप में उपयोग की जाती है (उदाहरणार्थ सेमल की रुई, वनस्पति रोएं और ईल-घास)।
14.03	ऐसी किस्म की वनस्पति सामग्री जो मुख्यतः ब्रुशों में या कूंची करने में उपयोग की जाती है (उदाहरणार्थ सोरगोह, पैसवा, कोचग्रास एवं ईस्टल) चाहे गट्ठे या लच्छे में हो या न हो।
14.04	नक्काशी करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कठोर बीजों, पिप, खोखलों और गिरीदार फलों की एक किस्म (उदाहरणार्थ कोरोज और डोम)।
14.05	वनस्पति उत्पाद जो और कहीं विशिष्टिकृत या शामिल नहीं है।

खण्ड-3

पशु और वनस्पति चरबी और तेल और उनकी फांक के उत्पाद; तैयार खाद्य चर्बी; पशु तथा वनस्पति मोम

अध्याय-15

पशु और वनस्पति चरबी और तेल और उनकी फांक के उत्पाद; तैयार खाद्य चरबी; पशु तथा वनस्पति मोम

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
15.01	सुअर की चरबी, अन्य सुअर की चरबी और कुक्कुटादि की चरबी पिघली हुई या विलायक निस्सारित।
15.02	गोजातीय पशुओं, भेड़ या बकरियों की चर्बी न पिघली हुई, पिघली हुई या विलायक निस्सारित चरबी (जिसमें "प्रीमियर जस" शामिल है) जो न पिघली हुई चरबी से प्राप्त की गई है।
15.03	लार्ड स्टीयरिन, आलियो स्टीयरिन एवं टैलो स्टीयरिन; सुअर की चरबी का तेल, आलियो तेल एवं चरबी तेल, जिसका पायसीकरण न किया गया हो या किसी भी रूप में मिश्रित या तैयार न किया गया हो।
15.04	मछली और समुद्री स्तनधारी की चरबी और तेल, चाहे परिष्कृत हो या न हो।
15.05	रूआं ग्रीस और उनसे निकाली गई चरबी वाली वस्तुएं (जिसमें लेनोलिन शामिल है)।
15.06	अन्य पशुओं का तेल और चरबी (जिनमें गोजातीय पशुओं के पैरों का तेल और हड्डियों से प्राप्त चरबी और अपशेष शामिल हैं)।
15.07	नियतित वनस्पति तेल, तरल या ठोस अपरिष्कृत या शुद्ध किए हुए।
15.08	पशु और वनस्पति तेल, उबला हुआ आक्सीकृत, निर्जलीकृत, सल्फराइज्ड, ब्लोन या वैक्यूम में ताप द्वारा या मन्द गैस द्वारा पालिमराइज्ड अथवा अन्य प्रकार से परिशोधित।
15.09	डिग्रास
15.10	वसायुक्त एसिड; परिष्करण द्वारा एसिड तेल; वसायुक्त अलकोहल।
15.11	ग्लीसरोल और ग्लाइसरोल लीस।
15.12	पशु या वनस्पति तेल एवं वसा, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से हाइड्रोजिनेटिड या किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा जमाया हुआ या सख्त किया हुआ हो, चाहे परिष्कृत किया गया हो या नहीं परन्तु आगे तैयार न किया गया हो।
15.13	मारगेराइन, इमिटेशन लार्ड और अन्य प्रकार से तैयार की गई खाने योग्य चरबी।
15.14	स्पर्मसेटि, अपरिष्कृत, प्रेस्ड या परिष्कृत चाहे रंगदार हो या न हो।
15.15	मधुमक्खियों का मोम, एवं अन्य कीड़ों का मोम चाहे रंगदार हो या नहीं।
15.16	वनस्पति मोम, चाहे रंगदार हो या नहीं।
15.17	वसायुक्त तत्वों या पशु या वनस्पति मोम के शोधन से प्राप्त अपशेष।

खंड-4

तैयार खाद्य पदार्थ; पेय पदार्थ, स्प्रिट तथा सिरका; तम्बाकू

अध्याय-16

मांस, मछली, क्रेस्टेशियन या मोलस्क से निर्मित पदार्थ

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
16.01	मांस, मांस के भोज्य छीछड़ों या पशु रक्त के सासिज और इसी से मिलते जुलते पदार्थ।
16.02	अन्य तैयार किए या परिरक्षित मांस या मांस के भोज्य छीछड़े।
16.03	मांस के सत्त और मांस के रस; मछली के सत्त।
16.04	तैयार या परिरक्षित मछली, जिनमें मछली का अचार और मछली के अचार के प्रतिस्थानी पदार्थ शामिल हैं।
16.05	क्रेस्टेशियन तथा मोलस्क, तैयार या परिरक्षित।

अध्याय-17

चीनी और चीनी की मिठाई

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
17.01	चुकन्दर की चीनी और गन्ने की चीनी, ठोस रूप में।
17.02	अन्य प्रकार की चीनी, चीनी के शर्बत; बनावटी शहद (चाहे प्राकृतिक शहद में मिश्रित हो या नहीं हो); दग्ध-शर्करा।
17.03	सीरा, चाहे वर्णहीन हो या नहीं।

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
17.04	चीनी की मिठाई, जिसमें कोको शामिल नहीं हो।
17.05	सुगंधित या रंगीन चीनी, शर्बत और सीरा परन्तु इसमें किसी भी अनुपात में चीनी मिलाए हुए फलों का रस शामिल नहीं हो।

अध्याय-18

कोको और कोको से निर्मित उत्पाद

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
18.01	कोको की फली, साबुत या टूटी हुई, कच्ची या भुनी हुई।
18.02	कोको का खोल, भूसी, छिलका और रद्दी।
18.03	कोको पेस्ट (थोक में या खंडों में) चाहे चर्बीरहित हो या नहीं।
18.04	कोको का मक्खन (वसा या तेल)
18.05	कोको का चूर्ण जो मीठा नहीं हो।
18.06	चाकलेट और अन्य खाद्य पदार्थ जिनमें कोको मिला हो।

अध्याय-19

अनाज, आटा या स्टार्च से निर्मित पदार्थ, पेस्ट्री के उत्पाद

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
19.01	माल्ट का सत्त
19.02	आटा, बेसन, स्टार्च से निर्मित पदार्थ या बच्चों के भोजन के लिए या भोजन सम्बन्धी या पाकशाला कार्यों के लिए उपयोग में आने वाले माल्ट सत्त की एक किस्म जिसमें कोको का वजन 50 प्रतिशत से कम मात्रा में हो।
19.03	मैकरोनी, स्पागहेटी और मिलते जुलते उत्पाद।
19.04	टैपियोका और साबूदाना, टैपियोका और साबूदाना प्रतिस्थानी जो आलू या अन्य स्टार्च से प्राप्त किए गए हों।
19.05	अनाजों या अनाज उत्पादों के खमीर द्वारा या भूनकर तैयार करके प्राप्त किए गए भोजन (मुरमुरा, कार्नफ्लैक्स और मिलते जुलते उत्पाद)।
19.06	कम्यून्यन वेफर्स, और ऐसी किस्म के खाली केप्सूट्स जिनका उपयोग फार्मेस्यूटिकल में किया जाता है, सीलिंग वेफर्स, राइस पेपर और इससे मिलते जुलते उत्पाद।
19.07	ब्रेड, शिप्स बिस्कुट और अन्य साधारण बेकरी पदार्थ जिनमें चीनी, शहद, अंडे चरबी, पनीर या फल न मिलाए गए हों।
19.08	पेस्ट्री, बिस्कुट, केक और अन्य उम्दा किस्म के बेकरी के सामान, चाहे उनमें किसी भी अनुपात में कोको हो या नहीं हो।

अध्याय-20

वनस्पतियों, फलों और पौधों के अन्य भागों से तैयार पदार्थ

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
20.01	वनस्पति और फल जो सिरका या एसिटिक एसिड द्वारा तैयार या परिरक्षित हों, जिनमें चीनी हो या चीनी रहित हो, चाहे उनमें नमक, मसाले और राई हो या नहीं हो।
20.02	सिरका या एसिटिक एसिड से भिन्न अन्यथा रूप से तैयार या परिरक्षित वनस्पतियां
20.03	बर्फ से जमाए हुए परिरक्षित फल, जिनमें चीनी मिली हुई हो।
20.04	चीनी द्वारा परिरक्षित फल, फल के छिलके और पौधों के भाग (ड्रेन्ड, ग्लेन या क्रिस्टेलाइज्ड)।
20.05	जेम, फलों की जेली, फलमिष्ठान, फलों की पुडी और फलों के पेस्ट, पका कर बनाए गए पदार्थ; चाहे उनमें चीनी मिली हुई हो या नहीं।
20.06	फलों के रस (द्राक्षारस सहित) और वनस्पति के रस, चाहे उनमें चीनी मिली हुई हो या नहीं, परन्तु खमीर उठाए हुए से रहित और जिनमें स्प्रिट नहीं मिली हुई हो।

अध्याय-21

विविध खाद्य पदार्थ

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
21.01	भुने हुए कासनी और अन्य भुने हुए कहवा के प्रतिस्थानी पदार्थ और उनके अर्क, सत्त और कन्सेन्ट्रेट।
21.02	कहवा, चाय या मेट के अर्क, सत्त या कन्सेन्ट्रेट और इन अर्कों, सत्तों या कन्सेन्ट्रेटस पर आधारित पदार्थ।
21.03	सरसों का आटा और तैयार सरसों।
21.04	चटनी, मिश्रित मसाले और मिश्रित स्वादिष्ट नमक-मिर्च।
21.05	सूप और शोरबा, द्रव्य और ठोस या चूर्ण के रूप में; सजातीय मिश्रित खाद्य पदार्थ।
21.06	प्राकृतिक यीस्ट (अनुकूल और प्रतिकूल) और तैयार बेकिंग पाउडर।
21.07	खाद्य पदार्थ जो और कहीं विशिष्टिकृत या शामिल नहीं हैं।

अध्याय-22

शराब, स्प्रिट और सिरका

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
22.01	जल जिसमें स्पा-जल और एरेटिड जल शामिल है; बर्फ और तुषार।
22.02	नींबू का जल, सुगंधित स्पा जल और सुगंधित एरेटिड जल और अन्य अल्कोहलिक रहित पेय, जिनमें फल और वनस्पति के रस शामिल नहीं हों और जो शीर्षक सं. 20.07 के अन्तर्गत आते हों।
22.03	माल्ट से बनी बीयर।

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
22.04	द्राक्षारस, खमीर में या अवरुद्ध खमीर के साथ और अन्यथा रूप से अल्कोहल के मिश्रण से भिन्न।
22.05	ताजे अंगूरों की शराब; अल्कोहल को मिलाते हुए द्राक्षारस अवरुद्ध खमीर के साथ
22.06	वरमाउथ और ताजे अंगूरों की अन्य शराब सुगंधित सत्तों के साथ स्वादिष्ट।
22.07	अन्य खमीर के पेय (उदाहरणार्थ, सेब की शराब, नाशपाती की शराब, और शहद की शराब)।
22.08	ईथिल अल्कोहल या न्यूट्रल स्प्रिट, अविकृत, 80 डिग्री या इससे अधिक शक्ति की; किसी भी शक्ति की विकृत ईथिल अल्कोहल और न्यूट्रल स्प्रिट सहित)।
22.09	स्प्रिट (शीर्षक सं. 22.08 में आने वाली स्प्रिट से भिन्न) शराब और स्प्रिट वाले अन्य पेय; पेयों के निर्माण के लिए यौगिक अल्कोहलीय पदार्थ (जो कन्सेन्ट्रेटिड एक्सट्रेक्ट्स पुकारी जाती हैं)।
22.10	सिरका और सिरके के प्रतिस्थानी पदार्थ।

अध्याय—23

खाद्य उद्योगों से प्राप्त अवशेष और रद्दी; तैयार पशु चारा

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
23.01	मांस, छीछड़ें, मछली, क्रस्टेशियन्स या सीप का आटा और बेसन जो मानव उपयोग ग्रीव्ज के लिए उचित नहीं है।
23.02	ब्रान, शार्प्स और अन्य अवशेष जो शिफ्टिंग मिलिंग या अनाजों या फलीदार वनस्पतियों पर प्रक्रिया करने से प्राप्त किये गये हों।
23.03	चुकन्दर का गूदा, खोई और चीनी निर्माण के अन्य अपशेष, शराब तथा डिस्टिलिंग ड्रग्स एवं अपशेष; स्टार्च निर्माण के अपशेष और मिलते-जुलते अपशेष।
23.04	तेल निकालने से प्राप्त खली और अन्य अपशेष ड्रग्स को छोड़कर जो वनस्पति तेल के सार से प्राप्त हुई हो।
23.05	वाइन लीस; अर्गोल।
23.06	वनस्पति उद्भूत की ऐसी किस्म जो पशुचारे के उपयोग में आती है और जो और कहीं विविशिष्टिकृत या शामिल नहीं की गई है।
23.07	मीठा चारा और अन्य किस्म का पशुचारा

अध्याय—24

तम्बाकू

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
24.01	**अनिर्मित तम्बाकू, तम्बाकू की रद्दी।**
24.02	निर्मित तम्बाकू, तम्बाकू के अर्क और सत्त।

खण्ड—5

खनिज उत्पाद

अध्याय—25

नमक; गन्धक; मिट्टियां और पत्थर; प्लास्टर करने की सामग्री, चूना और सीमेन्ट

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
25.01	सामान्य नमक (पहाड़ी नमक, समुद्री नमक और टेबल नमक सहित); शुद्ध सोडियम क्लोराइड; नमक लिकर; समुद्री पानी।
25.02	बिना भुने हुए लौह-पायराइट।
25.03	सभी प्रकार के गन्धक; उत्कृष्ट गन्धक प्रिसिपीटेटिड गन्धक एवं कालिक गन्धक को छोड़ कर।
25.04	प्राकृतिक ग्रेफाइट।
25.05	सभी प्रकार की प्राकृतिक रेत, चाहे रंगदार हो या नहीं हो, किन्तु शीर्षक संख्या 26.01 के अन्तर्गत आने वाली धातु वाली रेत को छोड़ कर।
25.06	क्वार्ट्ज (प्राकृतिक रेत को छोड़ कर) क्वार्टजाइट जिसमें वह क्वार्टजाइट शामिल है जिस पर खुरदरी स्पिलिट, खुरदरे स्कवेयर्ड अथवा चिराई द्वारा स्कवेयर्ड से भिन्न और आगे कोई प्रक्रिया न की गई हो।
25.07	मिट्टी (उदाहरणार्थ केओलिन एवं बेन्टोनाइट) एन्डेलुसाइट, क्यानाइट एवं सिलिमेनाइट, चाहे केल्साइन्ड हो या नहीं हो, किन्तु शीर्षक सं. 68.07 के अन्तर्गत आने वाली विस्तारित मिट्टी को छोड़कर; म्यूलाइट; केमोटी एवं डिनस मिट्टी।
25.08	चाक
25.09	मिट्टी वाले रंग, चाहे कैल्साइन्ड अथवा आपस में मिश्रित हों या नहीं हों; प्राकृतिक मिकेसियस लोह आक्साइड।
25.10	प्राकृतिक कैल्सियम फास्फेट, प्राकृतिक एल्यूमीनियम कैल्सियम फास्फेट्स, एपेटाइट एवं फास्फेटिक/चाक।
25.11	प्राकृतिक बेरियम सल्फेट (बेराइट्स); प्राकृतिक बेरियम कार्बोनेट (विधराइट) चाहे कैल्साइन्ड हो या नहीं हो, बेरियम आक्साइड से भिन्न।
25.12	सिलिसियस फोसिल मील्स और मिलती-जुलती सिलिसियस मिट्टी (उदाहरणार्थ किसेलगूहर, ट्रिपोलाइट अथवा डायटोमाइट), चाहे कैल्साइन्ड हो या नहीं हो, एक या इससे कम स्पष्ट आपेक्षिक घनत्व वाले।
25.13	झांवा पत्थर; एमेरी; प्राकृतिक कोरन्डम, प्राकृतिक गार्नेट और अन्य प्राकृतिक अपघर्षक, चाहे उन पर ताप प्रक्रिया की हो या नहीं की हो।

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
25.14	स्लेट, जिसमें खुरदरे स्पिलिट खुरदरे स्क्वेयर्ड या चिराई द्वारा स्क्वेयर्ड के अतिरिक्त और आगे कोई प्रक्रिया नहीं की हो।
25.15	संगमरमर, ट्रेवरटाइन, इकासिन और अन्य केलकेरियस स्मारकीय एवं बिल्डिंग पत्थर जो विशेष रूप से 2.5 या इससे अधिक स्पष्ट आपेक्षिक घनत्व वाले हों और सिलखड़ी, जिस में इस प्रकार के पत्थर शामिल हैं जिन पर खुरदरे स्पिलिट, खुरदरे स्क्वेयर्ड, या चिराई द्वारा स्क्वेयर्ड के अतिरिक्त और आगे कोई प्रक्रिया नहीं की गई हो;
25.16	ग्रेनाइट, प्रोफिरिल, बेसाल्ट, रेतीले पत्थर और अन्य स्मारक और बिल्डिंग पत्थर, जिनमें इस प्रकार के पत्थर शामिल हैं जिन पर खुरदरे स्पिलिट, खुरदरे स्क्वेयर्ड या चिराई द्वारा स्क्वेयर्ड के अतिरिक्त और आगे कोई प्रक्रिया नहीं की गई हो,
25.17	रोड़े और कुचले अथवा तोड़े हुए पत्थर (चाहे उन पर ताप प्रक्रिया की गई हो या नहीं की गई हो), गेवल, मेकेडम और टार्ड मेकेडम, ऐसी किस्म के जो साधारणतः कंक्रीट को एकत्र करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, और जो रोड मेटलिंग या रेल या अन्य ब्लास्ट के उपयोग में लाए जाते हैं; फिलन्ट और शिंगल, चाहे उन पर ताप प्रक्रिया अपनाई गई हो या नहीं, ग्रेनूल्स एवं चिपिंग (चाहे उन पर ताप प्रक्रिया अपनाई गई हो या नहीं) और शीर्षक संख्या 25.15 या 25.16 के अन्तर्गत आने वाले पत्थर का चूर्ण।
25.18	डोलोमाइट जिस पर अपरिष्कृत रूप से संचित करने से आगे कोई क्रिया न की गई हो, सहित डोलोमाइट चाहे कैल्साइन्ड हो या नहीं हो, जिन में खुरदरे; स्पिलिट खुरदरे स्क्वेयर्ड या चिराई द्वारा खुरदरे स्क्वेयर्ड हो, एगलोमरेटिड डोलोमाइट (टार्ड डोलोमाइट सहित)।
25.19	प्राकृतिक मेग्नीशियम कार्बोनेट (मेग्नेसाइट) चाहे केल्साइन्ड हो या नहीं हो, किन्तु मेग्नीशियम आक्साइड से भिन्न।
25.20	जिप्सम; एनिहाइड्राइट; कैल्साइन्ड जिप्सम, और कैल्शियम सल्फेट के आधार के साथ प्लास्टर, चाहे रंगदार हो या नहीं हो, किन्तु उसमें वह प्लास्टर शामिल नहीं जो विशेष रूप से दन्त चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है।
25.21	चूना पत्थर फ्लक्स और केलकेरियस पत्थर, जो सामान्यतया चूना या सीमेन्ट के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है।
25.22	अनबुझा चूना, बुझा चूना और हाइड्रालिक चूना, जो कैल्सियम आक्साइड और हाइड्रोक्साइड से भिन्न हो।
25.23	पोर्टलैण्ड सीमेन्ट, सीमेन्ट फोन्डू, स्लेग सीमेन्ट सुपरसल्फेट सीमेन्ट और इसी प्रकार के हाइड्रालिक सीमेन्ट चाहे रंगदार हों या नहीं हों या क्लिंकर के रूप में।
25.24	एस्बेस्टोज।
25.25	समुद्र फेन (चाहे पालिश्ड टुकड़ों में हो या नहीं हो) और तृणमणि; एग्लोमरेटिड समुद्र फेन और एग्लोमरेटिड तृणमणि, प्लेट्स में, राड्स में, छड़ों में और इसी प्रकार के रूपों में, मोल्डिंग के बाद उन पर प्रक्रिया नहीं की गई हो; जेट।
25.26	अभ्रक, स्पिलिटिंग सहित; अभ्रक वेस्ट।
25.27	प्राकृतिक स्टिटाइट, प्राकृतिक स्टिटाइट सहित जिन पर खुरदरे स्पिलिट, खुरदरे स्क्वेयर्ड या तल्क चिराई द्वारा स्क्वेयर्ड के अलावा उन पर और आगे कोई काम न किया गया हो।।
25.28	प्राकृतिक क्रायोलाइट और प्राकृतिक चिओलाइट।
25.29	प्राकृतिक आर्सेनिक सल्फाइड।
25.30	अपरिष्कृत प्राकृतिक बोरेट और उनके सार (कैल्साइन्ड हों या नहीं हों) किन्तु इसमें प्राकृतिक ब्राइन से अलग किए गए बोरेट शामिल नहीं हों; अपरिष्कृत प्राकृतिक बोरिक एसिड जिसमें ड्राई वेस्ट के आधार पर गणना किए गए एच 3 बी ओ 3 का 85 प्रतिशत से अधिक न हो।
25.31	फेल्सपर, ल्यूसाइट, नेफेलीन एवं नेफेलीन साइनाइट; फ्लोरसपार।
25.32	स्ट्रोंशिएनाइट (चाहे कैल्साइन्ड हों या नहीं हों) किन्तु स्ट्रोंटियम आक्साइड से भिन्न; खनिज पदार्थ जो अन्यथा कहीं विशिष्टिकृत नहीं है या सम्मिलित नहीं है, टूटे हुए मिट्टी के बर्तन।

अध्याय—26

धात्विक अयस्क, धातुमैल और राख

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
26.01	धात्विक अयस्क और कन्सेन्ट्रेट, तपाए हुए लोहे के पाइराइट।
26.02	लोहे तथा इस्पात के विनिर्माण से निकली हुई मैल, ड्रास, स्कैलिंग और इस प्रकार के अन्य अपशेष।
26.03	राख और अवशेष (लोहे और इस्पात के विनिर्माण से भिन्न) जिनमें धातु या धात्विक मिश्रण शामिल हों।
26.04	अन्य मैल और राख, जिनमें कैल्प सम्मिलित है।

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
	अध्याय--27
	खनिज ईंधन, खनिज तेल और उनके आसवन से प्राप्त उत्पाद; बिटूमिनस पदार्थ; खनिज मोम
27.01	कोयला; ब्रिकेट्स, ओवाइड्स और इसी से मिलते जुलते ठोस ईंधन जो कोयले से विनिर्मित हों।
27.02	लिग्नाइट चाहे एग्लोमरेटिड हो या नहीं हो।
27.03	पीट (पीट लिटर सहित); चाहे एग्लोमरेटिड हो, या नहीं हो।
27.04	लिग्नाइट या पीट का कोक और सेमिकोक।
27.05	शुद्ध कार्बन।
27.06	कोयले की गैस, पानी की गैस, उत्पादक गैस और इसी प्रकार की गैस (वैकल्पिक शीर्षक)
27.07	कोयले से, लिग्नाइट या पीट से आसवित कोलतार और अन्य खनिज कोलतार, जिसमें विशेषतः आसवित कोलतार और क्रियोसोट तेल के साथ या अन्य कोलतार आसवित उत्पादों के साथ पिच के ब्लैन्ड्स शामिल हैं।
27.08	उच्च तापमान के कोलतार से आसवित के तेल और अन्य उत्पाद और इस अध्याय की टिप्पणी 2 में यथा निर्धारित इसी प्रकार के उत्पाद।
27.09	कोलतार या अन्य खनिज कोलतार से प्राप्त पिच और पिच कोक।
27.10	बिटूमिनस खनिज, अपरिष्कृत से प्राप्त पेट्रोलियम तेल और तेल।
27.11	अपरिष्कृत से भिन्न बिटूमिनस खनिज से प्राप्त पेट्रोलियम तेल और तेल; ऐसे तैयार उत्पादन जो अन्य कहीं विशिष्टिकृत या सम्मिलित नहीं हैं, और जिनमें 7 प्रतिशत से कम वजन का पेट्रोलियम तेल या बिटूमिनस खनिज से प्राप्त तेल न हो, और इस प्रकार के तेल तैयार वस्तुओं के आधारभूत संघटक हों।
27.12	पेट्रोलियम गैस और अन्य गैस के हाइड्रोकार्बन।
27.13	पेट्रोलियम जेली।
27.14	पेराफीन वेक्स, माइक्रो-क्रिस्टेलाइन वेक्स, स्लैक वेक्स, ओजोकराइट, लिग्नाइट वेक्स, पीट वेक्स और अन्य खनिज वेक्स, चाहे, रंगदार हो या नहीं हो।
27.15	पेट्रोलियम बिटूमन, पेट्रोलियम कोक और पेट्रोलियम तेल या बिटूमन खनिज तेल से प्राप्त अन्य अवशेष।
27.16	बिटूमन और एस्फाल्ट, प्राकृतिक; बिटूमन स्लेटी पत्थर, एस्फाल्ट की चट्टान और तारकोल।
27.17	प्राकृतिक एस्फाल्ट पर, प्राकृतिक बिटूमन या पेट्रोल बिटूमन पर, खनिज तार या खनिज तार पिच पर आधारित बिटूमन के मिश्रण (उदाहरणार्थ बिटूमन की बजरी और छंटनी)।
27.18	विद्युत करन्ट (वैकल्पिक शीर्षक)।

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
	खण्ड--6
	रसायन और सम्बद्ध उद्योगों के उत्पाद
	अध्याय--28
	अकार्बनिक रसायन; बहुमूल्य धातुओं; दुर्लभ मृद धातुओं, रेडियो एक्टिव तत्वों और आइसोटोप के कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक
	1. रसायन तत्व
28.01	हालोजिन (फ्लोराइन, क्लोराइन, ब्रोमाइन और आयोडिन)।
28.02	गन्धक, सब्लाइड या प्रिसिपिटेटिड; कोलोडल गन्धक।
28.03	कार्बन (काले कार्बन सहित)।
28.04	हाइड्रोजन, असाधारण गैस और धातु से इतर।
28.05	क्षार और क्षारी मिट्टी के धातु; दुर्लभ मिट्टी के धातु, वाइट्रियम और स्कैन्डियम और उनके अन्तर्मिश्रण और अन्तर्मिश्रित धातु; पारा।
	2. अकार्बनिक एसिड्स और धातु से इतर आक्सीजन के मिश्रण
28.06	हाइड्रोक्लोराइड एसिड एवं क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड।
28.07	गन्धक डायोक्साइड।
28.08	गन्धक एसिड; ओलियम।
28.09	नाइट्रिक एसिड; सल्फोनाइट्रिक एसिड।
28.10	फास्फोरस पेन्टाक्साइड एवं फास्फोरिक एसिड (मेटाआर्थो एवं पाइरो)।
28.11	आर्सेनिक ट्रायोक्साइड, आर्सेनिक पेन्टोक्साइड एवं आर्सेनिक एसिड।
28.12	बोरिक आक्साइड एवं बोरिक एसिड।
28.13	अन्य अकार्बनिक एसिड एवं धातु से इतर (पानी को छोड़ कर) आक्सीजन मिश्रण।
	3. धातु से इतर के हालोजिन एवं गन्धक मिश्रण
28.14	हालिड्स, आक्सोलिड्स एवं धातु से इतर अन्य हालोजन मिश्रण।
28.15	गैर धातु के सल्फाइड्स; फास्फोरस ट्रिसल्फाइड।
	4. अकार्बनिक बेसिस और धात्विक आक्साइड हाइड्रोक्साइड्स और पैरोक्साइड्स
28.16	अमोनिया, एनिहाइड्स या एक्वियस घोल।
28.17	सोडियम हाइड्रोक्साइड (दाहक सोडा); पोटेसियम हाइड्रोक्साइड (दाहक पोटाश); पोटासियम या सोडियम के पैरोक्साइड्स।
28.18	स्ट्रोनटियम बेरियम या मेग्निशियम के आक्साइड, हाइड्रोक्साइड और पेरोक्साइड।
28.19	जिंक आक्साइड और जिंक पेरोक्साइड।

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
28.20	एल्यूमिनियम आक्साइड और हाइड्रोक्साइड; बनावटी कोरमुडम।
28.21	क्रोमियम आक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड।
28.22	मेंगनीज आक्साइड्स।
28.23	लोहा आक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड; मिट्टी के रंग जिनमें 70 प्रतिशत या उस से अधिक वजन के एफ. ई. 203 के रूप में मूल्यांकित मिश्रित लोहा हो।
28.24	कोबाल्ट आक्साइड और हाइड्रोक्साइड।
28.25	टिटानियम आक्साइड।
28.26	टिन आक्साइड (स्टेनस आक्साइड एवं स्टेनिक आक्साइड)।
28.27	लेड आक्साइड; रेड लेड और ओरेंज लेड
28.28	हाइड्रोजाइन और हाइड्रोक्सालेमाइन और अनेक अकार्बनिक लवण; अन्य अकार्बनिक बेसिस और धात्विक आक्साइड, हाइड्रोक्साइड और पेरोक्साइड।

5. धात्विक लवण और अकार्बनिक एसिड के पेराक्सी साल्ट

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
28.29	फ्लोराइड्स, फ्लोरोसिलिकेट्स, फ्लोरोबोरेट्स और अन्य मिश्रित फ्लोराइन लवण।
28.30	क्लोराइड्स और आक्सीक्लोराइड्स।
28.31	क्लोराइड्स और हाइपो-क्लोराइड्स।
28.32	क्लोरेट्स और परक्लोरेट्स।
28.33	ब्रोमाइड्स, आक्सीब्रोमाइडस, ब्रोमेटस और पर ब्रोमेट्स और हाइपोब्रोमाइट्स ।
28.34	आयोडाईड्स, आक्सीआयोडाइड, आयोडेट्स और पेरियोडेट्स।
28.35	सल्फाइड्स; पोलिसल्फाइड्स।
28.36	डिथिओनाइट्स वे जो कार्बनिक पदार्थों के साथ स्थिर हों, सल्फोक्सीलेट्स।
28.37	सल्फाइट और थिओसल्फेट्स।
28.38	सल्फेट (सेलम सहित; और परसल्फेट्स)।
28.39	नाइट्राइट्स एवं नाइट्रेट्स।
28.40	फास्फाइट्स, हिपोफास्फेट और फास्फेट।
28.41	आर्सेनाइट्स और आर्सेनेट्स।
28.42	कार्बोनेट्स और परकार्बोनेट्स; अमोनियम कार्बोनेट वाला वाणिज्यिक अमोनियम कार्बोनेट।
28.43	सायनाइड्स और मिश्रित सायनाइड्स।
28.44	फल्मिनेट, सायनेट्स और थिओसायनेट्स। सिलिकेट्स; वाणिज्यक सोडियम और पोटाशियम सिलिकेट।
28.45	सिलिकेट्स, वाणिज्यक सोडियम और पोटाशियम सिलिकेट।
28.46	बोरेट्स और परबोरेट्स।
28.47	धात्विक एसिड्स के लवण (उदाहरणार्थ क्रोमेट्स परमागनेट्स, स्टेनेट्स)।
28.48	अकार्बनिक एसिड्स के अन्य लवण और पेरोक्सीलवण, किन्तु उनमें एजाइड्स शामिल नहीं हैं।

6-विविध

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
28.49	कोलायडल कीमती धातु; कीमती धातुओं के मिश्रण, लवण और अन्य मिश्रण, अकार्बनिक या कार्बनिक, किन्तु कीमती धातु के हों, और उनके एल्बूमिनेट्स, प्रोटिनेट्स, टेनेट्स और इसी प्रकार के मिश्रण शामिल हैं, चाहे वे रासायनिक दृष्टि से परिभाषित हों या नहीं हो।
28.50	विखण्डीय रासायनिक पदार्थ और आइसोटोप्स; अन्य रेडियोधर्मी, रसायन पदार्थ एवं रेडियोधर्मी आइसोटोप्स; ऐसे पदार्थों या आइसोटोप्स के मिश्रण, अकार्बनिक या कार्बनिक चाहे रासायनिक दृष्टि से परिभाषित हों या नहीं हों; मिश्रधातु डिस्पर्सन और सर्मेट्स जिन में इन पदार्थों में से कोई भी पदार्थ हो, आइसोटोप्स या मिश्रण।
28.51	आइसोटोप्स और उन के मिश्रण, अकार्बनिक या कार्बनिक, चाहे रासायनिक दृष्टि से परिभाषित हों या नहीं हों, किन्तु शीर्षक संख्या 28.50 के अन्तर्गत आने वाले आइसोटोप्स और मिश्रण से भिन्न।
28.52	थोरियम के यू. 235 में नि:शेष यूरेनियम-के, असाधारण मिट्टी की धातु के, वाइट्रियम के या स्केन्डियम के अकार्बनिक या कार्बनिक यौगिक चाहे वे आपस में मिश्रित हों या नहीं हों।
28.53	तरल वायु (चाहे उस में से असाधारण गैस निकाल दी गई हो या नहीं); सम्पीडित वायु।
28.54	हाइड्रोजन पेरोक्साइड (जिस में ठोस हाइड्रोजन पेरोक्साइड शामिल हो)।
28.55	फास्फाइड।
28.56	कार्बाइड्स (उदाहरणार्थ सिलिकान कार्बाइड, बोरोन कार्बाइड, धातु कार्बाइड)।
28.57	हाइड्राइड्स, नाइट्राइड्स और एजाइड्स, सिलिसाइड्स और बोराइड्स।
28.58	अन्य अकार्बनिक यौगिक (जिस में आसवित और चालकता वाला पानी और इसी प्रकार की शुद्धता वाला पानी शामिल हो), कीमती धातु के मिश्रण को छोड़ कर मिश्रण।

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
	अध्याय—29
	कार्बनिक रसायन
1. हाइड्रोकार्बन और उनके हालोजनेटिड, सल्फोनेटिड, नाइट्रेटिड या नाइट्रोसेटिड डेरिवेटिव्स	
29.01	हाइड्रोकार्बन।
29.02	हाइड्रोकार्बन के हालोजनेटिड डेरिवेटिव।
29.03	हाइड्रोकार्बन के सल्फोनेटिड, नाइट्रेटिड या नाइट्रोसेटिड डेरिवेटिव।
2. एल्कोहल और उनके हालोजनेटिड, सल्फनेटिड, नाइट्रेटिड या नाइट्रोसेटिड डेरिवेटिव्स	
29.04	एसिक्लिक एलकोहल और उन के हालोजनेटिड, सल्फोनेटिड, नाइट्रेटिड या नाइट्रोसेटिड डेरिवेटिव्स।
29.05	साइक्लिक एलकोहल और उनके हालोजनेटिड, सल्फोनेटिड, नाइट्रेटिड या नाइट्रोसेटिड डेरिवेटिव्स।
3. फिनोल्स, फिनोल-एलकोहल और उनके हालोजनेटिड, सल्फोनेटिड, नाइट्रेटिड डेरिवेटिव्स	
29.06	फिनोल और फिनोल एलकोहल।
29.07	हालोजनेटिड, सल्फोनेटिड नाइट्रेटिड या फिनोल या फिनोल-एल्कोहल के नाइट्रेटिड या नाइट्रोसेटिड डेरिवेटिव्स।
4. ईथर्स एलकोहल पैरॉक्सेस, ईथर पेरोक्साइड इपिक्साइड तीन या चार मेनार रिंग एसिटल्स के साथ और हामियासिटेल्स और उनके एलजीनेटिड स्लिफटेनेटिड, नाइट्रेटिड या नाइट्रोसेटिड डेरिवेटिव्स	
29.08	'ईथर, ईथर एलकोहल' ईथर-फिनोल्स, ईथर-एलकोहल-फिनोल्स, एलकोहल पेरोक्साइडस और ईथर पेरोक्साइड्स और उन के हालोजेनेटिड, सल्फोनेटिड, नाइट्रेटिड या नाइट्रोसेटिड डेरिवेटिव्स।
29.09	इपोक्साइड, इपोक्सीएलकोहल, इपोक्सी फिनोल्स और इपोक्सीईथर, तीन या चार मेम्बर रिंग के साथ और उनके हालोजनेटिड, सल्फोनेटिड, नाइट्रेटिड या नाइट्रोसेटिड डेरिवेटिव्स।
29.10	एसिटल्स और हेमासिटल्स और एक या विविध आक्सीजन के कार्य करने वाले एसिटल्स और हेमासिटल्स और उनके हेलोजेनेटिड, सल्फोनेटिड, नाइट्रेटिड या नाइट्रोसेटिड डेरिवेटिव्स।
5. एल्डिहाइड कार्य करने वाले यौगिक	
29.11	एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड-एलकोहल, एल्डिहाइड-ईथर, एल्डिहाइड फिनोल और अन्य एक या आक्सीजन के कार्य करने वाले एल्डिहाइड; एल्डिहाइड के साइक्लिक पोलिमर्स; प्राफार्मल्डिहाइड।
29.12	शीर्षक संख्या 29.11 के अन्तर्गत आने वाले उत्पादों के हलोजनेटिड, सल्फोनेटिड, नाइट्रेटिड या नाइट्रोसेटिड डेरिवेटिव्स।
6. किटोन कार्य करने वाले यौगिक और क्विनोन का कार्य करने वाले यौगिक	
29.13	किटोन्स—किटोन-एल्कोहल, किटोन, फिनोल्स, किटोन, एल्डिहाइड्स, क्विनोन, क्विनोन - एलकोहल, क्विनोन - फिनोल्स, क्विनोन-एल्डिहाइड्स और एक अथवा विविध आक्सीजन कार्य करने वाले किटोन्स और क्विनोन और उनके हालोजनेटिड, सल्फोनेटिड, नाइट्रेटिड या नाइट्रोसेटिड डेरिवेटिव्स।
7. कार्बाक्सीलिक एसिड्स एवं उनके एनिहाईड्राइड्स, हेलाइड्स पेरोक्साइड्स एवं परएसिड एवं उनके हालोजनेटिड, सल्फोनेटिड, नाइट्रेटिड या नाइट्रोसेटिड डेरिवेटिव्स	
29.14	मोनोकार्बाक्सीलिक एसिड्स और उनके एनिहाइड्राइड्स, हलाइड्स, पैराक्साइड् एवं पर एसिड और उनके हालोजनेटिड, सल्फोनेटिड नाइट्रेटिड या नाइट्रोसेटिड डेरिवेटिव्स।
29.15	पोलिकार्बाक्सीलिक एसिड्स और उनके एनिहाइड्राइड्स, हेलाइडस, पैरोक्साइडस एवं पर एसिड, और उन के हालोजनेटिड-सल्फोनेटिड, नाइट्रेटिड या नाइट्रोसेटिड डेरिवेटिव्स।
29.16	अलकोहल के साथ कार्बाक्सीलिक एसिड, फिनोल, एल्डिहाइड या किटोन का कार्य करने वाले और एक या विविध आक्सीजन का कार्य करने वाले कार्बाक्सीलिक एसिड्स उनके एनिहाइड्राइड्स, हेलाइड्स, पैराक्साइड्स और परएसिड, और उनके हालोजनेटिड, सल्फोनेटिड, नाइट्रेटिड या नाइट्रोसेटिड डेरिवेटिव्स
8. अकार्बनिक ईस्टर और उनके नमक और उनके हालोजनेटिड सल्फोनेटिड, नाइट्रेटिड या नाइट्रोसेटिड डेरिवेटिव्स	
29.17	सल्फ्यूरिक इस्टर्स और उनके नमक, और उनके हालोजनेटिड, सल्फोनेटिड, नाइट्रेटिड या नाइट्रोसेटिड डेरिवेटिव्स।
29.18	नाइट्रस और नाइट्रिक ईस्टर्स और उनके हालोजनेटिड, सल्फोनेटिड, नाइट्रेटिड या नाइट्रोसेटिड डेरिवेटिव्स।
29.19	फासफोरिक ईस्टर्स और उन के नमक, जिन में लैक्टोफास्फेट और उन के हालोजनेटिड, सल्फोनेटिड, नाइट्रेटिड या नाइट्रोसेटिड डेरिवेटिव्स शामिल हैं।
29.20	कार्बनिक ईस्टर और उन के नमक, और उनके हालोजनेटिड, सल्फोनेटिड, नाइट्रेटिड्स या नाइट्रोसेटिड डेरिवेटिव्स।
29.21	खनिज एसिड्स के अन्य ईस्टर्स (हेलाइड्स को छोड़कर) और उन के नमक और उनके हालोजनेटिड, सल्फोनेटिड, नाइट्रेटिड या नाइट्रोसेटिड डेरिवेटिव्स।
9. नाइट्रोजन का कार्य करने वाले यौगिक	
29.22	एमाइन-कार्य यौगिक
29.23	एक या विविध आक्सीजन का कार्य करने वाले एमिनो-यौगिक।

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
29.24	क्वाटरनरी एमोनियम नमक और हाइड्रोक्सा-इड्स; लेसिथिन्स और अन्य फास्फोएमिनो-लिपाइन्स।
29.25	कार्बोक्सीएमाइड का कार्य करने वाले यौगिक, कार्बोनिक एसिड का एमाइड कार्य करने वाले यौगिक
29.26	कार्बोक्सामाइड कार्य करने वाले यौगिक (जिन में आर्थोबेन्जाइकसल्फामाइड और इस के नमक शामिल हैं) और ईमाइन-कार्य करने वाले यौगिक (जिन में हेक्सामेथेलीन-ट्रेटामाइन एवं ट्रिमेथीलेनेट्रिनाइट्रेमाइन शामिल हैं)
29.27	नाइट्राइल का कार्य करने वाले यौगिक
29.28	डिएजो-ए-जो एवं एजाक्सी यौगिक
29.29	हाइड्राजाइन या हाइड्रोक्सालेमाइन के कार्बनिक डेरिवेटिव्स।
29.30	नाइट्रोजन के अन्य कार्य करने वाले यौगिक।

10. आर्गेनो-इनार्गेनिक विवयौगिक और मीट्रोसाइक्लिक यौगिक

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
29.31	आर्गेनो गन्धक यौगिक
29.32	आर्गेनो आर्सेनिक यौगिक।
29.33	आर्गेनो पारा यौगिक।
29.34	अन्य आर्गेनो-इनार्गेनिक यौगिक।
29.35	हीट्रोसाइक्लिक यौगिक; न्यूक्लेयक एसिड्स
29.36	सल्फोनामाइड्स।
29.37	सल्टोन्स और सल्टम्स।

11. प्रोविटामिन्स, विटामिन्स, हार्मोन्स एवं एन्जाइमस, प्राकृतिक या सिन्थेसिस द्वारा पुनः तैयार

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
29.38	प्रोविटामिन्स और विटामिन्स, प्राकृतिक या सिन्थेसिस द्वारा पुनः तैयार (जिस में प्राकृतिक कन्सेन्ट्रेट्स सम्मिलित हैं), उनके डेरिवेटिव्स जो मुख्यत, विटामिन्स के रूप में उपयोग किये जाते हैं; और पूर्वोक्त के इन्टरमिक्सचर्स चाहे किसी विलायक में हों या नहीं हों।
29.39	हार्मोन्स, प्राकृतिक या सिन्थेसिस द्वारा पुनः तैयार; उन के डेरिवेटिव्स जो मुख्यतः हार्मोन्स के लिए उपयोग किए जाते हैं।
29.40	एंजाइम्स।

ग्लाइकोसाइड्स एवं वनस्पति एल्कलायड्स, प्राकृतिक या संश्लेषण द्वारा पुनः तैयार, और उनके नमक, ईस्टर और अन्य डेरिवेटिव्स।

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
29.41	ग्लाइकोसाइड्स, प्राकृतिक या सिन्थेसिस द्वारा पुनः तैयार और उन के नमक, ईथर्स, ईस्टर और अन्य डेरिवेटिव्स।
29.42	वनस्पति एल्कायड्स, प्राकृतिक या सिन्थेसिस द्वारा पुनः तैयार और उन के नमक, अन्य ईस्टर और अन्य डेरिवेटिव्स।

13. अन्य आर्गेनिक मिश्रण

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
29.43	रासायनिक दृष्टि से शुद्ध चीनी, किन्तु इक्षु शर्करा ग्लूकोस और लेक्टोस से भिन्न; चीनी, ईथर्स एवं चीनी ईस्टर्स और उनके नमक, जो शीर्षक संख्या 29.39, 29.41 एवं 29.42 के अन्तर्गत आने वालों से भिन्न हों।
29.44	प्रतिजैविकी
29.45	अन्य कार्बनिक यौगिक।

अध्याय—30

भेषजीय उत्पाद

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
30.01	अंग-चिकित्सक ग्रन्थियों या अन्य अंग, सूखे, चाहे चूर्ण के रूप में हों या न हों; ग्रंथियों के अंग-चिकित्सा अर्क या अन्य अंग या उनके स्राव, चिकित्सा या रोग निरोधक उपयोगों के लिए तैयार किए गए अन्य पशु पदार्थ जो और कहीं विशिष्टिकृत या शामिल न किए गए हों।
30.02	एन्टीसिरर्स; माइक्रोबियल वैक्सीन टॉक्सिन, माइक्रोबियल कल्चर्स (फरमेन्ट सहित परन्तु यीस्ट को छोड़कर) और इसी तरह के उत्पाद।
30.03	औषधियां (पशु चिकित्सा औषधियों सहित)।
30.04	रूई, गेज, पटि्टयां और इसी प्रकार की वस्तुएं (उदाहरणार्थ, ड्रेसिंग, चिपचिपे प्लास्टर, पुल्टिस), जो भेषजीय पदार्थों से संसिक्त या विलेपित हों या चिकित्सा या शल्य चिकित्सा कार्यों के लिए फुटकर पैकिंग में रखे हुए हों और जो इस अध्याय की टिप्पणी 3 में विशिष्टिकृत सामान से भिन्न हों।
30.05	अन्य भेषजीय माल

अध्याय—31

उर्वरक

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
31.01	ग्वानों और प्राकृतिक पशु या वनस्पति उर्वरक, चाहे आपस में मिश्रित हो या नहीं, परन्तु रासायनिक रूप से साधित न हों।
31.02	खनिज या रासायनिक उर्वरक, नाइट्रोजिनस
31.03	खनिज या रासायनिक उर्वरक, फास्फेटिक
31.04	खनिज या रासायनिक उर्वरक, पोटैसिक
31.05	अन्य उर्वरक, वर्तमान अध्याय के माल टेब्लेट्स लाजेंजिस और इसी प्रकार के तैयार रूपों में या 10 कि. ग्रा. तक कुल भार के पैकिंग के रूप में।

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण

अध्याय—32

चर्मशोधक और रंजक सत; टैनिस और उनसे व्युत्पन्न पदार्थ, रंजक, रंग, पेन्ट और वार्निश; पुट्टी, फिलर्स और स्टापिंग, स्याही

32.01 वनस्पति से उद्भूत चमड़ा कमाने के अर्क और अन्य व्युत्पन्न।

32.02 टैनिंस (टैनिस एसिड्स) जिस में पानी निकाले गए माजूफल टैनिस और उन के लवण, ईथर्स, ईस्टर्स और अन्य डेरिवेटिव्स शामिल हैं।

32.03 संश्लिष्ट कार्बनिक चमड़ा कमाने के पदार्थ, और अकार्बनिक चमड़ा कमाने के पदार्थ, चमड़ा कमाने की तैयार वस्तुएं; चाहे उन में प्राकृतिक चर्म शोधन सामग्री अन्तर्विष्ट हो या नहीं, चर्मशोधन की पूर्व क्रिया के लिए एन्जीमेटिक तैयार वस्तुएं (उदाहरणार्थ एन्जीमेटिक, पानक्रिएटिक या बैक्टीरिया से उद्भूत)

32.04 वनस्पति उद्भूत (जिसमें लकड़ी को रंगने वाले अर्क और अन्य वनस्पति रंगने वाले अर्क शामिल हैं किन्तु नील को छोड़कर) या पशु उद्भूत रंगने वाली सामग्री।

32.05 संश्लिष्ट कार्बनिक रंगने की सामग्री (जिस में रंजक रंगने वाली सामग्री शामिल है), ल्यूमिनोफोर्स के रूप में उपयोग की जाने वाली, एक किस्म के संश्लिष्ट कार्बनिक उत्पाद; उन उत्पादों की एक किस्म जो आपटिकल ब्लीचिंग एजेन्ट ... के लिए एक पदार्थ के रूप में जानी जाती है; प्राकृतिक नील।

32.06 कलर लेक्स

32.07 अन्य रंगने की सामग्री, ल्युमिनोफोर्स के रूप में उपयोग होने वाले अकार्बनिक किस्म के उत्पाद।

32.08 तैयार रंगद्रव्य, तैयार आपेसिफायर्स और तैयार रंग काचनीय एनैमल और ग्लेजेस, तरल चमकने वाले और इसी प्रकार के ऐसी किस्म के उत्पाद जिन का उपयोग सिरेमिक एनेमलिंग, और ग्लास उद्योग के लिए किया जाता है; एन्गोबल्स (स्लिप्स); ग्लास फ्रिट और अन्य ग्लास, चूर्ण ग्रेन्यूल्स या फ्लैक्स के रूप में।

32.09 वार्निश और लेकर्स; डिस्टेम्पर्स; ऐसी किस्म के पानी से तैयार किए गए रंग जिन का उपयोग चमड़े को चमकाने में किया जाता है; पेन्ट और एनेमल; अलसी के तेल के रंग, सफेद स्प्रिट के टरपेनटाइन, वार्निश या अन्य पेन्ट और एनैमल; अलसी के तेल के रंग, रंग या अन्य रंगाई की सामग्री, उस रूप में या पैकिंग में जिसकी बिक्री फुटकर में होती है।

32.10 कलाकारों, विद्यार्थियों और साइन-बोर्ड पेन्टरों के रंग, परिवर्तन करने वाले रंग, मनोरंजन रंग और इसी प्रकार के मिलते जुलते रंग, टैब्लेट्स, ट्यूब मरतबान बोतल पान और मिलते जुलते रूप में या पैकिंग में जिस में सेट या आउटफिट में ऐसे रंग सम्मिलित हैं और जो ब्रुश प्लेट्स और अन्य उप साधक के साथ हों या इसके बिना हों।

32.11 तैयार शोषक

32.12 ग्लेजियर पुटि, रोपण पुटि, पेन्टरों के फिलिंग्स, नान-रिफ्रेक्ट्री सरफेसिंग प्रिपेरेशन; स्टापिंग; सीलिंग और इस प्रकार के मास्टिक्स जिन में रेजिन्स मास्टिक्स, और सीमेंट सम्मिलित हैं।

32.13 लेखन स्याही, मुद्रण स्याही एवं अन्य स्याही।

अध्याय—33

सुगन्धित तेल, रेजिनायड्स, इत्रसाजी, श्रृंगार और प्रसाधन सामग्री

33.01 सुगन्ध तेल (चाहे टर्पीन के बगैर हो या न हो); गाढ़ा और परिशुद्ध; रेजिनायड्स।

33.02 सुगन्धित तेल के डिटर्पेनेशन के टरपनिक गौणत्पादन।

33.03 फ्लेट्स में, फिक्स्ड तेल में या मोम में या इसी प्रकार के मिलते-जुलते सुगन्धित तेल के सांद्रण, जो शीत विलयन या गलाकर प्राप्त किए गए हैं।

33.04 दो या दो से अधिक सुगन्धित पदार्थों के मिश्रण (प्राकृतिक या बनावटी) और ऐसे मिश्रण (जिनमें अलक्रोहलिक घोल शामिल हैं) जिन के इन पदार्थों में से एक या एक से अधिक आधार हैं, और ऐसी किस्म के हैं जिनका उपयोग इत्रसाजी, खाद्य, पेय या अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है।

33.05 सुगंधित तेल के जलीय डिस्टिलेट्स और जलीय घोल, जिनमें ऐसे उत्पाद शामिल हैं जो औषधीय प्रयोगों के लिए उपयुक्त हों।

33.06 इत्रसाजी, श्रृंगार और प्रसाधन सामग्री।

अध्याय—34

साबुन कार्बनिक सरफेस एक्टिव एजेन्ट, धुलाई करने की सामग्री, स्नेहक सामग्री, नकली मोम, तैयार मोम, पालिश करने और चमकाने की सामग्री, मोम बत्तियां और इसी प्रकार की वस्तुएं, प्रतिरूपण पेस्ट्स और दन्त मोम

34.01 साबुन; कार्बनिक सरफेस एक्टिव उत्पाद और सामग्री जो साबुन के रूप में बार, केक्स या मोल्डिड टुकड़ों या शेप्स के रूप में प्रयोग में आती हो चाहे साबुन के साथ मिली हो या नहीं हों।

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
34.02	कार्बनिक, सरफेस-एक्टिव एजेन्ट; सरफेस-एक्टिव सामग्री और धोने की सामग्री, चाहे उस में साबुन हो या न हो।
34.03	स्नेहक सामग्री, और ऐसी किस्म की सामग्री जिस का प्रयोग कपड़े, चमड़े या अन्य माल पर तेल या ग्रीस के रूप में किया जाता है, किन्तु इस में 70 प्रतिशत या इससे अधिक वजन के पैट्रोलियम तेल या विटुमिनस खनिज से प्राप्त तेल शामिल नहीं है।
34.04	बनावटी मोम, (जल में घुलनशील मोम सहित); तैयार मोम, जो पायसीकृत या विलायकों वाला न हो।
34.05	जूतों, फर्नीचर या फर्श के लिए पालिश और क्रीम, धातु पालिश, स्कोरिंग पाउडर और इसी प्रकार की सामग्री किन्तु शीर्षक संख्या 43.04 के अंतर्गत तैयार मोम को छोड़कर।
34.06	मोमबत्तियां, टेपर्स, रात्रि की लाइट और इस प्रकार की सामग्री।
34.07	माडल के पेस्ट (बच्चों के मनोरंजन के लिए और माडल से संबंधित पेस्ट शामिल है); ऐसी प्रकार की सामग्री जो "दन्त मोम" या "डेन्टल इम्प्रेशन कम्पाउड" के रूप में प्लेट, हार्सशू के आकार, स्टिक और इसी प्रकार के आकार में जानी जाती हो।

अध्याय—35

एल्ब्यूमिनायडल पदार्थ, सरेस

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
35.01	कैसिन, कैसिनेट्स और अन्य कैसिन व्युत्पन्न, कैसिन सरेस।
35.02	एल्ब्यूमिन्स, एल्ब्यूमिनेट्स और अन्य एल्ब्यूमिन व्युत्पन्न।
35.03	जिलेटिन (आयताकार के रूप में जिलेटिन सहित चाहे रंगीन हों, या नहीं हों, और चाहे सरफेस क्रिया की गई हो या नहीं) और जिलेटिन व्युत्पन्न; हड्डियों, खालों नाड़ियों टेन्डोन्स, और इसी प्रकार के अन्य उत्पादों से निकले गए सरेस और मछली सरेस; आइसिंग्लास।
35.04	पेपटोन्स और अन्य प्रोटीन पदार्थ और उनके व्युत्पन्न; खाल चूर्ण चाहे क्रोम किया हुआ हो या नहीं।
35.05	डैक्सट्रिन्स और डैक्सट्रिन सरेस; घुलनशील या पकाई हुई स्टार्च; स्टार्च सरेस।
35.06	तैयार सरेस जो अन्य कहीं विशिष्टकृत या शामिल नहीं, सरेस के रूप में उपयोग करने के लिये उचित उत्पाद जो पैकेज में सरेस के रूप में फुटकर बिक्री के लिए रखे गए हों और जिनका वास्तविक भार 1 कि. ग्राम से अधिक न हो।

अध्याय—36

विस्फोटक; आतिशबाजी उत्पाद; माचिस; स्वतः ज्वलनशील मिश्रधातुएं, कतिपय ज्वलनशील सामग्री

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
36.01	नोदक बारूद चूर्ण।
36.02	तैयार विस्फोटक, नोदक बारूद चूर्ण से भिन्न।
36.03	खनन, विस्फोटक एवं सेफ्टीफ्यूजेस।
36.04	आघाती और प्रस्फोटक कैप्स, पलीता, स्फोटक
36.05	आतिशबाजी की वस्तुएं (उदाहरणार्थ आतिशबाजी, रेल के फाग सिगनल, एमोर्स, वर्षा राकेट)।
36.06	माचिस (बंगाल-माचिस को छोड़कर)।
36.07	फैरो सेरियम और सभी रूपों में अन्य स्वतः जलनशील मिश्रधातुएं।
36.08	अन्य दाह्य सामग्री और उत्पाद।

अध्याय—37

फोटोग्राफिक एवं सिनेमाटोग्राफिक सामान

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
37.01	फ्लैट में फोटोग्राफिक प्लेट्स और फिल्म, सूक्ष्म ग्राहीकृत बगैर एक्सपोजड, जो कागज, कागज बोर्ड या कपड़े से भिन्न किसी भी सामग्री की हों।
37.02	फिल्म रोल्स, सूक्ष्मग्राहीकृत बगैर एक्सपोज्ड, छिद्रित हों या न छिद्रीत हों।
37.03	सूक्ष्मग्राहीकृत कागज, कागज बोर्ड एवं कपड़ा; एक्सपोज्ड के बिना या एक्सपोज्ड किन्तु विकसित नहीं हो।
37.04	सूक्ष्मग्राहीकृत प्लेट्स एवं फिल्मस, एक्सपोज्ड किन्तु विकसित नहीं हो, नेगेटिव या पाजिटिव।
37.05	प्लेट्स, छिद्रित के बिना फिल्म एवं छिद्रित फिल्म (सिनेमाटोग्राफ फिल्म से भिन्न), एक्सपोज्ड और विकसित, नेगेटिव अथवा पोजिटिव।
37.06	सिनेमाटोग्राफ फिल्म, एक्सपोज्ड एवं विकसित केवल साउन्ड ट्रैक वाली हो, नेगेटिव या पोजिटिव।
37.07	अन्य सिनेमाटोग्राफ फिल्म, एक्सपोज्ड और विकसित, चाहे उस में साउन्डट्रैक हो या नहीं हो, नेगेटिव या पोजिटिव।
37.08	ऐसी किस्म के रसायन उत्पाद और फ्लश लाइट माल जो फोटोग्राफी के उपयोग के लिए उपयुक्त हों।

अध्याय—38

विविध रसायन उत्पाद

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
38.01	बनावटी ग्रेफाइट, कोलोईडल ग्रेफाइट, तेल में सस्पेन्शन से भिन्न।

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
38.02	जान्तव कोयला (उदाहरणार्थ अस्थि कोयला, हाथी दांत कोयला); अपयुक्त जान्तव कोयला को शामिल करते हुए।
38.03	उत्तेजित कार्बन (विरंगीकरण, निधूवण या अवशोधक); उत्तेजित डायटोमाइट, उत्तेजित मिट्टी, उत्तेजित बाक्साइट एवं अन्य उत्तेजित प्राकृतिक खनिज उत्पाद।
38.04	एमोनिएकल गैस लिकर्स एवं कोयला गैस के शुद्धीकरण से उत्पादित अपयुक्त आक्साइड।
38.05	टार तेल।
38.06	कन्सेन्ट्रेटिड सल्फाइट द्रवे।
38.07	तारपीन की स्प्रिट (गोंद, लकड़ी और सल्फेट) और अन्य तारपीन के विलायक जो आसवन द्वारा या कोनिफरस लकड़ी को अन्य प्रक्रिया द्वारा उत्पादित हैं; अपरिष्कृत डिपेन्टीन; सल्फाइट, तारपीन, देवदार तेल (देवदार तेल को छोड़कर जिस में टरपीनियल की भरपूर मात्रा न हो)।
38.08	रोजिन और रोजिन एसिड और उनके व्युत्पन्न उस ईस्टर गोंद को छोड़कर जो शीर्षक संख्या 39.05 में शामिल की गई हैं; रोजिन स्प्रिट और रोजिन तेल।
38.09	काठ तार; काठ तार तेल (मिश्रित विलायक और थिनर्स से भिन्न जो शीर्षक सं 38.18 के अन्तर्गत आते हैं); काठ क्रिओसोट; काठ नेप्था; एसिटोन तेल।
38.10	सभी प्रकार की वनस्पति पिच; ब्र्यूवर्स पिच और रोजिन या वनस्पति पिच पर आधारित इस प्रकार के मिश्रण; प्राकृतिक रेजिन्स के उत्पादों पर आधारित फाउन्ड्री कोर बाइन्डर्स।
38.11	रोगाणुनाशक, कीटनाशक, कवकनाशी, शाकनाशी, अंकुरण विरोधी उत्पाद, चूहों को मारने वाला जहर और इसी प्रकार के उत्पाद; जो उसी रूप में या पैकिंग के रूप में या सामग्री के रूप में या वस्तुओं के रूप में फुटकर बिक्री के लिये रखे गए हों, (उदाहरणार्थ गंधक क्रिया किए हुए बेन्ड्स, विक्स और मोमबत्तियां, फ्लाई कागज)।
38.12	तैयार ग्लेजिंग, तैयार ड्रेसिंग और तैयार माउन्ट की ऐसी किस्म में जिनका प्रयोग वस्त्र, कागज, चमड़े और इसी प्रकार के उद्योगों में किया जाता है।
38.13	धातु सरफेस फलक्सेज के लिये पिकलिंग सामग्री सोल्डरिंग, ब्रेजिंग या वेल्डिंग के लिये सहायक सामग्री; सोल्डरिंग, ब्रेजिंग या वेल्डिंग पाउडर और पेस्ट जिनमें धातु और अन्य सामान शामिल हो, ऐसी प्रकार की सामग्री जिसका प्रयोग वेल्डिंग छड़ों और इलैक्ट्रोड्स पर कोटिंग के कोर के रूप में किया जाता है।

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
38.14	प्रत्याघात सामग्री, आक्सिडेशन निरोधक, गोंद निरोधक, श्यानता सुधारक क्षयकारी निरोधक, खनिज तेल के लिए इसी प्रकार की तैयार संयोज्य सामग्री।
38.15	रबड़ के तैयार एक्सिलरेटर्स।
38.16	माइक्रोआर्गेनिज्म के विकास के लिए तैयार कलचर मीडिया।
38.17	अग्निशामक के लिये तैयार सामग्री और चार्जेस; आवेष्टित अग्नि शामक ग्रेनेड्स।
38.18	वार्निश और इसी प्रकार के उत्पादों के लिए मिश्रित विलायक और थिनर्स।
38.19	रसायन उत्पाद एवं रसायन या सम्बद्ध उद्योगों के सामान (इसमें वे भी शामिल हैं जो प्राकृतिक उत्पादों के मिश्रण हैं) जो अन्यत्र विशिष्टिकृत अथवा शामिल नहीं हैं; रसायन अथवा सम्बद्ध उद्योगों के अवशेष उत्पाद जो अन्यत्र विशिष्टिकृत अथवा शामिल नहीं हैं।

खंड—7

कृत्रिम रेजिन्स और प्लास्टिक माल, सेललोज ईस्टर्स और ईथर्स, और उनकी वस्तुएं : रबड़, सिन्थेटिक रबड़ फेक्टिस और उनकी वस्तुएं

अध्याय—39

कृत्रिम रेजिन और प्लास्टिक माल, सेलूलोज ईस्टर और ईथर्स; उनकी वस्तुएं

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
39.01	कन्डेन्सेशन, पोलिकन्डेन्सेशन और पोलिएडिशन उत्पाद चाहे परिशोधित या पोलिमराइज्ड हों या नहीं और चाहे लिनियर हो या नहीं (उदाहरणार्थ फिनोप्लास्ट्स, एनिमोप्लास्ट्स, एलकाइड, पोलिएलाइल ईस्टर और अन्य असंतृप्त पोलिस्टर, सिलिकोन्स)।
39.02	पोलिमेराइजेशन और कोपोलिमेराइजेशन उत्पाद, (उदाहरणार्थ पोलीथिलीन, पोलिटेट्राथेलियोथिलीन, पोलिसोब्यूटिलीन, पोलिस्ट्रीन, पोलिनाइल क्लोराइड, पोलिविनाइलसीटेन्ट, पोलिविनाइल क्लोरोएसीटेट और अन्य पोलिविनाइल डेरिवेटिव्स, पोलिएक्रिलक और पोलिमेथाक्रिलिक डेरिवेटिव्स, कोमारोनेइन्डीन रेजिन्स।
39.03	पुन:प्रजननीकृत सेलूलोजोज, सेलूलोज नाइट्रेट, सेलूलोज एसिटेट और अन्य सेलूलोज ईस्टर, सेलूलोज ईथर और सेलूलोज के अन्य रसायनिक व्युत्पन्न, चाहे प्लास्टिसाइज्ड हों या नहीं (उदाहरणार्थ—कोलोडियोन, सेलूलाइड); वल्केनाइज्ड फाइबर।
39.04	हार्डेन्ड प्रोटीन (उदाहरणार्थ, हार्डेन्ड केसिन और हार्डेन्ड जिलेटिन)।

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
39.05	फ्यूजन द्वारा परिशोधित प्राकृतिक रेंजिन (रन गोंद); प्राकृतिक रेंजिन्स या रेंजिनिक एसिड के प्रलवणीकरण द्वारा प्राप्त किए गए कृत्रिम रेंजिन्स (प्रलवण गोंद)); प्राकृतिक रबड़ के रासायनिक व्युत्पन्न (उदाहरणार्थ क्लोरिनेटिड रबड़, रबड़ हाइड्रोक्लोराइड, आक्सीडाइज्ड रबड़, साइक्लाइज्ड रबड़)।
39.06	अन्य उच्च पोलिमर्स, कृत्रिम रेंजिन और कृत्रिम प्लास्टिक सामान, इसमें एल्जीनिक एसिड, इसके लवण और प्रलवण भी शामिल हैं; लिनोक्सीन।
39.07	39.01 से 39.06 तक की शीर्षक सं. में बनाई गई किस्म की सामग्री की वस्तुएं।

अध्याय 40

रबड़, सिन्थेटिक रबड़, फैक्टिस और इसकी वस्तुएं

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
40.01	प्राकृतिक रबड लेटैक्स, चाहे परिवर्धित संश्लिष्ट रबड़ लेटैक्स के साथ हो या न हो, पूर्व वल्कनित प्राकृतिक रबड़ लेटैक्स, प्राकृतिक राबड़, बलाटा, गट्टापर्चा और इसी तरह के प्राकृतिक गोंद।
40.02	संश्लिष्ट रबड़ लेटैक्स, पूर्व-वल्कनित संश्लिष्ट रबड़ लेटैक्स;संश्लिष्ट रबड़; तेल से निकाले गए फैक्टिस।
40.03	संशोधित रबड़।
40.04	सख्त न बनाई गई रबड़ की रद्दी और छीलन, सख्त न बनाई गई रबड़ की कतरन, केवल रबड़ उपलब्धि के योग्य; सख्त न बनाई गई रबड़ की रद्दी या कतरन से प्राप्त किया गया चूर्ण।
40.05	गैर वल्कनीकृत प्राकृतिक या संश्लिष्ट रबड़ की प्लेट्स, शीट और पट्टियां, शीर्षक संख्या 40.01 या 40.02 की धूमक शीट और क्रेप शीट्स से भिन्न; वल्कनीकरण के लिए तैयार मिश्रित गैर-वल्कनीकृत प्राकृतिक या संश्लिष्ट रबड़ के कण; गैर-वल्कनीकृत प्राकृतिक या संश्लिष्ट रबड़, या तो काले कार्बन (खनिज तेल के योग के साथ या उसके बिना) के साथ या सिलिका (खनिज तेल के योग के साथ या उसके बिना) के साथ जमाव के पहले या बाद में मिश्रित की गई, किसी भी रूप में, मूल वर्गीकरण के रूप में अभिज्ञात किस्म की।
40.06	गैर-वल्कनीकृत प्राकृतिक या संश्लिष्ट रबड़, रबड़ लेटैक्स सहित; अन्य आकारों या स्थितियों में (उदाहरणार्थ, छड़ें, ट्यूब और प्रोफाइल आकारों में, घोल और विक्षेपण); गैर वल्कनीकृत, प्राकृतिक या संश्लिष्ट रबड़ की वस्तुएं (उदाहरणार्थ--लेपित या संसिक्त सूती धागे, छल्ले और गोल पात्र)।
40.07	वल्कनीकृत रबड़ के धागे और डोरियां, चाहे वस्त्र से ढके हुए हों या नहीं और वल्कनीकृत रबड़ से ढके हुए संसिक्त सूती धागे।
40.08	सख्त न की गई वल्कनीकृत रबड़ की प्लेटें, चद्दरें, पट्टियां, सलाखें और प्रोफाइल आकार।
40.09	सख्त न की गई वल्कनीकृत रबड़ की पाइपिंग और ट्यूबिंग।
40.10	वल्कनीकृत रबड़ के ट्रांसमिशन, कन्वेयर या एलिवेटर बेल्ट या बेल्टिंग।
40.11	सभी किस्म के पहियों के लिए रबड़ के टायर, टायरों के खोल, टायरों के अन्तर्गत परिवर्तनीय पट, आन्तरिक ट्यूब और टायर फ्लैप।
40.12	सख्त न की गई वल्कनीकृत रबड़ की स्वास्थ्य सम्बन्धी और औषधि निर्माण सम्बन्धी (उपचार सहित) वस्तुएं, सख्त की गई रबड़ के जुड़नारों के साथ या उनके बिना।
40.13	परिधानों और पहनावों की वस्तुओं की सहायक वस्तुए (दस्तानों सहित), सभी कार्यों के लिए, सख्त न की गई वल्कनीकृत रबड़ की।
40.14	सख्त न की गई वल्कनीकृत रबड़ की अन्य वस्तुएं।
40.15	सख्त की गई रबड़ (एबोनाइट और वल्केनाइट) थोक में, प्लेटें, चद्दरें, पट्टियां, छड़ें, प्रोफाइल आकार या ट्यूबें, सख्त की गई रबड़ की कतरन, रद्दी और चूर्ण।
40.16	सख्त की गई रबड़ (एबोनाइट और वल्केनाइट) की वस्तुएं।

खण्ड--8

कच्ची खाल और चर्म, चमड़ा, समूर और उस से बनी वस्तुएं; जीनसाजी और अश्वसज्जा, यात्रा सामान, हैन्डबैग और इसी प्रकार के अन्य आधान, अन्तड़ियों की वस्तुएं (रेशम के कोड़े की अन्तड़ियों से भिन्न)

अध्याय--41

कच्ची खाल और चर्म (समूर से भिन्न) और चमड़ा

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
41.01	कच्ची खाल और चर्म (ताजी, लवणित, सुखाई हुई, अम्लित या चूना डाली हुई) चाहे परतों में चीरी हुई हों या नहीं, उन में भेड़ की खाल भी शामिल है।
41.02	गोजातीय पशु का चमड़ा (भैंस के चमड़े सहित) और अश्व का चमड़ा, 41.06, 41.07 या

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
	41.08 शीर्षकों में आने वाले चमड़े के अतिरिक्त।
41.03	भेड़ों और मेमनों की खालों का चमड़ा, शीर्षक संख्या 41.06, 41.07 या 41.08 में आने वाले चमड़े के अतिरिक्त।
41.04	बकरी और उसके बच्चों की खालों का चमड़ा, शीर्षक संख्या 41.06, 41.07 या 41.08 में आने वाले चमड़े के अतिरिक्त।
41.05	चमड़े की अन्य किस्में, शीर्षक संख्या 41.06, 41.07 या 41.08 में आने वाले चमड़े के अतिरिक्त।
41.06	सांभर की खाल से प्रसाधित चमड़ा।
41.07	चिमड़ा कागज से प्रसाधित चमड़ा।
41.08	पेटेन्ट चमड़ा और नकली पेटेन्ट चमड़े; धात्विकृत चमड़ा।
41.09	चमड़े की या उसके संयोजन छीलन और अन्य रद्दी या पार्चमेन्ट से ढका हुआ चमड़ा, जो चमड़े की वस्तुओं के निर्माण के लिये उपयुक्त न हो, चमड़े की झाड़न, पाउडर और बुकनी।
41.10	चमड़े या चमड़े के रेशों के आधार पर संविरचित चमड़ा, सिल्लियों में, चद्दरों में या बेलनाकारों में।

अध्याय 42

चमड़े की वस्तुएं, जीनसाजी और अश्वसज्जा; यात्रा का सामान, हैन्डबैग और इसी प्रकार के आधान, पशुओं की अंतड़ियों की वस्तुएं (रेशम के कीड़े की अन्तड़ी से भिन्न)

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
42.01	किसी भी सामग्री की जीन और सज्जीकरण (उदाहरणार्थ, जीन, साज, कालर, पट्टे टखने के पैड और बूट), किसी भी किस्म के पशु के लिए।
42.02	यात्रा का सामान (जैसे, ट्रंक, सूट केस, हैट के लिए बक्स, यात्रा के लिये थैले, रक्सैक, शापिंग बैग, हैन्डबैग, बस्ता, ब्रीफकेस, थैली, बटुए, टायलेट केस, टूल केस, तम्बाकू रखने की थैली, म्यान केस, बक्से (जैसे शस्त्रों, संगीत के यंत्रों, दूरबीन, आभूषणों, बोतलों, कालरों, जूतों, ब्रुशों के लिये) और चमड़े के या मिश्रित चमड़े के, वल्कनीकृत रेशे; नकली प्लास्टिक शीटों के; कागज के गत्ते के या सूती रेशे के इसी प्रकार के आधान।
42.03	चमड़े की या संविरचित चमड़े के परिधान और पहनावों की सहायक वस्तुएं।
42.04	चमड़े की वस्तुएं या एक किस्म के संविरचित चमड़े की वस्तुएं, मशीनरी में या यान्त्रिक उपकरणों या अन्य औद्योगिक कार्यों के लिये उपयोग किए गए।
42.05	चमड़े या संविरचित चमड़े की अन्य वस्तुएं।
42.06	अंतड़ियों (रेशम के कीड़े की अंतड़ियों से भिन्न) से, वर्कसाजी में काम आने वाली झिल्ली से, मूत्राशय से या नसों से बनी वस्तुएं।

अध्याय 43

समूर और नकली समूर, उन की वस्तुएं

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
43.01	कच्चा समूर।
43.02	समूर, कमाया हुआ या प्रसाधित, प्लेटों में, क्रोसों में और इसी प्रकार के रूपों में संयोजित किए हुए समूर सहित; समूर के टुकड़े, या खंड, कमाए हुए या प्रसाधित, सिर, पंजे, पूंछ और इसी प्रकार की वस्तुओं सहित (संविरचित नहीं)।
43.03	समूर की वस्तुएं।
43.04	नकली समूर और उससे बनी वस्तुएं।

खंड 9

लकड़ी और लकड़ी की वस्तुएं; लकड़ी कोयला का कार्क और कार्क की वस्तुएं; घास-फूस की, एसपार्टो की और अन्य प्लाटिंग सामग्री की वस्तुएं; बेंत की टोकरियां और तीली का सामान

अध्याय 44

लकड़ी और लकड़ी की वस्तुएं; लकड़ी का कोयला

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
44.01	ईन्धन की लकड़ी लट्ठों में, छड़ों में, टहनियों में, या गट्ठों में; लकड़ी की रद्दी, बुरादे सहित।
44.02	लकड़ी का कोयला (काष्ठफल और छिलकों के कोयले सहित) संपीड़ित किया हो या नहीं।
44.03	लकड़ी, अपरिष्कृत रूप से चौकोर या अर्ध चौकोर की गई।
44.04	लकड़ी, अपरिष्कृत रूप से चौकोर या अर्ध चौकोर की गई, परन्तु इससे अधिक परिष्कृत न की गई हो।
44.05	लम्बाई के अनुसार चीरी गई, टुकड़े की गई या छीली गई लकड़ी, 5 मि. मी. मोटाई से अधिक परन्तु इससे आगे तैयार न की गई।
44.06	लकड़ी के फर्श पिंड।
44.07	रेलवे या ट्रामवे की लकड़ी के स्लीपर।
44.08	लकड़ी के फाड़े हुए फट्टे जो एक मुख्य सतह पर चीरे गए हों और इसमें से आगे तैयार न किए गए हों, लकड़ों के चिरे हुए फट्टे।

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
	जिनकी कम-से-कम एक मुख्य सतह बेलनाकार घिरी हुई हो, इससे आगे तैयार न किए गए हों।
44.09	हूप लकड़ी; चिरे हुए लट्ठे; लकड़ी की बल्लियां; खूंटे, स्थूण: नोकदार बनाए हुए परन्तु लम्बाई के अनुसार चिरे हुए नहीं हों; लकड़ी की चिप्पी; लुगदी की लकड़ी, चिप्पी में या टुकड़ों में; सिरका के निर्माण में या तरल पदार्थों के स्पष्टीकरण के लिए उपयोग में उपयुक्त एक किस्म की लकड़ी की छीलन।
44.10	लकड़ी की छड़ियां, लगभग परिष्कृत की हुई परन्तु मोड़ी हुई नहीं, झुकाई हुई या अन्य काम की हुई नहीं, जो टहलने की छड़ियों, कोड़े, गोल्फ क्लब शाफ्ट, छातों के हैन्डल, दस्ती औजारों और अन्य समान वस्तुओं के निर्माण के लिये उपयुक्त हों।
44.11	योजक लकड़ी, माचिस की खपचियां, जूतों के लिये लकड़ी की खूटियां, या पिन।
44.12	लकड़ी की ऊन और लकड़ी का आटा।
44.13	लकड़ी (ब्लाक, पट्टियों और चित्रकारी करने के लिये या काष्ठ ब्लाक फ्लोरिंग करने के लिये सजावटी लकड़ी, सहित, संयोजित नहीं), रन्दा की हुई, जिव्हायुक्त बनाई हुई खांचेदार, पलस्तरदार, किनारेदार वी-संधियुक्त, केन्द्र वी-संधियुक्त, मनकेदार, केन्द्र में मनकेदार बनाई गई, या इनके समान, परन्तु इससे आगे इन पर काम न किया गया हो।
44.14	लम्बाई के अनुसार चिरी हुई लकड़ी, तराशी हुई या छिली हुई परन्तु इससे आगे तैयार न की गई हो, जिसकी अधिकतम मोटाई 5 मि. मी. हो; मुलम्मा चढ़ी चद्दरें, और प्लाईवुड के लिए चद्दरें, जो अधिकतम 5 मि. मी. मोटाई की हों।
44.15	प्लाइवुड, ब्लैकबोर्ड, लैमिनबोर्ड, बैटनबोर्ड और अन्य इसी तरह की लैमिनेटिड लकड़ी के उत्पाद (मुलम्मेदार पट्टियों और चद्दरों जटित लकड़ी और जड़ाऊ काम की लकड़ी।
44.16	जालीदार लकड़ी की पट्टियां, चाहे मूल धातु की सतह वाली हों या नहीं।
44.17	"सुधारी हुई" लकड़ी, चद्दरों, ब्लाक्स में या इनके समान।
44.18	पुर्नगठित लकड़ी, लकड़ी की छीलन, लकड़ी की खपचियां, बुरादा, लकड़ी की बुकनी या अन्य काष्ठवत रद्दी जो प्राकृतिक या कृत्रिम रेजिन या अन्य कार्बनिक संयोजन पदार्थ के साथ पिंडीभूत, चद्दरों ब्लाक्स या समान वस्तुओं में हों।
44.19	लकड़ी की उभरी नक्काशी और ढलाई, ढले स्कर्ट और अन्य ढले बोर्ड सहित।
44.20	तस्वीरों के लिये लकड़ी के चौखटे, फोटो के लिए चौखटे, दर्पण के चौखटे, और इसी प्रकार की वस्तुएं।
44.21	लकड़ी की पैक करने की पूर्ण पेटियां, बक्से, टोकरे, ढोल और इसी प्रकार की पैकिंग की वस्तुएं।
44.22	लकड़ी के पीपे, बैरल, टंकी, नाद, बाल्टी और तांबे के अन्य उत्पाद और उनके अंग जो शीर्षक संख्या 44.08 में आने वाले तख्तों से भिन्न हों।
44.23	भवन-निर्माणकर्ता, बढ़ईगिरी और मिस्त्री-गिरी (पूर्वगठित और आंशिक निर्माण और फर्श बनाने के संयोजित सजावटी लकड़ी के फट्टों सहित)।
44.24	लकड़ी के घरेलू पात्र।
44.25	लकड़ी के औजार, औजारों के ढांचे, औजारों की मूठ, झाड़ू और बुशों के ढांचे और मूठ, बूट और जूतों के और लकड़ी के कलबूत।
44.26	परिष्कृत लकड़ी की चर्खियां, आटियां, अटेरन, सिलाई के धागे की रील, और इसी प्रकार की वस्तुएं।
44.27	लकड़ी के स्टैन्डर्ड लैम्प, मेज के लैम्प और अन्य प्रकाशकीय जुड़नार; लकड़ी के फर्नीचर की वस्तुएं, अध्याय 94 में न आने वाली लकड़ी की सन्दूकचियां, सिगरेट के बक्से, ट्रे, फलों के लिए कटोरे, आभूषण और अन्य सजावटी वस्तुएं, लकड़ी की चाकू छुरी के लिये, ड्राइंग के औजारों के लिए, वायलन के लिए बक्से, और इसी प्रकार के पात्र; व्यक्तिगत उपयोग या सजावट के लिए लकड़ी की वस्तुएं, सामान्यत: जेब में, हैन्डबैग में, या हाथ में रखी जाने वाली किस्म की पूर्वोक्त लकड़ी के वस्तुओं के अग्रभाग।
44.28	लकड़ी की अन्य वस्तुएं।

अध्याय 45

कार्क और कार्क की वस्तुएं

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
45.01	प्राकृतिक कार्क, काम न किया हुआ, कुचला हुआ दानेदार आधार; रद्दी कार्क।
45.02	प्राकृतिक कार्क के कुन्दे, प्लेट, चद्दर या पट्टियां (घन या वर्गाकार सिल्लियों सहित, कार्क या डाट के लिए माप में कटी हुई)।
45.03	प्राकृतिक कार्क की वस्तुएं।
45.04	पिंडित कार्क (बन्धक पदार्थ के साथ या उस के बिना पिंडित की गई कार्क) और पिंडित कार्क की वस्तुएं।

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
	अध्याय 46
	पुआल की, एस्पार्टो की और अन्य गूथी जाने वाली सामग्री की वस्तुएं, टोकरियां और खपचियों की वस्तुएं
46.01	बेणियां और गूथी जाने वाली सामग्री के समान उत्पाद, सभी प्रयोगों के लिये, चाहे पट्टियों में सज्जित हों या नहीं।
46.02	बटा हुआ या बुना हुआ हस्त निर्मित कागज और गत्ता चद्दर के रूप में, चटाई के काम, चटाई और पर्दे सहित; बोतलों के लिये पुआल के लिफाफे।
46.03	टोकरियों का काम, खपचियों का काम और गूथी जाने वाली सामग्री की अन्य वस्तुएं, प्रत्यक्ष रूप से आकार में ढाली हुई शीर्षक संख्या 46.01 या 46.02 में आने वाले माल से बनी हुई वस्तुएं; तुरई की वस्तुएं।
	खंड 10
	कागज बनाने की सामग्री; कागज और कागज का गत्ता और उन की वस्तुएं
	अध्याय 47
	कागज बनाने की सामग्री
47.01	किसी भी रेशेदार वनस्पति सामग्री से मशीन द्वारा या रासायनिक तरीके से निकाली गई लुगदी।
47.02	रद्दी कागज और गत्ता कागज या गत्ते की कतरन जो केवल कागज बनाने में उपयोग के लिए उपयुक्त हो।
	अध्याय 48
	कागज और गत्ता, कागज की लुगदी, कागज और गत्ते की वस्तुएं
	1. कागज और गत्ता बेलनों में या चद्दरों में
48.01	कागज और गत्ता (सेल्युलोज, वेडिंग सहित), मशीन से बने हुए, बेलनाकार में, चद्दरों के आकार में।
48.02	हस्तनिर्मित कागज और गत्ता।
48.03	चर्बी अभेद्य कागज का पार्चमेन्ट और गत्ता, और उसकी नकल, और चमकीला पारदर्शक कागज, बेलनाकार में या चद्दरों के आकार में।
48.04	मिश्रित कागज या गत्ता (एक आसंजक से चपटी परतें चिपका कर बनाया हुआ), ऊपरी सतह लेपित या संसेचित न हो, चाहे अन्दर से प्रबलित किया हुआ हो या नही बेलनाकार में या चद्दरों के रूप में।
48.05	कागज और गत्ता, शिकन डाला गया (चपटी सतह वाली चद्दरों के साथ या उनके बिना), क्रेप बनाया हुआ, शिकन डाला हुआ, बेल-बूटे, कढ़ा हुआ, छिद्रित किया हुआ, बेलनाकार या चद्दरों के रूप में।
48.06	कागज और गत्ता, रेखांकित, लाइनदार या वर्गाकार, परन्तु अन्यथा रूप से मुद्रित न हो, बेलनाकार या चद्दरों के रूप में।
48.07	कागज और गत्ता, संसेचित, लेपित, ऊपरी सतह पर रंग किया हुआ, ऊपरी सतह पर सजाया हुआ या मुद्रित (केवल रेखांकित, लाइनदार या वर्गित न हो और अध्याय 49 वाले मुद्रित विषय वाला न हो), बेलनाकार में या चद्दरों के रूप में।
48.08	कागज की लुगदी की फिल्टर ब्लाक्स, सिल्लियां और प्लेटें।
48.09	लकड़ी की लुगदी के या वनस्पति रेशे के भवन निर्माण के गत्ते, चाहे प्राकृतिक या कृत्रिम रेजिन या इसके समान बन्धकों से बंधे हों या नहीं।
	2. माप और आकार में कटा हुआ कागज और गत्ता और कागज या कागज के गत्ते की वस्तुएं
48.10	सिगरेट का कागज, माप में कटा हुआ, चाहे पुस्तिका या नलियों के रूप में हो या नहीं।
48.11	दीवार का कागज और सस्त्र विशेष कागज के खिड़की के पारदर्शक।
48.12	फर्शों के आवरण, कागज या गत्ते के आधार पर तैयार किए गए, चाहे माप में कटे हुए हों या नहीं, लिनोलियम यौगिक से लेपित या इसके बिना।
48.13	कार्बन और प्रतिलिपि बनाने के अन्य कागज (डुप्लीकेटर स्टेन्सिलों सहित) और तस्वीर उतारने के कागज, माप में कटे हुए, चाहे बक्सों में रखे हुए हों या नहीं।
48.14	लेखन ठप्पे, लिफाफे, पत्रों के कार्ड, सादे पोस्टकार्ड, पत्राचार कार्ड; बक्से, थैलियां, बटुवे और लेखन सामान, कागज या गत्ते का, जिसमें केवल कागज स्टेशनरी का ही सामान हो।
48.15	अन्य कागज और गत्ता, माप या आकार में कटा हुआ।
48.16	बक्से, बैग, और बैग तथा पैक करने के अन्य आधान, कागज और गत्ते के।
48.17	कार्यालयों, दुकानों या ऐसी ही जगहों में सामान्यतः उपयोग की जाने वाली किस्म की कागज या गत्ते की बक्से जैसी मिसिल, पत्रों के लिए ट्रे संचयन बक्से और तुल्य वस्तुएं।

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
48.18	रजिस्टर, अभ्यास के लिए पुस्तिकाएं, नोट बुक, ज्ञापन गुटके, आदेश पुस्तिका, आवती पुस्तिका, डायरी, ब्लाटिंग पैड, बन्धक (खुले पन्ने वाले या अन्य), फाइल कवर और कागज या गत्ते की अन्य स्टेशनरी; नमूने और अन्य एलबम और पुस्तकों के आवरण, कागज या गत्ते के।
48.19	कागज और गत्ते के लेबल, चाहे मुद्रित या गोंद लगाए हुए हों या नहीं।
48.20	अटेरन, तागा लपेटने की चर्खी, काप और कागज की लुगदी के इसी प्रकार के अवलम्बन, कागज या गत्ता (चाहे छिद्रित किया गया हो या कठोर बनाया गया हो या नहीं)।
48.21	कागज की लुगदी की अन्य वस्तुएं, कागज, गत्ता या सेल्यूलोज के तोशक।

अध्याय 49

मुद्रित पुस्तकें, अखबार, चित्र और मुद्रण उद्योग के अन्य उत्पाद; हस्तलिपियां, टंकित लिपियां और मानचित्र

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
49.01	मुद्रित पुस्तकें, पुस्तिकाएं, विवरणिका, पेम्फ्लेट एवं इश्तहार।
49.02	अखबार, रोजनामचे और आवधिक, चाहे चित्रयुक्त हों या नहीं।
49.03	बच्चों की चित्रों वाली पुस्तकें और रंगीन चित्रों वाली पुस्तकें।
49.04	संगीत, मुद्रित या हस्तलिपि में, चाहे बंधा हुआ या सचित्र हो या नहीं।
49.05	नक्शे और जलमाप चित्र और इसी प्रकार के सभी किस्म के चार्ट, एटलस, दरबार के नक्शे और स्थलस्वरूपीय मानचित्र, मुद्रित सहित; मुद्रित ग्लोब (स्थलीय या खगोलीय)।
49.06	मानचित्र और ड्राइंग, औद्योगिक-वस्तु शिल्प, इंजीनियरिंग, वाणिज्यिक या इसी प्रकार के कार्यों के लिए, चाहे मूल या प्रतिलिपि सुग्राहिकृत कागज पर हो, हस्तलिपियां और टंकितलिपियां।
49.07	उपयोग में न लाए गए डाक टिकट, राजस्व और इसी प्रकार के उस देश के टिकट जो उस देश में वर्तमान में हों या नए जारी किए गए हों; टिकट लगे हुए कागज; बैंकनोट, स्टाक, शेयर और बान्ड प्रमाणपत्र और इसी प्रकार के स्वामित्व अधिकार वाले दस्तावेज; चेक बुक।
49.08	अन्तरण (डिकेल्कोमेनियम)।
49.09	पिक्चर पोस्टकार्ड, क्रिसमस और अन्य ग्रीटिंग कार्ड, किसी भी प्रक्रिया द्वारा मुद्रित, सजावट सहित या उसके बिना।
49.10	कागज या गत्ते के किसी भी किस्म के कैलेण्डर, कैलेण्डर के ब्लाक सहित।
49.11	अन्य मुद्रित विषयवस्तु, मुद्रित तस्वीरों और फोटोग्राफ सहित।

खंड 11

वस्त्र और वस्त्रों की वस्तुएं

अध्याय 50

रेशम और रद्दी रेशम

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
50.01	रेशम-कीट कृमिकोष, लपेटने के लिए उपयुक्त।
50.02	कच्ची रेशम (न त्यागी हुई)।
50.03	रेशम की रद्दी (लपेटने के लिए अनुपयुक्त कृमिकोष, रेशम की गट्टियों और कर्षित और गार्नेट किए हुए चिथड़ों सहित)।
50.04	रेशम का धागा, गट्टियों के धागे या अन्य रद्दी रेशम के धागे से भिन्न, खुदरा बिक्री के लिए न रखा हुआ।
50.05	गट्टी से भिन्न रेशम की रद्दी से काता हुआ धागा, खुदरा बिक्री के लिए न रखा हुआ।
50.06	गट्टी से काता हुआ रेशम धागा, खुदरा बिक्री के लिए न रखा हुआ।
50.07	रेशम का धागा और गट्टी या अन्य रद्दी रेशम से काता हुआ धागा, खुदरा बिक्री के लिए न रखा हुआ।
50.08	रेशम-कीट आंत; रेशम की इमिटेशन कैटगट।
50.09	रेशम के या उत्कृष्ट रेशम के बुने हुए वस्त्र, गट्टी से भिन्न।
50.10	गट्टी रेशम से बुने हुए वस्त्र।

अध्याय 51

मानव-निर्मित रेशे (अविच्छिन्न)

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
51.01	मानव-निर्मित रेशे (अविच्छिन्न) का धागा, खुदरा बिक्री के लिए न रखा हुआ।
51.02	मोनोफिल, स्ट्रिप (नकली पआल और इसके समान) और मानव-निर्मित रेशे की सामग्री की आंत की तांत की नकल।
51.03	मानव-निर्मित रेशे (अविच्छिन्न) का धागा, खुदरा बिक्री के लिए रखा हुआ।
51.04	मानव निर्मित रेशों (अविच्छिन्न) से बुने हुए वस्त्र, शीर्षक में 51.01 या 51.02 के

शीर्षक सं	वस्तु-विवरण
	मोनोफिल या स्ट्रिप के रेशों से बुने हुए के सहित ।

अध्याय–52

वस्त्र

शीर्षक सं	वस्तु-विवरण
52·01	धात्विकृत धागा, धातु से कते हुए धागे या किसी भी प्रक्रिया द्वारा धातु लेपित धागे का वस्त्र ।
52·02	परिधानों की वस्तुओं में उपयोग की गई किस्म की सजावट करने के वस्त्रों या उनके समान वस्त्रों के रूप में धातु के धागे या धात्विकृत धागे से बुने हुए वस्त्र ।

अध्याय–53

ऊन और अन्य पशुओं के बाल

शीर्षक सं	वस्तु-विवरण
53·01	भेड़ या मेमने का ऊन, धुना हुआ या कंघी से साफ किया हुआ नहीं ।
53·02	अन्य पशुओं के बाल (परिष्कृत या अपरिष्कृत), धुने हुए या कंघी से साफ किए हुए नहीं ।
53·03	भेड या मेमने के ऊन की या अन्य पशु के बाल की रद्दी (परिष्कृत या अपरिष्कृत), कर्षित या गार्नेट किया हुआ नहीं ।
53·04	भेड़ या मेमने के ऊन की या अन्य पशु के बाल की रद्दी (परिष्कृत या अपरिष्कृत), कर्षित या गार्नेट की हुई (कर्षित या गार्नेट किए हुए चिथड़ों सहित) ।
53·05	भेड या मेमने के ऊन या अन्य पशु के बाल (परिष्कृत या अपरिष्कृत), धुने हुए या कंघी से साफ किए हुए ।
53·06	भेड का या मेमने का धुना हुआ ऊन का धागा (ऊनी धागा), खुदरा बिक्री के लिए न रखा हुआ ।
53·07	भेड का या मेमने का कंघी से साफ किया हुआ ऊन का धागा (ऊनी धागा), खुदरा बिक्री के लिए न रखा हुआ ।
53·08	पशु के परिष्कृत बालों, (धुने हुए या कंघी से साफ किए गए) का धागा, खुदरा बिक्री के लिए न रखा हुआ ।
53·09	घोड़े के बालों या अन्य पशु के अपरिष्कृत बालों का धागा, खुदरा बिक्री के लिए न रखा हुआ ।
53·10	भेड के या मेमने के ऊन का, घोड़े के बालों का या अन्य पशु के बालों का धागा (परिष्कृत या अपरिष्कृत), खुदरा बिक्री के लिए रखा गया ।
53·11	भेड़ के या मेमने के ऊन के या पशु के परिष्कृत बालों से बने हुए कपड़े ।
53·12	घोड़े के बालों से भिन्न पशु के अपरिष्कृत से बुने हुए वस्त्र ।
53·13	घोड़े के बालों से बने हुए वस्त्र।

अध्याय–54

फ्लैक्स और रामी

शीर्षक सं	वस्तु-विवरण
54·01	फ्लैक्स, कच्चा या संसाधित परन्तु कता हुआ नहीं; फ्लैक्स का सन और रद्दी (कर्षित या गार्नेट किए हुए चिथड़ों सहित) ।
54·02	रामी, कच्ची या संसाधित परन्तु कती हुई नहीं; रामी की गट्टियां और रद्दी (कर्षित या गार्नेट किए हुए चिथड़ों सहित) ।
54·03	फ्लैक्स या रामी का धागा, खुदरा बिक्री के लिए रखा हुआ नहीं ।
54·04	फ्लैक्स या रामी धागा, खुदरा बिक्री के लिए रखा हुआ ।
54·05	फ्लैक्स या रामी के बुने हुए वस्त्र।

अध्याय–55

रूई

शीर्षक सं	वस्तु-विवरण
55·01	रूई, धुनी हुई या कंघी से साफ की हुई नहीं ।
55·02	रूई के बिनौलों पर के छोटे रेशे (लिन्टर्स) ।
55·03	रूई की रद्दी (कर्षित या गार्नेट किए गए चिथड़ों सहित), धुनी हुई या कंघी से साफ की हुई नहीं ।
55·04	रूई, धुनी हुई या कंघी से साफ की हुई।
55·05	रूई का धागा, खुदरा बिक्री के लिए रखा हुआ नहीं ।
55·06	रूई का धागा, खुदरा बिक्री के लिए रखा हुआ ।
55·07	रूई के गाज ।
55·08	टेरि-टावलिंग और रूई के इसी प्रकार के टेरि-वस्त्र ।
55·09	रूई के अन्य बुने हुए वस्त्र ।

अध्याय–56

मानव-निर्मित रेशे (विच्छिन्न)

शीर्षक सं	वस्तु-विवरण
56·01	मानव-निर्मित रेशे (विच्छिन्न) कातने के लिए धुने हुए, कंघी से तैयार किए हुए नहीं।

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
56.02	मानव निर्मित रेशे (विच्छिन्न) के निर्माण के लिए सन के अविच्छिन्न तन्तु।
56.03	रद्दी (धागे की रद्दी और कर्षित या गार्नेट किए हुए चिथड़ों सहित) मानव-निर्मित रेशों (अविच्छिन्न या विच्छिन्न), कातने के लिए धुने हुए, कंघी से साफ किए हुए या अन्य प्रकार से तैयार किए हुए नहीं।
56.04	मानव-निर्मित रेशा (विच्छिन्न या रद्दी) कातने के लिए धुना हुआ, कंघी से साफ किया हुआ या अन्य प्रकार से तैयार किया हुआ।
56.05	मानव-निर्मित रेशे (विच्छिन्न या रद्दी), खुदरा बिक्री के लिए रखा हुआ नहीं।
56.06	मानव-निर्मित रेशों का धागा (विच्छिन्न या रद्दी, बिक्री के लिए रखा हुआ नहीं।
56.07	मानव-निर्मित रेशों (विच्छिन्न या रद्दी) के बुने हुए वस्त्र।

अध्याय-57

वस्त्रों की अन्य वनस्पति सामग्री; कागज के धागे और कागज के धागे के बुने हुए वस्त्र

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
57.01	असली-सन ("केनाबिस सेटिवा"), कच्चा या संसाधित, परन्तु कता हुआ नहीं; असली सन के मोटे रेशे और रद्दी (कर्षित या गार्नेट चिथड़ों या रस्सियों सहित)।
57.02	मनीला सन (अबेका) ("मूसा टेक्सटाइल्स"), कच्चा या संसाधित परन्तु कता हुआ नहीं; मनीला सन के मोटे रेशे और रद्दी (कर्षित या गार्नेट चिथड़ों या रस्सियों सहित)।
57.03	पटसन और अन्य टेक्सटाइल बास्ट फाइबर्स जो और कहीं विशिष्टीकृत या शामिल न किए गए हों, कच्चे या संसाधित परन्तु कते हुए नहीं; उनके मोटे रेशे और रद्दी (कर्षित या गार्नेट चिथड़ों या रस्सियों सहित)।
57.04	अन्य वनस्पति वस्त्र के रेशे, कच्चे या संसाधित परन्तु कते हुए नहीं; ऐसे रेशों की रद्दी (कर्षित या गार्नेट चिथड़ों या रस्सियों सहित)।
57.05	असली सन का धागा।
57.06	पटसन के या शीर्षक सं. 57.03 के अन्य सर्वोत्तम रेशों के कपड़े के धागे।
57.07	अन्य वनस्पति वस्त्र के रेशों का धागा।
57.08	कागज का धागा।
57.09	असली सन से बुने हुए वस्त्र।
57.10	पटसन के या शीर्षक सं. 57.03 के अन्य कपड़े के सर्वोत्तम रेशों के बुने हुए वस्त्र।
57.11	अन्य वनस्पति वस्त्र के रेशों से बुने हुए वस्त्र।
57.12	कागज के धागे से बने हुए वस्त्र।

अध्याय-58

दरियां, चटाइयां; पायदान और दीवार-दरियां; फ्लालेन और शनील के वस्त्र, बारीक वस्त्र, गोटा-पट्टियां; तुली और अन्य जालीदार वस्त्र; गोटा; कशीदाकारी

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
58.01	दरियां, दरियों का सामान और कालीन, गांठदार (बनी हुई या न बनी हुई)।
58.02	अन्य दरियां, दरियों का सामान, कालीन, पायदान, और चटाइयां और "केलम", "शूमैक्स" और "कारामानी" कालीन और इसी प्रकार की वस्तुएं (बनी हुई या न बनी हुई)।
58.03	दीवार-दरियां, हस्तनिर्मित, गोब्लिन्स, फ्लैण्डर्स, औबुस्सन, बीवाईस और इसके तुल्य किस्म की, और सुई से काम की हुई चौखटे पर बनी हुई दीवार-दरियां (उदाहरणार्थ पेटिट प्वाइन्ट और क्रास स्टिच) और इसी तरह की हाथ से बनी हुई दरियां।
58.04	बुने हुए फ्लालेन के वस्त्र और शनील के वस्त्र (टेरि-टावलिंग या इसी प्रकार के शीर्षक सं. 55.08 में आने वाले सूती टेरि-वस्त्रों और शीर्षक सं. 58.05 में आने वाले वस्त्रों से भिन्न)।
58.05	तंग बुने हुए वस्त्र, और तंग वस्त्र (बोल्डय) जिनमें बाने के बिना एंठन दी गई हो जो आसंजक द्वारा संयोजित हो, शीर्षक सं. 58.06 में आने वाले माल से भिन्न।
58.06	बुने हुए लेबल, बैज और इसी प्रकार की वस्तुएं, कशीदाकारी न की हुई, टुकड़ों में पट्टियों में या माप और आकार में कटी हुई।
58.07	शनील का धागा (फ्लाप शनील धागे सहित), रेशमी कन्नी का धागा (शीर्षक सं. 52.01 के धात्वीकृत धागे और घोड़े के मिश्रित बाल के धागे से भिन्न); रिबन आदि और सजावटी गोटा-पट्टी, टुकड़ों में; झालर, सिर के अलंकरण और इसी प्रकार की वस्तुएं।
58.08	तुली और अन्य जालीदार वस्त्र (परन्तु बुने हुए कढ़े हुए या कशीदाकारी किए हुए वस्त्र शामिल नहीं) अचित्रित।
58.09	तुली और अन्य जालीदार वस्त्र (परन्तु बुने हुए कढ़े हुए या कशीदाकारी किए हुए वस्त्र शामिल नहीं) चित्रित; हाथ या यन्त्रों से बनाए गए फीते, टुकड़ों में, पट्टियों में या कला-वस्तुओं में।
58.10	कशीदाकारी, खंडों में, पट्टियों में या कला-वस्तुओं में।

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
	अध्याय—59
	तोशक और नमदा; रस्सियां; डोरियां; रस्से और केबल; विशेष वस्त्र; संसेचित लेपित वस्त्र; औद्योगिक उपयोग के लिए उपयुक्त किस्म के वस्त्र की वस्तुएं
59.01	तोशक और तोशक की वस्तुएं; वस्त्र के लच्छे और धूल और मिल नेप्स।
59.02	नमदा और नमदे की वस्तुएं, चाहे संसेचित या लेपित हों या नहीं।
59.03	आबद्ध रेशे के वस्त्र, इसी प्रकार आबद्ध धागे के वस्त्र, और ऐसे वस्त्रों की वस्तुएं, चाहे संसेचित या लेपित हों या नहीं।
59.04	रस्सियां, डोरियां, रस्से और केबल, शिकन डाले हुए हों या नहीं।
59.05	रस्सियों, डोरियों या रस्सों से बने हुए जाल और जाल का सामान, और धागे, रस्सियों, डोरियों या रस्सों के मछली पकड़ने के जाल।
59.06	धागे, रस्सी, डोरी, रस्सों या केबलों से बनी हुई अन्य वस्तुएं, सूती वस्त्रों और ऐसे वस्त्रों से बनी हुई वस्तुओं से भिन्न।
59.07	गोंद से या स्टार्च वाले पदार्थ से लेपित सूती वस्त्र, पुस्तकों के बाहरी आवरण या इसी प्रकार की वस्तुओं के लिए उपयोग की जाने वाली एक किस्म; अनुरेखित कपड़ा; तैयार पेन्टिंग कैन्वस; बुकरम और इसी प्रकार के वस्त्र, हैट बनाने और इसी प्रकार के उपयोगों के लिए।
59.08	संसेचित, लेपित, आवरित या सैल्यूलोज के यौगिक से या अन्य नकली प्लास्टिक सामग्री से स्तरबद्ध किये गये सूती वस्त्र।
59.09	तेल से लेपित या संसेचित सूती कपड़े या सुखाने वाले तेल के आधार पर बनाई गई इनकी वस्तुएं।
59.10	लिनोलियम और लिनोलियम के समान तरीके से वस्त्र आधार पर तैयार की गई सामग्री, चाहे आकार में कटी हुई हों या नहीं या फर्श के आच्छादनों के रूप में उपयोग की जाने वाली एक किस्म की सामग्री, वस्त्र के आधार पर लगाए गए लेपन वाले फर्श आच्छादन, आकार में कटे हुए या न कटे हुए।
59.11	रबड़ चढ़े हुए सूती वस्त्र, सिलाई से बने हुए या क्रोशियाकारी किए हुए माल से भिन्न।
59.12	अन्य प्रकार से संसेचित या लेपित सूती वस्त्र थियेटरीकल सीनरी, स्टूडियो बैकक्लाथ या समान वस्तुओं के लिए पेन्टिड कैनवास।
59.13	लचीले वस्त्र और गोटा-पट्टी (सलाई से बने हुए या क्रोशियाकारी किए हुए से भिन्न) जिनमें रबड़ के धागों के साथ सूती वस्त्र की सामग्री संयुक्त की गई हो।

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
59.14	बुनी हुई, गुथी हुई या सलाई से बुनी हुई सूती वस्त्र सामग्री की बत्तियां, लैम्प, स्टोव, लाइटर, मोमबत्ती और समान वस्तुओं के लिए; नलिकाकार में सलाई से बना हुआ गैस आच्छादित वस्त्र और तापदीप्त गैस आच्छादन।
59.15	वस्त्र के होजपाइपिंग और इसी प्रकार की ट्यूबें, अन्य सामग्री के अस्तरों, कवचों या उप-साधकों सहित या रहित।
59.16	ट्रान्समिशन, कन्वेयर या एलिवेटर बेल्ट या बेल्टिंग वस्त्र सामग्री के, चाहे धातु या अन्य सामग्री से मजबूत की गई हों या नहीं।
59.17	सूती वस्त्र और उसकी वस्तुएं, मशीनरी या संयंत्र में उपयोग की जाने वाली किस्म की।
	अध्याय—60
	सलाई से बना हुआ या क्रोशियाकारी का माल
60.01	सलाई से बने हुए या क्रोशियाकारी किए हुए वस्त्र, लचीले बनाए हुए या रबड़ मिलाए हुए नहीं।
60.02	दस्ताने, बिना अंगुलियों के दस्ताने, मुक्केबाजी के दस्ताने, सलाई से बने हुए या क्रोशियाकारी किए हुए, न तो लचीले और न रबड़ मिलाए हुए।
60.03	लम्बे मोजे, आधे मोजे, मोजे, टखने के मोजे, साकेट और ऐसी ही वस्तुएं, सलाई से बने हुए या क्रोशिया से बने हुए, लचीले बनाए हुए या रबड़ चढ़ाए हुए नहीं।
60.04	अन्दर पहनने की पोशाकें, सलाई से बनी हुई या क्रोशियाकारी की हुई, न तो लचीली बनाई हुई और न रबड़ चढ़ाई हुई।
60.05	ऊपर पहनने की पोशाकें और अन्य वस्त्र, सलाई से बुनी हुई या क्रोशियाकारी की हुई, लचीली बनाई हुई या रबड़ चढ़ाई हुई नहीं।
60.06	सलाई से बने हुए या क्रोशियाकारी किए हुए वस्त्र और उनकी वस्तुएं, लचीले या रबड़ चढ़ाए हुए (लचीली घुटने की टोपियों और लचीले पूरे मोजों के सहित)।
	अध्याय—61
	सलाई से बने हुए और क्रोशियाकारी किए हुए माल से भिन्न सूती कपड़े के परिधानों की वस्तुएं और परिधानों की गौण वस्तुएं
61.01	पुरुषों और लड़कों की बाहरी पोशाकें।
61.02	महिलाओं, लड़कियों और बच्चों की बाहरी पोशाकें।

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
61·03	पुरुषों और लड़कों की आंतरिक पोशाकें जिन में कालर, कमीजों के अग्रभाग और कफ शामिल हैं।
61·04	महिलाओं, लड़कियों और बच्चों की अन्दर पहनने की पोशाकें।
61·05	रूमाल।
61·06	शाल, गुलूबन्द, मफलर, दुपट्टा, चादर और इसी तरह की वस्तुएं।
61·07	टाईयां, सरफन्दा टाईयां, गुलूबन्द।
61·08	कालर, जालीदार रूमाल, फ्लैल, अंगियों के अग्रभाग, झालर, कफ, लहंगे की झालर का कपड़ा, सिले हुए वस्त्रों के कंधे पर के भाग और महिलाओं तथा लड़कियों की पोशाकों के लिए इसी प्रकार की गौण वस्तुएं तथा गोटा पट्टियां।
61·09	चोलियां, चोलियों की पटियां, निलंबित-पेटियां ब्रेजियर बैसिस, गेटिस, गार्टर और इसी प्रकार की वस्तुएं (सलाई से बने हुए या क्रोशियाकारी के वस्त्र की ऐसी ही वस्तुओं सहित) चाहे इलास्टिक के हों या न हों।
61·10	दस्ताने, बिना अंगुलियों के दस्ताने, मुक्केबाजी के दस्ताने, पूरे मोजे, मोजे और साकेट, सलाई से बने हुए या क्रोशियाकारी किए हुए माल के न हों।
61·11	वेशभूषा की वस्तुओं के लिए तैयार गौण वस्तुएं (उदाहरणार्थ, [illegible], कन्धे के और अन्य पैड, पेटियां, मफस, आस्तीन के आवरण, पाकेट)।

अध्याय—62

वस्त्र की बनी हुई अन्य वस्तुएं

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
62·01	यात्रा में काम आने वाले कालीन और कम्बल।
62·02	बैड लिनन, टेबल लिनिन, टायलेट लिनिन और किचन लिनन, परदे और सजावट की अन्य वस्तुएं।
62·03	बोरे और थैले, माल को पैक करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक किस्म के।
62·04	तिरपाल, पाल, सायबान, झिलमिली, टैन्ट और कैम्प लगाने का माल।
62·05	वस्त्र की अन्य बनी हुई वस्तुएं (ड्रेस के नमूनों सहित)।

अध्याय—63

पुराना कपड़ा और कपड़े की अन्य वस्तुएं; चिथड़े

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
63·01	परिधान, परिधान की गौण वस्तुएं, यात्रा में काम आने वाले कालीन और कम्बल, घरेलू लिनन और सजावट करने की वस्तुएं (शीर्षक सं. 58·01, 58·02 या 58·03 में आने वाली वस्तुओं से भिन्न) वस्त्र सामग्री की, किसी भी सामग्री के जूते और हैडगियर, उत्तम वस्त्र के प्रदर्शनीय चिन्ह, थोक में या गांठों में आयात किए हुए बोरे या इसी प्रकार की पैक करने की थोक में सामग्री।
63·02	उपयोग किए हुए या नए चिथड़े, सुतली की कतरन, कार्डेज, रस्से और केबल और सुतली, कार्डेज, रस्सों और केबलों की टूटी-फूटी वस्तुएं।

खण्ड—12

जूते, हैडगियर, छाते, छोटे छाते, कोड़े, घुड़सवारी के चाबुक और उनके भाग; तैयार पंख और उनसे बनी हुई वस्तुएं; कृत्रिम फूल; मानव बालों की वस्तुएं; पंखे

अध्याय—64

जूते, गेटर और इसी प्रकार की वस्तुएं; ऐसी वस्तुओं के भाग

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
64·01	रबड़ या कृत्रिम प्लास्टिक सामग्री के बाहरी तल्लों, और ऊपरी भाग के साथ जूते।
64·02	चमड़े या मिलावटी चमड़े के बाहरी तल्लों के साथ जूते; जूते (शीर्षक सं. 64·01 में आने वाले जूतों से भिन्न) जिनके बाहरी तल्ले रबड़ या कृत्रिम प्लास्टिक की सामग्री के हों।
64·03	काष्ठ या कार्क के बाहरी तल्लों वाले जूते।
64·04	अन्य सामग्री के बाहरी तल्लों वाले जूते।
64·05	धातु से भिन्न किसी भी सामग्री के जूता के भाग (जिनमें ऊपरी भाग, आंतरिक तल्ले और एड़ियों के पंच शामिल हैं)।
64·06	गेटर, मोजे के गिलाफ टखनावरण, पट्टियां, क्रिकिट पैड, पिंडली रक्षक और समान वस्तुएं और उनके भाग।

अध्याय—65

सिर के पहनावे और उनके भाग

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
65·01	हैट फार्मस, हैट बाडीज और नमदे के हुड्स, जो न तो आकार के लिए ब्लाक किया हुआ हो और न किनारे बना हुआ हो, प्लेटोक्स और मनचोन्स (स्लिट मनचोन्स सहित) नमदे के।
65·02	हैट के आकार, शिकन डाले हुए या किसी भी प्रकार की सामग्री की पट्टियों से गूंथे हुए, न तो आकार में ढाले हुए और न किनारे बने हुए।
65·03	नमदे के हैट और नमदे के बने सिर के अन्य पहनावे, शीर्षक सं. 65·01 में आने वाले नमदे के हुड और प्लेटोक्स से बने हुए सिर के पहनावे, रेखाएं डाले हुए या सजावट किए हुए हों या नहीं।

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
65.04	हैट और सिर के अन्य पहनावे, परत डाले हुए या किसी भी सामग्री की अन्य पट्टियों से बनाए हुए, चाहे रेखाएं डाले हुए या सजावट किए हुए हों या नहीं।
65.05	हैट और सिर की अन्य पहनावे (बालों की जालियों सहित), सलाई से बुने हुए या कोशिया-कारी किए हुए, गोटे, नमदे, या खंडों में अन्य वस्त्र रेशों से बने हुए (परन्तु पट्टियों से बने हुए नहीं), चाहे रेखाएं डाले हुए या सजावट किए हुए हों या नहीं।
65.06	सिर के अन्य पहनावे, चाहे रेखाएं डाले हुए या सजावट किए हुए हों या नहीं।
65.07	सिर बन्धक, अस्तर, आवरण, हैट के आधार, हैट के ढांचे (ओपेरा हैट के लिए स्प्रिंगदार ढांचे सहित), शिखर और ठोडी स्ट्रेप्स सिर के पहनावे के लिए।

अध्याय-66

छाते, छोटे छाते, भ्रमण में काम आने की छड़ियां, कोड़े, घुड़सवारी के चाबुक और उनके भाग

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
66.01	छाते और छोटे छाते (भ्रमण की छड़ियों वाले छातों के टेन्ट और उद्यानों के छातों तथा इसी प्रकार के छातों सहित)।
66.02	भ्रमण की छड़िया (चढ़ाई पर काम आने वाली छड़ियों और सीट की छड़ियों सहित), बेंत, कोड़े, घुड़सवारी के चाबुक और इसी प्रकार की वस्तुएं
66.03	पुर्जे, जुड़नार, गोटा-पट्टिया और शीर्षक सं. 66.01 या 66.02 में आने वाली वस्तुओं के उप-साधक।

अध्याय-67

तैयार किए हुए पंख और कोमल पंख और पंख या कोमल पंख से बनी हुई वस्तुएं; कृत्रिम फूल; मानव के बालों की वस्तुएं; पंखे

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
67.01	पंख और कोमल पंख के साथ पक्षियों के चर्म और अन्य भाग, पंख के भाग, कोमल पंख और उनकी वस्तुएं (शीर्षक सं. 05.07 के अन्तर्गत आने वाले माल और काम किए गए पंख और पंखपिच्छ से भिन्न)।
67.02	कृत्रिम फूल, पर्ण समूह या फूल और उनके भाग; कृत्रिम फूलों, पर्ण समूहों या फलों से बनाई गई वस्तुएं।
67.03	मानव के बाल, संवारे हुए, मुलायम किए हुए, विरंजित या अन्य प्रकार से काम किए हुए ऊन या पशु के बाल या अन्य बालों के टोप और इसी प्रकार की वस्तुएं बनाने में उपयोग के लिए तैयार किए गए हों।
67.04	विग, नकली दाढ़िया, भौंहे, बरौनियां; बरौनिया, लटें और इसी प्रकार की वस्तुएं, मानव या पशु के बालों की या वस्त्र की; मानव बालों की अन्य वस्तुएं (बालो की जालियों सहित)।
67.05	पंखे और दस्ती परदे, गैर मशीनी, किसी भी सामग्री के; उनके ढांचे और मूठ और ऐसे ढांचों और मूठों के हिस्से, किसी भी सामग्री के।

खण्ड-13

पत्थर, पलस्तर, सीमेन्ट, एस्बेस्टोस, अभ्रक की और इसी प्रकार की सामग्री की वस्तुएं; मृतिका उत्पाद; कांच और कांच के बर्तन

अध्याय-68

पत्थर, पलास्टर, सीमेन्ट, एस्बेस्टोस, अभ्रक और इसी प्रकार की सामग्री की वस्तुएं।

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
68.01	प्राकृतिक पत्थर (स्लेट को छोड़कर) के सड़क और खड़ंजे के सेट, चक्के और पटिया-पत्थर।
68.02	स्मारक निर्माण या भवन निर्माण का शिल्पकारी किया हुआ पत्थर और उस की वस्तुएं (पच्चीकारी किए हुए घनो सहित), शीर्षक सं 58.01 में या अध्याय 69 में आने वाले माल से भिन्न।
68.03	शिल्पकारी की हुई स्लेट और स्लेट की वस्तुएं पिंडीभूत स्लेट की वस्तुओं सहित।
68.04	मिल स्टोन, माम, सान के पहिये और इसी प्रकार की वस्तुएं (घर्षण करने, तेज करने, पालिश करने, सीधा करने और काटने के पहियों, शीर्षों, तश्तरियों और प्वाइन्ट्स सहित), प्राकृतिक पत्थर के (पिंडीभूत हों या नहीं), पिंडीभूत प्राकृतिक या कृत्रिम अपघर्षकों के, या कुम्भकारी के साथ और उसके बिना कोर्स, शैन्क, मार्केट, एक्सल और अन्य सामग्री की इसी प्रकार की वस्तुओं किन्तु उन पर चौखटे का कार्य न हुआ हो; ऐसे पत्थरों और पहियों के सब अन्य तैयार हिस्से, प्राकृतिक पत्थर के (पिंडीभूत किया हुआ हो या नहीं)। पिंडीभूत प्राकृतिक या कृत्रिम एब्रेसिव, का कुम्भकारी के।
68.05	हाथ से पालिश करने के पत्थर, सान के पत्थर, सिल्लियां, धार बनाने के पत्थर और इसी प्रकार के पत्थर, प्राकृतिक पत्थर के, पिंडीभूत प्राकृतिक या कृत्रिम एब्रेसिव के, या कुम्भकला के।
68.06	प्राकृतिक या कृत्रिम एब्रेसिव पाउडर या दाने, कागज के, गत्ते के या अन्य स्वच्छ सामग्री के बने हुए वस्त्र के आधार पर, चाहे आकार में कटे हुए हो या चिरे हुए, या अन्य प्रकार से बने हुए हों या नहीं।

शीर्षक सं.	वस्तु विवरण
68.07	धातुमल की ऊन, शैल ऊन और इसी प्रकार की खनिज ऊन; परत उतारी हुई कृमक, विस्तारित क्ले, फेनिल धातुमल और इसी प्रकार की विस्तारित खनिज सामग्री; उष्मारोधन, ध्वनिरोधन, या ध्वनिशोषक खनिज सामग्री के मिश्रण और वस्तुएं, शीर्षक सं. 68.12 या 68.13 या अध्याय 69 में आने वाली सामग्री से भिन्न।
68.08	अस्फाल्ट की या इसी प्रकार की वस्तुएं (उदाहरणार्थ पैट्रोल बिटुमन की या कोलतार की राल)।
68.09	वनस्पति रेशे, लकड़ी के रेशे, पुआल, लकड़ी की चीरण या लकड़ी की रद्दी (बुरादे सहित) के पट्ट, तख्ते, ईंटें, खंड और इसी प्रकार की वस्तुएं, सीमेन्ट, प्लास्टर या अन्य खनिज बन्धक तत्वों से पिंडीभूत।
68.10	प्लास्टर करने की सामग्री की वस्तुएं।
68.11	सीमेन्ट (धातुमल सीमेन्ट सहित) की, कंक्रीट की या कृत्रिम पत्थर की वस्तुएं (सीमेन्ट के साथ पिंडीभूत की हुई दानेदार संगमरमर सहित), पुनः बलयुक्त की हुई या न की हुई।
68.12	एस्बेस्टोज-सीमेन्ट की, सैल्यूलोस फाइबर-सीमेन्ट की या इसी प्रकार की वस्तुएं।
68.13	गढ़ा हुआ एस्बस्टोज और उसकी वस्तुएं (उदाहरणार्थ, एस्बस्टोज के गत्ते, धागे और रेशे; एस्बेस्टोज के कपड़े और जुड़नार), पुनः बलयुक्त किए हों या नहीं, शीर्षक सं. 68.14 में आने वाले माल से भिन्न; एस्बेस्टोज पर आधारित मिश्रण और एस्बेस्टोज और मेगनीसियम कार्बोनेट पर के आधार के साथ मिश्रण, और ऐसे मिश्रणों पर आधारित वस्तुएं।
68.14	घर्षण माल (सिग्मन्ट, डिस्क्स, वाशर्स स्ट्रिप्स, शीट्स, प्लेट्स रोल्स और इस से मिलते जुलते माल) ऐसी किस्म के माल जो ब्रेक, क्लचेस या इसी प्रकार के सामान के लिए उपयुक्त है और जिनका आधार एस्बेस्टोज, अन्य खनिज पदार्थ या सेल्यूलोज चाहे वह कपड़े या अन्य माल के साथ मिश्रित हो या नहीं हो।
68.15	क्रिया किया हुआ अभ्रक और अभ्रक की वस्तुएं, कागज या कपड़े के साथ बान्डिड अभ्रक स्पिलिटिंग सहित (उदाहरणार्थ, मेकानाइट और माइका-फोलियम)।
68.16	पत्थर की या अन्य खनिज पदार्थों की वस्तुएं (पीट की वस्तुओं सहित) जो अन्य कहीं विनिर्दिष्ट या शामिल न की गई हों।

शीर्षक सं.	वस्तु विवरण
	अध्याय-69
	सिरेमिक उत्पाद
	1. उष्मारोधी और तापसह सामान
69.01	उष्मारोधी ईंट, ब्लाक्स, टाइल्स और सिलिशियम फासिल मील्स या इसी प्रकार के सिलिशियस मिट्टी के अन्य उष्मारोधी सामान (उदाहरणार्थ, कीसेल्गूहर, ट्रिपोलाइट या डायटोमाइट)।
69.02	तापसह ईंट, ब्लाक्स, टाइल्स और इसी प्रकार के अन्य तापसह निर्माण के सामान किन्तु शीर्षक सं. 69.01 के अन्तर्गत आने वाले माल से भिन्न।
69.03	अन्य तापसह सामान (उदाहरणार्थ, रिटार्ट्स, क्रूसिबल, मफलस नोजल्स, प्लग्स, थूनी, खपरे, ट्यूब, पाइप्स छादन और राड) किन्तु शीर्षक सं. 69.01 के अन्तर्गत आने वाले सामान से भिन्न।
	2. मिट्टी के अन्य उत्पाद
69.04	बिल्डिंग बनाने की ईंट (जिसमें फर्श के ब्लाक्स, थूनी या फिलर टाइल्स और इसी से मिलते जुलते सामान शामिल हैं)।
69.05	छत बनाने की टाइल्स, चिमनी पात्र, ढक्कन, चिमनी लाइनर्स, कार्निक्स और अन्य निर्माणकारी सामान जिन में संरचनात्मक सामान शामिल हैं।
69.06	पाइपिंग, जल प्रणाली और नालियों के (कोणों, बन्धकों और अन्य सामान जुड़नारों सहित)।
69.07	सेट्स, फ्लेग्स और खड़जा, अंगीठी और दीवार की टाइल्स जो चमकीली न हो।
69.08	सेट्स, फ्लेग्स और खड़जा, अंगीठी और दीवार की टाइल्स जो चमकीली न हो।
69.09	प्रयोगशाला, रासायनिक या औद्योगिक वर्तन, नाद ग्राही पात्र टब और कृषि में उपयोग किए जाने वाले किस्म के पात्र; जार और माल के ले जाने या पैकिंग करने में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले किस्म के पात्र;
69.10	सिंक्स, वाश बेसिन, बिडेट्स, वाटर क्लोजेट पेन्स, मूत्रालय, स्नानगृह और इसी प्रकार की सफाई संबंधी वस्तुएं।
69.11	मेज के पात्र और ऐसी प्रकार की प्रोसिलेन या चीनी मिट्टी की वस्तुएं (जिन में बिस्कुट प्रोसिलेन और पेरियन शामिल हैं) जो सामान्यतः घरेलू अथवा टायलेट के प्रयोजन के लिए हैं।
69.12	मेज के बरतन और अन्य किस्म के बरतनों की वस्तुएं जो साधारणतः घरेलू या टायलेट प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाती हैं और कुम्भकारी की अन्य किस्मों के।

शीर्षक सं.	वस्तु विवरण
69.13	लघु प्रतिमाएं और अन्य आभूषण और वैयक्तिक सजावट की वस्तुएं; फर्नीचर की वस्तुएं।
69.14	अन्य वस्तुएं।

अध्याय-70

कांच और कांच के बर्तन

शीर्षक सं.	वस्तु विवरण
70.01	वेस्ट कांच (कल्लेट) ; द्रव्यमान में कांच (प्रकाशीय कांच को छोड़ कर)।
70.02	ऐसी किस्म का कांच जो "एनामिल" कांच के नाम से जाना जाता है, द्रव्य, राड एवं ट्यूब में।
70.03	बाल, राड, और ट्यूब में कांच और ऐसा कांच जिस पर कोई क्रिया नहीं की गई हो (प्रकाशीय कांच न हो)।
70.04	बिना क्रिया किया हुआ, ढाला हुआ या काच (फ्लेशड कांच सहित), आयताकार में। चाहे चित्रित हो या न हो, आयताकार में।
70.05	बिना क्रिया किया हुआ ड्रान या ब्लोन कांच (फ्लेशड कांच सहित), आयताकार में।
70.06	ढाला हुआ, रोल्ड, ड्रान या ब्लोन कांच (फ्लेशड या वायर्ड कांच सहित), आयताकार में, सर्फेस ग्राउन्ड या पालिश किए हुए, किन्तु इससे आगे कोई क्रिया नहीं की गई हो।
70.07	ढाला हुआ रोल्ड, ड्रान या ब्लोन कांच (फ्लेशड या वायर्ड काच सहित) शेप में काटा हुआ, आयताकार शेप से भिन्न या मुड़ा हुआ या अन्यथा रूप से क्रिया किया हुआ (उदाहरणार्थ क्रिया किए हुए या नकश किए हुए किनारे) चाहे सर्फेस ग्राउन्ड या पालिश किए हुए हों या नहीं; बहु-तह वाला पृथक्कारी काच, लेडिड लाइट और इसी प्रकार के सामान।
70.08	सुरक्षा कांच जिसमें सख्त या परतदार कांच, शेप्ड या बिना शेप्ड में भी शामिल है।
70.09	आइने (पीछे देखने के आइनों सहित), बिना फ्रेम किए हुए, फ्रेम किए हुए या बैक्ड।
70.10	कार्बटाय, बोतलें, मरतबान, बरतन, नलाकार धारक और इसी प्रकार के धारक, ऐसे कांच के जो साधारणत. परिवहन या पैकिंग के सामान में प्रयोग किए जाते हैं; स्टापर्स और अन्य कांच के क्लोजर्स।
70.11	बिजली के लैम्प्स, इलैक्ट्रानिक वाल्वस या इसी प्रकार के अन्य सामान के लिए शीशे के एन्वलप (बल्ब और ट्यूब सहित)
70.12	वेक्यूम फ्लास्क या अन्य वेक्यूम बरतनों के लिए ग्लास इनर्स।
70.13	शीशे के सामान (शीर्षक सं. 70.19 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं से भिन्न) ऐसी किस्म के जो मेज, रसोई, टायलट या आफिस प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाते हैं जो अन्दर की सजावट के लिए या इसी प्रकार के अन्य उपयोग के लिए प्रयोग किए जाते हैं।
70.14	सजावटी कांच के सामान, सिगनल देने वाले शीशे के सामान और कांच के आप्टिकल एलिमेन्ट जो आपटिकली क्रिया न किए गए हों और न ही आप्टिकल कांच के हों।
70.15	घड़ियाल (क्लाक) और घड़ियों के शीशे और इसी प्रकार के शीशे (इन में सनग्लास के लिए प्रयोग में आने वाली किस्म के शीशे भी शामिल हैं किन्तु करेक्टिव लेन्सेज के लिए उपर्युक्त शीशे को छोड़कर), टेढ़े किए हुए, मोड़े हुए, धंसे हुए और इसी प्रकार के अन्य शीशे; गोल शीशे और ऐसी किस्म के गोल सेग्मेन्ट जिनका प्रयोग घड़ियाल और घड़ियों के शीशों के विनिर्माण में किया जाता है।
70.16	ऐसी किस्म की ईंट, टाइल्स, स्लेब्स, पेविंग ब्लाक्स, स्कवेयर्स और प्रेस्ड या मोल्डिड कांच जिन का साधारणतया उपयोग बिल्डिंग बनाने में किया जाता है; ब्लाक्स में मल्टी-सेलुलर ग्लास, स्लेब्स, प्लेट्स पेनल्स और इसी प्रकार के रूपों में अन्य वस्तुएं।
70.17	प्रयोगशाला, स्वास्थ्य सम्बन्धी और भेषज संबंधी कांच के बर्तन चाहे वे अंशांकित या व्यास मापांकित हों या न हों; कांच की छोटी नालियां।
70.18	प्रकाशकीय कांच और प्रकाशकीय कांच के तत्व, प्रकाशकीय कार्य किए हुए तत्वों से भिन्न; शोधक चश्मों के लेन्सों के लिए ब्लैंक।
70.19	कांच के मनके, नकली मोती, नकली बहुमूल्य और कम बहुमूल्य रत्न, फ्रेगमेन्ट और चिपिंग और तुल्य श्रृंगार युक्त या सजावटी कांच का छोटा सामान और उससे बनी हुई वस्तुएं; मोसाइक्स और इसी प्रकार के सजावटी कार्यों के लिए कांच के क्यूब्स और छोटी कांच क प्लेटें चाहे किसी आधार पर हों अथवा नहीं, कांच की नकली आंखें इन में खिलौने की नकली आंखें भी शामिल हैं, किन्तु इन में मानव द्वारा पहनी जाने वाली आंखें शामिल नहीं हैं, आभूषण और लैम्प-वर्कड कांच की अन्य सजावटी वस्तुएं; काच के कण (बैलोटिनी)।
70.20	कांच रेशा (ऊन सहित), सूत, वस्त्र और उनसे बनी हुई वस्तुएं।
70.21	कांच की अन्य वस्तुएं।

शीर्षक सं.	वस्तु विवरण
	खण्ड-14
	मोती, बहुमूल्य तथा कम बहुमूल्य रत्न, बहुमूल्य धातुएं, सिक्के बेल्लित बहुमूल्य धातुएं तथा उनकी वस्तुएं; नकली आभूषण सिक्के
	अध्याय-71
	मोती, बहुमूल्य तथा कम बहुमूल्य रत्न, बहुमूल्य धातुएं, बेल्लित धातुएं और उनकी वस्तुएं; नकली आभूषण,
	1. मोती और बहुमूल्य और कम बहुमूल्य पत्थर
71.01	मोती, जिन पर काम किया गया हो या बिना काम किए हुए, किन्तु नग बनाए हुए व्यवस्थित किए हुए या पिरोए हुए नहीं (यातायात की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से पिरोए हुए गैर-वर्गित मोतियों को छोड़कर)।
71.02	बहुमूल्य और कम बहुमूल्य रत्न, जिन पर काम नहीं किया गया हो, काटे हुए या अन्य प्रकार से काम किया गया हो, किन्तु नग बनाए हुए, व्यवस्थित किए या पिरोए हुए नहीं (यातायात की सुविधा के लिए अस्थायी रूप में पिरोए हुए गैर-वर्गित रत्नों के अतिरिक्त)।
71.03	संश्लिष्ट अथवा पुन:निर्मित बहुमूल्य या कम बहुमूल्य रत्न जिन पर काम न किया गया हो, कटाई किए गये या अन्यथा काम किए गए, किन्तु नग बनाए हुए, व्यवस्थित किए हुए या पिरोए हुए नहीं हों (यातायात की सुविधा के लिए अस्थाई रूप से पिरोए हुए गैर-वर्गित रत्नों के अतिरिक्त)।
71.04	प्राकृतिक अथवा संश्लिष्ट बहुमूल्य या कम बहुमूल्य रत्नों की धूल और चूर्ण।
	2. बहुमूल्य धातुएं और बेल्लित बहुमूल्य धातुएं, अपरिष्कृत, बिना गढ़ी हुई अथवा अर्ध विनिर्मित।
71.05	रजत, जिस में रजत गिल्ट और प्लेटिनम प्लेटिड रजत, अपरिष्कृत या अर्द्ध-विनिर्मित।
71.06	बेलित रजत पर कोई कार्य नहीं किया गया हो या अर्द्ध-निर्मित।
71.07	सोना, जिस में प्लेटिनम-प्लेटिड सोना, अपरिष्कृत और अर्द्ध-निर्मित।
71.08	बेल्लित सोना या बेस धातु या रजत जिस पर कोई कार्य नहीं किया गया हो या अर्द्ध-निर्मित।
71.09	प्लेटिनम और प्लेटिनम वर्ग के अन्य धातु, अपरिष्कृत या अर्द्ध-निर्मित।
71.10	बेल्लित प्लेटिनम या अन्य प्लेटिनम वर्ग के धातु; बेस धातु या बहुमूल्य धातु जिन पर कोई काम किया गया हो या अर्द्ध-निर्मित।
71.11	सुनार, चांदी के जेवर बनाने वाले और जौहरी की झाड़, अवशेष, लेमल्स और बहुमूल्य धातु के अन्य वेस्ट और स्क्रेप।
	3. जौहरी, सुनार और चांदी के जेवर बनाने वालों के बर्तन और अन्य वस्तुएं
71.12	बहुमूल्य धातु या बेलित बहुमूल्य धातु की जेवरात की वस्तुएं और उनके भाग।
71.13	सुनार की वस्तुएं या चांदी बनाने वालों के बर्तन और उनके भाग जो बहुमूल्य धातु या बेलित बहुमूल्य धातु के बने हुए हों और जो शीर्षक सं. 71.12 के अन्तर्गत आने वाले माल से भिन्न हों।
71.14	बहुमूल्य धातु या बेलित बहुमूल्य धातु की अन्य वस्तुएं।
71.15	ऐसी वस्तुएं जिन में मोती, बहुमूल्य या कम बहुमूल्य रत्न संगत या सम्मिलित हों (प्राकृतिक, सिन्थेटिक या पुन: तैयार किए हुए)।
71.16	नकली जेवरात।
	अध्याय-72
	सिक्का
	72.01 सिक्का
	खण्ड-15
	आधार धातुएं और उनकी वस्तुएं
	अध्याय-73
	लोहा एवं इस्पात और उनकी वस्तुएं
73.01	कच्चा लोहा, ढलवां लोहा और दर्पण लोहा पिण्डों में, गुटके, ढेले और इसी प्रकार की आकृतियों में।
73.02	लोहा-मिश्र धातुएं।
73.03	लोहा या इस्पात की रद्दी और कतरन।
73.04	लोहे या इस्पात की गुटिका और कोणीय गिट्टियां चाहे वर्गित हों या नहीं; लोहे या इस्पात के तार पैलेट्स।
73.05	लोहा या इस्पात का चूर्ण; स्पन्ज लोहे या इस्पात।
73.06	गारा की सलाखें और पिलिंग्स; लोहे या इस्पात की सिल्लियां, ब्लाक्स, लम्प्स और इसी प्रकार की आकृतियां।
73.07	लोहे या इस्पात के ब्लूम्स, बिलेट्स, स्लेब्स और खुरदर सलाखें (टिन प्लेट सलाखों सहित); लोहे या इस्पात की ढलाई द्वारा खुरदरे आकार के टुकड़े।
73.08	पुन: बेलनाकार बनाने के लिए लोहे या इस्पात के कुंडल।
73.09	लोहे या इस्पात की यूनिवर्सल प्लेट्स।
73.10	लोहे या इस्पात की छड़ें या सलाखें (तार की सलाखों सहित), गर्म-बेलित, गढ़ी हुई, नि:स्सारित कोल्डफार्मड अथवा कोल्ड फिनिश्ड (सूक्ष्मता से निर्मित सहित); खान को खोखली करने के लिए बर्मा इस्पात।
73.11	लोहे या इस्पात के कोण, आकृतियां और खण्ड गर्म-बेलित, गढ़े हुए नि:सारित, कोल्ड

शीर्षक सं.	वस्तु विवरण
	फार्मड या कोल्ड फिनिश्ड; लोहे या इस्पात की पिलिंग शीट चाहे, वे वर्मा की हुई, पंच की हुई या तत्वों के संघटन से बनाई गई हों या नहीं।
73.12	लोहे या इस्पात का छल्ला और फीता, हाट-रोल्ड अथवा कोल्ड रोल्ड।
73.13	लोहे या इस्पात की शीट्स और प्लेटें, हाट-रोल्ड अथवा कोल्ड-रोल्ड।
73.14	लोहा एवं इस्पात तार, चाहे कोटिड हों या नहीं किन्तु पृथक्कारी नहीं हो।
73.15	शीर्षक में 73.06 में 73.14 तक में यथा उल्लिखित अनुरूप मिश्रधातु इस्पात एवं हाई कार्बन इस्पात।
73.16	रेल एवं ट्रामसार्ग के निर्माण के लिए लोहे अथवा इस्पात का निम्नलिखित माल; पटरियां, रोक पटरियां, स्विच ब्लेड्स, कैंची (या फ्राग) कैंची के टुकड़े, कांटे की रोडें, रैक पटरियां, स्लीपर, जोड़ पट्टियां कुर्सियां, च्येयर वेजिज, तल पट्टे (बेस प्लेट्स) रोल क्लिप्स, तल पट्टी, तान और जोडनें अथवा पटरियों को स्थिर करने के लिए अन्य विशेष माल।
73.17	ढलवें लोहे की ट्यूब और पाइप ।
73.18	ट्यूब और पाइपें उनके ब्लैंक्स, लोहा (ढलवे लोहे से भिन्न) या इस्पात के अधिक दाब वाले हाइड्रोइलैक्ट्रिक कन्ड्यूट को छोड़कर।
73.19	इस्पात के अधिक दाब वाले हाइड्रो-इलैक्ट्रिक कन्ड्यूट चाहे वे प्रबलित हो या नहीं हो।
73.20	लोहे अथवा इस्पात की ट्यूब और पाइप फिटिंग्स (उदाहरणार्थ, जोड़, एल्बो यूनियन्स और फ्लेन्जेस) ।
73.21	विनिर्माण और निर्माण संबंधी पुर्जे (उदाहरणार्थ हेंगर्स और अन्य बिल्डिंग पुल और पुल सेक्शन्स लाक गेट बुर्ज, जालीदार मास्ट्स, छतें, छत के ढांचे, दरवाजे एवं खिड़कियों के ढांचे, शटर्स, बालस्ट्रड्स, पिल्लर्स एवं कालम) लोहे अथवा इस्पात के; प्लेट्स, स्ट्रिप्स, राड एंग्लस, शेप्स, सेक्शन ट्यूब और निर्माण में प्रयोग के लिए इसी प्रकार के तैयार किए गए लोहे तथा इस्पात के सामान।
73.22	रिजरवर्स, टैंक्स, वेट्स और इसी प्रकार की पात्र जो लोहे अथवा इस्पात किसी भी माल (संपीड़क और लिक्वफाइड गैस से भिन्न) के हों और जिस की क्षमता 300 l से अधिक की हो, चाहे वे लाइन्ड हों अथवा ताप प्रथक कारी हो/नहीं हो किन्तु मेकेनिकल या थर्मल उपकरण के साथ हों ।
73.23	चद्दर या लोहा प्लेट या इस्पात के कास्क ड्रम कनस्तर बक्से और मिलते-जुलते पात्र ऐसी किस्म के जो साधारणत. यातायात या माल के पैकिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं।
73.24	संपीडित अथवा द्रवी कृत-गैस के लिए लोहे तथा इस्पात के पात्र।
73.25	पृथक्कारक विद्युत के केबल को छोड़कर गुच्छेदार तार, केबल कॉर्डेज रस्सियां मिलवटी, बैंड, स्लिंग एवं इसी प्रकार के लोहे या इस्पात के तार।
73.26	घेराबंदी के प्रयोग के लिए कांटेदार लोहे अथवा इस्पात को तार; मोड़ी हुए, इकहरी चपटी तार, कांटेदार हो या कांटेदार न हो और लोहे अथवा इस्पात के घेराबन्दी के प्रयोग में लाने वाली किस्म के ढीले मोड़े हुए दोहरे तार।
73.27	लोहे अथवा इस्पात तार की जाली, कपड़ा, ग्रिल, नेटिंग, बाड़, रिएन्फोर्सिंग फेब्रिक और इसी प्रकार के माल।
73.28	फैलाई हुई धातु, लोहा या इस्पात की।
73.29	लोहे अथवा इस्पात की चैन और उस के पुर्जे।
73.30	लोहे अथवा इस्पात के लंगर और कांटा और उसके पुर्जे।
73.31	लोहे अथवा इस्पात के कील, टेक्स स्टेपल्स हुक, कील, नालीदार कील, स्पाउक्ड हुक कील, स्पाइक्स, एवं ड्राइंग पिन चाहे हेड्स अन्य सामग्री के हों या न हों किन्तु ऐसी वस्तुओं को छोड़कर जिन के हेड्स ताम्बे के हों।
73.32	लोहे अथवा इस्पात के बोल्ट और नट (बोल्ट और स्क्रू स्टड्स सहित) थ्रेडिड अथवा टेप्ड और स्क्रू (स्क्रू हुक और स्क्रू छल्लों सहित); रिवेट्स, कॉटर-कॉटरपिन्स, लोहे अथवा इस्पात के वाशर्स और स्प्रिंग वाशर्स।
73.33	हाथ की सिलाई के लिए सुइयां (बेलबूटों सहित) हाथ से बनाने वाली दरियों की सुइयां और हाथ से बुनाई करने के लिए सुइयां, बोडकिन्स क्रोशेट हुक और इसी से मिलती-जुलती वस्तुएं और लोहे अथवा इस्पात के बेल-बूटों के स्टिलेटोस।
73.34	पिन (हेट पिन और अन्य आभूषण को पिन और ड्राइंग पिन को छोड़कर) बालों के पिन और कर्लिंग मूठ लोहे तथा इस्पात के।
73.35	लोहे अथवा इस्पात के स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग और पात।
73.36	स्टोव (केन्द्रित ताप के लिए सहायक बायलर्स के साथ स्टोव सहित) रेन्जेस, कुकर्स, ग्रेट्स, फायर्स और अन्य स्पेस हीटर्स, गैस रिंग्स, बरनर्स के साथ प्लेट वारमर्स, ग्रेट्स के साथ वाश बायलर्स या अन्य गर्म करने वाले पदार्थ और इसी प्रकार के उपकरण लोहे अथवा इस्पात की

शीर्षक सं.	वस्तु विवरण
	ऐसी किस्म के जो घरेलू कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो बिजली से न चलते हों और उन के पुर्जे।
73·37	लोहे अथवा इस्पात के बायलर्स (शीर्षक सं. 84·01 के बायलर्स को छोड़कर) सेन्ट्रल हीटिंग के लिए रेडिएटर्स, जो बिजली से न तपाए जाते हों और उनके पुर्जे; लोहे अथवा इस्पात के एयर हीटर्स और एयर डिस्ट्रिब्यूटर्स नहीं (इन में वे भी शामिल हैं जो ठण्डी या वातानुकूल हवा दे सकते हैं), किन्तु विद्युत शक्ति से न गर्म किए जाते हों इनमें मोटर से चलने वाले पंखे अथवा ब्लोवर और उनके लोहे या इस्पात के पुर्जे।
73·38	लोहे अथवा इस्पात की ऐसी किस्म की वस्तुएं जो साधारणत: घरेलू प्रयोजनों के लिए और सेनिटरी सामान के लिए प्रयोग की जाती है और ऐसी वस्तुओं के पुर्जे और बर्तन।
73·39	लोहा अथवा इस्पात ऊन; लोहे अथवा इस्पात के स्कोरर और स्कोरिंग एवं पालिश करने के पेड्स, दस्ताने और इसी प्रकार की वस्तुएं।
73·40	लोहा तथा इस्पात की अन्य वस्तुएं।

अध्याय—74

ताम्बा और इससे बनी वस्तुएं

शीर्षक सं.	वस्तु विवरण
74·01	द्युतिहीन ताम्बा, कच्चा ताम्बा (परिष्कृत अथवा अपरिष्कृत) ताम्बे की छीजन एवं कतरन।
74·02	मूल मिश्रधातु।
74·03	ताम्बे की परिष्कृत सलाखें, राड, एंगल्स, शेप्स और सेक्शन्स, ताम्बे के तार।
74·04	ताम्बे की परिष्कृत प्लेट्स, शीट्स तथा स्ट्रिप
74·05	0·15 मि.मी. से कम मोटाई (समर्थन सामग्री रहित) वाली ताम्बे की पर्णि (उत्कर्ण, आकार में कटी हुई, छेद की हुई, मलम्मा चढ़ाई हुई, छपी हुई या कागज अथवा अन्य प्रबल पदार्थ द्वारा समर्थित अथवा बिना समर्थित)।
74·06	ताम्बे का चूर्ण तथा पपड़ियां।
74·07	ताम्बे की ट्यूब्स तथा पाइप तथा उसके ब्लेंक्स ताम्बे की खोखली छड़ें।
74·08	तांबे की ट्यूब्स तथा पाइप फिटिंग्स (उदाहरणार्थ जोड़, एल्बोज, साकेट्स और फ्लेंजिस)।
74·09	3001 से अधिक क्षमता वाले ताम्बे के हौज, टैंक्स वेट्स तथा इसी प्रकार के किसी भी माल के लिए पात्र (संपीड़ित एवं द्रवीकृत गैस से भिन्न) चाहे धारीदार अथवा ताप/रोधक हों या न हों लेकिन यांत्रिक अथवा ताप उपस्कर के साथ जुड़े हुए नहीं।
74·10	स्ट्रेन्डिड तार, केबल्स कार्ड्ज रस्से, प्लेटिड बैन्ड्स और इसी प्रकार के ताम्बे के तार, लेकिन विद्युत पृथककारी तार एवं केबल्स से भिन्न।
74·11	ताम्बे के तार की जाली, कपड़ा, ग्रिल, नेटिंग, बाड़, रिएन्फोर्सिंग फेब्रिक और इसी प्रकार के ताम्बे के तार के समान (अन्तरहित बेन्ड्स के साथ)।
74·12	ताम्बे की विस्तारित धातु।
74·13	ताम्बे की चैन और इसके पुर्जे।
74·14	ताम्बे की कील, टैक्स, स्टेपल्स, हुक कील, स्पाइक्ड क्रैम्स, स्टड्स, स्पाइक्स एवं ड्राइंग पिन अथवा लोहे या इस्पात की हों और जिनके हेड्स ताम्बे के बने हुए हों।
74·15	ताम्बे के बोल्ट्स और नट (बोल्ट एन्ड्स और स्क्रू स्टड्स सहित) चाहे वे थ्रेडिड अथवा टप्पड हों या न हों और स्क्रू (स्क्रू हुक और स्क्रू छल्ले सहित); ताम्बे के रिबेट्स कोटर्स, कोटर पिन्स, वाशर्स और स्प्रिंग वाशर्स।
74·16	ताम्बे के स्प्रिंग।
74·17	बिजली से न चलने वाला घरेलू उपयोग के लिए खाना बनाने एवं ताप देने वाला ताम्बे का एक प्रकार का उपकरण और उसके पुर्जे।
74·18	घरेलू उपयोग के लिए साधारणतया प्रयोग में आने वाली ताम्बे की अन्य वस्तुएं, घर में उपयोग के लिए ताम्बे के सफाई के पात्र और ऐसी वस्तुओं के पुर्जे एवं पात्र।
74·19	ताम्बे की अन्य वस्तुएं।

अध्याय—75

निकल और उसकी वस्तुएं

शीर्षक सं.	वस्तु विवरण
75·01	निकल पदार्थ, निकल स्पिसिस एवं निकल धातु विज्ञान के अन्य मध्यस्थ उत्पाद; बिना गढ़ा हुआ निकल (इलैक्ट्रोप्लेटिंग एनोड्स को छोड़कर), निकल की छीजन और कतरन।
75·02	गढ़ी हुई सलाखें, राड, एंगल्स, निकल के शेप्स एवं सेक्शन, निकल के तार।
75·03	निकल की गढ़ी हुई प्लेट्स, शीट्स एवं स्ट्रिप्स, निकल फायल; निकल का चूर्ण और पपड़ी।
75·04	निकल की ट्यूब्स एवं पाइप्स तथा ब्लैंक्स निकल की खोखली छड़ें और ट्यूब तथा पाइप फिटिंग (उदाहरणार्थ ज्वाइंट, एल्बोज, साकिट् एवं फ्लेंजिस)
75·05	निकल के इलैक्ट्रोप्लेटिंग एनोड्स गढ़े हुए अथवा बिना गढ़े हुए इसमें वे भी शामिल हैं जो विद्युत अपघटन द्वारा उत्पादित हों।
75·06	निकल की अन्य वस्तुएं।

अध्याय—76

एल्यूमीनियम और उसकी वस्तुएं

शीर्षक सं.	वस्तु विवरण
76·01	बिना गढ़े हुए एल्यूमीनियम; एल्यूमीनियम छीजन और कतरन।

शीर्षक सं.	वस्तु विवरण
76.02	एल्यूमीनियम की परिष्कृत सलाखें, राड, एंगल्स, शेप्स एवं सेक्शंस; एल्यूमीनियम के तार।
76.03	एल्यूमीनियम की गढ़ी हुई प्लेट्स, शीट्स एवं स्ट्रिप्स।
76.04	एल्यूमीनियम फायल (चाहे उत्कीर्ण, आकार अनुसार कटी हुई, छेद की गई, लेपित, छपी हुई या कागज अथवा अन्य पुन. प्रबल पदार्थ द्वारा समर्थित हो अथवा नहीं) जिसकी मोटाई (बिना बैंकिंग के) 0.20 मि.मी. से अधिक न हो।
76.05	एल्यूमीनियम चूर्ण तथा पपड़ी।
76.06	एल्यूमीनियम की ट्यूब्स एवं पाइप तथा इसके ब्लैंक्स; एल्यूमीनियम की खोखली छड़ें।
76.07	एल्यूमीनियम की ट्यूब तथा पाइप फिटिंग्स (उदाहरणार्थ ज्वाइन्ट्स, एल्बो, साकेट्स तथा फ्लैंजिस)।
76.08	एल्यूमीनियम के विनिर्माण और निर्माण संबंधी पुर्जे (उदाहरणार्थ हैंगर्स और अन्य निर्माण सामग्री पुल और पुल सेक्शन, बुर्ज, लेटिस मेस्ट्स छतें, छत के ढांचे दरवाजे एवं खिड़की के ढांचे, ब्लूस्ट्रेड्स, पिल्लर्स एवं कालम) एल्यूमीनियम की प्लेट्स राड, एंगल्स, शेप्स, सेक्शनस, ट्यूब्स और निर्माण कार्य में प्रयोग के लिए इसी प्रकार के तैयार किए गए एल्यूमीनियम के सामान।
76.09	3001 से अधिक क्षमता वाले एल्यूमीनियम के हौज, टैंक्स, वैट्स, और इसी प्रकार के किसी भी माल के लिए पात्र (संपीड़ित एवं द्रवीकृत गैस से भिन्न) चाहे वे धारीदार अथवा तापरोधक हों, या न हों, लेकिन यांत्रिक अथवा तापिक उपस्कर के साथ जुड़े हुए न हों।
76.10	एल्यूमीनियम के पीपे, ड्रम, बाल्टी, सन्दूक और इसी प्रकार के पात्र (कठोर तथा दबने वाली ट्यूब के पात्रों के साथ) जिनका प्रयोग साधारणतया सामान बांधने के लिए अथवा यातायात के लिए किया जाता है।
76.11	संपीड़ित अथवा द्रवीकृत गैस के लिए एल्यूमीनियम के पात्र।
76.12	एल्यूमीनियम तार के स्ट्रैंडिड वायर, केबल, कार्डेज, रस्से, प्लैटिड बैन्ड्स और इसी प्रकार के एल्यूमीनियम वायर लेकिन पृथक किये हुए विद्युत तार तथा केबल को छोड़कर।
76.13	एल्यूमीनियम तार की जाली, गाज कपड़ा, ग्रिल, नैटिंग, रिएन्फोर्सिंग फेब्रिक तथा इसी प्रकार के सामान।
76.14	एल्यूमीनियम की विस्तारित धातु।
76.15	घरेलू उपयोग के लिए सामान्य प्रयोग में आने घर में उपयोग के लिए सफाई के पात्र और ऐसी वस्तुओं के पुर्जे एवं पात्र।
76.16	एल्यूमीनियम की अन्य वस्तुएं।

अध्याय—77

मैगनिशियम और बेरिलियम तथा इसकी वस्तुएं

शीर्षक सं.	वस्तु विवरण
77.01	अपरिष्कृत मैगनिशियम, मैगनिशियम छीजन (समान आकार वाले शेविंग्स को छोड़कर) और कतरन।
77.02	मैगनिशियम की गढ़ी हुई सलाखें, राड, एन्गल्स, शेप्स तथा सेक्शन्स; मैगनिशियम वायरें; गढ़ी हुई प्लेट्स, शीट्स तथा मैगनिशियम की स्ट्रिप्स; मैगनिशियम फायल, समान; आकार वाले शेविंग्स तथा रैसपिंग्स, मैगनिशियम का चूर्ण तथा पपड़ी; मैगनिशियम की ट्यूब्स, पाइप तथा उसके ब्लैंक्स; मैगनिशियम की खोखली छड़ें।
77.03	मैगनिशियम की अन्य वस्तुएं।
77.04	अपरिष्कृत अथवा परिष्कृत बेरिलियम, एवं बेरिलियम की वस्तुएं।

अध्याय—78

सीसा और उसकी वस्तुएं

शीर्षक सं.	वस्तु विवरण
78.01	अपरिष्कृत सीसा (अर्जन्टीफेरस सीसे सहित), सीसे की छीजन एवं कतरन।
78.02	सीसे की गढ़ी हुई छड़ें, राड, एन्गल्स, शेप्स तथा सेक्शन्स; सीसे का वायर।
78.03	सीसे की गढ़ी हुई प्लेट्स, शीट्स तथा स्ट्रिप।
78.04	1700 ग्राम/एम² से कम भारी वाली सीसे की फायल (चाहे खुदी हुई हो या न खुदी हुई हो आकार के अनुसार कटी हुई, छेद वाली, लेपित, छपी हुई या कागज अथवा अन्य प्रबल पदार्थ द्वारा समर्थित हो या नहीं); सीसे का चूर्ण एवं पपड़ी।
78.05	सीसे की ट्यूब तथा पाइप और उसके ब्लैंक्स; खोखली छड़ें और ट्यूब तथा पाइप फिटिंग्स (उदाहरणार्थ ज्वाइन्ट्स एल्बो, साकिट्स, फलेंजिस तथा एस-बैन्ड्स)।
78.06	सीसे की अन्य वस्तुएं।

अध्याय—79

जस्ता और उसकी वस्तुएं

शीर्षक सं.	वस्तु विवरण
79.01	अपरिष्कृत जस्ता, जस्ता छीजन और कतरन।
79.02	जस्ते की गढ़ी हुई सलाखें, राड, एंगल्स शेप्स तथा सेक्शन्स; जस्ते के तार।
79.03	जस्ते की गढ़ी हुई प्लेट्स, शीट्स तथा स्ट्रिप्स वाली एल्यूमीनियम की एक प्रकार की वस्तुएं जस्ते की फायल; जस्ते का चूर्ण एवं पपड़ी।

शीर्षक सं.	वस्तु विवरण
79.04	जस्ते की ट्यूब्स और पाइप्स तथा उसके ब्लैंक्स; जस्ते की खोखली छड़ें और ट्यूब तथा पाइप फिटिंग्स (उदाहरणार्थ ज्वाइन्ट्स, एल्बो, सोकिट्स तथा फ्लैंजिस)।
79.05	जस्ते के गटर्स, छत की ऊपरी पट्टी, स्काइलाइटफ्रेम तथा अन्य गढ़े हुए इमारती संघटक।
79.06	जस्ते की अन्य वस्तुएं।

अध्याय--80

टिन और उसकी वस्तुएं

शीर्षक सं.	वस्तु विवरण
80.01	अपरिष्कृत टिन; टिन छीजन और कतरनें।
80.02	टिन की गढ़ी हुई छड़ें, राड, एंगल्स, शेप्स और सेक्शन्स; टिन वायर।
80.03	टिन की गढ़ी हुई प्लेट्स, शीट्स तथा स्ट्रिप।
80.04	1 कि. ग्रा./एम² से कम भार वाली (किसी समर्थन पदार्थ के बिना) टिन की फायल (चाहे खुदी हुई, आकार के अनुसार कटी हुई, छेद वाली, लेपित, छपी हुई या कागज अथवा अन्य प्रबल पदार्थ द्वारा समर्थित हो या नहीं); टिन का चूर्ण तथा पपड़ी।
80.05	टिन की ट्यूब तथा पाइप और उसके ब्लैन्क्स; टिन की खोखली छड़ और ट्यूब तथा पाइप फिटिंग्स (उदाहरणार्थ ज्वाइन्ट्स, एल्बो, साकिट्स तथा फ्लैंजिस)।
80.06	टिन की अन्य वस्तुएं।

अध्याय--81

धातु क्रम में प्रयोग किए जाने वाली अन्य आधार धातु और उसकी वस्तुएं

शीर्षक सं.	वस्तु विवरण
81.01	अपरिष्कृत अथवा परिष्कृत टंगस्टन (वुलफ्रेम) और उसकी वस्तुएं।
81.02	अपरिष्कृत अथवा परिष्कृत मोलिबडिनम और उसकी वस्तुएं।
81.03	अपरिष्कृत अथवा परिष्कृत टेन्टलमऔर उसकी वस्तुएं।
81.04	अन्य आधार धातु, अपरिष्कृत अथवा परिष्कृत और उनकी वस्तुएं; अपरिष्कृत अथवा परिष्कृत सरमेट्स और उनकी वस्तुएं।

अध्याय--82

आधार धातु के औजार, उपकरण-छुरी-कांटे, चम्मच और कांटे उनके पुर्जे

शीर्षक सं.	वस्तु विवरण
82.01	निम्नलिखित हाथ के औजार : फावड़े, बेलचे, गुदाले, कुदाली, कांटा, तथा जेली; कुल्हाड़ी बिल हुक और इसी प्रकार के चीरने वाले औजार; दरातियां, हंसिया, घास काटने वाले चाकू, घास काटने वाली कैंची, लकड़ी की फन्नी और इसी प्रकार के अन्य औजार जिनका प्रयोग कृषि, बागवानी या वनों में किया जाता है।
82.02	आरे (मशीन से न चलने वाले) और हाथ अथवा मशीन आरों के लिए ब्लेड (जिनमें दंतहीन आरा ब्लेड भी शामिल हैं)।
82.03	निम्नलिखित हाथ के औजार : चिमटे (काटने वाले चिमटे सहित), संडासी, चिमटी, टिनमेन्स स्निप्स, बोल्ट क्रोपर्स और इसी प्रकार के अन्य औजार; परफोरेटिंग पंच; पाइप कटर्स; स्पेनर्स तथा रैंचेस (नल के रैंचेस को छोड़कर); रेतियां और मोटी रेतियां।
82.04	हाथ औजारों के साथ काचकर्तक हीरा जो इस अध्याय के किसी भी शीर्षक के अन्तर्गत नहीं है; ब्लो लैम्पस एनविल्स; वाइसिस तथा क्लैम्प्स इनके लिए उपसंगी और पुर्जों को छोड़कर, मशीन औजार, सुवाह्य भट्टियां; ढांचे के साथ पीसने वाले चक्के (हाथ अथवा पांव से संचालित)।
82.05	हाथ औजारों, मशीन औजारों अथवा विद्युतशक्ति से संचालित हाथ औजारों के लिए अंतर्बदल औजार (उदाहरणार्थ प्रेसिंग, स्टैंपिंग, ड्रिलिंग, टैप्पिंग, थ्रेडिंग, बोरिंग, ब्रोचिंग, मिलिंग, कटिंग, टर्निंग, ड्रेसिंग, मार्टेसिंग अथवा स्क्रू ड्राविंग के लिए) जिनमें वायर ड्राइंग के लिए डाइयां, धातु के लिए एक्सट्रूशन डाइयां और राक ड्रिलिंग बिट्स भी शामिल हैं।
82.06	मशीन अथवा मशीनी उपकरणों के लिए चाकू और काटने वाले ब्लेड्स।
82.07	सिंटर्ड धातु कार्बाइड के बिना माउन्टिड औजारटिप्स और प्लेट्स स्टिक्स और टूलटिप्स के लिए और ऐसी ही वस्तुएं (उदाहरणार्थ टंगस्टन के कार्बाइड, मोलिबडिनम अथवा वेनाडियम)।
82.08	काफी मिल्स, मिनर्स, रस निकालने वाली मशीन और अन्य मशीनी उपकरण जिनका वजन 10 कि. ग्रा. से अधिक न हो और इसी प्रकार की वस्तुएं जो घरेलू कार्यों में खाद्य या पेय पदार्थों को पकाने, परोसने अथवा उनको अनुकूल बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं।
82.09	काटने वाले ब्लेड्स के साथ चाकू, दांतेदार अथवा नहीं (तराशने वाले चाकुओं के साथ) शीर्षक संख्या 82.06 के अन्तर्गत आने वालों से भिन्न।
82.10	चाकू ब्लेड्स।
82.11	रेजर और रेजर ब्लेड्स (जिनमें रेजर ब्लेड्स ब्लैंक्स चाहे वे स्ट्रिप्स में हों या न हों भी शामिल हैं)
82.12	कैंचियां (दर्जी की कैंची सहित) और उसके ब्लेड्स।
82.13	चाकू छुरी की अन्य वस्तुएं (उदाहरणार्थ कैन्चे, बालों में लगाने वाली चिमटी, कसाई

शीर्षक सं.	वस्तु विवरण
	द्वारा चीर फाड़ करने वाला, कागज काटने वाला चाकू); मैनिक्योर एवं पिडीक्योर सेट्स एवं उपकरण (नख-रेती सहित)।
82·14	चम्मच, कांटे, मछली खाने वालों के लिए, मक्खन लगाने वाला चाकू, कड़छी और इसी प्रकार के रसोईघर या मेज के बर्तन।
82·15	शीर्षक संख्या 82·09, 82·13 अथवा 82·14 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के लिए आधार धातु के हैंडल।

अध्याय–83

आधार धातु की विविध वस्तुएं

शीर्षक सं.	वस्तु विवरण
83·01	आधार धातु के ताले और पैडलांक (चाभी, पेंच-दार चाभी या विद्युत चालित); हैंड बैग्स, सन्दूक और इसी प्रकार के चौखटों के लिए पेंच दार ताले और ऐसे चौखटों के लिए आधार धातु के बने हुए पुर्जे; किसी भी ढले हुए पुर्जों के लिए आधार धातु की बनी हुई चाभियां।
83·02	फर्नीचर, दरवाजे, सीढ़ियां, खिड़कियां, परदे, सूत की चटाई, जीनसाजी, सन्दूक, सन्दूकचियां और इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं (आटोमेटिक डोर क्लोजर सहित) के लिए उपर्युक्त किस्म की आधार धातु की फिटिंग्स और माउन्टिंग्स आधार धातु के बने वैट रेक्स, हैटपेग्स, ब्रेकेट्स और इसी प्रकार की वस्तुएं।
83·03	आधार धातु की तिजोरियां, मजबूत बक्स, बख्तरबन्द अथवा प्रबलित कोष कक्ष, लाइनिंग कोष-कक्ष और कोष-कक्ष दरवाजे, रोकड़ और विलेख बक्स और इससे मिलते-जुलते सामान।
83·04	आधार धातु की मिसिल रखने की अलमारियां, रेक्स, सार्टिंग बक्से, पेपर ट्रेज, पेपर रेस्ट्स और इसी प्रकार के कार्यालय उपकरण, शीर्षक सं. 94·03 के अन्तर्गत आने वाले कार्यालय फर्नीचर से भिन्न।
83·05	फिटिंग्स या लूज लीफ बाइन्डर्स मिसिलों के लिए या स्टेशनरी पुस्तकों के लिए जो आधार धातु के हों; पत्रों के लिए क्लिप्स, पेपर क्लिप्स, स्टेप्ल्स; इंडेक्सिंग टेग्स और इसी प्रकार की आधार धातु का स्टेशनरी का सामान।
83·06	अन्दर प्रयोग की जाने वाली आधार धातु की बनी लघु प्रतिमाएं और इसी किस्म के अन्य आभूषण।
83·07	आधार धातु के बने लैम्प तथा रोशनी के लिए फिटिंग्स और उसके पुर्जे (शीर्षक संख्या 85·22 के अलावा अध्याय 85 के अन्तर्गत आने वाले स्विचिज, बिजली के बल्ब होल्डर, वाहनों के लिए बिजली के बल्ब, बिजली की बैटरी या मैगनेटो लैम्प्स तथा अन्य पुर्जों को छोड़कर)।
83·08	आधार धातु की बनी फ्लेक्सिबिल ट्यूबिंग एवं पाइपिंग।
83·09	हाथ के थैलों के लिए कलास्प्स और कलास्प्स के साथ फ्रेम और इसी प्रकार का सामान, बकेट, बक्कल्स, कल्प्स हुक, आईज, आइलेट्स और इसी प्रकार का सामान जो सामान्यतः कपड़ों, यात्रा के सामान, हाथ के थैलों, या अन्य कपड़े या चमड़े के माल में उपयोग किया जाता है, आधार धातु के ट्यूबलर रिवेट्स और बाइफरकेटेड रिवेट्स।
83·10	आधार धातु के मनके एवं सितारे।
83·11	आधार धातु के बेल्स एवं गांग्स जो बिजली के नहीं हैं और उनके आधार धातु के पुर्जे।
83·12	आधार धातु की फोटोग्राफ, तसवीरें और इसी प्रकार के फ्रेम्स; आधार धातु के आइने।
83·13	आधार धातु के स्टापर्स, क्राउन कार्क्स, बोतलों के ढक्कन, कैप्सूल्स, बंग कवर्स, सील और प्लोम्ब्स, केस कार्नर प्रोटेक्टर्स और पैकिंग की अन्य वस्तुएं।
83·14	आधार धातु की हस्ताक्षर प्लेट्स, नाम प्लेट्स, अंक, अक्षर और अन्य संकेत।
83·15	धातु आधार या धातु कार्बाइड के तार, राड, ट्यूब, प्लेट्स, इलैक्ट्रोड्स और इसी तरह के मिलते जुलते उत्पाद, फ्लक्स सामान के साथ कोटिड अथवा कोर्ड, वह किस्म जो धातु के अथवा धातु कार्बाइड के सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, वैल्डिंग अथवा अवतारण के लिए प्रयोग किए जाते हैं; धातु स्प्रेइंग के प्रयोग के लिए एग्लो-मिरेटिड आधार धातु चूर्ण के तार एवं राड।

खंड—16

बायलर्स, मशीन एवं मशीनी उपकरण और उसके पुर्जे विद्युत उपकरण और उनके पुर्जे

अध्याय—84

बायलर्स, मशीनरी एव यांत्रिक उपकरण और उसके पुर्जे

शीर्षक सं.	वस्तु विवरण
84 01	भाप और अन्य वाष्प उत्पादक बायलर (मुख्य तापक गर्म पानी करने वाला बायलर जो कम दबाव की भाप का उत्पादन करने की भी क्षमता रखता हो, उसे छोड़कर), सब से अधिक ताप वाले जल का बायलर।
84·02	शीर्षक संख्या 84·01 के बायलर के साथ प्रयोग में आने वाले सहायक संयन्त्र (उदाहरणार्थ किफायती, सुपर हीटर्स, काजल के हटाने वाला, गैस प्राप्त करने वाला और इससे मिलते जुलते); विद्युत एकक एवं वाष्प इन्जन के लिए कन्डेंसर्स।

शीर्षक सं.	वस्तु विवरण
84.03	गैस उत्पादक एवं जल गैस जनित्र, शोधक सहित अथवा उसके बिना; एसिटिलीन गैस जनित्र (जल प्रक्रिया) और उससे मिलते जुलते गैस जनित्र जो शोधक अथवा शोधक के बिना हों।
84.04	पूर्ण बायलर सहित भाप इन्जन (जिनमें मोबाइल इंजिन शामिल हैं लेकिन शीर्षक संख्या 87.01 के अन्तर्गत आने वाले भाप ट्रैक्टर अथवा मशीन से चलने वाले सड़क कूटने के इंजन शामिल नहीं हैं)।
84.05	भाप एवं अन्य वाष्प विद्युत एकक जिनमें बायलर शामिल नहीं हैं।
84.06	आन्तरिक वहन पिस्टन इन्जन।
84.07	हाइड्रालिक इन्जन एवं मोटर्स (जिनमें जल व्हील और जल टरबाइन्स भी शामिल हैं)।
84.08	अन्य इन्जन एवं मोटर्स।
84.09	मशीन से चलने वाले सड़क कूटने के इन्जन।
84.10	मापक यंत्रों के साथ अथवा उसके बिना द्रव्य के लिए पम्प (टर्बो पम्प तथा मोटर पम्प सहित); बकिट, चेन, स्क्रू, बैन्ड और इसी प्रकार की वस्तुओं के द्रव्य उत्पादक।
84.11	एयर पम्प, वैक्यूम पम्प और वायु अथवा गैस सम्पीडक एवं गैस टर्बाइन के लिए फ्री पिस्टन (सम्पीडक एवं गैस टर्बाइन के लिए फ्री पिस्टन जनित्र शामिल हैं) पंखे, ब्लोअर्स और इसी प्रकार की वस्तुएं।
84.12	वायु की नमी एवं ताप में परिवर्तन करने के लिए एलिमेन्ट और स्वतः पूर्ण एक मोटर चलित पंखे के साथ वातानुकूलन मशीन।
84.13	गैस के लिए अथवा चूर्णित ठोस ईन्धन के लिए अथवा तरल ईंधन के लिए दाहक भट्टी (आटोमाइजर्स); मेकैनिकल, स्टाकर्स मेकैनिकल ग्रेट्स, मेकैनिकल राख को हटाने वाला और उसी प्रकार के उपकरण।
84.14	विद्युत से इतर औद्योगिक एवं प्रयोगशाला भट्टियां और चूल्हे।
84.15	रैफ्रिजरेटर और प्रशीतन उपकरण (विद्युतीय और अन्य)।
84.16	केलेंडरिंग और इसी प्रकार की रोलिंग मशीनें (मेटल वर्किंग और मेटल रौलिंग मशीनें और ग्लास वर्किंग मशीनों से भिन्न) और उनके सिलिन्डर्स।
84.17	ऐसी प्रक्रिया जिसमें तापमान के परिवर्तन करन जैसे तापन, खाना बनाने, भूनने, आसवन करने, समंजित करने, जीवाणुनाश करने, वाष्पण करने, पास्तुरीकरण करने, भाप बनाने, सुखाने, वाष्प करने, भाप निकालने, सघन करने अथवा ठंडा करने के कार्य शामिल हैं उनके द्वारा माल की प्रक्रिया के लिए मशीनरी संयंत्र और इसी प्रकार के प्रयोगशाला उपस्कर चाहे वे विद्युत द्वारा तपाए जाएं या नहीं किन्तु ऐसी किस्म की मशीनरी या संयंत्र न हों जिसका उपयोग घरेलू कार्यों के लिए किया जाता है; विद्युत के इतर तात्क्षणिक या पानी को जमा करने वाले हीटर्स।
84.18	सैन्ट्रीफ्यूजिस; द्रव्य तथा गैस को छानने एवं शुद्ध करने वाली मशीनरी एवं उपकरण (क्रीम-दूध को छानने वाले एवं इसी से मिलते-जुलते को छोड़कर)।
84.19	बोतल अथवा अन्य पात्रों को साफ करने या सुखाने की मशीनरी; बोतल, डिब्बे, सन्दूक, थैले अथवा अन्य पात्रों को भरने, बन्द करने, सील लगाने, कवच बनाने अथवा लेबिल लगाने के लिए मशीनरी पैकिंग; अथवा रैपिंग के लिए मशीनरी, शराब भरने के लिए मशीनरी; तश्तरी को धोने वाली मशीनें।
84.20	तोल मशीनरी (5 से. ग्रा. अथवा इससे अधिक सूक्ष्मता के तराजुओं को छोड़कर) जिनमें भार संचालित गणना एवं निरीक्षण मशीनें भी शामिल हैं; तोल मशीन के सभी प्रकार के बाट।
84.21	तरल पदार्थों या चूर्ण के प्रक्षेपण, छिड़काव अथवा बिखेरने के लिए मशीनरी उपकरण (चाहे हाथ से चलने वाले या बगैर हाथ से चलने वाले हों); अग्नि शामक (आवेशित अथवा बगैर आवेशित), छिड़काव करने वाली पिचकारियां और उससे मिलते जुलते उपकरण, भाप और रेत विस्फोट करने वाली मशीनें और इसी प्रकार की जेट प्रोजेक्टिंग मशीनें।
84.22	शीर्षक संख्या 84.23 के अन्तर्गत आने वाली मशीनरी से इतर उठाने वाली, पकड़ने वाली, भार चढ़ाने अथवा भार उतारने वाली मशीनरी, टैल्फर्स एवं कन्वेयर्स (उदाहरणार्थ लिफ्ट्स, हास्ट, विंचिस, क्रेन्स, परिवहन क्रेन्स, जैक्स, पुल्ली टैकल, बैल्ट कन्वेयर्स तथा टैलिफैरिक)।
84.23	मिट्टी खनिज अथवा अयस्क के लिए खुदाई करने वाली, समीकरण करने वाली, टैम्पिंग, बेधन करने वाली मशीनरी जैसे मशीनी बेलचे, कोल कटर्स, खनिज, अवघर्षक, समीकारक एवं बुलडोजर; पाइलड्राइवर्स हिम के हल जो स्वतः नहीं चलते (हिम के हल के उपकरण सहित)।
84.24	खेत की तैयारी और उसकी जुताई के लिए कृषि एवं उद्यानकृषि मशीनरी (जैसे हल, हैरो, कल्टिवेटर्स, बीज और खाद फैलाने वाला), बाग तथा क्रीड़ा स्थल रोलर्स।
84.25	फसल काटने और खलियान की मशीनरी; भूसा और चारा सम्पीडक; सूखी घास या घास-मूवर्स, बीज, अनाज अथवा फलीदार तरकारियां और एगग्रेडिंग और कृषि उत्पादन के लिए अन्य ग्रेडिंग मशीनों के लिए, फटकन और इसी प्रकार की साफ करने वाली मशीनें (शीर्षक संख्या 84-29 के अन्तर्गत आने वाली ब्रेड ग्रेन मिलिंग

शीर्षक सं.	वस्तु विवरण
	कंकरीट, एस्बेस्टोज, सीमेन्ट बनाने और इसी प्रकार के खनिज पदार्थ या शीत में ग्लास बनाने के कार्य के लिए मशीन औजार।
84.47	शीर्षक संख्या 84.49 के अन्तर्गत आने वाली मशीनों से भिन्न काष्ठ, कार्क, हड्डी, ईबोनाईट (बल्केनाईट), कृत्रिम कठोर प्लास्टिक पदार्थ या अन्य सख्त नक्काशी सामान के लिए मशीन औजार।
84.48	शीर्षक संख्या 84.45 से लेकर 84.47 के अन्तर्गत आने वाली मशीनों के साथ पूर्णतया अथवा मुख्यत: प्रयोग के लिए उचित उप साधक और पुर्जे जिनमें मशीन, औजारों के लिए वर्क एवं टूल होल्डर्स, स्वत: खुलने वाले डाई हैड्स, डिवाईडिंग हैड्स और अन्य उप साधक भी शामिल हैं; हाथ से कार्य करने के लिए मशीन औजार अथवा अन्य प्रकार के औजार के लिए टूल होल्डर्स।
84.49	हाथ से काम करने के लिए औजार, वायु संचालित अथवा सैल्फ कंटेन्ड बिजली से इतर मोटर।
84.50	गैस-आपरेटेड वैल्डिंग, टांका लगाने, काटने और सतह मुलायम करने के लिए उपकरण।
84.51	संगणना यंत्रों सहित टाइपराइटर्स से भिन्न टाइपराइटर्स, चैक लिखने की मशीनें।
84.52	संगणना करने की मशीनें; लेखा-मशीनें, रोकड़ खाता, डाक-टिकट अंकन करने की मशीनें, टिकट जारी करने की मशीनें और उससे मिलती-जुलती मशीनें जिसमें संगणना करने के यंत्र भी शामिल हैं।
84.53	स्वत: आंकड़े तैयार करने की मशीन और उसके एकक; चुम्बकीय अथवा आप्टिकल रीडर्स; कोडिड रूप में आंकड़ों के आंकड़े के माध्यम से अभिलेखन के लिए मशीन और ऐसे आंकड़ों को तैयार करने के लिए मशीनें जिनका कहीं पर भी न तो उल्लेख किया गया है और न ही शामिल की गई हैं।
84.54	कार्यालय में काम आने वाली अन्य मशीनें (जैसे—हैक्टोग्राफ अथवा स्टैंसिल डुप्लिकेटिंग मशीन, पता लिखने वाली मशीन, सिक्का छांटने की मशीन, सिक्का गिनने अथवा रैपिंग की मशीन, पैंसिल तेज करने (बनाने) की मशीन, छेद करने और सीने की मशीन)।
84.55	शीर्षक संख्या 84.51, 84.52, 84.53 अथवा 84.54 के अन्तर्गत आने वाली मशीनों में पूर्णत: या मुख्यत: प्रयोग के लिए उपयुक्त पुर्जे और उपकरण (ढक्कन, उन मशीनों को ले जाने वाले सन्दूक और उससे मिलते-जुलते सामान से भिन्न)।
84.56	मिट्टी, पत्थर, खनिज अथवा खनिज पदार्थों की ठोस अवस्था (जिसमें पाउडर अथवा पेस्ट भी शामिल है) को छांटने, स्क्रीनिंग करने, पृथक करने, धोने, कुचलने, पीसने अथवा मिलाने के लिए मशीन, ठोस खनिज ईंधन, सिरेमिक पेस्ट, मुलायम सीमेंट, प्लास्टरिंग सामग्री अथवा अन्य खनिज उत्पाद चाहे पाउडर रूप में अथवा पेस्ट रूप में हों, को संचय करने, ढालने अथवा रैंपिंग के लिए मशीनरी; रेत को भट्ठी के रूप में ढालने के लिए मशीनरी।
84.57	ग्लास बनाने के लिए मशीनें (शीत में ग्लास कार्य करने के लिए मशीनों से भिन्न); इलैक्ट्रिक फिलामेन्ट और डिस्चार्ज लैम्प और इलैक्ट्रोनिक एवं इसी प्रकार की ट्यूब तथा वाल्व जोड़ने के लिए मशीनें।
84.58	आटोमेटिक वैन्डिंग मशीनें (जैसे स्टाम्प्स, सिगरेट, चाकलेट तथा खाद्य मशीनें) जो कि क्रीड़ा अथवा अवसर स्किल या चांस के रूप में न मानी जाए।
84.59	इस अध्याय के किसी भी शीर्षक के अन्तर्गत न आने वाली मशीनें एवं मशीनी उपकरण जिनका कार्य पृथक-पृथक है।
84.60	धातु फाउन्ड्री के लिए मोल्डिंग बाक्स; धातु प्रयोग के लिए (इन्गाट मोल्ड से भिन्न), धातु के लिए कार्बाइड, ग्लास के लिए, खनिज पदार्थों के लिए (जैसे सिरेमिक पेस्ट, कन्करीट अथवा सीमेन्ट) अथवा रबड़ या कृत्रिम प्लास्टिक पदार्थों के लिए एक प्रकार का माउल्ड।
84.61	पाइपों के लिए बायलर शैल्स, टैन्क्स, वाट्स और उससे मिलते जुलते उपकरण जिनमें दबाव कम करने वाले वाल्वस तथा थर्मोस्टेटिकली वाल्वस भी शामिल हैं, टप्स, काक्स, वाल्वस तथा उससे मिलते-जुलते उपकरण, बायलर, शैल्स।
84.62	बाल, रोलर अथवा-नीडल रोलर बियरिंग्स।
84.63	ट्रान्समिशन शाफ्ट्स, क्रेन्क्स, बियरिंग्स प्लेन शाफ्ट बियरिंग्स, गीयर्स एवं गीयरिंग (जिनमें फिक्शन गीयर्स एवं गीयर्स बाक्स और अन्य परिवर्तनशील स्पीड गीयर्स भी शामिल हैं), फ्लाई व्हील, पुल्लीस एवं पुल्लीस ब्लाक्स, क्लचेज और शैफ्ट कपलिंग्स।
84.64	अन्य सामान के साथ गास्केट और उससे मिलते-जुलते मिश्रित धातु के जोड़ (जैसे एसबेस्टर्स फैल्ट तथा पेपर बोर्ड) अथवा लैमिनेटिड धातु की फायल के जोड़; गास्केट तथा इस से मिलते-जुलते ज्वाइन्ट के सेट अथवा उनका वर्गीकरण, जो कि आकार से भिन्न हैं, जो कि इन्जन, पाइप, ट्यूब तथा उससे मिलते-जुलते अन्य सामान के लिए हों और जो कि थैली, लिफाफे अथवा ऐसे ही सामान में रखे जा सकते हैं।
84.65	मशीन के पुर्जे जिसमें बिजली के कनेक्टर्स, इन्स्युलेटर्स, कायल्स, कन्ट्रेक्ट अथवा अन्य

शीर्षक सं.	वस्तु विवरण
	उद्योग में प्रयोग होने वाली मशीन की किस्म को छोड़कर)।
84.26	डेरी मशीनरी (दूध निकालने वाली मशीन सहित)।
84.27	शराब बनाने, सेब का आसव बनाने, फलों का रस तैयार करने या इसी प्रकार के अन्य पदार्थों के लिए सम्पीडक, क्रशर्स और अन्य मशीनरी।
84.28	अन्य कृषि, उद्यानकृषि, मुर्गी पालन और मधु-मक्खी पालन मशीनरी; मशीन अथवा थर्मल उपस्कर के साथ फिटिड जर्मिनेशन प्लान्ट; पोल्ट्री इन्क्यूबेटर्स एवं ब्रूडर्स।
84.29	ब्रैड ग्रेन मिलिंग उद्योग में प्रयोग होने वाली किस्म की मशीनरी दाल अथवा सूखी फलीदार तरकारियों के बनाने वाली अन्य मशीनरी (फार्म टाईप मशीनरी के अलावा)।
84.30	निम्नलिखित खाद्य अथवा पेय पदार्थों के उद्योगों में प्रयोग की जाने वाली किस्म की मशीनरी जो इस अध्याय के किसी भी शीर्षक के अन्तर्गत नहीं आती;—बेकरी, कन्फेक्शनरी, चाकलेट बनाने, मेकरोनी, रेवियोली अथवा इसी प्रकार के सीरियल से निर्मित वस्तुएं खाद्य पदार्थ मांस मछली, फल अथवा तरकारियों से बनी हुई वस्तुएं (मिन्सिंग अथवा स्लाइसिंग मशीन भी शामिल हैं) चीनी विनिर्माण अथवा मद्य-करण के लिए।
84.31	लुगदी, कागज अथवा गत्ता बनाने या परिष्कृत करने के लिए मशीनरी।
84.32	किताब सीने वाली मशीन के साथ किताब पर जिल्द चढ़ाने वाली मशीनरी।
84.33	कागज या गत्ता काटने की सभी प्रकार की मशीन; कागज लुगदी, कागज अथवा गत्ता बनाने की मशीन।
84.34	टाइप फाउंडिंग अथवा टाइप सेटिंग के लिए मशीनरी उपकरण एवं उप-साधित्र शीर्षक संख्या 84.45, 84.46 या 84.47 के अन्तर्गत मशीन औजारों से भिन्न मशीनरी जो कि मुद्रण ब्लाक्स, प्लेट्स अथवा सिलेन्डर्स तैयार करने अथवा बनाने के काम में लाई जाती हो; मुद्रण टाईप, इम्प्रेस्ड फलोंग्स एवं मेटरिसेस, मुद्रण ब्लाक, प्लेट्स एवं सिलेन्डर्स; ब्लाक प्लेट्स; सिलेन्डर्स एवं लिथोग्राफिक पत्थर जो कि मुद्रण कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं (उदाहरणार्थ प्लेन्ड, ग्रेन्ड अथवा पालिश्ड)।
84.35	अन्य मुद्रण मशीनरी, मुद्रण के लिए सहायक उपयोग के लिए मशीनरी।
84.36	हाथ से तैयार करने वाले वस्त्रों के लिए मशीन; उस किस्म की मशीनें जिनका प्रयोग प्राकृतिक अथवा हाथ से तैयार किए गए कपड़ों के धागे तैयार करने के लिये किया जाता है; वस्त्र कातने एवं बटने की मशीनें; वस्त्र बनाने, फेंकने और लपेटने की मशीनें (वेफ्ट वाइंडिग के साथ)।
84.37	बुनने की मशीनें, कताई करने की मशीनें तथा जिम्प्ड यार्न, ट्यूली, लेस, कशीदाकारी, ट्रिमिंग्स, ब्रेड या नेट बनाने के लिए मशीनें; ऐसी मशीनों के प्रयोग के लिए धागा तैयार करने के लिए मशीनें जिनमें वार्पिंग और वार्पिंग साइजिंग मशीनें भी शामिल हैं।
84.38	शीर्षक संख्या 84.37 की मशीनों के साथ प्रयोग के लिए सहायक मशीनरी (उदाहरणार्थ डोबीज, जेक्वार्ड्स, आटोमेटिक स्टाप मोशन एवं फिरकी परिवर्तन क्रिया विधि); शीर्षक संख्या 84.36 या 84.37 अथवा वर्तमान शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली मशीनों के पूर्णतया अथवा मुख्यतः प्रयोग के लिए उपयुक्त पुर्जे और अनुषंगी (उदाहरणार्थ स्पिन्डल्स और स्पिन्डल्स फ्लेयर्स, कार्ड क्लोदिंग, कंघे, निष्कासन निपल्स, फिरकियां हील्ड्स एवं हील्ड्स लिफ्टर्स एवं होजरी सूइयां।
84.39	टुकड़े या आकार में फेल्ट के विनिर्माण अथवा परिष्करण के लिए मशीनरी जिसमें फेल्ट हैट बनाने वाली मशीनें और हैट बनाने वाले ब्लाक्स शामिल हैं।
84.40	तैयार वस्त्रों की वस्तुएं या वस्त्र अथवा वस्त्र के सूत धोने, साफ करने, सुखाने, ब्लीचिंग, रंगने, संवारने, परिष्करण अथवा कोटिंग के लिए मशीनरी (जिनमें कपड़े धोने और ड्राई-क्लीनिंग की मशीन शामिल है)। कपड़ों की तह करना, लपेटना अथवा काटने की मशीनें; उस किस्म की मशीनें जिनका प्रयोग लिनोलियम के विनिर्माण के लिए अथवा आधार कपड़ों या अन्य आधार के पैस्ट करने के लिए अन्य फ्लोर कवरिंग के लिए किया जाता है; इस प्रकार की मशीनें जिनका प्रयोग पुनरावर्ती डिजाइन, पुनरावर्ती शब्दों या कपड़ों, चमड़े, वाल पेपर, रैपिंग पेपर, लिनोलियम अथवा अन्य सामान को पूर्ण रूप से रंगने के लिए और एंग्रेव्ड अथवा एण्ड प्लेट्स ब्लाक्स या उनके रोलर्स के लिए किया जाता है।
84.41	सिलाई मशीनें, सिलाई मशीनों के लिए विशेष रूप से बनाया गया फर्नीचर; सिलाई मशीन की सूइयां।
84.42	चर्म, खाल अथवा चमड़े को बनाने, कमाने या उन पर प्रक्रिया के लिए (सिलाई की मशीन से भिन्न मशीनरी) (बूट और जूतों की मशीनरी भी शामिल है)।
84.43	परिवर्तक कलछी, इनगाट मोल्ड्स तथा ढलाई की मशीनें जिनका प्रयोग धातु तथा धातु फाउन्ड्री में किया जाता है।
84.44	रोलिंग मिल्स तथा उनके लिए रोल्स।
84.45	शीर्षक संख्या 84.49 अथवा 84.50 के अन्तर्गत आने वाली मशीनों को छोड़कर धातु अथवा धातु कार्बाइड के कार्य के लिए मशीन के औजार।
84.46	शीर्षक संख्या 84.49 या 84.50 के अन्तर्गत आने वाली मशीनों से भिन्न पत्थर, सिरेमिक,

शीर्षक सं.	वस्तु विवरण
	बिजली के फीचर्स शामिल नहीं हैं और इस अध्याय के किसी अन्य शीर्षक के अन्तर्गत भी नहीं आते हैं।

अध्याय—85

विद्युतीय मशीनरी और उपस्कर, तथा उनके पुर्जे

शीर्षक सं.	वस्तु विवरण
85.01	निम्नलिखित विवरण के बिजली के सामान:— जनरेटर, मोटर, कन्वर्टर (घूमने वाला या स्थिर), ट्रान्सफार्मर, रेक्टिफायर्स और रेक्टिफाइंग सामान, इन्डक्टर्स।
85.02	विद्युतीय चुम्बक; स्थायी चुम्बक और स्थायी चुंबक के लिए विशेष सामग्री की वस्तुएं जो ऐसे चुम्बकों ब्लैन्क के रूप में हों, विद्युतीय चुम्बक और स्थायी चुम्बक चक्स, क्लैम्प, शिकंजे और वैसे ही काम करने के लिए होल्डर; विद्युत चुम्बकीय क्लच और कप्लिंग; विद्युत चुम्बकीय ब्रेक; विद्युत चुम्बकीय लिफ्टिंग हेड्ज।
85.03	प्राथमिक सैल और प्राथमिक बैट्री।
85.04	विद्युत संचायक।
85.05	स्वतः अन्तर्विष्ट बिजली की मोटर के साथ हाथ से काम करने के औजार।
85.06	स्वतः अन्तर्विष्ट बिजली की मोटर के साथ विद्युत मशीनरी के घरेलू उपकरण।
85.07	स्वतः अन्तर्विष्ट बिजली की मोटर के साथ उस्तरे और बाल काटने की कैंची।
85.08	आन्तरिक दहन इंजनों के लिए विद्युत चालित और प्रज्वलित उपस्कर (जिसमें प्रज्वलन मेग्नेटो, मेग्नेटो डाइनेमो, प्रज्वलन कायल्स, मोटर स्टार्टर, स्पार्किंग प्लग और ग्लो प्लग, जनरेटर (डाइनेमो और आलटरनेटर) और ऐसे इंजनों के साथ संयोजन में प्रयोग होने वाली कटआउट्स।
85.09	साइकिलों या मोटर वाहनों के लिए बिजली की बत्तियां और सिग्नल देने वाले उपस्कर और बिजली के वायु रोधक वाइपर, डिफरोस्टर्स और डिमिस्टर्स।
85.10	सवाह्य विद्युत बैटरी और मेग्नेटो लैम्प, शीर्षक सं. 85.09 के अन्तर्गत आने वाले लैम्पों को छोड़कर।
85.11	औद्योगिक एवं प्रयोगशाला की बिजली की भट्टियां, चूल्हे और इन्डक्शन और डाइ-इलैक्ट्रिक हीटिंग उपस्कर; विद्युत के टांके लगाने, पीतल के टांके लगाने और टांके लगाने की मशीनें और यंत्र और वैसी ही काटने के लिए बिजली की मशीनें और यंत्र।
85.12	तत्कालिक या सचित पानी गरम करने के विद्युतीय हीटर और इमर्सन हीटर ; मिट्टी गरम करने के विद्युत यंत्र और अन्तरिक्ष (स्पेस) गरम करने के विद्युत यंत्र ; केश श्रृंगार के विद्युत उपकरण (उदाहरणार्थ बाल सुखाने वाले, घुंघराले बाल बनाने वाले, कर्लिंग टोंग हीटर) और मुलायम बनाने के लिए विद्युत इस्त्री; इलैक्ट्रो थर्मिक घरेलू उपकरण; इलैक्ट्रिक हीटिंग रिसिस्टर जो कार्बन के हैं, उनको छोड़कर।
85.13	टेलीफोन के लिए बिजली की लाइन और तार संचार के यंत्र (कैरियर करन्ट लाइन प्रणाली के लिए इसी तरह के यंत्रों को मिलाकर)।
85.14	माइक्रोफोन और उनके स्टैंड, लाउड स्पीकर; आडियोफ्रिक्वेन्सी विद्युत एम्पलीफायर।
85.15	रेडियो टेलीग्राफिक और रेडियो टेलीफोन संचरण और श्रवण यंत्र, रेडियो प्रसारण और दूरदर्शन संचरण और श्रवण यंत्र (ध्वनि रिकार्डर या रिप्रोड्यूसर को मिलाने वाले रिसीवरों सहित) और दूरदर्शन कैमरे; रेडियो नेविगेशनल सहायक यंत्र, राडार यंत्र और रेडियो दूरवर्ती नियंत्रण यंत्र।
85.16	रेलवे, सड़कों या अंतरदेशीय जल मार्गों के लिए यातायात नियंत्रण उपस्कर और पत्तन की स्थापनाओं में या हवाई मैदानों पर उसी प्रकार के प्रयोजन में प्रयुक्त होने वाले उपस्कर।
85.17	विद्युत ध्वनि या दृश्य संकेतिक उपकरण (जैसे कि घंटी, भोंपू, इन्डीकेटर पेनल, चोर और अग्नि सूचक घंटियां), शीर्षक सं. 85.09 या 85.16 के अन्तर्गत आने वाली से भिन्न।
85.18	विद्युत के धारित्र, स्थिर या अस्थिर।
85.19	विद्युत की सरकिटों की सुरक्षा के लिए या विद्युत की सरकिटों में या संयोजन करने के लिए विद्युत की सरकिटों को बनाने और तोड़ने के लिए बिजली के उपकरण (उदाहरणार्थ-स्विच, रिले, फ्यूज, तड़ित विरोधक, सर्ज सप्रेसर, प्लग, लैम्प होल्डर और जन्कसन बक्स); रिसिस्टर, स्थिर या अस्थिर (पोटेंशिओ मीटरों सहित); हीटिंग रिसिस्टरों को छोड़कर ; प्रिन्टिड सरकिट ; स्विच बोर्ड (टेलिफोन स्विच बोर्ड को छोड़कर) और कंट्रोल पैनल।
85.20	विद्युत फिलामेंट लैम्प और विद्युत विसर्जन लैम्प (इन्फरा रेड और अलट्रा वायलट लैम्पों सहित); आर्क लैम्प; बिजली से प्रज्वलित फोटोग्राफ के लिए फ्लैश बल्ब।
85.21	थर्मीयोनिक, कोल्ड कैथोड और फोटो कैथोड वाल्व और ट्यूबें; (उसमें वेपर या गैस फील्ड वाल्व और ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, दूरदर्शन

शीर्षक सं.	वस्तु विवरण
	कैमरा ट्यूब और मर्करी आर्क रैक्टिफाइंग वाल्व और ट्यूब भी शामिल हैं), फोटो सेल; माउन्टेड पिजो इलैक्ट्रिक क्रिस्टल; डायोड्स, ट्रांसिस्टर और वैसी ही सेमी कन्डक्टर डिवाइसेज; इलैक्ट्रोनिक माइक्रो सर्किट।
85.22	विद्युतीय सहायक पुर्जे और उपकरण जिन का अलग-अलग कार्य हो, और जो इस अध्याय के भीतर और इस के अन्य शीर्षक के अन्तर्गत न आते हों।
85.23	पृथक्कारी (इसमें एनेमल्ड या एनोडाइज्ड भी शामिल है) विद्युत तार, केबल, छड़, फीते और उसी तरह की चीजें (को-एक्सल-केबल सहित) चाहे वे संयोजक के साथ लगी हुई हों या नहीं।
85.24	कार्बन ब्रुश, आर्क लैम्प कार्बन, बैटरी कार्बन, कार्बन इलैक्ट्रोड्स और विद्युत प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होने वाली अन्य किस्म की कार्बन की वस्तुएं।
85.25	किसी भी प्रकार के माल के पृथककारी।
85.26	बिजली की मशीनों के लिए पृथककारी फिटिंग्ज, उपस्कर या उपकरण, जो जोड़ने के प्रयोजन के लिए सिर्फ सांचा बनाने के दौरान किसी धातु के छोटे संघटकों के मिलाने के अलावा इन्सुलेटिंग माल की पूर्णरूप से फिटिंग है, किन्तु इसमें शीर्षक सं. 85.25 के भीतर आने वाले इन्सुलेटर सम्मिलित नहीं है।
85.27	इन्सुलेटिंग माल के साथ बेस मेटल लाइन्ड की बिजली की कन्ड्यूट ट्यूबिंग और उसके लिए ज्वाइंट।
85.28	मशीनरी और उपस्करों के बिजली के पुर्जे जो इस अध्याय के किसी पूर्व के शीर्षक के किसी भी माल के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

खंड--17

वाहन, हवाई जहाज और उनके पुर्जे; जलयान और कुछ वाहन सम्बन्धी उपस्कर

अध्याय--86

रेलवे और ट्रामवे लोकोमोटिव, रेल के डिब्बे और उनके पुर्जे; रेलवे और ट्रामवे लाइनों के जुड़नार और फिटिंग; सभी प्रकार के यातायात सम्बन्धी सिगनल देने वाले उपस्कर (जो बिजली से नहीं **चलते हों)**

शीर्षक सं.	वस्तु विवरण
86.01	वाष्प रेल लोकोमोटिव और टेन्डर्स।
86.02	विद्युत रेल लोकोमोटिव, जो बैटरी से चलता हो या बिजली के बाह्य स्रोत से चालित हो।
86.03	अन्य रेल लोकोमोटिव।
86.04	यंत्र चालित रेलवे और ट्रामवे के सवारी डिब्बे, वेन, और ट्रक और यंत्रचालित लाइन निरीक्षण की ट्रालियां।
86.05	रेलवे और ट्रामवे सवारी के डिब्बे और सामान के डिब्बे; अस्पताल के डिब्बे, कैदियों के डिब्बे, परीक्षण के डिब्बे, डाकघर के यात्री डिब्बे, और अन्य विशेष प्रयोजन के लिए रेल के डिब्बे।
86.06	रेलवे और ट्रामवे की निम्नलिखित गाड़ियां या डिब्बे, वर्कशाप, क्रेन और अन्य सेवा के वाहन।
86.07	रेलवे और ट्रामवे माल गाड़ी, माल डिब्बे और ट्रक।
86.08	वाहन के एक से अधिक तरीकों द्वारा माल ले जाने के लिए विशेष प्रकार से बनाए गए और सजाये गये डिब्बे।
86.09	रेलवे और ट्रामवे लोकोमोटिव और गाड़ियों के पुर्जे।
86.10	रेलवे और ट्राम लाइनों के जुड़नार और फिटिंग; सिग्नल देने के लिए या सड़क, रेल या अन्य वाहनों, जहाजों या हवाई जहाजों को व्यवस्थित रखने के लिए, बिजली से न चलने वाले यांत्रिक उपस्कर; पूर्ववर्ती जुड़नार के पुर्जे, फिटिंग या उपस्कर फिटिंग।

अध्याय--87

वाहन, रेलवे या ट्रामवे गाड़ियों से अन्य और उनके पुर्जे

शीर्षक सं.	वस्तु विवरण
87.01	ट्रैक्टर (जो शीर्षक सं. 87.07 के अन्तर्गत नहीं आते हैं) चाहे वे शक्ति प्रभार उठाने वाले हों या नहीं, विंचेज या पुलीज।
87.02	व्यक्तियों, माल या वस्तुओं को ढोने के लिए मोटर वाहन (इसमें शीर्षक सं. 87.09 के अन्तर्गत न आने वाले अन्य क्रीड़ा मोटर वाहन भी शामिल हैं)।
87.03	विशेष प्रयोजन के लिए मोटर गाड़ियां और लारियां (जैसे ब्रेक डाउन गाड़ियां, दमकल, अग्नि मोचन, सड़क साफ करने वाली गाड़ियां, बर्फ के हल, स्प्रे करने वाली गाड़ियां, क्रेन गाड़ियां, सर्चलाइट गाड़ियां, मोबाइल वर्कशाप और मोबाइल रेडियोविद्या एकक) किन्तु इसमें शीर्षक सं. 87.02 के मोटर वाहन शामिल नहीं हैं।
87.04	शीर्षक सं. 87.01, 87.02 या 87.03 के अन्तर्गत आने वाले मोटर वाहनों के लिए, इंजनों के साथ लगाया गया चैसिस।
87.05	शीर्षक सं. 87.01, 87.02 या 87.03 के अन्तर्गत आने वाले मोटर वाहनों के लिए

शीर्षक सं.	वस्तु विवरण
	वाडीज (जिसमें कोष्ट (केब) भी शामिल हैं)।
87.06	शीर्षक स. 87.01, 87.02 या 87.03 के अन्तर्गत आने वाले मोटर वाहनों के लिए पुर्जे और सहायक ।
87.07	काम में लाए जाने वाले यन्त्र चालित ट्रक और वे उस प्रकार के हों जो कारखानों, गोदामों, बन्दरगाह के क्षेत्रों या हवाई अड्डों पर थोड़े फासले से माल ढोने या माल निपटाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं (उदाहरणार्थ प्लेटफार्म ट्रक, फोर्क लिफ्ट ट्रक और स्ट्राडल गाड़ियां); रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर प्रयोग में आने वाले किस्म के ट्रेक्टर; पूर्ववर्ती वाहनों के पुर्जे।
87.08	मोटर युक्त टैंक और अन्य बख्तर बन्द गाडियां, चाहे हथियारों से जुड़े हुए हों या नहीं और ऐसे ही वाहनों के पुर्जे।
87.09	मोटर साइकिल, आटो साइकिल और सहायक मोटर लगी हुई साइकिलें, साइड कारों सहित या उसके बिना; सभी प्रकार की साइड कार।
87.10	साइकिल (जिसमें वितरण के लिए तीन पहिए वाली साइकिल भी सम्मिलित है) जो मोटर युक्त न हों ।
87.11	नाकाम गाड़ियां जो यंत्र चालित साधनों से जोडी हुई हों (मोटर युक्त हो या नहीं)।
87.12	शीर्षक सं. 87.09, 87.10 या 87.11 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के पुर्जे और सहायक ।
87.13	छोटी गाड़ियां और नाकाम गाड़ियां (मोटर युक्त से भिन्न या अन्यथा रूप से यन्त्र चालित) और उनके पुर्जे।
87.14	अन्य वाहन (जिसमें ट्रेलर भी सम्मिलित है) जो यंत्र चालित नहीं हैं और उनके पुर्जे ।

अध्याय--88

हवाई जहाज और उसके पुर्जे; छतरियां; कैटेपल्ट्स; और वैसे ही हवाई जहाजों के लांचिंग गियर; ग्राउन्ड फ्लाइंग ट्रेनर्स

शीर्षक सं.	वस्तु विवरण
88.01	गुब्बारे और हवाई पोत ;
88.02	फ्लाइंग मशीन, ग्लाइडर और पतंग, पैराशूट्स।
88.03	शीर्षक सं. 88.01 या 88.02 के अन्तर्गत आने वाले माल के पुर्जे ।
88.04	पैराशूट और उनके पुर्जे और उन के लिए उपसाधक ।
88.05	कैटेपल्ट्स और वैसे ही एयरक्राफ्ट लांचिंग गियर; ग्राउन्ड फ्लाइंग ट्रेनर; पूर्वोक्त वस्तुओं में से किसी के भी पुर्जे।

अध्याय—89

जहाज, किश्तियां और तैरने वाले ढांचे

शीर्षक सं.	वस्तु विवरण
89.01	जहाज, किश्तियां और इस अध्याय के निम्नलिखित शीर्षकों में से किसी के भी अन्तर्गत न आने वाले अन्य जलयान ।
89.02	जलयान जो अन्य जलयानों को खींचने (घसीटने) या धकेलने के लिए विशेष प्रकार से बनाए गए हों ।
89.03	प्रकाश प्रदान करने वाले जलयान, अग्निशमन पोत, सभी प्रकार के ड्रेजर, तैरने वाली क्रेन, और अन्य जलयान जिन का नाव्य कार्य उनके मुख्य कार्य के लिए सहायक हो; तैरने वाली गोदी ।
89.04	विघटित करने के लिए जहाज, किश्तियां और अन्य जलयान ।
89.05	जलयानों से भिन्न तैरने वाले ढांचे (उदाहरणार्थ, कोफर डैम्स, लेन्डिंग स्टेजिज, बोयेज और बीकन्स) ।

खण्ड—18

प्रकाशीय, फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, माप करने, जांचने, परिशुद्धि करने, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा के लिए औजार और उपकरण; घड़ी और घड़ी; संगीत के औजार; ध्वनि रिकार्डर और रिप्रोड्यूसर; दूरदर्शन चित्र और ध्वनि रिकार्डर और रिप्रोड्यूसर चुम्बक और उनके पुर्जे

अध्याय—90

प्रकाशीय, फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, माप करने, जांचने परिशुद्धि करने, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा के औजार और उपकरण; उनके पुर्जे।

शीर्षक सं.	वस्तु विवरण
90.01	लैन्स, प्रिज्म, आइने और अन्य प्रकाश सम्बन्धी तत्व, किसी भी सामग्री के बिना चौखटे वाले, शीशे के ऐसे तत्वों से भिन्न जिन पर प्रकाश सम्बन्धी काम किया गया हो; ध्रुवण सामग्री की शीटें और प्लेटें।
90.02	लैन्स, प्रिज्म, आइने और अन्य प्रकाशीय तत्व, किसी भी सामग्री के चौखटे वाले, जो उपकरणों या यन्त्रों के पुर्जे या फिटिंग हैं, और जो ऐसे शीशे के ऐसे तत्वों से भिन्न हैं जिन पर प्रकाशीय काम नहीं किया गया है ।
90.03	फ्रेम और चौखटे और उनके भाग, ऐनकों के लिए, नाक-पकड़ चश्मे, लम्बी कमानी वाले चश्में, धूप के चश्में और इसी प्रकार के अन्य चश्में ।
90.04	ऐनक, नाक-पकड़ चश्में, लम्बी कमानी के चश्में, धूप के चश्में और इसी प्रकार के अन्य चश्में, बिनाई को दुरुस्त करने वाले, रोग रक्षात्मक और अन्य चश्मे।

शीर्षक सं.	वस्तु विवरण
90.05	परावर्तक दूरवीक्षण यन्त्र (एक नेत्र के और दोनों नेत्रों के), चाहे वे प्रिसमेटिक हों या नहीं ।
90.06	खगोलीय औजार (उदाहरणार्थ, दूरवीक्षण यन्त्र, यात्रा के औजार और भूमध्य रेखा सम्बन्धी दूर-वीक्षण यंत्र) और उनके चौखटे किन्तु इस में रेडियो खगोल विज्ञान सम्बन्धी औजार सम्मिलित नहीं हैं।
90.07	फोटोग्राफिक कैमरे, फोटोग्राफिक फ्लैशलाइट, औजार ।
90.08	सिनेमा कैमरे, प्रोजेक्टर, ध्वनि रिकार्डर और ध्वनि रिप्रोड्यूसर; इन वस्तुओं के कोई भी संयोजन ।
90.09	इमेज प्रोजेक्टर (सिनेमाटोग्राफिक प्रोजेक्टरों से भिन्न); फोटोग्राफिक (सिनेमोटोग्राफिक को छोड़ कर) चित्रवर्धक और चित्र अवकारक।
90.10	फोटोग्राफिक या सिनेमेटोग्राफी प्रयोगशालाओं में प्रयोग होने वाली किस्म के उपकरण और उपस्कर जो इस अध्याय में किसी अन्य शीर्षक के अन्तर्गत नहीं आते हैं; फोटो प्रति लेने वाले उपकरण (चाहे प्रकाशीय प्रणाली से समाविष्ट हों या सम्पर्क श्रेणी के हों) और थर्मोकापीइंग उपकरण; प्रोजेक्टरों के पर्दे।
90.11	माइक्रोस्कोप और डिफ्रेक्शन उपकरण, इलैक्ट्रोन और प्रोटोन ।
90.12	कम्पाउन्ड आप्टिकल माइक्रोस्कोप, चाहे वे फोटो लेने या बिम्ब को प्रक्षिप्त करने वाले हों या नहीं ।
90.13	प्रकाशकीय उपकरण और औजार (किन्तु इन में खोजबत्ती या केन्द्रक बत्ती से भिन्न प्रकाश देने-वाले उपकरण शामिल नहीं हैं), जो इस अध्याय के किसी अन्य शीर्षक के अन्तर्गत नहीं आते हैं ।
90.14	सर्वेक्षण (इसमे फोटो ग्रामैट्रिकल सर्वेक्षण शामिल हैं) जल भापीय, नौयात्रा परिवहन सम्बन्धी, मौसम विज्ञान सम्बन्धी, जल विज्ञान सम्बन्धी और भूभौतिक औजार, कम्पास परास मापी यंत्र ।
90.15	5 सेण्टी ग्राम या ऊपर की सूक्ष्मग्राहित तराजू, तोल बट्टों सहित या उनके बिना ।
90.16	ड्राइंग, नम्बर लगाने और गणितीय गणना करने वाले औजार, ड्राफ्टिंग मशीनें, पेन्टोग्राफ, स्लाइड रूल, डिस्क गणक और इसी प्रकार के; मापने या जांच करने के औजार, उपकरण और मशीनें, जो इस अध्याय के किसी अन्य शीर्षक के अन्तर्गत नहीं आते हों (उदाहरणार्थ, माइक्रोमीटर केलीपर्स, गेजिज, पैमाने, तोलने की मशीनें), प्रोफाइल प्रोजेक्टर।
90.17	चिकित्सा, दंत चिकित्सा, शल्य चिकित्सा और पशु चिकित्सा औजार और उपकरण (इसमें विद्युत चिकित्सा उपकरण और नेत्र सम्बन्धी यन्त्र भी शामिल हैं) ।
90.18	मैकेनो-थैरेपी उपकरण; समाचार उपकरण; मनोवैज्ञानिक अभिवृत्ति को जांचने के उपकरण; कृत्रिम श्वास-प्रश्वास संबंधी, ओजोन चिकित्सा सम्बन्धी, आक्सीजन चिकित्सा सम्बन्धी, वायु धुन्ध चिकित्सा सम्बन्धी, या इसी प्रकार के यंत्र; श्वास लेने के उपकरण (इसमें गैस मास्क और इसी प्रकार के श्वसन औजार भी सम्मिलित हैं)।
90.19	विकलांग सहायक उपकरण, शल्य -चिकित्सा पेटियां, कैंचियां और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं; कीलें और हड्डी टूटने में काम आने वाले अन्य उपकरण; कृत्रिम अंग; आंखें, दांत और शरीर के अन्य कृत्रिम अंग; श्रवण यन्त्र सहायक और अन्य उपकरण जो साथ रखे जाते हैं या शरीर में लगाए जाते हैं, जो किसी अंगहीनता या शरीर की अयोग्यता की कमी को पूरा करने के लिए है।
90.20	एक्सरे के या रेडियो-एक्टिव मुख्यांशों को विसरित करने के प्रयोग पर आधारित उपकरण (इसमें रेडियो विज्ञान और रेडियो चिकित्सा उपकरण भी शामिल हैं) एक्स-रे जैनरेटर; एक्स-रे-ट्यूबें; एक्स-रे-पर्दे; एक्स-रे उच्च दाब जैनरेटर; एक्स-रे नियन्त्रण चौखटे और डेस्क; एक्स-रे जांच या चिकित्सा मेजें, कुर्सियां और अन्य इसी प्रकार का सामान।
90.21	औजार, उपकरण या माडल, जो पूर्ण रूप से प्रदर्शन के प्रयोजन के लिये बनाए गए हों (उदाहरणार्थ, शिक्षा या प्रदर्शनी में), जो अन्य प्रयोग के लिये अनुपयुक्त हों।
90.22	कठोरता, सामर्थ्य, संपीडयता, नम्यता और औद्योगिक माल की इसी प्रकार के गुणों की यान्त्रिक जांच के लिए मशीनें और साधित्र (उदाहरणार्थ, धातुएं, लकड़ी, वस्त्र, कागज या प्लास्टिक)।
90.23	हाइड्रोमीटर और इसी प्रकार के उपकरण, थर्मामीटर पाइरोमीटर, बेरोमीटर, हाइग्रोमीटर, साइक्रोमीटर, रिकार्ड करने वाले हों, या नहीं; इन औजारों के कोई भी संयोजन।
90.24	माप करने, जांच करने या बहाव, गहराई या दबाव या तरल पदार्थों या गैस के अन्य परिवर्तनों को स्वतः नियन्त्रित करने के लिए या ताप को स्वतः नियन्त्रित करने के लिए औजार और उपकरण (उदाहरणार्थ, दबाव, गेज, थर्मोस्टेट, स्तर गेज, बहाव मापक यंत्र, उष्मा मापक यन्त्र, स्वतः चालित भट्टियों के वायु प्रवाह नियंत्रक, जो शीर्षक सं. 90.14 के भीतर आने वाली मदें नहीं हैं।
90.25	भौतिक या रासायनिक विश्लेषण के लिए औजार और उपकरण (जैसा कि पोलरिमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर, स्पेक्टोमीटर, गैस विश्लेषण उपकरण); लसीलापन सूक्ष्म रन्ध्रता, फैलाव,

शीर्षक सं.	वस्तु विवरण
	सतह दबाव और इसी प्रकार के मापने और जांचने के औजार और उपकरण (जैसे कि विस्कोमीटर, पोरोसिमीटर, एक्सपेन्शन मीटर); उष्मा, प्रकाश या ध्वनि को मापने और जांचने के औजार और उपकरण जैसा कि फोटोमीटर (इसमें एक्सपोजर मीटर भी शामिल हैं), कैलोरिमीटर; माइक्रोमीटर।
90.26	गैस, तरल पदार्थ और विद्युत संभरण या उत्पादन के मीटर और उनके लिये कैलिब्रेटिंग मीटर।
90.27	परिक्रमा गणक, उत्पादन गणक, टैक्सीमीटर, माइलियोमीटर, पैडोमीटर और उसी प्रकार के उपकरण, गति संकेतक (इसमें चुंबकीय गति संकेतक भी शामिल हैं) और टैकोमीटर (शीर्षक सं. 90.14 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं से भिन्न); स्ट्रोबोस्कोप्स।
90.28	विद्युत से मापने वाले, जांचने वाले, विश्लेषण करने वाले या स्वतः नियंत्रित करने वाले औजार और उपकरण।
90.29	शीर्षक सं. 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 या 90.28 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के एक या अधिक के साथ पूर्ण रूप से या मुख्यतः प्रयोग के लिए उपयुक्त पुर्जे या उप-साधक।

अध्याय--91

घंटे और घड़ियां और उनके पुर्जे

शीर्षक सं.	वस्तु विवरण
91.01	जेब घड़ियां, हाथ की घड़ियां और अन्य घड़ियां, जिनमें विराम घड़ियां भी शामिल हैं।
91.02	वाच मूवमेन्ट के साथ घण्टे (इसमें शीर्षक संख्या 91.03 के घण्टे शामिल नहीं हैं)।
91.03	इन्स्ट्रूमेन्ट, पैनल क्लाक और वाहनों, वायुयानों या जलयानों के लिये इसी प्रकार के घण्टे।
91.04	अन्य घण्टे।
91.05	दिन का समय रिकार्ड करने के उपकरण; घण्टों या घड़ी स्पन्दन के साथ उपकरण (माध्यमिक स्पन्दन सहित) या समकालक मोटर के साथ मापने, रिकार्ड करने के लिए या अन्यथा रूप से समय के अन्तराल को निर्दिष्ट करने के लिए।
91.06	घण्टा या घड़ी स्पन्दन के साथ टाइम स्विच (माध्यमिक स्पन्दन सहित) या समकालक मोटर के साथ।
91.07	घड़ी के स्पन्दन (विराम-घड़ी के स्पन्दनों सहित) संयोजित।
91.08	घण्टों के स्पन्दन, संयोजित।
91.09	घड़ियों के खोल और घड़ियों के खोलों के भाग।
91.10	घण्टा के खोल और इस अध्याय के अन्य सामान के लिए इसी प्रकार के खोल, और उनके भाग।
91.11	अन्य घण्टे और घड़ियों के पुर्जे।

अध्याय--92

संगीत वाद्य यंत्र; ध्वनि रिकार्डर और रिप्रोड्यूसर; टेलीविजन इमेज और ध्वनि रिकार्डर और रिप्रोड्यूसर, चुम्बकीय; ऐसी वस्तुओं के पुर्जे और उप-साधक

शीर्षक सं.	वस्तु विवरण
92.01	पियानो (स्वचालित पियानो सहित, चाहे की-बोर्ड लगे हुए हों या नहीं), हार्पसिकॉर्ड्स और अन्य की-बोर्ड लगे हुए अन्य वाद्य यंत्र सारंगी किन्तु एलियन सारंगियों को छोड़ कर।
92.02	संगीत के तार वाले अन्य वाद्य यन्त्र।
92.03	पाइप और रीड आरगन, हारमोनियम और इसी प्रकार की वस्तुओं सहित।
92.04	धौंकनियों वाला बाजा और संगीत के इसी प्रकार के वाद्य यंत्र, मुख वाद्यराज।
92.05	अन्य वायु संगीत यन्त्र।
92.06	ताल वाद्य संगीत वाद्य (उदाहरणार्थ ढोल, कोष्ठतरंग, झांझ, करताल)।
92.07	इलैक्ट्रो-मैगनेटिक, इलैक्ट्रोस्टैटिक, इलैक्ट्रोनिक और इसी प्रकार के संगीत वाद्य (उदाहरणार्थ पियानो, आर्गन, एकोर्डियन)।
92.08	इस अध्याय के किसी अन्य शीर्षक के अन्तर्गत न आने वाले संगीत वाद्य (उदाहरणार्थ फेयर ग्राउंड आर्गन, मैकेनिकल स्ट्रीट आर्गन, संगीत बक्से, संगीत आरे); मशीनी गायन यन्त्र, सभी प्रकार की लुभावनी आवाज और प्रभाव वाले वाद्य यन्त्र; मुंह से बजाए जाने वाले ध्वनि संकेतक वाद्य (उदाहरणार्थ सीटियाँ और नाविक अधिकारियों के पाइप)।
92.09	संगीत वाद्यों के तार।
92.10	संगीत वाद्य यन्त्रों के पुर्जे और उप-साधक (तारों को छोड़कर), इसमें संगीत के लिए छिद्रित ताल और संगीतीय बक्सों के लिए यंत्रावली भी शामिल हैं, तालभाषी, धुन के कांटे और सभी प्रकार के पिच-पाइप।
92.11	ग्रामोफोन, डिक्टेटिंग मशीनें और अन्य ध्वनि रिकार्डर और रिप्रोड्यूसर, इसमें रिकार्ड प्लेयर्स और टेप डैक्स जो ध्वनि सूइयों के साथ हों या नहीं; भी शामिल हैं; टेलीविजन के चित्र और ध्वनि रिकार्डर और रिप्रोड्यूसर, चुम्बकीय।
92.12	ग्रामोफोन रिकार्ड और अन्य ध्वनि या इसी प्रकार के अन्य रिकार्ड; रिकार्डों के उत्पादन के लिए सम्पुटक, तैयार किए हुए कोरे रिकार्ड; मशीनी ध्वनि रिकार्ड करने के लिए किस्म,

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
	तैयार किए हुए टेप, तारें, फीते और ध्वनि रिकार्ड करने या इसी प्रकार के रिकार्ड तैयार करने के लिये सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाली किस्म की समान वस्तुएं।
92.13	शीर्षक संख्या 92.11 के अन्तर्गत आने वाले यंत्रों के अन्य पुर्जे और उपसाधक।

खण्ड–19

हथियार और गोला बारूद; उनके पुर्जे

अध्याय—93

हथियार और गोला बारूद; उनके पुर्जे

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
93.01	पार्श्व हथियार (उदाहरणार्थ, तलवारें, कृपाण और संगीन) और उनके पुर्जे और उनके लिए म्यान और खोल।
93.02	रिवाल्वर और पिस्तौल, जो अग्न्यस्त्र हैं।
93.03	तोपखाने के हथियार, मशीन गनें, छोटी मशीन गनें और अन्य सैनिक अग्न्यस्त्र और प्रक्षेपक (रिवाल्वर और पिस्तौलों को छोड़कर)।
93.04	अन्य अग्न्यस्त्र, जिसमें बहुत छोटे पिस्तौल, पिस्तौल और रिवाल्वर जो केवल थोथी गोली फेंकने के लिए हैं, लाइन थ्रोविंग गन और ऐसी ही किस्म की गनें।
93.05	अन्य विवरण के हथियार, जिसमें वायु के, स्प्रिंग के और ऐसे ही पिस्तौल, राइफल और गनें भी शामिल हैं।
93.06	हथियारों के पुर्जे, जिसमें गन बैरल ब्लैन्क्स भी शामिल हैं, किन्तु पार्श्व हथियारों के पुर्जे शामिल नहीं हैं।
93.07	गोले, हथगोले; तारपीडो, माइन्स; नियंत्रित हथियार और मिसाइल और युद्ध के लिए इसी प्रकार के गोला बारूद वाले अस्त्र-शस्त्र, और उनके पुर्जे; गोला बारूद और उनके भाग, जिनमें कारतूस की डाटें भी शामिल हैं; बारूद के लिए तैयार की हुई शीशे की गोलियां।

खण्ड–20

विविध विनिर्मित वस्तुएं

अध्याय–94

फर्नीचर और उसके भाग; बैडिंग तोषक, तोषक के आस्तरण, और इसी प्रकार की सामग्री का सजावट का सामान

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
94.01	कुर्सियां और अन्य गद्दियां (शीर्षक संख्या 94.02 के भीतर आने वाली वस्तुओं को छोड़कर), चाहे वे पलंगों में परिवर्तनीय हों या नहीं, और उनके भाग।
94.02	चिकित्सा, दांत चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या पशु चिकित्सा में काम आने वाला फर्नीचर (उदाहरणार्थ, आपरेशन करने की मेजें, यान्त्रिकी जुड़नारों के साथ अस्पतालों के बिस्तर); दान्तों के डाक्टरों के लिए और इसी प्रकार की यान्त्रिक उठाऊ, घूमने वाली या सहारा देने वाली गतियों के साथ कुर्सियां; और पूर्वोक्त वस्तुओं के भाग।
94.03	अन्य फर्नीचर और उसके भाग।
94.04	तोषक के अवलम्ब; शैय्या की वस्तुएं या इसी प्रकार के सज्जीकरण जो स्प्रिंगों से जोड़े गए हों या ठूंसे गए हों या किसी अन्य सामग्री या फैलने वाली सामग्री से फिट किए गए हों, फोम या स्पंज रबड़ या फैलने वाले, आकार के चाहे वे ढके हुए हों या नहीं (उदाहरणार्थ, तोषक रजाइयां साइडरडाऊन, कुशन, सोफे, और तकिए)।

अध्याय–95

नक्काशी या फर्मे की सामग्री की वस्तुएं और उनसे निर्मित वस्तुएं

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
95.01	शिल्पकारी की हुई कछुए की खोपड़ी और कछुए की खोपड़ी की वस्तुएं।
95.02	शिल्पकारी की हुई मुक्ता सीप और मुक्ता सीप की वस्तुएं।
95.03	शिल्पकारी किया हुआ हाथी दांत और हाथी दांत की वस्तुएं।
95.04	शिल्पकारी की हुई हड्डियां (व्हेल मछली की हड्डियों को छोड़कर) और हड्डियों की वस्तुएं (व्हेल मछली की हड्डियों को छोड़कर)।
95.05	शिल्पकारी किए हुए सींग, मूंगा (प्राकृतिक या पिंडीभूत किए हुए) और अन्य पशुओं की नक्काशी की सामग्री, और सींग, मूंगा (प्राकृतिक या पिंडीभूत किए हुए) या अन्य पशुओं की नक्काशी सामग्री की वस्तुएं।
95.06	वनस्पति नक्काशी की शिल्पकारी की हुई सामग्री (उदाहरणार्थ गजदन्तताल) और वनस्पति की नक्काशी सामग्री की वस्तुएं।
95.07	शिल्पकारी किए हुए जेट (और जेट के लिए खनिज प्रतिस्थापन,) एम्बर, समुद्रफेन, पिंडीभूत किया हुआ एम्बर और पिंडीभूत किया हुआ समुद्रफेन; और ऐसे तत्वों की वस्तुएं।
95.08	मोम की, स्ट्रिन की, प्राकृतिक गोंद या प्राकृतिक राल की (उदाहरणार्थ, कोपल या गंधराल की) या माडल बनाने के पेस्ट की सांचे में ढाली हुई या नक्काशी की हुई वस्तुएं और सांचे में ढाली हुई या नक्काशी

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
	की हुई अन्य वस्तुएं जो अन्य स्थान पर विशिष्टिकृत न की गई हों या शामिल न की गई हों; शिल्पकारी किए हुए, नरम सरेस (शीर्षक सं. 35.03 के भीतर आने वाले सरेस से भिन्न) और नरम सरेस की वस्तुएं।

अध्याय—96

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
झाडू, बुश,	पंखों के झाड़न, पाउडर लगाने की गद्दी और छलनियां
96.01	झाडू और बुश, टहनियों के या अन्य वनस्पति सामग्री के जो केवल आपस में बंधी हुई हों किन्तु सिर से जकड़ी हुई नहीं (उदाहरणार्थ झाडू और चंवर), मूठ सहित या मूठ के बिना।
96.02	अन्य झाडू और बुश (इसमें मशीनों के पुर्जों के रूप में प्रयोग होने वाला एक किस्म का बुश भी शामिल है), पेन्ट बेलन, स्क्वीजी (रोलर स्क्वीजी से भिन्न) और झाड़न।
96.03	झाडू या बुश बनाने के लिए तैयार संश्लेष और लटें।
96.04	पंखों के झाड़न।
96.05	किसी भी सामग्री की पाउडर लगाने की गद्दी और पैड जो सौन्दर्यवर्धक द्रव्यों या प्रसाधन की वस्तुएं लगाने के लिए हों।
96.06	किसी भी सामग्री की दस्ती छलनियां और दस्ती झारने।

अध्याय—97

खिलौने, क्रीडा और खेल-कूद की आवश्यक वस्तुएं; उनके भाग.

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
97.01	बच्चों की सवारी के लिए बनाए गए पहिएदार खिलौने (उदाहरणार्थ, खेलने की बाइसिकल और तीन पहियों वाली साइकिलें और पैडल दबाने से चलने वाली मोटर कार), गुड़ियों के प्राम्स और गुड़ियों की धकेलने वाली कुर्सियां।
97.02	गुड़ियां।
97.03	अन्य खिलौने; आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाली किस्म के हिलने-डुलने वाले माडल।
97.04	बैठकों के लिए साज-सामान, मेजें और व्यस्कों या बच्चों के लिए दिल बहलाने वाले खेल (इसमें बिलियर्ड टेबल और पिन टेबल और टेबल टेनिस के लिए आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं)।
97.05	आनन्दोत्सव की वस्तुएं, मनोरंजन की वस्तुएं (उदाहरणार्थ, बाजीगरी का खेल और अनूठी मजाकें), क्रिसमस के उपहारवृक्ष, क्रिसमस के उपहार-वृक्ष की सजावट करने की वस्तुएं, और ईसाइयों के त्यौहारों के लिए इसी प्रकार की वस्तुएं, बड़े दिन की आवश्यक वस्तुएं, बड़े दिन पर जलाए जाने वाले नकली लकड़ी के लट्ठे, जन्मोत्सव के दृश्य और उनके लिए रेखा-चित्र।
97.06	व्यायाम और खेल-कूद के लिए या खेल-कूद और मैदान के खेलों के लिए साधित्र, उप-करण, उप-साधक और आवश्यक वस्तुएं (शीर्षक संख्या 97.04 में आने वाली वस्तुओं से भिन्न)।
97.07	मछली पकड़ने के कांटे, मत्स्य रज्जु की सलाख और बंसी, मछलियों को भूमि पर रखने के जाल और बटरफ्लाइ जाल, "पक्षी फन्दा" लार्क मिरर और शिकार करने की इसी प्रकार की वस्तुएं।
97.08	चक्करदार मार्ग, घुमाव, शूटिंग गैलरी और मैदान के आमोद-प्रमोद; चलते-फिरते सर्कस, चलती-फिरती मेनेजरी और चलते-फिरते थियेटर।

अध्याय—98

विविध विनिर्मित वस्तुएं

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
98.01	बटन और बटन के सांचे, दोहरे बटन, कफों की कड़ियां और दबा कर बन्द करने की कसनी, इसमें चिट बटन और दबा कर बन्द करने वाले दोहरे बटन भी शामिल हैं ऐसी वस्तुओं के खोल और भाग।
98.02	सरकाने वाली कसनी और उनके पुर्जे।
98.03	फाउन्टेन पेन, स्टाइलोग्राफ पेन और पेंसिल (इसमें बाल प्वाइन्ट पेन और पेंसिलें भी शामिल हैं) और अन्य पेन, पेन होल्डर, पेंसिल होल्डर और इसी प्रकार के होल्डर, बढ़ने वाली पेंसिल और सरकने वाली पेंसिल; उनके पुर्जे और फिटिंग, किन्तु उनको छोड़ कर जो शीर्षक सं. 98.04 या 98.05 के अन्तर्गत आते हैं।
98.04	पेन की निबें और निब प्वाइन्ट।
98.05	पेंसिलें (शीर्षक सं. 98.03 की पेंसिलों से भिन्न), पेंसिलों के सिक्के, स्लेट पेंसिलें, चित्रांकनी और रंगीन पेंसिल, ड्राइंग चारकोल और लेखन और कृत्रिम रेखा बनाने वाले चाक, दर्जियों के उपयोग के और बिलियर्ड चाक।
98.06	स्लेट और बोर्ड, जो लिखने या ड्राइंग बनाने के तल के साथ हों, चाहे चौखटों में हों या नहीं
98.07	तिथि डालने, मोहर लगाने, संख्या डालने के स्टैम्प और इसी प्रकार की मोहरें (इनमें मुद्रित करने के लिए या लेबल एम्बोस करने के लिए औजार भी शामिल हैं) जो हाथ से चलाए जाने

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
	के लिए बनाए गए हैं; हस्तचालित कम्पोज करने वाली सलाइं और कम्पोज करने वाली ऐसी सलाइयों को समाविष्ट करने वाले हस्त-मुद्रण के सेट।
98.08	टाइपराइटर के और ऐसे ही रिब्बन, चाहे चर्खियों पर हों या नहीं; इन्क पेड, बक्से सहित या रहित।
98.09	सील करने के लिए लाख (इसमें बोतल में लाख भी शामिल है) सलाखों, टिक्कियों या इसी प्रकार के आकारों में; प्रतिलिपि करने की स्याही जो सरेस के आधार के साथ हो, चाहे वह कागज या वस्त्र में बन्द हो या नहीं।
98.10	यान्त्रिक लाइटर और इसी प्रकार के लाइटर, इसमें रासायनिक और विद्युतीय लाइटर भी शामिल हैं, और उनके पुर्जे, चकमक और पलीतों को छोडकर।
98.11	तम्बाकू पीने की नलियां; हुक्के, हुंडियां और तम्बाकू पीने की नलियों के अन्य भाग (इसमें लकड़ी के घटिया प्रकार के ढांचे में हो या न हो, सम्मिलित है); सिगार और सिगरेट होल्डर और उनके पुर्जे।
98.12	कंघे, हेयर स्लाइड और इसी प्रकार की वस्तुएं।
98.13	अंगियों में लगाने की कड़ी पट्टियां और पहनावे या वेशभूषा के सामान के लिए इसी प्रकार के समर्थन।
98.14	सेन्ट और श्रृंगार प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाली किस्म के इसी प्रकार के फव्वारे, और उनके चौखटे और प्रभाग।
98.15	खाली बोतल और अन्य खाली बर्तन जो खोल के साथ हों; उनके पुर्जे, भीतरी शीशे को छोड़कर।
98.16	दर्जियों की डमी और कारोबार सम्बन्धी अन्य ले-चित्र; दुकान की खिड़की सजाने के लिए प्रयोग होने वाली किस्म के स्वचालित और इसी प्रकार के प्रेरक।

खण्ड—21

कलाकृतियां, संग्राहकों द्वारा कला कृतियों के संग्रहण और पुरावशेष

अध्याय—99

कलाकृतियां, संग्राहकों द्वारा कला कृतियों के संग्रहण और पुरावशेष

शीर्षक सं.	वस्तु-विवरण
99.01	पेन्ट, ड्राइंग और रंगीन पेंसिलें, जो मुख्य रूप से हाथ से प्रयोग की जाती हों (शीर्षक सं. 49.06 में आने वाली औद्योगिक ड्राइंग को छोड़ कर और हाथ से अंकित की हुई या हाथ से सजावट की हुई विनिर्मित वस्तुओं को भी छोड़ कर)।
99.02	मूल नक्काशी, छपाई और अश्मलेख।
99.03	मूल मूर्ति कला और मूर्ति विद्या, किसी भी सामग्री में।
99.04	डाक, रसीदी और इसी प्रकार की टिकटें (इसमें डाक टिकट लगे हुए और अंकित लिफाफे, पत्र-कार्ड और इसी प्रकार की वस्तुएं शामिल हैं), जो प्रयोग किए हुए हों या यदि अप्रयुक्त हों तो वे जिस देश में गंतव्य हों उस देश के वर्तमान या नए प्रचालन के न हों।
99.05	प्राणी विज्ञान सम्बन्धी, वनस्पति विज्ञान सम्बन्धी, खनिज विज्ञान सम्बन्धी, शारीरिक इतिहास सम्बन्धी, पुरातत्व सम्बन्धी, पुरामानवीय सम्बन्धी, मानव जाति विज्ञान सम्बन्धी या मुद्रा तत्व के हित के संग्रह और संग्राहकों की कलाकृतियां।
99.06	एक सौ वर्षों से पुराने पुरावशेष।

परिशिष्ट—2 (जारी)

अनुसूची—2

(खण्ड—3 देखें)

आयात लाइसेन्स के लिए सक्षम अधिकारी

1	2
1. मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात	अनुसूची-1 के अन्तर्गत आने वाली किसी भी वस्तु के लिए।
2. अपर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात	—वही—
3. निर्यात आयुक्त	—वही—
4. संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात	—वही—
5. उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात	—वही—
6. सहायक मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात	
7. नियंत्रक, आयात-निर्यात	
8. अनुसूची-1 में दी गई वस्तुओं में से किसी भी वस्तु के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी	—वही—
9. सहायक मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात/नियंत्रक आयात-निर्यात, न्यू कांडला, (जहां तक मुक्त व्यापार क्षेत्र कांडला का सम्बन्ध है)	
10. उप-विकासायुक्त (आयात-निर्यात), सांताक्रूज, बम्बई (जहां तक सांताक्रूज इलैक्ट्रॉनिक निर्यात संसाधन क्षेत्र एवं पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस लेने के लिए ऐसे संभरण के मद्दे डोमेस्टिक टेरिफ एरिया (डी० टी० ए०) से माल के संभरण-कर्त्ताओं का सम्बन्ध है)	—वही—
11. सहायक विकासायुक्त (आयात एवं निर्यात), सांता-क्रूज, बम्बई (जहां तक सांताक्रूज इलैक्ट्रॉनिक निर्यात संसाधन क्षेत्र एवं पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस लेने के लिए, ऐसे संभरण के मद्दे डोमेस्टिक टेरिफ एरिया (डी० टी० ए०) से माल के संभरण-कर्त्ताओं का सम्बन्ध है)	अनुसूची 1 के अंतर्गत आने वाली किसी भी वस्तु के लिए।
12. उप-विकासायुक्त (नवीन एकक) सांताक्रूज इलैक्ट्रॉनिक निर्यात संसाधन क्षेत्र (जहां तक सांताक्रूज इलैक्ट्रॉनिक निर्यात संसाधन क्षेत्र एवं पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस लेने के लिए ऐसे संभरण के मद्दे डोमेस्टिक टेरिफ एरिया (डी० टी० ए०) से माल के संभरण-कर्त्ताओं का सम्बन्ध है)	—वही—

परिशिष्ट—2 (जारी)

अनुसूची—3

(खण्ड—4 देखें)

आयात लाइसेंस के लिए दिए जाने वाले आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित शुल्क देना होगा :—

क्रम संख्या	ब्यौरे	शुल्क की राशि
1	2	3
1.	जिन मामलों में आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट वस्तुओं का मूल्य 50,000/- रुपए से अधिक न हो ;	50/-रुपए
2.	जिन मामलों में आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट वस्तुओं का मूल्य 50,000/- रुपए से अधिक हो	प्रत्येक एक हजार रुपए पर एक रुपया, किन्तु यह राशि 10,000/- रुपए से अधिक नहीं हो सकती ।

बशर्ते कि :—

1. जहां आवेदन पत्र में विशिष्टिकृत माल का मूल्य एक लाख रुपए से अधिक नहीं हो जाता, वहां कच्चे माल, संघटक या फालतू पुर्जों के आयात के लिए छोटे पैमाने के वास्तविक उपयोक्ता या पंजीकृत निर्यातक द्वारा आयात लाइसेंस के लिए दिए गए आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में लगने वाले शुल्क की राशि 50/- रुपये होगी।

2. निम्नलिखित के सम्बन्ध में, आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट वस्तुएं कितने भी मूल्य की हों किन्तु उन पर 25/- रुपए के शुल्क की राशि देनी होगी :—

(1) परिपूरक लाइसेन्स प्रदान करने के लिए आवेदन-पत्र; या

(2) अनुलिपि लाइसेन्स प्रदान करने के लिए आवेदन-पत्र; या

(3) अलग-अलग लाइसेन्स प्रदान करने के लिए आवेदन-पत्र।

3. निम्नलिखित के सम्बन्ध में, आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट वस्तुएं कितने भी मूल्य की हों, उन पर लगने वाले शुल्क की राशि 10/- रुपए होगी :—

(1) किसी समीक्षा के आवेदन-पत्र पर किसी लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध (मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात को) भेजी गई अपील, या

(2) किसी अपील पर किसी निर्णय के विरुद्ध मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात को भेजा गया समीक्षा आवेदन-पत्र, या

(3) किसी निर्यात सदन द्वारा, पंजीकृत निर्यातकर्ताओं के लिए आयात नीति के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति लाइसेंस के हस्तांतरण के लिए भेजे गए आवेदन-पत्र।

4. किसी आयात लाइसेन्स की पोतलदान की अवधि में वृद्धि के लिए आए आवेदन-पत्र के साथ 50/- रुपए का शुल्क देना होगा चाहे कितना भी मूल्य हो।

(5) स्कूटर/आटो साइकिल/ मोटर साइकिल/मोपेड्स सहित एक वाहन के आयात के लिए आवेदनपत्र के सम्बन्ध में अदा किए जाने वाले शुल्क की धनराशि 500/- रुपए होगी और यह आवेदन-पत्र में विशिष्टिकृत ग्रेड के मूल्य को ध्यान में लिए बिना होगी।

बशर्ते कि यह निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा:-

(क) किसी भी वस्तु के लिए (वाहन को छोड़कर) यदि उस व्यक्ति विशेष को उन वस्तुओं का आयात अपने वैयक्तिक प्रयोग के लिए करना हो न कि व्यापार या विनिर्माण कार्यों के लिए तो उस सम्बन्ध में आयात लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए भेजा गया आवेदन-पत्र; या

(ख) समाचार प्रतिष्ठान द्वारा 40 टन की मात्रा से कम अखबारी कागज आयात करने के लिए, आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भेजे गए आवेदन-पत्र।

शुल्क वसूल करने के लिए, सार्वजनिक जानकारी के लिए निम्नलिखित हिदायतें दी गई हैं :—

(1) शुल्क मुख्य शीर्षक "097 विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन" के अधीन शीर्षक 'आयात लाइसेन्स आवेदन-पत्र शुल्क' में जमा करना चाहिए।

(2) आयात व्यापार नियंत्रण निक्षेप को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत भारतीय केन्द्रीय बैंक की किसी भी एक शाखा में शुल्क जमा करना चाहिए।

(3) यदि आवेदक ऐसे स्थान पर रहता है जहां आयात व्यापार नियंत्रण निक्षेप प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत भारतीय केन्द्रीय बैंक की कोई शाखा नहीं है, तो आवेदन शुल्क एवं अन्य आयात व्यापार नियंत्रण निक्षेपों को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराने की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

(4) इस आदेश के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क के भुगतान का प्रमाण जब तक आवेदन-पत्र के साथ नहीं भेजा जाएगा, तब तक उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

परिशिष्ट 2— (जारी)

अनुसूची 4

(खण्ड—12 देखें)

1. विगत वाणिज्य विभाग द्वारा जारी की गई यथासंशोधित अधिसूचना सं. 23-आई. टी. सी./43, दिनांक 1 जुलाई 1943

2. विगत वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं. 2-आई. टी. सी./48, दिनांक 6 मार्च, 1948

3. विगत वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं. 4-आई. टी. सी./48, दिनांक 1 मई, 1948

4. विगत वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं. 51-आई. टी. सी./50, दिनांक 15 नवम्बर, 1950

5. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया आदेश स. 4/55, दिनांक 30 जून 1955

परिशिष्ट—2 (जारी)

अनुसूची—5

(खण्ड—5 देखें)

आयात लाइसेन्सों के लिए लागू शर्तें

1. निम्नलिखित शर्तें सभी आयात लाइसेन्सों के लिए लागू होंगी :—

(1) यदि किसी मामले में, लाइसेन्सधारी द्वारा लाइसेन्स में शामिल किसी माल के आयात के वित्तदान के लिए अपरिवर्तनीय साखपत्र खोला जाए, तो विदेशी मुद्रा के जिस प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से साख खोला जाए वह भी साख में शामिल माल की सीमा तक संयुक्त लाइसेंसधारी माना जाएगा।

(2) लाइसेंस के मद्दे किए जाने वाले प्राधिकृत भुगतानों में भारत में आयातक/एजेन्ट को विदेशी संभरक/विनिर्माता द्वारा दिया गया कमीशन, बट्टा या छूट शामिल नहीं होंगे।

2. वास्तविक उपयोक्ताओं को "वास्तविक उपयोक्ता" शर्त के साथ जारी किए गए आयात लाइसेंसों के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी :—

(1) लाइसेंस के मद्दे आयात किए गए माल का उपयोग लाइसेंसधारी द्वारा केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए वह आयात किया गया था और उसका उपयोग उसी कारखाने, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, संस्थान, व्यावसायिक कार्यालय या अन्य सम्बद्ध परिसर में किया जाएगा जिसका पता उस आवेदनपत्र में दिया गया है जिसके मद्दे यह लाइसेंस प्रदान किया गया है। उस माल का कोई भी भाग किसी अन्य पार्टी को न तो हस्तान्तरित किया जाएगा, न उसके द्वारा उपयोग किया जाएगा और न ही किसी भी तरीके से उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी; लेकिन, जिस मामले में वास्तव में आवश्यक होगा तो जब तक वास्तविक उपयोक्ता शर्त का पालन हो तब तक वह माल अन्य कारखाने में संसाधित कराया जा सकता है या दूसरे प्रतिष्ठान में उपयोग के लिए रखा जा सकता है।

(2) लाइसेन्सधारी लाइसेन्स के मद्दे आयातित माल की खपत और उपयोग का एक उचित लेखा निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित तरीके से रखेगा और उस लेखे को लाइसेंस प्राधिकारी या अन्य सरकारी प्राधिकारी को ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत करेगा जो उसके द्वारा निर्धारित किया जाए।

(3) सभी वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक एकक) महानिदेशक तकनीकी विकास, नई दिल्ली को या सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी को उत्पादन का विवरण नियमित रूप से प्रस्तुत करेंगे।

(4) वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक एकक) महानिदेशक तकनीकी विकास, नई दिल्ली को या संबद्ध प्रायोजक अधिकारी को और इलैक्ट्रानिकी विभाग, नई दिल्ली (जो भी आयातित मद के लिए उपयुक्त हो) को अपने द्वारा आयातित मदों का अर्ध वार्षिक विवरण-पत्र भेजेगा।

(5) यदि अनुसंधान और विकास एककों द्वारा किए गए आयातों का मूल्य किसी एक समय में एक लाख रुपए से अधिक हो तो सीमाशुल्क कार्यालय के माध्यम से माल की निकासी के 30 दिनों के भीतर सभी अनुसन्धान और विकास एककों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को सूचित करना होगा। किसी इलैक्ट्रानिक मद के बारे में उन्हें इलैक्ट्रानिक विभाग, नई दिल्ली को भी सूचित करना चाहिए।

3. पूंजीगत माल के आयात के लिए जारी किए गए लाइसेंसों के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी :—

(1) लाइसेन्स के अन्तर्गत आयातित माल का उपयोग उस आवेदन-पत्र में दर्शाए गए पते पर लाइसेंसधारी की फैक्टरी में किया जाएगा जिसके मद्दे लाइसेन्स जारी किया गया है और यह कि उसका कोई

भी भाग न तो बेचा जाएगा, न किसी अन्य पार्टी को उसका उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी और विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी बैंक और राज्य वित्तीय निगम के अतिरिक्त अन्य किसी वित्त दाता के पास बन्धक नहीं रखा जाएगा, बशर्ते कि बन्धक रखे जाने वाले माल का ब्यौरा लाइसेंसधारी द्वारा पहले ही लाइसेंस प्राधिकारी को भेज दिया गया हो।

(2) लाइसेन्सधारी द्वारा सांख्यिकी निदेशालय, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय, नई दिल्ली को प्रत्येक वर्ष की 28 फरवरी और 31 अगस्त को लाइसेंस के मद्दे किए गए वास्तविक आयात और धन प्रेषण दर्शाते हुए इससे संलग्न अनुबन्ध में दिए गए प्रपत्र में एक अर्धवार्षिक विवरण पत्र भेजा जाएगा। जैसा कि बताया गया है प्रत्येक छमाही के लिए विवरण छमाही के समाप्त होने के 15 दिन की अवधि के भीतर भेजा जाएगा।

4. सरकारी संविदाओं के निष्पादन के लिए जारी किए गए आयात लाइसेंस इस शर्त के अधीन होंगे कि आयातित माल आपूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, रेलवे प्राधिकारियों अथवा रक्षा प्राधिकारियों, जैसा भी मामला हो, द्वारा किए गए आदेश में निर्धारित तरीके से उपयोग में लाया जाएगा अथवा बेचा जाएगा अथवा उसका निपटान किया जाएगा, और आयातित माल लाइसेंस प्राधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी अन्य प्रकार से उपयोग में नहीं लाया जाएगा अथवा उसका निपटान नहीं किया जाएगा।

अनुबंध

अनुसूची 5

. . . . को समाप्त होने वाली छमाही के लिए उपयोग रिपोर्ट ।

1. लाइसेंसधारी का नाम और पता

2. लाइसेंस की सं. और दिनांक

3. माल का संक्षिप्त ब्यौरा

4. लाइसेन्स का कुल मूल्य रुपयों में

5. रिपोर्ट की छमाही के दौरान आयातित माल का मूल्य :—

आयात करने की तिथि	मूल्य रुपयों में	निकासी का पत्तन
1	2	3

6. जिस छमाही की यह रिपोर्ट है, उसके अन्त में लाइसेन्स की सीमा-शुल्क प्रति में अप्रयुक्त शेष धन राशि रुपयों में ------------

7. जिस छमाही की यह रिपोर्ट है, उसके दौरान लाइसेन्सों के मद्दे किए गए धन प्रेषण का ब्यौरा

8. जिस छमाही की यह रिपोर्ट है, उसके अन्त में लाइसेन्स की मुद्राविनियम नियंत्रण-प्रति में अप्रयुक्त राशि रुपयों में ------------------

9. जिस छमाही की यह रिपोर्ट है, उसके दौरान लाइसेंस के मद्दे दिए गए आदेशों का ब्यौरा

10. जिस छमाही की यह रिपोर्ट है, उसके दौरान लाइसेंस के मद्दे खोले गए साख पत्रों का ब्यौरा

प्रेषण की तिथि मूल्य रुपयों में

11. यदि लाइसेन्स को पुनर्वैध करने की कोई अवधि हो, तो उसके सहित लाइसेन्स की वैधता अवधि की समाप्ति की तिथि।

मैं/हम एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि भेजे गए/दिखाए गए ब्यौरे मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

दिनांक . . . .

लाइसेंसधारी के हस्ताक्षर

परिशिष्ट--2 (जारी)

निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977

भारत सरकार

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण (सं. 1/77-ईटीसी)

नई दिल्ली, दिनांक 24 मार्च, 1977

एस. ओ. 254 (ई)—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश की रचना करती है; अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ**—(1) इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 की संज्ञा दी जाए।

(2) यह 1 अप्रैल, 1977 से लागू होगा।

2. **परिभाषा**—इस आदेश में जब तक अन्यथा रूप से सन्दर्भ की आवश्यकता न हो :—

(क) "अधिनियम" का अर्थ है आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18);

(ख) "मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात" में अपर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, निर्यात आयुक्त, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय में संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात तथा नियंत्रक, आयात-निर्यात शामिल है।

(ग) "सीमा-शुल्क समाहर्ता" का वही अर्थ है जो सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) में नियत है;

(घ) "लाइसेन्स" में निम्नलिखित शामिल है :—

(1) इस आदेश के अन्तर्गत पोतलदान बिल में किया गया लाइसेन्स पृष्ठांकन।

(2) इस आदेश के अन्तर्गत आबंटित माल के निर्यात के लिए कोटा, चाहे ऐसा आबंटन लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा किया गया हो या इस सम्बन्ध में लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी भी अन्य अभिकरण द्वारा किया गया हो।

(ङ) "लाइसेन्सधारी" का मतलब वह व्यक्ति है, जिसको इस आदेश के अन्तर्गत लाइसेन्स प्रदान किया जाता है;

(च) "लाइसेन्स प्राधिकारी" का मतलब है वह समर्थ प्राधिकारी जो इस आदेश के अन्तर्गत लाइसेन्स प्रदान करता है;

(छ) "अनुसूची" का मतलब है इस आदेश की अनुसूची;

(ज) "मूल्य" का मतलब वही है जो सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 के 52) की धारा 14 की उपधारा (1) में है।

3. **कुछ मदों के निर्यात पर प्रतिबन्ध**—(1) इस आदेश में अन्यथा रूप से जो दिया गया है, उसे छोड़ कर कोई भी व्यक्ति अनुसूची-1 में उल्लिखित विवरणों के किसी भी माल का निर्यात नहीं करेगा, किन्तु उनको छोड़ कर जिन्हें केन्द्रीय सरकार या अनुसूची-2 में उल्लिखित अधिकारी द्वारा नियमानुसार लाइसेन्स प्रदान किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान को किसी भी माल का निर्यात नहीं करेगा, लेकिन उनको छोड़ कर जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा या अनुसूची-2 में उल्लिखित अधिकारी द्वारा नियमानुसार लाइसेन्स प्रदान किया गया हो।

(3) उप-अनुच्छेद (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी अनुसूची-3 में विशिष्टिकृत माल का निर्यात उसमें उल्लिखित शर्तों को पूरा करने पर किया जा सकता है।

3क. **कोटा आबंटन के लिए आवेदन-पत्र का शुल्क** :—पोशाकों के निर्यात के लिए कोटा आबंटन के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ खजाना रसीद/बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा की गई 50 (पचास) रुपए की फीस होनी चाहिए। जमा की गई फीस किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी। लेकिन, उन मामलों को छोड़कर जहां फीस जमा कर दी गई है, परन्तु कोटा आबंटन के लिए कोई आवेदन-पत्र नहीं भेजा गया है।

(4) यदि किसी भी मामले में यह पाया गया कि निर्यात किए जाने वाले माल का मूल्य, प्रकार, विशिष्टिकरण, किस्म और विवरण निर्यातक की घोषणा के अनुसार नहीं है या ऐसे माल की किस्म और विशिष्टिकरण निर्यात संविदा की शर्तों के अनुसार नहीं है तो ऐसे माल का निर्यात निषेध समझा जाएगा।

4. **लाइसेन्स की शर्तें**—(1) इस आदेश के अन्तर्गत प्रदान किए गए लाइसेन्स में इस तरह की शर्तें हो सकती हैं, जो इस अधिनियम या इस आदेश के अनुरूप न हों, परन्तु जिन्हें लाइसेंस अधिकारी उपर्युक्त समझें।

(2) इसे प्रत्येक लाइसेन्स के लिए एक शर्त के रूप में समझा जाएगा कि :—

(क) लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए लाइसेन्स को कोई व्यक्ति हस्तान्तरित नहीं करेगा और

न कोई व्यक्ति हस्तान्तरण द्वारा प्राप्त करेगा, किन्तु उन मामलों को छोड़ कर जिनमें उस प्राधिकारी की लिखित अनुमति मिल जाती है जिसने लाइसेन्स प्रदान किया है या अन्य कोई व्यक्ति जो इस प्रकार के अधिकारी द्वारा उसकी ओर से ऐसा करने के लिए समर्थ बनाया गया है।

(ख) जिस माल के निर्यात के लिए लाइसेन्स प्रदान किया जाता है वह माल निर्यात के समय लाइसेन्सधारी की सम्पत्ति होगी।

(3) इस अनुच्छेद के अन्तर्गत रखी गई या रखी जाने वाली शर्तों का सभी लाइसेन्सधारी पालन करेंगे।

5. **लाइसेन्स अस्वीकार करना** :--लाइसेन्स प्राधिकारी लाइसेन्स देने से इनकार कर सकता है :--

(क) यदि लाइसेन्स के लिए दिया गया आवेदन-पत्र इस आदेश के किसी उपबन्ध के अनुसार नहीं है;

(ख) यदि इस प्रकार के आवेदन-पत्र में किसी प्रकार का झूठा या जालसाजी करने या गुमराह करने वाला विवरण पाया जाता है;

(ग) यदि आवेदक अपने आवेदन-पत्र के समर्थन में कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करता है जो झूठा है या जाली है या जिसमें हेरफेर किया गया है;

(घ) यदि लाइसेन्स प्राधिकारी यह समझता है कि लाइसेन्स प्रदान करना देश के हित में नहीं होगा;

(ङ) यदि आवेदक के कार्य-कलाप राज्य के हित के प्रतिकूल हैं;

(च) यदि आवेदक ने किसी सीमाशुल्क या विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित किसी कानून (जिसमें कोई नियम, आदेश या अधिनियम शामिल है) का उल्लंघन किया है;

(छ) यदि आवेदक ने किसी समय निर्यात लाइसेन्स में कोई फेर-बदल की है या बिना लाइसेन्स के माल निर्यात किया है या अपने वाणिज्यिक कार्यों में या किसी प्रकार से लाइसेन्स प्राप्त करने में किसी भ्रष्ट या धोखेबाजी के कामों में भाग लिया है या यह पाया जाता है कि उसने लाइसेन्सधारी को किसी प्रकार का प्रलोभन देकर या अन्य तरीके से लाइसेन्स पाने के लिए याचना की है;

(ज) यदि आवेदक के लिए लाइसेन्स प्राप्त करने में आवेदक के किसी अभिकर्ता या कर्मचारी ने किसी भ्रष्ट या जालसाजी के कामों में भाग लिया है;

(झ) यदि निर्यात लाइसेन्स के लिए आवेदन-पत्र दोषपूर्ण पाया जाता है और निर्धारित नियमों के अनुसार नहीं पाया जाता है;

(ञ) यदि आवेदक अधिनियम के अन्तर्गत बनाए या बनाए गए समझे जाने वाले किसी आदेश या इस प्रकार के किसी आदेश के अन्तर्गत किए गए लाइसेन्स की किसी शर्त का उल्लंघन करता है; या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या उल्लंघन करने के लिए उकसाता है या निर्यात व्यापार नियंत्रण विनियमों को भंग करता है;

(ट) यदि आवेदक निर्यात नियंत्रण विनियमों के अनुसार लाइसेन्स के लिए पात्र नहीं है;

(ठ) यदि लाइसेन्स प्राधिकारी निर्यात को विशेष या विशिष्ट अभिकरणों से या सूत्रों के माध्यम से सरणीबद्ध करने का निश्चय करता है;

(ड) यदि आवेदक एक साझीदार फर्म में साझीदार है या उस प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का पूर्ण समय के लिए निदेशक या प्रबन्ध निदेशक है जो कुछ समय के लिये अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 8 या अनुच्छेद 9 के अन्तर्गत कार्रवाई के अधीन है;

(ढ) यदि आवेदक अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 8 या अनुच्छेद 9 के अन्तर्गत थोड़े समय के लिए किसी कार्रवाई के अधीन है;

(ण) यदि आवेदक एक साझीदार फर्म में या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में कोई साझीदार या पूर्ण समय के लिए निदेशक या प्रबन्ध निदेशक हो या, जैसा भी मामला हो, थोड़े समय के लिए अनुच्छेद 7 या 8 या 9 के अन्तर्गत किसी कार्रवाई के अधीन है;

(त) यदि सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत आवेदक से किसी प्रकार की धनराशि की मांग की जाती है या उक्त अधिनियम के अन्तर्गत किसी प्रकार का लगाया गया दण्ड 3 महीने की अवधि तक चुकाया नहीं गया है;

(थ) यदि आवेदक किसी प्रकार के उस दस्तावेज को प्रस्तुत करने में असमर्थ है जिसकी मांग मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात या लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा की जाती है; और

(द) यदि आवेदक, अधिनियम के अन्तर्गत उस पर अन्तिम रूप से लगाए गए जुर्माने को चुकाने में असफल रहता है।

6. **लाइसेन्स का संशोधन**--लाइसेन्स प्राधिकारी अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या लाइसेन्सधारी के आवेदन पर, इस आदेश के अन्तर्गत प्रदान किए गए लाइसेन्स में ऐसा संशोधन कर सकता है, जो कि अधिनियम की या इस आदेश की या थोड़े समय के लिए लागू किसी अन्य कानून की व्यवस्थाओं के अनुरूप आवश्यक समझे या लाइसेन्स में किसी प्रकार की गलती या भूल का सुधार कर सकता है।

बशर्ते कि लाइसेन्स प्राधिकारी लाइसेन्सधारी के अनुरोध पर लाइसेन्स में निर्यात व्यापार नियंत्रण विनियमों के अनुसार किसी संगत तरीके से संशोधन करे।

7. **लाइसेन्स प्राप्त करने या माल निर्यात करने से वंचित करने का अधिकार**--(1) केन्द्रीय सरकार या मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात लाइसेन्सधारी को या निर्यातक या किसी अन्य व्यक्ति को निम्नलिखित सभी के लिए या इनमें से किसी के लिए वंचित कर सकते हैं; अर्थात् लाइसेन्स प्राप्त करने से या किसी माल का निर्यात करने से वंचित कर सकते हैं और अन्य कोई कार्रवाई, जो इस सम्बन्ध में की जाए उसे ध्यान में रखे बिना यह निदेश दे सकता है कि उसे कोई लाइसेन्स प्रदान नहीं किया जाएगा या इस आदेश के अन्तर्गत एक विशिष्टिकृत अवधि के लिए किसी माल के निर्यात के लिए उसे कोई अनुमति नहीं दी जाएगी :--

(क) यदि लाइसेन्स के लिए उसका आवेदन-पत्र किसी समय इस आदेश की किसी व्यवस्था के अनुरूप नहीं पाया जाता है; या

(ख) यदि इस प्रकार के आवेदन-पत्र में किसी प्रकार का झूठा, जाली या गुमराह करने वाला विवरण शामिल होता है; या

(ग) यदि यह पाया जाता है कि उसने अपने आवेदन-पत्र के समर्थन में जो प्रलेख दिया गया है, वह झूठा है या जाली है या उनमें हेर-फेर किया हुआ है; या

(घ) यदि उसने किसी समय निर्यात लाइसेन्स में हेर-फेर किया है या लाइसेन्स के बिना माल निर्यात किया है या वाणिज्यिक व्यवहार करने में या लाइसेन्स प्राप्त करने में या किसी माल का निर्यात करने में भ्रष्ट या धोखेबाजी के काम में भाग लिया है, या यह पाया जाता है कि लाइसेन्सधारी ने किसी प्रकार का प्रलोभन देकर या किसी अन्य तरीके से लाइसेन्स पाने के लिए याचना की है;

(ङ) यदि उसके अभिकर्ता या कर्मचारी ने किसी भ्रष्ट या धोखेबाजी के काम में किसी लाइसेन्स प्राप्त करने या उसकी ओर से किसी माल का निर्यात करने में किसी धोखेबाजी के काम में भाग लिया है; या

(च) यदि वह लाइसेन्स में दी गई शर्तों या लाइसेन्स में संलग्न किए गए आवेदन-पत्र में दी गई शर्तों में किसी शर्त का अनुपालन करने में असफल रहता है या उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या उल्लंघन करने में सहायता देता है; या

(छ) यदि वह सीमाशुल्क या माल के आयात और निर्यात या विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित किसी कानून (इसमें कोई आदेश या विनियम शामिल है) को भंग करता है; या

(ज) यदि वह मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात या किसी अन्य लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा मांगे गए दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है।

(झ) यदि वह अपने और अन्य पार्टी के बीच में हुई निर्यात संविदा का जान बूझ कर उल्लंघन करता है।

टिप्पणी : इस अनुच्छेद में, "लाइसेन्स के लिए आवेदन-पत्र" में निर्यात व्यापार नियंत्रण विनियमों के अन्तर्गत दिया गया कोई भी आवेदन-पत्र शामिल है।

(2) केन्द्रीय सरकार या मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात लिखित रूप में विशेष आदेश द्वारा :--

(क) विवर्जित कर सकते हैं :--

(1) उस व्यक्ति को जिसके सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी कार्यकलाप निवारण अधिनियम, 1974 (1974 के 52) (जिसे इसके बाद अधिनियम, 1974 कहा गया है) के अधीन कारावास का आदेश दिया गया है, अथवा,

(2) एक साझेदार फर्म या प्राइवेट कम्पनी के ऐसे व्यक्ति को जो भागीदार हो या निदेशक या प्रबन्ध निदेशक जैसा भी मामला हो, लाइसेन्स प्राप्त करने से या माल का निर्यात करने से; और

(ख) ऐसे व्यक्ति साझेदारी की फर्म या कम्पनी के विरुद्ध जो अन्य कार्रवाई की जा सकती है, उसको ध्यान में रखे बिना यह आदेश दे सकते हैं कि ऐसे विशेष आदेश में जो अवधि निर्धारित की जाए उसके लिए ऐसे व्यक्ति, साझेदारी की फर्म या कम्पनी को कोई माल निर्यात करने के लिए कोई लाइसेन्स या अनुमति नहीं दी जाएगी : बशर्ते कि ऐसा विशेष आदेश ऐसे व्यक्ति/साझेदारी की फर्म या कम्पनी जिसका यह व्यक्ति पूरे समय के लिए प्रबन्ध निदेशक या निदेशक जो भी हो, के विरुद्ध तब लागू नहीं होगा जबकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध दिया गया कारावास का आदेश--

(1) वह कारावास का आदेश हो जिसके लिए अधिनियम, 1974 के खण्ड 9 या खण्ड 12-क के प्रावधान लागू न होते हों और वह उस अधिनियम के खण्ड 8 के अन्तर्गत सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर रद्द कर दिया गया हो या सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले रद्द कर दिया गया हो या सलाहकार बोर्ड को सन्दर्भ भेजने से पहले रद्द कर दिया गया हो; या

(2) वह आदेश कारावास का ऐसा आदेश हो जिसके लिए अधिनियम, 1974 के खण्ड 9 के प्रावधान लागू होते हों, परन्तु वह उस अधिनियम के खण्ड 9, उप-खण्ड (2) के साथ पढ़े जाने वाले खण्ड 8 के अन्तर्गत सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर या खण्ड 9 के उप-खण्ड (3) के अन्तर्गत जांच के आधार पर समय की समाप्ति से पहले रद्द कर दिया गया हो; या

(3) वह कारावास का ऐसा आदेश हो जिसके लिए अधिनियम, 1974 के खण्ड 12-क के प्राव-

धान लागू हो और वह उस खण्ड के उप-खण्ड (3) के अन्तर्गत प्रथम जांच के आधार पर या उस अधिनियम के खण्ड 12-क के उप-खण्ड (6) के साथ पढ़े जानेवाले खण्ड (8) के अन्तर्गत सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर समय की समाप्ति से पहले रद्द कर दिया गया हो; या

(4) समर्थ क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा वह रद्द कर दिया गया हो।

(3) केन्द्रीय सरकार या मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात लाइसेन्सधारी या निर्यातक या किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेन्स प्राप्त करने या किसी माल का निर्यात करने से रोक सकते हैं और जो इस सम्बन्ध में उनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई की जा सकती है उसको ध्यान में रखे बिना यह निदेश दे सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को इस आदेश के अन्तर्गत एक विशिष्ट अवधि के लिए माल का निर्यात करने के लिए कोई लाइसेन्स प्रदान नहीं किया जाएगा या अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि केन्द्रीय सरकार या मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के विचार में :—

(क) ऐसा लाइसेन्सधारी, निर्यातक या अन्य व्यक्ति; या

(ख) जहां ऐसा लाइसेन्सधारी, निर्यातक या अन्य व्यक्ति एक साझेदारी फर्म या लिमिटेड कम्पनी में कोई साझेदार या पूर्ण समय के लिए जैसा भी मामला हो संचालक या प्रबन्ध संचालक हो; या

(ग) जहां ऐसा लाइसेन्सधारी, आयातक या अन्य व्यक्ति एक साझेदारी फर्म में साझेदार या लिमिटेड कम्पनी; ऐसी साझेदारी फर्म या लिमिटेड कम्पनी का पूर्ण समय के लिए, जैसा भी मामला हो, संचालक या प्रबन्ध संचालक हो; और

(1) ऐसा लाइसेन्सधारी, निर्यातक या अन्य व्यक्ति या साझेदार या पूर्ण समय के लिए संचालक या प्रबन्ध संचालक या ऐसी साझेदारी फर्म या लि. कम्पनी, जैसा भी मामला हो, प्रदान किए गए किसी निर्यात लाइसेन्स या आबंटित कोटे का उपयोग करने या पूर्णतया उपयोग करने में बिना यथेष्ट कारण के असफल रहा हो; या

(2) उसने आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के उप-अनुच्छेद (3) के पैरा (1) में उल्लिखित कोई गलत कार्य किया हो।

8. **लाइसेन्सों की मंजूरी निलम्बित करने या माल निर्यात करने की अनुमति के लिए अधिकार**—केन्द्रीय सरकार या मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात उस लाइसेन्सधारी या निर्यातक या अन्य व्यक्ति को लाइसेन्सों की मंजूरी देने या माल निर्यात करने से निलम्बित कर सकते हैं जिसके विरुद्ध धारा 7 में उल्लिखित एक या अधिक अभियोगों की जांच चल रही हो; यह कार्रवाई उस अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त होगी जो इस सम्बन्ध में की जा सकती है;

बशर्ते कि लाइसेन्स मंजूर करना या माल के निर्यात के लिए अनुमति देना साधारणतः 12 महीनों की अवधि से अधिक के लिए इस धारा के अन्तर्गत निलम्बित नहीं किया जाएगा;

आगे यह भी शर्त होगी कि निलम्बन हटाने पर उसकी ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन निलम्बन की अवधि के लिए लाइसेन्स प्रदान किया जा सकता है जो कि पूर्वोक्त प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित आर्थिक तथ्यों को ध्यान में रख कर तय की जाए।

9. **निर्यात किए जाने वाले माल के लिए आवेदन-पत्रों को आस्थगन में रखना**—उन मामलों में जहां लाइसेन्सधारी या निर्यातक या किसी भी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध परिच्छेद 7 में उल्लिखित आरोपों में किसी भी आरोप के लिए जांच पड़ताल करना बाकी है और जहां केन्द्रीय सरकार या मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात इस प्रकार के आरोपों के सम्बन्ध में और विस्तृत जानकारी का पता लगाए बिना ही संतुष्ट हो जाता है कि लाइसेन्स प्रदान करना या माल का निर्यात करने के लिए स्वीकृति प्रदान करना सार्वजनिक हित में नहीं है तो इस आदेश में निहित किसी भी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार या मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ऐसे व्यक्ति को लाइसेन्स प्रदान करने के लिए या माल का निर्यात करने के लिए उसके किसी भी आवेदन-पत्र को, कोई भी कारण बतलाए बिना ही इस सम्बन्ध में की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई को ध्यान में रखे बिना ही, आस्थगन में रख सकता है :

बशर्ते कि इस परिच्छेद के अन्तर्गत ऐसे लाइसेन्स के लिए मंजूरी देने या माल के निर्यात के लिए अनुमति देने की निलम्बन अवधि साधारणतः 6 महीने से अधिक नहीं होगी।

10. **परिच्छेद 7 अथवा 8 के अन्तर्गत की गई कार्रवाई का प्रचार** :—

(1) यदि केन्द्रीय सरकार के विचार में यह आवश्यक है या सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए यह उचित है कि परिच्छेद 7 या 8 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों जिन के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, के नामों या अन्य ब्यौरों को प्रकाशित किया जाए तो जैसा भी वह उचित समझे ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के नामों को और ऐसे ब्यौरों को प्रकाशित करा सकती है या प्रकाशित कराने का कारण बन सकती है।

(2) उप-परिच्छेद (1) के अन्तर्गत ऐसी किसी कार्रवाई के सम्बन्ध में कोई भी प्रकाशन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अपील सुनने वाले प्राधिकारी

को अपील प्रस्तुत किए बिना, अपील प्रस्तुत करने का समय बीत न गया हो या अपील निपटा न दी गई हो ।

व्याख्या :— फर्म, कंपनी या व्यक्तियों की अन्य संस्था के मामले में, फर्म के साझीदारों, संचालकों, प्रबन्ध एजेन्टों, सचिवों और कोषाध्यक्षों या कंपनी के प्रबन्धकों या संस्था के सदस्यों, जैसा भी मामला हो, के नाम भी प्रकाशित किए जा सकते हैं बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार के विचार में मामले की परिस्थितियां इसे न्याय संगत ठहराएं।

11. **लाइसेन्सों को रद्द करना**—(1) केन्द्रीय सरकार या मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात या उस की ओर से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी इस आदेश के अन्तर्गत प्रदान किए गए किसी भी लाइसेंस को रद्द कर सकता है या अन्यथा रूप से उसे अप्रभावी कर सकता है :—

(क) यदि लाइसेंस भूल या गलती से प्रदान किया गया है या जालसाजी या मिथ्या निरूपण से प्राप्त किया गया है,

(ख) यदि लाइसेंस, नियमों या इस आदेश की शर्तों के प्रतिकूल प्रदान किया गया है,

(ग) यदि लाइसेन्सधारी ने लाइसेन्स की शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है,

(घ) यदि केन्द्रीय सरकार या ऐसा अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि लाइसेंस उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा जिस के लिए वह प्रदान किया है, या

(ङ) यदि लाइसेंसधारी ने सीमाशुल्क से संबंधित किसी कानून या माल के आयात-निर्यात से संबंधित किन्हीं नियमों या विनियमों या विदेशी मुद्रा के विनियमों से संबंधित किसी कानून का उल्लंघन किया हो :

इसकी शर्त यह भी है कि इस आदेश में कोई बात निहित होते हुए भी केन्द्रीय सरकार या मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात या उसकी ओर से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी यदि इस बात से संतुष्ट है कि लाइसेंस को रद्द करना या उसे अप्रभावी करना सार्वजनिक हित में है तो वह कोई भी कारण बताए बिना ही ऐसा कर सकता है।

(2) केन्द्रीय सरकार या मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात या उसकी ओर से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी इस आदेश के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रदान किए गए किसी भी लाइसेंस को लिखित रूप में विशेष आदेश द्वारा अप्रभावी कर सकता है :—

(क) ऐसा व्यक्ति जिस के संबंध में अधिनियम 1974 के अंतर्गत कारावास का आदेश दिया गया हो, या

(ख) एक साझेदारी की फर्म या प्राइवेट लि. कम्पनी जिसका ऐसा व्यक्ति साझीदार या पूर्ण समय के लिए निदेशक या प्रबंध निदेशक हो ।

शर्त यह है कि ऐसे व्यक्ति के संबंध में या साझेदारी फर्म या कंपनी, जो भी हो, जिसका ऐसा व्यक्ति साझीदार या संचालक हो, के संबंध में ऐसा विशेष आदेश, उस समय अपना कोई प्रभाव नहीं रखेगा जब कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध दिया गया कारावास का आदेश :—

(1) कारावास का ऐसा आदेश हो जिस के लिए अधिनियम 1974 के अनुच्छेद 9 या अनुच्छेद 12-क के प्रावधान लागू न होने के कारण उसे उक्त अधिनियम के अनुच्छेद 8 के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर या सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट की प्राप्ति से पहले या सलाहकार बोर्ड को संदर्भ भेजने से पहले रद्द कर दिया गया हो; या

(2) कारावास का ऐसा आदेश हो जिसके लिए अधिनियम 1974 की धारा 9 की शर्त लागू होती हों, और वह धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रथम पुनःविचार के लिए दिए गए समय की समाप्ति से पहले या प्रथम पुनःविचार के आधार पर या इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 8 के अंतर्गत सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर रद्द कर दिया गया हो; या

(3) कारावास का ऐसा आदेश हो जिस के लिए अधिनियम 1974 की धारा 12क की शर्तें लागू होती हों और वह इस धारा की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रथम पुनर्विचार के लिए दिए गए समय की समाप्ति से पहले या प्रथम पुनर्विचार के आधार पर या इस अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (6) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा के अंतर्गत सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर रद्द कर दिया गया हो या

(4) कारावास का ऐसा आदेश हो जो सक्षम न्याय अधिकारी के न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया हो।

12. **लाइसेन्सधारी आदि को सुनवाई के लिए सुअवसर प्रदान करना** :—

(1) अनुच्छेद 6 या उपधारा (आई.) या अनुच्छेद 7 की उपधारा 3 या अनुच्छेद 8 या अनुच्छेद 11 की उपधारा (1) के अंतर्गत लाइसेंसधारी या निर्यातक या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि उसे सुनवाई का उचित सुअवसर प्रदान न कर दिया गया हो।

(2) यदि किसी मामले में अनुच्छेद 7 या 8 या अनुच्छेद 11 की उपधारा (1) उस मामले को छोड़कर जिस में उस के परन्तुक के अन्तर्गत रद्द करने का आदेश दिया गया हो, के अन्तर्गत की गई कार्रवाई से कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वह कार्रवाई के पत्र की तिथि से 30 दिनों के भीतर ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध ऐसे प्राधिकारी से अपील कर सकता है जिसे केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अपील सुनने के लिए निर्धारित करें ।

13. **निर्यात किए गए माल के मूल्य, किस्म, गुण आदि की घोषणा** :—

किसी सीमा शुल्क पत्तन से किसी भी माल का निर्यात करने पर चाहे वह माल सीमा-शुल्क के अधीन हो या नहीं उस माल

का मालिक या निर्यातक अपने ज्ञान और विश्वास के अनुसार पोत लदान बिल में या अन्य संगत दस्तावेज में उस माल के मूल्य, किस्म, विशिष्टिकरण गुण और विवरण का उल्लेख करेगा और यह प्रमाणित करेगा कि इन दस्तावेजों में उल्लिखित माल की किस्म और विशिष्टिकरण उसी निर्यात संविदा के अनुसार है जो क्रेता और माल के परेषक के बीच की गई है और जिस के अनुसरण में माल का निर्यात किया जा रहा है और ऐसे उल्लेख की घोषणा की सच्चाई में ऐसे बिल या अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा।

14. **किसी घोषणा, विवरण पत्र या दस्तावेजों को तैयार करने, उन पर हस्ताक्षर आदि करने के संबंध में निषेध :—**

(1) लाइसेंस प्राप्त करने में या किसी माल का निर्यात करने में कोई भी व्यक्ति किसी घोषणा पत्र, विवरण पत्र या दस्तावेज पर यह जानते हुए या विश्वास रखते हुए न तो हस्ताक्षर करेगा और न हस्ताक्षर करने का कारण उत्पन्न करेगा कि ऐसे घोषणा पत्र, विवरणपत्र या दस्तावेज में कोई विशेष बात झूठी है।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी भी लाइसेंस को प्राप्त करने या किसी भी माल का निर्यात करने में भ्रष्ट या कपटपूर्ण तरीकोंका प्रयोग नहीं करेगा।

14—क. **मुख्य नियंत्रक, या अपर मुख्य नियंत्रक को संशोधन करने का अधिकार :—**

मुख्य नियंत्रक या अपर मुख्य नियंत्रक अपनी मर्जी से या किसी अन्य प्रकार से किसी भी ऐसी कार्रवाई का रिकार्ड मंगाकर जिसमें अधीनस्थ अधिकारी द्वारा धारा 7 की उपधारा (1) या उपधारा (3) अथवा धारा 11 की उपधारा (1) के अंतर्गत विवर्जित करने की कार्रवाई की गई हो और जिस के खिलाफ कोई भी अपील नहीं की गई हो, ऐसी कार्रवाई के सहीपन, कानूनी वैधता या औचित्य का अपनी संतुष्टि के लिए परीक्षण कर सकते हैं और उस पर जैसा भी उचित समझें आदेश दे सकते हैं :

बशर्ते कि इस उप-धारा के अंतर्गत की गई कार्रवाई में ऐसी विविधता नहीं होगी जिससे किसी व्यक्ति पर उसका प्रतिकूल असर पड़े जब तक कि ऐसे व्यक्ति को :—

(क) ऐसी कार्रवाई करने की तिथि से दो वर्षों के भीतर यह पूछते हुए कारण बताओ नोटिस प्राप्त न हुआ हो कि ऐसी कार्रवाई में परिवर्तन क्यों न कर दिया जाए;और

(ख) यदि उसने अपने बचाव की इच्छा व्यक्त की है और बचाव के लिए समय चाहता है तो उसे अभ्यावेदन करने का और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए सुअवसर प्रदान न किया गया हो।

15. अपवाद :—निम्नलिखित के लिए आदेश में से कुछ भी लागू नहीं होगा

(क) केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन निर्यात किया गया कोई भी माल;

(ख) मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी किए गए निष्पादन अनुदेशों में शामिल कोई भी माल;

(ग) बाहर जाने वाले किसी जलयान या अन्य वाहन के भंडार या उपस्कर के रूप में कोई भी माल, किन्तु भोजन सामग्री से भिन्न;

(घ) भारत से बाहर जाने वाले किसी भी व्यक्ति (बाहर जाने वाले किसी जलयान या वाहन में यात्री या दल के सदस्य को छोड़कर) के वास्तविक निजी नाविक असबाब में शामिल कोई भी माल;

शर्त यह है कि अनुसूची 1 के भाग "क" में विशिष्टिकृत जंगली जीव (मृत या जीवित या उनके अंग या उनके उत्पाद) ऐसे निजी असबाब में शामिल नहीं किए जाएंगे :—

(ङ) डाक प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए पोस्टल नोटिस में विशिष्टिकृत शर्तों के अंतर्गत डाक द्वारा या वायुयान द्वारा निर्यात किया गया कोई भी माल;

(च) भारत के पत्तन पर वाहनान्तरित कोई भी माल जब कि वह भारत से बाहर के पत्तन से प्रेषण के समय ऐसे वाहनान्तरण के लिए माल सूची में लिख दिया गया हो;

(छ) आयात किया हुआ और भारत पहुंचने पर नेपाल और भूटान के अतिरिक्त भारत से बाहर किसी भी देश को पुनःनिर्यात के लिए आबद्ध कोई भी माल;

(ज) यात्रा में डाक द्वारा भारत से होकर कोई भी माल या नेपाल और भूटान को छोड़कर भारत से बाहर किसी भी गन्तव्य स्थान को डाक द्वारा भेजा गया कोई भी माल बशर्ते कि भारत में रहते समय ऐसा माल सदैव डाक प्राधिकारियों के संरक्षण में रहा हो।

(झ) वैध आयात लाइसेंस के बिना आयात किया गया और प्राधिकृत सीमा-शुल्क अधिकारी द्वारा निर्यात के लिए दिए गए आदेश के अनुसार निर्यात किया गया कोई भी माल;

(ञ) कान्डला मुक्त व्यापार क्षेत्र में विनिर्मित और वहां से निर्यात किए गए उत्पाद;

(ट) निदेशक, राष्ट्रीय रक्त ग्रुप संदर्भ प्रयोगशाला बम्बई द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान या आपात् कालीन रोगों के उपचार के लिए मानवता के आधार पर जीवन रक्षा के उपायों के रूप में रक्त ग्रुप ओ (बम्बई फीनोटाइप) का निर्यात उन के द्वारा इस विषय में प्रत्येक मामले में जारी किए गए विशिष्ट प्रमाणपत्र के आधार पर।

16. निरसन :—समय-समय पर यथासंशोधित एस. ओ. 927 दिनांक 8 मार्च, 1968 के अंतर्गत भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आदेश से प्रकाशित किया गया निर्यात (नियंत्रण) आदेश 1968 एतद् द्वारा रद्द किया जाता है :—

शर्त यह है कि उपर्युक्त आदेश या अभिसूचना की शर्तों में किसी एक शर्त के अन्तर्गत किए गए किसी भी फैसले या जारी किए गए किसी भी लाइसेंस सहित कोई भी बात या कार्यवाही इस आदेश की तदनुरूपी शर्तों के अन्तर्गत ही की गई समझी जाएगी।

टिप्पणी :—निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 के एक भाग के रूप में अनुसूची 1 से 3 को यहां पुनः उद्धृत नहीं किया गया है। ये आयात निर्यात नीति 1983-84 (जिल्द-II) में दर्शाई गई है ।

परिशिष्ट--3 हटा दिया गया है

परिशिष्ट-4

भारत सरकार

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना संख्या 27-आई.टी.सी. (पी. एन.)/80

नई दिल्ली, 15 जुलाई 1980

विषय . निजी असबाब के रूप में माल का आयात

नेपाल को छोड़कर किसी भी देश से आने वाले यात्रियों के लिये लागू वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना सख्याएं 101 कस्टम, दिनांक 16 मई, 1978, 102 कस्टम, दिनांक 16 मई, 1978, 103 कस्टम, दिनांक 16 मई, 1978 एवं 105 कस्टम, दिनांक 16 मई, 1978 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की उप-धारा 11 (1) (छ), पहले से हो थोड़े समय के लिये लागू असबाब नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत सीमा तक यात्री असबाब के रूप में आयातित माल को लिये उक्त आदेश को लागू करने से छूट प्रदान करती है।

3. किसी भी गैर-पर्यटक यात्री के बिना आयात लाइसेन्स के, लेकिन सीमा-शुल्क कर चुकाने पर ही निजी या घरेलू सामान से संबंधित मदों को निजी असबाब के अंग के रूप में उसके स्वयं के उपयोग के लिये या उसके परिवार के उपयोग के लिये आयात करने की अनुमति दी जा सकती है। शर्त यह होगी कि अग्न्यस्त्र का आयात इन शर्तों के अधीन होगा कि --

(1) किसी यात्री ने पिछले दस वर्षों के दौरान इसी श्रेणी के विदेशी अग्न्यस्त्र का आयात नहीं किया हो या उसे अन्यथा रूप से प्राप्त नहीं किया हो,

स्पष्टीकरण : इस प्रयोजन के लिये रिवाल्वर और पिस्तौल एक ही श्रेणी के अग्न्यस्त्र माने जाएंगे तथा बन्दूक और राइफल दूसरी श्रेणी के अग्न्यस्त्र माने जायेंगे,

(2) रिवाल्वर या पिस्तौल .32 बोर या इससे कम बोर की हो, और

(3) प्रतिधारक को अग्न्यस्त्र बेचा नहीं जाएगा, उपहार के रूप में नहीं दिया जाएगा या अन्यथा रूप से निकासी की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए उससे अलग नहीं किया जाएगा।

4. भारत मूल का एक पर्यटक यात्री जिसके पास भारतीय पासपोर्ट हो या विदेशी पासपोर्ट हो और जो सामान्यतया विदेश में रह रहा हो उसे निजी या घरेलू सामान की मदों को उपहार के रूप में या अपने मित्रों या सम्बन्धियों को यादगार के रूप में देने के लिये सीमा-शुल्क कर का भुगतान करने पर बिना किसी आयात लाइसेंस के निजी असबाब के भाग के रूप में आयात करने की स्वीकृति दी जा सकती है बशर्ते कि अग्न्यस्त्र का प्रयोग इन शर्तों के अधीन होगा कि .--

(1) यात्री ने पिछले दस वर्षों के दौरान उसी श्रेणी के विदेश में निर्मित अग्न्यस्त्र का आयात न किया हो,

स्पष्टीकरण : इस प्रयोजन के लिए, रिवाल्वर और पिस्तौल एक ही श्रेणी के अग्न्यस्त्र माने जाएंगे तथा बन्दूक और राइफल दूसरी श्रेणी के अग्न्यस्त्र माने जाएंगे।

(2) रिवाल्वर या पिस्तौल .32 बोर या इससे कम बोर की हो; और

(3) अग्न्यस्त्र किसी भी उस व्यक्ति को उपहार के रूप में भेंट नहीं किया जाएगा जिसने पिछले दस वर्षों के दौरान उसी श्रेणी के विदेशी अग्न्यस्त्र का आयात किया हो या जिसके पास उसी श्रेणी का विदेशी अग्न्यस्त्र हो। (उपहार प्राप्त करने वाले व्यक्ति यह भी सुनिश्चिय करेंगे कि वे इस शर्त का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं)।

5. उपर्युक्त रियायत तभी प्रदान की जा सकती है जब कि सीमाशुल्क कार्यालय का उचित अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि मदों का आयात वास्तव में यात्री या उसके परिवार के उपयोग के लिये, जैसा भी मामला हो, उपहार या यादगार में देने के लिये किया जा रहा है और इस शर्त के अधीन कि उन्हें तब तक बेचने, प्रदर्शित करने, विज्ञापित करने या बिक्री नहीं करने दिया जाएगा या दुकान में प्रदर्शन के लिये नहीं रखा जायेगा जब तक कि .--

(क) अग्न्यस्त्र और टी. वी. सेट्स की निकासी की तारीख से पांच वर्षों की अवधि तक के लिये ऐसे व्यक्ति या यात्री या कर्मीदल के एक सदस्य द्वारा उपयोग नहीं कर लिया गया है, या

(ख) अन्य सामान के मामले में, जब तक कि उनका बाजार मूल्य उनकी खरीद के नये बाजार मूल्य की तुलना में घटकर 50% से कम नहीं रह जाता।

6. इसके साथ-साथ, एक कुत्ता और अन्य पालतू जानवर जैसे बिल्ली और पक्षियों के आयात की स्वीकृति सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को निम्नलिखित स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर बिना किसी आयात व्यापार नियंत्रण प्रतिबंध के दी जा सकती है:—

(1) सरकार की ओर से वैध प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत पशुचिकित्सा अधिकारी से इस सम्बन्ध में एक स्वास्थ्य प्रमाणपत्र कि आयातित कुत्ते में आयुजोस्की डिजीज, डिस्टेम्पर, रबीज, लेश्मे-आंसेस और लेप्टोसपिरोसिस और बिल्ली के मामले में रेबीज और डिस्टेम्पर जैसी बिमारियां नहीं हैं।

(2) जिन देशों में कुत्तों और बिल्लियों में पागलपन का संक्रामक रोग है, उनमें पैदा हुए कुत्तों और बिल्लियों के आयात के मामले में टीकों के रिकार्ड, उपयोग की गई वैक्सीन, वैक्सीन के किणवन और उत्पादन प्रयोगशाला के नाम सहित इस सम्बन्ध में एक स्वास्थ्य प्रमाणपत्र होना चाहिये कि कुत्ते/बिल्ली को पागलपन के विरुद्ध एक महीने से अधिक टीके लगाए गये थे, परन्तु ये टीके स्नायुविक टिशू वैक्सीन के साथ वास्तविक पोत आरोहण से पहले 12 महीनों के भीतर या चिकन एम्ब्रायो वैक्सीन के साथ 36 महीनें के भीतर लगाये गये थे। दोनों वैक्सीनों का पहले पोटेन्सी परीक्षण सन्तोषजनक था।

(3) तोतों के मामले में, इस सम्बन्ध में एक प्रमाणपत्र कि वास्तविक पोत आरोहण से पहले 30 दिनों के भीतर तोतों को नकारात्मक परिणामों के साथ सिटकोसिस के लिये पूरक निर्धारण परीक्षण के लिये अधिकार में रखा गया था।

7. सार्वजनिक सूचना सं. 58 आई टी सी/(पी एन)/79, दिनांक 13 नवम्बर, 1979 द्वारा यथा संशोधित वाणिज्य मंत्रालय की पिछली सार्वजनिक सूचना सं. 34 आई टी सी (पी एन)/78, दिनांक 16 मई, 1978 का यह सार्वजनिक सूचना अधिक्रमण करती है।

स्पष्टीकरण:—सार्वजनिक सूचना में 'असबाब' का वही अर्थ लिया गया है जो कि उसके लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के खण्ड 2 की उप-धारा (3) में निर्धारित किया गया है।

हस्ताक्षरित/-
(मणि नारायणस्वामी)
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

टिप्पणी:—इस बात को नोट कर लेना चाहिए कि जंगली फना और फ्लोरा पर अन्तर्राष्ट्रीय संकटापन्न जाति व्यापार सम्मेलन (सी आई टी ई एस) के लिए किसी भी परिशिष्ट में सम्मिलिति जातियां, अन्तर्राष्ट्रीय संकटापन्न जाति व्यापार सम्मेलन (सी आई टी ई एस) के अधीन विनियमों और जंगली जीव आरक्षण से सम्बद्ध क्षेत्रीय सहायक निदेशक द्वारा जांच के अधीन होंगी यदि उन का आयात अन्यथा रूप से असबाब के अन्तर्गत आता हो।

भारत सरकार

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. : 44-आईटीसी (पी एन)/80

नई दिल्ली : 17 नवम्बर, 1980.

विषय : निजी असबाब के रूप में माल का आयात।

निजी असबाब के रूप में माल के आयात से सम्बद्ध वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 27-आईटीसी (पी एन)/80, दिनांक 15 जुलाई, 1980 और सार्वजनिक सूचना सं. 46-आईटीसी (पी एन)/78, दिनांक 30 जून, 1978 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. पुनः विचार करने पर, उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना सं. 27-आईटीसी (पी एन)/80, दिनांक 15 जुलाई, 1980 के पैरा-4 में आने वाले विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय शब्द को हटाने का निश्चय किया गया है। उक्त पैरा 4 को तदनुसार संशोधित किया जाएगा।

3. अधिकारियों एवं जहाज के कर्मचारियों द्वारा निजी असबाब के रूप में आयात से सम्बद्ध सार्वजनिक सूचना सं. 46-आईटीसी (पी एन)/78, दिनांक 30 जून, 1978 को भी एतद् द्वारा रद्द किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, ऐसे व्यक्तियों द्वारा निजी असबाब के रूप में माल का आयात वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 27-आई टीसी (पी एन)/80, दिनांक 15 जुलाई, 1980 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

हस्ताक्षरित/-
(मणि नारायणस्वामी)
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

असबाब नियम 1978

(अधिसूचना सं. 213-सीमा, दिनांक 13-11-1979, सं. 247-सीमा, दिनांक 26-12-1980 और अधिसूचना सं. 57/83-सीमा, दिनांक 1-3-1983 द्वारा संशोधित)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

नई दिल्ली

दिनांक 16 मई 1978

26 वैसाख 1900 (साका)

अधिसूचना

सीमा शुल्क

जी. एस. आर. स. 290 (ई)-सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 के 52) की धारा 79 की उपधारा (2) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और सामान नियमावली, 1970 और श्री लंका सामान नियमावली, 1930

का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा नेपाल को छोड़कर किसी भी अन्य देश से आने वाले यात्रियों (पर्यटकों को छोड़कर) को सीमा शुल्क की अदायगी के बिना सामान का आयात करने की अनुमति देने के लिये निम्नलिखित नियमों का निर्माण करती है, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम, आरम्भ :

(1) यह नियमावली, सामान नियमावली, 1978 कहलायेगी।

(2) यह नियमावली, तत्काल से लागू होगी।

2. **प्रयुक्त व्यक्तिगत सामान**—व्यक्तिगत पहनावे की प्रयुक्त वस्तुएं (गहनों को छोड़कर लेकिन केवल एक हाथ की घड़ी) जिसका मूल्य 500 रुपये से अधिक न हो, शामिल है (और जीवन की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये यात्री के व्यक्तिगत प्रयोग में आने वाली वस्तुओं को बिना शुल्क के स्वीकृति दी जाए।)

3. **सामान्य निशुल्क भत्ता**—नियम 2 में विशिष्टिकृत वस्तुओं के अतिरिक्त और नियम 9 की शर्तों के अनुसार 12 वर्ष या इससे अधिक आयु के एक यात्री को 1050 रुपये तक की वस्तुओं को बिना शुल्क के आयात करने के लिये भी स्वीकृति तब दी जा सकती है, जबकि उपयुक्त अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसी वस्तुएं यात्री या उसके परिवार के उपयोग के लिये है, या उपहार या निशानी के रूप में देने के लिये है।

बशर्ते कि :—

(1) एक यात्री जो 12 वर्ष से कम आयु का है उसे 300 रुपये मूल्य तक की वस्तुयें निशुल्क आयात करने के लिए अनुमति तब दी जा सकती है जबकि उपयुक्त अधिकारी सतुष्ट हो जाये कि ऐसी वस्तुए ऐसे यात्रियों के उपयोग के लिये ही है।

(2) परन्तु आगे यह कि यदि कोई हवाई जहाज का यात्री जो मुफ्त भ या रियायती टिकट से यात्रा करता है और वह दस दिन से कम अवधि के भीतर विदेश में ठहर कर भारत लौट आता है, तो ऐसे व्यस्क यात्री के मामले में प्रतिदिन के हिसाब से केवल 150 रुपये तक की वस्तुओं के लिए और वह यात्री जो 18 वर्ष से कम आयु का है उनके मामले में प्रतिदिन के हिसाब से 30 रुपये तक की वस्तुओं का निशुल्क आयात करने के लिये स्वीकृति दी जा सकती है।

व्याख्या :—इन नियमों के प्रयोजनार्थ 'रियायती टिकट' का अर्थ है, वह टिकट जिसमें 75% या इससे अधिक की रियायत दी गई हो।

4. **प्रयुक्त घरेलू वस्तुओं के लिए अतिरिक्त भत्ता :**—उस यात्री के सम्बन्ध में जो तीन मास से अधिक अवधि के लिये विदेश में अपने व्यवसाय के लिये लगा हो, उसे घरेलू कार्य चलाने के लिये वास्तव में प्रयुक्त वस्तुएं जैसे लिनन, बर्तन, मेज, पर रखने वाले बर्तन, रसोईघर के उपकरण और इस्त्री जिनका कुल मूल्य 1000/- रुपये हो, का आयात करने की स्वीकृति दी जा सकती है।

4(क) **यात्रियों की कुछ श्रेणियों के संबंध में प्रयुक्त** व्यक्तिगत सामान और घरेलू वस्तुओं के लिए अतिरिक्त भत्ता :—(1) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) के अधीन जारी किए गए वैध पासपोर्ट के धारक उस यात्री के मामले में जो विदेश में एक साल की अवधि से कम न रहा हो और उसके बाद भारत में लौट रहा हो, उसकी कुल पांच हजार रुपए तक के व्यक्तिगत सामान और घरेलू वस्तुओं के लिए जो विदेश में कम से कम 6 मास की अवधि तक उस के या उसके परिवार के पास रही हों और उसके द्वारा या उसके परिवार के द्वारा वहां उपयोग में लाई गई हों वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन किसी भी सीमा शुल्क कर के बिना आयात की जा सकती है :—

(1) ऐसा यात्री जो कम से कम एक वर्ष की अवधि से विदेश में कार्य कर रहा हो और वह उस कार्य को समाप्त करके भारत में लौट रहा हो;

(2) ऐसा यात्री घोषणा द्वारा इस बात की पुष्टि करे कि विषयाधीन सामान विदेश में कम से कम 6 मास की अवधि के लिए या उसके या उसके परिवार के पास रहा है और उसका उपयोग उसके या उसके परिवार द्वारा किया गया है और ऐसे माल की जांच करने पर सम्बन्धित परिस्थितियां विपरीत नहीं पाई जाती।

2. इस नियम में निहित कोई भी बात निम्नलिखित वस्तुओं के लिए लागू नहीं होगी :—

(क) मोटर साइकल, स्कूटर या मोपिड,

(ख) वातानुकूलक

(ग) प्रशीतक और डीप फ्रीजर्स

(घ) अग्न्यस्त्र

(ङ) 200 से अधिक सिगरेट या 50 से अधिक सिगार या 250 ग्राम से अधिक तम्बाकू, और

(च) 0.95 लिटर से अधिक अल्कोहलिक लिकर

5. **व्यवसायिक उपस्कर के लिए** :—एक यात्री जो विदेश में 3 महीने से अपना व्यवसाय कर रहा हो उसे ऐसे सुवाह्य उपस्कर, औजार, यन्त्र और साधित्र आदि जो साधारणतः ऐसे व्यवसाय में अपेक्षित हों, के लिये 5000 रुपये मूल्य तक बिना किसी कर के आयात करने की अनुमति दी जा सकती है।

बशर्तें कि सामान्य उपयोग की वस्तुएं जैसे केमरा, टंकण मशीन, कैसेट रिकार्डर और डिकटाफोन के निःशुल्क आयात की अनुमति इस नियम के अंतर्गत नहीं दी जाएगी।

6. **आभूषण** :—उस यात्री के वास्तविक उपयोग के लिये गहने जो बाहर के देश में एक वर्ष से अधिक से रह रहा हो, पुरुष यात्री होने के मामले में 1500 रुपये के कुल मूल्य तक के सामान और स्त्री यात्री होने के मामले में 3000 रुपये के कुल मूल्य तक के सामान को बिना किसी शुल्क के अनुमति प्रदान की जा सकती है।

7. **साथ न लाया गया सामान**:—(1) इन नियमों में निर्धारित शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन, उपयुक्त अधिकारी भारत में यात्री के पहुंचने के पश्चात साथ न लाये गये वास्तविक सामान के लिये बिना किसी शुल्क के या शुल्क के साथ आयात की

स्वीकृति प्रदान कर सकता है यदि यह सामान विदेश में उसके पास था और जो यात्री के भारत में पहुंचने के एक महीने के भीतर पोतलदान किया गया था या जो 15 दिनों के भीतर हवाई जहाज द्वारा प्रेषित किया गया था।

• किन्तु यदि सहायक सीमा शुल्क समाहर्ता या सीमा शुल्क समाहर्ता, जैसा भी मामला हो, को यह सन्तुष्टि हो जाये कि बावजूद सभी उचित प्रयासों के यात्री अपने साथ न लाये गये वास्तविक सामान का उपयुक्त अवधि के भीतर पोतलदान नहीं कर सका या प्रेषित नहीं कर सका तो सहायक सीमा शुल्क समाहर्ता जैसा भी मामला हो, एक महीने की समय सीमा अवधि को तीन मास तक बढ़ा सकता है या 15 दिनों की अवधि को बढ़ाकर दो मास कर सकता है और सीमा शुल्क समाहर्ता आगे किसी भी समय तक समय सीमा बढ़ा सकता है।

(2) यात्री के भारत में पहुंचने से पहले किसी भी सीमा शुल्क स्टेशन पर दो महीने के भीतर उतरे हुए वास्तविक सामान के लिए उपयुक्त अधिकारी द्वारा इन नियमों में निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन निशुल्क आयात की स्वीकृति दी जा सकती है : बशर्ते कि सहायक सीमा शुल्क समाहर्ता या सीमा शुल्क समाहर्ता जैसा भी मामला हो, लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से संतुष्ट हो जाता है कि यात्री को उक्त दो मास की अवधि के भीतर भारत में पहुंचने से उन कारणों से रोक लिया गया था जो उनके नियंत्रण से बाहर हैं, जैसे यात्री के या उसके परिवार के सदस्य का अचानक बीमार हो जाना, या प्राकृतिक आपदाएं आ जाना, असामान्य परिस्थितियां आ जाना, या देश में या सबंधित देशों में परिवहन या यात्रा व्यवस्थाओं में बाधाएं आ जाना या अन्य कोई भी कारण जिनके आधार पर यात्री की निर्धारित यात्रा में परिवर्तन करना आवश्यक समझा जाए तो 2 मास की समय सीमा को--

(1) सहायक सीमा शुल्क समाहर्ता द्वारा बढ़ाकर चार मास तक किया जा सकता है, और

(2) सीमा शुल्क समाहर्ता द्वारा एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

8. **कर्मीदल के सदस्यों पर इन नियमों का लागू होना :--** नियम 2, 3, 5, 6 और 9 उन अधिकारियों और कर्मीदल के सदस्यों पर लागू होंगे जो अपनी नियुक्ति की समाप्ति के बाद अंतिम बार अपने सामान की निकासी के लिए विदेश में जाने वाले पोतों में व्यस्त हैं,

किन्तु नियम 5 के अन्तर्गत दी गई रिआयत पहली नियुक्ति की समाप्ति पर अन्तिम बार विदेश जाने वाले पोतों में व्यस्त अधिकारियों को छोड़कर अन्य के लिये नहीं होगी।

9. वे **वस्तुएं जिन्हें शुल्क से छूट नहीं है**--इन व्यवस्थाओं या नियम 3 और 4 के होते हुए भी निम्नलिखित वस्तुओं के लिये इन नियमों के अन्तर्गत निशुल्क आयात की स्वीकृति नहीं दी जायेगी, अर्थात :-

1. मोटर साइकिल, स्कूटर और मोपिड

(2) अग्न्यस्त्र

(3) 200 से अधिक सिगरेट या 50 से अधिक सिगार या 250 ग्राम से अधिक तम्बाकू; और

(4) 0.95 लिटर से अधिक अल्कोहलिक लिकर।

सं. 101 - कस्ट/एफ नं. 495/24/78 - कस्ट 6

213 - कस्ट/एफ. नं. 495/106/79 - कस्ट 6

247 - कस्ट एफ नं 495/72 79 - कस्ट 6

57/83-कस्ट/एफ नं बड (कस)/83

पर्यटक असबाब नियम 1978

(अधिसूचना सं. 214-कस्ट दिनांक 13-11-79 द्वारा यथा संशोधित और आगे अधिसूचना स. 211 - कस्ट दिनांक 28-10-80 द्वारा संशोधित

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

नई दिल्ली, 16 मई, 1978

26 वैसाख 1900 (शाका)

अधिसूचना

सीमा शुल्क

जी. एस. आर. संख्या 291/(ई.)--सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा-79 के उपखण्ड (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और पर्यटक सामान नियमों का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा पर्यटकों के सामान को शुल्क की अदायगी की बिना आयात करने के लिए निम्नलिखित नियमों का निर्माण करती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना---(1) यह नियमावली पर्यटक सामान नियमावली, 1978 कहलाएगी।

2. यह तत्काल से ही लागू होगी।

3. ये नेपाल मूल से आ रहे नेपाली पर्यटकों के के लिए लागू नहीं होगी।

2. **परिभाषा**--इन नियमों के अन्तर्गत, जब तक अन्यथा रूप से संदर्भ की आवश्यकता न हो, पर्यटक शब्द का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो कि साधारणतः भारत का निवासी न हो और जो विधि संगत अप्रवासी प्रयोजन जैसे पर्यटन, मनोरंजन, क्रीड़ा स्वास्थ्य, पारिवारिक कारणों, अध्ययन, धार्मिक तीर्थ यात्रा अथवा व्यवसाय के लिए किसी भी 12 महीनों की अवधि के दौरान भारत में छः मास से अधिक न रहा हो।

बशर्ते कि जिन मामलों में सीमाशुल्क समाहर्ता को इस बात की तसल्ली हो जाए कि किसी पर्यटक के लिए विधि संगत अप्रवासी प्रयोजनों से भारत में छः महीने से अधिक समय के लिए रहना आवश्यक हो तो सीमा शुल्क समाहर्ता अवधि को बढ़ाकर 18 मास कर सकता है।

किन्तु यदि बोर्ड संतुष्ट है, तो वह उपर्युक्त अवधि 12 मास से और आगे बढ़ा सकता है।

3 **ऐसे व्यक्तिगत सामान के लिए सीमाशुल्क अदायगी से छूट देना, जिसका आयात अस्थायी तौर पर किया गया हो :--** (1) इस विनियमावली में निर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन किसी पर्यटक को सीमा-शुल्क की अदायगी के बिना व्यक्तिगत सामान का आयात करने की अनुमति दी जाएगी।

बशर्ते कि वह सामान पर्यटक के अपने ही इस्तेमाल के लिए हो, और जिसे वह अपने साथ लाया हो या जो पर्यटक द्वारा साथ लाए गये सामान में होगा और जिसके बारे में यह आशंका न हो कि उसका दुरूपयोग किया जाएगा और विदेश लौटने के लिए भारत छोड़ने पर पर्यटक इस व्यक्तिगत सामान को अपने साथ वापस विदेश ले जाएगा।

स्पष्टीकरण :—'व्यक्तिगत सामान' से अभिप्राय उन सभी नये और इस्तेमाल किए हुए वस्त्रों और अन्य वस्तुओं से है, जिनको उसके भारत आने की सभी परिस्थितियों को देखते हुए उसे व्यक्तिगत रूप और उचित रूप से जरूरत हो, किन्तु इसमें ऐसा कोई तिजारती सामान शामिल नहीं माना जाएगा, जिसका आयात वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किया गया हो, और व्यक्तिगत सामान में निम्नलिखित वस्तुएं शामिल हैं :—

(1) व्यक्तिगत आभूषण;

(2) एक कैमरा तथा फिल्म की 12 प्लेटें या पांच रोल;

(3) एक लघु सिनेमाटोग्राफ कैमरा तथा फिल्म की दो रीलें;

(4) एक जोड़ा दूरबीन;

(5) एक सुवाह्य संगीत वाद्य यंत्र;

(6) एक सुवाह्य ग्रामोफोन दस रिकार्ड सहित;

(7) एक सुवाह्य बेतार अभिग्राही सेट;

(8) एक सुवाह्य ध्वनि रिकार्ड करने का उपकरण;

(9) एक सुवाह्य टाइपराइटर;

(10) एक बच्चा-गाड़ी;

(11) एक तंबू और शिविर लगाने के अन्य उपस्कर;

(12) खेलों के उपकरण जैसे मछली पकड़ने का उपकरण, खेल से संबंधित एक बन्दूक तथा पचास गोलियां, एक बिना मोटर की साइकिल, एक डोंगा या डोंगी, जिसकी लंबाई 5-1/2 मीटर से कम हो, एक जोड़ा स्किस, दो टैनिस रैकेट।

(2) नियम 7 के अनुसार निम्नलिखित माल लिखित स्वीकृति द्वारा शुल्क अदायगी के बिना आयात किया जा सकता है, बशर्ते कि भारत से वापस जाते समय वह पर्यटक द्वारा वापस ले जाया जाए, अर्थात :—

(1) प्रदर्शन और प्रशिक्षण देने के लिए स्लाइड और फिल्म सहित सुनने और देखने के यंत्र;

(2) सिनेमा-उपस्करों और दूरदर्शन उपस्करों सहित व्यवसायिक उपस्कर, औजार, यंत्र अथवा साधित्र।

4. **अस्थायी तौर पर आयातित यात्रा स्मृति-चिन्हों को सीमा शुल्क की अदायगी से छूट देना** :—नियम 3 में निर्दिष्ट वस्तुओं के अतिरिक्त, किसी पर्यटक को सीमा शुल्क की अदायगी के बिना कुल 500/-रु. के मूल्य तक के यात्रा स्मृति चिह्नों का अस्थायी तौर पर आयात करने की अनुमति दी जा सकती है;

बशर्ते कि पर्यटक ये स्मृति-चिह्न अपने साथ लाये या साथ लाने वाले सामान में लाए और वे वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए न हों और भारत छोड़कर विदेश जाने पर उन्हें अपने साथ वापस अवश्य ले जाए।

5. **विदेशी मूल के यात्रियों द्वारा आयातित उपहार आदि पर शुल्क से छूट** :—3 और 4 नियमों के अन्तर्गत अनुमित वस्तुओं के अतिरिक्त भारत में 24 घन्टे से अधिक रह रहे विदेशी मूल के पर्यटक को उपयुक्त अधिकारी की इच्छा से 500/- रुपए मूल्य तक की उन वस्तुओं को जो सामान नियम, 1978 के नियम 9 में उल्लिखित से भिन्न हैं, शुल्क अदा किए बिना आयात करने की अनुमति तब दी जाए यदि वे व्यक्तिगत प्रयोग के लिए अथवा उपहार देने के लिए हों।

6. **भारतीय मूल के यात्रियों द्वारा आयातित उपहारों आदि पर सीमा शुल्क की अदायगी से छूट देना** :—भारतीय मूल के यात्री, जो सामान्यत: बाहर रह रहे हैं और भारत में 24 घन्टे से ज्यादा ठहर रहे हैं, उन्हें उचित अधिकारी की इच्छा से उपहार के रूप में दी जाने वाली वस्तुओं के लिए शुल्क की अदायगी के बिना आयात करने की अनुमति दी जाए।

बशर्ते कि वस्तुएं सामान नियम, 1978 के नियम 9 के साथ पढ़े जाने वाले नियम 3 के अंतर्गत आने वाली जैसी हों।

बशर्ते आगे यह कि सामान नियम, 1978 के नियम 3 और 9 में उल्लिखित सभी शर्तें और सीमाएं पूर्ण कर दी गई हों।

7. **सीमा शुल्क प्राधिकारियों को कुछ मामलों में दिया जाने वाला वचन** :

(1) नियम 3 के उपनियम (1) के उपबंधों के बावजूद ध्वनि रिकार्डिंग उपकरण, बेतार अभिग्राही सैट और इसी प्रकार की अधिक मूल्य वाली अन्य वस्तुओं का तब तक सीमा शुल्क की अदायगी के बिना आयात नहीं किया जाएगा, जब तक कि पर्यटक सीमा शुल्क समाहर्ता को लिखित में यह वचन न दे दे कि वह उन वस्तुओं को विदेश जाते समय भारत से वापस ले जाएगा या ऐसा न करने पर वह उन वस्तुओं पर लगने वाले सीमा शुल्क की अदायगी करेगा।

(2) प्रत्येक पर्यटक को, उसके भारत पहुंचने पर और उसके सामान की जांच के बाद, उसके द्वारा लायी गई अधिक मूल्य की वस्तुओं की सूची दी जाएगी, जिस पर उस सीमा-शुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, जिसने उसके सामान की जांच की होगी। यदि अधिक मूल्य की कोई वस्तु आयात न की गई हो, तब भी एक शून्य सूची उसे दी जाएगी, जिस पर उसी प्रकार के सामान की जांच करने वाले सीमा शुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। भारत से विदेश के लिए प्रस्थान करने पर जब तक पर्यटक अपने सामान की जांच के समय सूची में दर्ज अधिक मूल्य वाली वस्तुओं के साथ वह सूची सीमा शुल्क प्राधिकारी को प्रस्तुत न कर दे, तब तक उसे निर्यात के लिए सीमा शुल्क सदन से अपने सामान को निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. **ऐसे सामान से संबंधित शर्तें, जो पर्यटक अपने साथ न लाया हो** :—पूर्ववर्ती नियमों में दी गई शर्तों के विपरीत दिये गये किसी उपबंध के होते हुए भी ऐसा वास्तविक सामान और पूर्ववर्ती उपबंधों के अधीन जिस सामान के आयात के लिए रियायत दी जा सकती हो और जो पर्यटक के भारत पहुंचने से एक महीना पहले या एक महीना बाद किसी सीमा शुल्क पत्तन पर पहुंचा हो, उसे उन्हीं शर्तों के अनुसार पास किया जा सकता है, जो पर्यटक द्वारा अपने साथ लाये जाने वाले सामान पर

लागू होती है; बशर्ते कि उपयुक्त अधिकारी को इस बात की तसल्ली हो जाती है कि वे सामान पर्यटक के साथ उचित कारणों में चलते नहीं आ सके।

9. **कुछ मामलों में छूट न देना** :—इन नियमों में दिये गये उपबन्धों के बावजूद सीमा शुल्क समाहर्ता किसी पर्यटक को निम्नलिखित में से किसी भी मामले में इन नियमों के अनुसार स्वीकृत सीमा शुल्क की अदायगी से छूट देने से इंकार कर सकता है अर्थात् :—

(क) जब पर्यटक द्वारा आयातित कुल पण्यवस्तु की मात्रा इन नियमों में निर्धारित सीमा से काफी अधिक हो;

(ख) यदि कोई पर्यटक एक महीने में एक बार से अधिक भारत आता है,

(ग) यदि कोई पर्यटक 17 वर्ष से कम आयु का हो।

सं. 102 -- सीमा शुल्क/मिसिल सं. 499/6/78-सीमा-6

सं. 211 - सीमाशुल्क/एफ सं. 499/6/78 - सीमा - 6 (पार्ट)

सं. 214 - सीमाशुल्क/एफ सं. 495/106/79 - सीमा - 6

आवास स्थानांतरण नियमावली, 1978

(अधिसूचना सं. 124-सीमा शुल्क, दिनांक 22-6-78 द्वारा)

यथा संशोधित)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 16 मई, 1978

26 वैशाख, 1900 (शाका)

अधिसूचना

(सीमा शुल्क)

जी. एस. आर. सं. 292 (ई) :—सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और आवास स्थानान्तरण नियमावली, 1969 का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित नियमावली का निर्माण करती है, अर्थात:—

1. **संक्षिप्त नाम** :—यह नियमावली स्थानांतरण नियमावली, 1978 कही जाए।

2. **ऐसा व्यक्तिगत और घरेलू सामान जिसके आयात पर कुछ शर्तों के अधीन शुल्क से छूट दी गई हो** :—व्यक्तिगत सामान (सीमा-शुल्क की छूट देने से संबंधित शर्तें) नियमावली, 1975 और इस नियमावली के नियम 3 के उपबन्धों के अधीन ऐसे व्यक्ति के व्यक्तिगत और घरेलू सामान के आयात पर सीमा-शुल्क की अदायगी से निम्नलिखित शर्तों के अधीन छूट दी जाएगी जो व्यक्ति भारत में वास्तव में रहने के लिए आया हो :—

(क) वह व्यक्ति भारत में रिहायश के लिए आने के तत्काल पहले कम से कम दो वर्षों तक लगातार विदेश में रहा हो, और भारत में कम से कम एक वर्ष तक रहने के लिए आया हो;

(ख) उस व्यक्ति को घोषणा द्वारा यह प्रमाणित करना होगा कि आयातित सामान उसका या उसके परिवार का अपना सामान है और कम से कम एक वर्ष से वह या उसका परिवार उस सामान का इस्तेमाल करता आया है और सामान की जांच करने से और परिस्थितियों की जांच करने से यही साबित भी होता हो;

(ग) पर्यटक के साथ न लाए गये असबाब का असबाब नियमावली, 1978 में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पोतलदान कर दिया गया हो अथवा प्रेषण कर दिया गया हो अथवा वहां पहुंच गया हो।

स्पष्टीकरण :—इस नियम के प्रयोजन के लिए, "व्यक्तिगत और घरेलू असबाब" की अभ्युक्ति में बहुत अधिक सोने के आभूषण शामिल नहीं होंगे, कहने का अर्थ है कि जिन आभूषणों का मूल्य सामान्यतः सोने की मात्रा के आधार पर पुरुष यात्री के संबंध में एक हजार पांच सौ रुपए और स्त्री यात्री के संबंध में तीन हजार रुपए से अधिक न हों।

3. **ऐसी वस्तुएं जिन पर शुल्क की अदायगी से छूट नहीं दी जाती** :—नियम 2 में किसी अन्य बात के निहित होते हुए भी, इन नियमों के अन्तर्गत मोटर वाहन, पोत, वायुयान, 35 मि. मी. और इससे अधिक की सिनेमाटोग्राफ फिल्में, वातानुकूलक, रेफ्रीजिरेटर और डीप फ्रीजर के आयात की अनुमति शुल्क की अदायगी के बिना नहीं दी जाएगी।

4. **व्यावसायिक उपस्करों आदि के लिए भत्ता** :—नियम 2 के अन्तर्गत अनुमित वस्तुओं और उस नियम के खंड (ग) में दी गई समय-सीमा के अधीन अनुमित वस्तुओं के अतिरिक्त एक उच्च योग्यता प्राप्त वैज्ञानिक, शिल्प विज्ञानी, डाक्टर अथवा इंजीनियर जो कम से कम 2 वर्ष विदेश में रहने के पश्चात् स्थायी रूप से भारत में बसने के लिए लौट रहा हो उसे अपने व्यवसाय में साधारणतः अपेक्षित 30 हजार रुपये मूल्य तक के उपस्करों, औजारों, यंत्रों और साधित्रों को शुल्क की अदायगी के बिना आयात करने की छूट होगी।

स्पष्टीकरण :—इस नियम के उद्देश्य के लिए "उच्च योग्यता प्राप्त वैज्ञानिक, शिल्प विज्ञानी, डाक्टर अथवा इंजीनियर" वह व्यक्ति है जिसके पास भारतीय अथवा विदेशी विश्वविद्यालय की विज्ञान, शिल्प विज्ञान, चिकित्सा अथवा इंजीनियरी में स्नातकोत्तर अथवा इसके समकक्ष, जैसा भी मामला हो, डिग्री हो और वह कम से कम एक वर्ष के लिए विदेश में अपने क्षेत्र अथवा विषय में नियुक्त अथवा कार्यरत रहा हो।

5. **अल्पावधि यात्रा के लिए शर्तें** :—इन नियमों के उद्देश्य के लिए, यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त 2 वर्ष की अवधि के दौरान छोटी अवधि के लिए भारत की यात्रा पर आता है और इन यात्राओं की कुल अवधि छः मास से अधिक नहीं है, तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा;

शर्त यह होगी कि यदि संबंधित व्यक्ति भारत में छः मास से अधिक रहने के यथेष्ट कारण बताए तो इस अवधि के लिए भी सीमा-शुल्क समाहर्ता उन्हें क्षमा कर सकता है।

6. **विदेश में रहने की अवधि में कमी करने से संबंधित शर्तें:**—इन नियमों के उद्देश्य के लिए, किसी व्यक्ति के विदेश में रहने की दो मास की अवधि तक की कमी को सहायक सीमा-शुल्क समाहर्ता द्वारा इस शर्त पर क्षमा किया जा सकता है जबकि वह संतुष्ट हो कि व्यक्ति सेवान्त छुट्टी अथवा लम्बी छुट्टी बिताने के लिए अथवा किसी विशेष परिस्थितियों में भारत लौट आया है।

सं. 103—कस्टम/एफ. सं. 497/6/कस. 6

सं. 124—कस्टम/एफ. सं. 497/6/78-कस. 6

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 26 सितम्बर 1980

4 अश्विनी 1902 (साका)

अधिसूचना

सीमा शुल्क

जी. एस. आर. सं. 558 (ई)—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के खंड 25 के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 230-सीमा-शुल्क, दिनांक 5 दिसम्बर 1979 का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनता के हित में है, एतद् द्वारा संलग्न तालिका के कालम (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक माल के आयात की सीमा शुल्क दर अधिनियम 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अधीन उस पर उगाहे जाने योग्य उतने अतिरिक्त सीमा शुल्क से निम्नलिखित शर्तों के अधीन छूट प्रदान करती है जितना कि उक्त तालिका के कालम (3) में संलग्न प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दरों से अधिक हो जबकि वह व्यक्ति उन वस्तुओं का अपने असबाब के रूप में वास्तव में निवास स्थान स्थानांतरण के समय आयात कर रहा हो :—

(1) ऐसा व्यक्ति निवास का स्थानान्तरण करने से तुरन्त दो वर्ष पहले की न्यूनतम अवधि से विदेश में रह रहा हो और भारत में कम से कम एक वर्ष तक रहने के लिए अपना निवास बदल रहा हो;

(2) ऐसा व्यक्ति एक घोषणा द्वारा इस बात की पुष्टि करता हो कि माल उसके अपने अथवा उसके परिवार के अधिकार और प्रयोग में कम से कम एक वर्ष के लिए रहा है और ऐसे माल की जांच और वर्तमान परिस्थितियां देश के विरुद्ध प्रतीत न होती हों।

(3) ऐसी वस्तुओं को बेचने, प्रदर्शन करने अथवा विज्ञापित करने या बिक्री करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उनका बाजार भाव नये माल के बाजार भाव के 50 प्रतिशत से कम न हो, और

(4) सामान नियमावली, 1978 में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर यात्री के साथ न आने वाले माल का लदान अथवा प्रेषण कर दिया गया हो अथवा वह पहुंचा दिया गया हो।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए—

(क) यदि संबंधित व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त 2 वर्ष की अवधि के दौरान अल्पावधि के लिए भारत की ऐसी यात्राएं की गई हों जिनकी अवधि 6 महीनों से अधिक न हो तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा;

(ख) किसी व्यक्ति के विदेश में रहने की अवधि में दो मास की अवधि तक की कमी को सहायक सीमा-शुल्क समाहर्ता द्वारा इस शर्त पर क्षमा किया जा सकता है कि वह इस बात से संतुष्ट हो कि सम्बन्धित व्यक्ति सेवान्त छुट्टियां अथवा लम्बी छुट्टी बिताने के लिए अथवा किसी अन्य विशेष कारण से भारत में पहले ही लौट आया है।

शर्त यह होगी कि छः मास से अधिक भारत में रहने की अवधि संबंधित व्यक्ति द्वारा सीमा-शुल्क समाहर्ता को समुचित कारण बताए जाने पर ही क्षमा की जा सकेगी।

सारणी

क्रम सं.	माल का ब्यौरा	सीमा शुल्क की दर
1	2	3
1.	100 लिटर तक की क्षमता के घरेलू रेफ्रीजरेटर्स	15%
2.	100 लिटर से अधिक और 165 लिटर तक की क्षमता वाले घरेलू रेफ्रीजरेटर्स	20%
3.	अन्य घरेलू रेफ्रीजरेटर्स	40%
4.	डीप फ्रीजिज	40%
5.	वातानुकूलक	50%

हस्ताक्षरित/—के. कुमार, अवर सचिव

सं. 195—कस्टम/एफ. सं. 495/92/79—कस्टम-IV

पत्तन एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बुलेटिन

कस्टम--68/81-82

दिनांक 9 दिसम्बर 1981

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर 1981

18 अग्रहन, 1903 (साका)

अधिसूचना

पत्तन

सी. सी. एन. सं. (3)--सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 79 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा आवास स्थानान्तरण नियमावली, 1978 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमों की रचना करती है, अर्थात:--

1. (1) इन नियमों को आवास स्थानान्तरण (संशोधन) नियम, 1981 की संज्ञा दी जाए;

(2) आवास नियमावली, 1978 के नियम 2 में लागू होंगे।

2. आवास स्थानान्तरण नियम, 1978 के नियम 2 में स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:--

"स्पष्टीकरण":--इस नियम के प्रयोजन के लिए "व्यक्तिगत और घरेलू असबाब" की अभ्युक्ति में बहुत अधिक सोने के आभूषण शामिल नहीं होंगे, कहने का अर्थ यह है कि आभूषणों का मूल्य सामान्यतः सोने की मात्रा के आधार पर पुरुष यात्री के सम्बन्ध में एक हजार पांच सौ रुपए और स्त्री यात्री के सम्बन्ध में तीन हजार रुपए से अधिक न हो परन्तु उक्त सीमाएं उन आभूषणों के लिए लागू नहीं होंगी जिनके सम्बन्ध में सहायक सीमाशुल्क समाहर्ता यात्री द्वारा या उस के परिवार के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर इस बात से संतुष्ट हो जाए कि वह आभूषण भारत से बाहर से प्राप्त किया गया था।

ह. के. कुमार

अवर सचिव, भारत सरकार

(सं. 268/81)

मिसिल सं. 497/14/81-कस्टम--4

आवास स्थानान्तरण नियम, 1978 के नियम 2 में स्पष्टीकरण को संशोधन करने की आवश्यकता समझते हुए यह अधिसूचना जारी की गई है।

वाणिज्य मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 मार्च, 1983

अधिसूचना

सं० 58/83-सीमा शुल्क

जी० एस० आर:--सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के खण्ड 25 के उप खण्ड 1 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना स० 142 सीमा शुल्क, दिनांक 16 जलाई, 1980 का अधिक्रमण करते हुए और इससे सन्तुष्ट होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची की शीर्षक स० 100.01 के अन्तर्गत आने वाली और प्रस्तुत सारिणी के कालम (1) में उल्लिखित वस्तुओं का असबाब कालम (1) में उल्लिखित वस्तुओं का असबाब के रूप में किसी यात्री या कर्मीदल के सदस्य द्वारा भारत में आयात करने पर उन वस्तुओं पर उगाहे जाने योग्य उक्त प्रथम अनुसूची में उल्लिखित सीमा शुल्क कर से उस सीमा तक छूट प्रदान करती है जो उक्त सारिणी के कालम 2 की तदनुरूप प्रविष्टि में उल्लिखित दर पर गिनी गई धनराशि से अधिक हो।

सारिणी

वस्तुओं का विवरण	दर
(1)	(2)
असबाब नियमावली, 1978 के नियम 3 के अन्तर्गत ऐसे यात्री या सदस्य के लिये अनुमेय कर मुक्त भते से मूल्य में अधिक कोई वस्तु	
(क) प्रथम 2000 रूपये के लिये	130% यथा मूल्य
(ख) शेष पर	200% पर मूल्य

स्पष्टीकरण 1:--जिस ममाले में असबाब नियमावली 1978 के नियम 3 के अन्तर्गत किसी एक वस्तु का मूल्य ऐसे यात्री या सदस्य के लिये अनुमेय कर मुक्त भत्ते से अधिक हो उसमें कर की धनराशि केवल इस प्रकार अनुमेय कर मुक्त भत्ते के उस अतिरिक्त मूल्य पर उस सीमा तक गिनी जायेगी जो सीमा ऐसे यात्री या सदस्य द्वारा असबाब की अन्य वस्तु की निकासी करने के लिये उपलब्ध की गई हो।

स्पष्टीकरण 2:--जहां ऐसा यात्री या सदस्य किसी भी वस्तु का 2000 रूपये की सीमा तक के लिये उक्त सारिणी की धारा (क) के अधीन निहित दर को स्वयं उपलब्ध करना चाहता है, तो वह उस सीमा तक किसी भी मद के लिये उक्त को उपलब्ध करने के लिये हकदार नहीं होगा।

2. इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात निम्नलिखित के लिये लागू नहीं होगी:—

(1) मोटर साइकिल स्कूटर या मोपिड,

(2) अग्न्यस्त्र

(3) सम्बन्ध असबाब नियमावली के अन्तर्गत मुक्त आयात के लिये निर्धारित मात्रा से अधिक सिगरेट, सिगार या तम्बाकू, और

(4) 500 रूपये से अधिक मूल्य के आंकड़े।

हस्ताक्षरित

जे० श्रीधरण,

अवर सचिव, भारत सरकार

परिशिष्ट—5

निर्यात सामान नियम

भारत से बाहर जाने वाले व्यक्तियों का वास्तविक व्यक्तिगत सामान

निर्यात-व्यापार नियंत्रण संबंधी प्रतिबंधों से छूट देने के लिए वास्तविक सामान में निम्नलिखित अप्रयुक्त और प्रयुक्त वस्तुएं निर्धारित सीमा तक शामिल होंगी, बशर्ते कि वे वस्तुएं यात्री या उसके साथ यात्रा करने वाले उसके परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए हों और वे वस्तुएं बेचने के लिए न हों, या दूसरी पार्टियों के नाम स्थानान्तरित करने के लिए न हों।

निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 की अनुसूची 1 के भाग 'क' में निर्दिष्ट जंगली जीव को (जीवित या मृत या उनका कोई भाग या उनसे बनी वस्तुओं को) व्यक्तिगत सामान का हिस्सा नहीं माना जाएगा।

टिप्पणी:—उन पशुओं की जातियों का निर्यात जो जंगली फौना और फ्लोरा (सी आई टी ई एस) की संकटापन्न जातियों के लिए हुए अन्तरराष्ट्रीय व्यापार विषयक सम्मेलन के किसी भी परिशिष्ट में शामिल हैं तो सी आई टी ई एस के अन्तर्गत वे विनियमन एवं क्षेत्रीय सहायक निदेशक, जंगली जीव संरक्षण, भारत सरकार द्वारा विशेष परीक्षण के अधीन होगा।

क प्रयुक्त वस्तुएं :—

(1) पहनने वाले कपड़े

(2) व्यक्तिगत और घरेलू सामान, जैसे बिस्तर की चादरें, कम्बल, तौलिये, घरेलू चादरें, इस्तेमाल किए हुए सभी प्रकार के जूते, चश्में और धूप के चश्मे, सिगरेट-केस, ऐश ट्रे, कागज की बनी कश्मीर की कलात्मक वस्तुएं, अखरोट की लकड़ी से बनी छोटी वस्तुएं अर्थात् स्टूल, चाय की छोटी मेजें, मेजों की कुर्सियां, कैम्प—काट आदि, पर्दे, मेज-पोश, गद्दियों के गिलाफ, टी-कोजियां, रसोई के इस्तेमाल किए हुए पीतल, एल्यूमीनियम या ताम्बे के बर्तन, ऐसी भारतीय कलाकृतियां, "जो चीते, तेंदुए या बाघ या ऐसे किसी अन्य जंगली जानवर की खाल की न बनी हो और जो निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 की अनुसूची-I के भाग 'क' में शामिल हों।" बटन और कफलिंक, चांदी को छोड़कर अन्य धातुओं से बने छुरी-कांटे, चीनी के घरेलू बर्तन, मिट्टी के बर्तन, और कांच के बर्तन, चमड़े के सूट-केस, हैन्ड-बेग, घोड़ों आदि के जीन और साज, चमड़े के सभी प्रकार के वाद्य-यंत्र तथा जूते, सभी प्रकार के ग्रामोफोन और रिकार्ड, फ्रेमयुक्त तथा बिना फ्रेम की पिक्चरें और चित्र डाक-टिकट, छपी हुई पुस्तकें, खिलौने, खेलों का आवश्यक सामान, पेराम्बुलेटर, आवश्यक श्रृंगार प्रसाधन का सामान, फर्श के ऊनी कालीन, पांव-पोश, पश्मीना के शाल और ऊनी होजरी।

(3) कैमरा, घड़ियां, फाउन्टेन पेन दो दो नग प्रति यात्री।

(4) टाइप राइटर एक एक नग प्रति वयस्क यात्री।

(5) चलचित्र के घरेलू उपस्कर, वायर लेस रिसप्शन सेट (रेडियो) आदि और सिलाई की मशीन (विदेशी या भारतीय)—एक-एक प्रति परिवार।

(6) दीवार-घड़ियां या टाइमपीस, दूरबीन, साइकिलें (विदेशी या भारतीय)—एक-एक प्रति वयस्क यात्री।

(7) बिजली के छोटे-मोटे उपकरण, जैसे टेबल-फैन, लैम्प, केतली, इस्त्री, प्लग, साकेट आदि उचित मात्रा में।

(8) ऐसे व्यावसायिक औजार, उपकरण और साधित्र, जिनकी यात्री को अपने इस्तेमाल के लिए जरूरत होती है, जैसे शिल्पकार के औजार, चिकित्सा या शल्य-चिकित्सा के ऐसे उपकरण, जिन्हें वे सामान्यतः अपने साथ रखते हैं।

(9) चांदी के घरेलू बर्तन और फर्नीचर। सामान्यतः थोड़े समय के लिए भारत से बाहर छुट्टी पर जाने वाले व्यक्तियों को चांदी के घरेलू बर्तन या फर्नीचर अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अन्य मामलों में इन वस्तुओं का निर्यात करने की अनुमति नीचे दी गई सीमा या मूल्य तक ही दी जाएगी।

(क) जो यात्री बाहर से भारत आये हों और लंबे समय तक यहां रहने के बाद हमेशा के लिए देश छोड़ कर जा रहे हों, वे अपने साथ 3,000/- रु. तक के चांदी के बर्तन आदि ले जा सकते हैं। यह सुविधा उन विदेशियों के लिए भी लागू होगी जो भारत में 2 से 3 वर्ष तक या अधिक अवधि से रह रहे हों और उसके बाद अपने देश को चले जाते हों।

(ख) कभी-कभी थोड़े समय के लिए विदेश जाने वाले व्यक्ति प्रति व्यक्ति के हिसाब से 200/- रु. की वस्तुएं ले जा सकते हैं किन्तु एक परिवार 400/- रु. से अधिक का चांदी का सामान नहीं ले जा सकता, पर यह सामान वह तभी ले जा सकता है, जब उस सामान का वह वास्तव में उपयोग करता रहा हो।

(ग) लम्बे समय तक देश में रहने के बाद विदेश जाने वाले व्यक्ति अपने साथ ऐसा फर्नीचर ले जा सकेंगे, जिसका वे इस्तेमाल करते रहे हों।

(घ) अनिश्चित काल के लिए या 6 महीने की अवधि तक विदेश में रहने के लिए जाने वाले व्यक्ति अपने साथ 500/- रु. तक का फर्नीचर ले जा सकते हैं।

टिप्पणीः—

(1) विदेश में प्रवास करने वाले भारतीय राष्ट्रिक या असीमित समय के लिए विदेश जाने वाले भारतीय राष्ट्रिक 2000/- मूल्य के चांदी के बर्तन भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से ले जा सकते हैं।

(2) भारतीय राष्ट्रिक विदेश में रहने वाले अपने सम्बन्धियों को चांदी से बनी वस्तुओं के उपहारों को उनके मूल्य को ध्यान में रखे बिना नहीं भेज सकते हैं।

(10) प्रति परिवार 200 रुपए की दवा और औषधियां

(ख) नयी वस्तुएं :—

(1) सिलाई का धागा—1 किलोग्राम प्रति यात्री

(2) सभी प्रकार के रंजक और रंग—500 ग्राम प्रति परिवार

(3) बिना धुली हुई फिल्में—4 स्पूल प्रति यात्री, बशर्ते कि यात्री अपने साथ कैमरा ले जा रहा हो।

(4) धुली हुई फिल्में—उचित मात्रा में

(5) खाद्य पदार्थ

गेहूं और गेहूं का आटा	9 किलोग्राम प्रति यात्री किन्तु प्रति परिवार 36 किलोग्राम से अधिक नहीं।
चावल	
दालें	—नहीं—
खाद्य-तेल	
चीनी	4.5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति किन्तु प्रति परिवार 18 किलो ग्राम से अधिक नहीं।
काली मिर्च और लाल मिर्च	1 किलोग्राम प्रति व्यक्ति किन्तु प्रति परिवार 4.5 किलोग्राम से अधिक नहीं।
चाय और काफी	प्रति व्यक्ति 1 किलोग्राम चाय और 2 किलोग्राम काफी।
मक्खन और घी	4.5 किलोग्राम प्रति यात्री किन्तु प्रति परिवार 18 किलोग्राम से अधिक नहीं।
इलायची	500 ग्राम प्रति यात्री किन्तु 5 या इससे अधिक सदस्यों के परिवार के लिए अधिक से अधिक दो किलोग्राम

(6) चाकलेट और चाकलेट से बनी मिठाई-उचित मात्रा में।

(7) फलों की संसाधित वस्तुएं जैसे जैम, मारमलेड, जैली और चीनी में पकाये गये फल, शरबत और फलों के स्क्वैश उचित मात्रा में।

(8) अन्य खाद्य-पदार्थ, जैसे चटनी, मसालें, करी-पाउडर, इमली, विविध प्रकार के मसाले (काली मिर्च और लाल मिर्च को छोड़कर) काजू और अखरोट—उचित मात्रा में।

(9) भारतीय मिठाइयां और घर की बनी मिठाइयां—उचित मात्रा में।

(10) भारतीय सूअर से बना सामान अर्थात सूअर की चर्बी, सूअर का नमकीन मांस और जैम—उचित मात्रा में

(11) केवल भारत में बने कपड़े और सिले-सिलाए वस्त्र आदि :—

(क) सूती कपड़ा या वस्त्र

(ख) रेशम या कृत्रिम रेशम का कपड़ा या वस्त्र

(ग) ऊनी कपड़ा

उपर्युक्त कपड़ों का वास्तविक उपयोग के सामान के रूप में निर्यात करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है बशर्ते कि उनका निर्यात, व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए या बेचने के लिए न किया गया हो।

(घ) बुनाई की ऊन केवल 2.25 किलोग्राम प्रति महिला।

(12) जरीः—

(क) प्रति यात्री—2.25 किलोग्राम

(ख) प्रति परिवार—4.5 किलोग्राम

(13) कश्मीर की कलात्मक वस्तुएं—उचित मात्रा में

(14) भारत की बनी ऐसी कलात्मक वस्तुएं जो चीते, बाघ या तेंदुए या किसी ऐसे जंगली जानवरों की खाल से न बनी हों, जिनके नाम निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 की अनुसूची 1 के भाग 'क' में शामिल हों ऐसे पर्यटकों के लिए, जिनके पास परमिट न हों 500 रु. तक का सामान, किन्तु इसके लिए शर्त यह होगी कि वह सामान, पुरावस्तु (निर्यात-नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अधीन न आता हो।

(15) रसोई के नए बर्तन 1 जंगावरोधी इस्पात और एल्यूमीनियम बर्तनो को ले जाने पर कोई रोक नहीं है। यदि कोई यात्री निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जाना चाहता हो, तो उसे अनियंत्रित वस्तुओं के लिए जाच निरोधक विभाग के सहायक समाहर्ता से और नियंत्रित वस्तुओं के लिए निर्यात व्यापार नियंत्रण प्राधिकारियों से परमिट लेना चाहिए।

(16) बिजली के बल्ब (विदेशी या भारतीय)—एक दर्जन प्रति परिवार

(17) मोर के पंखों से बनी वस्तुए—उचित मात्रा में।

(18) समय-समय पर लागू निर्यात नीति के अनुसार हाथी दाँत वाले विनिर्माण और उत्पाद।

(ग) शस्त्र और गोला बारूद :—

(1) व्यक्तिगत शस्त्र और गोला बारूद साथ ले जाने की अनुमति उसी स्थिति में दी जाएगी, जब यात्री के पास उसको रखने का वैध लाइसेंस होगा या भारतीय शस्त्र अधिनियम के अधीन उनको ऐसे लाइसेंस रखने की छूट प्राप्त हो।

(2) वह व्यक्ति, जिसने पुराने हथियारों के ऐसे असली प्रतिरूप खरीद रखे हों, जो भारत में नाकारा हो गए हों और वह उन्हें भारत से बाहर जाते समय अपने सामान के एक हिस्से के रूप में केवल 4 नग अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए साथ ले जाना चाहता है तो उसे इनको ले जाने की अनुमति ऐसे सीमा शुल्क प्राधिकारियों की मर्जी से दी जाए जो सहायक सीमा शुल्क समाहर्ता से कम न हो, और उसे बाहर जाने वाले पत्तन पर ऐसा वाउचर/बिक्री बीजक प्रस्तुत करना पड़ेगा जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि प्रतिरूपों का निरीक्षण सक्षम प्राधिकारियों द्वारा कर लिया गया है।

2. **निर्यात व्यापार नियंत्रण प्रतिबन्ध :** ऐसी नियंत्रित वस्तुएं जो ऊपर के पैरा में न दी गई हों, उनके वैध निर्यात के लिए निर्यात व्यापार नियंत्रण प्राधिकारियों से लाइसेंस लेना जरूरी है। किन्तु सीमा शुल्क समाहर्ता अपने विवेकाधिकार से नीचे दिए गए वर्गों के यात्रियों को उनके सामने दी गई सीमा तक निर्यात व्यापार नियंत्रण प्रतिबन्धों में छूट दे सकता है, बशर्ते कि उसे इस बात की तसल्ली हो जाए कि (क) सम्बन्धित सामान यात्रियों की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए है और (ख) सामान मुख्यतः भारत में ही उत्पादित है अथवा बनाया गया है :—

1. **वास्तविक विदेशी पर्यटक:**—निर्यात (नियंत्रण) आदेश 1977 की अनुसूची-1 के भाग क में विशिष्टिकृत से भिन्न माल को वे अपने निवास के देश में धन की किसी निर्धारित सीमा के बिना ही ले जा सकते हैं। यदि वे सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को यह दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर देते हैं कि माल विदेशी मुद्रा में भुगतान के बदले खरीदा गया है। लेकिन, चांदी के बर्तनों की अनुमति केवल 200/- रु. प्रति व्यक्ति होगी जो 400/- रु. प्रति परिवार की सीमा के अधीन होगी।

2. **विदेशी पर्यटकों से भिन्न यात्री:**—विदेशी पर्यटकों से भिन्न यात्रियों द्वारा 2,000/- रु. (केवल दो हजार रुपये) मूल्य तक की वस्तुएं बाहर ले जाई जा सकती हैं। लेकिन, उपर्युक्त सीमा के भीतर, चांदी के बर्तनों की अनुमति केवल 200/- रु. प्रति व्यक्ति होगी जो 400/- रु. प्रति परिवार की अधिकतम सीमा के अधीन होगी।

3. **व्यावसायिक नमूने :**—व्यवसाय करने वाले यात्री उचित मात्रा में व्यवसायिक नमूने चाहे वे नियंत्रित वस्तुओं के क्यों न हों, ले जा सकेंगे।

4. **विदेशी मुद्रा विनियम।**

(I) भारतीय मुद्रा

भारत से बाहर जाने वाले यात्री अपने साथ भारतीय मुद्रा के नोट और सिक्के निम्नलिखित सीमा तक ही ले जा सकते हैं, उससे अधिक नहीं :—

(क) उपहार देने के प्रयोजनार्थ अपरिचलित किस्म के विकास अभिमुख डिजाइनों के 50 रुपये और 10 रुपये के प्रत्येक दो सिक्के अपने साथ ले जा सकते हैं।

(ख) नेपाल जाने वाले व्यक्तियों के लिए भारतीय रुपये या सिक्के ले जाने पर सीमा सम्बन्धी कोई प्रतिबन्ध नहीं है (किन्तु 100/- रुपये या उससे अधिक राशि के नोटों को छोड़कर।)

(ग) बर्मा, मलेशिया, सिंगापुर, खाड़ी के पत्तनों या पूर्वी अफ्रीका को पानी के जहाज से जाने वाले यात्री प्रति व्यक्ति 20/- रुपये तक।

(घ) बांगला देश, श्रीलंका या पाकिस्तान जाने वाले यात्री प्रति व्यक्ति 20/- रुपये तक।

(II) विदेशी मुद्रा

(क) भारत से विदेश जाने वाला कोई व्यक्ति विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत विक्रेता से विदेशी मुद्रा में प्राप्त किए गए नोटों, सिक्कों, ड्राफ्टों, यात्री चैकों या साखपत्रों के रूप में अपने साथ इच्छानुसार विदेशी मुद्रा ले जा सकता है, बशर्ते कि सम्बन्धित प्राधिकृत विक्रेता द्वारा ऐसी विदेशी मुद्रा जारी करने की पुष्टि के रूप में उस यात्री के पासपोर्ट पर विधिवत आवश्यक पृष्ठांकन किया गया हो।

(ख) रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित के सम्बन्ध में सामान्य अनुमति दे दी है :—

(1) कोई भी व्यक्ति नेपाली मुद्रा के नोट या सिक्के बिना किसी सीमा के नेपाल ले जा सकता है।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो सामान्यतः भारत का निवासी न हो, भारत से बाहर विदेशी मुद्रा की उतनी राशि ले जा सकता है, जो उस राशि से अधिक न हो, जो वह विदेशी मुद्रा में भारत लाया हो, बशर्ते कि उसने भारत पहुंचने पर सीमा-शुल्क प्राधिकारियों के सामने निर्धारित फार्म में उस राशि की घोषणा कर दी हो।

(3) बांगलादेश, भूटान और नेपाल को जाने वाले यात्रियों को छोड़ कर भारत से बाहर जाने वाला कोई भी यात्री अपने साथ भारतीय मुद्रा के 200/- रुपए के बराबर की किसी विदेशी मुद्रा के नोट और सिक्के ले जा सकता है—प्रति व्यक्ति।

(4) बांगला देश को जाने वाला कोई भी यात्री भारतीय मुद्रा के 100/- रुपए के बराबर की किसी विदेशी मुद्रा के नोट और सिक्के ले जा सकता है—प्रति व्यक्ति।

(II) आभूषण

(क) **ऐसे आभूषण, जो सोने के न हों** :—कोई व्यक्ति एक बार में भारत से बाहर ऐसे बहुमूल्य रत्न और आभूषण जो पूर्णत: या मुख्यत: सोने के न हों और जिनका मूल्य निम्नलिखित राशि से अधिक न हो, ले जा सकता है :—

(1) अफगानिस्तान, ईरान या मध्यपूर्व के खाड़ी के देशों को जाने वाले यात्री—2,000/- रु. के मूल्य आभूषण।

(2) अन्य देशों को जाने वाले यात्री—5,000/- रु. मूल्य के आभूषण।

अपवाद—जो व्यक्ति भारत का अधिवासी हो, उसको छोड़कर कोई भी अन्य व्यक्ति अपने साथ ऐसे बहुमूल्य रत्न या आभूषण किसी भी मात्रा में बाहर ले जा सकता है, जो भारत आने पर वह अपने साथ लाया हो और उनके अतिरिक्त वह 10,000 रु. तक के मूल्य के ऐसे बहुमूल्य रत्न और आभूषण भी अपने साथ ले जा सकता है जो उसने भारत में खरीदे हों और जो पूर्णतया या मुख्यतया सोने के न बने हों

(ख) **सोने के आभूषण** : रिजर्व बैंक ने ऐसे व्यक्ति को, जो सामान्यत: भारत का निवासी हो, किसी अन्य देश को एक बार में मुख्यत: या पूर्णत: सोने के बने 5,000/रु. तक के अपने ऐसे निजी आभूषण ले जाने की सामान्य अनुमति दे दी है जो उसने पहन रखे हों या जो उसके व्यक्तिगत सामान के अंतर्गत आते हों।

अपवाद—जो व्यक्ति सामान्यत: भारत का निवासी न हो, वह भारत से बाहर किसी अन्य देश को मुख्यत: या पूर्णत: सोने के बने अपने निजी आभूषण किसी भी मात्रा में ले जा सकते हैं, बशर्ते कि वह सीमा-शुल्क प्राधिकारियों की अनुमति से विदेश से वे आभूषण भारत में लाया हो। ऐसा व्यक्ति एक बार में मुख्यत: या पूर्णत: सोने के बने 2,000/- रु. तक के मूल्य के ऐसे आभूषण भारत से बाहर ले जा सकता है, जो उसने भारत में खरीदे हों।

(IV) आभूषण से भिन्न सोना और सोने से बनी वस्तुएं:

सोने के सिक्कों, ईंटों, सिल्लियों और मुख्यत: सोने की बनी वस्तुओं (आभूषणों को छोड़कर) का तब तक निर्यात नहीं किया जा सकता, जब तक कि रिजर्व बैंक ने उनके निर्यात की विशेष रूप से अनुमति न दी हो।

5. **प्रतिभूतियों का निर्यात** : रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की विशेष अनुमति प्राप्त किए बिना न तो प्रतिभूतियां ली जा सकती हैं और न ही वे भारत से बाहर किसी स्थान को भेजी जा सकती हैं।

6. **निर्यात घोषणा प्रपत्र** : सभी यात्रियों को सीमा-शुल्क निर्यात घोषणा फार्म दाखिल करना होगा, जो उन्हें जहाज से उतरने पर उस सीमा-शुल्क अधिकारी द्वारा नि:शुल्क दिया जाएगा, जो उस समय ड्यूटी पर होगा।

7. **निर्यात-प्रमाण-पत्र** : यात्रियों को यह सलाह दी जाती है कि वे व्यक्तिगत संपत्ति की उन वस्तुओं के लिए निर्यात-प्रमाण-पत्र ले लें जिनका भारत में दुबारा आयात किया जाना हो, ताकि उन्हें उन वस्तुओं को दुबारा भारत लाने के लिए सीमा-शुल्क न देना पड़े।

परिशिष्ट—6

कारों, स्टेशन वैगनों, जीपों, मोटर साइकिलों, स्कूटरों, आटो साईकिलों, मिनीकारों और मोपिडों का आयात

पात्रता

श्रेणी	अपेक्षित शर्तें
1	2
(क) सदा के लिये भारत वापस आने वाले भारतीय राष्ट्रिक	(1) कम से कम एक वर्ष के लिये विदेश में लगातार निवास ।
	(2) अपनी निजी कमाई से वाहन खरीदा गया ।
	(3) उपयुक्त प्राधिकारी के सामने इस सम्बन्ध में शपथ लेते हुए शपथ पत्र कि वह सदा के लिये भारत लौट रहा है ।
	(4) सामान्यतः आवेदक ने आयातित वाहन का कम से कम 3 मास तक विदेश में उपयोग किया हो, लेकिन, विशेष मामलों में नए खरीदे गए वाहन के आयात की भी अनुमति दी जा सकती है ।
	(5) आयातक को जब कि वह विदेश में हो तब या जब भारत में आ जाता है उसके आगमन के 2 मास के भीतर आयात आवेदन पत्र देने चाहिए और सीमा शुल्क निकासी परमिट जारी होने तक वाहन नहीं खरीदा जाना चाहिए । (सीमा शुल्क निकासी परमिट जारी करने से पूर्व वाहन खरीदने की शर्त वहां पर लागू नहीं होगी जहां आयात किए जाने वाला वाहन वही है जिसका आवेदक ने कम से कम 3 मास तक विदेश में उपयोग किया हो) ।

टिप्पणी:—(1) भारतीय मूल के उन विदेशी राष्ट्रिकों को इस संबंध में भारतीय राष्ट्रिकों के बराबर समझा जाएगा जो सदा के लिए भारत लौट रहे हैं ।

(2) पति-पत्नी के मामले में, यदि अन्य शर्तें पूरी की जाती हैं तो उनमें से दूसरे द्वारा अर्जित धनराशि में से खरीदे गए वाहन के आयात के लिए उनमें से किसी एक द्वारा दिए गए आवेदन पत्र पर विचार किया जा सकता है । लेकिन, यह पति या पत्नी जैसा भी मामला हो, द्वारा दाखिल किए एक शपथ पत्र के अधीन होगा कि किसी अन्य वाहन के आयात के लिए कोई भी अलग से आवेदन-पत्र नहीं दिया जाएगा ।

1	2
(ख) विदेशी महिलाएं (भारतीय मूल के व्यक्ति भी शामिल हैं) जो भारतीय राष्ट्रिकों के साथ विवाहित हों ।	(1) उपहार के रूप में :—
	(1) उपहार केवल माता-पिता की ओर से ही दिया जाना है ।
	(2) विवाह प्रमाण पत्र की फोटो स्टेट प्रति ।
	(3) उपहार दाता की वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में बैंकर के प्रमाणपत्र के साथ इस सम्बन्ध में माता-पिता से मूल प्रमाणपत्र कि यह उपहार अप्रार्थित उपहार है ।
	(4) आवेदक के जीवन काल में केवल एक बार ।
	(2) अन्यथा :—
	(1) विवाह से पहले आवेदक की वित्तीय स्थिति जो नियोक्ता प्रमाण-पत्र /आयकर प्रमाण पत्र/बैंकर के प्रमाणपत्र के साथ हो ।
	(2) उपयुक्त प्राधिकारी के सामने शपथ लेते हुए इस सम्बन्ध में शपथ पत्र कि आवेदक पहले से ही भारत में रह रहा है या सदा के लिये यहां आ रहा है ।
(ग) भारत के सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में नियुक्त विदेशी राष्ट्रिक	(1) भारत में कार्य करने की अवधि कम से कम एक वर्ष हो, जो नियोक्ता के मूल प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित हो ।

1	2
टिप्पणी :—भारतीय मूल के विदेशी राष्ट्रिक जो अन्य विदेशी राष्ट्रिकों की भांति विशेष कार्य के लिये भारत आ रहे हों, उन्हें विदेशी राष्ट्रिकों के बराबर समझा जाएगा ।	
(घ) अपने स्वयं के धंधे में लगे हुए विदेशी राष्ट्रिक	(1) राज्य/केन्द्र सरकार का प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक के व्यवसाय की किस्म और आयात के कारण के औचित्य बताए गए हों। (2) आवेदकों द्वारा पूरी अवतरण कीमत विदेशी मुद्रा में चुकाई जानी है ।
(ङ) अन्य विदेशी विशेषज्ञ (सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत) गैर-राजनयिक/होम बेसड् स्टाफ	(1) सम्बन्धित सरकारी विभाग/राजदूतावास से कार्य/नियुक्ति का प्रमाण पत्र, इसके साथ-साथ कार्य की किस्म और सम्भाव्य कार्यकाल आदि के ब्यौरे और उसके साथ-साथ यथा लागू सहायता कार्यक्रम के ब्यौरे। (2) आयात की जाने वाली कार के स्वामित्व का क्रय बीजक/पंजीकरण प्रमाणपत्र ।
(च) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति	(1) अन्य मामलों में आयात आवेदन पत्रों पर निम्नलिखित ढंग से विचार किया जाएगा :— (i) कार में फिट किए हुए, असमर्थता नियंत्रणों के साथ कार का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य 65,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके समर्थन में मूल बीजक/क्रय वाउचर प्रस्तुत किया जाएगा (आटो ट्रांसमिशन को असमर्थता नियंत्रण डिवाइस नहीं समझा जाएगा)। (ii) राज्य नागरिक सर्जन या सरकारी हस्पताल का सम्बद्ध विंग का अध्यक्ष, विकलांगता की प्रकृति और वह किस सीमा तक विकलांग है उस का ब्यौरा और असफल नियंत्रण के साधन के साथ विशेष कार के उपयोग के लिए औचित्य । (iii) यदि कार उपहार के रूप में दी जा रही हो तो दाता की ओर से मूल पुष्टि पत्र जो उपहार दाता का उपहार लेने वाले के साथ संबंध भी दर्शाता हो । (iv) आवेदक द्वारा स्वतः चालित कार के आयात की आवश्यकता एवं जरूरत के बारे में स्पष्ट औचित्य देते हुए आवेदक के बारे में साक्ष्य ।
(छ) विदेशी संस्थाओं की शाखाएं/कार्यालय (जो सहायक अन्यथा रूप से हो)	(1) पहुंचने पर पूरी लागत विदेशी—स्वामियों द्वारा दी जानी है । (2) सामान्यतः एक वाहन अनुमेय है और दो की अनुमति तभी दी जायेगी यदि विभिन्न नगरों में एक से अधिक शाखा/कार्यालय हों । (3) भारत में विषयाधीन शाखाएं/कार्यालय खोलने के लिए सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की फोटोस्टेट प्रति ।
(ज) विदेशी सहयोग वाली रुपया कम्पनी	(1) पहुंचने पर पूरी लागत विदेशी सहयोगियों द्वारा दी जाएगी। (2) सहयोग समझौते में रोजगार/विदेशी निदेशकों की यात्रा/तकनीकी विशेषज्ञ होने चाहिए। (3) विदेशी सहयोग के लिए सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की फोटोस्टेट प्रति
(झ) विदेश समाचार अभिकरणों के अधिकृत पत्रकार संवाददाता	(1) आवेदन पत्र, प्रेस सूचना कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित हो और उसके माध्यम से भेजा गया हो । (2) विदेशी नियोक्ता से इस संबंध में एक पत्र कि वाहन के पहुंचने पर पूरी लागत उनके द्वारा दी जाएगी (अंग्रेजी अनुवाद संलग्न किया जाता है) ।
(ञ) वायुयान कम्पनियां	आवेदन पत्र केवल सिविल विमानन विभाग, पर्यटन एवं सिविल विमानन मंत्रालय के माध्यम से और उसकी सिफारिश से ही भेजा जाना है ।
(ठ) विदेश में ठेके पर काम करने वाली या संयुक्त कारोबार में लगी हुई भारतीय फर्म	(1) ठेके को स्वीकृत करने वाले भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार के पत्र की फोटो स्टेट प्रति ।

1	2
	(2) केवल ऐसे वाहन जो विदेश में खर्चों के लिये भारतीय रिजर्व बैंक के विशिष्ट अनुमोदन के अन्तर्गत आते हैं।
	(3) केवल ठेके के ठोस रूप से पूरे होने पर।
(ङ) भारत में काम करने वाली वात्सल्य एवं धर्म प्रचारक संस्थाएं	(1) केवल उपयोगी गाड़ियां एम्बयुलेन्स, स्टेशन वैगन, जीपों, मिनी बस या यात्री परिवहन वाहनों आदि के उपहारों पर ही विचार किया जायेगा।
	(2) सम्बन्धित सरकारी प्राधिकारी से इस बारे में एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाता है कि संस्था वास्तव में विद्यमान है और यह जाति, वर्ण या पंथ का ध्यान न रख कर समाज कल्याण के कार्यों में जुटी हुई है।
	(3) विदेशी मुद्रा वितरण (अधिनियम) 1976 का अनुपालन किया जाएगा।

क्रियाविधि

(क) आयात लाइसेंस/सीमा शुल्क निकासी परमिट के लिए आवेदन पत्र अनुबन्ध में दिए गए प्रपत्र में मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली को भेजने चाहिए और इसके साथ निर्धारित आवेदन शुल्क की अदायगी का वाउचर अर्थात् 500/- रुपये आवेदित मूल्यों को ध्यान में न रखते हुए भेजना चाहिए।

(ख) 2,500/- रुपये लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के फालतू पुर्जे वाहन के साथ आयात किए जाएंगे।

लागू होने वाली शर्तें

1. वाहन के भारत में पहुंचने के बाद उसे केवल लाइसेंसधारक के नाम में पंजीकृत कराना चाहिए।

2. पत्तन पर निकासी से पूर्व, लाइसेंसधारी भारत के राष्ट्रपति के नाम में वाहन के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के लिए गणना की गई सीमा शुल्क धनराशि के बराबर के लिए स्थानीय लाइसेंस प्राधिकारियों के पास निर्धारित प्रपत्र में एक बांड का निष्पादन करेगा, जिसमें आयात लाइसेंस/सीमा शुल्क निकासी परमिट के लिए लागू शर्तों को पूरा करने के लिए वचन दिया जाएगा और उस बांड के साथ अनुसूचित बैंक की गारन्टी भी होगी। इसके बदले में, वह 'बिक्री बन्द' अवधि की मुद्रा के लिए उपर्युक्त वाहन को रहन रखने के मद्दे वाहन के लागत बीमा-भाड़ा मूल्य की गणना की गई सीमा शुल्क के लिए अनुसूचित बैंक द्वारा जमानत प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन, शारीरिक रूप से विकलांग लाइसेंसधारी के मामले में उसकी इस घोषणा पर कानूनी समझौता स्वीकार किया जा सकता है कि वह वित्तीय रूप से बैंक की गारन्टी/जमानत देने में समर्थ नहीं है। प्रारम्भ में, बांड/जमानत कानूनी समझौता 6 वर्ष के लिए वैध होना चाहिए, किन्तु लाइसेंस/सीमा-शुल्क निकासी परमिट के धारक को इसकी अवधि वृद्धि या पुनर्वैधीकरण के लिए प्रारम्भिक अवधि की समाप्ति से 6 महीने पहले ऐसे समय तक के लिए बढ़ा दिया या नवीकृत किया जाएगा, जिसे लाइसेन्स प्राधिकारी आवश्यक समझे (लाइसेन्सप्राधिकारी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बांड प्रपत्र में उपयुक्त आशोधन कर सकते हैं)।

3. लाइसेंसधारी नीचे दर्शाई गई 'बिक्री बन्द' की अवधि (अवधियों) के भीतर लाइसेंस प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना वाहन के स्वामित्व या कब्जे का हस्तान्तरण नहीं करेगा। यदि हस्तान्तरण अनुमित किया जाता है तो वह ऐसी कीमत और नियम एवं अन्य शर्तों के अधीन होगा जो हस्तांतरी/स्वीकृत समय आदि के अनुकूल हों जैसा कि लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा विशिष्टिकृत किया जाए:—

(i) श्रेणियां (क, ख छ, झ, ञ, ट, ठ)	'बिक्री बन्द' अवधि वाहन के आयात करने की तिथि से पांच वर्ष होगी। सरकारी अधिकारी का विदेश में लोक हित में स्थानान्तरण हो जाने के मामले में "बिक्री नहीं" अवधि में छूट के लिए आवेदनों पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात पात्रता के आधार पर विचार कर सकते हैं, बशर्ते कि विषयाधीन वाहन खरीद की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक या आयात की तारीख से 2 वर्षों तक, इन में जो अवधि बाद में हो उस तक उपयोग किया गया हो।
(ii) श्रेणियां (ग, घ, एवं ङ)	आयातक के भारत छोड़ने पर वाहन का पुन: निर्यात किया जाएगा किंतु इसमें एक बार 3 मास तक की लघु विदेशी यात्रा शामिल नहीं होगी। सम्बद्ध लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा आयातक को नीचे की कंडिका 7 में निहित शर्तों के अधीन अन्य पात्र विदेशी राष्ट्रिक को भारत में वाहन बेचने के लिए भी अनुमति दी जी सकती है या किसी अन्य व्यक्ति/अभिकरण को भी ऐसी शर्तों के अधीन और अन्य शर्तें जैसे हस्तांतरी, कीमत आदि जो लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएं।
(iii) श्रेणी-च:	(क) किसी भी समय कार बेची नहीं जाएगी या अन्यथा रूप से निपटाई नहीं जाएगी या उसका स्वामित्व किसी को दिया नहीं जाएगा या बंधक, रहन या गिरवी नहीं रखी जाएगी। लेकिन, विशेष परिस्थितियों में और वैध कारणों से और यथानिर्धा-

रित शर्तों के निवेदन पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात इस शर्त में ढील दे सकते हैं।।

(ख) लाइसेंसधारी को आयात करने की तिथि से 6 मास के भीतर अपना ड्राइविंग लाइसेंस उस लाइसेंस प्राधिकारी को देना चाहिए जिसके पास बिक्री बन्द बांड निष्पादित किया हो।

(ग) ये शर्तें उन सभी मामलों में भी लागू होंगी जिनमें आयात लाइसेन्स पहले से ही जारी कर दिए गए हों परन्तु सम्बद्ध लाइसेन्स प्राधिकारी ने बांड अभी स्वीकार नहीं किया है।

(घ) श्रेणी ज एवं झ (क) कार विदेशी स्वामियों/सहयोग-कर्त्ताओं के कारण रोक रखी जाएगी और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली की पूर्व लिखित अनुमति के बिना और यथा-निर्धारित ऐसी शर्तों के अधीन किसी भी समय कार को न तो बेचा जाएगा या न अन्यथा रूप से निपटाया जाएगा, बंधक रखा जाएगा, गिरवी रखा जाएगा या रेहन रखा जाएगा।

(ख) ये शर्तें उन मामलों में भी लागू होंगी जहां आयात आवेदनपत्र पहले ही जारी किया जा चुका हो लेकिन सम्बद्ध लाइसेन्स प्राधिकारियों द्वारा बांड अभी स्वीकार नहीं किया गया हो।

4. श्रेणी (क) और (ख) के लाइसेंसधारी एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए विदेश यात्रा पर जाते समय भारत में वाहन को नहीं छोड़ेंगे। ऐसी अनुपस्थिति में, किसी भी हालत में उस अवधि के दौरान वाहन केवल परिवार के किसी और सदस्य की सुरक्षा में छोड़ना चाहिए और किसी गैर के पास नहीं। यदि लाइसेंस धारक को विदेश में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जाना पड़ता है तो उसे अधिक अवधि के लिए ठहरने के कारण बताते हुए और वापस लौटने की प्रस्तावित तिथि का हवाला देते हुए उस लाइसेंस प्राधिकारी को उस की सूचना पावती पंजीकृत डाक से देनी चाहिए जिस के पास बांड निष्पादित किया गया था।

5. एक वर्ष से अधिक विदेश में ठहरने की अवधि के लिए, लाइसेंसधारी ऐसी अधिक ठहरने की अवधि के लिए बांड की अवधि को तभी बढ़ा सकता है जब कि उसे ऐसा करने के लिए लाइसेंस प्राधिकारियों से छूट प्राप्त हो जाए। विदेश में ठहरने की कुल अवधि यदि दो वर्ष से अधिक हो जाने की संभावना है, तो सभी मामलों में लाइसेंस प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। ऐसा न करने पर आयातित वाहन को जब्त भी किया जा सकता है।

6. लाइसेन्सधारी को यह खुली छूट होगी कि वह सदा के लिए देश को छोड़ते समय वाहन को पुनःनिर्यात कर सकता है, किन्तु उसे इसके लिए पहले से ही लाइसेंस प्राधिकारी को सूचित कर देना चाहिए।

7. लेकिन, विदेशी राष्ट्रिक लाइसेन्सधारी को यह छूट होगी कि वह वाहन को भारत में अन्य विदेशी राष्ट्रिक को बेच सकता है बशर्ते कि (क) लागू नीति के अधीन क्रेता स्वयं उसके आयात के लिए पात्र है, (ख) किसी भी ढंग से भारत से प्रेषण को शामिल किए बिना क्रेता ने अपने निजी फण्ड में से विदेश में उसका मूल्य और खर्च का भुगतान कर दिया हो, (ग) क्रेता उन शर्तों का पालन करने के लिए वचनबद्ध हो जिनके अधीन आयात की अनुमति दी गई थी और (घ) लाइसेंस प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए इन जरूरतों को पूरा करने के लिए क्रेता बैंक गारन्टी सहित बाण्ड को पूरा करता हो।

8. पत्तन पर वाहन की निकासी करने और बांड निष्पादित करने के पश्चात्, लाइसेंसधारी वाहन को उतारने के पत्तन पर भारत में अपने (अभिप्रेत) नियमित पते की सूचना लाइसेंस प्राधिकारी को तत्काल ही देगा, अर्थात् जहां कार रखी जाएगी और उपयोग की जाएगी। तब उसके मामले से सम्बन्धित बांड और अन्य कागजात उस लाइसेंस प्राधिकारी को हस्तांतरित किए जाएंगे जिसके क्षेत्राधिकार में उपर्युक्त पता पड़ता है। उसके बाद सभी आगामी पत्राचार केवल परवर्ती प्राधिकारी के साथ होने चाहिए और इस नीति के अन्तर्गत अधिकार और आभार का उपयोग उसके द्वारा किया जाएगा।

9. लाइसेंसधारी को मांगे जाने पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात या लाइसेंस प्राधिकारी या मोटर वाहन अधिनियम, पुलिस या आयात नियंत्रण से सम्बद्ध अन्य सरकारी प्राधिकारी (केन्द्र या राज्य) को यह सिद्ध करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए कि बाण्ड की अवधि के दौरान वाहन उसके स्वामित्व और अधिकार में रहा है।

10. जिन व्यक्तियों को वाहन का स्वामित्व दिया गया हो या जो इस नीति के अधीन आयातित वाहन की खरीद की बातचीत कर रहे हों, उन्हें अपने हित के लिए, इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि वे ऐसा करने के लिए स्वयं स्वतन्त्र हैं अर्थात् नीति और सम्बद्ध बाण्ड की शर्तों के अनुसार वाहन उनके अधिकार या स्वामित्व में हो सकता है। ऐसा करने के लिए प्रमाण का दायित्व उनके ऊपर ही होगा। इस नीति के अधीन अप्राधिकृत व्यक्तियों के अधिकार में पाए गए वाहन बिना किसी शर्त के जब्त कर लिए जाएंगे।

11. उपर्युक्त प्रावधानों के अधीन न आने वाले आवेदनपत्रों पर तदर्थ आधार पर, गुण दोष को सामने रखते हुए मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली द्वारा विचार किया जा सकता है।

12. जिन मामलों में वर्तमान शर्तों को लागू करने में वास्तविक परेशानियां एवं दिक्कतें होती हैं और यदि मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात, नई दिल्ली इसे आवश्यक समझे तो ऐसी ढील देने के लिए निवेदन करने पर उनके द्वारा विचार किया जा सकता है।

13. ऊपर निर्धारित किए गए किसी भी प्रावधान को ध्यान में न रखते हुए, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात यदि वाहन के आयात के औचित्य से संतुष्ट नहीं होता है तो आवेदन पत्र को रद्द कर सकता है।

परिशिष्ट—6 का अनुबन्ध

क, ख, ग, घ, ङ एवं च श्रेणियों के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र।

(1) सदा के लिए भारत लौटने वाले भारतीय राष्ट्रिक (2) भारत राष्ट्रिकों से विवाहित औरतें (भारतीय मूल के व्यक्तियों को शामिल करते हुए) (3) अन्य विदेशी राष्ट्रिक, और (4) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति

1. आवेदक का नाम।

2. राष्ट्रिकता।

3. पदनाम/व्यावसायिक स्थिति।

4. विदेश का पूरा पता।

5. भारत का पूरा पता।

6. विदेश जाने का उद्देश्य और वहां ठहरने की अवधि (भारत को वापस आने वाले भारतीय राष्ट्रिकों के लिए ही लागू)।

7. भारत छोड़ने और वापस आने की प्रस्तावित तिथि।

8. भारत में ठहरने की सम्भावित अवधि।

9. वाहन का मेक और माडल तथा लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य।

10. खरीद/पंजीकरण की तिथि और स्वामित्व की अवधि।

11. यदि कार का पहले ही आयात हुआ है तो बताएं कि कार/वाहन को ट्रिपटाईक/कारनेट डी-पैसेज के अन्तर्गत भारत में लाया गया है और यदि हां तो आयात किए जाने की तिथि और संख्या और कारनेट की वैधता का उल्लेख करें (कारनेट की फोटोस्टेट प्रति संलग्न की जाए)।

12. वाहन खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का ढंग।

13. पिछले दो वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के अधीन यदि कोई ली गई/निकाली गई विदेशी मुद्रा हो तो (केवल सदा के लिए लौटने वाले भारतीय राष्ट्रिकों के लिए लागू)।

(क) मूल कोटा

(ख) विशेष कोटा

(कृपया यह भी सूचित करें कि क्या इस प्रकार प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा वापस कर दी गई है)।

14. वह उद्देश्य जिसके लिए भारत में कार की जरूरत है।

15. क्या आवेदक, उसकी पत्नी/पति/उस पर निर्भर करने वालों ने कभी भारत में कार आयात की है और यदि हां, तो सीमा शुल्क निकासी परमिट/लाइसेंस नम्बर सहित पूर्ण विवरण दें।

16. क्या इससे पूर्व कार इत्यादि के आयात के लिए आवेदन पत्र दिया गया था और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे (पूर्ण संदर्भ उद्धृत किया जाना चाहिए)।

17. (क) भारत में कार को जहाज से उतारने के लिए अभिमान्य पत्तन।

(ख) वह राज्य जिस में कार का उपयोग किया जाएगा अर्थात् यह भारत में नियमित रूप से पंजीकृत करवाई जाएगी अर्थात् पत्तन पर अनन्तिम रूप से या अस्थायी पंजीकरण करवाने के पश्चात्।

18. आवेदन-पत्र के साथ भेजे जाने वाले दस्तावेज:—

(क) आवेदन-पत्र शुल्क के भुगतान का वाउचर (मूल प्रति)

(ख) खरीद/प्रपत्र बीजक/पंजीकरण प्रमाणपत्र की फोटोस्टेट प्रति

(ग) कार खरीदने से पूर्व विदेश में आवेदक की कमाई के विवरण के साथ नीति के अधीन जब भी आवश्यक हो नियोक्ता का प्रमाणपत्र, आय कर प्रमाण-पत्र/बैंकर का प्रमाणपत्र संलग्न होना चाहिए।

(घ) भारत सरकार के उपयुक्त प्राधिकारी या नोटरी पब्लिक विदेश में के सम्मुख शपथ लेते हुए इस सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र कि आवेदक सदा के लिए भारत वापस आ रहा है।

19. आवेदकों की विशिष्ट श्रेणी के लिए संलग्न किए जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेज:—

(क) भारतीय राष्ट्रिकों से विवाहित विदेशी स्त्रियां (उपहार के मामले में)

(क) उपहार दाता के माता-पिता से उपहार की अप्रार्थित प्रकृति घोषित करते हुए पुष्टि पत्र (मूल रूप में);

(ख) विवाह के प्रमाण-पत्र की फोटोस्टेट प्रति;

(ग) दाता की वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में बैंकर का प्रमाण-पत्र (मूल रूप में);

(घ) आवेदक और उसकी पत्नी दोनों द्वारा मजिस्ट्रेट या शपथ कमिश्नर या नोटरी पब्लिक के सामने शपथ लेते हुए स्टाम्प कागज पर इस सम्बन्ध में एक शपथ पत्र देना चाहिए कि वे भारत में स्थायी रूप से बसे हुए हैं और उन्होंने इससे पूर्व कोई भी कार आयात नहीं की है।

(ङ) आवेदक और उसके पति के पासपोर्ट की फोटो स्टेट प्रति जिस में विवाह के समय उनकी राष्ट्रिकता को दर्शाया जाए। यदि पति के पास कोई पासपोर्ट नहीं है, तो उसे अपनी राष्ट्रिकता को दर्शाते हुए एक आवेदन पत्र देना चाहिए।

(ख) भारत में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में कार्यरत विदेशी राष्ट्रिक

(क) भारत में नियुक्ति की अवधि दर्शाते हुए नियोक्ता का प्रमाणपत्र (मूल रूप में)

(ग) अन्य विदेशी विशेषज्ञ (सहायता कार्यक्रमों के अधीन) गैर राजनयिक घर रहने वाले कर्मचारी।

(क) कार्य का सामान्य विवरण और सम्भावित अवधि के साथ सम्बन्धित सरकारी विभाग/दूतावास से नियुक्ति/नौकरी का प्रमाण पत्र (मूल रूप में)

(घ) अपना धंधा करने वाले विदेशी राष्ट्रिक:—

(क) आवेदक के व्यवसाय की प्रकृति और आयात को उचित ठहराने के कारण बताते हुए राज्य/केन्द्रीय सरकार का प्रमाण-पत्र;

(ख) माल उतरने की पूर्व कीमत को (अर्थात् सीमाशुल्क सहित) विदेशी मुद्रा में पूरा करने का घोषणा-पत्र

(ग) आवेदक की वित्तीय स्थिति दर्शाते हुए विदेशी बैंकर का प्रमाण-पत्र।

(ङ) शारीरिक रूप से विकलांग

(क) राज्य सिविल सर्जन या सरकारी हस्पताल में कार्यरत सम्बद्ध विंग के अध्यक्ष से विकलांगता की प्रकृति और विशेष नियंत्रणों सहित कार उचित ठहराने के कारणों सहित चिकित्सा प्रमाण-पत्र;

(ख) दाता का पुष्टि कारक पत्र (उस मामले में जहां कार उपहार में दी जा रही हो)

घोषणा:—

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त विवरण, मेरे ज्ञान एवं विश्वास से सत्य और ठीक है और मैं अच्छी तरह समझता हूं कि उपर्युक्त विवरण के आधार पर मेरे द्वारा मांगा गया अथवा मुझे जारी किया गया कोई लाइसेंस/सीमाशुल्क निकासी परमिट यदि यह पाया गया कि विवरण अथवा तथ्य का कोई भी भाग गलत अथवा झूठा है तो वह रद्द किया जा सकता है और इसके अतिरिक्त मामले की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार कोई और भी जुर्माना कर सकती है अथवा कोई अन्य कार्रवाई कर सकती है।

दिनांक......... हस्ताक्षर.........

संलग्नक........ नाम (साफ अक्षरों में)......

....

पूरा पता ....

....

भारत में सदा के लिए निवास करने के लिए आने वाले भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा निष्पादित किया जाने वाला शपथ-प्रपत्र

मैं, (नाम--- -- -- -- --) सुपुत्र श्री------- का निवासी भारतीय पासपोर्ट सं.---------- दिनांक- - - - - - - -का धारक एतद् द्वारा घोषणा करता हूं और पुष्टि करता हूं कि:—

(1) मैं-----------समय से लगातार विदेश में रह रहा हूं, केवल निम्नलिखित अवधि इसमें शामिल नहीं है क्योंकि मैं उन दिनों भारत आया था:—

(1)

(2)

(3)

(2) -----------(मास/वर्ष) में, मैं भारत में स्थाई तौर पर रहने के लिए वापस आ रहा हूं।

(3) मेरे द्वारा प्रस्तावित आयात किया जाने वाला वाहन मेरे द्वारा विदेश में अर्जित धनराशि में से खरीदा गया है।

(4) वाहन विदेश में मेरे नाम में पंजीकृत है और उसकी पंजीकरण संख्या--------- -------------है।

अभिसाक्षी

श्रेणी छ, ज, झ, ञ, ट एवं ठ के लिए आवेदन-पत्र का प्रपत्र-

(1) विदेशी संस्थानों की शाखाएं/कार्यालय (सहायक या अन्यथा रूप से);

(2) वायुयान कम्पनियां (आवेदन-पत्र नागरिक उड्डयन विभाग, पर्यटन और नागरिक उड्यन मंत्रालय के माध्यम से भेजे जाने चाहिए);

(3) रुपया कम्पनियां जिन्हें विदेशी सहायता प्राप्त हो,

(4) संविदा के कार्यों को कार्यान्वित करने वाली या भारतीय फर्म;

(5) विदेशी समाचार अभिकरण का अभिकृत पत्रकार/संवाददाता (प्रेस सूचना ब्यूरो के माध्यम से आवेदन-पत्र भेजे जाने हैं); और

(6) भारत में धर्मार्थ और मिशनरी संस्था

(1) आवेदक का नाम

(2) राष्ट्रिकता और पदनाम/व्यावसायिक स्थिति [केवल वर्ग (5) और (6) के लिए लागू]

(3) विदेश का पंजीकृत पूरा पता

(4) भारत का पंजीकृत पूरा पता

(5) भारत में शाखाओं की संख्या सहित उनके पते

(6) भारत में व्यवसाय/नियुक्ति की प्रकृति

(7) लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य सहित वाहन का मेक एवं माडल

(8) वह उद्देश्य जिसके लिए भारत में कार की आवश्यकता है

(9) आवेदन शुल्क के भुगतान को दर्शाने वाला वाउचर/रसीद

(10) खरीद/बीजक प्रपत्र/पंजीकरण प्रमाण-पत्र

(11) यदि कार का पहले ही आयात हुआ है तो कृपया बताएं कि कार/वाहन को ट्रिपटाइक/कारनेट-डी-पैसेज के अन्तर्गत भारत में लाया गया है और यदि हां, तो कारनेट के आयात किए जाने की तिथि, संख्या और वैधता का उल्लेख करें (कारनेट की फोटो स्टेट प्रति संलग्न करें)

(12) जहां कार उपहार के रूप में दी जानी है वहां उसे खरीदने के लिए भारत से बाहर किस ढंग से विदेशी मुद्रा प्राप्त की गई थी, इस के साथ विदेशी स्वामी/दाता के मुख्य कार्यालय से पुष्टि पत्र (मूल रूप में) संलग्न होना चाहिए।

(13) जहां सीमा शुल्क कर विदेशी मुद्रा में दिया जाना हो, वहां विदेशी स्वामी/मुख्य कार्यालय से इस आशय का पुष्टि पत्र (मूल रूप में) होना चाहिए कि एेसे कर का भुगतान वे विदेशी मुद्रा में कर देंगे।

(14) यदि कोई कार भारत में सीधे आयात की गई हो या किसी अन्य व्यक्ति/अभिकरण से हस्तान्तरण द्वारा ली गई हो तो आयातित कार का पूर्ण विवरण, ब्यौरा दिया जाना चाहिए।

(15) क्या इससे पूर्व कार के लिए आवेदन-पत्र दिया गया था, यदि हां, तो क्या परिणाम रहा (पूरा संदर्भ दीजिए)

(16) कार के पोतलदान की प्रस्तावित तिथि

(क) भारत में जहाज से उतारने का पत्तन

(ख) भारत में वह राज्य जहां कार की जरूरत है।

घोषणा :—

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त विवरण मेरे ज्ञान एवं विश्वास से सत्य और ठीक है और मैं अच्छी तरह समझता हूं कि उपर्युक्त विवरण के आधार पर मेरे द्वारा मांगा गया अथवा मुझे जारी किया गया कोई भी लाइसेंस/सीमाशुल्क निकासी परमिट यदि यह पाया गया कि विवरण अथवा तथ्य का कोई भी भाग गलत अथवा झूठा है, तो वह रद्द किया जा सकता है और इसके अतिरिक्त मामले की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार कोई और भी जुर्माना कर सकती है अथवा कोई अन्य कार्रवाई कर सकती है।

दिनांक ..... हस्ताक्षर

संलग्नक........ नाम (साफ अक्षरों में).......

....

पूरा पता ....

....

(17) आवेदकों की विशेष श्रेणी के लिए संलग्न किए जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेज

(क) रुपया कम्पनी जिसे विदेशी सहायता प्राप्त हो—

(क) उस तकनीकी सहायता समझौते की फोटो-स्टेट प्रति जिसकी शर्तों के अनुसार विदेशी विशेषज्ञों, तकनीकियों, निदेशकों को समय-समय पर भारत आना पड़ता है।

(ख) विदेश में ठेके पर काम करने वाली कारोबार में लगी हुई भारतीय फर्में :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार द्वारा संविदा की स्वीकृति देने वाले पत्र की फोटो-स्टेट प्रति;

(ख) विदेश से कार/कारें खरीदने के अनुमोदन को दर्शाने वाली भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी ।

(ग) विदेश में संविदा/कार्य समाप्त हो गया है, यह दिखाने के लिए प्रमाण पत्र/दस्तावेजी साक्ष्य।

(ग) धर्मार्थ और मिशनरी संस्थाएं :—

(क) सम्बद्ध सरकारी प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र कि संस्था धार्मिक है और जाति-पाति अथवा रंग भेद-भाव रखे बिना जनता की भलाई के लिए कार्य कर रही है।

(ख) इस सम्बद्ध में घोषणा पत्र कि कथित वाहन उपहार है और इस उद्देश्य के लिए भारत से विदेशी मुद्रा में किए गए प्रेषण शामिल नहीं हैं ।

अनुबन्ध 6

व्यक्तिगत असबाब के रूप में कार आदि के आयातक द्वारा निष्पादित किए जाने वाले बन्धपत्र का प्रपत्र

यह सब को ज्ञात हो कि हम (1)---------जो------------ के हैं (जिन्हें इसमें आगे "आयातक" कहा गया है और इस अभिव्यक्ति में उसके/उनके उत्तराधिकारी, प्रबन्धक, प्रशासन और कानूनी प्रतिनिधि/उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल हैं) और (2) ----------जो----------- के हैं (जिसे इसमें आगे "जमानती" कहा गया है और इसके अन्तर्गत जब तक कि संदर्भ के विरुद्ध न हो, उसके/उनके उत्तराधिकारी, प्रबन्धक, प्रशासक और कानूनी प्रतिनिधि/उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल है) भारत के राष्ट्रपति के प्रति------------------रुपए की रकम मांगी जाने पर बिना आपत्ति के संयुक्त/उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को चुकाने के लिए आज तारीख-------------------के इस विलेख द्वारा संयुक्त रूप से और अलग-अलग आबद्ध हैं।

जबकि संयुक्त/उप मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात भारत सरकार---------------------(जो यहां उक्त संयुक्त/उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के रूप में संदर्भित किए गए हैं, जिस अभिव्यक्ति में, वह व्यक्ति शामिल है, जो वर्तमान में संयुक्त/उप मुख नियंत्रक, आयात निर्यात - - - - -- -- -- का कार्यभार सम्भाल रहे हैं) ने -- - - - - - - - -- -जो कि पूर्णरूप से नीचे की अनुसूची में वर्णित है और जिसका आयातक द्वारा भारत में आयात किया गया है, की निकासी की अनुमति प्रदान कर दी है।

अब ऊपर लिखित बन्धपत्र की शर्त यह होगी कि:--

1. यदि उपर्युक्त आयातक इस देश से प्रस्थान करते समय कार का पुनः निर्यात करता है या छः महीने से अधिक अवधि के लिए विदेश जाते समय भारत में कार छोड़ने की आयात व्यापार नियंत्रण प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त कर लेता है; और

2. यदि उपर्युक्त आयातक कार को न तो बेचेगा, न रहन, बन्धक रखेगा या उपर्युक्त कार का कब्जा छोड़ेगा या कार को अन्यथा रूप से बेचेगा, तो ऊपर लिखित बन्ध पत्र अमान्य और अप्रभावी हो जाएगा, अन्यथारूप से यह कायम रहेगा और पूर्ण रूप से लागू रहेगा और एतद् द्वारा दोनों के बीच यह पूर्ण सहमति हुई है और निम्नलिखित घोषणा हुई है:--

(क) कि ऊपर लिखित बन्ध पत्र उपर्युक्त------- -------------------के आयात करने की तिथि से---------------------वर्षों की अवधि के लिए पूर्ण रूप से लागू और प्रभावित रहेगा और आगे ऐसी अवधि के लिए इसे पुनः नवीकृत समझा जाएगा जिसे संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात -निर्यात उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से पहले जितने समय के लिए उचित समझें।

(ख) आयात के खिलाफ बंध पत्र के लागू करने से भारत के राष्ट्रपति की ओर से कोई भी स्थगन कार्य या छूट (चाहे वह जमानती की जानकारी या सलाह के बिना या सहित हो) से उपर्युक्त बंधपत्र के दायित्व से कथित जमानती को किसी प्रकार से विमुक्त नहीं किया जाएगा।

(ग) यह कि यह बंधपत्र केन्द्रीय सरकार के आदेश के अन्तर्गत उस कार्यपालन के लिए किया गया जो सार्वजनिक हित में है।

(घ) मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात या किसी लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा जब कभी यह साक्ष्य मांगा जाए कि कार आयातक के कब्जे और स्वामित्व में है तो आयातक इसका साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

(ङ) विदेश जाते समय आयात कार को भारत में उस अल्पावधि यात्रा के सिवाय नहीं छोड़ेगा जिसकी अनुमति कार को अपने निकट सम्बन्धियों के पास छोड़ने के लिए लाइसेंस के लिए लाइसेंस प्राधिकारियों से प्राप्त की जाएगी।

(च) बन्ध पत्र के नियम एवं शर्तों का किसी प्रकार उल्लंघन करने पर आयातक बन्धपत्र की धनराशि की अदायगी के भुगतान करने के भार के अतिरिक्त यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अन्तर्गत दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार जुर्माना देने का देनदार होगा।

निकासी के लिए माल की अनुसूची गवाहों के रूप में पार्टियों के हस्ताक्षर - - -- - - - - - -

----

------------- का --------दिन

----------------की उपस्थिति में उपर्युक्त आयातक द्वारा हस्ताक्षरित -----------------

------------------की उपस्थिति में उपर्युक्त जमानती द्वारा हस्ताक्षरित---------------

भारत के राष्ट्रपति की ओर से-------------- द्वारा स्वीकृत

परिशिष्ट 7

प्रायोजक प्राधिकारियों की सूची

उद्योग	प्रायोजक प्राधिकारी
1. महानिदेशक, तकनीकी विकास के रजिस्टर में अनुसूचित उद्योग	महानिदेशक, तकनीकी विकास
2. सभी लघु उद्योग एकक	सम्बद्ध राज्यों के उद्योगों के निदेशक (नीचे की टिप्पणी देखिए।)
3. फिल्म स्टूडियो, सिनेमा घर, फिल्म संसाधन प्रयोगशाला, किराए के स्टूडियो उपकरण और फिल्म उद्योग से संबंधित अन्य कोई एकक	संबंधित राज्यों के उद्योग निदेशक या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम
4. काफी उद्योग/बागान,	अध्यक्ष, काफी बोर्ड, बंगालौ
5. कोयला और भूरा कोयला	कोयला विभाग, नई दिल्ली
6. नारियल जटा उद्योग (रबड़ीकृत नारियल जटा उत्पाद सहित)	अध्यक्ष, नारियल जटा बोर्ड एर्नाकुलम ।
7. कोल्ड स्टोरेज (बागवानी उत्पादों के लिए)	कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, फरीदाबाद
8. इलायची बागान	इलायची बोर्ड, एर्नाकुलम
9. कम्प्यूटर सिस्टम (इनके फालतू पुर्जे सहित)	इलक्ट्रोनिक्स विभाग, नई दिल्ली
10. विस्फोटक	मुख्य इन्सपैक्टर विस्फोटक, नागपुर
11. मछली उद्योग (समुद्र में चलने वाले जलयानों से भिन्न के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं सहित)	मछली उद्योग के राज्य निदेशक
12. मछलियों के जालपोत	महानिदेशक, तकनीकी विकास
13. फल और सब्जी परिरक्षण उद्योग	कार्यकारी निदेशक (खाद्य एवं आहार बोर्ड विभाग) नई दिल्ली
14. हथ-करघा	हथ-करघा के राज्य निदेशक
15. हस्त शिल्प	अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड
16. सिंचाई परियोजना	केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली
17. सिसल या मनीला रेशों का प्रयोग करने वाले पटसन उद्योग, रस्सा उद्योग, पटसन मिलों के लिये पटसम वस्त्र, इन्जीनियरी उद्योग और लकड़ी के सहायक उद्योग	पटसम आयुक्त, कलकत्ता
18. खनन (कोलरीज से भिन्न)	नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर
19. अखबारी स्थापना	भारत के लिये अखबारों का रजिस्ट्रार, नई दिल्ली
20. पेट्रोलियम उद्योग	पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, नई दिल्ली
21. फार्मास्यूटिकल उद्योग और कास्मिवर्धक उद्योग (दंत मंजन सहित)	राज्य भेषज नियन्त्रक (या राज्य सरकार के ऐसे अन्य प्राधिकारी)
22. शक्ति संचरण एवं वितरण संस्थान	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली
23. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० (सेल) के एकक/सहायक कार्यालय.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० (सेल) मुख्य कार्यालय
24. (क) टाटा लोहा एवं इस्पात कम्पनी लिमिटेड (ख) विश्वस्वरिया लोहा व इस्पात कम्पनी (ग) इस्पात विभाग द्वारा सीधे प्रशासित अन्य एकक	इस्पात विभाग, लोहा एवं इस्पात मंत्रालय, नई दिल्ली
25. लोहा और इस्पात के क्षेत्र में अन्य एकक, इसमें बिजली के चाप भट्ठी एकक, रिरोलिंग एकक, द्वितीय उत्पादक भी शामिल हैं।	लोहा तथा इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता
26 मुद्रण प्रतिष्ठान, प्रकाशक, निर्माण अभिकरण, विज्ञापन अभिकरण, सर्विस स्टेशन और अन्य रख रखाव वर्कशाप	राज्य औद्योगिक निदेशक (जो यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकार के अन्य तकनीकी विशेषज्ञों से मशवरा कर सकता है)
27. रबड़ बागान	अध्यक्ष, रबड़ बोर्ड, कोटायम
28. चीनी उद्योग	चीनी के मुख्य निदेशक, खाद्य विभाग, नई दिल्ली
29. रेशम उद्योग/रेशम वस्त्र/सेरिकल्चर	केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बम्बई
30. जहाज रानी उद्योग/ जहाज रानी कम्पनी	
(क) समुद्र में चलने वाले पोत	जहाजरानी के महानिदेशक, बम्बई
(ख) अन्तर्देशीय वाष्प एवं मोटर वाहन	सम्बद्ध क्षेत्र के व्यापारिक समुद्री विभाग के मुख्य अधिकारी,
(ग) जहाजों की मरम्मत	जहाजरानी के महानिदेशक, बम्बई
31. लवण उद्योग	लवण आयुक्त, भारत सरकार जयपुर
32. (क) पटसन और रेशम से भिन्न वस्त्र उद्योग (ख) वस्त्र इंजीनियरिंग उद्योग (ग) शक्ति चालित करघा उद्योग (घ) तैयार वस्त्र (होजरी से भिन्न) (ङ) क्रिम्पिंग टैक्स्चराईजिंग और ड्रा-टैक्सचराईजिंग यूनिट	वस्त्र आयुक्त, बम्बई
33. चाय उद्योग/बागान/चाय बैग का उद्योग	अध्यक्ष, चाय बोर्ड, कलकत्ता
34. वनस्पति	नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली
35. कुटीर उद्योग और वास्तविक उपयोक्ता सहित (गैर-औद्योगिक) एकक—ऐसे मरम्मत/रख रखाव कार्य करने वाल एकक जिनके लिए ऊपर किसी प्रायोजक प्राधिकारी का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है ।	राज्य उद्योग निदेशक या राज्य या केन्द्र सरकार का कोई अन्य सम्बद्ध विभाग

टिप्पणी :—(1) उपर्युक्त क्रम सं० 14, 15, 17, 21 32 और 33 के सामने दर्शाये गए प्रायोजक प्राधिकारी इन उद्योगों के लघु पैमाना उद्योग एककों के सम्बन्ध में भी प्रायोजक प्राधिकारी होंगे।

(2) पेड़ के रबड़ को कच्चे रबड़ के रूप में बाजार के योग्य बनाने के लिए संसाधन के प्रयोजनार्थ रबड़ बागान द्वारा अपेक्षित मशीनरी के आयात के लिए रबड़ बोर्ड, कोटायम का अध्यक्ष भी प्रायोजक प्राधिकारी होगा।

(3) मछली के नेट बनाने वाली मशीनरी के मामले में आयात आवेदन पत्र पर सिफारिस करने से पूर्व सम्बन्ध लाइसेंस अधिकारी कृषि मन्त्रालय, नई दिल्ली से भी परामर्श करेगा।

परिशिष्ट—8

क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों की सूची (उनके डाक और तार पतों सहित और उनके क्षेत्राधिकार)

क्रम सं०	लाइसेंस प्राधिकारी	तार का पता	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
1.	संयुक्त मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात, 4-एस्पलेनेड ईस्ट, कलकत्ता 700069	निआनिक्षेप्रा, कलकत्ता	पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और अण्डमान और [निकोबार का संघ शासित क्षेत्र।]
2.	संयुक्त मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात, न्यू सेन्ट्रल गवर्नमेंट आफिस बिल्डिंग, एस० ई० विंग, न्यू मेरीन लाइंस, चर्च गेट, बम्बई 400020	निआनिक्षेप्रा, बम्बई	[महाराष्ट्र।
3.	संयुक्त मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात, 3-विजय राघव रोड़, टी नगर, मद्रास-100017	निआनिक्षेप्रा, मद्रास	तमिलनाडु
4.	संयुक्त मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात, केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र, इन्द्रप्रस्थ भवन, "ए" विंग, नई दिल्ली-110002	निआनिक्षेप्रा, नई दिल्ली	दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पांच जिले अर्थात मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर।
5.	संयुक्त मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात, 17/194, स्वरूप नगर, कानपुर-208002	निआनिक्षेप्रा, कानपुर	उत्तर प्रदेश किन्तु संयुक्त मुख्य नियन्त्रक, आयात तथा निर्यात (सी० एल० ए०), नई दिल्ली के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर।
6.	संयुक्त मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात, दमयन्ति चैम्बर्स-दूसरी एव तीसरी, मंजिल 5/9/22/ आदर्श नगर रिट्स होटल हैदराबाद।	निआनिक्षेप्रा हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश, किन्तु नियन्त्रक, आयात तथा निर्यात, विशाखापत्तनम के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रो को छोड़कर।
7.	संयुक्त मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात, 7वीं मंजिल, कावेरी भवन, पोस्ट बाक्स सं० 9688, बंगलौर-560006	निआनिक्षेप्रा, बंगलौर	कर्नाटक
8.	संयुक्त मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात, 'ए' ब्लाक, 11वीं मंजिल, गवर्नमेंट बहुमंजिली बिल्डिंग, लाल दरवाजा, अहमदाबाद-380001	निआनिक्षेप्रा, अहमदाबाद	गुजरात राज्य, किन्तु राजकोट और न्यू कांडला कार्यालयों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वालों को छोड़कर।
9.	उप-मुख्य नियन्त्रक, आयात निर्यात, टी० डी० रोड, एर्नाकुलम, कोचीन-682011	निआनिक्षेप्रा, एर्नाकुलम	केरल राज्य और लक्षद्वीप के संघ शासित क्षेत्र।
10.	उप-मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात, तीसरी मंजिल, गुरु तेग बहादुर काम्प्लेक्स, न्यू मार्किट, भोपाल-462003	निआनिक्षेप्रा, भोपाल	मध्य प्रदेश
11.	उप-मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात, सी० बी० आर० बिल्डिंग, माल रोड, अमृतसर	निआनिक्षेप्रा, अमृतसर	पंजाब
12.	उप-मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005	निआनिक्षेप्रा, जयपुर	राजस्थान
13.	उप-मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात, राजगढ़ रोड, गोहाटी 781003	निआनिक्षेप्रा, गोहाटी	असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड और मणिपुर
14.	नियन्त्रक, आयात-निर्यात, मेरेलो बिल्डिंग, शिलांग, मेघालय-790001	निआनिक्षेप्रा, शिलांग	मेघालय
15.	नियन्त्रक, आयात-निर्यात, आशीर्वाद बिल्डिंग, साल्ता-इनेज पंजिम (गोवा)-403001	निआनिक्षेप्रा, पंजिम	गोवा, दमन और दियू और दादर और नगर हवेली
16	नियन्त्रक, आयात-निर्यात, रजिडेंसी रोड, श्रीनगर 180001	निआनिक्षेप्रा, श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर। (टिप्पणी:—शरद ऋतु में नियन्त्रक, आयात-निर्यात, श्रीनगर द्वारा समय-समय पर की जाने वाली घोषणा के अनुसार प्रत्येक मास में 7 दिनों के लिये जम्मू (प्रदर्शनी ग्राउन्ड) में एक शिविर कार्यालय कार्य करेगा)]

परिशिष्ट—8 (जारी)

1	2	3	4
17.	नियन्त्रक, आयात-निर्यात, बी०के० रोड, पैलेस कम्पाऊंड, अगरतल्ला-799001	निआनिक्षेप्रा, अगरतल्ला	त्रिपुरा और मिजोरम।
18.	नियन्त्रक, आयात-निर्यात, प्रशासनिक बिल्डिंग, कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र, गांधीधाम, (कच्छ)-370301	निआनिक्षेप्रा० न्यू कांडला	गुजरात का कच्छ जिला और न्यू कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र।
19.	नियंत्रक, आयात-निर्यात, बिस्कोमान भवन, पटना-800001	निआनिक्षेप्रा, पटना	बिहार।
20.	नियन्त्रक, आयात-निर्यात, सेक्टर-35, एस०सी०ओ०-288, चंडीगढ़-160023	निआनिक्षेप्रा, चंडीगढ़	हिमाचल प्रदेश और संघ शासित प्रदेश, चंडीगढ़।
21.	नियन्त्रक, आयात-निर्यात, स्वास्तायन, बारजाकबती रोड, कटक 752001	निआनिक्षेप्रा, कटक	उड़ीसा।
22.	नियन्त्रक, आयात-निर्यात, देसाई बिल्डिंग, भूपेन्द्र रोड, न्यू टाउन हाल, राजकोट-36001	निआनिक्षेप्रा, राजकोट	सौराष्ट्र के नाम से जाने जाने वाले गुजरात राज्य के जिले (कच्छ को छोड़कर)।
23.	उप-विकास आयुक्त (आयात-निर्यात), इलैक्ट्रानिक्स निर्यात संसाधन क्षेत्र, सांताक्रुज, बम्बई।	सीप्रोजोन, बम्बई	इलैक्ट्रानिक्स निर्यात ससाधन क्षेत्र, सांताक्रूज, बम्बई, (सीपज)
24.	नियन्त्रक, आयात तथा निर्यात, पी०बी०नं० 14, पांडिचेरी-605001	निआनिक्षेप्रा, पांडिचेरी	पांडिचेरी संघ शासित प्रदेश, करैकेल, माहे और यमाम।
25.	नियन्त्रक, आयात तथा निर्यात, सी आई एम एफ क्वाटर मास्टर स्टोर के क्वाटर गार्ड के पास, विशाखापत्तनम 530001।	निआनिक्षेप्रा, विशाखापत्तनम	आन्ध्र प्रदेश का सिरिकाकुलम, विशाखापत्तनम, पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी जिला

परिशिष्ट—8 (जारी)

आर० ई० पी० लाइसेंसों के लिये लाइसेंस प्राधिकारी

क्रम सं०	लाइसेंस प्राधिकारी	क्षेत्राधिकार
1	2	3
1.	संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात 4,एस्प्लेनेड ईस्ट, कलकत्ता	पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सिक्किम और अण्डमान और निकोबार का संघ शासित प्रदेश।
2.	संयुक्त मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात, न्यू सेन्ट्रल गवर्नमेंट आफिस बिल्डिंग, एस० ई० विंग, न्यू मेरीन लाइन्स, चर्च गेट, बम्बई-40000।	महाराष्ट्र
3.	संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, 3, विजय राघव रोड टी नगर, मद्रास	तमिलनाडु और पांडिचेरी का संघ शासित प्रदेश, कैरेकल, माहे और यमन
4.	संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र, इन्द्रप्रस्थ भवन, "ए" विंग, नई दिल्ली	दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पांच जिले अर्थात मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्द-शहर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर।
5.	संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, 17/194, स्वरूप नगर, कानपुर-2	उत्तर प्रदेश, किन्तु उन क्षेत्रों को छोड़कर जो संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (सी० एल० ए०) नई दिल्ली के क्षेत्राधिकार में हैं।
6.	संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, दमयन्ति चैम्बर्स दूसरी एवं तीसरी मंजिल, 5/9/22/I, आदर्श नगर, रिट्स होटल, हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश
7.	संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात 7वीं मंजिल, कावेरी भवन, पो० बा० नं० 9688, बंगलौर-560006	कर्नाटक
8.	संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, मल्टीस्टोरीड आफिसेस बिल्डिंग, लाल दरवाजा, अहमदाबाद।	गुजरात, किन्तु गुजरात के कच्छ जिले न्यू काण्डला मुक्त व्यापार क्षेत्र को छोड़ कर।
9.	उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, टी० डी० रोड, एर्नाकुलम, (कोचीन)।	केरल और संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप
10.	उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, तीसरी मंजिल, गुरुतेग बहादुर बिल्डिंग/ कम्पलैक्स, न्यू मार्केट, भोपाल।	मध्य प्रदेश
11.	उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, सी० पी० आर० बिल्डिंग, माल रोड, अमृतसर।	पंजाब, हिमाचल प्रदेश और संघ शासित प्रदेश चण्डीगढ़।
12.	उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।	राजस्थान
13.	उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, राजगढ़ रोड, गोहाटी।	असम, अरुणाचल प्रदेश मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा।
14.	उप-विकास आयुक्त, (आयात तथा निर्यात) इलैक्ट्रानिक निर्यात, संसाधन क्षेत्र, सान्ताक्रूज, बम्बई।	इलैक्ट्रानिक निर्यात संसाधन क्षेत्र, सान्ताक्रूज, बम्बई (सीपज)।
15.	नियंत्रक, आयात-निर्यात, रेजिडेन्सी रोड, श्रीनगर।	जम्मू तथा कश्मीर
16.	नियंत्रक, आयात-निर्यात, प्रशासनिक बिल्डिंग, काण्डला मुक्त व्यापार क्षेत्र, गांधीग्राम (कच्छ)	गुजरात का कच्छ जिला और मुक्त व्यापार क्षेत्र, न्यू काण्डला।
17.	नियंत्रक, आयात-निर्यात, आर्शीवाद बिल्डिंग, सान्ता-इनेज, पणजी (गोवा)	गोवा, दमन, दीव और दादरा और नगर हवेली।

परिशिष्ट-9

आयात आवेदन-पत्र के लिए शुल्क जमा करने/वापस लेने और अन्य आयात व्यापार नियंत्रण निक्षेपों के लिए शुल्क अदायगी की क्रिया विधि

शुल्क का भुगतान

(1) (क) जब तक किसी आवेदक को आयात (नियन्त्रण) आदेश की धारा 4 के अन्तर्गत शुल्क की अदायगी से छूट प्राप्त नहीं है, आयात लाइसेन्स/सीमाशुल्क परमिट के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ बैंक रसीद होनी चाहिए जिसमें आयात (नियंत्रण) आदेश की अनुसूची 3 के अनुसार निर्धारित अनुपात में शुल्क निक्षेप का हवाला दिया हुआ हो। निक्षेप संगत प्रपत्र/खजाना चालान 6 के साथ किया जाना चाहिए जिसमें नीचे संकेतित अनुसार लेखा शीर्षक स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए:--

(ख) इम्पोर्ट लाइसेंस एप्लीकेशन फी-सबार्डीनेट टू दी मेजर हैड 097--विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन/बैंक रसीद में विभाग का नाम उदाहरणार्थ--"आयात एवं निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन" और आयात लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन-पत्र के ब्यौरे दिए जाने चाहिए अर्थात् चालान प्रपत्र के कालम के पूरे ब्यौरे में उस लाइसेन्स अवधि और मूल्य सहित माल का विवरण जिसके लिए लाइसेंस मांगा गया है। आवेदनपत्र में बैंक रसीद का विवरण भी दिया जाना चाहिए जिसके अन्तर्गत अपेक्षित शुल्क का निक्षेप किया गया है। निक्षेप सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की किसी भी उस शाखा में किया जाना चाहिए जो आवेदन शुल्क और अन्य आयात व्यापार नियंत्रण निक्षेप जमा करने के लिए प्राधिकृत की गई हो। सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की उन शाखाओं की एक सूची इस परिशिष्ट में दर्शाई गई है जो आवेदन-पत्र शुल्क और अन्य आयात व्यापार नियंत्रण निक्षेप प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत की गई हैं।

(ग) किसी भी मामले में शुल्क खजाने में जमा नहीं किया जाना चाहिए। खजाने की रसीद स्वीकार नहीं की जाएगी।

बैंक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषण की सुविधा

(2) (क) लेकिन, यदि आवेदक किसी ऐसे जिले में स्थित है जहां सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की कोई भी प्राधिकृत शाखा नहीं है, तो उसके लिए आवेदन-शुल्क और अन्य आयात व्यापार नियंत्रण निक्षेपों के प्रेषण की सुविधा अनुसूचित बैंक के लिए क्रास किए गए बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भी उपलब्ध होगी। अपेक्षित धनराशि के लिए ऐसे डिमांड ड्राफ्ट उस सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी के नाम में किए जाएंगे जो बैंक ड्राफ्ट को उस जगह के सेन्ट्रल बैंक में जमा करेगा जहां उसका बैंक खाता हो। ऐसी जगह जहां सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया की कोई शाखा न हो तो लाइसेंस प्राधिकारी के नाम में प्राप्त किए गए डिमान्ड ड्राफ्ट सरकारी लेखे में जमा करने के लिए सम्बद्ध वेतन एवं लेखा अधिकारी को पृष्ठांकित किए जा सकते हैं। विभिन्न वेतन एवं लेखा अधिकारियों का क्षेत्राधिकार भी इस परिशिष्ट में बाद में संकेतित किया गया है।

(ख) जहां कहीं डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषण की सुविधा का उपयोग किया जाता है, तो क्रास डिमांड ड्राफ्ट को आवेदन-पत्र के साथ नत्थी करके संबंधित लाइसेंस प्राधिकारी के पास भेज दिया जाना चाहिए।

शुल्क अदा करने की छूट

(3) (क) आवेदक की वे श्रेणियां जिन्हें शुल्क अदा करने से छूट मिली हुई है, आयात (नियंत्रण), आदेश 1955 की धारा 4 में दी गई हैं। उन आवेदन-पत्रों पर भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जहां आयात किया जाने वाला माल आवेदकों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए है (अर्थात् उन प्रयोजनों के लिए जो व्यापार अथवा विनिर्माण से संबंधित नहीं हैं) चाहे माल का मूल्य जो भी हो। किंतु, यह छूट कार और अन्य परिवहन के आयात के लिए लागू नहीं है।

(ख) जहां कहीं, आवेदक को शुल्क की अदायगी से छूट मिली हुई है, उसे अपने आवेदन-पत्र में बैंक रसीद/बैंक ड्राफ्ट सं. और दिनांक से संबंधित कालम में स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए और जिस प्रावधान के अन्तर्गत उसको ऐसी छूट मिली हुई है, उसका भी संकेत करना चाहिए।

जहां बैंक रसीद खो जाती है

(4) ऐसे मामलों में जहां आवेदक से मूल रसीद अस्थानस्थ हो गई है, आवेदक को इस संबंध में स्टाम्प कागज पर एक शपथ पत्र दाखिल करना चाहिए कि संबंधित बैंक रसीद खो गई या अस्थानस्थ हो गई और उसका किसी अन्य तरीके से उपयोग नहीं किया गया है। आगे, उसे इस बात का भी उल्लेख करना चाहिए कि यदि बाद में मूल रसीद मिल गई तो उसे संबंधित लाइसेंस प्राधिकारी को लौटा दिया जाएगा और उसका किसी भी अन्य तरीके से उपयोग नहीं किया जाएगा। रसीद के ब्यौरे अर्थात लाइसेंस अवधि, जमा की गई धनराशि, भुगतान की तिथि का भी शपथपत्र में हवाला दिया जाना चाहिए।

आवेदन-पत्र शुल्क की वापसी

(क) आयात (नियंत्रण) आदेश की धारा 4 में विशिष्टिकृत परिस्थितियों को छोड़कर, एक बार जमा किया गया आवेदन-शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

(ख) जहां आवेदक आवेदन-शुल्क की वापसी के लिए पात्र है, उसे इस परिशिष्ट में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में शुल्क वापसी के लिए आवेदन-पत्र उस प्राधिकारी को भेजना चाहिए जिसके क्षेत्राधिकार में शुल्क अदा किया गया था। शुल्क वापसी के लिए आवेदन करते समय, मूल बैंक रसीद शुल्क वापसी के आवेदन-पत्र के साथ दी जानी चाहिए। ऐसे

मामलों में जहां मूल बैंक रसीद/चालान लाइसेन्स के लिए आवेदन-पत्र के साथ भेज दी गई है, तो बैंक रसीद/चालान की अनुलिपि भेजी जाए। सभी मामलों में बैंक रसीद और चालान की संख्या और दिनांक उस खजाने/बैंक के नाम दिया जाना चाहिए जहां शुल्क जमा किया गया था।

(ग) शुल्क वापसी के ऐसे मामलों में जहां धनराशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की गई है तो इसके अतिरिक्त आवेदक को निम्नलिखित सूचना भेजनी चाहिए :—

(1) डिमांड ड्राफ्ट की सं. और जारी करने की तारीख।

(2) उस बैंक का नाम और शाखा का पता जिसने डिमांड ड्राफ्ट जारी किया था।

(3) वह बैंक जिसके लिए डिमांड ड्राफ्ट भेजा गया है (अर्थात् भुगतान करने वाला बैंक)।

(4) उस व्यक्ति का नाम जिसके नाम में डिमांड ड्राफ्ट देय किया गया था।

आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर लाइसेंस प्राधिकारी संबंधित वेतन एवं लेखा अधिकारी से यह सत्यापन करने के बाद धन वापसी की मंजूरी प्रदान करेगा कि विषयाधीन धनराशि भारत सरकार के लेखे में जमा करा दी गई है।

साधारणतः शुल्क वापसी के लिए किसी भी आवेदन-पत्र को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक द्वारा शुल्क वापसी का दावा करने के पूरे कारणों का उल्लेख न किया जाए और शुल्क वापसी जमा कराने के एक वर्ष के भीतर ही मांगी गई हो। लेकिन, वास्तविक मामलों में, लाइसेंस प्राधिकारी देरी के लिए माफी दे सकते हैं किन्तु किसी भी मामले में शुल्क वापसी के लिए आवेदन-पत्र पर शुल्क वापसी का दावा करने की तिथि से तीन वर्ष व्यतीत होने के बाद विचार नहीं किया जाएगा।

(घ) 1-7-1976 से पहले खजाने में जमा की गई धनराशि की वापसी के मामले में, शुल्क वापसी के लिए आवेदन-पत्र में बैंक रसीद संख्या आदि के बजाय खजाना चालान की संख्या एवं दिनांक और खजाने का नाम लिखा होना चाहिए। ऐसे मामलों में, भुगतान के लिए वेतन एवं लेखा अधिकारी को वापसी बिल भेजने से पहले मूल जमा धनराशि का सत्यापन किया जाना चाहिए और सम्बन्धित खजाना अधिकारी द्वारा वापसी को नोट कर दिया जाना चाहिए।

(ङ) शुल्क वापसी के लिए आवेदन-पत्रों पर विचार करते समय, लाइसेन्स प्राधिकारी आवेदक से कोई भी सूचना/ब्यौरा मांग सकते हैं।

(च) ऐसे मामलों में, जहां आवेदक से मूल बैंक रसीद खो गया हो, वहां लाइसेन्स प्राधिकारी इस तथ्य के समर्थन में बैंक या वेतन एवं लेखा अधिकारी (वाणिज्य) से यह प्रमाण-पत्र भी स्वीकार कर सकते हैं कि धनराशि जमा करा दी गई है। ऐसे मामलों में, जहां मूल रसीद उपलब्ध नहीं है तो आवेदक को उपर्युक्त तथा उल्लिखित ब्यौरे देते हुए एक शपथपत्र दाखिल करना पड़ेगा।

(छ) शुल्क वापसी आदेश जारी होने की तिथि से तीन महीने तक वैध होगा। उसके पुनर्वैधीकरण का आवेदन उस प्राधिकारी द्वारा जिसने शुल्क वापसी आदेश जारी किया है, गुणवत्ता के आधार पर विचार करने के लिए स्वीकार किया जाए किंतु यह शुल्क वापसी आदेश की अवधि समाप्ति की तारीख से 9 महीने से अधिक अवधि का नहीं होना चाहिए।

(ज) ऐसे मामलों में जहां लाइसेंस प्राधिकारी शुल्क वापसी के अनुरोध को अस्वीकार कर देते हैं, तो वे ऐसी नामंजूरी के कारणों का संकेत करेंगे।

परिशिष्ट—9 क्रमशः

अनुबन्ध—1

आयात लाइसेंस आवेदन पत्र के शुल्क और अन्य आयात व्यापार नियंत्रण निक्षेपों के भुगतान को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत भारतीय सेंट्रल बैंक की शाखाओं की सूची

क्रम सं०	शाखा का पता	जिला
1	2	3
	आन्ध्र प्रदेश	
1.	6-1-10631, ई, प्रथम मंजिल, राजभवन रोड, खैरताबाद, हैदराबाद-500004.	हैदराबाद
2.	पोस्ट बाक्स नं० : 30, विक्टरी हाउस, डोर नम्बर 1634-1-18, टैम्पल स्ट्रीट, काकीनाडा-533001	पूर्व गोदावरी
3.	3-1-16, राष्ट्रपति रोड, सिकन्दराबाद-500003	हैदराबाद
4.	पोस्ट बाक्स नं० 6, गोगी नैनी बिल्डिंग्स, बी-12-319, राजा रांगेश अप्पारस स्ट्रीट, विजयवाडा-520001	कृष्णा
5.	पोस्ट बाक्स नं० 22, डोर नं० 5/281, माया लता मेन रोड, राजामुन्द्री-533101	पूर्व गोदावरी
6.	ई०-1, शिपयार्ड कालोनी, गांधी ग्राम, विशाखापत्तनम-533005	विशाखापत्तनम
7.	पोस्ट बाक्स नं० 65, 2918, 119, मेन रोड, विशाखापत्तनम-530001	विशाखापत्तनम
8.	पोस्ट बाक्स नं० 5, बाजार स्ट्रीट, सामरथी बिल्डिंग्स, पकाला-517112	चित्तूर
9.	18/188,/ बी० के० एन० स्ट्रीट, कडुपाह-518001	कडुपाह
10.	पोस्ट बाक्स नं० 22, 18/192, रसूल बाजार, करनूल-516001	करनूल
11.	22, जनालागवावरी स्ट्रीट, नेलोर-524001	नेलौर
12.	पोस्ट बाक्स नं० 60, राम गोपाल कम्पाउंड, जवाहर रोड, निजामाबाद-503001	निजामाबाद
13.	रत्ना जुटर, ग्रांड ट्रंक रोड, ओंगोल-523001	प्रकाशम
14.	पोस्ट बाक्स नं० 27, बेंरगल जिला, 8-413 स्टेशन रोड, वरेंगल सिटी-500002	वेरंगल
	असम	
15.	रहमान मंजिल, पान बाजार, गोहाटी-781001	गोहाटी
16.	मारवाड़ी पट्टी पोस्ट आफिस, रेहाबाड़ी, डिब्रूगढ़-786001	डिब्रूगढ़
17.	सिल्चर, पोस्ट आफिस सिल्चर	कच्छार
17क.	तिनसुकिया	डिब्रूगढ़
	बिहार	
18.	बैंक मार्ग-802156, धनबाद	धनबाद
19.	पोस्ट बाक्स नं० 14, मेन रोड, विस्तुपुर, जमशेदपुर-831001	सिंहभूम
20.	पोस्ट बाक्स नं० 64, न्यू डाक बंगला रोड, पटना-800001	पटना
21.	पोस्ट बाक्स नं० 5, गोवर्धन रोड, पोस्ट आफिस, दरभंगा-846004	दरभंगा
22.	डाकखाना मधुबनी-847211, मधुबनी।	मधुबनी
23	रामगढ़ नेशनल हाईवे 33, डाक खाना रामगढ़ कैंट, हजारीबाग	हजारीबाग
24.	पोस्ट बाक्स नं० 38, नवकेतन, डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड, भागलपुर-81200	भागलपुर
25.	पोस्ट बाक्स नं० 23, बाड़ी बाजार, मुंगेर,811201	मुंगेर
26.	एम० जी० रोड, कटिहार-854105	कटिहार
27.	डाक खाना पूर्णिया, अग्रवाल मार्किट, आर० एन० शाह चौक, पूर्णिया-854301	पूर्णिया
28.	डाकखाना, सहरसा, 852201	सहरसा
29.	पोस्ट बाक्स नं० 8, मेन बाजार चौक, रक्सौल-845305	चम्पारन
30.	डाल्टनगंज इंजीनियरिंग रोड, डाल्टनगंज-822101	पालामऊ
	गुजरात	
31.	पोस्ट बाक्स नं० 201, एम० जी० रोड, सूरत-395003	सूरत
32.	न्यू वैजीटेबल मार्किट, पोस्ट बाक्स नं० 62, बलसर-396001	बलसर

1	2	3
33.	कला बिल्डिंग पानीगेट, बड़ौदा-380001	बड़ौदा
34.	कृपाली सिनेमा के पास, लाल दरवाजा, ग्रहमदाबाद-380001	ग्रहमदाबाद
35.	पोस्ट बाक्स नं० 505, 3/62, मांडवी टावर रोड़, जामनगर-361001	जामनगर
36.	पत्तानी बिल्डिंग, पोस्ट बाक्स नं० 129, एम० जी० रोड, राजकोट-360001	राजकोट
37.	हैरीस रोड़ भावनगर-364001	भावनगर
38	जावा चौक, पोर्ट ट्रस्ट बिल्डिंग, गांधीधाम-370201	कच्छ
39.	जामा मस्जिद रोड़, भड़ूच- 392001	भड़ूच
	हरियाणा	
40.	रेलवे रोड़, बहादुरगढ़-124507	रोहतक
41.	बसई रोड़, गुड़गांव-122001	गुड़गांव
42.	इंडस्ट्रियल एरिया, फरीदाबाद एन० आई० टी०-121001	गुड़गांव
43.	चौक मस्त पुरियान, अंबाला शहर-134002	अंबाला
44.	सब्जी मंडी, सिरसा-125055	सिरस
	हिमाचल प्रदेश	
45.	लोअर बाजार, 171991, जिला शिमला	शिमला
	जम्मू और कश्मीर	
46.	पोस्ट बाक्स नं० 59, इन्द्रा मेंशन, शालीमार रोड़, रघुनाथ बाजार, जम्मू तवी-180001	जम्मू
47.	पोस्ट बाक्स-नं० 91, अमीरा कादल, श्रीनगर	श्रीनगर
	कर्नाटक	
48.	पोस्ट बाक्स नं० 14, III/सी० टी० एस० नं० 1012/1-बी, दाजीबेन पेथ, हुबली-580020	धारवाड़
49	13652 बी, अरोजा बिल्डिंग्स, हैम्पनकट्टा, मंगलौर-575003	दक्षिण कनार
50.	3-4, विश्वेश्वरैया भवन, पहली मंजिल, कृष्णा राजेन्द्रा सर्किल, मैसूर-570001	मैसूर
51.	संतोष सिनेमा कम्पलेक्स, कामा-गोवादा रोड़, बंगलौर-560009	बंगलौर
52.	"श्री निवासो" बंगलोर बिल्लेरी रोड़, बिल्लेरी-583101	बिल्लेरी
53.	पहली मंजिल, सुपर मार्किट, प्लाट नं० 7 और 8, गुलबर्गा-585101	गुलबर्गा
54.	11-2-7 सुखानी बिल्डिंग, गोल थाना के पास, रायचूर-584101	रायचूर
55.	पोस्ट बाक्स नं० 60, 590, मंडीपेट, दैवाणगरे-577001	चित्रदुर्गा
	केरल	
56.	पोस्ट बाक्स नं० 14, बाजार रोड़, कोचीन-682002	एर्नाकुलम
57.	पोस्ट बाक्स नं० 36, न्यू, कलाथकाल बिल्डिंग्स, पहली मंजिल, टी० सी० 21/219, अपोजिट जी० पी० ओ०, मेन रोड़, त्रिवेन्द्रम-6950001	त्रिवेन्द्रम
58.	पोस्ट बाक्स नं० 28, क्यू० एम० जी० 526, वी० वाई० ए०, चिन्नाकादा, रेस्ट हाउस, जंक्शन-691001	क्यूईलोन
59.	पोस्ट बाक्स नं० 1123, 21/421-सी, एम० जी० रोड़, एर्नाकुलम, कोचीन	कोचीन
	मध्य प्रदेश	
60.	पोस्ट बाक्स नं० 10, जयेन्द्र गंज, लश्कर, ग्वालियर-474001	ग्वालियर
61.	14, न्यू मार्किट, टी० टी० नगर, भोपाल।	भोपाल
62.	पोस्ट बाक्स नं० 89, जवाहर मार्ग, सियागंज इंदौर सिटी-452001"।	इंदौर
63.	पोस्ट बाक्स नं० 11, 506 सराफा बाजार, जबलपुर-482001	जबलपुर
64.	पोस्ट बाक्स नं० 23 खांडवा, गवर्नमेंट हास्पिटल के सामने, खांडवा-450001	पूर्व निमार
65.	चर्च कम्पाउंड बस स्टेशन, बिटल	बिटल
66.	चौवरधिया भवन, मेन रोड़, पोस्ट आफिस-बालाघाट-481001	बालाघाट
67.	पोस्ट बाक्स 17, ग्रेट ईस्टर्न रोड़, रायपुर 492001	रायपुर
68.	मार्फत श्री 'के० एन० टंडन बिल्डिंग्स, रेवा रोड़, सतना-485001	सतना
69.	पोस्ट बाक्स नं० 52, पटेल भवन, बिलासपुर	बिलासपुर
70.	पोस्ट बाक्स नं० 32 सिविल सैंटर, भिलाई-490001।	दुर्ग
	मेघालय	
71.	बड़ा बाजार रोड़, 29, कन्टोनमेंट, शिलांग-790001	शिलांग
	महाराष्ट्र	
72.	महात्मा गांधी रोड़, बम्बई।	बंबई
73.	2-5-102, स्टेशन रोड़, गुलमंडी, औरंगाबाद-431001	औरंगाबाद

1	2	3
74.	नावल्टी चैम्बर्स, ग्रांट रोड, बंबई 400007	बंबई
75	129, मांडवी जानाबाई बिल्डिंग, मस्जिद बंदर, मांडवी रोड, बम्बई-400003	बंबई
76	मधु संचय तिलक रोड, नासिक सिटी-422001	नासिक
77.	पोस्ट बाक्स नं० 51, 317, एम० जी० रोड, कैम्प, पूना (पुणे)	पुणे
78.	पोस्ट बाक्स नं० 46, गांधी भवन, "सी", 1407, लक्ष्मी पुरी, कोल्हापुर-416002	कोल्हापुर
79.	पोस्ट बाक्स नं० 20, सी० टी० एस०, 183/1, विस्तार बाग, सांगली-416416	सांगली
80.	स्टेशन रोड, नागपुर-440001	नागपुर
81.	पोस्ट बाक्स 43, बलवंत लेन नं० 4, धुलिया-424001	धुलिया
82.	प्रकाश कुंज, नव पेथ, जलगांव-425001	जलगांव
83.	क्लाथ मार्किट, तजनापेथ, अकोला-444001	अकोला
84	पृथ्वी वंदन, गांधी चौक, योतमाल-445001	योतमाल
85.	वजीराबाद रोड, नांदेड-431601	नांदेड़
86.	शंकर भवन, मोर्सी रोड, अमरावती-444601	अमरावती
87.	1/5/14 शाहू रोड, लेटूर-413512	उस्मानाबाद
87क	मराठी ग्रंथ संग्रहालय बिल्डिंग, नेताजी सुभाष बोस रोड, थाना	थाना जिला थाना
	उड़ीसा	
88.	प्लाट नं० 106-बी, यूनिट नं० 7, ग्राउन्ड फ्लोर, सूर्यनगर, भुवनेश्वर-74100	पुरी
89.	पटेल बिल्डिंग, बक्सी बाजार, कटक-743001	कटक
90	शमा बिल्डिंग, पहली मंजिल, मेन रोड, राउरकेला-760001	सुन्दरगढ़
91.	म्युनिसिपल शापिंग सेंटर के सामने, कचहरी रोड, बालासोर-756001	बालासोर
92.	226/5, मेन रोड, बोड़ा बाजार, बेहरामपुर-760002	गंजम
	पंजाब	
93.	दाना मंडी रोड, कपूरथला-144601	कपूरथला
94.	पोस्ट बाक्स नं० 55, मंडी रोड, जलन्धर-144001	जलंधर
95	पोस्ट बाक्स नं० 36, निजाम रोड, लुधियाना-144101	लुधियाना
96.	पोस्ट बाक्स नं० 83, 1, क्वीन्स रोड, सिविल लाइन्स, अमृतसर-143001	अमृतसर
	राजस्थान	
97.	समार चन्द्र रोड, जयपुर-302001	जयपुर
98.	जालोरी गेट, चोपसानी रोड, जोधपुर-342001	जोधपुर
99.	क्लाथ मार्किट, पाली-306401	पाली
100.	पोस्ट बाक्स नं० 21, आर्य समाज रोड, कोटा-324001	कोटा
101	पोस्ट आफिस बाक्स नं० 22, के० ई० एम० रोड, बीकानेर-334001	बीकानेर
102.	पोस्ट बाक्स नं० 25, 10 पब्लिक पार्क, श्री गंगानगर-335001	गंगानगर
103.	लाढिया बाजार, नागौर, मारवाड़-341001	नागौर
104	पोस्ट बाक्स नं० 49, गेट के बाहर, उदयपुर-313001	उदयपुर
	तमिलनाडु	
105.	पोस्ट बाक्स नं० 190, मद्रास स्टाक, एक्सचेंज बिल्डिंग्स, 16/17 दूसरी लाइन बीच, मद्रास-600001	मद्रास
106.	यूनाईटेड मोटर्स बिल्डिंग, 150, अविनाश रोड, कोयम्बतूर-641008	कोयम्बतूर
107.	एडीमन बिल्डिंग मद्रास (टी० एन०), पोस्ट बाक्स नं० 2719, 158, माउन्ट रोड, मद्रास-600002	मद्रास
108.	पोस्ट बाक्स नं० 43, येवर ट्रेल, वैस्टर्न बोलेवर्ड रोड के सामने, त्रिचुरापल्ली-620008	त्रिचुरापल्ली
109.	54, बीच रोड, फेयर लाइट, टूटीकोरन-628001	तिरुनेलवली
110.	377, साउथ कार स्ट्रीट, पहली मंजिल, विरुधुनगर-626001	रामनाथपुरम
111.	पोस्ट बाक्स नं० 8, 15, मीनाक्षी, कोविल स्ट्रीट, मदुराई-625001	मदुराई
	त्रिपुरा	
112.	मंत्रीबाड़ी रोड, अगरतला-799001	त्रिपुरा
	उत्तर प्रदेश	
113.	पोस्ट बाक्स नं० 8, 161, खेरनगर बाजार, मेरठ सिटी-250002	मेरठ
114.	पोस्ट बाक्स नं० 40, 19-गांधी मार्ग इलाहाबाद-211001	इलाहाबाद
115.	राइट गंज, गाजियाबाद-201001	गाजियाबाद
116.	1271, मैरों बाजार, बेलनगंज, आगरा-282004	आगरा
117.	8/90, पहली मंजिल, आर्यनगर, कानपुर-208002	कानपुर
118.	पोस्ट बाक्स नं० 161, 73, एम० जी० रोड, हजरत गंज, लखनऊ-226001	लखनऊ

1	2	3
119.	पोस्ट बाक्स नं० 78, सी० के० 39/76, चौक, वाराणसी-221081	वाराणसी
120.	बारानावल बिल्डिंग, मेन रोड, नियर भारत प्लेस, भदोनी-221404	भदोनी
121.	121, पोस्ट बाक्स नं० 45, हास्पिटल रोड, बरेली-243001	बरेली
122.	अयोध्या द्वार, बैरिस्टर रोड, मोहल्ला पुरदिलपुर, गोरखपुर-273001	गोरखपुर
123.	होटल नटराज बिल्डिंग, दी माल, नैनीताल	नैनीताल
124.	बेलतार, मिर्जापुर-231001	मिर्जापुर
125.	पी० बी० नं० 6, स्टेशन रोड, मुरादाबाद-244001	मुरादाबाद
पश्चिम बंगाल		
126.	फीडर रोड, डाकखाना दुर्गापुर-713201	बर्दवान
127.	पोस्ट बाक्स नं० 29, 18/ए, ग्रांड ट्रंक रोड, (साउथ) हावड़ा	हावड़ा
128.	पोस्ट बाक्स नं० 40, मलीद हाउस, 3, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता	कलकत्ता
129.	छोटा कोठी, डाकखाना कूच बिहार-736101।	कूच बिहार
130.	एन० सी० गोयनका रोड, दार्जिलिंग	दार्जिलिंग
131.	पोस्ट बाक्स नं० 29, थियेटर रोड, जलपाईगुड़ी-735101	जलपाईगुड़ी
132.	मोहौबत्ती, रायगंज	पश्चिमी दीनाजपुर
केन्द्र शासित प्रदेश		
दिल्ली		
133.	उद्योग भवन नई दिल्ली-110001	नई दिल्ली
गोवा, दमन और दीव		
134.	स्वतंत्री पथ, वास्को-डि-गामा-403802	गोआ
135.	कमा०, एलफ सोड़ा डी एल्बुक्वारक्यू पश्चिम-403001।	गोआ
पांडिचेरी		
136.	पोस्ट बाक्स नं० 61, 4, अम्बाला—थावियार, मदाम स्ट्रीट, पाण्डिचेरी-605001।	पाण्डिचेरी
चंडीगढ़		
137.	एस० सी० एफ० 23 सैक्टर 15-सी, चंडीगढ़	चंडीगढ़

परिशिष्ट-9 क्रमशः

अनुबन्ध-2

लाईसेंस प्राधिकारियों और वेतन तथा लेखा अधिकारियों (वाणिज्य) के क्षेत्राधिकार का संकेत करने वाली सूची

वेतन तथा लेखा अधिकारी बम्बई	वेतन तथा लेखा अधिकारी कलकत्ता	वेतन तथा लेखा अधिकारी मद्रास	वेतन तथा लेखा अधिकारी नई दिल्ली
1	2	3	4
संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, बम्बई	संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, कलकत्ता	संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, मद्रास	संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात (सी० एल ए०), नई दिल्ली
संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, अहमदाबाद	नियंत्रक, आयात-निर्यात, इम्फाल, शिलांग	संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात, हैदराबाद	संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, कानपुर
उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, भोपाल	नियंत्रक, आयात-निर्यात, पटना	संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, बंगलौर	उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, अमृतसर
नियंत्रक, आयात-निर्यात, पणजी (गोआ)	नियंत्रक, आयात-निर्यात, कटक (उड़ीसा)	उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, कोचीन-11	उप-मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात, जयपुर
नियन्त्रक, आयात-निर्यात, गांधी धाम (कच्छ) नियंत्रक आयात निर्यात, राजकोट।	नियन्त्रक, आयात-निर्यात, अगरतल्ला	नियंत्रक, आयात, निर्यात, विशाखापतनम।	नियन्त्रक, आयात-निर्यात श्रीनगर
उप-विकास आयुक्त, आयात-निर्यात, सांताक्रूज बम्बई	उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, गोहाटी	नियंत्रक आयात-निर्यात पांडिचेरी।	नियंत्रक, आयात-निर्यात चंडीगढ़

परिशिष्ट-9 जारी

अनुबन्ध-3

शुल्क वापसी के लिये आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित सूचना का ब्यौरा

1. खजाना/बैंक रसीद/बैंक ड्राफ्ट जिसके मद्दे शुल्क वापसी मांगी गई है

(1) खजाना रसीद/बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट की संख्या और दिनांक

(2) स्थान सहित बैंक/खजाने का नाम।

2. उपर्युक्त कालम (1) में उल्लिखित खजाना/बैंक रसीद/ बैंक ड्राफ्ट के मद्दे भजे जाने वाले प्रस्तावित आयात आवेदन-पत्र के ब्यौरे:—

(1) माल का विस्तार में विवरण

(2) माल का मूल्य

(3) माल का आयात व्यापार नियंत्रण वर्गीकरण

(4) लाइसेंस अवधि

(5) आयातक की श्रेणी

(6) लाइसेंस प्राधिकारी

(7) प्रायोजक प्राधिकारी (अर्थात महानिदेशक, तकनीकी विकास महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान, आयात निर्यात क्रियाविधि हेण्ड बुक 1982-83 के अनुसार प्रमाणित करने वाला प्राधिकारी)

(8) क्या खजाना चालान/बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट के मद्दे कोई आयात आवेदन-पत्र या खजाना चालान/बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट मे उल्लिखित मद (मदो) और मूल्य के आयात के लिए कोई आवेदन-पत्र आयात निर्यात क्रियाविधि हैंडबुक, 1983-84 में उल्लिखित किसी लाइसेंस प्राधिकारी/प्रायोजक प्राधिकार को अनिवार्यता प्रमाणपत्र/आयात लाइसेंस प्रदान करने के लिये भेजा गया है या नहीं, और यदि हां तो उसकी संख्या और दिनांक बतायें।

3. उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित किसी भी प्राधिकारी और लाइसेंस प्राधिकारी से आयात लाइसेंस जारी करने से संबंधित यदि कोई पत्राचार प्राप्त हुआ है, तो उसकी संख्या और दिनांक।

4. वह खजाना चालान/बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट जिसके लिये शुल्क वापसी मांगी गई है, उसके बदले में यदि कोई नया खजाना चालान/बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट भेजा गया हो, तो उसकी संख्या, दिनांक और मूल्य

5. खजाना चालान/बैंक रसीद/बैंक ड्राफ्ट के निक्षेप के उचित समय के भीतर शुल्क वापसी के लिये आवेदन न करने के कारण।

6. दावे की पुष्टि करते हुए विस्तृत कारण दें कि प्रस्तावित आयात आवेदन-पत्र, उपर्युक्त पैरा 2 में बताए गए किसी लाइसेंस प्राधिकारी को क्यों नहीं भेजा गया।

घोषणा

हम सत्यनिष्ठा पूर्वक एतद्द्वारा यह घोषणा करते हैं कि हम ने ....रुपये के लिये खजाना चालान/बैंक रसीद/बैंक ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक ....के मद्दे किसी भी लाइसेंस प्राधिकारी को आयात लाइसेंस या पोत लदान बिल या सीमा शुल्क निकासी परमिट के लिये कोई आवेदन-पत्र नहीं भेजा है।

आवेदक के हस्ताक्षर ....

....

साफ अक्षरों में नाम ....

....

और पता ....

परिशिष्ट—10

अनुबन्ध–1

पंजीकरण करने वाले प्राधिकरणों की सूची

क्रम सं०	निर्यात उत्पाद	पंजीकरण करने वाला प्राधिकारी
1	2	3
1.	इंजीनियरी सामान —जगावरोधी इस्पात उत्पाद, अभ्रक के कागज और निर्माण सेवाओं के काम में आने वाला सामान	इंजीनियरी माल निर्यात संवर्द्धन परिषद, "विश्व व्यापार केन्द्र" 14/1 बी एजरा स्ट्रीट (तीसरी मंजिल), कलकत्ता-700001 और इसके क्षेत्रीय कार्यालय, वाणिज्य केन्द्र (दूसरी मंजिल): तारदेव रोड, बम्बई-400034 सायर मैंशन, 123, माउन्ट रोड, मद्रास 600006 और 'सूर्यकिरण' चौथी मंजिल 19, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001
2.	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद जैसे शीशा और शीशे के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, पेंट, रबड़ उत्पाद इसमें टायर और ट्यूब भी शामिल हैं, कागज और कागज के उत्पाद इसमें पुस्तकें, जर्नल्स और आवधिक पत्रिकाएं भी शामिल हैं, दियासलाई, आतिशबाजी का सामान और विस्फोटक पदार्थ, ऐस्बेस्टोस और सीमेंट उत्पाद और लकड़ी के उत्पाद बाईक्सीली ओरिण्टिड पोलिस्टर फिल्म, मारवल चिप्स, एब्रेसिव शैलेक कम्पाउण्ड	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्द्धन परिषद, 14/I बी एजरा स्ट्रीट, दूसरी मंजिल, कलकत्ता-700001 और निम्नलिखित स्थानों पर स्थित इसके कार्यालय, सायर मैंशन, 123, माउन्ट रोड, मद्रास-600006, और बी-17, कामर्स सैन्टर, तारदेव रोड, बम्बई-400034 रासायनिक एवं संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद् उत्तरी क्षेत्र, लक्ष्मी निवास, 8, शहीद भगत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001
3.	मूल रसायन अर्थात् औषधियां, औषध और सूक्ष्म रसायन रंग, मध्य वर्ती, अल्कोहल और कोल तार रसायन, कार्बनिक रसायन एग्रो रसायन ग्लिसरीन साबुन, अपमार्जक, कान्ती वर्द्धक एवं प्रसाधन, ससाधित सिलवड़ी, अगरबत्ती, सुगन्धित तेल, सिंथेटिक कल्चर मिडिया एवं अपरिष्कृत दवाईयाँ	मूल रसायन, औषधि और कास्मेटिक निर्यात संवर्द्धन परिषद, झांसी कसल (चौथी मंजिल), 7, कूपरेज रोड, बंबई 400001 और इसके क्षेत्रीय कार्यालय, 23/1 एवं 2, छठी मेन रोड तीसरा क्रास, गांधी नगर, बंगलौर-, 560009 और कनकारिया एस्टेट 9वीं मंजिल, 6, लिटल रोसैल स्ट्रीट, कलकत्ता-700071
4.	प्लास्टिक खिलौने	प्लास्टिक और लिनोलियम निर्यात संवर्द्धन परिषद, तुलसियानी चम्बर्स 6ठी मंजिल प्लाट नं० 212, ब्लाक III 612 और 615 बैकबे रिक्लेमेशन, नारीमन प्वाइंट, बम्बई-400021 और सायर मैंशन 123 माउन्ट रोड, मद्रास-600006, और 14/आई० बी०, एजरा स्ट्रीट्स, कलकत्ता-700001 में स्थित इसके क्षेत्रीय कार्यालय।
5.	परिष्कृत चमड़ा और चमड़े से बना सामान, क्रोम द्वारा कमाया हुआ गीला चमड़ा एवं खाल, क्रोम द्वारा कमाया हुआ चमड़ा एवं खाल और क्रोम द्वारा कमाया हुआ पपड़ीदार चमड़ा	परिष्कृत चमड़े और चमड़े से निर्मित पदार्थों के लिए निर्यात संवर्द्धन परिषद 15/46, सिविल लाइन्स, पो० बाक्स नं० 198, कानपुर-208001, और निम्नलिखित स्थानों पर स्थित इसके क्षेत्रीय कार्यालय (1) 220, 'मिर्जा', दूसरी मंजिल, 99, सुभाष रोड बम्बई-400002 और (2) 27 मिर्जा गालिब स्ट्रीट (पुरानी फ्री स्कूल स्ट्रीट) पांचवीं मंजिल, कलकत्ता 700016 एवं (3) 31, रन्डल्स रोड, मद्रास-600007
5. क	पूर्वी भारत के कमाए हुए चमड़े एवं खाल और पूर्वी भारत के पपड़ीदार चमड़े	चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद, मारकल हाल, 3/8, बेपैरी हाई रोड, मद्रास-600003
6.	खेल का सामान	खेल सामान निर्यात संवर्द्धन परिषद, आई० ई०/6, झंडेवालां एक्सटेंशन, नई दिल्ली 110001
7.	मत्स्य, मत्स्य चूरा और मत्स्य उत्पाद।	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, विश्व व्यापार केन्द्र' महात्मा गांधी रोड, पोस्ट बाक्स सं० 1708' एर्नाकुलम, दक्षिण कोचीन-16
8.	करी पाउडर और पेस्ट के अलावा संसाधित खाद्य पदार्थ	संसाधित खाद्य पदार्थ, निर्यात संवर्द्धन परिषद 105, नई दिल्ली हाउस, 27, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-11001

1	2	3
9.	करी पाउडर और पेस्ट मौसियो-रेजिन और मसालों के तेल	करी पाउडर और पेस्ट स्पाईसिज आयल एवं आलियो रेजिस, ब्रांड नामी के अंतर्गत एक किलोग्राम या उससे कम के उपभोक्ता पैकिटों में साबुत मसाले अथवा पिसे हुए और थोक में साबुत अथवा पिसे हुए मसाले ।
10.	हस्तकला,	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय, पश्चिम ब्लाक नं० 7 आर० के० पुरम, नई दिल्ली और इसके क्षेत्रीय कार्यालय :– उप-निदेशक (सी०आर), विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय 72-हुजवासिया बाजार, हजरत गंज, लखनऊ-266001, दूरभाष-24331 तार-डी०आई०सी० आर० ए० एफ० टी०आई०एन०डी०, लखनऊ । उप-निदेशक (ई० आर) विकास आयुक्त (एच) का कार्यालय 9/12, ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट कलकत्ता-700001, दूरभाष-2300 तार-डी०आई०सी० आर० ए० एफ० टी० आई० एन० डी० कलकत्ता । उप निदेशक (एन० आर०), विकास आयुक्त (एच) का कार्यालय पश्चिम ब्लाक VII, आर० के पुरम्, नई दिल्ली दूरभाष-694860 तार—डी०आई०सी० आर० ए० य० टी० आई० एन० डी० दिल्ली । उप-निदेशक (एन० आर०), विकास आयुक्त (एच) का कार्यालय शास्त्री भवन, तीसरी मंजिल, 35-हडोज रोड, मद्रास-600006, दूरभाष-86321 तार-डी०आई०सी०आर० ए० एफ०टी० आई० एन० डी०, मद्रास । उप-निदेशक (डब्ल्यू आर०), विकास आयुक्त (एच) का कार्यालय, हुसन हाउस, तीसरी मंजिल, 294-पी० नरीमन स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई-400001, मद्रास-295959. तार—डी०आई सी० आर० ए० आई० एम० डी० बम्बई ।
11.	मशीन से बने हुए ऊनी कालीन, कम्बल और दरी जिनमें रेशम के कालीन भी शामिल हैं	कारपेट एक्सपोर्ट प्रोमोशन दुकान सं० बी-115, सेक्टर-18, डाकघर—नोएडा, जिला गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश
12.	काजू की गिरी	काजू निर्यात संवर्द्धन परिषद, विश्व व्यापार केंद्र, महात्मा गांधी रोड, एर्णाकुलम-6 ।
13.	तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	तम्बाकू बोर्ड, गन्टूर, आन्ध्र प्रदेश ।
14.	ऊनी कपड़ा, होजरी, निटवियर और मिश्रित रेशों से बना कपड़ा	हथकरघा उत्पादों के मामले में ऊन तथा ऊनी सामान निर्यात संवर्द्धन परिषद, 714, अशोक एस्टेट 24, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली और निम्नलिखित स्थानों पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय चर्चगेट चैम्बर्स, 7वीं मंजिल, 5, न्यू मेरीन लाइन्स, बम्बई-400020 और 714/3 गुरुदेव नगर, पखोवल प्रोमोशन, लुधियाना अथवा हथकरघा निर्यात संवर्द्धन परिषद, 123, माउन्ट रोड, मद्रास-600006 में इसके क्षेत्रीय कार्यालय ।
15.	नारियल जटा	नारियल जटा बोर्ड, पोस्ट बाक्स नं० 1752, एर्णाकुलम (केरल) ।
16.	सूती वस्त्र	सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, इंजीनियरिंग केन्द्र, 5वीं मंजिल, 9 मैथ्यू रोड, बम्बई-400004, और हस्तकरघा, विकास आयात उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011
17.	बने बनाए वस्त्र (सलाई से बुने हुए ऊनी वस्त्र और चमड़ा, जूट और सन के वस्त्रों को छोड़कर) ।	परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, सहयोग बिल्डिंग, चौथी मंजिल, 58 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19 और टेक्सटाइल सेन्टर पहली मंजिल, धूमा स्ट्रीट, पी० डी० मैलो रोड, बम्बई-400009 में इसका क्षेत्रीय कार्यालय ।
18.	असली रेशम के कपड़े	हथकरघा निर्यात संवर्द्धन परिषद, 123 माउन्ट रोड, मद्रास-600006, रेशम और रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, रेशम भवन, 78, वीर नारीमन रोड, बम्बई-400001 *
19.	रत्न तथा आभूषण	रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, डी-15, वाणिज्य केन्द्र चौथी मंजिल, तारदेव रोड, बम्बई-400034

*ब्लाक नं० 3ई, रेशम भवन लाल दरवाजा, सूरत । 3–ए, विजाम सी, मेहरा रोड अमृतसर ।

1	2	3
20.	चलचित्र फिल्म (अनावरित) कथाचित्र, वृत्त चित्र, विज्ञापन फिल्में, समाचार फिल्में और दूरदर्शन फिल्में	फिल्म वित्त निगम, बम्बई ।
21.	असली रेशे के उत्पाद (नारियल जटा उत्पादों को छोड़कर)	जूट आयुक्त, कलकत्ता ।
22.	गैर-सेल्यूलोसिक उत्पाद	रेशम और रेयन वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद, रेशम भवन, 78, वीर नारीमन रोड, बम्बई-400001
23.	सेल्यूलोसिक उत्पाद	रेशम और रेयन वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद, रेशम भवन 78, वीर नारीमन रोड, बम्बई-400001*
24.	सूती/सेलुलोसिक रेशे या सूत/नाइलान पोलिएस्टर रेशे या सूत के मिश्रण से बने मिश्रित उत्पाद ।	रेशम और रेयन कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद, रेशम भवन 78, वीर नारीमन रोड, बम्बई-400001* हथ-हथकरघा, विकास आयुक्त, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 ।
25.	वनस्पति	चीनी और वनस्पति निदेशक, खाद्य विभाग, कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय, नई दिल्ली ।
26.	खादी अर्थात् भारत में हथकरघे पर बनाया हुआ सूती सिल्क से या भारत में हाथ से कते हुए ऊनी धागे से या किसी दो या ऐसे सभी धागों के मिश्रण से बनाया हुआ कोई भी वस्त्र (तैयार पोशाकों और खादी से बनी हुई अन्य वस्तुओं सहित)	खादी और ग्रामोद्योग आयोग, "ग्रामोदय", 3, इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), बम्बई 400056 ।
27.	फोटोग्राफ सैट फिल्में और माइक्रो फिल्में	रसायन और संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्द्धन परिषद, 14/1 बी, एज्रा स्ट्रीट, दूसरी मंजिल, कलकत्ता 110001 ।
28.	विमोमित विरंजित चीलाक	चीलाक निर्यात संवर्द्धन परिषद, कलकत्ता ।
29.	ऐक्रिलिक के बुने हुए कपड़े	ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद, 714, अशोक एस्टेट, 24, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली और इसके क्षेत्रीय कार्यालय चर्च गेट चैम्बर, 7वीं मंजिल, न्यू मेरीन लाइन्स, बम्बई-400020 या रेशम और रेयन वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद, 78, वीर नारीमन रोड, बम्बई-40000 1*
30.	पैकेट चाय, चाय के थैले और इन्स्टेंट चाय	चाय बोर्ड, 14, विपलावी त्रैलोक्य, महाराज सारणी (ब्राबोर्न रोड), कलकत्ता-700001
31.	इलायची	इलायची बोर्ड, बैनर्जी रोड, कोचीन-682018
32.	वे मदें जिन के लिए कोई भी पंजीकृत प्राधिकारी निर्धारित नहीं किया गया है ।	निर्यात संवर्धन प्राधिकारी, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता (क्रमश : पश्चिमी दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र) संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात (केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र) नई दिल्ली (उत्तरी क्षेत्र के लिए) ।

परिशिष्ट—10

अनुबन्ध—2 क

पंजीकरण के लिए आवेदनपत्र का प्रपत्र

भाग—क

सेवा में,

....

....

....

महोदय,

विषय : पंजीकृत निर्यातकों की आयात-नीति के अधीन पंजीकरण।

कृपया उपर्युक्त नीति के अधीन क्रम सं. 7 के सामने उल्लिखित उत्पाद ग्रुप पण्यवस्तु के लिए हमें विनिर्माता निर्यातक/व्यापारी निर्यातक के रूप में पंजीकृत करें।

1. (क) पंजीकृत कार्यालय, मुख्यालय और शाखाओं का नाम (तार का पता और टेलीफोन नम्बर)।

(ख) क्या कम्पनी स्वामित्व/साझेदारी या निजी/सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी या सहकारी विपणन समिति आदि है। (मालिकों/साझेदारों/निदेशकों/प्रबन्ध निदेशकों के नाम और स्थायी पते दिए जाने चाहिए।

(ग) उन सहयोगी फर्मों के नाम जिनके लिए आवेदक निर्यात व्यवसाय में एजेन्ट के रूप में कार्य करता है।

2. (1) आवेदक के बैंकर का नाम और पता।

(2) बैंकर की वित्तीय स्थिति प्रमाणित करने वाला प्रमाणपत्र संलग्न करें।

3. (1) भारत में व्यवसाय/फैक्टरी स्थापित करने की तारीख।

(2) निर्यात व्यवसाय आरम्भ करने की तारीख।

4. क्या उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञप्त है/महानिदेशक तकनीकी विकास/राज्य उद्योग निदेशक या किसी अन्य प्रायोजक प्राधिकारी के पास पंजीकृत है। यदि हां, तो लाइसेन्स/पंजीकरण प्रमाणपत्र की संख्या एवं दिनांक का अभिलेख करें।

5. यदि कोई हो तो, पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए निर्यात (जिन उत्पादों के पंजीकरण की मांग की गई है और अन्य उत्पाद जो योजना के अन्तर्गत नहीं है, उनका उल्लेख किया जाना चाहिए।

वर्ष	ब्यौरा	मूल्य	वे मुख्य-मुख्य देश जिन्हें निर्यात किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)

6. जहां कोई निर्यात न हुआ हो, तो जिस मद का निर्यात किया जाना है उसकी पिछले तीन वर्षों की आंतरिक बिक्री का ब्यौरा ऊपर की क्रम सं. 5 के नीचे दिए गए सारणी में दें।

7. वे निर्यात उत्पाद जिनके सम्बन्ध में पंजीकरण की मांग की गई है (यहां पर आयात नीति में दिए गए उत्पादों की क्रम सं. का उल्लेख करें)।

8. यदि आप व्यापारी निर्यातक हैं तो कृपया बताएं कि जिन विनिर्माताओं के उत्पादन का निर्यात किया जाना है तो उनके मामले में की गई व्यवस्था का उल्लेख करें।

9. यदि किसी अन्य निर्यात संवर्धन परिषद्/पण्य वस्तु बोर्ड के साथ पंजीकरण किया गया है तो पंजीकरण प्राधिकारी और पंजीकरण संख्या और जिस निर्यात उत्पाद के लिए पंजीकरण किया गया है, उनका नाम बताएं।

10. हम सत्यनिष्ठापूर्वक कहते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सच और सही है और हम बिना किसी प्रतिबन्ध के नीचे दी गई शर्तें स्वीकार करते हैं :--

(1) हम सभी निर्यातों के लिए दिए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र की शर्तों का पालन करेंगे।

(2) आयात लाइसेंसों का उन्हीं कार्यों के लिए उपयोग करेंगे जिनके लिए वे जारी किए गए हैं और जिन शर्तों पर उन्हें जारी किया गया है।

(3) पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा विहित आचरण का पालन करेंगे।

(4) पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित निर्यात की न्यूनतम मूल्य की शर्तों से सहमत हैं और उनका पालन करेंगे।

(5) हम पंजीकरण प्राधिकारी को नियमित रूप से तिमाही के बाद वाले मास के प्रति लाभ विवरण अगले महीने की 15 तारीख तक चाहे शून्य प्रति-लाभ क्यों न हो, भेजेंगे।

11. हम यह भी समझते हैं कि ऊपर दिए गए वचन का पालन न करने पर हमारा पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

भवदीय,

स्पष्ट अक्षरों में नाम -------------------

पदनाम -- -- -- -- -- --- --- -- --

निवास का पता ---- ----- ---- ------

स्थान -------------------

तारीख --------------------

अनुबन्ध--2-ख

सिविल इंजीनियर और निर्माण फर्मों के पंजीकरण के लिए आवेदन-पत्र का प्रपत्र

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद्,
वाणिज्य केन्द्र, दूसरी मंजिल,
तारदेव रोड, बम्बई-400034

प्रिय महोदय,

विषय:--पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अधीन पंजीकरण।

कृपया हमें उक्त नीति के अधीन सिविल इंजीनियर/निर्माण फर्म के रूप में पंजीकृत करें। हमने निम्नलिखित विषय में भी विशेषता प्राप्त की है :--

1. पंजीकृत कार्यालय, मुख्यालय और शाखाओं का नाम और पता (तार का पता और टेलीफोन नम्बर)

2. व्यवसाय आरम्भ करने की तारीख

3. क्या स्वामित्व/साझेदारी कंपनी या निजी/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी या सहकारी विपणन समिति आदि है?

4. स्वामी/साझेदारों/निदेशकों/प्रबन्ध निदेशकों के नाम और उनके निवास के स्थायी पते।

5. आवेदक जिन सहयोगी फर्मों के निर्यात व्यवसाय के एजेंट के रूप में कार्य करता है, उन फर्मों का नाम।

6. फर्म की पूंजी का स्वरूप (प्राधिकृत, निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी)।

7. आवेदक के बैंकर (बैंकरों) का नाम और पता। (आवेदक के बैंकरों से उस की वित्तीय स्थिति को प्रमाणित करने वाला प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना चाहिए)।

8. पिछले 5 वर्षों में किए गए सिविल इंजीनियरी/निर्माण कार्य का मूल्य (प्रत्येक वर्ष में किए गए कार्य और उसके मूल्य का ब्यौरा अलग-अलग दिखाया जाए) भारत में और भारत से बाहर किए गए कार्य का ब्यौरा अलग-अलग दिखाया जाए।

9. पिछले 5 वर्षों के दौरान किए गए मुख्य निर्माण कार्यों का विस्तृत ब्योरा। [इन के लिए अलग से दिखाया जाए (क) बांध और डैम (ख) बिजली घर (थर्मल और हाइडल) (ग) ऊपर दिए गए (ख) निर्माणों के अलावा औद्योगिक निर्माण कार्य (घ) सड़कें और पुल (ङ) सुरंग (च) गोदी और बन्दरगाह (छ) मल व्यवस्था (सीवर) और जल पूर्ति प्रणाली (ज) बहुमंजिली इमारतें और नगर क्षेत्र (झ) इस्पात के ढांचे बनाना और निर्माण कार्य।]

वर्ष	काम का नाम	काम का मूल्य	जिस ग्राहक के लिए काम किया गया उसका नाम और पता
1			
2			
3			
4			
5			

10. क्या फर्म किसी इंजीनियरी सामान बनाने वाली यूनिट के रूप में भी पंजीकृत है, यदि हां तो प्रायोजक प्राधिकारी (महानिदेशक तकनीकी विकास उद्योग निदेशक, वस्त्र आयुक्त आदि का संकेत किया जाना है) से लाइसेंस लेने/पंजीकरण कराने की संख्या और दिनांक।

11. कम्पनी द्वारा नियुक्त तकनीकी और प्रबन्धकीय और कार्मिकों के ब्यौरे (नीचे दिए गए प्रपत्रों में ब्यौरे-वार विवरण संलग्न किया जाए)।

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	आयु	योग्यता	अनुभव

12 फर्म के संयंत्र और मशीनों की सूची (मशीनों, इनकी खरीद की तारीख और वर्तमान खाता मूल्य का ब्यौरा देते हुए विवरण प्रस्तुत किया जाए)

13. आगामी तीन वर्षों के लिए निर्यात कार्य करने के बारे में वचन बद्धता/प्रक्षेपण

वर्ष	किए जाने वाले काम की किस्म		मूल्य

14. मान्यताप्राप्त निकायों/औद्योगिक एसोसिएशनों की सदस्यता के ब्यौरे।

हम सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सच और सही है और हम बिना किसी प्रतिबन्ध के नीचे दी गई शर्तें स्वीकार करते हैं :—

(क) हम अपने सभी निर्यातों के लिए दिए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र की शर्तों का पालन करेंगे।

(ख) आयात लाइसेंसों का उन्हीं कार्यों के लिए उपयोग करेंगे जिनके लिए वे जारी किए गए हैं और जिन शर्तों पर इन्हें जारी किया गया है, उन शर्तों का भी पालन करेंगे।

(ग) इस पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा विहित आचरण का पालन करेंगे।

(घ) हम पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित निर्यात के न्यूनतम मूल्य की शर्तों से सहमत हैं और उनका पालन करेंगे।

(ङ) हम पंजीकरण प्राधिकारी को नियमित रूप से तिमाही प्रतिलाभ विवरण अगले महीने की 15 तारीख तक चाहे शून्य प्रतिलाभ क्यों न हो, भेजेंगे।

हम यह भी समझते हैं कि ऊपर दिए गए वचन का पालन न करने पर हमारा पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

भवदीय,

स्पष्ट अक्षरों में नाम..........

पदनाम..........

निवास का पता..........

....

....

स्थान......

दिनांक.......

टिप्पणी: आवेदन पत्र इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद के सम्बद्ध क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाना चाहिए।

परिशिष्ट—10—क्रमशः
अनुबन्ध—3
पंजीकरण व सदस्यता प्रमाण-पत्र

भाग 1

(आवेदक द्वारा भरा जाना है)

1. आवेदक का नाम
2. क्या मुख्यालय/पंजीकृत कार्यालय/शाखा कार्यालय
3. यदि मुख्यालय हो तो शाखाओं और पंजीकृत कार्यालय के नाम और पते दें
4. आवेदक का पता
   (1) डाक का पता
   (2) तार का पता
   (3) फैक्टरी का पता, यदि कोई हो
5. क्या व्यापारी निर्यातक है या विनिर्माता निर्यातक
6. जिन निर्यात उत्पादों के लिए पंजीकरण मांगा है उनका विवरण
   (1) विनिर्मित वस्तुओं का विवरण (यदि कोई हो)-------------------
   (2) निर्यातित माल का विवरण----------
7. व्यवसाय की स्थापना का वर्ष --------------------
8. भागीदारों/निदेशक/प्रबन्धनिदेशकों/प्रोप्राइटर के नाम-----

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दी गई जानकारी सच और सही है। जिन शर्तों के अधीन पंजीकरण/सदस्यता प्रदान की गई है मैं/हम उन शर्तों का पालन करने का वचन देता हूं/देते हैं।

नाम स्पष्ट अक्षरों में

दिनांक, पदनाम . . . .
स्थान निवास का पता ----------------

भाग 2

1. प्रायोजक अधिकारी द्वारा आबंटित पंजीकरण संख्या/फैक्टरी संख्या

2. विनिर्मित माल का ब्यौरा।

(यदि महानिदेशालय, तकनीकी विकास की यूनिटें हों तो पंजीकरण प्राधिकारी भरें और यदि अन्य यूनिटें हों तो प्रायोजक प्राधिकारी भरें।

पंजीकरण प्राधिकारी/प्रायोजक
प्राधिकारी के हस्ताक्षर ------
स्पष्ट अक्षरों में नाम ------
पदनाम-----------

दिनांक ----------
स्थान ----------
मोहर ----------

भाग 3

रेयन वस्त्रों के निर्यातकों के मामले में

1. लूम्स की परमिट सं./वार्प निटिंग मशीन/लूम्स की संख्या के साथ वस्त्र आयुक्त के कार्यालय द्वारा जारी की गई रेसचल निटिंग मशीन/निटिंग मशीन जिसके लिए परमिट प्रदान किया गया है।

2. विनिर्मित माल का विवरण

3. वस्त्र संसाधक के रूप में वस्त्रायुक्त के कार्यालय द्वारा आबंटित पंजीकरण संख्या

प्रायोजक प्राधिकारी के हस्ताक्षर ----------
नाम ----------
पदनाम ----------
सील ----------

भाग 4

(इस पर संबंधित पंजीकरण प्राधिकारी हस्ताक्षर करें)

प्रमाणित किया जाता है कि यह फर्म पंजीकृत निर्यातकर्ताओं के लिए आयात नीति के अधीन नीचे बताए गए ब्यौरों के अनुसार पंजीकृत है :

(1) जिस माल के लिए पंजीकरण हुआ है उसका विवरण
(2) पंजीकरण के लिए पूरी तरह से भरे हुए आवेदन-पत्र की प्राप्ति की तारीख
(3) पंजीकरण संख्या
(4) विनिर्माता निर्यातकर्ता या व्यापारी निर्यातकर्ता*

यह प्रमाण पत्र पंजीकरण से सम्बद्ध योजना में निर्धारित शर्तों के अधीन जारी किया जाता है।

-------------------तक वैध/नवीकृत

पंजीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर
नाम ------------------
(स्पष्ट अक्षरों में)
पदनाम ------------- ---
मोहर ------------

दिनांक ------------

*जो लागू होता हो उसे स्पष्टतः बताएं।

इस प्रमाण-पत्र में किए गए संशोधनों के पृष्ठांकन के लिए स्थान।

अनुबन्ध-4 हटा दिया गया है।

परिशिष्ट 10—जारी

अनुबन्ध—5

निर्यात का बैंक प्रमाण-पत्र

(तुरन्त बिक्री के आधार पर निर्यात के लिए)

फार्म संख्या-1

सेवा में - - - -(लाइसेंस प्राधिकारी का नाम और पता . . . .

हम - - - - -(निर्यातकर्ताओं के नाम और पते) एतद् द्वारा . . . . को

घोषणा करते हैं कि हमने . . . . नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार वसूली/समझौते की बातचीत/खरीद के लिए प्रलेखनीय निर्यात-बिल . . . .

(बैंक का नाम और पता अर्थात शाखा या नगर) अग्रेषित किया है :—

बीजक संख्या और तारीख	सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणीकृत पोतलदान बिल की निर्यात संवर्धन प्रति सं० एवं तिथि	सीमा शुल्क द्वारा विधिवत प्रमाणीकृत पोतलदान बिल में दिए गए माल का विवरण	लदान बिल/डाक पार्सल रसीद/हवाई मार्ग बिल संख्या और तारीख	माल का गंतव्य स्थान	बिल के लागत बीमा भाड़ा/लागत और भाड़ा/पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य की धनराशि (विदेशी *मुद्रा में)	लागत बीमा भाड़ा/लागत और भाड़ा/पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य के परिवर्तन के लिए अपनाई गई दर *	बिल की लागत बीमा भाड़ा/लागत और भाड़ा/जहाज पर नि:शुल्क मूल्य राशि के बराबर भारतीय रुपए (कालम 7 में दिखाई गई दर से परिवर्तित किया गया) रुपये
	2	3	4	5	6	7	8

लदान बिल/भाड़ा मीमो के अनुसार भारतीय रुपए में भाड़े की राशि रुपए	बीमा कम्पनी के बिल/रसीद के अनुसार भारतीय रुपए में बीमे की राशि रुपए	भारतीय रुपए में चुकाए गए/चुकाने योग्य कमीशन/छूट	भारतीय रुपए में पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य (कालम 8 को घटा कर 9, और 10 और 11 का जोड़) रुपए	जी० आर० आई०/पी० पी० फार्म संख्या
9	10	11	12	13

हम आगे यह भी घोषणा करते हैं :—

(1) कि उपर्युक्त ब्यौरे सही हैं और तुरन्त हुई बिक्री से सम्बन्धित हैं और इन निर्यातों से सम्बन्धित बीजक की प्रतियां संलग्न हैं।

(2) कि यह निर्यात लिमिटेड कम्पनी/पंजीकृत निर्यातक के मुख्यालय/शाखा कार्यालय द्वारा किया गया है; और

*(3) (क) शाखा कार्यालय उस लाइसेंस प्राधिकारी के नाम निर्यात सहायता के लिए आवेदन भेजेगा जिसके अधिकार क्षेत्र में वह शाखा कार्यालय होगा;

(ख) जिस लाइसेंस देने वाले उपर्युक्त प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में लिमिटेड कम्पनी का मुख्यालय/पंजीकृत कार्यालय हो उस प्राधिकारी को कम्पनी का मुख्यालय/पंजीकृत कार्यालय निर्यात सहायता के लिए आवेदन भेजेगा।

निर्यातक के हस्ताक्षर

*लागत/बीमा/भाड़ा, लागत और भाड़ा, पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य बीजक में बताई गई विदेशी मुद्रा (जो बीजक भारतीय रुपए में बनाए गए हों उनके कालम 6 और 7 न भरें)

*जो विकल्प लागू न हो उसे काट दें।

तुरन्त बिक्री के आधार पर खरीदे गए/बातचीत से तय किए गए माल का बिल :—बातचीत/खरीद की तारीख को मौजूद मांग खरीद दर पर प्राधिकृत व्यापारियों पर।

वसूली के लिए भेजा गया बिल : (तुरन्त बिक्री)—जिस तारीख को वसूली के लिए दस्तावेज भेजे गए उस तारीख को प्राधिकृत व्यापारियों से मांग खरीद की चालू दर पर।

बैंक का प्रमाण-पत्र

संदर्भ

तारीख

स्थान

(1) प्रमाणित किया जाता है कि हमने ऊपर कालम 6 में बताई गई राशि के लिए मैसर्स . . . . द्वारा आहूरित उक्त प्रलेखनीय निर्यात बिल बातचीत द्वारा तय किया है/खरीदा है/वसूली के लिए भेजा है और कालम 7 में बताई गई परिवर्तन की दर का सत्यापन किया है। हमने ऊपर कालम 12 में बताए गए पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का नीचे दिए गए दस्तावेजों से भी सत्यापन किया है:—

(1) लदान बिल/डाक पार्सल रसीद/हवाई मार्ग-बिल

(2) बीमा पालिसी/कवर/बीमा रसीद

(3) हमने यह भी सत्यापित कर लिया है कि सम्बद्ध पोत लदान बिल में दर्शाए गए के अनुसार सम्बद्ध मालिम रसीद की तिथि . . . . है।

(तिथि दी जाए)

(2) यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्यातक द्वारा यथाघोषित कमीशन की धनराशि जो अदा कर दी गई है/जो अदा की जानी है अर्थात् रुपए . . . . (अंकों तथा शब्दों में) का जी. आर. प्रपत्र के साथ सत्यापन कर लिया है और वह सही है।

(बैंकर के हस्ताक्षर) . . . .
कार्यालय मोहर
(बैंकरों का पता) . . . .
(शाखा और नगर) . . . .

अनुबन्ध-5

निर्यातक का बैंक प्रमाण-पत्र

परेषण के आधार पर रत्न तथा आभूषण उत्पादों से इतर उत्पादों के लिए

फार्म संख्या—2

सेवा में,

. . . .

(लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)

हम . . . .
(निर्यातकर्ताओं के नाम और पते)

घोषणा करते हैं कि हमने परेषण के आधार पर निर्यात किया है और नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार हमें पूरी बिक्री की रकम मिल गई है:—

अस्थायी बीजक सं० और तारीख	विदेशी मुद्रा में बीजक मूल्य	सीमा-शुल्क अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणीकृत पोतलदान बिल की निर्यात संवर्धन प्रति संख्या एवं तिथि	माल का विवरण जैसा कि सीमा-शुल्क अधि-प्रमाणित पोतलदान बिल की निर्यात संवर्धन प्रति में दिया गया है	लदान बिल/डाक पार्सल रसीद/हवाई मार्ग बिल की संख्या और तारीख	माल का गन्तव्य स्थान	*विदेशी मुद्रा में बिल की राशि/लागत बीमा-भाड़ा/लागत एवं भाड़ा/पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य	लागत-बीमा-भाड़ा/लागत और भाड़ा/पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के परिवर्तन के लिए अपनाई गई दरें	लागत बीमा भाड़ा/लागत और भाड़ा/पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के लिए भारतीय रुपए के बराबर बिल की धनराशि (कालम-10 में दिखाई गई परिवर्तित दर पर) रु०
1	2	3	4	5	6	7	8	9

लदान बिल/भाड़ा मीमो के अनुसार भारतीय रुपयों में भाड़े की राशि	बीमा कम्पनी के बिल/रसीद के अनुसार, भारतीय रुपयों में बीमे की राशि	कमीशन देय छूट/भारतीय रुपए में	भारतीय रुपयों में पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (कालम 11 को निकाल कर कालम 12 और 13 का जोड़)	जी० आर० आई/पी० पी० फार्म, संख्या	बिक्री आय की वसूली की, तारीख
रु०	रु०		रु०		
10	11	12	13	14	15

हम आगे यह भी घोषणा करते हैं:---

(1) कि उपर्युक्त ब्यौरे सही हैं और इस परेषण की बिक्री से सम्बन्धित हैं और इन निर्यातों से सम्बन्धित बीजक की प्रतियां संलग्न हैं;

(2) कि यह निर्यात लिमिटेड कम्पनी/पंजीकृत निर्यातक के मुख्यालय/शाखा कार्यालय द्वारा किया गया है; और

(क) शाखा कार्यालय उस लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी को नाम निर्यात सहायता के लिए आवेदन भेजेगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में यह शाखा कार्यालय होगा।

(ख) जिस लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में लिमिटेड कम्पनी का मुख्यालय/पंजीकृत कार्यालय आता है, उसी को निर्यात सहायता के लिए आवेदन भेजा जाएगा।

(निर्यातकर्ता के हस्ताक्षर)

*लागत बीमा भाड़ा, लागत और भाड़ा तथा पोत पर्यन्त निःशुल्क भाड़ा के बीजक में दिखाए गए के अनुसार विदेशी मुद्रा (जो बीजक भारतीय रुपये में बनाए गए हों उनके सम्बन्ध में कालम 7 और 9 न भरें)

**जो विकल्प लागू न हो उसे काट दें।

@वसूली की तारीख को मौजूद प्राधिकृत व्यापारी के टी/टी खरीद/मांग खरीद की चालू दर, जो भी हो।

बैंक का प्रमाण-पत्र

संदर्भ संख्या --------

तारीख ------------

स्थान ---------

1. हम पुष्टि करते हैं कि ---------- (भारतीय रुपयों में तैयार किए गए बीजकों के सम्बन्ध में कालम 7 या कालम 9 में दर्शाई गई धनराशि) उक्त प्रेषण के लिए अनुमोदित तरीके में *तिथि ----------- को हमें प्राप्त हो गई है। हमने निम्नलिखित के संदर्भ में कालम 14 में दिखाए गए पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का सत्यापन कर लिया है:—

(1) लदान बिल/डाक पार्सल रसीद/हवाई मार्ग बिल

(2) बीमा पालिसी/कवर/बीमा रसीद

(3) हमने यह भी सत्यापित कर लिया है कि संगत पोत-लदान बिल में यथा संकेतित सम्बद्ध मालिम रसीद की तिथि --------है (तारीख दी जानी है)

(2) यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्यातक द्वारा यथा घोषित कमीशन की धनराशि जो अदा कर दी गई है/अदा की जानी है अर्थात् रुपए . . . . (अंकों तथा शब्दों में) का जी. आर. प्रपत्र के साथ सत्यापन कर लिया गया है और वह सही है।

बैंकर के हस्ताक्षर ----------

कार्यालय मोहर ------------

बैंकर का पता ------------

(शाखा और नगर)

*विदेश स्थित बैंक द्वारा प्राप्त करने/प्रेषण करने के लिए बीजक की तारीख।

परिशिष्ट-10 (क्रमशः)

अनुबन्ध—6

विषयः—लाइसेंसों के मूल्य के बराबर ऋण लेने की क्रियाविधि।

पूंजीगत माल और भारी विद्युत संयत्रण के लिए आयात लाइसेंस

1. पूंजीगत माल और भारी विद्युत संयंत्र के लिए आयात लाइसेंस जारी करते समय, लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस के अन्तर्गत आयात किए जाने वाले माल के मूल्य की गणना राजस्व विभाग (सीमा शुल्क) द्वारा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा - 15 में अधिसूचित और आयात लाइसेंस जारी करने की तारीख को मौजूदा विनिमय दर के आधार पर करेंगे। लाइसेंस प्राधिकारी सीमा शुल्क और विनिमय बैंकों द्वारा सन्दर्भ के लिए लाइसेंस के दस्तावेजों पर उक्त विनिमय दर का अलग से उल्लेख करेगा। सीमा शुल्क प्राधिकारी और विदेशी मुद्रा में व्यापार के लिए प्राधिकृत व्यापारी आयात लाइसेंस पर, लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट विनिमय दर पर लाइसेंस के मूल्य के बराबर ऋण देंगे।

सीधे भुगतान क्रियाविधि के अन्तर्गत आने वाले विदेशी ऋण पर दिए गए कच्चे माल, संघटकों और पुर्जों के लिए आयात लाइसेंस

2. सीधे भुगतान क्रियाविधि के अन्तर्गत आने वाले विदेशी ऋण पर दिए गए कच्चे माल, संघटकों और पुर्जों के लिए जारी किए गए लाइसेंस के मामले में ऊपर की कण्डिका 2 में बताई गई क्रियाविधि अपनाई जाएगी। ये उपबन्ध सीधे भुगतान क्रियाविधि के अन्तर्गत आने वाले विदेशी ऋण के लिए दिए गए अन्य लाइसेंसों पर भी उसी प्रकार लागू होंगे जैसे उक्त लाइसेंसों पर लागू होते हैं।

पंजीकृत निर्यातकर्ताओं के लिए आयात नीति के अन्तर्गत जारी किए जाने वाले आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस

3. पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अंतर्गत प्रतिपूर्ति लाभों के लिए निर्यात के पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के बराबर रुपयों की गणना निर्यात दस्तावेजों के खरीद/बातचीत की तारीख को मौजूदा 'विनिमय दर' पर की जाएगी 'केन्द्रीय दर' पर नहीं। पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत जिन बैंक प्रमाण-पत्रों के आधार पर प्रतिपूर्ति लाभों का निर्धारण किया जाता है, वे बैंक प्रमाण-पत्र नीचे बताए गए के अनुसार तैयार किए जाएंगे :—

(क) **तुरन्त बिक्री से संबंधित खरीदे गए या बातचीत से तय किए बिल**—खरीद किए गए या बातचीत से तय किए गए बिल के मद्दे प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा प्राधिकृत व्यापारियों की मांग (मांग पर) की खरीद दर पर निर्यातकों को चुकाई गयी वास्तविक राशि।

(ख) वसूली के लिए बिल (तुरन्त बिक्री)

जिस तारीख को उन्होंने वसूली के लिए दस्तावेज भेजे यदि उस तारीख को वे बिल खरीदते/बातचीत से तय करते तो प्राधिकृत व्यापारी मांग पर (मांग पर) खरीद दर के अनुसार जो राशि उन्हें देता वह राशि।

(ग) परेषण के आधार पर निर्यातः—

निर्यात आय की वसूली की तारीख को जैसा भी मामला हो, प्राधिकृत टी. टी. खरीद/मांग पर खरीद दर पर प्राधिकृत व्यापारी द्वारा निर्यातकर्ता को अदा की गई राशि।

4. पंजीकृत निर्यातकर्ताओं के लिए जो बैंक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होता है उसका फार्म अनुबन्ध 5 में दिया गया है।

5. सीमा-शुल्क प्राधिकारी और विदेशी मुद्रा में व्यापार करने वाले प्राधिकृत व्यापारी नीचे के पैरा 7 में बताई गई क्रियाविधि के अनुसार आयात दस्तावेज प्रस्तुत करते समय विनिमय दर पर प्रतिपूर्ति लाइसेंस के नाम डालेंगे।

उपर्युक्त लाइसेंसों के अलावा अन्य आयात लाइसेंस

6. ऐसे मामलों में लाइसेंस प्राधिकारी आयात लाइसेंस का मूल्य चालू आयात नीति के अनुसार निर्धारित करेंगे। ऐसे मामलों में लाइसेंस जारी होने की तारीख या किसी अन्य तारीख को मौजूदा विनिमय दर के अनुसार लाइसेंस का मूल्य रुपयों में परिवर्तित नहीं करना होगा। सीमा-शुल्क प्राधिकारी और विदेशी मुद्रा में व्यापारकरने वाले प्राधिकृत व्यापारी आयात दस्तावेज प्रस्तुत करने के समय चालू विनिमय दर पर निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार इन लाइसेंसों के नाम डालेंगे और इस बात का निश्चय करेंगे कि इस प्रकार किसी लाइसेंस के आधार पर नामे डाली गई राशि पैरा 7 में दी गई प्राधिकृत सीमा तक लाइसेंस के मूल्य के बराबर या उससे कम है।

7. उपर्युक्त पैराग्राफ 3-6 में दिए गए आ. ई. पी. लाइसेंसों और 'अन्य' लाइसेंसों के मद्दे आयातों के मामले में, विदेशी मुद्रा के लेन-देन में प्राधिकृत व्यापारी और सीमा-शुल्क प्राधिकारी स्व-निर्णय से यदि कोई अधिक मूल्य होगा तो उसे नीचे दिए गए तरीके से माफ कर सकते हैं :—

(1) विदेशी मुद्रा में व्यापार करने वाले प्राधिकृत व्यापारी अपरिवर्तनीय साख पत्र खोलने की तारीख को और वास्तविक प्रेषण की तारीख को मौजूद विनिमय दर में भिन्नता होने के कारण लाइसेंस मूल्य में हुई वृद्धि, यदि कोई हो, को माफ कर सकते हैं। यदि कोई भी अपरिवर्तनीय साख पत्र नहीं खोला गया हो, तो विदेशी मुद्रा में व्यापार करने वाले प्राधिकृत व्यापारी पोत लदान की तारीख और प्रेषण की तारीख को विनिमय-दरों में विभिन्नता के कारण हुई वृद्धि, यदि कोई हो, तो उसे माफ कर सकते हैं।

(2) यदि आयातकर्ता लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति प्रस्तुत करें तो सीमा शुल्क प्राधिकारी जिस मूल्य के लिए विदेशी मुद्रा में व्यापार करने वाले

प्राधिकृत व्यापारी ने प्राधिकृत किया हो, उस मूल्य के बदले में माल छुड़ाने की अनुमति दे सकता है किन्तु अनुमति देते समय वह ऊपर के पैरा (1) में बताए गए के अनुसार विनिमय दरों की भिन्नता के फलस्वरूप होने वाले अन्तर की रकम की माफी का भी ध्यान रखेगा।

(3) यदि आयातकर्ता सीमा शुल्क प्राधिकारियों के सामने आयात लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति प्रस्तुत न करे तो ये प्राधिकारी राजस्व (सीमाशुल्क) विभाग द्वारा भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 15 में अधिसूचित लदान बिल पर बताई गई पोत लदान की तारीख पर मौजूदा मय दर पर उधार देंगे। सीमा शुल्क प्राधिकारी प्राधिकारी सीमा शुल्क आयात पत्र प्रस्तुत करने की तारीख और पोत लदान की तारीख को मौजूदा विनिमय दरों के अन्तर के कारण लाइसेंस मूल्य में हुई वृद्धि यदि कोई हो, को माफ कर सकते हैं।

टिप्पणी:—जिन मामलों में अस्थगित अदायगी की शर्तों पर निर्यात होते हैं, उन मामलों में उक्त पैरा 3 के उद्देश्य से जिस तारीख को प्राधिकृत व्यापारी के सामने समुद्र पार के खरीददार को माल बेचने के लिए निर्यात दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं, उस तारीख को लागू माग पर खरीद दर अपनाई जाएगी।

विषय:—व्यापार और भुगतान समझौते के अन्तर्गत भारत से पोलैण्ड को निर्यात।

व्यापार और भुगतान समझौते के अन्तर्गत भारत से पोलैण्ड को निर्यात के सम्बन्ध में वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 14 आई. टी. सी. (पी. एन.)/75, तारीख 20 फरवरी, 1975 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. यह निश्चय किया गया है कि भारत से पोलैण्ड को किए जाने वाले माल और सेवाओं के निर्यात के बारे में किए गए सभी करारों और वाणिज्यिक और वित्तीय दस्तावेजों में सम्बन्धित निर्यातकर्ताओं के अनुसार यू. एस. डालर्स या भारतीय रुपयों में राशि लिखी जाए। किन्तु दोनों स्थितियों में अपरिवर्तनीय भारतीय रुपए में अदायगी की जाएगी। जिन मामलों में यू. एस. डालर्स में कीमतें बताई गई हों, यू. एस. डालर्स की अदायगी करने की तारीख (खों) को डालर/रुपयों की दर पर नीचे दिए गए के अनुसार भारतीय रुपयों में परिवर्तित कर लिया जाएगा:—

(क) पिछले कार्य दिवस के अन्त में लन्दन बाजार में पौंड स्टर्लिंग में डालर की मध्यम दर; और

(ख) भारतीय रुपए में पौंड स्टर्लिंग की खरीद और बिक्री के लिए बैंक हैन्डलोवी वार्सजिविया एस. ए. के लेखे रखने वाले भारतीय वाणिज्यिक बैंक की माध्यम दर।

3. यह स्पष्ट कर लिया जाए कि वर्तमान समय की भांति प्रतिपूर्ति लाभों के लिए भी भारतीय निर्यातकर्ता को अप्रैल, 1975 से मार्च, 1976 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक जिल्द 2) के पृष्ठ 241 के अनुबंध 6 और इसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों के आधार पर की गई व्यवस्था के अनुसार, निर्धारित फार्म में बैंक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

परिशिष्ट-10 जारी

अनुबंध-7

प्रपत्र-ख

पंजीकृत निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यातों के मद्दे माल का आयात करने के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र

भाग-1

1. आवेदक का नाम और पता

2. उद्योग की किस्म, क्या सार्वजनिक कम्पनी या निजी कम्पनी, साझेदारी या हिन्दू अविभाजित पारिवारिक उद्योग है

3. जैसा भी मामला हो, संचालकों, भागीदारों, स्वामियों या कर्ता का नाम

4. (1) क्या आप विनिर्माता निर्यातक, व्यापारी निर्यातक या निर्यात सदन*/व्यापार सदन है

(2) वैध पंजीकरण प्रमाण-पत्र की संख्या और दिनांक और उसकी फोटोस्टेट/प्रमाणित प्रति।

(3) यदि निर्यात सदन व्यापार सदन है तो निर्यात सदन/व्यापार सदन प्रमाण-पत्र की संख्या और दिनांक और वह तारीख जिस तक वैध है और उसकी फोटोस्टेट/प्रमाणित प्रति भी संलग्न की जानी है।

5. निर्यातों के ब्यौरे

(क) निर्यातित माल का ब्यौरा

(ख) आयात-निर्यात नीति के परिशिष्ट-17 की क्रम सं./उपक्रम सं.

(ग) निर्यात अवधि

(घ) (1) जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य

(2) इस आवेदन-पत्र के अन्तर्गत आने वाले निर्यातों पर विदेशी अभिकर्ता को अदा किए गए या किए जाने वाले कमीशन या छूट की धन-राशि।

(3) वास्तविक जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (1) घटा (ii)

6. चुना गया विकल्प**
मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक

7. इस आवेदन पत्र के अन्तर्गत आने वाले निर्यातों के मद्दे यदि कोई अग्रिम/विशेष अग्रदाय लाइसेंस प्राप्त किए हों तो उनके ब्यौरे

8. क्या आवेदक द्वारा उसी उत्पाद वर्ग के अधीन आने वाले निर्यात के मद्दे कोई आवेदन किया गया है, यदि हां, तो ब्यौरा दें।

9. आवेदित लाइसेंस का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य

10. आवेदन शुल्क के भुगतान के लिए बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट की संख्या और दिनांक (मूल बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट संलग्न किया जाना है।

हस्ताक्षर ----------------

साफ अक्षरों में नाम ---------------------

पद ---------------------

निवास स्थान का पता ------------------

दिनांक :

**जो लागू हो उसे संकेतिक करें।

वचन/घोषणा

मैं/हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा पूर्वक यह वचन देता हूं/देते हैं/घोषणा करता हूं/करते हैं:—

(1) कि कालम 7 के सामने उल्लिखित अग्रिम लाइसेंस (लाइसेंसों) को छोड़कर इस आवेदन पत्र के अन्तर्गत आने वाले निर्यातों के मद्दे आयात लाइसेंस के लिए और कोई अन्य आवेदन पत्र नहीं दिया गया है या भविष्य में नहीं दिया जाएगा।

(2) (प्रेषण) प्रेषणों/पार्सल (पार्सलों) को वापस नहीं किया गया है। यदि किसी समय प्रेषिती द्वारा निर्यातित माल वापस किया गया है या यदि सम्बन्धित माल के सम्बन्ध में बिक्री की रकम निर्यात की तिथि से छः महीनों के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत हो, के भीतर प्राधिकृत माध्यम द्वारा वसूल नहीं की गई है, तो उसकी आवश्यक सूचना उसके एक महीने के भीतर लाइसेंस प्राधिकारी को भेजी जाएगी और इस संबंध में अन्य कार्रवाई जो की जा सकती है उसको ध्यान में रखे बिना इस आवेदन-पत्र के मद्दे जारी किए गए लाइसेंसों के मूल्य को मुझे/हमें भविष्य में देय आयात लाइसेंसों के मद्दे समंजित कर दिया जाएगा इस आवेदन पत्र के अन्तर्गत आने वाले निर्यातों से सम्बद्ध किसी जुर्माने या नुकसान के कारण किसी भी समय विदेशी खरीददार को यदि कोई धनराशि अदा की जाती है, तो उसकी सूचना उसके एक महीने के भीतर लाइसेन्स प्राधिकारी को भेजी जाएगी।

3 यदि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा छान-बीन के परिणाम स्वरूप इस आवेदन पत्र के मद्दे मुझे/हमें कोई भी गलत लाइसेंस जारी किया हुआ पाया गया, तो वह किसी श्रेणी के अन्तर्गत मुझे/हमें देय आगामी लाइसेंसों के मद्दे समंजित कर दिया जाएगा, यह कार्रवाई इस सम्बन्ध में की जाने वाली अन्य किसी भी कार्रवाई के अलावा होगी।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि इस आवेदन पत्र में दिए गए ब्यौरे और विवरण मेरी/हमारी जानकारी से सही हैं और उसमें कुछ भी छिपाया या रोक रखा नहीं गया है।

5. मैं/हम एतद्द्वारा वचन देता हूं/देते हैं कि इस आवेदन पत्र में दी गई सूचना गलत या अनुचित या भ्रामक पाई गई तो इस आवेदन पत्र के आधार पर प्रदान किया गया कोई भी लाइसेंस इस सम्बन्ध में की जाने वाली अन्य कार्रवाई के अलावा रद्द या प्रभावहीन कर दिया जाएगा।

6. मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि निर्यातित किताबों/पत्रिकाओं/आवधिकों के लिए वसूल किया गया मूल्य 40% तक की छूट घटाने के बाद सूचित विदेशी कीमत से कम नहीं था। ऐसे मामले में जहां विदेशी कीमत सूचित नहीं थी, वहां किताबों/पत्रिकाओं/आवधिकों का निर्यात 40% तक की सामान्य व्यापार छूट को घटाकर विदेशी मुद्रा में परिवर्तित सूचीबद्ध भारतीय कीमत से कम कीमत पर नहीं किया गया था।

7 मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि वे आंकड़े जिनके आधार पर प्रतिपूर्ति लाइसेंस के लिए यह आवेदन पत्र दिया गया है, उसमें केवल आन्तरिक उपयोग के लिए निर्दिष्ट और निर्यात करने के लिए निषेध किताबों/पत्रिकाओं/आवधिकों के निर्यात शामिल नहीं हैं।

8. मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि निर्यात पंजीकृत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम कीमत से कम कीमत पर नहीं किए गए हैं।

9. मैंने/हमने अपने निर्यातों को बीजक से कम या बीजक से अधिक नहीं रखा है।

हस्ताक्षर ______________

स्पष्ट अक्षरों में नाम ______________

पदनाम ______________

निवास स्थान का पता

दिनांक

सलग्नकों की सूची

अनुबन्ध—7—(क्रमश:)

भाग—2

जिस आयात लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया है उसके मद्दे निर्यातकों के बैंक(बैंकों) द्वारा यथा प्रमाणित निर्यातों का विवरण (विवरण के कालम बैंक प्रमाण-पत्र वार भरे जाने चाहिएं)।

उन बैंकों का नाम और पता (जिन्होंने प्रमाण पत्र जारी किया है)	बैंक प्रमाण पत्र की सं० और दिनांक (मूल प्रमाणपत्र साथ लगाया जाए)	बीजक सं० जो बैंक प्रमाण पत्र में दी गई है	सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणीकृत पोत परिवहन बिल की ई०पी० प्रति संख्या एवं दिनांक	निर्यातित उत्पाद का विवरण (आयात-नीति की क्रम सं० और पृष्ठ सं० का संकेत करें।)
1	2	3	4	5

यदि निर्यात लागत-बीमा भाड़ा या लागत एवं भाड़ा मूल्य के आधार पर किया गया है तो बताएं		अदा किया गया या देय विदेशी अभिकर्ता का कमीशन	अदा किया गया अथवा देय कमीशन को घटाकर निर्यात का जहाज पर निशुल्क मूल्य	देय आयात प्रतिपूर्ति की दर और धनराशि	
दिया गया भाड़ा प्रभार	दिया गया बीमा प्रभार			दर	राशि
रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
6	7	8	9	10	11

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि विवरण में दी गई सूचना सही है। मैं/हम यह भी वचन देता हूं/देते हैं कि यदि किसी मामले में इस विवरण में निहित सूचना गलत, झूठी या भ्रामक पाई गई तो इस विवरण के आधार पर प्रदान किए गए आयात लाइसेंस के मूल्य इस सम्बन्ध में की जाने वाली अन्य कार्रवाई के अलावा मुझे/हमें या मेरे/हमारे नामितों को देय आगामी आयात लाइसेंसों के मद्दे समंजित करवा लिया जाएगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्पष्ट अक्षरों में नाम

पदनाम

निवास का पता

भाग-3

आयकर घोषणा का प्रपत्र

क. **ऐसे व्यक्तियों के मामले में जिनकी आमदनी आयकर योग्य नहीं है।**

मैं/हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैं/हम आयकर जिनमें अग्रिम कर भी शामिल है, का/के देनदार नहीं हूं/हैं क्योंकि मेरे/हमारे द्वारा वर्तमान लेखा वर्ष और पिछले चार लेखा वर्षों के दौरान अर्जित आमदनी-कर मुक्त की अधिकतम सीमा से कम है।

ख. **ऐसे व्यक्तियों के मामलों में जिन की आय कर योग्य है:—**

मैं/हम एतद् द्वारा सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि :—

(1) मैंने/हमने आज तक मेरे/हमारे पर देय आय की विवरणी आयकर विभाग को भेज दी है।

(2) मैंने/हमने आयकर अधिनियम के अन्तर्गत उस डिमांड कर को छोड़कर जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा रोका हुआ है, मेरे/हमारे पर देय अग्रिम कर सहित सभी कर अदा कर दिए गए हैं।

3. मुझे/हमें पिछले तीन कैलेंडर वर्षों के दौरान आय/सम्पत्ति को छिपाने के सम्बन्ध में *दण्ड नहीं दिया गया है। मेरे/हमारे विरुद्ध कोई अभियोग नहीं चलाया गया है।

4. (क) मैं/हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त घोषणा उन कम्पनियों के मामले में भी लागू होगी जिनमें मेरी/हमारी वास्तविक रूचि** है या वह फर्म या व्यक्तियों का संगठन जिसमें मैं/हम क्रमश: साझीदार या सदस्य हूं/हैं।

(ख) उपर्युक्त घोषणा उन व्यक्तियों के मामले में भी लागू होगी जिनकी आवेदक कम्पनी में **वास्तविक रुचि है या आवेदक संगठन के वे सदस्य हैं या आवेदक फर्म के साझीदार हैं।

हस्ताक्षर

पता

स्थायी लेखा सं.

आयकर अधिकारी का ओहदा

जिसके साथ कर निर्धारण किया गया है

कर निर्धारणीय है।

दिनांक:

स्थान:

*यदि जुर्माना वसूल करने के लिए कोई अपील दाखिल की गई है और वह अपील आयकर के सहायक अपील आयुक्त या आयकर अपील प्राधिकारी के पास अनिर्णीत पड़ी है तो इस घोषणा के प्रयोजनार्थ ऐसे जुर्माना लेने की आवश्यकता नहीं है।

**शब्द "वास्तविक रुचि" का अर्थ वही होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40 (ए) (2) में बताया गया है।

अनुबन्ध 8 (हटा दिया गया है)

परिशिष्ट-10 (क्रमश:)

अनुबन्ध—9

भुगतान का बैंक प्रमाण-पत्र

(परेषण के आधार पर रत्न तथा आभूषण के निर्यात विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों में बिक्री के लिए)

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स . . . . द्वारा दूसरे देशों को किए गए . . . . के निर्यात के नीचे दिए गए बिल बातचीत से तय कर लिए गए हैं और हमें अनुमोदित तरीके से मुद्रा विनिमय नियंत्रण विनियमावली के अनुसार इनसे नीचे दी गई राशि प्राप्त हो गई है। हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि इसकी अदायगी अपरिवर्तनीय रुप्या लेखा या अन्य विशेष द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अनुसार प्राप्त नहीं हुई है।

क्र० सं०	बीजक संख्या और तारीख	निर्यात की तारीख	निर्यातित माल का विवरण	लदान बिल/डाक रसीद और/या हवाई मार्ग के बिल की सं० और तारीख	निर्यातकर्ताओं द्वारा घोषित माल का पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य	किस देश/किन देशों को निर्यात किया गया है	किस* तारीख को बैंक को भुगतान प्राप्त हुआ था	निर्यातकर्ता के लेखे में विदेशी मुद्रा की आय जमा होने की वास्तविक तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9

यदि बिल की आंशिक अदायगी की गई हो तो जिस बीजक के लिए अदायगी प्राप्त हुई हो उसकी लाट संख्या	भारत में प्राप्त राशि (रुपयों में)	जी० आर० आई०/पी० पी० फार्म संख्या और तारीख
10	11	12

यह प्रमाणित किया जाता है कि जी. आर. प्रपत्र में दिए गए के अनुसार अदा की गई/अदा की जाने योग्य कमीशन की धनराशि . . . . रुपए है (अंकों तथा शब्दों में)।

संदर्भ संख्या :—
दिनांक
स्थान

प्रबन्धक के हस्ताक्षर
बैंक का प्राधिकृत अधिकारी
सरकारी मोहर

टिप्पणियां :— (1) बैंक के प्रमाण-पत्र पर बैंक के कार्यालय की मोहर लगी होनी चाहिए।
(2) बिल की पूरी राशि की वसूली के बाद यह प्रमाण-पत्र दिया जाएगा; किन्तु बिल में आने वाले लाटों के मद्दे आंशिक अदायगी की प्राप्ति के मामले में प्रमाण पत्र दिया जा सकता है।
*वसूली करने वाले/भेजने वाले विदेश स्थित बैंक द्वारा अदायगी की सूचना देने की तारीख।

अनुबन्ध—10 (क)

विदेशी पर्यटकों को कालीन की बिक्री के लिए भुगतान का बैंक प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हमें . . . . विदेशी पर्यटकों को बेचे गए कालीन से प्राप्त लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य/लागत भाड़ा/पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के बिलों की मैसर्स . . . . द्वारा भुगतान की गई रकम मुद्रा नियंत्रण विनियमावली के अनुसार अनुमोदित तरीके से प्राप्त हो गई है। हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि इसकी अदायगी अपरिवर्तनीय रुपया लेखा या किसी द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अनुसार प्राप्त नहीं हुई है।

क्रम सं०	बीजक की सं० और तारीख	निर्यात की तारीख	निर्यात किए गए माल का विवरण	लदान बिल, डाक रसीद और/या हवाई मार्ग बिल की संख्या और तारीख	दिया गया भाड़ा प्रभार	दिया गया बीमा प्रभार	माल का पोत पर्यन्त नि शुल्क मूल्य	जैसा की मामला हो बैंक में मुद्रा, बैंक ड्राफ्ट या चैक जमा कराने की तारीख
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
4.								

भारत में प्राप्त राशि (रुपयों में)	*रकम मिलने की तारीख	जी० आर० आई०/पी० पी० फार्म सं० और तारीख
10	11	12

संदर्भ सं:—
दिनांक.—
स्थान:—

प्रबन्धक के हस्ताक्षर
बैंक का प्राधिकृत अधिकारी
कार्यालय की मोहर

टिप्पणी—1. बैंक के प्रमाण-पत्र पर बैंक कार्यालय की मोहर लगी होनी चाहिए।

*2. यह मद केवल उस व्यक्तिगत चैक के बारे में लागू होगी जो विदेशी पर्यटक द्वारा विदेशी बैंक से भुनाया गया हो।

अनुबन्ध 10—ख

विदेशी पर्यटकों को कालीनों से भिन्न माल की बिक्री के लिए बैंक प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हमें..... ....विदेशी पर्यटको को बेचे गए कालीन से प्राप्त बिलों की मैसर्स.................. द्वारा अदा की गई रकम मुद्रा नियंत्रण विनियमो के अनुसार अनुमोदित तरीके से प्राप्त हो गई है। हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि इसकी अदायगी अपरिवर्तनीय रुपया लेखा या किसी द्विपक्षीय व्यापार अनुबंध के अनुसार प्राप्त नही हुई है।

क्रम सं०	बिक्री वाउचर/केश मीमो सं० एवं दिनाक	विदेशी पर्यटको को बेची गई वस्तुओं का ब्यौरा	माल का जहाज पर्यन्त नि.शुल्क मूल्य	बैंक मे विदेशी मुद्रा/यात्री चैक/क्रेडिट चैक/बैंक ड्राफ्ट/या चैक है जैसा भी मामला हो, को जमा करने की तारीख	रिहा की गई विदेशी मुद्रा के समतुल्य रुपए	वसूल/भुगतान करने की तारीख
1	2	3	4	5	6	7

संदर्भ सं०
दिनांक
स्थान

प्रबन्धक के हस्ताक्षर
बैंक का प्राधिकृत अधिकारी
कार्यालय मोहर

*यह केवल विदेशी बैंको में विदेशी पर्यटकों द्वारा निकाले गए व्यक्तिगत चैकों के मामलों में लागू है।

अनुबन्ध 11

सनदी लेखापाल द्वारा दिया जाने वाला निर्यात प्रमाण-पत्र

सेवा में

(लाइसेंस प्राधिकारी का नाम और पता),

हम—

(निर्यातकर्ता का नाम और पता)

एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि हमने नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार—————(लाइसेंस अवधि) के दौरान समान हिस्सेदारी के अधीन निर्यात किया है —

बीजक संख्या और तारीख	माल का विवरण	लदान बिल/पी०पी०रसीद/हवाई बिल की संख्या और तारीख	माल का गंतव्य स्थान	ला० बी०भा०/लागत और भाड़ा/पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का बिल	भाड़े की राशि	बीमे की राशि	पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य बराबर राशि	जी० आर० आई०/पी० पी० फार्म संख्या और दिन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2,								
3,								
4.								

हम यह भी घोषणा करते हैं कि ऊपर दिए गये ब्यौरे सही हैं और सामान हिस्सेदारी के अधीन किए गये निर्यात से सम्बन्धित हैं। इस निर्यात से सम्बद्ध बीजक की प्रतियां और अन्य दस्तावेज संलग्न हैं।

(नियतिकर्ता के हस्ताक्षर)

संदर्भ संख्या . . . .

तारीख . . . .

स्थान . . . .

सनदी लेखापाल का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हमने मैसर्स . . . . . . की बहियों/दस्तावेजों से निर्यात के उपर्युक्त विवरण की जांच की है और उसे सही पाया है।

(सनदी लेखापाल के हस्ताक्षर)

कार्यालय की मोहर

पूरा पता . . . .

पंजीकरण संख्या . . . .

अनुबन्ध 12

विदेशी पर्यटकों को की गई बिक्री का वाउचर

क्रम सं.

(1) जिस पर्यटक को माल बेचा गया हो उसका नाम और राष्ट्रिकता

(2) पर्यटक के पासपोर्ट की संख्या

(3) बेची गई वस्तु का विवरण (जिस सामग्री से वह वस्तु तैयार की गई हो उसका उल्लेख करें)

(4) विदेशी मुद्रा में बिक्री मूल्य और उसके बराबर भारतीय रुपये

(5) पर्यटक द्वारा दी गयी विदेशी मुद्रा और यात्री चैक का विवरण

पर्यटक के हस्ताक्षर व्यापारी के हस्ताक्षर पंजीकरण संख्या

टिप्पणी :—कृपया इस विषय में सम्बन्धित शर्तें पन्ने के दूसरी ओर पढ़ें।

(1) विदेशी पर्यटक को भेजी जाने वाली प्रति (सफेद)

(2) आयात लाइसेंस के आवेदन पत्र के साथ भेजी जाने वाली प्रति (पीली)

(3) व्यापारी के पास रखी जाने वाली प्रति (गुलाबी)

अनुबन्ध 13

फर्म का नाम और पता

—————अवधि के दौरान पर्यटक को की गई बिक्री का विवरण जिसके लिए आयात लाइसेंस लिया जा रहा है —

क्रम सं०	पर्यटक को बेचा गया उत्पाद (जिस उत्पाद समूह के अन्तर्गत बेचा गया है वह उत्पाद समूह और उसकी क्रम संख्या बताएं	बिक्री वाउचर/कैश मीमो/प्रावेश की संख्या और तारीख	बेचे गए उत्पादों का विवरण	बेची गई वस्तुएं जिनकी प्रतिपूर्ति का दावा किया गया हो और उनका रुपयों में पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य	वे मदें जिन के लिए यहां प्रतिपूर्ति का दावा किया गया हो उनके लिए वसूल की गई विदेशी मुद्रा के बराबर रुपए (बी/सी से आंकड़े)	पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य जिस पर हक दावे का दावा किया जाना है। (यह मूल्य कालम 5 और 6 में बताए गए दोनों मूल्यों से कम होना चाहिए)	अ
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							

टिप्पणी (1) कालम 7 में दिए गए मूल्यों का जोड़ किया जाना चाहिए।

(2) जिस व्यक्ति ने आवेदन फार्म पर आवेदक के रूप में हस्ताक्षर किए हों वही व्यक्ति ब्यौरे के विवरण पर भी हस्ताक्षर करें।

अनुबन्ध 14

विदेशी पर्यटकों को रत्न और आभूषण बेचने के लिए वाउचर

क्रम सं. . . . .

(1) जिस पर्यटक को बिक्री की गई है उसका नाम और राष्ट्रिकता

(2) पर्यटक के पासपोर्ट की सं.

(3) मद (दों) का विवरण

(4) विदेशी मुद्रा में विक्रय मूल्य और समतुल्य रुपये

(5) विदेशी पर्यटक द्वारा दी गई विदेशी मुद्रा और विदेशी मुद्रा के यात्री चैक का विवरण

निर्यातक के हस्ताक्षर

पर्यटक के हस्ताक्षर पंजीकरण सं.

सीमा शुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर

नोट :-- कृपया पीछे लिखी शर्तों को पढ़ें

(1). पासपोर्ट के साथ प्रति नत्थी करनी है। (सफेद)

(2) विदेशी पर्यटक को प्रति दी जानी है। (हरी)

(3) आयात लाइसेंस आवेदन पत्र के साथ भेजा जाना है। (पीली)

(4) निर्यातक द्वारा रखी जाने वाली प्रति (गुलाबी)

नोट:--इस वाउचर के अधीन खरीदा गया माल भारतवर्ष की सीमा के अन्दर किसी भी व्यक्ति को बेचना उपहार में देने या अन्यथा रूप से निपटान करने के लिए बिल्कुल निषेध है।

परिशिष्ट-10-जारी

अनुबन्ध-15

पंजीकृत निर्यातकों को अग्रदाय लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र

भाग--I

सामान्य जानकारी :--

1. आवेदक का नाम और पता

2. उद्योग का नाम
   (1) कारखाने का पता और स्थान
   (2) उसमें विनिर्मित अन्तिम उत्पाद

3. फर्म की किस्म, क्या पब्लिक कम्पनी या प्राइवेट लि. कम्पनी या साझेदारी फर्म है।

4. जैसा भी मामला हो हिन्दू अविभाजित परिवार के रूप में निदेशक, साझीदारों, मालिक या कर्ता के नाम।

5. क्या आप विनिर्माता निर्यातक/व्यापारी निर्यातक/निर्यात सदन/व्यापार सदन हैं?

6. निर्यात संवर्धन परिषद्/पण्य वस्तु बोर्ड/एफ आई ई ओ द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र की संख्या और दिनांक और वह तिथि जब तक यह वैध है (प्रमाण-पत्र की फोटोस्टेट/सत्यापित प्रत संलग्न करें)।

7. यदि निर्यात सदन है, तो निर्यात सदन/व्यापार सदन प्रमाण पत्र की संख्या और तिथि दर्शाएं और वह तिथि भी बताएं जब तक यह वैध है। (प्रमाण पत्र की फोटोस्टेट/सत्यापित प्रति संलग्न करें)।

8. यदि विनिर्माता निर्यातक है तो निम्नलिखित द्वारा आवंटित पंजीकरण सं. दें :--
   (1) महानिदेशक तकनीकी विकास की सूची की फर्मों के मामले में महानिदेशक तकनीकी विकास
   (2) लघु पैमाना उद्योग एककों के मामले में राज्य के उद्योग निदेशक।
   (3) विनिर्माता के रूप में एकक को पंजीकृत करने के लिए कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी

9. मशीनरी के लिए पूंजी निवेश।

10. यदि व्यापार निर्यात सदन/व्यापार सदन या व्यापारी निर्यातक हैं तो बताएं :--
    (1) यह बताते हुए सहायक विनिर्माता का नाम और पता बताएं कि क्या बृहत पैमाना या लघु पैमाना उद्योग का एकक है।
    (2) सहायक विनिर्माता(ओं) के पंजीकरण प्राधिकारी का नाम।
    (3) सहायक विनिर्माता(ओं) की पंजीकरण सं.

11. आवेदन शुल्क के भुगतान की बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट सं. और दिनांक बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट की मूल प्रति संलग्न की जानी है)।

12. (1) आवेदित लाइसेंस का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य।
    (2) आयात किए जाने वाले माल का ब्यौरा (आयात की जाने वाली प्रत्येक मद का पूर्ण ब्यौरा, मात्रा, लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य दें।)

भाग 2

1. क्या यह आवेदन पत्र एक विशिष्ट निर्यात आदेश के मद्दे किया गया है? यदि हां, तो बताएं :--
   (1) निर्यात आदेश(शों) के अन्तर्गत निर्यात की मदें (निर्यात आदेश की प्रति संलग्न करें)
   (2) जहाज पर निःशुल्क मूल्य
   (3) विदेशी क्रेता का नाम और पता और निर्यात का देश
   (4) निर्यात आदेश(शों) के अन्तर्गत आने वाले निर्यात उत्पाद(दों) के वितरण की अवधि
   (5) क्या विषयाधीन निर्यात आदेश(शों) के मद्दे कोई निर्यात पहले ही किए गए हैं? यदि हां, तो उसका जहाज पर निःशुल्क मूल्य बताएं।
   (6) भुगतान की विधि बताएं (अपरिवर्तनीय साख पत्र के मामले में फोटोस्टेट प्रति संलग्न करें)।
   (7) आवेदन पत्र के अन्तर्गत निर्यातों पर विदेशी अभिकर्ता को भुगतान की गई या देय कमीशन या छूट की धनराशि।

2. (क) यदि निर्यात किए जाने वाले उत्पाद(दों) और आयात की जाने वाली मदें मात्रा/लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के रूप में पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के पूर्णतया अनुरूप हैं तो बताएं :--
   (1) परिशिष्ट 17 की क्रम सं./उप क्रम सं.
   (2) आयात प्रतिपूर्ति की दर।

   (ख) यदि ये आयात नीति के परिशिष्ट 17 के पूर्णतया अनुरूप नहीं हैं तो आयात नीति के अनुसार सनदी अभियंता का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

भाग 3

1 यदि आवेदित आयात लाइसेंस एक विशिष्ट निर्यात आदेश के मद्दे नहीं किया गया है, तो उसे बताएं —

(क) निर्यात किए जाने वाले उत्पादो का ब्यौरा, मात्रा और जहाज पर नि शुल्क मूल्य

(ख) यदि निर्यात किए जाने वाले उत्पाद और आयात की जाने वाली मदें मात्रा/लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य, के रूप मे आयात नीति के परिशिष्ट 17 के पूर्णतया अनुरूप है तो 1981-82 और 1982-83 मे निर्यातित उत्पादों और निर्यातों का जहाज पर्यन्त नि शुल्क मूल्य का उत्पादवार ब्यौरा देते हुए एक विवरण सलग्न करें।

(ग) यदि ये आयात नीति के परिशिष्ट 17 के पूर्णतया अनुरूप नही हैं तो निम्नलिखित सलग्न करें —

(1) आयात नीति के अनुसार मुख्य कार्यकारी और सनदी अभियता से प्रमाण पत्र

(2) 1981-82 और 1982-83 मे उत्पादनवार आयातित उत्पादों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण।

(3) निर्यातित उसी उत्पाद के नवीनतम निर्यातो का इकाई मूल्य दें और निर्यात की तिथि बताएं।

भाग 4

1 भूतकालीन निष्पादन —

(1) पिछले निर्यातों का ब्यौरा दें। निम्नलिखित ब्यौरे देते हुए विवरण संलग्न करें —

(क) 1981-82 और 1982-83 में किए गए निर्यात उत्पाद का विवरण।

(ख) उपर्युक्त (1) के विषय में निर्यात का जहाज पर नि शुल्क मूल्य (उत्पादवार)।

(ग) यदि 1983-84 की आयात-निति के परिशिष्ट 17 के अधीन है तो निर्यातित उत्पाद का वर्गीकरण और आयात प्रतिपूर्ति की दर।

(घ) निर्यात किए जाने वाले उत्पाद की वह मात्रा जिसके लिए अग्रदाय लाइसेंस अपेक्षित है।

(ङ) आवेदक द्वारा निर्यातित उसी उत्पाद के आखिरी निर्यात का एकक मूल्य (निर्यात की तिथि भी लिखें)।

(2) क्या गतवर्षो मे कोई अग्रिम लाइसेंस जारी किया गया था?

(3) यदि हा, तो क्या लाइसेंस के मद्दे निर्यात आभार अभी भी बाकी है?

(4) यदि निर्यात आभार या तो अश मे या पूरे रूप मे पूरा करना बाकी है तो कृपया नीचे लिखे अनुसार उसका ब्यौरा दें —

(क) लाइसेंस स. और दिनांक

(ख) लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम

(ग) निर्धारित निर्यात आभार का लाइसेंस वार मूल्य

(घ) निर्यात आभार को पूरा करने के लिए अनुमित समय सीमा

(ङ) प्रत्येक लाइसेंस के मद्दे पहले ही पूरे किए गए निर्यात आभार का मूल्य

(च) निर्यात आभार को पूरा नहीं करने के कारण।

(5) अप्रयुक्त प्रतिपूर्ति लाइसेंसो/रिहाई आदेशो का वह कुल लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य जिसके मद्दे आयात नही किया गया है।

(6) प्रतिपूर्ति लाइसेंसो/रिहाई आदेशो का कुल लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य, जिसके लिए आयात आवेदन-पत्र लाइसेंस प्राधिकारियों के पास पड़े हुए हैं।

5. सलग्न दस्तावेजो की सूची।

भाग 5

घोषणा

1. मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हू/करते हैं कि यदि यह लाइसेंस प्रदान किया जाता है तो हमारे कारखाने मे यह माल कच्चे माल/सघटकों अथवा उप-साधको के उपभोग के लिए ही उपयोग में लाया जाएगा और इसका कोई भी भाग न बेचा जाएगा अथवा किसी अन्य पार्टी द्वारा उपयोग के लिए अनुमति दी जाएगी।

2. मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हू/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी एवं विश्वास के आधार पर सत्य एवं सही है। मैं/हम पूर्ण रूप से समझता हू/समझते हैं कि यदि यह पाया गया कि प्रस्तुत किए गए विवरण में कोई विवरण या तथ्य गलत अथवा झूठा है तो प्रस्तुत किए गए विवरण के आधार पर मुझे/हमको जारी किया गया कोई भी लाइसेंस उस अन्य जुर्माने या अन्य कार्रवाई को ध्यान मे रखे बिना रद्द किया जा सकता है या अप्रभावी किया जा सकता है जो सरकार इस संबंध में मामले की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अधिरोपित करे।

हस्ताक्षर . . . .

साफ अक्षरो में नाम . .

पद . . . .

निवास का पता . . . . . .

दिनांक :

भाग 6

आयकर घोषणा पत्र का प्रपत्र

(क) ऐसे व्यक्तियों के मामले में जिनकी आमदनी आयकर योग्य नहीं है!

मैं/हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हू/करते हैं कि मै/हम अग्रिम कर शामिल करने पर भी आयकर देने के लिए उत्तरदायी नही हू/हैं क्योकि वर्तमान लेखा वर्ष और पिछले चार लेखा वर्षों के दौरान मेरी/हमारी आय कर न लगाने की अधिकतम सीमा से भी कम है।

(ख) आयकर देने वाले व्यक्तियों के संबंध में

मैं/हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हू/करते हैं कि

(1) मैंने/हमने आज की तारीख तक अपनी/हमारी आमदनी का विवरण आयकर विभाग को भेज दिया है।

(2) मैंने/हमने आयकर अधिनियम के अन्तर्गत मांगे गए कर जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांगे दिए गए हैं, को छोड़कर अग्रिम कर के साथ मुझे/हमें जो भी कर देने हैं उनका भुगतान कर दिया है।

(3) पिछले तीन कैलेण्डर वर्षों के दौरान आय/धन छिपाने के लिए मैंने/हमने जुर्माना/* सजा नहीं पाई है।

(4) (क) मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त घोषणा उन कम्पनियों के संबंध में भी लागू होती है जिनमें मैं/हम वास्तविक*** रुचि रखता हूं/रखते हैं अथवा उस फर्म या व्यक्तियों के समुदाय के संबंध में भी लागू होती है जिसमें मैं/हम क्रमशः साझीदार अथवा सदस्य हूं/हैं।

अथवा

(ख) उपर्युक्त घोषणा उन व्यक्तियों के संबंध में लागू होती है जो आवेदक कम्पनी अथवा आवेदक समुदाय के सदस्य अथवा आवेदक फर्म की साझेदारी में वास्तविक रुचि** रखते हैं।

हस्ताक्षर . . . .

पता . . . .

स्थायी लेखा सं. . . . .

उस आयकर अधिकारी का पदनाम

जिसके साथ कर निर्धारण किया गया है/करता है . . . .

स्थान . . . .

दिनांक . . . .

* अर्थदंड की उगाही के विरुद्ध यदि कोई अपील की गई है और यह अपील आयकर अपील सहायक आयुक्त अथवा आयकर अपील अदालत में निलम्बित पड़ी है तो ऐसे अर्थदंड का इस घोषणा में वर्णन करना आवश्यक नहीं है।

** "वास्तविक रुचि" शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 40(ए) (2) की व्याख्या में दिया गया है।

*** संलग्नों की सूची।

अनुबन्ध 16 और 17 हटा दिया गया है।

अनुबन्ध—18

तकनीकी परामर्श कम्पनियों/निर्माण कम्पनियों को तदर्थ लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र।

भाग—1

1. आवेदक का नाम और पता
2. कम्पनी किस प्रकार की है . क्या सार्वजनिक या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, साझेदारी या अविभाजित हिन्दू परिवार की कम्पनी है
3. निदेशकों, साझीदारों, मालिकों या कर्ता जैसा भी मामला हो, का नाम।
4. बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट संख्या और दिनांक (बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट मूल रूप में संलग्न किया जाए)।
5. आवेदित लाइसेंस (लाइसेंसों) का रुपयों में लागत-बीमा-भाड़ा-मूल्य।
6. (क) पिछले वित्तीय वर्ष अप्रैल-मार्च के दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा जो कि विदेशी ग्राहकों को तकनीकी परामर्श सेवाएं प्रदान करके अथवा विदेश में निर्माण कार्य करके प्राप्त की गई थी (माल के निर्यात के मद्दे अर्जित विदेशी मुद्रा को निकाल देना चाहिए, तकनीकी परामर्श सेवाओं के माध्यम से प्राप्त विदेशी मुद्रा का पूर्ण विवरण एक अलग कागज पर मदवार प्रस्तुत करना चाहिए। इस विवरण के साथ अर्जित विदेशी मुद्रा की धनराशि उस बैंक द्वारा सत्यापित की जानी चाहिए जिसके द्वारा यह धनराशि इस देश में प्राप्त की गई थी)।
6. (ख) आवेदन पत्र के अन्तर्गत आने वाले निर्यात पर विदेशी एजेंट को दी गई/देय (बाद की किसी तारीख को) कमीशन या बट्टे की राशि . . . .
7. आवेदित मदों की सूची। (सूची की पांच प्रतियां भेजें)।

घोषणा

हम घोषणा करते हैं कि :

(1) हमने चालू लाइसेंस वर्ष के दौरान किसी दूसरे आयात लाइसेंस के लिए लाइसेंस प्राधिकारी के पास न कोई आवेदन पत्र भेजा है न भविष्य में भेजेंगे।

(2) जहां तक हमारी जानकारी और विश्वास है, इस आवेदनपत्र में दिए गए विवरण सही हैं।

(3) यदि हमें लाइसेंस मिल जाता है, तो माल का उपयोग केवल हम अपने लिए ही करेंगे तथा उस माल का कोई भी अंश किसी दूसरी पार्टी को नहीं बेचा जाएगा या किसी अन्य पार्टी को उपयोग में नहीं लाने दिया जाएगा ।

हम अच्छी तरह जानते हैं कि इस आवेदन-पत्र के आधार पर जो लाइसेंस हमें दिया गया है यदि यह पाया गया कि प्रस्तुत किए गए विवरण में कोई विवरण या तथ्य गलत अथवा झूठा है तो प्रस्तुत किए गए विवरण के आधार पर हमें जारी किया गया कोई भी लाइसेंस उस अन्य जुर्माने या अन्य कार्रवाई को ध्यान में रखे बिना रद्द किया जा सकता है या अप्रभावी किया जा सकता है जो सरकार इस सम्बन्ध में मामलेकी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अधिरोपित करें।

हस्ताक्षर . . . .

नाम साफ अक्षरों में . . . .

पदनाम . . . .

निवास स्थान का पता . . . . . .

तारीख . . . .

भाग—2

(क) ऐसे व्यक्तियों के मामले में जिनकी आमदनी आयकर योग्य नहीं है

मैं/हम एतद् द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैं/हम अग्रिम कर शामिल करने पर भी आयकर देने के लिए उत्तरदायी नहीं हूं/हैं क्योंकि वर्तमान लेखा वर्ष और पिछले चार लेखा वर्षों के दौरान मेरी/हमारी आय कर न लगाने की अधिकतम सीमा से भी कम है।

(ख) आयकर देने वाले व्यक्तियों के संबंध में

मैं/हम एतद् द्वारा सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं/करते हैं कि:

(1) मैंने/हमने आज की तारीख तक अपनी/हमारी आमदनी का विवरण आयकर विभाग को भेज दिया है।

(2) मैंने/हमने आयकर अधिनियम के अन्तर्गत मांगे गए कर जो कि समर्थ प्राधिकारी द्वारा रोक दिए गए हैं, को छोड़कर अग्रिम कर के साथ मुझे/हमें जो भी कर देने हैं उनका भुगतान कर दिया है।

(3) पिछले तीन कैलेण्डर वर्षों के दौरान आय/धन छिपाने के लिए मैंने/हमने जुर्माना*/सजा नहीं पायी है।

(4) (क) मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त घोषणा उन कम्पनियों के संबंध में भी लागू होती है जिसमें मैं/हम वास्तविक रुचि** रखता हूं/रखते हैं अथवा उस फर्म या व्यक्तियों के समुदाय के संबंध में भी लागू होती है जिसमें मैं/हम क्रमशः साझीदार अथवा सदस्य हूं/हैं।

अथवा

(ख) उपर्युक्त घोषणा उन व्यक्तियों के संबंध में लागू होती है जो आवेदक कंपनी अथवा आवेदक समुदाय के सदस्य अथवा आवेदक फर्म की साझेदारी में वास्तविक रुचि** रखते हैं।

हस्ताक्षर ....

पता ....

स्थायी लेखा सं. ....

उस आयकर अधिकारी का पदनाम

जिसके साथ कर निर्धारण किया/करना है ....

स्थान . . . .

दिनांक ....

* अर्थदण्ड की उगाही के विरुद्ध यदि कोई अपील की गई है और यह अपील आयकर अपील सहायक आयुक्त अथवा आयकर अपील अदालत में निलम्बित है तो ऐसे अर्थदंड का इस घोषणा में वर्णन करना आवश्यक नहीं है।

** "वास्तविक रुचि" शब्द का अर्थ वही होगा जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40(ए) (2) की व्याख्या में दिया गया है।

संलग्नकों की सूची :—

परिशिष्ट—19

आई. बी. आर. डी./आई. डी. ए./द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं के मद्दे भारत में भेजे गए माल के संबंध में और स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा में किए गए भुगतान के मद्दे संयुक्त राष्ट्र संघ आदि को भेजे गए माल के संबंध में आवेदन-पत्र भेजने की प्रक्रिया

ऐसे मामलों में आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र सम्बद्ध क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजे जाने चाहिए।

2. आवेदन-पत्र प्राप्त किए गए भुगतान के आधार पर मासिक, त्रैमासिक अथवा अर्ध वार्षिक निर्धारित अवधि के अन्तर्गत भेजे जाने चाहिए। लेकिन, आयात प्रतिपूर्ति की गणना माल भेजने की तारीख से की जाएगी जो कि निर्यात करने की तिथि मानी जाएगी, परन्तु पंजीकृत संविदाओं के मामले में यह तिथि लागू नहीं होगी इसके लिए संबंधित परन्तुक लागू होंगे।

3. आयात आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र में भेजे जाने चाहिए। आई. बी. आर. डी./द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं के संबंध में यह आवेदन-पत्र निम्नलिखित द्वारा समर्थित होना चाहिए :—

(1) परियोजना प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए भुगतान का प्रमाणपत्र प्रपत्र-1 में,

(2) परियोजना प्राधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणित विक्रय बीजक, और

(3) इस संबंध में आवेदक द्वारा वचनबद्धता प्रपत्र 2 में।

4. जिन मामलों में परियोजना प्राधिकारी ने आंशिक रूप में भुगतान किया है, लेकिन आवेदक ने अपना आवेदन-पत्र पूर्ण-रूपेण किए गए संभरण के मद्दे भेजा है, तो लाइसेंस प्राधिकारी आवेदक के दावे पर केवल उसी सीमा तक विचार करेगा जिस सीमा तक भुगतान प्राप्त किया गया है। परियोजना प्राधिकारी के पूर्ण भुगतान करने के पश्चात्, आवेदक को प्राप्त किए गए शेष भुगतान के संबंध में परियोजना प्राधिकारी से एक और प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए जिसके आधार पर लाइसेंस प्राधिकारी आवेदक को यथा अनुमेय सम्पूरक प्रतिपूर्ति लाइसेंस जारी करेगा।

5. भारत में संयुक्त राष्ट्र संगठनों अथवा अन्य बहु-राष्ट्रीय एजेंसियों को किए गए संभरण अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता बोली के मद्दे भारत में किए गए संभरण, जिसके लिए स्वतंत्र विदेशी मुद्रा में भुगतान प्राप्त किया जाता है, के संबंध में आवेदन पत्र भुगतान प्राप्त करने के पश्चात् मासिक, त्रैमासिक अथवा अर्ध-वार्षिक के आधार पर निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत दिया जा सकता है। लेकिन, आयात प्रतिपूर्ति की गणना उस पंजीकृत संविदा को छोड़कर जिसके लिए सम्बद्ध परन्तुक लागू होगा, संभरण की तारीख को लागू दर पर की जाएगी जो कि निर्यात की तारीख मानी जाएगी। आयात आवेदनपत्र निर्धारित प्रपत्र में निम्नलिखित के साथ भेजे जाने चाहिए:—

(1) खरीददार एजेन्सी द्वारा विधिवत प्रमाणित बीजक

(2) आवेदक द्वारा इस संबंध में प्रपत्र 2 में वचनबद्धता

(3) इस संबंध में आवेदक द्वारा प्रपत्र 3 में एक घोषणा

(4) इस संबंध में प्रपत्र 4 में खरीददार एजेन्सी का प्रमाणपत्र

(5) प्रपत्र 5 में प्राप्त भुगतान के संबंध में बैंक प्रमाण पत्र

6. भारत में की गई आपूर्ति के संबंध में आयात प्रतिपूर्ति की गणना जहाज पर निशुल्क मूल्य के बजाए रेल पर निशुल्क मूल्य (समीपवर्ती रेलवे स्टेशन) के आधार पर की जाएगी।

प्रपत्र-1

परियोजना प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाने वाला भुगतान का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि नीचे वर्णित और बीजक सं. . . . . दिनांक . . . . . . में वर्णित मात्रा और मूल्य का माल हमें दिनांक, ... (संभरण की तारीख निर्दिष्ट कीजिए) को क्रय आदेश सं. . . . . दिनांक. . . . . के मद्दे संभरित किया गया है और हमने संभरकों अर्थात् सर्वश्री . . . . को . . . . रुपये (शब्दों में . . . .) की धनराशि दिनांक. . . . . भुगतान की तारीख निर्दिष्ट कीजिए) को चुका दी है जो कि संविदा के अनुसार संभरित किए गए मूल्य का . . . . प्रतिशत है। आगे यह प्रमाणित किया जाता है कि संभरण हमारे द्वारा ली जा रही परियोजना में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता बोली के मद्दे प्राप्त की गई संविदा की शर्तों के अनुसार किया गया है और यह परियोजना पूर्ण रूप से अई. बी. आर. डी./आई. डी. ए./द्विपक्षीय/बहुपक्षीय से सहायता प्राप्त है। हमने बीजक में दर्शाई गई कीमत पर निर्धारित स्थान पर माल को स्वीकार कर लिया है।

हस्ताक्षर . . . .

नाम . . . .

पदनाम . . . .

परियोजना का नाम . . . .

स्टेशन :

दिनांक

भेजे गए माल का विवरण, मात्रा और मूल्य

हस्ताक्षर . . . .

नाम . . . .

पदनाम . . . .

परियोजना का नाम . . . .

स्टेशन:

दिनांक·

(नोट—यह प्रमाणपत्र परियोजना के मुख्य कार्यकारी इंचार्ज द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए)

प्रपत्र-2

आवेदक द्वारा दिया जाने वाला वचन पत्र

हम, सर्वश्री . . . . अपने आवेदन पत्र दिनांक . . . . के संबंध में . . . . . को . . . . को भेजे गए माल . . . .

(खरीदने वाले का नाम) (माल का विवरण)

के मद्दे वचन देते हैं कि:—

(1) गारन्टी अवधि के दौरान उपस्कर के असंतोषजनक कार्य अथवा संविदात्मक समझौते के अनुसार खराब पुर्जों के प्रतिस्थापन पर यदि कभी भविष्य में हमें क्रेता अर्थात . . . . की कोई धनराशि वापस करनी पड़ेगी तो ऐसी वापसी की तारीख से एक महीने के अंदर हमें लाइसेंस प्राधिकारी को पूर्ण विवरण के साथ सूचना भेजनी होगी।

(2) हमारे द्वारा परियोजना प्राधिकारी को वापस की गई धनराशि के संबंध में अनुपातिक धनराशि हम लाइसेंस प्राधिकारी को लौटा देंगे।

हस्ताक्षर . . . .

(स्पष्ट अक्षरों में नाम) .

पदनाम . . . .

स्टेशन:

दिनांक :

प्रपत्र-3

घोषणा

हम एतद् द्वारा घोषणा करते हैं कि:—

(क) दिनांक . . . . . . के आवेदनपत्र में उल्लिखित विवरण ठीक है;

(ख) आवेदनपत्र में उल्लिखित माल हमारे द्वारा प्राप्त की गई संविदा की शर्तों के अनुसार . . . . को भेजा गया है,

(ग) इन आपूर्तियों के मद्दे भुगतान विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया गया है; और

(घ) आपूर्ति अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर की गई है।

हस्ताक्षर . . . .

(स्पष्ट अक्षरों में नाम) . . . . .

स्थान:

दिनांक.

पदनाम . . . .

आवेदक फर्म का नाम . . . . . .

प्रपत्र-4 (क)

संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा सम्बद्ध बहुराष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिए गए माल का विवरण, मात्रा और मूल्य जो कि आवेदनपत्र दिनांक. . . . . में दिया गया है, हमको भारत में हमारे सहायता कार्यक्रमों में उपयोग के लिए सर्वश्री . . . . द्वारा भेजा गया है और हमने संभरक को स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा में पूर्ण भुगतान कर दिया है। हम आगे यह भी प्रमाणित करते हैं कि यह माल अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा बल्कि हमारी वचनबद्धता के अनुसार भारत में केवल सहायता कार्यक्रमों के लिए ही उपयोग किया जाएगा। हम संतुष्ट हैं कि माल अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर भेजा गया है। माल दिनांक . . . .

. . . . (माल भेजने की तारीख) को भेजा गया था और

भुगतान दिनांक . . . . . . (भुगतान की तारीख) को किया गया था।

हस्ताक्षर . . . .

स्थान. . . . . नाम . . . .

दिनांक. . . . . पदनाम . . . .

भेजे गए माल का विवरण, मात्रा एवं मूल्य

हस्ताक्षर. . . . .

नाम. . . . .

पदनाम . . . .

स्थान :

दिनांक :

प्रपत्र 4 (ख)

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगात्मक बोली के अन्तर्गत स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा में भुगतान के लिए भारत में अभिप्राप्त संभरण के मद्दे खरीद करने वाले अभिकरण द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिए गए माल का विवरण, मात्रा और मूल्य के अनुसार और आवेदनपत्र दिनांक. . . . . में दिए गए के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगात्मक बोली के मद्दे हमको सर्वश्री . . . . के द्वारा संभरित किया गया है और हमने संभरक को स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा में पूर्ण भुगतान कर दिया है। माल दिनांक . . . . (संभरण की तिथि) को संभरित किया गया था और दिनांक . . . . (भुगतान की तारीख) को, भुगतान किया गया था।

हस्ताक्षर. . . . .

नाम. . . . .

पदनाम. . . . .

स्थान. . . . .

दिनांक . . . .

संभरित किए गए माल का विवरण, मात्रा और मूल्य

हस्ताक्षर. . . . .

नाम. . . . .

पदनाम. . . . .

स्थान. . . . .

दिनांक. . . .

प्रपत्र 5

संयुक्त राष्ट्र संघ आदि को किए गए संभरणों के संबंध में बैंकरों द्वारा भुगतान के लिए जारी किया जाने वाला प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि नीचे वर्णित मात्रा और मूल्य का माल. . . . . (संयुक्त राष्ट्र संघ आदि का नाम) को संभारित किया गया है और संभरक अर्थात्. . . . . .को उपर्युक्त माल के मद्दे. . . . . रुपए (शब्दों में . . . .) की पूर्ण धनराशि का भुगतान किया गया है। आगे यह प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान. . . . .

(संयुक्त राष्ट्र संघ आदि का नाम)

के द्वारा स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा अर्थात् (विदेशी मुद्रा की धनराशि और विदेशी मुद्रा को रुपये में बदलने के लिए अपनाए गए ओ. डी. विक्रेता दर को निर्दिष्ट करें) में किया गया है।

हस्ताक्षर. . . . .

नाम. . . . .

पदनाम. . . . .

बैंक की मोहर . . . .

स्थान. . . . .

दिनांक . . . .

भेजे गए माल का विवरण, मात्रा और मूल्य

हस्ताक्षर. . . . .

नाम. . . . .

पदनाम. . . . .

बैंक की मोहर . . . . .

स्थान . . . .

दिनांक:

परिशिष्ट 10—जारी

अनुबंध—20

"निर्यात-सदन" प्रमाण-पत्र की स्वीकृति/नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र का प्रपत्र

1. आवेदक का नाम और पता

2. वर्तमान नाम के अन्तर्गत कारोबार की स्थापना की तारीख

3. प्रतिष्ठान का स्वरूप, क्या पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट कम्पनी है, या साझीदारी या हिन्दू अविभक्त परिवार का प्रतिष्ठा है

4. जो भी हो, निदेशकों/साझीदारों/स्वामी या कर्ता का नाम

5. मुख्य कार्यालय, शाखाओं या संबद्ध कंपनियों का विवरण (नाम और स्थान)

   (1) भारत में

   (2) विदेश में

6. (1) पंजीकृत निर्यातक के रूप में पंजीकरण और प्रमाण-पत्र की संख्या और दिनांक

   (2) आवेदक व्यापारी निर्यातक है या विनिर्माता निर्यातक

   (3) यदि विनिर्माता निर्यातक है—तो क्या वह वृहत पैमाना उद्योग है या लघु पैमाना उद्योग (पंजीकरण/औद्योगिक लाइसेंस सं० और दिनांक दिया जाना चाहिए)।

7. आवेदक के बैंक का नाम और पता। आवेदक के वित्तीय स्रोतों की भी सूचना दी जाए

8. नवीकरण मामले में :—

   (क) अंतिम बार जारी किए गए निर्यात सदन प्रमाण पत्र की संख्या और दिनांक

   (ख) प्रथम बार जारी किए गए निर्यात सदन प्रमाण पत्र की संख्या और दिनांक।

9. वर्तमान निर्यात सदन प्रमाण पत्र, यदि कोई हो तो वह किस तारीख तक वैध है।

परिशिष्ट 10—जारी

1. निर्यात का विवरण

वर्ष	निर्यात की गई मद का विवरण	निर्यात उत्पादों की चुनिन्दा सूची के सम्बन्ध में अप्रैल 83—मार्च 84 अवधि की पंजीकृत निर्यातकों की नीति के विवरण के कालम 2 के अनुसार निर्यात की गई मद की क्रम संख्या	निर्यात किए गए माल के विनिर्माता का नाम और पता	कालम 4 में उल्लिखित विनिर्माता से कम्पनी सम्बंध, अर्थात क्या वह कम्पनी आपकी शाखा है या सम्बद्ध कम्पनी है या कानूनी तौर पर अलग कम्पनी है	उस देश का नाम जिस देश को निर्यात किया गया	निर्यात माल का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
1980—81						
1981—82						
1982—83						

टिप्पणी.—प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदनपत्र के साथ अलग-अलग विवरण संलग्न किए जाएं।

मैं/हम यह घोषणा करता हूं/करते है कि जहां तक मेरी/हमारी जानकारी है, इस आवेदन पत्र में दिये गये ब्यौरे और विवरण सही हैं और कोई बात छिपाई नहीं गयी है। हम यह समझते हैं कि कोई भी सूचना गलत पायी जाने पर इस संबंध में और कोई कार्रवाई किए जाने के अतिरिक्त हमारी मांग रद्द कर दी जाएगी।)

मैं/हम यह भी घोषणा करता हूं/करते है कि —

(1) इस विवरणपत्र में जिस जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के निर्यात के आधार पर निर्यात सदन प्रमाण-पत्र की या निर्यात सदन प्रमाण-पत्र के नवीकरण की मांग की है वह हमारा सीधा निर्यात है। निर्यात आदेश/संविदा, बैंक प्रमाण-पत्र और बीजक हमारे नाम पर ही थे। (यदि बीजक में आयातित माल के विनिर्माता का भी नाम दिया गया हो तो उसका उल्लेख किया जाए)।

(2) राज्य व्यापार निगम/खनिज तथा धातु निगम की सहयोगियों के रूप में हमने जिस सामान का निर्यात किया है, उसके संबंध में 1982—83 की आयात-निर्यात नीति के अध्याय 18 के पैरा 176 में निर्दिष्ट शर्तें पूरी कर दी गई हैं। इन निर्यातों पर हमने आर० ई० पी० की सभी सुविधाएं प्राप्त कर ली हैं या प्राप्त कर लेंगे जिसके लिए राज्य व्यापार निगम ने स्वत्व त्याग पत्र दे दिया है। हमारा नाम भी राज्य व्यापार निगम/खनिज तथा धातु व्यापार निगम के नाम के साथ या उसके बिना प्रलेखों अर्थात् ... ... में उल्लिखित है। इस सम्बन्ध में राज्य व्यापार निगम से प्राप्त किया गया प्रमाणपत्र संलग्न है।

(3) विवरण में दिखाए गए पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य में चुकाया गया या चुकाया जाने वाला कमीशन शामिल नहीं है।

(4) निर्यात किए जाने वाले माल का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य उस माल से सम्बन्धित है, जो विदेश के प्रेषिती ने वापस नहीं किया है।

हस्ताक्षर............................

नाम (स्पष्ट अक्षरों में).......... ....

पदनाम..................................

दिनांक

पता.....................................

परिशिष्ट 10—जारी

अनुबन्ध—20

सनदी लेखापाल का प्रमाण-पत्र

हम ....(सनदी लेखापाल का नाम और पता) यह प्रमाणित करते हैं कि हमने सर्वश्री................. .... की पुस्तकों/प्रलेखों से निर्यात के उपर्युक्त ब्यौरों की जांच कर ली है और उनका सत्यापन कर लिया है और उन्हें सही पाया है। हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि इस विवरण में उल्लिखित निर्यात सामान किन्तु उन निर्यातों को छोड़कर जो राज्य व्यापार निगम/खनिज तथा धातु व्यापार निगम की सहयोगी कम्पनी के रूप में किए गए थे, सर्वश्री....... ....के सीधे निर्यात हैं और निर्यात प्रलेख अर्थात निर्यात आदेश/संविदा बैंक प्रमाण पत्र और बीजक सर्वश्री... ....के नाम हैं। हमने इस बात का सत्यापन कर लिया है कि प्रत्येक निर्यात बीजक के साथ उचित रूप से एक क्रय वाउचर दे दिया गया है।

सनदी लेखापाल के हस्ताक्षर...................

कार्यालय की मोहर.....................

पूरा पता.............................

दिनांक : पंजीकरण संख्या........................

टिप्पणी :

1. निर्यात का विवरण निम्न प्रकार से पांच भागों में दिया जाना चाहिए :—

(i) भाग I में परिशिष्ट 22 में यथा उल्लिखित निर्यात उत्पाद की चुनिन्दा सूची में शामिल किए गए उत्पादों (लघु पैमाना उद्योग यूनिटों द्वारा विनिर्मित उत्पादों से भिन्न उत्पाद) के निर्यात का विवरण देना चाहिए।

(ii) भाग II में परिशिष्ट 22 में यथा उल्लिखित निर्यात उत्पाद की चुनिन्दा सूची में शामिल किए गए उत्पादों (लघु पैमाना उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद) के निर्यात का विवरण देना चाहिए। इस विवरण में विनिर्माता के नाम के साथ-साथ राज्य के उद्योग निदेशक द्वारा विनिर्माता को आबंटित की गई लघु पैमाना उद्योग पंजीकरण संख्या भी दी जानीचाहिए। जो विनिर्माता राज्य के उद्योग निदेशक से पंजीकृत नहीं हैं उनके मामले में निर्यात सदन को इस संबंध में अपनी निजी घोषणा देनी चाहिए कि विषयाधीन विनिर्माता लघु पैमाना उद्योग यूनिट हैं।

(iii) भाग III में, ऊपर उल्लिखित निर्यात उत्पादों की चुनिन्दा सूची में शामिल किए गए उत्पादों से भिन्न उत्पादों (लघु पैमाना उद्योग की यूनिटों द्वारा विनिर्मित उत्पाद से भिन्न उत्पाद) के निर्यात का विवरण देना चाहिए)।

(iv) भाग IV में, ऊपर उल्लिखित निर्यात उत्पादों की चुनिन्दा सूची में शामिल किए गए उत्पादों से भिन्न उत्पादों (लघु पैमाना उद्योग की यूनिटों द्वारा विनिर्मित उत्पादों) के निर्यातों का विवरण होना चाहिए। इस विवरण में विनिर्माता के नाम के साथ 2 राज्य के उद्योग निदेशक द्वारा विनिर्माता को आबंटित की गई लघु पैमाना उद्योग पंजीकरण संख्या भी देनी चाहिए। जो विनिर्माता राज्य के उद्योग निदेशक के पास पंजीकृत नहीं है उनके मामले में निर्यात सदन को इस संबंध में अपनी निजी घोषणा देनी चाहिए कि वषाधीन विनिर्माता लघु पैमाना उद्योग का यूनिट हैं।

(v) परोक्ष रूप से निर्यात किए जाने वाले सामान का विवरण, जिस में बैंक के माध्यम से वसूल की गई विदेशी मुद्रा की वास्तविक धन-राशि, जिस वर्ष में विदेशी मुद्रा वसूल की गई वह वित्तीय वर्ष और जिन सेवाओं के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा वसूल की, गई हो उनके नाम होने चाहिएं।

2. निर्यात गृह प्रमाणपत्र के नवीकरण के मामले के लिए आवेदन पत्र के आवेदक को निर्धारित आधार अवधि से पहले तीन वर्षों अर्थात् 1977-78, 1978-79 और 1979-80 वर्षों के दौरान किए गए निर्यातों के विवरण भी भेजने चाहिएं। निर्यातों का यह विवरण प्रत्येक वर्ष के लिए अलग तैयार करने की आवश्यकता नहीं। तीन वर्षों में निर्यातों का कुल मूल्य प्रदर्शित करते हुए एक समेकित विवरण भेजा जा सकता है। आवेदक को दो विवरण पत्र निम्नलिखित अनुसार तैयार करने चाहिए :—

(i) निर्यात उत्पादों की चुनिन्दा सूची में शामिल किए गए उत्पादों के सम्बन्ध में तीन वर्षों अर्थात् 1977—78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान किए गए निर्यातों के कुल जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य को प्रदर्शित करते हुए विवरण पत्र।

(ii) निर्यात उत्पादों की चुनिन्दा सूची में शामिल किए गए उत्पादों से भिन्न उत्पादों के सम्बन्ध में तीन वर्षों अर्थात् 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान किए गए निर्यातों के कुल जहाज पर्यंत निशुल्क मल्य को प्रदर्शित करते हुए एक विवरण पत्र।

(iii) विषयाधीन विवरणपत्रों में आवेदक की घोषणा और सनदी लेखापाल का प्रमाण पत्र होना चाहिए।

परिशिष्ट 10—जारी

अनुबंध—21

"व्यापार-सदन" मान्यता प्रमाण-पत्र की स्वीकृति/नवीकरण के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र

1. आवेदक का नाम और पता

2. वर्तमान नाम के अन्तर्गत कारोबार की स्थापना की तारीख

3. प्रतिष्ठान का स्वरूप, क्या पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है या साझीदारी या हिन्दू अविभक्त परिवार का प्रतिष्ठान है

4. जो भी हो, निदेशकों/साझीदारों/स्वामी या कर्ता का नाम

5. मुख्य कार्यालय, शाखाओं या सहयोगी कम्पनियों का विवरण (नाम और स्थान)
   (1) भारत में
   (2) विदेश में

6. (1) जारी किए गए अन्तिम निर्यात सदन प्रमाण पत्र की संख्या और दिनांक और वह तारीख जिस तक वैध है :—
   (2) प्रथम बार जारी किए गए निर्यात सदन प्रमाण पत्र की संख्या और दिनांक

7. (1) क्या व्यापारी निर्यातक या विनिर्माता निर्यातक है
   (2) यदि विनिर्माता निर्यातक है तो क्या वह वृहत पैमाना उद्योग है या लघु पैमाना उद्योग (पंजीकरण/औद्योगिक लाइसेंस की संख्या और दिनांक)

8. आवेदक के बैंक का नाम और पता, आवेदक के वित्तीय स्रोतों की भी सूचना दी जाए।

9. नवीकरण के मामले में :—
   (क) अन्तिम बार जारी किए गए व्यापार-सदन मान्यता प्रमाण-पत्र की संख्या और दिनांक
   (ख) प्रथम बार जारी किए गए व्यापार-सदन मान्यता प्रमाण-पत्र की संख्या और दिनांक

10. व्यापार-सदन मान्यता प्रमाण पत्र, यदि कोई हो तो, वह किस तारीख तक वैध है।

परिशिष्ट 10—जारी

11. निर्यातों का विवरण

वर्ष	निर्यात की गई मद का विवरण	निर्यात उत्पादों की चुनिन्दा सूची के सम्बन्ध में अप्रैल 83—मार्च 84 के लिए पंजीकृत निर्यातकों की नीति के विवरण पत्र के कालम 2 के अनुसार निर्यात की गई मद की क्रम संख्या	निर्यात किए गए माल के विनिर्माता का नाम और पता	कालम 4 में उल्लिखित विनिर्माता कम्पनी से सम्बन्ध, अर्थात क्या वह कम्पनी आप की शाखा है या सम्बद्ध कम्पनी आदि है या कानूनी तौर पर अलग अस्तित्व वाली कम्पनी है।	उस देश का नाम जिस देश को निर्यात किया गया।	निर्यातित माल का पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
1980—81						
1981—82						
1982—83						

टिप्पणी : प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदन-पत्र के साथ अलग-अलग विवरण संलग्न किए जाएं।

मैं/हम यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि जहां तक मेरी/हमारी जानकारी है, इस आवेदन-पत्र में दिये गये ब्यौरे और विवरण सही हैं और कोई बात छिपाई नहीं गयी है। हम यह समझते हैं कि कोई भी सूचना गलत पाई जाने पर इस सम्बन्ध में और कोई कार्रवाई किए जाने के अतिरिक्त हमारी मांग रद्द कर दी जाएगी।

मैं/हम यह भी घोषणा करता हूं/करते हैं कि :—

(1) इस विवरण-पत्र में जिस जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के निर्यात के आधार पर निर्यात-सदन प्रमाण-पत्र की या निर्यात-सदन प्रमाण-पत्र के नवीकरण की मांग की गई है वे हमारे सीधे निर्यात है। निर्यात आदेश/संविदा, बैंक प्रमाण पत्र और बीजक हमारे नाम में ही थे। (यदि बीजक में आयातित माल के विनिर्माता का नाम भी दिया गया हो, तो उसका संकेत किया जाए)।

(2) राज्य व्यापार निगम/खनिज तथा धातु व्यापार निगम के सहयोगी के रूप में हमने जिस सामान का निर्यात किया है, उसके सम्बन्ध में 1983—84 की आयात-निर्यात नीति के अध्याय 18 के पैरा के पैरा 176 में निर्दिष्ट शर्तें पूरी कर दी गई हैं। इन निर्यातों पर हमने आई० ई० पी० की सभी सुविधाएँ प्राप्त कर ली हैं या प्राप्त कर लेंगे जिनके लिए राज्य व्यापार निगम ने खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने दावा छोड़ दिया है। हमारा नाम भी राज्य व्यापार निगम/खनिज तथा धातु व्यापार निगम के नाम साथ या उसके बिना प्रलेखों अर्थात् .... में उल्लिखित हैं। इस सम्बन्ध में राज्य व्यापार निगम/खनिज तथा धातु व्यापार निगम से प्राप्त किया गया प्रमाण-पत्र संलग्न है।

(3) विवरण में दिखाए गये पोत-पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य में चुकाया गया या चुकाया जाने वाला कमीशन शामिल नहीं है।

(4) निर्यात किए जाने वाले माल का पोत-पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य उस माल से सम्बन्धित है, जो विदेश के प्रेषिती ने वापस नहीं किया है।

हस्ताक्षर.........................

नाम (स्पष्ट अक्षरों में)...............

पदनाम.........................

दिनांक

पता.........................

परिशिष्ट 10--जारी

सनदी लेखापाल का प्रमाण पत्र

हम.............................(सनदी लेखापाल का नाम और पता) यह प्रमाणित करते हैं कि हमने सर्वश्री............... की पुस्तकों/प्रलेखों से निर्यात के उपर्युक्त ब्यौरों की जांच कर ली है और उनका सत्यापन कर लिया है और उन्हें सही पाया है। हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि इस विवरण में उल्लिखित निर्यात सामान किन्तु उन निर्यातों को छोड़कर जो राज्य व्यापार निगम की सहयोगी कम्पनी के रूप में किए गए थे सर्वश्री.. के सीधे निर्यात हैं और निर्यात प्रलेख अर्थात् निर्यात आदेश/संविदा और बैंक प्रमाण-पत्र साख-पत्र और बीजक सर्वश्री......................* नाम में थे। हमने इस बात का सत्यापन कर लिया है कि प्रत्येक निर्यात बीजक के साथ उचित रूप से एक क्रय वाउचर दे दिया गया है।

सनदी लेखापाल के हस्ताक्षर............

कार्यालय की मोहर.................

पूरा पता.........................

दिनांक : पंजीकरण संख्या..................

टिप्पणी :

1. निर्यात का विवरण निम्न प्रकार से पांच भागों में दिया जाना चाहिए :—

(i) भाग I में परिशिष्ट 22 में यथा उल्लिखित निर्यात उत्पाद की चुनिन्दा सूची में शामिल किए गए उत्पादों (लघु पैमाना उद्योग यूनिटों द्वारा विनिर्मित उत्पादों से भिन्न उत्पाद) के निर्यात का विवरण देना चाहिए।

(ii) भाग II में परिशिष्ट 22 में यथा उल्लिखित निर्यात उत्पाद की चुनिन्दा सूची में शामिल किए गए उत्पादों) लघु पैमाना उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद) के निर्यात का विवरण देना चाहिए। इस विवरण में विनिर्माता के नाम के साथ-साथ, राज्य के उद्योग निदेशक द्वारा विनिर्माता को आबंटित की गई लघु-पैमाना उद्योग पंजीकरण संख्या भी दी जानी चाहिए। जो विनिर्माता राज्य के उद्योग निदेशक से पंजीकृत नहीं हैं उनके मामले में निर्यात सदन को इस सम्बन्ध में अपनी निजी घोषणा देनी चाहिए कि विचाराधीन विनिर्माता लघु पैमाना उद्योग यूनिट हैं।

(iii) भाग III में, ऊपर उल्लिखित निर्यात उत्पादों की चुनिन्दा सूची में शामिल किए गए उत्पादों से भिन्न उत्पादों (लघु पैमाना उद्योग की यूनिटों द्वारा विनिर्मित उत्पाद से भिन्न उत्पाद) के निर्यात का विवरण देना चाहिए।

(iv) भाग IV में, ऊपर उल्लिखित निर्यात उत्पादों की चुनिन्दा सूची में शामिल किए गए उत्पादों से भिन्न उत्पादों (लघु पैमाना उद्योग की यूनिटों द्वारा विनिर्मित उत्पादों) के निर्यातों का विवरण होना चाहिए। इस विवरण में विनिर्माता के नाम के साथ-साथ राज्य के उद्योग निदेशक द्वारा विनिर्माता को आबंटित की गई लघु-पैमाना उद्योग पंजीकरण संख्या भी देनी चाहिए। जो विनिर्माता राज्य के उद्योग निदेशक के पास पंजीकृत नहीं हैं, उनके मामले में निर्यात सदन को इस सम्बन्ध में अपनी निजी घोषणा देनी चाहिए कि विचाराधीन विनिर्माता लघु-पैमाना उद्योग का यूनिट है।

(v) परोक्ष रूप से निर्यात किए जाने वाले सामान का विवरण, जिसमें बैंक के माध्यम से वसूल की गई विदेशी मुद्रा की वास्तविक धनराशि जिस वर्ष में विदेशी मुद्रा वसूल की गई थी वह वित्तीय वर्ष और जिन सेवाओं के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा वसूल की गई हो उनके नाम होने चाहिएं।

परिशिष्ट—10 (जारी)

अनुबन्ध—22

अतिरिक्त लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र का पत्र

1. आवेदक का नाम और पता........................

2. पार्टी किस तरह की है, क्या सार्वजनिक कम्पनी अथवा निजी कम्पनी, साझेदारी अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार है............

3. निदेशक, साझेदार, स्वामी अथवा कर्ता जैसा भी मामला हो, का नाम....................................

4. मुख्यालय/शाखाओं अथवा सहयोगी कम्पनियों का विवरण (नाम तथा पता)....................................
....

(क) भारत में......................................

(ख) विदेश में......................................

5. पंजीकरण प्रमाण पत्र की संख्या और दिनांक (पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी है)........................

6. निर्यात सदन प्रमाण पत्र की संख्या तथा दिनांक और यह किस तिथि तक वैध है ....

7. 1982—83 में "चुनिन्दा" उत्पादों के निर्यात का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य :

(क) लघु उद्योग एककों द्वारा विनिर्मित चुनिन्दा उत्पादों का निर्यात ....रुपए

(ख) अन्य एककों द्वारा विनिर्मित चुनिन्दा उत्पादों के अन्य निर्यात ....रुपए

(सनदी लेखापाल का प्रमाण पत्र संलग्न कीजिए)।

8. आवेदित लाइसेंस का मूल्य (जहाज पर्यन्त निःशुल्क)

9. आवेदन पत्र के संलग्नकों का पूर्ण विवरण

वचन घोषणा

मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण जहां तक मेरी/हमारी जानकारी है, ठीक हैं। मैं/हम पूर्णरूप से जानता हूं/जानते हैं कि प्रस्तुत विवरण के आधार पर मुझको/हमको जो लाइसेंस प्रदान किया गया है यदि उस विवरण में दिया गया कोई भी तथ्य गलत या झूठा पाया गया तो मामले की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस सम्बन्ध में जो अन्य दण्ड देगी या अन्य कोई कार्रवाई करेगी उसके अतिरिक्त लाइसेंस रद्द किया सकता है, या अप्रभावी किया जा सकता है।

स्थान.............................. साफ-साफ अक्षरों में नाम ....
....

दिनांक.............................. पदनाम ....

घर का पता....................................
....

टिप्पणियां :— निर्यातों का विवरण-पत्र उसी रूप में होना चाहिये जैसा कि परिशिष्ट 10 में है।

(2) निर्यातकों का विवरण निम्नलिखित अनुसार दो भागों में दिया जाना चाहिये :—

(1) भाग 1 में आयात-निर्यात नीति 1983-84 (जिल्द 1) के परिशिष्ट 22 में शामिल लघु पैमाना उद्योग एककों द्वारा विनिर्मित उत्पादों का निर्यात दिया जाना चाहिये। इस विवरण में विनिर्माता के नाम के साथ उद्योग के राज्य निदेशक द्वारा विनिर्माता को आबंटित लघु पैमाना उद्योग पंजीकरण संख्या दी जानी चाहिये। (ऐसे विनिर्माताओं के मामले में जो उद्योग के राज्य निदेशक के पास पंजीकृत नहीं हैं, निर्यात सदन/व्यापार सदन को अपना घोषणापत्र भेजना चाहिये कि विचाराधीन विनिर्माता लघु पैमाना उद्योग एकक है) कंडिका 186(4) में विशिष्टकृत निर्यात उत्पादों के मामले में यदि निर्यात सदन/व्यापार सदन विनिर्माताओं के नाम देने में असमर्थ है तो, एक घोषणा प्रस्तुत की जानी चाहिए कि निर्यात किया गया माल लघु पैमाना उद्योग/कुटीर एककों द्वारा विनिर्मित किया गया था।

(2) भाग 2 में आयात-निर्यात नीति 1983-84 (जिल्द-1) के परिशिष्ट 22 में शामिल किए गए अन्य निर्यात उत्पादों का विवरण देना चाहिए।

(3) आयात-निर्यात नीति 1983—84 के परिशिष्ट 17 में 50 प्रतिशत से अधिक आयात प्रतिपूर्ति दर वाले उत्पादों के निर्यात इस विवरण में शामिल नहीं किये जाएंगे।

(4) सनदी लेखापाल का प्रमाण-पत्र उसी रूप में होना चाहिये जैसा कि परिशिष्ट 10, अनुबंध-21 में दिया गया है। इसके अतिरिक्त सनदी लेखापाल को यह प्रमाणित करना चाहिये कि उन्होंने यह सत्यापित कर लिया है कि आयात नीति 1983—84 के परिशिष्ट 17 में दी गई 50 प्रतिशत से अधिक आयात प्रतिपूर्ति दर वाले उत्पादों के निर्यात इस विवरण में शामिल नहीं किए गए हैं।

परिशिष्ट-11

वास्तविक उपयोक्ताओं के लिए प्रपत्र

प्रपत्र-क

[प्रारम्भिक/आटोमेटिक/सम्पूरक लाइसेंसों के लिए सभी वास्तविक उपयोक्ताओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कच्चे माल/संघटकों/उपभोज्यों और फालतू पुर्जों (पूंजीगत माल से भिन्न) के आयात के लिए आवेदनपत्र]

लाइसेन्स अवधि

भाग-1

1. नाम और पता
2. फैक्ट्री/यूनिट का पता
3. (क) प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा दी गई पंजीकरण संख्या अथवा औद्योगिक लाइसेंस की संख्या और दिनांक
   (ख) इकाई स्थापना की तिथि
4. (क) विनिर्मित माल का ब्यौरा
   (ख) यदि कोई हो, तो उत्पाद शुल्क को घटा कर पूर्व वित्तीय वर्षों में उत्पादों का किताबी मूल्य (अर्थात् कारखाने में उत्पाद का मूल्य)
5. आवेदन किए गए लाइसेंस का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य
   (क) लोहा एवं इस्पात मदें रुपये.....
   (ख) अन्य मदें रुपये.....
   (ग) फालतू पुर्जे (ओ. जी. एल. से भिन्न) रुपये.....
   (घ) वैज्ञानिक और मापतोल के उपकरण
6. आवेदन के साथ मूल रूप में संलग्न की जाने वाली, जैसा भी मामला हो, बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट की संख्या और दिनांक
7. मशीनरी और उपस्कर पर खर्च की गई पूंजी :—
   (क) आयातित मशीनरी (लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य)
   (ख) आयातित संघटकों (क्रयमूल्य) वाली देशी मशीनरी
   (ग) अन्य देशी मशीनरी (क्रय मूल्य)
8. गत लाइसेंस अवधि के लिए जारी किए गए आयात लाइसेंसों (आटोमेटिक और संपूरक) की संख्या एवं मूल्य
9. सम्पूरक लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र के सम्बन्ध में निम्नलिखित भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए :—
   (1) आवेदित कच्चे माल और संघटकों के लिए आटोमेटिक लाइसेंस की संख्या, दिनांक और लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य जिस के लिए उसी अवधि में आवेदन किया गया है।
   (2) आवेदन की तारीख को आयातित कच्चे माल और संघटकों का उसके पास का स्टाक।
   (3) गत नीतियों के अन्तर्गत जारी किए गए आयात लाइसेंस के मद्दे पाइप लाइन में आयातित कच्चे माल और संघटकों का मूल्य और मात्रा में स्टाक।
   (4) उत्पादन कार्यक्रम/अनुमोदित चरण बद्ध कार्यक्रम/निर्धारित क्षमता।
   (5) लाइसेंस क्षमता/पंजीकरण के अन्तर्गत आने वाली क्षमता।
   (6) आयात के लिए आवेदित मदों का ब्यौरा, प्रत्येक मद, अपेक्षित मात्रा, लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य, क्रम सं. और परिशिष्ट सं. जिसके अन्तर्गत वर्तमान आयात नीति के अधीन मद आती है। (निषेध और प्रतिबंधित मदों के लिए अलग सूचियां प्रस्तुत की जानी हैं)।
   (7) आयात का देश
   (8) उसके पास के अप्रयुक्त लाइसेंसों का ब्यौरा, किन्तु क्रम सं. 9 (3) के अन्तर्गत पाइपलाइन की सामग्री को छोड़कर।
   (9) प्रस्तावित सामग्री की उपयोगिता और चालू लाइसेंस अवधि के लिए आटोमेटिक लाइसेंसों का ब्यौरा जैसा कि उपर्युक्त 9 (2), 9(3), 9(8) में दिया गया है।
   (10) अनुपूरक लाइसेंसों का दावा करने के लिये पूर्ण औचित्य। यदि आवेदन आदेश बुक किए गए के आधार पर किया गया है तो उपर्युक्त कालम 9(6) के अधीन विभिन्न मदों की आदेशवार आवश्यकताओं के साथ प्राप्त किए गए आदेशों का ब्यौरा दर्शाया जाना चाहिए।
   (11) कृपया लोहा एवं इस्पात मदों के मामलों में अनुपूरक लाइसेंसों के अधीन आयात किए जाने वाले प्रस्तावित कच्चे माल के सम्भरण के लिए स्वदेशी निर्माताओं को पूछताछ के लिए भेजी गई साक्ष्यांकित प्रतियां या फोटोस्टेट प्रतियां और उनके लिए प्राप्त उत्तर संलग्न करें।
10. (क) प्रतिष्ठान किस प्रकार का है क्या वह सार्वजनिक कम्पनी या प्राइवेट कम्पनी, साझेदारी या हिन्दू अविभाजित परिवार प्रतिष्ठान है।
   (ख) जैसा भी मामला हो, निदेशकों, साझेदार, स्वामी या कर्ता के नाम
   (ग) शाखाओं या सम्बद्ध कम्पनियों का विवरण (नाम और स्थान)
   (1) भारत में
   (2) विदेश में
11. क्या आप कोई सहायक लाइसेंस जारी कराना चाहते हैं, यदि हां, तो सहायक लाइसेंसों की संख्या और उनका मूल्य बताएं।
12. क्या आप वास्तव में अनुमोदित चरणवार विनिर्माण कार्यक्रम का पालन कर रहे हैं।
13. क्या औद्योगिक लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण-पत्र अब भी वैध है ?

भाग-2

आयकर घोषणा प्रपत्र

(क) ऐसे व्यक्तियों के मामले में जिनकी आय कर देने योग्य नहीं है

मैं/हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैं/हम अग्रिम कर शामिल करने पर भी आयकर देने के लिए उत्तरदायी नहीं हूं/हैं क्योंकि वर्तमान लेखा वर्ष और पिछले चार लेखा वर्षों के दौरान मेरी/हमारी आय कर न लगाने की अधिकतम सीमा से भी कम है।

(ख) आयकर देने वाले व्यक्तियों के मामले में

मैं/हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं/करते हैं कि :

(1) मैंने/हमने आज की तारीख तक अपनी आमदनी का विवरण आयकर विभाग को भेज दिया है।

(2) उस कर मांग को छोड़कर जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा रोक दी गई है मैंने/हमने आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अग्रिम कर के साथ मुझे/हमें जो भी कर देने हैं उन सबके भुगतान कर दिए हैं

(3) पिछले तीन कैलेण्डर वर्षों के दौरान आय/धन छिपाने के लिए मैंने/हमने जुर्माना/सजा* नहीं पाई है।

(4) (क) मैं/हम एतद् द्वारा सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त घोषणा उन कम्पनियों के संबंध में भी लागू होती है जिसमें मैं/हम वास्तविक रुचि** रखता हूं/रखते हैं अथवा उस फर्म या व्यक्तियों के समुदाय के संबंध में लागू होती है जिसमें मैं/हम क्रमशः साझेदार अथवा सदस्य हूं/हैं;

अथवा

(ख) उपर्युक्त घोषणा उन व्यक्तियों के संबंध में लागू होती है जो आवेदक कंपनी अथवा आवेदक समुदाय के सदस्य अथवा आवेदक फर्म की साझेदारी में वास्तविक रुचि** रखते हैं।

हस्ताक्षर . . . .

पता . . . .

स्थायी लेखा सं. . . . . . .

उस आयकर अधिकारी का पदनाम
जिसके साथ कर निर्धारण किया गया है/ करता है. . . .

स्थान. . . . .

दिनांक . . . .

* यदि कोई अपील जुर्माना वसूल करने के लिए दाखिल की गई है और वह अपील आयकर के सहायक अपील आयुक्त या आयकर अपील आयुक्त या आयकर अपील प्राधिकारी के पास अनिर्णीत पड़ी है तो इस घोषणा के प्रयोजनार्थ ऐसे जुर्माने को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है।

**शब्द "वास्तविक रुचि" का अर्थ वही होगा जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 40 (ए) (2) में बताया गया है।

भाग 3

आयातित कच्चे माल, संघटकों और उपभोज्य सामग्री की खपत को दर्शाने वाला विवरणपत्र

1. एकक का नाम और पता

2. विनिर्मित अंतिम उत्पाद

3. 1981-82 अथवा 1982-83 अवधि के दौरान आयातित कच्चे माल, संघटकों और उपभोज्य सामग्री की खपत और निम्नलिखित के संबंध में लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य :—

(1) 1983-84 के लिए आयात-निर्यात नीति पुस्तक के परिशिष्ट 7 में उल्लिखित लोहे और इस्पात की मदें

रुपए-- - - - - -- - - - -

(2) 1983-84 के लिए आयात-निर्यात नीति पुस्तक के परिशिष्ट 5 में शामिल अन्य कच्चे माल, संघटक, और उपभोज्य सामग्री

रुपए . . . . .

(3) पूर्वोक्त मद संख्या 3 के सामने दर्शाई गई खपत की अवधि के दौरान तैयार किए गए उत्पाद का किताबी मूल्य

रुपए . . . . .

4. खपत के कुल लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य का अलग-अलग ब्यौरा:—

(1) आवेदक के स्वयं के वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंस के मददे आयातित

रुपए. . . . .

(2) खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत आवेदक द्वारा आयातित (वे मदें जो कि पहले खुले सामान्य लाइसेंस में थी लेकिन 1983-84 में परिशिष्ट-5 और 7 में दी गई हैं)

रुपए . . . .

(3) अन्य प्राधिकृत स्रोतों से आवेदक द्वारा अधिप्राप्ति

रुपए . . . .

5. मशीनरी और उपस्कर पर लगाई गई पूंजी

(क) आयातित मशीनरी (लागत-बीमा-भाड़ा)

(ख) आयातित संघटकों वाली देशी मशीनरी

क्रय मूल्य रु. . . . . . .

(ग) अन्य देशी मशीनरी

क्रय मूल्य रु. . . . . . .

घोषणा

(1) मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर दर्शाए गए कच्चे माल/संघटकों और उपभोज्य का उपभोग केवल उन मदों के संबंध में है जो कि हमारे अपने लाइसेंसों के मद्दे आयात की गई है और/अथवा अन्य प्राधिकृत स्रोतों से प्राप्त की गई है। मैंने/हमने कार्य के आधार पर अन्तर्वर्ती संसाधन के लिए अन्य एककों से प्राप्त आयातित कच्चे माल/संघटकों/उपभोज्य के मूल्य को खपत में शामिल नहीं किया है। मैंने/हमने भेषज तथा प्रसाधन अधिनियम, 1940 के अधीन ऋण लाइसेंसधारियों की ओर से विनिर्माण के लिए खपत में आयातित माल के मूल्य मेरे/हमारे द्वारा उपयोग किए गए आयातित कच्चे माल/उपभोज्यों के मूल्य को भी खपत में शामिल नहीं किया गया है।

(2) मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि इस विवरण में दी गई सूचना सही है। मैं/हम अच्छी तरह समझता हूं/समझते हैं कि यदि प्रस्तुत की गई सूचना का कोई भाग गलत, झूठा या भ्रमात्मक पाया गया तो इस सूचना के आधार पर जारी किया गया लाइसेंस उस अन्य की गई कार्रवाई के अतिरिक्त रद्द कर दिया जाएगा, जो इस संबंध में की जा सकती है।

(3) मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने 1981-82 और 1982-83 दोनों लाइसेंस अवधियों के लिए कच्चे माल, संघटकों और उपभोज्य सामग्री के लिए वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंस प्राप्त किया था/और मेरा/हमारा मामला/मामले आयात नीति 1983-84 के अध्याय 6 की कंडिका 44 के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

4. मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने 1982-83 और 1983-84 की अवधियों के दौरान आटोमैटिक और अनुपूरक दोनों लाइसेंस प्राप्त किए थे और 1983-84 के लिए आटोमैटिक लाइसेंस के मद्दे जितना हम प्राप्त कर सकते हैं हमारी आयातित निवेश उससे अधिक होगा, किन्तु हम 1983-84 के लिए अनुपूरक लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं करेंगे यदि हमें 1983-84 की आयात-निर्यात नीति की कंडिका 32(1)(ख) के अनुसार वास्तविक खपत से 20% अधिक लागत-बीमा-भाड़े मूल्य के लिए 1983-84 के लिए आटोमैटिक लाइसेन्स प्रदान कर दिया जाता है।

5. मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि हमारे निर्यात निष्पादन का स्तर 1983-84 के लिए आयात-निर्यात-नीति की उप-कंडिका 30(ग) के अधीन आता है और हम ने मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली से निर्यात निष्पादन प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है जिस की एक प्रति संलग्न की जाती है।

(यदि लागू न हो तो घोषणा (4) और/या (5) को काट दें)

आवेदक के हस्ताक्षर. . . . .
पद नाम. . . . .
पूरा पता . . . .

दिनांक:

सनदी लेखापाल/लागत लेखापाल/कम्पनी सचिव अथवा प्रायोजक प्राधिकारी से प्रमाणपत्र

मैंने/हमने यह सत्यापन कर लिया है कि आवेदक एकक ने डी.जी.टी.डी., इलैक्ट्रोनिक्स विभाग, वस्त्र आयुक्त अथवा अन्य सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारियों को 1982-83 वर्ष के लिए अपने उत्पादन की विवरणिका और उसी वर्ष के लिए अन्य निर्धारित विवरणिका/विवरणपत्र जो कि आयात और निर्यात नियंत्रण नियमावली, औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, वस्त्र नियंत्रण आदेश आदि के परन्तुकों के अन्तर्गत भेजने चाहिए थे, विधिवत् भेज दिए हैं।

2. मैं/हम एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि विवरणपत्र में यथाप्रमाणित खपत को सर्वश्री. . . . . द्वारा रखे गए बही-खाते से सत्यापित किया गया है और वह सही है। मैंने/हमने उन किताबों पर जिनसे इस सूचना की जांच पड़ताल की गई है अपने/हमारे कार्यालय की मोहर लगा दी है और हस्ताक्षर कर दिए हैं।

3. मैं/हम यह भी प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि आवेदक एकक आयात-निर्यात क्रियाविधि हैन्ड बुक, 1982-83 में दर्शाए गए निर्धारित प्रपत्र में उपयोग का उचित लेखा रखता रहा है।

4. मैं आवेदक फर्म अथवा इसकी सहयोगी फर्म का साझीदार, निदेशक अथवा कर्मचारी नहीं हूं।

5. मुझे कम्पनी या प्रबंध के निदेशक मंडल जैसा भी मामला हो, द्वारा इस प्रयोजन के लिए विधिवत नियुक्त किया गया है।

(सनदी/लागत लेखापाल के मामले में)

सनदी लेखापाल/लागत लेखापाल/कम्पनी सचिव या प्रायोजक प्राधिकारी के

हस्ताक्षर और मोहर . . . .
. . . .
प्रायोजक प्राधिकारी का नाम. . . .
. . . .
हस्ताक्षरकर्ता का पता . . . . . .
. . . .
पूरा पता . . . .
सदस्यता सं. . . . .
दिनांक . . . .
सील . . . .

टिप्पणी:—(1) विवरण के सभी पृष्ठ सनदी लेखापाल/लागत लेखापाल/कम्पनी सचिव प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए और उन पर मोहर लगी हुई होनी चाहिए।

2. प्राधिकृत स्रोतों से प्राप्त आयातित माल के सम्बन्ध में (उनको छोड़ कर जो आवेदक को जारी किए लाइसेंसों के मद्दे सीधे ही आयात किए गए हों) विवरण के कालम 3 के सामने दिया जाने वाला लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य सनदी लेखापाल/लागत लेखापाल/कम्पनी सचिव प्रायोजक प्राधिकारी के अपने सर्वोत्तम निर्णय द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

3. आवेदक को 1982-83 के दौरान खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयातित कच्चे माल, संघटकों और पुर्जों के साथ लागत-बीमा-भाड़ा का संकेत करते हुए एक विवरण भी विधिवत् हस्ताक्षरित दो प्रतियों में लगाना चाहिए।

4. इसे ध्यान में रखना चाहिए कि विवरण में शामिल की गई सूचना यदि गलत पाई गई तो आवेदक और प्रमाणित करने वाले प्रधिकारी के विपरीत कानून के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

घोषणा

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि आवेदन पत्र में मेरे/हमारे द्वारा दिया गया विवरण मेरी/हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। मैं/हम अच्छी तरह समझते हैं कि यदि यह पाया गया कि प्रस्तुत किए गए विवरणपत्र में कोई विवरण या तथ्य गलत या झूठा है तो प्रस्तुत किए गए विवरणपत्र के आधार पर मुझे/हमें जारी किया गया कोई भी लाइसेंस उस अन्य जुर्माने या अन्य कार्रवाई को ध्यान में रखे बिना रद्द किया जा सकता है या अप्रभावी किया जा सकता है जो सरकार मामले की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अधिरोपित करे।

(पूरे नाम के साथ हस्ताक्षर)
पदनाम. . . . .
संबंध . . . .
पूरा पता . . . .

स्थान . . . .
दिनांक:

टिप्पणियां

1. प्रस्तावित एककों और सार्वजनिक क्षेत्र के विभाग द्वारा चलाए गए एककों को खपत प्रमाणपत्र भरने की आवश्यकता नहीं है।

2. खपत विवरण का प्रत्येक पृष्ठ सनदी लेखापाल/प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और उसकी मोहर लगी होनी चाहिए।

3. खपत प्रमाणपत्र के कालम 3 में खपत वित्तीय वर्ष अर्थात् वर्ष के 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के संबंध में होनी चाहिए।

4. (क) *आयकर घोषणा के उद्देश्य के लिए यदि जुर्माना अदा करने के विरुद्ध कोई अपील की गई है और यह अपील आयकर के अपील सहायक आयुक्त अथवा आयकर अपील ट्रिब्यूनल के पास निलंबित है तो ऐसा जुर्माना इस घोषणा में शामिल नहीं किया जाएगा।

(ख) **"वास्तविक रुचि" शब्द का अर्थ वही होगा जोकि आयकर अधिनियम, 1961 के खंड 40 (क) (2) में वर्णन किया गया है।

5. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में, यह विवरण उपक्रम के अन्तर लेखा-परीक्षक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

1. आवेदनपत्र की चार प्रतियां होनी चाहिए।
2. आवेदनपत्र की फीस के लिए मूल बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट संलग्न किया जाना है।
3. खपत प्रमाण-पत्र सनदी/लागत लेखापाल द्वारा चार प्रतियों में विधिवत प्रमाणित होना चाहिए।
4. आयात की जाने वाली मदों की सूची की सात प्रतियां (आटोमेटिक लाइसेंसों के अतिरिक्त) एक प्रति प्रायोजक अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।
5. औद्योगिक लाइसेंस/पंजीकरण/प्रमाणपत्र/भेषज विनिर्माण लाइसेंस
6. नीति के अनुसार अपेक्षित अन्य कोई दस्तावेज

प्रपत्र (ख)

महानिदेशक, संभरण व निपटान/रेलवे/रक्षा संविदाओं के लिए आवेदनपत्र

1. आवेदक का नाम
   (1) पूरा डाक का पता
   (2) राज्य का नाम
2. आवश्यक शुल्क का भुगतान दर्शाने वाली बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट की संख्या एवं दिनांक (मूल बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना है)।
3. वह लाइसेंस अवधि जिसके संबंध में आवेदनपत्र दिया गया है।
4. आयात किए जाने वाले माल का विवरण।
5. आयात किए जाने वाले माल का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य रुपए में।
6. पोत लदान का देश।
7. जहां पोत लदान उस देश से होता है जो कि माल के उद्गम देश से भिन्न है, उसके कारणों का पूर्ण विवरण देना चाहिए।
8. भेजी जाने वाली सामान्य सूचना :—
   (क) भारत में व्यापार स्थापना की तारीख
   (ख) पार्टी का स्वरूप क्या है क्या वह सार्वजनिक निजी अथवा साझीदार अथवा स्वामित्व हिन्दू अविभाजित परिवार है।
   (ग) उनमें जो भी हैं संचालकों, साझीदारों, स्वामियों या कर्ताओं के नाम
   (घ) शाखाओं अथवा संबंधित कम्पनियों (नाम और स्थिति) के नाम :—
      (1) भारत में
      (2) विदेश में

9. आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों का पूर्ण विवरण (दस्तावेजों की प्रत्येक प्रति आवेदक द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में लिखी होनी चाहिए और नीचे हस्ताक्षर होने चाहिए)

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त विवरण सत्य और सही है। मैं/हम अच्छी तरह समझता हूं/समझते हैं कि यदि यह पाया गया कि विवरणपत्र में दिया गया कोई तथ्य गलत या झूठा है तो मामले की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में सरकार द्वारा जो दंड दिया जाएगा उसके अतिरिक्त प्रस्तुत किए गए विवरण के आधार पर मुझको/हमको जारी किया गया कोई भी लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

हस्ताक्षर . . . .
साफ अक्षरों में नाम . . . .
पदनाम . . . .
निवास स्थान का पता . . . . . .
. . . .

दिनांक :

भाग 2

आयकर घोषणा प्रपत्र

(क) ऐसे व्यक्तियों के मामले में जिनकी आय कर देने योग्य नहीं है

मैं/हम एतद् द्वारा सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैं/हम अग्रिम कर शामिल करने पर भी आयकर देने के लिए उत्तरदायी नहीं हूं/हैं क्योंकि वर्तमान लेखा वर्ष और पिछले चार लेखा वर्षों के दौरान मेरी/हमारी आय कर न लगाने की अधिकतम सीमा से भी कम है।

(ख) आयकर देने वाले व्यक्तियों के मामले में

मैं/हम एतद् द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं/करते हैं कि :—

(1) मैंने/हमने आज की तारीख तक मेरे/हमारे ऊपर की बकाया विवरणियां आयकर विभाग को भेज दी है।

(2) मैंने/हमने आयकर अधिनियम के अन्तर्गत मांगे गए ऐसे कर जो कि समर्थ प्राधिकारी द्वारा रोक दिए गए हैं, को छोड़कर अग्रिमकर के साथ मुझे/हमें जो भी कर देने हैं, उनके भुगतान कर दिए हैं।

(3) पिछले तीन कलेंडर वर्षों के दौरान आय/धन छिपाने के लिए मैंने/हमने जुर्माना*/सजा नहीं पाई है।

(4) (क) मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त घोषणा उन कम्पनियों के संबंध में भी लागू होती है जिसमें मैं/हम वास्तविक रुचि**रखता हूं/रखते हैं अथवा उस फर्म या व्यक्तियों के समवाय के संबंध में भी लागू होती है जिसमें मैं/हम क्रमशः साझेदार अथवा सदस्य हूं/हैं।

अथवा

(ख) उपर्युक्त घोषणा उन व्यक्तियों के संबंध में लागू होती है जो आवेदक कम्पनी अथवा आवेदक संस्था के सदस्य अथवा आवेदक फर्म के साझेदारी में वास्तविक रुचि" रखते हैं।

हस्ताक्षर . . . .
पता . . . .
स्थायी लेखा सं. . . . .
उस आयकर अधिकारी का पदनाम जिसके साथ कर निर्धारण किया है/करना है . . . .
. . . .

स्थान . . . .
दिनांक . . . .

*अर्थदंड की उगाही के विरुद्ध यदि कोई अपील की गई है और यह अपील आयकर अपील सहायक आयुक्त अथवा आयकर अपील अदालत में निलम्बित है तो ऐसे अर्थदंड का इस घोषणा में अभिलेख करना आवश्यक नहीं है।

**"वास्तविक रुचि" शब्द का अर्थ वही होगा जैसा कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 40(ए) (2) की व्याख्या में दिया गया है।

अपेक्षित दस्तावेज:---

(1) आवेदन पत्र तीन प्रतियों में

(2) आवेदन पत्र शुल्क के लिए आवश्यक धनराशि की बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट

(3) आयकर घोषणा तीन प्रतियों में

(4) आयात की जाने वाली मदों की सूची की सात प्रतियां

(5) आई. आर. प्रमाण-पत्र

प्रपत्र ग

मान्यता प्राप्त घुड़शालाओं/अलग-अलग प्रजनकों द्वारा प्रजनन उद्देश्य के लिए घोड़ों के आयात के लिए आवेदन-पत्र

भाग 1

(क) आवेदक का ब्यौरा

1. आवेदक का नाम
2. पूरा डाक पता
3. घुड़शाला की स्थिति का पता
4. क्या घुड़शाला "भारतीय अश्व शाला पुस्तक" या कृषि मंत्रालय, भारत सरकार या दोनों रखने वाले आर. डब्ल्यू. आई. टी. सी. द्वारा मान्यताप्राप्त है और उसके पास पंजीकृत है; तो प्रत्येक पंजीकरण प्रमाण-पत्र की एक फोटोस्टेट प्रति साथ लगाई जानी है।

(ख) आवेदन-पत्र का ब्यौरा

1. बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट की संख्या और दिनांक (रसीद/डिमांड ड्राफ्ट मूल रूप से संलग्न करना है)
2. जहां पोत लदान उस देश से होना है जो कि माल के उद्गम देश से भिन्न है, तो इसके कारणों का पूर्ण विवरण देना चाहिए।

(ग) सामान्य सूचना भेजी जानी है

1. भारत में व्यापार स्थापना की तिथि।

2. पार्टी का स्वरूप क्या है, क्या वह सार्वजनिक अथवा निजी अथवा साझीदारी अथवा स्वामित्व या हिन्दू अविभाजित परिवार की फर्म है।

3. निदेशकों, स्वामी, साझीदारों अथवा कर्ता, जैसा भी मामला हो, का नाम।

4. शाखाओं अथवा अनुषंगी कम्पनियों (नाम और स्थिति) का विवरण :—

 1. भारत में

 2. विदेश में

5. क्या आवेदक द्वारा इस आवेदन पत्र में दर्शाई गई मदों के लिए अथवा अन्य मदों के लिए अथवा किसी भी श्रेणी में एक ही अवधि के लिए, पहले कोई आवेदन पत्र भेजा गया है? यदि हां, तो विवरण दें।

6. कालम 4 में दर्शाई गई शाखाओं अथवा अनुषंगी कम्पनियों अथवा कालम 3 में दर्शाए गए किसी भी सज्जन ने इस आवेदन पत्र में दर्शाए गए माल के आयात के लिए क्या किसी आयात लाइसेंस के लिए आवेदन किया है अथवा इसी अवधि के लिए किसी अन्य माल के लिए आवेदन किया है, यदि हां, तो उसका विवरण दें।

भाग 2

(प्रायोजक प्राधिकारी और लाइसेन्स प्राधिकारी के उपयोग के लिए, आवेदक द्वारा भरा जाना है)

1. घोड़ों की किस उद्देश्य के लिए आवश्यकता है

2. घुड़शाला का कुल क्षेत्रफल

3. चरागाहों के अन्तर्गत क्षेत्र

4. जुताई के अन्तर्गत क्षेत्र
 (विभिन्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल)

5. भवनों के अन्तर्गत क्षेत्रफल (भवनों का विवरण दिया जाए)

6. प्रजनन घुड़शाला के उपलब्ध पशुओं की संख्या

पशुओं का विवरण	घुड़शाला की सम्पत्ति आयातित या भारतीय उत्पन्न	दूसरों से संबंधित सम्पत्ति आयातित या भारतीय उत्पन्न	मालिक का नाम और पता
1	2	3	4

(क) सांड

(ख) बच्चे प्रजनन करने वाली घोड़ी

(ग) एक से दो वर्ष के बच्चे

(घ) बछेड़ी

(ङ) बछड़ा

(च) छोटी बछड़ी

योग 95

7. घुड़शाला में पशु और भूमि का अनुपात क्या है?

8. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उत्पन्न होने वाले घोड़ों की वार्षिक संख्या

9. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान में वार्षिक उत्पादन

10. चालू वित्तीय वर्ष में अनुमानित उत्पाद

11. गत तीन वर्षों के दौरान बेचे गए घोड़ों का कुल मूल्य और संख्या (वर्षवार आंकड़े दें)।

12. **आयात किए जाने वाले पशुओं का विवरण:**

श्रेणी	पशुओं की सं०	लागत बीमा-भाड़ा मूल्य (रुपए)	किस देश से आयात किया गया है	टिप्पणी
1	2	3	4	5

13. जारी किए गए लाइसेंसों/सीमाशुल्क निकासी परमिटों और गत पांच वर्षों के दौरान किए गए आयात के ब्यौरे।

लाइसेंस अवधि	जारी किए गए लाइसेंस/सीमा-शुल्क निकासी परमिट की संख्या दिनांक एवं मूल्य	आयातित पशुओं का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य और आयात की तारीख	पशुओं का विवरण
1	2	3	4

वह देश जहां से आयात किया गया है	आयु	क्या आयातित पशु घुड़शाला में मृत हो चुके है यदि हां, तो अवधि का विवरण दें	अभ्युक्तियां
5	6	7	8

14. क्या आयातित पशुओं ने दौड़ में भाग लिया है, यदि हां, तो उनसे जीते हुए धन के साथ विवरण दें।

15. क्या घुड़शाला अथवा आयात किए जाने वाले प्रजनन स्टाक में किसी अन्य व्यक्ति का कोई वित्तीय लाभ है, यदि हां, तो विवरण दें।

16. वह स्थान जहां पर आयातित स्टाक जिसके लिए अब आवेदन किया है, रखा जाएगा। स्टाक की स्थिति में मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की लिखित अनुमति के बिना कोई भी परिवर्तन नहीं होगा।

17. क्या पहले आयातित घोड़ों का रिकार्ड रखा जा रहा है।

घोषणा

(1) मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि यदि लाइसेंस प्रदान किया गया तो घोड़ों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए उनका आयात किया गया है और किसी भी दशा में पशुओं को बेचा नहीं जाएगा अथवा अन्य किसी पार्टी द्वारा उपयोग में लाने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार ठीक है।

(3) मुझे/हमें भली-भांति ज्ञात है कि यदि यह पाया गया कि प्रस्तुत किए गए विवरण पत्र में कोई तथ्य गलत या झूठा है तो मामले की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार जो जुर्माना लगाएगी या अन्य कार्रवाई करेगी उसके अतिरिक्त प्रस्तुत विवरणपत्र के आधार पर मुझे/हमें जारी किया गया लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

(4) मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें राज्य के पशुपालन विभाग अथवा भारत सरकार के किसी भी अधिकारी द्वारा मेरे/हमारे फार्म का निरीक्षण करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

हस्ताक्षर . . . .
साफ अक्षरों में नाम . . . . .
पदनाम . . . .
निवास स्थान . . . .

दिनांक . . . .

"यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण का सत्यापन किया गया और सही पाया गया है। आवेदित किए गए घोड़ों के आयात की एतद्-द्वारा सिफारिश की जाती है।

हस्ताक्षर . . . .
साफ अक्षरों में नाम . . . . .
पदनाम . . . .
"निदेशक, पशु पालन एवं पशु चिकित्सा सेवाएं"

भाग 3

आयकर घोषणा प्रपत्र

(क) ऐसे व्यक्तियों के मामले में जिनकी आय कर देने योग्य नहीं है

मैं/हम एतद्-द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैं/हम अग्रिम कर शामिल करने पर भी आयकर देने के लिए उत्तरदायी नहीं हूं/हैं क्योंकि वर्तमान लेखा वर्ष और पिछले चार वर्षों के दौरान मेरी/हमारी आय कर न लगाने की अधिकतम सीमा से भी कम है।

(ख) आयकर देने वाले व्यक्तियों के मामले में

मैं/हम एतद्-द्वारा सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा करता हूं/करते हैं कि :—

(1) मैंने/हमने आज की तारीख तक मेरे/हमारे ऊपर की बकाया आय की विवरणिका आयकर विभाग को भेज दी है।

(2) मैंने/हमने आयकर अधिनियम के अंतर्गत मांगे गए कर जो कि समर्थ प्राधिकारी द्वारा रोक दिए गए हैं, को छोड़कर अग्रिम कर के साथ मुझे/हमें जो भी कर देने हैं, उनके भुगतान कर दिए हैं।

(3) पिछले तीन कैलेण्डर वर्षों के दौरान आय छिपाने के लिए मैंने/हमने जुर्माना*/सजा नहीं पाई है।

(4) (क) मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त घोषणा उन कम्पनियों के सम्बन्ध में भी लागू होती है जिसमें मैं/हम महत्वपूर्ण** रुचि रखता हूं/रखते हैं अथवा उस फर्म या व्यक्तियों के समुदाय के सम्बन्ध में भी लागू होती है जिसमें मैं/हम क्रमशः साझीदार अथवा सदस्य हूं/हैं।

अथवा

(ख) उपर्युक्त घोषणा उन व्यक्तियों के संबंध में लागू होती है जो आवेदक कम्पनी अथवा आवेदक समवाय के सदस्य अथवा आवेदक फर्म की साझीदारी में महत्वपूर्ण साझा**रखते हैं।

हस्ताक्षर . . . .
पता . . . .
स्थायी लेखा सं. . . . . . .
उस आयकर अधिकारी का पदनाम जिसके साथ कर निर्धारण किया है/करना है . . . . .

स्थान . . . .
दिनांक . . . .

*अर्थदण्ड की उगाही के विरुद्ध यदि कोई अपील की गई है और यह अपील आयकर अपील सहायक आयुक्त अथवा आयकर अपील अदालत में निलम्बित है तो ऐसे अर्थदण्ड का इस घोषणा में उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

**"महत्वपूर्ण साझा" शब्द का अर्थ वही होगा जैसा कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 40 (ए) (2) में बताया गया है।

अपेक्षित दस्तावेज :—

(1) आवेदन-पत्र तीन प्रतियों में

(2) आवेदन-पत्र शुल्क की अपेक्षित धनराशि के लिए बैंक रसीद/डिमाण्ड ड्राफ्ट

(3) आयकर घोषणापत्र तीन प्रतियों में।

प्रपत्र-घ

आयात कालीन पुर्जों के लिए आवेदन-पत्र

भाग 1

क. आवेदक के ब्यौरे:

1. आवेदक का नाम
2. पूरा डाक पता
3. कारखाने का पता
4. विनिर्मित सामान

ख. आवेदन-पत्र के ब्यौरे

1. बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट संख्या और तिथि (मूल बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट संलग्न किया जाना है।)
2. अतिरिक्त पुर्जों की सूची के साथ जिस मशीन के लिए अति-

रिक्त पुर्जों की आवश्यकता है उसका ब्यौरा और आयात किए जाने वाले पुर्जों का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य।

3. उस मशीनरी का मूल्य जिसके लिए फालतू पुर्जे अपेक्षित हैं।

4. वह देश जहां से आवेदित फालतू पुर्जे आयात किए जाते हैं।

5. वह देश जिससे मूल उपस्कर आयात किया गया था।

6. जहां नवान ऐसे देश से प्रभावी किया जाना है जो उस देश से भिन्न है जहां माल उत्पन्न हुआ हो तो उसके कारणों का पूर्ण विवरण दिया जाना चाहिए।

ग. भेजी जाने वाली सामान्य जानकारी

1. क्या तकनीकी विकास महानिदेशालय की पुस्तकों में आपका नाम है, और यदि हां, तो तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा आबंटित कारखाने की संख्या दर्शाएं। (फोटो प्रति या साक्ष्यांकित प्रति संलग्न की जानी है)

2. संबंधित प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा आबंटित पंजीकरण संख्या। (फोटो प्रति या साक्ष्यांकित प्रति संलग्न की जानी है)

3. आपात कालीन फालतू पुर्जों के लाइसेंस का मूल्य, यदि कोई प्राप्त किया हो या उसी मशीनरी के संबंध में पहले से ही उसी अवधि के दौरान आवेदन किया हो जिसके भीतर वर्तमान आवेदन-पत्र भेजा गया है।

4. संस्था की किस्म, क्या वह सार्वजनिक कम्पनी अथवा निजी कम्पनी, साझेदारी या हिन्दू अविभाजित परिवार संस्था है।

5. निदेशकों, साझीदारों, स्वामी अथवा कर्त्ता, जैसा भी मामला हो, के नाम।

6. शाखाओं अथवा सबंधित कंपनियों के ब्यौरे (नाम और स्थान) :

1. भारत में

2. विदेश में।

(1) मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि यदि यह लाइसेन्स मंजूर हो गया तो माल का उपयोग केवल हमारे कारखाने में ही होगा और उसका कोई भी भाग बेचा नहीं जाएगा अथवा किसी अन्य पार्टी द्वारा उसका उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। मुझे/हमें पूर्णतया ज्ञात है कि भेजे गए विवरण में कोई बात गलत या असत्य पाई जाती है तो सरकार द्वारा लगाए जाने वाले जुर्माने अथवा मामले की परिस्थितियों को देखते हुए की जाने वाली कोई भी कार्रवाई करने के अतिरिक्त, रद्द किया जा सकता है।

हस्ताक्षर . . . .
नाम (साफ अक्षरों में) . . . .
पदनाम . . . .
रहने का पता . . . .

दिनांक . . . .

टिप्पणियां : (1) यह प्रपत्र वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा फालतू पुर्जों के आयात के लिए आयात लाइसेंस प्रदान करने वाले आवेदन-पत्रों के लिए बनाया गया है।

(2) इस प्रपत्र में दिए गए ब्यौरों के अतिरिक्त, आवेदन-पत्र के अग्रेषित पत्र में फालतू पुर्जों के अतिशीघ्र आयात के लिए उचित औचित्य दिए जाने चाहिए।

(3) आवेदन-पत्र कम्पनी के मुख्य कार्यकारी जैसे अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी निदेशक प्रबन्ध साझेदारों जैसा भी मामला हो द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। आवेदन-पत्र और फालतू पुर्जों की सूची पर आवेदक के कार्यालय की मोहर होनी चाहिए।

भाग-2

आय-कर घोषणा

(क) ऐसे व्यक्तियों के मामले में जिनकी आय कर देने योग्य नहीं है

मैं/हम एतद् द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैं/हम अग्रिम कर सहित कोई आय कर देने का/के उत्तरदायी नहीं हूं/नहीं हैं, क्योंकि मेरे/हमारे द्वारा वर्तमान लेखा वर्ष में और पिछले चार लेखा वर्षों में अर्जित आय न्यूनतम आय-कर सीमा से कम रही है।

(ख) जिनकी आय कर देने योग्य है उन व्यक्तियों के मामले में

मैं/हम सत्यनिष्ठा पूर्वक एतद्-द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि :—

(1) मैंने/हमने अब तक मेरे/हमारे द्वारा देय आय के विवरण आय-कर विभाग को भेज दिए हैं।

(2) मैंने/हमने समर्थ प्राधिकारी द्वारा रोकी गई कर मांग के अतिरिक्त मेरे/हमारे द्वारा देय अग्रिम कर सहित सभी कर, आय-कर अधिनियम के अधीन चुका दिए हैं।

(3) मुझे/हमें आय/सम्पत्ति को गोपनीय रखने के लिए पिछले तीन कैलेन्डर वर्षों के दौरान दंडित/दोषी नहीं ठहराया गया है।

(4) (क) मैं/हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त घोषणा उन कम्पनियों के विषय में भी लागू होती है जिनमें मेरा/हमारा **महत्वपूर्ण साझा है या वे फर्म या व्यक्तियों के संस्थान जिनका मैं/हम क्रमशः साझीदार या सदस्य हूं/हैं।

अथवा

(ख) उपर्युक्त घोषणा उन व्यक्तियों के मामले में भी लागू होगी जिनका आवेदक कम्पनी में महत्वपूर्ण साझा है या वे आवेदक संस्थान हैं। सदस्य हैं या आवेदक फर्म के भागीदार हैं।

हस्ताक्षर . . . .

पता . . . .

स्थायी लेखा सं. . . . .

उस आयकर अधिकारी का पद जिसने कर निर्धारित किया है/निर्धारित किया जाना है।

स्थान . . . . . .

दिनांक . . . . . .

*यदि जुर्माना उगाहने के विरुद्ध कोई अपील दाखिल की गई है और यह अपील आयकर अपील सहायक आयुक्त अथवा आयकर अपील अदालत में निलम्बित है तो ऐसे अर्थ दण्ड का इस घोषणा में वर्णन करना आवश्यक नहीं है।

**"महत्वपूर्ण साझा" शब्द का अर्थ वही होगा जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40 (ए) (2) में बताया गया है।

संलग्नकों की सूची

प्रपत्र 'क' (पूंजीगत माल)

पूंजीगत माल और भारी बिजली संयंत्रों के लिए आयात लाइसेंस

आवेदन-पत्र

(पांच प्रतियां भेजी जानी हैं)

भाग-I

टिप्पणी

1. आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि आवेदन-पत्र भरने से पहले आयात-निर्यात क्रियाविधि हैंडबुक और आयात नीति में निहित वर्तमान अवधि के लिए लाइसेंस अनुदेश पढ़ लें; आवेदन पत्र सब प्रकार से पठनीय एवं पूर्ण होना चाहिए ताकि उसे पत्राचार/विलम्ब और अस्वीकृत होने से बचाया जा सके।
2. आवेदन पत्र कम्पनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
3. मांगे गए और लागू दस्तावेजी साक्ष्य एवं समर्थित दस्तावेज अवश्य ही आवेदन-पत्र के साथ भेजे जाने चाहिए।

1. आवेदक के ब्यौरे

1.1 नाम

1.2 पंजीकृत पता

1.3 पत्राचार के लिए डाक पता

1.4 प्रायोजक प्राधिकारी

1.5 प्रशासकीय मंत्रालय

2. कम्पनी की किस्म

2.1 स्वाम्य/साझेदारी/प्राइवेट कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी।

2.2 क्या कम्पनी का पंजीकरण एम. आर. टी. पी. अधिनियम के अंतर्गत हुआ है।

2.3 लि. कम्पनियों के मामले में पूंजीगत स्वरूप के ब्यौरे;

(1) पूंजी का स्वरूप

(2) प्राधिकृत निर्गमित और अभिदत्त पूंजी

(3) यदि कोई हो, तो पूरे ब्यौरे के साथ विदेश में साझीदारी और उसका प्रतिशत

2.4 मालिकों / साझीदारों / निदेशकों के नाम और पते

3. औद्योगिक एकक के ब्यौरे

3.1 (क) एकक का नाम और स्थान

तहसील

जिला

राज्य

(ख) क्या तहसील/जिला घोषित पिछड़ा क्षेत्र है जो कि सरकार से पूंजी निवेश अनुदान अथवा रियायती वित्तदान के लिए पात्र है। यदि हां, तो निम्नलिखित और ब्यौरे भेजे जाएं :—

(1) औद्योगिकीय पिछड़े राज्य/संघ शासित क्षेत्र में घोषित पिछड़ा क्षेत्र/जिला

(2) औद्योगिक रूप से उन्नत राज्य/संघ शासित क्षेत्र में घोषित पिछड़ा क्षेत्र/जिला

(3) औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्य/संघ शासित क्षेत्र में पिछड़े हुए से भिन्न क्षेत्र/जिला

(ग) क्या प्रस्तावित स्थान निम्नलिखित के अन्तर्गत आता है :—

(1) भारत की जनगणना, 1971 के अनुसार निर्धारित दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर जो मानक शहरी क्षेत्र सीमा के अन्दर है; अथवा

(2) भारत की जनगणना, 1971 के अनुसार निर्धारित 0.5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर की नगर-पालिका सीमा के अंतर्गत है।

(घ) उन मामलों में जहां प्रस्तावित स्थान अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र में नहीं हैं, तो क्या उद्यमी अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र में कार्यकलाप के लिए स्थान का पता लगाने के लिए तैयार है, यदि हां, तो उसके पसन्द का ब्यौरा भी दर्शाया जाए।

(ङ) क्या प्रस्तावित स्थान औद्योगिक विकास विभाग द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट सं. 10/1/82-एल. पी., दिनांक 27-2-1982 में सूचीबद्ध "उद्योग से भिन्न जिले" के अन्तर्गत है और यदि नहीं है तो क्या उद्यमी "उद्योग से भिन्न जिले" में कार्यकलाप के लिए स्थान का पता लगाने के लिए तैयार है।

3.2 क्या उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत एक औद्योगिक लाइसेंस अथवा आशय पत्र जारी किया गया है।

3.3 (क) यदि लाइसेंस से छूट है तो उद्योग राज्य निदेशक/महा निदेशक तकनीकी विकास/वस्त्रायुक्त/पटसन आयुक्त/लोहा तथा इस्पात नियंत्रक/अन्य प्रायोजक प्राधिकारी के पास की पंजीकरण सं. और तिथि के ब्यौरे भेजें।

3.3 (ख) यदि आप महानिदेशक तकनीकी विकास/वस्त्र आयुक्त/पटसन आयुक्त/लोहा एवं इस्पात नियंत्रक/अन्य प्रायोजक प्राधिकारियों के पास पंजीकरण के लिए आवेदन करने का विचार करते हैं तो निम्नलिखित सूचनाएं भेजें :—

(1) विनिर्माण की मद

(2) प्रस्तावित वार्षिक क्षमता

(3) क्या प्रस्तावित निवेश नये संस्थान या नई मद के विनिर्माण या वर्तमान संस्थान को बढ़ाने के लिए है।

(4) वार्षिक उत्पादन

(क) मात्रा

(ख) कारखाना मूल्य

3.4 यदि आवेदक एक लघु पैमाने का एकक है, तो क्या वह प्रस्तावित आयात के पश्चात भी इसी प्रकार रहेगा।

3.5 क्या सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन पत्र/लाइसेंस और विदेशी सहयोग के लिए अनुमोदन पत्र में निर्यात की कोई शर्त है? यदि हां, तो उन के ब्यौरे भेजें।

3.6 क्या विदेशी सहयोग, वित्तीय और या तकनीक शामिल है, यदि हां तो क्या इसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

3.7 वार्षिक विनिर्माण क्षमता

विनिर्माण की मद	अनुज्ञप्ति क्षमता (वर्तमान)	अनुज्ञप्ति क्षमता अनुमोदित	अत्यधिक उपयोगिता के आधार पर पूंजीगत माल के आवेदन पत्र में दर्शाई गई क्षमता

3.8 पिछले तीन वर्षों अथवा उत्पादन के प्रारम्भ होने से, उत्पादन का पुस्तक-मूल्य।

3.9 क्या विनिर्माण की जाने वाली प्रस्तावित वस्तुओं का आयात किया जा रहा है, यदि हां, तो सम्भव हो तो आयातों का औसत मूल्य (लागत-बीमा-भाड़ा) दें।

3.10 क्या विनिर्मित की जाने वाली प्रस्तावित वस्तुओं का निर्यात किया जा सकता है। यदि हां, तो क्या आवेदक उत्पादन के प्रतिशत और मूल्य के अनुसार ऐसे निर्यात आभार की सीमा तक के लिए वचनबद्ध हो सकता है।

4. पूंजी निवेश

4.1 कुल पूंजी निवेश (भूमि और भवन निर्माण और मशीनरी)

	(वर्तमान)	(प्रस्तावित)
भूमि और भवन		
मशीनरी		
जोड़		

4.2 आयातित संयंत्रों और उपकरण का मूल्य

वर्तमान	- - - - - - - -
प्रस्तावित	- - - - - - - -
जोड़	- - - - - - - -

4.3 क्या आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र में दर्शाया गया यथा संकेतित आयात किए जाने वाले प्रस्तावित उपकरण का मूल्य आयातित उपकरण के अनुमानित मूल्य से अधिक है।

4.4 यदि 4.3 का उत्तर 'हां' में है, तो वृद्धि का प्रतिशत और उसकी सीमा तथा उसके कारण बताएं।

5. कच्चेमाल/संघटकों की आवश्यकताएं

क. कच्चा माल

आयातित			देशी		
कच्चे माल का नाम	मात्रा	मूल्य (रुपए)	कच्चे माल का नाम	मात्रा	मूल्य (रुपए)

संघटक

आयातित			देशी		
संघटकों के नाम	मात्रा	मूल्य (रुपए)	संघटकों के नाम	मात्रा	मूल्य (रुपए)

(2) (क) निर्यातों की मात्रा और उनका जहाज पर निशुल्क मूल्य

(ख) निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप के विचार से लगने वाली निश्चित अवधि

(ग) क्या आप निर्यात या विनिर्माण के व्यापार में लगे हुए हैं, यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की मदों और साथ-साथ उन के जहाज पर निशुल्क मूल्य का संकेत करें।

(3) मूल्य में वृद्धि का न्यूनतम प्रतिशत क्या होगा, जो आप वचन-बद्धता के प्राधिकृत उत्पादन से प्राप्त करेंगे (जोड़े गए मूल्य की गणना करने के लिए प्राप्त किए गए देशी कच्चे माल आयातों के रूप में समझे जाएंगे)

(4) प्रथम 5 वर्षों के लिए शेष भुगतानों पर प्रभाव

(क) निर्यात आभार के अन्तर्गत आने वाले निर्यातों के जहाज पर निशुल्क मूल्य पर आधारित विदेशी मुद्रा अर्जन।

(ख) निम्नलिखित पर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा—

(1) मशीनरी और उपकरण का आयात

(2) कच्चे माल और संघटकों का आयात

(3) विदेशी सहयोगियों को लाभ और लाभांश का प्रत्यावर्तन

(4) एक मुश्त, रायल्टी, तकनीकी जानकारी फीस आदि के माध्यम से विदेशी सहयोगियों को अन्य भुगतान।

(ग) व्यय या अन्तर्वाह की वास्तविक विदेशी मुद्रा

(क) घटा कर (ख)

5.2.5 1 के लिए आयातित संघटकों की वार्षिक आवश्यकता

मद	मात्रा	मूल्य	(लागत, बीमा, भाड़ा)
पहला वर्ष	- - -	- - -	- - -
दूसरा वर्ष	- - -	- - -	- - -
तीसरा वर्ष	- - -	- - -	- - -
चौथा वर्ष	- - -	- - -	- - -
पांचवा वर्ष	- - -	- - -	- - -

6. आयात का प्रयोजन

6.1 क्या आवेदित पूंजीगत माल **निम्नलिखित प्रयोजन के लिए है:–**

(1) नया उद्यम
(2) नई वस्तु विविधता
(3) महत्वपूर्ण विस्तार
(4) संतुलन
(5) पुन:स्थापन
(6) आधुनिकीकरण
(7) परीक्षण
(8) क्वालिटी नियंत्रण
(9) विनिर्माण के लिए प्रोटोटाइप
(10) अनुसंधान और विकास

6.2 यदि आयात संतुलन/पुन:स्थापन आधुनिकीकरण के लिए है, तो क्या इससे अनुज्ञप्ति, अनुमोदित मात्रा में वृद्धि होगी।

6.3 पुन:स्थापन के लिए मशीनों के आयात के मामले में

(1) मूल मशीनों की स्थापना की तिथि
(2) पुरानी मशीनों के निपटान के लिए व्यवस्था
(3) देशी विनिर्माताओं से सम्बन्धित मशीन की अधिप्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों के विस्तृत ब्यौरे भेजें जिनमें उन विनिर्माताओं के नाम दर्शाए जाए जिन के साथ खरीद के सम्बन्ध में सम्पर्क स्थापित किया गया और उसके क्या-क्या परिणाम निकले उसको भी इसमें प्रदर्शित किया जाए।

7. आयात के लिए वित्तदान की विधि

7.1 विदेशी सामान्य शेयर यदि हों, तो अनुमोदित वित्तीय साझीदारी, उपयोग में लाई गई और उपलब्ध बकाया धनराशि के पूर्ण ब्यौरे भेजें।

7.2 गैर निवासी भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा पूंजीनिवेश

7.3 संभरक ऋण

7.4 निजी विदेशी मुद्रा ऋण

7.5 आई. एफ. सी./आई. सी. आई. सी. आई/राज्य वित्त निगम से उधार

8. आवेदित पूंजीगत माल के ब्यौरे

8.1 क्या यह मशीनरी, मशीनी औजार अथवा भारी बिजली संयंत्र है।

8.2 आई टी सी विवरण सं०	मात्रा	जहाज पर नि:शुल्क मुल्य रुपयों में	उदगम का देश
		कुल जहाज पर नि:शुल्क मूल्य रुपयों में	

8.3 प्रारम्भिक फालतू पुर्जों का मूल्य (जहाज पर नि:शुल्क मूल्य, रुपयों में)

8.4 अनुमानित भाड़ा (रुपयों में)

8.5 बीमा (रुपयों)

8.6 (1) कुल लागत-बीमा भाड़ा मूल्य (8.2+8.3+8.4+8.5) रुपयों में

(2) विदेशी मुद्रा में
(3) रुपये को विदेशी मुद्रा में बदलने में उपयोग में लाई गई मुद्रा की दर।

8.7 (क) यदि कोई हो, तो मुद्रा में दिया जाने वाला अभिकर्ता कमीशन अथवा अधिप्राप्ति शुल्क

8.7 (क) यदि कोई हो, तो विदेशी मुद्रा में दिया जाने वाला निर्माण प्रभार।

8.8. मशीन की दशा, क्या वह नई है, पुरानी है अथवा फिर से मरम्मत की हुई है।

8.9 पहले से ही प्राप्त/आवंटित किए गए सम्बद्ध पूंजीगत माल के आयात लाइसेंसों के ब्यौरे लाइसेंस सं., दिनांक, मूल्य वित्तदान के स्रोत, आयात के स्रोत के ब्यौरे।

8.10 क्या परियोजना के लिए वर्तमान आवेदन-पत्र के अन्तर्गत मदों के अतिरिक्त और पूंजीगत माल के आयात शामिल हैं।

9. जारी होने वाले आयात लाइसेंसों के लिए विशेष सूचना

9.1 आयात लाइसेंस के लिए अपेक्षित वैधता अवधि

9.2 जैसा कि परियोजना आयात के लिए आवश्यक है आई. सी. टी.-72 ए. के अन्तर्गत कर में रियायती दर उपलब्ध करने के लिए पृष्ठांकन

10. समर्थक दस्तावेज/जानकारी के ब्यौरे

10.1 मूल बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट ☐ संलग्न है।

सं. दिनांक

रुपयों में मूल्य

10.2 औद्योगिक लाइसेंस/आशयपत्र/प्रायोजक प्राधिकारी से पंजीकरण प्रमाण-पत्र की फोटोस्टेट/साक्ष्यांकित प्रति। ☐ संलग्न है।

10.3 माल के समर्थन में दो प्रतियों में बीजक प्रपत्र/अन्य दस्तावेजी साक्ष्य जिनमें बीजक की तारीख और उस की वैधता को दर्शाया गया हो। ☐ संलग्न है।

10.4 आयात किए जाने वाले माल का पूर्ण ब्यौरा देते हुए साहित्य/पैम्फलेट/विशिष्टिकरण की प्रतियां। ☐ संलग्न है। ☐ लागू नहीं होता

10.5 आई. टी. जे. ई. एस. बी. में प्रत्येक विज्ञापन की प्रति। ☐ संलग्न है।

या.

दिनांक

10.6 विज्ञापन/पूछताछ के मद्दे प्राप्त किए गए प्रत्युत्तरों का तालिकाबद्ध विवरण। ☐ संलग्न है।

10.7 केवल लघु पैमाना उद्योग के मामले में मशीन के पुनःस्थापन के लिए अनिवार्यता प्रमाणित करते हुए लघु उद्योग सेवा संस्थान से मूल प्रमाण पत्र। ☐ संलग्न है।

10.8 पुनःस्थापित की जाने वाली मशीन/उपस्कर की वर्तमान दशा के सम्बन्ध में सनदी इंजीनियर का मूल प्रमाण-पत्र। ☐ संलग्न है ☐ लागू नहीं होता

10.9 यदि पुरानी मरम्मत की हुई मशीन का आयात किया जाना है तो सनदी इंजीनियर से मशीन की आयु, वर्तमान दशा, मूल और वर्तमान मूल्य और सम्भावित शेष आयु को प्रमाणित करते हुए एक प्रमाण-पत्र। ☐ संलग्न है।

10.10 प्रशासनिक मंत्रालय के पास पंजीकृत अनुसंधान और विकास संस्थान/प्रयोगशाला के मामले में पंजीकरण प्रमाण-पत्र की फोटोस्टेट/साक्ष्यांकित प्रति। ☐ संलग्न है। ☐ लागू नहीं होता

10.11 1983-84 की आयात निर्यात क्रियाविधि हैण्ड बुक के आयात व्यापार नियंत्रण के परिशिष्ट-29 के अनुसार प्रोटोटाइप के आयात के सम्बन्ध में प्रपत्र।

10.12 रुपया भुगतान क्षेत्र से मशीन का आयात करने के लिए, यदि कोई हो, तो किए गए प्रयत्नों के सम्बन्ध में पत्राचार की प्रतियां।

10.13 जहां आयात की जाने वाली मशीन के उपस्कर के ब्लू प्रिंट्स और रेखाचित्र प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए गए हैं, वहां विदेशी संभरकों से की गई पूछताछ और उनके उत्तर की साक्ष्यांकित/फोटोस्टेट प्रतियां। ☐ संलग्न है। ☐ लागू नहीं होता

10.14 निम्नलिखित के लिए सरकार का अनुमोदन दर्शाते हुए दस्तावेजी साक्ष्य।

(1) विदेशी सहयोग ☐ संलग्न है।
☐ लागू नहीं होता

(2) नकद विदेशी साम्य पूंजी के मुद्दे उपलब्ध शेष धन राशि के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमाण पत्र की प्रतियां। ☐ संलग्न है। ☐ लागू नहीं होता

10.15 (1) व्यवस्थित निजी साख के नियमों और शर्तों की एक साक्ष्यांकित/फोटोस्टेट प्रति। ☐ संलग्न है। ☐ लागू नहीं होता

(2) द्विपक्षीय / स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा के मामले में आयात वरीयता वाले देशों को दर्शाने वाला विवरण । ☐ संलग्न है। ☐ लागू नहीं होता

'ङ' (सी. जी. आवेदन प्रपत्र भाग 2)

विनिर्माता निर्यातक द्वारा पूंजीगत माल के आयात के लिए 'ङ' (सी. जी.) प्रपत्र में आवेदन पत्र की पांच प्रतियों के साथ भेजा जाना चाहिए।

1. निर्यातक/विनिर्माता का नाम और पूरा पता
2. निर्यात किए जा रहे उत्पादों को दर्शाते हुए विनिर्मित किए गए उत्पादों की नामावली
3. आज तक पहले तीन वित्तीय वर्षों में विनिर्मित प्रत्येक उत्पाद के उत्पादन की मात्रा और मूल्य (उत्पादन के मूल्य की गणना करते हुए कृपया आन्तरिक बिक्री मूल्य के साथ-साथ जहाज पर निःशुल्क निर्यात मूल्य दोनों दें।)
4. उपर्युक्त (3) पर यथा उल्लिखित अवधि के लिए उत्पादन-वार निर्यात की मात्रा और जहाज पर निःशुल्क मूल्य (जिन देशों को निर्यात किया गया है उन्हें भी शामिल करते हुए संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद/पण्यवस्तु बोर्ड द्वारा प्रमाणित की गई मात्रा और जहाज पर निःशुल्क मूल्य के अनुसार निर्यात का विवरण संलग्न किया जाना चाहिए।)
5. आगामी पांच वर्षों से अधिक के आयात के लिए मांगे गए पूंजीगत माल की स्थापना के परिणामस्वरूप आगामी निर्यात में मात्रा और मूल्य के अनुसार वृद्धि।
6. क्या आशय-पत्र अथवा औद्योगिक लाइसेंस में किसी किस्म के निर्यात आभार की शर्त लगाई गई थी, यदि हां, तो उसके ब्यौरे दें।
7. क्या वर्तमान आवेदन-पत्र किसी विदेशी सहयोग से संबंधित है, यदि हां, तो क्या विदेशी सहयोग अनुमोदन में किसी किस्म के निर्यात आभार की शर्त लगाई गई थी।
8. क्या अभी भी आपके पास ऐसे निर्यात आभार बाकी बचे हैं जिन्हें पूर्ण किया जाना है, यदि हां, तो उनके ब्यौरे दिए जाने चाहिए।
9. क्या आप एक निर्यात आभार लेने के लिए तैयार हैं, यदि हां, तो उत्पादन के प्रतिशत एवं मूल्य के अनुसार कितनी सीमा के निर्यात आभार के लिए आप तैयार हैं।
10. क्या आपने गत 12 मास के दौरान महानिदेशक, तकनीकी विकास/मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात/विकास आयुक्त, लघु पैमाना उद्योग आदि को पूंजीगत माल के आयात के लिए कोई आवेदन-पत्र दिया है, यदि हां, तो आवेदित पूंजीगत माल, सरकार द्वारा आयात के लिए स्वीकृति प्राप्त पूंजीगत माल, उनका मूल्य, वित्त के स्रोत और क्या आयात प्रभावी कर दिए गए हैं, के संबंध में ब्यौरे भेजें। यदि आपकी निर्यात निष्पादन के मद्दे पूंजीगत माल के आयात के लिए कोई आवेदन-पत्र दिया गया हो तो कृपया ब्यौरा दें।

(1) मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य व सही है।

(2) मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि जिस माल के आयात के लिए आवेदन-पत्र दिया गया है, उसका उपयोग केवल . . . . के विनिर्माण (अन्तिम उत्पाद का नाम) और उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत या सरकार द्वारा अनुमोदित अनुमित क्षमता के लिए किया जाएगा ।

(3) मैं/हम एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि आयात किए जाने वाली मशीनरी औद्योगिक लाइसेंस पंजीकरण सं के अन्तर्गत अनुमोदित क्षमता से अधिक क्षमता की नहीं होगी।

(4) मैं/हम एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि अपेक्षित आधुनिकीकरण, गुण नियंत्रण उपकरण आदि अनुमोदित क्षमता से अधिक क्षमता के नहीं हैं और मैं/हम लघु

पैमाने क्षेत्रों के लिए आरक्षित इन मदों के लिए कोई भी विनिर्माण सुविधाएं नहीं लूंगा/लेंगे।

(5) मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि यह नई क्षमता वर्गीकृत शहरी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना पर लगाए गए प्रतिबन्ध की नीति का उल्लंघन नहीं करेगी।

हस्ताक्षर . . . .
साफ अक्षरों में नाम . . . .
निवास पता
पदनाम . . . .

दिनांक . . . .

भाग-3

आय कर घोषणा

(क) उन व्यक्तियों के विषय में जिनकी आय कर देने योग्य नहीं है।

मैं/हम एतद्द्वारा सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैं/हम अग्रिम कर सहित किसी भी आय कर का भुगतान करने का उत्तरदायी नहीं हूं/नहीं हैं, क्योंकि मेरे/हमारे द्वारा अर्जित आय वर्तमान लेखा वर्ष और पिछले चार लेखा वर्षों में उस अधिकतम सीमा से कम रही है जिस पर कोई कर नहीं लगता है।

(ख) उन व्यक्तियों के मामले में जिनकी आय कर देने योग्य है।

मैं/हम एतद्द्वारा निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं/करते हैं कि:—

(1) मैंने/हमने आज तक मेरे/हमारे द्वारा देय आय का विवरण आय-कर विभाग को भेज दिया है।

(2) मैंने/हमने मेरे/हमारे द्वारा देय अग्रिम कर सहित सभी कर किन्तु सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थगित कर मांग के अतिरिक्त आयकर अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान कर दिए हैं।

(3) मुझे/हमें पिछले तीन कैलेंडर वर्षों के दौरान आय/धन छुपाने के लिए दण्ड नहीं दिया गया*/दोषी नहीं ठहराया गया है।

(4)**(क) मैं/हम एतद्द्वारा निष्ठापूर्वक घोषणा हूं/करते हैं कि उपर्युक्त घोषणा उन कम्पनियों जिनमें मेरे/हमारे महत्वपूर्ण हिस्से हैं**अथवा व्यक्तियों की वे फर्म अथवा संघ जिनमें मैं/हम क्रमशः साझेदार या सदस्य हूं/हैं के विषय में भी लागू होती है।

अथवा

उपर्युक्त घोषणा उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में लागू होती है, जो आवेदक कम्पनी में महत्वपूर्ण साझा** रखते हैं अथवा जो आवेदक संघ के सदस्य हैं अथवा आवेदक फर्म के भागीदार हैं।

हस्ताक्षर . . . .
पता . . . .

स्थान . . . .
दिनांक . . . .

स्थायी लेखा संख्या
उस आय-कर अधिकारी का पदनाम जिसने कर निर्धारित किया है/जिस के पास कर निर्धारित किया जाना है . . . .

*यदि जुर्माने को वसूल करने के विरुद्ध एक अपील दाखिल की गई है और अपील आयकर के अपील सहायक आयुक्त अथवा आयकर अपील अधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है तो इस घोषणा के प्रयोजनार्थ ऐसे जुर्माने पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है।

**शब्द "महत्वपूर्ण साझा" का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 के खण्ड 40 (ए) (2) में बताया गया है।

प्रपत्र 'ख'

लाइसेंसों के पुनर्वैधीकरण के आवेदन-पत्र का प्रपत्र

1. लाइसेंसधारी का नाम और पूरा पता
2. लाइसेंस संख्या, तिथि एवं मूल्य
3. लाइसेंस प्राधिकारी की जिस मिसिल से लाइसेंस जारी किया गया था उसकी संख्या
4. माल का ब्यौरा
5. यदि कोई हो, तो पहले से ही प्राप्त पुनर्वैधीकरण अवधि सहित प्रारम्भिक वैधता अवधि के दौरान किए गए पक्के सौदों का मूल्य।
(समर्थक दस्तावेजी साक्ष्य भेजे जाने चाहिएं)
6. यदि कोई हो तो पहले से ही प्राप्त वैधता अवधि सहित प्रारम्भिक वैधता अवधि के दौरान माल के पोत लदान का मूल्य।
7. उस सौदे का मूल्य जिसके मद्दे अभी पोतलदान किया जाना है
8. क्या पुनर्वैधीकरण के लिए प्रथम अथवा द्वितीय अथवा तत्पश्चात अनुरोध किया गया है। (द्वितीय अथवा उसके बाद के अनुरोध के मामले में पहले उपलब्ध की गई वैधता अवधि अवश्य दें)।
9. पुनर्वैधीकरण प्राप्त करने के कारण (समर्थक दस्तावेज भेजे जाने चाहिएं)।
10. आवेदित पुनर्वैधीकरण की अवधि।
11. संलग्नकों की संख्या।

टिप्पणी:—50/- रुपये की बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट अवश्य संलग्न किया जाना चाहिए।

घोषणा

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। मुझे/हमें ज्ञात है कि भेजे गए विवरण के आधार पर मुझे/हमे प्रदान किए गए किसी भी पुनर्वैधीकरण में कोई भी विवरण या तथ्य गलत या असत्य पाया गया तो सरकार द्वारा लगाए गए किसी अन्य जुर्माने अथवा कोई अन्य कार्यवाई जो मामले की परिस्थितियों को देखते हुए की जा सकती है, के साथ-साथ उसे रद्द अथवा अप्रभावकारी किया जा सकता है।

(पूरे नाम सहित हस्ताक्षर) . . . . .
पदनाम . . . .

सम्बन्ध

पूरा पता . . . .

स्थान . . . .
दिनांक . . . .

प्रपत्र सी. जी. (गैर निवासी भारतीय)

विशेष सुविधाओं के अन्तर्गत गैर निवासी भारतीयों द्वारा पूंजीगत माल के आयात के लिए आवेदन-पत्र का प्रपत्र।

(पांच प्रतियां भेजी जानी हैं)

1. **आवेदक का ब्यौरा**

1.1 नाम

1.2 जिस देश में रह रहा है वहां का पता

1.3 वर्तमान राष्ट्रिकता

1.4 यदि कोई हो, तो भारत का पता

1.5 पत्र व्यवहार के लिए डाक पता

1.6 क्या भारत में रहने के लिए वापस आना चाहता है। यदि हां, तो भारत में किस तारीख तक आने का प्रस्ताव है

2. **प्रस्तावित प्रतिष्ठान की किस्म**

2.1 स्वामित्व/साझेदारी/प्रा० लि०/पब्लिक लि०।

2.2 लि० कम्पनी के मामले में, पूंजीगत ढांचे का विवरण (रुपए लाख में)

प्राधिकृत

जारी किया गया

प्रदा किया गया

2.3 स्वामियों/साझीदारों/निदेशकों के नाम और भारतीय पते। गैर निवासी भारत में रहने वाले भारतीय

3 **प्रस्तावित औद्योगिक एकक के विवरण :—**

3.1 प्रस्तावित एकक का नाम और स्थान :—

1 नाम

2. स्थान

जगह

जिला

राज्य

3.2 (1) क्या आपने एकक के पंजीकरण के लिए उचित प्राधिकारी को आवेदन किया है।

(2) यदि हां, तो किस को आवेदन भेजा है।

(3) यदि नहीं, तो आप कब ऐसा करना चाहते हैं।

3.3 विनिर्माण की प्रस्तावित मद और वार्षिक क्षमता

विनिर्मित मद (मदें)	वार्षिक प्रस्तावित क्षमता	
	मात्रा	मूल्य (लाख रुपए में)
(1)		
(2)		
(3)		

3.4 आयातित कच्चे माल और संघटकों की अनुमानित वार्षिक आवश्यकता।

वर्ष	मद	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4
पहला वर्ष			
दूसरा वर्ष			
तीसरा वर्ष			
चौथा वर्ष			
पांचवा वर्ष			

3.5 आयात प्रतिस्थापना के लिए चरणवार विनिर्माण कार्यक्रम। पांच वर्षों के लिए ब्यौरे दें।

वर्ष	विनिर्माण की मद	वार्षिक उत्पादन		आयातित वस्तु के लागत बीमा भाड़ा मूल्य का प्रतिशत (अर्थात् सारे आयातित कच्चे माल और संघटकों का जोड़)
		मात्रा	कारखाना मूल्य (लाख रुपए में)	
1	2	3	4	5
पहला वर्ष				
(1)				
(2)				
(3)				
(4)				
दूसरा वर्ष				
(1)				
(2)				
(3)				
(4)				
तीसरा वर्ष आदि				

3.6 क्या विनिर्माण की जाने वाली प्रस्तावित वस्तुओं का निर्यात किया जा सकता है यदि हां, तो क्या आप उत्पादन का प्रतिशत और मूल्य के अनुसार निर्यात आभार का वचन देंगे।

3.7 एकक में नियुक्त किया जाने वाला प्रस्तावित स्टाफ और मजदूर

(क) प्रबन्धकीय

(ख) सुपरवाइजरी

(1) तकनीकी

(2) गैर-तकनीकी

(ग) लिपिकीय

(घ) मजदूर

(1) कुशल

(2) अर्धकुशल

(3) अकुशल

(4) कुल

4. पूंजी निवेश

4.1 कुल पूंजी निवेश (भूमि, भवन और मशीनरी में)

प्रस्तावित पूंजी निवेश रुपए में

(1) भूमि और भवन

(2) मशीनरी

(3) जोड़

4.2 निम्नलिखित रूप में भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों की पूंजी निवेश

(1) पूंजीगत माल के आयात के लिए वित्त दान

(2) नकद प्रेषण

(3) जोड़

5. आवेदित पूंजीगत माल का विवरण

5.1	विवरण	मात्रा	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य रुपए में	उद्गम का देश
(1)				
(2)				
(3)				

कुल जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य रुपयों में

5.2 प्रारम्भिक फालतू पुर्जों का मूल्य (जहाज पर्यन्त निशुल्क) (रुपए)

5.3 अनुमानित भाड़ा (रुपए)

5.4 बीमा (रुपए)

(1) कुल लागत बीमा भाड़ा मूल्य (5.1+5.2+5.3+5.4) रुपए में

(2) विदेशी मुद्रा में

(3) विदेशी मुद्रा में रुपए के परिवर्तन में प्रयुक्त मुद्रा विनिमय की दर

5.5 मशीनरी की हालत—क्या नई, पुरानी या मरम्मत की हुई है।

5.6 क्या परियोजना के लिए वर्तमान आवेदन पत्र में पूरी होने वाली मदों के अतिरिक्त पूंजीगत माल के किसी और आयात की परिकल्पना की गई है।

6. जारी किए जाने वाले आयात लाइसेंसों में उपयोग करने के लिए विशिष्ट सूचना।

6.1 माल की निकासी के लिए पंजीकरण का पत्तन।

6.2 आयात लाइसेंस के लिए अपेक्षित वैध अवधि।

6.3 अपेक्षित "परियोजना आयात" के रूप में शुल्क की रियायती दर उपलब्ध करने का पृष्ठांकन।

7. समर्थक दस्तावेजों/सूचना का ब्यौरा

7.1 शुल्क के भुगतान के सम्बन्ध में मूल बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट सं.-- दिनांक ------ मूल्य रुपयों में -------- संलग्न है।

7.2 प्रत्येक मुख्य मद के अलग 2 लागत बीमा भाड़ा मूल्य के ब्रेकअप सहित पूंजीगत माल की विस्तृत सूची की सात प्रतियां संलग्न हैं।

7.3 लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य में शामिल किए गए (1) भाड़े (2) बीमे की धनराशि को अलग दिखाते हुए माल के मूल्य समर्थन में प्रपत्र बीजक/अन्य दस्तावेजी साक्ष्य की साक्ष्यांकित प्रति या फोटोस्टेट चार प्रतियां संलग्न हैं।

7.4 आयात किए जाने वाले माल का पूरा ब्यौरा देते हुए साहित्य/पैम्फलेट/विशिष्टिकरण की प्रतियां संलग्न हैं।

7.5 यदि पुरानी/मरम्मत की हुई मशीनरी का आयात किया जाना है तो, सनदी अभियन्ता से मशीनरी की आयु, वर्तमान स्थिति, मूल और वर्तमान और सम्भावित शेष आयु को प्रमाणित करते हुए एक प्रमाण पत्र

7.6 यदि विनिर्माण की प्रस्तावित मद के लिए विदेशी सहयोग की आवश्यकता है। संलग्न है।

(1) यदि विदेशी सहयोग पहले ही प्राप्त कर लिया है तो सरकारी अनुमोदन को दिखाते हुए दस्तावेजी साक्ष्य — लागू नहीं होता।

(2) विदेशी सहयोग के लिए आवेदन पत्र — लागू नहीं होता।

घोषणा

1. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण जहां तक मुझे/हमें जानकारी और विश्वास है, सत्य और सही है।

2. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि माल का आयात जिसके लिए आवेदन किया गया है वह केवल.... (अंतिम उत्पाद का नाम) के विनिर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा।

3. मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि न तो संयंत्र और मशीनरी, कच्चे माल/संघटकों के रूप में या अन्यथा रूप से लगाई गई पूंजी से, अर्जित करके लाई हुई विदेशी मुद्रा और न ही इन निवेशों पर कमाए गए लाभ को देश से बाहर प्रत्यावर्तित किया जाएगा।

4. मैं/हम सीमा शुल्क निकासी परमिट के जारी होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर सम्बन्धित प्राधिकारियों के पास एकक का पंजीकरण करा लूंगा/लेंगे।

5. मैं/हम आयातित मशीनरी को 5 वर्ष तक नहीं बेचूंगा/बेचेंगे।

6. मशीनरी स्थापित किए जाने वाले औद्योगिक एकक में उपयोग की जाएगी और उस प्रयोजन के लिए काम में लाई जाएगी जिसके लिए आयात की स्वीकृति मिली है।

7. मैं/हम भारत में स्थायी रूप से रहने के लिए........ की अवधि के भीतर लौट आऊंगा/आएंगे।

8. मेरा/हमारा भारत को तत्काल लौटने का इरादा नहीं है।

जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

पदनाम

पदनाम

टिप्पणी

(क) औद्योगिक लाइसेंस

(1) औद्योगिक लाइसेंस के लिए तब आवश्यकता पड़ेगी :

(1) जबकि भूमि, भवन, संयन्त्र और मशीनरी में नियत सम्पत्ति के रूप में प्रस्तावित एकक में कुल पूंजी निवेश 3 करोड़ रुपए से अधिक हो।

(2) यदि इस्पात और एल्यूमीनियम और संघटकों को छोड़कर कच्चे माल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की वार्षिक आवश्यकता, वार्षिक उत्पादन के कारखाना मूल्य के 10 प्रतिशत या 25 लाख रुपए से अधिक है, इन में से जो भी कम हो।

(3) यदि पुर्जों और संघटकों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की वार्षिक आवश्यकता, उत्पादन प्रारम्भ होने के 3 वर्षों के बाद किसी भी वर्ष में वार्षिक उत्पादन के कारखाना मूल्य के 10 प्रतिशत या 15 लाख रुपए से अधिक है, इन में से जो भी कम हो।

(4) यदि प्रस्तावित पूंजी निवेश किसी भी निम्नलिखित उद्योगों में से है :—

कोयला; विनिर्मित वस्त्र (इसमें वे भी शामिल हैं जो रंग हुए हों, प्रिंट किए हुए हों या अन्यथा रूप से संसाधित किए गए हों) जो बिजली के करघों से उत्पादित या तैयार किए हुए हों, दुग्ध सामग्री; माल्टिड खाद्य सामग्री; रोलर फ्लोर मिलिंग; तेल बीजों की पेराई; वनस्पति लेवर मैचिज; अल्कोहली पेयों का आसवन या मद्यकरण। छीजन पर आधारित बिजली की भट्ठियों से अभी किस्म का इस्पात; लोहे और इस्पात को पाइप और ट्यूब और जंगावरोधी ट्यूब; चमकीली छड़ें; टिन के पात्र और धातु के पात्र, ड्रम और बैरल; नरम इस्पात की तार; कोट किया हुआ और बिना कोट किया हुआ विशेष इस्पात और मिश्र-धातु इस्पात, इस्पात का पुनः गोला बनाने के लिए जिसमें लट्ठों में उपयोग करने के लिए ताप बेलित छड़ें/राड और सेक्शन या कच्चे माल के रूप में छीजन का पुनः गोला बनाने के योग्य करने के योग्य करने के लिए विनिर्माण और कोल्ड रोल्ड इस्पातस्ट्रिप्स और बाक्स स्ट्रैपिंग भी शामिल हैं; गैर अलोह संमीज, मिश्र धातु, चपटे उत्पाद और एक्स्ट्रूशन जिसमें एल्यूमीनियम संमीज भी शामिल है; संसाधित प्लास्टिक का माल, औद्यो-

गिक गैस; गढ़े हुए इस्पात; ए. ए. सी./ए. जी. एम. आर. कन्डक्टर और फार्मलडिहाइट।

(5) यदि विनिर्माण की मद छोटे पैमाने के क्षेत्र के लिए आरक्षित है (छोटे पैमाने के एकक वे उपक्रम हैं जिनमें संयंत्र और मशीनरी में लगाई गई सम्पत्ति का कुल पूंजी निवेश 10 लाख रुपए से अधिक नहीं है या यदि वे सहायक एकक हैं तो 15 लाख रुपये से अधिक नहीं है)। जो मदें छोटे पैमाने के क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं उनकी संख्या 807 है। इन मदों की सूची, विकास आयुक्त, लघु पैमाना उद्योग, निर्माण भवन, नई दिल्ली के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है या विभिन्न राज्यों में उद्योग निदेशक या भारतीय पूंजी निवेश केन्द्र "जीवन विहार" संसद मार्ग, नई दिल्ली का भारत में और विदेश में उसकी शाखाओं से प्राप्त की जा सकती है।

(2) औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय, उद्योग मंत्रालय, उद्योग-भवन, नई दिल्ली को औद्योगिक लाइसेंस प्रपत्र में भेजना चाहिए।

(3) सरकार ने यह निश्चय किया है कि 1981 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले विशाल महानगरों और 5 लाख से अधिक आबादी के शहरी क्षेत्रों की सीमा के भीतर नए औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए कोई और आगे लाइसेंस प्रदान नहीं किए जाएंगे।

(ख) विदेशी सहयोग

(1) भारत में न रहने वाले वह भारतीय जो विदेशी सहयोग से औद्योगिक एकक स्थापित करना चाहते हैं वह ऐसा केवल भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने पर ही कर सकते हैं। एफ. सी. प्रपत्र में एक आवेदन पत्र अलग से औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय (विदेशी सहयोग एकक), उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली को भेजना पड़ेगा।

(2) यदि विनिर्माण की मद के लिए भी उपर्युक्त उल्लिखित परिमाप के अनुसार औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता है तो उन्हें विदेशी सहयोग और औद्योगिक लाइसेंस दोनों के लिए ही मिश्रित आवेदन पत्र भेजना चाहिए ताकि वे दोनों साथ-साथ निपटाए जा सकें।

प्रपत्र छ से झ

अग्न्यस्त्र के लिए सीमा शुल्क निकासी परमिटों के लिए आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम।
2. आवेदक का पूरा पता।
3. वे मदें जिनके लिए सीमा शुल्क निकासी परमिट की आवश्यकता है।
4. अग्न्यस्त्र का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य।
5. आवेदक के साथ उपहारकर्ता का सम्बन्ध।
6. उपहार के लिए अवसर।
7. विदेश से उपहार भेजने वाले का नाम, पता एवं व्यवसाय।
8. उपहारकर्ता की राष्ट्रिकता।
9. उपहारकर्ता के विदेश में ठहरने की अवधि।
10. वर्ष के दौरान आवेदक द्वारा प्राप्त उपहार (रों) का मूल्य और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए/आवेदन किए गए सीमा शुल्क निकासी परमिटों का विवरण।

घोषणा

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त विवरण सत्य और सही है। मैं/हम अच्छी तरह से समझता हूं/समझते हैं कि यदि यह पाया गया कि प्रस्तुत किए गए विवरण में कोई विवरण या तथ्य गलत या झूठा है तो उसके आधार पर मुझको/हमको प्रदान किया गया कोई भी सीमा शुल्क निकासी परमिट/लाइसेंस सरकार द्वारा लागू किए गए किसी अन्य जुर्माना अथवा इस मामले की स्थिति को ध्यान में रखते हुए की गई कोई अन्य कार्यवाही के अतिरिक्त इसे रद्द किया जा सकता है या अप्रभावी किया जा सकता है।

(पूर्ण नाम सहित हस्ताक्षर)

पदनाम ....

सम्बन्ध ....

पूरा पता . . . . . .

स्थान...............

दिनांक..............

अपेक्षित दस्तावेज:

1. उपहारकर्ता का मूल रूप में पत्र।
2. मैजिस्ट्रेट अथवा नोटरी पब्लिक के समक्ष उपर्युक्त मूल्य के स्टाम्प-कागज पर विधिवत् शपथ लेते हुए एक शपथ पत्र। (क) आवेदक के साथ उपहारकर्ता का ठीक-ठीक रिश्ता दर्शाते हुए। (ख) यह घोषणा करते हुए कि उसने अथवा उसकी पत्नी/उसके पति ने कोई भी अग्न्यस्त्र, अर्थात् रिवाल्वर, पिस्तौल, राइफल इत्यादि उपहार के रूप में अथवा अन्यथारूप से पिछले 10 वर्षों से आयात नहीं किया था, और (ग) यह वचन पत्र कि सीमा शुल्क निकासी परमिट के अन्तर्गत आने वाले अग्न्यस्त्र, यदि उनके नाम में जारी किया गया था, तो मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की विशिष्ट अनुमति प्राप्त किए बिना इसके आयात करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के अन्तर्गत इसको न तो बेचा जाएगा या अन्याथारूप में निपटाया जाएगा और न ही अलग किया जाएगा।

3. उपहारकर्ता से एक शपथ पत्र यह दर्शाते हुए कि उसकी/उनकी विदेश में निरन्तर आवास की अवधि और उनके पासपोर्ट का विवरण और भारत में उनके अंतिम बार आने की तिथि और अवधि क्या है; और

4. भारत में उचित लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया वैध अस्त्र लाइसेंस।

प्रपत्र-छ-2

सीमा शुल्क निकासी परमिट (अग्न्यशस्त्र से भिन्न) के लिए आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नाम

2. आवेदक का पूरा पता

3. आयात की मदों का विस्तृत ब्यौरा (मुद्रित सूची पत्र आदि के साथ)

4. भारतीय रुपयों में उपहार (रों) का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य (प्रपत्र बीजक मूल रूप में संलग्न करना है)

5. क्या बीमा भाड़े के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है? यदि हां, तो भारतीय रुपए में उसकी धन राशि।

6. आवेदक के साथ दाता/दान देने वाले अभिकरण की रिश्तेदारी/सम्बन्ध

7. उपहार देने का उद्देश्य

8. विदेश में रहने वाले दाता का नाम, राष्ट्रिकता, पता और व्यवसाय

9. दाता का पत्र (मूल रूप में)

10. वर्ष के दौरान आवेदक द्वारा प्राप्त उपहार (रों) का मूल्य और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान उसको जारी किए गए सीमा शुल्क निकासी परमिटों/उसके द्वारा जिन सीमा शुल्क निकासी परमिटों के लिए आवेदन किया गया है उनके ब्यौरे।

11. संस्थाओं, ट्रस्ट, समुदाय और समितियों आदि के सम्बन्ध में, कृपया यह बताएः—

(1) क्या संस्थान आदि किसी सरकारी प्राधिकरण के पास पंजीकृत है और यदि हां, तो पंजीकरण/मान्यता प्रमाण-पत्र की सही रूप से अधिप्रमाणित प्रति भेजी जाए।

(2) निदेशकों/अध्यक्षों आदि का नाम और पता (जैसा भी मामला हो) दर्शाया जाए।

12. क्या यह जाति, रंग और भेद का ध्यान न रखते हुए स्वतन्त्र वितरण के लिए है अथवा क्या इसका उपयोग केवल संस्थान/ट्रस्ट आदि के ही लिए है? आवेदक द्वारा यदि कोई सामाजिक कल्याण कार्य किया गया है तो उसका संक्षेप विवरण भेजा जाए। (यदि उपहार/दान का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य एक लाख रुपए से अधिक हो, तो सम्बद्ध राज्य सरकार विभाग की सिफारिश मूलरूप में)

घोषणा

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। मैं/हम अच्छी तरह से समझते हैं कि यदि यह पाया गया कि प्रस्तुत किए गए विवरणपत्र में कोई विवरण या तथ्य गलत या झूठा है तो प्रस्तुत किए गए विवरणपत्र के आधार पर मुझे/हमें जारी किया गया कोई भी सीमा-शुल्क निकासी परमिट लाइसेंस उस अन्य जुर्माने या अन्य कार्रवाई को ध्यान में रखे बिना रद्द किया जा सकता है, या अप्रभावी किया जा सकता है जो सरकार मामले की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अधिरोपित करें।

1. . . . .

(पूर्ण नाम के साथ हस्ताक्षर)

पदनाम

सम्बन्ध

पूरा पता

स्थान

दिनांक

अपेक्षित दस्तावेजः—

(1) दाता का पत्र (मूल रूप में)

(2) मदों, बीजक प्रपत्र की मुद्रित सूची/पुस्तिका

(3) राज्य सरकार के सिफारिश पत्र का विवरण (जहां आवश्यक हो)

(4) मैजिस्ट्रेट नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित दाता का शपथ पत्र या यदि उपहार (रों) 2000/- रुपए मूल्य से अधिक का है/के हैं तो उसके नियोक्ता से यह प्रमाण पत्र कि उपहार, दाता की अर्जित विदेशी मुद्रा में से खरीदा गया है।

प्रपत्र-ख

चिकित्सा महाविद्यालयों सहित अस्पतालों/शिक्षा संस्थानों द्वारा माल के आयात के लिए आवेदन-पत्र का प्रपत्र।

भाग-1

(लाइसेंस कार्यालय में उपयोग के लिए आवेदक द्वारा भरा जाना है)

क. आवेदक के ब्यौरे

1. अस्पताल/शिक्षण संस्थान का नाम
2. डाक का पूरा पता :—
   (1) मकान/दुकान की सं.
   (2) गली/सड़क का नाम
   (3) स्थान और शहर का नाम
   (4) राज्य का नाम
3. तार का पता।

ख. आवेदन पत्र के ब्यौरे

1. बैंक रसीद/डिमान्ड ड्राफ्ट संख्या और दिनांक (बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट की मूल प्रति संलग्न की जानी है)।
2. वह लाइसेंस अवधि जिसके लिए आवेदन किया गया है।
3. जिस देश में माल बना हुआ है यदि उससे भिन्न किसी दूसरे देश को माल आयात किया जाता है तो उसके कारणों का पूर्ण विवरण दिया जाना चाहिए।

ग. भेजी जाने वाली सामान्य सूचना

1. स्थापना की तिथि।
2. क्या अस्पताल/शिक्षण संस्थान का प्रबन्ध सरकार अथवा किसी निगम/नगरपालिका आदि या दानशील संस्था (नाम दिया जाना है) द्वारा किया जाता है : यदि सरकार द्वारा प्रबन्ध किया जाता है तो क्या इसका प्रबन्ध केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।
3. वार्ड की संख्या और प्रत्येक वार्ड में बिस्तरों की संख्या।
4. अनुदानों का ब्यौरा, यदि कोई केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी अन्य निकाय से प्राप्त की गई हो (नाम दिया जाना है)।
5. आवेदक के पास उपलब्ध मुख्य उपस्कर और उपकरण की सूची (सूचियां संलग्न की जाएं)।
6. क्या आयात किया जाने वाला प्रस्तावित उपस्कर नया, पूर्ण अथवा एक मुख्य प्रतिस्थापक है।
7. विभाग/पाठ्यक्रम/विषय आदि या अन्य प्रयोजन, यदि कोई हो, जिसके लिए आवेदन-पत्र के अन्तर्गत आने वाले स्टोर की जरूरत है।
8. नामावली में विद्यार्थियों की संख्या।
9. संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।
10. प्रत्येक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की संख्या।
11. अनुसंधान कार्य करने वाले नामांकित विद्यार्थियों की संख्या।
12. वह विषय जिस पर अनुसंधान हो रहा है।
13. आवेदन-पत्र के साथ संलग्नकों के ब्यौरे (दस्तावेज की प्रत्येक प्रति पर सत्यप्रति का चिह्न होना चाहिए और आवेदक द्वारा नीचे हस्ताक्षर होने चाहिएं।)

भाग-2

(प्रायोजक प्राधिकारी और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा उपयोग में लाने के लिए आवेदक द्वारा भरा जाना है।)

1. आयात किए जाने वाले प्रस्तावित उपस्कर का औचित्य और आवश्यकता तथा जिस कार्य के लिए उपस्कर का उपयोग किया जाना है उसकी किस्म।
2. यदि उपलब्ध हो तो इसी प्रकार के विद्यमान उपस्कर का ब्यौरा, उसकी खरीद, मूल्य और वर्तमान दशा के ब्यौरे का संकेत करें।
3. आयात किए जाने वाले माल का ब्यौरा :—

आई० टी० सी० क्रम सं०	**मद**	**मात्रा/संख्या**	**मूल्य (लागत-बीमा-भाड़ा)**

4 पिछली तीन लाइसेंस अवधियों में प्राप्त किए गए आयात लाइसेंसों का ब्यौरा :—

लाइसेंस अवधि	**लाइसेंस सं० और दिनांक**	**लागत-बीमा-भाड़ा-मूल्य**	**माल का ब्यौरा**	**किया गया आयात और उस का उपयोग**
1.				
2.				
3.				

1. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि यदि यह लाइसेंस प्रदान किया गया तो माल केवल मेरे/हमारे अस्पतालों/शिक्षा संस्थानों में उपयोग में लाया जाएगा और उसका कोई भी भाग बेचा नहीं जाएगा अथवा किसी अन्य पार्टी द्वारा उपयोग में लाने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

2. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि जहां तक मुझे/हमें जानकारी और विश्वास है उपर्युक्त विवरण सत्य और सही है।

मुझे/हमें पूर्णतया ज्ञात है कि प्रस्तुत किए गए विवरण में यदि यह पाया गया कि कोई भी विवरण या तथ्य गलत या असत्य है तो मुझे/हमें प्रदान किया गया कोई भी लाइसेंस दिए गए विवरण के आधार पर किसी भी अन्य जुर्माने जिसे सरकार लगा सकती है अथवा मामले की परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी की जाने वाली कार्रवाई के अतिरिक्त उसे रद्द किया जा सकता है।

हस्ताक्षर ....

साफ साफ अक्षरों में नाम.........

पद नाम ....

दिनांक ....

निवास स्थान का पता ....

....

भाग 3

(प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा दो प्रतियों में भरा जाना है)

1. सिफारिश किए गए माल का ब्यौरा:—

क्रम सं०	सिफारिश किए गए माल का पूर्ण ब्यौरा	आवेदक के पास पहले ही इसी प्रकार का माल है या नहीं
(1)		
(2)		
(3)		

2. क्या महानिदेशक तकनीकी विकास से निकासी प्राप्त कर ली गई है। (महानिदेशक, तकनीकी विकास के सन्दर्भ की सं. और दिनांक दिया जाना है)।

3. उन मदों के मामले में जिनका आयात राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जा रहा है, क्या राज्य व्यापार निगम ने माल का संभरण करने में असमर्थता प्रकट की है। (उनके पत्र की सं. और दिनांक दिया जाना है)।

प्रायोजक प्राधिकारी के हस्ताक्षर

....

टिप्पणी:—प्रायोजक प्राधिकारी को यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि:—

(1) आवेदन-पत्र की अभिशंसा करने से पूर्व महानिदेशक, तकनीकी विकास से वैसी निकासी प्राप्त हो गई है। स्वदेशी निकासी प्राप्त करते समय मशीन का पूर्ण विवरण और पत्र अथवा अन्य साहित्य, यदि वह आवश्यक हो, तो महानिदेशक तकनीकी विकास, नई दिल्ली को भेजे जाने चाहिए।

(2) आवेदन-पत्र के सभी कालम आवेदक द्वारा सही तरीके से भर दिए गए हैं, अपूर्ण आवेदन-पत्र की अभिशंसा नहीं की जाए।

संलग्नकों की सूची ....

परिशिष्ट--11--(क्रमश:)

प्रपत्र--ख

समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के लिए अखबारी कागज आबंटन के लिए आवेदन पत्र

भाग-1

1. आवेदक का नाम
2. समाचार पत्र/पत्रिका का नाम, अवधि और भाषा
3. पूरा डाक पता
4. (क) वह तिथि जिस से समाचार-पत्र/पत्रिका लगातार प्रकाशित होती है।
   (ख) भारत के समाचार-पत्र पंजीयक द्वारा दी गई पंजीकरण संख्या।
   (ग) जिलाधीश के पास अद्यतन दाखिल किए गए घोषणा पत्र की तिथि।
5. फर्म का दर्जा अर्थात् सार्वजनिक/निजी/स्वामित्व वाली आदि; और संचालकों/साझीदारों आदि के नाम
6. 12 मास के लिए अपेक्षित अखबारी कागज की मात्रा/मूल्य
7. (क) क्रमिक सुपुर्दगी की आवश्यकता
   (ख) प्राधिकृत अभिकर्ता का नाम
8. जिन अखबारों/पत्रिकाओं का आवेदक मालिक है उनके नाम और अन्य ब्यौरे

समाचार पत्रों का शीर्षक	भाषा और अवधि	प्रकाशन का स्थान	क्या अखबारी कागज सरकार द्वारा प्राप्त किया जा रहा है
1	2	3	4
(1)			
(2)			
(3)			
(4)			

9. समाचार पत्र/पत्रिकाओं के लिए प्रत्येक प्रकाशन के दिन प्रचलन इत्यादि का विवरण :
   (क) प्रस्तावित प्रकाशन की तिथि
   (ख) मुद्रण के लिए प्रस्तावित प्रतियों की औसतन संख्या
   (ग) पृष्ठों की औसतन संख्या
   (घ) समाचार पत्र/पत्रिकाओं के एक पृष्ठ का औसतन क्षेत्र (वर्ग सेंटीमीटर में)
   (ङ) प्रकाशन के दिनों की संख्या
10. अखबारी कागज का विवरण
   (चमकीले, गैर-चमकीले और नेपा को अलग-अलग निर्दिष्ट करें)।

मद सं०	मात्रा टनों में	स्रोत	मूल्य (लागत-बीमा-भाड़ा) (रुपयों में)
1	2	3	4
1982-83 के दौरान की गई खपत			
1983-84 वर्ष के लिए आवश्यकता			

11. अंतिम लाइसेंस वर्ष जिसमें आर० एन० आई० के कार्यालय से अखबारी कागज ले लिया गया था।
   (क) मशीन की किस्म (अर्थात् रोटरी/फ्लैटबैड/लेटर-प्रेस)
   (ख) अपेक्षित रीलों/शीटों का माप

घोषणा

1. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। मुझे/हमें भली-भांति ज्ञात है कि यदि इस विवरण पत्र में दिया गया कोई भी विवरण या तथ्य गलत या झूठा पाया गया तो मामले की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार जो अन्य जुर्माना लगाएगी या अन्य कार्रवाई करेगी उसके अतिरिक्त प्रस्तुत विवरण के आधार पर मुझे/हमें किया गया आबंटन रद्द किया जा सकता है।

2. मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि अखबारी कागज, यदि आबंटित किया गया तो इसका उपयोग उपर्युक्त पते पर हमारे प्रेस/परिसर/स्थापनाओं में होगा।

3. मैं/हम यह भली-भांति समझता हूं/समझते हैं कि सरणीबद्ध मदों का आबंटन आयात व्यापार नियंत्रण विनियमों के अधीन सरणीबद्ध एजेन्सी के माध्यम से किया जाता है और जिन शर्तों पर उपयोग के लिए ये मदें रिहा की जाती हैं उनका उल्लंघन करने पर तथा संशोधित आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के उपबन्धों और उसके अधीन जारी किए गए आदेशों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

4. मैंने/हमने आयात नीति/आयात-निर्यात क्रियाविधि हैंड बुक, 1983-84 में निहित सम्बद्ध परन्तुकों को ध्यानपूर्वक नोट कर लिया है।

हस्ताक्षर . . . .
साफ अक्षरों में नाम . . . . . .
. . . .
पदनाम . . . .
निवास स्थान का पता . . . .
. . . .

दिनांक . . . .

भाग 2

आयकर घोषणा प्रपत्र

(क) कर मुक्त आय वाले व्यक्तियों के संबंध में

मैं/हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैं/हम अग्रिम कर शामिल करने पर भी आयकर देने के लिए उत्तरदायी नहीं हूं/नहीं हैं क्योंकि वर्तमान लेखा वर्ष और पिछले चार लेखा वर्षों के दौरान मेरी/हमारी आय आयकर लगाने की न्यूनतम सीमा से कम है।

(ख) आयकर देने वाले व्यक्तियों के संबंध में

मैं/हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा करते हैं कि—

(1) मैंने/हमने आज की तारीख तक अपनी/हमारी आमदनी का विवरण आयकर विभाग को भेज दिया है।

(2) मैंने/हमने आयकर अधिनियम के अन्तर्गत मांगे गए उन करों को छोड़कर जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए हैं अग्रिम कर के साथ मुझे/हमें जो भी कर देने हैं उनके भुगतान कर दिए हैं।

(3) पिछले तीन कैलेण्डर वर्षों के दौरान आय छिपाने के लिए मैंने/हमने जुर्माना*/सजा नहीं पाई है।

4. (क) मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त घोषणा उन कम्पनियों के सम्बन्ध में भी लागू होती है जिसमें मैं/हम महत्वपूर्ण साझा **रखता हूं/रखते हैं अथवा उस वर्ग या व्यक्तियों के समुदाय के सम्बन्ध में भी लागू होती है जिसमें मैं/हम क्रमशः साझीदार अथवा सदस्य हूं/हैं।

अथवा

(ख) उपर्युक्त घोषणा उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में लागू होती है, जो आवेदक कम्पनी में महत्वपूर्ण साझा **रखते हैं अथवा जो आवेदक समुदाय के सदस्य या आवेदक फार्म के साझीदार हैं।

हस्ताक्षर . . . .
पता . . . .
स्थायी लेखा सं. . . . .

उस आयकर अधिकारी का पद नाम

जिसने आयकर निर्धारण किया है/करता है . . . .
. . . .
स्थान . . . .
दिनांक . . . .

*अर्थ दण्ड की उगाही के विरुद्ध यदि कोई अपील की गई है और वह अपील आयकर अपील सहायक आयुक्त अथवा आयकर अपील अदालत में निलम्बित है तो ऐसे अर्थदंड का इस घोषणा में वर्णन करना आवश्यक नहीं है।

**"महत्वपूर्ण साझा" शब्द का अर्थ वही होगा जैसा कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 40 (ए) (2) की व्याख्या में दिया गया है।

संलग्नकों की सूची:

प्रपत्र ञ

सरणीबद्ध अभिकरणों द्वारा माल के आयात के लिए आवेदनपत्र का प्रपत्र

1. आवेदक के नाम सहित पूरा पता . . . .

2. वह श्रेणी जिसके अन्तर्गत आवेदन किया गया है . . .
. . . .

3. अपेक्षित शुल्क का भुगतान दिखाते हुए बैंक रसीद की संख्या और दिनांक*
*(बैंक रसीद भी संलग्न होनी चाहिए)

4. लाइसेंस अवधि जिसके सम्बन्ध में आवेदन किया गया है . . . .

5. आयात किये जाने वाले माल का विवरण :

(क) माल का विवरण (आयात व्यापार नियंत्रण के भाग और क्रम सं. के साथ)

(ख) लागत बीमा-भाड़ा-मूल्य रुपए में

(ग) पोतलदान का देश

6. आयात के लिए वित्तीय प्राधिकरण. क्या वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा रिहा की गई विदेशी मुद्रा के मद्दे है। यदि हां, तो ब्यौरा दें। विदेशी मुद्रा की रिहाई से संबंधित स्वीकृति की एक साक्ष्यांकित प्रति साथ लगाई जानी चाहिए।

7. क्या उपर्युक्त कालम 6 के मद्दे आवेदक द्वारा कालम 5 में उल्लिखित अनुसार उसी क्रम सं. के अंतर्गत मद के लिए पहले से ही कोई आवेदनपत्र दिया गया है। यदि हां, तो ब्यौरा दें।

(क) क्या कोई सहायक/खण्ड लाइसेंस अपेक्षित है, ब्यौरा दें।

(ख) क्या सहायक/खण्ड लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक शुल्क जमा कर दिया गया है। कृपया मूल बैंक रसीद संलग्न करें।

8. कोई अन्य विवरण

9. आवेदन पत्र के साथ लगाए गए संलग्नक का पूरा ब्यौरा नीचे विवरण में भेजना चाहिए (दस्तावेजों की प्रत्येक प्रति उपक्रम के जिम्मेवार अधिकारी द्वारा सत्य प्रति के रूप में साक्ष्यांकित की जानी चाहिए।) . . . .

क्रम सं.	दस्तावेजों का नाम
1.	
2.	
3.	

मैं/हम एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण जहां तक मुझे/हमें जानकारी है एवं विश्वास है, सत्य और सही है। मुझे/हमें यह पूरी जानकारी है कि प्रस्तुत किए गए विवरण के आधार पर मुझे/हमें जो लाइसेंस प्रदान किया गया है, यदि उसके विवरण और तथ्य गलत या भ्रामक हैं तो जो अन्य कार्रवाई इस सम्बन्ध में की जा सकती है उसको ध्यान में रखे बिना ही उसे रद्द किया जा सकता है। मैं/हम आगे यह भी घोषणा करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें इस आवेदित माल के विवरण के सम्बन्ध में सरणीबद्ध अभिकरण के रूप में आयात लाइसेंस के लिए अर्हता प्राप्त है।

हस्ताक्षर . . . .

साफ अक्षरों में नाम

विवरण . . . .

घर का पता . . . .

दिनांक :

संलग्नकों की सूची

प्रपत्र-ट

तदर्थ/स्टाक और बिक्री आवेदन-पत्र के लिए प्रपत्र

1. आवेदक का नाम

पूरा डाक पता :—

(1) घर/दुकान की संख्या

(2) गली/सड़क का नाम

(3) बस्ती का नाम

(4) राज्य का नाम

(5) तार का पता

2. आयात का उद्देश्य

3. (क) भारत में व्यापार की स्थापना की तारीख

(ख) प्रतिष्ठान की किस्म क्या सार्वजनिक या प्रा. लि., या साझेदारी या स्वामित्व या हिन्दू अविभाजित परिवार प्रतिष्ठान है।

(ग) पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति

(घ) जैसा भी मामला हो, निदेशकों, साझेदारों, स्वामियों, कर्ता के नाम

(ङ) आवेदक के मुख्य कारोबार की वह किस्म (लाइन या लाइनें) जिसमें आवेदक लगा हुआ है।

(च) सम्बद्ध कंपनियों की शाखाओं का ब्यौरा (नाम और स्थान)

(1) भारत में

(2) विदेश में

(छ) क्या आवेदक द्वारा किसी देश से उसी अवधि को उसी क्रम सं. या उसी क्रम सं. की उपमद के अन्तर्गत आने वाले माल के लिए कोई आवेदनपत्र पहले ही दिया गया है। यदि हां, तो ब्यौरा दें।

4. अपेक्षित शुल्क के भुगतान को दिखाते हुए बैंक रसीद/बैंक ड्राफ्ट की संख्या और दिनांक

5 यह लाइसेंस अवधि जिसके सम्बन्ध में आवेदन किया गया है।

6. नीचे लिखे अनुसार माल के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएंगे :–

(1) माल का विवरण

(2) आयात व्यापार नियंत्रण अनुसूची, भाग और क्रम संख्या के अन्तर्गत वर्गीकरण

(3) आयात नीति के वे संगत परिशिष्ट आदि जिसके अन्तर्गत मद आती है।

(4) लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य रुपये में

(5) पोतलदान का देश

7. जहां पोतलदान उस देश से भिन्न देश से किया जाना है जहां माल का उद्गम हुआ है, तो उसके कारणों का पूरा विवरण दिया जाना चाहिए।

मैं/हम एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण जहां तक मुझे/हमें जानकारी है और विश्वास है सत्य और सही है। मुझे/हमें यह पूरी जानकारी है कि प्रस्तुत किए गए विवरण के आधार पर मुझे/हमें जो लाइसेंस प्रदान किया गया है, यदि उसमें यह पाया गया कि उसके विवरण या तथ्य गलत या भ्रामक है तो उसे रद्द किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त मामले के हालातों को देखते हुए सरकार कोई अन्य जुर्माना भी कर सकती है।

हस्ताक्षर . . . .

साफ अक्षरों में नाम . . . .

पदनाम . . . .

घर का पता . . . .

भाग 2

आयकर घोषणा

क. कर मुक्त आय के व्यक्तियों के मामले में:—

मैं/हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा पूर्वक यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैं/हम अग्रिम कर को मिला कर कोई भी आयकर देने के लिए देनदार नहीं हूं/हैं क्योंकि मेरे/हमारे द्वारा चालू लेखा वर्ष में और पिछले चार लेखा वर्षों के दौरान जो आय अर्जित की गई है वह कर लगने योग्य न्यूनतम सीमा से नीचे रही है।

ख. आयकर देने वाले व्यक्तियों के मामले में :–

मैं/हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा पूर्वक यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि :—

(1) मैंने/हमने आयकर विभाग को जो आज तक मेरे/हमारे ऊपर आय देय है उसकी विवरणी भेज दी है।

(2) मैंने/हमने उस कर मांग को छोड़कर जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा रोक रखी गई है, आयकर अधिनियम के अन्तर्गत मेरे/हमारे ऊपर देय अग्रिम कर मिला कर सभी करों का भुगतान कर दिया है।

(3) मैंने/हमने पिछले तीन पंचांग वर्षों के दौरान आय/संपत्ति को छुपाने के लिए जुर्माना* नहीं दिया है।/सजा* नहीं काटी है।

(4) (क) मैं/हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा पूर्वक यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त घोषणा उन कम्पनियों के मामले में भी लागू होती है जिनमें मैं/हम महत्वपूर्ण साझा* रखता हूं/रखते हैं या ऐसी फर्म या व्यक्तियों के समवाय जिनमें मैं/हम क्रमशः साझीदार या सदस्य हूं/हैं।

या

(ख) उपर्युक्त घोषणा उन व्यक्तियों के मामले में लागू होती है जो आवेदक कम्पनी में महत्वपूर्ण रूचि** रखते हैं या आवेदक संघ का सदस्य है या आवेदक फर्म का साझेदार है।

हस्ताक्षर . . . .

पता . . . .

स्थायी लेखा सं. . . . .

उस आयकर अधिकारी का पदनाम जिसने आयकर निर्धारण किया/करना है

स्थान . . . .

दिनांक . . . .

*यदि जुर्माने की उगाही के मद्दे अपील दाखिल की गई है और अपील आयकर के सहायक अपील आयुक्त या आयकर अपील अधिकरण के पास बकाया है तो इस जुर्माने को इस घोषणा के प्रयोजनार्थ ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है।

**"महत्वपूर्ण साझा" शब्दों का वही अर्थ लिया जाएगा जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 40 (ए) (2) की व्याख्या में दिया हुआ है।

संलग्नकों की सूची:—

प्रपत्र-ठ

डिजाइन और ड्राइंगों के आयात के लिए आवेदन-पत्र का प्रपत्र

अग्रेषण-पत्र की 5 प्रतियों के साथ 5 फालतू प्रतियों के साथ भेजा जाना है

भाग 'क'

1. आवेदक/कम्पनी का नाम और पता . . . .

2. भाग "क" विनिर्माण की वह लाइन जिसके लिए ड्राइंग की आवश्यकता है। . . . .

(1) वर्तमान व्यापार/विनिर्माण की मदें और यदि कोई हों तो उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की संख्या और तारीख।

(2) क्या उपर्युक्त उल्लिखित मद/मदें विदेशी सहयोग से विनिर्मित की जा रही है/हैं? यदि हां, तो कृपया प्रत्येक सहयोग का ब्यौरा दें, इन सहयोगियों के नाम और सहयोग की प्रकृति अर्थात तकनीकी और या वित्तीय भी दिए जाएं।

(3) (क) क्या विनिर्माण कार्यक्रम और ड्राइंग जिसके लिए डिजाइन आयात किए जाने हैं, के लिए कोई औद्योगिक लाइसेंस/मांग पत्र प्राप्त कर लिया गया है, यदि मद उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत आती है तो कृपया आप उसका संदर्भ लिखें; या

(ख) यदि महानिदेशक तकनीकी विकास के पास पंजीकृत है तो कृपया उसका संदर्भ लिखें; या

(ग) क्या प्रस्तावित विनिर्माण कार्यक्रम लघु पैमाने क्षेत्र में होगा? यदि हां, तो कृपया पंजीकरण सं. लिखें।

(4) (क) जिसके लिए डिजाइन और प्रलेखन के आयात की आवश्यकता है उसका पूर्ण उद्देश्य और औचित्य दें।

(ख) कृपया बनाई जाने वाली प्रस्तावित मशीनरी का विशेष ब्यौरा दें।

(ग) कृपया यह बताए कि इन डिजाइनों और ड्राइंगों के आधार के पर बनाई जाने वाली मशीनरी कैप्टिव उपयोग के लिए है या बिक्री के उत्पादन के लिए है।

(घ) (1) यदि बनाई जाने वाली मशीनरी, कैप्टिव उपयोग के लिए है तो कृपया उसका लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य बताएं अगर उसे आयात किया जाना था।

(2) आयातित डिजाइनों और ड्राइंगों की सहायता से बनाए जाने वाले देशी उपकरण में आयात की कितनी मात्रा है?

(3) आयातित डिजाइनों और ड्राइंगों की सहायता से बनाए गए देशी उपकरण का मूल्य क्या होगा?

(5) यदि उपकरण पूर्ण रूप से आयात किया गया है तो उसका मूल्य क्या होगा।

3. वार्षिक उत्पादन का अनुमानित मूल्य :

उत्पादन का वर्ष	मात्रा	कारखाना मूल्य (लाख रुपये)	आयातित संघटकों की देश में पहुंचने पर लागत को घटाने के बाद, यदि कोई हो तो कारखाना मूल्य क्या है ?
प्रथम वर्ष			
द्वितीय वर्ष			
आदि-आदि			

4. कारखाने का स्थान : तहसील   जिला   राज्य

5. निम्नलिखित पर किए जाने वाला अतिरिक्त निवेश

(1) भूमि

(2) भवन

(3) मशीन

(क) आयातित

(ख) देशी

6. चरणवार विनिर्माण कार्यक्रम का ब्यौरा अर्थात कच्चे माल और संघटकों की वह आयातित मात्रा और देशी मात्रा जो उत्पादन के काम में आएगी।

पहला वर्ष

दूसरा वर्ष

तीसरी वर्ष

आदि-आदि

7. उस विदेशी संभरक का नाम और पूरा पता जिससे भारतीय कम्पनी डिजाइन और ड्राइंग खरीदना चाहती है।

8. डिजाइन और ड्राईंग खरीदने की शर्तें :—

(1) डिजाइन और दस्तावेजी कारण /—
जानकारी का शुल्क   रुपए में   विदेशी मुद्रा में

(2) कृपया यह सूचित करें कि क्या देय धनराशि और ऊपर (1) के सामने उल्लिखित धनराशि संभरक के वास्तविक मूल्य को दर्शाती है या उसमें कर शामिल है और इसलिए कर घटाने के बाद देय है।

9 समझौते के अनुसरण में विदेशी पार्टी द्वारा डिजाइनों और ड्राइंगों की आपूर्ति के अलावा उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली विशेष सेवाएँ क्या हैं ?

10 कृपया बताएं यदि विदेशी संभरक तकनीकी जानकारी/उत्पादन डिजाइन/इंजीनियरी डिजाइन के लिए राजी कर लिए जाते हैं जैसा कि अन्य भारतीय पार्टियों के लिए भी उपलब्ध कराया जाता है तो क्या यह जरूरी है होगा कि सभी संबद्ध पार्टियों शर्तों पर पारस्परिक रूप से राजी हों जिनमें विदेशी संभरक भी शामिल हैं और क्या ये सरकार के अनुमोदन के अधीन है ?

11. क्या आवेदक ने पहले कभी डिजाइन और ड्राइंग्स का आयात किया है। यदि हां तो ऐसे डिजाइन और ड्राइंग्स के विवरण एवं संबंधित अनुमोदनपत्र की सं० एवं दिनांक दें।

12. आवेदक संबंधित तकनीक के मामले में अनुसंधान एवं विकास के लिए क्या कदम उठाना चाहता है ? संक्षिप्त विवरण दें।

आवेदक पार्टी के हस्ताक्षर

पदनाम

दिनांक :

स्थान :

प्रपत्र—ठ

वास्तविक उपयोक्ताओं की ओर से उद्योग के संघ/निर्यात सदन/व्यापार सदनों द्वारा आयात करने के लिए आवेदन-पत्र का प्रपत्र

1. आवेदक का नाम
(पूरे डाक पते के साथ)

2. (क) फर्म का दर्जा : क्या सार्वजनिक क्षेत्र निगम, सहकारी समिति, उद्योग का संघ, निर्यात सदन, व्यापार सदन है।
(ख) जैसा भी मामला हो, निदेशकों, साझीदारों, स्वामियों और पदधारियों का नाम।
(ग) शाखाओं के ब्यौरे, यदि कोई हों तो।

3. प्रस्तावित थोक आयात को प्राधिकृत करते हुए राज्य उद्योग निदेशक द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र की प्रति (यह संघ/सहकारी समितियों के मामले में ही भेजना चाहिए)।

4. अपेक्षित शुल्क का भुगतान दर्शाते हुए बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट की संख्या और तारीख (बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट संलग्न किया जाए)।

5. लाइसेंस अवधि जिसके लिए आवेदन पत्र भेजा गया है।

6. क्या आटोमेटिक या सम्पूरक लाइसेंस के लिए आवेदन किया है।

7. आयात किए जाने वाले माल के ब्यौरे :—
(क) परिशिष्ट सं./क्र. सं. के साथ माल का विवरण (सम्पूरक लाइसेंस के मामले में)।
(ख) लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य रुपए में।
(ग) पोतलदान का देश।

उपयोक्ताओं की वृहद श्रेणी और उनके द्वारा विनिर्मित मद दें)।

8. (1) मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि आवेदन पत्र में दी गई सूचना ठीक है। मैं/हम भली-भांति समझता हूं/समझते हैं कि यदि प्रस्तुत की गई सूचना का कोई भी भाग गलत, झूठा या भ्रमात्मक पाया गया तो इस सम्बन्ध में जो अन्य कार्यवाई की जा सकती है उसके

(2) 1982-83 लाइसेंस अवधि के लिए एकक के पक्ष में मैंने/हमने आटोमेटिक/सम्पूरक लाइसेंस प्राप्त नहीं किया है।

(3) मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि जिस एकक के पक्ष में यह आवेदन पत्र दिया गया है उसने किसी भी लाइसेंस प्राधिकारी से अलग-अलग आटोमेटिक/सम्पूरक लाइसेंस प्राप्त नहीं किए हैं।

(4) मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि आयातित माल उस सम्बन्धित वास्तविक उपयोक्ता को सौंपा जाएगा जिसके पक्ष में आयात किया जा रहा है और प्रायोजक/लाइसेंस प्राधिकारियों के निरीक्षण के लिए ऐसे वितरण का उचित लेखा रखा जाएगा।

आवेदक के हस्ताक्षर . . . .

पदनाम. . . . .

पूरा पता. . . . .

दिनांक. . . . .

भेजने वाले दस्तावेज :—

(1) आवेदन पत्र दो प्रतियों में
(2) आवेदन पत्र शुल्क के लिए मूल बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट
(3) मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र की फोटोस्टेट प्रति
(4) सम्पूरक लाइसेंस के मामले में आयात की जाने वाली मदों की सूची की सात प्रतियां
(5) आटोमेटिक लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र के मामलों में प्रत्येक एकक के सम्बन्ध में कारखाने के पते सहित खपत प्रमाण पत्र
(6) प्रत्येक एकक से यह दर्शाते हुए एक घोषणा पत्र कि वास्तविक उपयोक्ता की शर्त के अनुसार आयातित माल उसकी अपनी फैक्टरी में ही इस्तेमाल होगा

(7) सम्बद्ध एककों के ब्यौरे देते हुए एक विवरण-- उनका नाम औरपता (कारखाने के पते सहित) लघु पैमाने उद्योग पंजीकरण की संख्या और दिनांक विनिर्मित अंतिम उत्पाद, आवेदित मूल्य।

(8) सम्पूरक लाइसेंस के मामले में प्रत्येक एकक को सम्पूरक लाइसेंस दिए जाने का औचित्य देते हुए एक टिप्पणी।

प्रपत्र-ङ:

पुस्तकों के व्यापारियों द्वारा पुस्तकों के आयात के लिए आवेदन प्रपत्र

भाग-I

1. आवेदक का नाम
2. पूरा डाक पता
3. एकक की स्थापना की तारीख
4. क्या दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है, यदि हां तो, संख्या और दिनांक का संकेत दें

(उसकी फोटो प्रति भी प्रस्तुत की जाए)

5. सनदी/लागत लेखापाल के प्रमाण पत्र के साथ 1982-83 के दौरान क्रय व्यवसाय (सनदी/ लागत लेखापाल आवेदक फर्म का भागीदार, निदेशक या कर्मचारी या उसका सहयोगी नहीं होना चाहिए)
6. फर्म का दर्जा और निदेशकों/भागीदारों के नाम।
7. यदि कोई हो तो, उनके पतों सहित शाखाओं के नाम।
8. जैसा भी मामला हो, बैंक रसीद/डिमान्ड ड्राफ्ट सं. और दिनांक (मूल रूप में आवेदक पत्र के साथ भेजा जाना है)

भाग 2

आयकर घोषणा प्रपत्र

क. कर मुक्त आय वाले व्यक्तियों के मामले में :--

मैं/हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैं/हम अग्रिम कर को मिला कर कोई भी आयकर देने के लिए देनदार नहीं हूं/हैं क्योंकि मेरे/हमारे द्वारा चालू लेखा वर्ष में और पिछले चार वर्षों के दौरान जो आय अर्जित की गई है वह कर लगने योग्य न्यूनतम सीमा से नीचे रही है।

ख. आयकर देने वाले व्यक्तियों के मामले में:--

मैं/हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि:--

(1) मैंने/हमने आयकर विभाग को जो आज तक मेरे/हमारे ऊपर आय देय है उसकी विवरणी भेज दी है।

(2) मैंने/हमने उस कर मांग को छोड़कर जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा रोक रखी गई है। आयकर अधिनियम के अन्तर्गत मेरे/हमारे ऊपर देय अग्रिम कर मिला कर सभी करों का भुगतान कर दिया है।

(3) मैंने/हमने पिछले तीन पंचांग वर्षों के दौरान आय/संपत्ति को छुपाने के लिए जुर्माना नहीं दिया है/सजा नहीं काटी है।*

(4) (क) मैं/हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त घोषणा उन कम्पनियों के मामले में भी लागू होती है जिनमें मैं/हम "महत्वपूर्ण साझा"* रखता हूं/रखते हैं या ऐसी फर्म या व्यक्तियों के समुदाय जिनमें मैं/हम क्रमशः साझीदार या सदस्य हूं/हैं।

या

(ख) उपर्युक्त घोषणा उन व्यक्तियों के मामले में लागू होती है जो आवेदन कम्पनी में "महत्वपूर्ण साझा"** रखते हैं या आवेदक संघ का सदस्य है या आवेदक फर्म का साझीदार है।

हस्ताक्षर . . . , ... , ...

पता . . . .

स्थायी लेखा सं. . . . .

उस आयकर अधिकारी का पदनाम जिसने आयकर निर्धारण किया है/करता है

स्थान . . . .

दिनांक . . . .

*यदि जुर्माने की उगाही के मद्दे अपील दाखिल की गई है और अपील आयकर के सहायक अपील आयुक्त या आयकर अपील अधिकरण के पास बकाया है तो इस जुर्माने को इस घोषणा के प्रयोजनार्थ ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है।

**"महत्वपूर्ण साझा" शब्दों का वही अर्थ लिया जाएगा जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 40 (ए) (2) की व्याख्या में दिया हुआ है।

मैं/हम एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण जहां तक मुझे/हमें जानकारी है और विश्वास है सत्य और सही है। मुझे/हमें यह पूरी जानकारी है कि प्रस्तुत किए गए विवरण के आधार पर मुझे/हमें जो लाइसेंस प्रदान किया गया है, यदि उसमें यह पाया गया कि उसके विवरण या तथ्य गलत या भ्रामक है तो उसे रद्द किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त मामले के हालातों को देखते हुए सरकार कोई अन्य जुर्माना भी कर सकती है।

हस्ताक्षर . . . .

साफ अक्षरों में नाम. . . . .

पदनाम . . . .

घर का पता . . . .

दिनांक :

परिशिष्ट-11

प्रपत्र-ख

कार्यालय मशीन के लिए आवेदन-पत्र

लाइसेन्स अवधि -------------------

भाग-1

1. आवेदक का नाम

2. पूरा डाक पता

3. (क) प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा आबंटित पंजीकरण संख्या या औद्योगिक लाइसेन्स की संख्या एवं दिनांक।

(ख) एकक की स्थापना का दिनांक।

4. विनिर्मित वस्तुएं/वह कार्यकलाप जिसमें वे लगे हुए हैं उनके ब्यौरे।

5. आवेदित लाइसेंस का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य।

6. वह मदें जिनके लिए लाइसेंस/सीमा शुल्क निकासी परमिट अपेक्षित हैं।

7. आवेदन पत्र के साथ जैसा भी मामला हो मूल रूप में संलग्न की जाने वाली बैंक रसीद/डिमाण्ड ड्राफ्ट की संख्या एवं दिनांक।

8. उसी किस्म की मशीनों की अलग-अलग संख्या

(क) जो उनके पास पहले से उपलब्ध हो, दोनों देशी विनिर्मित और बाहर से आयातित।

(ख) आयात के लिए औचित्य।

9. (क) प्रतिष्ठान की किस्म, क्या वह सार्वजनिक कम्पनी या प्राइवेट कम्पनी, साझेदारी या हिन्दू अविभाजित परिवार प्रतिष्ठान/संस्थान/बैंक आदि है।

(ख) जैसा भी मामला हो, निदेशकों, साझीदार स्वामी या कर्ता के नाम।

(ग) शाखाओं या सम्बद्ध कम्पनियों का विवरण। (नाम और स्थान)

(1) भारत में

(2) विदेश में

10. उपहार के मामले में कृपया सूचित करें :—

(1) आवेदक का उपहारकर्ता से रिश्ता।

(2) उपहार के लिए अवसर।

(3) उपहारकर्ता का नाम, पता और व्यवसाय विदेश में।

(4) उपहारकर्ता की राष्ट्रिकता।

(5) उपहारकर्ता की विदेश में ठहरने की अवधि।

(6) बीमे और भाड़े के लिए क्या विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है।

(7) वर्ष के दौरान आवेदक द्वारा प्राप्त किए गए उपहार का मूल्य और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए/आवेदन किए गए सीमा शुल्क निकासी परमिटों का विवरण।

11. संस्थान के मामले में कृपया निम्नलिखित जानकारी दें :—

(क) क्या संस्थान को सीमा शुल्क कर की अदायगी से छूट है, यदि हां तो, उस अधिसूचना का ब्यौरा दें जिसके अधीन छूट दी गई है।

भाग 2

आयकर घोषणा

क. कर मुक्त आय के व्यक्तियों के मामले में :—

मैं/हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैं/हम अग्रिम कर को मिला कर कोई भी आयकर देने के लिए देनदार नहीं हैं क्योंकि मेरे/हमारे द्वारा चालू लेखा वर्ष में और पिछले चार लेखा वर्षों के दौरान जो आय अर्जित की गई है वह कर लगाने योग्य अधिकतम सीमा से कम रही है।

ख. आयकर देने वाले व्यक्तियों के मामले में :—

मैं/हम एतद् द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि :—

(1) मैंने/हमने आयकर विभाग को जो आज तक मेरे/हमारे ऊपर आय देय है उसकी विवरणी भेज दी है।

(2) मैंने/हमने इस कर मांग को छोड़कर जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा रोक रखा गया है आयकर अधिनियम के अंतर्गत मेरे/हमारे ऊपर देय अग्रिम कर मिला कर सभी करों का भुगतान कर दिया है।

(3) मैंने/हमने पिछले तीन पंचांग वर्षों के दौरान आय/संपत्ति को छुपाने के लिए जुर्माना नहीं दिया है/सजा नहीं काटी है।

(4) (क) मैं/हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त घोषणा उन कम्पनियों के मामले में लागू होती है जिनमें मैं/हम वास्तविक रुचि *रखता हूं/रखते हैं या ऐसी फर्म या व्यक्तियों के साथ जिनमें मैं/हम क्रमशः साझीदार या सदस्य हूं/या;

(ख) उपर्युक्त घोषणा उन व्यक्तियों के मामले में लागू होती है जो आवेदन कम्पनी वास्तविक रुचि** रखते हैं या आवेदक संघ का सदस्य हैं या आवेदक फर्म का साझीदार है।

हस्ताक्षर . . . .

पता . . . .

स्थायी लेखा सं. . . . . . .

उस आयकर अधिकारी का पदनाम जिसने आयकर निर्धारण किया/करता है।

स्थान : . . . .

दिनांक : . . . .

*यदि अपील जुर्माने की उगाही के मद्दे दाखिल की गई है और अपील आयकर के सहायक आयुक्त या आयकर अपील अधिकरण के पास रुकाया है तो इस जुर्माने को इस घोषणा के प्रयोजनार्थ ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है।

**"वास्तविक रुचि" शब्दों का वही अर्थ लिया जाएगा जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 40 (ए) की व्याख्या में दिया हुआ है।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त विवरण सत्य और सही है। मैं/हम अच्छी तरह से समझता हूं/समझते हैं कि यदि यह पाया गया कि प्रस्तुत किए गए विवरण में कोई विवरण या तथ्य गलत या झूठा है तो उसके आधार पर मुझको/हमको प्रदान किया गया कोई भी सीमा शुल्क निकासी परमिट/लाइसेन्स सरकार द्वारा लागू किए गए किसी अन्य जुर्माना अथवा इस मामले की स्थिति को ध्यान में रखते हुए की गई कोई अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त रद्द किया जा सकता है या अप्रभावी किया जा सकता है।

हस्ताक्षर

साफ-साफ अक्षरों में नाम

पदनाम

निवास स्थान का पता

दिनांक . . . .

टिप्पणी:—जिन मशीनों के लिए आयात लाइसेन्स प्राप्त किए जा चुके हैं या उसी लाइसेन्स अवधि के दौरान आयात आवेदन-पत्र दिया गया हो, उन मशीनों की मात्रा और मूल्य को दर्शाते हुए निर्यातक को एक घोषणा-पत्र देना चाहिए।

प्रपत्र—ग

विदेश में मरम्मत के पश्चात पुनः आयात करने वाले माल के लिए आवेदन-पत्र।

भाग—1

1. आवेदक का नाम
2. पूरा डाक पता
3. कारखाना/एकक का पता
4. प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा आबंटित पंजीकरण संख्या अथवा औद्योगिक लाइसेन्स की संख्या और दिनांक
5. एकक की स्थापना की तिथि
6. (क) मरम्मत के लिए निर्यात किए गए माल और उसके बाद वापस आने वाले माल का विवरण
   (ख) मद का मूल्य
   (ग) यदि कोई हो तो अदा की जाने वाली मरम्मत की कीमत, भाड़ा और बीमा
   (घ) मरम्मत/आशोधन आदि की किस्म
7. (1) पोतलदान का देश
   (2) यदि माल विदेशी मूल का है तो वह मूल रूप से किस देश से आयात किया गया
8. महानिदेशक तकनीकी विकास से यह दर्शाते हुए एक प्रमाण पत्र कि विदेश में मरम्मत के लिए भेजा गया माल भारत में मरम्मत नहीं किया जा सकता (भारतीय मूल के माल के सम्बन्ध में)
9. मरम्मत, भाड़ा और बीमा के मद्दे खर्च दर्शाने वाला विनिर्माता का पत्र, यदि कोई हो।
10. बैंक रसीद/डिमान्ड ड्राफ्ट सं. और दिनांक (मूल रूप में संलग्न की जाए)

भाग 2

आयकर घोषणा

क. कर मुक्त आय के व्यक्तियों के मामले में :—

मैं/हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा पूर्वक यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैं/हम अग्रिम कर को मिला कर कोई भी आयकर देने के लिए देनदार नहीं हैं क्योंकि मेरे/हमारे द्वारा चालू लेखा वर्ष में और पिछले चार लेखा वर्षों के दौरान जो आय अर्जित की गई है वह कर लगाने योग्य अधिकतम सीमा से नीचे रही है।

ख. आयकर देने वाले व्यक्तियों के मामले में :--

मैं/हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा पूर्वक यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि :--

(1) मैंने/हमने आयकर विभाग को जो आज तक मेरे/हमारे ऊपर आय देय है उसकी विवरणी भेज दी है।

(2) मैंने/हमने इस कर मांग को छोड़कर जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा रोक रखा गया है आयकर अधिनियम के अन्तर्गत मेरे/हमारे ऊपर देय अग्रिम कर मिला कर सभी करों का भुगतान कर दिया है।

(3) मैंने/हमने पिछले तीन पचांग वर्षों के दौरान आय/संपत्ति को छुपाने के लिए जुर्माना नहीं दिया है/सजा नहीं काटी है।

(4) (क) मैं/हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा पूर्वक यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त घोषणा उन कम्पनियों के मामले में भी लागू होती है जिनमें मैं/हम वास्तविक रुचि** रखता हूं/रखते हैं या ऐसी फर्म या व्यक्तियों के साथ जिनमें मैं/हम क्रमश: साझीदार या सदस्य हूं/हैं।

या

(ख) उपर्युक्त घोषणा उन व्यक्तियों के मामले में लागू होती है जो आवेदक कम्पनी में वास्तविक रुचि** रखते हैं या आवेदक संघ का सदस्य है या आवेदक फर्म का साझीदार है।

हस्ताक्षर . . . .

पता . . . .

स्थायी लेखा सं. . . . . . .

उस आयकर अधिकारी का पदनाम जिसने आयकर निर्धारण किया/करता है

स्थान . . . .

दिनांक . . . .

*यदि जुर्माने की उगाही के मुद्दे अपील दाखिल की गई है और अपील आयकर के सहायक अपील आयुक्त या आयकर अपील अधिकरण के पास बकाया है तो इस जुर्माने को इस घोषणा के प्रयोजनार्थ ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है।

** "वास्तविक रुचि" शब्दों का वही अर्थ लिया जाएगा जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 40 (ए) (2) की व्याख्या में दिया हुआ है।

मैं/हम एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण जहां तक मुझे/हमें जानकारी है और विश्वास है सत्य और सही है। मुझे/हमें यह पूरी जानकारी है कि प्रस्तुत किए गए विवरण के आधार पर मुझे/हमें जो लाइसेन्स प्रदान किया गया है, यदि उसमें यह पाया गया कि उसके विवरण या तथ्य गलत या भ्रामक है तो उसे रद्द किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त मामले के हालातों को देखते हुए सरकार कोई अन्य जुर्माना भी कर सकती है।

हस्ताक्षर . . . .

साफ अक्षरों में नाम . . .

पदनाम . . . .

घर का पता . . . . .

दिनांक :

परिशिष्ट-II

प्रपत्र-थ

खेलकूद के सामान/उपस्कर के आयात के लिए आवेदन-पत्र का प्रपत्र

(तीन प्रतियों में भरा जाना है)

भाग-1

1. आवेदक का नाम
2. पूरा डाक पता
3. आयात किए जाने वाले माल का ब्यौरा
4. आवेदित लाइसेंस का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य
5. बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट सं. एवं दिनांक
6. 1. उद्गम देश का नाम

   2. पोतलदान के देश का नाम
7. क्या संस्थान सरकार द्वारा या किसी निगम/म्यूनिसिपिलिटी आदि या धर्मार्थ संस्थानों (नाम दिया जाना है) द्वारा संचालित है, यदि सरकार द्वारा संचालित है तो क्या वह केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा।
8. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार या किसी अन्य निकाय (नाम दिया जाना है) से कोई अनुदान प्राप्त हुआ हो तो उसका ब्यौरा
9. अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों आदि के नाम जिनमें भाग लिया है और ट्राफियां जीती हैं।
10. आयात के औचित्य
11. वर्तमान खेल-कूद के सामान/उपस्कर का ब्यौरा.--

    1 आयातित :

    2. देशी :
12. यदि आयात निःशुल्क हो तो दाता का नाम और पता

घोषणा

1. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि इस लाइसेंस द्वारा माल का उपयोग केवल मेरे/हमारे संस्थान में ही किया जाएगा और उसका कोई भी भाग न तो बेचा जाएगा या किसी अन्य पार्टी द्वारा उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।
2. मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी एवं विश्वास के आधार पर सत्य एवं सही है।
3. मैं/हम पूर्ण रूप से समझता हूं/समझते हैं कि यदि यह पाया गया कि इसमें कोई विवरण गलत अथवा भ्रामक है तो हमारे विवरण के आधार पर प्रदान किया लाइसेंस/सीमाशुल्क निकासी परमिट रद्द किया जा सकता है तथा इसके अतिरिक्त मामले के हालातों को देखते हुए सरकार कोई अन्य जुर्माना भी कर सकती है।

हस्ताक्षर . . . .

नाम साफ अक्षरों में . . . . .

पदनाम . . . .

दिनांक . . . .

निवास स्थान का पता . . . . .

. . . .

भाग-2

(प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा दो प्रतियों में भरा जाए)

1. सिफारिश किए गए माल का विवरण :--

क्रम० सं०	सिफारिश की गई माल का पूर्ण विवरण	क्या आवेदक के पास इसी प्रकार का माल पहले से ही है या नहीं
(1)		
(2)		
(3)		

2. डी. जी. टी. डी. निकासी प्राप्त कर ली गई है अथवा नहीं।

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण सत्यापित किए गए हैं और उन्हें सही पाया गया है।

प्रायोजक प्राधिकारी के हस्ताक्षर . . . . .
सील . . . .

सलंगनक :--

1. मूल रूप में रसीद/ड्राफ्ट, यदि आवेदक शुल्क के भुगतान से मुक्त नहीं है।
2. मदों का बीमा-भाड़ा-मूल्य दर्शाते हुए प्रोफोर्मा बीजक
3. देशी दृष्टिकोण से मूल रूप में डी. जी. टी. डी. निकासी
4. उपहार के मामले में दाता का मूल रूप में पत्र

परिशिष्ट-11

फार्म-द

कृषि विकास के लिए मशीनों/हरित मदनों के आयात के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र।

भाग-I

1. आवेदक का नाम
2. पूरा डाक पता
3. फार्म/कृषि योग्य भूमि के स्थान का पता
4. आयात किए जाने वाले माल का विवरण
5. आवेदित लाइसेन्स का बीमा-भाड़ा-मूल्य
6. बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट की सं. एवं तिथि
7. 1. उद्गम देश
   2. पोतलदान का देश
8. क्या फार्म/कृषि योग्य भूमि सरकार या किसी निगम इत्यादि या सहायतार्थ संस्थाओं (कृपया नाम दें) द्वारा संचालित है, और यदि सरकार द्वारा चलाई जाती है तो केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा
9. यदि केन्द्रीय/राज्य सरकार या अन्य किसी निकाय से कोई अनुदान प्राप्त हुआ हो (कृपया नाम दें) तो ऐसे अनुदान का विवरण दें।
10. आयात का औचित्य
11. वर्तमान यन्त्रों/कृषि औजारों का विवरण
    1. आयातित
    2. देशी
12. यदि आयात निःशुल्क हुआ है तो दाता का नाम एवं पता

घोषणा

1. मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि यदि हमें यह लाइसेंस प्रदान किया जाता है तो माल का केवल मेरे/हमारे फार्म/कृषि योग्य भूमि के लिए प्रयोग किया जाएगा और इसका कोई भी भाग बेचा नहीं जाएगा या किसी अन्य पार्टी द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए अनुमित नहीं किया जाएगा।
2. मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरे/हमारे विश्वास एवं ज्ञान के अनुसार सही एवं सत्य है।
3. मैं/हम पूर्णतया समझता हूं/समझते हैं कि यदि यह पाया गया कि इसमें कोई विवरण गलत अथवा भ्रामक है तो प्रस्तुत विवरणों के आधार पर प्रदान किया गया लाइसेंस/सीमा शुल्क निकासी परमिट रद्द किया जा सकता है तथा इसके अतिरिक्त मामले के हालातों को देखते हुए सरकार अन्य जुर्माना भी कर सकती है।

हस्ताक्षर . . . .
नाम साफ अक्षरों में . . . . . .
पदनाम . . . . .
निवास का पता . . . . .
. . . .

दिनांक

भाग-2

(प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा दो प्रतियों में भरा जाए)।

1. उद्देश्य, जिसके लिए आयातित मदों की आवश्यकता है।
2. फार्म/कृषि योग्य भूमि का कुल क्षेत्र
3. बुआई योग्य क्षेत्र
   1. कुल क्षेत्र
   2. सिंचित
   3. असिंचित
   4. मुख्य फसलें एवं वार्षिक उपज
4. स्वामित्व की प्रकृति
   1. पूर्ण स्वामित्व
   2. पट्टा
   3. सहकारी
5. सिफारिश किए गए माल के विवरण

क्रम० सं०	सिफारिश किए गए माल के पूर्ण विवरण	आवेदक के पास पहले से इसी प्रकार का माल है या नहीं
(1)		
(2)		
(3)		

6. डी. जी. टी. डी. निकासी प्राप्त कर ली गई है अथवा नहीं
7. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण सत्यापित कर लिए हैं एवं उन्हें ठीक पाया गया है।

प्रायोजक प्राधिकारी के हस्ताक्षर . . . .
मुहर . . . .

दिनांक

संलग्नक

1. बैंक रसीद/ड्राफ्ट मूल रूप में, यदि आवेदन शुल्क के भुगतान से मुक्त नहीं है।
2. मदों का बीमा-भाड़ा-मूल्य दिखाते हुए प्राफार्मा बीजक
3. देशी दृष्टिकोण से मूल रूप में डी. जी. टी. डी. निकासी
4. उपहार के मामले में दाता का मूल रूप में पत्र

परिशिष्ट—11

वास्तविक उपयोक्ता (गैर-औद्योगिक) द्वारा मशीनरी के आयात के लिए आवेदन-पत्र

(पांच प्रतियां संलग्न की जानी हैं)

भाग—I ध

1. आवेदक के ब्यौरे

1.1 नाम

1.2 पंजीकृत पता

1.3 पत्राचार के लिए डाक पता

1.4 प्रायोजक अधिकारी

1.5 प्रशासकीय मन्त्रालय

2. कम्पनी की किस्म

2.1 स्वामी/साझीदार/प्राइवेट लिमिटेड/सार्वजनिक कम्पनी

2.2 स्वामी/साझीदार/निदेशक का नाम और पता

3. पूंजी निवेश

3.1 कुल पूंजी निवेश (भूमि और भवन निर्माण (प्रस्तावित) (विद्यमान)

भूमि और भवन निर्माण ....

मशीनरी ....

जोड़ ....

3.2 आयातित संयंत्र और उपस्कर

विद्यमान ....

प्रस्तावित ....

जोड़

4 आयात का उद्देश्य

4.1 प्रतिस्थापना के लिये मशीनों के आयात के मामले में

(i) मूल मशीन की स्थापना की तारीख

(ii) पुरानी मशीनों के निपटान के लिए व्यवस्थाएं

(iii) देशी विनिर्माताओं से विषयक मशीन की अधिप्राप्ति के लिये किए गए प्रयत्नों का विवरण यह दर्शाते हुए कि इस प्रयोजन के लिये सम्पर्क किये गये विनिर्माताओं का नाम और उसका परिणाम प्रस्तुत करें

5. समर्थक दस्तावेजों /सूचना का ब्योरा

5.1 मूल बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट ....
सं० दिनांक.........
मूल्य रुपयों में.........

5.2 आयात किए जाने वाले माल का पूर्ण ब्यौरा देते हुए साहित्य/हस्त बिलों/विशिष्टिकरणों की प्रतियां

5.3 आई० टी० जे० ई० एस० बी० में प्रत्येक विज्ञापन की प्रति ।

अंक............... दिनांक ....

5.4 विज्ञापन/पूछताछ के बारे प्राप्त अनुक्रियाओं का तालिका विवरण

5.5 प्रतिस्थापित की जाने वाली मशीनरी/उपस्कर की वर्तमान दशा के सम्बन्ध में मूल रूप में सनदी इन्जीनियर का प्रमाण पत्र

5.6 यदि पुरानी मरम्मत की हुई मशीन आयात की जाती है तो सनदी इन्जीनियर से मशीन की आयु, वर्तमान दशा, मूल एवं वर्तमान मूल्य और सम्भावित जीवन दर्शाते हुए एक प्रमाण-पत्र ।

5.7 रुपए भुगतान क्षेत्र से मशीनरी आयात करने के लिए प्रयत्नों के सम्बन्ध में, यदि कोई हो, पत्राचार की प्रतियां

5.8. जहां पर आयात की जाने वाली मशीनरी की ब्ल्यू प्रिन्ट्स/उपस्करों की ड्राइंग प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए गए हैं, विदेशी संभरकों से की गई पूछताछ और उनके उत्तरों की साक्ष्यांकित फोटो स्टेट प्रतियां ।

(1) मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य व सही है।

(2) मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि जिस माल के आयात के लिए आवेदन-पत्र दिया गया है उसका उपयोग केवल . . . . के विनिर्माण (अन्तिम उत्पाद का नाम) और उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत या सरकार द्वारा अनुमोदित अनुमित क्षमता के लिए किया जाएगा।

हस्ताक्षर . . . .

साफ अक्षरों में नाम . . .

और निवास पता

पदनाम . . . . . .

दिनांक . . . . .

भाग-2

आय कर घोषणा

(क) उन व्यक्तियों के विषय में जिनकी आय कर देने योग्य नहीं है।

मैं/हम एतद्द्वारा सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैं/हम अग्रिम कर सहित किसी भी आय कर का भुगतान करने का उत्तरदायी नहीं हूं/नहीं हैं, क्योंकि मेरे/हमारे द्वारा अर्जित आय वर्तमान लेखा वर्ष और पिछले चार लेखा वर्षों में उस अधिकतम सीमा से कम रही है जिस पर कोई कर नहीं लगता है।

(ख) उन व्यक्तियों के मामले में जिनकी आय कर देने योग्य है।

मैं/हम एतद्द्वारा निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं/करते हैं कि :—

(1) मैंने/हमने आज तक मेरे/हमारे द्वारा देय आय कर का विवरण आय-कर विभाग को भेज दिया है।

(2) मैंने/हमने मेरे/हमारे द्वारा देय अग्रिम कर सहित सभी कर किन्तु सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थगित कर माग के अतिरिक्त आयकर अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान कर दिए।

(3) मुझे/हमें पिछले तीन कैलेंडर वर्षों के दौरान आय/धन छिपाने के लिए दण्ड नहीं दिया गया*/दोषी नहीं ठहराया गया है।

(4) (क) मैं/हम एतद्द्वारा निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त घोषणा उन कम्पनियों जिनमें मेरे/हमारे महत्वपूर्ण हिस्से हैं** अथवा व्यक्तियों की वे फर्म अथवा संघ जिनमें मैं/हम क्रमश: साझेदार या सदस्य हूं/हैं के विषय में भी लागू होती है।

अथवा

(ख) उपर्युक्त घोषणा उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में लागू होती है, जो आवेदक कम्पनी में वास्तविक रुचि** रखते हैं अथवा जो आवेदक संघ के सदस्य हैं अथवा आवेदक फर्म के भागीदार हैं।

हस्ताक्षर . . . .

पता . . . .

स्थान . . . .

दिनांक . . . .

स्थायी लेखा संख्या . . .
उस आय-कर अधिकारी का पदनाम जिसने कर निर्धारित किया है/जिस के पास कर निर्धारित किया जाना है . . . .

*यदि जुर्माने को वसूल करने के विरुद्ध एक अपील दाखिल की गई है और अपील आयकर के अपील सहायक आयुक्त अथवा आयकर अपील अधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है तो इस घोषणा के प्रयोजनार्थ ऐसे जुर्माने पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है।

**शब्द "वास्तविक रुचि" का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 के खण्ड 40 (ए) (2) में बताया गया है।

परिशिष्ट—12

निर्यात आवेदन-पत्र का प्रपत्र

प्रपत्र ए-एक्स

नियंत्रित वस्तुओं के निर्यात के लिए आवेदन-पत्र का प्रपत्र।

1. आवेदक का नाम और पता
2. निर्यात की जाने वाली मदों का ब्यौरा :—
   (क) मद का ब्यौरा
   (ख) ई. टी. सी. वर्गीकरण
   (ग) मात्रा
   (घ) जहाज पर्यन्त नि. शुल्क मूल्य
3. पोत लदान का पत्तन
4. अंतिम गन्तव्य स्थान जहां के लिए निर्यात अपेक्षित है।
5. आवेदक का ब्यौरा :—
   (क) स्थापना का वर्ष
   (ख) क्या यह एक सार्वजनिक लि. कं., एक निजी कं., एक साझेदारी कम्पनी या एक व्यक्तिगत फर्म है।
   (ग) संचालकों/साझेदारों/मालिकों के नाम।
   (घ) यदि एक निजी कम्पनी, एक साझेदारी कम्पनी या एक व्यक्तिगत फर्म है तो बताएं कि क्या उपर्युक्त (ग) में दिए गए व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति किसी कम्पनी या फर्म का संचालक, साझेदार या मालिक है।
6. आवेदक के बैंकर का नाम।
7. यदि आवेदक को आबंटित कोटे के मद्दे निर्यात किया जाना है, तो कोटा स्लिप आबंटन पत्र का ब्यौरा भेजना है।
8. जिस वस्तु के लिए आवेदक ने अब आवेदन किया है, क्या उसका निर्यात पहले किया जा चुका है? यदि नहीं, तो उसका उस वस्तु के आन्तरिक व्यापार के साथ क्या सम्बन्ध है? क्या उसे निर्यात व्यापार का कोई पिछला अनुभव है? यदि हां, तो पिछले 12 महीनों में आवेदक द्वारा निर्यात की गई मुख्य वस्तुओं के नाम बताए जाने चाहिए। यदि आवेदक वस्तु के साथ विनिर्माता या व्यापारी के रूप में संबद्ध है, तो उत्पादन या व्यापार के परिमाण का संकेत करें।
9. क्या आवेदक किसी मान्यताप्राप्त वाणिज्य मंडल या व्यापार संघ का सदस्य है? यदि हां, तो उसका ब्यौरा दें।
10. संलग्नकों की सूची।

मैं यह घोषित करता हूं कि ऊपर जो कुछ कहा गया है, वह सही है।

मैं/हम यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है, लदान बिल/तत्सम्बन्धी अन्य पलेखों में निर्यात किए जाने वाले सामान का जो मूल्य, किस्म, विशिष्टीकरण, गुण और विवरण दिया गया है, वह सही है और मैं/हम यह भी प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि लदान-बिल/तत्सम्बन्धी प्रलेखों में उल्लिखित सामान की क्वालिटी और विशिष्टीकरण क्रेता या परेषिती द्वारा किए गए उस निर्यात ठेके की शर्तों के अनुसार है जिसके अनुसार सामान का निर्यात किया जा रहा है।

आवेदक के हस्ताक्षर . . . .
नाम स्पष्ट अक्षरों में . . . .
पदनाम . . . .
निवास स्थान का पता . . . .
दिनांक . . . .

विशेष टिप्पणी : (1) यदि आवेदक किसी भी कालम के मद्दे उत्तर देने में असमर्थ है तो उसे उसके लिए स्पष्ट कारण बताने चाहिए।

(2) भ्रामक या गलत सूचना देने वाले आवेदकों को भविष्य में कोटा/लाइसेंस लेने से वंचित कर दिया जाएगा।

(3) आवेदन पत्र स्वामी, भागीदार या प्रबंधक, फर्म के निदेशक या कोई भी व्यक्ति जो फर्म की ओर से किसी वैध घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हों, के द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के ओहदे का आवेदनपत्र में स्पष्ट रूप से संकेत किया जाना चाहिए।

प्रपत्र-बी एक्स

नियंत्रित-वस्तु का डाक द्वारा निर्यात करने के लिए लाइसेंस लेने का आवेदन फार्म

(कृपया नीचे दिए गए अनुदेश पढ़ें)

आवेदक का नाम . . . .
डाक पता . . . .

अधोहस्ताक्षरी नीचे दिए गए सामान का डाक से निर्यात करने के लिए लाइसेंस लेने के लिए एतद् द्वारा आवेदन करता है जिसके संबंध में भेजी गई सूचना सत्य और सही है।

1 सामान का पूर्ण विवरण, मात्रा, निवल-भार और मूल्य
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

2. परेषिती का नाम और पता . . . .
3. क्या यह सामान व्यापार सम्बन्धी प्रयोजनों अथवा व्यक्तिगत उपयोग के लिए है . . . .
4. उस डाक-घर का नाम, जहां से पार्सल डाक द्वारा भेजे जाएंगे. . . . .

(आवेदक के हस्ताक्षर)

तारीख . . . .
सेवा में, संयुक्त/उप/मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात. . .
. . . .

(आवेदक को इसके नीचे की प्रविष्टि खाली छोड़ देनी चाहिए)

(-8)

ऊपर दी गई वस्तुओं (संख्या ---------------- का पार्सलों में निर्यात करने के लिए लाइसेंस सं. --------- प्रदान किया गया ।

कृते संयुक्त/उप/मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात
जारी करने की तारीख से तीन महीने के लिए वैध

आवेदकों के लिए अनुदेश

1. यह पत्र ... भरने के बाद लाइसेंस ... जाना चाहिए और लाइसेंस ... उसे पार्सल के साथ उस डाक घर को ... जहां से पार्सल भेजा जा रहा हो।

2. मद 1 ... विवरण, मात्रा और मूल्य का उल्लेख करते समय पार्सलों की संख्या और प्रत्येक पार्सल में सामान की मात्रा का भी उल्लेख किया ...।

3. एक लाइसेंस ... पार्सलों को एक ही किस्म ...।

...

सुस्थापित निर्यातकों के ... और कारोबार के स्वामित्व ... कोटा मंजूर किए जाने के लिए आवेदन-पत्र का नमूना ।

1. आवेदक का नाम।

(क) व्यापार या कारोबार का नाम

(ख) पता

(ग) यदि शाखाएं हों, तो उनके नाम और पते

(घ) क्या स्वामित्व :—

(1) ...,
(2) साझेदारी,
(3) अविभाजित हिन्दू परिवार का कर्ता
(4) लिमिटेड कम्पनी,
(5) व्यक्तियों की कोई ... संस्था या निकाय है।

(ङ) उपर्युक्त (1), (3) और (5) के होने पर व्यक्तियों के नाम, (2) के ... साझेदारों के नाम और (4) ... निदेशकों के नाम।

नोट —(2) के होने पर, आवेदन-पत्र के साथ साझेदारी विलेख भेजा जाए ।

2. (क) उन सुस्थापित निर्यातकों के व्यापार या कारोबार का नाम जिनको पूरा या आंशिक कोटा हस्तान्तरित किया जाना है ।

(ख) यदि शाखाएं हों तो उनके नाम और पते पहले जो शाखाएं बन्द की गई थीं उनके ब्यौरे भी प्रस्तुत किए जाएं।

(ग) क्या उपर्युक्त (क) का सुस्थापित निर्यातक —

(1) एक व्यक्ति,
(2) साझेदार,
(3) ... का कारोबार होने पर अविभाजित हिन्दू परिवार का कर्ता,
(4) लिमिटेड कम्पनी,
(5) ... नियों की कोई अन्य संस्था या निकाय था।

(घ) उपर्युक्त (1), (3) और (5) होने पर व्यक्तियों के नाम, (2) होने पर साझेदारों के नाम और (4) के होने पर निदेशकों के नाम ।

नोट —(2) के होने पर साझेदारी-विलेख को आवेदन-पत्र के साथ लगाया जाए।

3. किस तारीख से उपर्युक्त 2 (क) का कारोबार पहली बार स्थापित किया गया था।

4. यदि कारोबार से सम्बन्धित पिछली बार कोटे के हस्तान्तरण की अनुमति मिली हो तो ऐसे हस्तान्तरण आदेश की संख्या और तारीख ।

5. साझेदारों के सम्मिलित होने, रिटायर होने या मृत्यु होने या कारोबार का हस्तान्तरण होने के कारण या 1-4-1954 से या उपर्युक्त मद (2) में दी गई तारीख से या उपर्युक्त मद (4) में दी गई किसी तारीख से, जो भी सबसे बाद की हो, किसी भी कारण से स्वामित्व में हुए परिवर्तन का उल्लेख करें।

6. उपर्युक्त (5) में उल्लिखित परिवर्तन की मान्यता के लिए कोई आवेदन पत्र क्यों नहीं दिया गया।

7. परिवर्तन की मान्यता प्राप्त किए बिना यदि कोई लाइसेंस प्राप्त किया गया हो, उसके ब्यौरे (अर्थात् लाइसेंस संख्या, पण्य वस्तु का नाम, लाइसेंस का मूल्य, लाइसेंस अवधि और लाइसेंस अधिकारी)।

8. हस्तान्तरित किए जाने वाले कोटे के ब्यौरे (अर्थात् कोटे के प्रमाण-पत्र की संख्या, तारीख और मूल्य, वस्तु का नाम और उसमें यथा उल्लिखित आधार वर्ष और लाइसेंस प्राधिकारी)।

9. क्या निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 के खण्ड 7 और 8 के अन्तर्गत उक्त सुस्थापित निर्यातक के विरुद्ध कोई ऐसा आदेश जारी हुआ है जिसके अनुसार उस सुस्थापित निर्यातक को लाईसेंस जारी करना निलम्बित है, या उसे लाइसेंस दिए जाने पर रोक लगी है। यदि ऐसा आदेश हो तो उसकी संख्या और तारीख दें।

10. सुस्थापित निर्यातक के कोटे में से आवेदक ने कितने अंश का दावा किया है और उसका ... ।

11. आवेदन-पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों की सूची —

1.
2.
3.
4.

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि जहां तक मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास है, उपर्युक्त विवरण सही है। मैं/हम अच्छी तरह जानता हूं/जानते हैं कि जिस कोटे का हस्तान्तरण/भाग मुझे/हमें मंजूर किया गया है वह इस बात पर आधारित होगा कि किसी भी समय यह विवरण गलत पाया गया तो मंजूर किया गया कोटा किसी दूसरी कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना रद्द किया जा सकेगा।

आवेदक के
हस्ताक्षर
नाम साफ-साफ अक्षरों में . .
पद नाम . . . .
निवास स्थान का पता . . . . .

तारीख . . . .

परिशिष्ट—13

प्रपत्र—क–1 क्रम सं०

(केवल आयातों के भुगतान के लिये) (भारतीय रिजर्व बैंक के उपयोग के लिए)

प्रेषित धनराशि..........

मुद्रा राशि विदेशी मुद्रा में प्रेषण के लिये आवेदन पत्र ए० डी० कोड सं०...

समतुल्य रुपए............... प्रपत्र सं० ....
(प्राधिकृत व्यापारी द्वारा पूर्ण किया जाना है) (प्राधिकृत व्यापारी द्वारा पूर्ण किया जाना है)

मैं/हम भारत में निम्नलिखित आयातों के भुगतान में ....को भुगतान के लिये ....
(प्रेषण के लाभकर्ता का नाम और पता)
के से ....को खरीदना चाहता हूं/चाहते हैं:—
(मुद्रा का नाम) (शब्दों में धनराशि)

भारत में आयातित या आयात किए जाने वाले माल के ब्यौरे
खंड क: आयात लाइसेंस/खुले सामान्य लाइसेंस के ब्यौरे

खुला सामान्य लाइसेंस.......... ....
संख्या भाग अनुसूची क्रम संख्या

आयात लाइसेंस			प्रत्यय					जारी करने की तारीख		
पूर्व प्रत्यय		लाइसेंस सं०	1	2	3	4	5	दिनांक	मास	वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

समाप्त होने की तारीख			लाइसेंस का अंकित मूल्य	पृष्ठांकित की जाने वाली धनराशि (रुपयों में)	प्रेषण के बाद लाइसेंस बकाया शेष (रु० में)
दिनांक	मास	वर्ष			
12	13	14	15	16	17

*इस कालम के अधीन सम्मिलित प्रत्येक लाइसेंस के सामने रुपये में पृष्ठांकित वास्तविक धनराशि दर्शाई जानी चाहिए।

टिप्पणी:—यदि एक से अधिक लाइसेंस शामिल हों तो सभी लाइसेंसों के ब्यौरे दिये जाने चाहिए। यदि स्थान अपर्याप्त हों तो एक अलग से विवरण संलग्न किया जा सकता है। प्रत्येक लाइसेंस के सामने प्रयुक्त धनराशि निरपवाद रूप से संकेतिक की जानी चाहिए।

खंड ख: आयात के ब्यौरे

बीजक के ब्यौरे				माल की मात्रा
संख्या और दिनांक	शर्तें (लागत–बीमा–भाड़ा, जहाज पर निशुल्क लागत तथा भाड़ा आदि)	मुद्रा	धनराशि	
1	2	3	4	5

माल का विवरण	बी० टी० एन० वर्गीकरण	माल के उद्‌गम देश का नाम	वह देश जहां से माल भेजे जाते हैं	पोतलदान की विधि (वायुयान, समुद्र, डाक, रेल, नदी परिवहन आदि)	लदान की तिथि (यदि ज्ञात न हो तो लगभग तिथि बताएं)
6	7	8	9	10	11

खंड–ग: अन्य ब्यौरे

1. आयात के मद्दे यदि कोई अग्रवर्ती क्रय संविदा बुक की गई हो तो उसके ब्यौरे — संविदा की सं० एवं दि० दिनांक — संविदा की मुद्रा एवं धनराशि — संविदा के अधीन शेष

2. यदि प्रेषण बीजक मूल्य से कम है तो उसके कारण बताएं (अर्थात् अंश प्रेषण, किश्त आदि) ________ ________

मैं/हम एतद्‌द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि इस प्रपत्र में मेरे/हमारे द्वारा दिये गये विवरण सत्य हैं और मैंने/हमने किसी भी बैंक के माध्यम से प्राधिकार पत्र के लिये आवेदन नहीं किया है।

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं और यह भी जानता हूं/जानते हैं कि इस आवेदन पत्र के अनुसार मेरे/हमारे द्वारा प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा का उपयोग मेरे/हमारे द्वारा केवल उस प्रयोजन के लिये किया जाएगा जिसके लिये यह प्राप्त की गई है और वे शर्तें जिनके अधीन मुद्रा विनिमय प्रदान की गई है, उनका अनुपालन किया जाएगा।

आवेदक (कों) का नाम......................
(साफ अक्षरों में)

आवेदक(कों) की राष्ट्रिकता
(साफ अक्षरों में)

आवेदक(कों) का पता ....
(साफ अक्षरों में)

दिनांक ....

....
आवेदक(कों) के हस्ताक्षर

टिप्पणी:—मध्यस्थ व्यापार वाले प्रेषण के लिये प्रपत्र–क-2 का उपयोग किया जाना चाहिए।

आवेदक (कों) द्वारा भरी जाने वाली घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि—

(क) वह माल जिससे प्रस्तुत आवेदनपत्र संबंधित हैं उसका मेरे/हमारे लेखे पर भारत में आयात कर लिया गया है/कर लिया जाएगा।

(ख) आयात......................*की ओर से है और @

(ग) प्रस्तुत प्रपत्र में घोषित माल का बीजक मूल्य भारत में आयातित/आयात किये जाने वाले माल का वास्तविक मूल्य है।

यदि आयात कर लिया गया हो — मैं/हम प्रविष्टि बिल की संबद्ध सीमा-शुल्क की मुहर लगी हुई मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति संलग्न करता हूं/करते हैं।

डाक पार्सल रेपर (डाक द्वारा आयातों के लिये) @

या

यदि आयात किया जाना है — मैं/हम प्राधिकृत व्यापारी को तीन मास के भीतर प्रविष्टि@ बिल की संबद्ध सीमा शुल्क की मुहर लगाई हुई मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति भेजने का वचन देता हूं/देते हैं।

डाक पार्सल रेपर (डाक द्वारा आयातों के लिए)

@जो लागू न हो उसे काट दें।

*जहां आयात केन्द्र/राज्य सरकार के विभाग या केन्द्र/राज्य सरकार/सांविधिक निगम, स्थानीय संस्था आदि द्वारा ली गई कंपनी द्वारा किया हो तो सरकारी विभाग, निगम आदि का संकेत करें।

आवेदक(कों) के हस्ताक्षर

अनुमोदन के लिये भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदनपत्र अग्रसारित करते समय प्राधिकृत व्यापारी के प्रारम्भ के लिये स्थान (मुद्रा विनिमय नियंत्रण नियमावली की कंडिका/ए० डी० परिपत्र का संदर्भ जिसके अनुसार संदर्भ किया जाता है उसे निरपवाद रूप से दर्शाया जाना चाहिए। यदि पहले रिजर्व बैंक को संदर्भित उसी आयात के लेखे के लिये किसी प्रेषण आवेदन पत्र का संदर्भ दिया गया था, तो अंतिम पत्राचार/अनुमोदन का संदर्भ भी दिया जाना चाहिए।)

....

(प्राधिकृत व्यापारी के हस्ताक्षर तथा मुहर)

प्राधिकृत व्यापारी (आयातक के बैंक) द्वारा भेजा जाने वाला प्रमाणपत्र

हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि :

(क) यह भुगतान संबद्ध खानों में (✓) का निशान लगाएं :—

(1) ☐ अग्रिम प्रेषण है।

(2) ☐ हमारे द्वारा खोले गये साखपत्र के अधीन बिल को वापस लेने के लिये है।

(3) ☐ वसूली के लिये हमारे माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों के मद्दे हैं।

(4) ☐ तीन मास के भीतर प्रविष्टि बिल की सीमा शुल्क की मुहर लगाई हुई मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति/डाक पार्सल रेपर को प्रस्तुत करने के लिये पत्र द्वारा भेजी गई वचनबद्धता के मद्दे आवेदक (कों) द्वारा सीधे ही प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर है।

(5) ☐ बाद वाले के द्वारा भेजी गई प्रविष्टि बिल की सीमाशुल्क की मुहर लगाई हुई मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति/डाक पार्सल रेपर (संलग्न है) के मद्दे आवेदक (कों) द्वारा सीधे ही प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर है।

(6) ☐ (स्पष्ट किया जाने वाला अन्य कोई मामला)

(ख) प्रेषण के लिये लागू सभी मुद्रा विनिमय नियंत्रण विनियमों का अनुपालन किया गया है।

(ग) माल के संभरक का भुगतान .... कर दिया गया है/ जाएगा।
(विदेशी बैंक का नाम और पता)

हम यह भी प्रमाणित करते हैं/वचन देते हैं कि प्रविष्टि बिल की संबद्ध सीमाशुल्क की मुहर लगाई हुई मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति या डाक पार्सल रेपर—

@ का सत्यापन हमारे द्वारा तीन मास के भीतर (उपर्युक्त प्रमाणपत्र क (2) और (3) में कर दिया जाएगा।)

@ का सत्यापन उपर्युक्त प्रमाणपत्र क (5) के अनुसार कर लिया गया है

@ को आवेदक (कों) द्वारा प्राप्त कर लिया जाएगा और उपर्युक्त प्रमाणपत्र क (1) और (4) के अनुसार तीन मास के भीतर रिजर्व बैंक को अग्रसारित कर दिया जाएगा।

@जो मद लागू न हो उसे काट दें।

दिनांक ....
व्यापारी

परिशिष्ट-14

व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का पैकेज

व्यापार विकास प्राधिकरण के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य निर्यात उत्पादन और बाजार के क्षेत्रों में अत्यधिक सेवाएं प्रदान करके लघु एवं मध्यम पैमाने के एककों की निर्यात क्षमता का विकास करना है। पैकेज सर्विसिंग योजना का मूल विषय अपने पंजीकृत ग्राहकों को समान रूप से सभी सेवाएं प्रदान करना है ताकि उसके द्वारा प्रक्रियात्मक विलम्ब दूर हो सके और सभी निवेशों का उचित समय में संभरण का सुनिश्चय हो सके। व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान किये गये विभिन्न निवेश/सेवाएं नीचे दर्शाई गई हैं :--

(क) नमूनों, ड्राइंग, तकनीकी साहित्य और विशिष्टिकरणों और (ख) उत्पाद विकास के लिये कच्ची सामग्री, संघटकों, उपभोज्यों, औजार और परीक्षण उपस्कर का प्रारंभिक छोटे लाट में आयात।

भारत सरकार ने व्यापार विकास प्राधिकरण में उनके ग्राहकों को उत्पाद विकास में सहायता देने के लिए स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा का आबंटन प्रदान किया है। इस सम्बन्ध में यह ग्राहकों की मांग को पूरा करेगा बशर्ते कि यह संतुष्टि हो जाए कि उसके ग्राहक दीर्घकाल तक निर्यात के लिये उत्पाद विकास, में अधिक रुचि रखते हैं। इस उद्देश्य के लिये सुविधा प्राप्त करने के इच्छुक ग्राहकों को चाहिए कि वे अपने आवेदन पत्र वास्तविक उपयोक्ताओं के लिये निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक राजकीय चालान के साथ सीधे ही पूंजीगत माल प्रभाग को भेजें। आवेदकों को निर्यात के लिये विकसित किये जा रहे उत्पादों का विवरण और बाजार जिसके लिये यह है, भी भेजने चाहिये। जांच पड़ताल के बाद ये आवेदन पत्र व्यापार विकास अधिकारी को लाइसेंस जारी करने के लिये सीधे ही भेजे जायेंगे।

नमूनों का कर मुक्त आयात

यदि उपयोग के लिये या निर्यात आदेश प्राप्त करने के सम्बन्ध में उपयोग के लिये नमूनों का भारत में आयात किया जा सकता है और यदि व्यापार विकास प्राधिकरण यह प्रमाणित कर दे कि नमूनों की आवश्यकता उपयोग के लिए या निर्यात आदेश प्राप्त करने के सम्बन्ध में उपयोग के लिये है तो इंजीनियरी माल के ऐसे आदि रूपों को वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. 186/76 और 187/76 के अनुसार सीमाशुल्क कर के भुगतान से छूट दे दी गई है। आयात की सुविधा 1,000/- रु. के नमूनों तक ही सीमित है। 1000/-रु. से अधिक नमूनों के मामलों में सहायक सीमा शुल्क समाहर्ता को इस सम्बन्ध में एक वचनबद्धता देनी होगी कि आयात करने के छः महीने की अवधि के भीतर अथवा सहायक सीमा शुल्क समाहर्ता द्वारा बढ़ाई गई अवधि के अन्तर्गत नमूने भारत से बाहर पुनः निर्यात किये जायेंगे।

उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त सरकार ने व्यापार विकास प्राधिकरण को प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के मद्दे 1982-83 की आयात नीति के पैरा 163 के अन्तर्गत तकनीकी नमूनों के आयात के लिये भी प्राधिकृत किया है। इस सुविधा को उपलब्ध करने वाले ग्राहक तकनीकी नमूनों का आयात करने लिये अपने आवेदन-पत्र व्यापार विकास प्राधिकरण के माध्यम से भेज सकते हैं।

नियमित निर्यात उत्पादन के लिए आर.ई.पी. के अन्तर्गत अग्रिम और अग्रदाय लाइसेंस

उपर्युक्त श्रेणी के लाइसेंसों के लिये नीतियां और क्रियाविधियां मूलतः वही होंगी जो कि आयात-निर्यात क्रियाविधि पुस्तक, 1982-83 में निर्धारित की गई है। लेकिन, विलम्ब दूर करने के लिये ग्राहकों को निर्धारित दस्तावेजों के साथ आवेदन-पत्र व्यापार विकास प्राधिकरण के मुख्य वाणिज्य प्रभाग को भेजने चाहिये। व्यापार विकास प्राधिकरण ने मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के साथ एक सरल क्रियाविधि की व्यवस्था की है जिसके द्वारा व्यापार विकास प्राधिकरण की सिफारिश पर ऐसे लाइसेंस शीघ्रता से जारी किये जा सकेंगे।

संतुलन/आधुनिकीकरण/विस्तार/क्षमता की वृद्धि के लिए पूंजीगत उपस्कर और नए औजारों का आयात

व्यापार विकास प्राधिकरण के ग्राहकों से निर्यात अभिमुख एककों के लिये पूंजीगत माल के आयात के लिये निर्धारित क्रियाविधियों के अन्तर्गत आयात आवेदन पत्र व्यापार विकास प्राधिकरण के मुख्य माल प्रभाग को सीधे ही भेजे जाने चाहियें। यदि ऐसे आयात, व्यापार विकास प्राधिकरण की अनुमोदित योजना और कार्यक्रम के अनुसार होंगे, तो व्यापार विकास प्राधिकरण अनिवार्यता के सम्बन्ध में देसी दृष्टिकोण से उचित सरकारी प्राधिकारियों से अपेक्षित निकासी और पूंजीगत माल लाइसेंस समिति से अनुमोदन प्राप्त करने का प्रबन्ध करेगा।

औद्योगिक लाइसेंस जारी करना और विदेशी मुद्रा का अनुमोदन

निर्यात अभिमुख एककों के सम्बन्ध में व्यापार विकास प्राधिकरण अपने ग्राहकों के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने और विदेशी सहयोग के अनुमोदन के लिये आवेदन पत्रों के लिए सिफारिश करता है। निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र सीधे व्यापार विकास प्राधिकरण को भेजे जाने चाहियें जो कि संबंधित सरकारी विभागों से जानकारी स्थापित करेगा और आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा।

निर्यात उत्पाद में देशी निवेश

इस्पात कारखानों द्वारा प्राथमिक आधार पर संभरण निर्धारित करने के लिये व्यापार विकास प्राधिकरण के ग्राहकों की फाउण्डरी ग्रेड पिग आयरन रोल्ड माइल्ड स्टील की आवश्यकताओं के लिये इस्पात और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय ने व्यापार विकास प्राधिकरण को प्रायोजक प्राधिकरण के रूप में मान्यता प्रदान की है। व्यापार विकास प्राधिकरण के ग्राहक जिनको इस देशी कच्चे माल की अग्रिम आपूर्ति की आवश्यकता है, उन्हें अपने आवेदन पत्र निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ सीधे व्यापार विकास प्राधिकरण के प्रमुख वाणिज्य प्रभाग को भेजने चाहियें :--

(क) निर्यात संविदाओं का साक्ष्य, और

(ख) कच्चे माल के अंतिम उपयोग का विवरण और उनका तकनीकी औचित्य।

जांच पड़ताल के पश्चात् ये आवेदन पत्र व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा लोहा एवं इस्पात नियंत्रक को भेजे जायेंगे जिससे कि यह सम्बद्ध इस्पात कारखानों को आपूर्ति के लिये योजना बनाएं।

ग्राहकों को व्यापार विकास प्राधिकरण को निम्नलिखित भी भेजने चाहियें :--

(1) आवेदन पत्र भेजते समय लिखित रूप में एक वचन-पत्र कि वे इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद्

अथवा अन्य प्राधिकारियों से उन्हीं निर्यात संविदाओं के अन्तर्गत अग्रिम कोटे के लिये सम्पर्क स्थापित नहीं करेंगे।

(2) आवेदन पत्र भेजते समय व्यापार विकास प्राधिकरण को लिखित रूप में एक वचनबद्धता पत्र कि वे किसी भी स्रोत से व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा प्राप्त अग्रिम कोटों के संबंध में किसी भी कोटा प्रतिपूर्ति के लिये कोई भी दावा नहीं करेंगे।

(3) व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कच्चे लोहे/इस्पात की प्राप्ति और उपभोग तथा तत्संबंधी निर्यातों को दर्शाने वाला मासिक विवरण।

किराया खरीद सुविधा

निर्यात अभिमुख विद्यमान एककों के विस्तार के लिये और नये एकक स्थापित करने के लिए देशी और आयातित दोनों मशीनरी के किराए पर खरीद के लिये व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा प्रयोजित किए गए आवेदन पत्रों को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम प्राथमिकता प्रदान करेगा। व्यापार विकास प्राधिकरण की सिफारिश के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र उद्योग निदेशक को भेजे जाएं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में ये आवेदन प्राथमिकता प्राप्त करेंगे।

विपणन संविदाएं :—

व्यापार विकास प्राधिकरण ने संयुक्त राज्य अमरीका कनाडा, पश्चिमी यूरोप, जापान, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड में प्रमुख खरीददारों के साथ चुनिन्दा उत्पादों के लिये अनेक विपणन संविदायें की हैं। हमारे विदेशी कार्यालयों द्वारा की गई पूछताछ व्यापार विकास प्राधिकरण के ग्राहकों को प्रेषित की जाती है। इसके अतिरिक्त व्यापार विकास प्राधिकरण विदेश से भारत में खरीददारों का शिष्टमंडल लाने का प्रबन्ध करता है और अपने ग्राहकों से उनका सम्पर्क कराता है। यह उन ग्राहकों को जो विदेश में जाते हैं संविदायें प्रदान कराने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार खरीददारों को संविदायें प्रदान कराना व्यापार विकास प्राधिकरण का एक प्रमुख कार्य है।

विदेशी मुद्रा की रिहाई :—

निर्यात संवर्धन के लिये विदेश यात्रा और प्रचार के लिये विदेशी मुद्रा की रिहाई के लिये आवेदन पत्र भारत के रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में इसके ग्राहकों द्वारा व्यापार विकास प्राधिकरण को भेजने चाहिये। यदि आवेदन पत्र व्यापार विकास प्राधिकरण की अनुमोदित योजना के अनुकूल होगा तो व्यापार विकास प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक के साथ आवश्यक विदेशी मुद्रा की रिहाई के लिये व्यवस्था करेगा।

करों की वापसी :—

उत्पाद वर्ग के लिये जिस मामले में चुंगी वापसी की दरें पहले ही निश्चित न की गई हों, उसमें इनके शीघ्रता से निर्धारण के लिए व्यापार विकास प्राधिकरण अपने ग्राहकों की सहायता करेगा। इस उद्देश्य के लिए व्यापार विकास प्राधिकरण के ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित सूचना के साथ व्यापार विकास प्राधिकरण से सम्पर्क करें।

क्रेता-विक्रेता की गोष्ठी का आयोजन करना और व्यापारिक मेलों तथा नुमाइशों में भाग लेना :

व्यापार विकास प्राधिकरण विश्व के भिन्न-भिन्न भागों में क्रेता-विक्रेता की गोष्ठियों का आयोजन करता है। इंगलैंड और अमरीका में इसने पहले ही ऐसी 7 गोष्ठियों का आयोजन किया है जो कि व्यापारिक संविदाओं के दृष्टिकोण से अधिक सफल रहा है। विशिष्ट पण्य वस्तु के व्यापार मेले में विदेशों में भाग लेने का भी यह प्रबन्ध करता है जिसमें व्यापार विकास प्राधिकरण के ग्राहकों को अपना माल प्रदर्शित करने के लिये प्राथमिकता दी जाती है।

व्यापारिक शिष्टमण्डल/अध्ययन दल:

व्यापार विकास प्राधिकरण व्यापारिक शिष्टमण्डलों और अध्ययन दलों को प्रायोजित करता है जिसमें इसके ग्राहकों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। इन शिष्टमण्डलों और अध्ययन दलों का मुख्य ध्येय विदेशी खरीददारों के साथ व्यापार संविदाएं करना और उनके साथ निर्यात संविदाओं को तय करना है।

क्रेताओं के लिए माल रिपोर्ट :

व्यापार विकास प्राधिकरण अपने ग्राहकों को विदेशी खरीददारों से डन और ब्राडस्ट्रीट (डी एंड बी) रिपोर्ट प्राप्त कराने में भी सहायता प्रदान करता है। विदेशी खरीददारों की साख क्षमता स्थापित करने के लिये उनकी आर्थिक स्थिति पर रिपोर्ट प्राप्त करना आवश्यक है। व्यापार विकास प्राधिकरण ने भारतीय ग्राहकों को सूचीबद्ध करने और इसके साथ-साथ विदेशी खरीदारों से साख रिपोर्ट प्राप्त करने के लिये डी. एण्ड बी. के साथ विशेष व्यवस्था कर रखी है।

सूचना सेवाएं :

व्यापार विकास प्राधिकरण का सूचना केन्द्र भारतीय निर्यात समुदाय और अन्य इच्छुकों को डेस्क सेवाओं, पूछताछ व डाक द्वारा उत्तर देने वाली पत्रिकाओं के प्रकाशन, सूचना देने वाले हाथ के पर्चों और परिपत्रों के माध्यम से निर्यात विपणन की सूचना प्रसारित करता है।

केन्द्रों द्वारा प्रदान की गई सूचना निम्नलिखित से संबंधित है:—

—निर्यात नीतियां और क्रियाविधियां जिनमें निर्यात प्रोत्साहन भी शामिल हैं;

—विदेश में अपेक्षित दस्तावेज;

—भारत के निर्यात आयात आंकड़े;

—विशिष्ट देशों में विशिष्ट पण्य वस्तुओं के लिये आयात संविदाएं;

—समुद्र पार देशों में टैरिफ और आयात विनियमन;

—जी. एस. पी. पर सूचना;

—समुद्र पार बाजारों के आंकड़े;

—अन्तर्राष्ट्रीय अनुदान और ऋण समझौते;

—व्यापार समझौते;

—निविदायें आमंत्रित करना; और

—समुद्रपार बाजारों पर सामान्य सूचना;

प्रकाशन:

आमने सामने और डाक द्वारा सूचना भेजने के अतिरिक्त सूचना केन्द्र निर्यात विपणन के विभिन्न पहलुओं पर वृहत और सूक्ष्म देशों का बुलेटिन उत्पादन के देश, मार्किट शेयर रिपोर्ट और स्तर पर सूचना प्रसारित करने के लिए प्रकाशन रिपोर्ट इत्यादि को प्रकाशित करता है। प्रकाशनों में विपणन सूचना, क्रमवार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार का रूख और प्रलेखी श्रृंखला भी, जैसे समाचार विषय-सूची (साप्ताहिक) वर्तमान ब्याज के नियम (मासिक) और अन्तर्राष्ट्रीय विपणन (मासिक) पर दस्तावेज शामिल हैं।

हस्तबिल द्वारा सूचना :

उद्योग एवं व्यापार, विशेष रूप से व्यापार विकास प्राधिकरण के ग्राहकों को आधुनिक विकास के सूक्ष्म स्तर पर पूर्ण जानकारी से अवगत कराने के लिये केन्द्र प्रति मास 10-15 हस्तबिल सूचना जारी करता है जिसका उसके निर्यात संवर्धन प्रयत्नों पर सीधा प्रभाव पड़ता है और जो (1) विदेश में भारत के वाणिज्य प्रतिनिधियों की रिपोर्ट; (2) केन्द्र में प्राप्त होने वाली पत्रिकाएं और (3) फ्रेंकफर्ट, न्यूयार्क और टोकियो में व्यापार विकास प्राधिकरण के विदेशी कार्यालयों से रिपोर्ट। पर आधारित है।

निर्यात संवर्धन के लिए विदेशी संगठनों के साथ संविदाएं

केन्द्र ने 17 विदेशी संगठनों के साथ अपने ग्राहकों के 100 निर्यात प्रस्ताव उन के बुलेटिनों में प्रति मास नियमित रूप से प्रकाशित कराने की व्यवस्था की है। यह विदेशी बाजार में प्रचार का एक प्रभावी साधन सिद्ध हुआ है।

वाणिज्यिक विकास कार्यक्रम:

अपने ग्राहकों के लिए विविधीकरण और निर्यात संवर्धन के लिये किये गये प्रयत्नों में से व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा लागू किया गया एक कार्यक्रम तकनीकी वाणिज्यक विकास कार्यक्रम है। वाणिज्यक विकास कार्यक्रम द्विदेशीय अंतर सरकारी कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य विविधीकरण और बाहरी व्यापार की वृद्धि करना है जिसमें भारत से गैर परम्परागत उत्पाद के निर्यात पर विशेष प्रभाव डाला गया है ताकि दोनों देशों को पारस्परिक आर्थिक लाभ हो।

जब कि कुछ उत्पादन हाजिर माल में से भारत से निर्यात किये जा सकते हैं उनमें से बहुत से उत्पाद ऐसे होते हैं जिसके लिये उत्पादन प्रक्रियाओं में सुधारों के अनुसार सुधार और स्वयं उत्पादों में आशोधन और अनुकूलन की बहुत आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में जब वाणिज्यिक विकास प्रोग्राम का अंततः लक्ष्य प्रभावशाली विपणन उद्देश्य है तब उसके पास उत्पादन और उत्पाद को सुधारने और अर्हककारी बनाने के लिए एक बना बनाया कल यन्त्र है।

कारखाना लगाने, उत्पादन संसाधन, तकनीकी और उत्पादों की किस्म और डिजाइन में आशोधन के लिये किये गये सुधारों के लिये भारतीय विनिर्माता एककों को सलाह देने के लिये विशेषज्ञों के निरीक्षण प्रोग्राम का भी यह आयोजन करता है। भारतीय उद्योगों से विपणन और तकनीकी कर्मचारियों के निरीक्षण प्रयोजित किये जाते हैं जिससे कि वे उत्पादन, तकनीकी माल की मांग और तेजी से व्यापारिक सम्बन्धों का अध्ययन कर सकें।

एक फर्म से दूसरे फर्म की तुलनात्मक परियोजना

भारतीय उद्योगों की प्रचालन क्षमता में सुधार करने के विचार से उनको अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतियोगात्मक बनाने के लिये व्यापार विकास प्राधिकरण चुनिन्दा निर्यात अभिमुख उद्योगों में अन्तरफर्म तुलनात्मक अध्ययन को कार्यान्वित करता है। व्यापार विकास प्राधिकरण में अन्तरफर्म तुलना के लिये एक ही उद्योग की अनेक फर्म गुप्त रूप से अपने आंकड़े केन्द्र को प्रस्तुत करती हैं। केन्द्र द्वारा इन आंकड़ों के प्रतिशत के अनुपात के रूप में संसाधन, विश्लेषण और मिलान किया जाता है। प्रत्येक भाग लेने वाली फर्म केन्द्र से सामान्य रिपोर्ट की एक प्रति प्राप्त करती है जिसमें चुनिन्दा अवधि के अन्दर न केवल उनके स्वयं के कार्य का परिणाम अनुपात ही निर्धारित नहीं होता है, बल्कि अन्य भागीदारों के भी परिणाम अनुपात होते हैं जो किसी भी फर्म की पहचान के बिना तालिका के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। सामान्य रिपोर्ट के साथ-साथ प्रत्येक भाग लेने वाली फर्म एक गोपनीय वैयक्तिक रिपोर्ट प्राप्त करती है जो कि उस फर्म के कार्य निष्पादन, उसके समर्थन और कमजोरी के क्षेत्र, उसके अनुपात और अन्य बीच के भेदों के कारण और उसके कार्य निष्पादन को सुधारने के लिये बताये गये उपायों पर विस्तार से प्रकाश डालती है। इस प्रकार अन्तरफर्म तुलनात्मक अध्ययन फर्म कीमत कम करने, उसकी उत्पादकता में वृद्धि करने और इस प्रकार राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में अधिक प्रतियोगिक बनाने में सहायक होता है।

मुख्य कार्यालय		क्षेत्रीय कार्यालय
व्यापार विकास प्राधिकरण]		व्यापार विकास प्राधिकरण
बैंक आफ बड़ौदा बिल्डिंग	एयर इण्डिया बिल्डिंग	ब्लाक नं० 3-ए
16 पालियामेंट स्ट्रीट	आठवीं मंजिल	तेरहवीं
नई दिल्ली 110001	नारीमन प्वाइन्ट	मंजिल
दूरभाष : 310040, 310214, 310519,	बम्बई : 400021	चटर्जी अन्तर्राष्ट्रीय
310345	दूरभाष : 233685	सेन्टर 33 ए
टेलेक्स 2735	टेलेक्स 4506	चौरंगी रोड
ग्राम : एडीईपीटी	ग्राम : एडीई पीटीबीओएम	कलकत्ता
	विदेशी कार्यालय	
	भारतीय व्यापार विकास प्राधिकरण	
6 फ्रैंकफर्ट/मिन	666, पाचवां एवेन्यू	आटोगोयामा
हैलिफ्लोसी 14	न्यूयार्क एनवाई 10019	सेंगोशी बिल्डिंग
पश्चिमजर्मनी 8	यू० एस० ए०	कमरा नं० 302-
दूरभाष (9611) 295341-42	दूरभाष (212) 586-5066-7	303 (एस)
	केबल —एन वाई ए डी ई पी टी	14-1, गिंजा
केबल :—एडी ई० पी० टी०	न्यूयार्क	एटागों-चो
टेलेक्स : 413004	टेलेक्स :—236996	1-,कोम मिनाटो-कु,
	एडेप्टर	टोकियो (जापान)
		दूरभाष : 03—436 5060
		केबल : ए डी ई पी टी टी वाई ओ, टोकियो
		टेलेक्स : 25839

परिशिष्ट—15

रजिस्ट्रेशन संख्या के आवंटन के लिये आवेदन

(1) अनुसूचित उद्योग का नाम या वह उद्योग जिससे औद्योगिक निर्माण की वस्तुओं का संबंध है।

(2) औद्योगिक उपक्रम का नाम

(3) कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता

(4) कारखाना कहां स्थित है उसका पूरा पता

(5) औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत जारी किये गये लाइसेंस की संख्या, और तारीख

(6) जारी किये गये मंजूरी पत्र/पत्रों की संख्या और तारीख

(7) मालिकों, साझीदारों अथवा बोर्ड के निदेशकों का नाम और पूरा पता

(8) यदि कोई विदेशी सहयोग हो, तो किसके साथ

(9) यदि कोई विदेशी तकनीकी कर्मचारी नौकरी में हो, तो उनकी संख्या तथा कर्मचारियों की श्रेणियां

(10) एक पारी के आधार पर सालाना उत्पादन के लिये दिया गया टन भार का लाइसेंस/दी गई अनुमति

(11) लाइसेंस/मंजूरी के अन्तर्गत अनुमित पारी की संख्या

(12) लाइसेंस प्रदत्त/स्वीकृत क्षमता में से वास्तव में संस्थापित क्षमता

(13) शेष क्षमता के संस्थापन न होने के कारण, इसके संस्थापन की संभावना कब तक है अथवा अतिरिक्त क्षमता जहां लागू हो, तो उसका कारण लिखें?

(14) जिन वस्तुओं का विनिर्माण अब हुआ हो उनके नाम तथा प्रत्येक वस्तु के सामने प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता लिखें जैसे गेज, मात्रा आदि।

(उन इकाइयों के मामले में इकाइयों में अभी तक उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ है)

(1) क्या कारखाने के लिये जमीन अर्जित कर ली है

(2) कारखाने के निर्माण और संयंत्र तथा मशीनों के संस्थापन में हुई प्रगति।

(3) बिजली तथा पानी की सप्लाई में हुई प्रगति।

(4) आवश्यक पूंजीगत उपस्कर कुल मूल्य के कितने प्रतिशत का है—

(क) आदेश दिया गया और कितना प्राप्त हुआ

(ख) आदेश दिया गया परन्तु अभी तक प्राप्त नहीं हुआ।

(5) उत्पादन प्रारम्भ होने की सम्भावित तारीख

मैं/हम यह एतद् द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि जहां तक मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास है उपर्युक्त तथ्य/विवरण सही और सत्य हैं। मैं/हम इस बात को अच्छी तरह समझता हूं/समझते हैं कि यदि इस विवरण और तथ्य में दी गई सूचना गलत अथवा झूठी पाई गई तो इस मामले में मेरे/हमारे विरुद्ध अन्य कार्रवाई किये जाने के अतिरिक्त उपर्युक्त तथ्य/विवरण के आधार पर मुझे/हमें प्रदान किया गया "रजिस्ट्रेशन" नंबर रद्द किया जा सकता है।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

नाम स्पष्ट अक्षरों में

पूरा पता

तारीख .....

परिशिष्ट—16

मुलाकाती पर्ची

क्रम सं.

1. आवेदक का नाम और पता

2. प्रतिनिधि का नाम, पदनाम और फर्म से उनका सम्बन्ध

3. किस अधिकारी से मिलना है....

4. किस तारीख को मिलना चाहते हैं....

5. नीचे लिखे की संख्या और दिनांक
   (क) आवेदन पत्र
   (ख) पावती, और
   (ग) इसके बाद प्राप्त पत्र और दिए गए उत्तर

6. (क) आवेदन पत्र किस वर्ग का है
   (ख) माल का संक्षिप्त विवरण
   (ग) आयात व्यापार नियंत्रण/निर्यात व्यापार नियंत्रण अनुसूची की क्रम संख्या
   (घ) लागत बीमा भाड़ा/जहाज पर निशुल्क मूल्य
   (ङ) उस उद्योग का नाम, जिससे आवेदन पत्र संबंधित है

7. उस पत्र की संख्या और तारीख, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया हो, या उससे सिफारिश की गई हो....

8. चर्चा का संक्षिप्त सार
   (यदि आवश्यकता हो, तो फार्म के दूसरी ओर का उपयोग करें)।

9. क्या इस मामले के लिये किसी अधिकारी से पहले मिले हैं, या मामले की स्थिति का पता लगाया है? यदि हां, तो कब

मिलने का समय....

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर और पद

निवास स्थान का पता

टेलीफोन नं.

पूछताछ कार्यालय की टिप्पणी,

विशेष टिप्पणीः—प्रत्येक आवेदन के लिये अलग फार्म का इस्तेमाल किया जायं।

अर्धपन्ना

क्रम सं. तारीख मोहर:

1. आवेदक का नाम
2. प्रतिनिधि का नाम
3. किस अधिकारी से मिलना है
4. मिलने की तारीख और समय

पूछताछ अधिकारी के हस्ताक्षर

परिशिष्ट 17

आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अधीन विदेशी-पार्सलों पर प्रतिबंध

डाक-घर के महानिदेशक के समय-समय पर यथा संशोधित तारीख 30-12-1970 के परिपत्र सं. 21 के पैरा 1 में दिये गये अनुदेशो के अधिक्रमण मे निम्नलिखित परिशोधित अनुदेश, जो तत्काल लागू किए जाते हैं, सभी संबंधित व्यक्तियों की सूचना और मार्गदर्शन के लिए सलंग्न डाक-नोटिस में प्रकाशित किए गये हैं।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 की अनुसूची 1 में उल्लिखित वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं को डाक से सभी अनुमेय-गंतव्य स्थानों पर लाइसेंस के बिना भेजा जा सकेगा।

टिप्पणी :—'अनुमेय गंतव्य स्थानों' से अभिप्राय उन देशों से है, जिनके साथ यह प्रशासन डाक सेवा कायम (पत्र और पार्सल) रखता है और उन देशों से भी है, जिनके साथ व्यापार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

डाक नोटिस

सं. 13. दिनांक 3-12-73

डाक नोटिस सं. 18 दिनांक दिसम्बर, 1970 का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित परिशोधित अनुदेश सभी संबंधित व्यक्तियों की सूचना और मार्ग-दर्शन के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 की अनुसूची (1) मे निहित माल के अतिरिक्त अन्य माल का उपहार के रूप में अथवा डाक पार्सल द्वारा वाणिज्य प्रयोजन के लिए निर्यात, आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत लाइसेंसों को प्रस्तुत किए बिना सभी अनुमेय गन्तव्य स्थानों के लिए अनुमेय होगा ।

3. नीचे के उप-पैरा (1) से (10) मे जो वस्तुएं उल्लिखित हैं, उनको छोड़कर निर्यात (व्यापार) नियंत्रण आदेश, 1977 की अनुसूची 1 में दी गई वस्तुओं को तब तक डाक से नहीं भेजा जा सकेगा जबतक कि वस्तुएं निर्यात व्यापार-नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए लाइसेंसों में शामिल न हों।

(1) ऐसे वाणिज्यिक नमूने जो (नियंत्रण) आदेश, 1977 की अनुसूची 3 में दिये गये मूल्य तक हों और खुले सामान्य लाइसेंस-2 के अन्तर्गत आते हों।

(2) जब निर्यात खुदरा दुकानदारों द्वारा उन पर्यटकों को डाक से किया जाए जो भारत में आए हैं और उन्होंने कोटे की जातियों सहित जंगली जीव की अनुमेय जातियों की खाल से बनी दो जैकेट खरीदी हों और वे उन्हें डाक से भेजना चाहते हैं बशर्ते कि पयर्टक ने भुगतान विदेशी मुद्रा में कर दिया हो। लेकिन ऐसी जैकेटों का निर्यात कानूनी अधिप्राप्ति प्रमाण-पत्र और सी. आई. टी. ई. एस. प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही अनुमेय होगा ।

(3) निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 की अनुसूची 1 के भाग 'ख' की मद सं. 73 के सामने उल्लिखित हाथ के बने हुए ऊनी कालीन और चेन स्टिच्ड ऊनी कालीन, मूल्य की किसी सीमा के बिना उपहार के रूप में भेजी जा सकती है।

(4) निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 की अनुसूची 1 के भाग 'ख' की मद सं. 76 मे दिये गये 200/– रु. तक के मूल्य के सभी प्रकार के जूते उपहार के रूप में भेजे जा सकते हैं।

(5) निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 की अनुसूची 1 के भाग (ख) की मद 70 (3) में दी गई 200/-रु. तक के मूल्य की हथकरघे की धारीदार चादरें जो 'इटावा की धारीदार चादर' के नाम से जानी जाती हैं, प्रत्येक पार्सल में उपहार के रूप में भेजी जा सकती है।

(6) निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 की अनुसूची 1 के भाग 'ख' की मद सं. 70 (4) में उल्लिखित 200/– रु. मूल्य तक की लूंगी के डिजाइन का कच्चे रंगों का (जिसमें ब्लीडिंग तत्वों वाला कपड़ा भी शामिल है)। हथकरघे का कपड़ा और उससे बने वस्त्र प्रत्येक पार्सल में उपहार के रूप में भेजे जा सकते हैं।

(7) निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 की अनुसूची 1 के भाग 'ख' की मद सं. 70 (5), (6), (7), और (8) में दी गई 200/– रु. मूल्य तक की सूती कपड़े से बनी वस्तुएं प्रत्येक पार्सल में इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमरीका, आस्ट्रिया, पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, इटली और बेनेलक्स देशों को उपहार के रूप में भेजी जा सकती हैं।

(8) 200/-रु. मूल्य तक के सेल्यूलोपिक कृत्रिम रेशम के कपड़े प्रत्येक पार्सल में उपहार के रूप में भेजे जा सकते है।

(9) 200/- रु मूल्य तक के नायलान के कपड़े प्रत्येक पार्सल मे उपहार के रूप मे भेजे जा सकते हैं।

(19) चांदी के सिक्के-यदि (1) उनका निर्यात-मूल्य सिक्के में जितनी चांदी है, उसके मूल्य से कम न हो, (2) रिजर्व

बैंक आफ इण्डिया से अनुमति ले ली गई हो, (3) 100 वर्ष से अधिक पुराने सिक्कों के निर्यात के लिए शिक्षा मंत्रालय के पुरातत्व विभाग से पुरावस्तु संबंधी स्वीकृति ले ली गई हो, और (4) तत्संबंधी लदान बिलों पर सक्षम सीमा-शुल्क अधिकारी द्वारा पृष्ठांकन किया गया हो।

4. निर्यात के संबंध में ऊपर दी गई शर्तों के बावजूद जिन मामलों में आवश्यक हो, उनमें विदेशी-मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (1947 का 6) के अधीन भारत से बाहर देशों को डाक से निर्यात किए जाने वाले सामान पर लगाये गये प्रतिबंधों के सम्बन्ध में समय समय पर संशोधित तारीख 25-5-1951 के डाक नोटिस सं. 12 में निर्दिष्ट पी. पी. फार्म और अन्य क्रियाविधि के अधीन डाक द्वारा सामान का निर्यात किया जाता रहेगा।

5. इस डाक नोटिस के उपबंध हवाई डाक पार्सलों द्वारा निर्यात किए जाने वाले सामान पर भी लागू होंगे बशर्ते कि पार्सल का वजन 5 (पांच) किलोग्राम से अधिक न हो।

परिशिष्ट 18

वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा आयातित कच्चेमाल/संघटकों के उपभोग और स्टाक का लेखा रखने का रजिस्टर
(समाचारपत्र संस्थानों से भिन्न)

क्रम सं०	मद का विवरण	पावतियां		उन आयात लाइसेंसो/रिहाई आदेशों या खुले सामान्य लाइसेंस या सरणीबद्ध करने वाले अभिकरण द्वारा सीधे आबंटनो के ब्यौरे जिनके मद्दे आयात किये गये हैं/आवंटित किये गये हैं।	यदि माल किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किये गए हैं तो प्राधिकृत स्रोत का नाम और पता।	प्रविष्टि बिल सं० और दिनांक, विक्रय नोट सं० और दिनांक एवं जी० आर०/आर० आर० सं० एव दिनांक जिसके अन्तर्गत माल अव-तरण के पत्तन से या माल प्राप्त करने की जगह से फैक्ट्री के स्थान पर ढोया गया है।
		अथशेष	प्राप्त किए गए नए स्टाक की मात्रा			
1	2	3	4	5	6	7

निर्गम (उपभोग)						
दिनांक	मात्रा	वह अन्तिम उत्पाद जिसमें उपयोग किया गया है/फार्मस्युटिकल एकक के मामले में बैच सं० को भी प्रदर्शित किया जाना है।	उपभोग किए-गए आयातित माल में से उत्पादित मात्रा	प्राधिकृत विधि से अन्य को अपवर्तित मात्रा	इति शेष	अभियुक्तियां
8	9	10	11	12	13	14

परिशिष्ट 18-क

समाचार-पत्र संस्थानों द्वारा आयातित कच्चे माल आदि के उपभोग एव स्टाक को रखने के लिये रजिस्टर

अथ शेष	पावतियां				उपभोग			इतिशेष	
1 अप्रैल 19....को अथ शेष	मदो का विस्तृत ब्यौरा	मात्रा/लागत बीमा भाड़ा मूल्य	पावती की तिथि	आयातित मात्रा	बीजक सं० एवं दिनांक	लागत बीमा भाड़ा मूल्य	उपभोग की मात्रा	ऋण, यदि कोई हो तो, मात्रा।	31-3-19 को शेष मात्रा एव लागत बीमा-भाड़ा मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

परिशिष्ट--19

अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं की मान्यता के लिये आवेदन करने का प्रपत्र

1. आवेदक/फर्म का नाम . . . .

2. पता . . . .
   (क) मुख्य कार्यालय . . . .
   (ख) फैक्ट्री/फैक्टरियां . . . .
   (ग) अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला/केन्द्र . . . . .

3. व्यवसाय की प्रकृति . . . .

4. कम्पनी की संरचना . . . .
   (क) सार्वजनिक/निजी/सहकारी/संयुक्त क्षेत्र/स्वामित्व/साझीदारी संस्था
   (ख) क्या विदेशी साम्य भागीदार हैं ? कृपया विदेशी साम्य भागीदार का नाम तथा उसका प्रतिशत बताइए ? . . . .
   (ग) बोर्ड के निदेशकों/स्वामियों का नाम . . . .

5 पूंजी की संरचना :--
   (क) प्राधिकृत पूंजी . . . . . .
   (ख) प्रदत्त पूंजी . . . . . .
   (ग) अन्य देयता . . . . . .

6. फर्म की श्रेणी :--
   (क) लघु पैमाना एकक . . . . . .
   (ख) महानिदेशक, तकनीकी विकास के पास पंजीकृत . . .
   (ग) आई० डी० आर० अधिनियम के अधीन आने वाली . .
   (घ) एम० आर० टी० पी० अधिनियम के अधीन आने वाली . .
   (ङ) अन्य (कृपया प्रायोजक प्राधिकारी का नाम निर्दिष्ट करें). . .

7. सम्बद्ध प्रशासकीय मंत्रालय

8. तकनीकी सहायता, यदि कोई हो तो :--

क्रम सं०	उत्पाद	तकनीकी सहयोग का नाम एवं पता	सहयोग का इतिहास
(1)	(2)	(3)	(4)

विशेष ध्यान दीजिए :--कालम 4 के अन्तर्गत कृपया सहयोग व्यवस्था के अनुमोदन का वर्ष जिसमें समय वृद्धि भी शामिल हो तथा वर्तमान सहयोग व्यवस्थाओं की समाप्ति की तिथि भी निर्दिष्ट कीजिए।

9. पिछले तीन वर्षों (वर्ष-वार) का समस्त वार्षिक व्यापार

10 मुख्य विनिर्मित उत्पाद :--

सं०	उत्पाद	अनुज्ञप्त क्षमता	संस्थापित क्षमता	उत्पादन (तीन वर्षों में) 1980-81	1981-82	1982-83
1	2	3	4	5	6	7

11. फर्म द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति
   (क) वैज्ञानिक एवं तकनीकी
   (ख) प्रशासनिक
   (ग) अन्य

कुल

(ख) अनुसंधान एवं विकास

1. क्या अनुसंधान एवं विकास का कार्य पहले से ही प्रगति पर है (यदि हां, तो प्रारम्भ होने की तिथि)

2 अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य

परिशिष्ट 19--जारी

3. क्या अनुसंधान एवं विकास संस्थान फैक्टरी परिसर के भीतर/बाहर अलग बिल्डिंग में स्थापित है . . . .

4. क्या अनुसंधान एवं विकास कार्य आपके उत्पादन एवं गुण नियंत्रण विभाग से पृथक है और क्या अलग-अलग लेखा रखा गया है . . . .

5. उपलब्ध उपस्कर/ प्रायोगिक संयन्त्र सुविधाओं का संक्षिप्त ब्यौरा (कृपया मूल्य एवं स्रोत को दर्शाते हुए सूची संलग्न करें) . . . .

6. क्या आपके पास पूरे समय के लिए अनुसंधान एवं विकास निदेशक/प्रबंधक है? यदि हां, तो कृपया इनका नाम एवं नियुक्ति की तिथि बताइये . .

7. पिछले तीन वर्षों में अनुसंधान एवं विकास की उपलब्धियों का ब्यौरा (यदि आवश्यक हो तो अलग शीट लगाएं) . . . .

8. पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या विदेश में दाखिल किए गए पेटेंट .

9. क्या आपके द्वारा किसी विकसित प्रौद्योगिकी का :--

(क) व्यापारीकरण किया गया है . . . . . .

(ख) भारत में अन्य पार्टी को बेचा गया है . . . .

(ग) निर्यात किया गया है . . . . . .

10. प्रगति में लगी हुई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का ब्यौरा दीजिए (कृपया ब्यौरा अनुबंध "क" के प्रपत्र में दें) . . . . .

11. अगले तीन वर्षों में प्रस्तावित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं (कृपया ब्यौरा अनुबंध "ख" के प्रपत्र में द) . . . .

12. अनुसंधान एवं विकास कार्य पर खर्च कृपया पिछले तीन वर्षों (वास्तविक) चालू वर्ष (बजटिड) और अगले तीन वर्षों के अनुमानित आंकड़े वर्ष वार, दीजिए .

वर्ष	पिछले तीन वर्ष (वास्तविक)			चालू वर्ष (बजटिड)	अगले तीन वर्ष (अनुमानित)		
	1980-81	1981-82	1982-83		1983-84	1984-85	1985-86
	1	2	3	4	5	6	7
(क) पूंजी							
(ख) आवर्ती	----------		----------		----------		----------
(ग) कुल	----------		----------		----------		----------
(घ) ग के विदेशी मुद्रा के संघटक							
(1) पूंजी							
(2) आवर्ती							
कुल					....	....	....

टिप्पणी :--उत्पादन से सम्बद्ध, गुण नियंत्रण, ट्रबल शूटिंग, परीक्षण, बाजार अनुसंधान और इसी प्रकार के अन्य क्रियाकलापों पर किये गए खर्च ऊपर दिए जाने वाले आंकड़ों में शामिल नहीं किए जाएं

13. कृपया पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान एवं विकास खर्च पर आयकर छूट, यदि कोई हो, तो निर्दिष्ट करें . . . . .

14. अनुसंधान एवं विकास कार्य पर नियुक्त किए गए व्यक्ति (वर्तमान) . .

श्रेणी	पूर्ण कालिक	अंशकालिक
	(संख्या)	(संख्या)
(क) वैज्ञानिक	----------	----------
(ख) इंजीनियर	----------	----------
(ग) तकनीशियन	----------	----------
(घ) अन्य	----------	----------
कुल		

परिशिष्ट 19—जारी

15. अनुसंधान एवं विकास कार्मिकों की शैक्षिक स्थिति

श्रेणी	वर्तमान	संख्या		
		1	2	3
(क) विद्या वारिधि डिग्री				
(ख) स्नातकोत्तर डिग्री				
(ग) स्नातक डिग्री				
(घ) स्नातक से कम				
जोड़				

16. अगले तीन वर्षों के दौरान भर्ती की चरणवार श्रेणी

श्रेणी	वर्ष 1	2	3	4
(क) वैज्ञानिक				
(ख) स्नातकोत्तर डिग्री				
(ग) स्नातक				
(घ) स्नातक से नीचे				
कुल	1	2	3	4

17. पिछले तीन वर्षों के दौरान क्या आपने एन० आर० डी० सी० या अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/आई० आई० टी०/अन्य संस्थाओं से किसी प्रकार की सहायता/खरीददारी और जानकारी प्राप्त की है ? कृपया वर्ष एवं स्रोत सहित ब्यौरा दीजिए।

18. क्या आपके द्वारा प्रगति में लगे हुए या प्रस्तावित अनुसंधान एवं विकास कार्य का कोई कार्य देश में किसी अन्य स्थान पर किया जा रहा है ? यदि हां, तो कृपया स्थान संकेतित करें।

दिनांक.................. सदन के अध्यक्ष के हस्ताक्षर.....................

स्थान.................. पदनाम.................................

परिशिष्ट 19—जारी

अनुबन्ध "क"

प्रगति में लगे हुए अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम० सं	अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का नाम एवं क्षेत्र	परियोजना लीडर का नाम	किस वर्ष में प्रारम्भ किया गया	परियोजना की अवधि	निम्नलिखित के अन्तर्गत परियोजना की कुल अनुमानित लागत				
					पूंजी	आवर्ती	जोड़	विदेशी मुद्रा	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

परिशिष्ट 19—जारी

अनुबन्ध "ख"

प्रस्तावित अनुसंधान और विकास कार्य के ब्यौरे (अगले तीन वर्षों के लिए)

वर्ष	क्रम सं०	अनुसंधान एवं विकास परियोजना का नाम एवं क्षेत्र	प्रस्तावित परियोजना लीडर का नाम	परियोजना की अवधि	निम्नलिखित के अन्तर्गत परियोजना की कुल अनुमानित लागत			
					पूंजी	आवर्ती	जोड़	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9

खरीदे जाने वाले अपेक्षित विशिष्ट उपस्कर की और उसके मूल्य का संकेत करते हुए सूची	मूल्य सहित किसी भी विशेष अपेक्षित कच्चे माल की सूची	अभ्युक्ति (अनुसंधान एवं विकास परियोजना प्रस्तावित करने का यदि कोई विशेष कारण हो, तो निर्दिष्ट करें)
10	11	12

क्रमशः

अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं की मान्यता के नवीकरण के लिये आवेदन करने का प्रपत्र

परिशिष्ट—19क

भाग क

1. आवेदक/फर्म का नाम . . . .
2. पता . . . .
   (क) मुख्य कार्यालय . . . . . .
   (ख) फैक्टरी/फैक्टरियां . . . . . .
   (ग) अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला/केन्द्र . . . . .
3. व्यवसाय की प्रकृति . . . . . .
4. कम्पनी की संरचना . . . .
   (क) सार्वजनिक /निजी/सहकारी/संयुक्त क्षेत्र/स्वामित्व/साझीदारी संस्था .
   (ख) क्या विदेशी साझा भागीदार हैं? कृपया विदेशी साझा भागीदार का नाम तथा उसका प्रतिशत बताइये? . . . . .
   (ग) बोर्ड के निदेशकों/स्वामियों का नाम . . . .
5. पूंजी की संरचना :—
   (क) प्राधिकृत पूंजी . . . . . .
   (ख) प्रदत्त पूंजी . . . . . .
   (ग) अन्य देयता . . . . . .
6. फर्म की श्रेणी :—
   (क) लघु पैमाना एकक . . . . . .
   (ख) महानिदेशक, तकनीकी विकास के पास पंजीकृत
   (ग) आई० डी० आर० अधिनियम के अधीन आने वाले
   (घ) एम० आर० टी० पी० अधिनियम के अधीन आने वाले .
   (ङ) अन्य (कृपया प्रायोजक प्राधिकारी का नाम निर्दिष्ट करें) . .
7. सम्बद्ध प्रशासकीय मन्त्रालय
8. तकनीकी सहायता, यदि कोई हो, तो :—

क्रम सं०	उत्पाद	तकनीकी सहयोग का नाम एवं पता	सहयोग का इतिहास
(1)	(2)	(3)	(4)

विशेष ध्यान दीजिए :—कालम 4 के अन्तर्गत, कृपया सहयोग व्यवस्था के अनुमोदन का वर्ष जिसमें समय वृद्धि भी शामिल हो तथा वर्तमान सहयोग व्यवस्थाओं की समाप्ति की तिथि भी निर्दिष्ट कीजिए।

9. पिछले तीन वर्षों (वर्ष-वार) का समस्त वार्षिक व्यापार
10. मुख्य विनिर्मित उत्पाद :—

क्रम सं०	उत्पाद	अनुज्ञप्त क्षमता	संस्थापित क्षमता	उत्पादन (तीन वर्षों में)
1	2	3	4	5

11. फर्म द्वारा नियुक्त की गई कुल मानवशक्ति
   (क) वैज्ञानिक एवं तकनीकी . . . . . .
   (ख) प्रशासनिक . . . .
   (ग) अन्य . . . .

कुल

भाग (ख) अनुसंधान एवं विकास

1. क्या अनुसंधान एवं विकास का कार्य पहले से ही प्रगति पर है (यदि हां, तो प्रारम्भ होने की तिथि) . . . . . .
2. अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य . . . . . .

3 क्या अनुसंधान एवं विकास संस्थान फैक्टरी परिसर के भीतर/बाहर अलग बिल्डिंग में स्थापित है। . .

4. क्या अनुसंधान एवं विकास कार्य आपके उत्पादन एवं गुण नियंत्रण विभाग से पृथक है और क्या अलग-अलग लेखा रखा गया है . . . . .

5 उपलब्ध उपस्कर/ पाईलेट प्लान्ट सुविधाओं का संक्षिप्त ब्यौरा (कृपया मूल्य एवं स्रोत को दर्शाते हुए सूची संलग्न करें). . . . .

6. क्या आपके पास पूरे समय के लिये अनुसंधान एवं विकास निदेशक/प्रबंधक हैं? यदि हां, तो कृपया उसका नाम एवं नियुक्ति की तिथि बताइये . . .

7. पिछले तीन वर्षों में अनुसंधान एवं विकास की उपलब्धियों का ब्यौरा (यदि आवश्यक हो तो अलग शीट लगाएं) . . . .

8. पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या विदेश में दाखिल किये गए पेटेंट .

9. क्या आपके द्वारा किसी विकसित प्रौद्योगिकी का— .

(क) व्यापारीकरण किया गया है . . . . .

(ख) भारत में अन्य पार्टी को बेचा गया है . . .

(ग) निर्यात किया गया है . . . . .

10. प्रगति में लगी हुई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का ब्यौरा दीजिए (कृपया ब्यौरा अनुबंध "क" के प्रपत्र में दें) . . .

11. अगले तीन वर्षों में प्रस्तावित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं (कृपया ब्यौरा अनुबंध "ख" के प्रपत्र में दें) . . . . . .

12 अनुसंधान एवं विकास कार्य पर खर्च.— कृपया पिछले तीन वर्षों (वास्तविक) चालू वर्ष (बजेटिड) और अगले तीन वर्षों के अनुमानित आंकड़े वर्ष वार, दीजिए

	पिछले तीन वर्ष (वास्तविक)	चालू वर्ष (बजेटिड)		अगले तीन वर्ष (अनुमानित)
	1	2		3
(क) पूंजी				
(ख) आवर्ती	———	———	———	———
(ग) कुल	———	———	———	———
(घ) ग के विदेशी मुद्रा के संघटक				
(1) पूंजी				
(2) आवर्ती				
कुल				

टिप्पणी:—उत्पादन से सम्बद्ध, गुण नियंत्रण, ट्रबल शूटिंग, परीक्षण बाजार अनुसंधान और इसी प्रकार के अन्य क्रियाकलापों पर किये, गए खर्चे ऊपर दिये जाने वाले आंकड़ों में शामिल नहीं किये जायेंगे।

13. कृपया पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान एवं विकास खर्चे पर आयकर छूट, यदि कोई हो, तो निर्दिष्ट करें . . . . .

14. अनुसंधान एवं विकास कार्य पर नियुक्त किये गये व्यक्ति (वर्तमान) .

	पूर्ण कालिक	अंशकालिक
	(संख्या)	(संख्या)
(क) वैज्ञानिक	———	———
(ख) इंजीनियर	———	———
(ग) तकनीशियन	———	———
(घ) अन्य	———	———
कुल		

15. अनुसंधान एवं विकास कार्मिकों की शैक्षिक स्थिति (वर्तमान)

	संख्या
(क) विना भारिधि डिग्री	
(ख) स्नातकोत्तर डिग्री	
(ग) स्नातक डिग्री	
(घ) स्नातक से कम	
जोड़	

अगले तीन वर्षों के दौरान भर्ती की चरणवार श्रेणी

श्रेणी	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3
(क) वैज्ञानिक			
(ख) स्नातकोत्तर डिग्री			
(ग) स्नातक			
(घ) स्नातक से नीचे			
कुल			

17. पिछले तीन वर्षों के दौरान क्या आपने एन० आर० डी० सी० या अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशाला/विश्व विद्यालय/आई० आई० टी०/अन्य संस्थाओं से किसी प्रकार की सहायता/खरीददारी और जानकारी प्राप्त की है? कृपया वर्ष एवं स्रोत सहित ब्यौरा दीजिए।

18. क्या आपके द्वारा प्रगति में लगे हुए या प्रस्तावित अनुसंधान एवं विकास कार्य का कोई कार्य देश में किसी अन्य स्थान पर किया जा रहा है? यदि हां, तो कृपया स्थान संकेतित करें।

परिशिष्ट 19 क—(जारी)

अनुबन्ध "क"

प्रगति में लगे हुए अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं०	अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का नाम एवं क्षेत्र	परियोजना लीडर का नाम	किस वर्ष में आरम्भ किया गया	परियोजना की अवधि	निम्नलिखित के अन्तर्गत परियोजना की कुल अनुमानित लागत				
					पूंजी	आवर्ती	जोड़	विदेशी मुद्रा	अभियुक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अनुबन्ध "ख"

प्रस्तावित अनुसंधान और विकास कार्य के ब्यौरे (अगले तीन वर्षों के लिए)

वर्ष	क्रम सं०	अनुसंधान एवं विकास परियोजना का नाम एवं क्षेत्र	प्रस्तावित परियोजना लीडर का नाम	परियोजना की अवधि	निम्नलिखित के अन्तर्गत परियोजना की कुल अनुमानित लागत			
					पूंजी	आवर्ती	कुल	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9

खरीदे जाने वाले अपेक्षित विशिष्ट उपस्कर की सूची और उसके मूल्य का संकेत करते हुए एक सूची	मूल्य सहित किसी भी अपेक्षित विशिष्ट कच्चे माल की सूची	अभ्युक्ति (अनुसंधान एवं विकास परियोजना प्रस्तावित करने का यदि कोई विशेष कारण हो, तो निर्दिष्ट करें)
10	11	12

क्रमशः

परिशिष्ट-19 क (जारी)

भाग "ग"

प्रदान की गई मान्यता का विवरण :

(क) आदित : प्रदान की गई मान्यता का वर्ष और इसकी वैधता अवधि।

(ख) चालू मान्यता पत्र सं० और इसकी वैधता अवधि।

(ग) यदि कोई हो, तो मान्यता में व्यवधान।

2. अनुसंधान एवं विकास के लिये क्या अब कोई अलग से लेखा बनाया गया है। यदि हां, तो वह तिथि जब से यह अलग बनाया गया है। यदि नहीं, तो इसको कब पृथक-पृथक करने की संभावना है ?

3. अनुसंधान एवं विकास पद्धति, मानव शक्ति आदि में किसी प्रकार के परिवर्तन, क्योंकि मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र 2/3 वर्ष पहले दिया गया था।

4. पिछले 2/3 वर्षों के दौरान अनुसंधान विकास केन्द्र का सुधार/विस्तार/भूमि, अलग भवन, सुविधाओं में वृद्धि और सेवाओं में की गई वृद्धि के ब्यौरे प्रस्तुत करें। (सेवाएं जैसे नियंत्रित बाह्य परिस्थितियों, स्थाई पावर इत्यादि)।

5. अनुसंधान एवं विकास के लिए अधिप्राप्ति उपस्करों की सूची क्योंकि मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र 2/3 वर्ष पहले दिया गया था। (वर्ष-वार प्राप्त किए गए उपस्करों, की सूची और उनका मूल्य दर्शाएं)

6. पत्रिकाएं, प्रकाशन, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी, संगोष्ठी आदि में भाग लेना, किसी भी प्रकार का सुधार/तरीकों, विदेश में प्रयोगशालाओं/कारखानों में प्रशिक्षण के सुझाव देने के सम्बन्ध में अनुसंधान एवं विकास कर्मचारी के कार्यकलाप।

7. अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम :—

(क) पिछले आवेदन पत्र के अनुबन्ध "क" में दर्शाए गए अनुसंधान एवं विकास प्रोग्रामों का वर्तमान दर्जा।

(ख) पिछले आवेदन पत्र के अनुबन्ध "ख" में दर्शाए गए अनुसंधान एवं विकास प्रोग्रामों का वर्तमान दर्जा।

8. पुनरीक्षा अवधि के दौरान अनुसंधान एवं विकास उपलब्धियों का ब्यौरा :

(वर्ष-वार उपलब्धियों की सूची) :—

(क) नए उत्पाद विकास

(ख) नई प्रक्रिया विकास

(ग) वर्तमान उत्पादन प्रक्रिया में सुधार।

(घ) आयात प्रतिस्थापन (उत्पादित मद और बचाई गई विदेशी मुद्रा दर्शाएं)

(ङ.) अन्य

9. वर्ष वार अनुसंधान एवं विकास का कुल व्यय दर्शाएं जिसमें कर्मचारियों का वेतन शामिल हो और पुनरीक्षा अवधि के दौरान कुल आय-व्यय का प्रतिशत भी बताएं :—

वर्ष	कुल अनुसंधान एवं विकास व्यय	वार्षिक आय-व्यय	प्रतिशत
1			
2			
3			

10. पुनरीक्षा अवधि के दौरान अनुसंधान एवं विकास उद्देश्यों के लिए किए गए आयात का पूर्ण ब्यौरा।

क्रम सं०	आयात का वर्ष	आयातों और उनके उपयोग के ब्यौरे									अभ्युक्तियां
		पूंजीगत माल			कच्चा माल			अन्य			
		विवरण	लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य	कैसे उपयोग में लाया गया	विवरण	लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य	कैसे उपयोग में लाया गया	विवरण	लागत बीमा-भाड़ा मूल्य	कैसे उपयोग में लाया गया	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

11. मान्यता प्राप्त होने के कारण आपकी फर्म ने कोई लाभ/हित प्राप्त किया था, उसका संक्षिप्त विवरण दर्शाएं।

12. अनुसंधान एवं विकास पंजीकरण योजना के सम्बन्ध में क्या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं।

13. आयकर अधिनियम, की धारा 35 (2-ख) के अधीन क्या कोई प्रोग्राम भेजा गया है। यदि हां, तो उस प्रोग्राम का नाम, अवधि, आदि का संक्षेप में ब्यौरा दिया जाए।

14. क्या आपने औद्योगिक लाइसेंस के लिए सरकारी अधिसूचना के आधार पर लाइसेंस लेने के लिए कृधिमान्य व्यवहार के लिए आवेदन किया था।

15. क्या आपने विनियोजन वृद्धि भत्ते के लिए आवेदन किया था।

संस्था के अध्यक्ष के हस्ताक्षर
पदनाम

दिनांक...........

स्थान............

परिशिष्ट 20

शपथ-पत्र का प्रपत्र

खो गए या अस्थानस्थ हो गए लाइसेंसों और सीमा शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपियां प्राप्त करने के लिए शपथ-पत्र का प्रपत्र

"मैं/हम सत्यनिष्ठा पूर्वक पुष्टि एवं घोषणा करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें . . . . से . . . . .के आयात/निर्यात के लिए जारी किए गए लाइसेंस संख्या . . . . दिनांक . . . . . की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति/मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति/दोनों प्रतियां किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराए बिना और बिल्कुल उपयोग किए बिना/(सीमा शुल्क कार्यालय) . . . . के पास पंजीकृत कराने और उसका आंशिक रूप से उपयोग करने के बाद खो गई/अस्थानस्थ हो गई हैं। कुल धनराशि जिसके लिए लाइसेंस जारी किया गया था वह . . . . रु. है और कुल शेष धनराशि जिसे पूरा करने के लिए अब मूल प्रति/या अनुलिपि प्रति की आवश्यकता है वह . . . . रुपये है। मैं/हम आगे सत्यनिष्ठा पूर्वक पुष्टि और घोषणा करता हूं/करते हैं कि उक्त लाइसेंस मेरे/हमारे द्वारा रद्द, धरोहर, हस्तांतरित नहीं किया गया है या मेरी/हमारी ओर से किसी भी अन्य पार्टी को किसी भी प्रयोजन/या विचार से चाहे जो कुछ हो के लिए सौंपा नहीं गया है और अनुरोध है कि मूल लाइसेंस को रद्द किया जाए और उसके स्थान पर मैंने/हमने जिस अनुलिपि प्रति के लिए आवेदन किया है वह जारी की जाए। मैं/हम इस बात से सहमत हूं/हैं और वचन देता हूं/देते हैं कि यदि मूल लाइसेंस बाद में मिल गया तो मैं/हम उसे जारी करने वाले प्राधिकारी को उनके रिकार्ड के लिए लौटा दूंगा/लौटा देंगे।"

परिशिष्ट 21

हटा दिया गया है।

परिशिष्ट 22

विधिक करार के प्रपत्र

भाग 1

विधिक करार का प्रपत्र

(मूल्य के अनुसार निर्यात बाध्यता वाले मामलों में लिमिटेड कम्पनियों द्वारा निष्पादन के लिए)

यह करार . . . . एक कम्पनी जो अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय . . . . में है (जिसे इसमें आगे "कम्पनी" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल हैं) एक पक्ष और भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं) द्वितीय पक्ष के बीच आज दिनांक . . . . को किया गया।

जबकि कम्पनी को . . . . . . रुपये के लागत-बीमा और भाड़ा मूल्य के संयंत्र मशीनरी और उपस्कर के आयात के लिए आयात अनुज्ञप्ति सं. . . . . , तारीख . . . . प्रदान की गई है।

और/या जबकि सरकार ने कम्पनी . . . . . . को सर्वश्री . . . . .के साथ उसके प्रस्तावित विदेशी विनिधान/तकनीकी सहयोग व्यवस्था के निबंधन और शर्तें संसूचित कर दी हैं इस सम्बन्ध में देखिए . . . .। और/या जबकि सरकार ने कम्पनी को औद्योगिक अनुज्ञाप्ति/क्षमता के पर्याप्त विस्तार की मंजूरी के उसके प्रस्ताव की स्वीकृति के निबंधन और शर्तें संसूचित कर दी है। इस संबंध में देखिए तारीख . . . . का आशयपत्र संख्या . . . . . .।

और जबकि संयंत्र और उपस्कर के लिए उक्त आयात अनुज्ञप्ति/विदेशी सहयोग के अनुमोदन/औद्योगिक अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति या आशयपत्र की एक शर्त के रूप में सरकार ने यह अनुबन्ध किया है कि कम्पनी के लिए यह आवश्यक है है कि वह . . . . लाख रुपये की विदेशी मुद्रा प्रति वर्ष/. . . . . वर्ष की अवधि में अर्जित करें अथवा . . . . वर्ष तक या उतनी अवधि तक को पक्षकारों के हस्ताक्षर से समय-समय पर बढ़ाई जाए (या निर्यात . . . . इसके उत्पादों के निर्यात) यह संशोधन इस करार का भाग रूप समझा जाएगा प्रति वर्ष अपने उत्पादों का . . . . प्रतिशत उस समय तक निर्यात करें जब तक कि परियोजना की विदेशी मुद्रा में पूरी लागत (या परियोजना की विदेशी मुद्रा लागत की दुगनी या उसकी कोई अन्य गुणज राशि) जो . . . . लाख रुपये है निर्यात उपार्जनों के रूप में वसूल नहीं हो जाती है। (ठीक-ठीक शर्त का अनुमोदन प्रत्येक मामले में पूंजीगत माल समिति/विदेशी विनिधान बोर्ड/अनुज्ञापन समिति द्वारा किया जाएगा)।

अब, इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि :—

1. कम्पनी . . . . वर्ष तक या उतनी अवधि तक जो पक्षकारों के हस्ताक्षरों से समय-समय पर बढ़ाई जाए। यह संशोधन इस करार का भाव रूप समझा जाएगा प्रतिवर्ष अपने उत्पाद (उत्पादों) अर्थात् . . . . .(जिनका मूल्य . . . लाख रुपये से कम न हो/जो उसके उत्पाद के . . . . प्रतिशत से कम न हों) का उस समय तक निर्यात करके . . . . रुपये की विदेशी मुद्रा उपार्जित करेगी या वह उस समय तक निर्यात करके विदेशी मुद्रा उपार्जित करेगी जब तक निर्यातों से प्राप्त कुल विदेशी मुद्रा उपार्जन की राशि . . . . . . .रुपये नहीं हो जाती है। यह निर्यात बाध्यता ऐसी किसी अन्य निर्यात बाध्यता के अतिरिक्त होगी (अग्रिम/अग्रदाय लाइसेंसों के मुद्दे निर्यात आभार को छोड़) जो कम्पनी पर किसी अन्य आधार पर अधिरोपित की गई है या अधिरोपित की जाए। भूटान को किए

गए निर्यात, निर्यात बाध्यता के मोचन के लिए अर्हित नहीं होंगे और यदि नेपाल और अफगानिस्तान को मुक्त विदेशी मुद्रा में संदाय से भिन्न संदाय पर निर्यात किए जाते हैं तो वे निर्यात, निर्यात बाध्यता के मोचन के लिए अर्हित नहीं होंगे। यदि विदेशी सहयोग के लिए कोई करार हुआ है तो उसको भंग करते हुए किए गए निर्यात भी, निर्यात बाध्यता के मोचन के लिए अर्हित नहीं होंगे।

2. ऊपर वर्णित निर्यात, संयंत्र और उपस्कर के चालू किए जाने/उत्पादन के प्रारम्भ होने के पश्चात 18वें मास में प्रारम्भ हो जाना चाहिए। संयंत्र को औद्योगिक अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर चालू कर दिया जाएगा। यह आवश्यक है कि उत्पादन तारीख . . . . में आरम्भ हो जाए।

कम्पनी अपने मुद्रित पत्र शीर्ष पर एक प्रमाणपत्र देने के लिए वचनबद्ध होगी जिसमें आयात अनुज्ञप्ति के आधार पर संयंत्र और उपस्कर के चालू किए जाने की सही तारीख दी गई हो और जिस पर यथास्थिति, उसके मुख्य इंजीनियर या निर्माण कार्य प्रबन्धक के हस्ताक्षर और कम्पनी के विधि पूर्वक प्राधिकृत व्यक्ति के सम्यक रूप से किए गए प्रतिहस्ताक्षर होंगे तथा जिस पर कम्पनी की सामान्य मुद्रा अंकित होगी। कम्पनी यह प्रमाणपत्र संयंत्र और उपस्कर के उक्त रूप में चालू होने की तारीख से तीस दिन के भीतर देगी।

अथवा

कम्पनी अपने मुद्रित पत्र शीर्ष पर एक प्रमाणपत्र देने के लिए वचनबद्ध होगी जिसमें संयंत्र और उपस्कर के लिए आयात अनुज्ञप्ति/विदेशी सहयोग के अनुमोदन/उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन अनुज्ञप्ति/आशय पत्र के आधार पर उत्पादन या अतिरिक्त उत्पादन के प्रारम्भ की सही तारीख दी होगी और जिस पर यथास्थिति, उसके मुख्य इंजीनियर या निर्माण कार्य प्रबंधक के हस्ताक्षर और कम्पनी के विधिपूर्वक प्राधिकृत व्यक्ति के सम्यक रूप से किए गए प्रतिहस्ताक्षर होंगे तथा जिस पर कम्पनी की सामान्य मुद्रा अंकित होगी और कम्पनी यह प्रमाणपत्र ऐसे उत्पादन या अतिरिक्त उत्पादन प्रारम्भ होने की तारीख से 30 दिन के भीतर देगी।

3. कम्पनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिन के भीतर एक रिपोर्ट आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक (निर्यात आभार सेल,) नई दिल्ली को देगी और उसकी एक प्रति संबंधित संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात को और एक प्रति वाणिज्य मंत्रालय (निर्यात-उत्पादन अनुभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजेगी। इस रिपोर्ट में, पूर्व वित्तीय वर्ष (या इसके खंड 2 के अनुसार निर्यात शर्त के लागू होने के प्रथम वर्ष के लिए वित्तीय वर्ष के एक भाग) के सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरण दिए जाएंगे :--

(क) उत्पादन (परिणाम तथा वहीं मूल्य के अनुसार) जो व्यवसायरत किसी ऐसे सनदी लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित किया गया हो जो कम्पनी या उसकी सम्बद्ध संस्था का निदेशक या उसका कर्मचारी न हो किन्तु वह कम्पनी का कानूनी लेखा परीक्षक हो सकता है।

(ख) निर्यात (परिमाण और पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य के अनुसार) और साथ ही निर्यात किए गए माल और उनके परिमाण और पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य और उन देशों के नाम जिनको वे निर्यात किए गए हैं, के ब्यौरे जो व्यवसायरत किसी ऐसे सनदी लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित हो और जो कम्पनी या उसकी सम्बद्ध संस्था का निदेशक या कर्मचारी न हो किन्तु वह कम्पनी का कानूनी लेखा परीक्षक हो सकता है।

4. कम्पनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छः मास के भीतर के आयात और निर्यात नई दिल्ली को या संबंधित संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात को इसमें विनिर्दिष्ट निर्यात आभार की पूर्ति में पूर्व वर्ष के दौरान किए गए निर्यातों के मद्दे वसूल की गई विदेशी मुद्रा दर्शित करने वाले बैंक प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियां और अन्य ऐसे दस्तावेज भी भेजेगी जो मुख्य नियंत्रक या सम्बन्धित संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात इस करार के निबन्धन और शर्तों की पूर्ति में पूर्व वर्ष में उपार्जित विदेशी मुद्रा के समर्थन में अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में मांगे।

5. यदि किसी वर्ष विशेष में कम्पनी . . . रु. मूल्य का माल (अपने उत्पादन के . . . . . प्रतिशत) निर्यात करने में असफल रहती है और/या उपेक्षा करती है या असमर्थ है तो उस दशा में कम्पनी सम्बन्धित संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात या मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात नई दिल्ली को पत्र द्वारा मांग पर, उक्त पत्र की तारीख से 30 (तीस) दिन के भीतर भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड को या अन्य ऐसे व्यक्ति, फर्म या निगम निकाय को, जिसे सरकार या मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात नई दिल्ली नाम निर्देशित करें (जिसे इसमें आगे "अभिकरण" कहा गया है), अभिकरण द्वारा निर्यात के लिए वर्ष के दौरान उत्पादित . . . . के सम्बन्ध में अनुबंधित वार्षिक वचनबद्धता/ आभार और उसके वास्तविक निर्यात (जो . . . . . प्रतिशत से अधिक नहीं होगा) बीच का अन्तर ऐसी कीमतों पर सौंप देगी जो वह विदेशों में प्राप्त कर सकती है। इसके अतिरिक्त कम्पनी इसके साथ ही इतनी रकम का जो निर्यात आभार के 5 प्रतिशत के बराबर, किन्तु 5 लाख रुपये से अधिक न हो, संदाय अभिकरण को "पूर्वनिर्धारित नुकसान" के रूप में करेगी। अभिकरण उपर्युक्त . . . . के निर्यात और उसके विक्रय आगम की वसूली के पश्चात् यथासंभव शीघ्र कम्पनी को ऐसे निर्यात पर अभिकरण द्वारा उपार्जित वास्तविक विदेशी मुद्रा के समतुल्य रुपये, उसमें से ऐसे व्यय (जिसके अंतर्गत अभिकरण का सामान्य कमीशन भी है) काट कर देगा जो अभिकरण न किए हैं।

6. निर्धारित वार्षिक निर्यात वचनबद्धता/आभार और किए गए वास्तविक निर्यात के बीच के अन्तर को प्रतिरूपित करने के रूप में, वार्षिक निर्यात आभार के 5 प्रतिशत को प्रतिरूपित करने वाली रकम का भी अवधारण संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात या मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा और उक्त किसी भी प्राधिकारी द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम और कम्पनी पर आबद्धकर होगा। मूल्य और/या परिमाण का अवधारण करते समय उक्त प्राधिकारी यदि आवश्यक समझे तो अपने

विवेकानुसार कम्पनी को ऐसा साक्ष्य पेश करने का अवसर दे सकेगा जो वह (कंपनी) इस प्रयोजन के लिए मूल्य और परिमाण के अवधारण के समर्थन में दे सकती है।

7. यदि किसी वर्ष कम्पनी इसमें अभिकथित निबंधनों और शर्तों में अपेक्षित, अपने उत्पादन के. . . . . .प्रतिशत से अधिक . . . . रु. का निर्यात करती है तो ऐसा आधिक्य पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षों) में कमी, यदि कोई हो, में से मुजरा किया जा सकेगा।

8. यदि किसी वर्ष कम्पनी अपने आभारों की पूर्ति में असफल रहती है और/या उपेक्षा करती है तो केवल उस दशा को छोड़कर जिसमें ऐसे आभार की पूर्ति सरकार की किसी विधि, आदेश, उद्‌घोषणा, विनियम या अध्यादेशों के कारण नहीं हो पाई थी या विलम्ब से हो पाई थी, सरकार को यह हक और स्वतंत्रता होगी कि वह कम्पनी द्वारा उत्पादित. . . . . .का उस सीमा तक कब्जा ले जो उक्त खण्ड 6 में उल्लिखित है और अन्य ऐसे कार्रवाई करे जो वह परिनिर्धारित नुकसानी वसूल करने के अतिरिक्त आवश्यक समझे। सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किया गया आदेश अंतिम और कम्पनी पर आबद्धकर होगा और कम्पनी ऐसे आदेश का अशर्त अनुपालन करने के लिए वचन देती है।

9. इस विलेख या इसके अधीन निष्पादित किसी दस्तावेज पर यदि कोई स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है तो वह अनन्य रूप से कम्पनी द्वारा दिया जाएगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप इस पर . . . . की सामान्य मुद्रा लगा दी गई है तथा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से श्री . . . . ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

इस विलेख में नामित कम्पनी की
सामान्य मुद्रा पर (1)
. . . . .के लिए
और उसकी ओर से श्री. . . . .
. . . ., निदेशक,

(हस्ताक्षर)

और (2) . . . . . . (1) . . . .
. . . . .के लिए (निवास स्थान का पता)

और उसकी ओर से,
श्री . . . ., निदेशक (2) . . . .

(हस्ताक्षर)

. . . .

(निवास स्थान का पता)

की उपस्थिति में लगाई गई है
और ये निदेशक कम्पनी के
निदेशक बोर्ड के तारीख
. . . . .को हुए अधि-
वेशन में पारित संकल्प द्वारा
इस प्रयोजन के लिए सम्यक्
रूप से प्राधिकृत किए गए हैं
इन्होंने--

1. . . . . (नाम, पदनाम और पता)
2. . . . . (नाम, पदनाम और पता)
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।
भारत के राष्ट्रपति के लिए और
उनकी ओर से श्री. . . . . . .

. . . . .ने

1. . . . . (नाम, पदनाम और पता)

2. . . . . (नाम, पदनाम और पता)
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

भाग 2

विधिक करार का प्रारूप

(उन लिमिटेड कम्पनियों द्वारा निष्पादन के लिए जिन पर उत्पादन की कुछ प्रतिशतता के अनुसार एक ही मद का निर्यात आभार है)

यह करार एक पक्षकार के रूप में . . . . .जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय . . . . में है (जिसे इसमें आगे "कम्पनी" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशित भी हैं) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे 'सरकार' कहा गया है और इसके अन्तर्गत पदउत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं) के बीच तारीख . . . . 198 को किया गया।

कम्पनी को . . . . .रुपए के लागत-बीमा-भाड़ा सहित मूल्य के संयंत्र मशीनरी और उपस्कर के आयात के लिए आयात लाइसेन्स से . . . ., तारीख . . . . . . मंजूर किया गया है।

और/या सरकार ने कम्पनी . . . . को सर्वश्री . . . . .के साथ उसके प्रस्तावित विदेशी विनिधान/तकनीकी सहयोग व्यवस्था के निबन्धन और शर्तें संसूचित कर दी है। इस संबंध में देखिए . . . .

और/या सरकार ने कम्पनी को औद्योगिक अनुज्ञप्ति/क्षमता के पर्याप्त विस्तार की मंजूरी के उनके प्रस्ताव

की स्वीकृति के निबंधन और शर्तें संसूचित कर दी हैं। इस संबंध में देखिए तारीख . . . . का आशय पत्र संख्या . . . .

संयंत्र और उपस्कर के लिए उक्त आयात लाइसेंस/विदेशी सहयोग के अनुमोदन/औद्योगिक अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति या आशयपत्र की एक शर्त के रूप में सरकार ने यह निर्धारित किया है कि कम्पनी के लिए यह आवश्यक है कि वह . . . . वर्ष तक या उतनी अवधि तक जो पक्षकारों के हस्ताक्षर से समय समय पर बढ़ाई जाए (यह संशोधन इस करार का भाग रूप समझा जाएगा) प्रतिवर्ष अपने उत्पादों का . . . . प्रतिशत निर्यात करके विदेशी मुद्रा उपार्जित करे। (ठीक ठीक शर्त का अनुमोदन प्रत्येक मामले में पूंजीगत माल समिति/विदेशी विनिधान बोर्ड/लाइसेन्स प्रदान करने वाली समिति द्वारा किया जाएगा)।

इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि :—

1. कम्पनी . . . . .वर्ष तक या उतनी अवधि तक जो पक्षकारों के हस्ताक्षर से समय - समय पर बढ़ाई जाए (यह संशोधन इस करार का भाग रूप समझा जाएगा) अपने वार्षिक उत्पादन के . . . . प्रतिशत का निर्यात करेगी। यह निर्यात आभार ऐसे किसी अन्य निर्यात आभार के (अग्रिम/अग्रदाय लाइसेन्सों के मद्दे निर्यात आभार को छोड़कर) अतिरिक्त होगी जो कम्पनी पर किसी अन्य आधार पर अधिरोपित किया गया हो या अधिरोपित किए जाए। भूटान को किए गए निर्यात, निर्यात आभार के मोचन के लिए अर्हित नहीं होंगे और यदि नेपाल और अफगानिस्तान को मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान से भिन्न भुगतान पर निर्यात किए जाते हैं तो वे निर्यात, निर्यात आभार के मोचन के लिए अर्हित नहीं होंगे। यदि कोई विदेशी सहयोग करार हुआ है तो उसको भंग करते हुए किए गए निर्यात भी, निर्यात आभार के मोचन के लिए अर्हित नहीं होंगे।

2. ऊपर वर्णित निर्यात, संयंत्र और उपस्कर के चालू किए जाने/उत्पादन के प्रारंभ होने के पश्चात् अठारहवें मास से प्रारम्भ हो जाना चाहिए। (संयंत्र को औद्योगिक लाइसेन्स में विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर चालू कर दिया जाएगा) यह आवश्यक है कि उत्पादन तारीख—से आरम्भ हो जाए।

कम्पनी अपने मुद्रित पत्रशीर्ष पर एक प्रमाणपत्र देने के लिए वचनबद्ध होगी जिसमें आयात लाइसेंस के आधार पर संयंत्र और उपस्कर के चालू किए जाने की सही तारीख दी गई हो और जिस पर, यथास्थिति, उसके मुख्य इंजीनियर या निर्माण कार्य प्रबन्धक के हस्ताक्षर और कम्पनी के विधिपूर्वक प्राधिकृत व्यक्ति के सम्यक् रूप से किए गए प्रतिहस्ताक्षर होंगे तथा जिस पर कम्पनी की सामान्य मुद्रा अंकित होगी। कम्पनी यह प्रमाणपत्र संयंत्र और उपस्कर के उक्त रूप से चालू होने की तारीख से तीस दिन के भीतर देगी।

अथवा

कम्पनी अपने मुद्रित पत्रशीर्ष पर एक प्रमाणपत्र देने का वचन देगी जिसमें संयंत्र और उपस्कर के लिए आयात लाइसेंस/विदेशी सहयोग के अनुमोदन/उद्योग विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन लाइसेंस या आशय-पत्र के आधार पर उत्पादन या अतिरिक्त उत्पादन के प्रारम्भ की सही तारीख दी होगी और जिस पर, यथास्थिति, उसके मुख्य इंजीनियर या निर्माण कार्य प्रबन्धक के हस्ताक्षर और कम्पनी के विधिपूर्वक प्राधिकृत व्यक्ति के सम्यक् रूप से किए गए प्रतिहस्ताक्षर होंगे तथा जिस पर कम्पनी की सामान्य मुद्रा अंकित होगी। कम्पनी यह प्रमाणपत्र ऐसे उत्पादन या अतिरिक्त उत्पादन के प्रारंभ होने की तारीख से 30 दिन के भीतर देगी।

3. कम्पनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिन के भीतर एक रिपोर्ट मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात, (निर्यात आभार सेल), नई दिल्ली को देगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात को और एक प्रति वाणिज्य मंत्रालय (निर्यात उत्पादन विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजेगी। इस रिपोर्ट में पूर्व वित्तीय वर्ष (या इसके खण्ड 2 के अनुसार निर्यात शर्त के लागू होने के प्रथम वर्ष के लिए वित्तीय वर्ष के भाग) के संबंध में निम्नलिखित जानकारी और ब्यौरे दिए जाएंगे :—

(क) उत्पादन (परिणाम तथा कम्पनी द्वारा उत्पादित . . . . .की प्रति इकाई कारखाना-द्वार उत्पादन लागत से उत्पादन शुल्क, यदि कोई है, घटाने के बाद जो आए उसके आधार पर परिकलित किए जाने वाले मूल्य के अनुसार) और उक्त आंकड़े किसी ऐसे सनदी लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित किये गये हों जो कम्पनी का या उसकी सम्बद्ध संस्था का निदेशक या उसका कर्मचारी न हो; किन्तु वह कम्पनी का कानूनी लेखा परीक्षक हो सकता है।

(ख) निर्यात (परिमाण और पोत पर्यन्त निःशुल्क के अनुसार) और साथ ही निर्यात किए गए माल और उसके परिणाम और पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के ब्यौरे और उन देशों के नाम जिनको वे निर्यात किए गए हैं, किसी ऐसे सनदी लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित हों, जो कम्पनी या उसकी सम्बन्ध संस्था का निदेशक या कर्मचारी न हो; किन्तु वह कम्पनी का कानूनी लेखा परीक्षक हो सकता है।

4. कम्पनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात नई दिल्ली को या सम्बन्धित संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात को इसमें विनिर्दिष्ट निर्यात आभार की पूर्ति में पूर्व वर्ष के दौरान किए गए निर्यातों के मद्दे वसूल की गई विदेशी मुद्रा दर्शित करने वाले बैंक प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियां और अन्य ऐसे दस्तावेज भी भेजेगी जो मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात या सम्बन्धित संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात इस करार के निबन्धन और शर्तों की पूर्ति पूर्व वर्ष में अर्जित विदेशी मुद्रा के समर्थन में अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में मांगे।

5. यदि किसी वर्ष विशेष में कम्पनी अपने . . . . .के उत्पादन के . . . . प्रतिशत का निर्यात करने में असफल रहती है और/या उपेक्षा करती है या असमर्थ है तो उस दशा में कम्पनी संबंधित संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात या मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली को पत्र-द्वारा

मांग की जाने पर उक्त पत्र की तारीख से तीस दिन के भीतर भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड को या अन्य ऐसे व्यक्ति, फर्म या निगम या निकाय, जिसे सरकार या मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात नई दिल्ली नाम निर्देशित करे (जिसे इसमें आगे 'अभिकरण' कहा गया है), वर्ष के दौरान उत्पादित . . . . के संबंध में अनुबंधित वार्षिक वचनबद्धता/आभार और उसके वास्तविक निर्यात (जो . . . . . . प्रतिशत से अधिक नहीं होगा) के बीच का अन्तर ऐसी कीमतों पर सौंप देगी जो वह विदेशों में प्राप्त कर सकती है। इसके अतिरिक्त कम्पनी इसके साथ निर्यात आभार के 5 प्रतिशत के बराबर राशि का भी जो अधिक से अधिक 5 लाख रुपए (पांच लाख रुपए होगी) भुगतान अभिकरण को 'परिनिर्धारित नुकसानी' के रूप में करेगी। अभिकरण उक्त . . . . के निर्यात और उसके विक्रय आगम की वसूली के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र कम्पनी को ऐसे निर्यात पर अभिकरण द्वारा अर्जित शुद्ध विदेशी मुद्रा के समतुल्य रुपए, उनमें से ऐसे व्यय (जिसके अन्तर्गत अभिकरण का सामान्य कमीशन भी है) काट कर देगा जो अभिकरण ने किए हैं।

परिनिर्धारित नुकसानी की रकम की संगणना कम्पनी द्वारा उत्पादित . . . . के प्रति एकक उत्पादन की कारखाना-द्वारा लागत के आधार पर, उसमें से उत्पाद शुल्क को, यदि कोई हो, घटाकर की जाएगी। प्रति यूनिट उत्पादन की कारखाना-द्वारा लागत के साक्ष्यस्वरूप कम्पनी किसी (व्यवसायरत) सनदी लेखापाल का, जो कम्पनी का निदेशक या कर्मचारी नहीं है, एक प्रमाणपत्र पेश करेगी, निर्यात आभार की पूर्ति करने में असफल रहने और/या उपेक्षा करने या असमर्थ होने की दशा में भुगतान परिनिर्धारित नुकसानी की रकम के अवधारण के लिए उत्पादन की उक्त कारखाना-द्वारा लागत का हिसाब रुपयों में लगाया जाएगा किन्तु उपर्युक्त आधार पर परिकलित रकम का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए या किसी स्कीम के अधीन (सीधे ही या भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड या अन्य किसी अभिकरण के माध्यम से किए गए) ऐसे निर्यातों पर किन्हीं फायदों का दावा करने के लिए नहीं किया जाएगा।

6. अनुबंधित वार्षिक निर्यात वचनबद्धता/आभार और किए गए वास्तविक निर्यात के बीच के अन्तर को प्रतिरूपित करने वाला मूल्य और/या परिमाण का और परिनिर्धारित नुकसानी के रूप में वार्षिक निर्यात आभार के 5 प्रतिशत को प्रतिरूपित करने वाली रकम का भी अवधारण संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात या मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात, नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा और उक्त किसी भी प्राधिकारी द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम और कम्पनी पर आबद्धकर होगा। मूल्य और/या परिमाण का अवधारण करते समय उक्त प्राधिकारी यदि आवश्यक समझे तो अपने विवेकानुसार कम्पनी को ऐसे साक्ष्य पेश करने का अवसर दे सकेगा जो वह (कम्पनी) इस प्रयोजन के लिए मूल्य और परिमाण के अवधारण के समर्थन में दे सकती है।

7. यदि किसी वर्ष में कम्पनी इसमें अभिकथित निर्बंधनों और शर्तों में अपेक्षित अपने उत्पादन के. . . . . .प्रतिशत से अधिक . . . . . . .का निर्यात करती है तो ऐसा आधिक्य पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) में कमी, यदि कोई हो, में से पूरा किया जा सकेगा।

8. यदि किसी वर्ष में कम्पनी अपने आभारों की पूर्ति में असफल रहती है और/या उपेक्षा करती है तो केवल उस दशा को छोड़कर जिसमें ऐसे आभार की पूर्ति सरकार की किसी विधि, आदेश, उद्घोषणा विनियम या अध्यादेशों के कारण नहीं हो पाई थी या विलम्ब से हो पाई थी, सरकार को यह हक और स्वतंत्रता होगी कि वह कम्पनी द्वारा उत्पादित . . . . .का उस सीमा तक कब्जा ले जो उक्त खण्ड 6 में उल्लिखित है और अन्य ऐसी कार्रवाई करे जो वह परिनिर्धारित नुकसानी वसूल करने के अतिरिक्त आवश्यक समझे। सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किया गया आदेश अंतिम और कम्पनी पर बाध्यकर होगा और कम्पनी ऐसे आदेश का अशर्त अनुपालन करने को वचनबद्ध है।

9. इस विलेख या उसके अधीन निष्पादित किसी दस्तावेज पर यदि कोई स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है तो वह अनन्य रूप से कम्पनी द्वारा दिया जाएगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप इस पर . . . . .की सामान्य मुद्रा लगा दी गई है तथा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से श्री . . . . ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

इस विलेख में नामित कम्पनी की सामान्य
मुद्रा इस पर (1) . . . .
के लिए और उनकी ओर से,
श्री . . . . निदेशक . . . .

(हस्ताक्षर)

(1) . . . .
(निवास स्थान का पता)

और (2) . . . . .के लिए
और उसकी ओर से,

श्री . . . . निदेशक (2) . . . . . .
(हस्ताक्षर)
(निवास स्थान का पता)

की उपस्थिति में लगाई गई है . . . .
और ये निदेशक कम्पनी के निदेशक
(निवास स्थान का पता)

बोर्ड के तारीख . . . . .को
हुए अधिवेशन में पारित संकल्प
द्वारा इस प्रयोजन के लिए सम्यक्
रूप से प्राधिकृत किए गए हैं

और इन्होंने . . . .

1. . . . .

(नाम, पदनाम और पता)

2. . . . .

(नाम, पदनाम और पता)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और

उनकी ओर से श्री. . . . . .ने

1. . . . .

(नाम, पदनाम और पता)

2. . . . .

(नाम, पदनाम और पता)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

भाग 3

विधिक करार का प्रारूप

(उन लिमिटेड कम्पनियों द्वारा निष्पादन के लिए जिन पर उत्पादन की कुछ प्रतिशतता के अनुसार बहुविध मदों का निर्यात आभार है)

यह करार एक पक्षकार के रूप में . . . . जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय . . . . .में है। (जिसे इसमें आगे "कम्पनी" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी हैं) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके पद-उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं) के बीच तारीख . . . . .198 को किया गया।

कम्पनी को . . . . रुपए लागत-बीमा भाड़ा मूल्य के संयंत्र मशीनरी और उपस्कर के आयात के लिए आयात-अनुज्ञप्ति संख्या . . . . , तारीख . . . . .मंजूर की गई है।

और/या सरकार ने कम्पनी . . . . (विदेशी फर्म का नाम) को सर्वश्री . . . . .के साथ उसके प्रस्तावित विदेशी विनिधान/तकनीकी सहयोग व्यवस्था के निबंधन और शर्तें संसूचित कर दी हैं। इस संबंध में देखिए . . . .।

और/या सरकार ने कम्पनी को औद्योगिक अनुज्ञप्ति/क्षमता के पर्याप्त विस्तार की मंजूरी के उसके प्रस्ताव की स्वीकृति के निबन्धन और शर्तें संसूचित कर दी हैं। इस सम्बन्ध में देखिए तारीख . . . . का आशय पत्र संख्यांक . . . .

संयंत्र और उपस्कर के लिए उक्त आयात अनुज्ञप्ति/विदेशी सहयोग के अनुमोदन/औद्योगिक अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति या आशयपत्र की एक शर्त के रूप में सरकार ने यह अनुबंध किया है कि कम्पनी के लिए यह आवश्यक है कि वह . . . . वर्ष तक या उतनी अवधि तक जो पक्षकारों के हस्ताक्षर से समय-समय पर बढ़ाई जाए। (यह संशोधन इस करार का भाग रूप समझा जाएगा) प्रति वर्ष अपने उत्पादन का . . . . प्रतिशत निर्यात करके विदेशी मुद्रा उपार्जित करे। ठीक-ठीक शर्त का अनुमोदन प्रत्येक मामले में पूंजीगत माल समिति/विदेशी विनिधान बोर्ड/अनुज्ञापन समिति द्वारा किया जाएगा।]

इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच यह करार किया गया है और घोषणा की जाती है कि:—

1. कम्पनी . . . . वर्ष तक या उतनी अवधि तक जो पक्षकारों के हस्ताक्षर से समय-समय पर बढ़ाई जाए (यह संशोधन इस करार का भाग रूप समझा जाएगा) प्रतिवर्ष अपने उत्पादों अर्थात् . . . . के . . . . .प्रतिशत का निर्यात करके विदेशी मुद्रा उपार्जित करेगी। यह निर्यात आभार ऐसे किसी अन्य निर्यात आभार (अग्रिम अग्रदाय लाइसेन्सों के मद्दे निर्यात आभार को छोड़कर) के अतिरिक्त होगा जो कम्पनी पर किसी अन्य आधार पर अधिरोपित किया गया हो या अधिरोपित किया जाए। भूटान को किए गए निर्यात, निर्यात आभार के मोचन के लिए अर्हित नहीं होंगे और यदि नेपाल को मुक्त विदेशी मुद्रा में निर्यात किए जाते हैं तो वे निर्यात, निर्यात आभार के मोचन के लिए अर्हित नहीं होंगे। यदि विदेशी सहयोग के लिए कोई करार हुआ है तो उसको भंग करते हुए किए गए निर्यात भी, निर्यात आभार के मोचन के लिए अर्हित नहीं होंगे।

2. ऊपर वर्णित निर्यात, संयंत्र और उपस्कर के चालू किए जाने/उत्पादन के प्रारंभ होने के पश्चात् अट्ठारहवें मास से प्रारम्भ हो जाना चाहिए। संयंत्र को औद्योगिक अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर चालू कर दिया जाएगा। यह आवश्यक है कि उत्पादन तारीख . . . . .से आरम्भ हो जाए।

कम्पनी अपने मुद्रित पत्रशीर्ष पर एक प्रमाणपत्र देने के लिए वचनबद्ध होगी जिसमें आयात लाइसेंस के आधार पर संयंत्र और उपस्कर के चालू किए जाने की सही तारीख दी गई हो और जिस पर यथास्थिति, उसके मुख्य इंजीनियर या निर्माण कार्य प्रबन्धक के हस्ताक्षर और कम्पनी के विधि पूर्वक प्राधिकृत व्यक्ति के सम्यक् रूप के किए गए प्रतिहस्ताक्षर होंगे तथा जिस पर कम्पनी की सामान्य मुद्रा अंकित होगी। कम्पनी यह प्रमाण पत्र संयंत्र और उपस्कर के उक्त रूप में चालू होने की तारीख से तीस दिन के भीतर देगी।

अथवा

कम्पनी अपने मुद्रित पत्रशीर्ष पर एक प्रमाणपत्र देने के लिए वचनबद्ध होगी जिसमें संयंत्र और उपस्कर के लिए आयात लाइसेंस/विदेशी सहयोग के अनुमोदन/उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन अनुज्ञप्ति या आशय पत्र के आधार पर उत्पादन या अतिरिक्त उत्पादन के प्रारम्भ की कोई तारीख दी होगी और जिस पर यथास्थिति, उसके मुख्य इंजीनियर या निर्माण कार्य प्रबंधक के हस्ताक्षर और कम्पनी के विधि पूर्वक प्राधिकृत व्यक्ति के सम्यक् रूप से किए गए प्रति-

हस्ताक्षर होंगे तथा जिस पर कम्पनी की सामान्य मुद्रा अंकित होगी। यह प्रमाण-पत्र उत्पादन या अतिरिक्त उत्पादन के इस प्रकार प्रारम्भ होने की तारीख से 30 दिन के भीतर देगी।

3. 'कम्पनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिन के भीतर एक रिपोर्ट मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात (निर्यात आभार सेल), नई दिल्ली को देगी और उसकी एक प्रति संबंधित संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात को और एक प्रति वाणिज्य मंत्रालय (निर्यात-उत्पाद अनुभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजेगी। इस रिपोर्ट में पूर्व वित्तीय वर्ष (या इसके खण्ड 2 के अनुसार निर्यात शर्त को लागू होने के प्रथम वर्ष के लिए वित्तीय वर्ष के एक भाग) के सम्बन्ध में निम्नलिखित जानकारी और विशिष्टियां दी जाएगी—

(क) उत्पादित प्रत्येक मद की बाबत (परिणाम के अनुसार) उत्पादन जो किसी ऐसे सनदी-लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित किया गया हो जो कम्पनी का निदेशक या उसका कर्मचारी या उसका कानूनी लेखा परीक्षक न हो।

(ख) परिमाण और पोत पर्यन्त निःशुल्क (मूल्य के अनुसार) निर्यात और साथ ही निर्यात किए गए माल की विशिष्टियां और उनके परिमाण और पोत पर्यन्त निःशुल्क की विशिष्टियां और उन देशों के नाम जिनको वे निर्यात किए गए हैं, जो किसी ऐसे सनदी लेखापाल द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित हो जो कम्पनी या उसकी सम्बद्ध संस्था का निदेशक या कर्मचारी न हो किन्तु वह कम्पनी का कानूनी लेखा-परीक्षक हो सकता है।

(ग) यूनिट द्वारा उत्पादन की कारखाने-द्वारा लागत जिसमें से उत्पादित प्रत्येक मद के संबंध में उत्पाद शुल्क, यदि कोई हो, घटा दिया गया हो, जो (व्यवसायरत) किसी ऐसे सनदी लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित हो जो कम्पनी या उसकी सम्बद्ध संस्था का निदेशक या कर्मचारी न हो, किन्तु वह कम्पनी का कानूनी लेखा परीक्षक हो सकता है, प्रमाणपत्र में वह (व्यवसायरत) सनदी-लेखापाल एकक द्वारा उत्पाति सभी मदों के उत्पादन की कुल कारखाने-द्वारा लागत भी उसमें से उत्पाद शुल्क, यदि कोई हो घटाकर, प्रदर्शित करेगा।

4. कम्पनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 6 मास के भीतर मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात नई दिल्ली को या संबंधित संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात को इसमें विनिर्दिष्ट निर्यात आभार की पूर्ति में पूर्व वर्ष के दौरान किए गए निर्यातों के मद्दे वसूल की गई विदेशी मुद्रा दर्शित करने वाले बैंक प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियां और अन्य ऐसे दस्तावेज भी भेजेगी जो मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात या संबंधित संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात इस करार के निबंधन और शर्तों की पूर्ति में पिछले वर्ष में उपार्जित विदेशी मुद्रा के समर्थन में अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में मांगे।

5. कुल निर्यात आभार का अवधारण, सभी मदों के उत्पादन का कुल कारखाना लागत को उसमें से उत्पाद शुल्क, यदि कोई है घटाकर, हिसाब में लेकर निकाले गए मूल्य के, जो (व्यवसायरत) लागत लेखापाल द्वारा प्रमाणित हो, अनुसार किया जाएगा। परिमाण के अनुसार वस्तुतः किए गए निर्यातों का भी, निर्यात की गई मदों के उत्पादन की लागत, लेखापाल द्वारा प्रमाणित कारखाना-द्वारा लागत को उसमें से उत्पादन शुल्क, यदि कोई हो, घटाकर, हिसाब में लेकर मूल्य में संपरिवर्तित किया जाएगा। यदि निर्यात की गई मदों के उत्पादन की कारखाने-द्वारा लागत, कम्पनी द्वारा उत्पादित सभी मदों के उत्पादन की कुल कारखाने-द्वारा लागत की प्रतिशतता के रूप में उस निर्यात आभार की प्रतिशतता के बराबर है जो पक्षकार लाइसेंसधारी पर (परिणाम के अनुसार) अधिरोपित की गई है तभी यह समझा जाएगा कि कम्पनी ने अपने निर्यात आभार का निर्वहन किया है।

6. यदि किसी वर्ष विशेष में कम्पनी अपने उत्पादन के [. . . . . .प्रतिशत का निर्यात करने में असफल रहती है और/या उपेक्षा करती है या असमर्थ है तो उस दशा में कम्पनी संबंधित संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात या मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली को पत्र द्वारा मांग की जाने पर, उक्त पत्र की तारीख से तीस दिन के भीतर भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड को या अन्य ऐसे व्यक्ति, फार्म या निगम निकाय को, जिसे सरकार या मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात, नई दिल्ली निर्देशित करें। (जिसे इसमें आगे "अभिकरण कहा गया है"), अभिकरण द्वारा निर्यात के लिए वर्ष के दौरान उत्पादित . . . . .के संबंध में अनुबंधित वार्षिक वचनबद्धता/आभार और उसके (जिस विशेष वर्ष में अधिकतम. . . . . .प्रतिशत तक की सीमा के अधीन रहते हुए) वास्तविक निर्यात के बीच का अन्तर ऐसी कीमतों पर सौंप देगी जो वह विदेशों में प्राप्त कर सकती है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी इसके साथ ही इतनी रकम का जो निर्यात आभार के 5 प्रतिशत के बराबर किन्तु 5 लाख रुपए से अधिक न हो, राशि का भी संदाय अभिकरण को "परिनिर्धारित नुकसानी" के रूप में करेगी। अभिकरण उक्त . . . . .के निर्यात और उसके विक्रय आगम की वसूली के पश्चात् यथासंभव शीघ्र कम्पनी को ऐसे निर्यात पर अभिकरण द्वारा उपार्जित वास्तविक विदेशी मुद्रा के समतुल्य रुपए, उसमें से ऐसे व्यय (जिसके अन्तर्गत अभिकरण का प्रसामान्य कमीशन भी है) काट कर देगा जो अभिकरण ने किए हैं।

जहां निर्यात आभार की पूर्ति नहीं की जाती है वहां परिनिर्धारित नुकसान की रकम उत्पादन की कारखाने-द्वारा कीमत में से उत्पाद शुल्क, यदि कोई है, घटाकर उसके आधार पर परिकलित की जायेगी। वस्तुतः कौन सा माल सौंपा जाएगा यह बात सरकार द्वारा चुने गए निर्यात अभिकरण के विकल्प पर छोड़ दी जाएगी और सौंपे जाने वाले माल का कुल मूल्य कम्पनी द्वारा उत्पादितमदों के उत्पादन की कुल कारखाने-द्वारा लागत और वस्तुतः निर्यात की गई या निर्यात की जाने वाली मदों के उत्पादन की कारखाने-द्वारा लागत में से उत्पाद शुल्क यदि कोई है, घटाकर आने वाली रकम के बीच का अन्तर निकाल कर किया जाएगा।

उक्त आधार पर परिकलित रकम का उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए या किसी स्कीम के अधीन (सीधे ही या भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड या अन्य किसी अभिकरण के माध्यम से किए गए) ऐसे निर्यातों पर किन्हीं फायदों का दावा करने के लिए नहीं किया जाएगा।

7. अनुबंधित वार्षिक निर्यात प्रतिबद्धता/बाध्यता और किए गए वास्तविक निर्यात के बीच के अंतर को प्रतिरूपित करने वाला मूल्य और/या परिमाण का और परिनिर्धारित नुकसानी के रूप में वार्षिक निर्यात आभार के 5 प्रतिशत को प्रतिरूपित

करनेवाली रकम का भी अवधारण संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात या मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात, नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा और उक्त किसी भी प्राधिकारी द्वारा किया गया विनिश्चय अन्तिम और कम्पनी पर आबद्धकर होगा। मूल्य और/या परिमाण का अवधारण करते समय उक्त प्राधिकारी, यदि आवश्यक समझे तो अपने विवेकानुसार कम्पनी को ऐसा साक्ष्य पेश करने का अवसर दे सकेगा जो वह (कम्पनी) इस प्रयोजन के लिए मूल्य और परिमाण के अवधारण के समर्थन में दे सकती है।

8. यदि किसी वर्ष में कम्पनी इसमें अभिकथित निर्बंधनों और शर्तों में अपेक्षित अपने उत्पादन के . . . . प्रतिशत से अधिक का निर्यात करती है तो ऐसा आधिक्य पश्चातवर्ती वर्ष (वर्षों) में कमी, यदि कोई हो, में से मुजरा किया जा सकेगा।

9. यदि किसी वर्ष में कम्पनी अपने आभारों की पूर्ति में असफल रहती है और/या उपेक्षा करती है तो केवल उस दशा को छोड़कर जिसमें ऐसे आभार की पूर्ति सरकार को किसी विधि, आदेश, उद्घोषणा विनियम या अध्यादेशों के कारण नहीं हो पाई थी या विलम्ब से हो पाई थी, सरकार को यह हक और स्वतंत्रता होगी कि वह कम्पनी द्वारा उत्पादित . . . . का उस सीमा तक कब्जा ले ले जो उक्त खण्ड 7 में उल्लिखित है और अन्य ऐसी कार्रवाई करे जो वह परिनिर्धारित नुकसानी वसूली करने के अतिरिक्त आवश्यक समझे। सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किया गया आदेश अंतिम और कम्पनी पर आबद्धकर होगा और कंपनी ऐसे आदेश का बशर्ते अनुपालन के लिए वचनबद्ध है।

10. इस विलेख या इसके अधीन निष्पादित किसी दस्तावेज पर यदि कोई स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है तो वह अनन्य रूप से कम्पनी द्वारा दिया जाएगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप इस पर . . . . को सामान्य मुद्रा लगा दी गई है तथा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से श्री . . . . .ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

इस विलेख में नामित कम्पनी की
सामान्य मुद्रा इस पर (1) . . . .
. . . . .के लिए और उनकी
ओर से,
श्री . . . ., निदेशक . . . . .

(हस्ताक्षर)

(1) . . . . . .

(निवास स्थान का पता)

और (2) . . . . .के लिए
और उनकी ओर से,
श्री . . . ., निदेशक

(2) . . . .

(हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में लगाई गई है
और ये निदेशक कम्पनी के निदेशक . . . .
बोर्ड की तारीख . . . . को (निवास स्थान का पता) हुए अधिवेशन में पारित संकल्प द्वारा इस प्रयोजन के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत किए गए हैं और इन्होंने—

1. . . . . (नाम, पदनाम और पता)
2. . . . . (नाम, पदनाम और पता)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।
भारत के राष्ट्रपति के लिए और
उनकी ओर से श्री . . . . . . .ने

1. . . . .(नाम, पदनाम और पता)
2. . . . .(नाम, पदनाम और पता)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

भाग 4

विधिक करार का प्रारूप

(मूल्यानुसार निर्यात आभार वाले मामलों में भागीदारों/स्वत्वधारी फर्म द्वारा निष्पादन के लिए।)

(भागीदारी फर्मों की दशा में लागू)

यह करार एक पक्षकार के रूप में (क) . . . . (प्रबंध भागीदार का नाम) . . . . का पुत्र है, (ख) . . . .(भागीदार का नाम) जो . . . . .का पुत्र है, (ग) . . . . .भागीदार का नाम जो . . . . का पुत्र है, आदि जो . . . . .के नाम और अभिनाम से, जो भारतीय भागीदारी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत फर्म है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय . . . . में है। (जिसे इसमें आगे "फर्म" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी हैं) कारोबार कर रहे हैं और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके पद-उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं) के बीच आज तारीख . . . . . . 198 . . . . को किया गया।

(एकमात्र स्वत्वधारी/स्वत्वधारी फर्म की दशा में लागू)।

यह करार एक पक्षकार के रूप में . . . . (एक मात्र स्वत्वधारी/स्वत्वधारियों का/के नाम) जो . . . . का पुत्र है और . . . . के नाम और अभिनाम से, जो एकमात्र स्वत्वधारी/स्वत्वधारी फर्म है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय . . . . .में है (जिसे इसमें आगे "फर्म" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी हैं), कारोबार कर रहा है और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके पदोत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं) के बीच आज तारीख . . . . 198 . . . . को किया गया।

फर्म को . . . . रुपये के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर के आयात के लिए आयात अनुज्ञप्ति सं. . . . . तारीख . . . ., मंजूर की गई है।

और/या सरकार ने फर्म . . . . (विदेशी फर्म का नाम) को सर्वश्री . . . . .के साथ उसके प्रस्तावित विदेशी विनिधान/तकनीकी सहयोग व्यवस्था के निर्बंधन और शर्तें संसूचित कर दी हैं . . . .

इस संबंध में देखिए . . . .

और/या सरकार ने फर्म को औद्योगिक लाइसेंस/क्षमता पर्याप्त विस्तार की मंजूरी के उसके प्रस्ताव की स्वीकृति के निबंधन और शर्तें संसूचित कर दी हैं इस संबंध में देखिए तारीख .... का आशय पत्र संख्यांक .... ।

संयंत्र और उपस्कर के लिए उक्त आयात अनुज्ञप्ति/विदेशी सहयोग के अनुमोदन/औद्योगिक अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति या आशयपत्र की एक शर्त के रूप में सरकार ने यह अनुबन्ध किया है कि फर्म के लिए आवश्यक है कि वह .... रुपए की विदेशी मुद्रा प्रति वर्ष .... वर्ष की अवधि में उपार्जित करे। अथवा .... वर्ष तक या उतनी अवधि तक जो पक्षकारों के हस्ताक्षर से समय-समय पर बढ़ाई जाएं। यह संशोधन इस करार का भाग रूप समझा जाएगा। प्रति वर्ष अपने उत्पादों के .... प्रतिशत का निर्यात उस समय तक करे जब तक कि परियोजना की विदेशी मुद्रा में पूरी लागत (या परियोजना की विदेशी मुद्रा लागत की दुगुनी या उसकी कोई अन्य गुणज राशि) जो .... लाख रुपए है निर्यात उपार्जनों के रूप में वसूल नहीं हो जाती है। (प्रत्येक मामले में ठीक-ठीक शर्त का अनुमोदन पूंजीगत माल समिति/विदेशी विनिधान बोर्ड/अनुज्ञापन समिति द्वारा किया जाएगा)।

इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि—

1. फर्म .... वर्ष तक या उतनी अवधि तक जो पक्षकारों के हस्ताक्षर से समय-समय पर बढ़ाई जाए (यह संशोधन इस करार का भाग रूप समझा जाएगा) प्रति वर्ष अपने उत्पादन (उत्पादों) अर्थात् .... । जिनका मूल्य .... लाख रुपए से कम न हो/जो उसके उत्पाद के .... प्रतिशत से कम न हो) का उस समय निर्यात करके .... रुपये की विदेशी मुद्रा उपार्जित करेगी जब तक कि निर्यातों से प्राप्त कुल विदेशी मुद्रा उपार्जन की राशि .... रुपये नहीं हो जाती है। यह निर्यात आभार ऐसे किसी अन्य निर्यात आभार (अग्रिम/अग्रदाय लाइसेंसों के मद्दे निर्यात आभार को छोड़कर) के अतिरिक्त होगा जो फर्म पर किसी अन्य आधार पर अधिरोपित किया गया है या अधिरोपित किया जाए। भूटान को किए गए निर्यात, निर्यात-आभार के मोचन के लिए अर्हित नहीं होंगे और यदि नेपाल और अफगानिस्तान को मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान से भिन्न भुगतान पर निर्यात किए जाते हैं तो वे निर्यात, निर्यात आभार के मोचन के लिए अर्हित नहीं होंगे। यदि विदेशी सहयोग के लिए कोई करार हुआ है तो उसको भंग करते हुए किए गए निर्यात भी, निर्यात आभार के मोचन के लिए अर्हित नहीं होंगे।

2. ऊपर वर्णित निर्यात, संयंत्र और उपस्कर के चालू किए जाने/उत्पादन के प्रारम्भ होने के पश्चात् अट्ठारहवें मास से प्रारम्भ होना चाहिए (संयंत्र को औद्योगिक लाइसेंस में विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर चालू कर दिया जाएगा) यह आवश्यक है कि उत्पादन तारीख .... से आरंभ हो जाए। फर्म अपने मुद्रित पत्रशीर्ष पर एक प्रमाणपत्र देने के लिए वचनबद्ध होगी जिसमें आयात लाइसेंस के आधार पर संयंत्र और उपस्कर के चालू किए जाने की सही तारीख दी गई हो और जिस पर, यथास्थिति, उसके मुख्य इंजीनियर या निर्यात कार्य प्रबंधक के हस्ताक्षर और कम्पनी के विधि-पूर्वक प्राधिकृत व्यक्ति के सम्यक् रूप से किए गए प्रतिहस्ताक्षर होंगे तथा जिस पर फर्म की प्राधिकृत मुद्रा अंकित होगी। फर्म यह प्रमाणपत्र संयंत्र और उपस्कर के उक्त रूप में चालू होने की तारीख से तीस दिन के भीतर देगी।

अथवा

फर्म अपने मुद्रित पत्रशीर्ष पर एक प्रमाणपत्र देने का वचन-देगी जिसमें संयंत्र और उपस्कर के लिये आयात लाइसेंस विदेशी सहयोग के अनुमोदन/उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन अनुज्ञप्ति या आशय पत्र के आधार पर उत्पादन या अतिरिक्त उत्पादन के प्रारम्भ की सही तारीख दी होगी और जिस पर यथास्थिति, उसके मुख्य इंजीनियर या निर्माण कार्य प्रबन्धक के हस्ताक्षर और फर्म के विधि पूर्वक प्राधिकृत व्यक्ति के सम्यक् रूप से किये गये प्रति-हस्ताक्षर होंगे तथा जिस पर कम्पनी की सामान्य मुद्रा अंकित होगी। फर्म यह प्रमाणपत्र उत्पादन या अतिरिक्त उत्पादन के इस प्रकार प्रारम्भ होने की तारीख से 30 दिन के भीतर देगी।

3. फर्म प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिन के भीतर एक रिपोर्ट मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात (निर्यात आभार सेल), नई दिल्ली को या संबंधित संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात को देगी और उसकी एक प्रति वाणिज्य मंत्रालय (निर्यात-उत्पादन अनुभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजेगी। इस रिपोर्ट में पूर्व वित्तीय वर्ष (या इसके खण्ड 2 के अनुसार निर्यात शर्तों के लागू होने के प्रथम वर्ष के लिये वित्तीय वर्ष के एक भाग) के सम्बन्ध में निम्नलिखित विशिष्टियां दी जायेंगी:—

(क) उत्पादन (परिमाण तथा बही मूल्य के अनुसार) जो व्यवसायरत किसी ऐसे सनदी लेखापाल द्वारा सम्यकरूप से प्रमाणित किया गया हो जो फर्म या उसकी सम्बद्ध संस्था का भागीदार या उसका कर्मचारी नहीं है, किन्तु वह फर्म का कानूनी लेखा परीक्षक हो।

(ख) निर्यात (परिमाण और पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य के अनुसार) और साथ ही निर्यात किये गये माल के ब्यौरे और उसके परिमाण और पोत पर्यान्त निःशुल्क मूल्य के ब्यौरे और उन देशों के नाम जिनको ये निर्यात किये गये, जो किसी ऐसे सनदी लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित हो जो फर्म या उसकी सम्बद्ध संस्था का भागीदार या कर्मचारी नहीं है किन्तु वह फर्म का कानूनी लेखा परीक्षक हो।

4. फर्म प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः मास के भीतर मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात को या सम्बन्धित संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात को इसमें विनिर्दिष्ट निर्यात आभार की पूर्ति में पूर्व वर्ष के दौरान किए गए निर्यातों के मद्दे वसूल की गई विदेशी मुद्रा प्रदर्शित करने वाले बैंक प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियां और अन्य ऐसे दस्तावेज भी भेजेगी जो मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात के या सम्बन्धित संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, नई दिल्ली इस करार के निबन्धन और शर्तों की पूर्ति में पूर्व वर्ष में उपार्जित विदेशी मुद्रा के समर्थन में अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में मांगे।

5. यदि किसी वर्ष विशेष में फर्म .... रु. मूल्य का माल (अपने उत्पादन के .... प्रतिशत) का निर्यात करने में असफल रहती है और/या उपेक्षा करती

है या असमर्थ है तो उस दशा में फर्म संबंधित संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात या मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात, नई दिल्ली को पत्र द्वारा मांग की जाने पर, उक्त पत्र की तारीख से तीस दिन के भीतर भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड को या अन्य ऐसे व्यक्ति, फर्म या निगम निकाय को, जिसे सरकार या आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक, नई दिल्ली निर्देशित करे (जिसे इसमें आगे "अभिकरण" कहा गया है), अभिकरण द्वारा निर्यात के लिये वर्ष के दौरान उत्पादित........के सम्बन्ध में अनुबन्धित वार्षिक वचनबद्धता/आभार और उसके वास्तविक निर्यात (जो....प्रतिशत से अधिक नहीं होगा) के बीच के अन्तर के समतुल्य........का स्टाक ऐसी कीमतों पर सौंप देगी जो वह विदेशों में प्राप्त कर सकती है। इसके अतिरिक्त, फर्म उसके साथ ही ....लाख रु. (यह रकम निर्यात आभार के 5 प्रतिशत के बराबर होगी किन्तु 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी) की राशि का भी भुगतान अभिकरण को "परिनिर्धारित नुकसानी" के रूप में करेगी। अभिकरण उक्त ....के निर्यात और उसके विक्रय आगम की वसूली के पश्चात यथा संभव शीघ्र कम्पनी को ऐसे निर्यात पर अभिकरण द्वारा उपार्जित शुद्ध विदेशी मुद्रा के समतुल्य रुपये, उसमें से ऐसे व्यय (जिसके अन्तर्गत अभिकरण का प्रसामान्य कमीशन भी है) काट कर देगा जो अभिकरण ने किये हैं।

6. अनुबंधित वार्षिक निर्यात वचनबद्धता/आभार और किये गये वास्तविक निर्यात के बीच के अन्तर को प्रतिरूपित करने वाले मूल्य और/या परिमाण का और परिनिर्धारित नुकसानी के रूप में, वार्षिक निर्यात बाध्यता के 5 प्रतिशत को प्रतिरूपित करने वाली रकम का भी अवधारण संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात या मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात, नई दिल्ली द्वारा किया जायेगा और उक्त किसी भी प्राधिकारी द्वारा किया गया विनिश्चय अन्तिम और फर्म पर आबद्धकर होगा। मूल्य और /या परिमाण का अवधारण करते समय उक्त प्राधिकारी, यदि आवश्यक समझे तो अपने विवेकानुसार फर्म को ऐसा साक्ष्य पेश करने का अवसर दे सकेगा जो वह (फर्म) इस प्रयोजन के लिये मूल्य और परिमाण के अवधारण के समर्थन में दे सकती है।

7. यदि किसी वर्ष में फर्म इसमें अभिकथित निबन्धनों और शर्तों में अपेक्षित अपने उत्पादन के......प्रतिशत से अधिक......रु. से अधिक के......का निर्यात करती है तो ऐसा आधिक्य पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) में कमी, यदि कोई हो, में से मुजरा किया जा सकेगा।

8. यदि किसी वर्ष में फर्म अपने आभारों की पूर्ति में असफल रहती है और/या उपेक्षा करती है तो केवल उस दशा को छोड़कर जिसमें ऐसे आभार की पूर्ति सरकार की किसी विधि, आदेश, उद्घोषणा, विनियम या अध्यादेशों के कारण नहीं हो पाई थी या विलम्ब से हो पाई थी, सरकार को यह हक और स्वतंत्रता होगी कि वह कम्पनी द्वारा उत्पादित.. .....का उस सीमा तक कब्जा ले ले जो उक्त खंड 6 में उल्लिखित है और अन्य ऐसी कार्रवाई करे जो वह परिनिर्धारित नुकसानी वसूल करने के अतिरिक्त आवश्यक समझे। सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किया गया आदेश अन्तिम और फर्म पर आबद्धकर होगा और फर्म ऐसे आदेश का बिना शर्त अनुपालन करने के लिए वचनबद्ध है।

9. इस विलेख या उसके अधीन निष्पादित किसी दस्तावेज पर यदि कोई स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है तो वह अन्य रूप से फर्म द्वारा दिया जायेगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप इस पर फर्म की रबड़ मोहर लगा दी गई है तथा भारत के राष्ट्रपति के लिये और उनकी ओर से श्री. . . . . .ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

फर्म की रबड़ की मोहर

(भागीवार फर्म की दशा में लागू)

(क) प्रबन्ध भागीदार फर्म—————(क) हस्ताक्षर—————

नाम —————

(निवास स्थान का पता)—————

(ख) भागीदार—————(ख) हस्ताक्षर

नाम —————

(निवास स्थान का पता)—————

(ग) भागीदार—————(ग) हस्ताक्षर

नाम—————

(निवास स्थान का पता—————

इत्यादि—————

साक्षी

1. ————— (नाम, पदनाम और पता)
2. ————— (नाम पदनाम और पता)

भारत के राष्ट्रपति के लिये और उनकी ओर से

श्री—————

ने

1. ————— (नाम, पदनाम और पता)
2. ————— (नाम, पदनाम और पता)

की उपस्थित में हस्ताक्षर किये।

फर्म की रबड़ मोहर

एक मात्र स्वत्वधारी/स्वत्वधारी फर्म की दशा में लागू

हस्ताक्षर—————

एकमात्र स्वत्वधारी का नाम या
सभी स्वत्वधारियों के नाम
(निवास स्थान का पता/पते)

साक्षी

1. —————(नाम, पदनाम और पता)
2. —————(नाम, पदनाम और पता)

भारत के राष्ट्रपति के लिये और उनकी ओर से।

श्री—————

ने

1. ————— (नाम, पदनाम और पता)
2. ————— (नाम, पदनाम और पता)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये।

भाग-5

विधिक करार का प्रारूप

(उत्पादन की कुछ प्रतिशतता पर एकल मद के निर्यात प्रभार वाले मामलों में भागीदारों/स्वत्वधारी फर्म द्वारा निष्पादन के लिये)

(भागीदारी फर्म के मामले में लागू)

यह करार एक पक्षकार के रूप में (क) . . . . . (प्रबंधक भागीदार का नाम) जो. . . . . .का पुत्र है, (ख) . . . . (भागीदार का नाम) जो. . . . . .का पुत्र है, (ग) . . . . (भागीदार का नाम) जो . . . . का पुत्र है आदि . . . . .के नाम और अभिनाम से, जो भारतीय भागीदारी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत फर्म है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय. . . . . .में है (जिसे इसमें आगे फर्म कहा गया है और इसके अन्तर्गत इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी है), कारोबार कर रहे है, और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है और इसके अंतर्गत उनके पद-उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी है) के बीच आज तारीख . . . . 198. . . . को किया गया।

(एकमात्र स्वत्वधारी/स्वत्वधारी फर्म की दशा में लागू)

यह करार एक पक्षकार के रूप में . . . . (एकमात्र स्वत्वधारी/स्वत्वधारियों का/के नाम) जो . . . . .का पुत्र है और . . . . .के नाम और अभिनाम में, जो भारतीय भागीदारी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत एकमात्र स्वत्वधारी/स्वत्वधारी फर्म है जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय . . . . में है (जिसे इसमें आगे 'फर्म' कहा गया है और इसके अन्तर्गत इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी है), कारोबार कर रहा है/रहे हैं और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है और इस के अन्तर्गत उनके पद-उत्तरवर्ती और समनुदेशिता भी है) के बीच आज तारीख . . . . . . 198 . . . . को किया गया।

फर्म को. . . . .रुपये के लागत-बीमा-भाड़ा सहित मूल्य के संयंत्र और उपस्कर के आयात के लिये आयात लाइसेंस सं. . . . . .तारीख . . . . . को मंजूर की गई है।

और/या सरकार ने फर्म (विदेशी फर्म का नाम लिखिये) को मैसर्स के साथ उसके प्रस्तावित विनिधन/तकनीकी सहयोग व्यवस्थान के निबंधन और शर्तें संसूचित कर दी है। इस सम्बन्ध में देखिये।

और/या सरकार ने फर्म को औद्योगिक लाइसेंस क्षमता के पर्याप्त विस्तार की मंजूरी के उसके प्रस्ताव की स्वीकृति के निबन्धन और शर्तें संसूचित कर दी है। इस संबंध में देखिए तारीख . . . . . का आशय पत्र संख्यांक . . . .

संयंत्र और उपस्कर के लिये उक्त आयात लाइसेंस/विदेशी सहयोग के अनुमोदन/औद्योगिक अधिनियम के अधीन लाइसेंस या आशय पत्र की एक शर्त के रूप में सरकार ने यह अनुबंध किया है कि फर्म के लिये यह आवश्यक है कि वह . . . . . अपने उत्पादनों का. . . .प्रतिशत प्रति वर्ष निर्यात करके वर्ष तक या उतनी अवधि तक जो पक्षकारों के हस्ताक्षर से समय-समय पर बढ़ाई जाये (यह संशोधन इस करार का भाग रूप माना जायेगा) विदेशी मुद्रा उपार्जित करे। ठीक-ठीक शर्त का अनुमोदन प्रत्येक मामले में पूंजीगत माल समिति/विदेशी विनिधान बोर्ड/अनुज्ञापन समिति द्वारा किया जायेगा।

इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि:--

1. फर्म . . . . .वर्ष तक या उतनी अवधि तक जो पक्षकारों के हस्ताक्षर से समय-समय पर बढ़ाई जाये (यह संशोधन इस करार का भाग रूप समझा जायेगा) अपने वार्षिक उत्पादन के . . . . . . .प्रतिशत का निर्यात करके विदेशी मुद्रा उपार्जित करेगी। यह निर्यात आभार ऐसे किसी अन्य निर्यात आभार (अग्रिम/अग्रदाय लाइसेंसों के मद्दे निर्यात आभार को छोड़कर) के अतिरिक्त होगा जो फर्म पर किसी अन्य आधार पर अधिरोपित किया गया हो या अधिरोपित किया जाये। भूटान को किये गए निर्यात, निर्यात बाध्यता के मोचन के लिए अर्हित नहीं हों और यदि नेपाल और अफगानिस्तान को मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान से भिन्न भुगतान पर निर्यात किये जाते हैं तो वे निर्यात, निर्यात आभार केमोचन के लिए अर्हित नहीं होंगे।। यदि विदेशी सहयोग के लिये कोई करार हुआ है तो उसको भंग करते हुए किए गये निर्यात भी, निर्यात आभार के मोचन के लिए अर्हित नहीं होंगे।

2. ऊपर वर्णित निर्यात, संयंत्र और उपस्कर के चालू किए जाने/उत्पादन के प्रारम्भ होने के पश्चात् अट्ठारहवें मास से प्रारम्भ हो जाना चाहिए। संयंत्र को औद्योगिक लाइसेंस में विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर चालू कर दिया जायगा। यह आवश्यक है कि उत्पादन तारीख को और उस तारीख से आरम्भ हो जाये।

फर्म अपने मुद्रित पत्रशीर्ष पर एक प्रमाणपत्र देने के लिए वचनबद्ध होगी जिसमें आयात लाइसेंस के आधार पर संयंत्र और उपस्कर के चालू किये जाने की सही तारीख दी गई हो और जिस पर यथास्थिति, उसके मुख्य इंजीनियर या निर्माण कार्य प्रबन्धक के हस्ताक्षर होंगे और फर्म के विधि पूर्वक प्राधिकृत व्यक्ति के सम्यक रूप से किये गये प्रतिहस्ताक्षर होंगे जिस पर कम्पनी की सामान्य मुद्रा अंकित होगी । फर्म यह प्रमाणपत्र संयंत्र और उपस्कर के उक्त रूप में चालू होने की तारीख से तीस दिन के भीतर देगी ।

अथवा

फर्म अपने मुद्रित पत्रशीर्ष पर एक प्रमाणपत्र देने के लिए वचनबद्ध होगी जिसमें संयंत्र और उपस्कर के लिये आयात लाइसेंस विदेशी सहयोग के अनुमोदन की/उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन लाइसेन्स या आशय-पत्र के आधार पर उत्पादन या अतिरिक्त उत्पादन के प्रारंभ की सही तारीख दी होगी और जिस पर, यथास्थिति, उसके मुख्य इंजीनियर या निर्माण कार्य प्रबन्धक के हस्ताक्षर होंगे और उस पर फर्म के विधिपूर्वक प्राधिकृत व्यक्ति के सम्यक रूप से किये गए प्रतिहस्ताक्षर होंगे तथा जिस पर कम्पनी की सामान्य मुद्रा अंकित होगी । फर्म यह प्रमाणपत्र उत्पादन या अतिरिक्त उत्पादन के उस प्रकार प्रारम्भ होने की तारीख से 30 दिन के भीतर देगी ।

3. फर्म प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिन के भीतर एक रिपोर्ट मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात (निर्यात आभार सेल), नई दिल्ली को या संबंधित संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात को देगी और उसकी एक प्रति वाणिज्य मंत्रालय (निर्यात-उत्पादन अनुभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजेगी । इस रिपोर्ट में पूर्व वित्तीय वर्ष (या इनके खंड 2 के अनुसार निर्यात शर्त के लागू होने के प्रथम वर्ष के

लिये वित्तीय वर्ष के एक भाग) के सम्बन्ध में निम्नलिखित विशिष्टियां दी जायेंगी :--

(क) उत्पादन (परिमाण तथा बही मूल्य के अनुसार) जो व्यवसायरत किसी ऐसे सनदी लेखापाल द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित किया गया है जो फर्म या उसकी सम्बद्ध संस्था का भागीदार या उसका कर्मचारी न हो, किन्तु वह फर्म का कानूनी लेखा परीक्षक हो।

(ख) निर्यात (परिमाण और पोतपर्यंत निःशुल्क मूल्य के अनुसार) के साथ ही किये गए माल की विशिष्टियां और उनके परिमाण और पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य की विशिष्टियां और उन देशों के नाम जिनको ये निर्यात किये गये हैं जो किसी ऐसे सनदी लेखापाल द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित है जो फर्म या उस की सम्बद्ध संस्था का भागीदार या कर्मचारी न हो, किन्तु वह फर्म का कानूनी लेखा परीक्षक हो।

4. फर्म प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह मास के भीतर मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात, नई दिल्ली को या सम्बन्धित संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात को इसमें विनिर्दिष्ट निर्यात आभार की पूर्ति से पूर्व वर्ष के दौरान किये गये निर्यातों के मद्दे वसूल की गई विदेशी मुद्रा दर्शित करने वाले बैंक प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियां और अन्य ऐसे दस्तावेजों को भी भेजेगी जो कि मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात या सम्बन्धित संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली इस करार के निबन्धन और शर्तों की पूर्ति में पूर्व वर्ष की उपार्जित विदेशी मुद्रा के समर्थन में अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में मांगे।

5. यदि किसी वर्ष विशेष में फर्म अपने उत्पादन के -----------प्रतिशत का निर्यात करने में असफल रहती है या असमर्थ है तो उस दशा में फर्म संबंधित संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात या मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात, नई दिल्ली को पत्र द्वारा मांग की जाने पर उक्त पत्र की तारीख से तीस दिन के भीतर भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड को या अन्य ऐसे व्यक्ति, फर्म या निकाय को, जिसे सरकार या मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात, नई दिल्ली निर्देशित करे (जिसे इस में आगे अभिकरण कहा गया है), वर्ष के दौरान उत्पादित------ के संबंध में अनुबंधित वार्षिक वचनबद्धता/प्रभार और उसके उस विशेष वर्ष में अधिकतम --------प्रतिशत तक की सीमा के अधीन रहते हुए वास्तविक निर्यात किये जाने के लिये सौंप देगी जो वह अभिकरण विदेशों में प्राप्त कर सकती है। इसके अतिरिक्त फर्म इसके साथ ही इतनी रकम का, जो निर्यात आभार के 5 प्रतिशत के बराबर किन्तु 5 लाख रुपये से अधिक न हो, भुगतान अभिकरण को परिनिर्धारित नुकसानी के रूप में करेगी। अभिकरण उक्त-- -------------के निर्यात और उसके विक्रय आगम की वसूली के पश्चात यथासंभव शीघ्र फर्म को ऐसे निर्यात पर अभिकरण द्वारा उपार्जित वास्तविक विदेशी मुद्रा के समतुल्य एवं, उसमें से ऐसे व्यय (जिसके अन्तर्गत अभिकरण का प्रसामान्य कमीशन भी है) काट कर देगा जो अभिकरण ने किये हैं। कुल निर्यात आभार का विनिर्धारण फर्म ----------द्वारा उत्पादित सभी मदों के उत्पादन के कारखाना पूर्व कुल लागत में से उत्पादन शुल्क, यदि कोई हो, जो कि व्यवसायरत लागत लेखाकार द्वारा प्रमाणित हो, मूल्यानुसार किया जाएगा। परिनिर्धारित नुकसानी की रकम -- फर्म द्वारा उत्पादित मदों की प्रति यूनिट उत्पादन का कारखाना-द्वारा लागत में से उत्पादन शुल्क, यदि कोई हो, घटाकर आने वाली रकम के आधार पर परिकलित की जायेगी। फर्म, प्रति यूनिट उत्पादन की कारखाना-द्वारा लागत के सबूत के रूप में व्यवसायरत ऐसे लागत लेखापाल का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगी जो फर्म का भागीदार या कर्मचारी नहीं है। यदि फर्म निर्यात आभार पूरा करने में असफल रहती है और या उपेक्षा करती है या असमर्थ है तो उस दशा में संदेय परिनिर्धारित नुकसानी की रकम के अवधारण के लिये उत्पादन की उक्त कारखाना-द्वारा लागत रुपयों में लगाई जायेगी किन्तु उपर्युक्त आधार पर परिकलित रकम का उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिये या किसी स्कीम के अधीन (सीधे ही भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से किये गये) ऐसे निर्यातों पर किसी का दावा करने के लिये नहीं किया जायेगा।

6. अनुबंधित वार्षिक निर्यात वचनबद्धता/आभार और किये गये वास्तविक निर्यात के बीच के अन्तर को प्रतिरूपित करने वाले मूल्य और या परिमाण का और परिनिर्धारित नुकसानी के रूप में, वार्षिक निर्यात आभार के 5 प्रतिशत को प्रतिरूपित करने वाली रकम का भी अवधारण संयुक्त/उप मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात या मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात, नई दिल्ली, के द्वारा किया जायेगा और उक्त किसी भी प्राधिकारी द्वारा किया गया विनिश्चय अन्तिम और कम्पनी पर आबद्धकर होगा। मूल्य और या परिमाण का अवधारण करते समय उक्त प्राधिकारी यदि आवश्यक समझे तो अपने विवेकानुसार फर्म को ऐसा साक्ष्य पेश करने का अवसर दे सकेगा जो वह (फर्म) इस प्रयोजन के लिये मूल्य और परिमाण के अवधारण के समर्थन में दे सकती है।

7. यदि किसी वर्ष में फर्म इसमें अभिकथित निबंधनों और शर्तों में अपेक्षित अपने उत्पादन के -----------प्रतिशत से अधिक-------------का निर्यात करती है तो ऐसा अधिक पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) में कमी, यदि कोई हो, में से मुजरा किया जा सकेगा।

8. यदि किसी वर्ष में फर्म अपने आभारों की पूर्ति में असफल रहती है या उपेक्षा करती है तो केवल उस दशा को छोड़कर जिसमें ऐसी बाध्यता की पूर्ति सरकार की किसी विधि, आदेश, उद्घोषणा, विनियम या अध्यादेशों के कारण नहीं हो पायी थी या विलम्ब हो गई थी सरकार को यह हक और स्वतंत्रता होगी कि वह फर्म द्वारा उत्पादित---------का उस सीमा तक कब्जा ले ले जो उक्त खंड 6 में उल्लिखित है और अन्य ऐसी कार्रवाई करे जो वह परिनिर्धारित नुकसानी वसूल करने के अतिरिक्त आवश्यक समझे। सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किया गया आदेश अन्तिम और फर्म पर बाध्यकर होगा और फर्म ऐसे आदेश का अशर्त अनुपालन करने के लिए वचनबद्ध करती है।

9. इस विलेख या उसके अधीन निष्पादित किसी दस्तावेज पर यदि कोई स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है तो वह अनन्य रूप से फर्म द्वारा दिया जायेगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप इस पर----------की सामान्य मुद्रा लगा दी गई है तथा भारत के राष्ट्रपति के लिये और उनकी ओर से श्री ------------------ ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

(भागीदार फर्म की दशा में लागू)

फर्म की रबड़ मोहर

(क) प्रबन्धक भागीदार का नाम (निवास स्थान का पता) — (क) हस्ताक्षर ———

(ख) भागीदार का नाम (निवास स्थान का पता) — (ख) हस्ताक्षर ———

(ग) भागीदार का नाम (निवास स्थान का पता) — (ग) हस्ताक्षर ———

साक्षी :

1.————————(नाम, पदनाम और पता)

2.————————(नाम, पदनाम और पता)

(भारत के राष्ट्रपति के लिये और उनकी ओर से श्री——— ————————ने

साक्षी :

1.————————(नाम, पदनाम और पता)

2.————————(नाम, पदनाम और पता) की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये)।

(एकमात्र स्वत्वधारी/स्वत्वधारी फर्म की दशा में लागू)

फर्म की रबड़ मोहर

एकमात्र स्वत्वधारी का नाम या सभी स्वत्वधारियों के नाम, सभी स्वत्वधारियों के हस्ताक्षर।

(निवास स्थान का पता/पते)

साक्षी :

1.————————

(नाम, पदनाम और पता)

2.————————

(नाम, पदनाम और पता)

(भारत के राष्ट्रपति के लिये और उनकी ओर से————————ने

1. ————————(नाम, पदनाम और पता)

2. ————————(नाम, पदनाम और पता) की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये

भाग 6

विधिक करार का प्रारूप

(उन भागीदार/स्वत्वधारी फर्म द्वारा निष्पादन के लिये, जिन पर उत्पादन के कुछ प्रतिशत के हिसाब से बहुविध मदों का निर्यात-आभार है)।

(भागीदारी फर्म की दशा में लागू)

यह करार एक पक्षकार के रूप में (क) ---------------- (प्रबन्ध भागीदार का नाम) जो ----------------का पुत्र है, (ख) भागीदार का नाम ---------------- जो ------------------ का पुत्र है, (ग) (भागीदार का नाम) ------------------ जो .... का पुत्र है आदि ------------------नाम और अभिनाम से कारोबार कर रहे हैं, जो भारतीय भागीदारी अधिनियम के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत भागीदार फर्म है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ------------ में है। (जिसे इसमें आगे 'फर्म' कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी हैं)। और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है और इसके अंतर्गत उनके पद-उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं) के बीच तारीख ---------------को किया गया। (एकमात्र स्वत्वधारी/स्वत्वधारी फर्मों की दशा में लागू)

यह करार एक पक्षकार के रूप में (एकमात्र स्वत्वधारी/स्वत्वधारियों का/के नाम ---------- जो ------ ---------का/के पुत्र है/हैं और एकमात्र स्वत्वधारी/स्वत्वधारी फर्म----------------के नाम और अभिनाम में, जो भारतीय भागीदारी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत फर्म है, कारोबार कर रहा है/रहे हैं, और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय---- ---------------में है (जिसे इसमें आगे "फर्म" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी हैं) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति और इसके अन्तर्गत उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं के बीच आज तारीख-------को किया गया।

फर्म को------------------रुपये लागत-बीमा-भाड़ा सहित मूल्य के संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर के आयात के लिये आयात लाइसेंस सं. --------- तारीख -------. . . . मंजूर की गई है।

और/या सरकार ने फर्म . . . . . (विदेशी फर्म का नाम लिखें) को मैसर्स . . . . के साथ उसके प्रस्तावित विदेशी विनिधान/तकनीकी सहयोग व्यवस्था के नियंत्रण और शर्तें संसूचित कर दी हैं। इस सम्बन्ध में देखिये. . . . . . .।

और/या सरकार ने फर्म को औद्योगिक लाइसेंस क्षमता के पर्याप्त विस्तार की मंजूरी के उसके प्रस्ताव की स्वीकृति के निबंधन और शर्तें संसूचित कर दी हैं। इस सम्बन्ध में देखिए तारीख . . . . का आशयपत्र संख्यांक . . . .

संयंत्र और उपस्कर के लिये उक्त आयात लाइसेंस/विदेशी सहयोग के अनुमोदन/औद्योगिक अधिनियम के अधीन लाइसेन्स की या आशय पत्र की एक शर्त के रूप में सरकार ने यह अनुबन्ध किया है कि फर्म के लिये यह आवश्यक है कि वह-------- वर्ष तक या उतनी अवधि तक जो पक्षकारों के हस्ताक्षर से समय-समय पर बढ़ाई जाये, (यह संशोधन इस करार का भाग रूप माना जायेगा) प्रति वर्ष अपने -----------के उत्पादन का ---------- प्रतिशत निर्यात करके विदेशी मुद्रा उपार्जित करे। (ठीक-ठीक शर्त का अनुमोदन प्रत्येक मामले में पूंजीगत माल समिति/विदेशी विनिधान बोर्ड/अनुज्ञापन समिति द्वारा किया जायेगा)

इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि :---

1. फर्म --------------वर्ष तक या उतनी अवधि तक जो पक्षकारों के हस्ताक्षर से समय-समय पर बढ़ाई जाये। यह संशोधन इस करार का भाग रूप समझा जायेगा।। प्रति वर्ष अपने उत्पादों अर्थात -------- के ------------ प्रतिशत का निर्यात करके विदेशी मुद्रा उपार्जित करेगी। यह निर्यात आभार ऐसी किसी अन्य निर्यात बाध्यता (अग्रिम/अग्रदाय लाइसेंसों के मद्दे निर्यात आभार को छोड़कर) के अतिरिक्त होगी जो फर्म पर किसी अन्य आधार पर अधिरोपित की गई हो या अधिरोपित की जाये। भूटान को किये गये निर्यात, निर्यात आभार के मोचन के लिए अर्हित नहीं होंगे और यदि नेपाल और अफगानिस्तान को मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान से भिन्न भुगतान पर निर्यात किये जाते हैं तो वे निर्यात, निर्यात के मोचन के लिए अर्हित नहीं होंगे। यदि विदेशी सहयोग के लिए कोई करार हुआ है तो उसको भंग करते हुए किये गये निर्यात भी, निर्यात आभार के मोचन के लिए अर्हित नहीं होंगे।

2. ऊपर वर्णित निर्यात, संयंत्र और उपस्कर के चालू किये जाने/उत्पादन के प्रारम्भ होने के पश्चात् अट्ठारहवें मास से प्रारम्भ हो जाना चाहिये। संयंत्र को औद्योगिक लाइसेंस में विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर चालू कर दिया जायेगा। यह आवश्यक है कि उत्पादन तारीख --------- से आरम्भ हो जाये।

फर्म अपने मुद्रित पत्रशीर्ष पर एक प्रमाणपत्र देने के लिए वचनबद्ध होगी जिसमें आयात लाइसेंस के आधार पर संयंत्र और उपस्कर के चालू किये जाने की सही तारीख दी गई हो और जिस पर, यथास्थिति, उसके मुख्य इंजीनियर या निर्माण कार्य प्रबन्धक के हस्ताक्षर और फर्म के विधिपूर्वक प्राधिकृत व्यक्ति के सम्यक् रूप से किये गये प्रतिहस्ताक्षर होंगे तथा जिस पर फर्म की प्राधिकारिक मुद्रा अंकित होगी। कम्पनी यह प्रमाणपत्र संयंत्र और उपस्कर के उक्त रूप में चालू होने की तारीख से तीस दिन के भीतर देगी।

अथवा

फर्म अपने मुद्रित पत्रशीर्ष पर एक प्रमाणपत्र देने के लिए वचनबद्ध होगी जिसमें संयंत्र और उपस्कर के लिए आयात लाइसेंस/विदेशी सहयोग के अनुमोदन की उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 के अधीन लाइसेन्स आशयपत्र के आधार पर उत्पादन या अतिरिक्त उत्पादन के प्रारम्भ की सही तारीख दी होगी और जिस पर, यथास्थिति, उसके मुख्य इंजीनियर या निर्माण कार्य प्रबन्धक के हस्ताक्षर और फर्म के विधिपूर्वक प्राधिकृत व्यक्ति के सम्यक् रूप से किये गये प्रतिहस्ताक्षर होंगे तथा जिस पर फर्म की प्राधिकारिक मुद्रा अंकित होगी। फर्म यह प्रमाणपत्र उत्पादन या अतिरिक्त उत्पादन के इस प्रकार प्रारम्भ होने की तारीख से 30 दिन के भीतर देगी।

3. फर्म प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिन के भीतर एक रिपोर्ट मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात (निर्यात लाइसेंस सेल), नई दिल्ली को देगी और उसकी एक प्रति संबंधित संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात को और एक प्रति वाणिज्य मंत्रालय (निर्यात उत्पादन अनुभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजेगी। इस रिपोर्ट में पूर्व वित्तीय वर्ष या इसके खण्ड 2 के अनुसार निर्यात शर्त के लागू होने के प्रथम वर्ष के लिए वित्तीय वर्ष के एक भाग के सम्बन्ध में निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएगी :--

(क) उत्पादित प्रत्येक मद की बाबत (परिमाण के अनुसार) उत्पादन जो व्यवसायरत किसी ऐसे सनदी लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से अनु-प्रमाणित किया गया हो जो फर्म या उसकी सम्बद्ध संस्था का भागीदार या उसका कर्मचारी नहीं हो; किन्तु वह फर्म का कानूनी लेखा परीक्षक हो।

(ख) निर्यात (परिमाण और पोतपर्यन्त नि:शुल्क मूल्य के अनुसार) और साथ ही निर्यात किये गये माल की विशिष्टियां और उसके परिमाण और पोतपर्यन्त नि:शुल्क मूल्य की विशिष्टियां और उन देशों के नाम जिनको निर्यात किये गये हैं, जो किसी ऐसे सनदी लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित हो जो फर्म या उस की सम्बद्ध संस्था का भागीदार या कर्मचारी नहीं हो; किन्तु वह फर्म का कानूनी लेखा परीक्षक हो।

(ग) यूनिट द्वारा उत्पादन की कारखाने-द्वारा लागत जिसमें से उत्पाद शुल्क, यदि कोई हो, घटा दिया गया हो, जो (व्यवसायरत) किसी ऐसे लागत लेखापाल द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित हो जो फर्म का भागीदार या उसका कर्मचारी नहीं हो। प्रमाणपत्र में वह (व्यवसायरत) लागत लेखापाल यूनिट द्वारा उत्पादित सभी मदों के उत्पादन की कुल कारखाना-द्वारा लागत भी, उसमें से उत्पाद शुल्क, यदि कोई हो, घटा कर प्रदर्शित करेगा।

4. फर्म प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह मास के भीतर मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात नई दिल्ली को या संबंधित संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को इस विनिर्दिष्ट निर्यात आभार की पूर्ति में पूर्व वर्ष के दौरान किये गये निर्यातों के मद्दे वसूल की गई विदेशी मुद्रा प्रदर्शित करने वाले बैंक-प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियां और और अन्य ऐसे दस्तावेज भी भेजेगी जो मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात या सम्बन्धित संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात इस करार के निबन्धन और शर्तों की पूर्ति में पूर्व वर्ष में उपार्जित विदेशी मुद्रा के समर्थन में अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में मांगे।

5. कुल निर्यात आभार उत्पादित सभी मदों के उत्पादन की कुल कारखाना-द्वारा लागत में से उत्पाद शुल्क, यदि कोई हो, घटाकर निकाले गये मूल्य के, जो (व्यवसायरत) लागत लेखापाल द्वारा प्रमाणित हो, अनुसार अवधारित की जायेगी। परिमाण के अनुसार वस्तुत: किए गए निर्यातों को भी, (व्यवसायरत) लागत लेखापाल द्वारा प्रमाणित कारखाने-द्वारा लागत को उसमें से उत्पाद शुल्क, यदि कोई हो, घटाकर हिसाब में लेकर मूल्य में परिवर्तित किया जायेगा। यदि निर्यात की गई मदों के उत्पादन की कारखानों - द्वारा लागत की प्रतिशतता के

रूप में उप निर्यात आभार की प्रतिशतता के बराबर है जो पक्षकार/लाइसेंसधारी पर (परिमाण के अनुसार) अधिरोपित की गई है तभी यह समझा जायेगा कि फर्म ने अपने निर्यात का निर्वहन किया है।

6. यदि किसी वर्ष विशेष में फर्म अपने उत्पादन के-------------प्रतिशत का निर्यात करने में असफल रहती है और/या उपेक्षा करती है या असमर्थ है तो उस दशा में फर्म संबंधित संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात या आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक, नई दिल्ली, को पत्र द्वारा मांग पर, उक्त पत्र की तारीख से तीस दिन के भीतर भारतीय राज्य व्यापार निगम, लिमिटेड को अन्य ऐसे व्यक्ति, फर्म या निगम निकाय को, जिसे सरकार या आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक, नई दिल्ली निर्दोशित करें। (जिसे इसमें आगे 'अभिकरण' कहा गया है), अभिकरण द्वारा निर्यात के लिये वर्ष के दौरान उत्पादित-----के सम्बन्ध में वार्षिक वचन-बद्धता/आभार और उनके वास्तविक निर्यात (जो ---------प्रतिशत से अधिक नहीं होगी) के बीच का अन्तर ऐसी कीमतों पर सौंप देगी जो वह विदेशों में प्राप्त कर सकती है। इसके अतिरिक्त फर्म इसके साथ ही इतनी रकम का जो, निर्यात आभार के 5 प्रतिशत के बराबर किन्तु 5 लाख रु. से अधिक न हो, भुगतान अभिकरण को, 'परिनिर्धारित नुकसानी' के रूप में करेगी। अभिकरण उक्त -------- के निर्यात और उसके विक्रय आगम की वसूली के पश्चात यथासंभव शीघ्र फर्म का ऐसे निर्यात पर अभिकरण द्वारा उपार्जित वास्तविक विदेशी मुद्रा के समतुल्य रुपये, उसमें से ऐसे व्यय (जिसके अन्तर्गत अभिकरण का सामान्य कमीशन भी है) काट कर देगा जो अभिकरण ने किये हैं।

जहां निर्यात आभार की पूर्ति नहीं की जाती है वहां परिनिर्धारित नुकसानी की रकम उत्पादन की कारखाना-द्वारा कमीशन में से उत्पाद शुल्क, यदि कोई हो, घटाकर उसके आधार पर परिकलित की जाएगी। वस्तुतः कौन-सा माल सौंपा जायेगा यह बात सरकार द्वारा चुने गये निर्यात अभिकरण के विकल्प पर छोड़ दी जायेगी और सौंपे जाने वाले माल का कुल मूल्य फर्म द्वारा उत्पादित मदों के उत्पादन की कुल कारखाना-द्वारा लागत और वस्तुतः निर्यात की गई या निर्यात की जाने वाली मदों के उत्पादन की कारखाना-द्वारा लागत में से उत्पाद शुल्क यदि कोई है, घटाकर आने वाली रकम के बीच का अन्तर निकाल कर किया जायेगा।

उक्त आधार पर परिकलित रकम का उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिये या किसी स्कीम के अधीन (सीधे ही या भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड या अन्य किसी अभिकरण के माध्यम से किये गये) ऐसे निर्यातों पर किन्हीं फायदों का दावा करने के लिये नहीं किया जायेगा।

7. अनुबंधित वार्षिक निर्यात वचनबद्धता/आभार और किये गये वास्तविक निर्यात के बीच के अन्तर को प्रतिरूपित करने वाला मूल्य और या परिणाम और परिनिर्धारित नुकसानी के रूप में, वार्षिक निर्यात आभार के 5 प्रतिशत को प्रतिरूपित करने वाली रकम का भी अवधारण संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात या मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात, नई दिल्ली और उक्त किसी भी प्राधिकारी द्वारा किया गया विनिश्चय अन्तिम और कम्पनी पर आबद्धकर होगा। मूल्य और या परिमाण का अवधारण करते समय उक्त प्राधिकारी यदि आवश्यक समझे तो अपने विवेकानुसार फर्म को ऐसा साक्ष्य पेश करने का अवसर दे सकेगा जो वह (फर्म) इस प्रयोजन के लिये मूल्य और परिमाण के अवधारण के समर्थन में दे सकती है।

8. यदि किसी वर्ष फर्म इसमें अभिकथित निबन्धनों और शर्तों में अपेक्षित अपने उत्पादन के------------प्रतिशत से अधिक------------का निर्यात करती है तो ऐसा आधिक्य पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) में कमी, यदि कोई हो, में से मुजरा किया जा सकेगा।

9. यदि किसी वर्ष फर्म अपने आभारों की पूर्ति में असफल रहती है और/या उपेक्षा करती है तो केवल उस दशा को छोड़कर जिसमें ऐसे आभार की पूर्ति सरकार की किसी विधि, आदेश, उद्घोषणा, विनियम या अध्यादेशों के कारण नहीं. हो पाई थी या विलम्ब से हो पाई थी, सरकार को यह हक और स्वतन्त्रता होगी कि वह फर्म द्वारा उत्पादित--------का उस सीमा तक कब्जा ले जो उक्त खण्ड 7 में उल्लिखित है और अन्य ऐसी कार्रवाई करे जो वह परिनिर्धारित नुकसानी वसूल करने के अतिरिक्त आवश्यक समझे। सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किया गया आदेश अन्तिम और फर्म पर आबद्धकर होगा और फर्म ऐसे आदेश का अशर्त अनुपालन करने के लिए वचनबद्ध करती है।

10. इस विलेख या इसके अधीन निष्पादित किसी दस्तावेज पर यदि कोई स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है तो वह अनन्य रूप से फर्म द्वारा दिया जायेगा।

(भागीदारी फर्म की दशा में लागू)

इसके साक्ष्य स्वरूप इस पर फर्म की रबड़ मोहर लगा दी गई है तथा भारत के राष्ट्रपति के लिये और उनकी ओर से श्री - - - - - - - - - - -ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

फर्म की रबड़ की मोहर

(क) प्रबन्ध भागीदार का नाम (क) हस्ताक्षर----------

(ख) भागीदार का नाम (ख) हस्ताक्षर-----------
(निवास स्थान का पता)

(ग) भागीदार का नाम (ग) हस्ताक्षर-----------
(निवास स्थान का पता)

1---------------------(नाम, पदनाम और पता)
2---------------------(नाम, पदनाम और पता)

(भारत के राष्ट्रपति के लिये और उनकी ओर से
श्री--------------------ने

साक्षी

1---------------------(नाम, पदनाम और पता)
2 ------------------(नाम, पदनाम और पता)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये।

(एकमात्र स्वत्वधारी/स्वत्वधारी फर्म की दशा में लागू)

फर्म की रबड़ मोहर
हस्ताक्षर--------------------

एकमात्र स्वत्वधारी का नाम या सभी
स्वत्वधारियों के नाम

हस्ताक्षर . . . .

(निवास स्थान का पता/पते)

साक्षी

1. ---------------------(नाम, पदनाम और पता)

2. ---------------------(नाम, पदनाम और पता)

भारत के राष्ट्रपति के लिये और उनकी ओर से

श्री ---------------------ने

1. ---------------------(नाम, पदनाम और पता)

2. ---------------------(नाम, पदनाम और पता)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये ।

बन्धपत्रों/करार के निष्पादन के विषय में **मार्गदर्शन के लिये** टिप्पणी :—

(i) **विधिक करार भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अधीन संबंधित राज्य में लागू पर्याप्त मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पत्र पर हस्ताक्षरित होना चाहिए ।**

(ii) विधिक करार पर निदेशक **बोर्ड** द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत दो निदेशकों के और दो साक्षियों **के हस्ताक्षर होने चाहिए तथा उनके पदनाम और पते लिखे जाने चाहिए और कम्पनी की सामान्य मुद्रा लगाई जानी चाहिये ।**

(iii) विधिक करार के प्रत्येक पृष्ठ पर कम्पनी के दो निदेशकों के हस्ताक्षर होने चाहियें।

(iv) **कम्पनी जिस पत्र के साथ विधिक करार आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक/अनुज्ञापन प्राधि**-कारी को भेजती है उसमें इस बात का **उल्लेख** होना चाहिए कि निदेशकों और साक्षियों के **हस्ताक्षर तथा लगाई गई सामान्य मुद्रा असली है** या नोटरी पब्लिक से प्राप्त उस आशय का एक **प्रमाणपत्र** भेजा जाये ।

भाग 7

विधिक करार का प्रारूप

अग्रिम लाइसेंसों के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए विधिक वचनबद्ध का प्रारूप

यह करार एक पक्षकार के रूप में---------------------जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय--------------में है (जिसे **इसमें** आगे 'कम्पनी' कहा गया है और इसके अधीन उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी है) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे 'सरकार' **कहा गया है और इसके** अंतर्गत उनके पदोत्तरवर्ती और **समनुदेशिती भी हैं)** के बीच तारीख------------198---------को किया गया।

कम्पनी को--------------रु. के लागत-बीमा-भाड़ा सहित मूल्य के कच्चे माल और संघटकों के आयात के लिए आयात अनु-ज्ञप्ति/विनिर्मोचन आदेश सं.--------------------**मंजूर किया गया है ।**

उक्त आयात लाइसेंस/निर्मोचन आदेश **संख्या** ---------- **की एक शर्त के रूप में सरकार ने यह अनुबंध किया है कि**---- ---------कम्पनी भारत में प्रथम परेषण के **आयात की या इस** विषय पर लाइसेंस/विमोचन **आदेश** के अनुसार सरणीबद्ध अभि-करण द्वारा कच्चे माल के प्रदाय की तारीख से ----------- मास की अवधि में --------------का **निर्यात करके** ..... रु. तक की **विदेशी मुद्रा अवश्य उपार्जित करेगी।**

यह करार इस बात का साक्षी है कि :—

1. **कम्पनी यथापूर्वोक्त--------------मास की अवधि के** भीतर-----------का निर्यात करके---------रु. के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की विदेशी मुद्रा उपार्जित करेगी। (यदि आयात लाइसेंस/निर्मोचन आदेश सं. . . . . का उक्त **कम्पनी** द्वारा पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है तो निर्यात-बाध्यता उसी अनुपात में कम कर दी जाएगी) भुगतान **को किए** गए निर्यात, निर्यात आभार के मोचन के लिए अर्हित नहीं होंगे तथा यदि नेपाल और अफगानिस्तान को मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान से भिन्न भुगतान पर निर्यात किए जाते हैं तो वे नियम निर्यात आभार के मोचन के लिए अर्हित नहीं होंगे।

2. कम्पनी किए गए निर्यात के संबंध में रिपोर्ट अर्थात् निर्यात किए गए माल की विशिष्टियां, उनकी क्वालिटी **और** उनका पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य और उन देशों के नाम जिनको निर्यात किया गया है, निर्यातआभार की उक्त अवधि की समाप्ति के एकमास के भीतर संबंधित संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात को भेजेगी। ये सब आंकड़े किसी सनदी लेखापाल द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित किए जाएंगे।

3. कम्पनी पूर्वोक्त रूप में निर्यात आभार की अवधि की समाप्ति के छः मास के भीतर संबंधित संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात को निर्यात आभार की पूर्ति में ------------को किए गए निर्यातों के मद्दे वसूल की **गई** विदेशी मुद्रा प्रदर्शित करने वाले बैंक प्रमाणपत्र मूल रूप में और अन्य ऐसे दस्तावेज भी भेजेगी जो आयात और निर्यात के **संयुक्त/** उप-मुख्य नियंत्रक इस करार के निबंधनों और शर्तों की पूर्ति में उपार्जित विदेशी मुद्रा के समर्थन में साक्ष्य के रूप में मांगे।

4. **यदि** कम्पनी **इस** निर्यात आभार को पूरा करने में समर्थ नहीं है जिसके लिए उसने उपर्युक्त रूप में वचनबद्ध किया है तो उस दशा में कम्पनी संबंधित संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात या मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात, नई दिल्ली द्वारा अनुदेश दिए जाने पर राज्य व्यापार निगम या ऐसे अन्य अभिकरण को जिसे सरकार **(जिसके अंतर्गत आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक भी हैं)** नाम निर्देशित करे (जिसे इसमें आगे अभिकरण **कहा** गया है) **अनुबंधित निर्यात** बाध्यता और निर्यात किए जाने **वाले उत्पादों के** पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के अनुसार **वास्तविक निर्यात के बीच** का अन्तर अभिकरण द्वारा ऐसी कीमत पर **निर्यात किए जाने** के लिए सौंप देगी, जो विदेशों में प्राप्त **कर सकती** है। **इसके** अतिरिक्त कम्पनी **इसके** साथ ही------रु. की **रकम** का (जो निर्यात आभार के 5 प्रतिशत के बराबर किन्तु 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी) भुगतान अभिकरण को 'परिनिर्धा-रित नुकसानी'' के रूप में करेगी। **अभिकरण** (उपर्युक्त उत्पादों के निर्यात और उसके विक्रय आगम की वसूली के पश्चात् यथासंभव शीघ्र कम्पनी को ऐसे निर्यात पर अभिकरण द्वारा उपार्जित शुद्ध विदेशी मुद्रा के समतुल्य रुपए, इसमें से ऐसे व्यय (जिसके अन्तर्गत अभिकरण का सामान्य कमीशन भी है) काट कर देगा जो अभिकरण ने किए है।

5. अनुबंधित निर्यात आभार और वास्तविक निर्यात, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, के बीच के अन्तर प्रतिरूपित करने वाले पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का तथा "परिनिर्धारित नुकसानी" के रूप में निर्यात बाध्यता के 5 प्रतिशत को प्रति-रूपित करने वाली रकम का भी अवधारण संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात या मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

द्वारा किया जाएगा और उक्त प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम और कम्पनी पर बाध्यकर होगा। मूल्य का अवधारण करते समय उक्त प्राधिकारी यदि आवश्यक समझे तो कम्पनी को ऐसा साक्ष्य पेश करने का अवसर दे सकेगा जो वह (कम्पनी) इस प्रयोजन के लिए मूल्य के अवधारण के समर्थन में दे सकती है।

6. यदि कम्पनी अपने उन निर्यात आभारों की पूर्ति करने में असफल रहती है जिनके लिए उसने उपर्युक्त रूप में वचनबद्ध किया है तो केवल उस दिशा को छोड़कर जिसमें ऐसे आभारों की पूर्ति सरकार की किसी विधि, आदेश, उद्घोषणा, विनियम या अध्यादेश के कारण नहीं हो पाई थी या विलम्ब से हो पाई थी, सरकार को यह स्वतंत्रता होगी कि वह इसके खंडों के अनुसार परिनिर्धारित नुकसानी वसूल करने के अतिरिक्त, यथास्थिति, कम्पनी द्वारा उत्पादित माल का या आयातित कच्चे माल का कब्जा ले और ऐसी रीति में और कीमत पर जो सरकार विनिश्चित करे, व्ययन/वितरण करने के लिए अन्य ऐसी कार्रवाई करे जो वह आवश्यक समझे। सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किया गया आदेश अन्तिम और बाध्यकर होगा और कम्पनी ऐसे आदेश का अशर्त पालन करने के लिए वचनबद्ध करती है। इस दस्तावेज या इसके अधीन निष्पादित किसी अन्य दस्तावेज पर यदि कोई स्टाम्प शुल्क संदेय है तो वह कम्पनी देगी।

इसके साक्ष्यस्वरूप इस पर------------------की सामान्य मुद्रा लगा दी गई है और भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से श्री ------------------ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

इस पर उक्त कम्पनी की सामान्य मुद्रा-----------

(i) श्री ..------------ (i) हस्ताक्षर------------------

निदेशक, (निवास स्थान का पता)

(ii) श्री------------------ (ii) हस्ताक्षर------------------

निदेशक (निवास स्थान का पता)

की उपस्थिति में लगाई गई है जिन्हें------------------------------ कम्पनी की तारीख------------------------को हुई बैठक में पारित निदेशक बोर्ड के एक संकल्प द्वारा इस प्रयोजन के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया है और जिन्होंने------------------

----

1. ------------------ (नाम, पदनाम और पता)

2.------------------ (नाम, पदनाम और पता)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

श्री------------------ने

1. ------------------ (नाम, पदनाम और पता)

2. ------------------ (नाम, पदनाम और पता)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

परिशिष्ट 23

बन्धपत्र का नमूना

यदि आयातकर्ता/प्रतिभू व्यवसाय का एकमात्र स्वत्वधारी है तो अपना नाम और पता देने के पश्चात् "उसके वारिस, निष्पादक और प्रशासक" शब्द जोड़े जाएं	यह सबको ज्ञात हो कि हम (1) . . . . .का. . . . . (जिसे इसमें आगे "आयातकर्ता" कहा गया है) जिसके अन्तर्गत उसके/उनके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे और (2)
यदि आयातकर्ता/प्रतिभू भागीदारी फर्म है तो "उक्त फर्म के तत्समय भागीदार और फर्म के उत्तराधिकारी और उनके अपने वारिस, निष्पादक और प्रशासक" शब्द जोड़े जाएं।	(जिसे इसमें आगे "प्रतिभू" कहा गया है) जिसके अंतर्गत, जब तक कि संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध न हो, इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी हैं, संयुक्त और पृथकतः भारत के राष्ट्रपति के प्रति जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है. . . . . .रु० का भुगतान उक्त सरकार या उसके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती को करने के लिए वचनबद्ध हैं और दृढ़तापूर्वक आबद्ध है। यह भुगतान करने के लिए, हम और हममें से प्रत्येक स्वयं को अपने अपने प्रत्येक वारिस, निष्पादक प्रशासक, उत्तराधिकारी और समनुदेशिती को (जो शब्द लागू न हो उसे काट दें) आज तारीख. . . . . .के
यदि आयातकर्ता/प्रतिभू लिमिटेड कम्पनी है तो उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती को भी जोड़ा जाए।	इस विलेख द्वारा संयुक्त और पृथकतः आबद्ध करते हैं। संयुक्त-मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात ने (जिसे इसमें आगे संयुक्त-मुख्य नियंत्रक कहा गया, है और इसके अन्तर्गत उस समय उक्त संयुक्त-मुख्य नियंत्रक के कृत्यों का निर्वहन करने वाला कोई व्यक्ति भी है) इसमें आगे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल (जिसे इसमें आगे "आयातित माल" कहा गया है) को लाइसेन्स सं० ता०. . के अधीन . . . . पत्तन पर कतिपय शर्तों और निर्बंधनों पर आयात करने और उसकी निकासी करने की अनुमति दे दी है।

एक निर्बंधन यह है कि आयातकर्ता इसमें पूर्व लिखित रीति में पर्याप्त प्रतिभू सहित एक बंधपत्र उन शर्तों के साथ निष्पादित करेगा जो इसमें आगे दी गई हैं।

ऊपर लिखित बंधपत्र की शर्तें इस प्रकार हैं अर्थात प्रथमतः, यदि उक्त आयातकर्ता तारीख . . . . से छह मास अथवा उक्त आयात और निर्यात के संयुक्त-मुख्य नियंत्रक . . . . . द्वारा दिए गए अतिरिक्त समय के भीतर, आयातित माल के लागत-बीमा-भाड़ा सहित मूल्य के बराबर मूल्य का माल नेपाल तिब्बत और भूटान को छोड़कर, विदेशों को निर्यात करेगा।

द्वितीय यदि उक्त आयातकर्ताओं और/या उनके प्रतिभू उपर्युक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से एक मास के भीतर यह साबित करने के लिए साक्ष्य प्राप्त करेगा और संयुक्त-मुख्य नियंत्रक को परिदत्त करेगा या पेश और परिदत्त करवाएगा कि आयातित माल के लागत-बीमा-भाड़ा सहित मूल्य के . . . . प्रतिशत के बराबर मूल्य का उक्त. . . का पूर्वोक्त रूप से निर्यात कर दिया गया है और इसके अतिरिक्त वहन पत्र, बीजक, बैंक प्रमाणपत्र आदि जैसे साक्ष्य भी पेश करेगा या कराएगा जिससे यह दर्शित होता है कि इस प्रकार निर्यात किए गए माल के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के संदाय के रूप में प्राप्त विदेशी मुद्रा के समतुल्य रुपए उपरोक्त लाइसेंसों के मद्दे आयातित माल के लागत-बीमा-भाड़ा सहित मूल्य के. . . . . . प्रतिशत से कम नहीं है तो ऊपर लिखित बंध पत्र शून्य और निष्प्रभाव हो जाएगा अन्यथा यह बंधपत्र पूर्णतः प्रवृत्त और बलशील रहेगा। इसके द्वारा यह घोषणा की जाती है कि :—

(क) उक्त बंधपत्र, उस आयातित माल के आयात की तारीख से . . . . वर्ष की अवधि के लिए पूर्णतः प्रवृत्त और प्रभावी रहेगा।

(ख) आयात कर्ता के विरुद्ध उपर्युक्त बन्धपत्र की शर्तों को लागू करने में किसी प्रकार के स्थगन कार्य या सरकार की तरफ से कोई भूल हो जाने से या सरकार द्वारा आयातकर्ताओं को इसके संबंध में किसी प्रकार का समय मंजूर किए जाने से या किसी प्रकार की उदारता बरती जाने से प्रतिभू उन्मोचित नहीं होगा।

(ग) बंधपत्र केन्द्रीय सरकार के आदेश में ऐसा कार्य करने के लिए निष्पादित किया गया है जिसमें जन हितबद्ध है।

(घ) बंधपत्र की रकम के भुगतान से आयातकर्ताओं को ऐसी किसी अन्य कार्रवाई के लिए (जिसके अंतर्गत और आगे लाइसेंस दिए जाने से इंकार किया जाना भी है) दायित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जो आयात-व्यापार नियंत्रण, विनियमों के अधीन की जाएं।

यह करार हुआ है कि इस बंधपत्र पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क का संदाय सरकार करेगी।

ऊपर निर्दिष्ट आयातित माल की अनुसूची

इसके साक्ष्य स्वरूप ऊपर सर्वप्रथम लिखी तारीख को •इस विलेख के पक्षकारों ने इसे सम्यक रूप से निष्पादित किया।

*उक्त आयातकर्त्ता . . . . ने

1

2

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए, मुद्रा लगाई और परिदान किया।

उक्त प्रतिभू. . . . . ने*

1

2

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए, मुद्रा लगाई और परिदान किया।

(साक्षियों को चाहिए कि वे उपजीविका और पता भी लिखें)

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

परिशिष्ट—24

आयात नीति का पैरा-44

बन्धपत्र प्ररूप

यह सब को ज्ञात हो कि हम (1)..............जो .... का हूं/के हैं (जिसे/जिन्हें इसमें आगे "लाइसेंसधारी" कहा गया है) और इसके अन्तर्गत मेरे/हमारे उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी हैं और (2) .... जो ...... का है (जिसे इसमें आगे "प्रतिभू" कहा गया है और इसके अन्तर्गत जब तक कि सन्दर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध न हो, इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी हैं) भारत के राष्ट्रपति के प्रति जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है .... की रकम का सरकार को या उसके उत्तराधिकारियों और समनुदेशितियों को भुगतान करने के लिए वचनबद्ध और दृढ़तापूर्वक आबद्ध हैं। इसका भुगतान करने के लिए हम स्वयं को और अपने प्रत्येक वारिस, निष्पादक, प्रशासक, उत्तराधिकारी तथा समनुदेशिती को (जो शब्द लागू न हों उसे काट दें) आज तारीख ... .के इस विलेख द्वारा संयुक्ततः और पृथकतः आबद्ध करते हैं।

(3) आयात और निर्यात के संयुक्त/उप मुख्य नियंत्रक ने (जिसे इसमें आगे संयुक्त मुख्य नियंत्रक कहा गया है और इसके अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है जो उक्त संयुक्त/उप मुख्य नियंत्रक के कृत्यों का तत्समय निर्वहन कर रहा है) इसमें आगे की गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट .... रु. की आयात लाइसेंस सं. .... रु. निर्मुक्ति आदेश सं. .... ता. - -- - -- लाइसेंस (निर्मुक्ति आदेश कहा गया है) कुछ निबन्धनों और शर्तों पर मंजूर किया है।

(4) एक निबन्धन में यह है कि लाइसेंसधारी इसमें इसके पूर्व लिखित रीति में एक बन्धपत्र, एक पर्याप्त प्रतिभू सहित और उन शर्तों के साथ जो इसमें आगे दी हुई हैं, निष्पादित करेगा।

(5) उक्त बन्धपत्र की शर्तें इस प्रकार हैं, अर्थात, प्रथमतः यदि उक्त लाइसेंसधारी, लाइसेंस निर्मुक्ति आदेश जारी किए जाने की तारीख से 18 मास के भीतर अथवा उक्त संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात/उप मुख्य नियंत्रक द्वारा दिए गए अतिरिक्त समय के भीतर अपने कारखाने में उक्त लाइसेंस/निर्मुक्ति आदेश के अधीन प्राप्त आयातित सामग्री का उचित उपयोग उस प्रयोजन के लिए करेगा जिसके लिए उसकी अनुज्ञा दी गई थी, दूसरी बात यह है कि यदि लाइसेंसधारी और/या उनका जमानती यह साबित करने के लिए कि उक्त अनुज्ञप्ति/निर्मुक्त आदेश के मद्दे प्राप्त की गई आयातित सामग्री का उसके/उनके कारखाने में उसी प्रयोजन के लिए उचित रूप से उपयोग किया गया है जिसके लिए उसकी अनुज्ञा दी गई थी, साक्ष्य, जैसे कि प्रयोजक प्राधिकारी अर्थात उद्योग निदेशक,------------------ औषधि नियंत्रक,--------------------का प्रमाणपत्र, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाणपत्र तथा अन्य दस्तावेज जो इस प्रयोजन के लिए सुसंगत हैं और जिनकी उक्त आयात और निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक द्वारा अपेक्षा की जाए, प्राप्त करेगा तथा आयात और निर्यात के संयुक्त/उप मुख्य नियंत्रक को परिदत्त करेगा या पेश और परिदत्त करवाएगा तो उक्त बन्धपत्र शून्य और निष्प्रभाव हो जाएगा/अन्यथा यह बन्धपत्र प्रवृत्त रहेगा और इसके द्वारा यह घोषणा की जाती है कि:

(क) उक्त बन्धपत्र, लाइसेंस/निर्मुक्त आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पूर्णतः प्रवृत्त और प्रभावी रहेगा।

(ख) सरकार की ओर से आयातकर्ता के विरुद्ध उपर्युक्त बन्धपत्र की शर्तों को लागू करने में किसी प्रतिरति कार्य या लोप या सरकार द्वारा लाइसेंसधारी को उसके सम्बन्ध में मंजूर किए गए किसी समय या बरती गई किसी उदारता के कारण प्रतिभू उन्मोचित नहीं होगा।

(ग) यह बन्धपत्र, केन्द्रीय सरकार के आदेश से ऐसा कार्य करने के लिए निष्पादित किया गया है जिसमें जनहितबद्ध है।

(घ) बन्धपत्र की रकम के भुगतान से, लाइसेंसधारी की ऐसी किसी अन्य कार्रवाई के लिए (जिसके अन्तर्गत और आगे अनुज्ञप्तियां दी जाने से इंकार किया जाना भी है) दायित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जो आयात व्यापार नियंत्रण विनियमनों के अधीन की जाए।

यह करार हुआ है कि इस बंधपत्र पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क का भुगतान सरकार करेगी।

ऊपर निर्दिष्ट आयात लाइसेंस निर्मुक्ति आदेश की अनुसूची:

इसके साक्ष्यस्वरूप ऊपर सर्वप्रथम लिखी तारीख को इस विलेख के पक्षकारों ने इसे सम्यक् रूप से निष्पादित किया।

उक्त आयातकर्ता,-------------------ने

1.
2.

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए, मुद्रा लगाई और परिदान किया।

साक्षियों को चाहिए कि वे अपनी उप जीविका और पता भी लिखें।

उक्त प्रतिभू .... ने

1.
2.

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए, मुद्रा लगाई और परिदान किया। (साक्षियों को चाहिए कि वे अपनी उपजीविका और पता भी लिखें)

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

परिशिष्ट--25

प्रतिबंधित माल की निकासी के लिए बंधपत्र का प्रपत्र

यह सबको ज्ञात हो कि सीमाशुल्क कलक्टर - - - - - - ने जिसे इसमें आगे 'उक्त कलक्टर' कहा गया है और इसके अंतर्गत सीमा शुल्क कलक्टर, - - - - - - - - - के कर्तव्यों का तत्समय निर्वहन करने वाला व्यक्ति भी है इसमें आगे लिखी अनुसूची में वर्णित माल की निकासी की अनुज्ञा दे दी है। अतः हम (1) - - - - - (आयातकर्ता) (2) - - - - - - - (प्रतिभू) भारत के राष्ट्रपति के प्रति - - - - - - - - - - रुपये की रकम का, तत्समय उक्त कलक्टर को नीचे लिखी शर्तों के अधीन रहते हुए संदाय करने के लिए स्वयं को और अपने में से प्रत्येक को तथा अपने अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और विधि प्रतिनिधियों को संयुक्ततः और पृथकतः आबद्ध करते हैं:--

उक्त बन्धपत्र की शर्त यह है कि यदि उक्त (1) - - - - - (आयातकर्ता), इनके वारिस और प्रतिनिधि इस बन्धपत्र की तारीख से एक मास के भीतर उक्त कलक्टर को अनुसूची में उल्लिखित आयात अनुज्ञप्ति का जिसके अन्तर्गत अनुसूची में उल्लिखित माल भी आता है, परिदान कर देगा या परिदान करा देगा अथवा यदि उक्त - - - - - - -(आयातकर्ता), उनके वारिस या प्रतिनिधि या उनमें से कोई कलक्टर द्वारा मांग की जाने पर ऐसी अनुज्ञप्ति के परिदान के स्थान पर भारत के राष्ट्रपति की ओर से उसे - - - - - - रु. की रकम का संदाय करेंगे या करायेंगे तो उक्त लिखित बन्धपत्र शून्य और प्रभावहीन हो जाएगा अन्यथा वह बन्धपत्र पूर्णतः प्रवृत्त और बल-शील रहेगा, तथा इसके द्वारा यह घोषणा की जाती है कि :----

(क) भारत के राष्ट्रपति या किसी अन्य अधिकारी की ओर से कोई प्रवृति उक्त प्रतिभू, उसके वारिसों या प्रतिनिधियों को उक्त लिखित बन्धपत्र के अधीन उसके या उनके दायित्व से किसी प्रकार उन्मोचित नहीं करेगी; और

(ख) यह बन्धपत्र केन्द्रीय सरकार के आदेश से ऐसा कार्य करने के लिए निष्पादित किया गया है जिसमें जन हितबद्ध है ।

निकासी किए गए माल की अनुसूची

संख्या दिनांक	माल का विवरण	मात्रा	उद्गम देश	पोत भरण पत्तन	माल का मूल्य

(1) (आयातकर्ता) (2) (प्रतिभू)

उपरिनामित व्यक्तियों ने निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए, मुहर लगाई और परिदान किया

साक्षी - - - - - - - - - - - - - - - - -

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

हस्ताक्षर

सहायक सीमाशुल्क कलक्टर

ने स्वीकार किया।

प्रत्याभूति पत्र का प्रपत्र

सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा हम - - - - - - - - - - - - (आयातकर्ताओं) को नीचे उल्लिखित मूल आयात-लाइसेंस प्रस्तुत किए बिना निम्नलिखित माल की निकासी की अनुज्ञा दिए जाने के प्रतिफलस्वरूप, हम इसके द्वारा यह वचनबद्ध करते हैं कि हम आज की तारीख से एक मास के भीतर उक्त मूल अनुज्ञप्ति पेश कर देंगे जो हम लोगों को सरकार पहले ही मंजूर कर चुकी है और जिसके अन्तर्गत अन्य माल के साथ हम लोगों द्वारा आयातित निम्नलिखित माल भी है और उसकी लाइसेंस सं. - - - - - - - - - - - -तारीख - - - . . . है तो पुनर्विधिमान्यकरण/उक्त अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत आने वाले अन्य माल की निकासी के लिए मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात नई दिल्ली/सीमा शुल्क कलक्टर- - - - - - - - -को भेजी गई है।

प्रविष्टि बिल संख्या और तारीख	माल का वर्णन	प्रदायकर्ता का नाम	मात्रा
उद्गमदेश	पोत भरण पत्तन और दिनांक	माल का मूल्य	

यदि हम ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जैसी कि सीमाशुल्क कलक्टर - - - - --- अपने स्वविवेकानुसार अनुज्ञात करें (और इस संबंध में समय, व्यवस्था का सार होगा), मूल अनुज्ञप्ति पेश करने में असफल रहते हैं तो हम - - - - - - - (आयातकर्ता) इसके द्वारा यह करार करते हैं कि जब भी हमसे ऐसा करने को कहा जाएगा, हम - - - - - - - -रु. की रकम और उसके साथ उस जुर्माने का जो उल्लिखित माल की बाबत सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा हम पर अधिरोपित किया जाए राष्ट्रपति को भुगतान करेंगे। हम और - - - - - -(प्रतभू) भारत के राष्ट्रपति को - - - - - - - - - - रु. की उक्त रकम और पूर्वोक्त रूप में अधिरोपित किए जाने वाले उक्त जुर्माने का सम्यक रूप से भुगतान करने की प्रत्याभूति देते हैं ।

यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि :--

(क) भारत के राष्ट्रपति या सरकार के किसी अन्य अधिकारी की ओर से किसी प्रवृति या आयात-कर्ता के प्रति उदारता से उक्त प्रतिभू, उनके वारिस या उत्तराधिकारी या विधिक प्रतिनिधि इस करार के अधीन अपने दायित्वों से किसी प्रकार उन्मोचित नहीं होंगे; और

(ख) यह करार केन्द्रीय सरकार के आदेश से ऐसा कार्य करने के लिए किया गया है जिसमें जन हितबद्ध है ।

आयातकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख-------- प्रतिभू के हस्ताक्षर

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से स्वीकृत किया गया।

सहायक सीमाशुल्क कलक्टर

परिशिष्ट--26

सुस्थापित निर्यातकर्ता के कारोबार के स्वामित्व/गठन में परिवर्तन के बारे में लाइसेंस प्राधिकारी को सूचना ।

1. कारोबार का नाम
2. पता
3. यदि कोई शाखाएं हैं तो उनका नाम और पता
4. कारोबार के स्वामित्व/गठन में परिवर्तन का स्वरूप
5. परिवर्तन किस तारीख से हुआ--
6. (क) क्या मूल स्वामीत्व
   (1) एक व्यक्ति
   (2) भागीदारी
   (3) अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब का कर्ता
   (4) लिमिटेड कम्पनी
   (5) कोई अन्य संघ या व्यक्तियों का निकाय है।

(ख) उपर्युक्त (1), (3) और (5) की दशा में व्यक्तियों के नाम, उपर्युक्त (2) की दशा में भागीदारों के नाम और उपर्युक्त (4) की दशा में निदेशकों के नाम

7. (क) क्या नया स्वामित्व
   (1) एक व्यक्ति
   (2) भागीदारी
   (3) अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब का कर्ता
   (4) लिमिटेड कम्पनी
   (5) कोई अन्य संघ या व्यक्तियों का निकाय

   (ख) उपर्युक्त (1), (3) और (5) की दशा में व्यक्ति का नाम, उपर्युक्त (2) की दशा में भागीदारों के नाम और उपर्युक्त (4) की दशा में निदेशकों के नाम।

घोषणा

मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि जैसा कि ऊपर बताया गया है, सर्वश्री - - - - - -के नाम से किए जा रहे कारोबार के स्वामित्व/गठन में परिवर्तन हो गया है । कारोबार के नाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैंने/हमने नए स्वामी/पुनर्गठित निकाय होने के कारण मूल निकाय का सारा कोटा प्राप्त कर लिया है। हमारा मामला पूर्ण रूप से आयात-निर्यात क्रियाविधि हैंडबुक 1983-84 के पैरा - - -- के अन्तर्गत आता है, जिसे हमने ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है।

मैं/हम एतद् द्वारा यह भी घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने आयात-निर्यात क्रियाविधि पुस्तिका, 1983-84 के पैरा---------के अनुसार उसी या उसके समान मदों की बाबत कोटा के परिकलन के लिए सामान्य आधारिक वर्ष चुन लिया है।

मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त कथन मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और मैं/हम यह बात पूरी तौर से समझता हूं/समझते हैं कि यदि यह पाया जाता है कि उपर्युक्त कथन में से कोई कथन या उसके तथ्य असत्य या मिथ्या हैं तो ऐसे किसी अन्य जुर्माने के जो सरकार अधिरोपित करे या किसी अन्य कार्रवाई के जो मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए की जाए के अतिरिक्त ऐसा लाइसेंस जिसका मैंने/हमने उपर्युक्त कथन के आधार पर दावा किया है या जो मुझे/हमें उस आधार पर मंजूर किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

हस्ताक्षर . . . .
नाम (स्पष्ट अक्षरों में) . . . . . .
पूरा पता . . . .

टिप्पणी :- (1) इस घोषणा पर उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए जो यथास्थिति, नए स्वामी या पुनर्गठन समुत्थान की ओर से घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत है। हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह स्पष्ट रूप से बताए कि कारोबार में उसकी स्थिति क्या है।

(2) घोषणा का अनुप्रमाणन किसी नोटरीपब्लिक शपथ आयुक्त/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना चाहिए।

परिशिष्ट—27

बैंक द्वारा वित्तयुक्त किए गए व्यापार सौदों की निकासी के लिए सार्वजनिक सूचना

वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 60-आयात व्यापार नियंत्रण (पी. एन.)/50, तारीख 21-7-1950 की प्रति

विषय :— लाइसेंसधारियों द्वारा पक्के साख पत्रों के अधीन आधारित बिलों का भुगतान न करने पर भारत में विनिमय बैंक द्वारा वित्त पोषित माल की निकासी।

कुछ बैंक संघों ने यह प्रतिवेदन किया है कि यदि अदाकर्ता पक्के अपरिवर्तनीय साखपत्र के अन्तर्गत किए गए समझौते को पूरा न करें, तो बैंक को साख पत्र के अधीन अदायगी के लिए विदेशी मुद्रा प्रेषित करने के अपने वचन को पूरा करना पड़ता है किन्तु उसके अपने नाम में कोई वैध आयात लाइसेंस न होने के कारण वह सीमा शुल्क कार्यालय से माल छुड़ा नहीं पाता है।

2. इस कठिनाई से बचने के लिए यह निर्णय किया गया है कि इसके बाद सभी लाइसेंस निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी किए जायेंगे और ये शर्तें लाइसेंस पर पृष्ठांकित होंगी "इस लाइसेंस की यह शर्त होगी कि जिन मामलों में लाइसेंस में शामिल सामान के आयात का वित्त पोषण करने के लिए लाइसेंसधारी द्वारा अपरिवर्तनीय साख पत्र खोला गया हो उनमें विदेशी मुद्रा का लेन देन करने वाले उस प्राधिकृत व्यापारी जिसके माध्यम से साख पत्र खोला गया हो, को उस लाइसेंस का संयुक्त लाइसेंसधारी माना जाएगा, किन्तु उसे सामान की उतनी मात्रा के लिए ही संयुक्त लाइसेंसधारी समझा जाएगा, जो साख पत्र में शामिल हो।

3. लाइसेंस पर पृष्ठांकन करने का प्रभाव यह होगा कि यदि वैध आयात लाइसेंस के आधार पर साख पत्र खोलने पर और सामान पहुंच जाने पर लाइसेंसधारी साख पत्र के आधार पर बिलों का भुगतान न करें तो जिस बैंक ने साख पत्र खोला है, वह फिर भी सीमाशुल्क कार्यालय से सामान छुड़ा सकेगा और उन विदेशी पूर्तिकर्ताओं को विदेशी मुद्रा भी भेज सकेगा, जिनके नाम में उस सामान के मूल्य की राशि को सम्बन्धित लाइसेंस के नामे डालकर साख पत्र खोला गया था।

4. इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यविधि तत्काल अपनाई जाएगी :—

(1) ऐसे मामलों में सामान की निकासी करने वाले बैंक सीमा शुल्क कार्यालय को इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे कि सामान का आयात कर लिया गया है और वैध आयात लाइसेंस और पक्के अपरिवर्तनीय साख पत्र के प्राधिकार के अधीन बैंकों या उनके एजेंटों ने विदेशी मुद्रा प्रेषित कर दी है।

(2) वे लाइसेंस की विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रति भी प्रस्तुत करेंगे और यदि यह उपलब्ध न हो, तो वे लाइसेंस और लाइसेंसधारी का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(3) सामान की निकासी के समय, सामान के मूल्य की धनराशि की प्रविष्टि सीमा शुल्क कार्यालय द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर में की जाएगी और उसमें इस बात का भी उल्लेख किया जाएगा कि माल की निकासी बैंकों द्वारा की गई है। यदि मूल लाइसेंसधारी आयात लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रति बाद में और जैसे ही प्रस्तुत करता है, तो यह वस्तु स्थिति तत्काल अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगी कि कुछ ऐसा सामान भी पहले ही छुड़ा लिया गया है जो लाइसेंस में शामिल है और तब सीमा शुल्क कार्यालय उस सामान की राशि को लाइसेंस के नामे डाल देगा।

(4) यह सुनिश्चित करने के लिए कि आयात लाइसेंस की सीमा शुल्क निकासी की प्रति का उपयोग किसी अन्य पत्तन पर न किया जाए, सीमा शुल्क कार्यालय बैंकों द्वारा सामान की निकासी के लिए दी गई स्वीकृति की सूचना अन्य पत्तनों को देगा और साथ-साथ ऐसे शेष सामान की सूची भी भेजेगा, जिसके लिए लाइसेंस वैध है।

परिशिष्ट 28

पिछड़े क्षेत्रों की सूची

1. **आन्ध्र प्रदेश**

श्री काकुलम जिला और 5 ''क्षेत्र'' :
22 ब्लाक्स को शामिल करते हुए रायसीना प्रदेश से 2 ''क्षेत्र''

क्षेत्र-1, 13 ब्लाक्स को शामिल करके अर्थात् चित्तूर*, बंगारूपलम*, पुलिचेरला*, पसूर*, चन्द्रगिरि और कलाहस्थी* (चित्तूर जिले से) और कोटूर राजमपेट सिद्धोत, कुड्डापाह, कमलापुरम, प्रदाटूर और पुलीवेंडला (कुड्डापाह जिले से)।

क्षेत्र-2, 9 ब्लाकों को शामिल करके अर्थात् ताडपत्री, सिंगानामाला, गुटी कुडायर* (अनन्तपुर जिले से) और धोन, करनूल, बंगानापल्ली* नन्दयाल* और गिद्दालूर* (करनूल जिले से)।

43 ब्लाकों को शामिल करते हुए तेलंगाना प्रदेश से 3 ''क्षेत्र''

क्षेत्र-1, 14 ब्लाकों को शामिल करके अर्थात् महबूब नगर,* कोडंगल,* शादनगरकल्वाकुरथी और अमंगल (महबूब नगर जिले से) और नालगोंडा, मंगडी, नाक्रेकल, सूर्यपट्ट कोडाड*, कंजरनगर*, मीरयालागुडा*, पेडाबोरा* और देवाराकोंडा* (नालगोंडा जिले से)

क्षेत्र-2, 14 ब्लाकों को शामिल करके अर्थात् खमाम, थीरूमलाईपलम, कल्लूर*, यलान्डू*, कोथागुदम, अश्वरावपेटा,* बूरागमपड* और भद्राचलम* (कमाम जिले से) और महबूबाबाद, नरसमपेट, हनामकोन्डा धानापुर*, जानगांव* और मुलुग* (वारंगल जिले से)
क्षेत्र-3, 15 ब्लाकों को शामिल करके अर्थात् जहिराबाद*, पटनचेरूव*, नार्सापुर*, मेडक* और सिद्दीपेट (मेडक जिले से) येडापल्ली*, निजामबाद,* कामरेड्डी* और डोमाकोन्डा* (निजामाबाद जिले से) और सिरसिला,* करीमनगर, सुल्तानाबाद, पेड्डापली, मानथानी* और हुजूराबाद (करीम नगर जिले से)

2. **असम**

गोलपाडा, विकीर पहाड़ी, कामरूप,* नवगोंग,* कच्छार और नया लखीमपुर* जिले, उत्तर कच्छार पहाड़ियां

3. **बिहार**

भागलपुर, दरभंगा*, चम्पारन*, पालामऊ*, सहरसा* और सन्थाल परगना* जिले, पूर्णिया, औरंगाबाद, भोजपुर और नालंदा, हजारिया

4. **गुजरात**

पंचमहल, बड़ौच* और सुरेन्द्रनगर* जिले, डंग

5. **हरियाणा**

पुनर्गठित महेन्द्रगढ़ जिला (महेन्द्रगढ़ और रिवाड़ी* उप-डिवीजनों को शामिल करके), भिवानी जिला (भिवानी और दादरी* @उप मण्डल को शामिल करके) और 8 ब्लाकों को शामिल करके एक क्षेत्र अर्थात् हिसार ब्लाक नम्बर 1 और ब्लाक बरवाला (हिसार तहसील का) हांसी ब्लाक नं. 1 (हांसी तहसील से) बहुना ब्लाक, (फतेहबाद तहसील से, टोहाना ब्लाक/तहसील (टोहाना तहसील से) --हिसार जिले से-जींद ब्लाक और जुलाना ब्लाक (जींद तहसील से) उचाना ब्लाक (नरवाणा तहसील) जींद जिले से

6. **हिमाचल प्रदेश**

@कांगड़ा, चम्बा,* कुल्लू,* सिरमौर,* और सोलन* जिला लाहुल और स्पिति, किन्नौर

7. **जम्मू और काश्मीर**

जम्मू, श्रीनगर, अनन्त नाग,* डोडा,* बारामूला,* और पुंछ कुपवारा, लद्दाख, फुलवामा, उधमपुर और राजौरी

8. **कर्नाटक**

रायचूर, मैसूर* धारवाड और बिहार जिले

9. **केरल**

अल्लैपी, कन्नौर* और मालापुरम* जिले

10. **मध्य प्रदेश**

6 ''क्षेत्र''

क्षेत्र 1--(पूर्वी प्रदेश से) 12 ब्लाकों सहित अर्थात् कोरबा, बालोड, चम्पा, कोटा, मस्तूरी और भिल्हा (बिलासपुर) ब्लाक (बिलासपुर जिले में) भाटापाड़ा, सिमगा, टील्डा, धारसिबा (रायपुर) अभानपुर और राजीम ब्लाक (रायपुर जिले से)

क्षेत्र 2--(पश्चिमी प्रदेश से) 10 ब्लाकों सहित अर्थात् देवास और टोंक खुराद ब्लाक (देवास जिले से) गुलाना, शुजालपुर और शुजापुर ब्लाक (शुजापुर जिले से) पंचोर या सारंगपुर) और बिओरा ब्लाक (राजगढ़ जिले से) चाचौरा, राघोगढ़ और गुना ब्लाक (गुना (जिले से)

क्षेत्र 3*--(उत्तरी प्रदेश से) 9 ब्लाकों को शामिल करके अर्थात् शिवपुरी और करेरा (शिवपुरी जिले से) दतिया और सेंधा (दतिया जिले से) भिंड, मेहगांव और गोहाड (भिंड जिले से) और मुरेना और जौरा मुरेना जिले से)

क्षेत्र 4*--(केन्द्रीय प्रदेश से) 11 ब्लाकों को शामिल करके, बीना, इटावा, खुरी और बांदा (बिनायका) राहतगढ़, सागर, शाहगढ़ (अम्बरमाऊ) (सागर जिले से) टीकमगढ़ और बलदेवगढ़ (टीकमगढ़ जिले से), विदिशा और ग्यारसपुर (विदिशा जिले से) और छतरपुर (छत्तरपुर जिले से)

क्षेत्र 5*--(पश्चिमी प्रदेश-2) 12 ब्लाकों को शामिल करके अर्थात् पेटलावाड और मेघनगर (झाबुआ जिले से) बदनावार, धार और नालछा (धार जिले से) महेश्वर और बरवाह (खरगोन जिले से) रतलाम और जोरा (रतलाम जिले से) मन्दसौर, मल्हार गढ और नीमच (मन्दसौर जिले से)

क्षेत्र 6*--(उत्तरी पूर्वी प्रदेश से. 11 ब्लाकों को

शामिल करके अर्थात् रीवा और रायपुर (गढ़) (रीवा जिले से), मझोली, सिधी, दूसार और बैधान (सिधी जिले से) सोनहाट, बैयकुंठपुर, महेन्द्रगढ़, सूरजपुर और अम्बिका (सारगुजा जिले से) चिन्दवारा बालाघाट, सिओनी, नरसिंहपुर पन्ना, माण्डला, सरगुजा और दामोह जिले, राजगढ़

11. **मणिपुर**

सभी 5 जिले।

12. **मेघालय**

पूर्वी गारो पहाड़ियां, (पश्चिमी गारो पहाड़ियां और जैनतिया पहाड़ियां)

13. **महाराष्ट्र**

रत्नगिरी, औरंगाबाद* और चन्द्रपुर* जिले

14. **नागालैण्ड**

कोहिमा, मोकोकचुंग, तुएनसांग* जिले

15. **उड़ीसा**

कालाहांडी, मयूरभंज, बोलंगीर*, धनकानल*, क्योंझर और कोरापुर* बालासोर और फुलबानी जिले

16. **पंजाब**

होशियारपुर, संगरूर* और भटिंडा* जिले

17. **राजस्थान**

अलवर जोधपुर-सिरोही, भीलवाड़ा*, चूरू*, नागौर* बांसवारा, सिन्हा सिकार, जैसलमेर और उदयपुर* जिले

18. **सिक्किम**

गंगतोक*, मानगन*, ग्यालशिंग* और नामची* जिले

19. **तमिलनाडू**

तीन क्षेत्र/ट्रैक्टस जिसमें 33 ताल्लुक हैं।

क्षेत्र-1 12 ताल्लुकों को मिलाकर (जिसमें उप-ताल्लुक भी शामिल हैं) अर्थात् रामानाथपुरम मधुकुलाथुर, सिवा-गंगा, परमाकुडी, थिरू-वाडनी, करायकुडी और थिरूपाथुर ताल्लुक (रामानाथपुरम जिले से) मेलूर ताल्लुक, (मदुरा जिले से) पुडुकोटई, थिरूमायम, आलमगुली और कुलाथूर ताल्लुकों (पुडुकोटई जिले से)

क्षेत्र-2 11 ताल्लुकों सहित अर्थात् धर्मपुरी, पालाकोड होसूर, डेनकुईकोटाह, कृष्णगिरी, उथाम-गड़िया, हरूर (धर्मपुरी जिले से) थिरूपटटूर, वनियामबाडी, वेलूर और वालजापेट (नार्थ आर-काट जिले से)

क्षेत्र-3* 10 ताल्लुकों को शामिल करके अर्थात् अरूपकोटाई, विरूधनगर, सत्तूर, श्रीविलापटटूर, राज-पलायम (रामानाथपुरम जिले के पश्चिमी राम-नाथपुरम जिले से) तिरुमनगारलम, उसीलाम-पट्टी, नीलाकोटाई, डिंडिगुल और वदासेन्दूर (मदुराई जिले से)

20. **त्रिपुरा**

सभी तीनों जिले

21. **उत्तर प्रदेश**

बलिया, झांसी, @अल्मोड़ा*, बस्ती* फैजाबाद* बान्दा, पौड़ी गढ़वाल, हमीरपुर, उत्तरकाशी, सुल्तान-पुर, फतेहपुर, चमोली, जौनपुर, टिहरी गढ़वाल, जालोन और रायबरेली जिले और कानपुर देहात।

22. **पश्चिम बंगाल**

पुरुलिया, मिदनापुर*, कूच बिहार, दार्जिलिंग, मालदाह, बांकुरा, जलपाईगुड़ी और नादिया* जिले

केन्द्र शासित क्षेत्र

1. अन्डमान एवं निकोबार द्वीप का समस्त प्रदेश
2. अरुणाचल प्रदेश, समस्त प्रदेश
3. दादरा और नगर हवेली, समस्त प्रदेश
4. गोवा, दमन और दिव का समस्त प्रदेश जिसमें राज-धानी की नगरपालिका सीमा का क्षेत्र शामिल नहीं है।
5. लक्षद्वीप का समस्त प्रदेश।
6. मिजोरम का समस्त प्रदेश
7. पांडिचेरी का समस्त प्रदेश जिसमें राजधानी की नगरपालिका सीमा का क्षेत्र शामिल नहीं है।

*10-7-72 के पश्चात् चुने गए जिले/तहसील/ताल्लुक/ब्लाक्स तहसीलों को दर्शाता है।

@हाल में पुनर्गठन से पूर्व स्थित जिलों को दर्शाता है।

परिशिष्ट—29

आदिप्ररूपों के लिए प्रपत्र

वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा मशीनरी/उपकरणों के आदिप्ररूपों के आयात के लिए दिए जाने वाले आवेदन पत्र 'ङ' के साथ संलग्न किया जाने वाला प्रपत्र

(लाइसेंस-कार्यालय में इस्तेमाल के लिए आवेदक द्वारा भरा जाना है)

1. आवेदक का नाम और पूरा डाक पता

2. उस पत्र/आवेदन-पत्र की संदर्भ संख्या और तारीख जिसके साथ प्रपत्र संलग्न किया गया है

3. मशीनरी उपकरणों के आदिप्ररूपों का उन की मात्रा के साथ मुख्य विवरण

4. आयात व्यापार नियंत्रण की उस अनुसूची की क्रम संख्या जिसके अन्तर्गत मशीनरी/उपकरणों के आदिप्ररूपों को शामिल किया जाएगा।

5. क्या आवेदक यूनिट उसी प्रकार की मशीनरी/उपकरण का पहले से विनिर्माण कर रही है, जिसके लिए आदिप्ररूपों की आवश्यकता है, और यदि हां तो—

(1) क्या विनिर्माण के प्रयोजन से सन्यन्त्र और पूंजीगत मशीनरी पहले से संस्थापित की गई? यदि नहीं तो—

(2) क्या पूंजीगत मशीनरी या अन्य मदों के आयात के लिए पूंजीगत माल का आवेदन-पत्र समय-समय पर प्रकाशित होने वाली पूंजीगत माल की योजना के विनियमों के अनुसार दिया गया है? यदि हां तो—

(3) क्या उन मदों (जिनके लिए आदिप्ररूपों की आवश्यकता है) के विनिर्माण की योजना अनुमोदित है और क्या उसके लिए आवश्यक पूंजीगत माल लाइसेंस प्रदान किया गया है/या आवश्यक संयंत्र का आयात किया गया है, यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा दें और उसके साथ स्वीकृत आयात लाइसेंसों की संख्या और तारीख भी दें।

(4) क्या देशीय पूंजीगत मशीनरी प्राप्त करने के लिए पक्के आदेश दिए गए हैं।

6. क्या मशीनरी/उपकरण के आदिप्ररूप की मद की उस प्रकार की मद का विनिर्माण आरम्भ करने से पहले किसी सक्षम प्राधिकारी से जांच और अनुमोदन कराना जरूरी है?

7. जिस मद के लिए आदिप्ररूप की आवश्यकता है, क्या उसके विनिर्माण के लिए अतिरिक्त पूंजीगत मशीनरी/कच्चे माल और संघटकों का आयात करना पड़ेगा? (पहले से विनिर्माण में संलग्न वर्तमान यूनिटों के सम्बन्ध (में) यदि ऐसा हो, तो उसका पूरा विवरण दें और वार्षिक आधार पर उसकी मात्रा और लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य भी दें।

8. क्या आदिप्ररूपों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा लेनी पड़ेगी या विदेशी पूर्तिकर्ता लागत बीमा भाड़ा के आधार पर उनकी निःशुल्क पूर्ति करेंगे? कृपया विदेशी पूर्तिकर्ताओं का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य का प्रपत्र बीजक संलग्न करें।

9. जिन मदों के लिए आदिप्ररूपों की आवश्यकता है, क्या उन मदों के विनिर्माण के लिए किसी प्रकार के वित्तीय/तकनीकी विदेशी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी? यदि हां, तो क्या इस प्रकार का सहयोग करने के लिए सरकार की स्वीकृति ले ली गई है (कृपया इस संबंध में सरकार के स्वीकृति पत्र की साक्ष्यांकित फोटोस्टेट प्रतियां संलग्न करें)।

मैं/हम यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि (क) उपर्युक्त प्रपत्र के कालम 3 के अनुसार मशीनरी/उपकरण या आदिप्ररूपों की जिस मद के आयात के लिए आवेदन किया गया है, उसका उपयोग आदिप्ररूपों के रूप में विनिर्माण प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा। (ख) आयातित आदिप्ररूपों की मदों को लाइसेंस प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना न तो अन्यथा रूप से बेचा जाएगा, न ही किराये पर दिया जाएगा और न ही उनका निपटारा किया जाएगा। (ग) आदिप्ररूपों की मदें- - - - - - पर स्थित हमारे विनिर्माण यूनिट में संयोजित या टूटी-फूटी हालत में जांच के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगी।

हस्ताक्षर-------------

नाम, साफ शब्दों में------------

पदनाम---------

निवास स्थान का पता-----------

स्थान

तारीख

संलग्नकों की सूची :—

क्रम संख्या- - - - - -

परिशिष्ट--30

आयात /निर्यात पूछताछ की पर्ची

1. आवेदक का नाम और पता

2. पूछ-ताछ करने वाले व्यक्ति का नाम, पदनाम, पता और टेलीफोन नं.

3. निम्नलिखित की तारीख और संख्या:--

(क) आवेदन

(ख) पावती

(ग) क्या बाद में कोई अन्य पत्र प्राप्त हुआ और उनका उत्तर दिया गया

(घ) मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की संदर्भ संख्या, यदि कोई हो

4. (क) आवेदन पत्र की श्रेणी (अर्थात् पूंजीगत माल/कच्चा माल/विविध)

(ख) माल का संक्षिप्त विवरण

(ग) आयात व्यापार नियंत्रण अनुसूची का भाग और क्रम संख्या

(घ) आवेदित लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य

(ङ) आवेदन-पत्र किस उद्योग से सम्बद्ध है (अंतिम उत्पाद)

5. वह संख्या तथा दिनांक जिसके अधीन किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा आवेदनपत्र प्रेषित/सिफारिश किया गया।

6. क्या इस मामले के लिए किसी अधिकारी से मुलाकात की गई थी अथवा वर्तमान स्थिति ज्ञात की गई थी, यदि हां, तो कब--

7. **वांछित सूचना**

पूछताछ करने वाले के हस्ताक्षर

स्थिति को नीचे दर्शाने के लिए और शीघ्र ही मुझे वापस लौटाने के लिए - - - - - - - - - - -अनुभाग को भेजी जाती है।

पार्टी को दिनांक ------- को ---------- बजे दोपहर पूर्व/दोपहर बाद सूचना प्राप्त करने की सलाह दी गई है।

पूछताछ अधिकारी

आवेदन-पत्र की स्थिति के विषय में अनुभाग के नियंत्रक की अभ्युक्तियां

नियंत्रक (----------------अनुभाग/शाखा)

प्रतिपर्ण

संख्या----------- दिनांक------

1. आवेदक फर्म का नाम और पता

2. माल का विवरण

3. सूचना प्राप्त करने की सम्भावित तिथि और समय

4. मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की संदर्भ संख्या, यदि कोई हो।

परिशिष्ट--31

एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइन्स के माध्यम से आयात

आयात लाइसेंस लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर मूल्य के साथ जारी किए जाते हैं। फिर भी, आर. ई. पी. लाइसेंस-धारी (अग्रिम/अग्रदाय लाइसेंस और अतिरिक्त लाइसेंस सहित) जो ऐसे लाइसेंसों के मद्दे एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइन्स के माध्यम से माल का आयात करते हैं और भारत में अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में वायुयान का भाड़ा चुकाते हैं, उन्हें आयातित माल की लागत और बीमे के अनुसार अपने लाइसेंसों के पूर्ण मूल्य का उपयोग करने की अनुमति होगी। अन्य शब्दों में, आयात लाइसेंस के मूल्य का वह भाग जिसके अन्तर्गत "भाड़े" के निमित्त रखी गई पूर्ण धनराशि आ जाती है, उसे भी आयात किए जाने वाले माल के सम्बन्ध में लागत और बीमे पर उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। वायुयान भाड़े के प्रति चुकाई गई धन-राशि लाइसेंस के मूल्य में नहीं डाली जाएगी। इस सीमा तक, आर.ई.पी. लाइसेंसधारी, भाड़े के मामले में जो आयात वह कर सकता था उसकी अपेक्षा अधिक मात्रा का ऐसा माल आयात करने का पात्र होगा, जो लाइसेंस के सम्पूर्ण मूल्य के नामे डाला जा सकता था।

2. यह सुविधा केवल कच्चे माल/संघटकों/फालतू पुर्जों/उपभोज्य सामग्री के आयात के लिए जारी किए गए वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंसों और मुक्त विदेशी मुद्रा (सामान्य मुद्रा क्षेत्र) के मद्दे पूंजीगत माल/एच. ई. पी. के लिए जारी किए गए आयात लाइसेंसों के मामले में भी उपलब्ध होगी। लेकिन, ऐसे मामलों में भाड़े की राशि सम्बन्धित लाइसेंसों के नामे डाल दी जाएगी किन्तु ऐसा नामे डाले हुए का खर्च केवल समुद्री भाड़े के सम्भाव्य तत्व सीमा तक किया जाएगा जो कि औसतन आयातित माल की कीमत का 20 प्रतिशत होगा और वायुयान भाड़े और पोत के भाड़े के बीच का अन्तर आयात लाइसेंस के नामे नहीं डाला जाएगा।

3. यह सुविधा इन शर्तों के अधीन होगी कि (1) आयात लाइसेंस के समस्त मूल्य से अधिक नहीं होगा, (2) यदि लाइसेंस में अलग मदों के लिए कोई अंकित मूल्य प्रतिबंध हो, तो बढ़ाया नहीं जाएगा; और (3) आयात पर लागू होने वाली अन्य शर्तें अपरिवर्तनीय रहेंगी।

4. जो लाइसेंसधारी यह सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए आवश्यक नहीं होगा कि वे इस विषय में लाइसेंस प्राधिकारी से एक पृष्ठांकन प्राप्त करें। यदि अन्यथा रूप से आवेश सही हुआ, तो इन व्यवस्थाओं के अनुसार सीमा शुल्क प्राधिकारी आयात के लिए अनुमति देंगे। इसी प्रकार से विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी भी ऐसे मामलों में विदेश में धन परेषण के लिए वायुयान भाड़े की धनराशि लाइसेंस के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के नामे नहीं डालेंगे।

5. जो लाइसेंसधारी यह सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं, वे अपने आदेश और साखपत्र (जहां खोला गया हो) में स्पष्ट लिखें कि विदेशी पोतवणिक को विदेश में एयर इंडिया या इंडियन एयर लाइन्स के बुकिंग कार्यालय को यह परामर्श देना चाहिए कि भारत में माल 1982-83 की आयात-निर्यात क्रिया-विधि हैण्डबुक के पैरा 89 के अधीन आयात किया गया था और इस विषय में संगत वायु मार्ग बिल के ऊपर साफ अक्षरों में संकेतित करें। वायुयान बिल पर ऐसी सूचना से एयर इंडिया/इंडियन एयर लाइन्स को यह सुनिश्चित करना सम्भव हो जाएगा कि माल वास्तविक रूप से एयर इंडिया या इंडियन एयर लाइन्स द्वारा ही ले जाया गया था और समूह व्यवस्था में साझेदार एयर लाइन्स को हस्तांतरित नहीं किया गया।

6. लाइसेंसधारी इसके लिए बाध्य होगा कि आयातित माल के सम्बन्ध में माल की सुपुर्दगी का आदेश प्राप्त करने के लिए एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइन्स से सम्पर्क करते समय वह लाइसेंस के ब्यौरे एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइन्स को ये ब्यौरे नीचे दिए गए--"सूचना पर्ची" के प्रपत्र में भेजने चाहिए :--

सूचना पर्ची

1. लाइसेंसधारी का नाम और पता
2. जिस आरईपी/एयू/सीजी लाइसेंस के मद्दे आयात किया गया है, उसकी संख्या और दिनांक
3. उपर्युक्त (2) में संदर्भित आर. ई. पी./वास्तविक उपयोक्ता/पूंजीगत माल लाइसेंस का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य
4. उपर्युक्त (3) में दिए गए मूल्य में से निकासी किए जाने वाले आयात परेषण का मूल्य

दिनांक:--

लाइसेंसधारी या उसके प्राधिकृत
प्रतिनिधि के हस्ताक्षर।

परिशिष्ट--32

नए सुस्थापित निर्यातकों को मान्यता और कोटा प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र

वह प्राधिकारी जिसे नए सुस्थापित निर्यातकों को मान्यता और कोटा प्रदान करने के लिए आवेदनपत्र भेजे जाने हैं	क्षेत्राधिकार
1 संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र), इन्द्रप्रस्थ भवन, "ए" विंग, नई दिल्ली	हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर राज्य, उत्तर प्रदेश के पांच जिले अर्थात् मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, पंजाब, हरियाणा और संघ शासित क्षेत्र दिल्ली और चण्डीगढ़।
2. संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, 4, एस्प्लेनेड ईस्ट, कलकत्ता	असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य और संघ शासित क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम।
3. संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, सेण्ट्रल गवर्नमेंट आफिसिज, न्यू बिल्डिंग, एस. ई विंग, न्यू मैरिन लाइन्स, चर्चगेट, बम्बई	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्य और संघ शासित क्षेत्र, गोवा, दमन और दियु, दादरा और नगर हवेली।
4. संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, 39, राजा जी सलाय, मद्रास	तमिलनाडु राज्य (कोयम्बतूर जिले को छोड़कर) और संघ शासित क्षेत्र पाण्डिचेरी
5. संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, 11-6-860 रेड हिल्स, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	आन्ध्र प्रदेश
6. संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, बहुमंजलीय बिल्डिंग, लाल दरवाजा, अहमदाबाद	गुजरात
7. संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, 7वीं मंजिल कावेरी भवन, बंगलोर	कर्नाटक राज्य (मंगलौर जिले को छोड़कर)
8. संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, 17/94 स्वरूप नगर, कानपुर	उत्तर प्रदेश, उन क्षेत्रों को छोड़कर जो संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (केन्द्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र), नई दिल्ली के क्षेत्राधिकार में हैं।
9. उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, टी. डी रोड, एर्नाकुलम	केरल राज्य, कोयम्बतूर जिला (तमिलनाडु राज्य) कर्नाटक राज्य का मंगलोर जिला और संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप।

परिशिष्ट--33

घरेलू टैरिफ क्षेत्र से मुक्त व्यापार जोन में स्थित यूनिटों को की जाने वाली सप्लाई के आधार पर आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस की मांग करने से संबंधित आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम
2. पूरा डाक पता
3. सप्लाई किए जाने वाले माल का ब्यौरा (विवरण, मात्रा और उसका मूल्य)
4. पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति में माल की क्रम संख्या
5. सप्लाई किस अवधि के दौरान की गई थी
6. मांगी गई आयात प्रतिपूर्ति
7. (क) पंजीकरण प्रमाणपत्र की सं. और तारीख (पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत की जाए)

   (ख) क्या आवेदक का नाम विनिर्माता-निर्यातक के रूप में अथवा व्यापारी निर्यातकर्ता के रूप में पंजीकृत है :--

(क)

(ख)

(ग)

(घ)

(ङ)

(च)

वचन/घोषणा

मैं/हम निष्ठापूर्वक यह वचन देता हूं/देते हैं/यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि:--

(1) उपर्युक्त ब्यौरे सही हैं।

(2) हमने जो ठेके लिए हैं उनकी शर्तों के अनुसार इस आवेदन पत्र में उल्लिखित सामान....... को सप्लाई किया गया है।

(3) सामान की पूर्ति निर्यात मूल्यों पर की गई है।

(4) इस आवेदन पत्र में उल्लिखित सामान के निर्यात के आधार पर आयात लाइसेंस लेने के लिए कोई दूसरा आवेदन पत्र नहीं दिया गया है और न ही भविष्य में दिया जाएगा।

(5) परेषण/पार्सल लौटाया नहीं गया है/लौटाए नहीं गये हैं। यदि किसी समय किसी परेषिती द्वारा कोई निर्यातित सामान लौटाया जाएगा तो सामान लौटने के एक महीने के अन्दर जोन के विकास आयुक्त को आवश्यक सूचना भेज दी जाएगी और विकास आयुक्त लाइसेंस प्राधिकारी को यह सूचित करेगा कि इस संबंध में जो अन्य कोई कार्रवाई की जा सकती हो उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस की राशि मुझे/हमें या मेरे/हमारे नामित व्यक्तियों को भविष्य में मिलने वाले आयात की राशि में से घटा दी जाए।

(6) यदि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा किसी समय संवीक्षा करने पर यह मालूम हो कि इस आवेदन के आधार पर मुझे/हमें लाइसेंस की राशि से अधिक अदायगी की गई है, तो अधिक अदा की गई राशि को मुझे/हमें या मेरे/हमारे नामित व्यक्तियों को भविष्य में किसी भी वर्ग के अन्तर्गत मिलने वाले लाइसेंसों/अदायगियों की राशि में समायोजित किया जाएगा, किन्तु इससे इस सम्बन्ध में की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(7) मैं/हम यह वचन देता हूं/देते हैं कि यदि यह पता चले कि इस आवेदन पत्र में दी गई कोई सूचना गलत है या ठीक नहीं है या भ्रामक है, तो इस आवेदन के आधार पर दिया गया लाइसेंस इस संबंध में की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना रद्द कर दिया जाएगा।

(8) मैंने/हमने बीजक में निर्यात किए जाने वाले सामान की मात्रा कम या ज्यादा नहीं भरी है।

हस्ताक्षर. . . . .

नाम स्पष्ट शब्दों में . . . . . .

पदनाम . . . .

आवेदक फर्म का नाम . . . .

परिशिष्ट--34

निर्यात के लिए हवाई जहाज से भेजे जाने वाले माल का समेकन

कुछ ऐसे जहाज एजेन्ट हैं जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन परिवहन संघ (अ.हू.प.प.स.) द्वारा अनुमोदन तथा प्रमुख एयर लाइनों द्वारा मान्यता प्राप्त है। प्रत्येक अनुमोदित अ.हू.-प.प.स. एजेन्ट का अलग अ.हू.प.प.स. कोड नम्बर है। ऐसे एजेन्ट अलग-अलग निर्यातकर्ताओं के लिए हवाई जहाज से भेजने के लिए माल के समेकन की व्यवस्था करते हैं। इस व्यवस्था के अन्तर्गत हवाई जहाज से विदेश को माल भेजने वाले अलग-अलग निर्यातकर्ताओं को उनके द्वारा दिए जाने वाले हवाई भाड़े में लाभ प्राप्त होगा।

2. इस सुविधा का लाभ उठाने वाले निर्यातकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वे सम्बद्ध लदान बिल को सीमाशुल्क प्राधिकारियों से विधिवत् पारित तथा अधिप्रमाणित कराएं। ऐसे अलग-अलग पोत-परिवहन बिलों से संबन्धित सामान समेकक द्वारा इकट्ठा किया जाएगा जो अ.हू.प.प.स. के अनुमोदित अभिकर्ता हैं। समेकक एक मास्टर हवाई बिल (एम.ए.बी.) तैयार करेगा। मास्टर हवाई बिल में यथा उल्लिखित निर्यात किए गए माल का विवरण इस प्रकार दिया जाएगा "संलग्न सूची के अनुसार समेकित माल"। मास्टर हवाई बिल में निर्दिष्ट सूची में प्रत्येक परेषण के संबंध में निर्यातकर्ता का नाम, माल का विवरण और उसकी मात्रा और वजन, लदान बिल सं. और हाउस हवाई बिल सं. दी जाएगी। हाउस हवाई बिल (एच. ए. बी.) समेकक द्वारा हर ऐसे निर्यातकर्ता को जारी किया जाएगा जिससे सम्बन्धित परेषणों का माल इकट्ठा किया गया है। हाउस हवाई बिल में संबंधित अलग-अलग निर्यातकर्ता के परेषण के वे सभी ब्यौरे दिए जायेंगे जो कि सामान्य हवाई बिल में दिए जाते हैं। विषयाधीन माल मास्टर हवाई बिल के आधार पर जहाज द्वारा निर्यात किया जाएगा। ऐसे निर्यातों के मामलों में जहां आयात प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए हवाई बिल प्रस्तुत किया जाता है, उनमें बैंक और लाइसेंस प्राधिकारी यदि वे अन्यथा रूप से सही हों, तो स्वीकार करेंगे बशर्ते कि संबंधित एयर लाइन द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया जाए और उस मास्टर हवाई बिल की संख्या और तारीख का उल्लेख कर दिया जाए जिसका वह हिस्सा है। प्रमाणपत्र इस प्रकार होना चाहिए :

इस हाउस हवाई बिल में बताया गया माल मास्टर हवाई बिल सं. . . . . . . दिनांक. . . . . . . द्वारा निर्यात किया जा चुका है।

अलग-अलग निर्यातकर्ता अपने अपने हाउस हवाई बिल बैंक प्रमाणपत्र जारी किए जाने के लिए बैंकों को प्रस्तुत करेंगे और जहां कहीं आवश्यक हो, पंजीकृत निर्यातकर्ताओं से संबंधित आयात नीति के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधाओं के दावों के लिए लाइसेंस प्राधिकारियों को भी पेश करेंगे।

3. ऐसे मामलों में निर्यात की तारीख मास्टर हवाई बिल की तारीख मानी जाएगी जो कि संबंधित एयर लाइन द्वारा हाउस हवाई बिल में उल्लिखित की गई होगी। आयात आपूर्तियों के लिए निर्यात सामग्री का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य निकालने के लिए निर्यातकर्ता द्वारा समेकक को (अ.हू.प.प.सं. एजेंट) अदा किए गए हवाई भाड़े की राशि को लेखे में शामिल किया जाएगा। सत्यापन के लिए अ.हू.प.प.सं. में एजेंट लाइसेंस प्राधिकारियों को भारतीय हवाई सामान एजेंट संस्था के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं और गन्तव्य स्थानों के लिए निर्यातकर्ताओं से वसूल की जाने वाली हवाई भाड़ा दरों की अपनी प्रकाशित अनुसूचियों की प्रतियां प्रस्तुत करेंगे।

4. उपर्युक्त पैरा 2 में बताई गई विधि के अनुसार समेकित रूप में भेजे जाने वाले सामान के लिए निर्यातकों को निर्यात ठेका निष्पादित करते समय साख पत्र में इस आशय का आवश्यक खंड भी शामिल करा लेना चाहिए ताकि ऐसे निर्यातों के लिए निर्यात की राशि वसूल की जा सके।

5. ऐसे मामलों में निर्यातकों को पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत निर्धारित दूसरे दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

परिशिष्ट—35

सरणीबद्ध एजेंसियों के पते

1. बालमेर लारी एण्ड कं.,
21, नेताजी सुभाष रोड,
कलकत्ता-700001

2. भारतीय काजू निगम,
पोस्ट बाक्स नं. 1261, एम. जी. रोड,
एर्नाकुलम,
कोचीन-682011

3. केन्द्रीय सिल्क बोर्ड,
"मेघदूत"
95बी मैरिन ड्राइव,
बम्बई-400002

4. भारतीय कपास निगम,
एयर इण्डिया बिल्डिंग,
12वीं मन्जिल, नारीमन प्वाइंट,
बम्बई-400021

5. इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड और
टेक्नोलाजी डेवेलपमेंट कारपोरेशन
(ई.टी.टी.डी.सी.),
15/48, मालचा मार्ग,
नई दिल्ली-110021

6. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम,
पहली मंजिल,
13-16 रीजेन्ट चैम्बर्स,
नारीमन प्वाइंट,
बम्बई-400021

7. भारतीय खाद्य निगम,
16-20, बाराखम्भा रोड,
नई दिल्ली-110001

8. भारतीय पटसन निगम,
1, शेक्सपीयर सरणी,
कलकत्ता-700016

9. भारतीय तेल निगम,
इण्डियन आयल भवन,
जनपथ, नई दिल्ली-110001

10. भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम
एम एम टी सी
"एक्सप्रेस बिल्डिंग"
9-10, बहादुरशाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली-110002

11. भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ लि., (एन ए एफ ई डी) सपना बिल्डिंग, नेहरू प्लेस, 54, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली-110065

12. भारतीय राज्य रासायनिक एवं औषध निगम लि., (सी. पी. सी.) "चन्द्रलोक" 36, जनपथ, नई दिल्ली-110001

13. भारतीय राज्य व्यापार निगम लि., (एस टी सी) "चन्द्रलोक" 36, जनपथ, नई दिल्ली-110001

14. स्टील अथॉरिटी आफ इण्डिया, "हिन्दुस्तान टाइम्स बिल्डिंग," कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001

15. धातु कतरन व्यापार निगम, 225-ई, आचार्य जगदीश बोस रोड, कलकत्ता-700001

16. भारतीय चलचित्र निर्यात निगम लि., शिव सागर एस्टेट, 'डी' ब्लाक, 5वीं मंजिल, डा. एनी बसन्त रोड, वोर्ली, बम्बई-400018

17. सेमी कन्डक्टर काम्पलेक्स लि. (एस. सी. एल.), फेज 8, एस. ए. एस. नगर, मोहाली, (पंजाब) 160051

18. राष्ट्रीय रासायनिक व उर्वरक, मारवली चेम्बूर, बम्बई-400074

19. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि., 109-सूर्य किरण बिल्डिंग, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001

परिशिष्ट—36

(हटा दिया गया है)

परिशिष्ट—37

परामर्शदाती, डिजाइन बनाने वाली और इन्जीनियरी फर्मों द्वारा भेजे जाने वाली अतिरिक्त सूचना/दस्तावेजों के लिए प्रपत्र

(क)

1. आवेदक का नाम

2. उस परियोजना प्राधिकारी का नाम जिसने संविदा प्रदान की है।

3. उस परियोजना का नाम, जिसके लिए आयातित उपकरण चाहिए।

4. संविदा के अनुसार निर्दिष्ट कार्य की किस्म
5. संविदा के निष्पादन के लिए आयात की जाने वाली मदें

6. आयात की जाने वाली मदों का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य (रुपये और विदेशी मुद्राओं दोनों में)

7. आयात का देश

8. देशी मात्रा (लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य)
9. संविदा का कुल मूल्य देशी उपकरण, सेवा खर्चों आदि के मूल्य को मिलाकर)

स्थान................

दिनांक..............

हस्ताक्षर

नाम साफ अक्षरों में

पदनाम

घर का पता

(ख)

(परियोजना प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)

1. उस परियोजना की अनुमानित लागत जिसके लिए संविदा प्रदान की गई है।

2. संगत परियोजना के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए के अनुसार आंकलित परियोजना में सांकेतिक विदेशी मुद्रा की कुल धनराशि।

3. क्या आयात के लिए अपेक्षित मदें परियोजना अनुमानित खर्च में संकेतित हैं और क्या यह उस में उल्लिखित है कि इन मदों का आयात करना आवश्यक है।

4. क्या माल का आयात, संयंत्र (परियोजना) की प्रारम्भिक स्थापना के लिए या वर्तमान संयंत्र के विस्तार के लिए किया जा रहा है?

5. क्या परियोजना प्राधिकारी ने यह सिफारिश की है कि माल की सूची आयात निर्यात क्रिया-विधि हैंड बुक 1983-84 के अनुसार सीमा शुल्क दर सूची अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के खण्ड 16 की शीर्षक सं. 84.66 के अन्तर्गत शुल्क की रियायती दर का लाभ उठाने के लिए "परियोजना आयात" के रूप में पृष्ठांकित की जानी है?

स्थान................

दिनांक..............

हस्ताक्षर..........

नाम साफ अक्षरों में..........

....

पदनाम..........

....

....

घर का पता..........

....

....

....

संलग्नकों की सूची..........

परिशिष्ट—38

शुल्क छूट योजना के अन्तर्गत निष्पादित किया जाने वाला निर्यात आभार के बंध पत्र का प्रपत्र

यदि आयातक/जमानती कारोबार का अकेला स्वामी है तो उसका नाम और पता देते हुए उसके "वारिस, निष्पादक और प्रशासक जोड़े जायें। यदि आयातक/जमानती साझीदारी की फर्म है तो फिलहाल उपर्युक्त फर्म के साझीदार और उसके तत्सम्बन्धी वारिस, निष्पादक और प्रशासक जोड़े जाएं।" यदि आयातक/जमानती एक लि. कम्पनी है तो उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती जोड़े जायें।

इस विलेख द्वारा सभी लोगों को यह ज्ञात हो कि . . . . हम (मैं). . . . . .जिनका इसके बाद "आयातक" के रूप में उल्लेख किया गया है (जिसकी परिभाषा में उसके/उनके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे) और (2) . . . . के . . .जिसे इसके बाद—"जमानती" के रूप में कहा जाएगा (जिसकी परिभाषा में उसके/उनके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे) संयुक्त रूप से और अलग-अलग वचनबद्ध हैं और भारत के राष्ट्रपति जिसे बाद में "सरकार" कहा गया है को उपर्युक्त सरकार या उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती को अदा की जाने वाली. . . . .* रुपए की उस धनराशि के लिए आबद्ध है जिसके भुगतान के लिए हम अपने आप और हम में से प्रत्येक हमारे वारिस, निष्पादक, प्रशासक, उत्तराधिकारी और समनुदेशिती संयुक्त रूप से और अलग-अलग इस विलेख द्वारा जिसे बाद में उपर्युक्त तरीके से उपर्युक्त सरकार को अदा किए जाने के लिए कहा जाएगा, आबद्ध है।

2. आज की तारीख . . . . .को हस्ताक्षर कर दिए गए और हमारी अलग अलग मोहरों से मोहर लगा दी गई।

3. जब कि संयुक्त/उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (जिसे बाद में संयुक्त/उप मुख्य नियंत्रक कहा गया है जिसकी परिभाषा में फिलहाल वह व्यक्ति शामिल है जो उपर्युक्त संयुक्त/उपमुख्य नियंत्रक का कार्य देख रहा है, को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना (यथा संशोधित राजस्व विभाग सं.-117/मिसिल सं. 602/14/79 डी. बी. के. दिनांक 9-6-1978 यथा संशोधित) के अन्तर्गत जारी किए गए शुल्क छूट हकदारी प्रमाण पत्र सं. . . . . दिनांक. . . . . . .में विशिष्टकृत माल के आयात के लिए स्वीकृति दी गई है, वहां इसके बाद उसे कुछ नियम एवं शर्तों पर अग्रिम लाइसेंस सं. . . . . .दिनांक. . . . . . से बन्ध पत्र का निष्पादन करेगा जो नीचे दी गई है :

4. और जब कि उपर्युक्त अधिसूचना की एक शर्त में यह व्यवस्था भी है कि आयातक ऐसी शर्तों के साथ निर्धारित तरीके से बन्ध पत्र का निष्पादन करेगा जो नीचे दी गई है :—

5. अब उपर्युक्त लिखित बाण्ड की शर्तें ऐसी हैं कि :

(क) यदि उपर्युक्त आयातक विषयाधीन लाइसेंस/सीमा शुल्क निकासी परमिट/या सरणीबद्ध अभिकरण द्वारा माल के संभरण के मद्दे भारत में प्रथम प्रेषण के आयात की निकासी की तारीख . . . . .महीनों के या ऐसे और समय के भीतर जो उसको प्रदान किया गया हो, उपर्युक्त शुल्क छूट हकदारी प्रमाण पत्र में विशिष्टकृत किए गए के अनुसार और उपर्युक्त अधिसूचना के अन्तर्गत यथा अपेक्षित जो सुलभ सन्दर्भ के लिए यहां नीचे लिखा हुआ है (जिसे बाद में "परिणामी उत्पाद" के रूप में कहा गया है) और जो उपर्युक्त लाइसेंस की शर्तों और शुल्क छूट हकदारी प्रमाण-पत्र (यदि स्वतंत्र विदेशी मुद्रा में और भूटान में अदा नहीं किया गया हो तो नेपाल या अफगानिस्तान में से किसी भी स्थान को छोड़कर) के अनुसार भारत से बाहर परिणामी उत्पाद के तदनुसार माल का निर्यात करता है और उपर्युक्त अधिसूचना में उल्लिखित बाकी सभी उन शर्तों को पूरा करता है जिनके अधीन सीमा शुल्क समाहर्ता द्वारा माल की निकासी स्वीकृत की गई है।

(ख) यदि उपर्युक्त आयातक और/या जमानती निर्यात आभार को पूरा करने के लिए उपर्युक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर संयुक्त/उप मुख्य नियंत्रक को यथा अपेक्षित उपर्युक्त शुल्क छूट हकदारी प्रमाणपत्र सभी 'भागों' के साथ जो विधिवत् भरा हुआ हो और पृष्ठांकित और हस्ताक्षरित किया हुआ हो सौंप देगा या सौंपे जाने का मामला है।

6. तब उपर्युक्त बांड शून्य समझा जाएगा और उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। अन्यथा बांड बल, क्षमता और प्रभाव से लागू रहेगा।

7. और एतद् द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि:—

(क) उपर्युक्त लिखित बांड निर्यात आभार की अवधि की समाप्ति की तिथि से एक वर्ष. . . . . की अवधि के लिए लागू रहेगा।

(ख) आयात के खिलाफ उपर्युक्त बांड शर्त को लागू करते हुए सरकार की ओर से कोई भी सहिष्णुता या त्रुटि या इससे सम्बन्धित आयातक की सरकार द्वारा किसी सेवार्थ मंजूर किया जाने वाला कोई भी समय जमानती को मुक्त नहीं करेगा।

(ग) यह बांड उस अधिनियम के निष्पादन के लिए केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अन्तर्गत दर्ज किया गया है जिस में सार्वजनिक हित निहित है।

(घ) (1) इस बांड के अंतर्गत देय कोई भी सीमा शुल्क कर और सहायक सीमा शुल्क कर किसी अन्य प्रकार की जाने वाली वसूली को ध्यान में रखे बिना ही सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 की व्यवस्थाओं के अनुसार और/या आयातक को देय किसी भी नकद सहायता से वसूल किया जाएगा;

और

(घ) (2) जहां वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 58-आई. टी. सी. (पी. एन.)/82 दिनांक 11 दिसम्बर, 1982 के अधीन अग्रिम लाइसेंस के मद्दे आयात के लिए अनुमेय माल सेल के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और

लाइसेंसधारी, लाइसेंस पर लगाए गए निर्यात आभार को पूरा करने में असमर्थ हो जाता तो मांग किए जाने पर तुरन्त ही लाइसेंसधारी द्वारा प्राप्त की गई उन मदों के लिए देय सीमा-शुल्क और अतिरिक्त कर के बराबर धनराशि का भुगतान सेल को करना पड़ेगा यदि वे मदें आयात कर ली गई होती। यह कानून में प्रदान वसूली के किसी भी तरीके और या लाइसेंसधारी को भुगतान योग्य किसी भी नकद क्षतिपूर्ति की धनराशि को ध्यान में रखे बिना होगा।

(ख) बाद की धनराशि का भुगतान उपर्युक्त आयात के किसी ऐसी अन्य कार्रवाई के उत्तरदायित्व पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा जो वर्तमान समय में लागू कानून के अन्तर्गत की जा सके।

परिशिष्ट—38 (क्रमशः)

छूट प्राप्त माल

क्रम सं०	विवरण		किस्म
तकनीकी विशेषताएं	सीमाएं मात्रा	(अधिकतम) लागत बीमा भाड़ा मूल्य	

परिणामी उत्पाद

क्रम सं०	विवरण		किस्म
तकनीकी विशेषताएं	मात्रा	लागत बीमा भाड़ा मूल्य	

जिसकी साक्षी में नीचे अंकित पार्टियों द्वारा प्रथम उपर्युक्त लिखित——
————महीने———— ——वर्ष की ————————तारीख को
यह बांड विधिवत निष्पादित किया गया है।

————————————की उपस्थिति में———————— आयातक द्वारा और उनकी ओर से हस्ताक्षरित और मोहर लगा कर सौंप दिया गया।

*साक्षियों को अपना पेशा और पता भी देना चाहिए

1.* ————————
2. ————————

————————————की उपस्थिति में ————————
पर जमानती द्वारा और उसकी ओर से हस्ताक्षरित मोहर लगा कर सौंप दिया गया।

1 ————
2. ————

भारत के राष्ट्रपति के लिए और
उनकी ओर से स्वीकृत
प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम

*यह अग्रिम लाइसेंस के मूल्य के 50 प्रतिशत या 25 प्रतिशत या लगाए जाने योग्य सीमा शुल्क कर के बराबर धन राशि, इन में जो भी अधिक हो, उसके बराबर होना चाहिए।

अग्रिम लाइसेंस के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए कानूनी समझौते का प्रपत्र

आज दिनांक. . . .198 को . . . . . .(जिनका इसके बाद "आयातक" के रूप में उल्लेख किया गया है, जिसकी परिभाषा में उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे) एक पक्ष और भारत के राष्ट्रपति जिनका इसके बाद "सरकार" के रूप में उल्लेख किया गया है, जिसकी परिभाषा में सरकार में उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे) द्वितीय पक्ष के बीच - - - - - - रुपये के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के कच्चे माल और संघटकों के आयात के लिए एक समझौता हुआ।

जबकि आयातकों ने - - - - - - - - रुपए के लागत-बीमा भाड़ा-मूल्य के कच्चे माल और संघटकों के आयात के लिए अग्रिम लाइसेंस/सीमा शुल्क निकासी परमिट/ रिहाई आदेश सं. - - - - - - दिनांक - - - - - - प्राप्त कर लिया है।

और जबकि आयातक ने सीमा शुल्क आदि चुकाए बिना अग्रिम लाइसेंस/सीमा शुल्क निकासी परमिट/रिहाई आदेश में उल्लिखित - - - - - - रुपए मूल्य के कच्चे माल और संघटकों का आयात करने के लिए शुल्क छूट हकदारी प्रमाणपत्र सं. - - - - - - -दिनांक - - - - - - -भी प्राप्त कर लिया है। और जबकि उक्त अग्रिम लाइसेंस/सीमा शुल्क निकासी परमिट/रिहाई आदेश की एक शर्त के रूप में सरकार ने यह निर्धारित किया है कि भारत में माल की प्रथम खेप का आयात हो जाने की तिथि से- - - - - -महीनों की अवधि के भीतर या जब तक सरणीबद्ध अभिकरण उत्पाद अर्थात् . . . . का निर्यात करके विषयाधीन लाइसेंस/सीमा शुल्क निकासी परमिट/रिहाई आदेश के मद्दे माल के सभरण का समय दें ऐसे समय के भीतर - - - - - - -आयातक को - - - - - -रुपए की सीमा तक विदेशी मुद्रा कमानी होगी।

अब यह समझौता निम्नलिखित बातों के लिए साक्षी प्रदान करता है :—

1. आयातक - - - - - - - - का निर्यात करके यथा-पूर्वोक्त - - - - - - महीनों की अवधि के - - - - - - भीतर - - - - - - रुपए जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की विदेशी मुद्रा कमाएगा। (यदि अग्रिम लाइसेन्स/रिहाई आदेश/सीमा शुल्क निकासी परमिट सं. - - - - - - का उक्त आयातक द्वारा पूर्णरूपेण उपयोग न किया गया तो उसी अनुपात में निर्यात आभार कम कर दिया जाएगा)। भूटान को किए गए निर्यात, निर्यात आभार से छुटकारे के लिए उसी प्रकार पात्रता प्रदान नहीं करेंगे जिस प्रकार अफगानिस्तान और नेपाल को स्वतंत्र विदेशी मुद्रा के मद्दे किए गए भुगतान से भिन्न प्रकार से किए गए निर्यात, निर्यात आभार से छुटकारे के लिए पात्रता प्रदान नहीं करते हैं।

2. आयातक निर्यात आभार की उक्त अवधि की समाप्ति से एक महीने के भीतर निर्धारित माल, उसकी मात्रा और जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य और निर्यात के देशों का ब्यौरा देते हुए किए गए निर्यात के साक्ष्य के रूप में विधिवत् भरा हुआ एक शुल्क छूट हकदारी प्रमाणपत्र संबद्ध संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को प्रस्तुत करेगा।

3. पूर्वोक्त निर्यात आभार की अवधि की समाप्ति से 6 महीनों के भीतर आयातक निर्यात आभार को पूर्ण करने में - - - - - - - को किए गए निर्यातों के मद्दे विदेशी मुद्रा की वसूली को प्रदर्शित करते हुए मूल रूप में बैंक प्रमाणपत्र और अन्य ऐसे दस्तावेज जो इस समझौते की शर्तों को पूर्ण करने में अर्जित विदेशी मुद्रा के समर्थन में साक्ष्य के रूप में संयुक्त/उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा मांगे जाए, इन सम्बद्ध, संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को प्रस्तुत करेगा।

4. यदि आयातक यथापूर्वोक्त वचनबद्ध निर्यात आभार को पूर्ण करने में असफल रहेगा तो वह सम्बद्ध संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, या मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात , नई दिल्ली द्वारा अनुदेश प्राप्त होने पर निर्धारित निर्यात आभार और वास्तविक निर्यात के बीच के

अन्तर के बराबर मात्रा और जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के परिणामी उत्पाद को राज्य व्यापार निगम को या सरकार (मुख्य नियंत्रक, आयात - निर्यात) द्वारा नामित अन्य अभिकरण (जिसका आगे अभिकरण के रूप में उल्लेख किया गया है) को ऐसी कीमतों पर निर्यात के लिए देगा जो कि अभिकरण द्वारा विदेशों से प्राप्त की जा सकें। इसके साथ ही साथ आयातक सीमा शुल्क को वह धनराशि भी सीमा शुल्क प्राधिकारी को चुकाएगा जो इसके द्वारा निर्यात न किए गए उत्पाद के समरूप छूट प्राप्त माल पर उपयुक्त समय में चुकाई जानी थी। इसके अतिरिक्त आयातक - - - - - - रुपए की धनराशि (यह निर्यात आभार के 5% के बराबर होगी और अधिक से अधिक 5 लाख रुपए होगी) "निर्णीत हानि" के रूप में अभिकरण को चुकाएगा। अभिकरण (निर्यात करने के बाद और पूर्वोक्त उत्पादों की बिक्री की रकम की यथासम्भव शीघ्र वसूली के बाद) ऐसे खर्चे (अपने सामान्य कमीशन सहित) जो उसके द्वारा किए गए हों और जो इस समझौते के अंतर्गत आयातक से वसूल करने योग्य हों उनको घटा कर ऐसे निर्यातों पर कमाई गई कुल विदेशी मुद्रा के बराबर रुपए आयातक को देगा।

5. ऊपर उल्लिखित निर्धारित निर्यात आभार और वास्तविक निर्यातों के बीच के अंतर को निरुपित करते हुए जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य और "निर्णीत हानि" के रूप में निर्यात आभार के 5% को निरुपित करते हुए धनराशि का निश्चय भी संयुक्त/उपमुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा, किया जाएगा और उक्त प्राधिकारी का निर्णय आयातक के लिए अंतिम और बाध्यकर होगा। मूल्य का निश्चय करते समय उक्त प्राधिकारी यदि आवश्यक समझेगा तो इस उद्देश्य के लिए मूल्य का निश्चय करने के समर्थन में आयातक को ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने का सुअवसर प्रदान करेगा जो वह प्रस्तुत कर सकता है।

6. यदि आयातक यथापूर्वोक्त वचनबद्ध निर्यात आभार को पूर्ण करने में असफल रहता है, और यदि ऐसा आभार सरकार के किसी कानून, आदेश, घोषणा, विनियम या अध्यादेश के कारण रोक न दिया गया हो या उसमें विलम्ब न हो गया हो तो सरकार आयातक द्वारा उत्पादित माल या आयातित कच्चे माल में से जो भी हो उसको अधिकार में लेने के लिए स्वतंत्र है और उसको उस तरीके से और उस कीमत पर बेचने/वितरण करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकती है जो उसके द्वारा निश्चित की जाए और इसके साथ-साथ इस समझौते के अनुसार "निर्णीत हानि" की धनराशि वसूल कर सकती है। आयातक को आयात किए गए परन्तु निर्यात के लिए उपयोग न किए गए माल पर सीमा शुल्क भी चुकाना होगा। इस समझौते के अन्तर्गत वसूल करने योग्य कोई भी सीमा शुल्क किसी भी अन्य वसूली को ध्यान में रखे बिना सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के खण्ड 142 के प्रावधानों के अनुसार वसूल किया जाएगा और/या आयातक को चुकाने योग्य नकद सहायता में से वसूल किया जाएगा।

7. इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भी आदेश अन्तिम और अनिवार्य होगा और आयातक उस आदेश को बिना शर्त अनुपालन करने का वचन लेता है।

8. इस दस्तावेज पर या इसके अधीन निष्पादित किसी भी दस्तावेज पर चुकाया जाने वाला स्टाम्प शुल्क आयातक द्वारा वहन किया जाएगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप इस पर- - - - - - - की सामान्य मुद्रा लगा दी गई है तथा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से श्री - - - - - - - - - - - - - - - - - - ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

इसमें उल्लिखित नाम के आयातक की सामान्य मोहर इनकी उपस्थिति में लगाई गई है।

(1) श्री - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1) - - - - - - - - - - - - - - - - -

हस्ताक्षर

(निवास स्थान का पता)

संचालक और (2) श्री - - - - - - - - - - - -

(2) - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(निवास स्थान का पता)

संचालक जो- - - - - - - - -को हुई कम्पनी की बैठक में पारित कम्पनी के- - - - - - - - -संचालक बोर्ड के संकल्प द्वारा इस उद्देश्य के लिए विधिवत् प्राधिकृत किए गए हैं और जिन्होंने निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं :—

1. — — — — — — — — — — — — — (नाम, पदनाम और पता)
2. — — — — — — — — — — — — — (नाम, पदनाम और पता)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षरित :—

1. - - - - - - - - - - - - - - - —(नाम, पदनाम और पता)
2. - - - - - - - - - - - - - - - (नाम, पदनाम और पता)

छूट प्राप्त माल

क्रम सं०	विवरण	किस्म	तकनीकी विशेषताएं	सीमा मात्रा	(अधिकतम) लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य

परिणामी उत्पाद

क्रम सं०	विवरण	किस्म	तकनीकी विशेषताएं	मात्रा	लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य

परिशिष्ट-39

[भारत के राजपत्र के भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ दिनांक 2-8-1975]

भारत सरकार

जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन खण्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 1975

अधिसूचना

(व्यापार पोत)

का. आ. 2473—व्यापार पोत अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 101 की उपधारा (2) के खण्ड (छ) के अनुसरण में और भारत सरकार के भूतपूर्व परिवहन और नौवहन मंत्रालय (परिवहन खण्ड) की अधिसूचना जो दिनांक 21 जून, 1967 के सा. आ. सं. 2169 के अन्तर्गत प्रकाशित हुई थी के अधिक्रमण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित रसद का माप नियत करती है जो न्यूनतम माप होगा और जो पहली मार्च, 1975, से भारत सरकार द्वारा स्वीकृत करार नियमावली के आधार पर जहाजों में कार्यरत नाविकों को दिया जाएगा।

अनुसूची

भारतीय करार नियमावली (विदेश गामी) पर हस्ताक्षर करने वाले नाविकों के लिए रसद का संशोधन माप :

1. चावल (क)	प्रतिदिन	350 ग्राम
2. आटा तथा रोटी (जब व्यवहार्य हो तो रोटी प्रतिदिन उपलब्ध की जाएगी (ख)	प्रतिदिन जिसमें से 80 ग्राम आटा होगा	160 ग्राम
3. दाल-तोर, मूंग, मसूर अथवा मटर की दाल (क)	प्रतिदिन	80 ग्राम
4. ताजा मछली (साबुत)-जहां उपलब्ध हो भिन्न भिन्न प्रकार की मछली दी जाएगी—सप्ताह में 6 दिन (ग)	प्रतिदिन	110 ग्राम
5. ताजा मांस (हड्डियों तथा साधारण चर्बी सहित—चर्बी 7 वें भाग से अधिक न हो—सप्ताह में 6 दिन) (घ)	प्रतिदिन	170 ग्राम
6. सब्जियां (ङ)	प्रतिदिन	345 ग्राम
7. खाद्य तेल (च)	प्रतिदिन	25 ग्राम
8. घी (एगमार्क अथवा अन्य किसी अच्छे किस्म का)	प्रतिदिन	45 ग्राम
9. शोरबा (छ)	प्रतिदिन	25 ग्राम
10. इमली अथवा कोकम	प्रतिदिन	10 ग्राम
11. नमक	प्रतिदिन	25 ग्राम
12. अचार अथवा चटनी	प्रतिदिन	15 ग्राम
13. मक्खन	प्रतिदिन	20 ग्राम
14. जाम	प्रतिदिन	10 ग्राम
15. चाय तथा/अथवा काफी (ज)	प्रतिदिन	10 ग्राम
16. चीनी	प्रतिदिन	40 ग्राम
17. संघटित दूध	प्रतिदिन	35 ग्राम
18. चूजे सप्ताह में एक बार (साफ किया हुआ)	प्रतिदिन	225 ग्राम
19. अण्डे	प्रतिदिन	1
20. फल (सप्ताह में 6 दिन) (झ)	प्रतिदिन	एक पूरा टकड़ा अथवा 115 ग्राम
21. आइसक्रीम—सप्ताह में एक बार (इसके न दिए जाने पर फल दिया जाएगा)	प्रतिदिन	115 ग्राम
22. नीबू रस	प्रतिदिन	15 ग्राम
23. पानी	साप्ताहिक	28 क्वार्टस
टेंकरों के लिए ताजा दूध (समांगीकृत अथवा अत्याधिक गर्म किया हुआ)		1 पन्ट

टिप्पणी :—

जब कोई नाविक बीमार हो और छुट्टी पर हो उसे बिस्कुट चाय अथवा काफी और चीनी, अरारोट अथवा साबूदाने के साथ जैसी आवश्यकता हो, दी जाएगी।

(क) खराब मौसम में जब चावल और दाल न पकाया जा सके तो उसके स्थान पर 185 ग्राम बिस्कुट तथा 60 ग्राम अतिरिक्त चीनी दी जायेगी।

(ख) जब रोटी न दी जाये तो 160 ग्राम आटा दिया जायेगा।

(ग) जब ताजा मछली न मिले तो ताजा मछली के स्थान पर डिब्बा बन्द मछली अथवा हैरिंगज मछली का आधार 1:2 के अनुपात में दिया जायेगा।

(घ) उन नाविकों को जो गोमांस अथवा सूअर का गोश्त न खायें भेड़ बकरे का मांस दिया जायेगा।

(ङ) 345 ग्राम में से 115 ग्राम आलू, 115 ग्राम प्याज, 115 ग्राम सेम, बेंगन, अंकुर, गोभी बन्दगोभी, फूल गोभी, भिण्डी, लाल मिर्च अथवा मटर जैसी ताजी सब्जी अथवा विविधता लाने के लिए अन्य उपयुक्त सब्जियां दी जायेंगी। जहां तक हो सके टमाटर सप्ताह में कम से कम एक बार दिए जाए। एक ही सब्जी लगातार दो दिनों से अधिक बार नहीं दी जायेगी। जब ताजी सब्जियां उपलब्ध न हो सूखी सब्जियां 1:4 अनुपात में दी जा सकती है।

(च) बम्बई के नाविकों के लिए तिल अथवा कार्डय का तेल, कलकत्ता के नाविकों के लिए जब उपलब्ध हो सरसों का तेल अन्यथा नारियल का अथवा मूंगफली का तेल।

(छ) 25 ग्राम शोरबा में से 18 ग्राम लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, सरसों सूखा अथवा हरा लहसुन, निर्जलीय अथवा सूखी गरी तथा 7 ग्राम गरम मसाला, अर्थात दाल-चीनी, लौंग, इलायची, सफेद जीरा, काली मिर्च, खसखस, जायफल तथा जावित्री होगी। जब ताजी गिरी उपलब्ध हो तो वह सूखी या निर्जलीय गिरी के स्थान पर दी जायेगी।

(ज) जब चूर्ण काफी की अपेक्षा तैयार काफी दी जाये तो इसका अनुपात 1:4 का होना चाहिए।

(झ) जब पपीता, तरबूज आदि जैसे बड़े फल दिये जायें तो वह 115 ग्राम हों।

(ञ) जहां ताजा दूध नहीं दिया जाता वहां सप्ताह में 100 ग्राम सुखाया हुआ दूध दिया जायेगा।

(ट) ऐसी अवधि के दौरान जब नौवहन, महानिदेशक द्वारा खाद्यान्न की कमी घोषित की जाये, जब अपेक्षित मात्रा में चावल उपलब्ध न हो तो चावल की प्रतिदिन की मात्रा में से 25 ग्राम कम कर दिये जायें और उनकी प्रतिपूर्ति के रूप में प्रतिदिन अन्य मदों की मात्रा में यथा निम्नलिखित वृद्धि कर दी जायेगी :

10 ग्राम ताजी मछली अथवा

5 ग्राम मांस, अथवा

50 ग्राम सूखी सब्जी अथवा

25 ग्राम ताजी सब्जी

(ठ) जब खाद्य सामग्री, बन्द डिब्बों में दी जाये तो नाविक उपरोक्त के अनुसार मानक डिब्बों में निकटतम ग्राम वजन स्वीकार करेंगे।

शीत मौसम माप

*शीत मौसम में अतिरिक्त 10 ग्राम चाय तथा/अथवा काफी, 10 ग्राम चीनी और 5 ग्राम संघटित दूध प्रतिदिन दिया जाएगा। शीत मौसम में नीबू का रस नहीं दिया जायेगा।

"शीत मौसम" में वह माप

(1) अक्तूबर से मार्च महीने तक की अवधि में उत्तरी गोलार्ध में तथा एटलांटिक समुद्र में 30° एन के उत्तर तथा अन्य किसी जगह 24° एन के उत्तर में।

(2) मई से सितम्बर तक की अवधि में दक्षिणी गोलार्ध में तथा 30° एस के दक्षिण में लागू होगा।

(सं. एम. एस. ई. (9)/75 एम. टी.)

ह. दीवान चन्द महीर

अवर सचिव, भारत सरकार

परिशिष्ट-40

कीटनाशी दवाइयों का ब्यौरा देने के लिए प्रपत्र

खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत अथवा लाइसेन्स के मद्दे भुगतान करके अथवा मुफ्त नमूने के रूप में अथवा अन्यथा रूप से कीटनाशी दवाइयों का आयात करने वाले किसी भी व्यक्ति को सीमा शुल्क के माध्यम से निकासी के 15 दिनों के भीतर कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन पौधा संरक्षण सलाहकार, फरीदाबाद को निम्नलिखित ब्यौरों से सूचित करना चाहिए :—

(1) आयातक का नाम।

(2) विनिर्माता का नाम।

(3) संभरक का नाम

(4) तकनीकी श्रेणी की सामग्री के नाम सहित कीटनाशी दवाई का नाम एवं उसका प्रतिशत।

(5) मात्रा

(6) लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य।

(7) आयात का पत्तन।

(8) सुपुर्दगी/निकासी लेने की तिथि।

(9) पंजीकरण समिति/पी.पी.ए. द्वारा जारी की गई उनकी पंजीकरण संख्या/अनुमति का सन्दर्भ।

(10) लाइसेन्स की सन्दर्भ संख्या।

(11) लाइसेन्स का मूल्य।

(12) यदि खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत आयात किया गया है तो सम्बद्ध खुले सामान्य लाइसेन्स की संख्या एवं तिथि बताएं।

(13) यदि लाइसेन्स का पहले उपयोग किया गया था तो पिछले पत्राचार का सन्दर्भ दें।

दिनांक :

हस्ताक्षर . . . .

साफ अक्षरों में नाम . . . .

वर्तमान पद . . . .

परिशिष्ट-41

देशी माल की रिहाई सूचना का प्रपत्र

देशी उत्पादक का नाम . . . .

निर्गमन का कार्यालय . . . .

भारत सरकार

वाणिज्य मंत्रालय

. . . . का कार्यालय

सं. . . . . दिनांक . . . .

सेवा में,

सर्वश्री . . . .

(आवेदक का नाम तथा पता)

रिहाई सूचना सं. . . . .

विषय :—देशी उत्पादक सर्वश्री . . . . द्वारा

(नाम तथा पता)

1983-84 की आयात-निर्यात नीति की कण्डिका 117 में किए गए प्रावधानों के अनुसार सर्वश्री . . . . के नाम में

(नाम तथा पता)

जारी किए गए आयात लाइसेन्स सं. . . . . . . के मद्दे . . . . का संभरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आप के आवेदन पत्र/पत्र दिनांक . . . . के सन्दर्भ में मुझे यह कहना है कि आप नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार उपर्युक्त आयात लाइसेन्स के मद्दे देशी उत्पादित माल का संभरण प्राप्त आयात के लिए सर्वश्री . . . . से सम्पर्क स्थापित करें :—

क्रम संख्या	माल का विवरण	मात्रा		मूल्य	
		अंकों में	शब्दों में	अंकों में	शब्दों में
1	2	3	4	5	6
1					
2.					
3.					
4.					

2. यह रिहाई सूचना उपर्युक्त ब्यौरों के अनुसार माल का संभरण प्राप्त करने के लिए उक्त उल्लिखित देशी उत्पादक को मूल रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

3. यह रिहाई सूचना जारी होने की तारीख से छः मास की अवधि के लिए वैध होगी।

4. इस रिहाई सूचना के धारक द्वारा प्राप्त माल उन्हीं शर्तों के अधीन होगा जो उस आयात लाइसेन्स के लिए लागू है जिस के मद्दे यह रिहाई सूचना जारी की गई है।

5. सीमा गुणक मूल्य होगा या मात्रा तथा मूल्य दोनों उन मामलों में होगा जहां इन दोनों का संकेत किया गया है।

भवदीय,

नियंत्रक, आयात—निर्यात

कृते उप मुख्य/संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात—निर्यात

सील . . . . .

टिप्पणी 8—सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि उपर्युक्त माल के विवरण में दर्शाया गया मूल्य और मात्रा लाइसेंस में निर्धारित शर्तों के अनुसार है।

सर्वश्री . . . . को
(देशी उत्पादक का नाम तथा पता)

आवश्यक कार्रवाई के लिए।

नियंत्रक, आयात—निर्यात

पृष्ठांकन सं. . . . . दिनांक . . . . .

कृते उप-मुख्य/संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात—निर्यात

उपर्युक्त रिहाई सूचना के अधीन संभरित माल का विवरण

क्रम संख्या	माल का विवरण	संभरित मात्रा		संभरित माल का मूल्य	
		अंकों में	शब्दों में	अंकों में	शब्दों में
1	2	3	4	5	6
1					
2.					
3.					

हम उपर्युक्त ब्यौरों के अनुसार माल के संभरण की पुष्टि करते हैं।

हस्ताक्षर . . . .
(देशी उत्पादक का नाम तथा पता)

हम उपर्युक्त ब्यौरों के अनुसार माल की प्राप्ति की पुष्टि करते हैं।

हस्ताक्षर
(रिहाई सूचना के धारक का नाम तथा पता)

परिशिष्ट 42

100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों के लिए कानूनी करार का प्रपत्र

वाणिज्य मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) के संकल्प सं. 8(15)/78-ई. पी. दिनांक 31-12-80 में यथा परिभाषित 100% निर्यात अभिमुख एकक मर्वश्री . . . . जो इस करार का पक्ष है जिसका पंजीकृत कार्यालय . . . . में स्थित है (जिसे इसके बाद "एकक" कहा जाए जिसकी अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी और प्रतिनिधि शामिल हैं) और भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसके बाद "सरकार" कहा जाए जिसकी अभिव्यक्ति में उनके उत्तराधिकारी और प्रतिनिधि शामिल हैं) जो दूसरा पक्ष है के बीच दिनांक . . . . . 198 को एक करार किया गया।

जबकि सरकार ने पत्र सं. . . . . दिनांक . . . . के अनुसार एकक को . . . . का विनिर्माण करने के लिए 100% निर्यात अभिमुख एकक स्थापित करने के लिए बता दिया है और एकक ने अपने पत्र संख्या . . . . दिनांक . . . . के अनुसार उक्त नियम तथा शर्तों को विधिवत् स्वीकार कर लिया है।

और जबकि एकक को संयंत्र मशीनों और उपकरण के आयात के लिए . . . . रुपए के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के लिए लाइसेंस सं. . . . . . . दिनांक . . . . .और कच्चे माल, संघटकों तथा उपभोज्य सामग्री के आयात के लिए . . . . . रु. के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के लिए आयात लाइसेंस सं. . . . . दिनांक . . . . प्रदान कर दिए गए हैं।

और जबकि एकक को पूंजीगत माल, कच्चे माल और संघटकों आदि के आयात के लिए आयात कर से छूट देते हुए आयात करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

और जबकि एकक को बिना किसी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान किए . . . . रुपए मूल्य के लिए देशी पूंजीगत माल, संघटकों और कच्चे माल की खरीद के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है।

और जबकि एकक को प्रदान किए गए लाइसेन्स की एक शर्त के अनुसार सरकार ने यह निर्धारित किया है कि एकक को . . . . की अवधि से . . . . की अवधि तक के वर्षों के दौरान अपने निर्यात उत्पाद का 100 प्रतिशत उत्पादन/निर्यात करके विदेशी मुद्रा अवश्य रूप से अर्जन करनी चाहिए जो कि सरकार द्वारा स्वीकृत निश्चित अवधि के पूर्ण होने के पहले दिन से लागू होगी (जिसे इसके बाद "निर्धारित तिथि" कहा जाए) और जिसमें . . . . प्रतिशत की कटौती भी शामिल होगी।

अब करार इस प्रकार से होगा

1. एकक . . . . अवधि से . . . . . . तक की अवधि के वर्षों के दौरान अपने . . . . . . उत्पादन का 100% निर्यात करके विदेशी मुद्रा का अर्जन करेगा और यह अवधि यथा-उल्लिखित उत्पादन के . . . . प्रतिशत की कटौती के लिए स्वीकृति प्रदान करने की निर्धारित तिथि से गिनी जाएगी। भूटान को किए गए निर्यात, निर्यात आभार के विमोचन के लिए पात्र नहीं होंगे और इस प्रकार यदि अफगानिस्तान और नेपाल को भी मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान से भिन्न निर्यात किए जाएंगे तो वे भी पात्र नहीं होंगे। यह निर्यात आभार एकक पर और किसी भी आधार पर लगाए गए या लगाए जाने वाले किसी भी निर्यात आभार के अतिरिक्त होगा।

2. एकक 100 प्रतिशत निर्यात के लिए उत्पादन होने की तारीख से एक महीने के भीतर इसकी सूचना संबद्ध संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को देगा।

3. एकक तीन मास की अवधि के भीतर जो कि वित्तीय वर्ष के पहले दिन से लेकर निर्यात उत्पादन को आरंभ करने के बाद से होगी, संयुक्तमुख्य/उप-मुख्य नियंत्रक को एक मूल प्रमाण-पत्र और उक्त प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगा जिसमें एकक द्वारा डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से किए गए आयातों/निर्यातों और बिक्री के ब्यौरे भी निम्नलिखित अवधि के दौरान भेजे जाएंगे।

(क) (1) पूंजीगत माल, संयंत्र, मशीनरी और उपकरण और (2) कच्चे माल, संघटकों और उपभोज्य सामग्री की मात्रा, विशिष्टिकरण तथा लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य।

(ख) देशी उत्पादित (1) संयंत्र, मशीनरी और उपकरण और (2) कच्चे माल संघटकों एवं उपभोज्य सामग्री की मात्रा, विशिष्टिकरण तथा मूल्य।

(ग) . . . . .के निर्यात की मात्रा विशिष्टिकरण और लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य

एकक इसी प्रकार के प्रमाण-पत्र और अन्य दस्तावेज उक्त प्राधिकारी को . . . . वर्षों की अवधि के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रत्येक वर्ष भेजे जाएं

4. यदि एकक उक्त उल्लिखित निर्यात आभार को पूरा नहीं कर पाता हो तो एकक को सम्बद्ध संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात या मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के अनुदेशों के अनुसार सरकार को उस समय आयात लाइसेन्स की शर्तों के अनुसार आयात के लिए स्वीकृत संयंत्र, मशीनरी और उपकरण और कच्चे माल, संघटकों और उपभोज्य सामग्री पर लगाई जाने वाली

सीमा-शुल्क कर की धनराशि का भुगतान करना होगा और साथ ही साथ इस अवधि के दौरान खरीदे गए देशी संयंत्र, मशीनरी और उपकरण और कच्चे माल, संघटकों और उपभोज्य सामग्री पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क की धनराशि का भी भुगतान करना होगा। एकक को इसके अतिरिक्त निर्धारित क्षति जो कि मामले की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा निश्चित की जाएगी वह धनराशि भी सरकार को देनी होगी। निर्धारित क्षति का निश्चय संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात या मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा किया जाएगा और उक्त प्राधिकारी का अनुदेश एकक के लिए अन्तिम और बाध्य होगा। निर्धारित क्षति का सुनिश्चय करते समय उक्त प्राधिकारी यदि आवश्यक समझे तो एकक को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के लिए भी अवसर प्रदान करेगा।

5. जब तक सरकार द्वारा विशेष रूप से स्वीकृति न प्रदान की जाए एकक को किसी भी हालत में निर्यात उत्पाद को घरेलू बाजार में बेचने की स्वीकृति नहीं होगी।

6. उक्त उल्लिखित वचनबद्ध निर्यात आभार को पूरा करने में असमर्थ होने की स्थिति में जिसमें कानून, आदेश, घोषणा विनियमन या सरकार के अध्यादेश के कारण ऐसे निर्यात आभार को पूरा करने में असमर्थ होना शामिल नहीं है, सरकार को निर्यात माल को किसी भी प्रकार से निपटान करने के सम्बन्ध में एकक को निदेश जारी करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी और एकक को ऐसे अनुदेशों का हर प्रकार से पालन करना पड़ेगा। यह आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) विनियमों और किसी भी नियम के प्रावधानों के अन्तर्गत एकक के विरुद्ध की जाने वाली अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त होगा।

7. इस करार के अधीन सरकार के लिए देय कोई भी सीमा-शुल्क/उत्पाद शुल्क कर भी वसूली के किसी भी स्रोत को ध्यान में रखे बिना और/या सरकार से एकक द्वारा वसूल की जाने वाली कोई भी धनराशि सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा-142 के प्रावधानों के अनुसार वसूल की जाएगी।

8. इस सम्बन्ध में जारी किए गए किसी भी अन्य आदेश का एकक पालन करेगा और एकक ऐसे आदेश का बिना किसी शर्त के अनुपालन करने के लिए वचनबद्ध है।

9. इस दस्तावेज पर या निष्पादित किए जाने वाले अन्य किसी भी दस्तावेज पर स्टाम्प कर एकक द्वारा दिया जाएगा।

इनके साक्ष्य स्वरूप इस पर . . . . . की सामान्य मोहर लगा दी गई है और . . . . के लिए और उनकी ओर से अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

इनके सामने नाम
सहित एकक की इस पर
सामान्य सील
लगा दी गई है।

हस्ताक्षर . . . .

(1) श्री . . . . (1)
(निवास पता)

निदेशक और (2) श्री . . . . (2)
(निवास पता)

- - - - - - - - - - - - - -तारीख को हुई बैठक में कम्पनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर के संकल्प द्वारा और इस प्रयोजन के लिए विधिवत प्राधिकृत निदेशक जिस ने- - - - - के सामने हस्ताक्षर किए हैं।

1 . . . . (नाम, ओहदा और पता)

2 . . . . (नाम, ओहदा और पता)

भारत के राष्ट्रपति की ओर
से . . . . की
उपस्थिति में श्री . . . .
द्वारा हस्ताक्षरित

1 . . . . (नाम, ओहदा और पता)

2 . . . . (नाम, ओहदा और पता)

छूट प्राप्त माल

1. **आयातित संयंत्र, मशीनरी और उपकरण**

सं.	माल का विवरण	लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य

2. **आयातित कच्चे माल, संघटक और उपभोज्य सामग्री**

सं.	विवरण तकनीकी विशेषताएं	लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य

3. **केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना देशीय उत्पादित और खरीदे गए संयंत्र, मशीनरी और उपकरण और कच्चे माल, संघटक और उपभोज्य सामग्री**

सं.	विवरण तकनीकी विशेषताएं	मूल्य

4. **निर्यात किए जाने वाले परिणामी उत्पाद**

सं.	विवरण	क्वालिटी तकनीकी विशेषताएं	मात्रा	जहाज पर निःशुल्क मूल्य

परिशिष्ट 43

आयातकों को कोड संख्या आबंटन करना

भारत में माल का आयात करने वाले प्रत्येक व्यक्ति (चाहे वह व्यक्ति हो, फर्म हो या कंपनी आदि हो) को इस परिशिष्ट के प्रावधानों के अनुसार "आयातक कोड संख्या (आई सी० एन)" प्राप्त करना होगा। यह प्रावधान एक एजेंट के रूप में या प्राधिकार पत्र के धारक के रूप में, या आयात लाइसेंस के हस्तान्तरी के रूप में माल का आयात करने वाले व्यक्ति के लिए भी समान रूप से लागू होगा। इस संबंध में यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955, दिनांक 7 दिसम्बर, 1955 में एक उपबन्ध दिया गया है।

2. सीमाशुल्क प्राधिकारी उस व्यक्ति को आयात की अनुमति नहीं देंगे जिसके पास सम्बद्ध आयात व्यापार नियंत्रण लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा आबंटित की गई कोड संख्या नहीं होगी। संबंधित प्रविष्टि बिल में अपनी कोड संख्या उद्धृत करना आयातक के लिए अनिवार्य होगा।

3. किसी व्यक्ति को आबंटित की गई कोड संख्या उस व्यक्ति द्वारा किसी भी पण्य वस्तु के आयात के लिए वैध होगी।

4. निम्नलिखित मामलों में आयातकों को कोड संख्या प्राप्त करने से छूट दे दी जाएगी :—

(1) यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा द्वारा (11) में आने वाले आयातकों को।

(2) केन्द्रीय या राज्य सरकार के मंत्रालयों/विभागों को।

(3) अपने निजी उपयोग के लिए उस माल का आयात करने वाले व्यक्तियों को जो व्यापार या निर्माण या कृषि से संबंधित न हों।

5. कोड संख्या के आबंटन के लिए आवेदनपत्र निर्धारित प्रपत्र में तीन प्रतियों में उस क्षेत्रीय आयात व्यापार नियंत्रण लाइसेंस प्राधिकारी, को प्रस्तुत करने चाहिएं जिसके अधिकार क्षेत्र के प्रदेश में आवेदक स्थित हो। क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र आयात-निर्यात क्रिया-विधि पुस्तक, 1983-84 के परिशिष्ट-8 में निर्दिष्ट किए गए हैं।

6. जिस कंपनी/फर्म की शाखा हो उसके मामले में केवल कंपनी के मुख्य कार्यालय या पंजीकृत कार्यालय द्वारा ही कोड संख्या के आबंटन के लिए आवेदन करना चाहिए। ब्रांच कार्यालय, मुख्य कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय को आबंटित कोड संख्या का ही उपयोग करेगा।

परिशिष्ट 43-जारी

आयातक कोड संख्या के आबंटन के लिए आवेदन-प्रपत्र

(तीन प्रतियों में भेजा जाना है)

आवेदन-पत्र टाइप किया हुआ या साफ-साफ अक्षरों में लिखा हुआ होना चाहिए।

1. आयातक का नाम

2. (क) आयातक के मुख्य/प्रधान कार्यालय का पूरा पता

(ख) उन विभिन्न नगरों के नाम जहां शाखा कार्यालय स्थापित हैं

(1) ....

(2) ....

(3) ....

(4) ....

(5) ....

....

3. फर्म/कंपनी की स्थापना की तारीख

4. आयात की जाने वाली मुख्य पण्य वस्तुएं (3 अंक भारतीय व्यापार विशिष्टीकरण परिशोधन 2 का भी संकेत किया जाना चाहिए।

(1) .... [|]

(2) .... [|]

(3) .... [|]

(4) .... [|]

(5) .... [|]

(6) .... [|]

(7) .... [|]

(8) .... [|]

(9) .... [|]

(10) .... [|]

मैं/हम एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि यह आवेदनपत्र मुख्य/प्रधान कार्यालय के रूप में हमारी सामर्थ्य के अंदर किया गया है और मैंने/हमने भारत में मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के किसी भी कार्यालय से इस नाम में पहले कोई भी आयातक कोड संख्या प्राप्त नहीं की है या इसके लिए आवेदन नहीं किया गया है।

स्थान : (आवेदक के हस्ताक्षर)

दिनांक : कार्यालय की मुहर के साथ

(लाइसेंस प्रदान करने वाले कार्यालय द्वारा भरा जाना है)

1. आबंटित कोड संख्या ....

2. पार्टी के साथ किए गए पत्राचार की सं० और दिनांक ....

दिनांक

हस्ताक्षर

पदनाम

आयातकों के लिए मार्ग-दर्शन

1. आयातकों की कोड संख्या के लिए आवेदनपत्र केवल मुख्य/प्रधान कार्यालय द्वारा ही भरे जाने चाहिए और उनके क्षेत्र के मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात/संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को भेजें जायें। एक बार आबंटित की हुई कोड संख्या को फर्म के सभी शाखा कार्यालयों द्वारा भारत में किसी भी पत्तन के माध्यम से आयात करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। लेकिन, यदि कोई शाखा कार्यालय मुख्य/प्रधान कार्यालय से भिन्न नाम में कार्य कर रहा है तो उसके लिए कोड संख्या प्राप्त करनी पड़ेगी। कोड संख्यायें फर्म के आयात कार्य-कलाप के निलम्बन करने के साथ निलम्बित नहीं की जायेंगी और वे आने वाले समय के लिए वैध रहेंगी।

2. कंडिका 4 में सूचना पण्य वस्तु विवरण के अनुसार और 3 अंक स्तर पर आईटीसी परिशोधन-2—कोड के अनुरूप दी जाती है। यह फार्म के कार्य-कलाप के क्षेत्र का पता लगाने के लिए अपेक्षित है।

3. इस प्रपत्र में दी गई सारी सूचना को पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जाएगा और किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भी अभिकरण को बताया नहीं जाएगा।

A

परिशिष्ट—44

सॉफ्ट वेयर की निर्यात परियोजना के अधीन कम्प्यूटर/ सब-सिस्टम के आयात के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र।

सॉफ्टवेयर निर्यात परियोजना के लिए आवेदन पत्र

(यदि आवेदन पत्र देने के बाद विषय सूची में कोई परिवर्तन नहीं है, तो पहले भेजे गए दस्तावेजों को दुबारा भेजने की आवश्यकता नहीं है)

(क) **संगठन का विवरण**

(जो पहले नहीं भेजा गया है, उस सीमा तक)

कम्प्यूटर प्रोजेक्ट प्रतिस्थापन स्वामित्व आदि के कम्पनी की पहले के रिकार्ड को शामिल करना। वह योजना जिसके अधीन आयात प्रस्तावित है . . . .

(ख) **निर्यात सम्भावना**

1. प्राप्त पक्के आदेशों का कुल मूल्य रु. (समर्थक दस्तावेजों की जो प्रतियां संलग्न करें)।

2. प्रत्याशित आदेशों का कुल मूल्य रु. (समर्थक पत्रों आदि की प्रतियां संलग्न करें)।

3. कृपया यह बताएं कि निर्यात आदेशों को पूरा करने के लिए प्रस्तावित कम्प्यूटर उपस्कर का आयात क्यों आवश्यक है?

4. कृपया यह स्पष्ट करें कि स्थानीय उपलब्ध या स्थापित कम्प्यूटरों के उपयोग से निर्यात की प्राप्ति क्यों नहीं हो सकती?

5. कृपया नियोजित निर्यात गतिविधियों, कम्प्यूटर आवेदन पत्र के क्षेत्र, आपके द्वारा बाजार के लिए प्रारम्भिक किए गए अध्ययन का परिणाम, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्यात आदेश प्राप्त करने के लिए आप किस प्रकार योजना बना सकते हैं और सम्बद्ध कम्पनियों, एजेन्टों आदि के ब्यौरों का उल्लेख करें।

(ग) **तकनीकी क्षमता**

1. कृपया नियुक्त किए व्यावसायिक एवं तकनीकी कर्मचारियों का संक्षेप में ब्यौरा संलग्न करें। उनके नाम, आयु, शिक्षा, कम्प्यूटर अनुभव की कुल अवधि से संबंधित विशेष रुचि के क्षेत्र बताए।

2. यदि संगठन के पास पहले का कोई निर्यात अथवा देशी कम्प्यूटर का अनुभव है तो कृपया उन परियोजनाओं की सूची यह दर्शाते हुए प्रदान करें :—

(क) ग्राहकों का विवरण

(ख) परियोजना का नाम और संक्षेप में विवरण

(ग) परियोजना का मूल्य

(घ) कार्य की प्रकृति

3. निम्नलिखित का ब्यौरा देते हुए यह बताए कि निर्यात वचनबद्धता को प्राप्त करने के लिए आप क्या योजना बना सकते हैं :—

(क) संचालन का क्षेत्र

(ख) परियोजनाओं के कार्यान्वियन की विधि

(ग) कार्मिकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण और उनमें वृद्धि के कार्यक्रम

(घ) **आयातित कम्प्यूटर के उपयोग की योजना**

(1) कम्प्यूटर कहां स्थापित किया जाएगा।

(2) कम्प्यूटर अवधि का सम्भावित समानुपात और निर्यात परियोजनाओं में लगाए जाने वाले कार्मिक।

(3) लिए जाने वाले घरेलू कार्य की प्रकृति और विवरण।

(ङ) पांच वर्षों के लिए संभावित वर्ष वार निर्यात।

(च) माल की सूची, बीजक प्रपत्र, साहित्य और समर्थक दस्तावेजों के साथ प्रपत्र "ड़" (सी. जी.)/एन. आर. आई. (जो भी लागू हो) में आयात लाइसेंस का आवेदन पत्र।

B

परिशिष्ट-44—जारी

कम्प्यूटर/कम्प्यूटर सब सिस्टम/कम्प्यूटर पर आधारित सिस्टम के आयात के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र।

विषय :—. . . . . . . मूल्य जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य/लागत बीमा भाड़ा मूल्य का (भारतीय अभिकरण) के माध्यम से (विदेशी संभरक) द्वारा . . . . का आयात।

1. उपयोक्ता संदर्भ सं.
2. उपयोक्ता संगठन का नाम
3. पता
4. सम्पर्क किए जाने वाले व्यक्ति
5. आयात की जाने वाली कम्प्यूटर मदें समाकृति विवरण के साथ

क्र. सं.	माडल सं.	संख्या	विवरण	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल/लागत बीमा भाड़ा मूल्य

6. फालतू पुर्जे, औजार एवं परिक्षण उपस्कर (कीमत)
7. प्रलेखन एवं प्रशिक्षण खर्चे
8. भारतीय रुपयों में देय अभिकरण कमीशन/सेवा खर्चे और भारतीय अभिकरणों की भूमिका
9. संगठन की पृष्ठभूमि
10. उपस्कर के अंतिम उपयोग का स्पष्ट उल्लेख करते हुए प्रस्तावित कम्प्यूटर मदों के आयात के लिए औचित्य
11. यदि श्रम मंत्रालय से निकासी अपेक्षित है, तो उस पत्र की प्रति संलग्न करें।
12. सक्षम प्राधिकारी से बजट संबंधी प्रावधान
13. क्या देशी सिस्टम से आपकी आवश्यकता पूरी हो सकती है? यदि हां, तो उसका कारण बताएं और आपके द्वारा चुने गए सिस्टम का तुलनात्मक विवरण संलग्न किया जाना चाहिए।
14. क्या वर्तमान आयात विद्यमान कम्प्यूटर सिस्टम में वृद्धि के लिए है। यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित का उल्लेख करें :—
    (क) विद्यमान कम्प्यूटर सिस्टम की पूर्ण समाकृति सिस्टम
    (ख) संदर्भ
    (ग) आयात करने और उसे स्थापित करने की तारीख
    (घ) जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य/लागत बीमा-भाड़ा मूल्य
    (ङ) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान उसमें और आगे वृद्धि के लिए विचार
15. आयात की जाने वाली प्रस्तावित मदों से संबंधित तकनीकी साहित्य और बीजक प्रपत्र की प्रति संलग्न है।
16. प्राधिकरण की शर्तें
17. रख-रखाव योजना
18. अन्य दूसरी अभियुक्तियां
19. माल की सूची, बीजक प्रपत्र साहित्य और अन्य समर्थन दस्तावेजों के साथ "ई" सी. जी./एन. आर. आई. (जो भी लागू हो) प्रपत्र में आयात लाइसेंस आवेदन पत्र

टिप्पणी :—

(1) यदि पूर्ण सूचना नहीं दी जाती है, तो आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

(2) प्रपत्र में दिए गए स्थान के भीतर सभी विवरण लिखे जाने चाहिए। केवल विशेष मामलों में ही उसी आकार के अन्य पृष्ठ संलग्न किए जा सकते हैं।

(3) इसकी एक प्रति पर्याप्त है।

(4) आयातित कम्प्यूटर सिस्टम/कम्प्यूटर संबंधी उपस्कर का रख-रखाव उपयोक्ता द्वारा घर पर ही किया जाना है अथवा कम्प्यूटर रख-रखाव निगम द्वारा।

(5) आवेदन पत्र के साथ आयात की जाने वाली प्रस्तावित मद का तकनीकी साहित्य और बीजक प्रपत्र की प्रति, आवश्यक संलग्न होनी चाहिए।

———

उपयोक्ता के हस्ताक्षर. . . . . .
दिनांक. . . . .
कार्यालय की मुहर. . . . . . .

परिशिष्ट-45

जिन मशीनरी के लिए विज्ञापन क्रियाविधि की आवश्यकता नहीं होगी उनकी सूची

1. 1200 के डब्ल्यू से अधिक की हाई फ्रीक्वेंसी इन्डक्शन मेल्टिंग भट्टियां।
2. 600 के डब्ल्यू से अधिक के हाई फ्रीक्वेंसी इन्डक्शन हीटिंग उपस्कर।
3. फ्लोरोसेंट लैंप के विनिर्माण के लिए मशीनरी और उपस्कर (भट्टियों को छोड़कर)।
4. सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैंप के विनिर्माण के लिए मशीनरी और उपस्कर (भट्टियों को छोड़कर)।
5. मरकरी वेपर लैंप के विनिर्माण के लिए मशीनरी उपस्कर (भट्टियों को छोड़कर)।
6. फ्लोरोसेंट ट्यूब्स के लिए ट्यूब्यूलर ग्लास शेल्स के लिए हॉरिजेंटल ट्यूब ड्राइंग लाइन (भट्टियों को छोड़ कर)।
7. जी. एल. एस. लेंस के ग्लास शेल्स के लिए 16 हैड कैरोसल मशीन।
8. 77 एम. एम. से अधिक बार क्षमता की मल्टी स्पिन्डल बार आटोमैट्स।
9. 200 एम. एम. से अधिक चकिंग व्यास के मल्टी स्पिन्डल चकिंग आटोमैट्स।
10. 120 एम. एम. बोर के व्यास से अधिक का इंटरनल और फेस ग्राइन्डर।
11. होनिंग मशीन।
12. दो रंग वाली हाई स्पीड टिन प्रिंटिंग मशीन।
13. लेटर प्रेस और आफ-सेट छपाई की मशीन के लिए फोटो-मैकेनिकल प्री-फेस प्रूफिंग सिस्टम।
14. टाइम नियंत्रण के लिए एफलयूएंटस के लिए सुवाहन स्वचालित आतंरिक सैंपलर।
15. 3/5 लेयर प्लास्टिक पैकेजिंग फिल्मों के विनिर्माण के लिए विशेष डिजाइन रोटेटिंग डाई के साथ कम्पोजिट एक्सट्रूशन्स लाइन।
16. एक साथ ही बैंक, शोल्डर और बर्तनों की बाडी की मोल्डिंग के लिए इंजेक्शन स्ट्रैच माउलडिंग मशीनें।
17. पी. वी. सी. कारूगेटिड शीट मेकिंग मशीन।
18. बैनेसिलआइज्ड पोलिस्टर फिल्म के विनिर्माण के लिए कम्पोजिट एक्सट्रूशन्स लाइन।
19. हौजरी नीडल्स बनाने के लिए मशीनरी।
20. पोलिस्टर जिप फास्टनर्स बनाने के लिए विशिष्टिकृत मशीनरी।
21. धात्विक बाल पेन टिप्स बनाने के लिए आटोमेटिक मशीन "पिनोटोमेटिक टाइप"।
22. वीविंग टायर कोर्ड फैब्रिक के लिए हैवी ड्यूटी लूम्स।
23. सिन्थेटिक टायर यार्न वियरिंग मशीन्स।
24. ओपन एंड स्पिनिंग मशीन।

CHAPTER 1

INTRODUCTION

Origin

1. Import Trade Control was introduced in India as a war time measure in the early period of the Second World War. A notification regarding this was issued on May 20, 1940, in exercise of the powers conferred under the Defence of India Rules. The primary objective of this notification was to conserve foreign exchange resources and to restrict physical imports so as to reduce the pressure on the limited available shipping space. Under the initial order the import of only 68 commodities, mainly consumer goods, were brought under control. Subsequently, as foreign exchange resources came under pressure, import control was extended to other commodities as well. On December 31, 1940, unmanufactured and semi-manufactured steel were brought under control. On February 15, 1941, the import of machine tools was controlled. On August 23, 1941, many other commodities particularly capital goods and other industrial requirements were brought within the purview of import control. This process of increasing the coverage under the import control continued. In January, 1942, some more items were brought under its purview. Finally, on July 1, 1943, a consolidated notification was issued covering all the controlled items, except machine tools.

Development of the legislation

2. After the end of the war, the Defence of India Rules lapsed and hence in September, 1946, the Emergency Provisions (Continuance) Ordinance 1946, was promulgated to continue to Import Trade Control provisions. This was ultimately replaced by the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947) which came into force with effect from 25th March, 1947, initially for a period of three years. Thereafter the validity of this Act was extended for two successive terms of five years each, one term of six years and a further term of five years upto March 31, 1971. Thereafter this Act was extended for an indifinite period. Several notifications had from time to time, been issued under this Act. These were replaced by a consolidated Order called the Imports (Control) Order No. 17/55, dated December 7, 1955. This Order, as amended from time to time, continues to be in force. On November 4, 1975, the Imports & Export (Control) Amendment Ordinance, 1975 (No. 19 of 1975) was promulgated with a view to making provisions for stringent action for misuse of import facilities. The Ordinance was later replaced by the Imports & Exports (Control) Amendment Act, 1976, as passed by Parliament. The Imports and Exports (Control) Act, 1947, and the Imports (Control) Order, 1955, as amended upto 15th April, 1983 are reproduced in Appendices 1 and 2 to this book.

3. The Export (Control) Order 1977 is reproduced in Appendix 2.

Items under control

4. At present, Import Control covers practically all articles and these are included in Schedule 1 to the Imports (Control) Order, 1955. The import of such items is prohibited except under and in accordance with a licence or a customs clearance permit issued under the said Order or an Open General Licence issued by the Central Government, or if they are covered by any of the savings mentioned in Clause 11 of the aforesaid Order. Import of gold, silver, currency notes, bank notes and coins is controlled by the Reserve Bank of India, under the Foreign Exchange, Regulations Act.

Export Control

5(1) Export Control covers only the items included in the Scheduled I to the Exports (Control) Order, 1977. The exports of goods.

(a) not included in the said Schedule; or

(b) falling within the purview of Clause 15 of the Exports (Control) Order, 1977; or

(c) covered by an Open General Licence included in the Import & Export Policy, 1983-84.

(2) Export of Gold, Currency Notes, Bank notes and Coins is controlled by the Reserve Bank of India under the Foreign Exchange Regulations Act.

Import/Export Policy

6(1) The Import/Export Policy is announced, for each financial year, by means of Public Notices in the Gazette of India Extraordinary. The Import-Export Policy for 1983-84 has been issued in two Volumes. Vol. I contains the policy for Imports & Exports Promotion, and Volume II contains the policy in respect of items subject to export licensing. These are periced publications and are available for sale with the regional licensing authorities, the Manager of Publications, Delhi and other authorised dealers in Government publications.

(2) Changes/amendments in the Import or Export Policy that become necessary from time to time are separately notified by means of Public Notices; the provisions of the above Policy Book are subject to such amendments/changes as and when notified.

(3) Instructions and guidelines contained in this Book are applicable subject to such amendments/changes as may be made from time to time.

(4) The Chief Controller of imports and Exports may, by issuing a Public Notice, evolve any special procedure for the issue of Import/Export licences in respect of any licensing period or commodity or any category of importers/exporters. In such cases the prescribed procedure for submission of applications and their processing, will be applicable only to the extent laid down in such Public Notice.

Import/Export Licences without prejudice to other Laws

7. An Import or Export licence is issued without prejudice to the operation of other laws to which the goods of the applicant/licence-holder may be subject. This applies also to goods allowed for import/export on Open General Licences. It is expected of every person concerned that he has complied and continues to comply with all other laws applicable to his case at all times.

Countries of Import/Export

8. Unless otherwise provided therein, Licences for import and export, including Open General Licences, will be valied for import or export, from and to any country in the world except South Africa & South West Africa.

CHAPTER II

GENERAL LICENSING PROCEDURE

9. This chapter deals with import licensing procedure. The export procedure is given in a separate chapter. The instructions contained in this Book will be subject to the provisions of the relevant import/export policy.

Importers' Code Numbers

10. The system of allotment of Code Numbers to importers has been in force since 1st July, 1982. Every person (whether an individual or firm or Company etc.) importing goods into India will require Code Number, unless specifically exempted by the Chief Controller of Imports & Exports. The Customs authorities will not allow any person to import goods into India unless such person holds a valid Importer Code Number. Therefore, importers are advised to take early steps to obtain the required Code Number. Code Numbers will be allotted by the regional import trade control licensing authorities concerned. The procedure for obtaining Code Numbers is given in this book.

Categories of Importers

11. (1) For the purpose of licensing the importers are divided into the following broad categories :—

(i) Actual Users.

(a) Industrial

(b) Non-Industrial

(ii) Registered Exporters i.e. those who import under the import policy for registered exporters.

(iii) Others.

(2) Applications for licences are considered in terms of the relevant policy in force.

Application Form

12. (1) Applications for licences are required to be made on prescribed forms.

(2) The prescribed forms of application are given in Appendix 11. Forms meant for registered exporters are given in Appendix 10.

(3) Application forms can be obtained from licensing offices and authorised dealers in Government publications. If the forms are not readily available, the applicants can use their own typed, cyclostyled or printed copies of the prescribed forms.

(4) An applicant should submit one or more copies of the application, as required, under the rules or as indicated in the prescdibed application form.

Persons Authorised to sign Application

13. Every application for an import licence or other document or form under the Imports and Exports (Control) Act or the Imports (Control) Order, 1955 should be signed by the applicant himself or by a person duly/legally authorised by the applicant to do so. The position or nature of such legal authority held by the person signing the application/document/form should be clearly given therein, along with the official stamp of his connected status. Otherwise such application/document/form will receive no consideration by the licensing authority. These requirements apply equally to applications made to canalising agencies for direct allotment of any canalised item.

Application Fees

14. (1) The scale of fees payable for different types of import applications, including those for Customs Clearance Permits, is given in the Schedule III to the Imports (Control) Order, 1955 vide—Appendix 2. Every application form should be accompanied by a valid Bank Receipt/Demand Draft evidencing the payment of the prescribed fee. If the applicant is exempt from such payment of fee under Imports (Control) Order, 1955 this should be clearly brought out in the application itself.

(2) The procedure for payment of fees is given in Appendix 9.

(3) No fees need be paid by an applicant seeking direct allotment of a canalised item under the policy from a canalising agency.

(4) The procedure to be followed for claiming refund of application fee once deposited is given in Appendix 9.

Last date of Application

15. (1) The last dates for submission of applications by specified categories of applicants, have been given in the Import-Export Policy, 1983-84. Where no such date has been set down, application can be made any time upto 29th February, 1984.

(2) If the last date prescribed happens to be a public holiday or, for reasons beyond the applicant's control, the application cannot reach the licensing authority/office on or before the said last date, the applications received on the following working day may be treated as received on the prescribed last date.

(3) Where an application is required to be routed through a sponsoring authority, it should be made to

it well in advance of the last date prescribed. That authority will record, in the recommendation sent to the licensing authority, the date on which the application was in fact received by it. It is expected of all the sponsoring authories that every such application is sent to the concerned licensing authority, so as to reach it on or before the prescribed last date.

16. (1) There will be no last date, within the licensing period, for submission of applications by individuals for import of goods for their personal use.

(2) There will also be no last date, within the licensing period, for submission of applications for the grant of Advance/Imprest licences under the import policy for Registered Exporters.

Income-tax verification

17(1) Every application for an import licence shall be accompanied by a declaration (in duplicate) regarding the filing of the Income Tax Returns and payment of taxes due by the applicant, in the forms given in Appendix 11. Attention is particularly drawn to the fact that the declaration is in two parts, (A) and (B) and the applicant should ensure that the part not applicable to him is clearly struck off.

(2) All Public Sector Undertakings (Central or State) will be exempt from filling the Income Tax declaration referred to in sub-para (1)

(3) Applicants in the private sector who have been exempted from production of Income Tax Verification Certificates under the Pilot Scheme introduced by the Ministry of Finance, will also not be required to file the Income Tax declaration referred to in sub-para (1) above.

Licensing Authorities

18. (1) The designation, areas of jurisdiction and address of the licensing authorities are given in Appendix 8. Applications should be submitted to these authorities, depending upon the location of the applicant.

(2) Registered Exporters should also apply for import replenishment licences to the respective licensing authorities mentioned in Appendix 8.

(3) Actual user should apply to the licensing authority under whose jurisdiction the factory of the applicant is located, unless otherwise provided.

(4) Actual Users (Industrial) have the option to submit consolidated applications covering requirements of all their factories located at more than one place. In such cases the requirement of each unit should be separately given in a list appended to the consolidated application, together with separate consumption certificates, for each. On the basis of the consolidated application made to the licensing authority within whose jurisdiction the Registered/Head office is situated, separate licences will be issued, in terms of the policy, to each unit for the value/items admissible to it.

(5) Where a single unit manufactures more than one end-product, the applications should be made end-productwise. For related end products, however, a single application can be made.

Deficient Applications

19. Import applications which are not (i) in the prescribed form, (ii) accompanied by Bank Receipt/Demand Draft for the requisite application fee; (iii) accompanied by the necessary documents; (iv) accompanied by necessary documents setting out the authority of the person signing it; (v) received after the last date prescribed in the Policy or (vi) accompanied by properly executed Income-tax Declaration are liable to be rejected. Applicants are expected to complete all columns in the application form truly and properly. They may take the help of the Counter Assistance System to make sure that all these requirements are met.

Currency Areas

20. Import licences of the following two types are issued :—

(i) "General Currency Area Licences" which are valid for import from all countries except those from which import is prohibited; and

(ii) "Specific licences" which are valid for import from specified country or countries.

Licensing Period

21. (1) Import and Export Policy is announced for each financial year—April to March, which is commonly known as the "Licensing Period."

(2) Import-Export Policy Book as well as the Hand Book of Import-Export Precedures are priced publications. These are available for sale through the authorised dealers in Government Publications.

Classification of Items

22. (1) The Schedule I to the Imports (Control) Order, 1955, reproduced in Appendix 2 to this Book, commonly known as the I.T.C. Schedule, contains the classification of all the articles that enter into the import trade.

(2) With effect from 1st April, 1976 the Schedule I to the Imports (Control) Order, 1955 reproduced in Appendix 2 to this Book has been revised in Alignment with the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), The Revised ITC Schedule contains 21 Sections sub-divided into 99 Chapters.

(3) There is now a complete co-relation between ITC classification and ICT classification. Both these are based on BTN Classification. (Brussels Trade Nomenclature).

Important Hints to Importers

23.(i) Application for licence should be made in the prescribed form.

(ii) Application form should be filled neatly and accurately. No column should be left blank. The words "yes" or "no" or "not appliable" can be used against the columns in the application form wherever necessary. If the applicant is not able to give answer to any particular column, he should give a positive reason for the same.

(iii) The information in the prescribed form should be given faithfully and correctly.

(iv) The original Bank Receipt/Bank Draft showing payment of application fee on the value applied for should be attached to the application.

(v) All the required documents should be attached to the application and all the enclosures to the application should be detailed in the covering letter of the application, giving particulars of each document.

(vi) The application should be signed by an authorised person who should give his address and the position held by him.

(vii) Postal addres of the applicant should be given completely and neatly.

(viii) The correct and complete reference number, if any, of the licensing authority should be quoted.

(ix) Application should be sent by post to the appropriate licensing authority or sponsoring authority concerned as provided in the procedure, or delivered at the counter in the office of the licensing authority or the sponsoring authority, as the case may be, before the last prescribed date.

(x) The actual users borne on the registers of Director General of Technical Development should also quote in their applications the code number allotted to them by the D.G.T.D. If no code number has been allotted, the words "not allotted", should be written against the appropriate column at the top of the prescribed application form.

(xi) Actual user should submit a consolidated application covering the requirements of unit in respect of raw materials an dcomponents for each end-product. For related end products manufactured by the same unit, a single application can be made.

(xii) While furnishing the lists of goods sought to be imported, the applicants should ensure that the lists are prepared in a good and durable paper in order to avoid probable in convenience at the time of clearance of goods at the Customs. In the case of units borne on the books of the D.G.T.D., the applicants should ensure that the extra copies of the list of goods prepared by them for submission to the licensing authority are strictly in accordance with the list cleared by the D. G. T. D.

(xiii) On receiving an import licence, the licensee should carefully check whether the licence received by him is complete in all respects. In particular the licensee should check whether :—

(a) The licence is accompanied by the list of items permitted for import, if such list has been referred to in the body of the licence.

(b) Each page of the list has been duly signed by the licensing authority.

(c) Each page of the list bears the security seal affixed by the licensing authority.

(d) The changes, if any, made in the list have been duly attested by the licensing authority.

(e) Both the copies of the licence bear the security seal affixed by the licensing authority.

(f) The conditions imposed on the licence have been duly signed by the licensing authority.

(g) The condition, if any, deleted from the licence has been attested by the licensing authority.

(h) In the case of licences issued against foreign credits, the conditions applicable to the credit have been attached to the licence, if there is a reference to such attachment in the body of the licence; and such conditions have been duly signed by the licensing authority.

(i) Every signature of the licensing authority appearing on the licence, or on the list attached to licence; or on the conditions attached to the licence, has been duly authenticated by a security seal affixed above signature.

If the licensee finds that the licence is deficient in any respect he should immediately bring the matter to the notice of the licensing authority concerned and return the licence to the licensing authority for doing the needful.

CHAPTER III

ACTUAL USERS

24. (1) **Definition.**—"Acutal User (Industrial)" shall mean an industrial undertaking, be it in the large scale, small scale or cottage industries sector, engaged in the manufacture of any goods for which it holds a licence or Registration Certificate from the appropriate Government authority, whereever applicable.

(2) Actual Users (Industrial) are those who require raw materials components, accessories, machinery and spare parts for their own use in an industrial manufacturing process.

(3) Industrial machinery held by an Actual User (Industrial) in his manufacturing unit may be on ownership or on lease basis. In the case of machinery, held on lease, an intimation should be given by the Actual User to the sponsoring authority concerned.

(4) **Categories of actual users.**—Broadly speaking there are three categories of industrial actual users, viz., (i) scheduled industries borne on the registers of the Directorate General of Technical Development (ii) scheduled industries not borne on the registers of the Directorate General of Technical Development and non-scheduled industries other than small scale industries, (iii) small scale industries

Sponsoring Authorities

25 (1) A list of sponsoring authorities is given in Appendix 7.

(2) General Managers of District Industries Centres have also been designated sponsoring authorities for concerned units in the small scale and cottage sectors.

(3) In cases where the import applications are to be routed through the sponsoring authorities under the import policy in force, the assessment of the import requirements of the units will be made by the sponsoring authority having regard to the import policy applicable thereto.

(4) In the matter of processing of import applications, the Development Commissioner (Small Scale Industries), New Delhi may give such general directions to the sponsoring authorities as he considers desirable or necessary. He may also make a check, ex-post-facto of the recommendations for issue of licences made by the sponsoring authorities to see whether they conform to the general policy.

Scheme of Registration

26. Units which are not required to secure industrial licences or registration certificates under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 are advised to get themselves registered with the concerned sponsoring authorities, for the more convenient disposal of their application from time to time. Even such units as are holding a licence or registration certificate under the said Act may do so in respect of their other requirements, if any. Relevant proforma of application for registration is given in Appendix 15 to this Book.

27. (1) The scheme of registration of small scale industries has been in vogue since 1960. All small scale industries, requiring imported inputs are covered by it and have to get themselves registered with the Concerned State Director of Industries.

(2) Actual Users (Non-Industrial) are not required to get themselves registered with the State Directors of Industries, for the purpose of import policy, although, in certain cases, their import applications require the recommendation of the State Director of Industry.

28. The registration number (and date thereof) allotted to the unit under the scheme should be quoted by the applicant in his application for an import licence or the allotment of a canalised item. In the absence of a valid registration number, such applications will be liable to be rejected. Every licensing authority and canalising agency is, hereby, authorised to call for such further information as it deems necessary to satisfy itself about the validity or scope of the registration.

29. (1) The (State) Directors of Industries will send to the licensing authorities and canalising agencies concerned a copy of each of the registration certificates issued to small scale units in their jurisdiction. Intimation about their cancellation or any amendment therein should be sent by them to the licensing authorities and canalising agencies simultaneously with the communication made by them to the small scale units.

(2) Where an existing unit is registered for the manufacture of a new end-product (with or without additional machinery), the State Director of Industries will enter such new end-product in the existing registration certificate already held by the same unit; in such cases separate registration certificate will not be issued and the unit concerned will continue to be treated as an existing unit for the purpose of import licensing.

30. If at the time of registration, a unit has not yet installed machinery or is not in production, the registration certificate will bear the endorsement "not in production". This will be deleted by the (State) Director of Industries only after his verification that the unit has gone into production.

31. Units transferred from the list of DGTD to the Small Scale Sector should get themselves registered at the earliest with the respective State Directors of Industries and vice-versa. However, in such cases, pending registration with the DGTD or the State Director of Industries, as the case may be, the unit concerned will continue to have the import facilities (other than Capital goods) in their present status for a reasonable period of time

32. It will be open to the licensing authority or a canalising agency not to accept a registration certificate issued by the (State) Director of Industries to an Actual User. Where it is so considered, the unit should be asked to obtain a fresh registration.

33. (1) Without prejudice to the generality of the above provision, however, import licences for 1983-84 will be granted to small scale units on the basis of registration certificates already held by them or issued to them in 1982-83, on production of a declaration from the applicant that his registration certificate has not been cancelled or withdrawn or Suspended and that the unit is actually in operation. This declaration will not be insisted upon in cases where the Registration-Certificate was less than 5 years old on 1-4-1983.

(2) The provisions made in Sub-para (1) will also apply to the allotment of canalised items by canalising agencies.

Actual users to maintain Account of Consumptions

34. (1) Every Actual User should maintain a true and proper account of the consumption and utilisation of imported goods in the proforma given in Appendix 18. In the event of his failure to maintain an account in this manner in respect of any goods imported against a licence including OGL or received as allotments from canalising agencies. The application for issue of further licences or allotments will be liable to rejection without prejudice to any other action under law that may be taken against him. The onus will at all times be on the Actual User to satisfy the sponsoring authority as well as the Chief Controller of Imports & Exports or other licensing authority that he has done so and is in a position to prove his bona fides, including the Actual User condition specifically applicable, beyond reasonable doubt and that he has fully abided by the law and each one of the conditions subject to which he secured the imports or allotments or transfer/loan of imported goods. The Actual User shall be required on demand to produce the accounts and registers of receipts, consumption and utilisation of imported materials maintained by him, to the licensing authority or sponsoring or any other Government authority authorised by the Chief Controller of Imports & Exports to inspect or verify them.

(2) Imported goods procured by the Actual User from Trading Houses, Export Houses, Associations or Cooperative Societies of Actual Users or public sector agencies, which have been assigned the role of supplying imported inputs to Actual Users under the Import-Export Policy in force, shall also be subject to 'Actual User' condition. Proper account of procurement and consumption of such goods should also be maintained, indicating clearly the source from which goods were received.

(3) From 1982-83, Actual Users should maintain a separate account of import and consumption of items received under the system of Supplementary licences obtained by the unit under the import policy in force for Actual Users.

35. The accounts of receipts, consumption and utilisation of imported materials for the year 1975-76 and onwards, shall be maintained and preserved by the licensee for a period of at least 8 years, commencing from the expiry of the year to which the relevant account pertains. The accounts of earlier year shall also be maintained and preserved for a period of 8 years, commencing from the expiry of the year to which the account pertains or for 2 years from 1-4-75 whichever is later.

36. If the Actual User is in any circumstances unable to comply with Para 35 above, he may seek the prior written permission of the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi, but continue to preserve (and maintain the postings of) the current registers to the best of his ability. However, in all such cases the Actual User will have the duties and obligations set down in para 34 above.

37. While considering requests for transfer of an industrial units having imported machinery, the sponsoring authority will satisfy itself that the above accounts and registers maintained by the transferor will either continue to be preserved by him as above or be handed over to the transferee against a detailed acquittance. Both the transferor and transferee shall nonetheless be fully responsible, singly and jointly, in law for the proper and full discharge of their duties and obligations.

Intimations of Grant/Rejection of Licence

38. (1) Intimation about the grant or refusal of licence in every case will be sent by the licensing authority to the sponsoring authority concerned, this will also include automatic licences. For this purpose, a copy of the licence forwarding letter together with the value of the licence and the list of items allowed (if any) or rejection letter will be endorsed. The said forwarding letter will also indicate the end-product. The licensing authority will send copies of such communications also to the Central Excise authority and Income tax authority concernel with the applicant.

(2) While sending intimation to the sponsoring authority, the Central Excise authority and the Income tax authority, copies of the consumption statement on the basis of which the automatic licence is granted, will also be sent.

(3) Intimation regarding the grant of REP licences to manufacturer-exporter with "Actual User" condition, will also be sent to the licensing authority & the sponsoring authority/Central Excise authority concerned, as required under sub-para (1) above.

Canalising Agencies to Inform Sponsoring Authorities

39. Each canalising agency will send to the sponsoring authorities concerned, monthly statements of the direct allotment made by it of canalised items, giving the names of the allottees, their addresses, licence/registration numbers, quantities and dates of allotment/release.

Check on Utilisation

40. The sponsoring authorities concerned will check up whether the imported materials have been properly used by the Actual Users in their jurisdiction and whether they have maintained a true and proper ac-

count of import and consumption, in the form and manner prescribed. They will also exercise diligence and care in agreeing to requests for transfer/loan of imported material from one Actual User to another as provided in the policy. They will promptly report to the licensing authority concerned such cases in which the Actual Users have contravened the conditions subject to which the goods including Capital Goods were allowed for import or allotted by canalising agencies or otherwise transferred/lent. The licensing authority will then initiate action as required under import law against the defaulter, but without prejudice to (other) penal action which the sponsoring authority can take under its own powers, if any.

Chartered/Cost Accountants and Chartered Engineers

41. (1) Chartered/Cost Accountants and Chartered Engineers are expected to exercise due care and diligence in furnishing certificates for the different purposes contained in the Import/Export Policy. It is on their responsible discharge of the functions so set down that the success of the liberalised procedure depends. This is equally applicable to other persons who are authorised to issue certificates under the import policy in force. If, at any time, it is found that the certificate issued by them did not contain correct information, it would attract penal provisions of import export control regulations.

(2) The import-export policy contains various provisions according to which consumption/export statements etc. to be furnished by importers are those applying for Export House Certificate or Trading House Certificate or Export Performance Certificate have to get their performance certified by a Chartered Accountant or Cost Accountant, in practice, who is not a partner, or proprietor or a director or any employee of the concerned firm or company or its associates. In such cases, the persons concerned can also obtain the required certificate from a Company Secretary, in practice, instead of a Charactered Accountant or Cost Accountant.

Automatic licences

42. Applications for automatic licences are to be made to the regional licensing authorities concerned in the form and manner prescribed in the import policy The import licences will not bear any specific list of items and will be valid for import of raw materials, components, consumables and spares as per the provision of the relevant import policy. It will be incumbent on the Actual User Licensee to import only those items which the import licence permits and which are required for use in his factory for the manufacture of the end-product for which the licence has been obtained.

Supplementary licences

43. (1) Actual Users whose import requirements cannot be met through automatic licences may apply for supplementary import licences for raw materials, components, consumables and spares as per the provisions made in the relevant import policy. Applications for such licences may be made through the sponsoring authorities concerned.

(2) Application for supplementary licence should be made in time within the last date prescribed. Such applications can be made only after the actual user has applied for (or obtained) automatic licence for the same licensing period. The applicant should give adequate information to justify the need for supplementary licence in addition to the Automatic licence already applied for or obtained.

(3) Each application for supplementary licence should be accompanied by a list of the items sought to be imported and the value of each item, besides other information which the applicant is required to furnish in terms of import policy in force. Complete justification should be given by the Actual User while claiming supplementary licence.

(4) The sponsoring authorities, while recommending application for supplementary licences will also indicate in their recommendations reasons for which the import of the items recommended by them is essential and the requirements of the Actual User cannot be met from Automatic licence or indigenous sources or other authorised channels of import.

Spares for after-sales service

44. (1) Applications for licences for import of spares required for providing warranty coverage/after-sale service to customers in accordance with the provision made in the import policy may be made to the regional licensing authority concerned in the same form as that applicable to automatic licences but with the additional information and certificates as required under the import policy.

(2) Import licences issued under this provision will be subject to the following conditions :—

> "The goods imported against this licence shall be used only for servicing and maintenance (whether free of cost or at a price) of the machinery/equipment/vehicles manufactured by the licensee."

(3) Value of import licences received by Actual User (Industrial) under this provision should be intimated by them to the DGTD, New Delhi, to enable them to keep a watch on the standard of the service rendered by the Actual Users to the customers.

(4) Provisions for providing warranty/after-sale service in respect of the machinery exported, have been made separately in the Chapter pertaining to Registered Exporters.

Emergency licences for Spares

45. Applications for emergency licences for import of spares under the import policy in force should be accompanied by a list of the items sought to be imported and a declaration of the Chief Executive i.e. Chairman/Managing Director/Executive Director/Managing Partner, as under :—

> "I declare that our application for the grant of emergency licence for spares is in conformity with the import policy in force as there has been an actual/imminent breakdown of production

machinery. The emergent import of spares has been necessitated because of the following :—

(Broad particulars of the situation to be given)"

Production Returns

46. (1) All Actual Users should send monthly (quarterly in the case of SSI units) production returns to their sponsoring authorities. The names of units failing to submit complete monthly/quarterly production returns will be intimated by the sponsoring authorities to the licensing authorities concerned. Applications for further licences in the case of such defaulting units will be liable to be rejected, without prejudice to any other action that may be taken against them in this behalf.

(2) Cases in which the import applications are made through the sponsoring authorities, while processing the applications, the sponsoring authorities will also check whether the applicant has furnished to them complete monthly/quarterly production returns for the earlier year and uptodate for the year in respect of the end-product, to which the import application pertains.

(3) The Import-Export Policy provides for all Actual Users to send statements/declaration of their imports effected under Open General Licences to the licensing authorities and sponsoring authorities concerned. Actual Users failing to comply with this requirement will also be liable to action under the import control regulations.

(4) The Import-Export Policy also provides for all Actual Users to send half yearly returns setting out the percentage of indigenisation achieved in his approved phased manufacturing programme. Actual Users failing to comply with this requirement will also be liable to action under the Import Control Regulations.

(5) A Special List Attestation Procedure (LA Procedure) has been introduced with effect from 1st April, 1983 for import of components by DGTD units which are subject to phased manufacturing programme. In their case, imports of components, whether against an Automatic licence or under Open General Licence or under any flexibility provisions of the import policy in force, will be governed by the List Attestation procedure. The details of this procedure are contained in Chapter 20 of the Import & Export Policy (Vol. I) for 1983-84. Actual Users failing to comply with the prescribed procedure will be liable to action under import control regulations and to the stoppage of further import facilities in their favour.

CHAPTER—IV

REGISTERED EXPORTERS

REGISTRATION OF EXPORTERS

Registering Authorities

47 (1) The names of Registering Authorities for different export products are given in Appendix 10 (Annexure I).

(2) The Development Commissioner for Handlooms, Udyog Bhavan, New Delhi has been designated as the registering authority for exporters of handloom products in place of Handloom Export Promotion Council, Madras, and its regional offices, if any. This decision is effective from 1st April, 1983. Exporters already holding valid registration certificates issued by the Handloom Export Promotion Council, Madras or its regional offices, if any, as on 31st March, 1983, will be deemed to be registered as exporters with the Development Commissioner for Handlooms, New Delhi. Exporters will be required to apply for registration to the Development Commissioner for Handlooms, New Delhi only for obtaining a new registration or for renewal of their existing one.

48. In the case of exporters other than gem and jewellery items from the following States/Union Territories, the Registering Authority will be the concerned (State) Director of Industries, or other officer nominated in this behalf by the state government concerned :—

(i) Andaman and Nicobar Islands
(ii) Arunachal Pradesh
(iii) Lakshadweep
(iv) Manipur
(v) Mizoram
(vi) Nagaland
(vii) Tripura
(viii) Jammu and Kashmir
(ix) Goa, Daman and Diu

49. (1) Export Houses/Trading Houses holding Export House/Trading House Certificate may, if they so desire, get themselves registered with the Federation of Indian Export Organisation, PHD House, Sri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi, instead of with the concerned Export Promotion Council/Commodity Board. Such registration with FIEO will be valid for all product groups. It will, however, be necessary for all Export House/Trading Houses holding Export House/Trading House Certificate issued by the Chief Controller of Imports and Exports to enrol themselves as members of the Federation of Indian Export Organisation. Export Houses/Trading Houses will also be required to send to the Federation of Indian Export Organisation copies of their detailed schemes and action programme for export and quarterly and annual returns of exports commodity-wise and country-wise in the manner as may be prescribed by Federation of Indian Export Organisation from time to time. [Copies of annual returns should also be sent to CCI&E (E-P-Dn), New Delhi] Trading Houses are advised to provide after-sales facilities abroad as 'a measure of export promotion. They should report the progress made by them in this regard in their quarterly and annual returns to be furnished to the Federation of Indian Export Organisations and the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi.

(2) In the case of units situated in free trade zones, the registering authority will be Development Commissioner of the concerend zone.

(3) Exporters for whom no registering authority has been specified (or for whom no registering authority accepts the responsibility of registration) can get themselves registered with the Export Promotion Officers at the ports, namely, Bombay, Madras and Calcutta. They will have jurisdiction over western, southern and eastern zones respectively. In respect of northern zone, the registering authority will be the Joint Chief Controller of Imports & Exports, Central Licensing Area, New Delhi.

50. Public sector undertakings, state owned or controlled corporations, statutory bodies set up by Government, and Government departments will also be required to get themselves registered with the concerned Registering Authorities for the purpose of grant of benefits under the import policy for Registered Exporters. However, if they so desire, they may get themselves registered with the Federation of Indian Export Organisation, New Delhi instead of with the concernd Export Promotion Council/Commodity Borad. Such registration with FIEO will be valid for all product groups.

Application for Registration

51. Application for registration should be made to the concerned Registering Authority. In the case of concerns having branches, the application for registration can be made by the registered office in the case of limited companies and head office in the case of others. A registration certificate issued to the registered office/head office in such cases will also be valid for its branches. The branches can also apply separately for registration in which case the Registering Authority will issue a separate registration certificate to the applicant branch; this will, how ever, not make export houses eligible to make independent applications for their additional licences except on a consolidated basis for all their branches and the head office concerned.

52. (1) Application for registration should be made in the form appearing in Appendix 10 (Annexure II).

(2) In the case of manufactures, other than those registered with the DGTD, Part II of the Registration-cum-membership has to be filled in by the sponsoring authority concerned. A registering authority may, however, itself fill in Part II of the certificate on the basis of the Registration certificate issued to the applicant by the state Director of Industries or the sponsoring authority concerned. Based on this, a provisional registration-cum-membership certificate may be issued to the applicant. Thereafter the registering authority should carry out necessary verification from the State Director of Industries or the sponsoring authority, as the case may be and make further such changes as may be necessary on that basis on registration-cum-membership certificate and also delete the word provisional therefrom.

53. The application for registration should be accompanied by the following documents:

(i) Bank certificate in support of the applicant's financial soundness; and

(ii) Registration-cum-membership certificate form with Part I and the relevant columns of Part II duly filled in.

Registration Certificate

54. The form of Registration certificate is given in Appendix 10 (Annexure III).

55. A separate Part III has been prescribed a Annexure III of Appendix 10 in the case of exporters of rayon textiles.

56. If an applicant is both a manufacturer exporter as well as a merchant exporter separate certificate will be issued to him by the registering authority concerned (It may be clarified that if a manufacturer also exports products manufactured by others, he should get himself registered as a merchant exporter for such export products.)

Eligibility for Registration

57. Exporters who are members of the E.P. Council concerned, having a past export performance, a good record and experience, are eligible for registration. An applicant having no previous experience of export in a particular line may also be registered if the registering authority is satisfied about the general commercial background of the applicant, his industrial experience or export performance in other lines.

Condition of Registration

58. (a) A registration certificate will be issued subject to such conditions as the registering authority concerned may consider necessary. One of the conditions of registration shall be that the Registered Exporter shall furnish quarterly returns of exports including 'nil' returns, to the registering authority by the fifteenth day of the month following the quarter.

(b) The registration for an item by an E.P. Council or Commodity Board, will hold good for all the items with which the particular Council/Board is concerned. (This is, however, subject to the provisions made in para 56 above.)

(c) In the case of components of engineering goods and handlooms (fabrics and made-ups) which, for the purpose of grant of replenishment licences, are classified under different product groups depending upon the raw material used in their manufacture, the Registered Exporters can get themselves registered with any one of the concerned registering authorities. Similarly in the case of made up articles of precious/semi-precious stones like ash trays, penholders, etc. which fall under 'Handicrafts' it would not be necessary for the exporters to get themselves registered with All India Handicrafts Board in case they are already registered with the Gem & Jewellery Export Promotion Council. Also, in a case where the licensing authority decides that the product exported as Handicrafts is actually classifiable elesewhere, the applicant, if he is already registered with the All India Handicrafts Board, will not be required to produce registration with the other Registering Authority.

Also, exporters of E.P.N.S. wares registered with All India Handicrafts Board will not be required to be registered separately with Engineering Export Promotion Council.

(d) In case of composite items which contain raw material falling under different product groups, say Plastics, Engineering etc. if the value of a particular raw material used is more than 50% of the value of the composite item, it is enough if the exporter registers himself with Registering Authority concerned with the major content of the composite item.

(e) In the case of "project exports", if the exporter is registered with the Engineering Export Promotion Council, it will not be necessary for him to get registration with other Export Promotion Councils/Commodity Boards concerned with various commodities covered by the project in question.

(f) Once an exporter has been registered, the registration shall remain valid for four years (from the date of issue) unless the exporter registered ceases to exist, or his name is deregistered for any reason or he becomes ineligible to hold the certificate. Registration Certificate (including those of export/trading houses with FIEO) which expire during 1983-84 may be accepted by the licensing authorities for a period of additional 6 months to enable the exporter to obtain fresh Registration Certificate.

(g) In the case of units situated in Kandla Free Trade Zone and Santacruz Electronics Export Processing Zone, Bombay, the registration certificate will have a period of validity as indicated by the Registering Authority concerned.

Exports prior to date of Application for Registration

59. Exports made by a Registered Exporter before a date earlier than 12 months prior to date of application for registration will not qualify for import replenishment. For this purpose, the effective date of submission of the application will be the date on which a complete application is received. (In the case of non D.G.T.D. units, the date of receipt of the application by the sponsoring authority for the purpose of filling up Part II of the Registration-cum-Membership Certificate, will be taken as the date of application for Registration for the purpose of this para.) For reckoning the period 12 months, the month, during which the application for registration is received, will not be taken into account. Again, in respect of export of

items which qualify for replenishment only after realisation of foreign exchange, the period of 12 months will reckon from the period of export and not from the date of realisation of payment.

Change in Constitution or Ownership

60. (1) Where there is any change in the ownership constitution, name or address of any Registered Exporter, it shall be obligatory on his part to intimate the change to the registering authority within three months. The registering authority may condone delay in this regard upto 3 months. In the case of manufacturer-exporters, the Registering Authority will also verify whether the permission of the sponsoring authority in regard to the change has been obtained. After due verification, the Registering Authority will issue a fresh registration certificate to the new or reconstituted concern, which will be valid from the date of change in name, ownership or constitution as the case may be. (For Export Houses, reference may be made to the Chapter 18 of Import Policy, 1983-84.)

(2) Where there is a change in the constitution of a Registered Exporter firm by admission or retirement or death of a partner (or by a change of Karta in the case of Hindu undivided family concern), and the reconstituted firm takes over the business as a whole without any change in its name and address, such change will not require any fresh registration with the registering authority. In such cases only the intimation about the change should be given to the Registering Authority as laid down. Similarly, in the event of change from Private Limited Company to Public Limited Company or *vice-versa*, only an intimation should be sent to the Registering Authority, and such change will not require any fresh registration.

De registration of Exporters

61. (1) The Registering Authority may de-register an exporter for a specified or indefinite period and for one or more export products where the exporter :

(a) has ceased to have the qualifications required for registration or the conditions of registration have been violated;

(b) has indulged in any form of unfair, corrupt or fradulent practice, or failed to fulfil any export obligation; or

(c) has failed, or being a partnership, any of its partners has failed, or being a limited company, any of its whole time or Managing Director has failed, to utilise satisfactorily any quota allocated for export earlier.

(2) An exporter will ordinarily be given a show-cause notice, before he is de-registered.

(3) Pending enquiries into any complaint received against a registered exporter, or for any other good and sufficient reason to be recorded in writing, the Registering Authority or the Chief Controller of Imports and Exports, the Additional Chief Controller of Imports & Exports, or the Export Commissioner in the office of the CCI&E may keep the operation of the registration of an exporter under suspension for a specified period.

(4) Where an Export House/Trading House is registered with the Federation of Indian Export Organisation and also with the respective Export. Promotion Council/Commodity Board. Likewise, if tion of such exporters by FIEO will apply automatically to his registration with the respective Export Promotion Council/Commodity Board. Likewise, if such an exporter is de-registered by Export Promotion Council/Commodity Board, it will automatically apply to his registration with the FIEO for the respective export product(s).

(5) Where a company or a firm is de-registered or its registration is kept under suspension, the de-registration/suspension order will also mention the names of proprietor/partners/directors of the firm/company.

Registration and de-registration by the Chief Controller of Imports and Exports

62. The Chief Controller of Imports and Exports, the Additional Chief Controller of Imports and Exports or the Export Commissioner in the office of the C.C.I.&E. may register or de-register an exporter or direct the registering authority to do so. De-registration under this provision may be ordered for reasons covered under para 61 above, or in cases where the exporter has committed breach of any law, rule or regulation pertaining to foreign trade or for inadequate reasons, commits a breach of a contract with a foreign party or fails to pay the amount of commission payable to foreign agent, or has failed to supply any information or data required from him or for any other reason to be recorded.

Complaint against Indian Exporters

63. Complaints received against individual exporters will be investigated by the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi. Appropriate action will be taken to caution the defaulting units and steps taken to preserve the image of Indian exports overseas.

CERTIFICATION OF EXPORTS

64. (1) At the time of shipment, a Registered Exporter should have a copy of the shipping bill duly authenticated by the Customs

(2) After shipment, the Registered Exporter should have the exports certified by an authorised dealer in foreign exchange at the time of presentation of export documents to such dealer i.e., the bank, for the purpose of negotiation and/or collection of bills. While presenting the export documents, he should fill in and give to the bank the declaration (in triplicate) in Form I as in Appendix 10 (Annexure V), for exports made on 'out right' sale basis and in Form II in Appendix 10 (Annexure V), for exports on consignment basis/approval basis.

(3) The bank will certify the F.O.B. value of exports in Indian rupees and counter-sign the declaration after necessary verification with reference to the

export documents. The bank will also verify whether the shipping bill has been duly authenticated by the Customs authority. The bank will then pass on the original certificate with the relevant copy of the bank attested invoice to the Registered Exporter concerned, the duplicate to the licensing authority concerned, and the triplicate will be retained by the bank for its record. In case of exports made on consignment basis/approval basis, the bank will certify the f.o.b. value and counter-sign and pass on the certificate as in Form No. II, to the Registered Exporter, only after the export sale proceeds have been realised and surrendered to the Indian Exchange Control. A bank certificate covering more than one consignment may also be entertained. The detailed procedure in this regard is given in Appendix-10 (Annexure VI). In cases where the bank has not verified that the shipping bill has been duly authenticated by the customs authorities and the exporter instead produce the export promotion copy of the relevant shipping bill duly authenticated by the customs, the licensing authority may accept the same, if otherwise in order.

(4) Where a Registered Exporter subsequently receives "freight rebate" from a shipping company, as a result of which the f o.b. value goes up, he may obtain a bank certificate to cover the additional f.o.b. value for obtaining import replenishment licence thereon. In such cases, the application for claiming the extra benefit should be submitted within one year after the quarter in which the connected product is exported or within three months of the receipt of the freight rebate, whichever is earlier.

(5) Amount of commission or discount paid or payable to foreign agent shall be deducted from the f.o.b. value of exports for the purpose of calculating the import replenishment entitlement.

(6) However, hydraulic testing and painting charges, handling and stevedoring charges will be counted for calculating f.o b. value. Interest charges will also be counted as part of f.o.b. value only if the same is shown separately in the invoice and the bank has negotiated the bill for an amount including the "interest charge".

(7) The procedure outlined above for certification of exports by the authorised dealers in foreign exchange will not apply in the case of the following :—

(i) Cinematographic films (exposed);

(ii) Exports by Value Payable Post parcel;

(iii) Export of books; journals and periodicals;

(iv) Sales made at international exhibitions abroad;

(v) Export of carpets to foreign tourists against advance payment;

(vi) Supplies made for IBRD/IDA aided projects in India;

(vii) Supplies made in India against payment in free foreign exchange.

(viii) Export of machinery and equipment against Indian equity participation in joint ventures abroad.

PROCEDURE FOR SUBMISSION OF APPLICATIONS FOR LICENCES

65. (1) Consolidated applications for import licences against export of all the products in a product-group should be made in the prescribed form and manner to the licensing authority under whose jurisdiction the registered office, in the case of a limited company, and head office in the case of other registered exporters, is situated. The names and jurisdiction of the licensing authorities are indicated in Appendix 8.

(2) The regional licensing authorities having normal territorial jurisdication for dealing with import applications, will also deal with applications for import licences under the import policy for Registered Exporters from 1st April, 1983, in respect of exporters situated in their jurisdiction.

(3) In the case of registered contracts or project exports, application could, however, be filled contract-wise or project-wise, instead of covering all the exports belonging to a product-group.

(4) It will be open to a branch of a limited company or of a Registered Exporter to apply for an import replenishment licence against the exports effected by it, to the licensing authority within whose jurisdiction the branch is situated, provided that such branch is separately registered as an exporter or produces evidence to the effect that the registration certificate issued to the limited company/head office is also valid for the branch in question. The application in such types of cases should be accompanied by a certificate of head office or the registered office, as the case may be, to the effect that it has not claimed and will not claim any replenishment licence against the exports covered by the application.

Frequency of Applications

66. A Registered Exporter should apply for a licence based on exports made during a month, or a quarter (April-June etc.) or half year (April-September) or a year (April-March). Applications for import replenishment licence may be made every month or per quarter, or per half year or on yearly basis as may be found convenient by the registered exporter. Each exporter will decide which procedure he would like to opt for and intimate this to the Licensing Authority at the time of his first application for an REP licence. If he fails to do so, he will be taken to have opted for the quarterly system. (No change in option will be allowed in the course of the licensing period.) In the case of exports on consignment/approval basis, such applications should likewise be made in respect of sale proceeds realised.

Time limit for submission of applications

67. (1) Applications for import replenishment licence should be made so as to reach the licensing authority concerned within a period of three months from the end of the period of export or from the end of the period of receipt of sale proceeds in the case of consignment exports as the case may be. In cases where the sale proceeds are received in advance or where exports are made on R.B.I. approved deferred payment terms, the time limit for submission of

applications for import replenishment will be reckoned with reference to the period of actual export.

(2) If an exporter makes more than one application, instead of making a consolidated application pertaining to his exports in a product group in a particular export period, the licensing authority may entertain such subsequent application(s) by imposing a cut of 5% or Rs. 5,000/- whichever is lower in the admissible replenishment. This amount of cut will be in addition to the cut that may have to be imposed on the same application on account of delay in submission of the application under sub-para (4) of this paragraph.

(3) If an import application is not supported by a bank receipt/demand draft towards payment of applications fees or statement of exports or any document other than a document evidencing exports, and such documents are received late, the licensing authority may accept late submission of these documents by imposing a cut of one per cent subject to a maximum of Rs. 100/-. [In cases covered under this sub-para, the exporter will not be liable to a higher cut under sub-para (4) below].

(4) Applications received (including those for Additional Licences) after the prescribed time limit, or in respect of which deficiencies, if any, are made up after the time limit prescribed for submission of applications, may also be considered by the licensing authorities provided the applications are reecived or the deficiencies are made up within a period of three months after the expiry of the time limit for submission of the applications. The applications received thereafter will be liable to be rejected. The licensing authorities may, however, consider such application on merits, subject to a cut in the value of import replenishment admissible against the exports in question. The extent of cut in the value that may be imposed in such cases will be as under :—

(i) Applications received after a period of 6 months from the last month of the export period but within 12 months............ 5 per cent.

(ii) Applications received after a period of 12 months from the last month of the export period, but within 18 months........... 10 per cent cut.

(iii) Applications received after a period of 18 months from the last month of the export period but within 24 months........... 15 per cent cut.

(iv) Applications received after a period of 24 months from the last month of the export period will be summarily rejected as time barred.

(5) The above cuts in respect of delayed/deficient applications against exports of products which qualify for replenishment only after realisation of foreign exchange will be applied with reference to the period during which the payments are credited to the exporter's account and not with reference to the period of exports.

(6) In the case of exports by V.P.P. of products other than Gem & Jewellery and Cinematographic Films (exposed) the time limits for submission of applications will be reckoned with reference to the date of payment as given in the Post Master's Certificate or in the intimation slip.

(7) Where an application is partly incomplete i.e. export documents in respect of some of the shipments have not been produced, the licensing authority may dispose of that part of the application in respect of which complete documents have been produced, by issuing the import replenishment licence to the applicant. In such cases, part of the claim which is supported by all the necessary documents may not be held up on account of the part claim which is incomplete.

Date of shipment/despatch

68. For the purpose of considering applications for import replenishment under the import policy for Registered Exporters, the relevant date of export will be determined as under :

(a) In the case of shipment by sea, the date of export will be determined as follows :—

(i) In the case of break-bulk cargo exported by ship, the date of export will be the date of bill of lading or the date of mate receipt, whichever, is later.

(ii) In the case of containerised cargo, the date of export will be the date of 'On-board Bill of Lading' evidencing the loading of the container on the ship. However, the date of "Received for shipment Bill of Lading" evidencing the date of loading of the export goods into the container may also be taken as the date of export if the L/C specifically provides for such Bill of Lading. In the case of export by containers from Inland Container Depot (IDC), the date of export will be the date of the Bill of Lading issued by the shipping agents at the time of loading of the export goods in the IDC after customs clearance.

(iii) In the case of export by Lash barges, date of export will be the date of the bill of lading evidencing loading of the export goods on the board the barge which is to be carried to the barge carrying mother ship.

(b) In the case of exports by air, the date of export will be determined by the date on the Air-way bill.

(c) In the case of exports by post-parcel, the date of export will be determined by the date stamped on the postal receipt.

(d) In the case of exports by rail, the date of export will be determined by the date of RR (Railway Receipt).

(e) In the case of exports by road, the date of export will be determined by the date on which the goods crossed the Indian border as certified by the Land Customs Authorities,

Documents to be Submitted with Application

69. Applications for licences should be made complete in all respects, supported by a Bank Receipt/Demand Draft for the appropriate amount towards the application fee, and other prescribed documents.

70. Along with the application, the applicant should furnish a statement of exports in the form given in Appendix 10 (Annexure VII) indicating the particulars of exports against which the import application is made.

71. The following export documents should also be produced with the application for import replenishment :—

(1) Exports of products other than those detailed in paragraph 64(7) :

(i) Bank certificate (in original) of exports,

(ii) Bank attested copy of the invoice.

(2) Exports by V.P.P. of products other than gem and jewellery and cinematographic films exposed.

(i) Invoices giving description of goods, weight of the individual items and their total weight actually exported, duly attested by the customs.

(ii) Relevant postal receipts, or photostat copy thereof or a certificate of posting issued by the Post Office; and

(iii) Post-Master's certificate of payments or the intimation slip given by the Postal Department to the Indian recipient of the proceeds of the exports made by V.P.P.

(3) Exports of Books & Newspapers by post made by Registered Exporters who have been allowed by the Reserve Bank of India to effect their exports without observing P.P. formalities or have been allowed to send the documents direct to the consignee without routing the same through the normal banking channel :

(i) Postal receipt or a certificate of posting issued by the Post Office or any other evidence in cases where the original Postal receipt has been forwarded to the importer. In the case of export by ordinary post, if the exporters are not able to produce certificate of posting, a Chartered Accountant's certificate giving complete details of postal charges, dates of exports and particulars of exports, in lieu of the certificate of posting, issued by the Post Office, should be submitted.

(ii) A Chartered Accountant's certificate giving the details of the exports, freight etc.

(iii) Invoice certified by a Chartered Accountant.

(iv) In cases where the applicant is not able to produce documents at (i) to (iii) above, and the payment against the exported material has been received by him in advance, the licensing authority may accept the documents, namely :—

(a) a certificate of Chartered Accountant giving in respect of each publication exported, its name, value of exports made and the aggregate amount of postal charges incurred on the despatches in question;

(b) a bank certificate in support of the receipt of payment in foreign exchange to cover the exports referred to in (a) above; and

(c) a declaration of the applicant that he has not and will not claim separately REP licence on the basis of the foreign exchange realisation to which the bank certificate in (b) above pertains.

(4) Export of books, journals and periodicals by post made by Registered Exporters who have not been exempted by the Reserve Bank of India from P.P. formalities :

(i) Original Postal receipt or photostat copy thereof or a certificate of posting issued by the Post Office. In the case of exports by ordinary post, if the exporters are not able to produce certificate of posting, a Chartered Accountant's certificate giving complete details of postal charges, dates of export and particulars of exports, should be submitted

(ii) Invoice certified by a Chartered Accountant indicating the P.P. Form Nos.

(iii) Bank certificate indicating the receipt of payment in foreign exchange as well as relevant P. P. Form No. (exports below Rs. 50/- made by ordinary post without P.P. Form will not be eligible for replenishment under this procedure.)

(5) Exports of Books & Newspapers by sea/air made by Registered Exporters who have been allowed by the Reserve Bank of India to effect their exports without observing G. R. Form formalities or have been allowed to send their documents direct to the consignee without routing the same through normal banking channels :—

(i) Invoice certified by a Chartered Accountant.

(ii) Bill of Lading/Airways Bill.

(iii) A statement duly certified by the exporter's bankers/Chartered Accountant regarding realisation of export proceeds set off against the relevant G.R. forms in a chronological order. However, in case where the exporters have obtained a General Permit from the Reserve Bank of India waiving the G. R. formalities, it is not necessary for them to produce a Certificate indicating the G. R. Form Nos., and instead, they may quote the General Permit No. issued by the Reserve Bank of India in the statement

issued by the Chartered Accountant/exporter's banker.

(6) Export by registered post of products other than gem and jewellery and cinematographic films (exposed) :—

(i) Bank certificate (in original) of exports issued by the exporter's Bank.

(ii) Invoice giving description of goods, weight of the individual items and their total weight actually exported, duly attested by Customs.

(iii) Postal receipt or in cases where postal receipt has been forwarded to the consignee, a certificate issued by the exporter's Bank or Postal Appraising Department indicating clearly the postal receipt No., date and amount and certifying that the relevant postal receipt has been forwarded to the consignee.

(7) Supplies of material made to foreign shipping companies as ship-stores and other materials (excluding freight containers) :—

(i) Bank certificate (in original) regarding receipt of foreign exchange or Indian Rupees obtained from exchange of foreign currency.

(ii) Bank attested invoice.

(iii) One copy of the shipping bill duly authenticated by the Customs in respect of the supplies made to foreign shipping companies.

(iv) Custom 'Allow Order' in lieu of the Customs authenticated shipping bill wherever not available.

(v) In cases where the applicant is not able to produce the documents at (i) and (ii) above, the licensing authority may accept, in lieu thereof, a certificate from the Shipping Company or its agent, duly countersigned by Chartered Accountant that (a) the amount of the bill (full particulars of which should be indicated) has been paid out of the freight earnings of such Company and (b) the expenditure has been or will be shown in the monthly statement of disbursements required to be submitted to the Reserve Bank of India.

(8) (1) Export of goods sold at international exhibitions abroad organised by the Trade Fair Authority :—

Certificate from the Director, Trade Fair Authority indicating the full description of goods, the f.o.b. value, the name of the Indian exporter, date of sale, and certifying that the payment against the sales in question, has been repatriated to India and surrendered to the Indian Exchange Control. The time limit for submission of an application will be reckoned from the date of sale.

(2) Export of goods sold at international exhibitions abroad organised by Export Promotion Council :—

(i) Certificate from the Export Promotion Council, indicating the full description of goods, the f.o.b. value, the name of the Indian Exporter, date of safe, and certifying that the payment against sales in question, has been repatriated to India and surrendered to the Indian Exchange Control.

(ii) Bank Certificate indicating the receipt of payment in foreign exchange. The proforma of the Bank Certificate given on Appendix 10 (Annexure IX) may be used with suitable modifications. A time limit for submission of an application will be reckoned from the date of payment as shown in the Bank Certificate.

(iii) Where an applicant is unable to produce bank certificate as the documents were not negotiated through the bank, the licensing authority may accept the document in (i) above if it is satisfied on the basis of other evidence that the payment for the goods, in question, has been received through authorised channels.

(3) Export of goods sold at international fairs/exhibitions abroad by Indian manufacturers/exporters where their direct participation has been approved by Trade Fair Authority :—

(i) Certificate from Trade Fair Authority indicating full description of goods, the f.o.b. value, the name of the Indian exporters, date of sale;

(ii) Bank certificate indicating the receipt of payment in foreign exchange. The proforma of the bank certificate given in Appendix 10 (Annexure IX) may be used with suitable modifications. The time limit for submission of an application will be reckoned from the date of payment as shown in the bank certificate.

(9) Export of news films and TV films by accredited news cameraman who has been allowed exemption by the RBI from observing GR/PP formalities :

(i) A list of news films/TV films exported giving the relevant airway bill numbers, with attested copies of airway bills;

(ii) Bank certificates showing the receipt of foreign exchange;

(iii) A declaration of the applicant that he has not and shall not claim separately REP licence on the basis of the foreign exchange realisation to which the bank certificate at (ii) above pertains.

(10) Exports of woollen carpets for which payments are received locally (either in full or in part) from foreign tourists in the form of (a) foreign cur-

rency travellers cheques, (b) crossed foreign bank drafts, and (c) personal cheques drawn on foreign banks :—

(i) Bank certificate (in original) of payment issued by the exporter's bank in the proforma given in Appendix 10 (Annexure X),

(ii) Bank attested invoice;

(iii) In the case of postal exports, original postal receipt; and

(iv) A copy of the money changer's licence issued to the seller by the Reserve Bank of India.

(11) In the case of sale of ocean freight containers, the following documents should be furnished :—

(i) Order received from the foreign buyer;

(ii) Invoice duly attested by the bank giving the particulars of goods sold and their value;

(iii) Evidence of goods having been received by the foreign buyer or his accredited agent in India; and

(iv) Bank Certificate (in original) in the form given in Appendix 10, Annexure V Form II. In the absence of Shipping Bill the F.O.B. realisation may be verified by the bank on the basis of the invoice.

(12) Supplies made to IBRD/IDA aided projects in India where Indian exporter sends export documents to the foreign buyer who in turn requests the IBRD/IDA for payment to the exporter on his behalf out of the loan granted to him :—

(i) Bank certificate showing realisation of sale proceeds in the Form No. II in Annexure V of Appendix 10 with such deletions/modifications as might be necessary to indicate the receipt of payment in India to the credit of the exporter's account against each individual transaction or invoice;

(ii) Shipping bill duly authenticated by the Customs;

(iii) Copy of Invoice, indicating inter-alia the No. and the date of shipping bill;

(iv) Bill of Lading; and

(v) Insurance receipt.

(13) Export of Machinery and equipment against Indian equity participation in joint ventures abroad :—

(i) Copy of the invoice. The invoice should contain a remark, viz. "Exports towards meeting equity participation in a joint venture, namely M/s......(Name of the place and country) as approved in Department of Commerce letter No. ....Dated ...."

(ii) Chartered Accountant's Certificate in original certifying the CIF/C&F/FOB value of exports, freight and insurance charges, if any incurred, GR from No. etc. as in Annexure XI given in Appendix 10.

(iii) A copy of Govt./R.B.I.'s sanction permitting the value of exports to be used as equity participation.

(14) Supplies ade by Indian firms in India against IBRD/IDA aided projects or under bilateral/multilateral aided projects, or under the aid programmes of United Nations and other multinational agencies at international prices and paid for in free foreign exchange :—

The documents to be submitted and the procedure to be followed for claiming replenishment against these supplies are given in Annexure No. XIX of Appendix 10.

(15) Foreign exchange earned by consultancy firms and design engineering firms by undertaking technical/consultancy work/construction work abroad :—

(i) Bank Certificate (in original) showing the amount of consultancy fees/other charges/contruction charges;

(ii) No. and date of the Reserve Bank of India's letter, if any, approving the consultancy agreement.

(iii) The amount of foreign exchange released by the Reserve Bank of India for travel etc. abroad of engineer/others together with the No. and date of the permit issued by the RBI; and

(iv) Passage money paid in India for booking of passage of the personnel.

The particulars at (ii) to (iv) above should be certified by a Chartered Accountant.

(16) Sale of goods displayed in an Export Promotion Council's Show Room abroad :—

Documents to be furnished by the applicant in such cases will be the same as indicated in sub-para (8) above with the modification that there should be a certificate from the concerned Export Promotion Council instead of from the Director, Trade Fair Authority. The time limit for submission of an application will be reckoned from the date of sale.

(17) In respect of Sales of goods sold at duty free shops, to passengers, against in free foreign exchange, the application should be supported by a certificate of the Indian Tourism Development Corporation (ITDC) indicating the number and date of cash memo, name (and models, if any) of the item sold, quantity of the item sold, and the amount of foreign exchange realised. The statement should be prepared item wise, and should be signed by the Manager, Duty Free Shop and countersigned by the Controller (Shops), and at the end of the statement the following certificate should be given :—

"The particulars stated in the statement are true and correct and the amount of the

foreign currency shown in the statement has been actually realised and deposited at the State Bank counter at—Airport."

(Cash Memos need not be sent with the application.)

(18) Supplies of fitment items (of Capital Goods nature) to Indian shipyards for ocean going vessels :—

(i) Bank certificate, certifying the receipt of payment against supplies of fitment items from Indian shipyards building ocean going ships.

(ii) Bank attested supply invoice.

72. In addition to the documents mentioned above a Registered Exporter will also be required to furnish any other documents/information as may be considered necessary by the licensing authority or is required in terms of the relevant Import Policy and Procedures in force.

73. Requests from regular exporters of products other than gem and jewellery items and cinematographic films (exposed), having a large number of export transactions in each quarter, may be considered on merits by the Chief Controller of Imports and Exports for admission of their applications for replenishment on the basis of other documentary evidence such as Chartered Accountant's Certificate, indicating therein all the relevant particulars as are contained in the prescribed export documents, provided their annual exports exceeds Rs. 50 lakhs, and provided further that the export products qualify only for import replenishment.

74. Registered Exporters should produce evidence of freight and insurance charges to the bank concerned to enable them to verify the f.o.b. value of exports in the Bank Certificate. Immediate Rebate allowed by the overseas shipping companies in freight charges at the time of shipment may also be taken into account by the banks while arriving at the f.o.b. value. In cases where the export contract contains a freight variation clause the exporter will be eligible to claim replenishment in respect of the foreign exchange realised on account of freight variation.

75. Export Houses should produce with their import application a copy of the Export House Certificate issued by the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, with a declaration that it has not been cancelled or withdrawn.

Sale to foreign tourists of items other than Gem and Jewellery

76. (1) A Registered Exporter i.e. a dealer who has been authorised by the Reserve Bank of India to receive payment in foreign exchange against sales made by him to the foreign tourists will be eligible to apply for grant of replenishment licence against sale of specified goods to foreign tourists against (i) foreign currency travellers cheques, (ii) crossed foreign bank drafts, (iii) personal cheques drawn on foreign banks and (iv) foreign currency notes and coins.

(2) In respect of such sales, the following procedure will apply :—

(a) The Registered Exporter will be required to maintain printed, serially numbered voucher books. A specimen voucher is at Annexure XII in Appendix 10 to this Book;

(b) Each sale voucher will be in triplicate showing details regarding the name and nationality of the tourist, his/her passport number, description of items sold, the sale value in foreign exchange and the rupee equivalent details thereof;

(c) The original sale voucher will be handed over to the tourist for his own use;

(d) The duplicate copy of the voucher will be sent by the dealer alongwith the application for replenishment licence at the time of its submission; and

(e) The triplicate copy will be retained by the dealer for his record;

(3) The Registered Exporter will be required to maintain a register containing the following particulars :

(i) Serial Number;

(ii) Number of the sale voucher;

(iii) Date of sale;

(iv) Name of the foreign purchaser;

(v) His/her Passport number;

(vi) Description of the item sold and the material of which made;

(vii) Value in rupee;

(viii) Equivalent foreign exchange surrendered;

(ix) Name of the bank in which foreign currency traveller's cheques/crossed foreign bank drafts/Cheques deposited;

(x) Date of deposit; and

(xi) Remarks.

The register will be open to check by Government.

(4) Import applications should be made to the licensing authority concerned within the prescribed period after receipt of payment in foreign exchange. The rate of import replenishment will, however, be related to the date of sale. The applications should be accompanied by the following documents :—

(i) Bank Receipt/Demand Draft for the appropriate amount towards the application fee;

(ii) Certified true copies of sale voucher/cash memos, giving details of (a) name and nationality of the tourist, (b) Passport number of the tourist, (c) details of traveller's cheques/crossed foreign bank drafts/personal cheques drawn on foreign banks, (d) detailed description of the articles sold, specifying material of which they are made, and (e) value of each article.

(iii) Bank certificates indicating the number and date of the relevant sale voucher/cash memo, and showing receipt and surrender to the Indian Exchange Control of the relevant foreign currency traveller's cheques/crossed on foreign banks. (In the case of personal cheques on foreign banks, the bank should also certify that the proceeds of the cheques have been realised in foreign exchange as per the Exchange Control Regulations); and

(iv) A statement of the sales giving details of sale voucher/cash memo, its number and date, description of the articles sold specifying the material of which they are made, the value in rupees of foreign exchange surrendered, the date of surrendering of traveller's cheques/foreign bank drafts/personal cheques and date of realisation of foreign exchange in the case of personal cheques, as per specimen proforma at Annexure XIII of Appendix 10.

(5) Payment on such sales, made through credit cards issued by Diner's Club and American Express International will also be eligible for import replenishment under this policy subject to the terms and conditions laid down in this para and on evidence of receipt of foreign exchange through authorised banking channel.

Export of Gem and Jewellery

77. Exporters of Gem & Jwellery will be required to produce the same documents as other exporters, except that such exporters will, in addition, be required to produce a copy of the invoice duly attested by the Customs. In the case of exports on consignment basis, the bank certificate in receipt of foreign exchange should be furnished in the form appearing in Annexure IX in Appendix 10 of this Book.

Sale to foreign tourists of Gem and Jewellery items

78. (1) A Registered Exporter (Jeweller) who possesses an "Authorised Money Changers" licence issued by the Reserve Bank of India and is approved by the Export Promotion Authority at Bombay, Calcutta and Madras and by the licensing authority at other ports will be eligible to apply for grant of replenishment licence against sale of gem and jewellery items made to foreign tourists, where payments are received in the manner permissible under the authorised money-changer's licence. In the case of cheques drawn on bank outside India, a certificate from the authorised dealer in foreign exchange to the effect that proceeds of the cheque have been realised should be producd. In all other cases, a certificate that the cheques/amounts have been surrendered to the Indian Exchange Control would be sufficient.

(2) The Registered Exporter (Jeweller) who had been previously approved prior to the date of the devaluation and who still possesses the "Authorised Money Changers" licence, would be considered as "approved" for the purpose of claiming replenishment in accordance with these provisions.

(3) The Registered Exporter (Jeweller) desiring to claim benefits under this scheme, who does not possess "money changers" licence, may apply for such a licence to the Reserve Bank of India in the prescribed form and on receipt of the same he may approach the concerned Export Promotion Council/Licensing Authority for approval.

(4) The minimum annual sales that an approved jeweller will be required to make to foreign tourists against realisation of payment in foreign exchange would be equivalent of Rs. 50,000/-. At the time of seeking approval, the Registered Exporter (Jeweller) will furnish an undertaking to the approving authority concerned at the ports to the effect that (i) a minimum sale to foreign tourists to the value of Rs. 50,000/- would be effected during the next twelve months and (ii) in the event of cancellation, intimation will be sent by him forthwith to the approving authority concerned.

(5) If the minimum level of sales is not reached within the prescribed period of one year or if the authorised "money changers" licence is withdrawn during the period for any reason, the concerned Registered Exporter (Jewellery) will cease to be entitled to the replenishment admissible against sales to foreign tourists.

(6) Department of Commerce and/or Chief Controller of Imports and Exports may withdraw the approval given by the approving authority at ports without assigning any reason and recommend cancellation of the licence issued by the Reserve Bank of India.

(7) In respect of the sale of gem and jewellery items to foreign tourists in India, against foreign currency/travellers cheques, the following procedure is to be adopted by the registered approved jewellers:—

(a) Registered approved jeweller will be required to maintain printed, serially numbered voucher books, the particulars of which should be notified in advance to the approving authority. A specimen voucher is in Appendix 10 (Annexure XIV).

(b) Each sale voucher will be in quadruplicate showing details regarding the name and nationality of the tourist, his/her passport number, description of the gem and jewellery items sold, the sale value in foreign exchange and the rupee equivalent details of the foreign currency traveller cheques given by the tourist.

(c) The original sale voucher should be handed over to the tourist for being given to the Customs authority at the time of his departure from India.

(d) The duplicate copy of the sale voucher will be handed over to the tourist for his own use.

(e) The triplicate copy of the sale voucher will be sent by the jeweller along with the application for replenishment licence at the time of its submission.

(f) The fourth copy will be retained by the jeweller for his record.

(8) The approved jeweller will be required to maintain a register containing the following particulars :—

(i) Serial Number;

(ii) Number of the sale voucher;

(iii) Date of sale;

(iv) Name of the foreign purchaser;

(v) His/her passport number;

(vi) Description of the item sold;

(vii) Value of rupees;

(viii) Equivalent foreign exchange surrendered;

(ix) Name of the Bank in which foreign currency travellers' cheques deposited;

(x) Date of deposit; and

(xi) Remarks.

The Register will be open to check by Government.

(9) Payments on such sales made through credit cards issued by Diner's Club and American Express International will also be eligible for import replenishment under this policy subject to the terms and conditions laid down and on evidence of receipt of foreign exchange through authorised banking channel.

(10) Import applications should be made to the licensing authority concerned within the prescribed period after receipt of payment in foreign exchange. Import replenishment in such cases will, however, be related to the date of sale. The application should be accompanied by the following documents :—

(i) Bank Receipt/Demand Draft of the prescribed amount towards the application fee.

(ii) Triplicate copies of sale vouchers giving full description of the items sold, their value in Indian rupees, particulars of foreign tourist, his/her passport number, mode of payment and amount of foreign currency traveller's cheques.

(iii) Bank certificate in original evidencing receipt of foreign exchange from sales to foreign tourists against travellers' cheques.

Export of Films (exposed)

79. Exporters of cinematographic films (exposed) TV films, news films and still news photos will be required to produce the following documents :—

(a) Bank certificate showing realisation of foreign exchange and indicating the particulars of the goods exported in the form appearing in Appendix 10, Annexure IX. (Where an exporter obtains advance/imprest licence, the Bank Certificate in the prescribed form should be produced along with the evidence for discharge of export obligation).

(b) Invoice duly attested by the bank.

ADVANCE/IMPREST LICENCES

80. The Import-Export Police 1983-84 provides for the grant of advance Licences and Imprest Licences. The term "Advance Licence" is used only in cases where the import is allowed to be made under Duty Exemption Scheme (Appendix 19 of the Import Policy) whereas the term "Imprest Licences" has been used where import is allowed outside the Duty Exemption Scheme.

Imprest Licences

81. (1) Applications for import licences will be considered against an export order and also in cases where the exporter has been a regular exporter during the last two licensing periods and requires imported inputs for export production, even if he has no export order readily in hand.

(2) Ordinarily an export order will be regarded as a firm order if it is backed by an irrevocable letter of credit or substantial advance payment. But applications for execution of other types of firm export orders with different modes of payment such as sight draft/D.A. basis, may also be considered.

(3) In the following types of cases, the licensing authority will obtain prior approval of the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi before issuing the import licence :—

(i) Where any of the items sought to be imported appear in Appendix 4 of the import export policy, 1983-84.

(ii) where the export product and the items of import are as per Appendix 17 of import-export policy, 1983-84 but the value of the imprest licence applied for a higher than that permissible at the rate of import replenishment indicated against the relevant export product in Appendix 17 of the import policy;

(iii) Where the export product appears in Appendix 17 of import-export policy, 1983-84 and the applicant seeks to import an item appearing in Appendices 3, 4 or 6 of Import-Export Policy 1983-84, but which does not appear in column 4 or 5 in Appendix 17 against that export product; or which is sought to be imported for a value higher than that permitted in cols. 4 or 5 in Appendix 17 against the relevant export product;

(iv) Where the export product does not appear in Appendix 17 of the import-export policy, 1983-84, and the applicant seeks to import an item appearing in Appendices 3, 4 or 6 of Import-Export Policy 1983-84 but the value added in the export deal is less than 75%; and

(v) When the item to be imported is canalised for import in the Import-Export Policy, 1983-84 and does not appear in Cols. 4 or 5

in Appendix 17 against the relevant export product.

(4) No application for imprest licence will be entertained against exports of cinematograph film (exposed).

(5) Applications for Imprest Licences should be made to the regional licensing authorities concerned in the prescribed form given in Appendix 10 (Annexure XV), supported by the following :—

(i) Bank Receipt/Demand Draft of the requisite amount towards payment of application fees;

(ii) A certified copy of the export order and the letter of credit, wherever available (where the application is against an export order);

(iii) The description, quantity and f.o.b value of the products to be exported and the f.o.b. value of exports of the same products made in 1981-82, and 1982-83 (where there is no export order);

(iv) A certificate of a professional independent Chartered Engineer (or Chief Technical Officer incharge of production/Chartered Accountant or Cost Accountant, as the case may be), listing the items for import and the quantity and value of each item required, in cases where the product to be exported, the items of import or the value of the Imprest Licence applied for, do not conform to Appendix 17 in toto.

(v) A copy of the Reserve Bank of India's approval to the payment terms, in the case of export made on deferred payment basis.

(vi) For import of components by DGTD units subject to phased manufacturing programme, the provisions made in Chapter 20 of the relevant import policy will apply.

(6) Where an Imprest Licence has been issued without an export order, the second licence will not be issued until the export obligation against the first licence has been discharged or an export order has been since procured and the obligation is got attached to the order. The regional licensing authorities will not also ordinarily issue an Imprest Licence to an applicant having outstanding export obligations against two or more earlier Imprest/Advance licences, without the specific approval of the Chief Controller of Imports and Exports, unless (a) export order is supported by irrevocable letter of credit or (b) the export order has been received from a Government on a public sector organisation abroad (or in India in the case of IBRD/IDA aided projects or bilateral/multilateral aided projects or (c) the applicant is a public sector enterprise or is an export house holding a certificate which has been issued for the full period of three years.

(7) Where an Imprest Licence has been issued for a value less than the admissible replenishment, the applicant can claim import licence for the balance amount after the export against the firm order, in question, have been made and the export bond redeemed provided there is no condition to the contrary on the licence issued. Ordinarily the exporters are expected to file a consildiated separate application covering all excess exports made in one licensing period—over and above the bond obligation in respect of a particular Imprest Licence. But this may be waived by the concerned licensing authority for reasons to be recorded in writing in each case. The application in such cases should be made within a period of three months from the date of redemption of the connected export bond.

(8) Applicants are advised to state clearly in the application the specific period of delivery agreed upon with the overseas buyer for executing the export order. This will help in the appropriate disposal of the application and also to determine the period suitable for the discharge of the export obligation. Unless otherwise regulated in this manner, the licence-holder will be required to fulfil the export obligation within a period of six months from the date of import tation of the first consignment against the Advance Licence.

(9) Exports made prior to the date of importation of the first consignment but after the date of the application for Imprest Licence may also be considered towards the discharge of export obligation. In such cases, however, the material(s) imported against the Imprest Licence (or advance licence issued under earlier policies) and not used in the manufacture of goods exported for the execution of the relevant export order, can also be used for export production for execution of further export orders or for domestic production in licence holder's factory. If these goods are to be used in some other manner or sought to be transferred to another party, the licence holder should obtain the prior written permission of the licensing authority concerned giving adequate justification for not being able to use the said materials for export production.

(10) Before clearance of the first consignment or before obtaining supplies of the goods against a Release Order as the case may be, the applicant will be required to execute a bond with bank guarantee in the prescribed form for an amount equal to 50% or 25% in the case of manufacturer-exporter in the small-scale sector of the c.i.f. value of the licence/release order (or for an amount equal to the customs duty payable, whichever is higher) for fulfilling the export obligation. Specimen Bond Form appears in Appendix 23.

(11) In the following types of cases, the licensing authority may accept a legal agreement in lieu of bank guarantee:—

(a) In the case of manufacturer-exporters who have been exporting their products during the last two years; or

(b) In cases where the value of Advance/Imprest Licence is Rs 5 Lakhs or above whether the applicant is a merchant or a manufacturer or Rs. 2.5 lakhs or above in the case of manufacturer-exporters in the small scale sector).

(c) In the case of manufacturer-exporters in the public sector.

Note : (1) It will be open to the licensing authority to call for a bank guarantee even in cases of the types referred to in (a) and (b) above having regard to the nature of the item(s) sought to be impoted against the licence(s).

(2) It will also be open to the licensing authority to ask for a bank guarantee in the case of new exporters and exporters which have not been regularly established in export trade to the satisfaction of the licensing authority.

(3) It will further be open to the licensing authority to grant imprest/Advance licence for lesser value at a time, within the value applied for, depending upon the nature of the item(s) to be imported, the standing of the exporter in the export trade, as also in industry, and other relevant considerations.

(12) The bond amount will be liable to forefeiture in the event of the non-fulfilment of the export obligation within the prescribed time-limit. This will be without prejudice to the adjustment of excess licensing against the licensee's future A.U., R.E.P., and other licences, de-registration and any other action that may be taken against the lisensee or any other person under the Imports (Control) Oder, 1955, as amended.

(13) The licensing authority concerned may on the merits of the case, grant extension of time upto six months for the fulfilment of the relative export obligation. For further extensions, however, the approval of the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi should be sought by them.

(14) As evidence of the fulfilment of the export obligation and for the redemption of bond, the licensee will be required to submit the same documents as are to be produced for claiming replenishment licences against past exports under the import policy for Registered Exporters. (The same export can also be utilised separately towards the discharge of export obligation imposed on Capital Goods licence, or Industrial Licence or approval of Foreign Collaboration.)

ADVANCE LICENCES

82.(1) The details of the Duty Exemption Scheme are given in Appendix 19 of the Import-Export Policy 1983-84.

(2) Applications for Advance Licences under the Scheme should be made in the prescribed form as given in the Import-Export Policy 1983-84, to the regional licensing authority concerned. Simultaneously, the applicant should send copies of the application to the Chief Controller of Imports & Exports (E.P. II Section), DGTD, New Delhi (Import and Export Policy Cell) and Deputy Secretary (Draw Back), Department of Revenue and Banking, Jeevandeep Building, Sansad Marg (Parliament Street), New Delhi. The advance licence will be issued by the licensing authority concerned on the basis of the decision taken by the Advance Licences Committee in the office of CCI&E, New Delhi.

(3) An advance licence will be subject to a suitable export obligation. Where the application for the licence is made against an export order the f.o.b. of such order will form the basis for determining the export obligation. Where the applicant does not have an export order, the export obligation will be fixed on the basis of approximate unit f.o.b. price of the latest export of the same product by the same applicant.

(4) The licensing authority issuing the advance licence will also issue the connected duty Exemption Entitlement Certificate. The certificate will be issued in two separate parts—one for imports and the other for exports.

(5) In cases where the relevant input/output norms relating to an export product have been approved by Advance Licences Committee and the same exporter desires to have the benefit of duty exemption on the basis of the same norms for export production for the same product, he may apply for another advance licence (based on an export order in hand or otherwise) and also for the grant of the connected Duty Exemption Entitlement Certificate to the regional licensing authority concerned, with a copy of the application and the supporting documents to the Chief Controller of Imports & Exports (EP-II Section) New Delhi, Director (Drawback), Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi. In such cases, the licensing authority will issue the advance licence and the Duty Exemption Entitlement Certificate and inform the Advance Licences Committee expost- facto. In such cases also, the Chief Controller of Imports & Exports may, where considered necessary, direct any regional licensing authority to take prior approval of the Advance Licences Committee, for the grant of the Advance licence.

(6) Before clearance of the first consignment of the goods against the advance licences or before obtaining supplies of the goods against a Release Order, as the case may be, the party shall be required to execute an export bond (vide Appendix 38) with the licensing authority concerned. This will be a Combined export bond both for the purpose of custom duty exemption and for ITC purpose. The provisions made in sub-paras (10), (11) and (12) of para 81 above will apply in such cases.

(7) Where an exporter has obtained an advance licence, the exports made by him from the date of receipt of the advance licence application by the licensing authority, may be accepted towards the discharge of the export obligation provided the exports are otherwise acceptable and have been duly endorsed by the customs authority in the relevant Duty Exemption Entitlement Certificate. This facility cannot be claimed by an exporter as a matter of right.

(8) Where the export obligation against and advance licence has been fulfilled in part before the importation of the first consignment against the advance licence, the licensing authority may accept the combined export bond referred to in sub-para (6) above

for a correspondingly reduced value, so that it represents only the unfulfilled part of the export obligation. The reduced obligation for which the export bond may be taken in such cases will be decided by the licensing authority in consultation with the customs authorities concerned.

(9) Where the applicant is entitled to duty exemption for a canalised item, it will be open to him to either import that item directly or get an Advance Release Order for obtaining supplies of imported material from the bonded stocks of the canalising agency concerned.

(10) The licensing authority may, on request, enhance the value of the advance licence where such enhancement becomes necessary on account of higher freight or upward variation in the exchange rate, provided such enhancement in the value of the advance licence does not reduce the value added below the minimum prescribed level.

(11) Where the value of advance licence falls short resulting from an adverse foreign exchange fluctuation, the customs authority may not insist on the licence value being increased on this account.

(12) Requests for extension in the period for the discharging of export obligation upto six months may be considered by the licensing authority concerned. Further extension will be considered by the Advance Licences Committee. (Detailed policy is contained in Appendix—19 of import policy).

(13) If an exporter fails to discharge the export obligation during the period initially stipulated for this purpose and the extensions granted, he shall also be liable to pay the amount of customs duty that was exempted on the import together with the interest @ 18% on the amount of customs duty payable, from the date of clearance of imported goods to the date on which the amount of customs duty is refunded by him. This payment of interest will be without prejudice to any other action that may be taken in this behalf.

CONSOLIDATION OF EXPORT CARGOES

83. The procedure to be followed by exporters in cases where individual export consignments are consolidated for exports through recognised cargo agents, is given in Appendix 34.

EXPORT OF SPARES AS FREE REPLACEMENT DURING WARRANTY/PERFORMANCE GUARANTEE PERIOD

84. (1) Exporters of machinery and equipment will be allowed to export spares of the machinery/equipment exported as free replacement if the following conditions are fulfilled :—

(i) The spares in question are being supplied to foreign buyer of machinery and equipment during the warranty/performance guarantee period;

(ii) The total value of spares supplied free of charge does not exceed 2.5% of the f.o.b value of the machinery/equipment exported;

(iii) Spares under this provision can be supplied either with the main equipment or subsequently;

(iv) If the spares are supplied along with the main equipment, the particulars of such spares should be indicated in the exporter's invoice, Shipping bill and GRI form. It will not be necessary to indicate the particulars of such spares in the bank certificate which is furnished by the exporter to the licensing authority for obtaining benefits; and

(v) The export of such spares will not qualify for REP benefits under the import policy for Registered Exporters. Also the value of such spares will not be set off against the REP entitlements of the exporter.

(2) Where the spares under this provision are supplied at a time subsequent to the export of the main equipment/machinery, the exporter shall produce evidence to the customs authorities to the effect that the spares are being supplied during the warranty/performance guarantee period. The exporter shall also furnish a declaration to the customs authority at the time of exporting the spares that the total value of spares already supplied in free replacement in relation to the same machinery/equipment and the value of spares presently being supplied does not exceed 2.5% of the f.o.b. value of the relative machinery/equipment.

(3) Where the value of spares supplied free of charge exceeds 2.5% of the f.o.b. value of the main equipment, the exporter has to obtain prior permission of the Reserve Bank of India. In obtaining such permission of the Reserve Bank of India, the exporter should also indicate to the Reserve Bank the value of spares already supplied free of charge in relation to the same equipment/machinery and also the total f.o.b. value of the equipment/machinery exported.

(4) The exporter will not be required to obtain any prior permission from the licensing authority for export of such spares unless the spares are such as require an export licence under the Export (Control) Order, 1977.

(5) Requests for export of spares not covered by the above provisions will also be considered on merits to enable exporters to meet their requirements of after-sales service/warranty obligation or for execution of projects undertaken abroad. The permission for export granted in such cases shall be subject to the conditions as may be laid down.

AD HOC LICENCES TO CONSULTANCY FIRMS/CONSTRUCTION AGENCIES/DESIGN ENGINEERING FIRMS

85. Applications for the grant of *ad* hoc licences in favour of such firms may be made in the prescribed form as given in Appendix 10 (Annexure XVIII) to the regional licensing authorities concerned.

PURCHASE OF MOTOR VEHICLES ABROAD BY INDIAN CONTRACTORS

86. Indian Contractors, undertaking turn key/construction contracts abroad may seek the approval of the Reserve Bank of India to the purpose of motor vehicles overseas, as part of their project activities. In order to regulate such purchase, the following conditions would be followed :—

(i) Only the minimum number of cars/vehicles may be purchased abroad, after exploring fully the possibilities of utilisation of Indian cars;

(ii) Entire cost of the cars/vehicles should be met out of the funds receivable on account of the *services segment* of the contract (and not out of the value of Indian supplies which is required to be remitted in full to India);

(iii) Cost of foreign cars/vehicles so paid out of foreign exchange earnings should be reflected fully in the statements of operations on the foreign currency bank accounts opened in connection with execution of the particular contract with Reserve Bank's approval and supported by other appropriate documentary evidence;

(iv) Import of such cars/vehicles purchased abroad into India, after completion of the particular project/contract, should be subject to the import policy, as in force from time to time; and

(v) In case such cars/vehicles purchased overseas are sold abroad, the sale proceeds should be fully remitted to India through normal banking channel and bank certificates in support there of submitted to the Reserve Bank.

PACKAGE SERVICES BY TRADE DEVELOPMENT AUTHORITY

87. The details of 'Package of services' rendered by Trade Development Authority to its clientele are reproduced in Appendix 14.

CLASSIFICATION/RE-CLASSIFICATION OF EXPORT-PRODUCTS

88. Suggestions for classification/re-classification of export products can be made to the Chief Controller of Import & Exports (E.P. Cell), New Delhi, through the Export Promotion Council/Commodity Board concerned, with full justification, supporting data with regard to rate of import replenishment and the imported materials required for use in its manufacture.

IMPORTS THROUGH AIR INDIA/INDIAN AIRLINES

89. The procedure for debiting the amount of air freight to import licences where imports take place through Air India/Indian Airlies, is given in Appendix 31.

CHAPTER V

CAPITAL GOODS

Eligibility

90. An application by an Actal User (Industrial) for Capital Goods for the manufacture of items covered by the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 will be entertained only after the letter of intent has been issued by the Ministry of Industry, New Delhi. The import licence for Capital Goods, may also be issued, if otherwise admissible, in anticipation of the conversion of letter of intent into an industrial licence.

91. In the case of undertakings exempt from the provisions of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 applications will be entertained with a declaration only from the applicant to that effect, quoting the number and date of the Government Notification in support of such exemption.

92. Every application shall be accompanied by a photostat copy of the industrial licence, letter of intent or registration certificate, as appropriate.

93. Where the letter of intent or the industrial licence stipulates that no import of plant and machinery shall be allowed, applications for import of machinery for modernisation, replacement, safety testing, pollution control and quality control equipment only may be considered in accordance with the policy in force in this regard, provided the import of such equipment does not add to licensed approved capacity.

94. In cases where the import of Capital Goods is arranged under foreign collaboration, the application should be accompanied by a photostat copy of the relevant Government approval, the text thereof and citing the particular clause under which the import is sought to be made.

95. (1) Import of Capital Goods appearing in Appendix 2 of Import-Export Policy, 1983-84, will be allowed to Actual Users under Open General Licence, subject to the conditions prescribed therein.

(2) Actual Users (Industrial) can import jigs. fixtures, moulds (including moulds for die casting) parts of moulds and press tools under Open General Licence, subject to the conditions laid down in the Import-Export Policy, 1983-84.

96. (1) Subject to the provisions made in the relevant Import-Export Policy and in this Chapter, applications for import of Capital Goods would be considered on the basis of the essentiality for import certified by the sponsoring authority concerned, the clearance from indigenous angle given by the DGTD or other technical authority concerned and availability of foreign exchange resources to finance the import.

(2) All licences issued for import of Capital Goods/HEP shall be subject to Actual User condition. The licence will indicate both value and quantity of goods as limiting factor.

Submission of applications

97. (1) Applications for import of Capital Goods may be made in the following manner :—

(i) Where the c.i.f. value is upto Rs. 20 lakhs, it should be made to the regional licensing authority within the area of whose jurisdiction the beneficiary factory or institution is located.

(ii) Where the c.i.f. value is above Rs. 20 lakhs and upto Rs. 50 lakhs, the application should be made to the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi.

(iii) Where the c.i.f. value is more than Rs. 50 lakhs, the application should be made to the Secretariat for Industrial Approvals, Ministry of Industry, New Delhi. (Copies of such application need not be endorsed to CCI&E).

(iv) The above provisions apply to all public sector enterprises, except to the extent paras 101 and 102 below apply to them.

(2) Applications from Actual Users (Industrial), for import of machinery of a value not exceeding Rs. 2.0 lakhs (cif) may be considered by the regional licensing authorities concerned without the recommendation of the sponsoring authority. This will, however, be subject to indigenous clearance being obtained.

98. (1) An existing unit applying for import of machinery for replacement, balancing, or modernisation or for normal operations can make one application in six months. In the second half year, the application should be made not later than the end of February. In cases where the licensing authority is satisfied about the need, a third application may also be entertained in the same licensing period. However, in the case of major projects under construction, applications made more frequently will also be considered. Similarly, applications can be made more frequently to meet an emergency situation like breakdown, or in response to a specific foreign credit or against surrender of R.E.P. entitlements.

(2) Newspaper establishments can make two applications in a year any time before the end of February, 1984.

(3) In cases where an industrial unit is engaged in the manufacture of more than one end-product, having separate industrial licence or registration for each such end-product, the normal procedure that it may apply once in six months will be applicable to the machinery required for each end-product.

99. (1) In cases where electronic items, including facsimile equipment, exceeding a c.i.f. value of Rs. 5 lakhs or marine equipment, irrespective of value, are sought to be imported, prior clearance of the Deptt. of Electronics, New Delhi shall be necessary. Applicants are, therefore, advised that while submitting applications to the licensing authorities concerned they should simultaneously send a copy of their application to the Department of Electronics, giving full particulars of the above electronic items.

(2) Where Capital Goods to be imported for paper, sugar, steel, aluminium and cement industry include control and industrial electronic equipment/Sub-system a specific clearance of the Deptt. of Electronics (in consultation with DGTD) would also be necessary before allowing import.

Project Approval Board

100. Composite proposals, that is to say, those having more than one approval, including import of Capital Goods, will be considered by the Project Approval Board in the Secretariat for Industrial Approvals. The application in such cases should be made to the Secretariat for Industrial Approvals (Co-ordination Section), Ministry of Industry.

101. (1) Investment in public sector enterprises (related to the setting up of a new project or substantial expansion) upto Rs. 5 crores will also require the approval of the Project Approval Board to industrial licence, foreign collaboration terms, if any, and Capital Goods import. Such applications should be made to that Secretariat first.

(2) For all new projects under implementation in the public sector, the import applications for Capital Goods even upto Rs. 20 lakhs in value, should be made to the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, and not to the regional licensing authorities concerned, provided foreign exchange to cover the import has been released by Government in favour of the project. The project authority should also take indigenous clearance from the DGTD for the items sought to be imported.

102. If such investment exceeds Rs. 5 crores, the application should be submitted to the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi only through the administrative Ministry concerned after getting necessary clearances, including the allocation of foreign exchange.

103. Composite proposals relating to Fertilizer Projects may be, however, submitted to the Special Committee of Secretaries on Fertilizer Projects, Department of Chemicals and Fertilizers, New Delhi, instead of the Project Approval Board.

Import of Capital Goods for Research and Development Projects

104. It will not be necessary to obtain industrial licences for import of Capital Goods for research and development purposes.

Heavy Electrical Plant

105. Applications for import of heavy electrical plant and machinery, including cognate equipment and materials essential for power plants (generation or transformation of electric power), should be made in the prescribed C.G. form through the Central Electricity Authority, New Delhi, to the licensing authority concerned as in para 97 above. In the case of C.G. requirements of State Electricity Boards/Undertakings/projects, the applications should also be accompanied by a declaration from the State Electricity Board/Undertaking/Project that foreign exchange has been allocated for the purpose. In such cases, indigenous clearance will be obtained by the Central Electricity Authority form D.G.T.D. either in respect of individual applications or as package clearance for items generally required by this sector.

Actual Users (Non-Industrial)

106. (1) Applications for import of machinery from Actual Users (Non-Industrial) may also be considered by the licensing authorities referred to in para 97 above. Such applications will be considered on the recommendation of the State Director of Industries or any other appropriate authority in the State or the Central Government, concerned with the applicant. Applications should be made in the form prescribed for Actual Users (Non-Industrial) in this Book, unless otherwise provided. While dealing with these applications, the availability from indigenous angle, the essentiality for import, the availability of foreign exchange for the purpose and other relevant considerations will be kept in view.

(2) Applications for import of construction machinery will be considered from construction agencies. The applications should be made in form 'E' (CG) and addressed to the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi. The applications should be made through the State Director of industries who will make his recommendation in consultation with the concerned department of State Government. The applicant should also indicate the country from which the equipment is sought to be imported.

(3) Applications for import of studio equipment may be considered from film studios and film processing laboratories on the recommendation of the State Director of industries or National Film Development Corporation. Applications should be made to the licensing authorities referred to in para 97 above.

(4) Applications from the units engaged in chemical analysis and testing of the products manufactured by other industrial units, will be considered for the import of essential machinery, machine tools and equipments which are not produced indigenously. The applications should be made to the regional licensing authorities concerned in the prescribed form through the State Director of Industries. The Director of Industries should obtain indigenous clearance from the DGTD, New Delhi, before recommending a licence.

Copies of C.G. Applications

107. Copies of all C.G. applications should be sent by the applicant simultaneously to the sponsoring authority concerned.

Computer systems (and their initial spares)

108. (1) Chapter 5 of the Import-Export Policy, 1983-84 provides that all computer systems, irrespective of value (including those to be imported against REP licences) require prior import clearance of the Department of Electronics. All Actual Users have to apply through the Department of Electronics (computor Directorate), Lok Nayak Bhavan, Khan Market, New Delhi. which is the sponsoring authority for the import of computer systems. Based on the clearance given by that Department such cases will be dealt with as under :—

(a) Applications from Actual Users will be dealt with in accordance with the procedure laid down in para 97 above.

(b) Actual Users (Non-Industrial namely R&D units etc. covered by para 48 of the Import-Export policy, 1983-84 will be allowed to import computer systems with initial spares under Open General Licence, if otherwise admissible; only on the basis of the prior import clearance obtained by them from the Department of Electronics.

(2) Import of computer system may be allowed to export-oriented units subject to export obligation in the following manner :—

(a) Where the applicant undertakes to export software of fob value equal to twice the cif value of import allowed;

(b) where an applicant imports computer system out of his own foreign exchange earnings abroad and undertakes to export software of fob value equal to the cif value allowed;

(c) in both (a) & (b) above, the applicant will be required to produce evidence to show, at the time of applying for import licence, that he has firm export orders covering at least 20% of the export obligation to be stipulated;

(d) the export obligation will be discharged over a period of maximum five years commencing from the date on which imported computer system is installed. It will further be a condition that the export to be made in discharge of the obligation shall be achieved in the following manner :—

(i) By the end of the 2nd year, the minimum level of export to be achieved shall be 20% of the total obligation;

(ii) by the end of the 3rd year, the minimum level of export to be achieved will be 40% of total obligation;

(iii) by the end of the 4th year, the minimum level of exports to be achieved will be 60% of the total obligation; and

(iv) by the end of the 5th year, the minimum level of export to be achieved shall be equal to the total value of the obligation.

(e) at the time of import of the first consignment against the licence, the applicant will be required to execute an export bond in the prescribed form; and

(f) the applicant will send half-yearly returns of the export made to the Department of Electronics (Computer Directorate), Lok Nayak Bhavan, New Delhi.

(3) Applications may also be entertained for import of computer system for the purpose of enhancing/modifying system hardware and/or software against a specific export order, with the condition that the imported computer systems shall be re-exported after the export order has been executed. In such cases imported computer systems shall not be used for any domestic work.

(4) In cases where the importer of a computer system fails to comply with the conditions subject to which the import is allowed, he will be liable to action under the Import & Export control regulations.

(5) Actual Users (Industrial) should apply for import licence in the Capital Goods form prescribed in Appendix 11. Other Actual Users may apply in the form given in this Book.

(6) For non-resident Indians there is also a separate provision in Chapter 14 of Import-Export Policy, 1983-84.

Import of Printing Machinery

109. (1) Printing machinery listed in Appendix 2 of import-export policy 1983-84 will be allowed for import to eligible Actual Users under Open General Licence subject to the conditions laid down.

(2) Applications for import of other printing machinery should be made to the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi where the value of the machinery to be imported does not exceed Rs. 50 lakhs (cif) and to the Secretariat for Industrial Approvals, Ministry of Industry, New Delhi where the value exceeds Rs. 50 lakhs.

(3) Printing machinery imported by Projects & Equipments Corporation Ltd. under rupee payment arrangements will be distributed to eligible Actual Users by the Projects & Equipments Corporation on the basis of Release Advice issued by the licensing authority. In such cases also import applications should be made to the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi, or the Secretariat for Industrial Approvals, as the case may be.

Import of Instruments, Testing machines etc.

110. (1) Applications from Actual Users for import of instruments, testing equipment, weighing

machines, laboratory equipment, tools and tackles etc. will be governed by the same procedure as is applicable to C.G. imports laid down in this Chapter.

(2) Import of scientific and measuring instruments listed in Appendix 15 of the Import-Export Policy, 1983-84 will be regulated in accordance with the provisions made in the import policy. Applications for import of instruments not appearing in the said Appendix 15 will be considered on merits on par wtih the policy and procedure applicable to Capital Goods.

(3) Institutions (Non-Industrial) requiring instruments for their own use may apply in the application form prescribed for them in Appendix-11.

Advertisement Procedures

111. (1) Where the value of Capital Goods required exceeds Rs. 20 lakhs, the intending applicant should advertise his requirement in the manner given below, so as to enable interested indigenous manufacturers to respond thereto first. The advertisement shall give inter alia, sufficient details of the specifications, make, model and/or other particulars of the Capital Goods concerned, the desired period of delivery and any other material factor which the applicant would like. It should state whether the connected drawings are already available or could be provided. (Only the main item should be advertised i.e. excluding accessories, spares, toolings etc.)

(2) Where Capital goods to be imported incorporate DC drives, programmable logic control systems, instrumentation systems, electronic weighing systems, etc. full specifications of these items should be stated in the advertisement, so that meaningful response could be obtained from the indigenous manufacturers. Such items will not be allowed for import with incomplete specifications or under general description as part of the main mechanical plant.

112. The advertisement should be published either in the (i) Indian Trade Journal or (ii) Indian Export Service Bulletin. All correspondence in respect of the former (as a display advertisement) shall be addressed to the General Manager, Government of India Press, Satragachi, Howrah. Simultaneously, a copy of the advertisement material may be sent to the Depot Incharge, Government of India Book Depot, No. 8, K.S. Roy Road, Calcutta-1. In the case of the latter, the Managing Director, Trade Fair Authority of India, Administration Building, Lal Bahadur Shastri Marg, New Delhi, should be addressed.

113. A period of 45 days, from the date of publication of the advertisement, shall be available to the indigenous manufacturers to make their offers to the (intending) applicant. Such parties should send their proposals directly to the applicant, with a copy each by Registered Post A.D. to the Directorate General of Technical Development (Co-ordination Section), Udyog Bhavan, New Delhi and the sponsoring authority of the advertisers concerned. The serial number and date of the concerned advertisement shall be cited therein. The proposals should give the details of the specifications and sufficient other particulars of the items which the indigenous manufacturer is in a position to supply, the period of delivery that can be assured, prices and other material information.

114. Other Actual Users having Capital Goods surplus to their own requirements which in their judgement is suitable to the applicant's requirements, may also send their proposals like-wise.

115. The failure to adhere to the limit set above will disqualify an indigenous manufacturer/Actual Users from further consideration/representation.

116. After a period of 45 days from the date of advertisement has elapsed, the intending importer may apply to the licensing authority concerned for a licence to import the Capital Goods in question. (The procedure of advertisement should be repeated unless it is specially exempted in his favour by the Secretary, Department of Technical Development, if such application is not made within twelve months of that date). to the licensing authority or the sponsoring authority concerned. The import application should state the Serial Number and date of publication of the advertisement, offers received and their individual appreciation by the applicant. Reasons for rejection should be given clearly. Two photostat copies of the advertisement should also accompany the application.

117. (1) The advertisement procedure will, however, not apply to printing machinery, Cinematographic equipment, computer systems and their spares, proto-types. Capital Goods required by any Research and Development Laboratory, other scientific and research institution, any institution of higher education or a hospital, that is recognised by the Central or a State Government, as well as to the special schemes applicable to Indians returning from abroad or to Non-resident Indians/persons of Indian origin residing abroad investing in approved industrial undertakings. Advertisement procedure will also not apply to the import of second-hand (used) machinery.

(2) In the case of public sector industrial undertakings, if Government has released foreign exchange to cover the import of Capital Goods, and indigenous clearance for the items to be imported has been obtained, it will not be necessary for the undertaking to make advertisement before applying for import licence.

(3) The Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi may obtain bulk indigenous clearance from D.G.T.D. or other technical authorities concerned in respect of those items of Capital Goods which are generally being cleared for import from indigenous angle. The list of such Capital Goods is given in Appendix-45, Individual Actual Users intending ing to import these Capital Goods will not be required to advertise. They can apply for a licence in accordance with the prescribed procedure, but without advertisement.

Special Procedure for Import of Capital Goods in respect of certain Industries

118. The need for reducing the overall cost of investment in industries of national priority, consistent with the requirements of offering protection to the

indigenous capital goods industry has been recognised and the following list of such propects/industries identified for the purpose :—

1. Fertilisers.
2. Newsprint and paper.
3. Basic drugs.
4. Basic technical material for pesticides and weedicides.
5. Power generation, transmission and distribution.
6. Mineral exploration, mining and beneficatlon.
7. Petroleum exploration and production.
8. Petrochemicals upto the stage of polymers.
9. Manufacture of professional grade electronic components.
10. Waste disposal recycling and effluent treatment projects and ecological engineering.
11. Material handling projects at Ports.
12. Sugar.
13. Cement and Cement products (including asbestos).

119. Persons undertaking projects for substantial expansion in any of the above fields may invite global tenders for all the capital goods intended to be procured, irrespective of the fact whether they are manufactured indigenously or not. In order to afford an opportunity to the indigenous manufacturers to supply the goods, the applicant should also advertise as per the procedures laid down in Para 112 above, but should give a minimum period of sixty days for responding to the advertisement. The advertisement should indicate the items of Capital Goods conforming to I.S.I. Specifications, wherever applicable. Deviations will, however, be permitted in the interest of upgrading of technology directed to reducing production cost and optimisation of resources. However, the advertised specifications should not be tailored to suit only particular source(s) of supply.

120. After receipt of the offers, if any, in response to the advertisement made as above, the project authorities may submit their proposals, as to the Capital Goods desired to be procured (either imported or indigenous or imported/indigenous) along with statement of comparison between the indigenous and the over seas offers on the basis of landed cost i.e. c.i.f. plus duty leviable in respect of the latter. The proposals will be considered by the Empowered Committee in the Deptt. of Heavy Industry, under the Chairmanship of Secretary, Heavy Industry, consisting of representatives of other concerned Ministries (The provisions of para 99 above will also be relevant to the consideration of such proposals), within eight weeks of their receipt in the normal course, it will finalise its views/recommendations including the requisite clearance, together with source of foreign exchange as appropriate in its judgement. The decision will be communicated to the Chief Controller of Imports & Exports for the issue of connected import licences. The Empowered Committee would be able to provide assistance needed by any project authority at the pre-tendering stage as well.

121. Indigenous supplies of equipment securing orders from Indian project authories under the above scheme will be permitted to import raw materials, components, required for the manufacture of such Capital Goods without any restriction from the angle of indigenous availability. The rate of import duty on such supporting import would not exceed that applicable to the concerned Capital Goods. The above facilities would be additional to and not in lieu of the facilities available to Actual Users (Industrial) under the general policy.

Procedure

122. Applications should be made in Form "E" (CG) along with four additional copies, plus seven copies of the list of Capital Goods along with the Bank Receipt/Demand Draft towards the payment of application fee. Besides giving the country/countries of origin, the following information should accompany the application :—

(a) Detailed list of Capital Goods with a break-up of the individual c.i.f. value of each major item;

(b) The attested or photostat copy of the proforma invoice(s), in quadruplicate, of the foreign supplier(s), separately showing the amount(s) on account of (i) freight, and (ii) insurance included in the c.i.f. value(s), quoted (in the currency of the country of import of the Capital Goods applied for); or alternative source of import; and

(c) Manufacturer's illustrated pamphlet(s). (These should be procured and furnished as far as possible to expedite disposal of applications).

123. Where the applicant proposes to seek a foreign exchange loan from an approved financial institution for meeting the cost of the Capital Goods, this should be specifically mentioned in the application. Such applicants are expected to apply to the financial institution within 6 months of the receipt of the Letter of Intent.

Import of Second-hand Machinery

124. (1) Applications for import of second-hand (used) Capital Goods for a value upto Rs. 50 lakhs (c.i.f.) should be made to the Chief Controller of Import and Exports, New Delhi. Applications of a higher value should be made to the Secretariat for Industrial Approvals, Ministry of Industry, New Delhi. The regional import licensing authorities will not entertain any application for import of second-hand (used) Capital Goods.

(2) In cases where second-hand (used) Capital Goods are sought to be imported, the relevant appli-

cation must be accompanied also by the following documents/information :—

(a) A certificate from a professional independent Chartered Engineer/any equivalent institute in the country from which machinery is imported, indicating :

(i) name of the manufacturer of the plant and machinery;

(ii) year of manufacture;

(iii) cost of major re-conditioning/repairs, if any, caried out and the name of the firm overseas which carried out re-conditioning/repairs;

(iv) present condition of the plant and machinery and its expected residual life. What generation of technology is involved through such imports should be clearly specified; and

(v) the c.i.f. value of equivalent capital goods, if purchased new.

(b) Complete specifications of the second-hand plant and machinery and price (pro-forma invoice) together with its photograph, if available. Break up of the price i.e., price of the capital goods, cost of dismantling, freight and insurance to be shown separately in the pro-forma invoice, wherever possible.

(c) The nature of performance guarantee, if any, obtained from the supplier.

(d) Relevant information in justification of such imports, specially the advantage that would accrue in price, and cost reduction due to early delivery of the imported second-hand plant.

Note : For importing second-hand items of machinery covered by Open General Licence, reference may be made to the provision in the relevant import-export policy.

125. In cases where indigenous clearance for the import of Capital Goods is given, but the issue of the Capital Goods licence is to await completion of financial or industrial licensing formalities or other procedural formalities, a maximum period of 24 months shall be available to the applicant from the date of such approval for their completion. Where this period is inadequate, fresh clearance will have to be sought. In such cases, a fresh advertisement will not be necessary.

126. Applications for increase in the c.i.f. value of a C.G. licence by not more than 10% on account of an escalation in price or a mere change in the model or a relatively minor specification, may be made directly to the licensing authority concerned. If any other changes are involved, the applicant should apply to the licensing authority concerned only through the sponsoring authority.

Special Committee for Technical Development Fund

127. In order to promote technological upgradation and modernisation, the Ministry of Industry has created a Technical Development Fund, to cover the foreign exchange requirement for :—

(a) small value balancing equipment imports, having a large impact on quality and/or quantity of output;

(b) imported technical know-how;

(c) foreign consultancy service, if required;

(d) import of drawings and designs; and

(e) any other inputs needed by industrial units for improving its export capability, generally or specially.

The scheme has now been extended to all industries.

128. The aggregate foreign exchange financed for any unit under this scheme is limited to U.S. $ 5 lakhs equivalent per year. Preference will be given to proposals aimed at quickly improving, in an integrated manner.

(i) export capability and export volume,

(ii) cost reduction,

(iii) capacity utilisation,

(iv) technology upgradation,

(v) product-mix rationalisation, and

(vi) modernisation and rationalisation.

129. Application for import should be made to the Special Committee for Technical Development Fund, Department of Heavy Industry (R & I Section), Udyog Bhavan, New Delhi in the prescribed forms for C.G. imports, foreign collaboration, etc. and in the requisite number of copies. The restriction in para 98(1) of this Book will not apply to these cases. An application for Capital Goods should be accompanied by Bank Receipt/Demand Draft for the prescribed application fee. They should be accompanied by a note explaining the comprehensive modernisation scheme of the unit and how, the imported inputs will aid export development technological upgradation, capacity utilisation, etc.

130. (i) To facilitate expeditious implementation of the approved projects, the following simplification has also been introduced :—

(a) foreign exchange allocation will be simulteneous with the approval of import and no further procedure for seeking foreign exchange loan will be necessary;

(b) all indigenous clearance will be given by the sponsoring authorities and in appropriate cases indigenous clearance condition would be waived;

(c) decision on applications will be given within 45 days; and

(ii) Import licences will be granted by the Regional Licensing Offices.

131. Such applications as are not approved under this scheme will be automatically considered for disposal under the normal procedure. It would not be necessary for the applicant to apply afresh.

IMPORT OF DIESEL GENERATING SETS

132(1) Applications will be considered for the grant of licences for the import of diesel generating sets of ratings above 1000 KVA. Applications for diesel generating sets in the range from above 500 KVA to 1000 KVA will, however, be considered on merits, depending upon the delivery from indigenous sources. Eligible actual users may submit their applications to the CCI&E (C.G. Cell), New Delhi, direct where the value does not exceed Rs. 50 lakhs (C.I.F.) and to the Secretariat for Industrial Approval, Ministry of Industry, New Delhi for higher value, in the manner and form, prescribed for the import of capital goods (Form 'E' CG) given in Appendix 11.

(2) Applications for import of D.G. sets upto 500 KVA will not be considered.

133. (1) Applications should be accompanied by the following additional information and documentation :—

(a) Particulars of the actual undertaking or institution for which the import is sought to be made.

(b) No objection certificate from the appropriate State Authority or other Power Supply Authority in terms of electricity status. should be produced, in original, along with the import application.

(c) Ratings and other specifications, probable country of imports, c.i.f. value and delivery schedule of the Diesel Generating Set(s) proposed to be imported together with proforma invoices in original of the foreign suppliers.

(d) Particulars of any stand-by captive generating capacity already with the applicant for the undertaking/institutions for which the application is being made (now).

(2) Applications will be considered under the normal procedure but the import licence that might be granted will be valid for a period of 12 months only with the added condition that orders shall be placed with the suppliers within the first six months only.

(3) Manufacturer-exporters may be allowed to import diesel generating sets above 500 KVA against their REP licences for their own use, without reference to indigenous angle.

(4) It will not be necessary for the applicants to follow the advertisement procedure, even if the value of generating sets proposed to be imported is more than Rs. 20 lakhs.

(5) Import of Electric Portable generators upto 3.5 KVA is banned Applications for import of higher rating will be governed by normal C.G. procedure.

44—2 Commerce/83

Import of Capital goods against REP entitlements

134. (1) Actual Users (Industrial) may be allowed to import capital goods against REP licences in the manner indicated below :—

(2) The import-export policy, 1983-84 provides that a manufacturer-exporter may be allowed to utilise REP licence(s) issued to him against his own exports of the products manufactured by him, for the import of Capital Goods/proto-types, without the recommendation of the sponsoring authority concerned, and without indigenous clearance, provided (i) the manufacturer-exporter concerned exported at least 10% of his production of select products in any of the two previous financial years, subject to a minimum of Rs. 5 lakhs, or the fob. value of his exports of select products during any of the previous two financial years was at least Rs. 1 crore (ii) the total of value of machinary to be imported does not exceed Rs. 20 lakhs in the year 1983-84; (iii) the machinery to be imported does not appear in the banned list in the import-export policy, 1983-84; (iv) the applicant declares that the machinery, in question, shall not result in exceeding his licensed/approved capacity; and (v) the import of machinery shall be subject to 'Actual User' condition. For the purpose of eligibility to this facility, the manufacturer-exporters have to obtain export performance certificates from the Export Commissioner in the office of Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi for which they have to apply in the prescribed form and manner on or before 31st October, 1983, as laid down in Chapter 20 of import-export policy, 1983-84. Eligible manufacturer-exporters, after obtaining export performance certificate may approach the licensing authority concerned in whose jurisdiction the factory of the actual user is located, with the following documents :—

(a) A certified copy of the export performance certificate;

(b) A certified copy of the industrial licence or registration of the industrial unit concerned;

(c) A declaration, in original, that the import of the machinery applied for shall not result in exceeding the licensed/approved production capacity of the applicant unit;

(d) A statement giving the details of REP licences i.e. their number, date and value, or the particulars of pending REP applications against which licences have yet to issue, against which the machinery, in question, is sought to be imported;

(e) Complete description of the machinery to be imported (5 copies).

(3) The Import-Export Policy, 1983-84 provides that the facility in Sub-para (2) above, will also be available to a manufacturer-exporter whose exports of select products, in any of the two previous financial years were less than the limits mentioned above, but in his case, the import will be subject to indigenous clearance from the DGTD or the Textile Commissioner, or the Jute Commissioner, as the case may be, if the value of the machinery to be imported exceeds Rs. 1

lakh in 1983-84. Other conditions stated in (2) above will apply. Manufacturer-exporters, falling in this category may also approach the licensing authority concerned with the same documents as mentioned above except that, instead of export performance certificate, they should produce the original indigenous clearance obtained from the technical authority concerned in respect of the machinery sought to be imported where the import exceeds Rs. 1 lakh in value. Before approaching the licensing authority, the applicant should obtain indigenous clearance from the authority concerned. In the case of DGTD, clearance should be obtained from DGTD (Import & Export Policy Cell). Udyog Bhavan, New Delhi.

(4) In cases not covered by (2) & (3) above, i.e. where the machinery is to be imported against REP licences other than those issued on own exports of the applicant of the products manufactured by him, and/or its c.i.f. value exceeds the prescribed upper limit, the normal Capital Goods procedure will apply, if the REP licence is sought to be utilised for import of machinery/prototype. In such cases, applications for import of Capital Goods may be made in accordance with the prescribed procedure for submission of CG applications. The applicant should indicate the particulars of REP licence /entitlements against which the machinery would be imported.

(5) In all the above types of cases, bulking of valid REP licences will also be allowed to enable the licence-holder to consolidate their value for the purpose of machinery import under these provisions.

(6) The REP licences to be surrendered for the purpose of machinery import under these provisions should have an unutilised balance of atleast three months in their period of vadility, as on the date on which they apply for import of Capital Goods. A CG licence issued against surrender of REP licences/REP entitlement will be given normal validity period as applicable to CG licences.

(7) A provision has also been made in the import-export policy for issuing import licences for machinery required for the manufacture of wooden furniture, to manufacturer-exporters against their export of wooden furniture. Import applications for this purpose may be made on quarterly or half-yearly or annual basis, as the exporter may desire. These imports are not debited to the REP entitlement.

(8) The facility allowed in sub-para (2) above, will also be available to a manufacturer, none of whose product qualifies for REP entitlement in Appendix 17, although the f.o.b. value of his exports of such products manufactured by him during 1982-83 was not less than 25% of the book value of his production and also not less than Rs. 5.0 lakhs (f.o.b.) in value, provided the c.i. f. value of the machinery allowed during 1983-84 is not more than 5% of the f.o.b. value of his exports, subject to a maximum of Rs. 20 lakhs. Other conditions (iii), (iv) and (v) laid down in sub-para (2) above shall equally apply".

(9) The import application should be accompained by a bank certificate showing the description of the product exported, the date of export and the fob value. It will be necessary for the aplicant to produce recommendation of the sponsoring authority for this purpose.

(10) In the case of manufacturer-exporters of marine products intending to import machinery against REP entitlements, the sponsoring authority will be Marine Products Export Development Authority (MPEDA).

135. (1) The Import-Export Policy provides that Export Houses/Trading Houses may be allowed to import non-OGL machinery upto Rs. 20 lakhs a year, subject to indigenous clearance, against their REP licences for sale to Actual Users. Export Houses/Trading Houses intending to make use of this facility should approach the regional licensing authorities concerned for endorsement of the machinery on their Additional licences, REP licences issued on their own exports or acquired by transfer. They should first obtain indigenous clearance from the DGTD (Import & Export Policy Cell). Udyog Bhavan, New Delhi. If the applicant has not obtained indigenous clearance from DGTD, the licencing authority will do so before allowing import. The endorsement for import of machinery in such cases shall be subject to the condition that the machinery shall be disposed of to eligible Actual Users (Industrial) and intimation thereof shall be given to the licensing authority and the sponsoring authority concerned immediately after sale.

(2) The Import-Export Policy provides that Export Houses/Trading Houses may be allowed to import Capital Goods against REP licences to enable to set up common servicing centres. Export Houses/Trading Houses intending to make use of this facility may approach the Chief Controller of Imports & Exports (E.P. III Section), New Delhi giving details of the machinery sought to be imported, its c.i.f. value and the particulars of the common servicing centre proposed to be set up by them. After obtaining indigenous clearance from CCI&E, New Delhi, they would be required to approach the licensing authority concerned for a suitable endorsement on their Additional licence or REP licence obtained on their own exports or acquired by them, to enable them to import machinery for the purpose. Such licences shall be subject to 'Actual User' condition.

Special facilities for Indians returning from/residing abroad

136. (1) Chapter 14 of the Import-Export Policy 1983-84 relates to non-resident Indians returning home for settlement as well as those who continue to reside abroad, but wish to invest in permissible ventures in India.

(2) The import policy for 1983-84 allows non-resident Indians to import machinery under OGL upto Rs. 20 lakhs (c.i.f.) in value. subject to the conditions laid down.

(3) Application for import not covered under OGL, should be made in the prescribed form appearing in Appendix 11. Applications should be made to the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi, irrespective of the value involved.

(4) Those who are eligible for import of Capital Goods under the above provision may purchase the same from indigenous producers against payments to be made in free foreign exchange, instead of importing them. Against such supply, the indigenous producers will be eligible for import replenishment as admissible under the Import Policy for Registered Exporters and for discharge of export obligation, if any.

Export conditions on C.G. Licences

137. Applications for import of Capital Goods may also be considered subject to export conditions as may be decided in each case, requiring the licensee to export goods of a specified description and value/quantity within a specified time limit and subject to such other conditions as may be prescribed. Exports to Bhutan will not qualify for redemption of export obligation as also exports to Afghanistan and Nepal, if made otherwise than in free foreign exchange.

138. A licence issued for import of Capital Goods with an export obligation will be subject to the condition, *Inter alia,* that the licensee shall execute a bond in regard to the fulfilment of prescribed export performance. The bond should be supported by a bank guarantee for an amount equal in value to the annual obligation of exports. In lieu of a bank guarantee the licensing authority may also accept the legal agreement executed by the licensee to the effect that in the event of his inability or failure to export directly the goods in accordance with the prescribed export obligation, he shall hand over to the State Trading Corporation or such other agency as the Government (including the CCI&E, New Delhi) may nominate, goods or a value equal to the difference between the stipulated annual export commitment/obligation and actual exports, and in addition, pay to the nominated agency a specified amount by way of liquidated damages. The form in which the licensees will be required to give the legal agreement appears in Appndix 22. It may be clarified that the bond/legal agreement may be executed by the licensee either with the regional licensing authority under whose jurisdiction the licensee is situated or with the licensing authority at the port of clearance of the goods to be imported against the licence. The licensee should intimate to the licensing authority issuing the C. G. licence, the name of the licensing office where he will execute the bond/legal agreement to enable the licensing authority to incorporate the name of that office in the export condition imposed on the C.G. licence.

139. A Special Cell known as 'Export Obligation Cell' has been set up in the office of the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi to co-ordinate follow-up action in cases where Capital Goods import licences, Industrial licences or approvals to foreign collaborations are issued subject to export conditions. The manufacturing units concerned will be required to furnish periodical returns to the Chief Controller of Imports and Exports, Udyog Bhavan, New Delhi (Export Obligation Cell) indicating their export performance in the form and manner as may be prescribed by the Chief Controller of Imports and Exports. Such returns shall be in addition to the returns which the unit will be required to furnish to the regional licensing authorities in pursuance of the bond/legal agreement, and to the administrative Ministries concerned.

140. The performance of manufacturing units which are granted Capital Goods import licences, or Industrial licences under the Industries (Development & Regulation) Act, 1951, or approvals to foreign collaboration arrangements subject to export conditions, will be reviewed by an Inter-Ministerial Committee under the chairmanship of the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi and having representatives of the concerned Ministries and Departments and the S.I.C., as members.

141. The exports made by manufacturers in fulfilment of the export obligation from 1st April, 1970 will be eligible for the grant of import replenishment licences in accordance with the import policy for registered exporters, subject to such conditions, or restrictions as may be stipulated in this regard. "Deemed" exports which qualify for import replenishment in the Import Policy for Registered Exporters will also qualify for discharge of export obligation.

142. Where an industrial unit is allowed imported machinery subject to an export obligation and direct import licence for import of machinery is not issued to the unit but the machinery is obtained through National Small Industries Corporation or any other similiar agency, the bond/legal agreement for fulfilment of the export obligation in such a case shall be executed by the unit before it obtains machinery from NSIC etc. The import licence issued to the NSIC etc. in such cases wil bear a suitable condition to this effect.

IMPORT OF MACHINERY BY INDUSTRIAL UNITS USING MAINLY INDIGENOUS MACHINERY

143. Under Chapter 3 of the Import-Export Policy, 1983-84 there is a provision for consideration of applications for import of capital goods upto c.i.f. value equal to 10% of the purchase price of capital goods procured or proposed to be procured from indigenous sources, provided the import does not exceed Rs. 1 crore in c.i.f. value.

144. Eligible actual users intending to make use of the facility provided in para 143 above should submit import applications direct to the licensing authority concerned in form E (CG) supported by the following :—

(i) Bank receipt/Demand draft of the appropriate amount towards payment of application fees.

(ii) A copy of valid industrial licence or registration certificate with the sponsoring authority concerned where no industrial licence is necessary.

(iii) Evidence regarding purchase of machinery from indigenous sources to the extent of 90 per cent of the requirements. In support of the purchase price of the machinery already procured from indigenous sources, a certificate from a Chartered Accountant or Cost Accountant (in practice) or a certificate of the sponsoring authority, may be produced.

(iv) In the case of machinery proposed to be procured from indigenous sources, a certified copy of the contract entered into by the applicant with the indigenous manufacturers for the purchase of machinery in question.

145. As a rule, applications for import licences for substantial values of plant and machinery which are required for the setting up of new projects or for substantial expansion will be considered only against one or more of the following acceptable means of financing :—

(a) Long term foreign investment in the capital of the projects;

(b) Foreign exchange loans for the project from the Industrial Credit and Investment Corporation of India, Bombay and the Industrial Finance Corporation, New Delhi;

(c) Long term foreign exchange loans from financing institutions abroad as approved and announced from time to time;

(d) Imports financed by the National Small Industries Corporation of India, New Delhi under their hire-purchase scheme for small scale industries or financed by any other agency/company duly approved for the purpose by the Ministry of Finance, Deptt. of EA, New Delhi;

(e) Loans to the Government of India from foreign governments or financial institutions against which cash licences can be granted; and

(f) Trade and Payments agreements between the Government of India and foreign countries, against which cash licences can be granted.

146. Applications for import licences will be considered having the regard to the priority of the schemes and the method of financing proposed. As a rule, the source of financing the imports will be limited to the alternatives indicated in paragraph 144 above. If the scheme is not considered to be of sufficient priority and/or if funds available with the Government cannot be allocated, import applicaions in respect of such schemes will be rejected.

NEGOTIATIONS FOR LOANS

147. *Negotiations of loans by importers with foreign financing institutions require prior approval in principle of Government.* Direct negotiations of loan by importers with foreign financing institutions require the prior approval in principle of Government. Such requests should be addressed to the Administrative Ministry concerned indicating the value of the equipment, the purpose for which it will be imported, the proposed country or countries of import, the value of imported raw materials/components that will be required annually after going into production, and the particulars of the manufacturing licence, if any, under that Industries (Development and Regulation) Act that may be held for the project.

IMPORTS AGAINST FREE RESOURCES

148. Imports against free resources on cash or deferred payment basis:—When the outlay on imported plant and equipment is relatively small, and is likely to be covered by saving or earning of foreign exchange (having due regard to the existing level of imports/exports) as a result of the implementation of the scheme within a period of three years, it may be possible to consider applications, to a limited extent, for licensing against free resources, on cash basis, or on deferred payment basis. In general, Government do not propose to encourage import on short or medium term suppliers' credit, and deferred payment arrangements will only be considered in exceptional cases when the Government are satisfied that the savings of foreign exchange resulting from the output of the plant and machinery proposed to be imported will be more than sufficient to meet the payment liability. Similarly, such arrangements may be approved if there is a satisfactory guarantee for the exports of goods for the production of which the plant is to be imported.

CHAPTER VI

CANALISATION

149. Appendices 8 and 9 of the Import Policy, 1983-84, enumerate the list of canalised items. Those included in Appendix 9 will be governed by the policies laid down by Government in the administrative Ministries concerned.

150. The following procedure will apply to the import and distribution of "specified" canalised items in Appendix 8 :—

(1) Raw silk and Silk worm (Cocoons) . . (2) Raw Cotton . . (3) Polyester filament yarn excluding base flat-first quality (fully/partially oriented) and Nylon filament yarn and thread excluding: (i) Base flat-first quality (fully/partially oriented); and (ii) Industrial Nylon yarn of 210 deniers and above. (4) Synthetic non-cellulose fibres excluding Polyster fibre/tow, polynosic fibres, Nylon fibre, acrylic fibre and Polypropylene fiber/tow. (5) Tallow of any animal origin including mutton tallow. (6) Natural rubber. (7) D. D. T. technical and 75 wdp. (8) Caprolactum. (9) Writing and Printing paper all types excluding Art & Chrome paper and board.	The quantum of import and the policy for distribution will be laid down by Government from time to time.
(10) Iron scrap including pig iron chip. (11) Carbon steel melting scrap of all grade. (12) Carbon steel re-rollable scrap of all grades. (13) Alloy steel (including stainless/heat resisting/high speed steel) melting scrap but excluding re-rollable scrap. (14) Old ships, Vessels etc. for breakup.	Import and distribution will be made in consulation with the Department of Steel, New Delhi.
(15) Aluminium/Aluminium rods. (wrought/unwrought).	The quantum of import will be laid down by the Government from time to time. The imported material may be distributed through M/s. Bharat Aluminium Company Limited (BALCO).
(16) Components/Modules of electronic watches, the following:— (a) Complete electronic modules for electronic watches of all types. (b) Following components of electronic watches, clocks and time pieces (both for digital and analogue) (i) Large scale integrated circuits/Devices/chips, all types for use in watches, clocks and time pieces. (ii) Liquid crystal display. (iii) Quartz crystal. (iv) Stepper Motor.	The quantum of import and the policy for distribution will be laid down on the recommendation of the Deptt. of Electronics, New Delhi. Only Industrial units whose manufacturing programmes have been duly approved by the Central Government will be eligible to obtain allotments of imported goods from the canalising agency.
(17) Electric components, the following :— (i) Floppy drives (standard/mini). (ii) Matrix Printers (120/80 CPS) (iii) Line Printers (300/600 LPM) (iv) Winchester drives (50/80 M Butes)	
(18) Hot rolled stainless steel/heat resisting steel coils of a width exceeding 500mm imported for cold rolling.	Actual users having adequate facilities to cold roll such material in coil form in the width in which it is imported will, only be eligible.
(19) Flint Buttons (Refractive Index 1·625, 1.654 and 1.7009)	The quantum of import will be decided by Government from time to time, and the imported material will be distributed through M/s. Bharat Opthalmic, Glass Ltd.

151. (a) In the case of copper, eligible Actual Users (Industrial) may register their requirements with the canalising agency (MMTC) and the indigenous producer, M/s Hindustan Copper Ltd., as under :—

M.M.T.C.	Hindustan Copper Ltd.
(1) Manufacturers of Insulated Winding Wires/Strips	(1) All Government Departments.
(2) Manufacturers of Insulated Cables.	(2) All Central/State Public enterprises, other than those under MMTC.
(3) Manufacturers of telecommunication cables.	(3) Manufacturers of semies, alloys and auto-ancillaries.
(4) Manufacturers of commutor segments/profiles (for silver bearing copper only).	(4) Any other users.

MMTC	Hindustan Copper Ltd.
(5) Manufacturers, switch-gear and Transformers,	
(6) Manufacturers of Commutator segments/profiles of non-silver bearing copper;	
(7) M/s. Bharat Heavy Electricals Ltd., M/s. New Government Electric Factory, Bangalore and M/s. Hindustan Cables Ltd.	
(8) Bare Copper wires/strips.	

(c) The basis of Actual consumption indicated in above, from the MMTC/Hindustan Copper may register their requirements to the extent of their certified consumption in any of the two previous financial years, whichever is higher. However, in the case of large scale units, this should not enable them to exceed 125 per cent of their licensed/registered capacity.

(c) The basis of Actual consumption indicated in the case of copper in (b) above, will also apply to other non-ferrous metals, viz. Zinc lead, tin and nickel.

(d) New units or existing units which had no consumption in any of the previous 2 years or existing Actual Users as are in need of additional quantities may apply to the MMTC or Hindustan Copper Ltd., as per the above division of categories, only after their demands are sponsored by the concerned sponsoring authorities.

152. Save as above, Actual Users (Industrial) may register their requirements for the other canalised items needed for their licensed/authorised manufacturing activities in the manner and form prescribed in Appendix 12 of the Import-Export Policy, 1983-84. (Vol-I).

153. Each canalising agency may, from time to time, decide upon the items for which it would seek additional information or clarification in terms of Import-Export Policy, 1983-84.

154. Under the Import-Export Policy, 1983-84, a canalising agency is expected to take into account the availability of indigenously produced material before imports are arranged. No person registering his requirements with a canalising agency will also have the right to ask for a particular brand or make.

155(1) An Actual User, while registering his requirements for allotment of a canalised item, should indicate to the canalising agency the phased programme of delivery on a quarterly basis—or monthly if so laid down by the canalising agency. The canalising agency will scrutinise such registration and indicate within a period of 90 days, the arrangements it would be able to make for effecting supplies. In case, the canalising agency does not (a) give any such indication for a period of delivery at least three months ahead from the date of registration or (b) effect deliveries as registered with it and for which it has or could have taken financial cover as laid in the Import-Export Policy, 1983-84, the Actual User may approach the CCI&E (Monitoring Committee), New Delhi, for appropriate relief by way of direct imports. Direct imports may also be allowed to Actual Users, with the permission of C.C.I. & E., New Delhi, on the basis of 'No Objection Certificate' issued by the canalising agency or where C.C.I. & E. is satisfied that the canalising agency has not been or may not be able to supply the material for no default on the part of the Actual User.

(2) If an Actual User, has registered his demand with the canalising agency concerned, and the canalising agency does not take any effective steps to supply the material within 3 months from the date the Actual User has paid the earnest money, the Actual User may apply for direct import licence to the regional licensing authority concerned to the extent of 25% of the quantity of the same material allocated to him by the canalising agency in the previous financial year, subject to a maximum of Rs. 1.0 lakh in value (cif), without having to obtain "No Objection certificate" from the canalising agency. Such application for direct import licence should be accompanied by a declaration of a senior executive of the applicant firm/company giving the date of payment of earnest money to the canalising agency, the description of the meterial registered and its Quantity, and stating in clear terms that the canalising agency has not taken any effective steps to supply the material within three months of the payment of earnest money. The declaration should also mention the description and the quantity of the same material allocated to the applicant firm/company by the canalising agency in the previous financial year. This facility will not, however, be available for items listed in paras 150 and 151 above and for items in Appendix 9 of Import-Export policy, 1983-84.

156. It may be noted that any goods, which are canalised for import under the policy in force from time to time, have necessarily to be imported only by the canalising agency designated for the particular item, unless otherwise provided—in the import policy in force. Requests for their import as gifts will be entertained by the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi, on the merits of each case. While doing so, the general provisions set down in Chapter 16 of the Import-Export Policy, 1983-84 will be taken into consideration.

CHAPTER VII

SPECIAL PROVISIONS

Units in the Backward Areas or those of Technocrats

157. Special facilities for industries in backward areas or those set up by graduates/diploma holders in professional subjects or by ex-servicemen/persons belonging to scheduled castes/scheduled tribes have been provided in the Import-Export Policy, 1983-84. The list of backward Areas to which this facility applies is given in Appendix 28.

Computer system and other Electronics items

158. Attention is invited to Chapter 5 of the Import-Export Policy, 1983-84 read with para "7" of Chapter 3 thereof. In this regard, the three-tier system of licensing of Capital Goods stands amended. Import of every computer system has to be got cleared by the Deptt. of Electronics before the application can be considered for the purposes of granting a 'Capital Goods' licence, (If the c.i.f. value of the computer system is Rs. 5 lakhs or more, there is a special procedure under that Department for clearing such imports). The applicant should send one copy of his import application to the Department of Electronics for obtaining clearance. Import licences in such cases will be issued by the licensing authorities concerned after necessary clearance has been given.

State Electricity Boards/Projects/Undertakings

159. (1) In these cases, release of foreign exchange is made by the Govt. of India in favour of the concerned Board/Project/Undertaking for meeting its maintenance and operational requirements of spares and stores. This is monitored by the Central Electricity Authority, New Delhi. For import of spares, they should operate under O.G.L. as provided in the Import-Export Policy, 1983-84. For their other requirement (including capital goods, upto Rs. 20 lakhs in value) import applications should be made to the regional licensing authority appropriate to the applicant, in the form prescribed for Actual Users in Appendix 11. However, there is no need for a public sector enterprise to submit the Consumption Certificate or file the Income-tax declaration. The application should be accompanied by the following documents :—

(i) An attested copy of the letter containing the sanction of release of foreign exchange to cover the imports sought to be made.

(ii) Five copies of the list of goods proposed to be imported (Indigenous clearance should be obtained from D.G.T.D. in respect of items appearing in the Banned lists or capital goods only);

(iii) A Bank Receipt/Demand Draft showing the payment of prescribed application fee; and

(iv) Where it is proposed to import electronic items, including facsimile equipment for a c.i.f. value of Rs. 5 lakhs or more, the clearance of Deptt. of Electronics thereto.

NOTES : (1) In case no foreign exchange allocation has been made to cover the relevant import, the application should be routed through the Central Electricity Authority, New Delhi.

(2) After the import of goods against the licence issued as above, the Board/Project/Undertaking should promptly send to the Central Electricity Authority, New Delhi the list of items actually imported, to enable this Authority to undertake review of the items so imported vis-a-vis indigenous availability.

(3) State Electricity Board/Project/Undertaking should also send quarterly returns to the concerned Administrative Ministry/Department of the State/Central Government, as well as to the Ministry of Finance, (Deptt. of Economic Affairs-FEB-II Branch), New Delhi giving the details of the amount of foreign exchange so utilised, by imports of spares under O.G.L. and by obtaining licences, for the import of maintenance and operational items of stores in a particular licensing period.

(2) State Electricity Boards/Projects/Undertakings are also eligible to licences for the import of emergency spares, in the manner laid down in the Import-Export Policy. The licensing authority will, simultaneously, with the issue of such licences intimate to the Central Electricty Authority, New Delhi particulars of such licences granted, to enable this Authority to coordinate and monitor the release of foreign exchange made to the Board/Project/Undertaking concerned. (The period of validity of such emergency licences will ordinarily be six months, but the licensing authorities will, on a simple request, extend it to 12 months.)

Newspaper Establishments

160. In the case of Newspapers, as defined by the Press and Registration of Books Act, 1867, the sponsoring authority will be the Registrar of Newspapers for India.

161. Import and distribution of newsprint continues to be canalised through the State Trading Corporation of India. Newspaper establishments should apply for their requirements of newsprint in the prescribed form for allotment thereof given in Appendix 11.

162. They will be eligible to import permissible and non-permissible spares, as provided in Chapter 9 of the Import-Export Policy, 1983-84.

163. (1) For their operational and maintenance requirements of other materials and consumables (other than spares), they may apply for an automatic licence. based on a Consumption Certificate, in the prescribed form, duly certified by a Chartered or Cost Accountant, who is not a partner, director or an employed of the applicant firm or its associates, or by the sponsoring auhority showing the consumption of all such items, either for the year 1981-82 or 1982-83 as the applicant may choose in his option. The said Consumption Certificate should give the details of the items so consumed together with the aggregate c.i.f. value thereof. The automatic licences will carry the same list of items as those appearing in the consumption certificate

NOTES : (1) The above procedure will apply irrespective of the fact that the concerned items are in the Restricted/Banned lists or on O.G.L. for Actual Users (Industrial).

(2) In the case of any establishment which is in a position to furnish only the landed cost particulars, but not the c.i.f. particulars of the items appearing in it, the Consumption Certificate so certified shall be reckoned at 60% for the purpose of calculating the c.i.f. value on which the grant of an automatic licence would be based in 1983-84.

(2) They will also be eligible to get supplementary licences on the recommendation of the sponsoring authority. The relevant application complete with details may be made, at any time, upto 29-2-1984.

164. The above facilities for newsprint and other requirements will also be extended to Associate Presses which have entered into long term arrangements/contracts with the owners of newspapers for the printing of their newspapers. In such cases, the applicant should produce satisfactory evidence of such arrangement/contract.

165. Common ownership unit of newspapers may submit a combined application covering the requirements of the various units owned by them, giving details of the requirements of each unit Such applications should be made to the regional licensing authority within whose jurisdiction the respective Head Office is situated.

166. C. G. procedure will also apply with regard to the Capital Goods requirements of newspaper establishments.

167. Newspapers establishments should maintain an account of consumption and utilization of imported materials in the proforma given in Appendix 18A.

After Sales Service by Actual Users (Industrial)

168 In terms of the Import-Export Policy, 1983-84 Actual Users (Industrial) will be eligible to get licences for import of spares for the purpose of providing warranty coverage/after sales obligation to their customers. For this purpose, the application for import of spares parts should be made to the regional licensing authority concerned in the form prescribed for Actual Users. Import licences issued under this provision will be subject to the following condition :—

> "The goods imported against this licence shall be used only for servicing and maintenance whether free of cost or at a price of the machinery/equipment/vehicles manufactured by the licencee."

Import of gas cylinders, containers etc.

169. (1) In the case of items like gas cylinders, returnable cops and bobbins, drum closures, ocean going containers etc. which are accessories to the imported items, the customs authorities may allow import without a licence, after satisfying themselves about the manner of their re-export.

(2) The provision in sub-para (1) will also apply to the import of empty gas cylinders which are to be re-exported after being filled with gas. At the time of clearance of the imported cylinders, the importer will be required to produce to the customs authorities a certificate of suitability of the cylinders from the Director of Explosives, Nagpur. While approaching the Director of Explosives for the required certificate, the importer should furnish particulars of cylinders, in question, indicating (i) the name and address of the manufacturer of the cylinders, (ii) specifications to which the cylinders conform, (iii) specifications to which the valves fitted to the cylinders conform and (iv) serial number of the cylinders

Import of Transformer Oil together with Power Transformers

170. (1) Oil supplied for the first filling along with the transformer may be treated as part of the transformer and its clearance allowed against licences issued for transformers. It may, however, be noted that the quantity of transformer oil so allowed shall not in any case exceed the capacity of the tank of the transformer. It is also necessary to ensure that the c.i.f. value of the oil plus the c.i.f. value of the transformer should be covered by the c.i.f. value specified in the licence for transformer.

(2) Where the oil and the relative transformer are shoipped from different countries, a separate import licence would be necessary for the oil. This would not, however, apply if the licence for transformer has been specifically made valid to cover transformer oil required with it, subject to the prescribed conditions, if any, being fulfilled.

Special requirements of Approved hotels

171. Approved hotels *i.e.* those which are recognised for this purpose by the Department of Tourism may submit their applications for specialised requirements for catering to foreign tourists to the CCI&E New Delhi, through the Deptt. of Tourism, New Delhi That Department before recommending the applications, should take necessary clearance from the DGTD in respect of the items to be licensed. Licences will be issued for the amount recommended by the Deptt. of Tourism, in consultation with the Department of Economic Affairs.

IRMAC Scheme

172. (1) The Import-Export Policy, 1983-84 provides for supply of imported materials off-the-shelf by the STC/MMTC/State Small Industries Development Corporation and other similar agencies in the public sector, under the IRMAC Scheme (Industrial Raw Materials Assistance Centre Scheme). For this purpose the public sector agency may make an application to the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi or a bulk advance licence to operate the scheme in the prescribed form applicable to Actual Users, but without the necessity of producing any consumption certificate. Applications for subsequent licences can be made to replenish the stocks already serviced.

(2) The Import-Export policy provides that CCI&E, New Delhi may allow certain Export Houses and Trading Houses to render IRMAC facilities to Actual Users. Such export houses/trading houses may also apply to the CCI&E, New Delhi for the grant of bulk import licences.

Import of Motor Vehicles

173. Appendix 6 sets out the policy and procedures applicable to the import of cars and other motor vehicles. All such applications should be made to the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi.

IMPORTS FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT AND FOOD PROCESSING INDUSTRIES

174. (1) Import and Export Policy for 1983-84 contains special provisions for import of certain machinery and other items for agricultural development and for food processing industries. Under these provisions, applications for import of machinery, green houses and other items required for agricultural development, not indigenously available, will be considered on merits, on the recommendations of the State Governments concerned. Applications should be made to the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi through the Department of Agriculture of the State Government. The advertisement and other Capital Goods procedure will not apply for such import. Applications will be examined by the Coordination Committee in the office of Chief Controller of Imports and Exports referred to in Chapter 19 of the Import & Export Policy (Vol. I) for 1983-84. The Coordination Committee may consider such cases on the recommendation of the Export Promotion Division in the Ministry of Commerce also.

(2) Applications should be made in the form prescribed for the purpose in Appendix 11. A complete justification for the import sought to be made should be given. In particular, it should be mentioned whether the proposed import will also contribute to exports and if so, when and to what extent.

(3) Import licences in such cases will be subject to such conditions as may be specified by the Chief Controller of Imports and Exports. The import shall be subject to Actual User Condition.

(4) Such applications will be considered having regard to the availability of Foreign Exchange.

REHABILITATION OF DISABLED AND PHYSICALLY HANDICAPPED PERSONS

175. (1) Applications from Actual Users (Industrial) for import of machinery fitted with special disability, control/devices required for setting up an industry exclusively for rehabilitation of disabled/physically handicapped persons, upto Rs. 20 lakhs in value (c.i.f.) will be considered on merits. Such applications may be made direct to the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi. Under this provision, existing industrial undertakings can also apply for import of machinery if they wish to take up rehabilitation of disabled/physically handicapped persons in their establishment.

(2) An industrial unit applying for an import licence under sub-para (1) above will have to be registered with the State Director of Industries, as required for small scale units.

(3) Manufacturers of vehicles may apply for import of disability controls/devices required by them to be fitted in the manufacture of vehicles for use by disabled/physically handicapped persons. Such applications may be made to the regional licensing authorities concerned through the DGTD, New Delhi, in the form meant for import of raw materials and components by Actual Users (Industrial). Import licence to be issued in such cases will be subject to the condition, *inter alia,* that the vehicle manufacturer shall furnish a special production return to the DGTD of such vehicles manufactured and disposed of.

DEVELOPMENT OF SPORTS

176. (1) Applications for import of sport goods/equipment not indigenously available, will be considered on merits, from Central and State Government organisations dealing with sports, educational institutions universities, associations of sportsmen, sport clubs and eminent sportsmen duly sponsored and recommended by the Central Government or State Government department concerned.

(2) Applications may be made to the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi in the form prescribed for this purpose in Appendix 11, through the sponsoring authority concerned. Before recommending import, the sponsoring authority will obtain indigenous clearance from DGTD (Import & Export Policy Cell), Udyog Bhavan, New Delhi, except for items for which indigenous clearance has been given and listed in Appendix 37 of the Import and Export Policy (Vol. I) for 1983-84.

(3) Import licences in such cases will be subject to such conditions as may be specified by the Chief Controller of Imports and Exports with regard to the use and distribution of the imported equipment.

(4) Such applications will be considered having regard to the availability of foreign exchange.

Import of Capital Goods/Component Parts of machinery required for initial Setting up/assembly—Eligibility for concessional rate of duty

177. (1) Import licences issued for Capital Goods and connected raw materials and components required for the initial setting up or for substantial expansion of a project would be endorsed, as admissible, on the recommendations of the sponsoring authority concerned for availing concessional rate of duty. Before making recommendation, the sponsoring authority will satisfy

itself that the case is covered under the relevant notification issued by the Ministry of Finance in this regard. The endorsement to be made on the licence will be as follows :—

"Project import for assessment under Heading No. 84.66 of Section XVI of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)."

(2) It may be noted that the proper authority to decide whether a particular import is eligible to the concessional rate of customs duty as project import is the customs authority. Such authority may allow the benefit of concessional duty, where permissible, even without the endorsement of the licensing authority to this effect on the relevant import licence, on the basis of recommendation of sponsoring authority.

(3) Where import of machinery is allowed under Open General Licence, the benefit of concessional rate of duty may be allowed by the Customs Officer on the recommentation of the sponsoring authority concerned.

Import of construction equipment and other materials on re-export basis

178. Applications for the grant of Customs Clearance Permits from Government projects/undertakings may be considered for import of construction equipments and other materials on re-export basis. Import in such cases will be allowed only subject to indigenous clearance obtained from DGTD, New Delhi. The Customs Clearance Permit, where issued will be subject to the following condition *inter alia* :—

"The goods imported under the licence and not consumed during the construction work shall be re-exported on completion of the job for which they are imported or within two years from the date of import, whichever is earlier. The licensee shall execute a bond for re-export with the licensing authority at the port of importation."

No bank guarantee would be taken from the project authority in support of the export bond.

Import of Radio Active Isotopes

179. Requests for import of Radio-Active Isotopes should be made to the Department of Atomic Energy, Bombay.

Grant of CCPs for films to news correspondents and news-agencies.

180. Import of unexposed films, free of charge, by regular news correspondents/news agencies will be considered by the licensing authorities for issue of a CCP on the recommendation of the Press Information Bureau, New Delhi.

Clearance of Unidentifiable or Unclaimed Cargo, Excess Landed Cargo, Sweeping Etc.

181. (1) The regional licensing authorities concerned may issue Customs Clearance Permits against applications received from Steamer agents, for the clearance of unidentifiable or unclaimed cargo. Where the value of such goods does not exceed Rs. 80/-, clearance may be allowed by the customs without CCP.

(2) Steamer Agents may also apply to the regional licensing authorities for the grant of Customs Clearance Permits for clearance of excess landed cargo. In such cases, if the value of the cargo exceeds Rs. 5,000/-, the CCP will be issued after verifying the bonafide of the goods from the customs concerned.

(3) Customs authorities may allow clearance without import licences, of bonafide sweeping (i.e. remanants of the bagged cargo obtained by sweeping of the sheds in the Docks) whether dutiable or not, provided :—

(i) the sweeping are all from one particular ship;

(ii) the duty, where leviable, has been paid in full on all manifested consignments of similar goods from the ship in question, or in the case of duty-free goods, where all manifested consignments of similar goods have been cleared by the customs.

(iii) there was no excess cargo on the particular ship; and

(iv) it has been certified by the Port Trust Authority that the sweepings are genuine and obtained from sheds in the Docks.

(4) In these cases, where the goods to be cleared are canalised for import through a public sector agency under the Import Policy in force, the clearance of the goods shall be subject to the condition that the goods shall be sold to the canalising agencies concerned at landed cost.

Clearance of condemned ship stores

182. The clearance of condemned ship stores shall be regulated as under :—

(i) Clearance of condemned ships stores upto a value limit of Rs. 2,000/-, in each case, may be allowed by the Collector of Customs concerned without a Customs Clearance Permit.

(ii) In cases where the value of condemned ships stores exceeds Rs. 2,000/- at a time and clearance is allowed from foreign vessels, the regional licensing authorities may issue Customs Clearance Permits without Exchange Control copies on the basis of Customs assessed value. The value of all such Customs Clearance Permits shall be debited to CCI&E's ad hoc ceiling by the licensing authorities concerned.

(iii) In all other cases, where foreign vessels are not involved and the value of stores exceeds Rs. 2,000/-, the licensing authorities may issue Customs Clearance Permits without exchange control copies.

Government Contracts/Stores ordered by the Director-General of Supplies and Disposals.

183. Special arrangements have been made to deal with applications for import licences by persons or firms, etc., to cover goods in respect of which a contract has been placed on them by the Director-General of Supplies and Disposals.

184. Import Recommendation Certificate :—In such cases, the applicant should obtain from the appropriate Director of Supplies, an Import Recommendation Certificate (IRC) showing *inter alia* :—

(i) The number and date of the contract.

(ii) Description of goods and country of import.

(iii) Contractual value of goods.

(iv) C.I.F. value of goods.

(v) Expected period of delivery.

(vi) Name of the Indentor.

(vii) Reference number and date under which foreign exchange has been released.

(viii) Source from which foreign exchange is provided and mode of payment.

(ix) Number and date under which indigenous clearance has been obtained from the DGTD in respect of the goods sought to be imported.

(x) No. and date under which the clearance has been obtained from the Department of Electronics in respect of electronic items including facsimile equipment for a value of Rs. 5 lakhs or more and marine equipment and parts thereof irrespective of value involved.

NOTES : (a) It may be clarified that no indigenous clearance will be necessary for the import of goods which are licensable to Actual users in terms of the Import Policy in force at the time of making the application for the licence. In respect of items appearing in Appendices 3, 4, 15 and 30 of the relevant import policy, it will be necessary for the DGS&D, to obtain clearance from the DGTD, before recommending the import. For steel items appearing in Appendix-6 of import policy a similar clearance will be obtained from the Department of Steel, New Delhi. In respect of equipment, if any, sought to be imported, indigenous clearance will be necessary for all items, and banned type of equipment will not be allowed.

(b) The DGS&D will issue the I.R.C. after all the terms and conditions pertaining to the relevant contract have been finalised and an indication to the effect will be given in the I.R.C.

185. Form and manner of application :—On receipt of the import recommendation certificate, the applicant should make out a consolidated application in respect of each contract covering all goods in the Form 'B' given in Appendix 11 to this Book. On top of the application "DGS&D Contract" should be written in block letters. Applications should be made to CCI&E, New Delhi along with the certificate from the Director of Supplies and other relevant documents including Bank Receipt/Demand Draft showing payment of application fee. There shall be no last date of receiving applications under this category.

186. Intimation to licensing authority :—If for any reasons, the licensee is unable to utilise the imported material for the purpose for which the licence has been issued to him and during the period stipulated in the relevant contract, he shall immediately send the necessary intimation to this effect, in writing to the licensing authority concerned, stating the circumstances in which he has failed to utilise the goods for the purpose for which the import was allowed. On receipt of such intimation, the licensing authority may consider initiating action under Clause 10-C of the Imports (Control) Order, 1955, as amended, without prejudice to any other action that may be taken against the licensee or any other person in this behalf.

Stores ordered by Railways

187. Special arrangements have also been made to deal with applications for import licences from persons or firms etc., to cover orders placed on them by State Railways.

188. Form and manner of application :—The applicant should make out a single application in respect of each contract in the prescribed Form 'B' appearing in Appendix 11. Applications should be forwarded to CCI&E, New Delhi through the Railway Liaison Officer, New Delhi.

189. Recommendation for licence :—While recommending the import, the Railway authorities should invariably give the following particulars, *inter alia* :—

(i) Railway order, number and date.

(ii) Description of goods sought to be imported and country of import.

(iii) C.I.F. value of the goods.

(iv) Expected period of delivery.

(v) Name of the indentor.

(vi) Reference number and date under which foreign exchange has been reelased.

(vii) Source from which foreign exchange is provided and mode of payment.

(viii) Reference number and date of the DGTD under which indigenous clearance has been obtained.

(ix) No. and date under which the clearance has been obtained from the Department of Electronics in respect of electronic items including facsimile equipment for a value of Rs. 5 lakhs or more and marine equipment and parts thereof irrespective value involved.

NOTES :—(1) It may be clarified that no indigenous clearance will be necessary for the import of goods which are licensable to Actual Users in terms of the Import Policy in force at the time of making the application for the licence. In respect of items, appearing in Appendices 3, 4, 6, 15 and 30 it will be necessary for the Railway Liaison Officer to obtain clearance from the DGTD/Deptt. of Steel before recommending the import.

(2) The Railway authorities will issue a recommendation for the licence after all the terms and conditions pertaining to the relevant contract have been finalised, and an indication to the effect will be given in the recommendation.

Defence Contracts

190. (1) Import applications made by persons or firms, etc. to cover goods in respect of which a contract has also been placed on them by the Defence Organisation, will also be considered on the basis of Import Recommendation Certificates issued by such organisation. The application should be addressed to the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, in the Form 'B' appearing in Appendix 11.

(2) The Import Recommendation Certificate will be issued in the same form and manner as laid down in para 189 above.

Imports from and Exports to Nepal

191. Imports and exports of goods from and to Nepal are allowed without Import and Export Control restrictions provided the goods are either the produce of or manufactured in the respective countries, subject to such exceptions and limitations as have been made and are in force, or may be made, hereafter.

Licensing under Trade Agreements

192. The Government of India have signed Trade Agreements with a number of foreign countries. These Trade Agreements are revised from time to time. In addition to the Trade Agreements, special payments and trade arrangements have also been worked out with respect to some of the countries. Licences under the special payments and trade arrangements with these particular countries are issued from time to time. For particulars, the importers are advised to contact the CCI&E, New Delhi.

CHAPTER VIII

PERIOD OF VALIDITY AND REVALIDATION OF LICENCES

IMPORTS

Periods of Validity

193. The Import-Export Policy sets down the periods of validity applicable to the different categories of licences granted thereunder unless otherwise provided, the initial validity period of an import licence will be 12 months.

194. In the case of import licences (for items other than Capital Goods) granted under various Commodity Assistance Programmes or Rupee payment Arrangements also the period of validity will be 12 months, subject to the condition that the validity does not exceed the terminal date of the relevant credit.

195. The initial period of validity of C.G. licences other than those against tied credit or foreign aid will be 24 months. In the case of CG licences issued against a "tied credit/foreign aid", the initial period of validity will be 24 months or the terminal date of the relevant "credit or aid", whichever is earlier.

196. Import licences for Capital Goods will be subject to the condition that a firm order is placed on the overseas supplier within 6 months from the date of issue of such a licence or the period indicated in the licence for the purpose. If the licence-holder fails to place a firm order or the overseas supplier has not accepted the order within this period, a request for extending the period for placement of order may be considered, on merits, by the licensing authority. This will also apply to Capital Goods permitted for import under the policy for Registered Exporters.

197. The period of validity of licences issued to fulfil DGS&D, Railway, and Defence contracts, will be in accordance with the connected recommendations.

198. The initial validity period of a Customs Clearance Permit will be 6 months. But, if the applicant needs a longer period, the licensing authority may extend this upto 12 months.

199. The initial period of validity of an emergency licence will be 6 months. Requests for revalidation of such licences will not normally be entertained.

Revalidation

200. (1) No request for extension of the period of validity of REP licences issued against exports made on or after 1-4-1978 will normally be entertained. In hard cases, however, revalidation may be allowed by the licensing authority concerned for a period not exceeding 6 months, subject to such conditions as may be imposed. Requests for longer periods will require prior approval of the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi, for extension, on merits, subject to such conditions as may be imposed.

(2) Requests for extension of the period of validity of REP licences which are utilised under para 138 of Import & Export Policy (Vol. I) may be considered by the licensing authorities concerned, on merits, and revalidation allowed upto a period not exceeding six months at a time, and also not exceeding 12 months in all.

(3) Requests for extension of the period of validity of advance and imprest licences issued under the import policy for Registered Exporters may be considered by the licensing authorities concerned, on merits and revalidation allowed upto a period not exceeding 6 months. Request for revalidation for a period longer than this may also be considered with the approval of the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi.

201. (1) Requests for revalidation of import licences issued to Government Departments and Public Sector Corporations/bodies (non-Industrial) will be considered, on merits, by the licensing authorities concerned. In the case of public sector undertakings. (Industrial), requests for revalidation may be considered by the licensing authorities concerned, on merits, for a period not exceeding 6 months at a time and also not exceeding 12 months in all.

(2) Requests for revalidation of other licences will be considered on merits by the licensing authorities concerned, and revalidation allowed for a period not exceeding 6 months. Requests for revalidation for a period longer than this may be considered with the prior approval of Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi, subject to such conditions as may be imposed.

(3) In the case of Capital Goods licences requests for extension of the period of shipment beyond the initial period set down in the licence, may be considered, on merits, by the licensing authority, having regard to the period of delivery of the Capital Goods as contracted for by the overseas suppliers (in the case of licences issued against tied credits or aids, however, the terminal date will be kept in view while considering such requests for revalidation). Such extension of validity of Capital Goods licences may be done by the licensing authority upto a period of 3 years from the date of issue; for further extension, the orders of the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi will have to be first taken by the licensing authority.

Date of Shipment/Despatch

202. The period of validity means the period of shipment/despatch permissible for the goods concerned.

203. In the case of shipments made by sea, this will be the date on the Bill of Lading.

204. In the case of imports by air, the date of the relevant Consignment Note will be normally taken as the date of despatch, provided this represents the date on which the goods left the last airport in the country from which the import is effected. It will be open to the Customs authorities to seek further information to satisfy themselves in this regard.

205. In the case of post parcels, the date stamp of the Office of Despatch on the packet or the Despatch Note is taken to be the date of despatch.

206. In the case of imports from land-locked countries, the date of despatch of the goods by rail, road or other recognised mode of transport to the consignee in India on through consignment basis, will be taken to be the date of shipment. (This will also be applicable to cross border certificates issued by the German Democratic Republic in respect of imports made from that country.)

NOTE:—A "Through Bill of Lading" tallying in all material particulars and giving evidence of no undue delay by halts or break of journey will normally constitute sufficient proof of a 'through consignment.'

Validity of import licences to cover imports

207. (1) Validity is related to date of shipment/despatch:—The validity of an import licence is decided with reference to the date of actual shipment/despatch of the goods from the supplying country and not the date of arrival of the goods at an Indian port.

(2) Where the date of expiry of an import licence falls before the last date of a month, the licence will automatically be valid up to the end of that month. Also, in calculating the period of validity of a licence the date of issue of the licence is excluded. For instance, if a licence is issued on 10th November, 1982, and it is valid for 12 months, it will normally expire on 10th November, 1983 but in accordance with the provisions of this paragraph, such licence will be treated as valid upto 30th November, 1983.

Grace Period

208. In cases where goods are shipped before the date of issue of an import licence or the approval of any extension of validity thereof, but after the date on which the connected application has been submitted, the Customs may allow clearance provided that (a) the goods have been shipped on or after the date of application and (b) by the time of arrival of the consignment at the Indian port, the applicant importer has been granted a valid import licence/the requisite extension of validity.

209. (1) In order to facilitate shipment/despatch of goods against licences, a grace period not exceeding 60 days is allowed after the date on which the licence expires. In the case illustrated in sub-para 207(2) above, the period of grace will commence from the 1st December, 1983, and the licence will be completely dead on the 30th January 1984.

(2) The grace period of 60 days will also be available in the case of Customs Clearance Permits.

(3) The importers can also avail of the grace period of 60 days in the case of revalidated licences.

(4) The grace period cannot be claimed as a matter of right and no letter of credit should be opened or order placed against the licence during the period of grace.

(5) The grace period will be available in the case of licences issued against foreign credits also, provided this period can be accommodated within the specific date for shipment/despatch of goods stipulated in the conditions applicable to the relevant credit.

(6) On certain occasions such as dockyard strike in the country of shipment when the importers face genuine difficulties and the goods cannot be shipped in time, the licensing authority may, by a general authorisation extend the period of validity of any licence on an *ad hoc* basis for a specific period. Such extension, where granted, will be in the nature of enhanced grace period and the importers will not be entitled to open any letter of credit or place orders for the supply of goods during such extension. It may be clarified that if such enhanced grace period is more than 60 days the licencee cannot separately avail of the normal grace period of 60 days under sub-para (1) of this paragraph.

Applications for revalidation to be made in time

210. (1) The requests for revalidation of licences should be made within the validity period of the licence. However, in cases of specific hardship, the licensing authority may condone the delay in the submission of the application for revalidation where such authority is satisfied that the delay in making the application for revalidation was due to circumstances beyond the control of the licensee.

(2) Date from which revalidation will take effect:—

(a) Revalidation, where allowed, will be from the date of expiry of the licence when such licence is presented for revalidation before its expiry.

(b) In cases where the licence is presented for revalidation after the date of expiry, the revalidation where allowed, will be from the date on which the application for revalidation is made, and the licensing authority will make a specific endorsement on the licence to this effect.

(c) Notwithstanding the provisions of sub-para (b) above, a licensing authority may in cases of special difficulty, allow revalidation from the date of expiry of the licence, even if the licence in question is presented for revalidation after its expiry.

(3) All requests for revalidation of a licence should be made by the licence holder only; it will also be his responsibility to produce the licence before the licensing authority for getting such revalidation endorsed.

(4) Applications for revalidation should be made in the prescribed form (Form 'F'), accompanied by Bank Receipt/Demand Draft of Rs. 50/- towards application fees.

Validity period and revalidation of Release Order

211. (1) The validity period of a Release Order will be 12 months from the date of its issue.

(2) Requests for revalidation of Release Orders may be entertained in cases where the goods could not be supplied within the original validity period on account of circumstances beyond the control of the Release Order holder.

(3) These provisions will also apply to Release Orders issued on indigenous producers or for obtaining materials from Export House under the IRMAC scheme.

EXPORTS

Period of Shipment

212. An export licence (other than a licensing endorsement on a shipping bill) will be valid for shipment of goods covered by it for a period of three months from the date of its issue, unless otherwise specified. However, an export licence issued under a limited ceiling provisions, will be valid for 45 days only. Shipment against a licence can be effected from any port in India but for documentation, revalidation etc., exporter will be required to report to the licensing authority who issued the export licence.

213. In the case of licensing endorsement on shipping bills, the period of validity for shipment of goods will be one month, unless otherwise indicated therein.

Critical date of export when the consignment is booked by rail to any destination of neighbouring countries with whom India has Rail links

214. When a consignment is booked on a Through Railway Receipt for any destination outside India in the neighbouring countries with whom India has rail links, the date of Through R. R. will be taken as the date of export for Export Trade Control purposes, provided the export licence and the Letter of Credit are valid on the date of issue of Through R. R. If the validity of the export licence and Letter of Credit expires during transit of the through consignments upto the last Indian customs checkpost on the border of its clearance by customs thereafter, clearance of the through consignments will not be refused on that ground. Any ban imposed on the export of such goods subsequent to the issue of the Through R. R. will also not apply to such consignments.

Revalidation

215. (1) No extension in the period of validity of shipment will be granted in the case of export licences under the limited ceiling referred to in para 212 above and having an initial validity of 45 days, except in circumstances set down in the policy.

(2) In other cases of export licencees or licensing endorsements on shipping bills, a request for extension (if it is otherwise in confirmity with the current export policy) may be considered by the licensing authority concerned, where such authority is satisfied that the price and supply position of the commodity within the country continues to be satisfactory and that the delay in the shipment of goods was caused due to reasons beyond the control of the exporter. Extension where granted in such cases, will not exceed one month at a time and it will also not exceed three months in the over-all, provided that the revalidation so granted, does not extend beyond 15 days from the end of the licensing period in which the export licence was issued or the shipping bill was endorsed. (The proviso will not, however, apply in cases where the export policy for the relevant licensing period has not gone into any change in the period subsequent thereto.)

CHAPTER IX

EXPORT LICENSING PROCEDURE

Categories of Exporters

216. For the purpose of licensing, exporters are divided into the following two broad categories :

(i) Established Exporters i.e. those who have exports of a particular commodity in the prescribed basic period, as admitted by the licensing authority. The basic period varies from commodity to commodity.

(ii) New Comers i.e. those who have no exports in the prescribed basic period but possess sufficient experience in the particular field, either as an exporter outside the basic period or as a dealer in the internal trade of the commodity concerned.

Quota Licensing

217. (1) Commodities of which the export is allowed on quota basis to Established Exporters, have been mentioned in the Import-Export Policy, Vol.-II. Where an exporter desires to secure export quota of any such a commodity, he is required to prove his exports of that commodity during any one year or part of a year selected by him from out of the specified period called the "Basic period", prescribed for such commodity.

(2) An exporter is free to select from out of the prescribed basic period, his own best year or part of year, as the case may be. The following evidence may be accepted by the licensing authority in support of the basic period exports :

(a) Bill of Lading;

(b) Certificate from the Manifest Clearance Dept. of the Customs where Bill of Lading is not available;

(c) Certified copies of land Customs Appendices in the case of export by rail or road;

(d) Export invoices; and

(e) Postal receipts in the case of export by post. (Where original postal receipts are sent by the banks for collection purposes to foreign customers, certificates from the banks concerned are accepted as valid evidence).

(3) The quota of an exporter is generally calculated on the basis of his "Basic Exports", subject to adjustments, in a few cases, promoted by considerations of equity, e.g. fixation of minimum and/or maximum limits for export quotas. Sometimes, a limited quantity of a commodity is released for export. In such cases, the quota of each individual exporter is worked out on a *pro rata* basis, calculations being based upon the percentage that the total of the established exports bears to the total quantity released for export.

(4) In most cases, the percentage fixed for calculating the value or quantity to be allowed to be exported is announced. The quota of the individual exporter is then worked out by applying the fixed percentage to his basic exports.

(5) In certain cases where the number of Established Exporters is very large as compared to the ceiling available for export, quotas are granted at a flat rate.

(6) In cases where quotas remain under utilised or unutilised the item is considered for being allowed to other exporters, subject to such conditions as are deemed necessary.

(7) Applications for export of items which are licensable against quotas should be made in the form prescribed in Appendix 12. It should be accompanied by the shipping bills, quota slips granted by the licensing authority and/or such other documents as are required to be furnished in terms of the relevant Trade Notice or are considered necessary by the applicant.

New Comers' licensing

218. Ordinarily, an effort is made to provide for new comers to enter into the export trade unless the quantity allowed for export is small in proportion to the Established Exporters' quota already in existence. Only such business concerns as have previous experience of handling the commodity concerned, financial standing etc. are eligible to apply for new comer licences. Normally, applicants are required to prove their standing in the internal trade of the commodity during a specific period. The conditions which a person must fulfil and the manner in which he should prove his experience, are announced as and when applications are invited. Certificates of Chartered Accountants who are not partners, directors or employees of the applicant firm or its associates certifying purchases or sale are accepted in evidence. Sometimes receipts of sales-tax paid are called for as evidence. In addition, a new comer applicant may be required to prove to the licensing authority, his ability to enter into the export trade by producing the sale contracts already concluded by him with the overseas buyers.

219. Applications by new comers for export should be made in the Form given in Appendix 78. It should be accompanied by shipping bills and/or such other documents as are required to be furnished in terms of the relevant Trade Notice or are considered necessary by the applicant.

Canalised Exports

220. Certain items of exports are exported through a canalised agency i.e. S.T.C. or other recognised

agency/organisation. The list of such items and the agencies so nominated are given in Annexure 11 to Section II of the Import-Export Policy, 1983-84, (Vol.-II). For these items, the exports will be allowed only through the canalising agencies concerned. The quantum upto which export may be permitted in respect of these items and other details pertaining thereto are decided by the Government from time to time. the operations of the canalising agencies in this regard are, therefore, subject to such directions may be given to them by Government.

Open General Licence

221. Items covered by an Open General Licence can, as long as it is valid, be exported freely without any licensing formalities to all destinations permitted therein.

222. At present, the following four Open General Licences are operated and their texts are contained in Import-Export Policy, 1983-84, (Vol-II) :—

(a) Open General Licence No. 1 applies to exports by land to any country adjacent to India and having no sea-port of its own, of any goods included in Schedule I to the Exports (Control) Order, 1977, which are consigned under a procedure prescribed for regulating transit traffic;

(b) Open General Licence No. 2 applies to exports of *bona fide* samples;

(c) Open General Licence No. 3 gives the list of items which can be exported on fulfilment of the conditions shown in Col. 4 against each of the items; and

(d) Open General Licence No. 4 includes the list of items which can be exported directly by the canalising agency mentioned against each item in Col. 4.

Limited Free Licensing

223. Where the export of a commodity is regulated within a set ceiling, or there is no established pattern of trade, export will be allowed on "first-come, first-served" basis. The following principles and procedure will be applicable in such cases :—

(i) A Public Notice/Trade Notice shall be issued, announcing the policy and indicating the licensing offices to which the available ceiling has been allocated for the purposes of dealing with such applications;

(ii) Unless otherwise indicated in the Public Notice/Trade Notice, applications will be received after 15 days after the date of its issue;

(iii) All applications made on Form 'AX' complete in all respects, received on the prescribed date, between 10-30 A.M. and 1 P.M. shall have the same priority. Such applications should be accompanied by evidence to the effect that the Indian exporter applicant has accepted the offer of the overseas buyer to purchase the commodity, for the quantity applied for, subject only to the grant of a licence in his favour;

(iv) As a rule, the licensing authorities shall record, in writing, the reasons for rejection of applications;

(v) Each exporter shall be allowed to submit one application per day supported by one contract from one foreign buyer only. With each export application, the exporter should file a declaration that he has not submitted any export application for the same commodity to any other licensing authority during the same licensing period. The licensing authorities will allocate the quota strictly on *pro rata* basis subject to the conditions stipulated in sub-para (vi).

(vi) An eligible applicant will be allowed a quota not exceeding 10 per cent of the available ceiling per day allocated to the office concerned. If some quantity of the ceiling is left over, after disposal of the applications received on the first day, the balance will be carried over to the next day for fresh applications; this process will be repeated until the ceiling is exhausted.

(vii) Exports will be allowed by issuing an Export Licence with a validity period of 45 days from the date of issue;

(viii) Shipment shall be made of the quantity covered by the contract against which the Licence has been issued, within the period of its validity. No extension of time shall be granted except in the following circumstances :—

(a) The licensing authority, which issued the licence, is satsfied, within 7 days of its issue, that no ship is available for carrying the consignment(s) within the said period of 45 days; or

(b) within the period of validity of the licence, the licensing authority at the port, to which the consignment might have been carried, is satisfied that there has been delay in the arrival of the ship within the initial period of validity.

In either event, an extension of upto 15 days only shall be available for effecting the shipments. No second extension will be granted i e. the licence will lapse automatically thereafter.

(ix) After the shipment is effected but within a period of 7 days of the shipment, each licence holder shall intimate to the licensing authority which issued the licence, particulars of the shipment(s) actually effected. Also, in case the licence is not utilised at all or only partly utilised, the licence holder shall report the position to the licensing authority concerned within 7 days of the date of shipment or the date of expiry of the licence

as the case may be. Failure to do so will entail him to the refusal of grant of export licence for the items allowed under limited ceiling for further exports in terms of clause 5(q) of the Export (Control) Order, 1977 as amended from time to time, for the licensing period.

(x) Any quantity allocated against the earlier licences which lapses for the above reasons, shall be available again to the licensing office concerned for re-allocation in the same manner as laid down above.

Free Licensing

224. Where an item is allowed free for exports but is not covered by an Open General Licence, the intending exporters are required to secure licensing endorsements on the connected shipping bills from the licensing authorities concerned. Applications should be made in the form given in Appendix 12.

Ad-hoc Licensing

225. (i) In order to develop new markets and also to encourage home-based industries in producing new export products, requests for exports in small quantities are sometimes considered on ad-hoc basis, even if the indigenous production of such items is somewhat limited. Ad-hoc licensing is, at times, resorted to enable an industry or unit to clear accumulated stocks and maintain continuous production.

(ii) Applications for exports of such items should be made in the prescribed form, accompanied by the shipping bills and/or such other documents as are required to be furnished in terms of the relevant Trade Notice or are considered necessary by the applicant.

Pre Ban Commitment

226. (1) Unless otherwise provided, the following types of pre-ban (including pre-control) commitments may ordinarily be honoured for export control purposes :—

(a) Where against a specific export order an irrevocable letter of credit in the case of the exporter/exporting firm has been opened by the foreign buyer covering 100% f.o.b. value of the consignment and accepted by a scheduled bank in India prior to the date of ban/control;

(b) Where advance payment has been received, provided that:

(i) the advance payment has been received against a specific export order and covers 100% f.o.b. value of the consignment; and

(ii) such advance payment has been received through an authorised dealer in foreign exchange on or prior to the date of the ban;

Notwithstanding the above, Govt. may, for sufficient reasons, treat any other claims, not covered by the above provisions, as a pre-ban commitment.

(2) Copies of pre-ban commitments/export contracts (or pre-control commitments/contracts should be sent by the person concerned to the regional licensing authorities concerned along with documentary evidence relied upon in support of such commitments/contracts having been made. These documents should be sent to the licensing authority by Registered Post (A.D.) within a period of 15 days from the date of Public/Trade Notice or Notification announcing the imposition of the ban on exports of the concerned commodity or the date on which such commodity is placed under export control, as the case may be. Cognizance will be taken only of cases where these documents have been thus, filed in time. The submission of such evidence shall not, however, confer any right on the person concerned to the grant of any export licence or permission to export.

Note :—A contract is deemed to be concluded after an offer is made and is accepted by the second party. It should be specific as to the mutually accepted terms and contents, i.e., it is binding on both, with reference to its enforceability.

227. Where such evidence, as is required in para 225 is in the nature of a telegraphic/telex message detailing the offer or the acceptance of the contract in its material particulars, the evidence relied upon for substantiating the pre-ban commitment/export contract (or pre-control commitment/contract) should include the (confirmatory) post copy of the said message sent immediately after its despatch, together with the connected envelope bearing the stamp of the Post office.

Application Forms

228. Applications for export licences or licensing endorsements on shipping bills are to be made on prescribed Forms, along with relevant documents. These forms are given in Appendix 12. The applicants may use their own typed/cyclostyled or printed forms.

Persons authorised to sign Applications

229. Every application for an export licence or for licensing endorsement on the shipping bill, should be signed by the applicant himself or by a person duly/legally authorised by the applicant to do so. The position or nature of such legal authority held by the person signing the application/document/Form should be clearly given therein along with the official stamp of his connected status. Otherwise, such application/document or Form will receive no consideration by the licensing authority. This requirements applies equally to the applications made to canalising agencies.

Deficient Applications

230. Applications which are not (i) in the prescribed form (ii) accompanied by necessary export

documents, (iii) accompanied by necessary particulars setting out the authority of the person signing it, or (iv) received after the last date prescribed, will stand summarily rejected. Applicants are expected to complete all the columns in the application form truly and properly. They may take the help of the Counter Assistance System to make sure that all these requirements are met.

Amendments and Alterations to Licences

231. No change shall be made or effected by the licensee or any other person in the description of the goods or the name of the consignor or the consignee and in the terms and conditions of the licence. Any un-authorised change would render the licence null and void, besides exposing the offender to the risk of being penalised. Applications for amendments and alterations should be submitted to the authority who issued the licence.

Export of samples of Indian origin for purposes of securing orders and their re-import

232. Imports (Control) Order, 1955 and the Customs Act, 1962, permit, subject to certain conditions and observance of certain formalities, re-import of samples sent or taken to foreign countries by Indian businessmen for the purpose of getting the buyer's approval. With a view to avoiding any difficulty which the Indian businessmen may have to face at the time of re-import, the prospective exporters should contact the Customs/Import Trade Control authorities before exporting the samples to foreign countries and ensure that the various conditions laid down are fulfilled.

Jurisdiction

233. Unless otherwise stated, applications for the export of items which are not normally allowed or whose export is allowed on merits, should be addressed to the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi. Applications for the export of all other controlled items should be addressed to one of the regional licensing authorities mentioned in Appendix 8 depending on the port from which export is to be made. In respect of commodities for which export ceilings are placed at the disposal of one or more of specified licensing authorities, the intending exporter can apply for export to any one of such licensing authorities. With each export application in such cases, the exporter should file a declaration on that he has not made an export application for the same commodity to any other licensing authority (in the same licensing period).

Recognition of new Established Exporters and Transfer of Quotas (TQR)

234. (1) An established exporter may be : (i) an individual, (ii) a partnership concern, (iii) a karta of a Hindu Undivided Family in respect of the family business, (iv) a limited company, and (v) any association or body of individuals. Licences are granted in the name of the business belonging to the established exporter. Where there is any change in the ownership, constitution or name of the business, the established exporter will not be eligible to the grant of licences as he ceases to be an established exporter However, in public interest and for continuity of business, the licensing authority may recognise new established exporters in respect of any business in accordance with the provision made in the following paragraphs.

(2) Where there is a change in the ownership or constitution of an established exporter's business, without any change in the name of business, and the new owner or the reconstituted concern, as the case may be, acquires the quota of the original concern, as a whole, the quota belonging to the original concern, will be deemed to have been transferred to the new concern. The new concern can obtain export licences on the basis of such quota, if otherwise admissible. In such cases, no application for TQR need be made but an intimation about the change should be sent, in the form given in Appendix 26 to the licensing authority within 90 days of the date of change. The constitution of the new concern should also be mentioned in the usual manner in the next application for export licence indicating therein the nature of the change and the date from which it has taken place. In case where the intimation about the change is sent after the expiry of 90 days the quota entitlement of the applicant will be liable to a cut of 25 percent in the first licensing period after the change. The licensing authority may, however, condone the delay if it is satisfied that the delay was due to circumstances beyond the control of the applicant.

(3) Where there is a change in the name of the established exporter's business, without any change in the ownership or constitution of the business, no application for TQR need be made. The established exporter should produce his quota certificate to the licensing authority concerned for necessary change therein alongwith an affidavit about the change of name and affirming that he will not claim any licence in future in the old name. Where a private limited company becomes a public limited company or *vice versa,* it should report the fact to the licensing authority concerned.

(4) Where there is a change in the name of established exporter's business alongwith a change in the ownership or constitution of the business, the new concern cannot claim export licences on the basis of the quota of the original concern without obtaining TQR in its favour. The application for TQR should be made to the licensing authority concerned.

(5) Where there is any change in the ownership or constitution of an established exporter's business and as a result of such change, a part of the quota of the original concern is required to be separated or the quota of the original concern is required to be divided, the application for such separation of the quota or for its division as the case may be should be made to the concerned licensing authority. If the quota to be separated is also sought to be transferred in favour of any person the transferee should also make the application for TQR to the licensing authority concerned. In such cases, the new owner or the reconstituted concern(s) cannot claim export licences on the basis of

the quota standing in the name of the original concern without obtaining TQR.

(6) Where an established exporter is a limited company and the company is amalgamated with another company, the application for TQR in favour of the new company should be made to the licensing authority concerned, supported by an order of the competent court or other evidence of amalgamation

Application for TQR

235. An application for TQR should be made in the form given in Appendix 12. (Form D-X) alongwith the prescribed documentary evidence. The jurisdiction of the port licensing authorities for dealing with such applications is given in Appendix 32. The application for TQR should be made by the head office of the applicant concern, covering all its branches, and such application should be made to the licensing authority in whose jurisdiction the head office is situated.

236. The application made in terms of paragraphs 234(6) and 235 above should be accompanied by the following documents :—

(i) in the event of death of any person, a death certificate should be produced;

(ii) in the event of relinquishment of rights by any person in favour of another an affidavit of relinquishment should be produced;

(iii) if the transfer of quota in favour of any legal heir or heirs is claimed on the basis of a "will", the application should also be supported by the said 'will' and the probate thereof or an affidavit of consent by all the other legal heirs;

(iv) partnership deed of the outgoing concern;

(v) partnership deed of the incoming concern, if it is a partnership concern;

(vi) if the business has been sold, deed of transfer duly registered with Registrar of Documents should be produced; if the firm is dissolved a deed of dissolution should be produced;

(vii) where a common basic year is required to be selected for calculation of quota, application should be supported by an affidavit to the effect, that the parties will select a common basic year for the establishment of quotas in respect of same or similar items on the basis of the business done by the outgoing concern; and

(viii) any other document on which the applicant may rely in support of his application.

237. Affidavit to be produced by the applicants with their applications for transfer/division of quotas, wherever laid down, should be sworn before a 1st Class Magistrate or a Notary Public.

238. (1) Subject to the provisions of sub-paragraph (2) below, an established exporter is not allowed to transfer his business to which a quota is attached except as a whole.

(2) If an established exporter has two or more branches, each having a separate quota in respect thereof, it will be open to such established exporter to transfer the business of any branch with the entire quota belonging to that branch.

239. In the following types of cases, export licences can be claimed only against quotas calculated on 'common basic year' in respect of same or similar items on the basis of the business done by the outgoing concern :—

(i) Where a quota is divided and transferred in part to several persons separately, the persons in whose favour the quota is transferred have to select a common basic year. However, where a person acquires a quota in respect of any item transferred in his favour and he already holds a quota in respect of the same item by virtue of a business done separately, it shall be open to him to claim licences on the combined value of the two quotas certificates even if the quota certificates are in different basic years. This will also apply in the case of amalgamation of two limited companies;

(ii) in cases falling under para 238(2) above, the transferor and the transferee will be required to select common basic year for the same or similar items; and

(iii) the provisions of this paragraph will also apply to cases where the parties have been exempted from making application for TQR.

240. Where an application for TQR is required to be made in terms of these provisions, such application should be made so as to reach the licensing authority concerned, complete in all respects, within a period of 90 days from the date of change in the ownership, constitution or name of business etc., as the case may be. The licensing authority may, however, in deserving cases, condone the delay in making the application if such authority is satisfied that the delay was caused by circumstances beyond the control of the applicant. If the applicant is not in a position to make an application complete in all respects within the prescribed period of 90 days due to formalities to be observed in getting the deed of transfer of business registered with the Registrar of Documents, he can apply by producing an attested copy of the transfer deed with evidence to show that the original deed has been deposited for registration and should furnish an undertaking to the effect that the original deed duly registered will be produced by him within a period of 15 days from the date of registration.

241. Where an application for TQR, complete in all respects, i.e. accompanied with documents specified in paragraph 236 above, is received by the licensing authority concerned within a period of 90 days from the date of change in the ownership, constitution or name of the business, as the case may be, or where the delay in the receipt of the application is

condoned by the licensing authority, as indicated in paragraph 240 above the transferee will be eligible to the transfer of quota from the licensing period during which the change occurred. In other cases, the TQR will be effective from the licensing period during which the application for TQR is made complete in all respects. In the case of deficient application, the TQR will be valid from the licensing period during which the documents specified in paragraph 236 above are produced.

242. Where an applicant is unable to produce original document specified in paragraph 236 above, he may submit photostat/certified/attested copies thereof in support of his application for TQR and the original document susequently to show that the photostat/certified/attested copies are correct. The benefit of TQR may in such a case be given from the date on which the photostat/certified copies of the documents in question were received, if the TQR is otherwise admissible from such date.

243. The licensing authorities will dispose of applications for TQR expeditiously. If an application for TQR, made complete in all respects is not disposed of within a period of one month, the licensing authority will issue an interim reply to the applicant. If an applicant does not receive an interim reply even within this time limit, he can bring the matter to the notice of the Public Relations Officer in the Export Trade Control office concerned; or book an interview with the officer concerned through the Enquiry Officer in order to know the reasons for the delay in the disposal of his application.

244. Where an established exporter has duly made an application for licence, but there is a change in the ownership or constitution or name of the business before the licence is granted, the licence will be granted on such application, if otherwise admissible, to the new owner or owners or newly constituted firm, etc., after their having been recognised as established exporter, provided the validity of the TQR under paragraph 241 above covers the period of the application in question. The licensing authority may also consider the grant of licences in favour of new owner(s) of the business or the reconstituted concern, etc. against other pending claims of the old owner(s) of the business, if otherwise admissible, provided the agreement between the parties or the affidavit or relinquishment specifically contains a provision to this effect.

245. If the licensing authority is satisfied that the approval to the recognition and grant of quota is likely to be delayed on account of circumstances beyond the control of the applicant, it will be open to the licensing authority to grant licences to the applicant in anticipation of the approval, if the applications are otherwise in order.

246. In the following types of cases, the quota of established exporter will lapse :—

(i) if the established exporter is an individual and is declared insolvent; and

(ii) if the established exporter is limited company which is wound up without any arrangement having been made for the transfer of its business.

247. In the following cases, no change in the ownership of the business will be held to have taken place for the purpose of the rules :—

(i) Change of directors or share holders in a public or private limited company;

(ii) Changes in the Hindu Undivided Family by birth, death or otherwise except the death or retirement of the karta; and

(iii) Change of address of an established exporter's business.

248. Any case which is not strictly covered by any of the above paragraphs will be decided on analogous principles.

249. In cases where any application for TQR is not required to be made under the foregoing provisions the application for licence should be accompanied with a declaration in the form given in Appendix 26.

250. Where the new established exporters have been exempted from making applications for TQR, the export licences will be issued to them in the normal course, if otherwise admissible. They will, however, be required to state in their applications for licences the changes occurring in the business and the dates from which such changes have taken place. If in such cases, any objection is received from any person at any time against the licences claimed or granted, the licensing authority will examine such objection and call for such evidence from both the parties as may be deemed necessary. If as a result of the examination, the licensing authority finds that the established exporter is not entitled to the whole or a part of the quota on the basis of which he has been claiming licences without obtaining sanction for TQR, the quota of the established exporter will be reduced accordingly and the parties found guilty of misrepresentation or contravention of these rules will be liable to penal action, under the Imports and Exports (Control) Act and the Orders issued thereunder. In such cases the value/quantity of the excess licences already obtained by the party will also be adjusted against the future quotas of the party in respect of any item(s).

251. If the objection in terms of paragrahps 250 above is made to the licensing authority concerned within three months from the date of the change in the constitution or ownership or name of the established exporter's business, and the objector is found to be entitled to either the whole or a part of the quota, he will be eligible to the transfer of such quota in his favour. The licensing authority may also condone the delay in making the objections, if such authority is satisfied that the delay was caused by circumstances beyond the control of the objector.

252. It will be open to the licensing authority to reject the application for TQR :—

(i) if the application or the documents accompanying the application are defective;

(ii) if the licensing authority decides that the recognition and grant of quota is not in public interest or for continuity of any business;

(iii) if the licensing authority decides that the transfer/division of quota is sought with an intention to defeat the transferor's creditors; and

(iv) for any other reasons to be recorded.

253. The licensing authority may, after giving a reasonable opportunity to the persons who have been recognised as established exporter and whom a quota has been granted, of being heard, cancel or amend the order regarding recognition of new established exporter and grant of quota if it is found—

(i) that the application for recognition and grant of quota contained any false, fraudulent or misleading information;

(ii) that the evidence tendered by the applicant contained any document which was false or fabricated or had been tampered with;

(iii) that the applicant is guilty of any corrupt or fraudulent practice in respect of his application; and

(iv) that the recognition and the quota has been granted through inadvertence or mistake or due to any fraud or mis-representation.

Permission for Utilisation of Quota Licenses

254. Where an export licence has been granted to an established exporter and after the grant of the licence but before its utilisation, there is a change in the ownership or constitution or name of the establish exporter's business, the new owner of the business or the reconstituted concern, etc., as the case may be, cannot utilise the licence in question without obtaining a written permission from the licensing authority which granted the licence or from any other person empowered in this behalf by such authority in terms of sub-clause 4(2) of the Exports (Control) Order, 1977. In such cases, an application for obtaining the necessary permission of the authority concerned should be supported by an affidavit of the applicant, sworn before a 1st Class Magistrate or Notary Public, to the effect that he is the rightful successor of the business for which the licence in question was issued and that, in the event of any mis-statement, subsequently detected in this respect he will be liable to all actions and consequences arising therefrom.

Issue of Fresh Quota Certificates Consequent on Transfer/Division of Quotas

255. (1) In the event of a change in the ownership or constitution of a business without any change in the name of the business, where the new owner or the reconstituted concern, as the case may be, is not required to apply for TQR, the quota certificates standing in the name of the original concern will be endorsed by the licensing authority concerned indicating therein the nature of the change and the date from which the change has taken place.

(2) If the name of the business changes, the quota certificate will be amended by the licensing authority concerned by changing the name of the established exporter's business appearing thereon. An endorsement will also be made on the quota certificate indicating the date from which the change has taken place.

(3) Where a quota has been divided, the quota certificates and their counterfoils standing in the name of the dissolved concern will be cancelled and fresh quota certificates will be issued in the name of the succeeding parties concerned according to the share of the quota transferred in the name. A suitable endorsement giving the number and date of the order under which division/transfer has been allowed by the Export Trade Control Authority concerned will also be made on the old and fresh quota certificates and their counterfoils.

(4) The persons concerned should produce the quota certificates to the licensing authority who issued the same, for necessary endorsement/amendment as indicated above immediately after the change has occurred. In cases where the new owner or the reconstituted concern is required to apply for TQR, the quota certificates should be produced to the licensing authority concerned for necessary endorsement/amendment immediately and, in any case, not later than 30 days, after the new owner of the reconstituted concern, as the case may be, has been recognised as an established exporter.

CHAPTER X

APPEALS

256. (1) Where a person is not satisfied with the decision of a licensing authority/appellate authority, he may prefer an appeal/revision application against the said decision in accordance with the provisions hereinafter stated.

(2) Appeals/revision applications will be entertained in the following types of cases :—

(a) in respect of an application for import licence;

(b) in cases relating to enforcement of legal agreements/export bonds/bank guarantees executed by importers for the fulfilment of export obligations or any other condition applicable to an import licence.

(3) Appeals/review applications will also be entertained in respect of applications for the grant of Export House/Trading House Certificates and in matters relating to registration/deregistration of exporters, in accordance with the provisions made in this Chapter.

(4) The procedures hereinafter contained will also apply—*mutatis mutandis*—to cases in which an exporter being aggrieved with a decision taken on his application, seeks to prefer an appeal/revision application.

257. **First Appeal.**—In respect of an application for import licence, or in matters relating to enforcement of legal agreements etc. referred to in sub-para (2) of para 256 above, an appeal, in the first instance will lie with the head of the office in which the application was dealt with, except as under :—

(a) In respect of an application dealt with at the Headquarters Office of the Chief Controller of Imports & Exports (Licensing) in the office of the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi;

(b) In respect of an application dealt with in the import trade control offices at (i) Pondicherry (ii) Chandigarh & Srinagar (iii) Shillong, Agartalla, Patna, and Cuttack (iv) Rajkot & Kandla, (v) Visakhapatnam and (vi) Panjim, will lie with the Joint Chief Controllers, Madras, CLA (New Delhi), Calcutta, Ahmedabad, Hyderabad and Bombay respectively

258. **Second Appeal.**—If the appellant is not satisfied with the decision of the Appellate Authority on his first appeal, he may prefer a second appeal to the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi (Appeal Wing)

259. **Revision Application.**—(1) An application for revision/review of the decision on a second appeal will also be entertained by the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi. After an application for revision/review has been disposed of, no further request for review will be entertained

(2) The Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi may also, on his own motion or otherwise, call for the records of any case pending with or decided by any officer subordinate to him, and pass such orders as he may consider fit and just.

(3) The Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, may either hear and dispose of the appeals/revision applications himself or may nominate or appoint some other competent officer(s) for the purpose, either by a general or special order

Time Limit for filling appeal/revision application

260. (1) An appeal/revision application should be made so as to reach the authority concerned within 45 days from the date of receipt of the order/decision appealed against However the appellate/reviewing authority may condone delay in submission of the appeals/revision applications; if it is satisfied that the same could not be filed within the stipulated period for adequate reasons. Representations against refusal to grant /renew the Export House Certificates may be entertained by the C.C.I.&E., New Delhi, if filed within 45 days of the date of issue of the rejection order.

(2) Where an import application is made through a sponsoring authority or any other authority in accordance with the provisions laid down in the relevant import policy and the applicant, being not satisfied with the decision on such application, prefers first appeal, such appeal may be addressed to the appellate authority through the sponsoring authority or other authority, as the case may be, to whom the application was originally sent.

(3) While communicating the decision, the licensing authority/appellate authority shall indicate the authority to whom appeal/revision may be preferred by the aggrieved person

Opportunity for personal hearing

261. If an appellant or a petitioner desires to be heard in person in connection with the appeal/review/revision application, filed by him, and he has filed a statement or has made specific mention as such in his appeal/petition ,an opportunity for personal hearing may be afforded to him However if the appellant/petitioner does not avail of the opportunity given to him the appeal shall be decided on merits on the basis of the materials available

Documents to accompany appeal/revision application

262. (1) The following documents and particulars should be submitted with the appeal/revision application in duplicate :—

(i) Name and address of the appellant;

(ii) Category of importer/exporter;

(iii) Licensing period to which an application pertained;

(iv) Brief description of goods to be imported;

(v) Copy of the original application and other documents furnished with it;

(vi) A copy of the decision/order appealed against;

(vii) Grounds of appeal/revision;

(viii) Any other documents/evidence on which appellant relies, and

(ix) Statement whether the appellant desires to be heard in person.

(2) In the case of second appeal/revision/review application, a bank receipt/demand draft of Rs. 10/-, towards payment of fees, should also be furnished.

(3) All appeals/review applications should clearly indicate at the top, whether it is first appeal or second appeal or revision application and the category of the applicant concerned.

Appeal against refusal or cancellation of Export House/Trading House Certificate

263. (1) Appeal against a decision rejecting an application for the grant or renewal of Export House/Trading House Certificate, or against the cancellation of Export House/Trading House Certificate, under the import policy for Registered Exporters, will lie to the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi (E.P. Division). Such appeal may be made so as to reach the appellate authority within a period of 45 days from the date of receipt of the decision appealed against.

(2) An application for revision/review of the decision taken on an appeal under sub-para (1) above will also be entertained by the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi, within a period of 45 days from the date of receipt of the decision sought to be revised/reviewed.

Appeal against decision by Customs

264. An appeal against decisions of the Customs Authorities shall lie in accordance with the Customs regulations, to the prescribed customs authorities.

Appeal against statutory orders

265. In cases where an order has been passed under the Imports & Exports Act or the Imports/Exports (Control) Order, an appeal shall lie in accordance with the provisions contained in the Act and the orders respectively.

266. (1) Clause 10(2) of the Imports (Control) Order 1955 provides that where any person is aggrieved by any action taken under Clause 8 or 8-A or Clause 9, he may prefer an appeal against such action to such authority as the Central Government may by Notification in the official Gazette, constitute for the purpose of hearing appeals, within 45 days from the date of communication of the action taken.

(2) Clause 12(2) of the Exports (Control) Order provides that where any person is aggrieved by any action taken under Clause 7 or 8 or 11(1), he may prefer an appeal against such action to such authority as the Central Government may by Notification in the official Gazette constitute for the purpose of hearing appeals, within 30 days from the date of communication of the action taken.

(3) In exercise of the powers thus conferred by sub-Clause 2 of Clause 10 of the Imports (Control) Order 1955 and sub-Clause 2 of Clause 12 of the Export (Control) Order 1977, the Central Government has constituted the following authorities for the purpose of hearing and disposing of appeals against statutory orders under sub-Clause (1) and (3) of Clause 8A and Clause 9(1) of the Imports (Control) Order and Clause 7, 8 and 11(1) of the Exports (Control) Order :—

(i) Where the action is taken by a Deputy Chief Controller or Jt. Chief Controller of Imports and Exports, the first appeal will lie to the Chief Controller of Imports & Exports or Additional Chief Controller of Imports and Exports or Export Commissioner, New Delhi.

(ii) Where the action is taken by an authority other than the authorities referred to in item (i) above, the appeal will lie to a Committee consisting of the Secretary and two Joint Secretaries and the Chief Vigilance Officer in the Department of Commerce, New Delhi.

(4) The appeals made under this provision should be accompanied by an attested copy of the order appealed against and any other document(s) or information that may be relied upon by the appellant. The appeal should also be accompanied by a proforma giving the following information :—

(a) Authority against whose decision appeal is preferred;

(b) Date of the order appealed against;

(c) Whether the appeal is against debarment or suspension from receiving licences (In the case of debarment, the periods for which the appellant has been debarred from obtaining licences may also be indicated); and

(d) The grounds of appeal (in brief).

(5) A copy of the appeal should invariably be sent by the appellant to the authority against whose decision the appeal is made.

Appeal and review applications relating to registration/de-registration of exporters

267. (1) Where an exporter is not satisfied with a decision of a Registering Authority listed in Appendix 10 (Annexure I), refusing to register him or deregistering him, he may prefer an appeal to the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, within a period of 45 days from the date of the communication containing the decision appealed against.

(2) Any person aggrieved by the decision of the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi taken under sub-para (1) above or under para 62 of this Book, may make a representation to him for review of such decision within a period of 45 days from the date of the communication containing the decision against which the representation is made. On consideration of such representation, if it is so decided, the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, may, either himself re-register the exporter, or restore registration or he may direct the registering authority to re-register such exporter or restore his registration. The re-registration or restoration of registration in such cass will be subject to such condition(s) as the Chief Controller may decide.

CHAPTER XI

EXEMPTION FROM IMPORT-EXPORT LICENSING PROCEDURES

IMPORTS

Exemptions from Import Restrictions

268.(1) No import licence or Customs Clearance Permit is required for the import of goods, mentioned under the Savings Clause 11 of the Imports (Control) Order, 1955.

(2) The Savings Clause 11(1)(j) of the Imports (Control) Order, 1955 exempts from production of import licence or Customs Clearance Permit, the import of goods which are exempt from customs duty, on reimportation, under Section 20 of the Indian Customs Act, 1962. This exemption from production of import licence/Customs Clearance Permit, on re-importation, will also cover the import of goods where the importer has to pay customs duty in lieu of duty drawback and exemption of excise/customs duty availed of at the time of exportation, as provided for in Section 20 of the Indian Customs Act, 1962.

269. It has been provided in Sub-Clause 11(1)(gg) of the Imports (Control) Order, 1955 that payments in respect of goods imported thereunder, other than those received as gifts, will be remittable through authorised dealers in foreign exchange with the permission of the Reserve Bank of India In this connection, the following points are clarified :—

(i) The said Sub-Clause does not cover import of a gift parcel in respect of which the payment is made out of a foreign currency account maintained abroad by the recipient of the gift; and

(ii) Persons holding foreign currency accounts abroad, which can be operated with the permission of the Reserve Bank of India, can pay out of such funds in respect of goods imported under the said Sub-Clause, if otherwise admissible, only with the permission of the Reserve Bank of India

270 In terms of the Sub-Clause (h) of Savings of Clause 11(1) of the Imports (Control) Order 1955, executive instructions have been issued to the Customs authorities to exempt the import of the following types of goods from import trade control procedures to the extent mentioned against each :—

Bonding of Exposed Cinematographic Films

271. Exposed films imported and allowed to be bonded for preview of censorship or re-export by the Customs authorities

Imports of Emeralds and other Precious Stones and Diamonds on approval basis and Examination of Contents before Clearance.

272. Emeralds and other precious stones and diamonds imported by sea or air (otherwise than by post) and bonded on arrival for the purposes of inspection. Such quantities of goods as are approved after inspection may be allowed to be cleared against valid import licences.

Note : The aforesaid facility would not be available in the case of imports of emeralds and precious stones by post parcels, as under the Universal Postal Convention, a parcel cannot be split up into two *i.e.* one part to be retained and the other part to be returned to the sender. The contents of the post parcels can, therefore, either be accepted or rejected in toto. However, the importer or his agent will be given facilities to inspect the contents of such post parcels under Customs supervision, if the addressee so desires. The inspection will be allowed at the time and date specified by the Customs authority. If the importer does not turn up for inspection at the appointed time and date, the parcel will be returned to the sender. If the importer accepts the parcel, he can secure its clearance against a valid licence and the value of the parcel as a whole will be debited to the licence and the debit once raised against the licence will not be revoked.

Transfer of Ships Stores in cases where the vessels engaged on Foreign Trade are transferred to Coastal Trade.

273. In cases where the vessels engaged on foreign trade are transferred to coastal trade, the consumable stores on board the ship are allowed to be transferred with the vessel on payment of Customs duty.

Advertisement blocks

274. Consignment containing advertisement blocks supplied free of charge to newspaper establishments pertaining to the advertisements made by foreign concerns in the Indian Press, provided their c.i.f. value does not exceed Rs. 800/ at any one time.

Food Parcels

275. Food parcels sent from abroad as gifts.

Food-stuffs, etc. by charitable organisatinos/Individuals

276. Articles such as food-stuffs, medicines, clothing and blankets which are exempt from Customs duty

in terms of Notification No. 84-Customs dated 13-8-1960 (as amended from time to time) received by any charitable organisation or any individual as free gifts from any philanthropic organisation or individuals abroad, for free distribution to the poor and needy without any distinction of caste, creed or colour.

Food-Stuffs, etc. and provisions by foreign citizens

277. Food-stuffs and provisions (excluding fruit products, alcohol and tobacco) which are exempt from Customs duty in terms of Notification No. 135-Customs dated 20-6-1966 (as amended from time to time) as in force by a person residing in India but not being a citizen of India, provided the c.i.f. value in a year does not exceed Rs. 800/- in the case of a person having no dependent relative living with him and Rs. 1,600/- in the case of a person having a dependent relative living with him.

Free gifts to Indian Red Cross Society

278. Goods received as free gifts by the Indian Red Cross Society from abroad, provided such goods are exempt from Customs duty.

Paintings

279. Children's paintings for the "Shanker's International Competition" for paintings, addressed to the Chindren's Book Trust, Nehru House, New Delhi.

Samples by Exporters

280. Samples imported by exporters for export promotion against blanket release of foreign exchange granted by the Reserve Bank of India for travel abroad.

Relief supplies and packages under Government agreements

281. Relief supplies and packages, received as gifts through a Government Agency or any other approved agency covered by an agreement, entered into by the Government of India with a foreign Government—subject to the terms and conditions laid down in the agreement provided they are exempt from Customs buty.

Scientific equipment

282. Scientific or educational institutions (non-profit making) as may be or have been approved by the Ministry of Education and Social Welfare, New Delhi for the purpose of scientific research or education of non-commercial nature can import, subject to re-export condition, the scientific equipment specified below, provided they are exempt from Customs duty in terms of Notification No. 84/F. 11/75-Customs-5 dated 11-9-1971 (as amended from time to time)—

(i) Scientific equipment *viz.* instruments, apparatus, machines or accessories thereof;

(ii) Spare parts of scientific equipment referred to in (i) above; and

(iii) Tools specially designed for the maintenance, checking, gauging or repair of scientific equipment which is used solely for purposes of scientific research or education.

Lables, price tags and like articles or export products

283. (1) Supplies made by foreign buyers of labels, price tags and like articles, to be attached to the goods against specific orders placed by them on Indian exporters, may be allowed clearance, provided the Customs authorities are satisfied with the *bona fides* of the case. This will also cover import of 'hangers' supplied free of charge, to be re-exported with garments.

(2) Registered Exporters of garments, knitwears and made-ups coming from abroad may be allowed, as a part of their baggage, labels upto a maximum value of Rs. 1,000 (cif), without import control restrictions.

Passengers' Baggage

284. Goods imported by a person as passenger baggage are exempt from the necessity of an import licence, subject to certain limitations/conditions, to the extent admissible under the Baggage Rules issued by the Central Board of Excise and Customs from time to time. Only such articles as are considered *bona fide* baggage under the Baggage Rules in force will be given this consideration.

285. The relevant Customs Notification and Public Notice giving the details of the facilities for the import of goods under the Baggage Rules have been reproduced in Appendix 4. The rules applicable to tourists, crew as well as the Transfer of Residence Rules are also contained in the same Appendix.

286. Applications for the import of motor vehicles as baggage will be considered by the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, in accordance with the procedure set down in Appendix 6.

Donations to National Defence Fund

287. Articles, donated to the National Defence Fund or to the Government of India for use of the Defence personnel, and wool/woollen fabrics and woollen apparel donated to the Indian Red Cross, provided the same are exempt from Customs duty in terms of Customs Notification Nos. 168, 169 and 170-Customs dated 8-11-1972 (as amended from time to time).

Commercial samples/advertising material

288. Commercial samples and advertising material, import of which is exempt from Customs duty under and in accordance with the International Convention drawn up at Geneva on 7-11-1952. Full details can be had from the Collector of Customs concerned.

Gifts of T.V./Tape Recordings, etc.

289. Free gifts of T.V./tape recordings, electrical recordings/discs and gramophone records, involving no foreign exchange and having no commercial value to the All India Radio or Door Darshan.

United Nations Organisation

290. Imports of goods by officials of the United Nations Organisation and its specialised agencies who are exempt from payment of Customs duty under the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947, including the import of publications of the United Nations Organisation or its specialised agencies by their agents of the U.N.O. or its specialised agency, as the case may be, at the time of importation.

Exhibits required for international/national exhibitions or fairs.

291. Import of non-consumable goods required in connection with international/national exhibitions or fairs approved by the Trade Fair Authority of India, or the Central Government may be allowed without any import licence or C.C.P. provided the goods in question are re-exported within a period of six months from the date of import into India and a requisite bond and a bank guarantee or an instrument to the satisfaction of the Competent Customs Officer, for the purpose are furnished at the time of clearance of goods, to the Customs authorities.

292. The sale of exhibits, if allowed will be permitted only against a valid import licence within the bond period allowed for export. This facility will also be available to such Actual Users as are eligible to import the same goods under Open General Licence. If sale of goods is not effected within the bond period due to circumstances beyond the control of the importer, the customs authorities may allow extension of bond period at their discretion.

293. Import of consumable items such as printed materials, pamphlets, literature etc. pertaining to exhibits, will also be exempt from import trade control procedure. In addition to advertising articles, consumable goods may be allowed clearance by Customs upto Rs. 1500/- without the requirement of C.C.P. or an import licence.

Goods as Baggage by Foreign Mountaineering Expedition Teams

294. Goods imported as baggage by the members of Foreign Mountaineering Expedition Teams, provided such goods are :—

(i) exempt from payment of Customs duty; and

(ii) the importer gives a declaration to the Customs authority at the time of clearance that the non-consumable goods shall be re-exported, when he leaves India.

Note : If the imported goods do not belong to any individual member of the expedition team, but belong to the team as a whole, the declaration referred to in (ii) above may be given by the leader of the team; it will then be his responsibility to see that the goods in question are re-exported by the time he leaves India.

Import of Medical Equipment by Indian Doctors.

295. Indian Doctors (medical practitioners) returning from abroad, to set up practice in India may be allowed to import medical equipment, whether new or used, of c.i.f. value not exceeding Rs. one lakh provided (i) the person concerned has been living abroad continuously for a period of not less than two years; (ii) the imported equipment is required for his own professional use in India and (iii) the equipment in question has been purchased out of his foreign exchange earnings abroad. The maximum value limit of Rs. one lakh will not apply in cases where the equipment, in question, has been used abroad by the importer for at least one year prior to his departure to India.

Import of Scientific Instruments/Apparatus by Scientists

296. Highly qualified scientists returning to India for permanent settlement, may be allowed to import professional scientific instruments or apparatus, whether new or used, without the requirements of any import licence/CCP upto a value not exceeding Rs. one lakh provided:—

(i) the scientist concerned has been living abroad continuously for a period of not less than 2 years;

(ii) the imported equipment is required for his own use in India; and

(iii) the equipment has been purchased out of his own foreign exchange earnings abroad.

The maximum value limit of Rs. one lakh will not apply in cases where the equipment, in question, has been used abroad by the importer for at least one year prior to his departure to India, except that in the case of a computer system, used abroad by the importer for at least one year, he maximum value limit shall be Rs. 5 lakhs C.I.F. (Whether new or old).

For this purpose, highly qualified scientist will be a person who holds a post-graduate degree or its equivalent in science, technology, engineering or medicines from an Indian University or a foreign recognised University and has held a paid job abroad in his field of specialisation for over one year.

297. Where the value of imported medical equipment/apparatus referred to in Paras 295 and 296 above exceeds Rs. one lakh, applications may be made for issue of CCPs to the CCI&E, New Delhi, if the importer is not eligible to the relaxation in the upper value limit as provided for in paras 295 and 296 above. In such cases, CCPs will be issued upto a value of Rs. 1.5 lakh without the need for indigenous clearance.

Re-import of goods for removal of defects and subsequent re-export

298. Goods of Indian manufacture exported and received back by the manufacturer from the consignee for repair and re-export.

Import for Private Exhibitions and Demonstration Purpose with Conditions of Re-export

299. (1) Import of equipment for private exhibition/demonstration purposes will be allowed without

any import licence/CCP, provided the goods in question are re-exported within a period of six months from the date of import, and the importer executes a bond and bank guarantee or an instrument to the satisfaction of the Competent Customs Officer for this purpose at the time of clearance of goods through and with the Customs authorities concerned.

(2) If the importer is unable to re-export the goods within the stipulated period of six months, he may apply for extension of such period on merits to the CCI&E, New Delhi.

(3) The sale of exhibits, if allowed, will be permitted only against a valid import licence within the bond period allowed for export. This facility will also be available to such Actual Users as are to import the same goods under Open General Licence.

Imports Under OGL No. 4

300. (1) Open General Licence No. 4, as amended and reproduced in Import-Export Policy permits import of certain goods without licence or Customs Clearance Permit, subject to the conditions laid down therein. For availing of this facility, the following decisions have been taken :—

(i) Customs authorities may allow clearance under OGL No. 4 of permissible samples and advertising matter even if the importer concerned may have to pay for freight and insurance changes, provided the overall value of the samples or advertising matter, including freight and insurance charges, does not exceed the limits indicated in OGL No. 4, in one consignment. In such an event, the Collector of Customs will suitably endorse the relative Bill of entry to enable the importer to secure remittance facilities from the Reserve Bank of India in respect of the freight and insurance charges.

(ii) It has been represented that in certain cases, import of bonafide technical and trade samples has to be effected by air freight parcels to meet urgent requirements whereby the c.i.f. value of the consignment exceeds the limit prescribed in OGL No. 4. It has been decided that in respect of such supplies of bonafide technical and trade samples made free of charge, if the foreign supplier also bears the expenses relating to insurance and air freight, the customs authorities may allow clearance provided the import is otherwise covered by OGL 4.

(iii) A question has been raised whether several consignments of bonafide technical and trade samples or advertising matter, each consignment within the permissible value limit, sent by the same supplier to the same consignee and received by the same mail should be treated as one consignment or different consignments for the purpose of clearance under OGL No. 4. It has been decided that the import of several consignments in the manner indicated above (although each consignment does not exceed the specified value limits), will tantamount to circumvention of ceiling placed for imports of bona fide technical and trade matter or advertising matter in one consignment and will not, therefore, qualify for the concession given in OGL.

(iv) Though OGL 4 does not specify any particular types of importers who are eligible to import the samples, it is clarified that only such importers as are connected with the production or commercial sale or distribution of goods are expected to be supplied with free samples/advertising materials by the foreign suppliers. It has, therefore, been decided that importers who are not connected with the production or commercial sale or distribution will not be allowed these concessions. However, the export promotion councils and Export Houses holding Export House Certificates issued to them by the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi may be allowed the concession regarding the import of technical and trade samples under OGL No. 4 by the customs authorities.

(v) A trade sample is intended to promote sale of the concerned item for commercial purposes. A technical sample is required by a manufacturer for improvement/development of the designs of his end-product(s). It may be clarified that the customs authorities will not allow an item sought to be imported as a trade sample under OGL No. 4, if the import of such item is not permissible for import under the policy in force at the time of shipment of the item in question. The customs authorities will also not allow an item sought to be imported as a technical sample if the importer is not engaged in the production of that item and is also not in a position to satisfy the customs authorities that his scheme for production of the item, in question, has been approved by the sponsoring authority concerned.

Import of erection tools by foreign technicians as Personal baggage on re-export basis

301. (1) Foreign technicians/experts coming to India for study, research or other approved programmes may be allowed clearance, without Customs Clearance Permit, of tools and equipments relevant to their assignment in India, on re-export basis, subject to such undertakings as the customs authorities may require.

(2) Foreign technicians coming to India for erection work may be allowed clearance, without Customs Clearance Permit, of essential erection tools/testing equipment required for erection work, on re-export basis, subject to such undertakings as the customs authorities may require.

Import of equipment, raw-films etc. by foreign publicists like radio, press, films and television teams and television companies.

302. (1) Equipment and raw films imported by foreign TV companies coming to India will be exempted from ITC restrictions provided the visit is sponsored by the Ministry of External Affairs/Ministry of Information and Broadcasting/Department of Tourism, after obtaining clearance from the External Publicity Division of the Ministry of External Affairs and also the Ministry of Home Affairs where necessary. While allowing clearance, the Customs Authorities will obtain an undertaking from the importer, with a Bank guarantee or other surety, to the effect that the imported items will be re-exported by the importer while leaving India.

(2) Import of cine-equipment and raw films by foreign film companies, on re-export basis, for shooting of films in India will be treated as exempt from import trade control restrictions, provided the import, in question, has been exempted from Customs Duty by the Ministry of Finance (Department of Revenue) and has been cleared either by the Ministry of Information and Broadcasting or by the Ministry of External Affairs (Ex. P.D.).

Import of films by National Films Archives of India, Poona

303. Imports of films (i) as gifts (ii) or on loan (iii) or on exchange (iv) or on payment from various foreign countries by the National Film Archive of India and by The Children's Film Society, Bombay, will be allowed without import control restrictions, provided the import is exempted from payment of customs duty.

EXPORTS

Exemption from Export Restrictions

304. No export licence is required for goods falling within the purview of Clause 15 of the Exports (Control) Order, 1977. Similarly, no export licence is required for goods covered by Open General Licence(s) appearing in Import-Export Policy (Vol II) 1983-84.

Bona fide Personal Baggage

305. In order to save the travellers from the trouble of applying for export licences for items, export of which normally requires a licence and which they want to take out of India with them, either for their personal use or as souvenirs, certain concessions are provided :

306. The bona fide personal baggage of out-going passengers, either exported with the passengers, or, if unaccompanied, exported within four months before or after the passengers' departure from India is exempt from Export Trade Control restrictions. The time-limit in the above cases may be extended upto one year by the Collector of Customs in his discretion.

307. The concession is restricted only to the used or unused articles listed in Appendix 5 upto the limit prescribed therein, provided that the articles are meant for the personal use of the passenger or for the members of his family travelling with him, and are not intended for sale or transfer to other parties. If a passenger wishes to take out with him any article which falls outside the scope of the list in Appendix 5, he should apply to the customs authority at the port of embarkation or land frontier customs post or in the case of unaccompanied baggage, at the port of export. The Collector of Customs is authorised to permit export in his discretion. Applications for export licence in this connection will not ordinarily be entertained by the Export Trade Control authorities except in respect of any controlled food articles such as grains, pulses etc. if in excess of the quantities prescribed in Appendix 5.

Ship-Stores

308. Indian foreign going vessels and foreign vessels having Indian shipping agents touching Indian ports in the course of their voyage may take controlled foodstuffs and provisions like wheat, floor, rice, pulses, vegetable oils, etc. as ship-stores for the round voyage for the bona fide use of both crew and passengers on board the ship, on the scales notified vide Ministry of Transport and Shipping (Transport Wing) S. O. No. 2473 published in the Gazette of India on 2-8-1975 (Reproduced in Appendix 39). The export of items on the scales referred to above shall be allowed direct by the customs authorities.

Export by Post

309. Export of goods by parcel post, either as gift or for commercial purposes is regulated in accordance with the provisions of Postal Notice No. 13 dated 3-12-1973. The Postal Notice is reproduced in Appendix 17.

310. With the exception of the items falling within the purview of the Postal Notice, all other items are permitted to be exported by post (except to the Union of South Africa and South-West Africa) whether as gifts, or as commercial consignments, without export licences.

311. Parcels containing articles included in the Postal Notice are not allowed for export unless covered by Export licences issued by the appropriate licensing authorities. Applications for licences should be made on Form B-X reproduced in Appendix 12.

312. Commercial samples sent by parcel post or otherwise by sea or air are covered by Open General Licence No. 2 reproduced in Appendix 7 to Import-Export Policy (Vol II) 1983-84.

313. It is, the responsibility of the sender to ensure that the parcel is covered by a proper export licence where such a licence is necessary, failing which the parcel is liable to be returned. The fact that a parcel is accepted by a post office in the first instance does not in itself constitute a guarantee that the requirements of export control have been fulfilled and also no claim for compensation or for refund on account of postage will be entertained.

CHAPTER XII

BREACHES OF IMPORT/EXPORT TRADE CONTROL REGULATIONS

314. The Imports and Exports (Control) Act, 1947 and the Imports (Control) Order 1955 and the Exports (Control) Order, 1977 now in force, are reproduced in Appendices 1 and 2. Importers, exporters and other concerned should carefully read the provisions made in the Act and the respective Orders, any breach of which is punishable under law.

315. The Central Government in exercise of the powers conferred on it by Section 6 of the Act, has authorised the following officers to make complaints in writing in courts in respect of any offence punishable under Section 5 of the Act :—

(i) Joint Chief Controllers of Imports and Exports, (ii) Deputy Chief Controllers of Imports and Exports, (iii) Customs Collectors and the Officers of Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962), (iv) Iron and Steel Controller and the Deputy Iron and Steel Controller (v) Superintendents of Police in the Economic Offences Wing of the Central Bureau of Investigation.

316. Besides the penalties which can be imposed under Imports & Exports (Control) Act, as amended and the Customs Act, 1962, licences issued may be cancelled or otherwise made ineffective under one or the other of the circumstances mentioned in the Imports (Control) Order or Exports (Control) Order, as the case may be.

Checking Utilisation of Imported materials

317. (1) In order to check proper utilisation of imported materials by Actual Users and Registered exporters a system of checking has been in existence. Under this system, the licensing authority may, in consultation with (State) Directors of Industries and other sponsoring authorities, carry out the necessary verification on random and selective basis of the extent and the manner in which an Actual User has utilised the imported goods having regard to the condition subject to which the import/allotment of such goods was allowed.

(2) Where an Actual User (Industrial) is subject to a phased manufacturing programme in respect of any product, as laid down by the DGTD New Delhi or the Development Commissioner (SSI), New Delhi or the Department of Electronics, New Delhi or the sponsoring authority concerned, the components imported by such Actual User against an import licence or under OGL, under the import policy in force, for the manufacture of such product, shall be utilised by the Actual User concerned strictly in accordance with the terms and conditions of such phased manufacturing programme. Any utilisation of imported components in contravention of the approved phased manufacturing programme will render the Actual User liable to action under the import trade control regulations, without prejudice to any other action that the sponsoring authority can take under its own powers.

318. A Release Order is also subject to the condition, inter-alia, that the holder shall maintain an account of consumption and utilization of the imported matterials in the prescribed manner and produce such accounts to the licensing authority/sponsoring authority or any other concerned authority within such time as may be specified by such authority.

319. The type of offences which inter-alia would constitute breach of import/export trade control regulations would include violation of any provisions of the Imports & Exports (Control) Act or the Orders issued thereunder, or a condition subject to which a licence is issued as well as any misrepresentation in obtaining a licence or allotment of imported materials, or any other malpractice indulged in foreign trade. Action may also be taken for violation of any other law pertaining to customs, foreign exchange regulations etc.

320. Where a licence has or had been issued at any time provisionally or through error or inadvertance or is in excess of the licence holder's entitlement or has been obtained by misrepresentation or contrary to rules and regulations in force it will be open to the licensing authority to set off the value of such licence or adjust the same against the licence holder's subsequent entitlement under any category for that item or any other item or items, without prejudice to any other action that may be taken in this behalf. This applies to allotments made by canalising agencies and Release Orders as well.

Cancellation of Release Order

321 The licensing authority may cancel a Release Order issued for allotment of imported goods or otherwise render it ineffective on the same grounds as are applicable to cancellation of an import licence Before taking action to cancel the Release Order, a reasonable opportunity of being heard in the matter will be given to the Release Order holder.

Responsibility of Chartered/Cost Accountant/Chartered Engineer

322. Charted/Cost Accountants and Charted Engineers have been entrusted with responsible functions under the import policy in various regards It is expected of them that they will exercise due care and diligence in furnishing such certificates to the applicants concerned. Failure on their part to do so and furnishing of incorrect or an improper certificate will render them liable to penal action under law This will equally apply to all other persons to whom a similar responsibility has been entrusted under the import policy

CHAPTER XIII

UNAUTHORISED IMPORTS

Valid Imports

323. Import is validly covered by a licence when the description, value and the quantity of imported goods are in accordance with the licence and the shipment/despatch of the goods from the supplying country takes place within the period of validity of the licence.

Imports not covered by licences

324. If any article, requiring a licence, is imported or sought to be cleared without a valid licence, its entry into the country will be treated as unauthorised and the importer/owner of the goods will be liable to punishment under the provisions of the Customs Act, 1962 without prejudice to any other action that may be taken in this behalf under the Imports and Exports (Control) Act, 1947 and the Order issued thereunder.

Custom's jurisdiction

325. The clearance of goods and the assessment of duty will be dealt with by the Customs authorities. It is within the jurisdiction of the Customs authorities to determine whether or not the goods imported are in conformity with the description given in the licence. Although in case of doubt in regard to the correct description of goods given in the licence or any other matter concerning the import, the Customs authorities may consult the Import Trade Control authorities, the matter rests with the Customs authorities finally.

Joint Committee

326. In order to help the importers in cases of genuine difficulties, a Joint Committee of the Licensing and the Customs authorities has been set up at each port. The Committee meets regularly and deals with both pre and post-importation enquiries and difficulties of importers.

Requests for amendments to be made before shipment

327. If the importer finds any discrepancy in a licence, he should immediately apply to the licensing authority concerned for an amendment in the licence. The request for such an amendment should in any case be made before the goods have been shipped despatched from the supplying country, so that if, for any reason the change or amendment is not permitted, and importer may be able to advise his suppliers to make the necessary adjustment. In seeking any amendment or revalidation of a licence, it should clearly be pointed out by the applicant whether or not shipment/despatch of goods covered thereby has already been made, either wholly or partly. Any misleading or wrong statement in this behalf will render the licensee/importer liable to action under the Import Trade Control rules and regulations.

328. The requests, if any, for amendment of a licence made after the shipment/despatch of the goods from the supplying country are liable to be summarily rejected by the I.T.C. authorities. The matter in such an event will rest with the Customs authorities. The importer should, therefore, approach the Customs authorities who will deal with such cases with reference to the relevant rules.

Penalty for unauthorised imports

329. The fine/penalty imposed in respect of unauthorised imports is likely to be heavy and may lead to even confiscation of the goods or prosecution of the importer/owner of goods. In special circumstances the importer/owner of the goods may be allowed to re-ship goods; but in such a case also, the importer/owner of the goods will be liable to pay fine/penalty. Therefore, the importers should, in their own interest, ensure that what is being imported by them into the country, is in strict conformity with the licence description in every respect and that the consignment is neither in excess of the licensed value or quantity limitations nor different in any way from what is authorised to be imported.

Clearance of goods when the importer is unable to produce the licence

330. In case where an importer claims to have a valid import licence to cover the goods imported by him but is unable to produce the licence to the Collector of Customs at a praticular port owing to simultaneous arrival of the goods covered by the licence at different ports, or for any other reasons, the Collector of Customs may, if he is satisfied with the plea put forward by importer, permit clearance of the goods in so far as Import Trade Control Regulations are concerned on the importer executing a bond of a letter of guarantee in form given in Appendix 25. It is at the discretion of the Collector of Customs either to accept the bond or the letter of guarantee from the importer, for the production of the import licence for the goods at a later date.

CHAPTER XIV

PUBLIC RELATIONS

331. Public Relation Officers have been posted at the head quarters and the regional offices of the Chief Controller of Imports and Exports. In smaller offices, the head of the office will himself perform this function.

Counter Assistance System

332. For speedy disposal of applications for licences, the "Counter Assistance System" has been introduced in the licensing offices. Under this system, officers not below the rank of a Controller will be available at the counter in each licensing office to undertake a quick scrutiny of the application for a licence before it is formally filed. Applicants can, therefore, approach such officers at the counter and show their applications to them, duly filled in. The officer concerned will go through the application and point out to the applicant if there are any deficiencies in it. This sort of prior scrutiny of the application will undoubtedly help the applicants, thus minimising considerably further correspondence and delay in disposal.

333. Counter System can also be availed of for amendment of a minor nature or revalidation of licence, which does not require detailed examination, such as request for correction in the list of goods, affixing security seal on the licence or on the list of goods or the signature of the licensing authority below any condition imposed on the licence or on the list of goods attached to the licence. Applications in such cases will be received at the "Counter" against a proper receipt and the applicant will be given a definite date for collecting back the licence on surrender of the said receipt.

Checks on delays

334. (1) Every effort is made to avoid delay in the disposal of applications for licences or correspondence. Cases of inordinate delays may be brought to the notice of Public Relation Officer.

(2) For expeditious processing of import applications, a system of "time-bound" disposal has also been introduced in the regional licensing offices. Details of the system are available in all offices of the CCI&E.

335. Complaints regarding delay addressed to the Chief Controller of Imports & Exports. New Delhi, should be specifically marked 'Complaint against delay' at the top of the communication containing the complaint. In order to facilitate timely action on such complaints, the applicants are advised to send their complaints in duplicate

Enquiry Slip

336. Where an applicant does not receive a reply to his application within a period of 15 days from the date of its submission (10 days in cases of amendment/revalidation) and the applicant desires to find out the position of his case, he may fill up the enquiry slip form, given in Appendix 30, and hand it over to the enquiry counter in the concerned licensing office. The Public Relation Officer/Enquiry Officer will intimate the date and time to the applicant for obtaining the relevant information. He should call at the office on the given date and time to collect the information.

Clarifications on import/export policy/and procedures

337. Attention is specially invited to the provisions of Chapter 20 of the Import-Policy 1983-84. Persons who wish to have any guidance in regard to the import/export policy generally and the connected procedures can approach the Public Relation Officers in the regional offices. If they are not satisfied with the information given by the Public Relations Officer, they would be given an opportunity of meeting the head of the office. The Chief Controller of Imports and Exports will also be glad to entertain communications on policy and procedures emanating from Chambers/Associations of trade and industry. In order to avoid the need for piecemeal clarification, on the same points, they may consolidate their queries on a monthly basis. The CCI&E, will circulate the replies to those making the queries as well as to the Chambers and Associations who subscribe to the publications of the Department of Commerce.

Interviews

338. Ordinarily, all matters should be settled by correspondence but the applicant may also avail of the facility of enquiry slip for ascertaining the position of his case. However, in cases, where an applicant considers it necessary to discuss in person, with the Licensing Officer, after not being satisfied with the information given in the enquiry slip or regarding an appeal, he may book an interview with the Officer concerned. Requests for interviews will in suitable cases/situations be entertained even where the applicant has not made use of the facility available in para 336 above.

339. (1) Interviews with the Chief Controller of Imports & Exports. New Delhi. and the heads of regional licensing offices should be arranged through their private secretaries.

(2) Interviews with other officers should generally be booked through the Enquiry Officers attached to each licensing office. The applicant should give the purpose of interview and the particulars of his case in the prescribed proforma vide Appendix 16. The proforma need not be filled in for interviews with Public Relations Officers. Applicants, particularly from Out-

-ation may be granted interview, on request giving the particulars of the case without filing in the prescribed proforma.

(3) Officers of the rank of Jt. C.C.I. & E. or above in the office of Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi may allow interviews in urgent cases without the applicant having to fill in the proforma in Appendix-16.

340. Except where otherwise authorised, interviews will be granted only by officers of the rank of Deputy Chief Controller of Imports and Exports or above. It should be noted that the person desiring to book an interview should be proprieter/partner/director of the applicant firm or company, or a person in its regular employment or a person duly authorised by the applicant firm by a written letter of authority which should be produced before the Enquiry Officer and the Interviewing Officer at the time of booking/seeking Interview. The person seeking interview should comply with all the instructions concerning such interviews displayed on the notice boards in all the licensing offices or otherwise published. Entry into the rooms occupied by the clerical establishments or personal contact with the staff of the Import Trade Control Organisation is, however, strictly prohibited.

341. (1) A licensing authority may at its discretion refuse interview to a person not being the proprietor/partner/director of the applicant firm or company or in its regular employment even though he may be holding a letter of authority from the applicant firm.

(2) In their own interest, the importers and exporters should send advance intimation to the licensing authorities concerned, giving names and full addresses of the persons (other than the proprietor/partner/director of the firm or company or in its regular employment) who are authorised by them to represent their cases in the licensing office. Such intimation should be sent, in writing, to the Public Relations Officer of the concerned licensing office, so as to reach not later than 15th May, 1983. Thereafter, interviews to such persons will be allowed only if their names have been duly intimated, except in cases where the interviewing authority allows for other convincing reasons such as the Chambers/Associations of trade/industry representing cases of their members.

(3) Importers and Exporters who sent intimations to licensing authorities under sub-para (2) above in 1982-83, need not again send the same intimation, unless there is any change in the names sent earlier.

CHAPTER XV

MISCELLANEOUS

Port of Registration

342. Every import licence granted under the Import-Export Policy will be valid for import of the goods through any of the Customs Ports (including Air Customs) in India. No endorsement would be made or is necessary to such effect. Hence, each licence-holder is advised to get his licence registered in accordance with the Customs Act, 1962 and the rules and procedures thereunder, with the appropriate Customs authority of the port through which he intends to effect import.

Split-up licences

343. (1) The licensing authorities may consider requests for issue of 'split-up' licences against a main licence, for clearance of goods at different customs ports, or for part transfer of REP licences. The licensee should give adequate justification in support of his request for 'split-up' licences. The request for 'split-up' licences will be entertained only prior to registration of the main licence at the customs port. (For clearance of goods through different sections of the same custom house, the licensee can obtain subsidiary licence under para 344 below).

(2) While issuing 'split-up' licences, the value of the main licence will be correspondingly reduced. The 'split-up' licences will have the same period of validity as the main licence.

(3) In the case of Automatic licences issued to Actual Users (Industrial), the 'split-up' licence will bear a condition that they shall not be valid for import of banned items.

(4) In the case of Additional licences issued to Export Houses, Trading Houses, while issuing 'split-up' licences, the lecensing authority will endorse the main licence as also each 'split-up' licence as under :—

'The licensee shall ensure that total import of a single item against the main licence and the 'spit-up' licences put together, shall not exceed the maximum value limit laid down, and shall subscribe a declaration to this effect on the relevant Bill of Entry'.

Alternatively it will be open to the licensee to divide the maximum value limit permissible for each item amongst the main Additional licence and its 'split-up' licences, as long as the total value allowed for import in respect of that item does not exceed the maximum item-wise value permissible under the policy.

(5) Requests for the grant of 'split-up' licences may also be entertained in respect of REP licences (other than Additional licences) provided :—

(i) The value of a 'split-up' licence asked for is not less than Rs. 5 lakhs and, at the same time, the balance value left in the main licence is also not less than Rs. 5 lakhs; and

(ii) Where the main licence is valid for import of an item subject to both, percentage, value limit as well as the overall maximum value limit, the main licence and also the 'split-up' licence will, apart from the percentage value limit, bear the proportionate specific maximum value limit also, so that the 'split-up' licences do not result in the item-wise value exceeding the permisible limits.

(6) Request for issue of a 'split-up' licence may also be conidered in cases where REP licence holder intends to transfer a part of the REP licence and to utilise the remaining part with 'Actual User' condition. In such cases, not more than one 'split-up' licence will be isued against a main licence, except in cases covered by sub-para 5 above.

(7) Applications for 'split-up' licences hould be accompanied by bank receipt/bank Draft showing the payment of prescribed application fees of Rs. 25 for each 'split-up' licence.

Subsidiary licences

344. (1) In order to facilitate the clearance of goods through different sections of the same Customs House, the licensing authorities at the ports will consider requests for the issue of subsidiary licences against an existing licence. The requests for issue of subsidiary licence can be made to any Port Licensing Authority. Such requests will also be entertained by the regional licensing authorities in respect of licences issued from the Headquarters office of the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi.

(2) *Subsidiary licences for clearance of goods at air ports*—Requests for issue of subsidiary licences will also be considered for the clearance of goods through the Customs authorities at the airports.

(3) *Applications for subsidiary licences.*—The following points should be borne in mind by the applicant while applying for subsidiary licences :—

(i) Applications for subsidiary licences should be made sufficiently in advance of the despatch/shipment of goods from the supplying country. A licensing authority may, however, consider an application for the grant of a subsidiary licence after the expiry of the main licence to enable the licensee to clear goods shipped within the validity period of the main licence.

(ii) The facility of the grant of subsidiary licences will be given irrespective of the value of the original licence.

(iii) Subsidiary licences, where granted will be subject to face value restrictions or any other conditions applicable to the main licence. It is open to the importers to apply for and obtain separate subsidiary licence specifically valid for the items with face value restrictions upto the permissible limits. These licences showing the value of restricted items permissible against the main or original licence will also be valid for import of non-restricted items.

(iv) The applications for subsidiary licences should also be accompanied by bank receipt bank draft showing the payment of the prescribed application fees of Rs. 25/- for each subsidiary licence.

(v) Subsidiary licence will have the same period of validity as the main licence. The revalidation, if any, granted in respect of the main or original licence will also apply to the subsidiary licence. For facility of clearance, the licensing authorities will indicate the period of validity on the subsidiary licence.

(vi) The number and date of the main licence will be endorsed on the subsidiary licence for facility of reference and check.

While issuing a subsidiary licence, the licencing authority will make a suitable endorsement on the main licence (both customs and exchange control copies) making it invalid for clearance of goods and for remittance to the extent of the value/items of the subsidiary licence. It will be open to the licensing authority to issue subsidiary licence only of the Customs copy, and not of the exchange control copy of the main licence.

Replacement Licences

345. (1) Goods imported in replacement of those previously imported which have been found to be defective or otherwise unfit for use, or have been lost or damaged after import, would be allowed to be cleared under Open General Licence No. 4 provided the conditions stipulated under the said OGL are fulfilled. In respect of such replacement imports, the shipment should be made within 24 months from the date of clearance of the previously imported goods through the Customs or within the guarantee period in the case of machines or parts thereof. Cases, where shipments for replacement have not been made within 24 months will not normally be considered. However, in cases of genuine hardship, for reasons beyond the control of the applicants, the licensing authority may consider such requests on the merit of each case. In such cases, the applicants should produce the same documents as have been laid down for import under OGL No. 4, and should give reasons for which import could not made under OGL No. 4.

(2) In cases, where the goods have been found short shipped, short-landed or lost in transit prior to actual import, and are detected as such at the time of clearance through the customs, no fresh licence will be issued to cover the goods. In cases where the validity of original licence has expired, the same will be revalidated to facilitate the re-import of such goods.

(3) In the cases not covered by sub-para (1) and (2) above licensing authority may consider, on merits, applications for issue of replacement licences. Such applications may be made in the form relevant to the category of the applicant concerned.

Payment to suppliers

346. (1) When goods are to be imported under an Open General Licence, authorised dealers in foreign exchange have been permitted to open letters of credit or make remittances to cover the imports on their being satisfied that the goods ordered are covered by the Open General Licence.

(2) With regard to goods not covered by an Open General Licence, no letters of credit can be opened or remittances of foreign exchange made unless the importer is in possession of a valid import licence with exchange control copy. When applying to an authorised dealer in foreign exchange for remittance of foreign exchange, the licence hoder should produce before him the copy of the licence marked 'for exchange control purposes'.

(3) It should be noted that in opening any letter of credit, the date of expiry of the O.G.L. or the valid licence should be kept in view for determining the period for which the letter of credit should be kept open for negotiation.

347. **No remittances in advance of the receipt of the shipping documents.**—It may be noted that whereas letter of credit can be opened on the basis of the exchange control copy of the licence in advance of the shipment/despatch of goods, remittances can be made only on receipt of shipping documents. In the case of licences for Capital Goods and Heavy Electrical Plant, however, a part payment may be authorised by the Reserve Bank of India as an earnest money payable to the foreign suppliers.

348. (1) The value shown in an import licence is always the c.i.f. price of the goods to be imported, and it includes commission allowed by the supplier/manufacturer to the importer or agent. The value debitable to an import licence for Customs purposes will be the c.i.f. value of goods imported as assessed by the Customs authorities. The remittance against goods covered by the import licence would however, be governed by the Exchange Control Regulations and it will exclude commission, discount or like rebates allowed by the foreign supplier/manufacturer to the importer/agent. Therefore, the licensing authority will specially endorse a condition on the licence to the effect that payment authorised to be made against it shall not cover commission, discount or like rebates allowed by foreign supplier/manufacturer to the importers/agents in India.

Note : The c.i.f. value of the goods also includes stevedoring charges, as it forms a part of the freight and such charges are debitable to the licence.

(2) The c.i.f. value cannot also be used to the full extent if the stores are shipped f.o.b. In such an event, a margin has to be left to cover the cost of insurance and freight to be paid for in rupees. When either the freight or insurance is paid in rupees in India, the amounts will be deducted from the value of the licence by the authorised dealer in foreign exchange.

Provisional debitting of import licences by Customs Houses

349. Import licences are sometimes debited with Loaded values' of the imported goods by Customs Houses on a provisional basis. On subsequent verification or on appeal, the quantum of loading is sometimes reduced after several licensing periods. Revalidation of a licence on account of reduction in the "loaded value" will not be granted.

Banks as joint holders of licences

350. (1) When an importer opens an irrevocable letter of credit through a bank and later fails to honour his bills, the bank concerned, which is committed for the payment of the exchange to the foreign suppliers, finds itself in difficulty to import as it is not the licence holder. As a safeguard against this contingency, the exchange bank or authorised dealer through whom the letter of credit is opened is considered as a joint holder of the licence to the extent of the goods covered by the credit which would thus enable the bank to honour its commitments with foreign supplier. The procedure in this respect is contained in Appendix 27

(2) In the types of cases referred to in sub-para (1) of this paragraph and also in cases where the goods are pledged with a Bank or a State Finance Corporation and the borrower does not meet his obligation, the imported goods lying with the Bank or the State Finance Corporation, as the case may be, will be dealt with in accordance, with the provisions of Clause 10-C of the Imports (Control) Order, 1955, as amended. In such cases, sale of goods to Actual Users or S.T.C./M.M.T.C./State Small Industries Corporation, or any, other similar agency, may also be effected in terms of the procedure laid down in para 374 of this book.

Re-import of Goods after Repairs Abroad

351. In case of goods which are not covered by savings (1) (j) of Clause 11 of the Imports (Control) Order, 1955 and which are exported for repairs and subsequent return, the importer should secure an import licence in advance and the goods for repairs should be exported only after obtaining the licence for their re-import, from the licensing authority concerned. Where the re-import of articles after repairs involves foreign exchange, the amount to be remitted towards the cost of repairs, freight and insurance be indicated in the applications for licence.

The above provisions will also apply to items of Indian origin sent abroad for repairs etc. But in such cases a certificate from DGTD would be necessary to the effect that the goods, in question, cannot be repaired in India.

Note : In the case of accredited foreign correspondents, such requests for repairs of professional equipment will be considered on the recommendations of the Press Information Bureau.

Duplicate copies of Import/Export Licences/Customs Clearance Permits/Release Orders

352. Where a Licence, (including An Advance/Imprest licence) Customs Clearance Permit or Release Order is lost or misplaced an application for grant of duplicate copy thereof will be considered only, if the licensing authority concerned is satisfied about the bona fides of the request.

353. Such application should be made to the licensing authority who issued the original licence/Release Orders together with declaration about the port at which it had been registered by the licence holder. Such application should be accompanied by Bank Receipt/Demand Draft of Rs. 25/- towards application fee and an affidavit on a stamp paper in the form prescribed in Appendix 20 duly sworn in before an appropriate Judicial authority.

354. The duplicate copy of the Licence/Release Order will be marked 'Duplicate' (on both the customs and the exchange control copies in the case of import licences) and endorsed by the issuing authority in block letters as follows :—

"The Licence/Customs Clearance Permit/Release Order has been issued in lieu of Licence/Customs Clearance Permit/Release Order No.————— dated.......... since cancelled to the extent of full value or partly utilised value of Rs. ....".

355. Intimation about the issue of duplicate copy of the licence will be sent by the licensing authority to the customs authority where the original licence has been registered. In cases, where the licence has been lost before registering with the customs authority, the intimation will be sent to all the customs authorities. The order of cancellation of the original licence will be published in the Gazette of India.

In the case of Release Order, intimation about the issue of duplicate Release Order will be sent to the canalising agency concerned.

356. No duplicate licence will be granted in respect of freely transferable REP licences issued against exports made on or after 1-4-1978. However, the licensing authority may, in such cases, entertain applications for the grant of duplicate licences in cases where the original licence has been lost or misplaced in the Import & Export Trade Control Organisation. Such applications will be decided at a level not below that of a Joint Chief Controller of Imports & Exports (In the case of offices headed by Deputy Chief Controllers, the approval of the Joint Chief Controller in the concerned region will be obtained).

Licence issued in duplicate

357. Import licences are generally issued in duplicate. One of the copies known as the Customs Purposes copy is to be presented by the importer along with the bills of entry, to the Customs authorities for obtaining clearance of the goods imported. The other i.e., the Exchange Control copy is to be presented by the importer to the Bank for the purpose of opening a letter of credit or making remittance of foreign exchange where no remittance of foreign exchange is involved, the exchange control copy of the licence is not issued.

Import of disposal, second-hand or re-conditioned goods

358. (1) In terms of the Imports (Control) Order, 1955, dated the 7th December, 1955, as amended, it is a condition of every licence that the goods for the import of which the licence is granted, shall be new goods, other than disposal goods, unless otherwise stated in the licence. Disposal goods, even if new, will not be treated as new goods.

(2) Requests for import of disposal on second-hand or reconditioned goods shall not be entertained except with the prior approval of the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, for import of reconditioned second-hand Capital Goods, however, the procedure laid down in Chapter V of the Book will be applicable.

Refusal of Licence/release order

359. (1) A licensing authority may refuse to grant a licence/release order :—

(a) if the application has not referred to the provision of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7th December, 1955, as amended;

(b) if such application contains any false or fraudulent or misleading statement;

(c) if the applicant uses in support of the application any document which is false or fabricated or which has been tampered with;

(d) if the application for the licence/release order is defective and does not conform to the prescribed rules and procedure;

(e) if the applicant is not eligible to the grant of licence/release order in accordance with the relevant Import Trade Control Policy and procedure in force;

(f) if the applicant fails to produce any document that is called for by the licensing authority;

(g) if the applicant has failed to make up a deficiency in his application within the time limit indicated by the licensing authority;

(h) if the applicant has used any unfair means in obtaining a licence/release order; and

(i) any other reason to be recorded in writing.

(2) A licensing authority will also refuse to grant a licence under the provisions of clause 6 of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7th December 1955, as amended.

360. A form of bond to be executed by importers for fulfilment of export obligations is given in Appendix 22.

Recognition of Research and Development Units

361. Such of the Research and Development Units attached to industrial undertakings as are desirous of getting the benefits of imports under OGL in terms of Import-Export Policy, 1983-84 may make an application for recognition by the Central Government to the Department of Science and Technology, New Delhi. The application shall be made to the Secretary, Department of Science & Technology, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016, in form prescribed in Appendix 19 in 12 copies. The recognition is granted normally for a period of 3 years terminating on the 31st March of the respective fiscal year. In certain cases the recognition is granted for a short period also. For the renewal of recognition application should be made 3 months in advance of the expiry date in the proforma prescribed in Appendix 19-A in 6 copies.

362. However, in the case of following institutions no separate recognition from the Department of Science and Technology would be necessary :—

(i) Departments of Central Government, research and/or training institutes under the Central or State Governments (other than Public Sector Undertakings);

(ii) All laboratories of CSIR, ICAR and ICMR;

(iii) All universities IITS Indian Institute of Science, and Indian School of Mines, Dhanbad;

(iv) Any other institutions so notified by the Chief Controller of Imports and Exports in consultation with the Department of Science and Technology; and

(v) All institutions set up by specific statute of Parliament or the State concerned.

(vi) All associations in the Industrial Sector getting grants-in-aid from CSIR/Ministries.

Change in the Name, Constitution or Ownership of Actual User Business

363. Approval of the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi is not necessary for effecting a change in the name, constitution or ownership of licence holder so long as the legal obligations and liabilities of the transfer are fully and individually taken over by the transferee.

Change of Name

364. Where this results in no change in the business/activities or the identity of licence holder i.e. in effect there is no transfer of property involved, the licence holder (in his new name) should apply to the

licensing authority which has issued the licence, for necessary amendment of any current licence. Such request should be made through the sponsoring authority.

365. In his first application for a licence made after the date of change, it should be expressly brought out that there has been a change in name without any change in the ownership or constitution of his manufacturing business. If in terms of the import policy in force, such application is required to be made direct to the licensing authority, and not through the sponsoring authority concerned, the Actual User should produce with his application a certificate of the sponsoring authority to the effect that the registration with the sponsoring authority in the original name has been amended accordingly.

Change in Ownership or Constitution

366. Where there is a change in the ownership or constitution (including a change by division) of an Actual User business, with or without a change in the name of the business, the following provisions will apply :—

(i) If the original owner has had imported machinery or any other imported goods in the industrial unit concerned, he should obtain the prior permission of the sponsoring authority concerned for transfer of the business in favour of the new owner or the reconstituted concern, as the case may be. The intimation about the change should also be sent by the original owner to the licensing authority concerned. In cases, where there is a change in the constitution of business by admission or retirement or death of a partner and the reconstituted firm takes over the business as a whole without any change in its name or address, the prior permission of the sponsoring authority will not be necessary. The original firm should only send an intimation about the change to the licensing and the sponsoring authorities concerned.

(ii) In the event of change referred to in (i) above, the original owner should transfer in favour of the new owner or the reconstituted concern, as the case may be, all the machinery and other material imported for use in the unit sought to be transferred.

(iii) Where an import licence had been issued to the original owner, and before the importation of the goods against the said licence, the change in ownership or constitution takes place, the original and the new owner of the business should make a joint application to the licensing authority, which had issued the licence, for permission to transfer the licence in favour of the new owner or the reconstituted concern, as the case may be, in terms of the Imports (Control) Order, 1955. The application should be made through the sponsoring authority of the new owner and it should be expressly stated in the application whether the approval of the sponsoring authority appropriate to the original owner has been obtained in regard to the transfer of business as stated in sub-clause (i) above.

(iv) If there is no unutilised licence in hand at the time of change, the new owner or the reconstituted concern, as the case may be should in the first application for a licence made after the date of change expressly indicate that there has been a change in the ownership or constitution of the business. If in terms of the Import-Export Policy in force, such applications are required to be made direct to the licensing authority and not through the sponsoring authority concerned, an evidence should, wherever necessary, be produced with the application to the effect that prior approval of the sponsoring authority of the original owner has been obtained, in regard to the change in ownership or constitution and new owner has been duly registered with the sponsoring authority concerned.

367. Where an Actual User transfers only a part of the factory or imported machinery or where any other imported materials are proposed to be sold by an Actual User, without selling his business or factory for which the goods in question were imported; or where an Actual User sells his factory/manufacturing business, but the purchaser is not acquiring the imported raw materials, components, consumables or spares belonging to the industrial unit concerned and the Actual User has to sell such materials to another party, such sales will be governed by the procedure otherwise laid down in this Chapter and by Clause 10-C of the Imports (Control) Order, 1955.

368. Application for transfer of licences as above made on the recommendations of the sponsoring authority will be considered by a licensing authority only in cases where the transferee is not debarred or suspended from receiving licences under the Imports (Control) Order, 1955. In the same manner, a sponsoring authority will consider requests for transfer of business only in cases where both the transferor and the transferee are not debarred or suspended from receiving licences under the Imports (Control) Order, 1955.

369. The above provisions will equally apply to import licences issued to Registered Exporters, except in respect of REP licences issued under the Import Policy, 1978-79, if they are freely transferable.

Transfer/loaning of imported goods

370. Where an Actual User is unable to utilise the imported goods for the purpose for which he secured the goods or the imported material is surplus to his needs, he may transfer or loan such imported material to another Actual User with the written permission of the sponsoring authority concerned, provided both the buyer and the seller (lender and loanee) Actual Users are under the jurisdiction of the same sponsoring authority.

371. Where the respective sponsoring authorities are different, but the contracting Actual Users are situated in the same State or Union Territory, the (State) Directors of Industries may grant the permission in writing for transfer/loan of the imported material and also monitor it thereafter. He will also inform the sponsoring authorities concerned ex-post facto.

372. In other cases, prior written permission of the licensing authority is mandatory. After agreeing upon the terms of the transfer, the two Actual Users i.e. the buyer and the seller, should apply through the sponsoring authority of the buyer actual user.

373. The above provisions will be equally applicable to material imported under Open General Licence or obtained from a Canalising Agency

Transfer of imported goods to a public sector agency

374. No permission is required either of the sponsoring authority or the licensing authority for the transfer of imported material to a public sector agency or a State (Small) Industries Development Corporation. The Actual User shall only give an intimation by Registered Post of such transfer to the sponsoring authority and the licensing authority concerned, within a period of 30 days

Disposal of imported goods by scheduled banks

375. The above procedure will apply to the disposal of goods lying with a scheduled Bank in a case where (a) it has cleared the goods from the customs as the joint holder of a licence against which the goods had been imported or (b) the goods imported had been pledged with the bank by the licence holder and the licence holder is not in a position to take over the goods in question, provided the bank has acquired a legal right to the sale

376. In case the STC/MMTC or any other similar agency is not willing to purchase the imported goods from the bank and the bank has not been able to find out any Actual User willing to purchase such goods, through the sponsoring authority or through suitable advertisement in the newspapers of repute, the bank can approach the concerned licensing authority for permission to auction the goods, provided the licence holder agrees to the sale or the bank has otherwise the legal right to sell the goods under the valid contractual terms.

Disposal of goods by public sector agencies including State (Small) Industries Development Corporations

377. Wherever a public sector agency had imported the goods on behalf of certain Actual Users and these Actual Users failed to lift the material, it can sell the imported material to another Actual User, without the permission of the licensing authority, but intimation of such sale should be sent to the licensing authority within 30 days from the date of the sale

Public Sector Industrial Undertakings

378. Industrial undertakings in the public sector may transfer the imported raw material, components, consumables or spares to another Actual User in the public or private sector The unit which effects the transfer should, within 30 days from the date of such transfer, send by Registered Post, the particulars of such transfer to the sponsoring authority as well as the licensing authority concerned. In cases not covered by the above provisions, prior written permission of the licensing authority is mandatory

Transfer of Capital Goods

379. (1) No permission of the licensing authority will be necessary for the transfer of imported Capital Goods, including spares, accessories (or attachment) thereof in favour of actual user only, after a period of ten years has elapsed from the date of their import. An intimation should, however, be sent by Registered Post to the sponsoring authority as well as the licensing authority concerned within 30 days of the sale. It will be for the buyer to ensure that, by purchasing the goods in question he will not exceed the licensed/authorised capacity.

(2) Cases pertaining to the transfer of capital goods not covered by Sub-para (1) above will be governed by the provision made in paras 370-378 above.

Transfer of Goods Imported into Free Trade Zone

380. The following procedures will apply to the transfer/loaning of goods imported into Free Trade Zones :—

(i) The imported materials can be transferred or given on loan to another unit in the same zone with the written permission of the Development Commissioner of the concerned zone.

(ii) The goods imported into Free Trade Zones will not be allowed to be given on loan to the units situated outside the Zone.

(iii) Where a unit situated in the zone is unable to utilise the imported goods for the purpose for which these were imported or the material is surplus to its needs, it may transfer that material to an Actual User outside the zone or to a public sector agency, with the prior written permission of the licensing authority concerned provided (i) the case has been recommended by the Development Commissioner of the concerned zone and the sponsoring authority of the buyer (where the buyer is an Actual User) (ii) the Customs Authorities in the Zone have no objection to the goods being taken out of the Zone on payment of customs duty and other charges, if any.

General

381. (1) In all the above cases, the buyer and the seller Actual Users should settle the price of sale of the imported raw materials/Capital Goods etc.

(2) In all cases where the loan/transfer takes place with the permission of the sponsoring authority/licensing authority, both the buyer and the seller Actual User should enter the particulars, including the quantity of material so transferred/procured in the registers maintained of receipt and consumption of stocks of imported materials, as prescribed in Appendix 18.

(3) The value of the imported material bought by an Actual User will not be debited to his existing licence if any/normal entitlement.

(4) In the case of loaning/transfer of newsprint, the provisions of the Newsprint (Control) Order shall be applicable

(5) The provisions made in paras 370—380 above will apply to imported goods which are damaged in fire or otherwise rendered unfit for use.

Scheme for Imports Through Association of Industry Public Sector Corporations and Export Houses/ Trading Houses.

382. (1) A public sector corporation, cooperative societies, Associations of industry and recognised export-houses/trading houses will be allowed to provide assistance to small scale units in meeting their import requirements of raw materials components consumables and spares. They can obtain consolidated import licences on behalf of such units, for import and distribution of the material to the units concerned, subject to the provisions laid down hereunder :—

(i) Under this scheme, the agency concerned (i.e an Association, Cooperative Society, public sector corporation, export house/ trading house) will make consolidated applications in respect of units situated in the same State and engaged in the same industry, requiring substantially the same items of import. Applications will be made to the regional licensing authority under whose jurisdiction the industrial units are situated. Separate applications should be made for units in each state/union territory.

(ii) In the case of Associations and Cooperative Societies, applications will be entertained only from those which have been recognised by the concerned State Director of Industry for this purpose.

(iii) Application should be made in the form "M" appearing in Appendix 11. It should be accompanied by a statement giving the particulars of the units concerned their names and addresses (including factory address) the number and date of SSI registrations the end-products manufactured the value applied for item-wise in each case and the respective aggregate values. There should also be a declaration of each unit concerned to the effect that the material imported shall be used in its own factory as per "Actual User" condition. The consumption certificate of each unit in the case of Automatic licence should also be furnished For supplementary licences, the agency should apply through the sponsoring authority concerned with all the above particulars except that, instead of the consumption certificate, a note giving the justification for supplementary licence should be gvien for each sale.

(iv) Applications fees payable on such consolidated applications will be calculated in relation to the aggregate value applied for.

(v) Under this scheme, 'new' or 'proposed' units will not be covered.

(vi) Import licences will be issued in the name of the applicant agency concerned, with a list of items allowed for import and the value and/or quantity for each item. the limiting factor being the over-all value of the licence.

(vii) Import licence shall be subject to the condition that the agency shall distribute the imported material to the units concerned, on whose behalf it has obtained the licence, and report the distribution to the licensing authority concerned and the sponsoring authority concerned.

(2) The scheme will also apply for obtaining allotments of canalised items covered by "direct" allotment scheme. For further details, the agencies should contract the canalising agency concerned.

(3) This scheme will also apply for meeting the requirements of cottage sector units or individual users such as fisherman/farmers etc. through their recognised Association or public sector corporations only.

(4) Any licence granted/direct allotment made as above is subject to the condition that the materials as secured shall be distributed by the agency to the Actual Users (Industrial) on whose behalf the application for a licence/direct allotment had been made, on turn, every small scale unit participating in the said licence or allotment, shall individually be subject to the Actual User condition, as if the licence/direct allotment had been granted in its own name and favour.

(5) Import of spares of motor vehicles/agricultural factors has been allowed under Open General Licence to persons owning imported motor vehicles or agricultural tractors, as the case may be, upto a c.i.f. value of Rs. 5000/- per vehicle/tractors, in a financial year for their own use, subject to the conditions stipulated in the Open General Licence. This facility can also be availed of by registered Association/Co-operative Societies having owners of imported motor vehicles or agricultural tractors as their members for import of spare parts of motor vehicles and agricultural tractors on behalf of their members. At the time of clearance of the imported goods and at the time of remittance towards imports, the concerned Association/Co-operative Society shall produce the following documents to the customs authorities/foreign exchange dealers :—

(a) A list of the members on whose behalf the import has been made giving (i) the name and address of the member, (ii) make of the imported motor vehicle/tractor owned by the member, (iii) No. and date of registration certificate of the vehicle/tractor, (iv) the date upto which the registration certificate is valid and (v) the c.i.f. value of spares imported for the member concerned.

(b) A declaration from each member duly counter signed by the Association/Co-operative Society, to the effect that the member has made upto-date payment of taxes under the Motor Vehicles Act, 1939 and that the c.i.f. value of such goods already imported during the same financial year for the same motor vehicle or agricultural tractor, does not exceed Rs. 5,000/-. In the declaration, the member concerned should also state that he has authorised the Association Co-operative Society concerned to effect imports on his behalf

(c) The currently valid certificate of registration of the concrned Association or Corporative Society under the relevant statute.

It shall be a condition that the imported spares shall be supplied by the importing Association/Co-operative Society to the individual members for whom the import is made. The Association/Co-operative Society shall keep an account (in the form of a register) of all such imports and distribution and it shall be available for inspection by the licensing authority or any other authority concerned in this behalf at all times. The Actual User condition shall however, apply in all such cases as if the imports had been made by the individual members on their own volition directly

(6) Import of spares for tractors under sub-para (5) above may also be undertaken by State Agro-Industries Corporation, on behalf of individual tractor owners in their respective States. In their case, however, the detailed procedure outlined in sub-para (5) above will not apply. Instead, they will declare in the relevant Bill of Entry, or any other documents prescribed by rules that "the spares have been imported on behalf of individual owners of imported tractors situated in (name of State/Union Territory to be given), under the provisions of the import policy in force." It will be the responsibility of the Corporation to ensure that the individual tractor owners who obtain supplies through them do not separately import themselves directly or through associations/cooperative societies referred to in sub-para (5) above, during the same licensing period and are not defaulters in payment of taxes under Motor Vehicles Act.

Imports through Agents

383 (1) In the Import policy in force since 1978-79 no special provision has been made for the licensing authority to issue a letter of Authority, authorising another person to import goods against a licence on behalf of the licence holder. The licence-holder is hereby given the authority to appoint person as his Agent for arranging the imports permitted by the licence. The licence should, however, continue to be in the name of the licence-holder and the other provisions of the Imports (Control) Order, 1955, in regard to the duties and obligations of the licence-holder or Letter of Authority holder will continue to apply respectively to the persons concerned. Subject to these conditions and legal requirements, it will be open to the licence holder to decide upon his own form of Letter of Authority But the functions of the holder of such Letter of Authority shall be limited to place orders, to open Letter of credit, to make remittance of payment for importing the goods, to arrange movement and to clear the same through the customs having regard to Sec. 147 of the Customs Act, 1962, on behalf of the licensee and other related matters connected with the operation of the licence in question, but not its ownership.

(2) The facility provided in sub-para (1) above will not be available to export houses and trading houses for import being made against import licences marked "Non-transferable", for example, Additional licence or REP licence marked "Non-transferable" under the import policy in force. For such licences, the export house/trading houses are not allowed to appoint agents or issue letters of authority, for operating on the licence or for distribution of imported goods on their behalf. Such functions should be performed by the export house/trading house itself Where an export house or trading house is in need for appointing an agent for any valid reasons, in respect of any particular licence on item to be imported, it should approach the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi for prior permission, which CCI&E, New Delhi may consider, on merits, subject to such conditions as may be imposed.

(3) The facility provided in sub-para (1) above will also not be available to Indian agents of foreign machinery/instruments manufacturers, in the case of licences issued to such agents for import of spares for stock and sale, under the provisions of the relevant import policy in force.

384. (1) A person effecting imports under an Open General Licence may utilise the services of an Agent only for the purpose of placing an order arranging movement or clearing the goods through customs but not for effecting remittances or opening letters of credit. The person entitled to the facility of the Open General Licence will be liable to the same legal obligations and penalties arising out of the Agent's action or inaction under law, as he himself would be otherwise.

(2) In the following cases, the agents can also open letters of credit and make remittances on behalf of eligible importers :—

(i) Agent importing goods for scientific or research laboratories, institutions of higher education and hospitals, recognised by the Central or a State Government.

(ii) Agents importing goods for Government departments, public sector enterprises owned or controlled by Government, Central or State, and statutory bodies set up by an Act of Parliament.

(iii) Export Houses/Trading Houses holding valid Export House/Trading House certificates issued by the Chief Controller of Imports & Exports and importing goods on behalf of Actual Users.

(iv) Co-operative Societies or Associations of Actual Users recognised by the concerned State Director of Industries and importing goods on behalf of their members

(v) Public Sector Undertakings/agencies importing goods on behalf of Actual Users.

(3) In cases covered by sub-para (2) above the imported goods shall be delivered by the concerned co-operative Society/Association or the agent, to the beneficiary Actual User. An account (in the form of register) should be kept of all such imports and distribution and it shall be available for inspection by the Licensing Authorities and sponsoring Authorities at all times.

(4) The above arrangements will confer no immunity on the licence-holder, or, in any way, absolve him from any of the responsibilities under the Imports (Control) Order 1955, were the imported goods to be misutilised in any manner or were there to be any violation of the Import Policy (in regard to utilisation of the connected licence) made by such an agent.

Amendment/Revalidation of Licences

385. All requests for amendment or revalidation of a licence shall be made by the licence-holder only; it will also be his responsibility to produce the licence before the licensing authority for getting such amendment or revalidation effected. This function cannot be performed by the agent.

Containers Use

386. In order to enable the country to effect import at economic cost, the licence holders or persons eligible to effect imports under Open General Licence may bulk their imports originating from the same source/port of shipment, in containers.

Associated Concerns

387. For the purpose of Imports/Exports Policy and Procedures, the following will be the criteria for determining whether any two concerns are associates :—

(i) The two concerns are assessed to Income-tax jointly or have common ownership, or

(ii) The two concerns are assessed to Income-tax separately and have no common ownership but

(a) a partner in one of the concerns having a major share therein is the proprietor of the other; or

(b) a partner or set of partners in one of the concerns has/have a major share in the other; or

(iii) One of the concerns is a limited company and a director of the limited company has interest in the other concern as proprietor; or

(iv) One of the concerns is a consultant to or a contractor of the other; or

(v) the concerns are limited companies with substantially common Boards of Directors or with registered offices located at the same premises

Import of Pesticides

388. Any person importing pesticides under OGL or a licence, against payment or as free sample, or otherwise should inform the Plant Protection Adviser to the Government of India, Faridabad, giving the particulars of the import made. The proformae in which the intimation should be sent is given in Appendix-40

APPENDIX-1

IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) : ACT

Imports and Exports (Control) Act, 1947 as amended upto 30th April, 1979.

An Act to prohibit or control imports and exports.

Whereas it is expedient to prohibit, restrict or otherwise control imports and exports.

It is hereby enacted as follows :—

1. *Short title, extent, commencement and duration.*—(1) This Act may be called the Imports and Exports (Control) Act, 1947.

(2) It extends to the whole of India.

(3) It shall come into force on the 25th day of March, 1947.

2. *Definitions.*—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "adjudicating authority" means the authority specified in, or under, section 4K;

(b) "Appellate authority" means the authority referred to in section 4M;

(c) "Chief Controller" means the Chief Controller of Imports and Exports;

(d) "control order" means a control order made, or deemed to have been made, under this Act;

(e) "customs station" has the meaning assigned to it in the Customs Act, 1962;

(f) "Deputy Chief Controller" means a Deputy Chief Controller of Imports & Exports;

(g) "import" and "export" means, respectively, bringing into, and taking out of India by sea, land or air;

(h) "letter of authority" means a letter authorising the licensee to permit another person, named in the said letter, to import goods against the licence granted to the licensee;

(i) "licence" means a licence granted, and includes a customs clearance permit issued, under any control order;

(j) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(k) "recognised agency" means an agency to which the functions of distribution of imported goods have been assigned by the Chief Controller.

3. *Powers to prohibit or restrict imports and exports.*—(1) The Central Government may, by order published in the Official Gazette, make provisions for prohibiting, restricting or otherwise controlling in all cases or in specified classes of cases and subject to such exceptions, if any, as may be made by or under the order :—

(a) the import, export carriage coastwise or shipment as ships stores of goods of any specified description;

(b) the bringing into any port or place in India of goods of any specified description intended to be taken out of India without being removed from the ship or conveyance in which they are being carried.

(2) All goods to which any order under sub-section (1) applies shall be deemed to be goods of which the import or export has been prohibited under section 11 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), all the provisions of that Act shall have effect accordingly

(3) Notwithstanding anything contained in the aforesaid Act, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, prohibit, restrict or impose conditions on the clearance, whether for home consumption or for shipment abroad of any goods or class of goods imported into India.

(4) *Continuance of existing orders.*—All orders made under rule 84 of the Defence of India Rules, or that rule as continued in force by the Emergency Provisions (Continuance) Ordinance, 1946 (Continuance of Existing Orders, XX of 1946), and in force immediately before the commencement of this Act shall so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, continue in force and be deemed to have been made under this Act.

4A. *Fee for applications for, and issue or renewal of licences.*—The Central Government may by order levy, subject to such exceptions, if any, in respect of any person or class of persons as may be specified in the order, any fee in respect of any application or in respect of any licence granted or renewed under any order made or deemed to have been made under this Act.

4B. *Power to enter and inspect.*—Any person authorised in writing in this behalf by the Chief Controller or any officer serving under him, not being an officer below the rank of a Deputy Chief Controller (hereinafter in this Act called the "authorised person"), may enter, at any reasonable time any premises in which—

(i) any imported goods or materials which are liable to confiscation under this Act, or

(ii) any books of acccount or other documents or things which, in his opinion, will be useful for, or relevant to, any proceeding under this Act.

are suspected to have been kept or concealed and inspect such imported goods, materials, books of account, other documents or things and may take such notes or extracts from such books of account or other documents as he may think fit.

4C. *Power to search.*—If the authorised person has any reason to believe that—

(i) any imported goods or materials liable to confiscation under this Act, or

(ii) any books of account or other documents or things which, in his opinion, will be useful for, or relevant to any proceeding under this Act.

are secreted in any place, he may enter into and search such place or premises for such imported goods, materials, books of account, other documents or things.

4D. *Power to seize imported goods or materials.*—(1) If the authorised person has any reason to believe that any imported goods or materials are liable to confiscation under this Act, he may seize such goods or materials together with the package, covering or receptacle, if any, in which such goods or materials are found and where such goods or materials are found to have been mixed with any other goods or materials, he may seize such goods or materials together with the goods or materials with which they are so mixed:

Provided that where it is not practicable to seize any such goods or materials, the auhorised person may serve on the owner of the goods or materials an order that he shall not remove, part with or otherwise deal with, the goods or materials except with the previous permission of such authorised person.

(2) Where any goods or materials are seized under sub-section (1) and no action in respect thereof is given under

APPENDIX—1 (Contd.)

section 4L within six months of the seizure of the goods or materials the goods or materials shall be returned to the person from whose possession they were seized :

Provided that the aforesaid period of six months may, on sufficient cause being shown, be extended by the Chief Controller by a further period not exceeding six months.

(3) The authorised person may seize any documents or things which, in his opinion, will be useful for, or relevant to, any proceeding under this Act.

(4) The person from whose custody any documents are seized under sub-section (3) shall be entitled to make copies thereof or take extracts therefrom in the presence of the authorised person.

(5) If any person legally entitled to the documents or other things seized under sub-section (3) objects, for any reason, to the retention by the authorised person of the documents or things, he may make an application to the Central Government stating therein the reasons for such objection and requesting for the return of the documents or things.

(6) On receipt of an application under sub-section (5), the Central Government may after giving the applicant an opportunity of being heard, pass such order as it may think fit.

(7) Where any document—

(a) is produced or furnished by any person or has been seized from the custody or control of any person under this Act or any other law for the time being in force, or

(b) has been received from any place outside India (duly authenticated by such authority or person and in such manner as may be prescribed) in the course of the investigation of any offence alleged to have been committed by any person against this Act,

and such document is tendered in evidence against the person by whom it is produced or from whom it was seized or against such person and any other person who is jointly tried, or proceeded against, with him, the court, or as the case may be, the adjudicating authority shall notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force.—

(i) presume, unless the contrary is provided, that the signature and every other part of such document which purports to be in the handwriting of any particular person or which the court or the adjudicating authority may reasonably assume to have beensigned by, or to be in the handwriting of, any particular person, is under that person's handwriting, and in the case of a document executed or attested, it was executed or attested by the person by whom it purports to have been so executed or attested;

(ii) admit the document in evidence notwithstanding that it is not duly stamped, if such document is otherwise admissible in evidence.

4E. *Power to stop and seize conveyances.*—Any authorised person may, if he has any reason to suspect that any conveyance or animal is being or is about to be used for the transportation of any imported goods or materials which are liable to confiscation under this Act and that by such transportation any provision of this Act has been, is being, or is about to be contravened, at any time stop such conveyance or animal or, in the case of an aircraft, compel it to land, and

(a) rummage and search the conveyance or any part thereof,

(b) examine and search any goods or materials in the conveyance or on the animal,

(c) if it becomes necessary to stop any conveyance or animal, he may use all lawful means for stopping it and where such means fail, the conveyance or animal may be fired upon.

and where he is satisfied that it is necessary to do to prevent the contravention of any provision of this Act or of any control order or condition of any licence or letter of authority, he may seize such conveyance or animal.

Explanation.—Any reference in this section to a conveyance shall, unless the context otherwise requires, be construed as including a reference to an aircraft, vehicle or vessel.

4F. *Search and seizure to be made in accordance with the code of Criminal procedure,* 1973.—The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973, relating to searches and seizures shall, so far as may be, apply to every search or seizure made under this Act.

4G. *Confiscation.*—Any imported goods or materials in respect of which—

(a) any condition of the licence or letter of authority, under which they were imported, relating to the utilisation or distribution of such goods or materials, or

(b) any condition relating to the utilisation or distribution of such goods or materials subject to which they were received from, or through, a recognised agency, or

(c) any direction given under a control-order with regard to the sale of such goods or materials.

has been, is being, or is attempted to be, contravened, shall together with any package, covering or receptacle in which such goods are found, be liable to confiscation, and, where such goods or materials are so mixed with any other goods or materials that they cannot be readily separated such other goods or materials shall also be liable to confiscation :

Provided that where it is established to the satisfaction of the adjudicating authority that any goods or materials, which are liable to confiscation under this Act, had been imported for personal use, and not for any trade or industry, and that they belong to a person other than the person who has, by any act or omission, rendered them liable to confiscation, and such act or omission was without the knowledge or connivance of the person to whom they belong, such goods or materials shall not be ordered to be confiscated; but such other action as is authorised by this Act may be taken against the person who has by such act or omission, rendered such goods or materials liable to confiscation.

4H. *Confiscation of conveyance.*—Any conveyance or animal which has been, is being, or is attempted to be, used for the transport of any imported goods or materials which are liable to confiscation under this Act, shall be liable to confiscation unless the owner of the conveyance or animal proves that it was, is being, or is about to be so used without the knowledge or connivance of the owner himself, his agent, if any, and the person in charge of the conveyance or animal and that each of them had taken all reasonable precautions against such use :

Provided that in the case of a conveyance or animal used for the transport of goods of passengers for hire, the owner of the conveyance or animal shall be given an option to pay, in lieu of confiscation of the conveyance or animal, a fine not exceeding the value of the imported goods or materials which have been, are being, or attempted to be, transported by such conveyance.

4.I(1) *Liability to penalty.*—Any person who,—

(a) in relation to any goods or materials which have been imported under any licence or letter of authority, uses or utilises such goods or materials otherwise than in accordance with the conditions of such licence or letter of authority; or

(b) being a person to whom any imported goods or materials have been delivered by recognised agency, uses or utilises such goods or materials or causes them to be used or utilised, for any purpose other than the purpose for which they were delivered to him; or

(APPENDIX I—(Contd.)

(c) having made a declaration for the purpose of obtaining—

(i) a licence or letter of authority to import any goods or materials, or

(ii) any amendment of such licence or letter of authority, or

(iii) allotment of any imported goods or materials, is found to have made in such declaration, any statement which is incorrect or false in material particulars; or

(d) acquires, sells or otherwise parts with, or agrees to acquire, sell or otherwise part with, any imported goods or materials in contravention of the conditions of any licence or letter of authority in pursuance of which such goods or materials had been imported; or

(e) acquires, sells or otherwise parts with, or agrees to acquire, sell or otherwise part with, any imported goods or materials in contravention of the terms of any allotment made by any recognised agency; or

(f) contravenes any direction given under a control order with regard to the sale of goods or materials which have been imported under any licence or letter of authority or which have been received from, or through, a recognised agency.

shall be liable to a penalty not exceeding five times the value of the goods or materials, or one thousand rupees, whichever is more, whether or not such goods or materials have been confiscated or are available for confiscation.

Explanation.—For the purposes of this section, "value" has the meaning assigned to it in sub-section (1) of section 14 of the Customs Act, 1962.

(2) If any person abets the commission of any act or omission, which act or omission would render any person liable to a penalty under sub-section (1), or attempts to commit any act aforesaid, the person so abetting or attempting should be liable to a penalty not exceeding five times the value of the goods or materials in respect of which such abetment or attempt has been made, or one thousand rupees, whichever is more whether or not such goods have been confiscated or are available for confiscation.

(3) A penalty imposed under sub-section (1) or sub-section (2), may, if it is not paid, be recovered as an arrear of land revenue :

Provided that the adjudicating authority may, by order attach any money belonging to, or owed to, the person on whom any penalty has been imposed under sub-section (1) or sub-section (2), and such attachment shall be made in the same manner in which an attachment is made by a civil court.

4J. *Confiscation or penalty not to interfere with other punishments.*—No confiscation made or penalty imposed under this Act shall prevent the infliction of any other punishment to which the person affected thereby is liable under the provisions of this Act or under any other law for the time being in force.

4K. *Adjudication.*—Any confiscation may be adjudged or penalty may be imposed under this Act,—

(a) by the Chief Controller, or where he so directs, by a general or special order, by the Additional Chief Controller.

(b) subject to such limits as may be specified in this behalf, by such other officer not below the rank of a Deputy Chief Controller, as the Central Government may, by notification in the Official Gazette authorise in this behalf.

4L. *Giving of opportunity to the owner of goods, etc.*—No order of adjudicating of confiscation or imposing a penalty shall be made unless the owner of the goods, materials conveyance or animal, or other person concerned, is given a notice in writing—

(i) informing him of the grounds on which it is proposed to confiscate such goods, materials, conveyance or animal or to impose a penalty;

(ii) giving him a reasonable oportunity of making a representation in writing within such reasonable time as may be specified in the notice against the confiscation or imposition of penalty mentioned therein, and, if he so desires, of being heard in the matter.

4M. *Appeal.*—(1) Any person aggrieved by any decision or order made under this Act may prefer an appeal.—

(a) where the decision or order has been made by the Chief Controller or Additional Chief Controller, or the Central Government;

(b) where the decision or order has been made by any officer below the rank of the Additional Chief Controller, to the Chief Controller or where he so directs, or the Additional Chief Controller.

within a period of forty-five days from the date on which the order is served on such person:

Provided that the Appellate authority may, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal within the aforesaid period of forty-five days, allow such appeal to be preferred within a further period of forty-five days:

Provided further that in the case of an appeal against an order imposing a penalty, no such appeal shall be entertained unless the amount of the penalty has been deposited by the appeallant:

Provided also that, where the Appellate authority is of the opinion that the deposit to be made will cause undue hardship to the appellant, it may, at its discretion, dispense with such deposit either unconditionally or subject to such conditions as it may impose.

(2) The Appellate authority may, after giving to the appellants a reasonable opportunity of being heard, if he so desires, and after making such further inquiries, if any, as it may consider necessary, pass such orders as it thinks fit, confirming, modifying or reversing the decision or order appealed against, or any send back the case with such directions as it may think fit, for a fresh adjudication or decision as the case may be, after taking additional evidence, if necessary:

Provided that an order enhancing or imposing a penalty or confiscating goods or materials of a greater value shall not be made under this section unless the appellant has had an opportunity of making a representation, and if he so desires of being heard in his defence.

4N. *Powers of revision of the Chief Controller.*—The Chief Controller may on his own motion or otherwise call for and examine the records of any proceeding in which an order or adjudication or confiscation or imposing any penalty has been made by any officer subordinate to him and against which no appeal has been preferred, for the purpose of satisfying himself as to the correctness, legality or propriety of such order or decision and pass such orders thereon as he may think fit:

Provided that no decision or order shall be varied under this section so as to prejudically affect any person unless such person—

(a) has, within a period of two years from the date of such decision or order, received a notice to show cause why such decision or order shall not be varied, and

(b) has been given a reasonable opportunity of making representation and, if he so desires, of being heard, in his defence.

4O. *Power of adjudicating and other authorities.*—(1) Every authority making any adjudication or hearing any appeal or exercising any powers of revision under this Act shall have all the powers of a civil court under the Code of Civil Procedure 1908, while trying a suit, in respect of the following matters, namely :—

(a) summoning and enforcing the attendance of witnesses;

(APPENDIX I—(Contd.)

(b) requiring the discovery and production of any document;

(c) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;

(d) receiving evidence on affidavits; and

(e) issuing commissions for the examination of witnesses or documents.

(2) Every authority making any adjudication or hearing any appeal or exercising any powers or revision under this Act shall be deemed to be a civil court for the purposes of section 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

(3) Every authority making any adjudication or hearing any appeal or exercising any powers of revision under this Act shall have the power to make such orders of an interim nature as it may think fit and may also, for sufficient cause, order the stay of operation of any decision or order

4P. *Continuance of proceedings in the event of death or insolvency.*—(1) Where a penalty has been imposed by the adjudicating authority and—

(a) no appeal against the order imposing such penalty has been preferred to the Appellate authority and the person entitled to file such appeal dies or is adjudicated an insolvent before the expiry of the period within which the appeal can be preferred, or

(b) an appeal has been preferred to the Appellate authority against the order imposing such penalty but the appellant dies or is adjudicated an insolvent during the pendency of the appeal,

then, it shall be lawful, for the legal representatives of such person or the Official Assignee or the Official Receiver, as the case may be, to prefer an appeal to the Appellate authority, or, as the case may be, to continue the appeal before the Appellate authority, in place of such person and the provisions of section 4M shall, so far as may be, apply or continue to apply to such appeal.

(2) The powers of the Official Assignee or the Official Receiver under sub-section (1) shall be exercised by him subject to the provisions of the Presidence Towns Insolvency Act, 1909, or the Provisional Insolvency Act, 1920 as the case may be

5. *Penalty.*—If any person contravences or attempts to contravene, or abets a contravention of, any order made or deemed to have been made under this Act or any condition of a licence granted under any such order, or any authority under which imported goods were received from or through a recognised agency, he shall without prejudice to any confiscation or penalty to which he may be liable under the provisions of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) be punishable :—

(a) where the value of the goods, in relation to which such contravention or attempted contravention or abetment of contravention has been made, exceeds ten lakh rupees, with imprisonment for a term which may extend to seven years and also with fine, and

(b) in any other case, with the imprisonment for a term which may extend to three years and also with fine.

Provided that in the absence of special and adequate reasons to the contrary to be recorded in the judgment of the Court such imprisonment shall not be for less than six months.

5A. *Penalty for contravention of order made by adjudicating authority and Appellate authority.*—If any person fails to pay the penalty imposed by the adjudicating or the Appellate authority or fails to comply with any direction or order made, or deemed to have been made, under this Act, he shall, upon conviction by a court, be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine or with both

5B. *Correction of clerical or arithmetical mistakes.*—Clerical or arithmetical mistakes in any decision or order or errors arising therein from any accidental slip or omission may, at any time, be corrected by the authority by which the decision or order was made either on its own motion or on the application of the aggrieved person :

Provided that where any correction proposed to be made under this section will have the effect of prejudicially affecting any person, no such correction shall be made except after giving to that persons a reasonable opportunity of making a representation in the matter and no such correction shall be made after the expiry of a period of two years from the date on which such decision or order was made.

6. *Cognizance of offences.*—No Court shall take cognizance of any offence punishable under section 5 except upon complaint in writing made by an officer authorised in this behalf by the Central Government by general or special order, and no Court inferior to that of a Presidency Magistrate or a Magistrate of the First Class shall try any such offence.

7. No order made or deemed to have made under this Act shall be called in question in any Court, and no suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything on good faith done or intended to be done under this Act or any order made or deemed to have been made thereunder.

8. *Power to make rules.*—(1) The Central Government may by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :—

(a) the person by whom, and the manner in which, any document received from a place outside India shall be authenticated.

(b) any other matter which is required to be, or may be prescribed.

(3) Every rule made by the Central Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made before each House of Parliament, while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive session aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

APPENDIX 2

IMPORTS (CONTROL) ORDER, 1955

Government of India

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

Imports (Control) Order, 1955 (as amended upto 15th April, 1983)

New Delhi, the 7th December, 1955

No. 17/55.—In exercise of the powers conferred by section 3 and 4A of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947) as in force in India and as applied to the state of Pondicherry, the Central Government hereby makes the following Order, namely :—

ORDER

1. *Short title and Commencement*.—(1) This order may be called the Imports (Control) Order, 1955.

(2) It shall come into force at once.

2. *Definition*.—In this Order, unless the context otherwise requires,—

(a) 'the Act' means the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947);

(aa) application for 'licence' includes any application made under the Import Trade Control regulation;

(aaa) 'Chief Controller of Imports and Exports' includes Additional Chief Controller of Imports & Exports, Export Commissioner in the office of the Chief Controller of Imports and Exports, a Joint Chief Controller of Imports and Exports, a Deputy Chief Controller of Imports and Exports and a Deputy Iron and Steel Controller.

(aaaa) 'licence' includes a customs clearance permit issued under this Order;

(b) 'licence' means a person to whom a licence or a Customs clearance permit is granted under this Order;

(c) 'Licensing authority' means an authority competent to grant a licence or Customs clearance permit under this Order;

(d) 'Schedule' means a schedule to this Order;

(e) 'Value' has the same meaning as in sub-section (1) of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

3. *Restriction of Import of certain goods*.—(1) Save as otherwise provided in this Order, no person shall import any goods of the description specified in Schedule I, except under and in accordance, with a licence or a customs clearance permit granted by the Central Government or by any officer specified in Schedule II.

(2) If in any case, it is found that the goods imported under licence do not conform to the description given in the licence or were shipped prior to the date of issue of the licence under which they are claimed to have been imported then, without prejudice to any action that may be taken against the licensee under the Custom Act, 1962 (52 of 1962), in respect of the said importation the licence may be treated as having been utilised for importing the said goods.

(3) If, in any case, it is found that the goods imported under a licence do not conform in every respect—

(i) to the description or value of the goods as contained in the licence; or

(ii) to the other conditions relating to such goods, as contained in, or applicable to the licence.

the import of such goods shall be deemed to be prohibited.

3-A. In cases where the importer is unable to produce the licence which has already been granted to him at the time of arrival of goods, the proper officer of customs may at his discretion allow the importer to secure the clearance of goods on execution of a bond or letter of guarantee to the effect that he holds a valid licence in respect of the imported goods and shall produce the same within a period to be specified by the proper officer of customs, failing which he shall pay to proper officer of customs such amount as may be stipulated in the bond or letter of guarantee without prejudice to any action that may be taken against him under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) for unauthorised importation of the goods concerned.

4. *Fees on Application of Licences*.—(1) Every application for a licence shall be made to the appropriate licensing authority.

(2) A fee as indicated in Schedule III shall be paid in respect of every application in the manner provided in the said Schedule :

Provided that no fee shall be payable in respect of any application when made by—

(a) the Central Government, a State Government or any department or office of the Central Government or State Government;

(b) any local authority for the import of goods required for its own consumption;

(c) any educational, charitable or missionary institution for the import of goods required for its own consumption;

(d) an application for review of an order i.e. first appeal made on an application for a licence to the licensing authority who originally dealt with the case.

*The fee once received will not be refunded under any circumstances except—

(i) where the fee has been deposited in excess of the prescribed scale;

(ii) where the fee has been deposited but no application has been made;

(iii) where the fee has been deposited in error but the applicant is exempt from payment of licence-fee;

Note.—Fees paid in respect of Appeals made to the Chief Controller of Imports and Exports shall not be refunded under any circumstances.

5. *Conditions of Licences*.—(1) The licensing authority issuing a licence under this Order may issue the same subject to one or more of the conditions stated below :—

(i) that the goods covered by the licence shall not be disposed of except in the manner prescribed by the licensing authority or otherwise, dealt with without the written permission of the licensing authority or any person duly authorised by it;

(ii) that the goods covered by the licence on importation shall not be sold or distributed at a price exceeding that which may be specified in any direction attached to the licence;

(iii) that the applicant for a licence shall execute a bond for complying with the terms subject to which a licence may be granted.

APPENDIX 2—*Contd.*

(2) A licence granted under this Order shall also be subject to the conditions contained in Schedule V.

(3) It shall be deemed to be a condition of every such licence that :—

(i) no person shall transfer and no person acquire by transfer any licence issued by the licensing authority except under and in accordance with the written permission of the authority which granted the licence or of any other person empowered in this behalf by such authority.

(ii) that the goods for the import of which a licence is granted shall be the property of the licensee at the time of import and thereafter upto the time of clearance through Customs.

Provided that the conditions under items (i) and (ii) of this sub-clause shall not apply in relation to licences issued to the State Trading Corporation of India, the Minerals and Metals Trading Corporation of India and other similar institutions or agencies owned or controlled by the Central Government and which are entrusted with canalisation of imports.

Provided further that the conditions under items (i) and (ii) of this sub-clause shall also not apply in relation to (a) licences issued to eligible export house or trading houses for import of goods meant for disposal to actual users under the import policy for registered exporters, and (b) licences issued to Public Sector agencies owned or controlled by Government, Central or State for disposal of goods to Actual Users under the import policy in force.

(iii) the goods for the import of which a licence is granted shall be new goods, other than disposal goods unless otherwise stated in the licence

(4) A licence granted under this Order may contain such other conditions, not inconsistent with the Act or this Order, as the licensing authority may deem fit.

(5) The licensee shall comply with all conditions imposed or deemed to be imposed under this clause.

6. *Refusal of licence.*—(1) The Central Government or the Chief Controller of Imports and Exports may refuse to grant a licence or direct any other licensing authority not to grant a licence :—

(a) if no foreign exchange is available for the purpose;

(b) if the grant of a licence to an applicant is prejudicial to the interests of the State;

(c) if it has been decided to canalise imports and distribution thereof through special or specialised agencies or channels;

(d) if the applicant is a partner in a partnership firm, or a director of a Private Limited Company which is for the time being subject to any action under clause 8, 8A or 8B;

(dd) if the applicant is for the time being subject to any action under clause 8, 8A or 8B;

(e) if the applicant is a partnership firm or a Limited Company, any partner or whole time director or managing director whereof as the case may be, is for the time being subject to any action under clause 8, 8A or 8B;

(f) if any amount demanded from the applicant under the Customs Act, 1962 or any penalty imposed on him under the said Act has remained unpaid for a period of three months, and

(g) if applicant fails to pay any penalty finally imposed on him under the Act.

(2) The refusal of a licence under sub-clause (1) shall be without prejudice to any other action that may be taken in respect of an application by a licensing authority under the relevant import policy and procedure in force.

7. *Amendment of Licence.*—The licensing authority may, of its own motion or on application by the licensee amend any licence granted under this Order in such manner as may be necessary to make such licence conform to the provision of the Act or this Order or any other law for the time being in force or to rectify any errors or omissions in the licence; provided that the licensing authority may, on request by the licensee amend the licence in any manner consonent with the Import Trade Control Regulations.

8. *Power to debar from importing goods or from receiving licences or allotments of imported goods.*—(1) The Central Government or the Chief Controller of Imports & Exports may debar a licensee or importer or any other person from all or any of the following i.e. importing any goods or receiving licences or allotment of the imported goods through the State Trading Corporation of India, the Minerals and Metals Trading Corporation of India, or any other similar agency and direct, without prejudice to any other action that may be taken against him in this behalf, that no licence or allotment of imported goods shall be granted to him and he shall not be permitted to import any goods for a specified period under this Order :—

(a) if his application for licence is at any time found to be not in conformity with any provision of this Order; or

(b) if such application is found to contain any false, fraudulent or misleading statement; or

(c) if he is found to have used in support of his application any document which is false or fabricated or which has been tampered with; or

(d) if he has, on any occasion, tampered with an import licence or has imported goods without a licence or has been a party to any corrupt or fraudulent practice in his commercial dealing or in obtaining a licence, or is found to have solicited any licence by offering an inducement to the holder of the licence or otherwise; or

(e) if his agent or employee has been a party to any corrupt or fraudulent practice in obtaining any licence on his behalf; or

(f) if he fails to comply with or contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of any conditions embodied in, or accompanying, a licence or an application for a licence; or

(g) if he commits a breach of any law (including any rule, order or regulation) relating to customs or the import and export of goods or foreign exchange; or

(h) if he fails to produce any document or information that is called for by the Chief Controller of Imports and Exports or any other licensing authority; or

(i) if he fails to submit production returns regularly to the D.G.T.D. or any other sponsoring authority concerned; or

(j) if he fails to comply with the distribution control in respect of imported goods where such control is applicable.

(2) The Central Government or the Chief Controller of Imports & Exports may, by special order in writing :—

(a) debar—

(i) a person in respect of whom an order of detention has been made under the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) (hereinafter referred to as the 1974 Act); or

(ii) a partnership firm or a private limited company of which such person is a partner or full time director or managing director as the case may be, from importing goods or from receiving licences or allotment of imported goods through the State Trading Corporation of India, the Minerals & Metals Trading Corporation of India, or any other similar agency; and

(b) without prejudce to any other action that may be taken against such person, partnership firm or company, direct that no importation of goods shall be

APPENDIX 2—(*Contd.*)

permitted and no licence or allotment of goods shall be granted to such person, partnership firm or company, for such period as may be specified in such special order :

Provided that such special order shall cease to have effect in respect of such person, or as the case may be, partnership firm or company of which such person is a partner or a whole time director or managing director, when the order of detention made against such person—

(i) being an order of detention to which the provisions of section 9 or section 12A of the 1974-Act do not apply has been revoked on the report of the Advisory Board under section 8 of that Act or before a receipt of the report of the Advisory Board, or before making a reference to the Advisory Board; or

(ii) being an order of detention to which the provisions of section 9 of the 1974-Act apply has been revoked before the expiry of the time for, or on the basis of the review under sub-section (3) of section 9, or on the report of the Advisory Board under section 8, read with sub-section (2) of section 9, of that Act; or

(iii) being an order of detention to which the provisions of section 12A of the 1974-Act apply has been revoked before the expiry of the time for, or on the basis of, the first review under sub-section (3) of that section, or on the basis of the report of the Advisory Board under section 8, read with sub-section (6) of section 12A of that Act; or

(iv) has been set aside by a Court of competent jurisdiction.

(3) The Central Government or the Chief Controller of Imports and Exports may debar an importer or a licensee or any other person from importing any goods or from receiving licences or allotment of imported goods through the State Trading Corporation of India, the Minerals and Metals Trading Corporation of India, or any other similar agency and direct, without prejudice to any other action that may be taken against such person in his behalf, that no licence or allotment of imported goods shall be granted to such person and such person shall not be permitted to import any goods for a specified period under this Order if, in the opinion of the Central Government or the Chief Controller of Imports & Exports,

(a) such licensee importer or other person; or

(b) where such licensee importer or other person is a partnership firm or a limited company, any partner or whole time director or managing director thereof, as the case may be; or

(c) where such licensee, importer or other person is a partner in a partnership firm of a whole time director or managing director of a limited company, such partnership firm or limited company, as the case may be,

(i) has failed, without sufficient cause, to utilise or to utilise fully any import licence granted to such licensee, importer or other person or such partner or whole time director or managing director or such partnership firm or limited company, as the case may be; or

(ii) committed any act referred to in paragraph (i) of sub-clause (3) of clause 7 of the Exports (Control) Order, 1977.

8A. *Power to suspend importation of goods, grant of licences or allotments of imported goods.*—The Central Government of the Chief Controller of Imports may suspend the importation of goods by any person or grant of licences or allotment of imported goods through the State Trading Corporation of India, the Minerals and Metals Trading Corporation of India, or any other similar agency, to a licencee or importer or any other person pending investigations into one or more of the allegations mentioned in clause 8 without prejudice to any other action that may be taken against him in this behalf :

Provided that grant of a licence or allotment of imported goods, shall not ordinarily be suspended under this clause for a period exceeding twelve months :

Provided further that on the withdrawal of such suspension, a licence or allotment of imported goods may be granted to him for a period of suspension subject to such conditions, restrictions or limitations as may be decided by the authority aforesaid, keeping in view the foreign exchange position, indigenous production and other relevant factors.

8B. *Power to keep in abeyance applications for licences or allotments of imported goods.*—Where any investigation into any of the allegations mentioned in clause 8 is pending against a licensee or importer or any other person, and the Central Government or the Chief Controller of Imports and Exports is satisfied that without ascertaining further details in regard to such allegation, the grant of licence or allotment of imported goods will not be in the public interest, then notwithstanding anything contained in this Order, the Central Government or the Chief Controller of Imports and Exports may keep in abeyance any application for grant of licence from such person, or direct the State Trading Corporation of India, the Minerals and Metals Trading Corporation of India, or any other similar agency to keep in abeyance allotments of imported goods to such person, without assigning any reason and without prejudice to any other action that may be taken in this behalf :

Provided that the period for which the grant of such licence or allotment is kept in abeyance under this clause shall not ordinarily exceeds six months.

8C. *Publicity of action taken under clause 8 or 8A.*

(i) If the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient in the public interest to publish the name of any person or class of persons and other relevant particulars, against whom action under clause 8 or 8A is taken it may publish or cause to be published, the name of such person or class of such persons and such particulars in such maner it thinks fit.

(ii) No publication under sub-clause (i) shall be made in relation to any such action until the time of presenting an appeal, if any, to the appellate authority has expired without an appeal having been presented or, the appeal, if presented, has been disposed of.

Explanation.—In the case of a firm, company or other association of persons the names of the partners of the firm, directors, managing agents, secretaries and treasurers or managers of the company, or the members of the association, as the case may be, may also be published if in the opinion of the Central Government, the circumstances of the case justify it.

9. *Cancellation of licences* (1).—The Central Government or the Chief Controller of Imports and Exports or any other officer authorised in this behalf may cancel any licence granted under this Order or otherwise render it ineffective :

(a) if the licence has been granted through inadvertence or mistake or has been obtained by fraud or misrepresentation;

(b) if the licence has been granted contrary to rules or the provisions of this Order;

(c) if the licensee has committed a breach of any of the conditions of a licence ;

(d) if the Central Government or such officer is satisfied that the licence will not serve the purpose for which it has been granted;

(e) if the licensee has committed a breach of any law relating to customs or the rules and regulations relating to the imports or exports of goods or of any law relating to the regulations of foreign exchange,

APPENDIX 2—(contd.)

(2) The Central Government or the Chief Controller of Imports & Exports or any other officer authorised in this behalf may, by special order in writing, render ineffective any licence granted under this order to—

(a) a person, if an order of detention has been made under the 1974—Act in respect of such person, or

(b) a partnership firm or a private limited company of which such person is a partner or a full time director or managing director, as the case may be :

Provided that such special order shall cease to have effect in respect of such person, or, as the case may be, partnership firm or company of which such person is a partner or a whole time director or managing director when the order of detention made against such person,—

(i) being an order of detention to which the provisions of section 9 or Section 12A of the 1974—Act do not apply has been revoked on the report of Advisory Board under Section 8 of that Act or before a receipt of the report of the Advisory Board or before making a reference to the Advisory Board; or

(ii) being an order of detention to which the provisons of section 9 of the 1974—Act apply has been revoked before the expiry of the time for or on the basis of, the review under sub-section (3) of section 9, or on the report of the Advisory Board under section 8, read with sub-section (2) of section 9, of that Act; or

(iii) being an order of detention to which the provisions of secton 12A of the 1974 Act—apply has been revoked before the expiry of the time for or on the basis of, the first review under sub-section (3) of that section or on the basis of the report of the Advisory Board under section 8, read with sub-section (6) of section 12A, of that Act; or

(iv) has been set aside by a court of competent jurisdiction.

(3) The Central Government or the Chief Controller of Imports & Exports or any other officer authorised in this behalf may, by special order in writing render ineffective, or suspend the operation of, any licence granted under this Order, where proceedings of cancellation of such licence have been initiated under Sub-clause (1) so however, every such special order shall be revoked where a decision is taken to cancel the licence after the completion of such proceedings

10. *Opportunity of being heard to be given.*—(1) No action shall be taken under clause 7 or sub-clause (1) or sub-clause (3) of clause 8 or clause 8A or clause (1) of clause 9 against a licensee or an importer or any other person unless he has been given a reasonable opportunity of being heard.

(2) Where any person is aggrieved by any action taken under sub-clause (1) or sub-clause (3) of clause 8 or clause 8A or sub-clause (1) of clause 9 he may prefer an appeal against such action to such authority as the Central Government may, by notification in the official Gazette constitute for the purpose of hearing appeals, within forty-five days from the date of communication of the action taken.

(3) The authority referred to in sub-clause (2) may after giving to the appellant a reasonable opportunity of being heard, if he so desires, and after making such further inquiries if any, as it may consider necessary pass such orders as it thinks fit, confirming, modifying or reversing the action appealed against, or may send back the case with such directions as it may think fit, for a fresh proceedings or action, as the case may be after taking additional evidence, if necessary.

Provided that an order to increase the period for which an applicant is debarred under clause 8, shall not be made under this sub-clause unless he has had an opportunity of making a representations, and, if he so desires, of being heard in his defence.

10A. *Declaration as to value, quality etc. of imported good.*—On the importation into any customs ports of any goods whether liable to duty or not, the owner of such goods shall in the Bill of Entry or any other documents prescribed by rules, state the value, sort, quality and description of such goods to the best of his knowledge and belief and shall subscribe a declaration of the truth of such statement at the foot of such Bill of Entry or documents.

"10AA. *Declaration as to Importer Code umber 9*—

On the importation into any customs port of any goods, the importer shall, in the Bill of Entry or any other documents prescribed by Rules, state the 'Importer Code Number allotted to him by the licensing authority in accordance with the procedure prescribed by the Chief Controller of Imports & Exports, and shall subscribe a declaration of the truth of such statement at the foot of such Bill of Entry or documents. Where such importer is exempt from obtaining Importer Code Number, he shall cite the authority of the Chief Controller of Imports & Exports, granting him such exemption. (This clause shall come into force with effect from 1st July, 1982)".

10B. *Utilisation of imported goods.*—(1) No person shall use any imported goods received by him during allotment or distribution made by the State Trading Corporation of India or any other recognised agency in a manner and for the purpose, otherwise than as declared by him in his application for such allotment or distribution or in any document submitted by him in support of such application.

(2) Subject to the provisions of clause 10C, no person shall use or dispose of any goods imported by him against a licence on the strength of a letter of authority issued in his favour under the Import Trade Control Regulation except in accordance with the terms and conditions of such Letter of authority.

10C. *Power to make directions for the sale of imported goods in certain cases.*

(1) Where, on the importation of any goods or at any time thereafter, the Chief Controller of Imports and Exports is satisfied, after giving a reasonable opportunity to the licensee of being heard in the matter, that such goods cannot be utilised for the purpose for which they were imported he may by order, or direct the importer of the goods (in case the goods were imported under Open General Licence or Special General Licence) or the licensee or any other person, having possession or control of such goods to sell such goods to such person within such time, at such price and in such manner as may be specified in the directon.

(2) The price that may be specified under sub-clause shall be the aggregate of the landed cost of the goods clearing and transportation charges and such other incidental, charges incurred in relation to there as are considered reasonable in the circumstances of the case by the Chief Controller of Imports and Exports.

(2-A) Where goods are imported through the State Trading Corporation of India, the Minerals and Metals Trading Corporation of India or other similar institutions or agency owned or controlled by the Government or any other recognised agency, and such goods are allotted to any person, opportunity of being heard in the matter shall be given to such person also.

(3) The licensee or the person to whom any direction has been made under sub-clause (1) shall be bound to complete with such direction.

10D. *Prohibition, regarding making, signing, etc., of any declaration statement or documents* :—

(1) No person shall make sign or use or cause to be made signed or used any declaration statement or document in obtaining, a licence or in importing any

APPENDIX 8—(contd.)

goods knowing or having reason to believe that such declaration, statement or document is false in any material particular.

(2) No person shall employ any corrupt or fraudulent practice in obtaining any licence or in importing any goods.

10E. *Powers of revision of the Chief Controller/Addl. Chief Controller.*

The Chief Controller or Additional Chief Controller may on his own motion or otherwise call for and examine the records of any proceedings in which any action to debar under sub-clause (1) or sub-clause (3) of clause 8, or to cancel a licence under sub-clause (1) of clause 9, has been initiated or completed (whatever the result may be) of clause 9 has been taken by any officer subordinate to him and against which no appeal has been preferred for the purpose of satisfying himself as to the correctness, legality on propriety of such action and pass such orders thereon as he may think fit:

Provided that no action shall be varied under this sub-clause so as to prejudicially affect any person unless such person:

(i) has, within a period of two years from the date of such action received a notice to show cause why such action shall not be varied and

(ii) has been given a reasonable opportunity of making representation and if he so desires of being heard in his defence.

11. *Savings.*—(1) Nothing in this Order shall apply to the import of any goods:—

(a) By the Central Government or agencies/undertakings owned and controlled by the Central Government for Defence purposes.

(b) by the Central Government or any State Government, Statutory Corporation, public body or Government, Undertaking runs as a Joint Stock Company through the agency of the Purchase Organisations of the Minister of Supply *i.e.* India Supply Mission, London and India Supply Mission, Washington;

(c) by the Central Government, any State Government or any statutory corporation or public body or Government undertakings run as a Joint Stock Company, orders in respect of which are placed through the Directorate General, Supply and Disposals, New Delhi;

(d) by transhipment, or imported and bonded on arrival for re-export as ships stores or otherwise to any country outside India except Nepal, Tibet and Bhutan or imported and bonded on arrival for re-export as aforesaid but subsequently released for use of Diplomatic personnel, Consular Officers in India and the officials of the United Nations Organisation and its specialised agencies who are exempt from payment of duty under Ministry of Finance (D.R.) Notification No. 3 dated the 8th January, 1957 and United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947, respectively;

(dd) imported and bonded on arrival for sale at approved duty-free shops, whether to outgoing or incoming passengers, against payment in free foreign exchange;

(e) which are in transit through India by post or otherwise, or are redirected by post or otherwise to a destination outside India, except Nepal, Tibet and Bhutan provided that such goods while in India are always in the custody of the postal/customs authorities;

(f) for transmission across, India by air to Afghanistan or by land, to any other country outside India, except Nepal, Tibet and Bhutan under claim for exemption from duty or for refund of duty either in whole or in part, provided that such goods are imported by or on behalf of the Government of a country bordering on India or that the importer undertakes to produce within a specified period evidence that such goods have crossed the borders of India or in default to pay such penalty as the proper officer of suctoms may deem fit to impose on such goods and provided further that nothing therein contained entitles any goods to exemption from the Export Trade Control Regulations:

(g) by the person as passengers baggage to the extent admissible under the Baggage Rules for the time being in force except quinine falling under Heading number 29.01/45 of Schedule I exceeding five hundred tablets or ½ lb. powder or one hundred ampules;

Provided that in the cause of imports by a tourists, articles of high value whose re-export is obligatory under rule 7 of the Tourist Baggage Rules, 1978 shall be re-exported on his leaving India, failing which they shall be deemed to be goods of which the import has been prohibited under the Customs Act; 1962 (52 of 1962);

Provided further that where any goods are exempted under this sub-paragraph the exemption shall be subject to the condition that such goods shall not be sold, displayed, advertised or offered for sale or displayed in a shop, until (a) in the case of the fire arms, and TV sets, they have been used for a period not less than five years from the date of clearance by such persons or passenger or member of the crew or (b) in the case of other goods when market-price has depreciated to less than 50% of their market-price when new;

(gg) by any person through the post or otherwise for his personal use, or by any institution or hospital, for its own use except:

12.05/10 of Schedule 1, exceeding—one lb. in

(i) Vegetable seeds falling under Heading number weight.

(ii) Bees falling under Heading number 01.01 06 of Schedule I.

(iii) Tea falling under Heading number 09.01/01 of Schedule I.

(iv) Books, magazines journals and literature which are not allowed to be imported under the import policy for the time being in force.

(v) Goods, the import of which is canalised under the import policy in force.

(vi) Alcoholic beverages.

(vii) Fire arms & ammunition

(viii) Consumer electronic items (except hearing aids and life saving equipments, apparatus and appliances and parts thereof).

Provided that the c.i.f. value of goods imported as aforesaid at any one time shall not exced one thousand rupees.

NOTE :—The payment in respect of such goods other than those received as gift, will be remittable through authorised dealers in foreign exchange with the permission of the Reserve Bank of India.

(h) covered by an executive instruction issued by the Chief Controller of Imports and Exports to the customs authorities;

(i) by or on behalf of Diplomatic personnel, consular officers and Trade Commissioners in India who are exempt from payment of Customs duty under Notification 3 dated the 8th January, 1957 of the Government of India in the Ministry of Finance (Deptt. of Revenue);

(j) from any country, which are exempt from Customs duty on re-importation under Section 20 of the Customs Act, 1962 (52 of 1963) or Under Customs Notification Nos. 113 dated 16th May, 1957. 103

APPENDIX 2—(*contd.*)

dated 25th March, 1958, 260 and 261, dated 11th October, 1958, 269, 271, 273, 274, 275 and 276 dated 25th October, 1958, and 204 dated 2nd August, 1976, of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), or Notification No. 174, dated 24th September, 1966 as amended or Notification No. 103 dated 16th May, 1978 of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue & Insurance) or Notification No. 80 dated 29th August, 1970;

(k) of Indian manufacture and foreign made parts of such goods, exported and received back by the manufacturer(s) from the consignee for repair and re-export, provided that :—

(i) the Customs authorities are satisfied with the *bona fide* of the case, and

(ii) in the case of goods other than those exempt from customs duty on re-importation under Customs Notification No. 132 dated 9th December, 1961, a bond is executed by the importer with the Import Trade Control Authority at the export concerned to the effect that the goods thus imported will be re-exported after repair within six months;

(l) by officials of the United Nations Organisations and its specified agencies who are exempt from payment of Customs duty under the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947;

(m) being vehicles as defined in Article I of the Customs Convention on the Temporary Importation of Private Road Vehicles or the component parts thereof referred to in Article 4 of the said convention and are exempt from payment of customs duty under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 296 dated the 2nd August, 1976 as subsequently amended, by Notification No. 53-Cus dated the 1st May, 1977, provided that—

(i) such vehicles or component parts are re-exported within the period specified in the said notification or within such further period as the customs authorities may allow;

(ii) the provisions of the said notification or of the 'Triptyque' or Carnet-De-Passage' permit are not contravened in relation to such vehicles or component parts;

failing which the provisions of this Order shall apply to such vehicles or component parts and such vehicles or components shall be deemed to be goods the imports of which has been prohibited under the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

Provided that nothing in these exceptions shall prejudice the application to any goods of any other prohibition or regulation affecting the import of goods that may be in force at the time such goods are imported.

(n) covered by an import licence issued by His Majesty's Government of Nepal and the importer furnishes a bond to the proper officer of customs in the form prescribed by the proper officer of Customs with a Scheduled Bank as surety to the effect that he shall pay the duty and pay penalty imposed for contravening Import Trade Control restrictions in respect of the whole or any portion of the goods which is not provided to have entered the territory of Nepal

(o) of Indian manufacturer or otherwise by the Central Government or any State Government for repairs, and re-export to Indian Embassies abroad or to pay other office of the Central Government or State Government in a foreign country.

(2) Nothing in this Order shall apply to the import of foodgrains by Food Corporation of India, provided that at the time of clearance, a declaration to the effect that the import, in question has been approved by Central Government, is furnished by the importer to the Customs authorities.

(3) Nothing in this Order shall apply to the import of articles of free & edible material, which was supplied as free gift by agencies approved by the United Nations Organisations and which are exempt from payment of customs duty under the Ministry of Finance (Department of Revenue & Insurance) Notification No. GSR 766, dated 21st June 1975.

(4) Nothing in this order, except paragraph (iii) of Sub-clause (3) of clause 5, clause 8, clause 8A, clause 8C and clause 10C, shall apply to the import of any goods covered by Open General Licence or Special General Licence issued by the Central Government.

12. *Repeals.*—The orders contained in the notification specified in Schedule IV are hereby repealed :

Provided that any thing done or any action taken, including any appointment made or licence issued under any of the aforesaid Orders, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Order.

APPENDIX 2—contd.

***SCHEDULE* I**

(See Clause 3)

NOTE:—Each heading number in Column (1) corresponds to the respective Chapter and heading number of the first Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (21 of 1975) and each entry in Column (2) has the same scope and meaning as the corresponding Chapter and heading of the said first schedule.

Heading No.	Description of article
1	2
	SECTION I
	LIVE ANIMALS ; ANIMAL PRODUCTS
	CHAPTER 1
	Live Animals
01 ·01	Live hourses asses mules and hinnies.
01 ·02	Live animals of the bovine species
01 ·03	Live swine.
01 ·04	Live sheep and goats.
01 ·05	Live poultry that is to say, fowls, ducks, geese turkeys and guinea fowls.
01 ·06	Other live animals.
	CHAPTER 2
	Meat and edible meat oflals
02 ·01	Meat and edible offals of the animals falling within heading No. 01 ·01, 01 ·02, 01 ·03 or 01 ·04, fresh, chilled or frozen.
02 ·02	Dead poultry (that is to any, fowls, ducks, gees, turkeys and guinea fowls) and edible offals thereof (except liver), fresh chilled or frozen.
02 ·03	Poultry liver, fresh, chilled, frozen, salted or in-brine.
02 ·04	Other meat and edible meat offals, fresh, chilled or fozen.
02 ·05	Pig fat free on lean meat and poultry fat (not redndered or solvent-extracted), fresh, chilled, frozen, salted, inbrine, dreid or smoked.
02 ·06	Meat and edible meat offals (except poultry liver) salted, inbrine dried or smoked.
	CHAPTER 3
	Fish, crustaceans and molluscs
03 ·01	Fish, fresh (live or dead), chilled or frozen.
03 ·02	Fish, dried, salted or inbrine; smoked fish, whe-ther or not cooked before or during the smoking process.
03 ·03	Crustaceans and molluscs, whether in shell or not. fresh (live or dead), chilled, frozen salted, inbrine or dried; crustaceans, in shell, simply boiled in water.
	CHAPTER 4
	Dairy produce; birds' eggs; natural honey: edible products of animal origin, not elsewhere specified or included
04 ·01	Milk and cream, fresh not concentrated or sweetened.
04 ·02	Milk and cream, preserved, concentrated or sweetened.
04 ·03	Butter.
04 ·04	Cheese and curd.
04 ·05	Birds' eggs and egg yolks, fresh, dried or other-wise preserved, sweetened or not.
04 ·06	Natural honey.
04 ·07	Edible products of animal origin, not elsewhere specified or included.
	CHAPTER 5
	Products of animal origin not elsewhere specified or included
05 ·01	Human hair unworked, whether or not washed of secured waste of human hair.
05 ·02	Pigs', Hogs' and boars' bristles or hair; badger hair and other brush making hair; waste of such bristles and hair.
05 ·03	Horsehair and horsehair waste, whether or no put up on a layer or between two layers of othe material.
05 ·04	Guts, bladders and stomachs of animals (othe than fish), whole and pieces thereof.
05 ·05	Fish waste.
05 ·06	Sinews and tendons; parings and similar waste or raw hides or skins.
05 ·07	Skins and other parts of birds, with their feathers or down, feathers and parts of feather, Whether or not with trimmed edges) and down, not further worked than cleaned, disinfected or treated for preservation, powder and waste of feathers or parts of feathers.
05.08	Bones and horn-cores, unworked, defatted, sim-ply, prepared (but not cut to shape) treated with acid or degelatinised; powder and waste of these products.
05 ·09	Horns, antlers, hooves, nails, claws and beaks of animals, unworked or simply prepared but not cut to shape, and waste and powder of these products, whalebone and the like, unworked or simply prepared but not cut to shape, and hair and waste of these products.
05 ·10	Ivory, unworked or simply prepared but not cut to shape, powder and waste of ivory.
05 ·11	Tortoise shell (shells and scales), unworked or simply prepared but not cut to shape; claws and waste of tortoise-shell.
05 ·12	Coral and similar substances, unworked or sim-ply prepared but not otherwise worked; shells, un worked or simply prepared but not cut to shape; powder and waste of shells.
05 ·13	Natural sponges.
05 ·14	Ambergeris, castoreum, civet and musk: cantha-rides, bile, whether or not dried; animal products fresh, chilled or frozen, or otherwise provisionally preserved, of a kind used in the preparation of pharmaceutical products.
05 ·15	Animal products not elsewhere specified or in cluded; dead animals or Chapter 1 or Chapter 3, unfit for human consumption.
	SECTION II
	VEGETABLE PRODUCTS
	CHAPTER 6
	Live trees and other plants ; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage
06 ·01	Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant, in growth or in flower.
06 ·02	Other live plants, including trees, shrubs, bushes, roots, cuttings and slips.
06 ·03	Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared.

APPENDIX 2—*contd.*

SCHEDULE *I—contd.*

1	2
06.04	Foliage, branches and other parts (other than flowers or buds) of trees, shrubs, bushes and other plants, and mosses, lichens and grasses, beings goods of a kind suitable for bouquets or ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared.

CHAPTER 7

Edible vegetables and certain roots and tubers

1	2
07.01	Vegetable, fresh or chilled.
07.02	Vegetables (whether or not cooked), preserved by freezing.
07.03	Vegetables provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other preservative solutions, but not specially prepared for immediate consumption.
07.04	Dried dehydrated or evaporated vegetables, whole cut, sliced, broken or powder, but not further prepared.
07.05	Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split.
07.06	Manioc, arrowroot, salep, jerusalem artichokes sweet potatoes and other similar roots and tubers, with high starch or insulin content, fresh or dried, whole or sliced: sago pith.

CHAPTER 8

Edible fruit and nuts; peel of melons or citras fruit

1	2
08.01	Dates, bananas, coconuts, Brazil nuts, cashew nuts, pineapples, avocados, mangoes, guavas and mangosteens, fresh or dried, shelled or not.
08.02	Citrus fruit, fresh or dried.
08.03	Figs, fresh or dried.
08.04	Grapes, fresh or dried.
08.05	Nuts other than those falling within heading No. 08.01 fresh or dried, shelled or not.
08.06	Apples, pears and quinces, fresh.
08.07	Stone fruit, fresh.
08.08	Berries, fresh.
80.09	Other fruit, fresh.
80.10	Fruit (whether or not cooked), preserved by freezing, not containing added sugar.
08.11	Fruit provisionally preserved (for example by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption.

CHAPTER 9

Coffee, tea, mat and spices

1	2
09.01	Coffee, whether or not roasted or freed of caffeine; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion.
09.02	Tea.
09.03	Mat.
09.04	Pepper of the genues "Piper", pimento of the genus "Capsicum" or the genus "Pimenta".
09.05	Vanilla.
09.06	Cinnamon and cinnamon free flowers.
09.07	Cloves (whole fruit, clovers and stems).
09.08	Nutmeg, mace and cardamoms.
09.09	Seeds of anise, badian, fenne, coriander, cumin caraway and juniper.
09.10	Thyme, saffron and bay leaves; other spices.

CHAPTER 10

Cereals

1	2
10.01	Wheat and meslin (mixed wheat and rye).
10.02	Rye.
10.03	Barley.
10.04	Oats.
10.05	Maize.
10.06	Rice.
10.07	Buckwheat, millet, canary seed and grain sorglum; other cereals.

CHAPTER 11

Products of the milling industry; malt and starches; gluten; insulin

1	2
11.01	Cereal flours.
11.02	Cereal groats and cereal meals; other worked cereal grains (for example, rolled flaked, polished, pearled or kibbed, but not further prepared), except husked glazed, polished or broken rice; germ of cereals, whole, rolled flaked or ground.
11.03	Flour of the leguminous vegetables falling within heading No. 07.05.
11.04	Flours of the fruits falling within any heading in Chapter 8.
11.05	Flour, meal and flake of potato.
11.06	Flour and meal of sago and manioc, arrowroot, salep and other roots and tubers falling within heading No. 07.06.
11.07	Malt, roasted or not.
11.08	Starches; insulin.
11.09	Wheat gluten, whether or not dried.

CHAPTER 12

Oil seeds and oleaginous fruit; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial and medical plants; straw and fodder

1	2
12.01	Oil seeds and oleaginous fruits, whole or broken.
12.02	Flours or meals of oil seeds or oleaginous fruits, non-deffatted, (excluding mustard flour).
12.03	Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing.
12.04	Sugar beet, whole or sliced, fresh, dried or powdered sugar cane.
12.05	Chicory roots, fresh or dried, whole or cut in-roasted.

APPENDIX 2—*contd.*

SCHEDULE I—*contd.*

1	2
12·06	Hop cones and lupulin.
12·07	Plants and parts (including seeds and fruit) of trees, bushes, shrubs or other plants, being goods of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy, or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh or dried, whole, cut, crushed, ground or powdered.
12·08	Locust beans, fresh or dried, whether or not kibbled or ground, but not further prepared; fruit kernels and other vegetable products of a kind used primarily for human food, not falling within any other heading.
12·09	Cereal straw and husks, unprepared, or chopped but not otherwise prepared.
12·10	Mangolds, swedes, fodder roots, hay, lucerne, clover, sainfoin, forage kale, lupines vetches and similar forage products.

CHAPTER 13

Raw vegetable materials of a kind suitable for use in dyeing in tanninghlacs; gums, resins and other vegetable saps and extracts

13·01	Raw vegetable materials of a kind used primarily in dyeing or in tanning.
13·02	Shellac, seed lac, stick lac and other lacs; natural gums, resins, gum-resins and balsams.
13·03	Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, drived from vegetable products.

CHAPTER 14

Vegetable plaiting and carving materials; vegetable products not elsewhere specified of included

14·01	Vegetable materials of a kind, used primarily for plaiting (for example, cereal straw, cleaned, bleached or dyed, osier, reeds, rushes, rattans, bamboos, raffia and lime bark).
14·02	Vegetable materials, whether or not put up on a layer or between two layers of other materials, of a kind used primarily as stuffing or as padding (for example, kapok, vegetable hair and eel grass).
14·03	Vegetable materials of a kind used primarily in brushes or in brooms (for example, sorgho. plassava, couch-gras and istle), whether or not in bundles or hanks.
14·04	Hard seeds, pips, hulls and nuts, of a kind used for carving (for example, corozo and dom).
14·05	Vegetable products not elsewhere specified or included.

SECTION III

Animal and Vegetaale Fats and Oils and their cleavge. producstr prepared edible Fats, Animal and Vegetable Waxes

CHAPTER 15

Animal and vegetable fafs and oils and their cleavage products prepared edible fats: animal and vegetable waxes

	Lard, other pig fat and poultry fat, rendered or solvent-extracted.
15·02	Fats on bovine cattle, sheep or goats, unrendered; rendered or solvent-extracted fats (including "premier jus") obtained from those unrendered fats.
15·03	Lard steari, oleostearin and tallow stearin; land oil, oleo-oil and tallow oil, not emulsified or mixed or prepared in any way.
15·04	Fats and oils, of fish and marine mammals, whether or not refined.
15·05	Wool grease and fatty substances derived therefrom (including lanolin).
15·06	Other animal oils and fats (including neat's foot oil and fats from bones or waste).
15·07	Fixed vegetable oils, fluid or sold, crude, refined or purified.
15·08	Animal and vegetable oils, boiled, oxidised dehydrated, sulphurised, blown or polymersed by heat in vacuum or in inert gas, or otherwiss modified.
15·09	Degras.
15·10	Fatty acidsr acid oils from refining fatty alcohols.
15·11	Glycerol and glycerol lyes.
15·12	Animal or vegetable oils and fats, wholly or partly hydrogenated, or sodified or hardened by any other process, whether or not refined but not further prepared.
15·13	Margarine, imitation lard and other prepared edible fats.
15·14	Spermaceti, crude, pressed or refined, whether or not coloured.
15·15	Beeswax and other insect waxes, whether or not coloured.
15·16	Vegetable waxes, whether or not coloured.
15·17	Residues resulting form the treatment of fatty substances of animal or vegetable waxes.

SECTION IV

Prepared foodstuffs beverages spirits and vinegar; Tobacco

CHAPTER 16

Preparation of meat, of fish, of crustaceans or molluscs

16·01	Sausages and the like, of meat, meat offal or animal blood.
16·02	Other prepared or preserved meat or meat offal.
16·03	Meat extracts and meat juices; fish extracts.
16·04	Prepared or preserved fish, including caviar and caviar substitutes.
16·05	Crustaceans and molluscs, prepared or preserved.

APPENDIX 2—contd.

SCHEDULE I—contd.

1	2
	CHAPTER 17
	Sugars and sugar confectionery
17·01	Beet sugar and cane sugar, in solid form.
17·02	Other sugars: sugar syrups; artificial honey (whether or not mixed with natural honey); caramel.
17·03	Molasses, whether or not decolourised.
17·04	Sugar confectionery, not containing cocoa.
17·05	Flavoured or coloured sugars, syrups and molasses, but not including fruit juices containing added sugar in any proportion.
	CHAPTER 18
	Cocoa and cocoa preparations
18·01	Cocoa beans, whole or boken, raw or roasted.
18·02	Cocoa shells, husks, skins and waste.
18·03	Cocoa paste (in bulk or in block), whether or not defatted.
18·04	Cocoa butter (fat or oil).
18·05	Cocoa powder, unsweetened.
18·06	Chocolate and other food preparations containing cocoa.
	CHAPTER 19
	Preparation of cereals flour or starch ; pastrycooks products
19·01	Malt extract.
19·02	Preparation of flour, meal, starch or malt extract of a kind used as infant food or for dietiatic or culinary purposes, containing less than 50% by weight of cocoa.
19·03	Macaroni, spaghetti and similar products.
19·04	Tapioca and sago; tapioca and sago substitutes obtained from potato or other starches.
19·05	Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cerals of cereal products (puffed rice, corn flakes and similar products).
19·06	Communion wafers, empty cacthets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers rice paper and similar products.
19·07	Bread ship's biscuits and other ordinary baker's wares, not containing added sugar, honey, eggs, fats, cheese or fruit.
19·08	Pastry, biscuits, cakes and other fine baker's wares, whether or not containing cocoa in any proportion.
	CHAPTER 20
	Preparation of vegetables, fruits or other parts of plants
20·1	Vegetables and fruit, prepared or preserved by vinegar or acetic acid, with or without sugar, whether or not containing salt, spices, or mustard.
20·02	Vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar acetic acid.
20·03	Fruit preserved by freezing, containing added sugar.
20·04	Fruit, fruit-peal and parts of plants, preserved by sugar (drained, glace or crystallised).
20·05	Jams, fruit jellies, marmalades, fruit puree' and fruit pastes, being cooked preparations, whether or not containing added sugar.
20·06	Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, whether or not containing added sugar, but unfermented and not containing spirit.
	CHAPTER 21
	Miscellaneous edible preparations
21·01	Rosted chicory and other roasted coffee substitutes, extracts, essences and concenrates thereof.
21·02	Extracts, essences or concentrates, of coffee, tea or mate; preparations with a basis of those extracts, essences or concentrates.
21·03	Mustard flour and prepared mustard.
21·04	Sauces; mixed condiments and mixed seasonings.
21·05	Soups and broths, in liquid, solid or powder form; homogenised composite food preparations.
21·06	Natural yeasts (active or inactive); prepared baking powders.
21·07	Food preparations not elsewhere specified or included.
	CHAPTER 22
	Beverages, spirit and vinegar
22·01	Waters, including spa waters and aerated waters, ice and snow.
22·02	Lemonade, flavoured spa waters and flavoured aerated waters, and other non-alcoholic beverages, not including fruit and vegetable juices falling within heading No. 20·07.
22·03	Beer made from malt.
22·04	Grape must, in fermentation or with fermentation arrested otherwise by the addition of alcohol.
22·05	Wine of fresh grapes; grapes must with fermentation arrested by the addition of alcohol.
22·06	Vermouths, and other wines of fresh grapes flavoured with aromatic extracts.
22 07	Other fermented beverages (for example, cider, perry and mead).
22·08	Ethyl alcohol or neutral spirit, undenatured, of a strength of 80° or bigger; denatured spirits (including ethyl alcohol and neutral spirits) of any strength.
22.09	Spirits (other than those heading No. 22·08); liquors and other sprituous beverages; compound alcoholic preparations (known as "concentrated extracts") for the manufacture of beverages.
22·10	Vinegar and substitutes for vinegar.
	CHAPTER 23
	Residues and waste from the food industries , prepared animal fodder
23·01	Flours and meals, of meta, offals, fish, crustaceans or mollases, unfit for human consumption greaves

APPENDIX 1—contd.

SCHEDULE 1—contd.

1	2
23·02	Bran, sharps and other residues derived from the shifting, milling or working of cereals or of legiminous vegetables.
23·03	Beet pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture; brewing and distilling durg and waste; residues of starch manufacture and similar residues.
23·04	Oil-cake and other residues (except drugs) resulting from the extraction of vegetables oils.
23·05	Wine lees; argol.
23·06	Products of vegetables origin of a kind used for animal food, not elsewhere specified or included.
23·07	Sweetened forage; other preparation of a kind used in animal feeding.

CHAPTER 24

Tobacco

24 01	Unmanufactured tobacco; tobacco refuse.
24·02	Manufactured tobacco; tobacco extracts and essences

SECTION V

Mineral Products

CHAPTER 25

Salt; sulphur; earths and stone: plastering materials, lime and cement

25·01	Common salt (including rock salt, sea salt and table salt) ; pure sodium cloride; salt liquors sea water.
25·02	Unroasted iron pyrites.
25·03	Sulphur of all kinds, other than sublimed sulphur, precipitated sulphur and colloidal sulphur.
25·04	Natural graphite.
25·05	Natural sands of all kinds, whether or not coloured. other than metal-bearing sands falling within heading No. 26·01.
25·06	Quartz (other than natural sands); quartizite, including quartzite not further worked than roughly split, roughly squared or squared by sawing.
25·07	Clay (for example, kaolin and bentonite), an dalusite, kyantie and sillimanite, whether or not calcined, but not including expanded clays falling wihtin heading No. 68·07; mallite; chamotte and dinas earths.
25·08	Chalk.
25·09	Earth colours, whether or not calcined or mixed together; natural micaceous iron oxides.
25·10	Natural calcium phosphates, natural aluminium calcium phosphates, apatite and phosphatic chalk.
25·11	Natural barium sulphate (barytes) ; natural barium carbonate (witherite) whether or not calcined, other than barium oxide.
25·12	Siliceous fossil meals and simiar siliceous earths (for example, kileselguhr, tripolite or diatonite), whether or not calcined, of an apparent specific gravity of 1 or less.

1	2
25·13	Pumice stone ; energy; natural corundum, natural garnet and other natural abrasives, whether or not heat-treated.
25·14	Slate, including slate not further worked than roughly split, roughly squared or squared by sawing.
25·15	Marble, travertine, evaussine and other calcareous monumental and building stone of an apparent specific gravity of 2·5 or more and alabaster, including such stone not further worked than roughly split, roughly squared or squared by sawing.
25·16	Granite, porphyryl, basalt, sandstone and other monumental and building stone, including such, stone not further worked than roughly split, roughly squared or squared by sawing.
25·17	Pebbles and crushed or broken stone (whether or not heat-treated), gavel, macadam and tarred macadam, of a kind commonly used for concrete aggregates, for and metalling or for railway or other ballast ; flint and shingle, whether or not heat-treated; granules and chipping (whether or not heat-treated) and powder of stones falling within headng No. 25·15 or 25·16
25·18	Dolomite, whether or not calcined, including dolomite not further worked than roughly split roughly squared or squared by sawing; agglo merated dolomite (including tarred dolomite)
25·19	Natural magnesium carbonate (magnesite) whether or not calcined, other than magnesium oxide.
25·20	Gypsum; anhydrite; calcined gypsum, and plasters with basis of calcium sulphate, whether or not coloured, but not including plasters specially prepared for use in dentistry.
25·21	Limestone flux and calcareous stone, commonly used for the manufacture of lime or cement.
25·22	Quicklime, slacked lime and hydraulic lime, other than calcium oxides and hyroxide.
25·23	Portland cement, cement fondu, slag cement super-sulphate cement and similar hydraulic cement, whether or not coloured or in the form of clinker
25·24	Asbestos.
25·25	Meerschaum (whether or not in polished pieces) and amber; agglomerated meerschaum and agglomerated amber, in plates, rods, sticks or similar forms, not worked after moulding; jet.
25·26	Mica, including splittings; mica waste.
25·27	Natural steatite, including natural streatite not further worked than roughly split, roughly squared or squared by sawing talc.
25·28	Natural cryolite and natural chiollite.
25·29	Natural arsenic sulphides
25·30	Crude natural borates and concentrates thereof (calcined or not), but not including borates separated from natural brine; crude natural boric acid containing not more than 85% of H3BO3 calculated on the dry weight.
25·31	Felspar, leucite, nepheline and nepheline syenite; fluorspar.
25·32	Strontianite (whether or not calcined), other than storntium oxide ; mineral substances not elsewhere specified or included; broken potters

APPENDIX 2—*contd.*

SCHEDULE 1—*contd.*

1	2
	CHAPTER 26
	Metallic ores, slag and ash
26·01	Metallic ores and concentrates and roasted iron pyrites.
26·02	Slag, dross, scalings and similar waste from the manufacture of iron or steel.
26·03	Ash and residues (other than from the manufacture or iron or steel), containing metals or metallic compounds.
26·04	Other slag and ash, including kelp.
	CHAPTER 27
	Minerals fules, mineral oils and products of their distillation ; bituminous substances, mineral waxes
27·01	Coal: briquettes, ovoids and similar and solid fuel manufactured from coal.
27·02	Lignite, whether or not agllomerated.
27·03	Peat (including peat litter), whether or not agglomerated.
27·04	Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat.
27·05	Retort carbon.
27·06	Coal gas, water gas, producer gas and similar gases (Optional heading).
27·07	Tar distilled from coal, from lignite or from peat, and other mineral tars, including partially distilled tars and blends of pitch with creosote oils or with other coal tar distillation products.
27·08	Oils and other proucts of the distillation of high temperature coal tar; similar products as defined in Note 2 to this Chapter.
27·09	Pitch and pitch coke, obtained from coal tar or from other mineral tars.
27·10	Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude.
27·11	Petroleum oils and oils obtained from bitumenous minerals, other than crude: preparations not elsewhere specified or included, containing not less than 7% by weight of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constitutents of the preparations.
27·12	Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons.
27·13	Petroleum jelly
27·14	Parafin wax, micro-crystalline wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, and other mineral waxes, whether or not coloured.
27·15	Petroleum bitumen, petroleum coke and othe residues of petroleum oils or of oils abtaine from bituminous minerals.
27·16	Bitumen and asphalt, natural; bituminous shale, asphaltic rock and tar sands.
27·17	Bitiminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch (for example, bituminous mastics, cut-backs.)
27·18	Electric current (optional heading).

1	2
	SECTION VI
	Products of the Chemical and Allied Industries
	CHAPTER 28
	Inorganic chemicals; organic and inorganic compounds of precious metals, of rare earth matels, of radio-active elements and of isotopes
	I—*Chemical Elements*
28·01	Halogens (fluorine, Chlorine, bromine and iodine).
28·02	Sulphur, supplied or precipitated; colloidal sulphur.
28·03	Carbon (including carbon black).
28·04	Hydrogen, rare gases and other non-metals.
28·05	Alkali and alkaline-earth metals; rare earth metals vitrium and scendium and inter-mixtures or interalloys thereof; mercury.
	II—*Inorganic Acids and Oxygen compounds, on non-metals*
28·06	Hydrochloric acid and chlorosuphuric acid.
28·07	Sulphur dioxide.
28·08	Sulphuric acid; oleum.
28·09	Nitric acid;sulphonitric acids.
28·10	Phosphorus pentoxide and phosphoric acids (mataortho and pyro).
28·11	Arsenic trioxide, arsenic pentoxide and acids of arsenic.
28·12	Boric oxide and boric acid.
28·13	Other inorganic acids and oxygen compounds of non-metals (excluding water).
	III—*Halogen and sulphur compounds of non-metals*
28·14	Halides, oxyhalides and other halogen compounds of non-metals.
28·15	Sulphides of non-metals; phosphorus trisulphide.
	IV—*Inorganic Bases and Metallic Oxides. Hydroxides and Peroxides*
28·16	Amonia, anhydrous or in aqueous solution.
28·17	Sodium hydroxide (caustic soda), potassium hydroxide (caustic potash); peroxides of sodium or potassium.
28·18	Oxides, hydroxides and proxides of strontium barium or magnesium.
28·19	Zinc oxide and zinc peroxide.
28·20	Aluminium oxide and hydroxide; artificial Corrumdum.
28·21	Chromium oxides an hydroxides.
28·22	Manganese oxides.
28·23	Iron oxides and hyroxides; earth colours containing 70% or more by weight of Combined iron evaluated as Fe 203.
28·24	Cobalt oxides and hyroxides.
28·25	Titanium oxides.
28·26	Tin oxides (stannous oxide and stannic oxide).
28·27	Land oxides; red lead and orange lead.

APPENDIX 2—*contd*

SCHEDULE 1—*contd.*

1	2
28·28	Hydrazine and hydroxylamine and their in organic salts; other inorganic bases and Matalli-oxides, hydroxides and peroxids.
	V—*Metallic Salts and Peroxysalts of Inorganic Acids*
28·29	Fluorides; fluorosilicates, fluoroborates and other complex fluorine salts.
28·30	Chlorides and oxychlorides.
28·31	Chlorides and hypochlorides.
28·32	Chlorates and perchlorates.
28·33	Bromides, oxbromides, bromates and per-bromates, and hypobromites.
28·34	Iodides, oxyiodides, Iodates and periodates.
28·35	Sulphdies; polysulphides.
28·36	Dithionites, including those stabilised with organic substances; sulph oxylates.
28·37	Sulphites and thiosulphates.
28·38	Sulphates (including Salums) and persulphate
28·39	Nitrites and nitrates.
28·40	Phosphites, hypophosphites and phosphates.
28·41	Arsenites and arsenates.
28·42	Carbonates and percarbonates; commercial ammonium carbonate containing ammonium carbonate.
28·43	Cyanides and complex cyanides.
28·44	Fulminates, cyanates and thiocyanates, silicates commercial sodium and potassium silicates.
28·45	Silicates, commercial sodium and potassium; silicates.
28·46	Borates and perborates.
28·47	Salts of metallic acids (for example, chromates, permagnates, stannates).
28·48	Other salts and peroxysalts of inorganic acids, but not including azides.
	VI—*Miscellaneous*
28·49	Colloidal precious metals; amalgams of precious metals; salts and other compounds, inorganic or organic, of precious metals, including albuminates, proteinates, tennates and similarly compounds, whether or not chemically defined.
28·50	Fissile chemical elements and isotopes; other radioactive chemical elements and radioactive isotopes; compounds, inorganic or organic, or such elements or isotopes, whether or not chemically defined; alloys dispersions and cermets, containing any of these elements, isotopes or compounds.
28·51	Isotopes and their compounds, inorganic or organic whether or not chemically defined, other than isotopes and compounds falling within heading No. 28·50.
28·52	Compounds, in organic or organic of thorium of uranium depleted in U235, of rare earth, metals of yitrium or of scandium, whether or not mixed together.
28·53	Liquid air (whether or not rare gases have been removed); compressed air.
28·54	Hydrogen Peroxide (including solid hydrogen perioxide).
28·55	Phosphides.
28·56	Carbides (for example, silicon carbide, boron carbide, metal carbides).
28·57	Hydrides, nitrides and azides, silicides and borides.
28·58	Other inorganic compounds (incinding distilled and conductivity water and water of similar purity); amalgams, except amalgams of precious metals.
	CHAPTER—29
	Organic Chemicals
	I—*Hydrocarbons and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.*
29·01	Hydrocarbons.
29·02	Halogenated derivatives of hydrocarbons.
29·03	Sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of hydrocarbons.
	II—*Alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives*
29·04	Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.
29·05	Cyclic alcohols and their halogenated sulphated or nitrosted derivatives.
	III—*Phenols, Phenol—Alcohols, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives*
29·06	Phenols and phenol-alcohols.
29·07	Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of phenols or phenol-alcohols.
	IV—*Ethers alcohol peroxid, Ether peroxides, Epiexides with and three or four, Members ring Acetals and (Hemiacetals and their Aelgenated snipptenated, Nitrated Nitrosated Derrivatives)*
29·08	Ethers, ether-alcohols, ether-phenols, ether-alcohol-phenols, alcohol perosides and other peroxides, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.
29·09	Epoxides, apoxyalcohols, epoxyphenols and epoxyethers, with a three or four member ring and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.
29·10	Acetals and hemacetals and single or complex oxygen-function acetals and hemacetals, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.
	V—*Aldehyde Function Compounds.*
29·11	Aldehydes, aldehyde-alcohols, aldehyde-ethers aldehyde-phenols and other single or complex oxygen-function aldehydes; cyclic polymers of aldehydes ; praformaldehyde.
29·12	Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of products falling within heading No. 29·11.
	VI—*Ketone function compounds and quinones Function compounds*
29·13	Ketones, ketone-alcohols, ketone-phenols, ketone-aldehydes, quinones, quinone-alcohols, quinone-phenols, quinone-aldehydes and other single or complex oxygen-function ketones and quinones, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.

APPENDIX 2—*contd*

SCHEDULE 1—*contd.*

1	2
VII—*Carboxylic acids, and their anhydrides, halides, peroxides and peracids and their halgenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.*	
29·14	Monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and paracids and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.
29·15	Polycarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peracids, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.
29·16	Carboxylic acids with alochol, phenol, alhyde or ketone function and other single or complex oxygen-function carboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peracids, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.
VIII—*Inorganic esters and their salts, and their halogenated, sulphonated nitrated or nitrosated derivatives.*	
29·17	Sulphuric esters and their salts, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.
29·18	Nitrous and nitric esters, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.
29·19	Phosphoric esters and their salts, including lactophosphates and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.
29·20	Carbonic esters and their salts' and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.
29·21	Other esters of mineral acids (excluding hallides) and their salts, and their halogenated sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.
IX—*Nitrogen-function compounds*	
29·22	Amine-function compounds·
29·23	Single or complex oxygen-function amino-compounds.
29·24	Quanternary ammonium salts and hydroxides; lecithins and other phosphoaminolipins.
29·25	Carboxyamide-function compounds, amide-function compounds of carbonic acid.
29·26	Carboxamide-function compounds (including orthobenzoiesulphimide and its salts) and imine-function compounds (including hexamethylenetetramine and trimethylenetrinitramine).
29·27	Nitrile-function compounds.
29·28	Diazo-a-zo and azoxy-compounds.
29·29	Organic derivatives of hydrozine or of hydroxylamine.
29·30	Compounds with other nitrogen-functions.
X—*Organo-inorganic bicompounds and meterocyclly Com pounds.*	
29·31	Organo-sulphur compounds.
29·32	Organo-arsenic compounds.
29·33	Organo-mercury compounds.
29·34	Other organo-inorganic compounds.
29·35	Heterocyclic compounds; nuclaic acids.
29·36	Sulphonamides.
XI—*Provitamins, fitamins, harmones and enzymes, natural or reproduced by synthesis.*	
29·38	Provitamins and vitamins, natural or reproduced by synthesis (including natural concentrates), derivatives thereof used primarily as vitamins, and intermixtures of the foregoing whether or not in any solvent.
29·39	Hormones, natural or reproduced by synthesis derivatives thereof, used primarily as hormones.
29·40	Enzymes.
XII—*Glycosides and vegeables alkoloids, natural or reproduced by synthesis, and their salts, other esters and other derivaties.*	
29·41	Glycosides, natural or reproduced by synthesis, and their salts, ethers, esters and other derivatives.
29·42	Vegetable alkoids, natural or reproduced synthesis, and their salts, other esters, other derivatives.
XIII—*Other organic compounds*	
29·43	Sugars, chemically pure, other than sucrose glucose and lactose; sugar ethers and sugar esters, and their salts, other than product of heading Nos. 29·39·29·41 and 29·42.
29·44	Antibiotics.
29·45	Other organic compounds.
CHAPTER 30	
Pharmaceutical Products	
30·01	Organo-therapeutic glands or other organs, dried whether or not powdered; organo-therapeutic extracts of glands or other organs or of their secretions; other animal substance prepared for therapeutic or prophylactic uses, not elsewhere specified or included.
30·02	Antisers; microbial vaccines, toxins, microbial cultures (including ferments but excluding yeats) and similar products.
30·03	Medicament (including veterinary medicaments).
30·04	Wadding, gauze, bandages and similar articles (for example, dressings, adhesive plasters, poultics), impregnated or coated with pharmaceutical substances or put up in retail packing for medical or surgical purposes other than goods specified in Note 3 to this Chapter.
30·05	Other pharmaceutical goods.
CHAPTER 31	
Fertilizers	
31·01	Guano and other natural animal or vegetable fertilizers, whether or not mixed together, but not chemically treated.
31·02	Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous.
31·03	Mineral or chemical fertilisers, phosphatic.
31·04	Mineral or chemical fertilisers, potassic.
31·05	Other fertilisers; goods of the present chapter in tablets lozanges and similar prepared forms or in packings of a gross weight not exceeding 10 kg.

APPENDIX 2—*contd.*

SCHEDULE 1—*contd.*

1	2
	CHAPTER 32
	Tanning and dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, colours, paints and varnishes; putty, fillers and stoppings; inks
32·01	Tanning extracts of vegetable origin and other derivatives.
32·02	Tannins (tannisc acids), including water-extract ed gul-nut tanning, and their salts, ethers, ester and other derivatives.
32·03	Synthetic organic tanning substances, and inorganic tanning substances; tanning preparations, whether or not containing natural tanning materials; enxymatic preparations for pertaining (for example, of enzymatic, pan creatic, or bacterial origin).
32·04	Colouring matter of vegetable origin (including dyewood extra and other vegetable dyeing extracts but excluding indigo) or of animal origin.
32·05	Synthetic organic dyestuffs (including pigment dyestuffs), synthetic organic products of a kind used as luminophores; products of the kind known as optical bleaching agents, substantive to the fibre; natural indigo.
32·06	Colour lakes.
32·07	Other colouring matter; inorganic products of a kind used as luminophores.
32·08	Prepared pigments, prepared opacifiers and prepared colours vitrifiable enamels and glazes liquid lustres and similar products, of the kind used in the ceramic enamelling and glass industries; engobles (slips); glass frit and other glass in the form of powder, granules or flakes.
32·09	Varnishes and lacquers; distempers; prepared water pigments of the kind used for finishing other' paints and enamels; pigments in linseed oil, white spirits, of turpentine varnish or other paints or enamel media; stamping foils; dyes or other colouring matter in forms or packings of a kind sold by retail.
32·10	Artists' students' and signboard painters' colours, modifying tints, amusement colours and the like, in tablets, tubes jars, bottles pan or in similar forms or packings, including such colours in sets or outfits, with or without burshes, palettes or other accessories.
32·11	Prepared driers.
32·12	Glaziers' putty; grafting putty; painters' fillings non-refractory surfacing preparations; stopping sealing and similar mastics, including resin-mastics and cements.
32·13	Writing ink, printing ink and other inks.
	CHAPTER 33
	Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetics and toilet preparations
33·01	Essential oils (terpeneless or not); concretes and absolutes; resinoids.
33·02	Terpenic by-products of the deterpenation of essential oils.
33·03	Concentrates of essential oils in flats, in fixed oils, or in waxes or the like, obtained by cold absorption or by maceration.
33.04	Mixtures of two or more odoriferous substance (natural or artificial) and mixtures (including alcoholic solutions) with a basis of one or more of these substances, of a kind used as raw materials in the perfumery, food drink or other industries.
33·05	Aqueous distillates and aqueous solutions of essential oils, including such products suitable for medicinal uses.
33·06	Perfumery, cosmetics and toilet preparations.
	CHAPTER 34
	Soap organic surface-active agents, washing preparations lubricating preparations, artificial waxes, prepared waxes polishing and scouring preparations, candles and similar articles, modelling pastes and dental, waxes.
34·01	Soap; organic surface-active products and preparations for use as soap, in the form of bars, cakes or moulded pieces or shapes, whether or not combined with soap.
34·02	Organic, surface-active agents; surface-activ preparations and washing preparations, whethe or not containing soap.
34·03	Lubricating preparations and preparations of a kind used for oil or grease treatment of textiles, leather or other materials but not including preparations containing 70% or more by weight of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals.
34·04	Artificial axes (including water-soluble waxes); prepared waxes, not emulsified or containing solvents.
34·05	Polishes and creams, for footwear, furniture or floors, metal polishes, scouring powders and similar preparations, but excluding prepared waxes, falling within heading No. 43·04.
34·06	Candles, tapers, night-lights and the like.
34·07	Modelling pastes (including those put up for children's amusement and assorted modelling pastes); preparation of kind known as "dental wax" or as "dental impression compounds" in plates, horseshoe shapes, sticks and similar forms.
	CHAPTER 35
	Albuminoidal substances; glues
35·01	Casein, Caseinates and other casein derivatives; casein glues.
35·02	Albumins, albuminates and other albumin derivatives.
35·03	Gelatin (including gelatin in rectangles, whether or not coloured or surface-worked) and gelatin derivatives; glues derived from bones, hides, nerves tendons or from similar products, and fish glues; isinglass.
35·04	Peptones and other protein substances and their derivatives, hide powder, whether or not chromed.
35·05	Dextrins and dextrin glues; soluble or roasted starches; starch glues.
35·06	Prepared glues not elsewhere specified or included, products suitable for use as glues put up for sale by retail as glues in packages not exceeding net weight of 1 kg.

APPENDIX 2—Contd.

SCHEDULE 1—Contd.

1	2
	CHAPTER 36
	Explosives; pyrotechnic products; matches; pyrophoric alloys; certain combustible preparations
36·01	Propellent powders.
36·02	Prepared explosives, other than propellent powders.
36·03	Mining, blasting and safety fuses.
36·04	Percussion and detonating caps; igniters; detonators.
36·05	Pyrotechnic articles (for example, fireworks, railway for signals, amorces, rain rockets).
36·06	Matches (excluding bengal matches).
36·07	Ferro-cerium and other pyrophoric alloys in all forms.
36·08	Other combustible preparations and products.
	CHAPTER 37
	Photographic and Cinematographic Goods
37·01	Photographic plates and film in the flat, sensitised unexposed, of any material other than paper, paperboard or cloth.
37·02	Film in rolls, sensitised, unexposed, perforated or not.
37·03	Sensitised paper, paperboard and cloth, unexposed or exposed but not developed.
37·04	Sensitised plates and film, exposed but not developed, negative or positive.
37·05	Plates unperforated film and perforated film (other than cinematograph film), exposed and developed, negative or positive.
37·06	Cinematograph film, exposed and developed consisting only of sound track, negative or positive.
37·07	Other cinematograph film, exposed and developed, whether or not incorporating sound track, negative or positive.
37·08	Chemical products and flash light materials of a kind and in a form suitable for use in photography.
	CHAPTER 38
	Miscellaneous chemical products
38·01	Artificial graphite, colloidal graphite, other than suspensions in oil.
38·02	Animal black (for example, bone black and ivory black), including spent animal black.
38·03	Activated carbon (decourising, depolarising or absorbent); activated diatomite, activated clay, activated bauxite and other activated natural mineral products.
38·04	Amoniacal gas liquors and spent oxide produced in coal gas purification.
38·05	Tar oil.
38·06	Concentrated sulphite lve.
38·07	Spirits of turpentine (gum, wood and sulphate) and other terpenic solvents produced by the distillation or other treatment of coniferous woods; crude dipentene; sulphite turpenetine; pine oil (excluding "pine oils' not rich in terpinneal).
38·08	Rosin and resin acids and derivatives thereof other than ester gums included in Heading No. 39·05; rosin spirit and rosin oils.
38·09	Wood tar; wood tar oils (other than the compositive solvents and thinners falling within heading No. 38·18); wood creosote; wood naphtha; acetone oil.
38·10	Vegetable pitch of all kinds; brewers pitch and similar compounds based on rosin or on vegetable bitch; foundry core binders based on natural resinous products.
38·11	Disenfectants, insecticides, fungicides, herbicides, anti-sporuting products, rat poisons and similar products, put up in forms or packings for sale by retail or as preparations or as articles (for example sulphur-treated bands, wicks and candles, fly-paper).
38·12	Prepared glazings, prepared dressings and prepared mordants, of a kind used in the textile, paper, leather or like industries.
38·13	Picking preparations, for metal surface fluxes and other auxiliary preprations for soldering, brazing or welding; soldering, brazing or welding powders and pastes consisting of metal and other materials preparations of a kind used as crores of coatings for welding rods and electrodes.
38·14	Anti-knock preparations, oxidation inhibitors, gum inhibitors, viscosity improve anti-corrosive preparations and similar prepared additives for minerals oils.
38·15	Prepared rubber accelorators
38·16	Prepared culture media for development of micro-organisams.
38·17	Preparations and charges for fire-extinguishers; charged fire-extinguishing grenades.
38·18	Composite solvents and thinners for varnishes and similar products.
38·19	Chemical products and preparation of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included residual products of the chemical or allied industries, no elsewhere specified or included.

SECTION VII

ARTIFICIAL RESINS AND PLASTIC MATERIALS CELLULOSE ESTERS AND ETHERS, AND ARTICLES THEREOF; RUBBER, SYNTHETIC RUBBER FACTICE AND ARTICLES THEREOF

CHAPTER 39

Artificial resins and plastic, materials cellulose esters and ethers· articles-thereof

39·10	Condensation, polycondensa ion and polyaddition products whether or not modified or polymerised and whether or not linear (or example phenoplasts, animoplasts, alkyds, polyallylesters and other unsaturated polyesters silicones).
39·02	Polymerisation and copolymerisation products (for example, polyethylene, polytetrathaloethylenes, polyisobutylene, polystyrene, polinyl chloride, polvinylacetate, polyvinyl chloroacelate and other polyvinyl derivatives polyacrylic and polymethacrylic derivatives, coumaroneindene resins.

APPENDIX 2—*contd.*

SCHEDULE I—*contd.*

1	2
39·03	Regenerated cellulose; cellulose nitrate, cellulose acetate and other cellulose esters, cellulose others and other chemical derivatives of cellulose, plasticised or not (for example, collodions, celluloid); vulcanised fibre.
39·04	Hardened proteins (for example, hardened casein and hardened gelatin).
39·05	Natural resins modified by fusion (run gums): artificial resins obtained by esterification of natural resins or of resinic acids (ester gums); chemical derivatives of natural rubber (for example, chlorinated rubber, rubber hydrochloride' oxidised, rubber, cyclised rubber).
39·06	Other high polymers, artificial resins and artificial plastic materials, including algianic acid, its salts and esters; linoxyn.
39·07	Articles of materials of the kinds described in heading Nos. 39·01 to 39·06.

CHAPTER 40

Rubber, synthetic rubber, factice, and articles thereof.

40·01	Natural rubber latex, whether of not with added synthetic rubber latex, pre-vulcanised natural rubber latex, natural rubber, balata, guttapercha and similar natural gums.
40·02	Synthetic rubber latex; pre-vulcanised synthetic rubber latex; synthetic rubber; factice derived from oils.
40·03	Reclaimed rubber.
40·04	Waste and partings of unhardend rubber ; scrap of unhardened rubber, fit only for the recovery of rubber: powder obtained from waste or scrap of unhardened rubber.
40·05	Plates, sheets and strip of unvulcanised natural or synthetic rubber, other than smoked sheets and crape sheets of heading No. 40·01 or 40·02 ; granuls of unvulcanised natural or synthetic rubber compounded ready for vulcanisation, unvulcanised natural or synthetic rubber, compounded before or after coagulation either with carbon black (with or without the addition of mineral oil) or with silica (with or without the addition of mineral oil), in any form of a kind known as master-batch.
40·06	Unvulcanised natural or synthetic rubber, including rubber latex, in other forms or stete (for example, rods, tubes and profile shapes, solution and dispersions); articles of unvulcanised natural or synthetic rubber (for example, coated or impregnated textile thread; rings and discs).
40·07	Vulcanised rubber thread and cord, whether or not textile covered and textile thread covered or impregnated with vulcanised rubber.
40·08	Plates, sheets, trip, rods and profile shapes, of unhardened vulcanised rubber.
40·09	Piping and tubing, of unhardened vulcanised rubber.
40·10	Transmission, conveyor or elevator belts or belting vulcanised rubber.
40·11	Rubber tyres, tyre cases, interchangeable tyre treads, inner tubes and tyre flaps, for wheel of all kinds.
40·12	Hygienic and pharmaceutical articles (including teats), of unhardened vulcanised rubber with or without fittings of hardened rubber.
40·13	Articles of apparel and clothing accessories (including gloves), for all purposes of unhardened vulcanised rubber.
40·14	Other article of unhardened vulcanised rubber.
40·15	Hardened rubber (ebonite and vulcanite) in bulk, plates, sheets, strip, rods, profile shapes or tubes, scrap waste and powder of hardened rubber.
40·16	Articles of hardened rubber (ebonite and vulcanite).

SECTION VIII

RAW HIDES AND SKINS, LEATHER, FURSKINS AND ARTICLES THEREOF; SADDLERY AND HARDNESS-TRAVEL GOODS, HANDBAGS AND SIMILAR CONTAINERS; ARTICLES OF GUT (OTHER THAN SILK WORM GUT).

CHAPTER 41

Raw hides and skins (other than furskins) and leather

41·01	Raw hides and skin (fresh, salted, dried, pickled or limed), whether or not split, including sheepskins in the wool.
41·02	Bovine cattle leather (including buffalo leather) and equine leather except leather falling with in heading No 41·06, 41·07 or 41·08.
41·03	Sheep and lamb skin leather, except leather falling within heading No. 41·06, 41·07 or 41·08.
41·04	Goat and kid skin leather, except leather falling within heading No. 41.06, 41.07, or 41. 08.
41·05	Other kinds of leather, except leather falling within heading No. 41. 06, 41. 07 or 41. 08.
41·06	Chamois-dressed leather.
41·07	Parchment-dressed leather.
41·08	Patent leather and imitation patent leather; metallised leather.
41·09	Partings and other waste, of leat her or of composition or parchment-dressed leather, not suitable for the manufacture of articles of leather leather dust, powder, and flour.
41·10	Composition leather with a base of leather of leather fibre, in slabs, in sheets or in rolls.

CHAPTER 42

Articles of Leather saddlery and harness travel goods, handbags and similar containers, articles of animals gut (other than silk-worm gut)

42·01	Saddlery and harness, of any material (for example, saddles, harness, collars, traces, kneepads and boots), of any kind of animal.
42·02	Travel goods (for example, trunks, suit-cases-hat-boxes, travelling bags, rucksacks, shop ng, bags, handbags, satchtels, brief-cases, wallets, purses, toilets-cases, tool-cases, tobacco-pouches, seaths, cases, boxes (for example, for arms, musical instruments, binoculars, jewellery, bottles, collars, footwear, brushes) and similar

APPENDIX 2—contd.

SCHEDULE I—contd.

1	2
	containers, of leather of composition leather, of vulcanised fibre, of artificial plastic sheeting of paperboard or of textile fabric.
42.03	Articles of apparel and clothing accessories of leather or of composition leather.
42.04	Articles of leather or of composition leather of a kind used in machinery or mechanical appliances or for other industrial purposes.
42·05	Other articles of leather or of composition-leather.
42·06	Articles made from gut (other than silk-worm gut), from goldbeaters skin, from bladders or from tendons.

CHAPTER 43

Furskins and artificial fur; manufacture thereof

1	2
43·01	Raw furskins.
43·02	Furskins, tanner or dressed, including furskins assembled in plates, crosses and similar forms; pieces or cuttings, of furskin, tanned or dressed, including heads, paws, tails and the like (not being fabricated).
43·03	Articles of furskin.
43 04	Artificial fur and articles made thereof.

SECTION IX

WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD CHAR COAL CORK AND ARTICLES OF CORK; MANUFACTURES OF STRAW OF ESPARTO AND OF OTHER-PLATING MATERIALS; BRASKETWARE AND WICKER-WORK

CHAPTER 44

Wood and articles of wood; wood charcoal

1	2
44·01	Fuel wood, in logs, in billets, in twigs or in foggots; wood waste, including sowdust.
44·02	Wood charcoal (including shell and nut charcoal), agglomerated or not.
44·03	Wood in the rough, whether or now stripped of its bark or merely roughed down.
44·04	Wood roughly squared or half-squared, but not further manufactured.
44·05	Wood sawn lengthwise, sliced or peeled, but not further prepared, of a thickness exceeding 5 mm.
44·06	Wood paving blocks.
44 07	Railway or tramway sleepers of wood.
44·08	Riven staves of wood, not further prepared than sawn on one principal surface, sawn staves of wood of which at least one principal surface has been cylindrically sawn, not further prepared than sawn.
44·09	Hoopwood; split poles; piles, pickets and stakes of wood, pointed but not sawn length-wise; chipwood; pulpwood in chips or particles; wood shavings of a kind suitable for use in the manufacture of vinegar or for the clarification of liquids.
44·10	Wooden sticks, roughly trimmed but not turned, bent nor otherwise worked suitable for the manufacture of walking-sticks, whips golf club shafts, umbrella handles, tool handles or the like.
44 11	Drawn wood; match splints; wooden pegs or pins for footwear.
	Wood wool and wood flour.
44·13	Wood (including blocks, strips and frizes for parquet or wood block flooring, not assembled, planned, tongued; grooved, revitted Chamfered, V-jointed, centre V-jointed, headed, centre-headed or the like; but not further manufactured.
44·14	Wood sawn lengthwise, sliced or peeled but not further prepared, of a thickness not exceeding 5 mm; veneer) sheets and sheets for plywood, of a thickness not exceeding 5 mm.
44·15	Plywood, blackboard, liminboard, battenboard and similar laminated wood products (including venured panels and sheets) : inlaid wood and wood marquentry.
44·16	Cellular wood panels, whether or not faced with base metal.
44·17	"Improved" wood, in sheets, blocks or the like.
44·18	Reconstituted wood, being wood savings, woodchips, sawlust, wood floor or other lignous waste agglomerated with natural or artificial resins or other organic binding substances in sheets, blocks or the like.
44·19	Wooden beading and mouldings, including moulded skirting and other moulded boards.
44·20	Wooden picture frames, photograph frames mirror frames and the like.
44·21	Complete wooden packing cases, boxes, creates drums and similar packings.
44·22	Casks, barrels, vats, tubs, bauckets and other coppers' products and parts thereof, of wood, other than staves falling within heading No. 44·08.
44·23	Builders' carpentry and joiney (including prefabricated and sectional buildings and assembled parquet flooring panels).
44·24	Household utensils of wood.
44·25	Wooden tools, tool bodies, tool handles, broom and brush bodies and handles; boot and shoe lasts and trees of wood.
44·26	Spools, cops, bobbin, sewng thread reels and the like, of turned wood.
44·27	Standard lamps, table lamps and other lighting fittings, of wood : articles of furniture of wood, not falling within Chapter 94; caskets, cigarette boxes, trays, fruit bowls, ornaments and other fancy articles, of wood; cases for cutlery for drawing instruments or for violins and similar receptacles, of wood; articles of wood for personal use or adornment, of a kind normally carried in the pocket, in the hand bag or on the person; parts of the fore-going articles of wood.
44·28	Other articles of wood.

CHAPTER 45

Cork and articles of cork

1	2
45·01	Natural cork, unworked, crushed, granulated ground; waste cork.
45·02	Natural cork in blocks, plates, sheets or strips (including cubes or square slabs, cut to size for corks or stoppers).
45·03	Articles of natural cork.
45·04	Agglomerated cork (being cork agglomerated with or without a building substance) and arti

APPENDIX 2—contd.

SCHEDULE I—contd.

1	2
	CHAPTER 46
	Manufacturers of straw of esparto and of other plating materials; basketware and wickerwork
46·01	Plaits and similar products of plating materials, for all uses, whether or not assembled into strips.
46·02	Hand-made paper and paperboard, strands or woven, in sheet form, including matting, mats and screens straw envelopes for bottles.
46·03	Basketwork, wickwork and other articles of plating materials, made directly to share; articles made up from goods falling within heading No. 46·01 or 46·02; articles of loofah
	SECTION X
	PAPER-MAKING MATERIAL; PAPER AND PAPER BOARD AND ARTICLES THEREOF
	CHAPTER 47
	Paper-making material
47·01	Pulp derived by mechanical or chemical means from any fibrous vegetable material.
47·02	Waste paper and paperboard; scrap articles of paper or of paper board, fit only for use in paper-making.
	CHAPTER 48
	Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard
	I—Paper and paperboard, in rolls or in sheet
48·01	Paper and paperboard (including cellulose wadding), machine-made, in rolls or sheets.
48·02	Hand-made paper and paperboard.
48·03	Parchment of greaseproof paper and paperboard, and imitations thereof, and glazed transparent paper, in rolls or sheets.
48·04	Composite paper or paperboard (made by sticking flat layers together with an adhesive), not surface-coated or impregnated, whether or not internally reinforced, in rolls or sheets.
48·05	Paper and paperboard, corrugated (with or with out flat surface sheets), croped, crinkled, embossed or perforated, in rolls or sheets.
48·06	Paper and paperboard, ruled, lined or squared but not otherwise printed, in rolls or sheets.
48·07	Paper and paperboard, impregnated, coated surface coloured surface decorated or printed (not being merely ruled, lined or squared and not constituting printed matter within Chapter 49), in rolls or sheets
48·08	Filter blocks, slabs and plates of paper pulp.
48·09	Building board of wood pulp or of vegetable fibre, whether or not bonded with natural or artificial resins or with similar binders.
	II—Paper and paperboard cut to size or shape and articles of paper or paperboard
48·10	Cigarette paper, cut to size, whether or not in for form of booklets or tubes.
48·11	Wallpaper and lincrusta; window transparencies of paper.
48·12	Floor coverings prepared on a base of paper or of paperboard, whether or not cut to size with or without a coating of linoleum compound.
48·13	Carbon and other copying papers (including duplicator stencils) and transfer papers cut to size whether or not put up in boxes.
48·14	Writing blocks, envelopes, letter cards, plain postcards, correspondence cards: boxes, pouches wallets and writing, compendiums, of paper or paperboard, containing only an assortment of paper stationery·
48·15	Other paper and paperboard cut to size or shape.
48·16	Boxes, bags, and bags and other packing contaners, of paper or paperboard
48·17	Box files, letter tryas, storage boxes and similar articles, of paper or paperboard. of a kind commonly used in offices, shops and the like.
48·18	Registers exercise books, note books, memorandum blocks, order books, receipt books, diaries, blotting-Pads, binders (loose-leaf or other), file covers and other stationery of paper or paperboard, sample and other albums and books covers, of paper or paperboard.
48·19	Paper or paper board labels, whether or not printed or gummed.
48·20	Bobbins spools, cops and similar supports of paper pulp, paper or paperboard (whether or not perforated or hardened).
48·21	Other articles of paper pulp, paper paperboard or cellulose wadding
	CHAPTER 49
	Printed books, newspapers, pictures and other products of the Printing industry; manuscripts, typescripts and plans
49·01	Printed books, booklets, brochures, pamphlets and leaflets.
49·02	Newspapers, journals and periodicals, whether or not illustrated.
49·03	Children's picture books and painting books.
49·04	Music, printed or in manuscripts, whether or not bound or illustrated.
49·05	Maps and hydrographic and similar charts of all kinds, including atlases, wall maps and topographical plans, printed; printed globes (terrestrials or celestial).
49·06	Plans and drawings, for industrial architectural, engineering, commercial or similar purposes, whether original or reproduction on-sensitised paper manuscripts and typescripts.
49·07	Unused postage revenue and similar stamps of current or new issue in the country to which they are destined; stamp-impressed paper; bank-notes stock, share and bond certificates and similar documents of title; cheque books
49·08	Transfers (De calcomanias).
49·09	Picture postcards, Christmas and other picture greetings cards, printed by any process with or without trimmings.
49·10	Calendars of any kind of paper or paperboards, including calendar blocks.
49·11	Other printed matter, including printed picture and photographs.

APPENDIX 2—*contd.*

SCHEDULE 1—*contd.*

1	2
	SECTION XI
	TEXTILES AND TEXTILE ARTICLES
	CHAPTER 50
	Silk and waste silk
50·01	Silk-worm cocoons suitable for reeling.
50·02	Raw silk (not thrown).
50·03	Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, silk noils and pulled or garnetted rags).
50·04	Silk yarn, other than yarn of noil or other waste silk, not put up for retail sale.
50·05	Yarn spun from silk waste other than noil not put up for retail sale.
50·06	Yarn spun from noil not put up for retail sale.
50·07	Silk yarn and yarn spun from noil or other waste silk, put up for retail sale.
50·08	Silk-worm gut; imitation catgut of silk.
50·09	Woven fabrics of silk or of waste silk other than noil.
50·10	Woven fabrics of noil silk.
	CHAPTER 51
	Man-made fibres (continuous)
51·01	Yarn of man-made fibres (continuous), not put up for retail sale.
51·02	Monofil, strip (artificial straw and the like) and imitation catgut, of man-made fibre materials.
51·03	Yarn of man-made fibres (continuous), put up for retail sale.
51·04	Woven fabrics of man-made fibre (continuous), including woven fabrics of monofil or strip of heading No. 51·01 or 51·02
	CHAPTER 52
	Materials textiles
52·01	Metallised yarn, being textile yarn spun with metal or covered with metal by any process.
52·02	Woven fabrics of metal thread or of metallised yarn, of a kind used in articles of apparel, as furnishing fabrics or the like.
	CHAPTER 53
	Wool and other animal hair
53·01	Sheep's or lambs' wool, not carded or combed.
53·02	Other animal hair (fine or coarse), not carded or combed.
53·03	Waste of sheep's or lambs' wool or of other animal hair (fine or coarse), not pulled or garnetted.
53·04	Waste of sheep's or lambs' wool or of other animal hair (fine or coarse), pulled or garnetted (including pulled or garnetted rags).

1	2
53·05	Sheep's or lambs' wool or other animal hair (fine or coarse), carded or combed.
53·06	Yarn of carded sheep's or lambs' wool (woollen yarn), not put up for retail sale.
53·07	Yarn of combed sheep's or lambs' wool (worsted yarn), not put up for retail sale.
53·08	Yarn of fine animal hair (carded or combed), not put up for retail sale.
53·09	Yarn of horse hair or of other coarse animal hair, not put up for retail sale.
53·10	Yarn of sheep's or lambs' wool or horse hair or of animal hair (fine or coarse), put up for retail sale.
53·11	Woven fabrics of sheep's or lambs' wool or fine animal hair
53·12	Woven fabrics of coarse animal hair other than horse hair.
53·13	Woven fabrics of horse hair.
	CHAPTER 54
	Flax and Ramie
54·01	Flax, raw or processed but not spun; flax tow and waste (including pulled or garnetted rags).
54·02	Ramie, raw or processed but not spun; ramie noils and waste (including pulled or garnetted rags).
54·03	Flax or ramie yarn, not put up for retail sale.
54·04	Flax or ramie yarn, put up for retail sale.
54·05	Woven fabrics of flax or ramie.
	CHAPTER 55
	Cotton
55·01	Cotton, not carded or combed.
55·02	Cotton linters.
55·03	Cotton waste (including pulled or garnetted rags), not carded or combed.
55·04	Cotton, carded or combed.
55·05	Cotton yarn, not put up for retail sale.
55·06	Cotton yarn, put up for retail sale.
55·07	Cotton gauze.
55·08	Terry towelling and similar terry fabrics, of cotton.
55·09	Other woven fabrics of cotton.
	CHAPTER 56
	Man-made fibres (discontinuous)
56·01	Man-made fibres (discontinuous) not carded, combed or otherwise prepared for spinning.
56·02	Continuous filament tow for the manufacture of man-made fibre (discontinuous)
56·03	Waste (including yarn waste and pulled or garnetted rags) man-made fibres (continuous discontinuous), not carded, combed or otherwise prepared for spinning.

APPENDIX 2—*contd.*

SCHEDULE 1—*contd.*

1	2
56·04	Man-made fibres (discontinuous or waste), carded, combed or otherwise prepared for spinning.
56·05	Yarn of man-made fibres (discontinuous or waste), not put for retail sale.
56·06	Yarn of man-made fibres (discontinuous or waste), put up for retail sale.
56·07	Woven fabrics of man-made fibres (discontinuous or waste).

CHAPTER 57

Other vegetable textile materials paper yarn and woven fabrics of paper yarn

1	2
57·01	True hemp ("Canabis Sativa"), raw or processed but not spun; tow and waste of true hemp (including pulled, garnetted rags or ropes).
57·02	Manilla hemp (abaca) ("Musa textiles") raw or processed but not spun; tow and waste or manilla hemp (including pulled or garnetted rags or ropes).
57·03	Jute and other textile bast fibres not elsewhere specified or included, raw or processed but not spun; tow and waste thereof (including pulled or garnetted rags or ropes).
57·04	Other vegetable textile fibres, raw or processed but not spun; waste of such fibres (including pulled or garnetted rags or ropes).
57·05	Yarn of true hemp.
57·06	Yarn of jute or of other textile best fibres of heading No. 57·03.
57·07	Yarn of other vegetable textile fibres.
57·08	Paper yarn.
57·09	Woven fabrics of true hemp.
57·10	Woven fabrics of jute or of other textile best-fibres of heading No. 57·03
57·11	Woven fabrics of other vegetables textile fibres.
57·12	Woven fabrics of paper yarn.

CHAPTER 58

Carpets, mats, matting and tapestries; pile and chenille fabrics narrow fabrics; trimmings; tulle and other net fabrics; lace; embroidery

1	2
58·01	Carpets, carpeting and rugs, knotted (made up or not).
58·02	Other carpets, carpeting, rugs, mats and mattings, and "Kelem", "Schumacks" and "Karamanie" rugs and the like (made up or not).
58·03	Tapestries, hand-made, or the type Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais and the like, and needle-worked tapestries (for example, petit point and cross stitchy) made in panels and the like by hand.
58·04	Woven pile fabrics and chenille fabrics (other than terry towelling or similar terry fabrics of cotton falling within heading No 55·08 and fabrics falling within heading No. 58·05).
58·05	Narrow woven fabrics, and narrow fabrics (bolduo) consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive, other than goods falling within heading No. 58·06.
58·06	Woven labels, badges and the like, not embroidered, in the piece, in strips or cut to shape or size.
58·07	Chenille yarn (including flop chenille yarn) gimped yarn (other than metallised yarn of; heading No. 52·01 and gimped horsehair yarn): braids and ornamental trimmings in the piece: tassels, pompons and the like.
58·08	Tulle and other net fabrics (but not including woven, knitted or crocheted fabrics) plain.
58·09	Tulle and other net fabrics (but not including woven, knitted or crocheted fabrics) figured; hand or mechanically made lace, in the piece in strips or in motiffs.
58·10	Embroidery, in the piece, in strips or in motifis.

CHAPTER 59

Wadding and felt; twine; cordage; ropes and cables; special fabrics; impregnated and coated fabrics; textile articles of a kind suitable for industrial use

1	2
59·01	Wadding and articles of wadding; textile flock and dust and mill neps.
59·02	Felt and articles of felt whether or not impregnated or coated.
59·03	Bonded fibre fabrics, similar bonded yarn fab rics, and articles of such fabrics, whether or no impregnated or coated.
59·04	Twine, cordage, ropes and cables, plaited or not.
59·05	Nets and netting made of twine, cordage or rope, and made up fishing nets of yarn, twine, cordage or rope.
59·06	Other articles made from yarn, twine, cordage, rope or cables, other than textile fabrics and articles made from such fabrics.
59·07	Textile fabrics coated with gum or amylaccous substances, of a kind used for the outer covers of books and the like; tracing cloth; prepared painting canvas; buckram and similar fabrics for hat foundation and similar uses.
59·08	Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with preparations of cellulose derivatives or of other artificial plastic materials.
59·09	Textile fabrics coated or impregnated with oil or preparations with a basis of drying oil.
59·10	Linoleum and materials, prepared on a textile base in a similar manner to linoleum, whether or not cut to shape or of a kind used as floor coverings; floor coverings consisting of a coating applied on a textile base, cut to shape or not.
59·11	Rubberised textile fabrics, other than rubberised knitted or crocheted goods.
59·12	Textile fabrics otherwise impregnated or coated; painted canvas being theatrical scenery, studio back-cloth or the like.
59·13	Elastic fabrics and trimmings (other than knitted or crocheted goods) consisting of textile materials combined with rubber threads.
59·14	Wicks of woven, plaited or knitted textile materials, for lamps, stoves, lighters, candles and the like; tubular knitted gas-mantle fabrics and incandescent gas mentals.
59·15	Textile hosepiping and similar tubing, with or without lining, armour or accessories of other materials.
59·16	Transmission, conveyor or elevator belts or belting, of textile material, whether or not strengthened with metal or other material.
59·17	Textile fabrics and textile articles, of a kind commonly used in machinery or plant.

APPENDIX—2 contd.

SCHEDULE—I contd.

1	2
	CHAPTER 60
	Knitted and crocheted goods
60·01	Knitted or crocheted fabrics, not elastic nor rubberised
60·02	Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted, not elastic nor rubberised.
60·03	Stockings, under stockings, socks, angle-stocks, sockettes and the like, knitted or crocheted, not elastic nor rubberised.
60·04	Under garments, knitted or crocheted, not elastic nor rubberised.
60·05	Outer garments and other articles, knitted or crocheted not elastic nor rubberised.
60·06	Knitted or crocheted fabric and articles thereof, elastic or rubberised (including elastic knee-caps and elastic stockings).
	CHAPTER 61
	Articles of Apparel and Clothing Accessories of Textile Fabrics, other than knitted or crocheted goods
61·01	Men's and boys' outer garments.
61·02	Women's, girls' and infants' outer garments.
61·03	Men's and boys under garments, including collars, shirt pronts and cuffs,
61·04	Women's, girls' and infants' under garments collars, shirt pronts and cuffs.
61·05	Handkerchiefs.
61·06	Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like.
61·07	Ties, bowties and cravats.
61 08	Collars, tuckers, fallales, bodi-fronts, jabots, cuffs, flounces, yokes and similar accessories and trimmings for women's and girls' garments.
61 09	Corsets corset-belts, suspended belts brassieres braces, suspenders, garters and the like (including such articles of knitted or corcheted fabric)., whether or not elastic.
61·10	Gloves, mittens mitts, stockings, socks and sockettes, not being knitted or corcheted goods.
61·11	Made up accessories for articles of apparel (for example dress shields shoulder and other pads belts, muffs, sleeve protectors, pockets).
	CHAPTER 62
	Other made up Textile articles
62 01	Travelling rugs and Blankets.
62·02	Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen, curtains and other furnishing articles.
62·03	Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods.
62 04	Tarpaulins, sails, awnings, sunblinds, tents and/camping goods.
62·05	Other made up textile articles' (including dress patterns).

1	2
	CHAPTER 63
	Old clothing and other textile articles; rags
63·01	Clothing, clothing accessories, travelling rags and blankets, household linen and furnishing articles (other than articles falling within heading No. 58·01, 58·02 or 58·03), of textile materials, footwear and headgear of any material, showing signs of appreciable wear and imported in bulk or bales, sacks or similar bulk packings.
63·02	Used or new rags, scrap twine, cordage rope and cables and worn out articles of twine, cordage, rope or cables.
	SECTION XII
	FOOTWEAR HEADGEAR, UMBRELLAS, SUNSHADES, WHIPS, RIDING—CROPS AND PARTS THEREOF; PREPARED FEATHERS AND ARTICLES MADE THEREWITH, ARTIFICIAL FLOWERS; ARTICLES OF HUMAN HAIR; FANS
	CHAPTER 64
	Footwear, gaiters and the like, parts of such articles
64·01	Footwear with outer soles and uppers of rubber or artificial plastic material.
64·02	Footwear with outer soles of leather or composition leather, footwear (other than footwear falling within heading No. 64·01) with outer soles of rubber or artificial plastic material.
64·03	Footwear with other soles of wood or cork.
64·04	Footwear with outer soles of other material.
64·05	Parts of footwear (including uppers, in-soles and screw-on heels) of any material except metal.
64·06	Gaiters, spats' leggings, puttees cricket pads shinguards and similar articles, and parts thereof.
	CHAPTER 65
	Headgear and parts thereof
65·01	Hat-forms, hat bodies and hoods of felt, neither blocked to shape nor with made brims; plateaux and manchous (including slit manchons) of felt.
65·02	Hat-shapes, plaited or made from plaited or other strips of any material, neither blocked to shape nor with made brims.
65·03	Felt hats and other felt headgear, being headgear made from the felt hoods and plateaux falling within heading No 65·01 whether or not lined or trimmed.
65·04	Hats and other headgear, plaited or made from plaited or other stips of any material, whether or not lined or trimmed.
65·05	Hats and other headgear (including hair nets), knitted or crocheted or made up from lace, felt or other textile fabric in the piece (but not from strips), whether or not lined or trimmed.
65·06	Other headgear, whether or not lined or trimmed.
65·07	Head-bands, linings, covers, hat foundations hat frames (including spring frames for opera-hats), peaks and chinstraps for headgear.

APPENDIX 2—contd.

SCHEDULE I—contd.

1	2
	CHAPTER 66
	Umbrellas, sunshades, walking-sticks, whips, riding crops and parts thereof
66·01	Umbrellas and sunshades (including walking-stick umbrellas, umbrella tents, and garden and similar umbrellas).
66·02	Walking-sticks (including climbing-sticks and seat-sticks) canes, whips, riding-crops and the like.
66·03	Parts, fittings, trimmings and accessories of articles falling within heading No. 66·01 or 66·02.
	CHAPTER 67
	Prepared feathers and down and articles made of feathers or of down; artificial flowers, articles of human hair Fans.
67·01	Skins and other parts of biros with their feather or down, feathers, parts of feathers, down, and articles thereof (other than goods falling within heading No. 05·07 and worked quils and scapes)
67·02	Artificial flowers, foliage or fruit and parts thereof; articles made or artificial flowers, foliage or fruit.
67·03	Human hair, dressed, thinned, bleached or other wise worked, wool or other animal hair prepared for use in making wigs and the like.
67·04	Wigs, false beards, eyebrows and eyelashes switches and the like of human or animal hair or of textiles; other articles of human hair (including hair nets).
67·05	Fans and hand screens, non-mechanical, of any material; frames and handles thereof and parts of such frames and handles, of any material.
	SECTION XIII
	ARTICLES OF STONE, OF PLASTER, OF CEMENT, OF ASBESTOS, OF MICA AND OF SIMILAR MATERIALS; CERAMIC PRODUCTS; GLASS AND GLASSWARE
	CHAPTER 68
	Articles of stone, plaster, of cement, of asbestos, of mica and of similar materials
68·01	Road and paying sets, curbs and flagstones of natural stone (except slate).
68.02	Worked monumental or building stone, and articles thereof (including mosaic cubes) other than goods falling within heading No. 58.01 or within Chapter 69.
68.03	Worked slate and articles of slate, including articles of agglomerated slate.
68.04	Millstones, grindstones, grinding wheels, and the like (including grinding, sharpening, polishing, trueing and cutting wheels, heads discs and points), of natural stone (agglomerated or not), of agglomerated natural or artificial abrasives, or of pottery, with or without cores, shanks sockets, axles and the like of other materials, but without framework; segments and other finished parts of such stones, and wheels, of natural stones (agglomerated or not), of agglomerated natural or artificial abrasive, or of pottery.
68·05	Hand polishing stone, whetstones, oilstones, bones and the like of natural stone of agglomerated natural or artificial abrasives, or of pottery.
68 06	Natural or artificial abrasive powder or grain, on a base of woven fabric, of paper, of paper-board or of other materials, whether or not cut to shape or sawn or otherwise made-up.
68·07	Slag wool rock wool and similar mineral wools; exfoliated vermiculite expanded clays, foamed slag and similar, expanded mineral materials; mixtures and articles of heat-insulating, sound-insulating or sound-absorbing mineral materials, other than those falling in heading No. 68·12 or 68·13 or in Chapter 69.
68·08	Articles of asphalt or of similar material (for example, or petroleum bitumen of coal tar pitch).
58·09	Panels, boards, tiles, blocks and similar articles of vegetable fibre of wood fibre, of straw, of wood shaving or of wood waste (including sawdust), agglomerated with cement, plaster or with other mineral binding substances.
68·10	Articles of plastering material.
68·11	Articles of cement (including slag cement), of concrete or of artificial stone (including granulated marble agglomerated with cement), reinforced or not.
68·12	Articles of asbestos-cement of cellulose fibre-cement of the like.
68·13	Fabricated asbestos and articles thereof for example, asbestos board, thread and fabric asbestos clothing asbestos jointing), reinforced or not, other than goods falling within heading No. 68·14 mixtures with a basis of asbestos and mixtures with a basis of asbestos and magnesium carbonate, and articles of such mixtures.
68·14	Friction materials (segments, discs, washer strips sheets, plates, rolls and the like) of a kind suitable for brakes for clutches or the like with a basis of asbestos, other mineral substances or of cellulose, whether or not combined with textile or other materials.
68·15	Worked mica and articles of mica, including bonded mica splittings on a support of paper or fabric (for example, micanite and mica-follium).
68·16	Articles of stone or of other mineral substances (including articles of peat), not elsewhere specified or included.
	CHAPTER 69
	Ceramic Products
	I. *Heat-insulating and refractory goods*
69·01	Heat-insulating bricks, blocks tiles and other Heat insulating goods of siliceous fossil meals or of similar siliceous earths, for example, kieselguhr tripolite or diatomite).

APPENDIX 2—*contd.*

SCHEDULE 1—*contd.*

1	2
69·02	Refractory bricks, blocks tiles and similar refractory constructional goods, other than goods falling within heading No. 69·01.
69·03	Other refractory goods (for example, retorts crucibles, muffles, nozzle, plugs, supports, cupels, tubes pipes, sheaths and rods), other than goods falling within heading No. 69·01.
	II. Other ceramic products.
69·04	Building bricks (including flooring blocks support or filter tiles and the like).
69·05	Roofing tiles, chimney-pots, cowls, chimney-liners, cornics and other constructional goods, including architectural ornaments.
69·06	Piping, conduits and guttering (including angles binds and similar fittings).
69·07	Unglazed setts, flags and paving, hearth and wall tiles.
69·08	Glazed, setts, flags and paving, hearth and wall tiles.
69·09	Laboratory, chemical or industrial wares; troughs, tubs and similar receptacles of a kind used in agriculture; pots, jars and similar articles of a kind commonly used for the conveyance or packing of goods.
69·10	Sinks, wash basins, bidets water closet pans, urinals, baths and like sanitary fixture.
69·11	Tableware and other articles of a kind commonly used for domestic or toilet purposes of porcelain or china (including biscuit porcelain and parian).
69·12	Tableware and other articles of a kind commonly used for domestic or toilet purposes, of other kinds of pottery.
69·13	Statutles and other ornaments, and articles of personal adornment; articles of furniture.
69·14	Other articles.

CHAPTER 70

Glass and Glassware

1	2
70·01	Waste glass (cullet); glass in the mass (excluding optical glass).
70·02	Glass of the variety known as "enamel" glass, in the mass, rods and tubes.
70·03	Glass in balls rods and tubes, unworked (not being optical glass).
70·04	Unworked cast or rolled glass (including, flashed or wired glass), whether figured or not, in rectangles.
70·05	Unworked drawn or blown glass (including flashed glass), in rectangle.
70·06	Cast, rolled, drawn or blown glass (including flashed or wired glass), in rectangles, surface ground or poised but not further worked.
70·07	Cast, rolled, drawn or blown glass (including flashed or wired glass) cut to shape other than rectangular shape, or bent or otherwise worked (for example, edge worked or engraved), whether or not surface ground or polished; multiple walled insulating glass; leaded lights and the like.
70·08	Safety glass consisting of toughened or laminated glass, shape or not.
70·09	Glass mirrors (including rear view mirrors), unframed, framed or backed.
70·10	Carbtoys, bottle, jars, posts, tubular containers and similar containers, of glass, of a kind commonly used for the conveyance or packing of goods; stoppers and other closures, of glass.
70·11	Glass envelopes, (including bulbs and tubes) for electric lamps, electronic valves or the like.
70·12	Glass inners for vacuum flasks or for other vacuum vessels.
70·13	Glassware (other than articles falling in heading No. 70·19) of a kind commonly used for table, kitchen, toilet or office purposes, for indoor decoration, or for similar uses.
70·14	Illuminating glassware, signalling glassware and optical elements of glass, not optically worked nor of optical glass.
70·15	Clock and watch glasses and similar glasses (including glass of a kind used for sunglasses but excluding glass suitable for corrective lenses), curved, bent hollowed and the like; glass spheres and segments of spheres, of a kind used for the manufacture of clock and watch glasses and the like.
70·16	Bricks, tiles, slabs, paving blocks, squares and other articles of pressed or moulded glass, of a kind commonly use in building; multi-cellular glass in blocks, slabs, plates, panes and similar forms.
70·17	Laboratory hygienic and pharmaceutical glassware, whether or not graduated or calibrated glass ampoules.
70·18	Optical glass and elements of optical glass, other than optically worked elements; blanks for corrective spectacle lenses.
70·19	Glass beads, imitation pearls, imitation precious and semi-precious stones, fragments and chippings and similar fancy or decorative glass smallwares, and articles of glassware made therefrom; glass cubes and small glass plates, whether or not on a backing, for mosaics and similar decorative purposes artificial eyes of glass, including those for toys but excluding those for wear by humans; ornaments and other fancy articles of lamp-worked glass; glass grains (ballotini).
70·20	Glass fibres (including wool), yarns, fabrics, and articles made therefrom.
70·21	Other articles of glass.

APPENDIX 2—*contd.*

SCHEDULE 1—*contd.*

1	2
	SECTION XIV
	PEARLS, PRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STONES, PRECIOUS METALS ROLLED PRECIOUS METALS AND ARTICLES THEREOF; IMITATION JEWELLERY COIN
	CHAPTER 71
	Pearls, precious and semi-precious stones, precious metals, rolled precious metals and articles thereof; imitations jewellery
	I. *Pearls and precious and semi-precious stones*
71·01	Pearls, unworked or worked, but not mounted set or strung (except ungraded pearls temporarily, strung for convenience of transport).
71·02	Precious and semi-Precious stones unworked, cut or otherwise worked, but not mounted set or strung (except ungraded stones temporarily strung for convenience of transport).
71·03	Synthetic or reconstructed precious or semi-precious stones, unworked, cut or otherwise worked, but not mounted, set or strung (except ungraded stones temporarily strung for convenience of transport).
71·04	Dust and powder of natural or synthetic precious or semi-precious stones.
	II. *Precious metals and rolled precious metals, unwrought, unworked or semi-manufactured*
71·05	Silver, including silver gilt and platinium-plated silver, unwrought or semi-manufactured.
71·06	Rolled silver, unworked or semi-manufactured.
71·07	Gold, including platinum-plated gold, unwrought or semi-manufactured.
71·08	Rolled gold on base metal or silver, unworked or semi-manufactured.
71·09	Platinum and other metals of the platinum group unwrought or semi-manufactured.
71·10	Rolled platinum or other platinum group metals, on base metal or precious metal, unworked or semi-manufactured.
71·11	Goldsmiths', silversmiths' and jewellers' sweepings, residues, lemels, and other waste and scrap, or precious metal.
	III. *Jewellery, goldsmith and silversmiths' ware and other articles*
71·12	Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal or rolled precious metal.
71·13	Articles of goldsmiths' or silversmiths' wares and parts thereof, of precious metal or rolled precious metal, other than goods falling within heading No. 71·12.
71·14	Other articles, of precious metal or rolled precious metal.
71·15	Articles consisting of, or incorporating, pearls, precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed).
71·16	Imitation jewellery.
	CHAPTER 72
	Coin
72·01	Coin.
	SECTION XV
	BASE METALS AND ARTICLES OF BASE METALS
	CHAPTER 73
	Iron and Steel and articles thereof
73·01	Pig iron, cast iron and spiegeleisen, in pigs, blocks, lumps and similar forms.
73·02	Ferro-alloys.
73·03	Waste and scrap metal of iron or steel.
73·04	Shot and angular grit, of iron or steel, whether or not graded; wire pellets of iron or steel.
73·05	Iron or steel powders; sponge iron or steel.
73·06	Puddled bars and pilings; ingots, blocks, lumps and similar forms, of iron or steel.
73·07	Blooms, billets, slabs and sheet bars (including tinplate bars), of iron or steel; pieces roughly shaped by forging, of iron or steel.
73·08	Iron or steel coils for re-rolling.
73·09	Universal plates of iron or steel.
73·10	Bars and rods (including wire rod), of iron or steel, hot rolled, forged, extruded, cold-formed or cold-finished (including precision-made); hollow mining drill steel.
73·11	Angles, shapes and sections, of iron or steel, hot rolled, forged, extruded, cold-formed or cold finished; sheet piling of iron or steel, whether or not drilled, punched or made from assembled elements.
73·12	Hoop and strip, of iron or steel, not rolled or cold-rolled.
73·13	Sheets and plates, of iron or steel, hot-rolled or cold-rolled.
73·14	Iron or steel wire, whether or not coated, but not insulated.
73·15	Alloy steel and high carbon steel in the forms mentioned in heading Nos. 73·06 to 73·14.
73.16	Railway and tramway track construction materials of iron or steel the, following; rails, check-rails, switch blades, crossings (or frogs) crossing pieces, point rods, rack rails, sleepers, fish-plates, chairs, chair wedges, sole plates (base plates), rail clips, bedplates, ties and other material specialised for joining or fixing rails.
73.17	Tubes and tpipes, of cast iron.
73·18	Tubes and pipes and blanks thereof, of iron (other than of cast iron) or steel, excluding high-pressure, hydro-electric conduits.
73·19	High-pressure hydro-electric conduits of steel, whether or not reinforced.
73·20	Tube and pipe fittings (for example, joints, bows, unions and finges), of iron or steel.

APPENDIX 2—contd.

SCHEDULE I—contd.

1	2
73·21	Structures and parts of structures (for example hangers, and other buildings, bridges and bridge sections, lock gates, towers, lattice masts, roofs, roofing frame works, door and window frames, shutters, balustrades, pillars and columns), of iron or steel; plates, strip, rods, angles, shapes, section, tubes and the like, prepared for use in structures, of iron or steel.
73·22	Reservoirs, tanks, vats and similar containers, for any material (other than compressed or lequefied gas), of iron, or steel, of a capacity exceeding 300 l, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment.
73·23	Casks, drums, cans, boxes and similar containers, of sheet or plate iron or steel, of a description commonly used for the conveyance or packing of goods.
73·24	Containers, of iron or steel, for compressed or liquefied gas.
73·25	Stranded wire, cables, cordage, ropes, plaited bands, slings and the like, of iron or steel wire, but excluding insulated electric cables.
73·26	Barbed iron or steel wire; twisted hood or single flat wire, barbed or not ; and loosely twisted double wire, of kinds used for fencing, of iron or steel.
73·27	Gauze, cloth, grill, netting, fencing reinforcing fabrics and similar materials, of iron or steel wire.
73·28	Expanded metal, of iron or steel.
73·29	Chain and parts thereof, of iron or steel.
73·30	Anchors and grapnels and parts thereof, of iron or steel.
73·31	Nails, tacks staples, hook-nails, corrugated nails spiked cramps, studs, spikes and drawing pins of iron or steel; whether or not with heads of other materials, but not including such articles with heads of copper.
73·32	Bolts and nuts (including bolt ends and screw studs), whether or not threaded or tapped, and screws (including screw hooks and screw rings), of iron or steel; rivets, cotters, cotter-pins, washers and spring washers, of iron or steel.
73·33	Needles for hand sewing (including embroidery), hand carpet needles and hand knitting needles, bodkins, crochet hooks, and the like and embroidery stilletos, of iron or steel.
73·34	Pins (excluding hatpins and other ornamental pins and drawing pins), hairpins and curling grips, of iron or steel.
73·35	Springs and leaves for springs, of iron or steel.
73·36	Stoves (including stoves with subsidiary boilers for central heating), ranges, cookers, grates fires and other space heaters, gas-rings, plate warmers with burners, wash boilers with grates or other heating elements, and similar equipment, of a kind used for domestic purposes, not electrically operated, and parts thereof, of iron or steel.
73·37	Boilers excluding boilers of heading No. 84·01 and radiators, for central heating, not electrically heated, and parts thereof, of iron or steel; air heaters and not air distributors (including those which can also distribute cool or conditioned air), not electrically heated, incorporating a motor-driven fan or blower, and parts thereof, of iron or steel.
73·38	Articles of a kind commonly used for domestic purposes, sanitary ware for indoor use, and parts of such articles and of ware, iron or steel-
73·39	Iron or steel wool; not scourers and scouring and polishing pads, gloves and the like, of iron or steel.
73·40	Other articles of iron or steel.
	CHAPTER 74
	Copper and articles thereof
74·01	Copper matte; unwrought copper (refined or not); copper waste and scrap.
74·02	Master alloys.
74·03	Wrought bars, rods, angles, shapes and sections, of copper; copper wire.
74·04	Wrought plates, sheets and strip of copper.
74·05	Copper foil (whether or not embossed, cut to shape, perforated, coated, printed or backed with paper or other reinforcing material), of a thickness (excluding any backing) not exceeding 0·15 mm.
74·06	Copper powders and flakes.
74·07	Tubes and pipes and blanks thereof, of copper; hollow bars of copper.
74·08	Tube and pipe fittings (for example, joints, elbows, sockets and flanges), of copper.
74·09	Reservoirs, tanks, vats and similar containers, for any material (other than compressed or liquefied gas), of copper, of a capacity exceeding 300 l, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment.
74·10	Stranded wire, cables, cordage, ropes, plaited bands and the like, of copper wire, but excluding insulated electric wires and cables.
74·11	Gauge, cloth, grill, netting, fencing, reinforcing fabric and similar materials (including endless bands), of copper wire.
74·12	Expanded metal, of copper.
74·13	Chain and part thereof, of copper
74·14	Nails, tacks, staples, hook-nails, spiked cramps, studs, spikes and drawing pins, of copper, or of iron or steel with heads of copper.
74·15	Bolts and nuts (including bolt ends and screw studs), whether or not threaded or tapped, and screws (including screw hooks and screw rings), of copper; rivets, cotters, cotter-pins, washers and spring washers, of copper.
74·16	Springs, of copper.
74·17	Cooking and heating apparatus of a kind used for domestic purposes, not electrically operated, and parts thereof, of copper.
74·18	Other articles of a kind commonly used for domestic purposes, sanitary ware for indoor use, and parts of such articles and ware, of copper.
74·19	Other articles of copper.
	CHAPTER 75
	Nickel and articles thereof
75·01	Nickel mattes, nickel spiess and other intermediate products of nickel metallurgy; unwrouget nickel (excluding electro-plating anodes); nickel waste and scrap.

APPENDIX 2—contd

SCHEDULE I—contd

1	2
75·02	Wrought bars, rods, angles, shapes and sections, of nickel; nickel wire.
75·03	Wrought plates, sheets and strips, of nickel; nickel foil; nickel powders and flakes.
75·04	Tubes and pipes and blanks thereof, of nickel; hollow bars, and tube and pipe fittings (for example, joints, elbows, sockets and flanges), of nickel.
75·05	Electro-plating anodes, of nickel, wrought or unwrought, including those produced by electrolysis.
75·06	Other articles of nickel.
	CHAPTER 76
	Aluminium and articles thereof
76·01	Unwrought aluminium; aluminium waste and scrap.
76·02	Wrought bars, rods, angles, shapes and sections, of aluminium; aluminium wire.
76·03	Wrought plates, sheets and strip, of aluminium.
76·04	Aluminium foil (whether or not embossed, cut-to shape, perforated, coated, printed, or backed with paper or other reinforcing materials), of a thickness (excluding any backing) not exceeding 0·20 mm
76 05	Aluminium powders and flakes.
76.06	Tubes and pipes and blanks thereof, of aluminium; hollow bars of aluminium
76·07	Tube and pipe fittings (for example, joints, elbows, sockets and flanges), of aluminium.
76·08	Structures and parts of structures (for example hangars and other buildings, bridges and bridge-sections, towers, latice masts, roofs, roofing frameworks, door and window frames, balustrades, pillars and columns) of aluminium; plates, rods, angles, shapes, sections, tubes and the like, prepared for use in structure, of aluminium
76 09	Reservoirs, tanks, vats and similar containers for any material (other than compressed or liquefied gas), of aluminium of a capacity exceeding 300 l, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment.
76.10	Casks, drums, cans, boxes, and similar containers (including rigid and collapsible tubular containers), of aluminium, of a description commonly used for the conveyance or packing of goods
76·11	Containers of aluminium, for compressed or liquefied gas.
76·12	Stranded wire, cables, cordage, ropes, plaited bands and the like, of aluminium wire, but excluding insulated electric wires and cables.
76·13	Gauze, cloth, grill, netting, reinforcing fabric and similar materials of aluminium wire.
76·14	Expanded metal, of aluminium
76·15	Articles of a kind commonly used for domestic purposes sanitary ware for indoor use and parts of such articles and ware, of aluminium.
76·16	Other articles of aluminium

1	2
	CHAPTER 77
	Magnesium and beryllium and articles thereof
77·01	Unwrought magnesium; magnesium waste (excluding shavings of uniform size) and scrap.
77·02	Wrought bars, rods, angles, shapes and sections of magnesium; magnesium wire; wrought plates sheets and strip, of magnesium; magnesium foil; raspings and shavings of uniform size powders and flakes, of magnesium; tubes and pipes and blanks thereof, of magnesium, hollow bars of magnesium.
77·03	Other articles of magnesium.
77·04	Beryllium, unwrought or wrought, and articles there of.
	CHAPTER 78
	Lead and articles thereof
78·01	Unwrought lead (including argentiferous lead); lead waste and scrap.
78·02	Wrought bars, rods, angles, shapes and sections of lead; lead wire.
78·03	Wrought plates, sheets and stip, of lead.
78·04	Lead foil (whether or not embossed, cut to shape, perforated, coated, printed, or backed with paper or other reinforcing material), of a weight (excluding any backing) not exceeding 1,700 g/m²; lead powders and flakes.
78·05	Tubes and pipes and blanks thereof, of lead; hollow bars, and tube and pipe fittings (for example, joints, elbows, sockets, flanges and S-bends) of lead.
78·06	Other articles of lead.
	CHAPTER 79
	Zinc and articles thereof
79·01	Unwrought zinc; zinc waste and scrap.
79·02	Wrought bars, rods, angles, shapes and sections, of zinc; zinc wire
79·03	Wrought plates; sheets and strip, of zinc; zinc foil; zinc powders and flakes.
79·04	Tubes and pipes and blanks thereof, of zinc) hollow bars, and tube and pipe fittings (for example, joints, elbows, sockets and flanges of zinc
79·05	Gutters, roof capping, skylight frames, and other fabricated building components, of zinc.
79·06	Other articles of zinc.
	CHAPTER 80
	Tin and articles thereof
80·01	Unwrought tin; tin waste and scrap.
80·02	Wrought bars, rods, angles, shapes and sections of tin; tin wire
80·03	Wrought plates, sheets and strip, of tin.
80·04	Tin foil (whether or not embossed, cut to shape, perforated, coated, printed or backed

APPENDIX 2—*contd*

SCHEDULE 1—*contd.*

1	2
	with paper or other reinforcing material), of a weight (excluding any backing) not exceeding 1 Kgm²; tin powders and flakes.
80·05	Tubes and pipes and blanks therefor, of tin hollow bars, and tube and pipe fittings (for example, joints, elbows, sockets and flanges), of tin.
80·06	Other articles of tin.
	CHAPTER 81
	Other base metals employed in metallurgy and articles thereof
81·01	Tungsten (wolfram), unwrought or wrought, and articles thereof.
81·02	Molybdenum, unwrought or wrought, and articles thereof.
81·03	Tantalum, unwrought or wrought, and articles thereof.
81·04	Other base metals, unwrought or wrought, and articles thereof; cermets, unwrought or wrought, and articles thereof.
	CHAPTER 82
	Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metals; parts thereof
82·01	Hand tools, the following; spades, shovels, picks, hoes, forks and rakes; axes, bill hooks and similar hewing tools; schythes, sickles, hay knives, grass shears, timber wedges and other tools of a kind used in agriculture, horticulture or forestry.
82·02	Saws (non-mechanical) and blades for hand or machine saws (including toothless saw blades).
82·03	Hand tools, the following pliers (including cutting pliers), pincers, tweezers, tinmen's snips, bolt croppers and the like; perforating punches; pipe cutters; spanners and wrenches (but not including tap wrenches), files and rasps.
82·04	Hand tools, including glaziers diamonds, not falling within any other heading of this Chapter; blow lamps anivils; vices and clamps other than accessories for, and parts of machine tools, portable forges; grinding wheels with frameworks (hand or pedal operated)
82·05	Interchangeable tools for hand tools, for machine tools or for power-operated hand tools (for example, for pressing, stamping, drilling, tapping, threading, boring, broaching, milling, cutting, turning, dressing, morticing or screw driving) including dies for wire drawing extrusion dies for metal, and rock drilling bits.
82·06	Knives and cutting blades, for machines or for mechanical appliances.
82·07	Tool-tips and plates, sticks and the like for tool-tips, unmounted, of sintered metal carbides (for example, carbides of tungsten, molybdenum or vanadium).
82.08	Coffee-mills, miners, juice-extractors and other mechanical appliances of a weight not exceeding 10 kg. and of a kind used for domestic purposes in the preparation servicing or conditioning of food or drink.
82·09	Knives with cutting blades serrated or not (including pruning knives), other than knives falling within heading No. 82·06.
82·10	Knife blades.
82·11	Razors and razor blades (including razor blade) blanks, whether or not in strips.
82·12	Scissors (including tailors' shears) and blades thereof.
82·13	Other articles of cutlery (for example, secateurs, hair clippers, butchers' cleaves, paper knives); manicure and chiropody sets and appliances (including nail files).
82·14	Spoons, forks, fish-eaters, butter-knives, ladles and similar kitchen or tableware.
82·15	Handles of base-metal for articles falling within heading No. 82 09, 82·13 or 82·14
	CHAPTER 83
	Miscellaneous articles of base metal
83·01	Locks and padlocks (key, combination or electrically operated), and parts thereof, of base metal; frames incorporating locks, for handbags, trunks or the like, and parts of such frames, of base metal; keys for any of the foregoing articles, of base metal
83·02	Base metal fittings and mountings of a kind suitable for furniture doors, staircases, windows blinds, coachwork, saddlery, trunks, caskets and the like (including automatic door closers), base metal hat racks, hatpegs, brackets and the like.
83·03	Safes, strong boxes, armoured or reinforced strong-rooms, strong-room linings and strong-room doors, and cash and deed boxes and the like, of base metal
83·04	Filing cabinets, racks, sorting boxes, paper trays, paper rests and similar office equipment, of base metal, other than office furniture falling within heading No. 94 03.
83·05	Fittings or loose-leaf binders, for files or for stationery books, of base metal; letter clips, paper clips, staples, indexing tags, and similar stationery goods, of base metal.
83·06	Statuettes and other ornaments of a kind used indoors, of base metal
83·07	Lamps and lighting fittings, of base metal, and parts thereof, of base metal (excluding switches, electric lamp holders, electric lamps for vehicles, electric battery or magneto lamp and other articles falling within Chapter 85 except heading No. 85·22).
83·08	Flexible tubing and piping of base metal.
83·09	Clasps, frames with clasps for handbags, and the like, buckets, buckle, clasps, hooks, eyes, eyelets, and the like, of base metal, of a kind commonly used for clothing travel goods, handbags, or other textile or leather goods; tubular rivets and bifurcated rivets, of base metal
83·10	Beads and spangles, of base metal.
83·11	Bells and gongs, non-electric, of base metal, and parts thereof of base metal.
83·12	Photograph, picture and similar frames, of base metal; mirrors of base metal.
83·13	Stoppers, crown corks, bottle caps, capsules, bung covers, seals and plombs, case, corner protectors and other packing accessories, of base metal.
83·14	Sign-plates, name plates, numbers, letters and other signs, of base metal
83·15	Wire, rods, tubes, plates, electrodes and similar products, of base metal or of metal carbides coated or cored with flux material, of a kind used for soldering, razing, welding deposition of metal or of metal carbides; wire and rods of agglomerated base metal powder, used for metal spraying.

APPENDIX 2—*contd.*

SCHEDULE 1—*contd.*

1	2
	SECTION XVI
	BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES, PARTS THEREOF, ELECTRICAL EQUIPMENT; PARTS THEREOF
	CHAPTER 84
	Boilers, Machinery and Mechanical Appliances; Parts thereof
84·01	Steam and other vapour generating boilers (excluding central heating hot water boilers capable also of producing low pressure steam); super-heated water boilers.
84 02	Auxiliary plant for use with boilers of heading No. 84·01 (for example, economisers, super-heaters, soot removers, gas recoverers and the like; condensers for vapour engines and power units.
84·03	Producer gas and water gas generators, with or without purifiers; acetylene gas generators (water process) and similar gas generators, with or without purifiers.
84·04	Steam engines (including mobile engines, but not steam tractors falling withi heading No. 87·01 or mechanically propelled road rollers) with self-contained boilers.
84·05	Steam and other vapour power units not incorporating boilers.
84·06	Internal combustion piston engines.
84·07	Hydraulic engines and motors (including water wheels and water turbines).
84·08	Otheer engines and motors.
84·09	Mechanically propelled road rollers.
84·10	Pumps (including motor pumps and turbo-pumps) for liquids, whether or not fitted with measuring devices; liquid elevators of bucket, chain, screw, band and similar kinds.
84·11	Air pumps vacuum pumps and air or gas compressors (including motor and turbo pumps and compressors and free-piston, generators for gas turbines) fans blowers, and the like.
84·12	Air conditioning machines, self-contained, comprising a motor-driven fan and elements for changing the temperature and humidity of air.
84·13	Furnace burners for liquid fuel (atomisers), for pulverised solid fuel, or for gas; mechanical stokers, mechanical grates, mechanical ash dischargers and similar appliances.
84·14	Industrial and laboratory furnaces and ovens, non-electric.
84·15	Refrigerators and refrigerating equipment (electrical and other).
84·16	alendering and similar rolling machines (other than metal-working and metal-rolling machines and glass-working machines) and cylinders thereof.
84·17	Machinery, plant and similar laboratory equipment, whether or not electrically heated, for the treatment of materials by a process involving a change of temperature such as heating, cooking, roasting, distilling, rectifying, sterilising, pasteurising steaming, drying evaporating, vapourising, condensing or cooling, not being machinery or plant of a kind used for domestic purposes; instantaneous or storage water heaters, non-electrical.
84·18	Centrifuges; filtering and purifying machinery and apparatus (other than filter funnels, milk strainers and the like), for liquids or gases.
84·19	Machinery for cleaning or drying bottles or other containers; machinery for filling, closing, sealing, capsuling or labelling bottles, cans, boxes, bags or other containers; other packing or wrapping machi-ery; machinery for aerating beverages, dish washing machines.
84·20	Weighing machinery (excluding balances of a sensitivity of 5 cg. or better), including weight-operated counting and checking machines; weighing machine weights of all kinds.
84·21	Mechanical appliances (whether or not hand operated) for projecting, dispersing or spraying liquids or powders; fire extinguishers (charged or not); spray guns and similar appliances; steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines.
84·22	Lifting, handling, loading or unloading machinery, telphers and conveyors (for example, lifts, hoists, winches, cranes, transporter cranes, jacks, pulley tackle, belt conveyors and teleferics), not being machinery falling within heading No. 84·23.
84·23	Excavating, levelling, tamping, boring and extracting machinery, stationary or mobile, for earth, minerals or ores for example, mechanical shovels, coal-cutters, excavators, scrapers, levellers and buldozers; pile-drivers; snow-ploughs not self-propelled (including snow-plough attachments).
84·24	Agricultural and horticultural machinry for soil preparation or cultivation (for example, ploughs, harrows, cultivators, seed and fertiliser distributors); lawn and sports ground rollers.
84·25	Harvesting and threshing machinery; straw and fodder presses; hay or grass mowers; winnowing and similar cleaning machines for seed, grain or leguminous vegetables and egg-grading and other grading machines for agricultural produce (other than those of a kind used in the bread grain milling industry falling within heading No. 84·29).
84·26	Dairy machinery (including milking machines).
84·27	Presses, crushers and other machinery of a kind used in wine-making, cider-making, fruit-juice preparation or the like.
84·28	Other agricultural, horticultural, poultry keeping and bee-keeping machinery; germination plant fitted with mechanical or thermal equipment; poultry incubators and brooders.
84·29	Machinery of a kind used in the bread grain milling industry, and other machinery (other than farm type machinery) for the working of cereals or dried leguminous vegetables.
84·30	Machinery, not falling within any other heading of this Chapter, of a kind used in the following food or drink industries; bakery, confectionery, chocolate manufacture, macaroni, ravioli or similar cereal food manufacture, the preparation of meat, fish, fruit or vegetables (including mincing, or slicing machines), sugar manufacture or brewing.
84·31	Machinery for making or finishing cellulosic pulp, paper or paper-board.
84·32	Book-binding machinery, including book-sewing machines.
84·33	Paper or paperboard cutting machines of all kinds; other machinery for making up paper pulp, paper or paperboard.

APPENDIX 2—contd.

SCHEDULE I—contd.

1	2
84·34	Machinery, apparatus and accessories for type-founding or type-setting; machinery, other than the machine-tools of heading No. 84·45, 84·46, 84·47, for preparing or working printing blocks, plates or cylinders; printing type, impressed flongs and matrices printing blocks, plates and cylinders; blocks, plate, cylinders and lithographic stones, prepared for printing purposes (for example, planed, grained or polished).
84·35	Other printing machinery; machines for use ancillary to printing
84·36	Machines for extruding man-made textiles machines of a kind used for processing natural or man-made textile fibres; textile spinning and twisting machines; textile doubling, throwing and reeling (including weft-winding) machines.
84·37	Weaving machines, knitting machines and machines for making gimped yarn, tulle, lace embroidery, trimmings, braid or net; machines for preparing yarns for use on such machines, including warping and warp sizing machines.
84·38	Auxiliary machinery for use with machines of heading No. 84·37 (for example, dobbies, jacquards, automatic stop motions and shuttle changing mechanisms); parts and accessories suitable for use solely or principally with the machines of the present heading or with falling within heading No. 84·36 or 84·37 (for example, spindles and spindle flyers, card clothing, bombs, extruding nipples, shuttles, heads and heald-lifters and hosiery needles).
84·39	Machinery for the manufacture or finishing of felt in the piece or in shapes, including felt-hat making machines and hat-making blocks.
84·40	Machinery for washing, cleaning, drying, bleaching, dyeing, dressing, finishing or coating textile yarns, fabrics or made-up textiles articles (including laundry and dry-cleaning machinery); fabric folding, reeling or cutting machines; machines of a kind used in the manufacture of linoleum or other floor coverings for applying the paste to the base fabric or other floor coverings; machines of a type used for printing a repetitive design, repetitive words or over-all colour on textiles, leather, wallpap.., wrapping paper, linoleum or other materials, and engraved or etched plates, blocks, or rollers therefor.
84·41	Sewing machines, furniture specially designed for sewing machines; sewing machine needles.
84·42	Machinery (other than sewing machines) for preparing, tanning, or working hides, skins or leather (including boot and shoe machinery).
84·43	Converters, ladles, ingot moulds and casting machines, of a kind used in metallurgy and in metal foundries.
84·44	Rolling mills and rolls therefor.
84·45	Machine-tools for working metal or metal carbides, not being machines falling within heading No. 84·49 or 84·50.
84·46	Machine-tools for working stone, ceramics, concrete, asbestos-cement and like mineral materials or for working glass in the cold, other than machines falling within heading No. 84·49 or 84·50.
84·47	Machine-tools for working wood, cork, bone ebonite (vulcanite), hard artificial plastic materials or other hard carrying materials other than machines falling within heading No. 84·49.
84·48	Accessories and parts suitable for use solely or principally with the machines falling within heading Nos. 84·45 to 84·47, including work and tool holders, self-opening dieheads, dividing heads and other appliances for machine-tool holders for any type of tool or machine-tool for working in the hand.
84.49	Tools for working in the hand, pneumatic with self-contained non-electric motor.
84·50	Gas-operated welding, brazing, cutting and surface tempering appliances.
84.51	Typewriters, other than typewriters incorporating calculating mechanisms, cheque-writing machines.
84·52	Calculating machines; accounting machines, cash registers, postage-franking machines, ticket-issuing machines and similar machines, incorporating a calculating device.
84·53	Automatic data processing machines and units thereof; magnetic or optical readers, machines for transcribing data into data media in coded form and machines for processing such data, not elsewhere specified or included.
84·54	Other office machines (for example, hectograph or stencil duplicating machines, addressing machines, coin-sorting machines, coin-counting and wrapping machines, pencil-sharpening machines, perforating and stapling machines).
84·55	Parts and accessories (other than covers, carrying cases and the like) suitable for use solely or principally with machines of a kind falling within heading No. 84·51, 84·52, 84·53 or 84·54.
84·56	Machinery for sorting, screening, separating washing, crushing, grinding or mixing earth stone, ores or other mineral substances, in solid (including powder and paste) form, machinery for agglomerating, moulding or shaping solid mineral fuels, ceramic paste, unhardened cements, plastering materials or other mineral products in powder or paste form; machines for forming foundry moulds of sand.
84·57	Glass-working machines (other than machines for working glass in the cold); machines for assembling electric filament and discharge lamp and electronic and similar tubes and valves.
84·58	Automatic vending machines (for example, stamp, cigarette, chocolate and food machines), not being games of skill or chance.
84 59	Machines and mechanical appliances, having individual functions, not falling within any other heading of this chapter.
84·60	Moulding boxes for metal foundry; moulds of a type used for metal (other than ingot moulds), for metal carbides, for glass, for mineral materials (for example, ceramic pastes, concrete or cement) or for rubber or artificial plastic materials.
84.61	Taps, cocks, valves and similar appliances, for pipes boiler shells, tanks, vats and the like, including pressure reducing valves and thermo-statically controlled valves.
84·62	Ball, roller or needle roller bearings.
84·63	Transmission shafts, cranks, bearing housings plain shaft bearings, gears and gearing (including friction gears and gear-boxes and other variable speed gears), flywheels, pulleys and pulley blocks, clutches and shaft couplings

APPENDIX 2—contd.

SCHEDULE I—contd.

1	2
84·64	Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other material (for example, asbestors, felt and paperboard) or of laminated metal foil; sets or assortments of gaskets and similar joints, dissimilar in composition, for engines, pipes, tubes, and the like, put up in pouches, envelopes or similar packings.
84·65	Machinery parts, not containing electrical connectors, insulators, coils, contacts or other electrical features and not falling within any other heading in this Chapter.

CHAPTER 85

Electrical machinery and equipment ; parts thereof

1	2
85·01	Electrical goods of the following descriptions; generators, motors, converters (rotary or static), transformers, rectifiers and rectifying apparatus, inductors.
85·02	Electro-magnets, permanent magnets and articles of special materials for permanent magnets, being blanks of such magnets; electro-magnetic, and permanent magnet chucks, clamps, vices and similar work holders; electro-magnetic clutches and couplings; electro-magnetic brakes; electro-magnetic lifting heads.
85·03	Primary cells and primary batteries.
85·04	Electric accumulators.
85.05	Tools for working in the band, with self-contained electric motor.
85·06	Electro-mechanical domestic appliances, with self-contained electric motor.
85.07	Shavers and hair clippers with self-contained electric motor.
85·08	Electrical starting and ignition equipment for internal combustion engines (including ignition magnetos, magneto-dynamos ignition coils; starter motors, sparking plugs and glow plugs); generators (dynamos and alternators) and cut outs for use in conjunction with such engines.
85·09	Electrical lighting and signalling equipment and electrical windscreen wipers, defrosters and demisters, for cycles or motor vehicles.
85·10	Portable electric battery and magneto lamps other than lamps falling within heading No. 85·09.
85·11	Industrial and laboratory electric furnaces, ovens and induction and dielectric heating equipment; electric welding, brazing and soldering machines and apparatus and similar electric machines and apparatus for cutting.
85·12	Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters; electric soil heating apparatus and electric space heating apparatus; electric hair dressing appliances (for example hair dryers, hair curlers, curling tong heaters) and electric smoothing irons; electro-thermic domestic appliances; electric heating resistors, other than those of carbon.
85·13	Electric line telephonic and telegraphic apparatus (including such apparatus for carrier current line systems).
85·14	Microphones and stands therefor; loudspeakers; audio-frequency electric amplifiers.
85·15	Radiotelegraphic and radiotelephonic transmission and reception apparatus, radio-broadcasting and television transmission and reception apparatus (including receivers incorporating sound recorders or reproducers) and television cameras; radio navigational aid apparatus, radar apparatus and radio remote control apparatus.
85·16	Electric traffic control equipment for railways, roads or inland water-ways and equipment used for similar purposes in port installations or upon airfields.
85·17	Electric sound or visual signalling apparatus (such as bells, sirens, indicator panels, burglar and fire alarms) other than those of heading No. 85·09 or 85·16
85·18	Electrical capacitors, fixed or variable
85·19	Electrical apparatus for making and breaking electrical circuits, for the protection of electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, relays, fuses, lighting arresters, surge suppressors, plugs, lampholders and junction boxes); resistors, fixed or variable (including potentiometers); other than heating resistors; printed circuits switch boards (other than telephone switchboards) and control panels.
85·20	Electrical filament lamps and electric discharge lamps (including infra-red and ultra-violet lamps); arc-lamps; electrically ignited photographic flashbulbs.
85·21	Thermionic, cold cathode and photo-cathode valves and tubes (including vapour or gas filled valves and tubes, cathode-ray tubes, television camera tubes and mercury arc rectifying valve and tubes); photocells; mounted piezo-electric crystals; diodes, transistors and similar semiconductors devices; electronic microcircuits.
85·22	Electrical appliances and apparatus, having individual functions, not falling within and other heading of this Chapter.
85·23	Insulate (including enamelled or anodised) electric wire, cable, bars, strips and the like (including co-axial cable), whether or not fitted with connectors.
85·24	Carbon brushes, arc-lamp carbons, battery carbons, carbon electrodes and other carbon articles or a kind used for electrical purposes
85·25	Insulators of any material
85·26	Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment, being fittings wholly of insulating material apart from any minor components of metal incorporated during moulding solely for purposes of assembly, but not including insulators falling within heading No. 85·25.
85·27	Electrical conduit tubing and joints therefore of base metal lined with insulating material.
85·28	Electrical parts of machinery and apparatus, not being goods falling within any of the preceding headings of this Chapter.

APPENDIX 2- contd

SCHEDULE I—contd.

1	2
	SECTION XVII
	VEHICLES, AIRCRAFTS AND PARTS THEREOF; VESSELS AND CERTAIN ASSOCIATED TRANSPORT EQUIPMENT
	CHAPTER 86
	Railway and Tramway Locomotives rolling-stock and parts thereof; Railway and Tramway track fixtures and fittings; traffic signalling equipment of all kinds (not electrically powered)
86·01	Steam rail locomotives and tenders.
86·02	Electric rail locomotives, battery-operated or powered from an external source of electricity.
86·03	Other rail locomotives.
86·04	Mechanically propelled railway and tramway coaches, vans and trucks, and mechanically propelled track inspection trolleys.
86·05	Railway and tramway passenger coaches and luggage vans; hospital coaches, prison coaches, testing coaches, travelling post office coaches and other special purpose railway coaches.
86·06	Railway and tramway rolling-stock, the following; workshops, cranes and other service vehicles.
86·07	Railway and tramway goods vans, goods wagons and trucks.
86·08	Containers specially designed and equipped for carriage by one or more modes of transport.
86·09	Parts of railway and tramway locomotives and rolling-stock.
86·10	Railway and tramway, track fixtures and fittings; mechanical equipment, not electrically powered for signalling to or controlling road, rail or other vehicles, ships or aircraft; parts of the foregoing fixtures, fittings equipment.
	CHAPTER 87
	Vehicles, other than railway or tramway rolling-stock, and parts thereof
87·01	Tractors (other than those falling within heading No. 87·07) whether or not fitted with power take-offs; winches or pulleys.
87·02	Motor vehicles for the transport of persons, goods or materials (including sports motor vehicles, other than those of heading No. 87·09).
87·03	Special purpose motor lorries and vans (such as breakdown lorries, fire-engines, fire-escapes, road sweeper lorries, snow-ploughs soPraying lorries, crane lorries, searchlight lorries, mobile workshops and mobile radiological units) but not including the motor vehicles of heading No 87·02.
87·04	Chasis fitted with engines, for the motor vehicles falling within heading No. 87·01, 87·02 or 87 03.
87·05	Bodies (including cabs), for the motor vehicles falling within heading No. 87·01, 87·02 or 87·03
87·06	Parts and accessories of the motor vehicles falling within heading No. 87 01, 87·02 or 87·03.
87·07	Works trucks, mechanically propelled of the types used in factories, warehouses, dock areas or airports for short distance transport or handling of goods for example, platform trucks, fork-lift trucks and straddle carriers); tractors of the type used on railway station platforms; parts of the foregoing vehicles.
87·08	Tanks and other armoured fighting vehicles, motorised whether or not fitted with weapons, and parts of such vehicles.
87·09	Motor-cycles, auto-cycles and cycles fitted with an auxiliary motor, with or without side-cars; side-cars of all kinds.
87·10	Cycles (including delivery tricycles), not motorised.
87·11	Invalid carriages, fitted with means of mechanical propulsion (motorised or not).
87·12	Parts and accessories of articles falling within heading No. 87·09, 87·10 or 87·11.
87·13	Baby carriages and invalid carriages (other than motorised or otherwise mechanically propelled) and parts thereof.
87·14	Other vehicles (including trailers), not mechanically propelled, and parts thereof.
	CHAPTER 88
	Aircraft and parts thereof; parachutes; catapults and similar aircraft launching gear; ground flying trainers
88·01	Balloons and airships
88·02	Flying machines, gliders and kites; parachutes.
88·03	Parts of goods falling in heading No. 88·01 or 88·02
88·04	Parachutes and parts thereof and accessories thereto.
88·05	Catapults and similar aircraft launching gear; ground flying trainers; parts of any of the foregoing articles.
	CHAPTER 89
	Ships, boats and floating structures
89·01	Ships, boats and other vessels not falling with any of the following headings of this Chapter.
89·02	Vessels specially designed for towing (tugs) or pushing other vessels.
89·03	Light-vessels, fire-floats, dredgers of all kinds, floating cranes, and other vessels the navigability of which is subsidiary to their main function; floating docks.
89·04	Ships, boats and other vessels for breaking up.
89·05	Floating structures other than vessels (for example, coffer-dams, landing stages, buoys and beacons).

SECTION XVIII

OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL AND SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; CLOCKS AND WATCHES; MUSICAL INSTRUMENTS, SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, MAGNETIC, PARTS THEREOF.

CHAPTER 90

Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical and surgical instruments and apparatus ; parts thereof.

1	2
90·01	Lenses, prisms, mirrors and other optical elements, of any material, unmounted, other than such elements of glass not optically worked; sheets or plates, of polarising material.
90·02	Lenses, prisms, mirrors and other optical elements, of any metrial, mounted, being parts of or fittings for instruments or apparatus, other than such elements of glass not optically worked.
90·03	Frames and mountings, and parts thereof, for spectacles, pince-nez, lorgnettes, goggles and the like.
90·04	Spectacles, pince-nez, lorgnettes, goggles and the like, corrective, protective or other.
90·05	Refracting telescopes (monocular and binocular) prismatic or not.
90·06	Astronomical instruments (for example, reflecting telescopes, transit instruments and equatorial telescopes), and mountings, therefor, but not including instruments for radio-astronomy.
90·07	Photographic cameras; photographic flashlight apparatus.
90·08	Cinematographic cameras, projectors, sound recorders and sound reproducers; any combination of these articles.
90·09	Image projectors (other than cinematographic projectors); photographic (except cinematographic) enlargers and reducers.
90·10	Apparatus and equipment of a kind used in photographic or cinematographic laboratories, not falling within any other heading in this Chapter; photocopying apparatus (whether incorporating an optical system or of the contact type) and thermo-copying apparatus; screens for projectors.
90·11	Microscopes and diffraction apparatus, electron and proton.
90·12	Compound optical microscopes, whether or not provided with means for photographic or projecting the image.
90·13	Optical appliances and instruments (but not including lighting appliances other than searchlights or spotlights), not falling within any other heading of this Chapter.
90·14	Surveying (including photogrammetrical surveying), hydrographic, navigational meteorological, hydrological and geophysical instruments; compasses range-finders.
90·15	Balances of a sensitivity of 5 cg or better, with or without their weights.
90·16	Drawing, marking out and mathematical calculating instruments, drafting machines pantographs, side rules, disc calculators and the like; measuring or checking instruments, appliances and machines, not falling within any other heading of this Chapter (for example micrometers, callipers, gauges, measuring rods, balancing machines); profile projectors.
90·17	Medical, dental, surgical and veterinary instruments and appliances (including electro-medical apparatus and ophthalmic instruments).
90·18	Mechano-therapy appliances; massage apparatus; psychological aptitude-testing apparatus; artificial respiration, ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy or similar apparatus; breathing appliances (including gas masks and similar respirators).
90·19	Orthopaedic appliances, surgical belts, trusses and the like; splints and other fracture appliances; artificial limbs; eyes, teeth and other artificial parts of the body; hearing aids and other appliances which are worn or carried or implanted in the body, to compensate for a defect or disability.
90·20	Apparatus based on the use of X-rays or of the radiations from radio-active substances (including radiography and radiotherapy apparatus); X-ray generators; X-ray tubes; X-ray screens; X-ray high tension generators; X-ray control panels and desks : X-ray examination or treatment tables, chairs and the like.
90·21	Instruments, apparatus or models, designed sole ly for demonstrational purposes (for example in education or exhibition), unsuitable fo other uses.
90·22	Machines and appliances for testing mechani cally the hardness, strength, compressibility elasticity and the like properties of industria materials (for example metals, wood, textiles paper or plastics).
90·23	Hydrometers and similar instruments, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers, psychrometers, recording or not; any combination of these instruments.
90·24	Instruments and apparatus for measuring checking or automatically controlling the flow depth, pressure or other variables of liquids of gases, or for automatically controlling temperature (for example, pressure gauges, thermostats, level gauge, flow meters, heat meters automatic oven- draught regulators), not being articles falling within heading No. 90·14.
90·25	Instruments and apparatus for physical or chemical analysis (such as polarimeters, refractometers, spectrometers, gas analysis apparatus); instruments and apparatus for measuring or checking viscosity porosity, expansion, surface tension or the like (such as viscometers, porosimeters, expansion meters); instruments and apparatus for measuring or checking quantities of heat, light or sound such as photometers (including exposure meters), calorimeters; microtomes.
90·26	Gas, liquid and electricity supply or production meters, calibrating meters therefor.
90·27	Revolution counters, production counters, taximeters, mileometers, pedometers and the like, speed indicators (including magnetic speed indicators) and tachometers (other than articles falling within heading No. 90·14); stroboscopes.
90·28	Electrical measuring, checking, analysing or automatically controlling instrumehts and apparatus

APPENDIX 2—*contd.*

SCHEDULE I—*contd.*

1	2
90·29	Parts or accessories suitable for use solely or principally with one or more of the articles falling within heading No. 90·23, 90·24, 90·26, 90·27 or 90·28.

CHAPTER 91

Clocks and watches and parts thereof

1	2
91·01	Pocket-watches, wrist-watches and other watches, including stop-watches
91·02	Clocks with watch movements (excluding clocks of heading No. 91·03).
91·03	Instrument panel clock and clocks of a similar type, for vehicles, aircraft or vessels.
91·04	Other clocks.
91·05	Time of day recording apparatus; apparatus with clock or watch movement (including secondary movement) or with synchronous motor, for measuring recording or otherwise indicating intervals of time.
91·06	Time switches with clock or watch movement (including secondary movement) or with synchronous motor.
91·07	Watch movements (including stop-watch movements), assembled.
91·08	Clock movements, assembled.
91·09	Watch cases and parts of watch cases.
91·10	Clock cases and cases of a similar type for other goods of this Chapter, and parts thereof.
91·11	Other clock and watch parts.

CHAPTER 92

Musical instruments; sound recorders and reproducers; television image and sound recorders and reproducers, magnetics parts and accessories of such articles.

1	2
92·01	Pianos (including automatic pianos, whether or not with keyboards), harpsichords and other keyboard stringed instruments; harps but not including aeolian hapres.
92·02	Other string musical instruments
92·03	Pipe and read organs, including harmonium and the like.
92·04	Accordions concertings and similar musical instruments; mouth organs.
92·05	Other wind musical instruments
92·06	Percussion musical instruments (for example, drums, xylophones, cymbals, castanets).
92·07	Electro-magnetic, electrostatic, electronic and similar musical instruments (for example, pianos, organs, accordions).
92·08	Musical Instruments not falling within any other heading of this chapter (for example fair ground organs, mechanical street organs, musical boxes, musical saws); mechanical singing birds ; decoy calls and effects of all kinds; mouth—blown, sound signalling instruments (for example, whistles and bootswains' pipes).
92·09	Musical instrument strings.
92·10	Parts and accessories of musical instruments (other than strings), including perforated music rolls and mechanisms for musical boxes; metronomes, tuning forks and pitch pipes of all kinds.
92·11	Gramophones, dictating machines and other sound records and reproducers, including record-players and tape decks, with or without sound-heads; television image and sound recorders and reproducers, magnetic.
92·12	Gramophone records and other sound or similar recordings; matrices for the production of records, prepared record blanks, film for mechanical sound recording, prepared tapes, wires, strips and like articles of a kind commonly used for sound or similar recording.
92·13	Other parts and accessories of apparatus falling within heading No. 92·11.

SECTION XIX

ARMS AND AMMUNITIONS; PARTS THEREOF

CHAPTER 93

Arms and ammunitions; parts thereof

1	2
93·01	Side-arms (for example, swords, cutlasses and bayonets) and parts thereof and scabbards and sheaths therefor.
93·02	Revolvers and pistols, being firearms.
93·03	Artillery weapons machine-guns, sub-machine-guns and other military firearms and projections (other than revolvers and pistols).
93·04	Other firearms, including very light pistols, pistols and revolvers for firing blank ammunition only, linethrowing guns and the like.
93·05	Arms of other descriptions, including air, spring and similar pistols, rifles and guns.
93·06	Parts of arms including gun barrel blanks, but not including parts of side-arms.
93·07	Bombs, grenades, torpedoes, mines, guided weapons and missiles and similar ammunitions of war, and parts thereof ; ammunition and parts thereof, including cartridge wads; lead shot prepared for ammunition

SECTION XX

MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES

CHAPTER 94

Furniture and parts thereof; bedding mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings

1	2
94·01	Chairs and other seats (other than those falling within heading No. 94·02), whether or not convertible into beds, and parts thereof.
94·02	Medical, dental, surgical or veterinary furniture for example, operating tables, hospital beds with mechanical fittings); dentists' and similar chairs with mechanical elevating, rotating or reclining movements; parts of the foregoing articles.
94·03	Other furniture and parts thereof.

APPENDIX 2—*contd*

SCHEDULE I—*contd*

1	2
94·04	Mattress supports: articles of bedding or similar furnishing fitted with springs or stuffed or internally fitted with any material or of expanded, foam or sponage rubber or expanded, form or not covered (for example, mattresses, quilts siderdowns, cushions, pouffes and pillows).
	CHAPTER 95
	Articles and manufactures of carving or moulding materials.
95·01	Worked tortoise-shell and articles of tortoise-shell.
95·02	Worked mother of pearl and articles of mother of pearl.
95·03	Worked ivory and articles of ivory
95·04	Worked bone (excluding whalebone) and articles of bone (excluding whalebone).
95·05	Worked horn, coral (natural or agglomerated) and other animal carving material, and articles of horn, coaral (natural or agglomerated) or of other animal carving material.
95·06	Worked vegetable carving material (for example, corozo) and articles of vegetable carving material.
95·07	Worked jet (and miner l substitutes for jet), amber, meerschaum, agglomerated amber and agglomerated meerschaum, and articles of those substances.
95·08	Moulded or carved articles of wax, of sterin, of natural gums or natural resins (for example, copal or resin) or of modelling pastes, and other moulded or carved articles not elsewhere specified or included; worked unhardened gelatin (except gelatin falling within heading No. 35·03) and articles of unhardened gelatin.
	CHAPTER 96
	Brooms, brushes, feather dusters, powder-puffs and sieves
96·01	Brooms and brushes, consisting of twigs or other vegetable materials merely bound together and not mounted in a head (for example, besums and whisks), with or without handles.
96·02	Other brooms and brushes (including brushes of a kind used as parts of machines); paint rollers; squeegees (other than roller squeegees) and mops.
96·03	Prepared knots and tufts for broom or brush making
96·04	Feather dusters
96·05	Powder-puffs and pads for applying cosmetics or toilet preparations, of any material.
96·06	Hand sieve and hands riddles, of any material.
	CHAPTER 97
	Toys, games and sports requisites; parts thereof
97·01	Wheeled toys designed to be ridden by children (for example toy bicycles and tricycles and pedal motor cars); dolls prams and dolls, push chairs
97·02	Dolls.
97·03	Other toys; working models of a kind used for recreational purposes.
97·04	Equipment for parlour, table and funfair games for adults or children (including billiard tables and pintables and table-tennis requisites).
97·05	Carnival articles; entertainment articles (for example, conjuring tricks and novelty jokes); Christmas trees, decorations and similar articles for christmas trees, christmas stockings, immitation yule logs, Nativity scenes and figures therefor)
97·06	Appliances, apparatus, accessories and requisites for gymnastics or athletics, or for sports and outdoor games (other than articles falling within heading No. 97·04).
97·07	Fish-hooks, line fishing rods and tackel; fish landing nets and butterfly nets decoy "birds", lark mirrors and similar hunting or shooting requisites.
97·08	Roundabouts, swings, shooting galeries and other fairground amusements; travelling circuses, travelling manageries nd travelling theatres.
	CHAPTER 98
	Miscellaneous manufactured Articles
98·01	Buttons and button moulds, studs, cuff-links, and press-fasteners, including snap-fasteners and press-studs; blanks and parts of such articles.
98·02	Slide fasteners and parts thereof
98·03	Fountain pens, stylograph pens and pencils (including ball point pens and pencils) and other pens, pen-holders, pencil-holders and similar holders, propelling pencils and sliding pencils; parts and fittings thereof other than those falling whithin heading No 89·04 or 98·05).
98·04	Pen nibs and nib points
98·05	Pencils (other than pencils of heading No. 98 03), pencil leads, slate pencils, crayons and pastels, drawing charcoals and writing and drawing chalks, tailors and billiards chalks.
98·06	Slates and boards, with writing or drawing surfaces, whether frames or not.
98·07	Date, sealing or numbering stamps, and the like (including devices for printing or embossing labels), designed for operating in the hand; hand-operated composing sticks and hand printing sets incorporating such composing sticks
98·08	Typewriter and similar ribbons, whether or not on spools; ink-pads, with or without boxes.
98·09	Sealing wax (including bottle-sealing wax) in sticks, cakes or similar forms; copying pastes with a basis of gelatin, whether or not on a paper or textile backing.
98·10	Mechanical lighters and similar lighters, including chemical and electrical lighters, and parts thereof, excluding flints and wicks.
98·11	Smoking pipes; pipe bowls, stems and other parts of smoking pipes (including roughly shaped blocks of wood or not), cigar and cigarette holders and parts thereof.

APPENDIX 2—*contd.*

SCHEDULE 1—*contd.*

1	2
98·12	Combs, hair slides and the like.
98·13	Corset husks and similar supports for articles of apparel or clothing accessories.
98·14	Scent and similar sprays of all kind used for toilet purposes, and mouths and heads therefor.
98·15	Vacuum flasks and other vacuum vessels, complete with cases; parts therof, other than glass inners.
98·16	Tailor's dummies and other lay figures; autohmata and other animated displays of a kind used for shop window dressing.

SECTION XXI

WORKS OF ART, COLLECTORS' PIECES, AND ANTIQUES

CHAPTER 99

Works of Art, Collectors' pieces, and antiques

1	2
99·01	Paintings, drawings and pastels, executed entirety by hand, (other than industrial drawings, falling within heading No. 49·06 and other than hand-painted or hand-decorated manufactured articles).
99·02	Original engravings, prints and lithographs.
99·03	Original sculptures and statuary in any material.
99·04	Postage, revenue and similar stamps (including stamp-postmarks and franked envelopes, letter-cards and the like), used or if unuse not of current or new issue in the country to which they are destined.
99·05	Collections and collectors' pieces of zoological botanical, mineralogical, anatomical, historical, archaeological, paleontological, ethonographic or numismatic interest.
99·06	Antiques of an age exceeding one hundred years.

APPENDIX 2—*contd*

SCHEDULE II

(*See* clause 3)

OFFICERS COMPETENT TO GRANT IMPORT LICENCES

1	2	3
1.	The Chief Controller of Imports and Exports.	For any goods covered by Schedule I.
2.	Additional Chief Controller of Imports & Exports.	Do.
3.	Export Commissioner.	Do.
4.	A Joint Chief Controller of Imports and Exports.	Do.
5.	A Deputy Chief Controller of Imports and Exports.	Do.
6.	A Asstt. Chief Controller of Imports & Exports.	
7	A Controller of Imports and Exports.	Do.
8.	Any officer authorised by the Central Government for any goods as subscribed in Schedule I	Do.
9.	Asst. Chief Controller of Imports & Exports/Controller of Imports and Exports, New Kandla, (in so far as Kandla Free Trade Zone is concerned).	Do.
10.	Deputy Development Commissioner (Imports & Exports), Santa Cruz, Bombay in so far as the Santa Cruz Electronics Export Processing Zone and the suppliers of goods from Domestic Tariff Area (DTA) for claiming of Import replenishment licence under the import policy for regist ered exporters against such supplies are concened).	For any goods covered by Schedule
11.	Assistant Development Commissioner (Imports and Exports), Santa Cruz Bombay (in so far as the Santa Cruz Electronics Export Processing Zone and the suppliers of goods from Domestic Tariff Area (DTA) for claiming of import replenishment licences under the Import Policy for registered exporters agianst such supplies are concerned).	Do.
12.	Deputy Development Commissioner (New Units), Santa Cruz Electronics Export Processing Zone (in so far as the said Zone and the suppliers of goods from Domestic Tariff Area (DTA) for claiming of import replenishment licences under the import policy for registered exporters against such supplies are concerned).	

APPENDIX 2 -*contd*

SCHEDULE III

(*See* Clause 4)

The following fees shall be leviable in respect of the application for an import licence.

Serial No.	Particulars	Amount of Fee
(1)	(2)	(3)
1.	Where the value of goods specified in application does not exceed Rs. 50,000	Rs. 50.
2.	Where the value of the goods specified in the application exceeds Rs. 50,000	Rupee one per thousand or part thereof subject to a maximum of Rs. 10,000/-

Provided that—

(1) The amount of fee payable shall be Rs. 50/- in respect of an application for import licence by a small scale actual user or a registered exporter, for the import of raw material, components and spares where the value of the goods specified in the application does note exceed rupees one lakh.

(2) The amount of fees payable shall be Rs. 25/- irrespective of the value of the goods specified in the application in respect of —

(i) an application for the grant of subsidiary licence ; or

(ii) an application for the grant of duplicate licence; or

(iii) an application for the grant of split-up licence.

(3) The amount of fees payable shall be Rs. 10/- irrespective of the value of the goods specified in the application in respect of—

(i) an appeal (to the C. C. I.& E) against any decision by a licensing authority on an application of review, or

(ii) a review application to the C. C. I. & E. against a decision of an appeal; or

(iii) an application for transfer of R. E. P. licence made by an eligible Export House under the import policy for Registered Exporters.

(4) The amount of fees payable shall be Rs. 50/- in respect of an application for extension of the period of shipment of an import licence irrespective of the value of the licence.

(5) The amount of fees payable shall be Rs. 500/- in respect of an application for import of a Vehicle including Scooter, Auto Cycle/Motor Cycle/Mopeds, irrespecitve of the Value of goods specified in the application.

Provided further that no fees shall be payable in respect of—

(a) an application for an import licence for any goods (other than a vehicle) if the import of the goods is required by an individual for his own personal use unconnected with trade or manufacture; or

(b) an application for an import licence from a newspaper establishment for newsprint for a value covering a quantity of not more than 40 tonnes.

For the purpose of collection of fees, the following instructions are for general information.

(i) The fee should be credited under the Head 'Import licence application fees, subordinate to the major Head '097—Foreign Trade and Export Promotion;

(ii) Fee should be deposited in any one of the branches of Central Bank of India, which have been authorised to receive ITC deposits;

(iii) If the applicant is located in a place which does not have a branch of Central Bank of India authorised to receive ITC deposits, the facility of remittance of application fees and other ITC deposits through a bank draft will be available. ;

(iv) No applicaton will be entertained which is not accompanied by such proof of payment of the fee prescribed under this order.

APPENDIX 2—*contd.*

SCHEDULE IV

(*See* Clause 12)

1. Notification No. 23-ITC/43, dated the 1st July, 1943, issued by the late Department of Commerce as amended.

2. Notification No. 2-ITC/48, dated 6th March, 1948 issued by the late Ministry of Commerce.

3. Notification No. 4-ITC/48, dated 1st May, 1948, issued by the late Ministry of Commerce.

4. Notification No. 51-ITC/50, dated 15th November, 1950 issued by the late Ministry of Commerce.

5. Order No. 4/55, dated 30th June, 1955 issued by the Ministry of Commerce and Industry.

APPENDIX 2—*contd.*

SCHEDULE V

(*See* Clause 5)

CONDITIONS APPLICABLE TO IMPORT LICENCES

1. The following conditions shall apply to all import licences :—

(1) Where an irrevocable letter of credit is opened by the holder of the licences to finance the import of any goods covered thereby, the authorised dealer in foreign exchange, through whom the credit is opened, shall be deemed to be a joint holder of the licence to the extent of the goods covered by the credit.

(2) Payments authorised to be made against the licence shall not cover any commission, discount or like rebate(s) allowed by foreign supplier(s)/manufacturer(s) to the importer/agent(s) in India.

2. The following conditions shall apply to import licences issued to Actual Users with 'Actual User' conditions :—

(1) Goods imported under the licence shall be used by the licensee only for the purpose for which they were imported, at the factory, commercial establishment, institution, professional office or other premises concerned, at the address given in the application against which the licence is granted. No portion thereof shall be transferred to any party or utilised or permitted to be utilised in any other manner; however, where necessary bona fide, it may be got processed in another factory or put to use in another establishment, so long as the Actual User condition is complied with.

(2) The licensee shall maintain proper account of consumption and utilisation of the goods imported against the licence in the form and manner laid down, and produce such account to the licensing authority or any other Government authority within such time as may be specified by it.

(3) All Actual Users (Industrial units) shall submit production returns regularly to the Directorate General of Technical Development, New Delhi or the concerned sponsoring authority.

(4) Actual Users (Industrial units) shall submit to the Directorate General of Technical Development, New Delhi or the sponsoring authorities concerned (and the Department of Electronics, New Delhi as appropriate to the item imported, half yearly returns of the items imported) by them.

(5) All research and development units shall inform Department of Science and Technology, if the value of imports made by them at any one time exceeds Rs 1 lakh within 30 days of clearance of the goods, through the customs. In case of any electronic items they should also inform Department of Electronics, New Delhi.

3. The following conditions shall apply to licences issued for import of Capital goods :—

(1) The goods imported under the licence shall be utilised in the licence holder's factory at the address shown in the application against which the licence is issued and that no portion thereof shall be sold to or be permitted to be utilised by another party or pledged with any financier other than banks authorised to deal in the foreign exchange and State Financial Corporations, provided that particulars of goods to be pledged are reported by the licensee in advance to the licensing authority.

((2) A half-yearly return in the proforma given in Annexure hereto shall be furnished by the licensee to the Director of Statistics, Office of the CCI & E, New Delhi indicating the actual imports and remittance made against the licence as on 28th February and 31st August each year. The return for each half-year shall be furnished within a period of 15 days from the close of the half-year as indicated.

4. The import licences issued for execution of Government contracts shall be subject to the condition that the goods, imported shall be used or sold or disposed of in the manner as stipulated in the Order placed by Directorate General of Supplies and Disposals, Railway Authorities or the Defence Authorities, as the case may be, and the imported goods shall not be utilised or disposed of in any other manner without the prior approval of the licensing authority.

ANNEXURE

SCHEDULE V

Utilisation report for the half year ending ....

1. Name and address of the licensee ....
2. No. and date of the licence ....
3. Brief description of the goods ....
4. Total value of the licence Rs. ....
5. Value of the goods imported during the half year under report :—

Date of Import	Value in Rs.	Port of Clearance
1	2	3

6. Balance value unutilised in the Customs copy of the licence at the end of the half year under report Rs........................
7. Details of remittances made against the licences during the half year under report.
8. Unutilised balance in the Exchange Control copy of the licence during the end of the half year under report Rs.......................
9. Details of the orders placed against the licence during the half year under report.
10. Details of letters of credit opened against the licence during the half year under report.
    date of remittance Value in Rs.
11. Date of expiry of the validity period of the licence including the period of revalidation, if any.

I/We hereby certify that the particulars furnished/shown are true and correct to the best of my/our knowledge and belief

Date...................

Signature of the Licensee

APPENDIX 2—*contd.*

EXPORTS (CONTROL) ORDER, 1977

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL (NO. 1/77-ETC)

New Delhi, the 24th March 1977

S.O. 254(E) :—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order, namely :—

1. *Short title and commencement* :—(1) This Order may be called the Exports (Control) Order, 1977.

(2) It shall come into force on 1st April, 1977.

2. *Definitions* :—In this Order, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947);

(b) "Chief Controller of Imports and Exports" includes Additional Chief Controller of Imports and Exports, Export Commissioner in the office of the Chief Controller of Imports and Exports, a Joint Chief Controller of Imports and Exports, a Deputy Chief Controller of Imports and Exports, Assistant Chief Controller of Imports and Exports and Controller of Imports and Exports;

(c) "Collector of Customs" has the same meaning as assigned to it in the Customs Act, 1962 (52 of 1962);

(d) "Licence" includes—

(i) a licensing endorsement made on a Shipping Bill under this Order;

(i) a quota for the export of goods allocated under this order, whether such allocation is made by a licensing authoriy or by any agency authorised by the licensing authority in this behalf;

(e) "Licensee" means a person to whom a Licence is granted under this Order;

(f) "Licensing Authority" means an authority competent to grant a licence under this Order;

(g) "Schedule" means a schedule to this Order;

(h) "Value" has the same meaning as in sub-section (1) of Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

3. *Restrictions on export of certain goods* :—(1) Save as otherwise provided in this Order, no person shall export any goods of the description specified in Schedule I, except under and in accordance with a licence granted by the Central Government or by an officer specified in Schedule II.

(2) No person shall export to Pakistan any goods except under and in accordance with a licence granted by the Central Government or by an officer specified in Schedule II.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-clause (1) and (2) goods specified in Schedule III may be exported on fulfilment of the terms and conditions specified therein.

(4) If in any case, it is found that the value sort, specification quality and description of the goods to be exported are not in conformity with the declaration of the exporter in those respects or the quality and specification of such goods are not in accordance with the terms of the export contract, the export of such goods shall be deemed to be prohibited.

4. *Conditions of licence* :—(1) A licence granted under the Order may contain such conditions, not inconsistent with the Act or this Order, as the licensing authority may deem fit.

(2) It shall be deemed to be a condition of every licence that—

(a) no person shall transfer and no person shall acquire by transfer any licence issued by the licensing authority except under and in accordance with the written permission of the authority which granted the licence or of any other person empowered in this behalf by such authority;

(b) the goods for the export of which the licence is granted shall be the property of the licensee at the time of the export.

(3) The licensee shall comply with all conditions imposed or deemed to be imposed under this clause.

5. *Refusal of licence* :—The licensing authority may refuse to grant a licence—

(a) if the application for the licence does not conform to any provision of this Order;

(b) if such application contains any false, or fraudulent or misleading statement;

(c) if the applicant uses in support of the application any document which is false or fabricated or which has been tampered with;

(d) if the licensing authority considers that the grant of the licence will not be in the interest of the country;

(e) if the activities of the applicant are prejudicial to the interest of the State;

(f) if the applicant has, on any occasion committed breach of any law (including any rule, order or regulation) relating to customs or foreign exchange;

(g) if the applicant on any occasion has tampered with an export licence or has exported goods without a licence, or has been a party to any corrupt or fraudulent practice in his commercial dealings or in obtaining any licence or is found to have solicited licences by offering an inducement to the holder of the licence or otherwise;

(h) if any agent or employee of the applicant has been a party to any corrupt or fraudulent practice in obtaining the licence for the applicant;

(i) if the application for an export licence is defective and does not conform to the prescribed rules;

(j) if the applicant contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of any order made or deemed to have been made under the Act or any condition of licence granted under any such order or commits a breach of the Export Trade Control Regulations;

(k) if the applicant is not eligible for a licence in accordance with the Export Control Regulations;

(l) if the licensing authority decides to canalise export through special or specialized agencies or channels;

APPENDIX 2—contd.

(m) if the applicant is a partner in a partnership firm or a whole time director or managing director of a private limited company which is for the time being subject to any action under clause 7 or clause 8 or clause 9;

(n) if the applicant is for the time being subject to any action under clause 7 or clause 8 or clause 9;

(o) if the applicant is a partnership firm or a private limited company, any partner or managing whole time director or managing director whereof, as the case may be, is for the time being subject to any action under clause 7 or clause 8 or clause 9;

(p) if any amount demanded from the applicant under the Customs Act, 1962, or any penalty imposed on him under the said Act has remained unpaid for a period of three months;

(q) if the applicant fails to produce any document that is called for by the Chief Controller of Imports and Exports or the Licensing authority, and

(r) if the applicant fails to pay any penalty finally imposed on him under the Act.

6. *Amendment of Licence* :—The licensing authority may, of its own motion or on application by the licensee, amend any licence granted under this Order in such manner as may be necessary to make such licence conform to the provisions of the Act or this Order or any other law for the time being in force or to rectify any errors or omissions in the licence :

Provided that the licensing authority may on request by the licensee amend the licence in any manner consonant with the Export Trade Control Regulations.

7. *Power to debar from receiving licences or exporting goods* :—(1) The Central Government or the Chief Controller of Imports and Exports may debar a licensee or exporter or any other person from all or any of the following i.e. receiving licences or from exporting any goods and direct without prejudice to any other action that may be taken in this behalf, that no licence shall be granted to him or no permission shall be granted to him for exporting any goods, for a specified period under this Order—

(a) if his application for licence is at any time found to be not in conformity with any provisions of this Order; or

(b) if such application is found to contain any false, fraudulent or misleading statement; or

(c) if he is found to have used in support of his application any documents which is false or fabricated or which has been tampered with; or

(d) if he has, on any occasion, tampered with an export licence or has exported goods without a license or has been a party to any corrupt or fraudulent practice in his commercial dealings or in obtaining a licence, or in exporting any goods, or is found to have solicited any licence by effecting an inducement to the holder of the licence or otherwise; or

(e) if his agent or employee has been a party to any corrupt or fraudulent practice in obtaining any licence or in exporting any goods, on his behalf; or

(f) if he fails to comply with or contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of any conditions embodied in, or accompanying a licence or an application for licence; or

(g) if he commits a breach of any law (including any rule, order or regulation) relating to customs or the import and export of goods or foreign exchange; or

(h) if he fails to produce any document that is called for by the Chief Controller of Imports and Exports or any other licensing authority; or

(i) if he commits a wilful breach of the export contract entered into between him and the other party

NOTE :—In this clause, the expression "Application for licence." includes any application made under the Export Trade Control Regulations.

(2) The Central Government or the Chief Controller of Imports and Exports may, by special order in writing,—

(a) debar—

(i) a person in respect of whom an order of detention has been made under the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) (hereinafter referred to as the 1974-Act), or

(ii) a partnership firm or a private limited company of which such person is a partner or a whole time director or managing director as the case may be, from receiving licences or from exporting any goods; and

(b) without prejudice to any other action that may be taken against such person, partnership firm or company, direct that no licence or permission for exporting any goods shall be granted to such person partnership firm or company.

for such period as may be specified in such special order Provided that such special order shall cease to have effect in respect of such person, or, as the case may be, partnership firm or company of which such person is a partner or a whole time director or managing director, when the order of detention made against such person,—

(i) being an order of detention to which the provisions of section 9 or section 12A of the 1974-Act do not apply has been revoked on the report of the Advisory Board under section 8 of that Act or before a receipt of the report of the Advisory Board or before making a reference to the Advisory Board; or

(ii) being an order of detention to which the provisions of section 9 of the 1974-Act paply has been revoked before the expiry of the time for, or on the basis of the review under sub-section (3) of section 9, or on the report of the Advisory Board under section 8, read with sub-section (2) of section 9, of that Act; or

(iii) being an order of detention to which the provisions of section 12A of the 1974-Act apply has been revoked before the expiry of the time for, or on the basis of, the first review under sub-section (3) of that section, or on the basis of the report of the Advisory Board under section 8, read with subsection (6) of Section 12A, of that Act; or

(iv) has been set aside by a court of competent jurisdiction.

(3) The Central Government or the Chief Controller of Imports and Exports may debar a licensee or exporter or any other person from receiving licences or from exporting any goods and direct, without prejudice to any other action that may be taken against such person in this behalf, that no licence shall be granted to such person or no permission shall be granted to such person for exporting any goods for a specified period under this order, if in the opinion of the Central Government or the Chief Controller of Imports and Exports :—

(a) such licensee, exporter or other person; or

(b) where such licensee, exporter or other person is a partnership firm or a limited company, any partner or whole time director or managing director thereof, as the case may be, or

(c) where such licensee, importer or other person is a partner in a partnership firm or a whole time director or managing director of limited company, such

APPENDIX

partnership firm or limited company, as the case may be,

has—

(i) failed, without sufficient cause, to utilise or to utilise fully, any export licence granted or all allotment of quota made to such licensee, exporter or other person or such partner or whole time director or managing director or such partnership firm or limited company, as the case may be; or

(ii) committed any act referred to in paragraph (i) of sub-clause (3) of clause 8 of the Imports (Control) Order, 1955.

8. *Power to suspend grant of licences or permission to export goods* :—The Central Government or the Chief Controller of Imports and Exports may suspend the grant of licences or permission to export goods to a licensee or exporter or any other person, pending investigation into one or more of the allegations mentioned in clause 7 without prejudice to any other action that may be taken in this behalf :

Provided that grant of a licence and permission to export goods shall not ordinarily be suspended under this clause for a period exceeding twelve months:

Provided further that on the withdrawal of such suspension, a licence may be granted to him for the period of suspension subject to such conditions, restrictions or limitations as may be decided by the authority aforesaid keeping in view of the relevant economic factors.

9. *Power to keep in abeyance applications for licences for exporting goods* :—Where any investigation into any of the allegations mentioned in clause 7 is pending against a licensee or exporter or any other person and the Central Government or the Chief Controller of Imports and Exports is satisfied that without ascertaining further details in regard to such allegation, the grant of licence or permission to export goods will not be in the public interest then notwithstanding anything contained in this order, the Central Government or the Chief Controller of Imports and Exports may keep in abeyance any application for grant of licence or permission to export goods of such person without assigning any reason and without prejudice to any other action that may be taken in this behalf :

Provided that the period for which the grant of such licence or permission to export goods is kept in abeyance under this clause shall not ordinarily exceed six months

10. *Publicity of action taken under clause 7 or 8* :— (1) If the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient in the public interest to publish the name of any person or class of persons and other relevant particulars against whom action under clause 7 or 8 is taken, it may publish or cause to be published the name of such person or class of persons and such particulars in such manner as it thinks fit

(2) No publication under sub-clause (1) shall be made in relation to any such action until the time of presenting an appeal, if any, to the appellate authority has expired without an appeal having been presented or, the appeal if presented has been disposed of.

Explanation :—In the case of a firm, company or other association of persons, the names of the partners of the firm directors, managing agents, secretaries and treasurers or manager of the company, or the members of the association as the case may be may also be published if, in the opinion of the Central Government the circumstances of the case justify it.

11. *Cancellation of licences* :—(1) The Central Government or the Chief Controller of Imports and Exports or any other officer authorised in this behalf may cancel any licence granted under this Order or otherwise render it ineffective :—

(a) if the licence has been granted through inadvertance or mistake or has been obtained by fraud or misrepresentation,

(b) if the licence has been granted contrary to rules or the provisions of this Order;

(c) if the licensee has committed a breach of any of the conditions of a licence;

(d) if the Central Government or such officer is satisfied that the licence will not serve the purpose for which it has been granted;

(e) if the licensee has committed a breach of any law relating to customs or the rules and regulations relating to the regulation of foreign exchange.

Provided that notwithstanding anything contained in this Order, the Central Government or the Chief Controller of Imports and Exports or any other officer authorised in this behalf may, if satisfied that it is expedient so to do in the public interest cancel any licence or render it ineffective without assigning any reason.

(2) The Central Government or the Chief Controller of Imports and Exports or any other officer authorised in this behalf may, by special order in writing, render ineffective any licence granted under this Order to—

(a) a person, if an order of detention has been made under the 1974-Act in respect of such person; or

(b) a partnership firm or a private limited company of which such person is a partner or a whole time director or managing director, as the case may be;

Provided that such special order shall cease to have effect in respect of such person, or, as the case may be, partnership firm or company of which such person is a partner or a whole time director or managing director, when the order of detention made against such person—

(i) being an order of detention to which the provisions of section 9 or section 12A of the 1974-Act do not apply has been revoked on the report of the Advisory Board under section 8 of that Act or before a receipt of the report of the Advisory Board or before making a reference to the Advisory Board; or

(ii) being an order of detention to which the provisions of section 9 of the 1974-Act apply has been revoked before the expiry of the time for or on the basis of, the expiry of the time for, or on the basis of, the review under sub-section (3) of section 9, or on the report of the Advisory Board under section 8, read with sub-section (2) of section 9, of that Act;

(iii) being an order of detention to which the provisions of section 12A of the 1974-Act apply has been revised before the expiry of the time for, or on the basis of the first review under sub-section (3) of that section, or on the basis of the report of the Advisory Board under section 8, read with sub-section (6) of section 12A, of that Act; or

(iv) has been set aside by a court of competent jurisdiction

12. *Licensee, etc. to be given opportunity of being heard* :—

(1) No action shall be taken under clause 6 or sub-clause (1) or under sub-clause (3) of clause 7 or clause 8 or sub-clause (1) of clause 11 against a licensee or exporter or any other person unless he has been given a reasonable opportunity of being heard

(2) Where any person is aggrieved by any action taken under clause 7 or clause 8 or sub clause (1) of clause 11 save in a case where the cancellation has been ordered under the proviso thereto he may prefer an appeal against such action to such authority, as the Central Government may by notification in the Official Gazette constitute for the purpose of hearing appeals, within thirty days from the date of the communication of the action taken

13. *Declaration as to value, sort, quality, etc. of exported goods* :—On the exportation from any Customs port of any goods whether liable to duty or not, the owner or exporter of such goods shall, in the shipping bill, or other relevant

APPENDIX 2—contd.

documents state the value, sort, specification quality and description of such goods to the best of his knowledge and belief and certify that the quality and specification of the goods as stated in those documents, are in accordance with the terms of the export contract entered into with the buyer or consignee in pursuance of which the goods are being exported and shall subscribe to a declaration to the truth of such statements at the foot of such shipping Bill or other documents.

14. *Prohibition regarding making signing etc. of any declaration, statement or documents* :—(1) No person shall make, sign or use or cause to be made, signed or used any declaration, statement or document in obtaining a licence, or in exporting any goods knowing or having reason to believe this such declaration, statement of document is false in any material particular.

(2) No person shall employ any corrupt or fraudulent practice in obtaining any licence or in exporting any goods.

14A. *Powers of revision of the Chief Controller or Additional Chief Controller* :—The Chief Controller or Additional Chief Controller may, on his own motion or otherwise, call for an examine the records of any proceedings in which an action to debar under sub-clause (1) or sub-clause (3) of clause 7, or to cancel a licence under sub-clause (1) of clause 11, has been initiated or completed (whatever the result may be) has been taken by any officer subordinate to him and against which no appeal has been preferred, for the purpose of satisfying himself as to the correctness, legality or propriety of such action and pass such orders thereon as he may think fit :

Provided that no action shall be varied under this sub-clause so as to prejudically affect any person unless such person—

(a) has, within a period of two years from the date of such action received a notice to show cause why such action shall not be varied; and

(b) has been given a reasonable opportunity of making representation and, if he so desires of being heard, in his defence.

15. *Savings* :—Nothing in this order shall apply to—

(a) any goods exported by or under the authority of the Central Government;

(b) any goods covered by executive instructions issued by the Chief Controller of Imports and Exports;

(c) any goods other than food-stuffs constituting the stores or equipment of any outgoing vessel or conveyance;

(d) any goods constituting the *bona fide* personal baggage of any person (including a passenger or member of a crew in any outgoing vessel or conveyance) going out of India .

Provided that the wild-life (dead or alive or part thereof or produce therefrom) specified in Part A of Schedule I shall not be treated as constituting such personal baggage.

(e) any goods exported by post or by air under the conditions specified in Postal Notice issued by the postal authorities;

(f) any goods transhipped at a port in India after having been manifested for such transhipment at the time of despatch from a port outside India;

(g) any goods imported and bonded on arrival in India for re-export to any country outside India, except Nepal and Bhutan;

(h) any goods in transit through India by post, or any goods re-directed by post to a destination outside India except Nepal and Bhutan, provided that such goods while in India are always in the custody of the postal authorities;

(i) any goods imported without a valid import licence and exported in accordance with an order for the export of such goods made by an officer of Customs authorised in this behalf;

(j) Products manufactured in and exported from the respective Free Trade Zones.

(k) Export of Blood Group O (Bombay Phonotype) meant for scientific research or emergency medical treatment as life saving measure on humanitarian grounds by the Director, National Blood Group Reference Laboratory Bombay on the basis of a specific certificate issued by him to this effect in each case.

16. *Repeal* :—The Export (Control) Order, 1968 published with the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry under S.O. 927 dated the 8th March, 1968 as amended from time to time is hereby repealed :

Provided that anything done or any action taken including any appointment made or licence issued under any of the provisions of the above Order or Notification shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Order.

NOTE :—Schedules I to III forming part of Export (Control) Order 1977 have not been re- produced. These appear in Import-Export Policy, 1983-84 (Vol. II).

APPENDIX—3

(Deleted)

APPENDIX—4

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE No. 27-ITC(PN)/80

New Delhi, the 15th July 1980

SUBJECT :—*Import of goods as personal baggage.*

Attention is invited to the Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi, Notification No. 101-Cus. dated the 16th May 1978, No. 102-Cus. dated the 16th May 1978, No. 103-Cus. dated the 16th May 1978 and No. 105-Cus. dated the 16th May, 1978 applicable to passengers arriving from any country other than Nepal.

2. Sub Clause 11(1)(g) of the Import (Control) Order, 1955 as amended, already exempts from the operation of the said order the goods imported as passenger baggage to the extent permissible under the Baggage Rules for the time being in force.

3. A non-tourist passenger may also be allowed to import as a part of his baggage, without an import licence, but on payment of customs duty any items of personal or household effects, for his own use or for use of his family.

Provided that the import of a firearm shall be subject to the conditions that :—

(i) The passenger has not imported or otherwise acquired a foreign-made firearm of the same category during the last ten years;

Explanation : For this purpose, revolver and pistol will be considered as firearm of one category and gun and rifle as firearm of another category;

(ii) In the case of revolver and pistol, they are of .32 or smaller bore; and

(iii) The firearm shall not be sold, gifted or given to a retainer or otherwise parted with for a period of five years from the date of clearance

4. A tourist of Indian origin, whether holding an Indian passport or a foreign passport, who is normally resident abroad, may be allowed to import as a part of his baggage, without an import licence, but on payment of customs duty any items of personal or household effects for presentation as gifts or souvenirs to friends and relatives—

Provided that the import of firearm shall be subject to the conditions that :—

(i) The passenger has not imported a foreign made firearm of the same category during the last ten years;

Explanation :—For this purpose, revolver and pistol will be considered as firearm of one category and gun and rifle as firearms of another category;

(ii) In the case of revolver and pistol, they are of .32 or smaller bore; and

(iii) The firearm shall not be presented as gift to a person who has imported or acquired a foreign made firearm of the same category during the last ten years. (The person receiving the gift shall also ensure that he is not violating this condition).

5. The above concessions may be allowed provided the proper officer of the customs is satisfied that the items are being imported for *bona fide* use of the passenger or his family or for making a gift or souvenir, as the case may be, and subject to the condition that they shall not be sold, displayed, advertised or offered for sale or displayed in a shop until :

(a) in the case of firearm and TV, they have been used for a period of not less than five years from the date of clearance by such person, or passenger or member of the crew, or

(b) in case of other goods, when the market price is depreciated to less than 50% of their market price when new.

6. In addition, clearance of one dog and other domestic pet like cats and birds in a limited number may be allowed without Import Trade Control restrictions on furnishing the following health certificate to the customs authorities :—

(i) A health certificate from a veterinary officer authorised to issue a valid certificate by the Government in the country of export to the effect that the dog imported is free from Aujossky's disease, Distemper, Rabies, Leishmaoiasis and Leptospirosis and in the case of cats from Rabies and Distemper.

(ii) In the case of import of dogs and cats originating from countries where Rabies infection is known to exist, a health certificate containing a record of vaccination, vaccine used, brew of the vaccine and the name of the production laboratory and to the effect that the dog/cat was vaccinated against Rabies more than one month, but within 12 months prior to actual embarkation with nervour tissue vaccine or within 36 months with chicken embryo vaccine both the vaccines having previously passed satisfactory potency test.

(iii) In the case of parrots, a certificate to the effect that the parrots were subjected to a compliment fixation test for Psittaposis with negative results within 30 days prior to actual embarkation.

7. This Public Notice is in supersession of the earlier Public Notice of the Ministry of Commerce No. 34-ITC(PN)/78 dated 16th May, 1978 as amended by Public Notice No. 58-ITC(PN)/79 dated 13th November, 1979.

Explanation : In the Public Notice the term 'Baggage' will have the same meaning as is assigned to it in sub-clause (3) of Section 2 of the Customs Act, 1962.

Sd/-
(Mani Narayanaswami)
Chief Controller of Imports & Exports

NOTE : It should be noted that species included in any of the Appendices to Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) shall also be subject to regulations under CITES and special examination of Regional Assistant Director, Wild Life Preservation, if their import is otherwise covered under baggage.

APPENDIX 4—*contd.*

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 44—ITC(PN)/80

New Delhi, the 17th November, 1980

SUBJECT :—*Import of goods as personal baggage.*

Attention is invited to Ministry of Commerce Public Notice No. 27-ITC(PN)/80, dated the 15th July, 1980, and Public Notice No. 46-ITC(PN)/78, dated the 30th June, 1978, pertaining to import of goods as personal baggage.

2. On reconsideration, it has been decided to delete the word in convertible foreign currency appearing in para 4 of the aforesaid Public Notice No. 27-ITC(PN)/80 dated the 15th July, 1980. The said para 4 shall be stand amended accordingly.

3. Public Notice No. 46-ITC(PN)/78, dated the 30th June, 1978 pertaining to import as baggage by officers and members of the crew, is also hereby cancelled. Consequently, import of goods as baggage by such persons will be governed by the provisions of Ministry of Commerce Public Notice No. 27-ITC(PN)/80 dated the 15th July, 1980.

Sd/-

(MANI NARAYANASWAMY)
Chief Controller of Imports and Exports

BAGGAGE RULES 1978

(AS AMENDED BY NOTIFICATION 213-Cus DATED 13-11-79, NOTIFICATION No. 247-Cus DATED 26-12-80) AND NOTIFICATION No. 57/83-Cus DATED 1-3-83

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

DEPARTMENT OF REVENUE

New Delhi, the 16th May 1978

26th Vaisakha, 1900 (Saka)

NOTIFICATION

CUSTOMS

G.S.R. No. 290(E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 79 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the Baggage Rules, 1970 and the Ceylon Baggage Rules, 1930, the Central Government hereby makes the following rules, for importing free duty, baggage of passengers (other than tourists) who arrive from any country other than Nepal, namely :—

1. *Short Title, Commencement* :—

(1) These rules may be called the Baggage Rules, 1978.

(2) They shall come into force at once.

2. *Used Personal Effects* :—The used articles of personal ware (excluding jewellery but including not more than one wrist-watch) of value not exceeding five hundred rupees (and articles in personal use of passengers for satisfying daily necessities of life may be passed free of duty).

3. *General Free Allowance* :—In addition to the articles specified in rule 2 and subject to the provisions of rule 9 a passenger of and above the age of twelve years may also be allowed to import free of duty articles upto a value of one thousand and two hundred and fifty rupees, if the proper Officer is satisfied that such articles are for the use of the passenger or his family or for making gifts or souvenirs;

Provided that—

(i) a passenger below twelve years of age may be allowed to import free of duty articles upto a value of three hundred, if the proper officer is satisfied that such articles are for the use of such passenger;

(ii) In case of an air passenger who travels on a free or concessional ticket and returns to India after staying outside India for less than ten days, articles upto a value of one hundred and twenty-five rupees in the case of such adult passenger, or thirty rupees in the case of such passenger below eighteen years may only be allowed to be imported free of duty, for each day's stay outside India.

Explanation :—For the purpose of this proviso 'concessional ticket' means a ticket issued after allowing a concession of seventy five percent or more.

4. *Additional Allowance for used Household Articles* :—In the case of a passenger who was engaged in his profession abroad for over three months, articles actually used for running his household, namely, linen, utensils, table-ware, kitchen appliances and iron, upto an aggregate value of one thousand rupees may be imported free of duty.

4-A. ADDITIONAL ALLOWANCE FOR USED PERSONAL EFFECTS AND HOUSEHOLD ARTICLES IN RESPECT OF CERTAIN CATEGORIES OF PASSENGERS :

(1) In the case of a passenger holding a valid passport issued under the Passports Act, 1967 (15 of 1967) and returning to India after a period of not less than one year of stay abroad, has personal effects and household articles upto an aggregate value of five thousand rupees, which have been in his or his family's possession and use abroad for a minimum period of six months may be imported free of duty subject to the following conditions, namely :—

(i) Such passenger has been working abroad for a minimum period of one year and is returning to India on termination of such work;

(ii) Such passenger affirms by a declaration that the goods in question have been in his or in his family's possession and use abroad for a minmuim period of six months and the examination of such goods and the attendant circumstances do not indicate to the contrary;

(2) Nothing contained in this rule shall apply to the following articles, namely :—

(a) motorcycles, scooters or mopeds;

(b) airconditioners;

(c) refrigerators and deep freezes;

(d) firearms;

(e) cigrattes exceeding 200 or cigars exceeding 50 or tobacco exceeding 250 gms; and

(f) alcohalic liquor in excess of 0.95 litre.

5. *Allowance for Professional Equipments* :—A passenger who was engaged in his profession abroad for over three months may be allowed to import free of duty such portable equipments, instruments, apparatus and appliances as are ordinarily required in such profession, upto a value of five thousand rupees;

Provided that items of common use like camera, typewriter, casette recorder and dictaphone shall not be allowed to be imported free of duty under this rule.

6. *Jewellery* :—Jewellery in the actual use of a passenger who has been residing abroad for over one year may be allowed to be imported free of duty in the aggregate value of one thousand and five hundred rupees in the case of a male passenger and three thousand rupees in the case of female passenger.

7. *Unaccompanied Baggage* :—(1) Subject to the conditions and limitations laid down in these rules, the proper officer may

APPENDIX 4—*contd.*

allow import free of duty bona fide unaccompanied baggage arriving in India after the arrival of the passenger, if it was in his possession abroad and was shiped by sea within one month, or despatched by air within a fortnight of the passenger's arrival in India

Provided that if the Assistant Collector of Customs or the Collector of Customs, as the case may be, is satisfied that the passenger could not ship or despatch his bona fide unaccompanied baggage within the period aforesaid, inspite of his having taken all reasonable steps for that purpose, the Assistant Collector of Customs, may extend the time limit of one month to three months or of a fortnight to two months, as the case may be, and the Collector of Customs may extend the time upto any further time.

(2) Bona fide baggage of a passenger landed at any customs stations within two months before his arrival in India may be allowed to be imported free of duty by the proper officer subject to the conditions and limitations laid down in these rules;

Provided that if the Assistant Collector of Customs or the Collector of Customs, as the case may be is satisfied for reasons to be recorded in writing, that the passenger was prevented from arriving in India within the aforesaid period of two months due to circumstances beyond his control, such as, sudden illness of the passenger or a member of this family or natural calamities or disturbed conditions, or disruption of the transport or travel arrangements in the country or countries concerned or any other reason, which necessitated a change in the travel schedule of the passenger, the time limit of two months may be extended upto a period of—

(i) four months by the Assistant Collector of Customs, and

(ii) one year by the Collector of Customs.

8. *Application of these Rules to Members of the Crew* :—Rules 2, 3, 5, 6 and 9 shall apply in respect of officers and members of the crew engaged in a foreign-going vessel for importation of their baggage at the time of final pay off on termination of their engagement.

Provided that the concession under rule 5 shall not be allowed except at the time of final pay off on termination of first engagement in a foreign going vessel.

9. *Articles not exempted from Duty* :—Notwithstanding the provisions of rules 3 and 4, the following articles shall not be imported free of duty under these rules, namely :—

(i) moto cyrcle; scooter and moped,

(ii) firm arm;

(iii) cigarettes exceeding 200 or cigars exceeding 50 or tobacco exceeding 250 gms.; and

(iv) alcoholic liquor in excess of 0.95 litre.

No. 101-Cus/F. No, 495/24/78-Cus VI.

213-Cus/F. No. 495/106/79 Cus VI.

247-Cus/F. No. 495/72/79-Cus. VI.

57/83-Cus/F. No. Bud (Cus)/83.

TOURIST BAGGAGE RULES 1978

(AS AMENDED BY NOTIFICATION NO. 214-Cus DATED 13-11-79 AND FURTHER AMENDED BY NOTIFICATION NO. 211-Cus. DATED 28-10-80)

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

DEPARTMENT OF REVENUE

New Delhi, the 16th May 1978

26th Vaisakha, 1900 (Saka)

NOTIFICATION

CUSTOMS

G.S.R. No. 291/(E) :—In exercise of the powers conferred by sub section (2) of section 79 of the Customs Act 1962 (52 of 1962) and in supersession of the Tourist Baggage Rules 1958, the Central Government hereby makes the following rules for importing free of duty, baggage of tourists, namely :—

1. *Short Title, Commencement and Application*:—(1) These rules may be called the Tourist Baggage Rules, 1978.

(2) They shall come into force at once.

(3) They shall not apply to tourists of Nepali origin arriving from Nepal.

2. *Definition* :—In these rules, unless the context otherwise requires, 'tourist' means any person not normally resident in India, who enters India for a stay of not more than six months in the course of any twelve months period, for ligitimate non-immigrant purposes, such as touring, recreation, sports, health, family reasons, study, religious pilgrimages or business;

Provided that where the Collector of Customs is satisfied that it is necessary for a tourist to extend his stay beyond six months for ligitimate non-immigrant purposes, the Collector may extend the period by a further period of eighteen months.

Provided further that if the Board is so satisfied, it may extend the aforesaid period beyond 12 months.

3. *Exemption from Duty for personal effects imported temporarily* .—(1) Subject to other conditions laid down in these Rules, the personal effects of a tourist shall be allowed to be imported temporarily free of duty;

Provided that they are for the personal use of the tourist, are carried on the person or in the baggage accompanying the tourist, that there is no reason to fear abuse and that these personal effects, other than those consumed during his stay, are re-exported by the tourist on his leaving India for a foreign destination.

Explanation :—The term 'personal effects' means all clothings and other articles, new or used which a tourist may personally and reasonably require taking into account all the circumstances of his visit but excluding all merchandise imported for commercial purposes and includes—

(i) personal jewellery;

(ii) one camera with twelve plates or/five rolls of films;

(iii) one miniature cinematograph camera with two reels of films;

(iv) one pair of binoculars;

(v) one portable musical instrument;

(vi) one portable gramophone with ten records;

(vii) one portable wireless receiving set;

(viii) one portable sound-recording apparatus;

(ix) one portable typewriter;

(x) one perambulator;

(xi) one tent and other camping equipments;

(xii) sports equipment such as one fishing outfit one sporting fire-arm with fifty catridges, one non-powered bicycle, one canoe or kayac less than 5½ meters long, one pair of skis, two tennis rackets.

(2) The following may be imported free of duty on the tourist giving a written undertaking in terms of rule 7 for their re-export on his departure from India, namely :—

(i) Audio visual aids including slides and films for demonstration and instructional purpose;

(ii) professional equipments, instruments, apparatus or appliances including cine-equipments and Television equipments.

4. *Exemptions from Duty for Travel Souvenirs Imported temporarily* :—In addition to the articles specified in rule 3, a tourist may also be allowed to import temporarily free of duty, travel souvenirs for a total value not exceeding five hundred rupees;

Provided that such souvenirs are carried on the person of or in the baggage accompanying the tourists, are not intended for commercial purposes and are re-exported by the tourist on his leaving India for a foreign destination.

APPENDIX 4—*Contd.*

5. *Exemption from Duty on Gifts etc. imported by tourists of Foreign Origin*:—In addition to articles allowed under rules 3 and 4, a tourist of foreign origin staying in India for more than 24 hours may also be allowed to import free of duty, at the discretion of the proper officer, articles other than those mentioned in rule 9 of Baggage Rules 1978, upto a value of five hundred rupees if these are intended for personal use or for making gifts.

6. *Exemption from Customs duty on gifts etc. imported by tourists of Indian origin* :—Tourists of Indian origin, who are normally residents abroad and are staying in India for more than 24 hours may be allowed to import free of duty, at the discretion of the proper officer, articles intended to be given away as gifts;

Provided that the articles are such as are covered by rule 3 read with rule 9 of the Baggage Rules, 1978.

Provided further that all the condtions and limitations mentioned in rules 3 and 9 of the Baggage Rules, 1978 are satisfied

7. *Undertaking to be given to Customs authorities in certain cases* :—1. Notwithstanding the provisions of sub-rule (1) of rule 3, articles of high value such as sound-recording apparatus, wireless receiving sets, and the like shall not be allowed to be imported free of duty unless the tourists gives an undertaking in writing to the proper officer to re-export them out of India on his leaving India for a foreign destination, or on his failure to re-export to pay the duty leviable thereon.

2. Every tourist shall be given on arrival and after examination of his baggage, a list of articles of high value brought by him signed by the proper officer who examines his baggage. If no such articles of high value is imported, a nil list similarly signed shall be given Unless the list is producedby the tourist to the proper officer at the time of examination of his baggage on his departure from India for a foreign destination alongwith the articles, if any listed therein his baggage may not be allowed clearance through the Customs for export.

8. *Provision regarding unaccompanied baggage* :—Notwithstanding anything to the contrary in the foregoing rules, bona fide baggage and goods eligible for the concessions under the foregoing provisions and landed at any customs port within one month before or after the arrival of the tourist in India may be passed subject to the conditions applicable to baggage accompanying a tourist :

Provided that the proper officer is satisfied that they could not be brought alongwith the tourist due to bona fide reasons.

9. *Refusal of exemption in certain cases*:—Notwithstanding anything contained in these rules, the proper officer may refuse to a tourist exemption granted by these rules in any of the following cases namely :—

(a) when the total quantity of a commodity imported by a tourist exceeds substantially the limit laid down in these rules;

(b) where the tourist enters into India more than once in a month.

(c) where the tourist is under seventeen years of age

No. 102-Cus/F No. 499/6/78-Cus.VI.

No 211-Cus/F. No. 499/6/78-Cus.VI(Pt).

No 214-Cus /F No 495/106/79-CUS.VI.

TRANSFER OF RESIDENCE RULES 1978

(AS AMENDED BY NOTIFICATION No 124-Cus) DATED 22-6-1978

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

DEPARTMENT OF REVENUE

New Delhi, the 16th May 1978

26th Vaisakha, 1900 (Saka)

NOTIFICATION

(CUSTOMS)

G.S.R. No 292/(E) —In exercise of the powers conferred by Section 79, of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the Transfer of Residence Rules, 1969, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. *Short title* :—These Rules may be called the Transfer of Residence Rules, 1978.

2. *Personal and household effects exempted from duty subject to certain conditions*:—Subject to the provisions of the Baggage (Condition of Exemption) Rules, 1975 and rule 3 of these rules the personal and household effects, of a person on a bona fide transfer of residence to India shall be exempted from duty subject to the following conditions namely :—

(a) Such person has been residing abroad for a minimum period of two years immediately preceding the transfer of residence and is transferring his residence to India for a minimum stay of one year.

(b) such person affirms by a declaration that the goods have been in his or his family's possession and use abroad for a minimum period of one year and the examination of the goods and the attendant circumstances do not indicate to the contrary.

(c) the goods not accompanying the passenger were shipped or despatched or arrived within the time limit specified in the Baggage Rules, 1978.

Explanation : For the purpose of this rule, the expression "personal and household effects" shall not include so much of gold jewellery, that is to say, jewellery of which the value is mainly on account of gold content, as is in excess of the value of one thousand five hundred rupees in the case of a male passenger and three thousand rupees in the case of a female passenger.

3 *Articles not exempted from duty* :—Notwithstanding anything contained in rule 2, motor vehicles, vessels, aircrafts, cinematograph films of 35 mm. and above, air-conditioners, refrigerators and deep freezes, shall not be allowed to be imported free of duty under these rules

4. *Allowance for professional equipment etc.* :—In addition to articles allowed under rule 2 and subject to the time-limit mentioned in clause (c) of that rule, a highly qualified scientist, technologist, doctor or engineer, returning to India for permanent settlement after a stay abroad for a minimum period of two years, may also be allowed to import free of duty such equipment, instruments apparatus and appliances, upto a value of thirty thousand rupees as are ordinarily required by him in his profession.

Explanation: For the purpose of this rule, "a highly qualified scientist, technologist, doctor or engineer" is a person who holds a post-graduate degree or its equivalent in science, technology, medicine, or engineering, as the case may be, from an Indian or foreign university and has been employed or engaged abroad in his field or specialisation for at least one year.

5. *Condition of short visits* :—For the purpose of these rules, short visits, if any, made by the person concerned to India during the aforesaid period of 2 years shall be ignored if the total duration of stay on these visits does not exceed six months;

Provided that on sufficient cause being shown by the person concerned the Collector of Customs may condone the period of stay in India in excess of six months

6. *Condition of shortfall in the period of stay abroad* :—For the purpose of these rules shortfall upto a period of two months in a person's stay abroad may be condoned by the Assistant Collector of Customs if he is satisfied that the person's early return to India had been caused by his availing of the terminal leave or a vacation or by any other special circumstances

No 103—CUS./F. No. 497/6/Cus.VI.

No. 124—CUS./F. No. 497/6/78-Cus.VI.

APPENDIX 4—*contd.*

MINISTRY OF FINANCE

DEPARTMENT OF REVENUE

New Delhi, the 26th September 1980

4 ASVINA 1902 (SAKA)

NOTIFICATION

CUSTOMS

G.S.R. No. 558(E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 230-Customs, dated the 5th December, 1979 the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do hereby exempts each of the goods specified in column (2) of the Table annexed hereto, when imported by any person as part of his baggage, on a bona fide transfer of residence to India, from so much of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) as in the excess of the rates specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, subject to the following conditions, namely :—

(i) such person has been residing abroad for a minimum period of 2 years immediately preceding the transfer of residence and is transferring his residence to India for a minimum stay of one year;

(ii) such person affirms by a declaration that the goods have been in his family(s) possession and use for a minimum period of one year and examination of the goods and attendant circumstances do not indicate to the contrary;

(iii) such goods shall not be sold, displayed or advertised or offered for sale until their market price has depreciated to less than 50 per cent of the market price when new; and

(iv) the goods not accompanying the passenger were shipped or despatched or arrived within the time limits specified in the Baggage Rules, 1978.

Explanation :—For the purpose of this notification—

(a) short visits, if any made by the person concerned to India during the aforesaid period of 2 years shall be ignored if the total duration of stay on those visits does not exceed six months;

(b) shortfall upto a period of two months in a person's stay abroad may be condoned by the Assistant Collector of Customs if he is satisfied that the person's early return to India has been caused by his availing of the terminal leave or a vacation or by an other special circumstances.

Provided that on sufficient cause being shown by the person concerned, the Collector of Customs may condone the period of stay in India in excess of six months.

TABLE

Sl. No.	Description of goods	Rate of Duty of Customs
1	2	3
1.	Domestic refrigerators capacity not exceeding 100 litres.	15%
2.	Domestic refrigerators capacity exceeding 100 litres but not exceeding 165 litres. . .	20%
3.	Other domestic refrigerators	40%
4.	Deep Freezes	40%
5.	Air Conditioners	50%

Sd/-

K. KUMAR, Under Secy.

No. 195-Cus /F. No. 495/92/79-Cus. VI

CUSTOMS & CENTRAL EXCISE BULLETIN

Cus. 68/81-82 Dated 10th December,

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
New Delhi, the 9th December 1981
18th Agrahayana, 1903 (Saka)

NOTIFICATION

CUSTOMS

C.C.N. No. (3) :—In exercise of the powers conferred by section 79 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Transfer of Residence Rules, 1978, namely .—

1. (1) These Rules may be called the Transfer of Residence (Amendment) Rules, 1981

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Transfer of Residence Rules, 1978, in rule 2 for the Explanation the following Explanation shall be substituted, namely :—

"*Explanation*" :—For the purpose of this rule, the expression "Personal and household effects" shall not include so much of gold jewellery that is to say jewellery of which the value is mainly on account of gold content, as is in excess of the value of one thousand five hundred rupees in the case of a male passenger and three thousand rupees in the case of a female passenger and the said limits shall not, however, apply to the jewellery in respect of which the Assistant Collector of Customs is satisfied on the basis of the evidence produced by the passenger, or by a member of his or her family that it had been taken out of India.

Sd/-
K. KUMAR
Under Secretary to the Govt. of India

(No. 268/81)
F. No. 497/14/81-Cus. VI

The notification seeks to amend the Explanation in Rule 2 of the Transfer of Residence Rules, 1978.

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 1st March, 1983

10 Phalguna, 1904 (SAKA)

NOTIFICATION

No. 58/83-CUSTOMS

G.S.R. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1965 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue No. 142-Customs, dated the 15th July, 1980, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts articles, falling under Heading No. 100.01 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) specified in column (1) of the Table hereto annexed, when imported into India by a passenger or a member of a crew as baggage from so much of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule, as in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

TABLE

Description of articles	Rate
(1)	(2)
Any article of a value in excess of the duty from allowance admissible to such passenger or remember, under rule 3 of the Baggage Rules, 1978—	
(a) for the first Rs 2,000	130 per cent *ad valo rem*
(b) on the balance	200 per cent *ad valo rem*

Explanation-I — Where the value of any one article exceeds the duty free allowance admissible to such passenger or member under rule 3 of the Baggage Rules, 1978, the amount of duty shall be calculated only on the value in excess of the duty free allowance so admissible to the extent not availed of by such passenger or member for clearing any other articles of baggage, if any.

Explanation-II — Where such passenger or member avails himself of the rate under clause (a) of the said Table to the extent of Rs. 2,000/- on any article, he shall not be entitled to avail the said rate on any other article to that extent.

2. Nothing contained in this notification shall apply to —

(i) motor cycles, scooters or mopeds;

(ii) fire arms;

(iii) cigarettes, cigars or tobacco in excess of the quantity prescribed for importation free of duty under the relevant baggage rules; and

(iv) textile fabrics in excess of rupees five hundred in value.

Sd/ (J. SRIDHARAN)

UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

F. No. Bud(Cus)/83.

APPENDIX 5

EXPORT BAGGAGE RULES

BONAFIDE PERSONAL BAGGAGE OF A PASSENGER GOING OUT OF INDIA

For the purpose of exemption from export trade control restrictions *bona fide* personal baggage shall cover the following unused and used articles, upto the limits prescribed provided that the articles are meant for the personal use of the passenger or for the members of his family travelling with him and are not intended for sale or transfer to other parties.

The Wild Life (dead or alive or part thereof or produce therefrom) specified in Part 'A' of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1977, shall not be treated as constituting such personal baggage.

Note : Export of animal species included in any of the Appendices to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) shall be subject to regulation under CITES and special examination by the Regional Assistant Director, Wild Life Preservation, Government of India.

A. *Used Articles* :—

(i) Wearing apparel.

(ii) Personal and household effects such as bed sheets, blankets, towels, household linen, used footwear of all kinds, spectacles and sun glasses, cigarette cases and ash trays, Kashmir artware, papier mache articles, small walnut wood articles, e.g. stools, small tea tables, a nest of table chairs, camp-cot etc. curtains, table covers, cushion covers tea cosies, used kitchen utensils of brass, aluminium or copper, Indian curios "Not made of tiger, leopard or panther or any wild animal's skins included in Part 'A' of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1977", Buttons and cuff links, cutlery other than that made of silver, household crockery, earthenware and glassware, leather suit cases, hand bags, harness and saddlery, leather footwear of all sorts, musical instruments of all kinds including gramophones and records, pictures, and photographs, framed and unframed, postage stamps, printed books, toys, requisite for games, sports, perambulators, toilet requisites, woollen floors carpets floor rugs, pashmina shawls and woollen hosiery

(iii) Cameras, watches, fountain-pens—2 of each per passenger

(iv) Typewriter—one per adult passenger.

(v) Home cine-equipment wireless reception sets (radios) and sewing machine (Foreign or Indian)—one each per family.

(vi) Clocks or timepieces, binoculars, bicycles (Foreign or Indian)—one of each per adult passenger.

(vii) Minor electric appliances e.g. table fan, lamp, kettle iron plugs, sockets, etc.—within reasonable quantities

(viii) Professional instruments, apparatus and appliances required by a passenger for his own use, e.g tools of a craftsman, any instruments of a physician or surgeon which they normally carry with them.

(ix) Domestic silverware and furniture : Normally persons going out of India for a holiday or a short trip will not be allowed to take out domestic silver-ware or furniture In other cases, export will be allowed upto the limits or value indicated below :—

(a) Passengers who have come to India from outside and are leaving the country for good after a prolonged stay, may take out silverware upto Rs 3000/- This facility will also be allowed to foreigners who have been staying in India for a period of 2 to 3 years or more and thereafter go back to their countries.

(b) Casual visitors going abroad for short trips, Rs. 200 per head subject to a limit of Rs. 400 per family provided the silverware is in actual use of the passengers.

(c) Persons going out of the country after a prolonged stay will be allowed to take away the furniture which has been in their use.

(d) Persons going to live abroad for an indefinite length of time of not less than 6 months will be allowed to take furniture items for their own bona fide requirements.

Note :—

(i) Indian Nationals emigrating to foreign countries or going abroad for indefinite stay may be allowed to take out silverwares upto Rs. 2,000/- in value with the permission of the Reserve Bank of India.

(ii) Gift articles made of silver will not be allowed to be sent out by Indian Nationals to relatives or friends abroad, irrespective of the value of such gifts.

(x) Drugs and medicines Rs. 200 per family.

B. *New Articles*—

(1) Sewing threads—1 kg. per passenger.

(2) Dyes and colours, all sorts—500 gms. per family.

(3) Unexposed films—4 spools per passenger, provided the passenger is taking out a camera.

(4) Exposed films in reasonable quantities.

(5) Foodstuffs.

Wheat and wheat flour .	9 kg per passenger, but not exceeding 36 kg. per family,
Rice	—Do. —
Pulses . . .	—Do. —
Edible Oil . .	—Do. —
Sugar . . .	4·5 kg. per head but not exceeding 18 kg. per family.
Pepper and Chillies .	1 kg. per head but not exceeding 4·5 kg. per family.
Tea and Coffee . .	1 kg. of Tea and 2 kg. of Coffee per head.
Butter and Ghee . .	4·5 kg. per passenger but not exceeding 18 kg. per family.
Cardamom . .	500 grammes per passenger but subject to 2 kgs. per family of five or more members.

(6) Chocolates and Chocolate confectionary in reasonable quantities.

APPENDIX 5—*contd.*

(7) Processed fruit products such as Jams, Marmalades, Jellies and crystallised fruits, syrup and fruits, squashes—in reasonable quantities.

(8) Other food-stuffs such as sauces, condiments, curry powder, tamarind, multispices (other than pepper and chillies), cashew-nuts and walnuts—in reasonable quantities.

(9) Indian sweets and home-made sweets preparations—in reasonable quantities.

(10) Indian piggery products, viz., lard, bacon and jam—in reasonable quantities.

(11) Textile and garments etc. of Indian manufacture only :—

(a) Cotton cloth or garments.

(b) Silk or art silk cloth or garments.

(c) Woollen cloth.

There is no restriction on the export of the above-mentioned textile as *bona fide* baggage provided these are not intended for commercial purposes or sale.

(d) Knitting wool 2.25 kg. per lady passenger only.

(12) Zari :

(a) per passenger—2.25 kg.

(b) per family—4.5 kg.

(13) Kashmir Artware in reasonable quantities.

(14) Curios of Indian make. "Not made of tiger, leopard or panther or any wild animal skins included in Part 'A' Schedule I to the Export (Control) Order, 1977".

To tourist without permit.
Rs. 500 subject to the condition that goods do not fall under the purview of the Antiquities (Export Control) Act, 1947.

(15) New kitchen utensils.

Stainless steel and aluminium are decontrolled for export. In case any passenger desires to take the articles in excess of the prescribed limits, he should obtain permit from Assistant Collector, Preventive Department in respect of uncontrolled article or from the Export Trade Control authorities in respect of controlled articles.

(16) Electric bulbs (foreign or Indian)-1 dozen per family.

(17) Article made of peacock feathers—in reasonable quantity.

(18) Manufactures and Products containing ivory—in terms of the Export Policy in force from time to time.

C. Arms and Ammunitions.

(i) Personal arms and ammunition will be allowed to be taken out provided the passenger has either a valid possession licence thereof or is exempted from having such a licence under the Indian Arms Act.

(ii) A person who has purchased bonafide replicas of antique weapons which have been rendered innocuous in India intended for his personal use and desire to carry them upto four pieces only as part of his baggage while leaving India may be allowed to take these with him at the discretion of the customs authorities not below the rank of an Assistant Collector of Customs at the port of departure on production of the voucher/sale memo certifying that the replicas have been inspected by the competent authorities.

2. *Export Trade Control Restriction* : Controlled articles not covered by the foregoing paragraphs require a licence from the Export Trade Control authorities for their legal export. The Customs Collector may, however, in his discretion relax the Export Trade Control restriction in respect of the categories of passengers mentioned below to the extent specified against each category provided he is satisfied that (a) the goods are for the *bona fide* requirements of the passengers and (b) the goods are mainly produced or manufactured in India :—

I. *Bonafide Foreign Tourists* :—Goods other than those specified in Part A of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1977, may be taken to their country of residence, without any monetary limit, on production of documentary evidence to the Customs authorities that the goods have been purchased against payment in foreign exchange. However, silverware will be allowed only upto Rs. 200/- per head subject to the limit of Rs. 400/- per family.

II. Passengers other than Foreign Tourists :—

Articles not exceeding Rs. 2000/- (Two Thousand Only) in value may be taken out by passengers other than foreign tourists. However, within the above limit, Silverware will be allowed only upto Rs 200/- per head subject to a maximum of Rs. 400/- per family.

3. *Commercial Samples* :—Commercial travellers will be allowed to take out commercial samples in reasonable quantities even if they consist of controlled commodities.

4. *Foreign Exchange Regulations.*

(i) Indian Currency

Travellers going out of India have been prohibited from taking with them Indian currency notes and coins except to the limited extent as indicated below :

(a) For presentational purposes two pieces each of Rs. 50/- and Rs. 10/- coins with development oriented design in uncirculated quality.

(b) Persons proceeding to Nepal—Without limit (excluding notes of the denominations of Rs. 100 or higher).

(c) Deck passengers to Burma, Malaysia, Singapore, Gulf Ports or East Africa—Not exceeding Rs. 20/- per person.

(d) Passengers to Bangladesh, Ceylon or Pakistan—Not exceeding Rs. 20/- per person.

(ii) Foreign Exchange

(a) Any person proceeding from India may take with him freely foreign exchange in the form of foreign currency notes coins, drafts, travellers cheques or letter of credit obtained from an authorised dealer in foreign exchange provided necessary endorsement in support of the issue of such foreign exchange has been duly made on his passport by the concerned authorised dealer.

(b) General permission has also been granted by the Reserve Bank of India.

(1) to any person to take to Nepal, currency notes or coins of Nepal without limit;

(2) to any person, not ordinarily resident in India to take out of India an amount of foreign currency not exceeding the amount brought in by him in foreign currency provided that the amount had been declared by him to the Customs authorities on arrival in India on the prescribed form.

(3) to any person proceeding outside India other than those proceeding to Bangladesh, Bhutan and Nepal to take out any foreign currency notes and coins upto the equivalent of Indian Rs 200/- per person.

(4) to any person proceeding to Bangladesh to take out any foreign currency notes and coins upto the equivalent of Indian Rs. 100/- per person.

(iii) *Jewellery*

(a) *Non gold jewellery* :—Any persons may take out of India at any one time precious stones and jewellery, other than articles made wholly or mainly of gold as indicated below :—

(i) Travellers to Afghanistan, Iran or Gulf Countries in the Middle East—Rs. 2,000/- in value.

(ii) Travellers to any other country or place Rs. 5,000/- in value.

Exception—Any person other than a person domiciled in India may take out with him any precious stones or jewellery brought by him into India on his arrival in the country without limit and precious stones or jewellery other than articles made wholly or mainly of gold purchased by him in India upto a further Rs. 10,000/- in value.

(b) *Gold Jewellery*:—General permission has been granted by the Reserve Bank to any person ordinarily resident in India to take at any one time out of India personal jewellery made mainly or wholly of gold upto Rs. 5000/- in value, which is worn on his person or which form part of his personal baggage.

Exception—Any person not ordinarily resident in India may take out from India, jewellery made mainly or wholly of gold, without limit provided that the jewellery was previously brought by him into India from abroad with the permission of the Customs authorities. Such a person may also take at any one time out of India, jewellery made mainly or wholly of gold upto Rs. 2,000/- in value purchased by him in India.

(iv) Gold and articles made of gold other than jewellery.

The export of gold coins, bullion, ingots and articles (other than jewellery) made wholly or mainly of gold is prohibited unless specially permitted by the Reserve Bank of India.

5. *Export of Securities* :—The taking or sending of any securities to any place out side India is prohibited, except with the special permission of the Reserve Bank of India.

6. *Export declaration Form* :—All passengers are required to file a Custom Export Declaration form which will be supplied to them free of charge at the time of embarkation by the Customs Officer on duty.

7. *Export Certificate* :—Passengers are advised to obtain export certificates for those articles of personal property which are intended to be reimported into India to ensure that they do not have to pay duty on their subsequent re-import.

APPENDIX 6

IMPORT OF CARS, STATION WAGONS, JEEPS MOTOR CYCLES, SCOOTERS, AUTO CYCLES, MINI CARS AND MOPEDS

Eligibility

Category	Requisite conditions
(1)	(2)
(A) Indian nationals returning to India for permanent settlement.	(i) continuous stay abroad for at least one year.
	(ii) vehicle purchased out of own earnings.
	(iii) affidavit sworn before appropriate authority that he is returning to India for permanent settlement.
	(iv) Normally, the vehicle to be imported should have been used abroad by the applicant for at least three months; however, in specific cases, import of a newly purchased vehicle may be allowed.
	(v) Import application should be made while the applicant is still abroad or within two months of his arrival in India, and the vehicle should not be purchased till the issue of customs clearance permit. (The condition regarding purchase of vehicle before the issue of CCP will not apply where the vehicle to be imported is the same which has been in use abroad by the applicant for at least three months).

Note : (1) Foreign nationals of Indian origin coming to India for good will be treated on par with Indian nationals in this regard.

(2) In the case of husband and wife, if other conditions are fulfilled, import application made by either of them may be considered in respect of a vehicle purchased out of the earnings of the other. This will, however, be subject to production of an affidavit by the husband or wife, as the case may be, that no separate application for import of another vehicle shall be made.

Category	Requisite conditions
(1)	(2)
(B) Foreign ladies (including persons of Indian origin) married to Indian nationals.	(1) *As Gifts:*
	(i) gift has to be by a parent only.
	(ii) photostat copy of the marriage certificate.
	(iii) parent's certificate in original that it is an unsolicited gift, supported by banker's certificate regarding financial status of donors.
	(iv) to be only once in applicant's life time.
	(2) *Otherwise :*
	(i) applicant's financial status before marriage, supported by employer's certificate/income tax certificate/banker's certificate.
	(ii) affidavit sworn before appropriate authority that the applicant is already settled in India or coming here for good.
(C) Foreign Nationals employed in India in public or private sectors.	(i) assignment in India to be for minimum period of one year, supported by employers certificant in original

Note : Foreign nationals of Indian origin coming to India on specific assignment like other foreign nationals, will be treated on par with foreign nationals in this regard.

Category	Requisite conditions
(D) Self-employed foreign nationals.	(i) State/Central Government cer ificate stating the nature of applicant profession and reasons justifying import.
	(ii) Full landed cost to be paid in foreign exchange by the applicant.
(E) Other Foreign experts (under Aid-Programmes) non-diplomatic/home-based staff.	(i) Certificate of assignment/employment from concerned Government Department, Embassy, with general particulars of nature of work and likely tenure, etc. as well as particulars of Aid Programme as applicable.
	(ii) purchase invoice/registration certificate of ownership of the cars being imported.

APPENDIX 6—*Contd.*

(1)	(2)
(F) Physically handicapped	(i) c.i.f. value of car together with disability controls fitted in it should not exceed Rs. 65,000/-. Original invoice/purchase voucher to be produced in support (Auto-transmission is not treated as a disability control device). (ii) the state Civil Surgeon or head of concerned wing in a Govt. Hospital detailing nature and extent of disability and justification for use of a special car with disability control device(s) (iii) if the car is a gift, confirmatory letter from donor, in original which should also indicate the donors' relationship with the donee. (iv) Satisfactory evidence clearly justifying the need and essentiality for import of a self-driven car by the applicant.
(G) Branches/Offices of Foreign Institutions (corporate or otherwise).	(i) full landed cost to be borne by Foreign principals. (ii) ordinarily only one vehicle to be allowed—two only if there is more than one branch/office in different towns. (iii) Photostat copy of approval of Govt. or RBI for opening the branch office, in question, in India.
(H) Deleted	
(I) Rupee company having foreign collaboration.	(i) full landed cost to be borne by foreign collaborators. (ii) collaboration agreement requires employment/visit of foreign director/technical experts. (iii) Photostat copy of approval of Govt./RBI for the foreign collaboration.
(J) Accredited journalists/correspondents of foreign news agencies.	(i) application to be sponsored by and routed through Press Information Bureau, New Delhi. (ii) letter from overseas employers that full landed cost of vehicle will be born by them (English translation to be attached.)
(K) Air companies.	Applications are to be routed through Deptt of Civil Aviation, Ministry of Tourism and Civil Aviation, and on their recommendation only.
(L) Indian firms executing contracts abroad.	(i) photostat copy of letter of RBI/Government of India sanctioning the contract. (ii) only vehicles covered by specific RBI approval to expenditure overseas. (iii) only on substantial completion of contract.
(M) Charitable and missionary institutions working in India.	(i) only gifts of utility vans, ambulances, station wagons, jeeps, mini buses or passenger transport vehicles etc. to be considered. (ii) certificate from concerned Government authority to the effect that the institution is an established one and has been functioning for the benefit of the community, irrespective of the consideration of "caste, colour or creed" is to be furnished. (iii) Foreign Contribution Act 1976 to be complied with.

Procedure

(a) Applications for import licence/CCP should be made to the Chief Controller of Imports and Exports New Delhi; in the form given in Annexure together with the voucher of the payment of the application fee prescribed namely Rs. 500/- irrespective of the value applied for.

(b) Spares upto CIF value of Rs. 2,500/- will be allowed to be imported along with the vehicle.

Conditions applicable

1. On its arrival in India, the vehicle should be got registered in the name of the licence holder only.

2. Before clearance at Port, the licence holder will execute, in the form prescribed, a Bond for an amount equal to the customs assessed c.i.f. value of the vehicle, in favour of the President of India, with the local licensing authority, under taking to fulfil the conditions applicable to the import licence/CCP, supported by a guarantee of a Scheduled Bank. Alternatively, he may furnish a surety by a Scheduled Bank for the customs assessed c.i.f. value of the vehicle against mortgage of the said vehicle for the currency of the 'no sale' period. However, in the case of a physically handicapped licence holder only a legal agreement may be accepted on his declaration that he is not financially capable of giving guarantee/Surety of the Bank. The Bond/Surety legal agreement should be valid for a period of six years initially, but the licence/CCP holder would be obliged to get it extended or renewed for such further periods as the licensing authority may require, six months prior to the expiry of the initial period. (The licensing authority can make suitable modifications in the bond form to meet individual requirements).

3. The licence holder shall not, within the "No Sale" period(s) set down below, transfer, howsoever, the ownership or possession of the vehicle without the written prior permission of the licensing authority. The transfer, if permitted shall be subject to such price and terms and other conditions as to the transferee/time allowed, etc., as may be specified by the licensing authority.

(i) Categories (A & B)—No sale period shall be five years from the date of purchase or two years from the date of import, whichever is later.

(ii) Categories (G. J. K. L. & M.)—No sale period shall be five years from the date of importation.

APPENDIX 6—*Contd.*

(iii) Categories (C, D & E)—The vehicle shall be re-exported when the importer leaves India, except for a short visit abroad not exceeding 3 months at a time. The importer may also be permitted by the licensing authority concerned to sell the vehicle in India to another eligible foreign national subject to the conditions indicated in para 7 below, or to any other person/agency subject to such terms and other conditions as to the transferee, price etc., as may be specified by the licensing authority.

(iv) Category (F):

(a) Car shall not be allowed to be sold or otherwise disposed of or possession parted with, or pledged, mortgaged or hypothecated, at any time. However, in special circumstances, and for valid resaons, and subject to such conditions as may be laid down, the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi, may, request, relax his condition.

(b) The licence holder shall produce his driving licence within 6 months from the date of import, to the licensing authority with whom No Sale bond is executed.

(c) These conditions shall also apply to all cases in which import licences have already been issued but the bond has not yet been accepted by the concerned licensing authority.

(v) Category I:

(a) The car shall be held on account of the foreign collaborators and shall not be sold or otherwise disposed of or possession parted with or pledged, mortgaged or hypothecated, at any time, without the prior written permission of the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi, and subject to such conditions as may be laid down

(b) This condition shall also apply to all cases in which import licences have already been issued but the bond has not yet been accepted by the concerned licensing authority.

4. Licence holders of Categories (A) and (B) shall not leave the vehicle in India while going abroad on visits likely to exceed one year In any case the vehicle should be in the custody of another member of the family only and none else during such absence If the licence holder has to go abroad for more than one year, he should report the matter by Registered Post A.D., to the licensing authority with whom the Bond had been executed, giving reasons for his (extended) stay and the proposed date of return.

5 For periods of stay abroad exceeding one year, the licence holder would be obliged to extend the bond period by the period of such overstay, unless the licensing authority exempts him from doing so. In case the total period of stay abroad is likely to be more than two years, prior written permission of the licensing authority would be mandatory in all cases Failure to do so would entail the confiscation of the imported vehicle.

6 The licence holder will be free to re-export the vehicle in the event of his leaving the country for good but he should keep the licensing authority informed before hand.

7. A foreign national licensee will, however, have the option to sell the vehicle in India to another foreign national, provided (a) the buyer is eligible himself to its import, under the policy in force, (b) its price and connected expenditure is paid by the buyer from his personal funds abroad without in any way, involving remittances from India, (c) the buyer undertakes to abide by the same conditions subject to which the import had been allowed, and (d) the buyer executes a bond backed by a bank guarantee to meet these requirements to the satisfaction of the Licensing Authority.

8. After the vehicle is cleared at the port and the bond has been executed, the licence holder will immediately keep the licensing authority at the port of disembarkation of the vehicle, informed of his (intended) regular address in India i.e. the place where the car will be kept and used. The bond and other papers relating to his case will then be transferred to the licensing authority under whose jurisdiction the said address would be situated. Thereafter all further correspondence should be with the latter authority only and the rights and obligations under this policy would be exercisable by him.

9. The licence holder should produce on demand evidence satisfactory to the Chief Controller of Imports and Exports or to the licensing authority or any other Government authority (Central or State) concerned with the Motor Vehicle Acts the Police or imports control to prove that the vehicle continues to be in his ownership and possession during the period.

10. Persons given possession of or negotiating the purchase of a vehicle imported under this policy should, in their own interest, ensure that they are themselves free to do so, i.e the vehicle can be in their possession or ownership in terms of this policy and relative Bond. The onus of proof will be on them to do so. Vehicles found in the possession of unauthorised persons under this policy will be liable to confiscation unconditionally

11. Applications not covered by the above provisions may be dealt with *ad hoc* on merits, by the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi.

12. Cases in which operation of the existing conditions create genuine difficulties and hardship may, on request, be considered by the CCI&E, New Delhi, for such relaxation as he may consider necessary

13. Notwithstanding any of the provisions made above, the Chief Controller of Imports & Exports New Delhi may reject any application where he is not satisfied about the justification for import of a vehicle.

ANNEXURE TO APPENDIX 6

Application form for Categories A, B, C, D, E & F, (i) Indian Nationals returning to India for good, (ii) Foreign ladies (including persons of Indian origin) married to Indian nationals, (iii) other foreign nationals, and (iv) physically handicapped individuals.

1. Name of applicant.
2. Nationality.
3. Designation/professional status.
4. Full address abroad.
5. Full address in India.
6. Purpose of visit abroad and duration of continuous stay.

   (Applicable only to Indian nationals returning to India).
7. Proposed date of leaving for India and arrival in India.
8. Likely period of stay in India.
9. Make and Model of vehicle and c.i.f. value.
10. Country of Shipment.
11. Date of purchase/registration and period of ownership.
12. In case the car is already imported please state whether the car/vehicle has been brought into India under 'Triptyque'/Carnet-De-Passage and, if so, the date of the import and number and validity of the Carnet (photostat copy of the Carnet may be enclosed).
13. Manner in which foreign exchange was found for purchase of vehicle.

APPENDIX 6—*Contd.*

14. Foreign exchange if any taken/drawn under permission from R.B.I. within last two years.

(Applicable only to Indian nationals returning for good).

(a) Basic quota

(b) Special quota

(please also indicate if the foreign exchange so drawn has been refunded).

15. Purpose for which car is needed in India.

16. Whether applicant, his wife/husband/dependent has ever imported a car into India, and if so, full particulars with CCP/licence number.

17. Whether an application for import of car etc. was made previously and if so, with what result (full reference should be quoted).

18. (a) Preferred port of disembarkations of car in India.

(b) State in which the car will be used, i.e., it will be regularly registered in India, i.e after the provisional or temporary registration is done at port.

19. Documents to be enclosed with the application :—

(a) Voucher of the payment of application fee (in original).

(b) Photostat copy of the purchase/Proforma Invoice/Registration Certificate.

(c) Statement of applicants' earnings abroad prior to purchase of the car, supported with Employer's Certificate, Income-tax Certificate/Banker's Certificate, whenever required under the policy.

(d) Affidavit sworn before appropriate Indian Government authority or Notary Public (abroad) that the applicant is returning to India for good.

20. Additional documents to be enclosed for specified category of applicants :—

A. Foreign ladies married to Indian nationals (in the case of gifts).

(a) Confimatory letter from the parent declaring the unsolicited nature of the gift (in original);

(b) Photostat copy of the marriage certificate;

(c) Banker's Certificate regarding financial status of the donor (in original).

(d) An affidavit on stamped paper sworn before a magistrate or Oath Commissioner or Notary Public, both from the applicant and her husband, affirming that they are permanently settled in India and have not imported any other car previously.

(e) Photostat copy of passport of applicant and her husband showing the nationality at the time of their marriage. If husband has no passport, he should give an application showing his nationality.

B. Foreign nationals employed in India in Public or private sectors.

(a) Employer's certificate showing period of assignment in India (in original).

C. Other foreign experts (under Aid Programmes), non-diplomatic—Home-based staff—

(a) Certificate of assignment/employment from concerned Government department/Embassy, with general particulars of work and likely tenure (in original).

D. Self-employed foreign nationals—

(a) State/Central Government's certificate stating the nature of aplicant's profession and reasons justifying import;

(b) Declaration to meet full landed cost (i.e. including customs duty) in foreign exchange;

(c) Foreign banker's certificate showing applicant's financial status.

E. Physical handicapped—

(a) Medical Certificate from the State Civil Surgeon or Head of concerned wing in the Government Hospital detailing nature of disability and reasons justifying car with special controls;

(b) Donor's confirmatory letter (in case the car is a gift).

Declaration :

I hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my knowledge and belief and I fully understand that any licence/CCP claimed or granted to me on the basis of the above statements is liable to cancellation, in addition to any other penalty that the government may impose or any other action that may be taken having regard to the circumstances of the case if it is found that any of the statements or facts therein are incorrect or false.

Dated the————

Encls :

Signature————

Name (in Block letters)————

————

Full address————

————

FORM OF AFFIDAVIT to be executed by Indian nationals coming to India for permanent settlement.

I. (Name ————) S/o ———— resident of ———— holding Indian Passport No. ———— dated ———— do hereby declare and affirm as under :—

(1) That I have continuously been residing abroad since ————, except for the following periods when I visited India :

(i)

(ii)

(iii)

(2) That I shall be returning to India for permanent settlement in ———— (month/year).

(3) That the vehicle proposed to be imported by me has been purchased out of my own earnings abroad.

(4) That the vehicle has been registered abroad in my name and its registration No. is ————.

DEPONENT

Application form for Categories G, I, J, K, L, M.

(i) Branches/Offices of foreign institution (corporate or otherwise);

(ii) Air Companies (applications are to be routed through the Department of Civil Aviation, Ministry of Tourism & Civil Aviation);

(iii) Rupee Company having foreign collaboration;

(iv) Indian firms executing contracts;

(v) Accreditted Journalists/correspondents of foreign News Agencies (applications are to be routed through the Press Information Bureau); and

(vi) Charitable and Missionary institutions in India.

ANNEXURE TO APPENDIX 6—*Contd.*

1. Name of the applicant
2. Nationality and designation/professional status [applicable to category (v) only].
3. Full registered address abroad
4. Full registered address in India.
5. No. of Branches with their addresses in India.
6. Nature of business/assignment in India.
7. Make and model of vehicle with c.i.f. value.
8. Purpose for which car is needed in India.
9. Voucher/Receipt showing payment of application fee.
10. Purchase/Proforma invoice/Registration Cetrtificate.
11. In case the car is already imported please state whether the car/vehicle has been brought into India under 'Triptyque'/Carnet-De-Passage and if so, the date of the import and number and validity of the Carnet (photostat copy of the Carnet may be enclosed).
12. Manner in which foreign exchange was found outside India for purchase of vehicle, suported with confirmatory letter (in original) from overseas principals/Head office donors, wherever car is a gift.
13. Wherever Customs duty is payable in foreign exchange, Confirmatory Letter (in original) from overseas Principal/Head Office that such duty will be met by them in foreign exchange.
14. Full particulars, details of imported cars if any, either by way of *direct* import or through transfer from any other person/agency in India.
15. Whether an application for import of car was made previously; if so, with what result (quote full reference).
16. Proposed date of shipment of car.
    (a) Port of disembarkation in India.
    (b) State in which car will be required in India.

Declaration

I hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my knowledge and belief and I fully understand that any licence/CCP claimed or granted to me on the basis of the above statements is liable to cancellation, in addition to any other penalty that the government may impose or any other action that may be taken having regard to the circumstances of the case if it is found that any of the statements or facts therein are incorrect or false.

Dated the————

Encls :

Signature————

Name (in Block letters)————

————

Full address————

————

17. *Additional* documents to be enclosed for specified categories of applicants :—

A. Rupee Company having foreign collaboration—

(a) Photostate copy of the technical collaboration agreements in terms of which foreign experts/technicians Directors are required to visit India from time to time.

B. Indian firms executing contracts abroad

(a) Photostat copy of Letter of R.B.I./Government of Indian sanctioning the contract.

(b) Sanction of R.B.I. conveying approval to purchase of car/cars abroad.

(c) Certificate/documentary evidence to show that contract/job work abroad has been completed.

C. Charitable and Missionary Institutions—

(a) Certificate from concerned Government authority to the effect that the institution is "an established one, and has been functioning for the benefit of the community, irrespective of the consideration of caste, colour or creed."

(b) Declaration that the vehicle in question is a gift and no remittance in foreign exchange from India for the purpose is involved.

APPENDIX 6

SPECIMEN BOND FORM TO BE EXECUTED BY IMPORTERS OF CARS ETC. AS PERSONAL BAGGAGE

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS that We (1) .... of .... (hereinafter called the importer which expression shall where the context so admits include his/their respective heirs, executors, administrators and legal representatives/successors and permitted assigns) and (2) .... of .... (hereinafter called 'the surety' which expression shall where the context so admits include his/their respective heirs, executors, administrators and legal representatives/successors and permitted assigns are held and firmly bound jointly and severally unto the President of India to pay to the President of India through the Joint/Deputy Chief Controller of Imports and Exports ..... for the time being on demand and without demur the sum of Rs........... for which payment will and truly to be made we bind ourselves firmly by these presents

Dated this the .... day of ....19 . Whereas the Joint/Deputy Chief Controller of Imports & Exports, Government of India.

(herein referred to as the said Joint/Dy. Chief Controller of Imports & Exports which expression shall include the person for the time beings performing the duties of the Joint/Dy. Chief Controller of Imports & Exports ....) has permitted clearance of .... more fully described in the Schedule hereunder written imported in India by the importer.

Now the condition of the above written bond are such that :—

1. If the said importer re-exports the car at the time of his leaving from this country or had taken prior permission of I.T.C. authority for leaving the car in India while proceeding abroad for a period exceeding six months.

and

2. If the said importer shall not sell, pledge, mortgage, hypothecate or part with the possession of the said car or otherwise dispose of the car, then the above written bond shall be void and of no effect otherwise the same shall be and remain in full force and virtue. And it is hereby fully agreed and declared between the parties as follows :—

(a) That the above written bond shall remain in full force and effect for the period of .... years from the date of importation of the said .... and shall be deemed to be renewed for such further period as the Joint/Dy. Chief Controller of Imports & Exports may require any time before the expiry of the said period.

(b) Any forbearance act or omission on the part of the President of India to enforce the bond against the importer (whether with or without the knowledge or consent of the surety) shall not in any way release the said surety from his liability under the above written bond;

(c) That this bond is entered into under the order of the Central Government for the performance of an act in which the Public are interested;

(d) The importer shall produce evidence that the car as in his possession and ownership whenever demanded by the Chief Controller of Imports and Exports or any licensing authority; and

(e) The importer shall not leave the car in India while going abroad except on short visits for which permission from the licensing authorities shall be obtained for leaving the car with his close relations.

(f) Any breach of terms and conditions of this bond will render the importer liable to penalties as provided under the Imports (Control) Order, 1955, as amended, over and above his liability for payment of the amount of the bond.

SCHEDULE OF GOODS FOR CLEARANCE

AS WITNESS THE hands of the parties the .... days of .... 19 ....

Signed by the above named importer in the presence of .... Signed by the above named surety, in the presence of ....
Accepted by ....
for and on behalf of the President of India

APPENDIX—7

LIST OF SPONSORING AUTHORITIES

Industry	*Sponsoring Authority*
1. Scheduled industries borne on the registers of DGTD.	DGTD
2. All SSI units.	Director of Industries of the concerned State. (See note below)
3. Film studios, cinema houses, film processing laboratories, studio equipment hirers and any other unit related to the film industry.	Director of Industries of the concerned state or Natiolnal Film Development Corporation
4. Coffee Industry/Plantations	Chairman, Coffee Board, Bangalore.
5. Coal & Lignite	Deptt. of Coal, New Delhi.
6. Coir Industry (including rubberised coir products)	Chairman, Coir Board, Ernakulam
7. Cold Storages (for Horticultural products).	Agricultural Marketing Adviser, Govt. of India, Faridabad.
8. Cardamom Plantations	Cardamom Board, Ernakulam
9. Computer system (including their spares)	Deptt. of Electronics, New Delhi
10. Explosive.	Chief Inspector of Explosives, Nagpur
11. Fishery industry (including cold storage facilities of other than seagoing vessels)'	State Director of Fisheries.
12. Fishing trawlers.	D.G.T.D.
13. Fruits and vegetable preservation industry.	Executive Director (Department of Food and Nutrition Board), New Delhi.
14. Handlooms.	State Director of Hadlooms.
15. Handicrafts.	All India Handicrafts Board.
16. Irrigation Projects.	Central Water Commission, New Delhi.
17. Jute industry, Rope industry using sisal or manila fibres, Jute-textile engineering industry and wooden accessory industry for jute mills.	Jute Commissioner, Calcutta.
18. Mines (other than collieries).	Controller, Indian Bureau of Mines, Nagpur.
19. Newspaper establishments.	Registrar of Newspapers for India, New Delhi.
20. Petroleum Industry.	Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizers, New Delhi.
21. Pharmaceutical industry and cosmetics (including tooth powder) industry.	State Drugs Controller (or other such authority of the State Govt.).
22. Power supply and distribution undertakings.	Central Electricity Authority, New Delhi.
23. Units/Subsidiaries of Steel Authority of India Limited (SAIL).	Steel Authority of India Ltd., (SAIL) Head Office.
24. (a) Tata Iron and Steel Company Limited. (b) Visvesvaraya Iron & Steel Limited. (c) Other units directly administered by the Department of Steel.	Department of Steel, Ministry of Steel and Mines, New Delhi
25. Other units in the Iron and Steel Sector including Electric Arc Furnace Units, Re-rolling units, Secondary producers.	Iron and Steel Controller, Calcutta.
26. Printing establishments, publishers, construction agencies, advertising agencies, Service Stations and other maintenance workshops.	State Director of Industries (who may, if necessary, consult other technical experts of the State Government).

Industry	*Sponsoring Authority*
27. Rubber plantations.	Chairman, Rubber Board, Kottayam.
28. Sugar industry.	Chief Director of Sugar, Deptt. of Food, New Delhi.
29. Silk Industry/Silk Fabrics/Sericulture.	Central silk Board, Bombay.
30. Shipping Industry/Shipping Companies.	
(a) Sea-going vessels.	Director General of Shipping [illegible]
(b) Inland steam and motor vessels.	Principal Officer, Mercantile Marine Department of the area concerned.
(c) Ship repairs.	Director General of Shipping, Bombay.
31. Salt Industry.	Salt Commissioner, Govt. of India, Jaipur.
32. (a) Textile Industry other than jute, and silk. (b) Textile engineering industry. (c) Powerloom industry. (d) Readymade garments (other than hosiery). (e) Crimping Texturising and Draw-texturising units.	Textile Commissioner Bombay
33. Tea industry/plantation/Tea bag industry.	Chairman, Tea Board, Calcutta.
34. Vanaspati.	Department of Civil Supplies and Co-operation, New Delhi.
35. Units including cottage industry and AU. (Non-industrial)—(Service maintenance) jobbing units, for which no sponsoring authority has been specifically mentioned above.	State Director of Industries or any other concerned Department of State or Central Government.

Note :—(1) The sponsoring authorities shown against S. Nos. 14, 15, 17, 21, 32 and 33 above will also be the sponsoring authorities in respect of SSI units of these industries.

(2) The Chairman, Rubber Board, Kottayam will also be the sponsoring authority for import of machinery required by Rubber Plantation for the purpose of processing rubber from trees to marketable form as raw rubber.

(3) In case of fish net making macinery, Ministry of Agriculture, New Delhi will also be consulted by the sponsoring authority concerned before recommending import application.

APPENDIX—8

LIST OF REGIONAL LICENSING AUTHORITIES (WITH THEIR POSTAL AND TELEGRAPHIC ADDRESSES) AND JURISDICTION

Sl. No.	Licensing authorities	Telegraphic Address	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	The Joint Chief Controller of Imports and Exports 4, Explanade East, Calcutta-700069.	CONIMPEXTRA CALCUTTA	West Bengal, Sikkim and Union Territory of Andaman & Nicobar.
(2)	The Joint Chief Controller of Imports and Exports, New Central Govt. Offices Building, S. E. Wing, New Marine Line's Churchgate, Bombay-400020.	CONIMPEXTRA BOMBAY	Maharashtra.
(3)	The Joint Chief Controller of Imports and Exports, 3-Vijayraghava Road, T. Nagar, Madras-100001.	CONIMPEXTRA MADRAS.	Tamil Nadu.
(4)	The Joint Chief Controller of Imports and Exports, Central Licensing Area, Indraprastha Bhavan, 'A' Wing, New Delhi-110002.	CONIMPEXTRA NEW DELHI	Delhi, Haryana and five districts of Uttar Pradesh, namely, Meerut, Ghaziabad, Bulandshahr, Muzaffarnagar and Saharanpur.
(5)	The Joint Chief Controller of Imports and Exports, 17/194, Swaroop Nagar, Kanpur-208002.	CONIMPEXTRA KANPUR	Uttar Pradesh except those areas which are Under the jurisdiction of Joint Chief Controller of Imports & Exports (CLA), New Delhi.
(6)	The Joint Chief Controller of Imports and Exports, Damayanthi Chambers, 2nd/3rd floor, 5/9/22/I, Adarshnagar, Ritz Hotel, Hyderabad.	CONIMPEXTRA HYDERABAD	Andhra Pradesh excluding areas in the jurisdiction of Controller of imports & Exports, Visakhapatnam.
(7)	The Joint Chief Controller of Imports and Exports, 7th Floor, Caveri Bhawan, P.B. No. 9688, Banglore-560006.	CONIMPEXTRA BANGALORE.	Karnataka.
(8)	The Joint Chief Controller of Imports and Exports, 'A' Block ,11th Floor, Govt. Multistoreyed Building, Laldarwaja, Ahmedabad-380001.	CONIMPEXTRA AHMEDABAD.	Gujarat State excluding areas falling under the jurisdiction of Rajkot and New Kandla offices.
(9)	The Deputy Chief Controller of Imports and Exports, T.D. Road, Ernakulam, Cochin-682011.	CONIMPEXTRA ERNAKULAM	Kerala and Union Territory of Lakshadweep.
(10)	The Deputy Chief Controller of Imports & Exports, IIIrd Floor, Guru Teg Bahadur Complex, New Market, Bhopal-462003.	CONIMPEXTRA BHOPAL	Madhya Pradesh.
(11)	The Joint Deputy Chief Controller of Imports and Exports, CBR, Building, Mall Road, Amritsar.	CONIMPEXTRA AMRITSAR.	Punjab.
(12)	The Deputy Chief Controller of Imports & Exports, Udyog Bhavan, Tilak Marg, Jaipur-302005.	CONIMPEXTRA JAIPUR.	Rajasthan.
(13)	The Deputy Chief Controller of Imports and Exports, Rajgarh Road, Gauhati-781003.	CONIMPEXTRA GAUHATI.	Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland and Manipur.
(14)	The Assistant Chief Controller of Imports & Exports, Merello Building, Shillong, Meghalaya-790001.	CONIMPEXTRA SHILLONG.	Meghalaya.
(15)	The Assistant Chief Controller of Imports & Exports, Ashirwad Building, Samta-Imez Panjim (Goa)-403001.	CONIMPEXTRA PANJIM.	Goa, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli.
(16)	The Deputy Assistant Chief Controller of Imports & Exports, Residency Road, Srinagar 180001.	CONIMPEXTRA SRINAGAR.	Jammu & Kashmir (Note—During winter, a camp office will function at Jammu (Exhibition Grounds), for seven days in each month as per announcement to be made from time to time by Assisant Chief Controller of Imports & Exports, Srinagar).
(17)	The Assistant Chief Controller of Imports & Exports, B. K. Road, Palace Compound, Agartala-799001.	CONIMPEXTRA AGARTALA.	Tripura and Mizoram.
(18)	The Assistant Chief Controller of Imports & Exports, Adminsitrative Building, Kandla Free Trade Zone, Gandhi dham (Kutch)-370301.	CONIMPEXTRA GANDHI DHAM.	Kutch District of Gujarat and New Kandla Free Trade Zone.
(19)	The Deputy Assistant Chief Controller of Imports & Exports, Biscomann Bhavan, Patna-800001.	CONIMPEXTRA PATNA.	Bihar.
(20)	The Assistant Chief Controller of Imports & Exports, Sector-35 SCO-288, Chandigarh-160023.	CONIMPEXTRA CHANDIGARH.	Himachal Pradesh and Union Territory of Chandigarh.

APPENDIX—8(*Contd.*)

Sl. No.	Licensing Authority	Telegraphic Address	Jurisdiction
1	2	3	4
(21)	The Assistant Chief Controller of Imports & Exports, Swastayana Barjakabati, Road, Cuttack-752001.	CONIMPEXTRA CUTTACK.	Orissa.
(22)	The Assistant Chief Controller of Imports and Exports, Desai Building, Bhupindra Road, New Town Hall, Rajkot-36001.	CONIMPEXTRA RAJKOT.	The Districts of Gujarat State known as Saurashtra (excluding Kutch).
(23)	The Deputy Development Commissioner (Imports & Exports), Electronics Exports Processing Zone, Santa Cruz, Bombay.	SEEPROZONE BOMBAY	Electronics Export Processing Zone-Santa Cruz, Bombay (SEEPZ).
24)	The Assistant Chief Controller of Imports & Exports P. B. No. 14, Pondicherry-605001.	CONIMPEXTRA PONDICHERRY	Union Territory of Pondicherry, Karaikal Mahe and Yaman.
(25)	The Assistant Chief Controller of Imports & Exports, Near CISF Quarter General & Quarter Master Stores, Visakhapatnam-530035.	CONIMPEXTRA VISAKHAPATNAM.	The District of Srikakulam, Visakhapatnam, East Godavari and west Godavari of Andhra Pradesh.

APPENDIX 9

THE PROCEDURE FOR DEPOSIT/REFUND OF *IMPORT APPLICATION FEE AND OTHER ITC DEPOSITS*

PAYMENT OF FEES

(1) (a) Unless an applicant is exempt from payment of fees under Clause 4 of the Imports (Control) Order, every application for an import licence/CCP should be accompanied by a bank receipt indicating the deposit in accordance with the prescribed scale of fee as per the Schedule III of the Imports (Control) Order. The deposits should be made along with the relevant form/T.R. 6 clearly indicating the head of account as mentioned below :—

(b) Import licence application fee—Subordinate to the Major Head 097-Foreign Trade and Export Promotion. The bank receipt must show the name of the department viz. "Import and Export Trade Control Organisation" and particulars of the application for the grant of import licence namely, description of goods for which the licence is applied for with their value and the licensing period, in the column "full particulars" in the form. Application must also contain details of the bank receipt under which the requisite fee has been deposited. The deposits should be made in any one of the branches of the Central Bank of India which have been authorised to receive application fee and other ITC deposits. A list of branches of the Central Bank of India which have been so authorised to receive the application fees and other ITC deposits is mentioned in this Appendix.

(c) In no case, the fees should be deposited in a Treasury. Treasury Receipts will not be accepted.

FACILITY OF REMITTANCE THROUGH A BANK DEMAND DRAFT

(ii) (a) However, where the applicant is located in a place which does not have any authorised branch of the Central Bank of India, the facility of remittance of application fee and other ITC deposits through a crossed demand draft on a scheduled bank will also be available. Such demand drafts for the requisite amounts should be made out in favour of the concerned licensing authority who will deposit the bank drafts in the Central Bank at the same station where the licensing authoriy has bank account. At places where there is no branch of the Central Bank of India demand drafts received in favour of the licencing authority can be endorsed to the Pay & Accounts Officer concerned for credit to Government account. The jurisdiction of the various Pay and Accounts Officers is also indicated later in this Appendix.

(b) Wherever the facility of remittance through demand draft is availed, the crossed demand draft should be enclosed with the application and sent to the licensing authority concerned.

EXEMPTION FROM PAYMENT OF FEES

(iii) (a) The categories of applicants who have been exempt from payment of fees is given in clause 4 of the Imports (Control) Order, 1955. Also, no fees is leviable on applications where the goods sought to be imported are acquired for personal use of the applicants (i.e. for purposes not connected with the trade or manufacture), irrespective of the value of such goods. This exemption, however, is not applicable to import of cars and other vehicles.

(b) Wherever, the applicant is exempt from payment of fees, he should clearly state so in his application in the column pertaining to bank receipt/bank draft No. and date indicating the provision under which he is so exempt.

WHERE BANK RECEIPT LOST

(iv) In cases where the applicant has misplaced the original receipt, the applicant should file an affidavit on a stamped paper to the effect that the bank receipt in question has been lost or misplaced and has not been utilized in any other manner. Further, he should also mention that if the original receipt is found subsequently it shall be returned to the licensing authority concerned and shall not be utilised in any other manner. The particulars of the receipt i.e. licensing period, the amount remitted, the date of payment etc. should also be stated in the affidavit.

REFUND OF APPLICATION FEES

(a) Application fee once deposited is not refundable, except in the circumstances in clause 4 of the Imports (Control) Order.

(b) Where the applicant is eligible for refund of application fee, an application for refund in the prescribed form given in this Appendix may be submitted to the licensing authority within whose jurisdiction the fees was paid. While making an application for refund, the original bank receipt should be enclosed with the application for the licence, the duplicate bank receipt may be furnished. In all the cases, the number and date of the bank receipt and the name of the bank where the fees was deposited should be given.

(c) In cases of refund of fees where the amount had been deposited by means of a bank draft, in addition the applicant should furnish the :—

(i) Demand draft No. and date of issue.

(ii) Name of bank and address of branch which issued the demand draft.

(iii) The bank on which the demand draft was made (i.e. the paying bank).

(iv) The name of the person in whose favour the demand draft was made payable.

The licensing authority on receipt of application shall pass refund after they have verified from the Pay and Accounts Officers concerned that the amount in question has been credited to the Government of India.

Normally, no application for refund will be entertained unless detailed reasons for claiming the refund are mentioned by the applicant and the refund is sought to be made within one year of the deposit. However, for genuine reasons, the licensing authorities may condone, the delay but in no case shall an application for refund of fees be entertained after the expiry of three years from the date on which the right to have refund of fees accrued.

(d) In case of refund of fees where the amount had been deposited in the Treasury before 1-7-76, the number and date of the Treasury Challan and the name of Treasury should be quoted on the application for refund instead of the Bank Receipt number etc. In these cases, original credit should be got verified and the fact of refund got noted by the concerned Treasury Officer before submission of the Refund Bill to Pay & Accounts Officer for Payment.

(e) While considering refund applications, the licensing authorities may call for any information/details from the applicant.

(f) In cases, where the applicant has lost the original bank receipt the licensing authority may accept a certificate from the bank or Pay and Accounts Officer (Commerce) in support of the fact that the amount had been deposited. In such cases, where the original receipt is not available the applicant will be required to file an affidavit containing same particulars as mentioned above.

(g) Refund order of fees will be valid for three months from the date of issue. Request for revalidating the same, may be considered on merit by the authority which issued the refund order for a period not exceeding nine months from the date of expiry of the refund order.

(h) In cases where the licensing authority rejects the request for refund, it would indicate the reasons for such rejection.

APPENDIX 9—*contd.*

ANNEXURE I

LIST OF THE CENTRAL BANK OF INDIA BRANCHES AUTHORISED TO RECEIVE PAYMENTS FOR IMPORT LICENCE APPLICATION FEE AND OTHER IMPORT TRADE CONTROL DEPOSITS

Sl. No.	Address of the branch	District.
1	2	3
ANDHRA PRADESH		
1.	6-1-10631 E, Ist Floor, Raj Bhawan Road, Khairatabad, Hyderabad-500004.	Hyderabad.
2.	P.B. No. 30, Victory House, Door No. 1634-1-18 Temple-Street, Kakinada-533001.	East Godavari
3.	3-1-16, Rastrapati Road, Secunderabad-500003.	Hyderabad.
4.	P.B. No. 6, Gogineni Buildings. 8-12-319, Raja Rangaiah-Apparas street, Vijayawada-520001.	Krihna
5	P.B. No. 22, Door No. 5/281 Bhaya Lata Main Road, Rajahmundry-533101	East Godavari
6.	E-I, shipyard Colony, Gandhigram, Visakhapatnam-533001.	Visakhapatnam.
7.	P.B. No. 05, 2918, 119, Main Road Visakhapatnam 530001.	Visakhapatnam
8	P.B No 5, Bazar Street Samarthi Building, Pakala-517112.	Chittoor.
9.	18 188 B.K.N. street. Cuddapah 518001	Cuddapah.
10.	P.B No 22, 18 192. Rasool Bazar, Kurnool-516001.	Kurnool.
11.	22, Jannalagadavari street, Nellore-524001.	Nellore.
12.	P.B. No. 60, Ramgopal Compound, Jawahar Road- Nizamabad-503001.	Nizamabad.
13.	Ratna Jutter, Grand Trunk Road, Ongole-523001.	Prakasham.
14.	P.B. No. 27, Balan Villa 8-413, station Road, Warangal City-500002.	
ASSAM		
15.	Rahman Manzil, Pan Bazar, Gauhati-781001.	Gauhati.
16.	Marwaripatty P.O. Rehabari Dibrugarh-786001.	Dibrugarh.
17.	Silchar. P.O. silchar.	Cachar
17-A	Tinsukia	Dibrugarh.
BIHAR		
18.	Bank North-802 156. Dhanbad.	Dhanbad.
19.	P.B. No. 14, Main Raad, Bistupur Jamshedpur-800001.	Singhbhum.
20.	P. Box 64, New Dak Bungalow, Road, Patna-831001	Patna.
21.	P B. No. 3, Gobhardhan Road, P.O. Darbhanga-846004.	Darbhanga.
22.	P.O. Madhubani-847211, Madhubani.	Madhubani.
23.	Samgarh National Highway-33 P. O. Ramgarh Cantt. Hazaribagh.	Hazaribagh.
24.	P.B. No. 38, Navketan, Dr. Rajendra Prasad Road, Bhagalpur-812001.	Bhagalpur.
25.	P.B. No. 23, Bari Bazar, Monghyr-811201.	Monghyr.
26.	M.G. Road, Katihar-854105	Katihar.
27.	P.O. Purnea Agarwal Market, R. N. Shaw Cowk, Purnea-854301.	Purnea.
28.	P. O. Saharsa-852201	Saharsa.
29.	P.B. No. 8, Main Bazar Chowk, Raxaul-845305.	Champaran
30.	Daltonganj Engineering Road, Daltonganj-822101	Palamau.
GUJARAT		
31.	P. B. No. 201 M.G. Road, Surat-395003.	Surat.
32.	New Vegetable Market, P. B. No. 62 Bulsar-396001.	Bulsar.
33.	Kala Building Panigate, Baroda 380001	Baroda.
34.	Near Rupallee Cinema, Lal Darwaja. Ahmedabad-380001.	Ahmedabad
35.	P,B. No. 505, 3/62, Mandvi, Tower Road, Jam Nagar-361001.	Jamnagar.
36.	Pattani Building P.B. No. 129 M.G. Road, Rajkot - 36001.	Raj kot.
37.	Harris Road, Bhavnagar-364001.	Bhavnagar.
38.	Zanda Chowk Port trust Building	Kutch.
39.	Jamma Masjid Road, Bahruch-392001.	Bahruch.
HARYANA		
40.	Railway Road, Bahadurgarh-124507.	Rohtak.
41.	Basi Raad Gurgaon-122001.	Gurgaon.
42.	Industrial Area Faridabad N.I.T.-121002.	Gurgaon.
43.	Chowk Mast-Purian, Ambala City-134002	Ambala.
44.	Subzi Mandi, Sirsa-125055.	Sirsa.
HIMACHAL PRADESH		
45.	Lower Bazar, 171991. District Simla	Simla.

APPENDIX 9—Contd.

ANNEXURE I contd.

1	2	3
JAMMU AND KASHMIR		
46.	P.B. No. 59, Indra Mansion, Shalimar Road, Raghunath Bazar, Jammu Tawi-180001.	Jammu.
47.	P.B. No. 91, Amira Kadal, Srinagar.	Srinagar
KARNATAKA		
48.	P.B. No. 14, III/C.T.S. No. 1012/ 1-B, Dajiban Peth, Hubli-580020.	Dharwar.
49.	13652B, Arouza Buildings, Hampankatta, Mangalore-575003.	South Kanar.
50.	3-4, Vishveswariah Bhawan, 1st Floor, Krishna Rajendra Circle, Mysore-570001.	Mysore
	Santosh cinema Complex, Kamagowada Road, Bangalore-560009.	Bangalore.
52.	'Srinivaro' Bangalore-Bellary Road, Bellary-583101.	Ballary.
53.	Ist Floor, Super Market, Plot No. 7 & 8, Gulbarga-585101.	Gulbarga
54.	11-2-7, Sukhani Building, Near Gole Thana, Raichur-584101.	Raichur.
55.	P. B. No 60, 590, Mandipet, Devangere-577001.	Chitradurga.
KERALA		
56.	P.B. No. 14, Bazar Road, Cochin-682002.	Ernakulam.
57.	P.B. No. 36, New Kulathunkal Buildings. 1st Floor, T.C. 21/219, Opp G.P O. Main Road, Trivandrum-695001.	Trivandrum
58.	P. B. No. 28, Q M.G. 526, V.Y.A., Chinnakada, Rest House, Junction-691001.	Quilon.
59.	P.B. No. 1123, 21/421/-C, M.G. Road, Ernakulam, Cochin.	Cochin.
MADHYA PRADESH		
60.	P.B. No 10, Jayendra Ganj, Laskar. Gwalior-474001.	Gwalior.
61.	14 New Market T.T. Nagar, Bhopal.	Bhopal.
62.	P.B. No. 89, Jawahar Marg, Siyaganj. Indore-City-452001.	Indore.
63.	P.B. No. 11, 506 Sarafa Bazar, Jabalpur-482001.	Jabalpur
64.	P.B. No. 23, Khandwa, Opp. Govt. Hospital, Khandwa-450001.	East Nimar.
65.	Church Compound Bus Station, Betul.	Betul.
66.	Chouwradia Bhavan, Main Road. P.O. Balaghat-481001.	Balaghat.
67.	P. B. No. 17 Great Eastern Road, Raipur-492001.	Raipur
68.	C/o Shri K. N Tandons Buildings, Rewa Road, Satna-485001.	Satna
69.	P.B. No. 52, Patel Bhavan, Bilaspur.	Bilaspur.
70.	Post Box No. 32, Civil Centre, Bhilai-490001.	Durg.
MEGHALAYA		
71.	Bara Bazar Road-29, Contonment Shillong-790001.	Shillong.
MAHARASHTRA		
72.	Mahatma Gandhi Road, Bombay.	Bombay.
73.	2-5-102 Station Road, Gulmandi, Aurangabad-431001.	Aurangabad.
74	Novelty Chambers, Grant Road. Bombay-400007.	Bombay.
75.	129, Mandvi Janabai Bldg. Masjid Bunder, Mandvi Road, Bombay-400003.	Bombay.
76.	Madhu Sanchaya Tilak Road, Nasik City-422001.	Nasik.
77.	P. B. No. 51, 317, M.G. Road, Camp. Poona (Pune).	Pune.
78.	P B No. 46, Gandhi Bhavan, 'C' 1407, Laxmi Puri Kolhapur-416002.	Kolhapur.
79.	P. B No. 20 C.T S. 183/1, Vikhar Bhag. Sagli-416416	Sagli.
80.	Station Road, Nagpur-440001.	Nagpur.
81.	P. N. No 43, Balwant Lane No. 4 Dhulia-424001.	Dhulia.
82.	Prakash Kunj. Nav Peth. Jalgaon-425001.	Jalgaon.
83.	Cloth Market Tajnapeth. Akola-444001.	Akola.
84.	Prithvi Vandhan, Gandhi Chowk, Yeotmal-445001.	Yeotmal.
85.	Vazirabad Road, Nanded-431601.	Nanded.
86.	Shakar Bhavan, Morsi Road, Amravati-444601.	Amravati
87.	1/5/14 Shah Road, Latur-413512.	Osmanabad.
87.	A. Marathi Grantha, Sangrahalaya Building, Netaji Subhas Bose Road, Thana.	Thana Distt. Thana
ORISSA		
88.	Plot No. 106-B, Unit No. VII Ground Floor. Suryanagar, Bhubaneshwar-74100.	Puri.
89.	Patel Bldg. Baxi Bazar, Cuttack-743001	Cuttack.
90.	Sharma Bldg. Ist Floor, Main Road Rourkela-760001.	Surendergarh
91.	Opp. Municipal Shopping Centre, Katcheri Road, Balasore-756001.	Balasore
92	226/5 Main Road, Baurabazar Berhampur-760002.	Ganjana

APPENDIX-9—Contd.

ANNEXURE I—contd.

1	2	3
PUNJAB		
93.	Dana Mandi Road, Kapurthala-144601.	Kapurthala.
94.	Post Box No. 55, Mandi Road, Jullunder-144001.	Jullunder.
95.	P.B. No· 36, Nijam Road, Ludhiana-144101.	Ludhiana
96.	P. B. No. 83, 1, Queens Road, Civil Lines, Amritsar-143001.	Amritsar.
RAJASTHAN		
97.	Sansar Chandra Road, Jaipur-302001.	Jaipur.
98.	Jalori gate, Chopansari Road, Jodhpur-342001.	Jodhpur.
99.	Cloth Market, Pali-306401.	Pali.
100.	P. B. No. 21, Arya Samaj Road, Kotah-324001.	Kotah
101.	P. O. Box No. 22, K E.M. Road, Bikaner-334001.	Bikaner.
102.	P.O. No. 25, 10 Public Park, Sriganganagar-335001.	Ganganagar.
103.	Ladia Bazar, Nagaur, Marwar, 341001.	Nagaur.
104.	P. B. No. 49, Outside Gate, Udaipur-313001.	Udaipur.
TAMIL NADU		
105.	P. B. No. 190, Madras Stock, Exchange Buildings, 16/17, 2nd Line Beach, Madras-600001.	Madras.
106.	United Motors Buildings, 150, Avinash Road, Coimbatore-641008.	Coimbatore.
107.	Addison Bldg., Madras (T.N.,) P.B. No. 2719, 158, Mount Road, Madras-600002.	Madras
108.	P.B. No. 43, Opp. Thever Hall Western Boulevard Road, Tiruchirapalli-620008.	Tiruchirapalli
109.	54, Beach Road, Fair Light, Tuticorin-628001.	Tirunelveli,
110.	377, South Car Street, 1st Floor, Virudhunagar-626001.	Ramanathapuram
111.	P. B. No. 9, 15 Meenakshi, Kovil Street, Madurai-625001.	Madurai
TRIPURA		
112.	Mantribari Road, Agartala-799001.	Tripura.
UTTAR PRADESH		
113.	P. B. No. 8, 161, Khair Nagar, Bazar, Meerut City-250002.	Meerut.
114.	Post Box No. 40, 29 Mahatma Gandhi Marg, Allaha bad-211001	
115.	Wright Ganj, Ghaziabad-201001.	Ghaziabad.
116.	1271, Bhairon Bazar, Belanganj, Agra-282004.	Agra.
117.	8/90, Ist Floor, Arya Nagar, Kanpur-208002.	Kanpur
118.	P. B. No. 161, 73 M.G. Road, Hazrat Ganj, Lucknow-226001.	Lucknow.
119.	P.B. No. 78, C.K. 39/76, Chowk, Varanasi-221081.	Varanasi.
120.	Baranawal Building, Main Road, Near Bharat Palace, Bhadohi- 221404	Varanasi.
121.	121, P. B. No. 45, Hospital Road, Bareilly-243001.	Bareilly
122.	Ayodhya Dar Barrister Road, Mohalla Purdilpur, Gorakhpur-273001.	Gorakhpur.
123.	Hotel Natraj Building, The Mall, Nainital.	Nainital.
124	Beltar, Mirzapur-231001	Mirzapur.
125	P.B. No. 6 Station Road, Moradabad-244001.	Moradabad.
WEST BENGAL		
126.	Feeder, Road, P.O. Durgapur-713201.	Burdwan
127.	P. O No. 29, 18/A, Grand Trunk Road (South), Howrah.	Howrah
128.	P. Box No. 40, Malred House, 3, Netaji Subhas Road, Calcutta.	Calcutta.
129.	Chhota Kothi P.O. Cooch Behar, 736101	Cooch Behar.
130.	N.C. Goenka Road, Darjeeling.	Darjeeling.
131.	P.B. No. 29, Theatre Road, Jalpaiguri-735101.	Jalpaiguri.
132.	Mohowbati, Raiganj.	West Dinajpur.
UNION TERRITORY		
DELHI		
133.	Udyog Bhavan New Delhi-110001.	New Delhi.
GOA, DAMAN AND DIU		
134.	Swautantry Path, Vasco-de-Gama-403802,	Goa.
135.	Rua Alfesoda de Albuquarque, Panjim-403001.	Goa.
PONDICHERRY		
136.	P.B. No. 61, 4, Ambalathadiar Madam Street. Pondicherry-605001.	Pondicherry.
CHANDIGARH		
137.	S C F. 23 Sector 15-C,	Chandigar.

APPENDIX 9—*Contd.*

ANNEXURE-II

LIST INDICATING THE JURISDICTION OF THE LICENSING AUTHORITIES AND PAY AND ACCOUNTS OFFICERS (Commerce)

PAO BOMBAY	PAO CALCUTTA	PAO MADRAS	PAO NEW DELHI
Jt. CCI&E Bombay	Jt. CCI&E Calcutta	Jt. CCI&E Madras	Jt. CCI&E (CLA) New Delhi
Jt. CCI&E Ahmedabad	Controller I&E Imphal, Shillong	Jt. CCI&E Hyderabad	Jt. CCI&E Kanpur.
Dy. CCI&E Bhopal	Controller I&E Patna	Jt. CCI&E Bangalore	Dy. CCI&E Amritsar.
Controller; I&E Panjim (Goa)	Controller I&E Cuttack (Orissa).	Dy. CCI&E Cochin-11	Dy. CCI&E Jaipur.
Controller, I&E Gandhidham (Kutch)	Controller of Imports and Exports, Agartala.	Controller. I& E Visakhapatnam	Controller I&E Srinagar.
Controller, I & E Rajkot			
Dy. Development Commissioner, I&E Santacruz, Bombay.	Dy. CCI&E Gauhati.	Controller, I & E Pondichery	Controller I&E Chandigarh.

APPENDIX 9—contd.

ANNEXURE III

DETAILS OF INFORMATION REQUIRED TO BE FURNISHED BY APPLICANT FOR REFUND OF APPLICATION FEE

1. TREASURY/BANK RECEIPT/BANK DRAFT AGAINST WHICH REFUND IS CLAIMED

(i) No. & date of T.R./Bank Receipt/Demand Draft

(ii) Name of the bank/treasury with location

2. DETAILS OF IMPORT APPLICATION PROPOSED TO BE SUBMITTED AGAINST THE TREASURY/BANK RECEIPT/BANK DRAFT MENTIONED IN COLUMN (1) ABOVE.

(i) Description of goods in detail.

(ii) Value of the goods

(iii) ITC Classification of the goods.

(iv) Licensing period

(v) Category of importer

(iv) Licensing authority

(vii) Sponsoring Authority (i.e DGTD, DGS&D, certifying authority in terms of Hand Book of Import-Export Procedure, 1983-84)

(viii) Whether or not any import application against the TR/Bank receipt/Demand draft or any application for import of item(s) and value mentioned in TR/Bank receipt/Demand draft addressed to any licensing authority mentioned in Hand Book of Import-Export Procedures, 1983-84 sponsoring authority for grant for an essentially certificate/import licences and if so, No. and date thereof may be furnished

3. No. and date of communication, if any, received in connection with issue of import licence from any of the authority in para 2 above and licensing authority

4. No./date and value of fresh TR/Bank receipt/demand/draft if submitted in lieu of TR/bank receipt/demand draft for which refund is required.

5. Reasons for not applying for refund within a reasonable time of the deposit of the TR/bank receipt bank/draft.

6. Detailed reasons substantiating the claim as to why the proposed import application was not submitted to any of the licensing authority stated in para 2 above.

DECLARATION

We hereby on solemn affirmation declare that we have not submitted any application for the import licence or shipping bill or Custom Clearance Permit to any licensing authority against the TR/Bank receipt/draft No ... . dated ... ... for Rs . .. . .

Signature of the applicant
Name in Block Letters and Address

APPENDIX 10
ANNEXURE I
List of Registering Authorities

Sl. No.	Export Product	Registering Authority
1	2	3
1.	Engineering goods : Stainless Steel Products, Mica papers and Construction Services.	Engineering Export Promotion Council, "World Trade Centre", 14/1B, Ezra Street (3rd Floor), Calcutta-700001 and its Regional Offices; Commerce Centre (2nd Floor), Tardeo Road, Bombay-400034; Sire Mansion 123, Mount Road, Madras-600006; and 'Surya Kiran' 4th Floor, 19, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001.
2.	Chemicals and Allied Products namely, Glass and Glassware, Ceramics, Paints, Rubber Products including tyres and tubes, Paper and Paper products, including books, journals and periodicals, Safety matches, Fireworks and explosives, Asbestos and Cement products, Wood Products. Biaxially oriented Polyester Films, Marble Chips, Adhesive Shallac Compound.	Chemicals and Allied Products Exports Promotion Council, 14/1B, Ezra Street 2nd Floor, Calcutta-700001, and its Regional offices Sire Mansion, 123, Mount Road, Madras-600006; and D-17, Commerce Centre, Tardeo Road, Bombay-400034. Chemicals & Allied Products Export Promotion Council Northern Region (Lakshmi Niwas) 8, Shaheed Bhagat Singh Marg, New Delhi-110001.
3.	Basic Chemicals namely, Drugs, Pharmaceuticals and Fine Chemicals Dyes, Intermediates, Alcohol and Coal Tar Chemicals Organic Chemicals, Agro Chemicals, Glycerine, Soaps, Detergents, Cosmetics & Toiletries, Processed Talc, Agarbatti, Essential Oils, Dehydrated Culture media and Crude Drugs.	Basic Chemicals, Pharmaceuticals and Cosmetics E. P. Council, Jhansi Castel (4th Floor) 7, Cooperage Road Bombay-400001, and its regional offices, at 23/1 & 2, 6th Main Road, 3rd Cross, Gandhi Nagar, Bangalore-560009, and Kankaria Estate, 9th Floor, 6 Little Russel Street, Calcutta-700071.
4.	Plastics, Toys	Plastics and Linoleum Export Promotion Councils, Tulsiani Chambers, 6th Floor Plot No. 212, Block III, 612 & 615 Backbay Reclamation Nariman Point Bombay-400021 and its Regional offices at Sire Mansion, 123, Mount Road, Madras-600006, and 14/1B Ezra Street, Calcutta-700001.
5.	Finished leather and leather goods, chrome tanned blue hides and skins, chrome tanned hides and skins and chrome tanned crust leather.	Export Promotion Council for Finished Leather and leather Manufactures 15/46, Civil Lines, Post Box No. 198, Kanpur-208001; and its Regional offices at, (i) 220, "Niranjab", 2nd Floor 99, Subhash Road, Bombay-400002 and (ii) 27, Mirza Ghalib Street, (Forerly Free School St), 5th Floor, Calcutta 700016 and (iii) 31, Rundals Road, Madras-600007.
5(A).	E. I. Tanned Hides and Skins and E. I. Crust Leather.	Leather Export, Promotion Council, Marble Hall, 3/8, Vepery High Road, Madras-600003.
6.	Sport Goods	Sports Goods Export Promotion Council, 1E/6 Jhandewalan Extension, New Delhi-110001.
7.	Fish, Fish meal and Fish Products.	Marine Products Export Development Authority World Trade Centre, Mahatma Gandhi Road, P. B. No. 1708, Ernakulam, South Cochin-16.
8.	Processed foods	Processed Foods Export Promotion Council, 105, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi-110001.
9.	Curry powder & paste Spices Oils & Oleoresins, Spices Whole or ground in consumer packs of 1 kg. or less under brand names & spices whole or ground in bulk.	Spices Export Promotion Council, World Trade Centre, Mahatma Gandhi Road, Ernakulam-6.
10.	Handicrafts,	Office of the Development Commissioner (Handicrafts) West Block No. 7, R. K. Puram, New Delhi and its Regional Offices:—The Deputy Director (CR) Office of the DC(H), 72, Halwasiya Market, Haazratganj, Lucknow, 266001. Phone No. 24331 Telegraphic. DYCRAFTIND, LUCKNOW, The Deputy Director (ER), Office of the DC(H), 9/12, Old Court House Street, Calcutta-700001 Phone No. 2300, Telegraphic DYCRAFTIND, CALCUTTA, The Deputy Director (NR), Office of the DC(H), West Block VII, R. K. Puram, New Delhi. Phone No. 694860. Telegraphic. DYCRAFTIND, DELHI. The Deputy Director (SR), Office of the DC(H), Shastri Bhavan, IIIrd Floor, 35, Haddows Road, MADRAS-600006, Phone No. 86321, Telegraphic DYCRAFTIND, MADRAS and The Deputy Director (WR), Office of the DC(H), Haroon House, III floor, 294, P. Nariman Street, Fort, Bombay-400001 Phone No. 295959, Telegraphic. DYCRAFTIND, BOMBAY.
11.	Hand made/Machine made Woollen Carpets, Rugs, Durries and druggets inculding Silk Carpets,	Carpet Export Promotion council, Shop No. B-115 Sector XVIII, Post Office Noida, Distt. Ghaziab (U.P.)

APPENDIX 10 – *Contd*

1	2	3
12.	Cashew Kernals	Cashew Export Promotion Council, World Trade Centre. Mahatma Gandhi Rd., Ernakulam-6.
13.	Tobacco and Tobacco products.	Tobacco Board, Guntur. Andhra Pradesh.
14.	Woollen textiles, hoisery, knitwear and mixed fabrics.	Wool & Woollen Export Promotion Council, 714, Ashoka Estate, 24, Barakhamba Road, New Delhi and its regional offices, at Church gate Chamber, 7th Floor, 5, New Marine Line, Bombay 400020, and 714/3, Gurdev Nagar, Pakhowal Road, Ludhiana Or The Develapment Commission for Handloom, Udyog Bhawan, New Delhi-110011 in the case of handloom products.
15.	Coir	Coir Board, Post Box No. 1752, Ernakulam, (Kerala).
16.	Cotton textiles	Cotton Textiles Export Promotion Council, Engneering Centre, 5th Floor, 9, Mathew Road, Bombay-400004 and The Development, Dommissian for Udyog Bhawan, New Delhi 110011.
17.	Ready-made garments excluding woollen knitwear and garments and leather. jute and hemp.	Apparels Export Promotion Council, Sahyog Building. 4th Floor, 58 Nehru-Place, New Delhi, 19 and its regional office at Textile Centre, Ist Floor, Poona Street, P. D. Mellow Road, Bombay-400009.
18.	Natural Silk fabrics	The Development Commissioner for Handloom, Udyog Bhavan, New Del'i-110011. Silk and Rayon Textiles, Export Promotion Council, Resham Bhavan, 78, Veer Nariman Road, Bombay-400001.*
19.	Gem and Jewellery	Gem and Jewellery Export Promotion Council, D-15, Commerce Centre, 4th Floor, Tardeo Road, Bombay-400034.
20.	Cinematographic films (exposed) Feature films, Documentaries Advertising films, News films and T. V. films.	Film Finance Corporation. Bombay.
21.	Natural fibre products (other than Coir Products).	Jute Commissioner, Calcutta.
22.	Non-Cellulosic products	Silk and Rayon Textiles Export Promotion Council, Resham Bhavan 78, Veer Nariman Road, Bombay-400001.*
23.	Cellulosic products	Silk and Rayon Textiles Export Promotion Council, Resham Bhavan 78 Veer Nariman Road Bombay-400001.*
24.	Blended products from mixtures of cotton/cellulosic fibre or yarn Nylon Polyester fibre or yarn.	Silk and Rayon Textiles Export Promotion Council Resham Bhavan, 78, Veer Nariman Road, Bombay-400001.* The Development Commissioner, for Handloom, Udyog Bhawan, New Delhi-110011.
25.	Vanaspati	Director of Sugar andVanaspati, Department of Foods Ministry of Agriculture and Irrigation, New Delhi.
26.	Khadi i. e. any cloth woven on Handlooms in India from Cotton Silk or Woollen Yarn Hand-spun in India or from a mixture of any two or all of such yarns (including Ready-made garments and other articles make of Khadi).	Khadi and Village Industries Commission, 'Gramodaya 3 Irla Road Vile Parle (West), Bombay-400056.
27.	Phototype set Films and Micro Films	Chemicals and Allied Products Export Promotion Council, 14/I B Ezra Street, 2nd Floor, Calcutta-1.
28.	Dewaxed Decolourised Shellac.	Shellac Export Promotion Council, Calcutta.
29.	Acrylic knitwear	Wool and Woollens Expor Promotion Council, 714 Ashoka Estate, 24, Barakhamba Road, New Delhi and its regional office, at Church gate Chamber, 7th floor, 5, New Marine Line, Bombay-400020, and 714/3, Gurdev Nagar, Pakhowal Road, Ludhiana. or Silk and Rayon Textiles Export Promotion Council. 78, Veer Nariman Road, Bombay-400001*.
30.	Packet Tea, Tea bags & instant tea.	Tea Board, 14, Biplabi Trailokya Maharaj Sarani (Brabourne Road), Calcutta-700001.
31.	Cardamom	Cardamom Board Banerji Road, Cochin-682018
32.	Items for which no Registering Authority is prescrib-	Export Promotion Officers, Bombay, Madras and Calcutta (For Western Southern and Eastern Zones respectively) Joint CCI&E (CLA) New Delhi (For Northern Region).

*Block No. 3E, Resham Bhavan,
Lal Darwaja,
Surat.
3-A. Diwan C. Mehra Road
Amritsar.

APPENDIX 10—*Contd.*

ANNEXURE II-A

Form of Application for Registration

PART I

To

____

____

____

Dear Sir,

SUBJECT :—*Registration under the Import Policy for Registered Exporters*

Kindly register us under the above policy as manufacturer exporters/merchant exporters of Product Groups commodities mentioned against S No 7.

1 (a) Name and address (with telegraphic address and telephone No.) of the registered office, head office and branches

(b) Whether proprietory/Partnership concern or Private/Public Limited Company or Cooperative Marketing Society etc (Names of Proprietor/Partners/Directors/Managing Direcors should be furnished with their permanent address)

(c) Names of the associate firms for whom the applicants act as agent in export business.

2. (i) Name and address of the applicant's banker

(ii) Attach banker's certificate certifying financial position.

3 (i) Date of establishment of business factory in India.

(ii) Date of commencement of export business

4 Whether licensed under the Industries (Development and Regulation) Act/registered with DGTD/State Director of Industries or any other sponsoring authority. If so, indicate number and date of licence/registration certificate

5 Details of past export during the last three years, if any (products for which registration is sought and other products not covered by the scheme should be indicated)

Year	Description	Value	Major countries to which exported
(1)	(2)	(3)	(4)

6 Where there is no export, attach a statement of internal sales turnover (as in table under S No 5 above for the last three years of the items desired to be exported, duly attested by the Chartered Accountant should be submitted

7 Export products in respect of which registration is sought (Mention here Serial Nos of the products given in the Import Policy)

8 If merchant exporter, please indicate the arrangements made with manufacturers whose products are to be exported

9 If registered with any other Export Promotion Council/Commodity Board, given name of the registering authority and registration number and also the export product for which registered

10 We hereby solemnly declare the above stated information to be true and correct and under take without any reservation to :

(i) Abide by the terms of the registration certificate granted to us on all our exports.

(ii) use the import licences for the purpose for which they are issued and under terms and conditions under which they are issued,

(iii) agree to abide by any code of conduct that may be prescribed by the Registering Authority,

(iv) agree to abide by export floor price conditions that may be stipulated by the Registering Authority, and

(v) Furnish without fail quarterly returns of exports including nil returns to the Registering Authority by 15th day of month following the quarter.

11 We further understand that our registration is liable to be cancelled in the event of breach of any of the undertakings mentioned above

Yours faithfully

Name in Block Letters ....

Designation ....

Residential Address ....

....

Place

Date

ANNEXURE-II-B

FORM OF APPLICATION FOR REGISTRATION OF CIVIL ENGINEERING AND CONSTRUCTION FIRMS

To

The Regional Officer,
Engineering Export Promotion Council,
Commerce Centre, 2nd Floor,
Tardeo Road,
Bombay-400034

Dear Sir

SUB : Registration under the Import Policy for Registered Exporters.

APPENDIX 10—*Contd*

Kindly register us under the above Policy as Civil Engineers Construction firm Our line of specialisation includes—

1. Name and address (with telegraphic address and telephone No) of registered office head office and branches
2. The year of starting business
3. Whether Proprietory/Partnership concern or Private/Public Limited Company or Cooperative Marketing Society etc
4. Names of Proprietor/Partners/Directors/Managing Directors together with their permanent residential address
5. Names of associate firms for whom the applicants act as agents in export business
6. Capital structure of the firm (authorised, issued, subscribed and paid up capital)
7. Name and address of applicant's banker(s) (a certificate from the applicant's bankers certifying the financial position should be attached)
8. Value of Civil Engineering/Construction work done during the last 5 years (details of work value etc to be shown separately for each year, Break-up of work done within and outside India to be shown separately)
9. Broad details of the major construction jobs carried out during the last 5 years [to be shown separately for (a) Barrages and dams (b) Power-Houses (Thermal & Hydel) (c) Industrial structures other than (b) above, (d) Roads and bridges; (e) Tunnels; (f) Docks & Harbours; (g) Sewerage & Water Supply Systems, (h) Multi-storyed buildings and township, (i) structural steel fabrication and erection jobs]

Year	Name of work	Value of the work	Name and address of the client for whom work was executed
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

10. Whether the firm is also registered as manufacturing unit for any engg product. If so number and date of Licensing/Registration Certificate with the sponsoring authority (DGTD DI Tex Comr etc to be indicated)
11. Details of Technical & Managerial personnel employed by the company (A statement giving details in the following proforma to be attached)

Sl No.	Name of the Officer	Age	Qualification	Experience

12. List of Plant and Machinery owned by the firm (A statement giving the particulars of the machinery, date of its purchase and present book value to be submitted)
13. Details of Commitment/projection for handling export jobs for the succeeding three-years

Year	Nature of jobs to be undertaken	Value

14. Details of membership of recognised Trade bodies/Industrial Association

We hereby solemnly declare the above stated information to be true and correct and undertake without any reservation to :

(a) abide by the terms of the registration certificate granted to us on all our exports;

(b) use the import licences for the purpose for which they are issued and under the terms and conditions under which they are issued,

(c) agree to abide by any code of conduct that may be prescribed by the registering authority

(d) agree to abide by any export floor price conditions that may be stipulated by the registering authority;

(e) furnish without fail quarterly returns of exports including nil returns to the registering authority by the 15th day of the month following the quarter

We further understand that our registration is liable to be cancelled in the event of breach of any of the undertakings mentioned above

Yours faithfully,

Name in Block Letters

Designation

Residential Address .

....

... . .

Date............ .. .

Place. ... .

Note : Applications should be addressed to the concerned regional office of the Engineering Export Promotion Council

APPENDIX 10—*contd.*

ANNEXURE III

Form of Registration-cum-Membership Certificate

PART I

(To be filled in by the applicant)

1. Name of Applicant.
2. Whether Head Office/Registered Office/Branch Office.
3. If Head Office, give names of Branches and Registered Office with address.
4. Address of applicant :
   (i) Product(s) manufactured, if any.
   (ii) Telegraphic Address.
   (iii) Address of factory, if any.
5. Whether merchant exporter or manufacturer exporter.
6. Description of export products for which registration is sought :
   (i) Products(s) manufactured, if any.
   (ii) Product(s) exported.
7. Year of establishment
8. Name of the Partners/Directors/Managing Directors/ Proprietor.

I/We hereby declare that the above information is correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We also undertake to abide by the conditions subject to which registration/membership is granted.

Name in Block Letters...........

Designation ....

Residential Address ....

PART II

1. Registration No./Factory No. allotted by the Sponsor-Authority
2. Description of goods manufactured.

(To be filled in by the Registering Authority in the case of DGTD units and sponsoring authority in the case of other units.)

Signature of Registering Authority/ Sponsoring Authority.

Name in Block Letters...........

Designation ....

....

Seal ....

Date................

Place.................

PART III

In case of exporters of Rayon Textiles

1. Permit No. of Looms/Warp Knitting machines/Raschel knitting machines issued by the Office of the Textile Commissioner together with number of looms/knitting machines for which permit is granted.
2. Description of goods manufacturer.................
3. Registration No. allotted by the Office of Textile Commissioner as processors of fabrics.

Signature of the Sponsoring Authority.

....

Name in Block Letters...........

Designation ....

Seal ....

PART IV

(To be signed by the concerned Registering Authority)

This is to certify that the above firm is registered under the Import Policy for Registered Exporters as per following particulars :—

(i) Description of goods for which registered........

(ii) Date of receipt of complete application for registration...................

(iii) Registration Number...................

(iv) Manufacturer Exporter or Merchant Exporter*....

This certificate is issued subject to the condition laid down in the relevant scheme of Registration.

Signature of Registering Authority

Name in Block Letters...........

Designation ....

Seal ....

Valid/renewed ....

upto........

Dated................

*State clearly whichever is applicable.

Space for endorsement of any amendments in this certificate.

ANNEXURE IV

Deleted

APPENDIX 10—*contd.*

ANNEXURE V

BANK CERTIFICATE OF EXPORT

(For export on out Right-sale basis)

FORM NO. I

To..(Name and Address of Licensing Authority).

We..(Name and address of the Exporters) hereby declare that we have forwarded a documentary export bill to..(Name and address of the bank i.e., Branch and City for collection/negotiation/purchase as per particulars given hereunder :—

Invoice No. & date	No. & date of Export Promotion copy of shipping bill duly authenticated by Customs	Destination of goods as given in the customs authenticated Shipping bill	Bill of Lading/ P.P. receipt/ Airway bill No. and date	Destination of goods	Bill amount cif/c&f/ f.o.b. (in foreign currency)	Rate adopted for conversion of the cif/c&f/ *f.o.b.	Bill amount cif/c&f/ fo.b. equivalent in Indian Rupees (Converted at the rates shown in Col. 7)	Freight amount in Indian Rs. as per Bill of Lading/ freight memo	Insurance amount In Indian Rupees as per insurance Company's bill receipt	Commission/discount paid/ Payable in Indian Rupees	F.O.B. value In Indian Rupees (Col. 8 minus total of col. 9, 10 & 11)	GRI/P.P Form No.
							Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

We further declare as follows :—

(*i*) that the aforesaid particulars are correct and they relate to outright sales and copies of invoices relevant to these exports are attached.

(*ii*) that the export has been made by the Head Office/Branch Office of the limited Company/Registered Exporter; and

*(*iii*) (*a*) application for export assistance will be made by the branch office to the above licensing authority under whose jurisdiction it falls;

(*b*) application of export assistance will be made by the head office of the limited company/registered office to the above licensing authority under whose jurisdiction it falls;

SIGNATURE OF THE EXPORTER

*Foreign currency as indicated in the invoice cif, c&f, fob (in respect of invoices made out in Indian Rupees, columns 6 & 7 need not be filled in)

*Strike out the alternative not applicable.

Bill purchased/negotiated in respect of outright sale: At the authorised dealers's on Demand Buying rate prevalent on the date of purchase/negotiation.

Bill sent for collection (outright sale) : At the authorised dealer's On Demand Buying rate prevalent on the date they send the documents for collection.

BANK'S CERTIFICATE

Ref :

Date :

Place :

1. This is to certify that we have negotiated/purchase/sent for collection the above mentioned documentary export bill drawn by M/s..for the amount mentioned in Col. 6 above and.................. verified the rate of conversion mentioned in Col. 7. We have also verified the f.o.b. value mentioned in Col. 12 above with reference to following documents :—

(*i*) Bill of Lading/P. P. Receipt/Airway Bill

(*ii*) Insurance Policy/Cover/Insurance Receipt.

(*iii*) We have also verified that the date of the connected Mate Receipt as indicated in the relevant Shipping Bill is............ (date to be given)

2 This is also Certified that we have verified the amount of the Commission paid/payable, as declared above, by the exporter i.e. Rs.....(in figures and words) with G.R. Forms and found to be correct

....

....

(Signature of Bankers)
Official Stamp
(Full address of the Bankers)
(Branch and City)

APPENDIX 10—contd

ANNEXURE—V

BANK CERTIFICATE OF EXPORTS

(For products other than Gem and Jewellry on Consignment basis)

FORM No. II

To

(Name and address of the licensing authority).........

We..... ....(Name and address of the exporters) hereby...... declare that we had effected the export on consignment basis and have reeived the proceeds in full there against as per particulars given below :—

Provisional Invoice No. & date	Invoice No. date & value in foreign currency	No. & date of B P copy Shipping bill duly authenticated by Customs	Description of goods as given in the customs authenticated Shipping bill	Bill of Lading/P.P Receipt/ Airway bill No. & date	Destination of goods	Bill amount cif/c&f/f.o.b. in foreign currency *	Rate adopted for conversion of cif/c.&f/f.o.b.**	Bill amount for cif/c&f/f.o.b. equivalent in Indian Rupees (converted at rate shown in Col 8) Rs	Freight amount in Indian Rupees as per Bill of Lading/freight memo	Insurance amount in Indian Rupees as per Insurance Company's bill/receipt Rs.	Commission discount paid/payable in Indian rupees Rs.	FOB value in Indian Rupees @ (Col. 11) minus total of (Cols. 12&13)	Date of realisation of sale proceeds	GRI/P.P. Form No. Rs.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

We further declare as follows

(i) that the aforesaid particulars are correct and they relate consignment sales and copies of invoice relevant to these exports are attached;

(ii) that the export has been made the head office/branch office of the limited company/registered exporters, and

(a) application for export assistance will be made by the branch office to the above licensing authority under whose jurisdiction it falls

OR

(b) application for export assistance will be made by the head office of the limited company/registered office to the above licensing authority under whose jurisdiction it falls.

....

(SIGNATURE OF THE EXPORTER)

*Foreign currency as indicated in the invoice cif, c&f, f.o b (in respect of invoices made out in Indian Rupees, columns 7 & 9 need not be filled in)

**Strike out the alternative not applicable.

@The authorised dealer's T/T Buying/On Demand Buying Rate, as the case may be prevalent on the date of realisation.

BANK'S CERTIFICATE

Ref. No.

Date :

Place :

1. We confirm that ....(amount shown in col 7 or column 9 in respect of invoice made out in Indian Rupees) has been received by us in an approved manner in respect of the above consignment............. on...*(date). We have verified the f.o.b value as showng in Col 13 with reference to the following :

(i) Bill of Lading/P. P. receipt/Airway Bill.

(ii) Insurance Policy/Cover/Insurance Receipt

(iii) We have also verified that the date of the connected Mate Receipts as indicated in the relevant Shipping bills is...........
(date to be given.)

2. This is also certified that we have verified the amount of the Commission paid/payable, as declared above by exporter i. e. Rs......(in figures and words) with G.R. Forms and found to be correct

....

(Signature of the Bankers)
Official Stamp,
Address of the Bankers,........
(Branch and City) ....

*Date of advice of the collecting/remitting Bank abroad

APPENDIX 10—*Contd.*

ANNEXURE VI

SUBJECT :—*Procedure for raising debit to the value of licences.*

IMPORT LICENCE FOR CAPITAL GOODS AND HEAVY ELECTRICAL PLANT

1. While issuing import licences for Capital Goods and Heavy Electrical Plant, the licensing authorities will calculate the value of the goods to be imported as covered by the licence by taking into account the 'exchange rate' notified by the Department of Revenue (Customs) under Section 15 of the Customs Act 1962, and prevailing on the date of issue of the import licence. The said exchange rate will also be separately mentioned by the licensing authority on the body of the licence for the purpose of reference by the customs and the exchange banks. The customs authorities and the authorised dealers in foreign exchange will make debits to the value of the licence at the exchange rate specified by the licensing authority on the import licence

IMPORT LICENCES FOR RAW MATERIALS, COMPONENTS AND SPARES ISSUED AGAINST FOREIGN CREDITS COVERED BY DIRECT PAYMENT PROCEDURE.

2. The procedure as indicated in paragraph 2 above will also apply to import licence for raw materials, components and spares issued against foreign credits covered by Direct Payment Procedure. These provisions will equally apply to any other licences issued against foreign credits covered by Direct Payment Procedure

IMPORT REPLENISHMENT LICENCES ISSUED UNDER THE IMPORT POLICY FOR REGISTERED EXPORTERS.

3. For the purpose of REP benefits under the Import Policy for Registered Exporters the rupee equivalent to the f.o.b. value of exports will be calculated by taking into account the "exchange rate" prevalent on the date of purchase/negotiation of export documents and not at the cenral rate as hitherto adopted. Bank certificates on he basis of which REP benefits will be determined under the Import Policy for Registered Exporters will be prepared on the following basis —

(a) *Bills purchased or negotiated in respect of out-right sale*—

The actual amount paid at the auhorised dealers' O.D. (on demand) buying rate to the exporter by the authorised dealers against the bill purchased or negotiated.

(b) *Bills for collection (out right sale)*—

Amount which the authorised dealer would have paid applying the O.D. (on demand) buying rate on the date they send the documents for collection had they purchased/negotiated the bills on that date.

(c) *Exports on consignments basis*—

The amount paid by the authorised dealer to the exporters at the authorised T-T, buying/O. D. buying rate as the case may be on the date of realisation of export proceeds.

4. The forms of bank certificate which Registered Exporters will be required to produce are given in the Annexure V.

5. The custom authorities and the authorised dealers in foreign exchange will debit the REP licences at the exchange rate current at the time of presentation, of import documents in accordance with the procedure described in para 7 below Import Licences other than those mentioned above.

IMPORT LICENCES OTHER THAN THOSE MENTIONED ABOVE.

6. The value of the import licences in such cases will be determined in terms of rupees by the licensing authorities in accordance with the import policy in force. Such cases will not involve any conversion of the value of the licence into rupees taking into account the exchange rate prevalent on the date of issue of the licence or in any other date. The custom authorities and the authorised dealers in foreign exchange will debit these licences at the exchange rate current at the time of presentation of import documents in accordance with the prescribed procedures and ensure that the amounts so debited are within the value of the licence export to the extent authorised in para 7.

7 In case of imports against REP licences and other' licences referred to in paragraphs 3—6 above, the authorised dealers in foreign exchange and the custom authorities may, in their discretion, condone the excess value, if any, in the manner indicated below :—

(i) the authorised dealers in foreign exchange may condone the excess, if any, in the licence value at the time of remittance, resulting from a variation between the exchange rate prevalent on the date of opening of the irrevocable Letter of Credit and the exchange rate on the date of actual remittance. It no irrevocable Letter of Credit has been opened, the authorised dealer in foreign exchange may condone the excess, if any, as a result of a variation between the exchange rate prevalent on the date of shipment and the exchange rate on the date of remittance.

(ii) if the importer produces the Exchange Control copy of the licence, the custom authorities may allow clearance of the goods for the value for which remittance has been authorised by foreign exchange dealer by taking into account the condonation on account of variations in exchange rates as indicated in (i) above.

(iii) if the importer does and produce Exchange Control copy of the import licence before the custom authorities, such authorities will debit the exchange rate as notified by the Deptt. of Revenue (Customs) under section 15 of the Indian Customs Act, 1962 on the date of shipment indicated on the bill of lading. The excess, if any, in the licence value, resulting from a variation between the exchange rate prevalent on the date of presentation of the Customs Bill of Energy and the exchange rate on the date of shipment, may be condoned by the custom authorities.

NOTE —In case of exports taking place on a approved deferred payments terms, the O.D. (on demand) buying rate applicable on the date of shipping documents are submitted to the authorised dealers for despatch to the overseas buyers, may be adopted for the purpose of para 3 above.

SUBJECT :—*Export from India to Poland under the Trade and Payment Agreement.*

Attention is invited to the Ministry of Commerce Public Notice No. 14-ITC(PN)/75 dated the 20th February 1975 regarding imports from Poland under the Trade & Payments Agreement.

2. It has been decided that all contracts and the commercial and financial documents relating to export of goods and services from India to Poland may be expressed either in U.S.

APPENDIX 10—Contd.

ANNEXURE VI

Dollars or in Indian Rupees as decided by the concerned exporters. The payments in either case will, however, be effected in non-convertible Indian rupees. In cases, where the prices are expressed in US Dollars, the US Dollars will be converted into Indian rupees at the dollar/rupee rate prevailing on the date(s) of making payment obtained on the basis of :—

(a) The previous working day's closing middle rate for the dollars in terms of pound sterling in the London Market; and

(b) The middle rate of the Indian commercial bank maintaining the account of Bank Handlowy Warsze. Wia SA for buying and selling Pound Sterling in terms of Indian rupees.

3. It may be clarified that for the purpose of obtaining REP benefits, the Indian exporters will be, as at present, required to produce bank, certificate in the prescribed form as provided in Annexure VI at page 241 of the Import Trade Control Policy (Red Book-Vol. II) for the period April 1975-March 1976 as may be amended from time to time.

Annexure VII

FORM 'B'

FORM OF APPLICATION FOR IMPORT OF GOODS AGAINST EXPORTS MADE BY REGISTERED EXPORTERS

PART I

1. Name and address of the applicant.
2. Nature of the concern, whether Public or Private Company or Partnership or Hindu Undivided Family.
3. Names of Directors, Partners Proprietors or Karta as the case may be.
4. (i) Are you a registered manufacturer exporter, merchant exporter or Export/Trading House.*
   (ii) Number and date of valid registration certificate and a photostat/certified copy thereof,
   (iii) If Export House/Trading House, indicate number and date of Export House/Trading House Certificate upto which it is valid and attach a photostat/certified copy thereof.
5. Details of Exports :
   (a) Description of exported.
   (b) Serial No./Sub-Serial No. of Appendix 17 of Import Policy.
   (c) Export period.

*Indicate whichever is applicable.

   (d) (i) FOB Value.
   (ii) Amount of commission or discount paid or payable to foreign agent on exports covered by this application.
   (iii) Net FOB value (i) minus (ii).
6. Option preferred* Monthly/Quarterly/Half Yearly/Yearly.
7. Particulars of advance/Special imprest & imprest licence if any obtained against exports covered by this application.
8. Whether any application has been made against exports covered by the same product group by the applicant; if so, give details.
9. CIF value of the licence applied for.
10. Bank Receipt/Demand Draft Number and date (Bank Receipt/Demand Draft to be attached in original) towards payment of applicaion fee.

Signature........................

Name in Block Letters..................

Designation......................

Date...............

Residential Address..............

UNDERTAKING/DECLARATIONS

I/We hereby solemnly undertake/declare :

(i) That no other application for import licence has been made or will be made in future against exports covered by this application except advance licence(s) mentioned against Col. 7.

(ii) The consignment(s)/parcel(s) have not been returned, if at any time the exported goods are returned by the consignee, or if the sale proceeds in respect of the goods are not realised through an authorised channel within six months from the date of export or such extended period as the Reserve Bank of India may permit, necessary intimation shall be sent to the licensing authority, within one month thereof, and the value of import licences issued against this application shall be liable to be set of against future import licences due to me/us, without prejudice to any other action that may be taken in this behalf. If any amount is paid to the foreign buyer at any time on account of any penalty or damage pertaining to the exports covered by this application, the intimation thereof shall be sent to the licensing authority within one month thereof.

(iii) If, as a result of a scrutiny by the licensing authority, any excess licensing is found to have been done to me/us against this application the same shall be liable for being adjusted against future licence due to me/us under any category without prejudice to any other action that may be taken in this behalf.

(iv) I/We hereby declare that the particulars and statements made in this application are true to the best of my/our knowledge and nothing has been concealed or held therefrom.

(v) I/We hereby undertake that any licence granted on the basis of this application shall be liable to cancellation or being made ineffective without prejudice to any other action that may be taken in this behalf, if any information furnished in this application is found to be wrong or incorrect or misleading.

(vi) I/We hereby declare that the prices charged for books/journals/periodicals exported were not less than the listed foreign prices minus a discount of not more than 40%. In case no foreign price was listed, the books/journals/periodicals were exported at a price not less than the listed Indian prices converted into foreign currency at the official exchange rate, minus the usual trade discount not exceeding 40%.

(vii) I/We declare that the figures on the basis of which this application for replenishment licence is made do not include exports of books/journals/periodicals intended for internal use only and prohibited from being exported.

(viii) I/We declare that the exports have been made at a price not less than the minimum floor price fixed by the registering authority.

(ix) I/We have not under invoiced or over involved our exports.

Signature..................

Name in Block Letters ....

Designation..............

Residential Address————

Date.............

—List of enclosures

APPENDIX 10—contd.

ANNEXURE VII—contd.

PART II

Particulars of Exports as certified by the Exporters Bank(s) against which Import Licence is applied (the columns in the statement should be filled in Bank Certificate wise)

Name & address of the Banks (which issued the Bank Certificate).	No. & date of Bank Certificate (Enclose original Bank Certificate).	Invoice No. as given in Bank Certificate	No. & Date of E.P. Copy of the Shipping bill duly authenticated by the Customs	Description of product exported (indicate Sl. No. and Page No. of Import Policy)	If the export has been made on c.i.f. or C&F basis indicate		Foreign agents, commission paid for payable	F.O.B. value of exports minus commission paid for payable	Rate & amount of import replenishment due	
					Freight charges paid	Insurance charges paid			Rate	Amount
					Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I/We hereby declare that the information given in this statement is correct. I/We undertake that the value of the import licence granted on the basis of this statement shall be liable to be set off against future imports licences due to me/us or to my/our nominee without prejudice to any other action that may be taken in this behalf, in case any part of the information contained in this statement is found incorrect, false or misleading.

Signatrue of Applicant....................
Name in Block Letters....................
Designation.............................
Residential Address ....

PART III

FORM OF INCOME TAX DECLARATION

A. *In case of persons not having taxable income*

I/We hereby solemnly declare that I/We are not liable to pay income-tax including advance tax as the income earned by me/us during the current accounting year and the last four accounting years has been below the maximum limit for chargeable to tax.

B. *In case of persons having taxable income* :

I/We hereby solemnly declare that :—

(i) I/We have furnished to the Income-tax Department return(s) of income due from me/us till date.

(ii) I/We have paid all taxes including advance tax due from me/us under the Income-tax Act other than the tax demand which has been stayed by the competent authority.

(iii) I/We have not been penalised*/convicted for concealment of income/wealth during the last three calendar years.

(iv) (a) I/We hereby solemnly declare that the above declaration also applies in the case of companies in which I/We am/are having substantial interest or the firms or associations of persons in which I/We am/are partner or member respectively.

(b) The above declaration is applicable in** case of the persons having substantial interest in the applicant company or members of the applicant association or partner of the applicant firm.

Signature............
Address..............

Permanent Account Number............
Designation of the I.T.O. with whom assessed/assessable :

Date..........

Place............

*If an appeal has been filed against the levy of penalty and the appeal is pending before the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax or the Income-tax Appellate Tribunal, such penalty need not be taken note of for the purposes of this declaration.

**The words "substantial interest" shall have the same meaning as in the explanation to Section 40(A)(2) of the Income-tax Act, 1961.

ANNEXURE VIII

(Deleted)

ANNEXURE IX

BANK CERTIFICATE OF PAYMENTS

(For export of Gem & Jewellery on Consignment basis and for sale of goods at international exhibition fairs abroad)

This is to certify that the following bills covering exports of...... . to foreign countries drawn by M/s........ . ...have been negotiated and proceeds as given below received by us as per exchange control regulations in the approved manner. We also certify that payments thereof have not been received in non-convertible Rupee Accounts or under any special bilateral trade agreement.

Sl. No.	Invoice No. and Date	Date of Exports	Description of goods exported	Bill of Lading Postal Receipt and/or Airways bill No. and date	F.O.B. value of goods as declared by the Exporters	Country/ Countries to which exports have been made	*Date on which payment was received by the Bank	Date on which the proceeds of foreign exchange were actually credited to the exporters account	In case of part payment of the Bill the lot No. of the Invoice agaist which payments have been received	Amount received in India (in rupees)	GRI/PP Form No. and date
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

This is certified that the amount of commission paid/payable as given in the G R. Forms in Rs......................
(in figures and in words)

Ref. No.
Date
Place

Signature of Manager
Authorised Officer of the Bank
Official Stamp

NOTE I— (1) The Bank Certificate should bear the Official Stamp of the Bank.

(2) This Certificate will be issued only after the full proceeds of the bill have realised however, in the case of receipt of part payment of a bill, against lots covered by it, the certificate may be issued.

*Date of advice of payment of the collecting/remitting Bank abroad.

APPENDIX 10—*Contd.*

ANNEXURE X (A)

BANK CERTIFICATE OF PAYMENT AGAINST SALE OF CARPETS TO FOREIGN TOURISTS

This is to certify that the payment against the following bills covering CIF/C.&F./F.O.B. value of Carpets made by M/s ....to the Foreign tourists has been received by us as per exchange control regulations in the approved manner We also certify that payment there of has not been received in Non-convertible Rupee Account under any bilateral Trade Agreement.

Sl. No	Invoice No. and date	Date of Exports	Description of goods exported	Bill of Ladings, Postal receipts and/or Airway bill No. & date	Freight charges paid	Insurance charges paid	F.O.B. value of goods	*Date of Deposit of currency, bank draft or cheque as the case may be in the Bank	Amount received in India (In Rs.)	Date of realisation of payment	GRI/PP form No. and date
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
2.											
3.											
4.											

Reference No.
Date
Place

Signature of the Manager,
Authorised Officer of the Bank,
Official Stamp.

Notes :—1. The Bank Certificate should bear the Official stamp of the Bank.

*2. This applies only in the case of personal cheque, drawn by the foreign tourists on Foreign Bank.

ANNEXURE—X—B

BANK CERTIFICATE FOR GOODS SOLD TO FOREGIN TOURISTS IN INDIA OTHER THAN CARPETS

This is to certify that the payment against the following bills made by M/S——————————————————to the foreign tourists have been received by us as per Exchange Control Regulations in the approved manner. We also certify that the payment thereof has not been received in Non-convertible Rupee Account under any bileteral agreement

Sl.No	Sale Voucher/ Cash Memo No & Date	Description of Goods Sold to Foreign Tourists	FOB Value of Goods	Date of Deposit of Foreign Currency/Traveller Cheque/Credit Card. Bank Draft/ or Cheque, as the case may be, in the Bank	Rupee Equivalent of the Foreign Exchange Realised	Date of* Realisation/ payment
1	2	3	4	5	6	7

Ref. No
Date
Place

Signature of the Manager,
Authorised Officer of the Bank
Official Seal

*This applies only in case of personal cheques drawn by foreign tourists on foreign bank (s).

APPENDIX 10—*Contd.*

ANNEXURE XI

CHARTERED ACCOUNTANT CERTIFICATE OF EXPORTS

To..(Name and address of the licensing authority)..................
....(Name and address of the exporter) hereby declare that we have made exports under Equity participation during.................................(Licensing period) as per particulars given as under :—

Invoice No. and date	Description of Goods	Bill of lading/PP receipt/Airway bill No. and date	Destination of Goods	Bill amount c.i.f./c&f./f.o.b.	Freight amount	Insurance amount	F.O.B. Equivalent	G.R.I./P.P. form No. and date.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
4.								

We further declare that the aforesaid particulars are correct and that they relate to exports made under 'Equity Participation'. Copies of invoices and other documents relevant to these exports are attached.

....
(Signature of Exporter)

Ref No ....

Date ....

Place ....

CHARTERED ACCOUNTANT CERTIFICATE

This is to certify that we have checked and verified the above particulars of exports from the books/documents of M/s..and found the same to be correct.

(Signature of the Chartered Accountant)
Official Stamp.

Full Address .....Regn. No........

ANNEXURE XII

VOUCHER OF SALE TO FOREIGN TOURISTS

S.No............

(i) Name and nationality of the tourist to whom the sale is made . . .

(ii) Passport Number of the tourist . . .

(iii) Description of the items sold (specifying materials of which they are made)

(iv) Sale value in foreign exchange and the rupee equivalent . . .

(v) Details of the foreign currency and foreign traveller's cheques given by the tourist . .

Signature of the Tourists	*Signature of Dealer*	*Registration Number*

Note:—Please read condition on the reverse.

(1) Copy to be delivered to the foreign tourist . . . . (White)

(2) Copy to be sent, alongwith import licence application . . . (Yellow)

(3) Copy to be retained by the dealer . (Pink)

ANNEXURE XIII

NAME AND ADDRESS OF THE FIRM

Statement showing particulars of tourists sales effected during the period .... against which import licence is being claimed.

Sl. No.	Products sold to tourists (Indicate product Group and the S. No. to which the product sold belongs)	No. and date of sale voucher/ cash/memo/ order.	Description of products sold	F.O.B. value in rupees of the items sold for which replenishment is claimed	Rupees equivalent of the foreign exchange realise in respect of the items on which replenishment is claimed here (figure from B/C)	F.O.B. value on which entitlements is being claimed (This should be lesser of the two values shown in Cols. 5 & 6)	Remarks
.	2	3	4	5	6	7	8
1							
2.							
3.							
4.							

N.B.—1 Values in column 7 should be totalled.

2. This statement of particulars should be signed by the applicant signing the application form

ANNEXURE XIV

VOUCHER OF SALE OF GEM & JEWELLERY TO FOREIGN TOURISTS

S. No..............

(i) Name and nationality of tourist to whom the sale is made . .

(ii) Passport No. of the tourist . . .

(iii) Description of the item(s)

(iv) Sale value in foreign exchanges and the rupees equivalent . . .

(v) Details of the foreign currency and foreign currency travellers Cheques given by the Tourist .

Signature of the Tourist

Signature of Exporter

Registered Number

Signature and Seal of the Customs

Notes—Please read condition on the reverse.

(1) Copy to be stitched on the passport (White)

(2) Copy to be delivered to the foreign tourist . . . . . (Green)

(3) Copy to be sent along with Import licence application . . . . (Yellow)

(4) Copy to be retained by the Exporter (Pink)

Note 1—Articles purchased under this voucher are totaly prohibited from being sold, gifted or otherwise disposed of within the territory of India to any person,

APPENDIX 10—contd.

ANNEXURE XV

FORM OF APPLICATION FOR GRANT OF IMPORT LICENCE BY REGISTERED EXPORTERS

PART I

GENERAL INFORMATION

1. Name and Address of the Applicant . . . .
2. Name of Industry . .
   (i) Address & Location of Factory . . .
   (ii) End-products manufactured therein . . .
3. Nature of the concern, wehther public company or Private Ltd. Company or Partnership concern. . . .
4. Names of directors, partners, proprietor or Karta or the Hindu Undivided Famly as the case may be . .
5. Are you a manufacturer exporter/merchant exporter/export house/Trading House?
5. A. Product of Product Group for which registered with Sl. No./Sub-Sl. No. in Appendix 17. . . .
6 No. & date of Registration certificate issued by the Export Promotion Council/Commodity Board/FIEO and date upto which it is valid Attach photostat/Certified copy of the certificate .
7. If export house, indicate No. and date of export house/trading house certificate and the date upto which it is valid (Attach photostat/ certificate of certificate . .
8. If manufacturer exporter, give Registration No. allotted by : . . . . .
   (i) DGTD in the case of firms borne on the list of DGTD . . .
   (ii) State Director of Industries in the case of SSI units . . . . .
   (iii) Any other authority competent to register a unit as a manufacturer.
9. Capital investment on machinery. . . . . .
10. If merchandising(export house/trading house or merchant exporter, give : . . .
   (i) Name and address of the supporting manufacturer stating whether it is a large scale or SSI unit. . . . . .
   (ii) Name of the Registering Authority of Supporting manufacturer(s). .
   (iii) Registration No. of supporting manufacturer(s). . . .
11. Bank Receipt/Dem and Draft No. & date towards payment of application fee/(Bank receipt/demand draft to be attached in original) .
12. (i) CIF value of licence applied for . . .
   (ii) Description of the materials sought to be imported (give complete description, quantity, CIF value of each item desired to be imported)

PART II

1. Is this application against a specific export order ? If yes, indicate; . .
   (i) Items of export covered by the export order(s) (Attach copy of export order(s)) . . .
   (ii) FOB value . .
   (iii) Name and address of foreign buyer and the country of export. .
   (iv) Delivery period of export product(s) covered by the export order(s)
   (v) Whether any exports against the export order(s) in question have already been made. If so, indicate FOB value thereof . . .
   (vi) Indicate made of payment (in case of Irrevocable letter of Credit, attach aphotostat copy
   (vii) Amount of commission or discount paid or payable to the foreign agent on exports coveredby the application. . . .
2. (a) If the product(s) to be exported and items to be imported in terms of quantity/CI F Value fully conform to the Import Policy for registered exporters indicate:
   (i) Serial No./Sub-Serial No. of Apendix 17 . .
   (ii) Rate of import replenishment . . .
   (b) If these do not fully conform to Appendix 17 of the Import Policy, attach chartered Engineers Certificate as per Import Policy. .

PART III

1. If the import licence applied for is not against a specific export order, indicate:
   (a) Description, quantity & FOB value of products to be exported . .
   (b) If he products to be exported and items to be imported in terms of quantity/CIF value of fully conforms to Appendix 17 of the Import Policy, attach statement giving description of products expor-

APPENDIX 10—*Contd.*

ANNEXURE XV—*Contd.*

PART III—*Contd.*

ted, and FOB value of exports productwise in 1981-82 and 1982-83.

(c)] If these do not fully conform to Appendix 17 of the Import Policy attach : . . .

(i) Certificate from Chief Executive and Chartered Engineer as per Import Policy. . .

(ii) Statement giving description of products imported productwise in 1981-82 and 1982-83 . .

(iii) Give unit value of the latest exports of the same product exported and indicate date of export . . .

PART IV

1. Past Performance:—

(i) Particularts of previous exports. Attach statement giving the following particulars:—

(a) Description of product exported in 1981-82 and 1982-83;

(b) F.O.B. value of exports (productwise) in respect of (i) above;

(c) Classification of the product exported if covered by Appendix 17 of Import Policy 1983-84 and the rate of Import replanishment;

(d) Quantity of the product to be exported for which the imprest licence is required;

(e) Unit value of the latest exports of the same product exported by the applicant (the date of export also).

(ii) Was any advance licence(s) issued in the past ? . .

(iii) If so, whether the export obligation against the licence(s) is still outstanding

(iv) If the export obligation either in part or in full remains to be completed, please give the particulars of the sale as under:—

(a) Licence number and date .

(b) Name of the licence issuing authority .

(c) Licence-wise value of the export obligation fixed . .

(d) Time limit allowed for fulfilling the export obligation . .

(e) Value of the export obligation already fulfilled against each licence . .

(f) Reasons for not fulfilling the export obligation . . .

(v) Total cif value of unutilised REP licences/Release orders against which imports have not been made . .

(vi) Total cif value of REP licences/Release orders for which import applications are pending with the licensing authorities. .

2. A List of documents enclosed.

PART V

DECLARATION

1. I/We hereby declare that if this licence is granted, the goods will be utilised only for consumption as raw materials/components or accessories in our factory and that no portion thereof will be sold or permitted to be used by any other party.

2. I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We fully understand that any licence granted to me/us on the basis of the statement furnished is liable to cancellation, or being made ineffective in addition to any penalty that the Government may impose or any other action that may be taken having regard to the circumstances of the case if it is found that any of the statements or facts therein are incorrect or false.

Signature ....
Name in Block Letters..................
Designation ....
Residential Address ....

Date..................

PART VI

FARM OF INCOME TAX DECLARATION

A. *In case of persons not having taxable income*

I/We hereby solemnly declare that I/We are not liable to pay income-tax including advance tax as the income earned by me/us during the current accounting year and the last four accounting years has been below the maximum limit not chargeable to tax.

B. *In cases of persons having taxable income*

I/We hereby solemnly declare that :—

(i) I/We have furnished to the Income-tax Department return(s) of income due from me/us till date.

(ii) I/We have paid all taxes including advance tax due from me/us under the Income-tax Act other than the tax demand which has been stayed by the competent authority.

(iii) I/We have not been penalised*/convicted for concealment of income/wealth during the last three calendar years.

(iv) (a) I/We hereby solemnly declare that the above declaration also applies in the case of companies in which I/We am/are having substantial interest** or the firms or associations of persons in which I/we am/are partners or member respectively.

OR

(b) The above declaration is applicable in case of the persons having substantial interest** in the applicant company or members of the applicant association or partner of the application firm.

Signature ....
Address ....
Permanent Account Number ....
Designation of the I.T..............
with whom assessed/assessable ......

Place................
Date................

*If an appeal has been filed against the levy of penalty and the appeal is pending before the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax or the Income-tax Appellate Tribunal, such penalty need not be taken note of for the purposes of this declaration.

**The words "Substantial interest" shall have the same meaning as in the explanation to Section 40(a)(2) of the Income-tax Act, 1961.

***List of enclosure.

APPENDIX 10—Contd.

ANNEXURE XVI AND XVII Deleted

ANNEXURE XVIII

FORM OF APPLICATION FOR AD-HOC LICENCE TO TECHNICAL CONSULTANCY FIRMS/CONSTRUCTION FIRMS

PART I

1. Name and address of the Applicant . . . .
2. Nature of the concern, whether Public or Private Ltd. Company, Partnership or Hindu Undivided family concern . . . . .
3. Name of Directors, Partners, Proprietor or Karta as the case may be . . . . .
4. Bank Receipt/Demand Draft No. and date (Bank Receipt Demand Draft to be attached in original) . . . .
5. C.I.F. value in rupee of the licence(s) applied for . .
6. (a) Details of foreign exchange earned during the previous financial year. April-March, on technical consultancy services rendered to clients abroad or for doing construction work abroad (Foreign exchange earned against export of goods should be excluded, full details of foreign exchange earning through technical consultancy services should be furnished in a separate sheet, item by item. The statement should be supported and the amount of foreign exchange earned certified by the Bank through which such earnings were received into this country).

   (b) The amount of Commission or discount paid or payable (at a later date by the exporter) to the foreign agent on the export covered by the application . .
7. List of items applied for (Five copies of the list to be furnished)—

DECLARATION

We hereby declare—(i) that no other application for import licence has been made or will be made in future to the licensing authority, during the current licensing year; (ii) the statements made in this application are true and correct to the best of our knowledge and belief; (iii) if the licence is granted, the goods will be utilised only in our office and no portion thereof will be sold or permitted to be used by any other party.

We fully understand that any licence granted to us on the basis of this application is liable to cancellation, or being made ineffective in addition to any other penalty that the Government may impose or any other action that may be taken having regard to the circumstances of the case, if it is found that any of these statements of facts therein is incorrect or false.

Signature . . . .

Name in Block Letters...........

Designation . . . .

Date................

Residential Address . . . .

PART II

A. *In case of persons not having taxable income.*

I/We hereby solemnly declare that I/We are not liable to pay income-tax including advance tax as the income earned by me/us during the current accounting year and the last four accounting years has been below the maximum limit not chargeable to tax.

B. *In cases of persons having taxable income.*

I/We hereby solemnly declare that :—

(i) I/We have furnished to the Income-tax Department the return(s) of income due from me/us till date.

(ii) I/We have paid all taxes including advance tax due from me/us under the Income-tax Act other than the tax demand which has been stayed by the competent authority.

(iii) I/ We have not been penalised*/convicted for concealment of income/wealth during the last three calendar years.

(iv) (a) I/We hereby solemnly declare that the above declaration also applies in the case of companies in which I/We am/are having substantial interest** or the firms or associations of persons in which I/We am/are partner or member respectively;

OR

(b) The above declaration is applicable in case of the persons having substantial interest** in the applicant company or members of the applicant association or partner of the applicant firm.

Signature . . . .

Address.....................

....

Permanent Account Number............

Designation of the I.T.O with whom assessed/assessable :

Place................

Date................

*If an appeal has been filed against the levy of penalty and the appeal is pending before the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax or the Income-tax Appellate Tribunal, such penalty need not be taken note of for the purposes of this declaration.

**The words "substantial interest" shall have the same meaning as in the explanation to section 40(A)(2) of the Income-tax Act, 1961.

List of enclosures :—

APPENDIX 10—*Contd.*

ANNEXURE XIX

PROCEDURE FOR SUBMISSION OF APPLICATION IN RESPECT OF SUPPLIES MADE IN INDIA AGAINST IBRD/IDA/BILATERAL/MULTILATERAL AIDED PROJECTS AND SUPPLIES MADE TO U.N. ORGANISATIONS ETC. AGAINST PAYMENT MADE IN FREE FOREIGN EXCHANGE

Application for import replenishment licences in such cases should be made to the regional licensing authorities concerned.

2. Applications should be made on monthly, quarterly or half yearly basis within the prescribed time limit, on the basis of the payment received. The import replenishment will, however, be calculated with reference to the date of supply of the material which will be taken as the date of export, except in the case of registered contracts for which the relevant provisions will apply.

3. Import applications should be made in the prescribed form. In the case of IBRD/IDA/Bilateral/Multilateral aided projects, it should be supported by (i) a certificate of payment issued by the Projects Authority in Form I hereto, (ii) sale invoice duly authenticated by the project authority and (iii) undertaking by the applicant as in Form II hereto.

4. In cases where the project authority has been only part payment but the applicant has filed his application against the full supplies made, the licensing authority will consider the claim only to the extent of the payment received. After the project authority makes the final payment, the applicant should then produce a further certificate from project authority in respect of the balance payment received on the basis of which, the licensing authority will issue supplementary REP licence to the applicant as may be admissible.

5. In the case of supplies made in India to U.N. Organisations or other multi national agencies, or supplies made in India against international competitive bidding for which the payment is received in free foreign exchange, the application may be made on monthly, quarterly or half yearly basis, within the prescribed time limit, on receipt of payment. The import replenishment will, however, be calculated at the rate applicable on the date of supply which will be taken as the date of export except in the case of a registered contract for which the relevant provision will apply. The import application should be made in the prescribed form and supported by the following :—

(i) Invoice duly authenticated by the buyer agency.

(ii) Undertaking by the applicant in Form II hereto.

(iii) A declaration by the applicant in Form III hereto.

(iv) Certificate of buyer agency in Form IV hereto.

(v) Bank Certificate in respect of payment received in Form V hereto.

6. The import replenishment will be calculated in the case of the supplies made in India on the basis of F.O.R. value (nearest rail head) instead of F.O.B. value.

FORM I

Certificate of payment to be issued by the project authority.

Certified that the goods of quantity and value as described below and in invoice No. ....dated.......... have been supplied to us on.......................... (indicate the date of supply) against purchase order No. ....dated............and we have paid to the suppliers namely, M/s.............................. the sum of Rs............ (in words).................. ....on the ....(indicate the date of payment) being........per cent of the value of the equipment supplied as per terms of the contract. It is further certified that the supplied have been made in terms of the contract secured against international competitive bidding in the ....project being undertaken by us and which is fully financed by the assistance from IBRD/IDA/Bilateral/Multilateral aid and the supplies have been accepted by us at site at the price stated in the invoice.

Signature ....

Name ....

Designation ....

Name of the project ....

Station..............

Date................

Description, quantity and value of goods supplied.

Signature ....

Name ....

Designation ....

Name of Project ....

Station..............

Date................

(*Note* : This certificate should be signed by the Chief Executive Incharge of the Project.)

FORM II

Undertaking to be given by the applicant

We, M/s .... undertake in respect of our application dated .... against ———— (description of goods) supplied to ———— (name of buyre), that :—

(1) that at any future date we are required to refund any amount to the buyer, namely, ———— ———— on account of non-satisfactory performance of the equipment during the guarantee period or on account of replacement of defective parts as per contractual agreement we shall send an intimation to the licensing authority giving full particulars within one month of the date of such refund.

(2) We shall refund to the licensing authority proportionate amount in respect of the amount refunded to the project authority by us.

Signature————

(Name in block letters)————

Designation————

Station————

Date————

FORM III

DECLARATION

We hereby declare that the :—

(a) particulars stated in the application dated........ are correct;

(b) the goods as mentioned in application have been supplied to .... in terms of the contracts secured by us;

(c) the payments against these supplies have been received in free foreign exchange; and

(d) the supplies have been made at international price

Signature ....

Name in Block Letters..........

Station................

Date................

Designation.................

Name of applicant firm ....

APPENDIX 10—*Contd.*

FORM IV-A

Certificate to be issued by UN Organisation or multinational agencies concerned.

Certified that goods of the description, quantity and value as given below and in the application dated———————have been supplied to us by M/s.——————————— for use in our aid programmes in India and we have paid the supplier, in full, in free foreign exchange. We further certify that these supplies will not be used for our own purposes but will be used only for the aid programmes in India undertaken by us. We are satisfied that the supplies have been made at international prices. The goods were supplied on ——————— (date of supply) and the payment was made on ——————— (date of payment).

Signature——————

Name——————

Designation——————

Description, quantity & value of goods supplied.

Signature——————

Name——————

Designation——————

Station——————

Date——————

FORM IV-B

Certificate to be issued by buyer agency against supplies procured in India under international competitive bidding and paid for in free foreign exchange

Certified that goods of the description, quantity and value as given below and as given the application dated——————— have been supplied to us by M/s.——————————— against international competitive bidding and we have paid the supplied, in full, in free foreign exchange. The goods were supplied on ——————— (date of supply) and the payment was made on ———————(date of payment).

Signature——————

Name——————

Designation——————

Station——————

Date——————

Description, quantity and value of goods supplied.

Signature——————

Name——————

Designation——————

Station——————

Date——————

FORM V

Certificate for payment to be issued by Bankers in respect of supplies made to U.N. Organisation etc.

Certified that the goods of quantity and value as described below have been supplied to (name of the U.N. Organisation etc.) ———————————————————and the suppliers viz.——————————————— have been paid a sum of Rs. ——————————— (in words ———————————) in full against the aforesaid supplies. It is further certified that the payment has been made by ——————————— (name of the U.N. Organisation etc.) in free foreign exchange, i.e. (indicate the foreign currency amount and the O.D. Buying rate adopted for conversion of foreign currency into rupees.)

Signature——————

Name——————

Designation——————

Seal of the Bank——————

Station——————

Date——————

Description, quantity and value of goods supplied.

Signature——————

Name——————

Designation——————

Seal of the Bank——————

Station——————

Date——————

APPENDIX 10—*contd.*

ANNEXURE XX

FORM OF APPLICATION FOR GRANT/RENEWAL OF "EXPORT HOUSE" CERTIFICATE

1. Name and address of the applicant.

2. Date of establishment of business under the present name.

3. Nature of the concern, whether public limited or private company, partnership or Hindu Undivided family concern

4. Names of the Directors/Partners/Proprietor or Karta as the case may be.

5. Details of the Head Office, Branches or Associate companies (name and location) :—

   (*i*) In India.

   (*ii*) Abroad.

6. (*i*) No. & Date of certificate & Registration as Registered Exporter.

   (*ii*) Whether Merchant Exporter or Manufacturer Exporter.

   (*iii*) If Manufacturer exporter—whether large scale or small scale. (Registration/Industrial licence No. & Date—should be given).

7. Name and address of applicant's bankers. An indication of the applicant's financial resources may also be given.

8. In case of renewal :—

   (*a*) No. & Date of the last Export House Certificate issued.

   (b) No. & date of the first Export House Certificate issued.

9. Date upto which existing export house certificate, if any, is valid.

10. Statement of Exports :

Year	Description of item exported	Sl. No of the item exported as per Col. 2 of the Statement of Policy for Registered Exporters for April 83—March 84 in respect of Select List of Export Products	Name and address of the manufacture of the goods exported	Relationship with the manufacturing Co mentioned in Col. 4 i.e. whether they are your branches, associate companies etc. or separate legal entities	Country to which of exports	F. O. B. value exported
	2		4	5	6	7
1980-81						
1981-82						
1982-83						

Note : Separate statements for each year may be attached with the application

APPENDIX 10—Contd.

ANNEXURE XX

I/We hereby declare that the particulars and statements made in this application are true to the best of my/our knowledge and nothing has been concealed. We understand that any information if found to be incorrect, it will render us lialbe to rejection of our claim without prejudice to any other action that may be taken against us in this behalf.

I/We further declare that :

(i) The f.o.b. value of exports on the basis of which export house certificate/renewal of export house certificate has been claimed in this statement are our direct exports. The export order/contract, the bank certificate and the invoice were in our name. (If the invoice also mentions the name of the manufacturer of the goods exported, this may be indicated).

(ii) In the case of exports made by us as associates of the STC/MMTC, the conditions laid down in para 176 of Chapter 18 of Import-Export Policy 1983-84—are fulfilled. All the REP benefits on these exports have been taken by us or will be taken by us for which the STC/MMTC has given a disclaimer. Also our name appears with or without the name of the STC/MMTC in the documents viz...A certificate to this effect obtained from the STC/MMTC is enclosed.

(iii) The f.o.b. value shown in the statement is exclusive of commission paid or payable.

(iv) The f.o.b. value of exports pertains to the goods which have not been returned by the consignee abroad.

Signature ....

Name (in Block Letters) ....

Designation ....

Address ....

Dated :

APPENDIX 10—Contd.

ANNEXURE XX

CERTIFICATE OF THE CHARTERED ACCOUNTANT

We.. ....(name and address of the Chartered Accountant) hereby certify that we have checked and verified the above particulars of exports from the books/documents of M/s.................. ....and found the same to be correct. We also certify that the exports mentioned in this statement, excluding those exports which were made as associates of the STC/MMTC are direct exports of M/s...................... and the export documents *viz.* export order/contract, bank certificate and invoice were in the name of M/s........................ We have verified that each export invoice is properly supported by a purchase voucher.

Signatuure of the Chartered Accountant ....

Official Stamp ....

Full Address ....

Registration No ....

Dated :

NOTES :

1. The statement of exports should be given in five parts as under :—

(*i*) Part I should give exports of products included in the Select List of Export Products as given in Appendix 22 (Products other than those manufactured by SSI units).

(*ii*) Part II should give exports of products included in the Select List of Export Products, as given in Appendix 22 (products manufactured by SSI units). In the statement, along with the name of the manufacturer, the SSI registration number allotted to the manufacturer by the State Director of Industries should also be quoted. (In the case of the manufacturers which are not registered with the State Director of Industries, the Export House should furnish its own declaration to the effect that the manufacturers in question are SSI units).

(*iii*) Part III should be exports of products other than those included in the Select List of Export Products referred to above (Products other than those manufactured by SSI units).

(*iv*) Part IV should be exports of products other than those included in the Select List of Export Products referred to above (Products manufactured by SSI units). (In this statement along with the name of the manufacturer, the SSI registration number allotted to the manufacturer by the State Director of Industries should also be quoted. In the case of the manufacturers which are not registered with the State Director of Industries, the export house should furnish its own declaration to the effect that the manufacturers in question are SSI units).

(*v*) Statement of invisible exports, which should give the actual amount of foreign exchange realised through the bank, the financial year in which the foreign exchange has been realised and the name of services rendered pertaining to which the foreign exchange has been realised.

2. In the case of applications for renewal of the Export House Certificates, the applicant should also furnish the statement of exports made in three years prior to the prescribed base period i.e. during the years 1977-78, 1978-79 and 1979-80. This statement of exports need not be prepared separately in respect of each year. A consolidated statement giving the total value of export in the three years may be furnished. The applicant should prepare two statements as under :—

(*i*) A statement giving the total f.o.b. value of exports during the three years viz., 1977-78, 1978-79 and 1979-80 in respect of products included in the Select List of export products.

(*ii*) A statement giving the total f.o.b. value of exports during the three years *viz.*, 1977-78, 1978-79 and 1979-80, other than those included in the Select List of export products.

(*iii*) The statements, in question, should give the declaration of the applicant and a certificate of the Chartered Accountant.

APPENDIX 10(*contd.*)

ANNEXURE XXI

FORM OF APPLICATION FOR GRANT/RENEWAL OF "TRADING HOUSE" RECOGNITION CERTIFICATE

1. Name and address of the applicant.
2. Date of establishment of business under the present name.
3. Nature of the concern, whether public limited or private company, partnership of Hindu Undivided Family concern.
4. Names of the Directors/Partners/proprietor or Karta as the case may be.
5. Details of the Head Office, Branches or Associate companies (name and location) :—
   (*i*) In India.
   (*ii*) Abroad.
6. (*i*) No & date of last Export House Certificate issued & date upto which valid.
   (*ii*) No. & date of first export house certificate issued.
7. (*i*) Whether Merchant Exporter or Manufacturer Exporter.
   (*ii*) If Manufacturer-exporter—whether large scale or small scale (No. & date of Registration/Industrial Licence should be given).
8. Name and address of applicant's bankers. An indication of the applicant's financial resources may also be given.
9. In case of renewal :—
   (*a*) No. & date of the last Trading House Recognition Certificate issued.
   (*b*) No. & date of the first Trading House Recognition Certificate issued.
10. Date upto which existing Trading House Recognition Certificate, if any, isvalid.

11. Statement of Exports :

Year	Description item of exported.	Sl. No. of the item exported as per Col 2 of the Statement of Policy or Registered Exportes for April 83—March 84 in respect of Select List of Export Products.	Name and address of the manufacturer of the goods exported.	Relationship with the manufacturing Co. mentioned in Col. 4 *i.e.* whether they are your branches, associate companies etc. or separate legal entities.	Country to which exported.	F.O.B value of exports
1	2	3	4	5	6	7
1980-81						
1981-82						
1982-83						

Note : Separate statements for each year may be attached with the application

APPENDIX 10—*Contd.*

I/We hereby declare that the particulars and statements made in this application are true to the best of my/our knowledge and nothing has been concealed. We understand that any information if found to be incorrect, it will render us liable to rejection of our claim, without prejudice of any other action that may be taken against us in this behalf.

I/We further declare that :—

(*i*) The f.o.b. value of exports on the basis of which trading house recognition certificate/renewal of trading house recognition certificate has been claimed in this statement are our direct exports. The export order/contract, the bank certificate and the invoice were in our name. (If the invoice also mentions the name of the manufacturer of the goods exported this, may be indicated.)

(*ii*) In the case of exports made by us as associates of the STC/MMTC, the conditions laid down in para 176 of Chapter 18 of Import-Export Policy 1983-84—are fulfilled. All the REP benefits on these exports have been taken by us or will be taken by us for which the STC/MMTC has given a disclaimer. Also our mame appears with or without the name of the STC/MMTC in the documnent *viz* ....A certificate to the effect obtained from the STC/MMTC is enclosed.

(*iii*) The f.o.b. value shown in the statement is exclusive of commission paid or payable...

(*iv*) The f.o.b. value of exports pertains to the goods which have not been returned by the consigneeabroad.

Signature.......................................

Name (in Block Letters) ....

Designation ....

Address...

Dated

APPENDIX —*Contd.*

CERTIFICATE OF THE CHARTERED ACCOUNTANT

We...(name and address of the Chartered Accountant) hereby certify that we have checked and verified the above particualars of exports from the books/documents of M/s .... and found the same to be correct. We also certify that the exports mentioned in this statement, excluding those exports which were made as associates of the STC/MMTC are direct exports of M/s ....and the export documents *viz.* export order/contract, bank certificate and invoice were in the name of M/s...We have verified that each export invoice is properly supported by a purchase voucher.

Signature of the Chartered Accountant ....

Official Stamp...................................

Full Address ....

Registration No.................................

Dated

NOTE :

The statement of exports should be given in five parts as under :—

(*i*) Part I should give exports of products included in the Select List of Export Products as given in Appendix 22 (Prolucts other than those manufactured by SSI units).

(*ii*) Part II should give exports of products included in the Select List of Export Products, as given in Appendix 22 (products manufactured by SSI units). In the statement, along with the name of the manufacturer, the SSI registration number allotted to the manufacturer by the State Director of Industries should also be quoted. (In the case of the manufacturers which are not registered with the State Director of Industries, the Trading House should furnish its own declaration to the effect that the manufacturers in question are SSI units).

(*iii*) Part III should be exports of products other than those included in the Select List of Export Products referred to above (Products other than those manufactured by SSI units).

(*iv*) Part IV should be exports of products other than those included in the Select List of Export Products referred to above (Products manufactured by SSI units). In this statement along with the name of the manufacturer, the SSI registration number allotted to the manufacturer by the State Director of Industries should also be quoted. (In the case of the manufacturers which are not registered with the State Director of Industries, the trading house should furnish its own declaration to the effect that the manufacturers in question are SSI units).

(*v*) Statement of invisible exports, which should give the actual amount of foreign exchange realised through the bank, the financial year in which the name of services rendered pertaining to which the foreign exchange has been realised.

APPENDIX 18

ANNEXURE XXII

FORM OF APPLICATION FOR ADDITIONAL LICENCE

1. Name and address of the applicant................
2. Nature of concern, whether Public Co. or Private Co., Partnership or Hindu undivided family concern......
3. Names of Directors, Partners, Prop. or Karta as the case may be..................................
4. Details of Head Office/Branches or associated companies (Name and address)......................
   (a) In India ....
   (b) Abroad ....
5. No. & date of Registration Certificate (copy of Registration Certificate to be furnished)................
6. No. & date of Export House certificate/Trading House Recognition certificate and the date upto which itis valid ....
7. Total FOB value of exports in 1982-83 of "Select" products :
   (a) Exports of select products manufactured by SSI units—
   Rs. ....
   (b) Other Exports of Select products Rs. ....
   (Attach Chartered Accountant Certificate).
8. Licensing Period for which Additional licence applied for...........................
   ....
9. Value of the licence applied for (C.I.F.)..........
10. Full details of enclosures attached with the application
   ....
   (b) Abroad ....

UNDERTAKINGS/DECLARATION

I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We fully under stand that any licence granted to me/us on the baiss of the statement furnished is liable to cancellation, or being made ineffective, in addition to any other penalty that the Govt. may impose or any other action that may be taken having regared to the circumstances of the case if it is found that any of the statements of facts therein are incorrect or fales.

Name in block letters ....

Designation ....

Residential Address ....

Place..........................

Date............................

Notes:— (1) The statement of exports should be in the same form as in Appendix 10, Annexure XXII

(2) The statement of exports should be given in two parts as under :—

(i) Part I should give export of products included in Appendix 22 of the Import Export Policy 1983-84 Vol. I but manufactured by SSI Units. In this statement alongwith the name of the manufacturer, the SSI registration number allotted to the manufacturer by the State Director of Industries should also be quoted. (In the case of manufactures which are not registered with a State Director of Industries, the Export House/Trading House should furnish its won declaration to the effect that the manufacturers in question are SSI units). In respect of export products specified in para 186 (4) if the expor thouse/trading House is unbable to give the names of manufactures, a declaration should be furnished that the goods exported were manufactured by SSI/Cottage Secctor units.

(ii) Part II should give other exports of products included in Appendix 22. of the Import & Export Policy 1983-84 vol. I.

(3) Exports of products carrying import replenishment rate of more than 50% in Appendix 17 of the Import-Export Policy, 1983-84 should not be included in the statement.

(4) The certificate of Chartered Accountant should be in the same form as in Appendix 10 Annexure XXI In addition the Chartered Accountant should certify that he has verified that exports of products carrying import replenishment rate of more than 50% in Appendix 17 of the Import-Export Policy, 1983-84 have not been included in the statment.

APPENDIX 11

FORM FOR ACTUAL USERS

FORM-A

[APPLICATION FORM FOR IMPORT OF RAW MATERIALS/COMPONENTS/CONSUMABLES AND SPARES (OTHER THAN C. G. GOODS) BY ALL ACTUAL USERS AND PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS FOR INITIAL/AUTOMATIC/SUPPLEMENTARY LICENCES]
LICENSING PERIOD

PART I

(1) Name and address.

(2) Address of factory/unit.

(3) (a) Registration No. allotted by the sponsoring authority or number and date of Industrial licence.

(b) Date of establishment of the unit.

(4) (a) Description of goods manufactured.

(b) Book value of Production in the previous financial year (i.e. ex-factory cost of products) less excise, if any.

(5) C.I.F. value of the licence applied for

(a) Iron and steel items Rs.........

(b) Other items Rs.........

(c) Spares (other than on OGL) Rs.........

(d) Scientific & Measuring instruments.

(6) Bank receipt/Demand draft No. & date, as the case may be, to be attached in original, with the application.

(7) Capital investment on machinery and equipment :

(a) Imported machinery (c.i.f. value)

(b) Indigenous machinery, having imported components (purchase price)—

(c) Other-indigenous machinery (purchase price)

(8) Number and value of (automatic and supplementary) import licence(s) issued for last two licensing periods.

(9) In case of application for supplementary licence, the following should also be furnished :—

(i) Number, date and c.i.f. value of automatic licence for raw materials and components applied for same licensing period.

(ii) Stocks in value and quantity of imported raw materials and components in hand on the date of application.

(iii) Stocks in value and quantity of imported raw materials and components in the pipeline against import licence issued under the previous policies

(iv) Production programme/phased programme approved/assessed capacity.

(v) Licensed capacity/capacity covered by registration.

(vi) Details of items applied for import indicating for each item, quantity required, c.i.f. value, S. No. and appendix No. under which the item is covered under current import policy (separate lists to be submitted for banned and restricted items).

(vii) Country of import.

(viii) Details of unutilised import licences in hand excluding material in pipeline covered at S. No. 9(iii).

(ix) Details of proposed utilisation of materials and licences as at 9(ii), 9(iii), and 9(viii) and automatic licences for the current licensing period.

(x) Full justification for claiming supplementary licences. If the application has been made on the basis of order book position, details of orders received along with order-wise requirements of various items covered at 9(vi) above to be indicated.

(xi) In the case of Iron & Steel items please attach attested true copies or photostat copies of enquiries sent to indigenous manufacturers for supply of raw materials proposed to be imported under the supplementary licences and replies received thereto.

(10) (a) Nature of the concern whether Public Company or Private Company, partnership or Hindu Undivided family concern.

(b) Names of the Directors, Partner's, Proprietor or Karta as the case may be.

(c) Details of branches or associate companies (names and locations) :—

(i) in India

(ii) abroad.

(11) Do you require any subsidiary licences to be issued, if so, state the number of subsidiary licences and the value thereof.

(12) Are you actually adhering to the approved phased manufacturing programme ?

(13) Whether Industrial Licence/Registration Certificate is still valid.

PART II

INCOME-TAX DECLARATION

A. *In cases of persons not having taxable income*

I/We hereby solemnly declare that I/We are not liable to pay any income-tax including advance tax as the income earned by me/us during the current accounting year and the last four accounting years has been below the maximum limit not chargeable to tax.

B. *In cases of persons having taxable income*

I/We hereby solemnly declare that :—

(i) I/We have furnished to the Income-tax Department the return(s) of income due from me/us till date.

(ii) I/We have paid all taxes including advance tax due from me/us under the Income-tax Act other than the tax demand which has been stayed by the competent authority.

(iii) I/We have not been penalised*/convicted for concealment of income/wealth during the last three calendar years.

(iv) (a) I/We hereby solemnly declare that the above declaration also applies in the case of companies in which I/We am/are having substantial interest** or the firms or associations of persons in which I/We am/are partner or member respectively;

OR

(b) the above declaration is applicable in case of the persons having substantial interest** in the applicant company or members of the applicant association or partner of the applicant firm.

Signature....................
Address....................
Permanent Account Number.......
Designation of the ITD with whom assessed/assessable

Place ....
Date ....

*If an appeal has been filed against the levy of penalty and the appeal is pending before the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax or the Income-tax Appellate Tribunal, such penalty need not be taken note of for the purposes of this declaration.

**The words "substantial interest" shall have the same meaning as in the explanation to Section 40 (A) (8) of the Income-tax Act, 1961.

PART II

STATEMENT SHOWING CONSUMPTION OF IMPORTED RAW MATERIALS, COMPONENTS AND CONSUMABLES

1. Name and address of the unit.
2. End-product(s) manufactured
3. C.I.F. value of consumption of imported raw materials, components and consumables during the period 1981-82 or 1982-83 in respect of :—
   - (i) Iron and Steel items mentioned in Appendix 7 of Import Export Policy Book for 1983-84. Rs. ....
   - (ii) Other raw materials, components and consumables covered by Appendix 5 of Import-Export Policy Book for 1983-84 Rs. ....
   - (iii) Book value of production turned out during the period of consumption indicated against item 3 above. Rs. ....
4. Break-up of the total C.I.F. value of consumption into:—
   - (i) Imported against applicants own actual User licences Rs. ....
   - (ii) Imported by the applicant under OGL (items which were earlier on OGL but are in Appendix 5 and in 1983-84) Rs. 11
   - (iii) Imported by the applicant from other authorised sources. Rs. .. 11
5. Capital investment on machinery and equipment
   - (a) Imported machinery (CIF value Rs. ......)
   - (b) Indigenous machinery having imported components. (Purchase Price Rs.....
   - (c) Other-Indigenous machinery. (Purchase Price Rs....

(1) I/We hereby declare that the consumption of raw materials/components and consumables shown above is in respect of only the items imported against our own licences, and/or obtained from other authorised sources. I/We have not included in the consumption, the value of imported raw materials/components/consumable given to us by other units for intermediate processing on job basis. I/We have also not included in the consumption, the value of imported raw materials/consumables used by us for manufacture on behalf of loan licensees under the Drugs & Cosmetics Act, 1940.

(2) I/We hereby declare that the information given in the statement is correct. I/We fully understand that any licence issued on the basis of this information will be liable for cancellation, in addition to any other action that may be taken in this behalf, if it is found that any part of the information furnished is incorrect, false or misleading.

(3) I/We hereby declare that I/We obtained/did not obtain A.U./licence for raw materials, components and consumables for both 1981-82 and 1982-83 licensing periods, and my/our case falls/does not fall under para 44 of chapter 6 of Import/Export Policy, 1983-84.

(4) I/We hereby declare that I/We obtained both automatic & supplementary licences for the period 1982-83, and during 1983-84 our requirements of imported inputs will be more than what we can get against automatic licence for 1983-84, but we shall not apply for supplementary licence for 1983-84 if the automatic licence for 1983-84 is issued to me/us for a c.i.f. value 20% higher than actual consumption vide

4. It should be noted that the applicant and the certifying

(5) I/We hereby declare that the level of our export performance falls under Sub-para 30(c) of the Import-Export Policy, 1983-84 and we have obtained export performance certificate from C.C.I. & E., New Delhi, a copy of which is enclosed

(Strike off declaration (4) and/or (5) if not applicable)

Signature of the applicant ....

Designation.................

Dated..........

Full address.................

....

CERTIFICATE BY THE CHARTERED ACCOUNTANT/ COST ACCOUNTANT COMPANY SECRETARY OR SPONSORING AUTHORITY

I/We have verified that the applicant unit has duly furnished to the D.G.T.D., Department of Electronics, Textile commissioner or other sponsoring authorities concerned, its production returns for the year 1982-83 and other prescribed returns/statments for the same year, as it was required to furnish under the provisions of Imports and Exports Control Rules, Industrial (Development and Regulation) Act. Textile Control order etc.

2. I/We do hereby certify that consumption as certified in the statement has been verified from the books maintained by M/s. .... and found the same as correct. I/We have also put my/our office seal and signature on the books from which the information has been verified.

3. I/We also certify that the applicant unit has been maintaining proper account of consumption in the prescribed form as indicated in the Hand Book of Import-Export Procedures, 1982-83.

4. I am not a partner, a Director or an employee of the applicant firm or its associates

5. I have been duly appointed for purpose by the Board of Directors of the Company or Management, as the case may be. (In the case of Chartered/Cost Accountant).

Signature and seal of

Chartered Accountant/Cost Accountant

Company Secretary/or Sponsoring Authority.

Name of the Sponsoring Authority........

Name of the signatory ....

Full Address ....

Membership No. ....

Date ....

SEAL

Note 1.—All the pages of statement should be signed and stamped by the Chartered Accountant/Cost Accountant/Company Secretary/Sponsoring Authority.

2. In respect of the imported material procured from authorised sources (other than those imported directly against licences issued to the applicant), the c.i.f. value to be given against column 3 of the statement will be assessed by the Chartered Accountant/Cost Accountant/Company Secretary/Sponsoring Authority in his own best judgement.

3. Applicant should also enclose a statement, duly signed in duplicate indicating the description of raw materials, components and spares with c.i.f. value imported under OGL during 1982-83.

4. It should be noted that the applicant and the certifying authority found responsible for any wrong information included in the statement will be liable to action under the law,

DECLARATIONS

I/We hereby declare that the statements made by me/us in the application are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We fully understand that any licence granted to me/us on the basis of the statement furnished is liable to cancellation or being made ineffective in addition to any other penalty that the Government may impose or any other action that may be taken having regard to the circumstances of the case if it is found that any of the statements or facts therein are incorrect or false

(Signature with full name)

Designation................

Relationship................

Full address ....

Place . ...

Date .. ..

NOTES

1. Consumption certificate need not be filled by proposed units, and departmentally run units in the public sector.

2. All the pages of the statement of consumption should be signed and stamped by the Chartered Accountant/Sponsoring Authority.

3. Consumption in column 3 of consumption certificate should be in respect of the financial year i.e. for April of the year to 31st March.

*4. (a) For the purpose of income tax declaration if an appeal has been filed against the levy of penalty and the appeal is pending before the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax or the Income-tax Appellate Tribunal, such penalty need not be taken note of for the purpose of this declaration.

(b) **The words "substantial interest" shall have the same meaning as in the explanation to Section 40(A)(2) of the Income-tax Act, 1961.

5. In the case of public sector undertakings, the statement may be certified by the Internal Auditor of the undertaking.

DOCUMENTS TO BE FURNISHED

(1) Application form should be in quadruplicate.

(2) Original Bank Receipt/Demand Draft for application fee to be enclosed.

(3) Consumption certificate should be duly certified by Chartered/Cost Accountant Company Secretary in Quadruplicate.

(4) Seven copies of list of items to be imported (except automatic licences). One copy should be certified by the sponsoring authority.

(5) Photostat Copy of Industrial Licence/Registration/Certificate/Drugs Manufacturing licence.

(6) Any other document required in terms of the policy.

FORM—B

APPLICATION FORM FOR D.G.S.&D./RAILWAY/DEFENCE CONTRACTS

1. [illegible]

(i) Full Postal Address.

(ii) Name of State.

2. Number and date of Bank receipt/Demand Draft showing payment of the requisite fees. (Bank receipt/Demand Draft in original to be attached.)

3. Licensing period in respect of which application is made.

4. Particulars of goods to be imported.

5. C.I.F. value of goods sought to be imported in rupees.

6. Country of shipment.

7. Where shipment is to be affected from a country different from the country in which the goods originated full statement of reasons for the same should be given.

8. General information to be furnished.

(a) Date of establishment of business in India.

(b) Nature of the concern whether Public or Private Ltd. or Partnership or Proprietory or Hindu Undivided Family concern.

(c) Names of Directors, Partners, Proprietor, Karta as the case may be.

(d) Details of branches or associated companies (names and locations)—

(i) In India.

(ii) Abroad.

9. Full details of the enclosures attached with the application (every copy of the documents should be marked as a true copy and signed beneath by the applicant).

I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We fully understand that any lincence granted to me/us on the basis of the statement furnished is liable to cancellation in addition to any other penalty that the Government may impose having regard to the circumstances of the cases, if it is found that any statements or facts therein and incorrect or false.

Signature ....

Name in Block Letters ....

Designation ....

Residential address ....

Date ....

PART II

FORM OF INCOME-TAX DECLARATION

A. *In cases of persons not having taxable income*

I/We hereby solemnly declare that I/We are not liable to pay any income-tax including advance tax as the income earned by me/us during the current accounting year and the last four accounting years has been below the maximum limit not chargeable to tax.

B. *In cases of persons having taxable income*

I/We hereby solemnly declare that—

(i) I/We have furnished to the Income-tax Department the return(s) of income due from me/us till date.

(ii) I/We have paid all takes including advances tax due from me/us under the Income tax Act other than the tax demand which has been stayed by the competent Authority.

(iii) I/We have not been penalised*/convicted for concealment of income/wealth during the last three calendar years.

(iv) (a) I/We hereby solemnly declare that the above declaration also applies in the case of companies in which I/We am/are having substantial interest** or the firms or associations of person in which I/We am/are partner or member respectively;

OR

(b) the above declaration is applicable in case of the person having substantial interest** in the applicant company or members of the applicant association or partner of the applicant firm.

Signature ....
Address ....
Place .... Permanent Account Number
Date .... Designation of the I.T.O. with whom assessed/assessable ....

*If an appeal has been filed against the levy of penalty and the appeal is pending before the Appllate Assistant Commissioner of Income-tax or the Income-tax Appellate Tribunal, such penalty need not be taken note of for the purposes of this declaration.

**The words "substantial interest" shall have the same meaning as in the explanation to section 40(A)(2) of the Income-tax Act, 1961.

Documents required :—

(1) Application form in triplicate.

(2) Bank Receipt/Demand Draft for requisite amount of application fee.

(3) Income-tax Declaration in triplicate.

(4) Seven copies of list of items to be imported.

(5) I.R. Certificate.

FORM (C)

FORM OF APPLICATION FOR IMPORT OF HORSES FOR BREEDING PURPOSES BY RECOGNISED STUD FARMS/INDIVIDUAL BREEDERS

PART I

A. Particulars of Applicant.

1. Name of the applicant.
2. Full Postal Address.
3. Address of location of Stud Farm.
4. Whether the stud farm has been recognised by and registered with the RWITC, the keeper of Indian Stud 'Book' or with the Ministry of Agriculture, Govt. of India, or with both if so a photostat copy each of the Registration Certificate to be enclosed.

B. Particulars of Application.

1. Bank receipt/Demand Draft No. and date (Receipt/ Draft to be attached in original).
2. Where shipment is to be effected from a country different from the country in which the goods originated, full statement of reasons for the same should be given.

C. General Information to be furnished.

1. Date of Establishment of business in India.
2. Nature of the concern, whether public company or private company, partnership or Hindu undivided family concern or proprietorship.
3. Name of the Directors, proprietor, partners or karta as the case may be.
4. Details of branches or associated companies (Names and Location).
   (i) In India.
   (ii) Abroad.
5. Has any application been already made by the applicant for goods covered by this application or for any other goods or for the same period in any category ? If so, give details.
6. Have any branch or associated companies mentioned in (4) or any of the gentlemen names in (3) applied for an import licence for import of the goods covered by this application or any other goods for the same period, if so, give details.

PART II

(To be filled in by the applicant for use by the sponsoring authority and the licensing authority).

1. Purpose for which the horses required.
2. Total Area of the Stud Farm.
3. Area under pastures.
4. Area under cultivation (Give acreage under different crops).
5. Area under building (Give details of buildings).
6. No. of animals available with the Breeding Stud Farm.

Description of Animals	Stud Farm's property Imported /India Bred	Belonging to other Imported/ India Bred	Name and address of the owner
(a) Stallions			
(b) Broodmares			
(c) Yearlings			
(d) Foals			
(e) Colts			
(f) Fillies			
Total...............................			

7. What is the animal and land ratio at the Stud Farm.
8. No. of houses produced annually during the last 3 financial year.
9. Actual production in the current financial year.
10. Estimated production in the current financial year
11. Total number and value of the horses sold during the last 3 years (Give yearwise figures).
12. Particulars of animals to be imported :—

Class	No. of animals	CIF value in Rs.	Country from which effected	Remarks
1	2	3	4	5

13. Particulars of licences CCPs issued and imports effected during the last 5 years period.

Licensing period	No. and date and value of licence/CCP issued	CIF value of animals imported and date of import	Description of animals	Country from where imported	Age	Whether the imported animals retired in stud, if so, give details of period	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8

14. Whether the imported animals have participated in races. If so, give details thereof, including Stack money won.
15. Has any other individual any financial interest in the Stud Farm or in the breeding stock intended to be imported, if so, give details.
16. The address at which the intended imported stock now applied for will be kept. Location of the stock will not be changed, without the written permission of the CCI&E.
17. Whether records of horses imported earlier are being maintained.

DECLARATION

(1) I/We hereby declare that if this licence is granted, the horses will be utilized for the purpose for which they are being imported and the animals will not be sold or permitted to be used by any other party, under any circumstances.

(2) I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

(3) I/We fully understand that any licence granted to me/us on the basis of statement furnished is liable to cancellation, in addition to any other penalty that the Government may impose or any other action that may be taken, having regard to the circumstances of the case, if it is found that any of the statements of facts therein are incorrect or false.

(4) I/We hereby declare that I/We shall have no objection to the inspection of our farm by any Officer(s) of the State Deptt. of Animal Husbandry or of the Govt. of India.

Signature....................

Name in Block Letters ....

Designation....................

Residential Address............

Date................

"Certified that the statements made by the applicant have been verified and found correct. The import of horses applied for is hereby recommended.

Signature....................

Name in Block Letters........

Designation.................

Director of Aanimal Husbandry and Veterinary Services."

PART III

INCOME-TAX DECLARATION

A. *In cases of persons not having taxable income*

I/We hereby solemnly declare that I/We are not liable to pay any income-tax including advance tax as the income earned by me/us during the current accounting year and the last four accounting years has been below the maximum limits not chargeable to tax.

B. *In case of persons having taxable income*

I/We hereby solemnly declare that :—

(i) I/We have furnished to the Income-tax Department the return(s) of income due from me/us till date.

(ii) I/We have paid all taxes including advance tax due from me/us under the income-tax Act other than the tax demand which has been stayed by the competent authority.

(iii) I/We have not been penalised*/convicted for concealment of income/wealth during the last three calendar years.

(iv) (a) I/We hereby solemnly declare that the above declaration also applies in the case of companies in which I/We am/are having substantial interest** or the firms or associations of persons in which I/We am/are partner or member respectively;

OR

(b) the above declaration is applicable in case of the persons having substantial interest** in the applicant company or members of the applicant association or partner of the applicant firm.

Signature....................

Address....................

Permanent Account Number

Designation of the I.T.O. with whom assesed/assessable

Place............

Date............

*If an appeal has been filed against the levy of penalty and the appeal is pending before the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax or the Income-tax Appellate Tribunal, such penalty need not be taken note of for the purposes of this declaration.

**The words "substantial interest" shall have the same meaning as in the explanation to section 40(a)(2) of the Income-tax Act, 1961.

Documents required :—

(1) Application form in triplicate.

(2) Bank receipt/Demand Draft for requisite amount of application fee.

(3) Income-tax Declaration in triplicate.

FORM-D

IMPORT APPLICATION FOR 'EMERGENCY' SPARES

PART I

A. Particulars of applicant :

1. Name of Applicant .

2. Full Postal Address .

3. Address of location factory . . .

4. Goods manufactured .

B. *Particulars of application :*

1. Bank Receipt/Demand Draft No. and date (Bank receipt/Demand Draft to be attached in original) . . .

2. Description of the machinery for which spares are required and c.i.f. value of spares to be imported along with the list of spares . . . .

3. Value of the machinery for which spares are to be required .

4. Country from which spares applied for are to be imported . .

5. Country from which the original equipment was imported .

6. Where shipment is to be effected from a country different from the country in which the goods originated full statement of reasons for the same should be given . . .

C. General information to be furnished.

1. Are you borne on the books of the D.G.T..D. and if so indicate the factory number allotted by D.G.T.D. (Photocopy/ Attested copy to be attached)

2. Registration No. allotted by the Sponsoring authority concerned (Photostet/Attested copy to be attached)

3. Value of emergency spares licence, if any obtained or applied for already in respect of the same machinery during the same licensing period in which the present application has been made . . .

4. Nature of the concern whether Public company or Private Company partnership or Hindu Undivided Family concern . .

5. Name of Directors, Partners, Proprietor or Karta as the case may be . . . . .

6. Details of branches or associated companies (name and location)

(i) In India . . .

(ii) Abroad . . .

(1) I/We hereby declare that if this licence is granted, the goods will be utilised only in our factory and that no portion thereof will be sold or permitted to be used by any party.

(2) I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We fully understand that the licence granted to me/us on the basis of the statement furnished is liable to concellation, in addition to any other penalty that the Government may impose or any action that may be taken having regard to the circumstances of the case if it is found that any of the statements of facts therein are incorrect or false.

Date................

Signature................

Name in Block Letters......

Designation..................

Residential Address............

Notes : (i) This form is intended for applications made by actual users for the grant of emergency licences for import of spare parts.

(ii) Apart from the details provided for in this form, proper justification for the import of spares on a most immediate basis should be given in the letter forwarding the application.

(iii) The application should be signed by the Chief Executive of the concern i.e. Chairman Managing Director/Executive Director/Managing partners as the case may be. The application and the list of spares shauld be signed and stamped by the official seal of the applicant.

PART II

INCOME-TAX DECLARATION

A. *In cases of persons not having taxable income*

I/We hereby solemnly declare that I/We are not liabye to pay any income-tax including advance tax as the income earned by me/us during the current accounting year and the last four accounting years has been below the maximum limit not chargeable to tax.

B. *In cases of persons having taxable income*

I/We hereby solemnly declare that :—

(i) I/We have furnished to the Income-tax Department the return(s) of income due from me/us till date.

(ii) I/We have paid all taxes including advance tax due from me/us under the Income-tax Act than the tax demand which has been stayed by the competent authority.

(iii) I/We have not been penalised/convicted for concealment of income/wealth during the last three calendar years.

(iv) (a) I/We hereby solemnly declare that the above declaration also applies in the case of companies in which I/We am/are having substantial interest**or the firms or associations of persons in which I/We am/are partner or member respectively.

OR

(b) the above declaration is applicable in case of the persons having substantial interest in the applicant company or members of the applicant association or partners of the applicant firm.

Signature ....
Address ....
Permanent Account Number......
....
Designation of the I.T.O. with whom assessed/assessable :

Place ....
Date ....

*If an appeal has been filed against the levy of penalty and the appeal is pending before the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax or the Income-tax Appellate Tribunals such penalty need not be taken note of for the purposes of the declaration.

**The words "substantial interest" shall have the same meaning as in the explanation to section 40(A)(2) of the Income Tax Act, 1961.

List of enclosures :—

FORM 'E' (CG)

IMPORT LICENCE APPLICATION FOR CAPITAL GOODS AND HEAVY ELECTRICAL PLANTS

(Five copies to be submitted)

Part I

NOTE

1. Applicants are advised to read the licensing instructions for the current period as mentioned in Hand Book of Import-Export Procedures and Import Policy before filling up the application form. The application should be legible and complete in all respects to avoid correspondence/delay and rejection.
2. The application should be signed by the authorised representative of the company.
3. Documentary evidence and supporting documents asked for and applicable must accompany this application.

---

1. PARTICULARS OF APPLICANT

1·1. Name . . .

1·2. Registered Address

1·3. Postal address for correspondence

1·4. Sponsoring authority

1·5. Administrative Ministry.

2. NATURE OF CONCERN

2·1. Proprietory/Parntership/Private Ltd./Public Ltd.

2·2. Whether the undertaking is Registered under the MRTP Act. . .

2·3. In case of Limited Companies, details of capital structure : .
(i) Capital structure

(ii) Authorised issued and subscribed capital

(iii) Foreign sharehold-ing, if any, and percentage, thereof with full particulars. .

2·4. Names and addresses of the proprietors/partners/Directors .

3. PARTICULARS OF THE INDUSTRIAL UNIT

3·1 (a) Name and location of the unit
Tehsil
District
State.

(b) Whether the Tehsil/District is a notified backward area eligible for investment subsidy from the Government

APPENDIX 11—*Contd*

or eligible for concessional finance, if so, the following further details may be furnished. . .

(i) Notified backward area/district in an industrially backward State/Union/Territory.

(ii) Notified backward area/district in an industrially forward State/Union Territory.

(iii) Non-backward area/district in an industrially backward/State/Union Territory

(c) whether the proposed location falls :

(i) within the standard urban area limit, as determined in the Census of India, 1971, of a city having a population of more than 1 million; or

(ii) within the municipal limit of a city of population of more than 0 5 million as determined in the Census of India, 1971.

(d) In cases the proposed location is not in a notified backward area, whether the entrepreneur is prepared to locate the activity in a notified backward area; if so, his order of preference, should be indicated.

(e) whether the proposed location falls within the 'No industry districts' as listed in the Press Note No 10/1/82-LP dated 27-2-82 issued by Department of Industrial Development and, if not whether the enterpreneur is prepared to locate the activity in a 'No industry district'

3.2. Whether an industrial licence or a letter of intent has been issued under the Industries (Development and Regulation) Act 1951 . . . . .

3·3. (a) If exempt from licensing, furnish details of registration No. and date with State Director of Industries/DGTD/Textile Commissioner/Jute Commissioner/Iron and Steel Controller/other Sponsoring authority . . .

(b) If you propose to apply for registration with DGTD/Textile Commissioner/Jute Commissioner/Iron and Steel Controller/other sponsoring authority, furnish the following information :

(i) Item of manufacture

(ii) Annual capacity proposed

(iii) Is the proposed investment for a new undertaking or for manufacture of new articles or for expansion in the existing undertaking.

(iv) Annual Production

(a) Quantity

(b) Ex-factory value.

3 4. If the applicant is a small scale unit, whether it will continue to remain so after the proposed import. . . . .

3.5. Whether approval/licence granted by the Government and/or the foreign collaboration approval contain any condition of export ? If so, furnish details. . .

3.6. Whether foreign collaboration, financial and or technical is involved and, if so, whether it has been approved . .

3.7. Manufacturing capacity per annum . . .

Item of manufacture	*licenced capacity (existing)*	*Licenced capacity (approved)*	*Capacity covered by CG. application on maximum utilisation.*

3 8. Book value of production for the last three years or since commencement of production . . .

3·9. Whether the article proposed to be manufactured are being imported. If so, furnish if possible the average value of imports (c.i.f.) . .

3 10. Whether the articles proposed to be manufacture can be exported, If so whether the applicant can undertake an export obligation and the extent of such obligaton in terms of the peronetage and value of products . .

4. INVESTMENT

4·1. Total investment (in land and building and machinery	(Existing)	(Proposed)
Land and building . .		
Machinery . . .		
Total		

4·2. Value of imported plant and equipment . .

Existing . . .

Proposed . . .

Total . . . .

4.3. Does the value of equipment proposed to be imported exceed the estimated value of imported equipment as indicated in the application for Letter of Intent/Industrial Licence . . .

4.4. If the answer to 4·3 is in the affirmative, indicate the percentage and extent of increase and reasons therefor . . .

5. REQUIREMENTS OF RAW MATERIALS COMPONENTS

A. Raw materials.

Imported

Name of raw material(s)	Quantity	Value (Rs.)

Indigenous

Name of raw material(s)	Quantity	Value (Rs.)

B. Components

Imported

Name of the components	Quantity	Value (Rs.)

Indigenous

Name of the components	Quantity	Value (Rs.)

(2) (a) Volume of exports and its FOB value : .

(b) What will be the gestation period which you consider necessary for achieving export targets. . . .

(c) Whether you have been engaged in the business of exports or manufacture for export and if so indicte the items of export alongwith their FOB value during the last 3 years. .

(3) What would be minimum percetage of value addition which you will achieve on the authorised production of the undertaking (Domestically procured raw materials shall be treated as imports for computation of value added).

(4) Effect on balance of payments for the first 5 years . . .

(a) Foreign exchange earnings based on f.o.b. value of exports covered by export obligation.

(b) Foreign exchange outgo on :—

(i) import of machinery and equipment.

(ii) imports of raw materials and components.

(iii) repatriation of dividends and profits to foreign collaborators. .

(iv) other payments to collaborators by way of lump-sum, royalty, technical know-how fee, etc.

(c) Net foreign exchange outgo or inflow (a) minus (b) : . .

5·2. Requirements of imported components per annum for 5·1

years	Item	Qty.	Value (CIF)
1st Year . . .			
2nd Year . . .			
3rd year . . .			
4th year . . .			
5th year . . .			

6. PURPOSE OF IMPORT

6·1. Whether the Capital goods applied for the purpose of . . .

(i) New undertaking .

(ii) New article diversification . .

(iii) Substantial expansion

(iv) Balancing . . .

(v) Replacement .

(vi) Modernisation .

(vii) Testing . . .

(viii) Quality Control .

(ix) Prototype for manufacture. . .

(x) Research and Development . .

6·2. If the import is for balancing/replacement modernisation whether it will result in an increase to licensed, approved capacity. . .

6·3. In case of import of machines for replacement

(i) Date of installation of original machines

(ii) Arrangements for the disposal of old machines . . .

(iii) Furnish details of the efforts made for procuring the machine-in question, from indigenous manufacturers indicating the name of the manufactures contected for the purpose and the resul these of.

7. MANNER OF FINANCING IMPORTS

7·1. Foreign equity. If so, furnish full details of financial participation approved amount utilised and the balance available . . .

7·2 Investment by non-resident Indian Nationals

APPENDIX 11—(*Contd.*)

7·3. Supplier credit .

7·4. Private foreign exchange loan . . . .

7·5. Borowing from IFC, ICICI/State Financial Corporations . .

8. DETAILS OF CAPITAL GOODS APPLIED FOR

8·1. Whether it is machinery, machine tools or heavy electrical plant .

8·2. Description ITC No. Quantity FOB value in Rs. Country of origin

Total FOB Value Rs.

8·3. Value of initial spares (FOB Rs.) . . .

8·4. Estimated freight (Rs.)

8·5. Insurance (Rs.) . .

8·6. (*i*) Total c.i.f. values (8·2+8·3+8·4+8·5) in Rs. . . .

(*ii*) In Foreign Exchange

(*iii*) Rate of exchange used in coversion of Rs. into foreign exchange . .

8·7. Agents) Commission or procurement fee if any payable in foreign exchange . . .

8·7A. Erection charges if any payable in foreign exchange . .

8·8. Condition of machinery whether new, secondhand or reconditioned . .

8·9. Details of connected import CG licences already received/applied for procured from PEC/other sources licences No.; Date Value source of financing, sources of Import . .

10. Whether any further imports of capital goods are envisaged for the project in addition to the items covered in the present application . . .

SPECIFIC INFORMATION ON IMPORT LICENCES TO BE ISSUED

9·1. Validity period required for the import licence

9·2 Endorsement to avail of consessional rate of duty under ICT-72-A as project Imports required.

10. DETAILS OF SUPPORTING DOCUMENTS INFORMATION

10·1. Original bank Receipt/Demand Draft . No...........Date...... Value Rs..............	☐Enclosed
10·2. Photostat/attested copy of Industrial Licence/ Letter of intent, Registration Certificate from Sponsoring authority .	☐Enclosed
10·3. Proforma invoice/other documentary evidence in duplicate in support of goods indicating date of invoice and its validity	☐Enclosed
10·4. Copies of Literature/ Pamphlets /Specifications giving complete details of goods to be imported	☐Enclosed ☐Not applicable.
10·5. Copy of each advertisement in ITJ ESB Volume Date........	☐Enclosed
10·6. Tabular statement of Responses received against advertisement/ enquiries . . .	☐Enclosed
10·7. Original Certificate, from Small Industries Services Institute, certifying essentiality for replacement of machinery in case of Small Scale industires only . .	☐Enclosed
10·8. Chartered Engineers' Certificate in original regarding present condition of Machinery/Equipment to be replaced .	☐Enclosed ☐Not applicable
10·9. If secondhand reconditioned machinery is to be imported a certificate certifying machinery's age present condition original and present value and probable unexpired life from the chartered engineer . . .	☐Enclosed
10·10. Photostat/attested copy of Registration certificate in case of Research and Development Institute/ Laboratory registered with the Administrative Ministry . . .	☐Enclosed ☐Not applicable
10·11. Proforma regarding import of Prototype as per Appendix-29 of ITCH and Book of Import Export Procedure 198-384 ·	
10·12. Copies of Correspondence, if any, regarding efforts made to import machinery from Rupee Payment Area . .	

APPENDIX II—*contd.*

10·13. Attested Photostat copies of enquiries made to foreign suppliers and their replies where efforts have been made to obtain Blue Prints/Drawing of equipments of machinery sought to be imported . ☐ Enclosed ☐ Not applicable

10·14. Documentary evidence showing Government approval for . . .

(*i*) Foreign Collaboration . . . ☐ Enclosed ☐ Not applicable.

(*ii*) Copies of Reserve Bank of India Certificate regarding balance available against foreign equity capital in cash . . ☐ Enclosed ☐ Not applicable

10·15. (i) Attested / Photostat copy of terms and conditions of private credit arranged . ☐ Enclosed ☐ Not applicable

(*ii*) Statement showing countries of import preferences in case of Bilateral / Free Foreigh Exchange . ☐ Enclosed ☐ Not applicable

'E' (CG) FORM APPLICATION (PART II)

(To be submitted along with five copies of application in 'E' (CG) form for import of Capital Goods by Exporter Manufacturers)

1. Name and full address of the exporter/manufacturer .

2. Nomenclature of products manufactured indicating the products being exported .

3. Quantity and value of production of each of the products manufactured in the 1st three financial years till to date (in computing the value of production please give both the internal sale value as well as the f.o.b. export value) . . .

Quantity and f.o.b. value of export product-wise for the period as at (3) above (including also the countries to which exported. A statement of export in terms of quantity and f.o.b. value made certified by the concerned Export Promotion Council/Commodity Boards should be enclosed) . .

5. Increase in future exports as a result of the installation of capital goods sought for import over the next five years both in terms of quantity and value . . .

6. Whether any export obligation was imposed in the letter of intent or industrial licence, if so, furnish details

7. Whether present application is connected with any foreign collaboration, if so, whether any export obligation was imposed in the Foreign Collaboration approval . . . .

8. Whether you have any unfulfilled export obligation, if so, details should be furnished . . . .

9. Whether you are prepared toundertake an export obligation, if so, the extent of such obligation in terms of the percentage and value of production . . .

10. Whether you have made any application to DGTD/CCI & E/Office of Development Commissioner, Small Scale Industries etc. for import of Capital Goods during the last 12 months, if so, give details of capital goods applied for, Capital goods cleared for importby Government, theirvalue, source of finance and whether imports effected In case any application for import of capital goods has been submitted against your export performance, please give details thereof . . . .

(1) I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

(2) I/We hereby declare that the goods for import of which the application has been made shall be used only for the manufacturer of....................(Name of end-products) and for the capicity licensed under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 or approved by Government.

(3) I/We hereby declare that the machinery to be imported shall not add to the capacity beyond the capacity approved under Industrial Licence/Registration No.............

(4) I/We hereby declare that items required for modernisation, quality control equipment etc. shall not add to the capacity beyond the approved capacity and I/We shall not undertaken any manufacturing facilities for items reserved for small-scale sector.

(5) I/We hereby declare that the new capacity will not in violation of the policy of restriction placed the establishment of industries in the classified urban areas.

Signature........................

Name in Block Letters..........

Residential Address.............

Designation ....

Date ....

PART III

INCOME TAX DECLARATION

A. *In case of persons not having taxable income*

I/We hereby solemnly declare that I/We are not liable to pay any income-tax including advance tax as the income earned by me/us during the current accounting year and the last four accounting years has been below the maximum limit not chargeable to tax.

B. *In cases of persons having taxable income*

I/We hereby solemnly declare that :—

(*i*) I/We have furnished of the Income-tax Department the return(s) of income due from me/us till date.

(*ii*) I/We have paid all taxes including advance tax due from me/us under the Income-tax Act other than tax demand which has been stayed by the competent authortiy.

(*iii*) I/We have not been penalised*/convicted for concealment of income/wealth during the last three calendar years.

(i) **(a) I/We hereby solemnly declare that the above declaration also applies in the case of companies in which I/We am/are having substantial interest** or the firms or association of persons in which I/We am/are partner or member respectively;

OR

The above declaration is applicable in case of the persons having substantial interest** in the applicant company or members of the applicant association or partner of the applicant firm.

Signature......................

Address......................

....

....

Place......................

Date......................

Permanent Account Number ....

Designation of the I.T.O. with whom assessed/assessable......

....

*If an appeal has been filed against the levy of penalty and the appeal is pending before the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax or the Income-tax Appellate Tribunal, such penalty need not be taken note of for the purposes of this declaration.

**The words "substantial interest" shall have the same meaning as in the explanation to Section 40(A)(2) of the Income-tax Act 1961.

63—2 Commerce/83

FORM F

FORM OF APPLICATION FOR REVALIDATION OF LICENCE

1. Name and full address of the Licence . . .
2. Licence No., date and Value
3. File No. of the licensing authority from which the licence was issued . .
4. Description of goods .
5. Value for which irrevocable-commitment has been made during the initial period of validity including period of revalidation already availed of, if any (supporting documentary evidence should be furnished) . . .
6. Value for which goods have been shipped during the initial period of validity including period of revalidation already availed of, if any . . .
7. Balance value of commitments against which shipments have yet to be made Details of L.C.
8. Whether first or second or subsequent request for revalidation (in the case of second or subsequent requests the period of revalidation availed of earlier should be indicated) . .
9. Reasons for seeking revalidation (supporting documents to be furnished)
10. Period of revalidation applied for . . . .
11. List of enclosures . .

Note :—Bank Receipt/ Demand Draft for Rs. 50/- must be enclosed.

DECLARATION

I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We fully understand that any revalidation granted to me/us on the basis of the statement furnished is liable to cancellation or being made ineffective in addition to any other penalty that the Government may impose or any other action that may be taken having regard to the circumstances of the case if it is found that any of the statements of facts therein are incorrect or false.

....

(Signature with full name).. ...

Designation..................

Relationship...................

Full Address................

Place......................

....

Date . . . .

....

FORM-CG (NRI)

FORM OF APPLICATION FOR IMPORT OF CAPITAL GOODS BY NON-RESIDENT INDIAN UNDER THE SPECIAL FACILITIES

(Five copies to be submitted)

1. PARTICULARS OF APPLICANT

1·1. Name . . . .

1·2. Address in the country of residence . . .

1·3. Present Nationality .

1·4. Address in India if any .

1·5. Postal address for correspondence . . .

1·6. Whether Intending to return to India for settlement. If so, the approximate date by which proposes to return to India . . .

2. NATURE OF THE PROPOSED CONCERN

2·1. Proprietary/Partnership/ Private Ltd./Public Ltd. .

2·2. In case of limited company, details of capital structure:
(Rs. lakhs)
Authorised . .
Issued . .
Subscribed . .

2·3. Name and address of the proprietors/Partners/ Directors — Non-resident Indians — Resident Indians

3. PARTICULARS OF THE PROPOSED INDUSTRIAL UNIT

3·1. Name and location of the proposed unit:

(i) Name . . .

(ii) Location: . .
Place . . .
District . . .
State . . .

3·2. (i) Have you applied to the appropriate authority for the registration of the unit .

(ii) If yes, to whom applied

(iii) If not, when do you propose to do so .

3·3. Proposed item of manufacture and annual capacity.

Item(s) Manufactured	Proposed capacity per annum	
	Quantity	Value (Rs. lakhs)
(1)		
(2)		
(3)		

3·4. Estimated requirement of imported raw materials and components per annum.

Year	Item	Quantity	Value
1st Year			
2nd Year			
3rd Year			
4th Year			
5th Year			

3.5. Phased manufacturing programme for import substitution. Furnish details for 5 years.

Year	Item of Manufacture	Annual Production		Percentage of c.i.f. value of imported content (i.e. total of all imported raw material & components)
		Quantity	Ex-factory Value (Rs. lakhs)	
1	2	3	4	5
1st Year				
(i)				
(ii)				
(iii)				
(iv)				
2nd Year				
(i)				
(ii)				
(iii)				
(iv)				
3rd Year etc.				

3·6. Whether the articles proposed to be manufactured can be exported. If yes, can you undertake an export obligation in terms of the percentage and value of production .

3·7. Staff and labour proposed to be employed in the Unit:

(a) Managerial . .

(b) Supervisory . .
(i) Technical . .
(ii) Non-Technical .

(c) Clerical

(d) Labour: . .
(i) Skilled . .
(ii) Semi-skilled . .
(iii) Un-skilled . .
(iv) Total . . .

4. INVESTMENT

4·1. Total investment (in land, building and machinery)
Proposed Investment in Rs.
(i) Land and building .
(ii) Machinery .
(iii) Total . . .

4·2. Non-Resident Indian Investment in the form of—
(i) Financing the import of Capital Goods . .
(ii) Cash remittances .
(iii) Total . .

5. DETAILS OF CAPITAL GOODS APPLIED FOR

5·1. Description	Quantity	FOB Value in Rs.	Country of Origin
(1)			
(2)			
(3)			
Total FOB Rs. Value			

5·2. Value of initial spares (FOB) (Rs.)

5·3. Estimated freight . . (Rs.)

5·4. Insurance . . . (Rs.)

(i) Total C.I.F. Value (5.1+5·2+5·3+5·4) in Rs. . .

(ii) In Foreign Exchange

(iii) Rates of exchange and conversion of Rs. into foreign exchange

5·5. Condition of machinery : whether new second hand or reconditioned. .

5·6. Whether any further import of capital goods are envisaged for the project in addition to the items covered in the present application. .

SPECIFIC INFORMATION FOR USE ON IMPORT LICENCE(S) TO BE ISSUED.

6·1. Port of Registration for clearance of goods .

6·2. Validity period required for the import licence.

6·3. Endorsement to avail concessional rate of duty as "PROJECT IMPORTS" required.

7. DETAILS OF SUPPORTING DOCUMENTS/INFORMATION.

7·1. Original Bank Demand Draft in respect of payment of fees.

No.———Date——— Enclosed

Value Rs———————

7·2. Seven copies of the detailed list of capital goods with a break up of the individual c.i.f. value of each major item. Enclosed.

7·3. The attested or photostat copy of the proforma invoice/other documentary evidence in quadruplicate in support of value of goods showing separately the amount(s) of (i) freight, (ii) insurance included in the c.i.f. value (s).

7·4. Copies of Literature/Pamphlets/Specifications giving complete details of goods to be imported. Enclosed.

7·5. If second hand/reconditioned machinery is to be imported a certificate certifying machinery's age, present condition, original and present conditon, original probable unexpired life from the Chartered Engineer.

.e proposed item of manufacture required foreign collaboration. . Enclosed

(i) Documentary evidence showing Government approval for foreign collaboration if already obtained. . Not applicable.

(ii) Application for Foreign Collaboration . Not applicable.

DECLARATIONS

1. I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

2. I/We hereby declare that the goods for import of which the application has been made shall be used only for the manufacture of.................... (Name of end products.)

3. I/We declare that neither the foreign exchange earning brought in the form of plant and machinery, raw materials/components or otherwise invested nor the profits earned on these investments would be repatriated out of the country

4. I/We shall get the unit registered with the concerned authorities within one year from the date of issue of CCP.

5. I/We shall not sell the imported machinery for a period of five years.

6. The machinery shall be used in the industrial unit proposed to be set up and for the purpose for which the import is allowed.

7. I/We shall return to India for permanent settlement within a period of.............................

8. I/We do not intend to return to India immediately.

Strike out whichever is not relevant.

Place : Signature

Name

Designation.

NOTE

A. *Industrial Licence*

(1) An industrial licence would be required :

(i) If the total investment in the proposed unit in the form of fixed assets in land, building, plant, and machinery exceeds Rs. 30 million;

(ii) If the annual requirement of foreign exchange for the import of raw-materials other than steel and aluminium and components exceeds 10% of the ex-factory value of annual production or Rs. 25 lakhs which ever is less;

(iii) if the annual requirement of foreign exchange for the import of part and components is in excess of 10% of ex-factory value of annual production or Rs. 15 lakh whichever is less in any year after 3 years of the commencement of production;

(iv) if the proposed investment is in any one of the following industries;

Coal; Textiles (including those dyed, printed in otherwise processed) manufactured, produced or processed on powerlooms; Milk Foods; Malted foods; Roller flour milling; Oil seeds crushing; Vanaspati; Leather Matches; Distillation or brewing of alcoholic drinks. All qualities of steel from electric furnace based on scrap; Iron and steel pipes and tubes and stainless tubes; Brights bars; Tin containers and metal containers Drum and Barrels; Wires of mild steel; special and alloy steel coated and uncoated; Re-rolling of steel including manufacture of hot rolled bars/rods and sections using billets or re-rollable scrap as raw material and also cold rolled steelstrips and box strappings; Non ferrous semis, alloys, flat products and extrusion including aluminium semis; Plastic processed goods, Industrial bases; Steel forgings AAC/AGSR conductors and Formaldehyde;

(v) if the item of manufacture is reserved for the small scale sector (Small Scale Units are undertakings in which total investment in fixed assets in plant and machinery does not exceed Rs. 1 million or Rs. 1.5 million if they are ancillary units). The number of items which are reserved for the small-scale sector is 807. The list of these items can be obtained from the office of the Development Commissioner. Small Scale Industries, Nirman Bhawan, New Delhi. Director of Industries in various states or the Indian Investment Centre, "Jeevan Vihar" Sansad Marg, New Delhi or its branch offices in India and abroad

(2) Applications for an industrial licence should be submitted in the IIL Form to the Secretariat for Industrial Approvals, Ministry of Industry, Udyog Bhavan, New Delhi.

(3) The Government have decided that no more licences would be issued for setting up new industrial units within certain limit of large metropolitan cities having a population of more than one million and Urban areas with a population of more than 0.5 million as per the 1981 census.

B. *Foreign Collaboration*

(1) Non resident Indians who want to set up an industrial unit with foreign collaboration can do so only after obtaining the approval from the Government of India. A separate application in Form FC has to be submitted to Secretariat for Industrial Approvals (Foreign Collaboration Unit) Ministry of Industry, Udyog Bhavan, New Delhi.

(2) If the item of manufactures also requires an industrial licence as per the criteria given above they should submit composite applications both for an industrial licence as well as foreign collaboration so that both these can be disposed of simultaneously.

APPENDIX 11—(*contd.*)

FORM—G—I

(APPLICATIONS FOR C.C.Ps. (FOR FIRE ARM)

1. Name of applicant.
2. Full address of the applicant.
3. Items for which CCP is required.
4. C.I.F. value of the fire arm.
5. Relationship of the Donor with the applicant.
6. Occassion for the gift.
7. Name, address and occupation of the donor abroad.
8. Nationality of the donor.
9. Period of stay abroad of the donor.
10. Value of gift(s) received by the applicant during the course of year and details of CCPs issued/and applied for by him during the current financial year.

DECLARATION

I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We fully understand that any CCP/Licence granted to me/us on the basis of the statement furnished is liable to cancellation, being made ineffective in addition to any other penalty that the Government may impose or any other action that may be taken having regard to the circumstances of the case if it is found that any of the statements or facts therein are incorrect or false.

....
(Signature with full name)
Designation...... ....
Relationship...... ....
Full Address...... ......
....
....

Place ....
Date ....

Documents required :

(1) Donor's letter, in original.

(2) An affidavit, on a stamp paper of the appropriate value, duly sworn in before a Magistrate or a Notary Public, (a) showing the exact relationship of the donor with the applicant, (b) declaring that he/she had not imported a firearm, namely revolver, pistol, rifle etc. either as gift or otherwise in preceding 10 years and (c) undertaking that the firearm covered by the CCP, if issued in his/her favour, shall not be sold, or otherwise disposed of or parted with, within a period of five years from the date of its importation, without obtaining the specific permission of the Chief Controller of Imports and Exports. in writting;

(3) An affidavit from the donor indicating the period of his/her continuous stay abroad and giving particulars of his/her passport and dates and period of his/her last visit to India; and

(4) Valid arms licence issued by the appropriate licensing authority in India.

APPENDIX 11—*contd.*

FORM—G II

APPLICATION FOR C.C.Ps. (OTHTR THAN FIRE ARM)

1. Name of applicant.
2. Full address of the applicant.
3. Detailed description of the items of import, (with printed Catalogue etc.).
4. C.I.F. value of the gift(s) in Indian Rupees. (Proforma Invoice to be submitted, in original).
5. Whether any foreign exchange is required for insurance and freight? If so, the amount thereof in Indian Rupees.
6. Relationship/connection of the Donor/donating agency, with the applicant.
7. Purpose of the gift.
8. Name, Nationality, address and occupation of the donor abroad.
9. Donor's letter (in original).
10. Value of gift(s) received by the applicant during the course of year and details of the CCPs issued/and applied for by him during the current financial year.
11. In the case of Institution, Trust, Association and Societies etc.

Please state :

(i) Whether the Institution etc. is registered with any Govt. authority, and if so, a properly authenticated copy of the registration/recognition certificate may be furnished.

(ii) The names and addresses of the Directors/Governors etc. (as the case may be) may be mentioned.

12. Is it for free distribution without consideration of caste, colour and race or is it only for use by the instituion/trust etc? A brief write up of Social Welfare work, if any, done already by the applicant may be submitted. [Recommendations of concerned State Govt. Department (in original) if the c.i.f. value of the items of gift/donation exceeds rupees one lakh]

DECLARATION

I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We fully understand that any CCP/Licence granted to me/us on the basis of the statement furnished is liable to cancellation, being made ineffective in addition to any other penalty that the Government may impose or any other action that may be taken having regard to the circumstances of the case if it is found that any of the statement of facts therein are incorrect or false.

1.... ....

(Signature with full name)

Designation...... ....

Relationship...... ....

Full Address...... ......

....

....

Place ....

Date ....

Documents required :—

(1) Donor's letter (in original).

(2) Printed Catalogue/leaflets of items, proforma invoice.

(3) State Govt. recommendations (where necessary).

(4) Affidavit of the donor duly attested by Magistrate/Notary Public or a certificate from his employer that the gift is out of the foreign exchange earnings of the donor, if he value of the gift(s) is more than Rs. 2,000/-.

APPENDIX II—*contd.*

FORM H

Form of application for import of goods by Hospitals/ Educational Institutions including Medical Colleges

PART I

(To be filled in by the applicant for use in the licensing office)

A. Particulars of Applicant :

1. Name of the Hospital/Educational Institution.

2. Full Postal address :—

(i) House/Shop No.

(ii) Name of Street/road.

(iii) Name of locality and city.

(iv) Name of State.

3. Telepgraphic address.

B. Particulars of application :

1. Bank Receipt/Demand Draft No. and date (Bank Receipt/Demand Draft to be attached in original).

2. Whether the Hospital/Educational Institutions manamade.

3. Where shipment is to be effected from a country different from the country in which the goods originated, full statement of reasons for the same should be given.

C. General Information to be furnished :

1. Date of establishment.

2. Whether the Hospital/Educational Institutions managed by Government or some Corporation/Municipality etc. or Charitable Institutions (to be named) : and if managed by Govt. whether it is managed by the Central or State Government.

3. Number of wards and beds in each ward.

4. Particulars of grants, if any received from the Central/ State Government or any other body (to be named).

5. An inventory of the major equipment and apparatus available with the applicant (Lists to be attached).

6. Whether the equipment proposed to be imported is new, complete or a major replacement.

7. The department/course/subject etc or other purpose, if any, for which the stores covered by the application are required.

8. The numbers of students on rolls.

9. The Post-graduate course conducted.

10 The number of students undergoing each Post-graduate course.

11. Number of research workers on roll.

12 Subject on which research is conducted.

13. Full details of the enclosure attached with the application (every copy of the document should be marked as a true copy and signed beneath by the applicant).

PART II

(To be filled in by he applicant for use by the sponsoring authority and the licensing authority)

1. Justification and need for the equipment proposed to be imported and type of work for which the equipment will be used.

2. Details of similar existing equipment, if available, their detail of purchase, cost and present condition may be indicated.

3. Particulars of goods to be imported—

I.T.C. S. No.	ITEM	QUANTITY/ NUMBER	VALUE (C.I.F.)

4. Details of Import licences obtaind during the last three licensing periods :—

Licensing Period	Licence No. & date	C.I.F. Value	Description of goods	Import effected and utilisation
(1)				
(2)				
(3)				

(1) I/We hereby declare that if this licence is granted the goods will be utilised only in my/our Hospital Educational Institution and that no portion thereof will be sold to or permitted to be used by any other party.

(2) I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

I/We fully understand that any licence granted to me/ us on the basis of the statements furnished is liable to cancellation, in addition to any other penalty that the Government may impose or any other action that may be taken having regard to the circumstances of the case if it is found that any of the statements of facts therein are incorrect or false.

Signature ....

Name in Block letters ......

Designation ....

Date ....

Residential Address ....

PART III

(To be filled in by the sponsoring authority in duplicate)

1. Particulars of goods recommended :—

S. No.	Full particulars of the Goods recommended	Whether the applicant is already in possession of semilar goods or not
(1)		
(2)		
(3)		

2. Whether D.G.T.D. clearance has been obtained. The No. and date of the reference of D.G.T.D. may be given.)

3. In case of items which are being imported by S.T.C. whether the S.T.C. has expressed their inability to supply the material (The No. and the date of their letter may be quoted.

Signature of the sponsoring authority

Note :—

The sponsoring authority should ensure that :

(i) indigenous clearance from D.G.T.D. has been obtained before recommending the application. While obtaining indigenous clearance, full description of the machinery and leaflet or other literature, wherever necessary, should be sent to D.G.T.D., New Delhi.

(ii) All the columns of the application have been properly filled in by the applicant incomplete application need not be recommended.

List of enclosures :—

APPENDEX 11—*contd.*

FORM I

APPLICATIONS FORM FOR ALLOTMENT OF NEWSPRINTS FOR NEWSPAPERS/PERIODICALS

PART

1. Name of the Applicant
2. Name of the newspaper/periodical, periodicity & Language. . . .
3. Full Postal address . .
4. (a) Date from which Newspaper/periodical is regularly published . .
4. (b) Registration No. as given by Registrar of Newspapers of India . .
4. (c) Date of filling the latest declaration with Distt. Magistrate . .
5. Nature of concern i. e. public/private/proprietorship etc. and names of Directors/Partners etc.
6. Quantity/value of newsprint required for 12 months .
7. (a) Phased delivery requirement
   (b) Name of the agent authorised.
8. Name and other particulars of newspapers/priodicals owned by the applicant—

Title of paper	Language & periodicity	Place of publication	Whether getting [newsprint through Government
(1)	(2)	(3)	(4)
(*i*)			
(*ii*)			
(*iii*)			
(*iv*)			

9. particulars of circulation etc. per publishing day for the newspaper/periodical.
   (a) Date of the proposed publication. . .
   (b) Average number of copies proposed to be printed
   (c) Average number of pages
   (d) Average area of one page of newspaper/periodical (in sq. cm,) .
   (e) Number of publishing day. . . .

64—2 Commerce/83

10. Particulars of newsprint (specify glazed, un-glazed and Nepa separately) . .

Item No.	Quantity in tonnes	Source	Value (c.i.f.) (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)
Consumed during 1983-84			
Required for the year 1983-84			

11. Last licensiny year in which newsprint was taken from the officer of R-N.I. . .
11. (a) Type of the machine (i.e. Rotary/Flated/letter-press)
    (b) Size of reels/sheets required

DECLARATION

1. I/We hereby declare that the above statement are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We fully understand that any allotment made to me/us on the basis of the statement furnished is liable to cancellation, in addition to any other penalty that the Government may impose or any other action that may be taken having regard to the circumstances of the case if it is found that any of the statements of facts therein are incorrect or false.
2. I/We declare that the newsprint, if allotted will be used in our Press/Premises/establishments at the abovementioned address.
3. I/We also fully understand that the allocation of canalised item (s) through the canalising agency is made under the Import Trade Control Regulations and violation of the condition on which such goods are released to use of any misuse of such goods will the provisions of Imports and Exports (Control) Act, 1947, as amended and Orders issued thereunder.
4. I/We have noted the relevant provisions contained in the Import Policy/Hand book of Import Export Procedure 1983-84.

Signature..............
Name in BLOCK LETTERS ....

....

Designation ....
Residential Address....
....

PART II

INCOME-TAX DECLARATION

A. *In cases of persons not having taxable income*

I/We hereby solemnly declare that I/We are not liable to pay any income-tax including advance taxe as the income-tax earned by me/us during the current accounting year and the last four accounting years has been below the maximum limit not chargeable to tax.

B. *In cases of persons having taxable income*

I/We hereby solemnly declare that :—

(i) I/We have furnished to the Income-tax Department the return(s) of income due from me/us till date.

(ii) I/We have paid all taxes including advance tax due from me/us under the Income-tax Act other than the tax demand which has been stayed by the competent authority.

(iii) I/We have not been penalised*convicted or concealment of income/wealth during the last three calendar years.

(iv) (a) I/We hereby solemnly declare that the above declaration also applies in the case of companies in which I/We am/are having substantial interest** or the firms or associations of persons in which I/We am/are partners or members respectively;

OR

(b) the above declaration is applicable in case of the persons having substantial interest** in the applicant company or members of the applicant association or partner of the applicant firm.

Place............

Date............

Signature............

Address............

....

....

Permanent Account Number............

Designation of the I.T.O with whom assessed/ assessable............

*If an appeal has been filed against the levy of penalty and the appeal is pending before the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax or the Income-tax Appellate Tribunal, such penalty need not be taken note of for the purposes of this declaration.

**The words "substantial interest" shall have the same meaning as in the explanation to Section 40(A)(2) of the Income-tax Act, 1961.

List of enclosures :—

APPENDIX 11—contd

FORM J

FORM OF APPLICATION FOR IMPORT OF GOODS BY CANALISING AGENCIES

1. Name of the applicant with full address.
2. Category under which application is made.
3. No. and date of the Bank Receipt showing payment of the requisite fee (Bank Receipt should also be attached).
4. Licensing period in respect of which the application is made.
5. Particulars of goods to be imported :
   (a) Description of goods (with ITC Parts and S. No.).
   (b) Value c.i.f. in rupees.
   (c) Country of shipment.
6. Financial authorisation for import : Whether against foreign exchange released by the Ministry of Finance (Deptt. of Economic Affairs) or any other authority. If so, give details. An attested copy of the sanction regarding release of foreign exchange should be attached.
7. Has any application for item under the same S. No. as mentioned in column 5 already made by the applicant against 6 above. If so, give details.
   (a) If any subsidiary/split up licences are required, give details thereof.
   (b) Whether necessary fee for obtaining the subsidiary/split licence has been deposited. Please enclose Bank receipt in original.
8. Any other particulars.
9. Full details of the enclosure attached with the application should be furnished in the statement below (Every copy of the documents should be attested as true copy by a responsible officer of the undertaking).

S. No.	Name of the documents
(1)	
(2)	
(3)	

I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We fully understand that any licence granted to me/us on the basis of the statement furnished is liable to cancellation without prejudice to any other action that may be taken in this behalf if the statements or facts therein are incorrect or false. I/We further declare that I/We qualify for an import licence as a canalising agency in respect of goods of description applied for in this application.

Signature................

Name in Block letters....

Designation................

Date........ ....

Residential address..........

....

Date :

....

List of enclosures

FORM K

FORM FOR AD HOC/STOCK AND SALE APPLICATION

1. Name of the applicant.
   Full Postal Address :—
   (i) House/Shop No.
   (ii) Name of Street/Road.
   (iii) Name of locality.
   (iv) Name of State.
   (v) Telegraphic Address
2. Purpose of import . .
3. (a) Date of establishment of business in India.
   (b) Nature of the concern whether Public or Private Ltd., or Partnership or Properitory or Hindu Undivided Family concern.
   (c) A copy of the Registration Certificate.
   (d) Names of Directors Partner Proprietor, Karta, as the case may be.
   (e) Nature of main business of the applicant (line or lines) in which the applicant is engaged.
   (f) Details of branches of associated companies (Names and locations):—
   (i) In India
   (ii) Abroad
   (g) Has any application already been made by the applicant for goods falling under the same serial number of sub-item of serial number for the same period from any country. If so, give details ..
4. Number and date of Bank receipt/Bank draft showing payment of the requisite fees.
5. Licensing period in respect of which application is made.
6. Particulars of goods to be furnished as shown below :—
   (i) Description of goods.
   (ii) Classification under I.T.C. Scheduled, Part & S. No.
   (iii) Relevant Appendix etc. of Import Policy under which the items is covered.
   (iv) Value c.i.f in rupees,
   (v) Country of shipment.
7. Where shipment is to be effected from a country different from the country in which the goods originated, full statement of reasons for the same should be given.

I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We fully understand that any licence granted to me/us on the basis of the statement furnished a liable to cancellation, in addition to any other penalty that the Government may impose having regard to the circumstances of the case, if it is found that any statements of facts therein are incorrect or false.

Signature ....

Residential address ....

Designation ....

Name in Block letters ....

PART II

INCOME TAX DECLARATION

A. *In case of persons not having taxable income*

I/We hereby solemnly declare that I/We are not liable to pay any income-tax including advnace tax as the income earned by me/us during the current accounting year and last four accounting years has been below the maximum limit not chargeable to tax.

B. *In case of persons having taxable income*

I/We hereby solemnly declare that :

(i) I/We have furnished to the Income-tax Department the return(s) of income due from me/us till date.

(ii) I/We have paid all taxes including advance tax due from me/us under the Income-tax Act other than the tax demand which has been stayed by the competent authority.

(iii) I/We have not been penalised*/convicted for concealment of income/wealth during the last three calendar years

(iv) (a) I/We hereby solemnly declare that above declaration also applied in the case of companies in which I/We am/are having substantial interest** or the firms or associations of persons in which I/We am/are partner or member respectively;

OR

(b) The above declaration is applicable in case of the persons having substantial interest** in the applicant company or members of the applicant association or partner of the applicant firm.

Signature............

Address............

....

....

Permanent Account No.......

Designation of the I.T.O.......
with whom assessed/
assessable............

Place............

Date ....

---

*If an appeal has been filed against the levy of penalty and the appeal is pending before the Appellate Assistant Commissioner of Income-Tax or the Income-tax Appellate tribunal such penalty need not be taken note of for the purposes of this declaration.

**The words "substantial interest" shall have the same meaning as in the explanation to Section 40(A)(2) of the Income-tax Act, 1961.

List of enclosures :—

APPENDIX II—contd

FORM L

FORM OF APPLICATION FOR IMPORT OF DESIGNS AND DRAWINGS

(To be submitted with 5 spare copies Complete with 5 Copies of Covering Letter)

PART A

1. Name and address of the applicant/Company . . . . .

2. Part 'A'—Line of Manufacture for which the Drawings are required . . . .

(i) Existing business/items of manufacture and the number and date of Industries (Development & Regulation) Act, Licence if any . . . .

(ii) Is/are the item/items mentioned above being manufactured with foreign collaboration ? If so, please give the particulars of each collaboration including the names of collaborators and nature of Collaboration viz, Technical and/or Financial . . . .

(iii) (a) Has any industrial licence/letter of intent been obtained for the manufacturing programme for which designs and drawings are to be imported If the item is covered by the Industries (Development & Regulation) Act, 1951, please quote reference; or . . .

(b) If registered with the DGTD, please quote reference ; or . . . .

(c) Whether the proposed manufacturing programme would be in the small scale sector ? If so please quote registration number . . . . . .

(iv) (a) Purpose and full jutification for which imports of designs and documentation is required . . .

(b) Please indicate specific details of the machinery proposed to be fabricated . . . .

(c) Please indicate whether the machinery to be fabricated on the basis of these designs & drawings is for captive use or for production for sale.

(d) (i) If the machinery to be fabricated is for captive use, please indicate the c.i.f. cost of the same machinery, if it were to be imported. .

(ii) What is the import content of the equipment to be fabricated indigenously with the help of the imported designs & drawings ? . . .

(iii) What will be the value of the equipment fabricated indigenously with the help of imported designs and drawings ? . . . .

(iv) What will be the value of the equipment if it were wholly imported. . . . .

Estimated value of annual production :—

Year of P	Quantity	Ex-factory value (Rs. in lakhs)	Ex-factory value after deducting landed cost of imported components, if any.
1st Year	. . . .		
2nd Year etc. etc.	. . . .		

4. Location of Factory Tehsil: Distt: State:

5. Additional Investment to be made on :

(i) Land . . . . . .

(ii) Building . . . . . .

(iii) Machinery . . . . . .

(a) Imported . . . . . .

(b) Indigenous . . . .

6. Details of phased manufacturing programme i.e. the import content and indigenous content of raw materials and components which will go into the production .

1st year . . . .

2nd year . . . .

3rd year . . . .
etc. etc.

7. Name and complete address of the Foreign Supplier from whom the Indian Company proposes to obtain designs & drawings.

8. Terms for the purchase of Designs & Drawings :

	in Rs.	in foreign currency
(i) Designs and documentation/know-how fees. . .		
(ii) Please indicate whether the amount payable and indicated against (i) above represents NET amount payable to the supplier or is inclusive of taxes and hence payable after deduction of taxes.		

9. What are the specific services to be rendered by the Foreign party in addition to supply of Designs and Drawings in pursuance of the agreement ? . . . . .

10. Please indicate if the foreign supplier is agreeable to the technical know-how/product design /engineering design being also made available to other Indian parties should it become necessary, on terms and conditions as mutually agreeable to all parties concerned, including the foreign supplier, and subject to the approval of the Government. . . . .

11. Has the applicant imported designs and drawings earlier. If so, details of Designs and Drawings so imported and No. and date of relevant approval letters. . . . . .

12. What steps does the applicant propose to take for research and development in respect of the technology involved ? Give brief details. . . . .

Date :

Place :

Signature of Applicant Party

Designation

APPENDIX 11—*contd.*

FORM-M

Form of application for import by Association of Industry/ Export House/Trading House on behalf of Actual Users

1 Name of applicant.

(with full Postal Address)

2 (a) Nature of concern whether Public Sector Corporation, Co-operative Societies, Association of Industry, Export House, Trading House.

(b) Name of Directors, Partners, Proprietors, Office bears, as the case may be.

(c) Details of branches, if any

3. Copy of certificate issued by the State Director of Industries authorising the proposed bulk import. (This should be produced in the case of association/cooperative societies.)

4. Number and date of Bank receipt/Demand Draft showing payment of the requisite fees (Bank receipt/Demand Draft may be attached).

5. Licensing period for which the application has been made

6 Whether automatic or supplementary licence applied for

7. Particulars of the goods to be imported :—

(a) Description of goods with Appendix No./Serial No. (in case of supplementary licence).

(b) CIF value in Rupees.

(c) Country of shipment.

8. Broad category of users and the item(s) manufactured by them.

(i) I/We hereby declare that information given in the application form is correct. I/We fully understand that any licence issued on the basis of this information will be liable for cancellation in addition to any other action that may be taken in this behalf, if its found that any part of the information furnished is incorrect, false or misleading.

(ii) I/We did not obtain automatic licence/Supplementary licence on behalf of the units for the licensing period 1982-83.

(iii) I/We hereby declare that the units on whose behalf this application has been made have not obtained Automatic/Supplementary licences separately from any licensing authority

(iv) I/We hereby declare that materials to be imported will be distributed to the Actual Users concerned, on whose behalf the import is being made and a proper account of such distribution will be maintained for the inspection of sponsoring/licensing authorities.

Signature............
of the applicant
Designation ....
Full address........

Date............

Document to be furnished :—

(1) Application in duplicate.

(2) Original Bank Receipt/Demand Draft for application fee.

(3) Photostat copy of recognition certificate

(4) Seven copies of the list of items to be imported, in the case of supplementary licence.

(5) Consumption certificate in respect of each unit in the case of application for Automatic licence.

(6) A declaration from each unit concerned to the effect that the material imported shall be used in its own factory as per Actual User condition.

(7) A statement giving the particulars of the units concerned, their names and address (including factory address) number and date of SSI Registration, the end-products manufactured, value applied for.

(8) In case of Supplementary licence a note giving the justification for Supplementary licence may be given for each unit.

APPENDIX 11—*contd*

FORM-N

APPLICATION FORM FOR IMPORT OF BOOKS BY DEALERS IN BOOKS

PART I

(1) Name of the Applicant

(2) Full Postal Address.

(3) Date of establishment of Unit.

(4) Whether Registered under the Shops and Establishment Statute if so, indicate No and date (photostat copy of the same may also be furnished)

(5) Purchase turnover during 1982-83 alongwith a certificate of Chartered/Cost Accountant (The Chartered/Cost Accountant should not be a partner, a director or an employee of the Applicant firm or its associates)

(6) Nature of the concern and the name of the directors/partners

(7) Name of branches, if any, with their address

(8) Bank Receipt/Demand draft No. and date, as the case may be (to be attached in original with the application)

PART II

INCOME-TAX DECLARATION

A. In cases of persons not having taxable income.

I/We hereby solemnly declare that I/We are not liable to any income-tax including advance tax as the income earned by me/us during the current accounting year and the last four accounting years has been below the maximum limit not chargeable to tax

B. In cases of persons having taxable income

I/We hereby solemnly declare that :—

(i) I/We have furnished to the Income-tax Department the return(s) of income due from me/us till date

(ii) I/We have paid all taxes including advance tax due from me/us under the Income-tax Act other than the tax demand which has been stayed by the competent authority

(iii) I/We have not been penalised*/convicted for concealment of income/wealth during the last three calendar years.

(iv) (a) I/We hereby solemnly declare that the above declaration also applies in the case of companies in which I/We am/are having substantial interest** or the firms or associations of persons in which I/We am/are partner or member respectively;

OR

(b) the above declaration is applicable in case of the persons having substantial interest** in the applicant company or members of the applicant association or partner of the applicant firm

Signature....................

Address......................

Permanent Account Number ....

Designation of the ITD with whom assessed/assessable

Place ....

Date ....

*If an appeal has been filed against the levy of penalty and the appeal is pending before the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax or the Income-tax Appellate Tribunal, such penalty need not be taken note of for the purposes of this declaration.

**The words "substantial interest" shall have the same meaning as in the explanation to Section 40(a) (2) of the Income-tax Act, 1961

I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowldge and belief, I/We fully understand that any licence granted to me/us on the basis of the statement furnished is liable to cancellation in addition to any other penalty that the Government may impose having regard to the circumstances of the cases, if it is found that any statements of facts therein are incorrect or false

Signature................ .. .

Name in Block Letters. ....

Designation.... ....

Residential address . ....

Date · .. . .

APPENDIX 11—*contd.*

FORM—O

FORM OF APPLICATION FOR OFFICE MACHINE

Licensing period ....

Part—I

(1) Name of Applicant.

(2) Full Postal Address.

(3) (a) Registration No. allotted by the Sponsoring Authority or number and date of industrial licence.

(b) Date of establishment of the Unit.

(4) Description of goods manufactured/Activity engaged in.

(5) C.I.F. Value of the licence applied for.

(6) Items for which Licence/C.C.P. is required.

(7) Bank receipt/demand draft No. and date, as the case may be, to be attached in original, with the application.

(8) No. of machines of the same type

(a) already available with them both of indigenously manufactured and of imported origin separately

(b) Justification for the import.

(9) (a) Nature of the concern whether Public Company or Private Company, partnership or Hindu undivided family concern/Institution/Bank etc.

(b) Names of the Directors, Partner, Proprietor or Karta as the case may be.

(c) Details of branches or associate companies (names and locations).

(i) in India.

(ii) in abroad.

(10) In case of gifts please indicate:

(i) Relationship of the Donor with the applicant.

(ii) Occasion of the gift.

(iii) Name, address and occupation of the donor abroad.

(iv) Nationality of the Donor.

(v) Period of stay abroad of the Donor.

(vi) Whether any foreign exchange is required for insurance, freight.

(vii) Value of gift(s) received by the applicant during the course of year and details of CCPs issued /and applied for by him during the current financial year

(11) In the case of Institution, furnish the following :—

(a) whether the institution is exempted from payment of Customs duty, if so, particulars of Notification under which exempted.

Part—II

INCOME-TAX DECLARATION

A. In cases of persons not having taxable income.

I/We hereby solemnly, declare that I/We are not liable to pay any income-tax including advance tax as the income earned by me/us during the current accounting year and the last four accounting years has been below the maximum limit not chargeable to tax.

B. In case of persons having taxable income.

I/We hereby solemnly declare that :—

(i) I/We have furnished to the Income-tax Department the return(s) of income due from me/us till date.

(ii) I/We have paid all taxes including advance tax due date of industrial Income-tax, Act other than the tax demand which has been stayed by the competent authority.

(iii) I/We have not been penalised*convicted for concealment of income/wealth during the last three calendar years.

(iv) (a) I/We hereby solemnly declare that the above declaration also applies in the case of companies in which I/We am/are having substantial interest** or the firms or associations of persons in which I/We am/are partner or member respectively;

(b) the above declaration is applicable in case of the persons having substantial interest** in the applicant company or members of the applicant association or partner of the applicant firm.

Signature....................

Address ....

Permanent Account Number ....

Designation of the ITD

with whom assessed/assessable.

Place ....

Date ....

*If an appeal has been filed against the levy of penalty and the appeal is pending before the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax or the Incometax Appellate Tribunal, such penalty need not be taken note of for the purposes of this declaration.

**The words "substantial interest" shall have the same meaning as in the explanation to Section 40(A) of the Income-tax Act, 1961.

I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We fully understand that any CCP/Licence granted to me/us on the basis of the statement furnished is liable to cancellation, being made ineffective in addition to any other penalty that the Government may imposed or any other action that may be taken having regard to the circumstances of the case, if it is found that any of the statement or facts therein are incorrect or false.

Signature..................

Name in Block Letters ....

Designation....................

Residential Address ....

Date ....

Place ....

Note : Exporter should furnish a declaration indicating the quantity and value of the mahines for which import licences have been obtained or import applications have been made during the same licensing period.

APPENDIX 11—*contd.*

FORM—P

APPLICATION FOR THE RE-IMPORT OF GOODS AFTER REPAIRS ABROAD

Part—I

(1) Name of Applicant.

(2) Full Postal Address.

(3) Address of Factory/Unit.

(4) Registration No. allotted by the Sponsoring Authority or No. and date of Industrial Licence.

(5) Date of establishment of the Unit.

(6) (a) Description of goods to be exported for repairs and subsequent return.

(b) Value of the item.

(c) Cost of repairs, freight and insurance, if any. to be paid.

(d) Nature of repairs/modification etc.

(7) (i) Country of shipment.

(ii) Country from which the goods were originally imported, if of foreign origin.

(8) Certificate from D.G.T.D. to the effect that the goods being sent for repairs abroad cannot be repaired in India (in case of goods of Indian Origin).

(9) Manufacturer's letter, if any, indicating the charges towards repairs, freight and insurance.

(10) Banks receipts/Demand draft No. and dated (to be attached in original).

Part—II

INCOME-TAX DECLARATION

A. In cases of persons not having taxable income.

I/We hereby solemnly declare that I/We are not liable to pay any income-tax including advance tax as the income earned by me/us during the current accounting year and the last four accounting years has been below the maximum limit not chargeable to tax.

B. In cases of persons having taxable.

I/We hereby solemnly declare that :—

(i) I/We have furnished to the Income-tax Department the returun(s) of income due from me/us till date.

(ii) I/We have paid all taxes including advance tax due fom me/us under the Income-tax Act other than the tax demand which has been stayed by the competent authority.

(iii) I/We have not been penalised*/convicted for concealment of income/wealth during the last three calendar years.

(ix) (a) I/We hereby solemnly declare that the above declaration also applies in the case of companies in which I/We am/are having substantial interest** or the firms or associations of persons in which I/We am/are partner or member respectively;

OR

(b) the above declaration is applicable in case of the persons having substantial interest** in the applicant company or members of the applicant association or partner of the applicant firm.

Signature....................

Address....................

Permanent Account Number..........

Designation of the ITD

.. with whom assessed/assessable..........

Place ....

Date ....

*If an appeal has been filed against the levy of penalty and the appeal is pending before the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax or the Income-tax Appellate Tribunal, such penalty need not be taken note of for the purposes of this declaration.

**The words "substantial interest" shall have the same meaning as in the explanation to Section 40(a) (2) of the Income-tax Act, 1961.

I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We fully understand that any licence granted to me/us on the basis of the statement furnished is liable to cancellation in addition to any other penalty that the Government may impose havng regard to the circumstances of the coses, if it is found that any statements of facts therein are incorrect or false.

Signature....................

Name in Block Letters..........

Designation....................

Residential Address..............

Date ....

APPENDIX II—*contd.*

FORM-Q

FORM OF APPLICATION FOR IMPORT OF SPORTS GOODS (EQUIPMENTS)

(To be made in Triplicate)

PART I

1. Name of the applicant.
2. Full Postal Address.
3. Particulars of the goods to be imported.
4. C.I.F. value of the licence applied for.
5. Bank receipt/Demand Draft No. and date.
6. (i) Country of origin.
   (ii) Country of Shipment.
7. Whether the Institution is managed by Government or some Corporation/Municipality etc. or Charitable Institutions (to be named); and if managed by Govt. whether by the Central or State Government.
8. Particulars of grants, if any, received from the Central/State Government or any other body (to be named).
9. Details of the International/National Games etc. in which participated and trophies won.
10. Justification for import.
11. Details of existing Sports goods/equipments :—
    (i) Imported :
    (ii) Indigenous :
12. If the import is free of charge, the name and address of the donor.

DECLARATION

(1) I/We hereby declare that this licence is granted the goods will be utilised only be me/in Institution and that no portion thereof will be sold or permitted to be used by any other party.

(2) I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

(3) I/We fully understood that any licence/CCP granted to me/us on the basis of the statements furnished is liable to cancellation. In addition to any other penalty that the Government may impose or any other penalty that Government may impose or any other action that may be taken having regard to the circumstances of the case if it is found that any of the statements of facts therein are incorrect or false.

Signature......................

Name in Block letters..............

Disignation.................

Date................

Residential Address..........

....

....

....

PART II

(To be filled in by the sponsoring authority in duplicate)

1. Particulars of goods recommended :—

Sl. No.	Full particulars of the goods recommended	Whether the applicant is already in possession of similar goods or not
(1)		
(2)		
(3)		

2. Whether DGTD clearance has been obtained.

Certified that statements made by the applicant have been verified and found correct.

Signature of the................

Sponsoring Authority................

Seal..........................

Date..............

Enclosuers —

1. Bank receipt/Draft in original, if not exempted from payment of application fees.
2. Proforma invoice indicating the C.I.F. value of items
3. DGTD clearance from indigenous angle in original
4. Donor's letter's is original in case of gift.

APPENDIX 11—*contd.*

FORM-R

FORM OF APPLICATION FOR IMPORT OF MACHINERY/GREEN HOUSES FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT

PART I

1. Name of the applicant.
2. Full Postal Address.
3. Address of location of Farm/Agriculture land.
4. Particulars of the goods to be imported.
5. C.I.F. value of the licence applied for.
6. Bank receipt/Demand Draft No. and date.
7. (i) Country of origin.
   (ii) Country of Shipment
8. Whether the Farm/Agricultural Land is managed by Government or some Corporation etc. (to be named); and if managed by Govt. whether it is managed by the Central or State Govt.
9. Particulars of grants, if any received from the Central/State Government or any other Body (to be named).
10. Justification for import including export potential.
11. Details of existing equipment/Agricultural implements.
    (i) Imported :
    (ii) Indigenous :
12. If the import is free of charge, the name and address of the doner.

DECLARATION

(1) I/We hereby, declare that if this licence is granted the goods will be utilised only in my/our Farm/Agricultural land and that no portion thereof will be sold to or permitted to be utilised by any other party.

(2) I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

(3) I/We fully understand that any licence granted to me/us on the basis of the statements furnished is liable to cancellation, in addition to any other penalty that the Government may impose or any other action that may be taken having regard to the circumstances of the case if it is found that any of the statements of facts therein are incorrect or false.

Signature..............

Name in Block letters..........

Designation ....

Date................

Residential Address............

PART II

(To be filled in by the sponsoring authority in duplicate).

1. Purpose for which the imported tems are required.
2. Total Area of the Farm/Agricultural land.
3. Area under cultivation :
   (i) Total Acreage.
   (ii) Irrigated.
   (iii) Un-irrigated.
   (iv) Main crops and annual yield.
4. Nature of holding :
   (i) Freehold
   (ii) Lease.
   (iii) Co-operative.
5. Particulars of goods recommended.

S.No.	Full particulars of the goods recommended	Whether the applicant is already in possession of similar goods or not
(1)		
(2)		
(3)		
(4)		

6. Whether D.G.T.D. clearance has been obtained.
7. Certified that statements made by the applicant have been vertified and found correct.

Signature of the sponsoring Authority...................

Seal.......................

Date................

Enclosures :—

1. Bank receipt/Draft in original, if not exempted from payment of application fees.
2. Proforma invoices indicating the C.I.F. value of items.
3. DGTD clearance from indigenous angle in original.
4. Donor's letter in original in case of gift.

APPENDIX-II

FORM—8

FORM OF APPLICATION FOR IMPORT OF MACHINERY BY ACTUALS USERS (NON-INDUSTRIAL)

(Five copies to be submitted)

PART—I

1. PARTICULARS OF APPLICANT

1.1 Name

1.2 Registered Address

1.3 Postal Address for correspondence

1.4 Sponsoring authority

1.5 Administrative Ministry

2. NATURE OF CONCERN

2.1 Proprietory/Partnership/Private Ltd.,/Public Ltd.

2.2 Names and addresses of the proprietors/partners/ Directors

3. INVESTMENT.

3.1 Total Investment (in land and building and machinery) Existing (Propoed)

Land and building ....

Machinery ....

Total ....

3.2 Value of imported plant and equipment.

Existing ....

Proposed ....

Total

4.0 PURPOSE OF IMPORT

4.1 In case of import of machines for replacement

(i) Date of installation of original machines

(ii) Arrangement for the disposal of old machines.

(iii) Furnish details of the efforts made for procuring the machine, in question. from indigenous manufacturers indicating the name of the manufacturers contacted

5. DETAILS OF SUPPORTING DOCUMENTS/ INFORMATION.

5.1 Original bank receipt/Demand Draft.

No. Date

Value Rs.

5.2 Copies literature/Pumphelets/Specifications giving camplete details of goods to be imported.

5.3 Copy of each advertisement in ITJ/ESB

5.4 Tabular statement of Responses received against advertisement enquiries.

5.5 Chartered Engineers Certificate in original regarding present condition of Machinery/Equipment to be replaced

5.6 If secondhand reconditioned machinery is to be imported a certificate certifying machinery age present condition original and present value and probable unexpired life from the chartered engineer.

5.7 Copies of correspondence, if any, regarding efforts made to import machinery, from Rupees Payment Area.

5.8 Attested Photo state copies of enquiries made to foreign suppliers and their teplies where efforts have been made to obtain Blue prints/Drawing of equipment of machinery sought to be imported.

(1) I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

(2) I/We hereby declare that the goods for import of which the application has been made shall be used only for the purpose for which the import licence has been issued.

Signature......................

Name in Block Letters............

Residential Address..............

Designation.....................

Dated................

PART II

INCOME TAX DECLARATION

A. *Incases of persons not having taxable income*

I/We hereby solemnly declare that I/We are not liable to pay any income-tax including advance tax as the income earned by me/us during the current accounting year and the last four accounting years has been below the maximum limit not chargeable to tax.

B. *In cases of persons having taxable income*

I/We hereby solemnly declare that—

(i) I/We have furnished of the Income-tax Department the return(s) of income due from me/us till date.

(ii) I/We have paid all taxes including advance tax due from me/us under the Income-tax Act other than tax demand which has been stayed by the competent authority.

(iii) I/We have not been penalised*/convicted for concealment of income/wealth during the last three calendar years.

(iv) **(a) I/We hereby solemnly declare that the above declaration also applies in the case of companies in which I/We am/are having substantial interest** or the firms or association of persons in which I/We am/are partner or member respectively;

OR

The above declaration is applicable in case of the persons having substantial interest** in the applicant company or members of the applicant association or partner of the applicant firm.

Signature..................

Address..................

Place .... Permanent Account Number

Date................ Designation of the I.T.O. with whom assesed/ assessable ....

*If an appeal has been filed against the levy of penalty and the appeal is pending before the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax or the Income-tax Appellate Tribunal, such penalty need not be taken note of for the purposes of this declaration.

**The words "substantial interest" shall have the same meaning as in the explanation to section 40(A)(2) of the Income-tax Act, 1961.

APPENDIX 18

EXPORT APPLICATION FORM

FORM A-X

Form of Application for Export of controlled commodities

1. Name and address of the applicant.

2. Particulars of the items desired to be exported :—

(a) Description of item.

(b) ETC Classification.

(c) Quantity.

(d) F.O.B. Value.

3. Port of Shipment.

4. Ultimate destination to which export is desired.

5. Particulars of the applicant :—

(a) Year of establishment.

(b) Whether a Public Ltd. Co. a Private Co. a partnership concern or an individual firm.

(c) Names of Directors/Partners/Proprietors.

(d) if a Private Co., a partnership concern or an individual firm, state whether any of the persons named in (c) above are directors, partners or proprietors of any other company or firm.

6. Name of applicant's Bankers.

7. If export is desired against quota allotted to the applicant the particulars of quota slip allotment letter to be furnished.

8. Has the applicant exported in the past the commodity now applied for. If not, what relation he has with the internal trade of that commodity? Has he any previous experience of export trade? If so, the name of the principal commodities exported by applicant in the preceding 2 months should be indicated. If the applicant has been connected with the commodity as a manufacturer or dealer, indicate the volume of production or business.

9. Whether applicant is a member of any recognised Chamber or Trade Association? If so, particulars should be given.

10. List of enclosures.

I declare that what has been stated above is correct.

I/We hereby certify that the alue, sort, specification, quality and description of the goods being exported as mentioned in the shipping bill/other relevant documents are true to the best of my knowledge and belief and also certify that the quality and the specification of the goods as stated in the shipping chill/other relevant documents are in accordance with the terms of the export contract entered into with the buyer or consignee in pursuance of which the goods are being exported.

Signature of Applicant ....

Name in block letters ....

Designation ....

Residential Address ....

....

Date : ....

N.B.—(1) If the applicant is unable to provide an answer against any of column they should give positive reason for it.

(2) Applicants supplying false or incorrect information will be debarred from receiving quotas/licences in future.

(3) Application should be signed by the Proprietor, Partner or Manager, Director of the firm or by any person duly authorised to sign any legal declaration on behalf of the firm. The position held by the person signing the application should be clearly stated.

FORM B-X

APPLICATION FOR LICENCE TO EXPORT A CONTROLLED ARTICLE BY POST

(Please read instructions below)

Name of applicant ....

Postal address ....

The undersigned hereby makes application for licence to export by post the undermentioned goods in respect of which the information furnished herein is certified to be true and correct.

1. Full description, quantity, net weight and value of the goods.______________

____

____

____

Name and address of consignee.......................

3. Whether the goods are for trade purposes or for personal use ....

4. Post Office at which parcels will be posted..........

(Signature of applicant)

Date .... :

To Joint/Deputy/Chief Controller of Imports and Exports ....

(Entry below this line to be left blank by applicant)

DECISION

Licence No. ....granted for export of abovenoted articles (In Number ....) Parcels

for Joint/Deputy/Chief Controller of Imports and Exports
Valid for three months from the date of issue.

APPENDIX 12—*contd.*

INSTRUCTIONS TO APPLICANTS

(1) The form should be presented to duplicate with the particulars fully filled in to the licensing authority and if a licence is granted should be handed over with the parcel at the Post Office of despatch.

(2) While giving the description, quantity and value of the goods against item 1, the number of Parcels and the quantity in each should also be stated.

(3) All the parcels covered by a single licence should be posted in one instalment.

FORM C-X

FORM OF APPLICATION FOR RECOGNITION AS ESTABLISHED EXPORTERS AND GRANT OF QUOTA ON CHANGE IN THE OWNERSHIP OF BUSINESS

1. Name of applicant.

(a) Trade or business name

(b) Address

(c) Name of branches, if any, with their addresses.

(d) Ownership, whether

(i) individual

(ii) partnership

(iii) karta of undivided Hindu family

(iv) limited company

(v) any other associations or body of individuals.

(e) Name of individuals in case of (i), (iii) and (v) above, names of partners in case of (ii) above and names of directors in case of (iv) above.

Note.—In case of (ii), the partnership deed should be sent with the application.

2. (a) Trade or business name and address of the established exporter whose quota is sought to be transferred either wholly or in part.

(b) Names of branches, if any with their addresses. The details of branches closed in the past may also be furnished.

(c) Whether the established exporters in (a) above was :—

(i) an individual

(ii) a partnership

(iii) a karta of Hindu undivided family in respect of the family business.

(iv) limited company.

(v) any other association or body of individuals.

(d) Names of the individuals in case of (i), (iii) and (v) above, names of partners in case of (ii) and names of directors in case of (iv) above.

Note.—In case of (ii), the partnership deed should be sent with the application.

3. Date on which the business in (2) (a) above was first established.

4. In last transfers, if any, a quota allowed previously in respect of the business, the number and date of the order allowing such transfer.

5. Mention changes in the ownership of the business due to admission, retirement or death of partners or transfer of business or any other section whatsoever since Ist April, 1954 or data given in item (2) above or the date mentioned if any in item (4) above, whichever is latest.

6. Why was no application made for recognition of the change mentioned in (5) above?

7. Particulars of licences, if any, obtained without obtaining recognition of change (i.e. licence number, name of commodity, value of licence, licensing period and licensing authority).

8. Particulars of the quota sought to be transferred (i.e. Number, date and value of quota certificate, the name of Commodity and the basic year as mentioned therein and the licensing authority).

9. Whether there is any order in force against the said established exporter under clause 7 and 8 of the Exports (Control) Order, 1977 suspending issue of licences or debarring him from receiving licences and the number and the date of the order.

10. The share which applicants claim in the quota of the established exporters and any reason for the same.

11. List of documents enclosed with the application.

1...............

2. ....

3...............

4...............

I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

I/We fully understand that the transfer/division of quotas if and when granted to me/us on the basis of statements furnished is liable to cancellation without prejudice to any other action that may be taken against me/us in this behalf, if any of the statements or facts given above are found to get incorrect or false at any stage.

Signature of Applicant............

Name in block letters............

Designation.....................

Residential Address............

....

Date...............

APPENDIX 13

FORM A1

(For Import Payments only)

Serial No ....
(for use of Reserve Bank of India)

Amount remitted.................. .... **Application for Remittance in Foreign Currency** A. D. Code No ....
Currency Amount

Equivalent to Rurpees..................................
(To be completed by authorised dealer)

Form No ....
(To be filled by authorised dealer)

I/We wish to purchase......................... ....
(Name of currency) (Amount in words)

through ....for payment to

....in payment of
(Name and address of the beneficiary of the remittance)

imports into India, detailed below :

Details of goods imported or to be imported into India

Section A : Import Licence/Open General Licence Particulars

O.G.L........................... ....
NUMBER PART SCHEDULE SERIAL NUMBER

Import Licence								Date of Issue			Date of expiry			Face value of licence	Amount to be endorsed (in Rs.) @	Balance outstanding on the licence after the remittance
Prefixes		Licence No	Suffiexs					Date	Month	Year	Date	Month	Year			
1	1		1	2	3	4	5									

@ Actual amount endorsed in rupees against each licence involved, should be stated under this column.

Note :— If more than one licence is involved, particulars of all licences should be furnished, If the space is inadequate, a separate statement may be attached. The amount utilised against each licence should invariably be indicated.

Section B : Import Particulars

Invoice Details				Quantity of goods	Description of goods	BTN classification	Country of origin of goods	Country from which goods are consigned	Mode of shipment (air, sea, post, rail river transport etc.)	Date of shipment (if not known approximate date)
No. and date	Terms (c.i.f., f.o.b c. & f. etc)	Currency	Amount							

Section C : Other Particulars

1. Details of forward purchase contract, if any, booked against the import ....
(No. & date of contract) (Currency and Amount of contract) (Balance under the contract)
2. If remittance to be made is less than invoice value, reasons therefor (i. e. part remittance, instalment etc ....

I/We hereby declare that the statements made by me/us on this form are true and that I/we have not applied for an authorisation through any other bank.

I/We declare and also understand that the foreign exchange to be acquired by me/us pursuant to this application shall be used by me/us only for the purpose for which it is acquired and that the conditions subject to which the exchange is granted will be complied with.

Name of Applicant(s) .... Nationality of Applicant(s) ....
(Block Capitals) (Block Capitals)

Address of Applicant(s) ....
(Block Capitals)

Date............................... ....
Signature of Applicant(s)

Note: For remittances covering intermediary trade, Form A2 should be used

APPENDIX 13—*contd*

Declaration to be furnished by Applicant(s)

I/We declare that

(a) the goods to which this application relates—have been* / will be*—imported into India on my/our own account*

(b) the import is on behalf of @ .... *and

(c) the invoice value of the goods which is declared on this form is the real value of the goods—imported* / to be imported*—into India.

If the import has been made — I/We attache the relative Customs stamped Exchange Control copy of Bill of Entry* / post parcel wrapper (for imports by post)*

or

I/We undertake to produce within three months to be authorised dealer therelative—Custom-stamped Exchange control copy of Bill of Entry* / post parcel wrapper (for imports by post)*—the import to be made

*Strike out item not applicable.

@Where the import is on behalf of Central/State Government Department or a company owned by Central/State Government/Statutory Corporation, Local Body, etc. the name of the Government Department, Corporation etc. should be stated

....
(Signature of Applicant(s)

Date....................................

Space for commencements of the authorised dealer while forwarding the application to the Reserve Bank of India for approval (Reference to Exchange Conotrol Manual/paragraph D. Circular in terms of which the referrence is made should invariably be cited. If any remittance application of account on the same import was referred to the Reserve Bank earlier, reference to the last correspondence/approval should also be cited).

....
(Stamp and Signature of Authorised Dealer)

Date....................................

Certificate to be furnished by Authorised Dealer (Importers Banker)

We hereby certify that]

(a) this payment is

Put a tick (/) in the relevent:

(i) — an advance remittance.

(ii) — in retirement of bills under Letter of Credit opened through us.

(iii) — against documents received through our medium for Collection.

(iv) — on account of documents received direct by the applicant(s) against undertaking furnished by the letter to submit Customs-stamped Exchange Control copy of Bill of Entry/post parcel wrapper within three months.

(v) — on account of documents received direct by the applicant(s) against Customs-stamped Exchange Control copy of Bill of Entry/post parcel wrapper (attached) submitted by the latter.

(vi) — ....
(any other case, to be explained)

(b) all the Exchange Control regulations applicable to the remittance have been compiled with.

(c) the payment to the supplier of the goods—has been* / will be*—made through..
(Name and address of the foreign bank)

We also certify/undertake that the relevent Customs-stamped Exchange Control copy of Bill of Entry or post parcel wrapper

*shall be verified by us within three months (vide certificate a (ii) and (iii) above.

*has been verified (vide certificate a (v) above.

*shall be obtained from the applicant(s) and forwarded to the Reserve Bank within three months (vide certificate a (i) and (iv)above.)

*Strike out item not applicable.

Date ....
(Dealer)

APPENDIX 14

PACKAGE OF SERVICES RENDERED BY TRADE DEVELOPMENT AUTHORITY

One of the major objectives of TDA has been to develop the export capabilities of small and medium scale units by providing them a package of services in the fields of export production and marketing. The central theme of the package servicing plan is to provide all services under one roof to its registered clients thereby eliminating procedural delays and ensuring timely supply of all inputs. The various inputs/services provided by TDA are set out below :—

Import of (a) samples, drawings, technical literature and specification and (b) initial small lots of raw materials, components, consumables, tooling and test equipment for product development.

TDA has been granted by the Government of India a free foreign exchange allocation for product development by its clientele. It will meet the request of its clientele in this regard provided it is satisfied that the latter is seriously interested in undertaking product development for export on a sustained basis. For this purpose, clients desiring to avail of this facility should submit their applications direct to the Chief Merchandising Division, on the form prescribed for actual users together with the necessary treasury chalan. Applications should also furnish details of the product being developed for export and the market to which it is beamed. After scrutiny, these applications will be forwarded by TDA for straight issue of licences by a designated office of C.C.I & E.

Duty Free Import of Samples

The Ministry of Finance as per Notification No. 186/76 and 187/76 have exempted from payment of customs duty prototypes of engineering goods, when imported into India as samples for executing or for use in connected with securing export orders when certified by the TDA to the effect that the samples are required for executing or for use in connection with securing export orders. The facility of imports is limited to samples upto Rs. 1,000/- only. In case of samples exceeding Rs. 1,000/- as undertaking has to be given to the Assistant Collector of Customs that the samples will be re-exported out of India within a period of six months of imports or such extended period as may be allowed by him

In addition to the above, TDA has also been authorised by the Government to recommend applications for import of technical samples allowed under Para 163 of Import Policy, 1982-83 against REP licences. Clients availing of this facility may route their applications for import of technical samples through TDA.

Advance and Imprest licences under the REP for regular export production

The policies and procedures for the above category of licences would be basically the same as prescribed in the Handbook of Import-Export Procedures 1983-84. However, in order to eliminate delays, applications from clients should be submitted to the Chief Merchandising Division of TDA together with the prescribed documents. TDA has arranged with the Chief Controller of Imports and Exports a simplified procedure by which such licences would be issued speedily in accordance with the approved plans and programme of TDA.

Import of capital equipment and new tooling for balancing/modernisation/creation of capacity.

Import application under the prescribed procedures for import of capital goods for export oriented units from the clients of TDA, should be submitted direct of the Cheif, Merchandising Division of TDA. If such imports are in accordance with the aproved plans and programme of TDA, TDA will arrange for the requisite clearances from the appropriate Government authorities in regard to essentiality, indigenous angle and approval by the Capital Goods Licensing Committee.

Issue of Industrial Licence and Approval of Foreign Exchange

The Trade Development Authority, sponsors application from its clients for issue of industrial licence and approval of foreign collaboration in the case of export oriented units. Applications on the prescribed forms have to be made direct to TDA, who would follow up the cases with the concerned Government Departments and obtain necessary approval.

Indigenous Inputs into Export Production

The Ministry of Steel & Heavy Engineering has recognised TDA as the sponsoring authority for the requirements of foundary grade pig iron rolled mild steel of its clients for allocation on priority supply by the steel plants. Clients of TDA requiring advance supplies of these indigenous raw materials should submit their application direct to the Chief Merchandising Division of TDA accompanied by the following documents :—

(a) Evidence of export contracts, and

(b) Detailed end use of raw materials and their technical justification.

After scrutiny, these applications will be forwarded by TDA to the iron and steel controller for planning supplies on the concerned steel plants.

Clients should also furnish to TDA the following :

(i) At the time of application, an undertaking in writing that they will not approach the Engineering Export Promotion Council of other authorities for advance quotas covering the same export contracts;

(ii) At the time of application, an undertaking in writing to TDA that they will not claim only any reimbursement of quota in respect of advance quotas secured through TDA from any source, and

(iii) Monthly returns indicating the receipt and consumption of pig iron steel secured through TDA and relevant exports.

Hire Purchase Facility

The National Small Industries Corporation will accord priority to applications sponsored by TDA for hire purchase of machinery both indigenous as well as imported for expansion of export-oriented existing units as well as for setting up a new unit. Applications on the prescribed proforma may be made to the Director of Industries with recommendation from TDA. These applicants will receive priority in the NSIC.

Marketing Contracts

TDA has developed a number of marketing contracts with important buyers in USA, Canada, Western Europe, Japan Australia and New Zealand for selected products. Enquiries generated by our foreign offices are circulated to TDA clients. Over and above, it arranges to bring to India a member of buyers missions from abroad and put them in touch with the clients of TDA. It also assists clients in providing contracts who visit foreign countries. Thus providing of buyers contracts is one of the important activities of TDA

APPENDIX 14—*contd.*

Release of Foreign Exchange

Applications for lease of foreign exchange for export promotion travels and publicity abroad should be submitted by its clients direct to TDA on the form prescribed by the Reserve Bank of India. TDA will arrange with the Reserve Bank of India for the release of the necessary foreign exchange if the applications fit in with TDA's approved programme.

Drawback of duties

For the product range chosen by TDA, it will assist its clientele in speedy fixation of drawback rates wherever these have not already been determined. For the purpose, the clients of TDA are advised to approach TDA with the requisite proforma information prescribed by the Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India, New Delhi.

Organisation of Buyer-Seller Meets and Participation in Trade Fairs & Exhibitions

TDA organises Buyer-Seller Meets in different parts of the world, it has already organised 7 such meets in UK and United States, which have been highly successful from the point of view of business contracts. It also organises participation in specialised commodity trade fairs abroad in which clients of TDA are given the priority to display their goods.

Trade delegations Study teams

TDA sponsors trade delegations and study teams consisting of the representatives of its clients. The main objective of these delegations and study teams are to establish business contracts with the foreign buyers and conclude export contracts with them.

Credit Reports on Buyers

TDA also help its clients in procuring Dun & Bradstreet (D&B) reports on foreign buyers. In order to establish the credit worthiness of the foreign buyer, it is necessary to get a report on their financial standing TDA has special arrangements with D&B for listing to India clients with them as well as for procuring credit reports on the foreign buyers.

Information Services

The Information Centre of TDA disseminates information on export marketing to the Indian exporting community and others interested through a variety of ways comprising across-the-desk-services, responding to postal enquiries, production of periodicals, information handouts and circulars.

The information supplied by the Centre relates to :—

- Export policies and procedures including export incentives;
- Documentation required abroad;
- India's export-import statistics;
- Import contacts for specific commodity in specific country;
- Tariffs and import regulations in overseas countries;
- Information on GSP;
- Statistics on overseas markets;
- International aid and loan agreements;
- Trade agreements;
- Calls for tenders; and
- General information on overseas markets.

Publication

Besides supply of information across-the-desk and by post, the information Centre brings out publications, reports, etc. to disseminate information on different aspects of export marketing at macro and micro levels. These publications include market information series-country bulletin, product-country series, market share reports and international market trends as also documentations series, such as news index articles (weekly), articles of current interest (monthly) and documentation on international marketing (monthly).

Information Handouts

In order to keep industry and trade, particularly TDA clients, fully informed of the micro-level latest developments which have a direct bearing on their export promotion efforts, the Centre issues, every month 10—15 information handouts, based on the information contained in the (i) reports of India's commercial representatives abroad; (ii) periodicals being received in the Centre; and (iii) reports from TDA's foreign offices in Frankfurt, New York and Tokyo.

Contacts with Foreign Organisation Export Promotion

The Centre has made arrangements with 17 overseas organisations for regularly publishing every month in their bulletins, 100 export offers of our clients. This has proved an effective media of publicity in the overseas markets.

Commercial Development Programmes

In its efforts to diversify and promote the exports of its clients, one of the techniques employed by the TDA is the Commercial Development Programmes. The CDPs are bilateral inter-governmental programmes which have as their basic objective the diversification and expansion of the two-way trade with special emphasis on the exports of non-traditional products from India in a manner so to be of mutual economic advantage to both countries.

While certain products can be exported off-the-shelf from India, there are a host of products which need considerable improvements in terms of improvements in the production processes and modification and adaptation in the products themselves. It is in this context that the CDP while aiming ultimately at an effective marketing objective, has the inbuilt mechanism for improving and qualifying production and the products.

The programmes also provide for visit of experts to advise Indian manufacturing units on improvements in plant layout, production technology process and modifications in quality and design of the products. Visits of marketing and technical personnel from Indian industry are sponsored to enable them to study the production techniques, demand trends as well as faster merchandising relations.

Interfirm Comparisons Projects

With a view to improve the operating efficiency of the Indian industries and make them more competitive in the international market, TDA carries out Interfirm Comparison Studies (IFC) in the selected export-oriented industries. Several firms of an industry contribute their figures confidentially to the Centre for Interfirm Comparison in TDA. The data are processed, analysed and compared by the Centre in the form of ratio of percentages. Each participating firm receives a copy of the General Reprot from the Centre setting out not only the ratio results of its own performance in the selected period, but also those of other participants, all presented in a tabular form without disclosing the identity of any firm. In addition to the General Report, each participating firm receives a Confidential Individual Report which gives the descriptive highlights of that firm's performance, its areas of strength and weakness, the reasons for differences between its ratio and those of others and suggested remedies and recommendations to improve its performance. In this way, IFC Studies help the firms to bring down their costs, increase their productivity and thus become more competitive in both the national as well as international markets.

APPENDIX—14 *contd*

Head Office		**Regional Offices**
Trade Development Authority Bank of Baroda Building 15, Parliament Street, New Delhi-110001. Tel : 310040, 310214, 310519, 310345. Telex : 2735	Air India Building 8th Fl. Nariman Pt., Bombay-400021. Tel : 233685	Trade Development Authority Block No. 3—A, 13th Floor, Chatterjee International Centre 33A Chowringhee Road Calcutta-700071.
Grams : ADEPT	Telex : 4506 Grams : ADEPTBOM	

FOREIGN OFFICES

TRADE DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

6 Frankfurt/Main Heilikreuzgasse-14 West Germany-8 Tel : (9611) 295341-42 Cable-ADEPT Telex : 413004	666, Fifth Avenue, New York, NY 10019 USA Tel : (212) 586-5066-7 Cable -NYADEPT, New York Telex : 236996 Adetpur.	Atagoyama Bengoshi Bldg. (Room Nos 302-303(S) 14-1, Shiba Atago-Cho 1-Chome, Minato-Ku Tokyo (Japan) Tel : 03-436 5060 Cable : ADEPTTYO, Tokyo Telex : J-25839

APPENDIX—15

APPLICATION FOR ALLOTMENT OF REGISTRATION NUMBER

(1) Name of the scheduled industry or industries to which articles of manufacture relate . . .

(2) Name of the Industrial undertaking . .

(3) Full address of the registered office of the company.

(4) Full address of the location of the factory . .

(5) Licence number/numbers issued under I(D & R) Act, and date . . .

(6) Sanction letter/letters/number issued, number and date . .

(7) Name of proprietor partners, Board of directors and their full address .

(8) Any foreign collaborations involved, if so, with whom .

(9) Any foreign technician employed, if so number and types of such personnel .

(10) Tonnage licensed/Sanctioned for production, per annum on single, shift basis.

(11) Number of shifts allowed under licence/sanctioned .

(12) Capacity actually installed out of licensed/sanctioned capacity . . .

(13) Reason for non-installations of balance capacity and when expected to be installed or reasons for excess capacity where applicable . . . .

(14) Names of articles now manufactured and production capacity per annum against each such article with details e.g. guages, quantities etc. . .

(In the case of units which have not started production)

(1) Whether land acquired for factory . .

(2) Progress made in the construction of factory and instalation of plant and machinery . . .

(3) Progress made in getting supply of water and power.

(4) What percentage of value of total requirement of capital equipment has been

(a) ordered and received. .

(b) ordered and not yet received.

(5) Expected date of commencement of production

I/We hereby declare that the facts/statements given above are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We fully understand that any "registration" number claimed or granted to me/us on the basis of above facts/statements is liable to cancellation in addition to any other action that may be taken having regard to the circumstances of the case, if it is found that any of the statements or facts therein are incorrect or false.

(Signature of applicant)

Name in Block letters

Full address...........

Date....................

APPENDIX—16

INTERVIEW SLIP

Serial No. ....

1. Name and address of the applicant ....
....

2. Name of representative with designation and his connection with the firm . . . .
....

3. Officer to be interviewed . . ..
....

4. Date of desired interview . . ..
....

5. Number and date of:—

   (*a*) Application . . . .

   (*b*) Acknowledgement, and . . ..

   (*c*) Any subsequent communication received and replied . ...

6. (*a*) Category of application . . ..

   (*b*) Brief description of goods . ...

   (*c*) Serial No. ITC/ETC Schedule . . . .

   (*d*) CIF/FOB value . . . .

   (*e*) Industry to which application pertains . . . .
....

7. No. and date under which the application is forwarded/re-commended by any other authority ....

8. Brief resume of points of discussion (use reverse form, if necessary) ....

9. Whether any officer was interviewed for this case; or position obtained. If so when ? ....

   Interview timings ....

Signature and status of the representative

Residential address..................

Telephone No...............

Remarks of the Enquiry Officer :

N. B.—Separate form should be used for each application.

COUNTERFOIL

S. No ....*Date*...... : *Stamp*

1. Name of applicant.
2. Name of the representative.
3. Officer to be interviewed.
4. Date and time of interview.

Signature of the Enquiry Officer

APPENDIX 17

RESTRICTION ON FOREIGN PARCELS UNDER THE IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT, 1947

In supersession of the instruction contained in paragraph 1 of Director General's Post Office Circular No. 21 dated the 30-12-1970 as amended from time to time, the following revised instructions, which take effect immediately, are published on the accompanying postal Notice for the information and guidance of all concerned.

2. Export of all articles, with the exception of those mentioned in Schedule 1 to the Exports (Control) Order, 1977, should be allowed by post without licence to all permissible destinations.

Note.—By 'permissible destinations' is meant countries with which this Administration maintains mail service (letter and parcels) and those countries with which there is no trade ban.

POSTAL NOTICE

No 13 dated 3-12-73.

In supersession of Postal Notice No. 18 dated *December,* '70 the following revised instructions are published for the information and guidance of all concerned

2. Except for goods included in Schedule I to Exports (Control) Order, 1977 export of other goods as gifts or for commercial purposes by post parcels will be allowed to all permissible destinations without production of licences under the Imports and Exports (Control) Act, 1947

3. With the exception of what is detailed in sub-paras (i) to (x) below, items shown in Schedule I to the Exports (Control) Order, 1977 will not be allowed for despatch by post unless they are covered by licences issued by the Export Trade Control authorities.

(i) Commercial samples, when covered under OGL No. 2 upto values indicated in Schedule III to the Exports (Control) Order, 1977.

(ii) Two jackets made out of skins of permissible species of wild life including quota species when exported by post by retail-shopkeeper to the tourists who come to India and purchased the same and want them to be mailed, provided the tourists had made payment in foreign exchange. Export of such jackets will, however, be permitted subject to production of Legal Procurement certificate and C.I.T.E.S. Certificate.

(iii) Hand woven woollen carpets and woollen chain stiched rugs shown against items No. 73 in Part B of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1977 when exported as gifts without monetary limit.

(iv) Footwear, all types, shown against item No. 76 in Part B of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1977 upto Rs. 200/- in value when despatched as gifts.

(v) Handloom striped bed-spreads known as 'Etawah stripes, shown against items No. 70(iii) in Part (B) of Schedule I to Exports (Control) Order, 1977 upto Rs. 200/- in value for each parcel when despatched as gift.

(vi) Handloom cloth of lungi design of non-fast colours (including those having bleeding properties) and garments made therefrom shown against item No. 70(iv) in Part B of Schedule I to Exports Control Order, 1977 upto Rs. 200/- in value for each parcel when despatched as gift.

(vii) Export of Cotton manufactures to U.K., U.S.A., Austria, West Germany, France, Italy and Benelux countries, shown against items Nos. 7(v), (vi), (vii) and (viii) in Part B of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1977 upto Rs 200/- in value for each parcel when despatched as gift

(viii) Cellulosic Art Silk fabrics upto Rs. 200/- in value for each parcel when despatched as gift.

(ix) Nylon fabrics upto Rs. 200/- in value for each parcel when despatched as gift.

(x) Silver coins where (i) export value is not less than the price of silver contents, (ii) permission of the Reserve Bank of India has been obtained, (iii) antiquity clearance has been obtained from the Archaeological Department of the Ministry of Education for coins more than 100 years old and (iv) the relevant shipping bills are endorsed by a competent Customs Officer.

4. Notwithstanding what has been stated above, export by post will continue to be subject, where necessary, to the P.P. Form and other procedure laid down in the Postal Notice No. 12 dated the 25-5-1951 as amended from time to time regarding restrictions on the export of goods by post to countries outside India under the Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (VI of 1947).

5. The provisions of this Postal Notice will also apply to the Exports of goods by air postal parcels provided the parcels do not exceed 5 (five) Kg. in weight.

APPENDIX 18

REGISTER FOR MAINTENANCE OF CONSUMPTION AND STOCKS OF IMPORTED RAW MATERIALS/ COMPONENTS BY THE ACTUAL USERS

(Other than Newspaper Establishments)

S. No.	Description of items	Reciepts		Particulars of import licences/release orders of OGL or direct allotment by canalising agency against which imported/allotted.	Name & Address of authorised source if goods obtained from any other source	B.E. No. & Date of Sale Note No. & Dt. and GR/RR No. and Dt., under which goods transported from the port of landing or place of receiving goods to the factory site	Date	Qty.	Issue (Consumption)				
		Opening balance	Qty. of fresh Stock received						End products in which used/ Batch No. also to be shown in the case of pharmaceutical unit.	Qty. produce out of imported raw material consumed	Qty. diverted to other in an authorised manner	Closing balance	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

APPENDIX- 18(A)

REGISTER FOR MAINTENANCE OF CONSUMPTION AND STOCKS OF IMPORTED RAW MATERIALS, ETC. BY NEWSPAPERS ESTABLISHMENTS

Opening balance			Receipts				Consumption		balance
Opening balance as on 1st April 19	**Broad description of items**	**Quantity/ c.i.f. value**	**Date of receipt**	**Quantity imported**	**Invoice No. & date**	**c.i.f. value**	**Consumption, Qty.**	**Loan, if any, Qty.**	**Balance quantity and c.i.f. value as on 31-3-19**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

APPENDIX—19

PROFORMA OF APPLICATION FOR RECOGNITION OF RESEARCH AND DEVELOPMENT LABORATORIES

1. Name of the applicant/firm . . . .

2. Address :—

   (a) Head office . . . .

   (b) Factory/Factories . . . .

   (c) R & D Laboratory/Centre . . . . . .

3. Nature of business . . . .

4. Company structure :—

   (a) Public/Private/Co-operative/Joint Sector/Proprietory/Partnership concern . . . .

   (b) Whether foreign equity participation ? Please give name of foreign equity participant and percentage thereof .

   (c) Name of directors on the Board/Proprietors . . .

5. Capital structure :—

   (a) Authorised capital . . . .

   (b) Paid-up capital . . . .

   (c) Other liabilities . . . .

6. Category of the firm :—

   (a) Small scale unit . . . .

   (b) Registered with DGTD . . . .

   (c) Covered under IDR Act . . . .

   (d) Covered under MRTP Act . . . . . .

   (e) Others (Please indicate sponsoring authority) . .

7. Administrative Ministry concerned :

8. Technical collaboration, if any:—

Sl. No.	Product	Name & address of the Technical Collaboration	History of collaboration
1	2	3	4

N.B.:—Under column 4, please indicate year(s) of approval(s) including extensions, and the date of expiry of existing collaboration arrangements.

9. Annual turnover for the last three years (year-wise)

10. Main Products manufactured :

Sl. No.	Product	Capacity licensed	Installed	Production (Three years) 1980-81	1981-82	1982-83
1	2	3	4	5	6	7

11. Total Manpower employed by the firm

    (a) Scientific and Technical . . . . . .

    (b) Administrative . . . .

    (c) Others . . . .

Total ————

APPENDIX—19—*contd.*

B. RESEARCH & DEVELOPMENT

1. Whether R & D work has already been in progress (if so, the date of commencement) . . . .
2. Main objectives of the R & D programme . . . . .
3. Whether R & D establishment is housed in a separate building inside/outside the factory premises . . . . . .
4. Whether R & D activity is separate from your Production and Quality control departments and whether separate account is maintained . . . .
5. Brief particulars of equipments/pilot plant facilities available (Please enclose list, indicating value and source) . . .
6. Whether you have a full-time R & D Director/Manager ? If so, please give this name and date of appointment . . .
7. Details of R & D achievements during the last three years (Enclose a separate sheet, if necessary) . . . . . .
8. Patents filed in India or abroad during the last three years .
9. Whether any of the technologies developed have been . .
   (a) Commercialised by you . . . .
   (b) Sold to other parties in India . . . . . .
   (c) Exported . . . .
10. Give particulars R & D projects in progress (Please give details in proforma at Annexure 'A') . . . .
11. R & D project proposed during the next three years (Please give details in proforma at Annexure (B') . . . . .
12. Expenditure on R & D work
    Please furnish yearwise figures for the past three years (actuals) current year (budgeted), and estimates for the next three years.

Expenditure	Past three years (actuals) 1980-81	1981-82	1982-83	Current year (budgeted)	Next three years (Estimated) 1984-85	1985-86	1986-87
	1	2	3	4	5	6	7
(a) Capital							
(b) Recurring							
(c) Total							
(d) Foreign exchange component of (c)							
(i) Capital							
(ii) Recurring							
Total							

Note :—Any expenditure on quality control, trouble shooting, testing, market research and other similar activities related to production may be excluded from the figures to be furnished above.

13. Please indicate income-tax rebate allowed, if any, on R & D expenditure during the past three years.
14. Manpower employed on R & D work (existing)

Category	Full time (Number)	Part time (Number)
(a) Scientists		
(b) Engineers		
(c) Technicians		
(d) Others		
Total :		

APPENDIX 19—*contd.*

15. Educational status of R & D personal (existing) **Existing** (Number)

Category	1	2	3
(a) Doctorate Degree			
(c) Master's degree			
(c) Graduates			
(d) Below graduates.			
Total :			

16. Phasing of recruitment during the next three years.

	Years		
Category	1	2	3
(a) Scientists			
(b) Master's degree			
(c) Graduates			
(d) Below graduates			
	1	2	3

17. Have you obtained any assistance/purchased and know how from NRDC or any of the National Laboratories/Universities IIT's Other Institutions during the last three years ? Please give details, along with year and source.

18. Whether any of the itemsof R & D work in progress or proposed by you is being done elsewhere in the country ?If so, please indicate location.

Date :

Place :

Signature of the Head of Organisation

Designation :

APPENDIX 19—*contd*

ANNEXURE 'A'

DETAILS OF R & D PROGRAMME/PROJECTS IN PROGRESS

Sl. No.	Title & scope of the R &D Project	Name of the Project Leader	Year in which started	Duration of the Project	Total Estimate Project cost under				REMARKS
					Capital	Recurring	Total	F.E.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

APPENDIX 19 —*concld.*

ANNEXURE 'B'

DETAILS OF PROPOSED R&D WORK (FOR THE NEXT THREE YEARS)

Year	No. Sl.	Title & Scope of the R&D Project	Name of the Projec Leader proposed	Duration of the Project	Total estimated project Cost under				List specialised equipment required to be purchased and indicate their cost	List any special raw material required with cost	Remarks (indicate specific reasons, if any, for proposing the R&D Project)
					Capi-tal	Recu-rring	Total	F. E.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PROFORMA OF APPLICATION FOR RENEWAL OF RECOGNITION OF RESEARCH AND DEVELOPMENT LABORATORIES.

APPENDIX—19—A

PART—'A'

1. Name of the applicant/firm . . . . . .
2. Address:—
   (a) Head Office . . . .
   (b) Factory/Factories . . . .
   (c) R & D Laboratory/Centre . . . .
3. Nature of business . . . .
4. Company structure:—
   (a) Public/Private/Co-operative/Joint Sector/Proprietory/ Partnership concern . . . .
   (b) Whether foreign equity participation ? Please give name of foreign equity participant and percentage thereof . .
   (c) Names of directors on the Board/Proprietors . . .
5. Capital structure :
   (a) Authorised capital . . . .
   (b) Paid-up capital . . . .
   (c) Other liabilities . . . .
6. Category of the firm :—
   (a) Small scale unit . . . .
   (b) Registered with DGTD . . . .
   (c) Covered under IDR Act . . . . . .
   (d) Covered under MRTP Act . . . . . .
   (e) Other (Please indicate sponsoring authority) . . .
7. Administrative Ministry concerned :— . . . . .
8. Technical collaboration if any:—

Sl. No.	Product	Name & address of the Technical collaboration	History of collaboration
1	2	3	4

N.B.:—Under column 4. please indicate year(s) of approval (s) including extensions, and the date of expiry of existing collaboration arrangements.

9. Annual turnover for the last three years (year-wise)
10. Main Products manufactured

Sl. No.	Product	Capacity licensed	Installed	Production (Three years)
1	2	3	4	5

11. Total manpower employed by the firm :—
    (a) Scientific and Technical . . . .
    (b) Administrative . . . .
    (c) Others . . . .

Total . . .

APPENDIX 19A—*contd.*

PART—B—RESEARCH AND DEVELOPMENT

1. WhethereR & D work has already been in progress (if so the date of commncement) . . . .
2. Main objectives of the R & D programme: . . . . .
3. Whether R & D establishment is housed in a spearate building inside/outside the factory premises . . . . . .
4. Whether R & D activity is separate from your Production and Quality control departments and whether separate account is maintained . . . .
5. Brief particulars of equipments/pilot plant facilities available (Please enclose list, indicating value and source). . . .
6. Whether you have a full-time R & D Director/Manager ? If so, please give his name and date of appointment . . .
7. Details of R & D achievement during the last three years (Enclose a separate sheet, if necessary) . . . . .
8. Patent filed in India or abroad during the last three years .
9. Whether any of the technologies developed have been :
   (a) Commercialised by you . . . .
   (b) Sold to other parties in India . . . . . .
   (c) Exported . . . .
10. Give particulars of R & D projects in progress (Please give details in proforma at Annexure 'A') . . . .
11. R & D projects proposed during the next three years (Please give details in proforma at Annexure 'B') . . . . . .
12. Expenditure on R & D Work:—
    Please furnish year-wise figures for the past three years (actuals), current year (budgeted) and estimates for the next three years .

	Past three year (actuals)	Current year (budgeted)	Next three years (estimated)
	1	2	3
(a) Capital			
(b) Recurring			
(c) Total			
(d) Foreign exchange component of (c)			
(i) Capital			
(ii) Recurring			
Total			

Note:— Any expenditure on quality control, trouble shooting, testing, market research and other similar activities related to production may be excluded from the figures to be furnished above.

13. Please indicate income-tax rebate allowed, if any, on R & D expenditure during the part three years . . . .
14. Manpower employed on R & D work (existing) . . .

Category	Full-time (Number)	Part-time (Number)
(a) Scientists		
(b) Engineers		
(c) Technicians		
(d) Others		
Total		

APPENDIX 19A—*contd.*

15. Educational status of R & D personal (existing) (Number)

(a) Doctorate degree	
(b) Master's degree	
(c) Graduates	
(d) Below graduates	
Total . . .	

16. Phasing of recuritment during the next three years

Category	Years		
	1	2	3
(a) Scientists			
(b) Master's Degree			
(c) Graduates			
(d) Below graduates			
Total . . .			

17. **Have you obtained any assistance/purchased and know how from NRDC** or any of the National Laboratories/Universities/IITs/ **Other Institutions during the last three years, Please give details, along with year and** source.

18. **Whether** any of the items **of R & D work** in progress or proposed by you is being done elsewhere in the country? If so, please indicate **location.**

APPENDIX 19A—*contd.*

ANNEXURE 'A'

DETAILS OF R & D PROGRAMME/PROJECTS IN PROGRESS

Sl. No.	Title & scope of the R & D Project	Name of the project Leader	Year in which started	Duration of the project	Total Estimate Project Cost under				Remarks
					Capital	Recurring	Total	F.E.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

APPENDIX 19A—*contd.*

DETAILS OF PROPOSED R & D WORK (FOR THE NEXT THREE YEARS)

Year	Sl. No.	Title & scope of the R&D Project	Name of the Project Leader Proposed	Duration of the project	Total Estimated Project cost under				List specialised equipments required to be purchased and indicate their cost	List any special raw material required with cost	Remarks (Indicate specific reasons, if any, for proposing the R&D project)
					Capital	Recurring	Total	F.E.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

APPENDIX 19A—*concld.*

PART—'C'

1. Details of the Recognition granted:—

   (a) Year of the recognition granted intially and its validity period . . . .

   (b) Current recognition Letter No. and its validity period .

   (c) Break in recognition, if any . . . . . .

2. Whether separate accounts for R & D is now maintained, If yes, date from which it is maintained separately. If not, when it is proposed to be segregated ? . . . .

3. Changes in the R & D set-up manpower etc. If any, since the Application for recognition was made 2/3 years ago . .

4. Improvements/expansion of R & D centre during the last 2/3 years. Furnish details of increase in floor area, separate buildings, facilities and services added. (services like controlled environmental conditions, stablised power, etc). . . .

5. List of equipments procured for R & D since the application for recognition made 2/3 years ago. (Please list the equipments procured year-wise and indicate their cost) . . . .

6. Activities of R & D staff with respect to publishing of papers, participation in national/international seminars, symposia, etc. suggesting any improvements/methods, training in laboratories industries/abroad. . . . .

7. R & D Programmes :

   (a) Present status of R & D programmes shown in Annexure 'A' of earlier application. . . . .

   (b) Present status of R & D programmes shown in Annexure 'B' of earlier application . . . .

8. Details of R & D achievements during the period under review (list the achievements year-wise): . . . .

   (a) New product development . . . .

   (b) New process development . . . .

   (c) Improvement in existing production process . . .

   (d) Import substitution (indicate item developed and foreign exchanges saved) . . . .

   (e) Others . . . .

9. Indicate the total R & D expenditure year-wise inclusive of staff salary and express the same as a percentage of total turnover during the peirod under review :

Year	Total R & D Expenditure	Annual turnover	%
1.			
2.			
3.			

10. Full details of import effected for R & D purposes during the period under review.

Sl. No.	Year of import	Particulars of imports and Utilization thereof									
		C.G.			R.M.			Others			Remarks
		Description	CIF Value	How utilised	Description	CIF Value	How utilised	Description	CIF Value	How utilised	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

APPENDIX 19A *contd.*

11. Indicate briefly and advantage/benefit your firm had obtained in view of the recognition . . . .

12. Any suggestions which you may like to offer about the R & D registration scheme. . . . .

13. Whether any programmes have been submitted under Sec. 35 (2B) of the I.T. Act. If yes, brief details of the same covering title of programmes, duration, etc. may be given. . . . .

14. Whether you had applied for Industrial Licence on the basis of Government Notification for preferential treatment in licensing.

15. Whether you had applied for enhanced investment allowance

Date :

Place

Signature of Head of Organisation :

Designation

APPENDIX 20

FORM OF AFFIDAVIT

Form of affidavit for obtaining duplicate copies of licences and Customs Clearance Permits which are lost or misplaced.

"I/We hereby solemnly affirm and declare that Customs purpose copy/exchange purpose copy/both of licence No. .. dated .... issued to me/us for the import/export of .... from/to ...... has been lost/misplaced without having been registered with any customs authority and utilised at all/after having been registered with .... (Customs House) .... and utilised partly. The total amount for which the licence was issued is Rs. .. .. and the total amount for which the original copy/or duplicate is now required is to cover the balance of Rs. .... I/We further solemnly affirm and declare that the said licence has not been cancelled, pledged, transferred or handed over by me/us or on my behalf to any other party for any purpose/consideration whatsoever and request to cancel the original licence *in lieu* of which the duplicate copy has been applied for by me/us. I/We agree and undertake to return the original licence, if traced later, to the issuing authority for record.

APPENDIX 21

Deleted

APPENDIX 22

FORMS OF LEGAL AGREEMENT

PART 1

FORM OF LEGAL AGREEMENT

(For execution by limited Companies in cases involving export obligation in terms of value)

AN AGREEMENT made this .... day .... 198 Between ....a company incorporated under the Companies Act, 1956 and having its Registered Office at .... (hereinafter referred to as "THE COMPANY" which expression shall includes its successors and assigns) of the one Part And the PRESIDENT OF INDIA (hereinafter referred to as "GOVERNMENT" which expression shall include his successors in office and assigns) of the Other Part.

WHEREAS the Company has been granted an Import Licence No. .... dated .... for import of Plant, machinery and equipment of the c.i.f. value of ....

AND/OR WHEREAS Governmnet have communicated vide .... to the Company .... the terms and conditions of their proposed foreign investment/technical collaboration arrangement with M/s. ....

AND/OR WHEREAS Government have communicated to the Company vide letter of Intent No. .... dated .... the terms and conditions of acceptance of their proposal for a grant of Industrial Licence/substantial expension of capacity.

AND WHEREAS as a condition of the said import licence for plant and equipment/approval of foreign collaboration/licence under the industries Act or letter of intent, the Government has stipulated that the Company must earn foreign exchange to the extent of Rs. .... lakhs annually/over a period of .... years (or except .... percent of its products) annually for................years or as may be extended from time to time under the signatures of the parties, which amendment shall be deemed to form a part of this agreement/until such time as the full foreign exchange cost of the project (or twice, or any other multiple, of the foreign exchange cost of the project) amounting to Rs. ....lakhs has been realised by way of export earnings. (The precise condition would be approved in each case by the C.G. Committee, Foreign Investment Board/Licensing Committee).

Now, it is hereby agreed and declared by and between the parties hereto as follows :—

1. The Company shall earn foreign exchange (to the extent of Rs. .... Rupees ....) by exporting (Not less than Rs. .... lakhs,/percent of) its product(s) namely .... annually for .... years or as may be extended from time to time under the signatures of the parties, which amendment shall be deemed to form a part of this agreement/till such time as the total foreign exchange earning realised from the exports amount to Rs. .... This export obligation shall be in addition and over and above any other export obligation (except export obligation against Advance/Imprest Licences) that might have been or may be imposed on the Company on any other ground. Export to Bhutan will not qualify for redemption of export obligation and exports to Nepal and Afghanistan, if made otherwise than against payment in free foreign exchange, will not qualify for redemption of export obligation. Exports made in breach of the foreign collaboration agreement, if any, will also not qualify for redemption of export obligation.

2. The above mentioned export must commence from eighteenth month after the commissioning of the plant and equipment/commencement of production. The plant shall be commissioned within the date specified in the industrial licence The production must commence on and from the ....

The Company shall undertake to furnish a certificate on its printed letter head, giving the correct date of commissioning of plant and equipment against the Import Licence, signed by its Chief Engineer or Works Manager, as the case may be and duly countersigned by the legally authorised person of the Company and under its Common Seal within 30 days from the date of such commissioning.

OR

The Company shall undertake to furnish a certificate on its printed letter head giving the correct date of commencement of production or additional production against the import licence for plant and equipment/approval of foreign collaboration/licence under the industry (Development & Regulation) Act, 1951, or Letter of Intent, signed by its Chief Engineer or Works Manager, as the case may be, and duly countersigned by the legally authorised person of the Company and under its Common Seal within 30 days from the date of such commencement of production or additional production.

3. The company shall furnish a report within thirty days of the close of each financial year to the Chief Controller of Imports and Exports (Export Obligation Cell). New Delhi, copy to the concerned Jont/Deputy Chief Controller of Imports & Exports, with a copy to the Government of India in the Ministry of Commerce, Export Production Section), New Delhi, giving in respect of the previous financial year (or part of financial year for the first year of operation of the export conditions as per clause 2 thereof) the undermentioned particulars namely :—

(a) Production (in terms of quantity as well as book-value) duly certified by a Chartered Accountant who is not a Director or an employee of the Company or its associate concerns but who may be a statutory auditor of the company.

(b) Exports (in terms of quantity and the f.o.b. value) with particulars of goods exported, their quantity and f.o.b. value, countries to which exported, duly certified by a Chartered Accountant who is not a Director or an employee of the Company or its associate concerns but who may be a statutory auditor of the Company.

4. The Company shall also submit to the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi or to the concerned Joint/Deputy Chief Controller of Imports and Exports within six months of the close of each financial year, bank certificates in original showing realisation of foreign exchange against exports, made during the previous year in fulfilment of the export obligation specified herein and such other documents as may be demanded by the Chief Controller or concerned Joint/Deputy Chief Controller of Imports and Exports, as further evidence in support of the foreign exchange earned in the previous years in fulfilment of the terms and conditions of this agreement.

5. If in any given year, the Company fails and/or neglects or is not able to export goods worth Rs. .... lakhs (......................... per cent of its output) then in such an event the company shall, on being called upon to do so by the concerned Joint/Deputy Chief Controller of Imports & Exports or Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi, by a letter handover within 30 (Thirty) days from the date of the said letter to the State Trading Corporation of India Ltd., or such other person, firm, or body corporate as the Government or C.C.I. & E., New Delhi may nominate (hereinafter referred to as "THE AGENCY") the difference between the stipulated annual commitment/obligation and actual exports (subject to a maximum of .... percent) of .... produced during the year for export by the Agency at such prices as it is able to obtain abroad. The Company shall, in addition, pay simultaneously a sum of Rs. ....lakhs, (This would be equal to 5 per cent of the export obligation subject to a maximum of Rs. 5 lakhs) by way of "liquidated damages

APPENDIX 22—*contd.*

by the Agency. The Agency after export and realisation of sale proceeds of the aforesaid .... as expeditiously as possible, shall give to the Company the rupee equivalent of the net foreign exchange earned by the Agency on such export after deducting such expenses (including the Agency's normal Commission) as have been incurred by the Agency.

6. The value and/or the quantity representing the difference between the stipulated annual export commitment/obligation and the actual exports made and also the amount representing 5 percent of the annual export obligation by way of liquidated damages shall be determined by the Joint/Deputy Chief Controller of Imports and Exports or Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi and the decision made by any of the said authorities shall be final and binding on the Company. While determining the value and/or quantity the said authority, if considered necessary, may on their discretion give opportunity to the Company to produce such evidence as it can in support of the determination of the value and quantity for this purpose.

7. If in any year the Company exports .... in excess of .... per cent of its output/in excess of Rs. .... as required in terms of the condition, laid down herein, such excess, may be set off against the shortfalls, if any, in subsequent year(s).

8. In the event of the Company failing and/or neglecting to fulfil the obligations on its part in any year, save and except only when the fulfilment of such obligation was prevented or delayed because of or due to any law, order, proclamation, regulation or ordinance of the Government, the Government will be entitled and be at liberty to take possession of .... produced by the Company to the extent as indicated in clause 6 above and take such other action as it may consider necessary in addition to recovering liquidated damages. Any order issued by the Government in this regard shall be final and binding on the Company which hereby undertakes to comply unconditionally with such an order.

9. The stamp duty, if any, chargeable on these presents or any document executed hereunder shall be borne exclusively by the Company.

In Witness Whereof the Common Seal of .... has been hereunto affixed and for and on behalf of the President of India Shri .... has set and subscribed his hands hereunto.

Common Seal of the within named Company has been affixed hereunto in the presence of

Signature :—

(i) Shri .... (i) ....
.... Director and (Residential Address)
(ii) Shri .... (ii) ....
.... Director and (Residential Address)
who have been duly authorised for the purpose by a resolution of the Board of Directors of the Company passed at the meeting held on ....
and who have signed in the presence of :

1. ....
(name, designation & address)
2. ....
(name, designation & address)

Signed for and on behalf of the President of India by Shri........
....
....
in the presence of
1. ....
(name, designation & address)
2. ....
(name, designation & Address)

PART II

FORM OF LEGAL AGREEMENT

(For execution by Limited Companies involving export obligation of Single Items in terms of some percentage of production)

AN AGREEMENT made this .... day of ....198 Between ....a company incorporated under the Companies Act 1956 and having its Registered Office at .... (hereinafter referred to as "THE COMPANY" which expression shall include its successors and assigns) of the One Part and the PRESIDENT OF INDIA (hereinafter referred to as "GOVERNMENT" which expression shall include his successors in office and assigns) of the Other Part.

WHEREAS the Company has been granted an Import Licence No. .... dated .... for import of plant, machinery and equipment of the c.i.f. value of ....

AND/OR WHEREAS Government have communicated vide .... to the Company .... the terms and conditions of their proposed foreign investment/ technical collaboration arrangement with M/s. ....

AND/OR WHEREAS Government have communicated to the Company vide Letter of Intent No. .... dated .... the terms and conditions of acceptance of their proposal for a grant of Industrial Licence/substantial expansion of capacity.

AND WHEREAS as a condition of the said import licence for plant and equipment/approval of foreign collaboration/ licence under the Industries Act or letter of intent, the Government has stipulated that the Company must earn foreign exchange by exporting .... percent of its production of .... annually for .... years or as may be extended from time to time under the signatures of the parties, which amendment shall be deemed to form a part of this agreement. (The precise condition would be approved in each case by the C. G. Committee, Foreign Investment Board/Licensing Committee.)

Now it is hereby agreed and declared by and between the parties hereto as follows :—

1. The Company shall export .... percent of its annual production of .... for a period of .... years or as may be extended from time to time under the signatures of the parties, which amendment shall be deemed to form a part of this agreement. This export obligation shall be in addition and over and above any other export obligation (except export obligation against Advance "Imprest" licences) that might have been or may be imposed on the Company on any other ground. Export to Bhutan will not qualify for redemption of export obligation and exports to Nepal and Afghanistan, if made otherwise than against payment in free foreign exchange, will not qualify for redemption of export obligation. Exports made in breach of the foreign collaboration agreement, if any, will also not qualify for redemption of export obligation.

2. The above-mentioned export must commence from eighteenth month after the commissioning of the plant and equipment/commencement of production. (The plant shall be commissioned within the date specified in the Industrial Licence). The production must commence on and from the ....

The Company shall undertake to furnish a certificate on its printed letter head, giving the correct date of commissioning of plant and equipment against the Import Licence signed by its Chief Engineer or Works Manager, as the case may be, and duly countersigned by the legally auhorised person of the Company and under its Common Seal within 30 days from the date of such commissioning.

APPENDIX 22—Contd

OR

The Company shall undertake to furnish a certificate on its printed letter head giving the correct date of commencement of production or additional production against the import licence for plant and equipment/approval of foreign collaboration/licence under the Industry (Development and Regulation) Act, 1951, or Letter of Intent, signed by the Chief Engineer or Works Manager as the case may be and duly countersigned by the legally authorised person of the Company and under its Common Seal, within 30 days from the date of such commencement of production or additional production

3. The Company shall furnish a report within thirty days of the close of each financial year to the Chief Controller of Imports and Exports (Export Obligation Cell), New Delhi, or to the concerned Joint/Deputy Chief Controller of Imports and Exports, with a copy to the Government of India in the Ministry of Commerce (Export Production Section), New Delhi, giving in respect of the previous financial year (or part of financial year for the first year of operation of the export condition as per clause 2 hereof) the undermentioned information and particulars namely :—

(a) Proluction (in terms of quantity as well as value to be calculated on the basis of exfactory cost of production per unit of ....produced by the Company after deducting therefrom excise duty, if any, included therein) and the said data shall be duly certified by a Chartered Accountant who is not a Director or an employee of the Company or its associate concerns but who may be a statutory auditor of the Company.

(b) Exports (in terms of quantity and the f.o.b. value) with particulars of goods exported, the quantity and f.o.b. value and countries to which exported, duly certified by a Chartered Accountant who is not a Director or an employee of the Company or its associate concern but who may be a statutory auditor of the Company.

4. The Company shall also submit to the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi, or to the concerned Joint/Deputy Chief Controller of Imports and Exports, within six months of the close of each financial year, bank certificates in original showing realisation of foreign exchange against exports made during the previous year in fulfilment of the export obligation specified herein and such other documents as may be demanded by the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, or the concerned Joint/Deputy Chief Controller of Imports and Exports as further evidence in support of the foreign exchange earned in the previous year in fulfilment of the terms and conditions of the agreement.

5. If in any given year, the Company fails and/or neglects or is not able to export .... percent of its production of ... . then in such an event the Company shall on being called upon to do so by the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi or Joint/Deputy Chief Controller of Imports and Exports, by a letter, hand over within thirty days from the date of the said letter to the State Trading Corporaion of India Ltd, or such other person, firm or body corporate as the Government or Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi may nominate (hereinafter referred to as "The Agency") the difference between the stiplated annual commitment/obligation and actual exports of........ produced during the year (subject to a maximum of........ percent of the production for that particular year) for export by the Agency at such price as it is able to obtain abroad. The Company shall in addition pay simultaneously a sum equal to 5% of the export obligation subject to a maximum of Rs. 5 lakhs by way of liquidated damages to the Agency. The agency after export and realisation of sale proceeds of the aforesaid ...... as expeditiously as possible shall give to the company the rupee equivalent of the net foreign exchange earned by the Agency on such export after deducting such expenses (including the agency's normal commission) which have been incurred by the Agency. The amount of liquidated damages will be calculated on the basis of the exfactory cost of production per unit of .... produced by the Company, less excise duty, if any. As evidence of ex-factory cost of production per unit, the Company shall produce a certificate from a Cost Accountant (in practice), who is not a director or an employee of the Company. The said ex-factory cost of production in rupees will be adopted for determining the amount of liquidated damages payable in case of failure and/or negligence of inability of the Company to fulfil the export obligation but the amount calculated on the abovementioned basis will not be used for any other purpose or for claiming any benefit on such exports (effected directly or through the State Trading Corporation of India Ltd. or some other agency) under any scheme.

6. The value and/or the quantity representing the difference between the stipulated annual export commitment/obligation and the actual exports made and also the amount representing 5 per cent of the annual export obligation by way of liquidated damages shall be determined by the Joint/Deputy Chief Controller of Imports & Exports or Chief Controller of Imports & Exports New Delhi and the decision made by any of the said authorities shall be final and binding on the Company. While determining the value and/or quantity the said authority if considered necessary may on his discretion give opportunity to the Company to produce such evidence as it can in support of the determination of the value and quantity for this purpose.

7. If in any year the Company exports .. ..in excess of . ... per cent of its output as required in terms of the conditions laid down herein, such excess may be-set off against the shortfals, if any, in subsequent year(s).

8. In the event of the Company failing and/or neglecting to fulfil the obligations on its part in any year save and except only when the fulfilment of such obligation was prevented or delayed because of or due to any law, order, proclamation, regulation or ordinances of the Government, the Government will be entitled and be at liberty to take possession of...... produced by the Company to the extent as indicated in clause 6 above and take such other action as it may consider accessary in addition to recovering liquidated damages. Any order issued by the Government in this regard shall be final and binding on the Company which hereby undertakes to comply unconditionally with such an order.

9. The stamp duty if any chargeable on these presents or any documents executed hereunder shall be borne exclusively by the Company.

In Witness Whereof the Common Seal of .... has been hereunto affixed and for and on behalf of the President of India Shri .... has not and subscribed his hands hereunto.

Common Seal of the within name Company has been affixed hereunto in the presence of

Signature :—

(i) Shri .... (i) ....
.... Director and (Residential Address)
(ii) Shri .... (ii) ....
.... Director and (Residential Address)

who have been duly authorised for the purpose by a resolution of Board of Directors of the Company passed at the meeting held ....

on and who have signed in the presence of :

1. ... .
(name, designation & address)
2. .. ..
(name, designation & address)

Signed for and on behalf of the President of India by Shri . ..
....
....

In the presence of
1 ....
(name designation & address)
2 ....
(name, designation & address)

APPENDIX 22—*Contd.*

PART III

FORM OF LEGAL AGREEMENT

(For execution by Limited Companies involving export obligation of Multiple *Items* in terms of some percentage of production)

AN AGREEMENT MADE THIS..............day of ....198 Between ....a company incorporated under the Companies Act. 1956 and having its Registered Office at........(hereinafter referred to as "THE COMPANY" which expression shall include its successors and assigns) of the One Part and the PRESIDENT OF INDIA (hereinafter referred to as "GOVERNMENT" assigns) of the Other Part.

WHEREAS the Company has been granted an Import Licence No. .... dated ....for import of plant, machinery and equipment of the c.i.f. value of......

AND/OR WHEREAS Government have communicated vide................ to the Company ....(name of the foreign firm) the terms and conditions to their proposed foreign investmnt/technical collaboration arrangement with M/s. ....

AND/OR WHEREAS Government have communicated to the Company vide letter of intent No. ....dated ....the terms and conditions of acceptance to their proposal for a grant of Industrial Licence/substantial expansion of capacity.

AND WHEREAS as a condition of the said Import licence for plant and equipment/approval of foreign collaboration licence under the Industries Act or letter of intent, the Government has stipulated that the Company must earn foreign exchange by exporting..................percent of its production of .... annually for .... years or as may be extended from time to time under the signatures of the parties, which amendment shall be deemed to form a part of this agreement. (The precise condition would be approved in each case by the C.G. Committee/Foreign Investment Board/Licensing Committee).

Now it is hereby agreed and declared by and between the parties hereto as follows :—

1. The Company shall earn foreign exchange by exporting .... percent of its products namely .... annually for .... years or as may be extended from time to time under the signatures of the parties, which amendment shall be deemed to form a part of this agreement. This export obligation shall be in addition and over and above any other export obligation (except export obligation against Advance Imprest licences) that might have been or may be imposed on the Company on any other ground. Exports to Bhutan will not qualify for redemption of export obligation and exports to Nepal and Afghanistan, if made otherwise than against payment in free foreign exchange will not qualify for redemption of export obligation. Exports made in breach of the foreign collaboration agreement, if any, will also not qualify for redemption of export obligation.

2. The above-mentioned export must commence from eighteenth month after the commissioning of the plant and equipment/commencement of production. (The plant shall be commissioned within the date specified in the Industrial Licence). The production must commence on and from the.........

The Company shall undertake to furnish a certificate on its printed letter head, giving the correct date of commissioning plant and equipment against the Import Licence, signed by its Chief Engineer or Works Manager, as the case may be, and duly countersigned by the legally authorised person of the Company and under its Common Seal within 30 days from the date of such commissioning.

OR

The Company shall undertake to furnish a certificate on its printed letter head giving the correct date of commencement of production or additional production against the import licence for plant and equipment/approval of foreign collaboration/licence under the Industry (Development & Regulation) Act. 1951, or Letter of Intent, signed by its Chief Engineer or Works Manager, as the case may be, and duly countersigned by the legally authorised person of the Company and under its Common Seal within 30 days from the date of such commencement or production or additional production.

3. The Company shall furnish a report within thirty days of the close of each financial year to the Chief Controller of Imports and Exports (Export Obligation Cell) New Delhi or to the concerned Joint/Deputy Chief Controller of Imports and Exports with a copy to the Government of India in the Ministry of Commerce (Export Production Section), New Delhi giving in respect of the previous financial year for part of financial year for the first year of operation of the export condition as per clause 2 hereof,) the undermentioned information and particulars namely :—

(a) Production (in terms of quantity) in respect of each item produced, duly certified by a chartered Accountant who is not a director or an employee of the Company or its associate concerns but who may be a statutory auditor of the company.

(b) Exports (in terms of quantity and f.o.b. value) with particulars of goods exported, their quantity, f.o.b. value, and countries to which exported, duly certified by a Chartered Accountant who is not a director or an employee of the Company or its associate concerns but who may be a statutory auditor of the company

(c) Ex-factory Cost of production by the unit, less excise duty, if any, in respect of each item produced duly certified by a Cost Accountant (in practice), who is not a director or an employee of the company. In the certificate, the Cost Accountant (in practice) shall also indicate the total ex-factory cost of production of all the items produced by the unit, less excise duty if any.

4. The Company shall also submit to the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi or to the concerned Joint/Deputy Chief Controller of Imports and Exports within six months of the close of such financial year, bank certificates in original showing realisation of foreign exchange against exports made during the previous year in fulfilment of the export obligation, and such other documents as may be demanded by the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi, or the concerned Joint/Deputy Chief Controller of Imports and Exports, as further evidence in support of the foreign exchange earned in the previous year in fulfilment of the terms and conditions of this agreement

5. The total export obligation will be determined in terms of value by taking the total ex-factory cost of production of all the items produced, less excise duty, if any, as certified by Cost Accountants (in practice). The exports actually made in terms of quantity will also be converted into value by taking the ex-factory cost of production of the items exported, as certified by the Cost Accountant (in practice) less excise duty, if any. If the ex-factory cost of production of the items exported as a percentage of the total ex-factory cost of production of all the items produced by the Company, is equal to the percentage of export obligation as imposed on the party/licensee (in terms of quantity) then only the Company would be deemed to have discharged in export obligation.

6. If in any given year the Company fails and/or neglects it is not able to export...... percent of its output then in such an event the Company shall on being called upon to do so by the concerned Joint/Deputy Chief Controller of Imports and Exports or Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, by a letter handover within thirty days from the date of the said letter to the State Trading Corporation of India Ltd., or such other person, firm or body corporate as the Government or the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, may nominate (hereinafter referred to as "THE AGENCY") the difference between the stipulated annual commitment/obligation and actual exports of ....
produced during the year (subject to a maximum of ......

APPENDIX 22—*contd.*

........per cent for that particular year) for export by the Agency at such prices as it is able to obtain abroad. The Company shall, in addition, pay simultaneously a sum equal to 5 percent of the export obligation subject to a maximum of Rs. 5 lakhs by way of "liquidated damages" to the Agency. The Agency after export and realisation of sale proceeds of the aforesaid.............................. as expeditiously as possible, shall give to the Company the rupee equivalent of the net foreign exchange earned by the Agency on such export after deducting such expenses (including the Agency's normal commission) which have been incurred by the Agency.

Where the export obligation is not fulfilled, the amount of liquidated damages will be calculated on the basis of the ex-factory cost of production less excise duty, if any. The actual goods to be handed over will be left to the choice of the export agency selected by Government and the total value of the goods to be handed over will be determined by taking the difference between the total ex-factory cost of production of the items produced by the Company and the ex-factory cost of production of the items actually exported or to be exported less excise duty, if any.

The amount calculated on the above-mentioned basis will not be used for any other purpose or for claiming any benefits on such exports (effected directly or through the State Trading Corporation of India Ltd., or any other agency) under any scheme.

7. The value and/or the quantity representing the difference between the stipulated annual export commitment/obligation and the actual exports made and also the amount representing 5 per cent of the annual export obligation by way of liquidated damages shall be determined by the Joint/Deputy Chief Controller of Imports and Exports or the Chief Controller of Imports and Exports New Delhi and the decision made by any of the said authorities shall be final and binding on the Company. While determining the value and/or quantity the said Authority may in his discretion, if considered necessary, give an opportunity to the Company to produce such evidence as it can in support of the determination of the value and quantity for this purpose.

8. If in any year the Company exports................ in excess of......................... percent of its output as required in terms of the condition laid down herein such excess, may be set off against the shortfall, if any, in subsequent year(s).

9. In the event of the Company failing and/or neglecting to fulfil the obligations on its part, in any year, save and except only when the fulfilment of such obligations was prevented or delayed, because of or due to any law, order proclamation, regulations or ordinances of the Government, the Government will be entitled and be at liberty to take possession of....................produced by the Company to the extent indicated in clause 7 above and take such other action as it may consider necessary in addition to recovering liquidated damages. Any order issued by the Government in this regard shall be final and binding, on the Company who hereby undertakes to comply unconditionally with such an order.

10. The stamp duty, if any, chargeable on these present or any documents executed hereunder shall be borne exclusively by the Company.

In Witness Whereof the Common Seal of.............. has been hereunto affixed and for and on behalf of the President of India Shri.......................... has set and subscribed his hands hereunto.

Common Seal of the within named Company has been affixed hereunto in the presence of

(i)....................
(Residential address)

Director & (ii) Shri........... (ii)....................
(Residential address)

Director...............
who have been duly authorised for the purpose by a resolution of Board of Directors of the Company passed at the meeting held on ....
and who have signed in the presence of :

1. ....(name, designation & address)
2. ....(name, designation & address)

Signed for and on behalf of the President of India by Shri .... In the presence of :

1. ....(name, designation & address)
2. ....(name, designation & address)

PART IV

FORM OF LEGAL AGREEMENT

(For Execution by Partnership/proprietory firm in cases involving export obligation in value)

(Applicable in the case of partnership firm)

An agreement made this ....day of ....198 Between (a) (name of Managing Partner) ....
S/O ....
(b) (Name of the partner) ....
S/O ....
(c) (Name of the partner..)
S/O...................

etc. carrying on the business in the name and style of ....partnership firm registered under the Indian Partnership Act and having its registered office at.......... ....;(hereinafter referred to as "THE FIRM" which expression shall include its successors and assign) of the One Part and the PRESIDENT OF INDIA (hereinafter referred to as "GOVERNMENT" which expression shall include his successors in office and assign) of the Other Part.

(Applicable in the case of sole proprietory/proprietory firm).

An agreement made this ....day of ....198 between (namely names of the sole Proprietor/proprietors) .... S/o ....
carrying on the business in the name and style of .... a sole proprietor/proprietor and registered under the Indian Partnership Act having its registered office at...... hereinafter referred to as "THE FIRM" which expression shall include its successors and assigns) of the one Part and the PRESIDENT OF INDIA (hereinafter referred to as "GOVERNMENT" which expression shall include his successors in the office and assigns) of the Other Part.

WHEREAS the Firm has been granted an Import Licence No............................ dated ....
for import of plant, machinery and equipment of the c.i.f. value of ....

AND/OR WHEREAS Government have communicated vide .... to the Firm ....
(Name of the foreign firm) the terms and conditions to their proposed foreign investment/technical collaboration arrangement with M/s.......................

AND/OR WHEREAS Government have communicated to the Firm vide Letter of Intent No. ....
dated........................ the terms and conditions of acceptance to their proposal for a grant of industrial licence/substantial expansion of capacity.

AND WHEREAS as a condition of the said import licence for plant and equipment/approval of foreign collaboration/licence under the Industries Act or letter of intent, the

APPENDIX 22—*contd*

Government has stipulated that the firm must earn foreign exchange to the extent of Rs. ....lakhs annually/over a period of........years (or export........ ....per cent of its products) annually for........ years or as may be extended from time to time under the signatures of the parties, which amendment shall be deemed to form a part of this agreement/until such time as the foreign exchange cost of project (or twice, or any other multiple, of the foreign exchange cost of the project) amounting to Rs .. .. lakhs has been realised by way of export earnings. (The precise condition would be approved in each case by the C.G Committee/Foreign Investment Board/Licensing Committee).

Now, it is hereby agreed and declared by and between the parties hereto as follows .—

1. The firm shall earn foreign exchange to the extent of Rs. .... (Rupees ... .) by exporting (not less than Rs . . . . lakhs/per cent of its product(s) namely annually for . . .... years or as may be extended from time to time under the signatures of the parties, which amendment shall be deemed to form a part of this agreement/till such time as the total foreign exchange earning realised from the export amount to Rs . . .. This export obligation shall be in addition and over and above any other export obligation (except export obligation against Advance/Imprest licences) that might have been or may be imposed on the Firm on any other ground Exports to Bhutan will not qualify for redemption of Export Obligation and Export to Nepal and Afghanistan If made otherwise than against payment in free foreign exchange will not qualify for redemption of export obligation Exports made in breach of the foreign collaborator agreement, if any, will also not qualify for redemption of export obligation

2 The above mentioned export must commence from eighteenth month after the commissioning of the plant and equipment/commencement of production. (The plant shall be commissioned within the date specified in the industrial licence). The production must commence on and from the ....

The firm shall undertake to furnish a certificate on its printed letterhead, giving the correct date of commissioning of plant and equipment against the Import Licence, signed by its Chief Engineer or Works Manager, as the case may be, and duly countersigned by the legally authorised person of the firm and under its official stamp within 30 days from the date of such commissioning.

OR

The firm shall undertake to furnish a certificate on its printed letterhead giving the correct date of commencement of production or additional production against the import licence for plant and equipment/approval of foreign collaboration/licence under the Industry (Development and Regulation) Act, 1951, or Letter of Intent, signed by its Chief Engineer, or Works Manager, as the case may be and duly countersigned by the legally authorised person of the firm and under its official stamp within 30 days from the date of such commencement of production or additional production.

3. The firm shall furnish a report within thirty days of the close of each financial year to the Chief Controller of Imports and Exports (Exports Obligation Cell), New Delhi, or the concerned Joint/Deputy Chief Controller of Imports and Exports, with a copy to the Government of India in the Ministry of Commerce (Export Production Section), New Delhi, giving in respect of the previous financial year (or part of financial year for the first year of operation of the export condition as per clause 2 hereof) the undermentioned particulars namely :—

(a) Production (in terms of quantity as well as book value); duly certified by a Chartered Accountant who is not a partner or an employee of the firm or its associate concerns but who may be a statutory auditor of the firm.

(b) Exports (in terms of quantity and the f.o.b. value) with particulars of goods exported, their quantity and f o b value, countries to which exported duly certified by a Chartered Accountant who is not a partner or an employee of the firm or its associate concerns but who may be a statutory auditor of the firm

4. The Firm shall also submit to the Chief Controller of Imports and Exports or the concerned Joint/Deputy Chief Controller of Imports and Exports, within six months of the close of each financial year, bank certificates in original showing realisation of foreign exchange against export made during the previous year in fulfilment of the export obligation specified herein and such other documents as may be demanded by the Chief Controller of Imports and Exports, or concerned Joint/Deputy Chief Controller of Imports and Exports, as further evidence in support of the foreign exchange earned in the previous year in fulfilment of the terms and conditions of this agreement.

5. If in any given year, the Firm fails and/or neglects or is not able to export goods worth Rs. ...... lakhs (.. . . per cent of its output) then in such an event the Firm shall on being called upon to do so by the concerned Joint/Deputy Chief Controller of Imports and Exports or Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi by a letter hand over within thirty days from the date of the said letter to the State Trading Corporation of India Ltd or such other person. Firm or body corporate as the Government or Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi may nominate (hereinafter referred to as "the Agency") stock of equal to the difference between the stipulated annual commitment/obligation and actual exports (subject to a maximum of . . per cent of the .. . . during the year), for export by the Agency at such price as it is able to obtain abroad. The Firm shall, in addition, pay simultaneously a sum of Rs. .... lakhs. (This would be equal to 5 per cent of the export obligation, subject to a maximum of Rs 5 lakhs) by way of "liquidated damages to the Agency. The Agency after export and realisation of sale proceeds of the aforesaid .... as expeditiously as possible, shall give to the Firm the rupee equivalent of the net foreign exchange earned by the Agency on such export after deducting such expenses (including the Agency's normal commission) as have been incurred.

6. The value and/or the quantity representing the difference between the stipulated annual export commitment/obligation and the actual export made and also the amount representing 5 per cent of the annual export obligation by way of liquidated damages shall be determined by the Joint/Deputy Chief Controller of Imports and Exports, and the decision made by any of the said authorities shall be final and binding on the Firm. While determining the value and/or quantity the said authority, if considered necessary may on their discretion give an opportunity to the firm to produce such evidence as it can in support of the determination of the value and quantity for this purpose.

7. If in any year the Firm exports .... in excess of............per cent of its output/in excess of Rs......... ....as required in terms of the conditions laid down herein, such excess may be set off against the shortfalls, if any, in subsequent years.

8 In the event of the firm failing and or neglecting to fulfil the obligations on its part in any year, save and except only when the fulfilment of such obligation was prevent or delayed, because of or due to any law, order, proclamation, regulations or ordinances of the Government, the Government will be entitled and be at liberty to take possession of the produced by the Firm to the extent as indicated in clause 6 above and take such other action as it may consider necessary in addition to recovering liquidated damages. Any order issued by the Government in this regard shall be final and binding on the Firm which hereby undertakes to comply unconditionally with such an order.

9. The stamp duty, if any, chargeable on these presents or documents executed hereunder shall be borne exclusively by the firm

APPENDIX-22—Contd.

In witness whereof the Rubber Stamp of Firm has been hereunto affixed and for and on behalf of the President of India Shri .... has set and subscribed his hand hereunto.

Rubber Stamp of the Firm

(Applicable in the case of Partnership Firm)

(a) Managing Partner

(a) Signature...........

Name ....
(Residential Address)

(b) Partner

(b) Signature ....

Name ....
(Residential Address)

(c) Partner

(c) Signature............

Name ....
(Residential Address)

etc. ....

WITNESSES

1. ———— (name, designation & address)
2. ————(name, designation & address)

Signed for and on behalf of the President of India by Shri ......

....

in the presence of ....

1. ————(name, designation & address)
2. ————(name, designation & address)

(*Rubber Stamp of the Firm*)

(Applicable in the case of sole proprietary/proprietary firms).

Signature/Signatures....

Name of the sole proprietor
or Names of all the Proprietors
(Residential Address/Addresses)...........

WITNESSES

1. ————(name, designation & address)
2. ————(name, designation & address)

Signed for and on behalf of the President of India by Shri ......

....

in the presence of ....

1. ————(name, designation & address)
2. ————(name, designation & address)

PART V

FORM OF LEGAL AGREEMENT

(For execution by Partnership/Proprietory Firm in cases involving export obligation of *Single* item at certain precentage of production.)

(Applicable in the case of Partnership Firm)

An Agreement made this ....day of .... 198 Between (a) (name of the Managing Partner)...... S/o............................. (b) (name of the partner) .... S/o .... (c) (name of the partner) .... S/o .... etc. .... carrying on business in the name and style of .... a partnership firm registered under the Indian Partnership Act and having its registered office at ....(hereinafter referred to as "THE FIRM" which expression shall include its successors and assigns) of the One Part and the PRESIDENT OF INDIA (hereafter referred to as "GOVERNMENT" which expression shall include his successors in office and assigns of the Other Part).

(Applicable in the case of sole proprietory/proprietory firms)

An agreement made this ....day of ....198 Between (name/names of the sole Proprietor/Proprietors.... .... S/o .... carrying on the business in the name and style of .... a sole proprietory/proprietory firm registered under the Indian Partnership Act and having its registered office .... (hereafter referred to as "THE FIRM" which expression shall include its successors and assigns) of the One Part and the PRESIDENT OF INDIA (hereinafter referred to as "GOVERNMENT" which expression shall include his successors in office and assigns) of the Other Part.

WHEREAS THE Firm has been granted an Import Licence No..................dated .... for import of plant, machinery and equipment of the c.i.f. value of ....

AND/OR WHEREAS Government have communicated vide .... to the Firm .... (name of the foreign firm) the terms and conditions of their proposed foreign investment/technical collaboration arrangement with M/s. ....

AND/OR WHEREAS Government have communicated to the Firm vide letter of intent No.......... dated .... the terms and conditions of acceptance to their proposal for a grant of Industrial Licence/substantial expansion of capacity.

AND WHEREAS as a condition of the said Import licence for plant and equipment/approval of foreign collaboration/licence under the Industries Act or letter of intent, the Government has stipulated that the Firm must earn foreign exchange by exporting .... per cent of its production of .... annually for .... years or as may be extended from time to time under the signatures of the parties, which amendment shall be deemed to form a part of this agreement. (The precise condition would be approved in each case by C.G. Committee/Foreign Investment Board/Licensing Committee).

Now it is Hereby Agreed and declared by and between the parties hereto as follows :-

1. The firm shall export .... per cent of its annual production of .... for a period of .... years or as may be extended from time to time under the signatures of the parties, which amendment shall be deemed to form a part of this agreement. This export obligation shall be in addition and over and above any other export obligation, (except obligation against Advance Imprest licences) that might have been or may be imposed on the Firm on any other ground. Exports to Bhutan will not qualify for redemption of export obligation and exports to Nepal and Afghanistan, if made otherwise than against payment in free foreign exchange will not qualify for redemption of export obligation. Exports made in breach of the foreign collaboration agreement, if any, will also not qualify for redemption of export obligation.

2. The above mentioned export must commence from eighteenth month after the commissioning of the plant and equipment/commencement of production. (The plant shall be commissioned within the date specified in the Industrial licence). The production must commence on and from the ....

The Firm shall undertake to furnish a certificate on its printed letter head, giving the correct date of commissioning of plant and equipment against the Import Licence, signed by its Chief Engineer or Works Manager as the case may be and duly countersigned by the legally authorised person of the Firm and under its Official Stamps, within 30 days from the date of such commissioning.

OR

The Firm shall undertake to furnish a certificate on its printed letter head giving the correct date of commence-

APPENDIX 22—*Contd.*

ment of production or additional production against the import licence for plant and equipment/approval of foreign collaboration/licence under the Industry (Development & Regulation) Act, 1951, or Letter of Intent, signed by its Chief Engineer or Works Manager, as the case may be, and duly countersigned by the legally authorised person of the firm and under the Official Stamp, within 30 days from the date of such commencement of production or additional production.

3. The Firm shall furnish a report within thirty days of the close of each financial year to the Chief Controller of Imports and Exports (Exports Obligation Cell) New Delhi or to the concerned Joint/Deputy Chief Controller of Imports and Exports, with a copy to the Government of India in the Ministry of Commerce (Export Production Section) New Delhi, giving in respect of the previous financial year or part of financial year for the first year of operation of the export condition as per clause 2 hereof the undermentioned information and particulars namely:

(a) Production (in terms of quantity as well as book value) duly certified by a Chartered Accountant who is not a partner or an employee of the firm or its associate concerns but who may be a statutory auditor of the firm.

(b) Exports (in terms of quantity and the f.o.b value with particulars of goods exported, the quantity and f.o.b. value and the countries to which exported) duly certified by a Chartered Accountant who is not a partner or an employee of the firm or its associate concerns but who may be a statutory auditor of the firm.

4. The Firm shall also submit to the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi or to the concerned Joint/Deputy Chief Controller of Imports & Exports within six months of the close of each financial year, bank certificates in original showing realisation of foreign exchange against exports made during the previous year in fulfilment of the export obligation specified herein and such other documents as may be demanded by the Chief Controller of Imports and Exports or the concerned Joint/Deputy Chief Controller of Imports and Exports, as further evidence in support of the foreign exchange earned in the previous year in fulfilment of the terms and conditions of this agreement.

5. If in any given year, the Firm fails and/or neglects or is not able to export .... per cent of its production of ....then in such an event the Firm shall, on being called upon to do so by the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi, or Joint/Deputy Chief Controller of Imports & Exports, by a letter to the State Trading Corporation of India Ltd. or such other person, firm or body corporate as the Government or Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi may nominate (hereinafter referred to as "The Agency") the difference between the stipulated annual commitment/obligation and actual exports of .... produced during the year (subject to a maximum of .... per cent of the production for that particular year) for export by the Agency at such price as it is able to obtain abroad. The Firm shall in addition pay simultaneously a sum equal to 5% of the export obligation (subject to a maximum of Rs. 5 lakhs) by way of liquidated damages to the Agency. The Agency after export and realisation of sale proceeds of the aforesaid............... .... as expeditiously as possible shall give to the Firm the rupee equivalent of the net foreign exchange earned by the Agency on such export after reducing such expenses (including the Agency's normal Commission) which have been incurred by the Agency. The amount of liquidated damages will be calculated on the basis of the ex-factory cost of production per unit of the items produced by the Firm .... less excise duty, if any. As evidence of ex-factory cost of production per unit, the Firm shall produce a certificate from a Cost Accountant (in practice) who is not a partner or an employee of the Firm. The said ex-factory cost of production in rupees will be adopted for determining the amount of liquidated damages payable in case of failure and/or negligence or inability of the Firm to fulfil the export obligation but the amount calculated on the above mentioned basis will not be used for any other purpose or for claiming any benefit on such exports (effected directly or through the State Trading Corporation of India Ltd., or some other Agency) under any scheme.

6. The value and/or the quantity representing the difference between the stipulated annual export commitment/obligation and the actual exports made and also the amount representing 5 per cent of the annual export obligation by way of liquidated damages shall be determined by the Joint/Deputy Chief Controller of Imports and Exports, or the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi and the decision made by any of the said authorities shall be final and binding on the Firm. While determining the value and/or quantity the said authority, if considered necessary, may on his discretion give opportunity to the Firm to produce such evidence as it can in support of the determination of the value and quantity for this purpose.

7. If in any year the firm exports ....excess of .... per cent of its output as required in terms of the conditions laid down herein, such excess, may be set off against the shortfalls if any, in subsequent years.

8. In the event of the Firm failing and/or neglecting to fulfil the obligation on its part in any year save and except only when the fulfilment of such obligation was prevented or delayed, because of or due to any law, order, proclamation, regulation of ordinances of the Government, the Government will be entitled and be at liberty to take possession of the ....produced by the Firm to the extent as indicated in clause 6 above and take such other action as it may consider necessary in addition to recovering liquidated damages. Any order issued by the Government in this regard shall be final and binding on the Firm which hereby undertakes to comply unconditionally with such an order.

9. The stamp duty if any, chargeable on these presents or any documents executed hereunder shall be borne exclusively by the firm.

In Witness Whereof the Rubber Stamp of .... has been hereunto affixed and for and on behalf of the President of India, Shri .... has set and subscribed his hands hereunto.

(Applicable in case of Partnership Firm)

Rubber Stamp of the Firm

(a) Managing Partner Name .... (Residential Address)	(a) Signature........
(b) Partner Name .... (Residential Address)	(b) Signature........
(c) Partner Name .... (Residential Address)	(c) Signature........

WITNESSES

1. ....

2. ....
(Name, designation and address)

Signed for and on behalf of the President of India by Shri ....
In the Presence of ....
....

1. ....
(Name, designation and address)

2. ....
(Name, designation and address)

APPENDIX 22—*contd*

(Applicable in the case of sole proprietory/proprietory Firm)

(*Rubber stamp of the Firm*)

Name of the sole Proprietor Signature/Signatures or names, of all Proprietors.
(Residential Address/Addresses)

WITNESSES

1. ....
(Name, designation and address)

2. ....
(Name, designation and address)

Signed for and on behalf of the President of India by Shri ....
In the Presence of
....

1. ....
(Name, designation and address)

2. ....
(Name, designation and address)

PART VI

FORM OF LEGAL AGREEMENT

(For execution by Partnership/Proprietory Firm involving export obligation of *Multiple Items* at certain percentage of production).

(Applicable in the case of Partnership Firm)

An agreement made this .... day of ...... 198 Between (a) (name of the Managing partner) .... S/o .... (b) (name of the partner)...... .. (c) (name of the partner) .... S/o . etc carrying on the business in the name and style of .... a partnership firm registered under the Indian Partnership Act and having its registered office at . (hereinafter referred to as "THE FIRM" which expression shall include its successors and assigns) of the One Part and the PRESIDENT OF INDIA (hereinafter referred to as "GOVERNMENT" which expression shall include his successors, in office and assigns) of the Other Part.

(Applicable in the case of sole proprietory/proprietory firms)

An agreement made this .... day of ....198 between (name/nams of the sole Proprietor/Proprietors) . ... s/o .... carry on the business in the name and style of .... a sole proprietory/proprietory firm registered under the Indian Partnership Act, and having its registered office at .... (hereinafter referred to as "THE FIRM" which expression shall include its successors and assigns) of the One Part and the PRESIDENT OF INDIA (hereinafter referred to as "GOVERNMENT" which expression shall include his successors in office and assigns) of the Other Part.

WHEREAS the firm has been granted an import licence No. .... dated .... for import of plant, machinery and equipment of the c.i.f. value of...... ....

AND/OR WHEREAS Government have communicated vide . . .. to the firm ....(Name of the foreign firm) the terms and conditions to their proposed foreign investment/technical collaboration arrangement with M/o .. ..

AND/OR WHEREAS Government have communicated to the Firm vide Letter of intent No. . . .. dated .... the terms and conditions of acceptance to their proposal for a grant of industrial licence/substantial expansion of capacity

AND WHEREAS as a condition of the said import licence for plant and equipment/approval of foreign collaboration/licence under the Industries Act or letter of intent the Government has stipulated that the Firm must earn foreign exchange by exporting .... per cent of its production of ... . annually for .... years or as may be extended from time to time under the signatures of the parties, which amendment shall be deemed to form a part of this agreement. (The precise condition would be approved in each cast by the C G. Committee/Foreign Investment Board/Licensing Committee).

Now it is Hereby agreed and Declared by and Between the parties hereto as follows :—

1. The Firm shall earn foreign exchange by exporting.... percent of its products namely ...... annually for ...... years or as may be extended from time to time under the signatures of the parties, which amendment shall be deemed to form a part of the agreement This export obligation shall be in addition and over and above any other export obligation (except export obligation against Advance/Imprest Licences) that might have been or may be imposed on the Firm on any other ground. Exports to Bhutan will not qualify for redemption of export obligation and exports to Nepal and Afghanistan, if made otherwise than against payment in free foreign exchange will not qualify for redemption of export obligation Exports made in breach of the foreign collaboration agreement if any, will also not qualify for redemption of export obligation

2 The above mentioned export must commence from eighteenth month after the commissioning of the plant and equipment/commencement of production. (The plant shall be commissioned within the date specified in the Industrial licence) The production must commence on and from the ....

The Firm shall undertake to furnish a certificate on its printed letterhead, giving the correct date of commissioning of plant and equipment against the Import Licence signed by its Chief Engineer or Works Manager, as the case may be, and duly countersigned by the legally authorised person of the Firm and under its Official Stamp within 30 days from the date of such commissioning

OR

The Firm shall undertake to furnish a certificate on its printed letter head giving the correct date of commencement of production or additional production against the import licence for plant and equipment/approval of foreign collaboration/licence under the Industrial (Development & Regulation) Act, 1951, or Letter of Intent, signed by its Chief Engineer or Works Manager, as the case may be, and duly countersigned by the legally auhorised person of the Firm and under its Office Stamp, within 30 days from the date of such commencement of production or additional production.

3. The Firm shall furnish a report within thirty days of the close of each financial year to the Chief Controller of Imports and Exports (Export Obligation Cell), New Delhi, or the concerned Joint/Deputy Chief Controller of Imports and exports and with a copy to the Government of India in the Ministry of Commerce (Export Production Section), New Delhi giving in respect of the previous financial year or part of financial year for the year of operation of the export condition as per clause 2 hereof, the undermentioned information and particulars namely :—

(a) Production (in terms of quantity) in respect of each item produced duly certified by a Chartered Accountant who is not a partner or an employee of the Firm or its associate concerns but who may be a statutory auditor of the firm

(b) Exports (in terms of quantity and f o b value) with particulars of goods exported, their quantity f o b value, and countries to which exported duly certified by a Chartered Accountant who is not a partner or an employee of the firm or its associate concerns but who may be a statutory auditor of the firm.... ....or

APPENDIX III—contd.

(c) Ex-factory cost of production by the unit, less excise duty if any, in respect of each item produced duty certified by a Cost Accountant (in practice) who is not a partner or an employee of the Firm. The certificate of the Cost Accountant (in practice) shall also indicate the total ex-factory cost of production of all the items produced by the unit, less excise duty if any.

4. The Firm shall also submit to the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi or to the concerned Joint/Deputy Chief Controller of Imports and Exports within six months of the close of each financial year, bank certificates in original showing realisation of foreign exchange against exports made during the previous year in fulfilment of the export obligation, and such other documents may be demanded by the Chief Controller of Imports and Exports or the concerned join/Deputy Chief Controller of Imports and Exports, as further evidence in support of the foreign exchange earned in the previous year in fulfilment of the terms and conditions of this agreement.

5. The total export obligation will be determined in terms of value by taking the total ex-factory cost of production of all the items produced less excise duty, if any, as certified by the Cost Accountant (in practice). The exports actually made in terms of quantity will also be converted into value by taking the ex-factory cost of production of the items exported as certified by the Cost Accountant (in practice), less excise duty if any. If the ex-factory cost of production of the items exported as a percentage of the total ex-factory cost of production of all the items produced by the Firm is equal to the percentage of export obligation as imposed on the party licensee (in terms of quality) then only the Firm would be deemed to have discharged its export obligation.

6. If in any given year, the Firm fails and/or neglects or is not able to export ...... per cent of its output then in such an event the Firm shall on being called upon to do so by the concerned Joint/Deputy Chief Controller of Imports and Export or Chief Controller of Imports and Exports New Delhi by a letter hand over within thirty days from the date of the said letter to the State Trading Corporation of India Ltd., or such other person, firm or body corporate as the Government or the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi may nominate (hereinafter referred to as "THE AGENCY") the difference between the stipulated annual commitment/obligation and actual export of ....produced during the year (subject to a maximum of .... per cent for that particular year) for export by the Agency at such price as it is able to obtain abroad The Firm shall, in addition, pay simultaneously a sum equal to 5 per cent of the export obligation subject to a maximum of Rs. 5 lakhs by way of "liquidated damages" to the Agency. The Agency after export and realisation of sale proceeds of the aforesaid.... as expeditiously as possible, shall give to the Firm the rupee equivalent of the net foreign exchange earned by the Agency on such export after deducting such expenses (including the Agency's normal commission) which have been incurred by the Agency.

Where the export obligation is not fulfilled the amount of liquidated damages will be calculated on the basis of the ex-factory cost of production less excise duty, if any. The actual goods to be handed over will be left to the choice of the export agency selected by Government and the total value of the goods to be handed over will be determined by taking the difference between the total ex-factory cost of production of the items produced by the Firm and the ex-factory cost of production of the item actually exported or to be exported less excise duty, if any.

The amount calculated on the above mentioned basis will not be used for any other purpose or for claiming any benefits on such exports (effected directly or through the State Trading Corporation of India Ltd., or any other agency under any scheme.

7 The value and/or the quantity representing the difference between the stipulated annual export commitment/obligation and the actual exports made and also the amount representing 5 per cent of the annual export obligations by way of liquidated damages shall be determined by the Joint/Deputy Chief Controller of Imports and Exports or the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi and the decision made by any of the said authorities shall be final and binding on the Firm. While determining the value and/or quantity, the said Authority may in his discretion, if considered necessary give an opportunity to the Firm to produce such evidence as it can in support of the determination of the value and quantity for this purpose.

8. If in any year the Firm exports .... in excess of .... percent of its output as required in terms of the condition laid down herein such excess may be set off against the shortfalls if any, in subsequent year(s).

9. In the event of the Firm failing and/or neglecting to fulfil the obligations on its part in any year save and except only when the fulfilment of such obligations was prevented or delayed because of or due to any law order, proclamation, regulations or ordinances of the Government, the Government will be entitled and be at librty to take possession of the .... produced by the Firm to the extent as indicated in clause 7 above and take such other action as it may consider necessary in addition to recovering liquidated damages. Any order issued by the Government in this regard shall be final and binding on the Firm who hereby undertakes to comply unconditionally with such an order.

10. The stamp duty, if any chargeable on these presents or any documents executed hereunder shall be borne exclusively by the Firm.

(Applicable in the case of Partnership Firm)

In witness whereof the Rubber Stamp of Firm has been hereunto affixed and for and on behalf of the President of India Shri .... has set and subscribed his hand hereunto.

Rubber Stamp of the Firm

Name .... (a) Signature...... ..

(a) Managing Partner
(Residential Address)

(b) Partner
Name .... (b) Singature...........
(Residential Address)

(c) Partner
Name .... (c) Signature...........
(Residential Address)

WITNESSES

1.......................... (name, designation and address)

2 .... (name, designation and address)

Signed for and on behalf of the President of India by Shri......
in the presence of ....,
....

1.......................
(name, designation and address)

2.......................
(name, designation and address)

(Applicable in the case of sole proprietory/proprietory firm)

Name of the Sole Proprietor or Name of the Proprietors — Rubber stamp of the firm

Signature/Signatures.

....
(Residential Address/ Addresses).

APPENDIX 22—*Contd.*

WITNESS

1. ....
(name, designation and address)

2. ....
(name, designation and address)

Signed for and on behalf of the
President of India by Shri......
in the presence of........ ....
....

1. ....
(name, designation and address)

2. ....
(name, designation and address)

Notes for guidance in the matter of executing of bonds/agreement.

(i) Legal Agreement is to be signed on a non-judicial stamp paper of adequate value as applicable in the State concerned under the Indian Stamp Act.

(ii) Legal Agreement is to be signed by two Directors duly authorised by the Board of Directors and two witnesses with their designation and address and common seal of the Company (to be affixed).

(iii) Each page of the Legal Agreement is to be signed by two Directors of the Company.

(iv) In the covering letter under which the Legal Agreement is sent by the company to the C.C.I&E./licencing authority, it should be mentioned that the signatures of the Directors and Witnesses and the common seal affixed are genuine or a Certificate to that effect from a Notary Public should be sent.

(PART VII)

FORM OF LEGAL UNDERTAKING

Form of Legal Undertaking for Registered Exporters for advance licences

An Agreement made this————————day of————— 198————between————, a company incorporated under the Companies Act, 1956 and having its registered office at —————————————— (hereinafter referred to as "THE COMPANY" which expression shall include its successors and assigns) of the one part and the PRESIDENT OF INDIA (hereinafter referred to as "GOVERNMENT", which expression shall include his successors in office and assigns) of the other part. WHEREAS the Company has been granted an import licence/release order No.— for import of raw materials and components of the c.i.f. value of Rs. ——————————— AND WHEREAS as a condition of the said import licence/release order the Government has stipulated that the ———— Company must earn foreign exchange to the extent of Rs. ———— over a period of ———— months from the date of importation of the first consignment into India or the supply of raw material by the canalising agency against the subject licence/release order by exporting ————;

Now this agreement witnessth as follows :—

1. The Company shall earn foreign exchange for an F.O.B. value of Rs. ———— by exporting ———— within a period of ———— months as aforesaid. (In the event import licence/release order No. ———— ———— is not fully utilised by the said company then the export obligation shall be proportionately scaled down) Exports to Bhutan will not qualify for redemption of export obligation as also export to Afghanistan and Nepal if made otherwise than against payment in free foreign exchange, will not qualify for redemption of export obligation.

2. The Company shall furnish a report within one month of the expiry of the said period of export obligation to the concerned Jt./Dy. Chief Controller of Imports and Exports in regard to exports made *viz.* the particulars of goods exported, their quantity and f.o.b. value and the countries to which exported. All this data shall be duly certified by a Chartered Accountant.

3. The company shall also submit to the concerned Jt./Dy Chief Controller of Imports and Export within six months of the expiry of the period of export obligation as aforesaid bank certificates in original showing realisation of foreign exchange against exports made ———————— in fulfilment of the export obligations and such other documents as may be demanded by the Jt./Dy. Chief Controller of Imports and Exports as evidence in support of the foreign exchange earned in fulfilment of the terms and conditions of this agreement.

4. In the event the Company is not able to fulfil the export obligation undertaken by it as aforesaid the Company shall on the instructions of the concerned Jt./Dy. Chief Controller of Imports and Exports or the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, hand over to the State Trading Corporation or such other agency as the Government including (C.C.I.&E.) may nominate (hereinafter referred to as the Agency) the difference between the stipulated export obligation and actual exports in terms of F.O.B value of the products to be exported, for export by the Agency at such prices as is able to obtain abroad. The Company shall, in addition, pay simultaneously a sum of Rs ———————— (this would be equal to 5% of the export obligation subject to a maximum of Rs. 5 lakhs) by way of "liquidated damages" to the Agency. The Agency (after exports and realisation of sale proceeds of the aforesaid products as expeditiously as possible) shall give to the Company rupee equivalent of the net foreign exchange earned by the Agency on such exports after taking such expenses (including the Agency's normal commission) as has been incurred by the Agency.

5. The F.O.B. value representing the difference between the stipulated export obligation and the actual exports referred to above and also the amount representing 5% of the export obligation by way of "liquidated damages" shall be determined by the Jt./Dy. Chief Controller of Imports and Exports or Chief Controller of Imports and Exports and the decision of the said authority shall be final and binding on the company. While determining the value, the said authority will if it is considered necessary give an opportunity to the Company to produce such an evidence as it can, in support of the determination of the value for this purpose.

6. In the event of the Company failing to fulfil the export obligation undertaken by it as aforesaid, except when the fulfilment of such obligation is prevented or delayed because of any law order proclamation regulations or Ordinance of the Government the Government shall be free to take possession of the goods produced by the Company or of the imported raw material as the case may be and take such action as it may consider necessary for the disposal/distribution in a manner and at a price as may be decided by the Government in addition to recovering liquidated damages in terms of clauses. Any order issued by the Government in this regard shall be final and binding and the company hereby undertakes to comply unconditionally with such an order Any stamp duties payable on this document or any documents executed thereunder shall be borne by the Company.

In Witness Whereof the Common Seal of ..
.. . .has been hereunto affixed and for and on behalf of the President of India Shri ... . has set and subscribed his hands hereunto

APPENDIX 22—*contd.*

Common Seal of the within named Company has been affixed hereunto in the presence

Signature :—

of (i) Shri .... (i) ....

(Residential address)

Director and (ii) Shri .... (ii) ....
....

(Residential address)

Director who have been duly authorised for the purpose by a resolution of Board of the Directors of the Company passed at the meeting held on ....

and who have signed in the presence of ....

1. ....
(name, designation and address)

2. ....
(name, designation and address)

Signed for and on behalf of the President of India by Shri ....
....
in the presence of ....

1. ....
(name, designation and address)

2. ....
(name, designation and address)

APPENDIX 23

SPECIMEN BOND FORM

SPECIMEN BOND FORM

If the importer/ surety is the sole proprietor of the business after giving his name and address it may be added "his heirs" executors and administrators.	Know All Men by these presents that we (1) of (hereinafter referred to as "the importers" (which expression shall include his/their successors and assign and (2).
If the importer surety is a firm of partnership, it may be added "partners" for the time being of the said firm and the survivors of firm and their respective heirs, executors and administrators.	of (hereinafter referred to as the 'surety' which expression shall unless excluded by or repugnant to the context, including its successors and assigns are jointly and severally held and firmly bound upto the President of India here in after called "The Government" in the sum of Rs... ...... to be paid to the said Government or its successors and assigns for which payment we bind ourselves and each of us and each our heirs, executors, administrators, successors and assigns (strike out the words which are not applicable) jointly and severally by these presents ....dated........this........ day of
If the importer/ surety is a Limited company it may be added its successors and assigns.	whereas the Joint Chief Controller of Imports and Exports (hereinafter referred to as the Joint Chief Controller which expression shall include the person for the time being performing the duties of the said Joint Chief Controller) has permitted the importation and clearance of the goods specified in the Schedule here under written (hereinafter referred to as "the imported goods") against Licence No...... dated ......at the port of .... of certain terms and conditions.

AND WHEREAS one of the terms provided that the importers will execute a bond along with one sufficient surety in the manner hereinabove written with such conditon as are hereunder.

NOW THE CONDITIONS OF THE ABOVE WRITTEN BOND IS SUCH that firstly if the said importers shall within six months from .... or such further time as may be granted by the said Joint Chief Controler of Imports and Exports ...... of the value equal to the c.i.f. value of the imported goods to foreign countries excluding Nepal, Tibet and Bhutan.

Scondly if the said importers and/or their surety shall procure and deliver or cause to be produced and delivered to the Joint Chief Controller within one month from the date of expiry of the aforesaid period evidence to prove that the said ...... of the value equal to ...... percent .... of the c.i.f. value of the imported goods have been exported as aforesaid and also evidence such as bills of lading, invoices, bank certificates etc., showing that the rupee equivalent of the foreign exchange received in payment of the f.o.b. value of the goods so exported is not less than .... per cent of the c.i.f. value of the imported goods against the aforesaid licences, then the above written bond shall be void and of no effect. Otherwise, the bond will remain in full force and virtue, AND IT IS HEREBY DECLARED THAT :—

(a) The above written bond shall remain in full force and effect for a period of .... year from the date of importation of the said imported goods.

(d) That the payment of the amount of the bond will the Government in enforcing the conditions of the aforesaid bond against the importer or any time being granted or any indulgence by the Government to the importers in connection therewith shall not discharge the surety.

(c) That this bond is entered into under the orders of the Central Government for the performance of an Act in which the public are interested.

(d) That the payment of the amount of the bond will not affect the liability of the importers to any other action (including refusal of further licences), that may be taken under the Import Trade Control regulations.

The stamp duty on this bond has been agreed to be paid by the Government.

Schedule of the imported goods referred to above.

IN WITNESS WHEREAS the parties hereto have duly executed these present day and the year first above written.

Signed, sealed and delivered by the .... within named importers. In the presence of—

1.

2.

(Witnesses should also give their occupation and address).

Signed, sealed and delivered by the .... within named importers. In the presence of—

1.

2.

(Witnesses should also give their occupation and address).

For and on behalf of the President of India

APPENDIX 24

Para 43 of Import Policy

BOND FORM

Know All Men by these presents that we (1) .... of .... (hereinafter referred to as "the licensee' which expression shall include his/their successor and assigns and

(2) of .... (hereinafter referred to as "the surety") which expression shall unless excluded by or repugnant to the context, include its successors and assigns are jointly and severally held and firmly bound upto the President of India hereinafter called "The Government" in the sum of Rs..... to be paid to the said Government or its successors and assigns, for which payment we bind ourselves and each of us and each of our heirs, executors, administrators, successors and assigns (strike out the words which are not applicable) jointly and severally, by these presents.................. . dated this .... day of ....

(3) Whereas the Joint/Deputy Chief Controller of Imports and Exports .... (hereinafter referred to as the Joint/Deputy Chief Controller which expression shall include the person for the time being performing the duties of the said Joint/Deputy Chief Controller) has granted import licence No. ..../Release Order No. .... dated ....for Rs. ....specified in the Schedule hereunder written (hereinafter referred to as Licence/Release Order) subject to certain terms and conditions.

(4) AND WHEREAS one of the terms provides that the licensee will execute a bond alongwith one *sufficient* surety in the manner hereabove written with such conditions as are hereunder.

(5) Now the conditions of the above written bond are such that firstly if the said licensee shall within 18 months from the date of issue of licence/release order or such further time as may be granted by the said Joint Chief/Deputy Chief Controller of Imports and Exports, properly utilise the imported material procured against the said licence/release order in his/their factory for the purpose for which the same was permitted.

Secondly if the licensee and/or their surety shall procure and deliver or cause to be produced and delivered to the Joint/Deputy Chief Controller of Imports and Exports within one month from the date of expiry of the aforesaid period evidence such as certificate of the sponsoring authority, namely, Director of Industries . ... /Drugs Controller .... certificate of Chartered Accountant and other documents relevant for the purpose and as required by the said Joint Chief Controller of Import and Exports; to prove that the imported material procured against the said licence/release order has been properly utilised in my/our factory for the purpose for which the same was permitted; then the above written Bond shall be void and of no effect. Otherwise the bond will remain in force and it is hereby declared that .

(a) The above written bond shall remain in full force and effect for a period of three years from the date of receipt of the licence/release order.

(b) Any forebearance act or omission on the part of the Government in enforcing the conditions of the aforesaid bond against the licensee or any time being granted or any indulgence by the Government to the licensee in connection therewith shall not discharge the surety.

(c) That this bond is entered into under the orders of the Central Government for the performance of an act, in which the public are interested.

(d) That the payment of the amount of the bond will not affect the liability of the licensee to any other action (including refusal of further licences) that may be taken under the Import Trade Control regulations.

The stamp duty on this bond has been agreed to be paid by the Government

Schedule of the import licence/release order referred to above.

IN WITNESS WHEREAS the parties hereto have duly executed these present day and the year first above written.

Signed, sealed and delivered by the .... within named importers. In the presence of—

1.

2.

(Witness should also given their occupation and address)

Signed, sealed and delivered by the .... within named surety. In the presence of—

1.

2.

(Witness should also give their occupation and address)

for and on behalf of the President of India

APPENDIX 25

(A)

FORM OF BOND FOR CLEARANCE OF RESTRICTED GOODS

Know all men by these presents that whereas the Collector of Customs .... hereafter *referred to as the 'said Collector' which expression shall include the person for the time being performing the duties of the Collector of Customs .... has permitted the clearance of the goods in the schedule hereunder written. We (1) .... (importers) (2) .... (surety) do hereby bind ourselves and each of us and each of our heirs, executors, administrators and legal representatives, jointly and severally with the President of India to pay the said collector for the time being the sum of Rs. .... subject to the conditions written herein below :—

Now the conditions of the above written bond are such that if the said (1) .... (importers), their heirs and representatives shall deliver or cause to be delivered to the said Collector within one month from the date hereof the import licence referred to in the Schedule to cover the goods referred to in the schedule of if the said .... (importers), their heirs or representatives or any of them shall in lieu of the delivery of such licence upon demand by the said Collector pay or cause to be sail to him on behalf of the President of India the sum of Rs. ...., then the above written bond shall be void and of no effect, otherwise the bond will be and remain in full force and virtue, and it is hereby declared that :—

(a) Any forebearance on the part of the President or any other officer shall not in any way release the said surety his heirs and representative from his or their liability under the above written bond; and

(b) that this bond is entered into under the orders of the Central Government for the performance of the act in which the public are interested;

Schedule of goods cleared

No. Date	Description of goods	Quantity	Country of origin	Port of Shipment	Value of Goods

(1) (Importers)

(2) (Surety)

Signed, sealed and delivered by the above named in the presence of :

Witness............................

Acceptance for and on behalf of the President of India;

Assistant Collector of Customs

(B)

FORM OF THE LETTER OF GUARANTEE

In consideration of the Collector of Customs allowing us............................(importers) to clear the undermentioned goods without production of the original import licence mentioned below, we hereby undertake to produce within the month from this date the said original licence already granted to us by Government to cover *inter alia* the undermentioned goods imported by us bearing licence No........date........which..........has been sent to the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi/Collector of Customs..........for revalidation/clearance of other goods covered by the said licence.

Bill of entry No. and date	Description of goods	Supplier's Name	Quantity	Country of Origin	Port of Shipment & Date	Value of Goods

In the event of our failure to produce the original licence within the period specified above or within such extended time as the Collector of Customs................may in his absolute discretion allow (and in this respect time shall be the essence of arrangement), we..........(importers) hereby agree to pay to the President of India the sum of Rs..............whenever called upon to do so together with such penalty as may be imposed on us by the Customs authorities in respect of the above mentioned goods. We and ....(surety) guarantee to the President of India due payment of the said sum of Rs....................and the said penalty so to be imposed as aforesaid. And is agreed and declared that :

(a) Any forbearance or indulgence to the importer on the part of the President of India or any officer of Government shall not in any way release the said (surety) their heirs, or successors, or legal representatives from their liability this agreement.

(b) This agreement is entered into under the orders of the Central Government for the performance of an act in which the Public are interested

Signature of Importer ....

Date............

Signature of Surety............

Accepted for and on behalf of the President of India.

Assistant Collector of Customs

APPENDIX 26

INTIMATION TO LICENSING AUTHORITY ABOUT THE CHANGE IN THE OWNERSHIP/CONSTITUTION OF AN ESTABLISHED EXPORTER'S BUSINESS

1. Name of the business.
2. Address.
3. Name of the branches if any with their address.
4. Nature of the change in the ownership/constitution of the business.
5. Date from which the change has taken place.
6. (a) Original ownership whether :
   - (i) Individual.
   - (ii) Partnership.
   - (iii) Karta of Undivided Hindu Family.
   - (iv) Limited Company.
   - (v) Any other association or body of individuals.
   - (b) Name of the individuals in the case of (i), (iii) and (v) above, names of partners in the case of (ii) above, the names of Directors in the case of (iv) above.
7. (a) New ownership whether :
   - (i) Individual.
   - (ii) Partnership.
   - (iii) Karta of Undivided Hindu Family.
   - (iv) Limited Company.
   - (v) Any other association or body of individuals.

(b) Names of individual in the case of (i), (ii) and (v) above, names of partners in the case of (iii) above, and names of Directors in the case of (iv) above.

DECLARATION

I/We do herby declare that there has been a change in the ownership/constitution of the business carried on in the name of M/s. ....as stated above. There is no change in the name of the business. I/We being the new owner/re-constituted concern have acquired the quota of the original concern as a whole. Our case is fully covered by paragraph .... of the Import-Export Hand Book of Procedures 1983-84 which we have carefully read.

I/We also declare that I/We have selected common basic year for the calculation of quota in respect of the same or similar items in accordance with paragraph .... of the Hand Book of Import-Export Procedures 1983-84.

I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and I/We fully understand that any licence claimed or granted to me/us on the basis of the above statements is liable to cancellation, in addition to any other penalty that the Government may impose or any other action that may be taken having regard to the circumstances of the case, if it is found that any of the statements or facts therein are incorrect or false.

Signature....................

Name (In Block Letters) ....

....

Full Address ....

....

....

Note—(1 This declaration should be signed by person who is duly authorised to sign a declaration on behalf of the new owner or the reconstituted concern as the case may be. The person signing the declaration should clearly state the position held by him in the business.

(2) The declaration should be attested by a Notary Public/ Oath Commissioner/1st Class Magistrate.

APPENDIX 27

PUBLIC NOTICE REGARDING CLEARANCE OF MERCHANDISE FINANCED BY BANKS

Copy of Ministry of Commerce Public Notice No. 60—ITC (PN)/50 dt. 21-7-1950

SUBJECT—*Clearance of merchandise financed by Exchange Bank in India in the event of licence holders not having honoured the bills drawn under the confirmed letters of credit.*

It has been represented by certain Banks' Association that in the event of a negotiation under a confirmed irrevocable letter of credit being dishonoured by the drawee, the Bank has to implement its undertaking under the credit to remit the foreign exchange in payment but in the absence of a valid import licence made out in its own name, it is unable to clear the goods from the Customs.

2. In order to avoid this difficulty it has been decided that all licences issued will hereafter be issued subject to the following condition which will be endorsed on the licence. "It is a condition of this licence that where an irrevocable letter of credit is opened by the holder of the licence to finance the import of any goods covered there by, then the authorised dealer in foreign exchange through whom the letter of credit is opened shall be deemed to be a joint holder of his licence to the extent of the goods covered by the credit."

3. The effect of the endorsement will be that where letter of credit has been opened against a valid import licence and on arrival of the goods the licence holder does not honour the bills drawn against the letter of credit and does not produce the licence for the clearance of the goods, the Bank which has opened the letter of credit will nevertheless be able to clear the goods through the customs and remit foreign exchange to the foreign suppliers in whose favour the credit was opened by debit to the licence in question.

4. In this respect the following procedure will be observed with immediate effect.

(i) The Bank clearing the goods in such cases will provide the Customs certificates to the effect that the import has been made and that foreign currency has been remitted by the Banks or its agents under the authority of valid import licence and a confirmed irrevocable letter of credit.

(ii) They will also produce the exchange control copy of the licence or if this is not available they will furnish full patriculars of the licence and of the licensee.

(iii) At the time of clearance, the value of the goods will be debited in the licence register maintained by the Customs House with an indication that clearance has been effected by the Banks. If and when the Customs copy of the import licence is produced subsequently by the original licensee the fact that some of the goods failing under licence have already been cleared, will become immediately apparent and the Customs House will then endorse necessary debit on the licence itself.

(iv) To ensure that the Customs copy of the import licence is not uitlised at some other port, intimation of such clearance by banks will be sent by the Customs to all other ports giving the balance for which the licence is valid.

APPENDIX—28

LIST OF BACKWARD AREAS

1. *Andhra Pradesh*

Srikakulam District and 5 'Area' :

Two 'areas' from Rayalaseema region comprising 22 blocks:

Area—I comprising 13 blocks viz., Chittoor* Bangaru palam* Pulicherla*, Pattur*, Chandragiri and Kalihasthi*, (from Chittoor district) and Kodur, Rajampet, Sidhout, Cuddapah, Kamalapuram, Praddatur and Pulivendla (from Cuddapah district) ;

Area—II comprising 9 blocks viz. Tadpatri Singanamala Gooty Kudair* (from Anantapur District) and Dhone, Kurnool, Banganaapalli*, Nandyal, and Giddalur* (from Kurnool district).

Three 'areas from Telangana region comprising 43 blocks :

Area—I comprising 14 blocks viz. Mahabubnagar*, Jadcherla,* Shadnagar*, Kalwakurthy and Amangal (from Mahabaobnagar district) and Nalgonda, Mungadi, Nakrakal, Suryapet, Kodad* Kuzurnagar*, Mirgalaguda*, Peddavora* and Devarakonda* (form Nalgonda Distts. North Cachar Hills.

Area—II comprising 14 blocks viz. Khammam. Thirumalaipalam, Kallur*, Yellandu*, Kothagudam Aswaraopeta*, Buragampad* and Bhadrachalam* (from Khammam district) and Mahabubabad, Narsampet, Hanamkonda, Ghanapur* Jangaon* and Mulug* (from warangal District);

Area—III comprising 15 blocks viz., Zaheerabad* Patna cheruvu*, Narsapur*, Medak, and Siddipet (from Medak district), Yedapalli*, Nizamabad*, Kamareddy*, and Domakonda* (from, Nizamabad district) and Siroilla*, Karimnagar Sultanabad, Peddapalli, Manthani, and Huzurabad (from Karimnagar district).

2. *Assam*

Goalpara, Mikir Hills, Kamrup*, Nowgong* Cachar* New Lakhimpur* district and North Cachar Hills.

3. *Bihar*

Bhagalpur, Darbhanga*, Champaran@, Palamau, Saharsa* and Santhal Parganas* district, Purnea, Aurangabad, Bhojpur, Nalanda, Khagaria.

4. *Gujarat*

Panchamahals, Broach* and Surendranagar* districts, Dangs.

5. *Haryana*

Reorganised Mohindergarh district (comprising Mohindergarh and Rewari* Sub-divisions) Bhiwani distt. (comprising Bhiwani and Dadrix@ Sub-divisions) and one 'area' comprising 8 blocks viz., Hissar Block No. I and Barwala Block (of Hissar Tehsil), Hansi Block No. I (from Hansi Tehsil), Bahuna Block (from Fatehabad Tehsil), Tohana Block/ Teshil (from Tohana Tehsil)—from district of Hissar—Jind Block and Julana Block (from Jind Tehsil), Uchana Block (Narwana Tehsil)—from the district of Jind.

6. *Himachal Pradesh*

Kangra@, Chamba*, Kulu* Sirmur* and Solan Distts, Lahul & Spiti, Kannaur.

7. *Jammu and Kashmir*

Jammu, Srinagar, Anantnag*, Doda*, Baramulla*, and Poonch Kupwara, Ladakh, Phulwama Udhampur & Rajori.

8. *Karnataka*

Raichur, Mysore*, Dharwar and Bidar, districts.

9. *Kerala*

Alleppey, Cannanore* and Malapuram* districts.

10. *Madhya Pradesh*

Six 'Areas'.

Area—I (from Eastern Region) comprising 12 blocks viz., Korba, Baloda, Champa, Kota Masturi and Bilha (Bilaspur) Blocks (from Bilaspur district) Bhatapara, Simga, Tilda, Dharsiwa (Raipur) Abhanpur and Rajim Blocks (from Raipur District)

Area—II (from western Region) comprising 10 blocks viz., Dewas and Tonk Khurad blocks (from Dewas distrcit), Gulana, Shujalpur and Shajapur blocks (from Shajapur district), Panchor (Sarangpur) and Biaora blocks (from Rajgarh district) and Chachaura, Raghogarh and Guna blocks (from Guna district).

Area—III (from Northern Region) comprising 19 block. viz Shivpuri & Karera (from Shivpuri district), Datta & Seondha (from Dattia District Bhind Mehgaon and Gohad (from Bhind district and Morean & J ura (from Morena distrct).

Area—IV* (from Central Region) comprising 11 Blocks, viz. Bina, Itawa, Khuri, Banda (Binaika), Rahatgarh, Sagar, Shahgarh (Amarmau) (from Sagar district), Tikamgarh & Baldeogarh (from Tikamgarh distt.) Vidisha and Gyarspur (from Vidisha district) and Chhatar. pur (from Chhatarpur district).

Area—V* (from Western Region-II) comprising 12 blocks viz., Potlawad & Meghnagar (from Jhabua district), Badnawar, Dhar and Nalcha (from Dhar district), Maheshwar & Barwaha (from Khargone district), Ratlam & Jaur (from Ratlam District), Mandsaur, M[illegible] garh and Neemuch (from Mandsaur distr[illegible]

Area—VI* (from North-Eastern Region) comprising 11 Blocks, Viz., Rewa & Raipur (Garh) (from Rewa district), Majhauli, Sidhi, Doosar & Uddhan (from Sidhi district), Sonhat, Baikunthpur, Mahendargarh, Surajpur & Ambikapur (from Sarguja district). Chhindwara, Balaghat, Seoni, Naringhpur Patna, Mandla Sarguja & Damoh District, Rajgarh.

Represents Districts/Sub-divisions/Taluka/Blocks/Tehsils Selected after 10-7-1972

APPENDIX—28 (*contd.*)

11. *Manipur*

All the 5 districts.

12. *Meghalaya*

*East Garo Hills, (West Garo Hills & JAINTIA Hills@

13. *Maharashtra*

Ratnagiri, Aurangabad* and Chandrapur* districts.

14. *Nagaland*

Kohima, Mokokchung, Tuensang* districts.

15. *Orissa*

Kalahandi, Mayurbhanj Bolangir*, Dhenkanal* Keonjhar and Koraput* Balasore and Phulbani districts.

16. *Punjab*

Hoshiarpur, Sangrur and Bhatinda*@ districts.

17. *Rajasthan*

Alwar, Jodhpur, Bhilwara*, Churu*, Nagaur*, Sirohi and Udaipur* districts.

18. *Sikkim*

Gangtok*, Mangan*, Gyalshing* and Namchi* districts.

11. *Tamil Nadu*

Three 'Areas'/Tracts comprising 33 Taluks :

Area—I	Comprising 12 Taluks (including Sub-Taluks viz., Ramanatnapuram, Madukalathur, Sivaganga Parmakudi, Thiruvadani, Karaikudi and Thirupathur Taluks (from Ramanathapuram district) Melur taluk (from Madurai district), Pudukkottai, Thirumayam, Alamguli and Kulathur Taluks (from Puddukkottai district).
Area—II	comprising II Taluks, viz., Dharamp uri, Piri code, Hosur, Denkanikottah, Krishnagiri, Uthangari, Harur (from Dharamapuri districet Tirupattur, Vaniyambadi, Vellore Wallaja (from North Arcot district).
Area—III	comprising 10 taluks viz. Aruppukkottai, Virudhunagar, Sattur, Srivilliputhur, Rajapalayam (from West Ramanathapuram of Ramanathapuram district). Thirumangalam, Usilampati, Nilakothai, Dindigul and Vedassandur (from Madurai district)

20. *Tripura*

All the 3 districts.

21. *Uttar Pradesh*

Ballia, Jhansi@, Almora*, Basti*, Faizabad* Banda Pauri Garhwal, Hamirpur, Uttar Kashi, Sultanpur, Fatehpur, Chamoli, Jaunpur Tehri Garwal, Jalaun and Rai Bareilliy* districts and Kanpur Dehat.

22. *West Bengal*

Purulia, Midnapur coch Bihar, Darjeeling Maldah, Bankura, Jalpaiguri and Nadia* districts.

UNION TERRITORIES

1. *Andaman and Nicobar Islands*	Entire Territory.
2. *Arunachal Pradesh*	Entire Territory.
3. *Dadra and Nagar Haveli*	Entire Territory.
4. *Goa, Daman and Diu*	Entire Territory excluding the area within the municipal limits of Territory's capital.
5. *Lakshadweep*	Entire Territory
6. *Mizoram*	Entire Territory.
7. *Pondicherry*	Entire Territory excluding the area within the municipal limits of Territory's capital.

* Represents districts/sub-divisions/taluks/blocks/tehsils selected after 10-7-1972

@Represents districts as they existed prior to thier recent re-organisation.

APPENDIX 29

PROFORMA FOR PROTOTYPE

Proforma to be attached to the Application Form 'E' for the import of prototypes of Machinery/Instruments by Actual Users.

(To be filled in by the applicant for use in the licensing office)

1. Name with full postal address of the applicant.

2. Reference number and date of the letter/application with which this proforma is attached.

3. Main description of the proto-type of machinery instruments with quantity thereof;

4. Serial No. of the I.T.C. Schedule under which the proto-type machinery/instrument will be covered.

5. Whether the applicant unit is already in production of the type of machinery/instrument for which proto-type is required and if so;

   (i) Whether the plant and capital machinery for manufacturing purposes is already installed. If not—

   (ii) Whether C.G. application for import of capital machinery or other items has been made in accordance with regulation of C.G. Scheme published from time to time? If so;

   (iii) Whether the scheme for manufacture of the item (for which proto-type is required) has been approved and necessary C.G., import licence granted/or necessary capital plant imported if so, please give full particulars thereof alongwith numbers of import licences granted etc.

   (iv) Whether firm orders have been placed for procurement of indigenous capital machinery.

6. Is the item of the proto-type of the machinery/instrument, required to be tested and approved by some competent authority before taking up the manufacture of that type of item.

7. Will the manufacture of the item for which proto-type is required involve any additional import of capital machinery/raw materials/components (in the case of existing units already in production). If so, give full details with quantity and c.i.f. value on annual basis.

8. Whether the import of proto-type will involve grant of foreign exchange or will be provided by the foreign suppliers free of charges on c.i.f. basis. Please enclose Proforma Invoice on c.i.f. basis from the foerign suppliers.

9. Whether the manufacture of items for which the imported proto-type is required will involve any financial/technical foreign collaboration. If so, whether approval of the Government for entering into such collaboration has been obtained (Please attach photo attested copies of approval letter of the Government in this regard).

I/We hereby declare that (a) the item of Proto-type of machinery/instrument applied for import *vide* column 3 of the above proforma will not be used for manufacturing purposes except as proto-type, (b) the items of imported proto-types will not be sold/hired out or disposed of otherwise without the prior written permission of the licensing authority, and (c) the items of imported proto-types will always be available for examination in our manufacturing works at....in assembled or broken down condition whatever it may be.

Signature............

Name in block letters........

....

....

....

Designation............

Residential address............

....

....

....

Station............

Date..............

List of Enclosures :—

APPENDIX 30

IMPORT EXPORT ENQUIRYSLIP

Serial No. ....

1. Name & Address of the applicant . . . . . .

2. Name, Designation, Address & Telephone No. of the person for making the enquiry . . . .

3. Date and number of—

   (a) Application . . . .
   (b) Acknowledgement . . . .
   (c) Any subsequent communication received and replied .
   (d) Reference No. of CCI & E, if any . . . .

4. (a) Category of application (i.e. CG/RM/Misc.) . . .
   (b) Brief description of goods . . . .
   (c) Part and Serial No. of ITC Schedule . . .
   (d) C.I.F. value applied for . . . .
   (e) Industry to which application pertains (end product) .

5. No. and date under which the application is forwarded/recommended by any other authority. . . . .

6. Whether any officer was interviewed for this case or position obtained, if so when? . . . .

7. Information desired . . . .

Signature of the inquirer

Passed to Section ....for noting below the position and immediate return to the underrigned

The party has been advised to collect information on ——————————at——————————AM/PM.

Enquiry Officer

Remarks of the Controller of the Section on the position of the Application

CONTROLLER (——————————Section/Branch)

COUNTERFOIL

No............................Dated.....................

1. Name and address of the applicant firm.
2. Description of goods.
3. Date and time when information is likely to be available.
4. CCI & E reference number, if any.

APPENDIX 31

IMPORT THROUGH AIR INDIA/INDIAN AIR LINES

Import licences are issued with value on C.I.F. basis. However, REP licence holders (including advance/imprest licences and Additional licences) who import goods against such licences through Air India/Indian Airlines and pay the air freight in India in non-convertible Indian rupees will be allowed to utilise the entire value of their licences on account of payment towards cost and insurance of the goods imported. In other words, that part of the value of an import licence which was intended to cover the amount on account of 'freight will also be allowed to be utilised on cost and insurance in respect of the goods to be imported. The amount paid towards air freight will not be debited to the value of the licence. To this extent, the REP licence holder will be able to import a higher quantity of goods than what he could have imported in case the amount of freight had also been debited to the over-all value of the licence.

2. This facility will also be available in the case of 'Actual User' licences issued for import of raw materials/components/spares and import licences for Capital Goods/H.E.P. issued against free foreign exchange (General Currency Area) only. In such cases, however, the amount of freight will be debited to the licences concerned but such debit will be made only to the extent of the likely element of sea freight which, or an average, will be taken at 20% of the price of the imported goods, and the difference between the air freight and the sea freight will not be debited to the import licence.

3. This facility will be subject to the condition that (i) the imports shall not exceed the overall value of the licence, (ii) the face value restrictions, if any, on individual items in the licence will not be exceeded; and (iii) other conditions governing the import will remain unchanged.

4. It will not be necessary for the licence holders who want to avail of this facility to obtain an endorsement from the licensing authority to this effect. The customs authorities will allow the import in pursuance of these provisions, if otherwise in order. Similarly, the authorised dealers in foreign exchange will also not debit the amount of air freight in such cases to the c.i.f. value of the licence for the purpose of remittance abroad.

5. Licence holders who want to avail of this facility should have a clear stipulation inserted in their order and letter of credit (where opened) that the foreign shipper should advise Air India's or Indian Air Lines' booking office abroad that the consignment was being imported into India under para 89 of Hand Book of Import-Export Procedures 1983-84 and a bold indication to this effect made on top of the relevant Airway Bill. Such indication on the Airway Bill will enable Air India/Indian Airlines to ensure that the consignment was physically carried by an Air India or Indian Airlines flight and not transferred to a partner airline in the polling arrangement.

6. It shall be obligatory on the licence holders to furnish to the Air India/Indian Airlines the particulars of the licence against which the import is made while approaching the Air India/Indian Airlines for obtaining delivery order in respect of the goods imported. The particulars should be furnished in the proforma of the 'Intimation Slip' given below :

INTIMATION SLIP

(1) Name & address of the licence-holder.

(2) Number and date of REP/AU/CG licence against which the import has been made.

(3) C.I.F. value of the REP/AU/CG licence referred to in (2) above.

(4) Value of the import consignment awaiting clearance, out of the value mentioned in (3) above.

Date————————

Signature of the licence-holder
or his authorised representative

APPENDIX 32

JURISDICTION OF LICENSING AUTHORITIES FOR RECOGNITION OF NEW ESTABLISHED EXPORTERS AND GRANT OF QUOTAS

Authority to whom applications for recognition of new established exporters and grant of quotas should be made	Jurisdiction
1. Joint Chief Controller of Imports and Exports (Central Licensing Area) Indraprastha Bhavan, 'A' Wing, New Delhi.	States of Himachal Pradesh, Rajasthan and Jammu Kashmir, five districts of Uttar Pradesh namely, Meerut, Ghazlabad, Bulandshahr, Muzaffarnagar, and Saharanpur, Punjab, Haryana and Union Territories of Delhi and Chandigarh.
2. Joint Chief Controller of Imports and Exports, 4 Explanade East, Calcutta.	States of Assam, Bihar, Orissa, West Bengal, Manipur, Meghalaya and Tripura and Union Territory of Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh and Mizoram, States of Maharashtra.
3. Joint Chief Controller of Imports and Exports, New Central Government Offices Buildings, S.E. Wing, New Marine Lines, Churchgate, Bombay.	Madhya Pradesh and Union Territory of Goa, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli.
4. Joint Chief Controller of Imports and Exports, 39Rajaji Sali, Madras.	State of Tamil Nadu (excluding Coimbatore District) and Union Territory of Pondicherry.
5. Joint Chief Controller of Imports and Exports, II-6-860 Red Hills, Hyderabad (Andhra Pradesh).	Andhra Pradesh.
6. Joint Chief Controller of Imports and Exports, Multistoreyed Building, Lal Darwaja, Ahmedabad.	Gujarat.
7. Joint Chief Controller of Imports and Exports, 7th Floor, Caveri Bhawan, Bangalore.	Karnataka State (excluding Mangalore District).
8. Joint Chief Controller of Imports and Exports, 17/94, Swaroop Nagar, Kanpur.	Uttar Pradesh except those areas which are under the jurisdiction of JCCI & E (CLA), New Delhi.
9. Deputy Chief Controller of Imports and Exports T.D. Road, Ernakulam.	Kerala State, Coimbatore District (Tamil Nadu State) Mangalore District of Karnataka State and Union Territory of Lakshadweep.

APPENDIX 33

APPLICATION FOR CLAIMING IMPORT REPLENISHMENT AGAINST SUPPLIES FROM D.T.A. TO UNITS IN FREE TRADE ZONES

1. Name of applicant :
2. Full postal address :
3. Details of the supplies :
   (Description, quantity and value)
4. Serial No. of the goods in the Import Policy for Registered Exporters :
5. Period during which supply was made :
6. Import Replenishment claimed:
7. (a) No. & date of registration certificate :
   (Copy of registration certificate to be furnished).

   (b) Whether applicant is registered as manufacturer exporter or merchant exporter :

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

UNDERTAKINGS/DECLARATIONS

I/We hereby solemnly undertake/declare :—

(i) Particulars stated above are correct

(ii) The goods as mentioned in this application have been supplied to ....
....
in terms of the contracts secured by us.

(iii) The supplies have been made at export prices.

(iv) That no other application for import licence has been made or will be made in future against exports covered by this application.

(v) The consignment(s)/parcel(s) have not been returned. If at any time the exported goods are returned by the consignee necessary intimation shall be sent to the Development Commissioner of the Zone within one month thereof, who will in turn, inform the licensing authority, to set off the value of import replenishment licence issued against future import licences due to me/us or to my/our nominees without prejudice to any other action that may be taken in this behalf.

(vi) If as a result of a scrutiny by the licensing authority at any time, any excess licensing/payment is found to have been done/made to me/us against this application, the same shall be liable for being adjusted against future licences/payments due to me/us or to my/our nominees under any category without prejudice to any other action that may be taken in this behalf.

(vii) I/We hereby undertake that any licence granted on the basis of this application shall be liable to cancellation without prejudice to any other action that may be taken in this behalf, if any, information furnished in this application is found to be wrong or incorrect or misleading.

(viii) I/We have not under-invoiced or over-invoiced our exports.

Signature :

Name in (Block letters) :

Designation :

Name of applicant firm :

APPENDIX 34

CONSOLIDATION OF AIR CARGOES FOR EXPORT

There are cargo Agents approved by the International Airports Transport Association (IATA) and recognised as such by leading Airlines. Each approved IATA Agent has got a separate IATA Code Number. Such agent consolidates air cargoes for individual exporters. Under this arrangement individual exporters sending goods abroad by air have an advantage in air-freight to be paid by them.

2. An exporter who avails of this facility will continue to be required to have the relevant shipping bill duly passed and authenticated by the customs authorities. The cargoes pertaining to such individual shipping bills will be collected by the consolidator who is an approved IATA Agent. The consolidator will prepare one Master Airway Bill (M.A.B.) The description of exported goods as mentioned in the Master Air Bill will be "Consolidation cargo as per list attached'. The list referred to in the Master Airway Bill will contain in respect of each consignment the name of the exporter, the description of goods and their quantity and weight, shipping bill number and House Airway Bill Number. The House Airway Bill (H.A.B.) will be issued by the consolidator to each of the exporters from whom the cargo has been collected pertaining to the respective consignments. The House Airway Bill will contain all the particulars of the consignment of the individual exporter concerned which are given in normal Airway Bill. The goods, in question will be exported by air on the basis of the Master Airway Bill. In respect to such exports the bank and the licensing authorities in cases where an Airway Bill is required to be produced for claiming import replenishment, will accept the House Airway Bill, if otherwise in order, provided it is certified by the Airlines concerned indicating the number and date of the Master Airway Bill of which it is a part. The certificate should be as under :—

"The goods covered by this House Airway"

Bill have been exported *vide* Master Airway

Bill No. .... dated ....

The individual exporters will produce their respective House Airway Bills to the banks for issue of bank certificate and also to the licensing authorities, wherever necessary, for claiming benefits under the import policy for Registered Exporters.

3. The date of export in such cases will be taken as the date of the Master Airway Bill as mentioned by the Airlines concerned in the relevant House Airway Bill. For the purpose of calculating the FOB value of exports, for import replenishment purposes, the amount of air freight paid by the exporter to the Consolidator (IATA agent) will be taken into account. For the purpose of vertification, the IATA agents will furnish to the licensing authorities, through the Air Cargo Agents Association of India, the copies of their published schedule of airfreight rates to be charged from exporters in respect of different commodities and destinations.

4. In respect of cargoes moving in consolidation as indicated in para 2 above, the exporter should have the necessary clause to this effect incorporated in the letter of credit at the time of conclusion of export contract in order to ensure realisation of export proceeds against such export.

5. The exporters in such cases will be required to furnish all the other documents as described under the import policy for Registered Exporters.

APPENDIX 33

ADDRESSES OF CANALISING AGENCIES

1. Balmer Lawrie & Company,
21, Netaji Subhas Road,
Calcutta-700001.

2. Cashew Corporation of India,
Post Box No. 1261, M G. Road,
Ernakulam,
Cochin-682011.

3. Central Silk Board,
'Meghdoot',
95B, Marine Drive,
Bombay-400002.

4. Cotton Corporation of India,
Air India Building,
12th Floor, Nariman Point,
Bombay-400021.

5. Electronics Trade and
Technology Development
Corporation (ETTDC),
15/48 Malcha Marg,
New Delhi-110021.

6. National Film Development Corporation,
1st Floor, 13-16 Regent Chambers,
Nariman Point,
Bombay-400021.

7. Food Corporation of India,
16-20, Barakhamba Road,
New Delhi-110001.

8. Jute Corporation of India,
1, Shakespare Sarani,
Calcutta-700016.

9. Indian Oil Corporation,
Indian Oil Bhavan,
Janpath, New Delhi-110001.

10. Minerals and Metal Trading,
Corporation of India (MMTC),
'Express Building',
9-10, Bahadurshah Zafar Marg,
New Delhi-110002.

11. National Agricultural,
Co-operative Marketing,
Federation of India Ltd.,
(NAFED),
Sapna Building,
Nehru Place,
54, East of Kailash,
New Delhi-110065.

12. State Chemicals & Pharmaceuticals Corporation of
India Ltd., (CPC),
'Chandralok',
36, Janpath,
New Delhi-110001.

13. State Trading Corporation of India Ltd.,
(STC),
'Chandralok'
36, Janpath,
New Delhi-110001.

14. Steel Authority of India,
'Hindustan Times Bldg.,
Kasturba Gandhi Marg,
New Delhi-110001.

15. Metal Scrap Trade Corporation,
225-E, Acharya Jagdish Bose Road,
Calcutta-700001.

16. The Indian Motion Pictures
Export Corporation Ltd.,
Shiv Sagar Estate 'D', Block,
5th Floor,
Dr. Annie Besant Road, Worli,
Bombay-400018.

17. Semi Conductor Complex Limited (SCL),
Phase VIII, SAS Nagar,
Mohali, (Punjab)-160051.

18. Rastriya Chemicals & Fertilizers,
Marvali, Chembur,
Bombay-400074.

19. National Mineral Development Corporation
Limited,
109, Suryakiran, Building,
Kasturba Gandhi Marg,
New Delhi-110001.

APPENDIX 36

(Deleted)

APPENDIX 37

(Proforma for additional information/documents to be submitted by Consultancy, Designing and Engineering firms)

(A)

1. Name of the applicant . . . .
2. Name of the Project Authority who have awarded the contract . . . .
3. Name of the project for which imported equipment is required .
4. Nature of the work assigned as per the contract . . .
5. Items to be imported for execution of the contract . . .
6. CIF value of the items to be imported (both in rupees and foreign currencies) . . . .
7. Country of import . . . .
8. Indigenous content (CIF value) . . . .
9. Total value of the contract (inclusive value of indigenous equipment, servicing charges etc.) . . . .

Station——————————

Date.............................

Signature ——————————

Name in block letters ——————————

Designation ——————————

Residential Address ——————————

(B)

(To be furnished by the Project Authority)

1. Estimated cost of the project for which contract has been awarded . . . .
2. Total amount of foreign exchange indicated in the project estimates as approved by the Government for the relevant project . . . .
3. Whether the items sought for import were indicated in the project estimate and whether it was mentioned therein that these items need to be imported . . . . .
4. Are the goods being imported for initial setting up of the plant (project) or expansion of the existing plant ? . . .
5. Does the Project Authority recommend that the list of goods is to be endorsed as "Project Imports" to avail of the benefit of concessional rate of duty under the Heading No. 84, 66 of Section XVI of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) in terms of the Hand Book of Import-Export, Procedures, 1983-84 ? . . . .

Station——————————

Date——————————

Signature ——————————

Name of block letters ——————————

Designation ——————————

Residential Address——————————

List of enclosures

APPENDIX—38

Bond Form of Export Obligations to be executed under Duty Exemption Scheme

If the importer/surety is the sole proprietor of the business after giving his name and address it may be added "his heirs, executors & administrators." If the importer/surety is a firm of partners it may be added "partners for the time being of the said firm and their respective heirs, executors and administrators". If the importer/surety is a limited company it may be added "its successors and assigns."

Know all men by these presents that we(1)——————of—————— hereinafter referred to as "the importers" (which expression shall include his/their successors and assigns) and (2)——————of——————hereinafter referred to as "the surety" (which expression shall include its successors and assigns) are jointly and severally, held and firmly bound upto the President of India hereinafter called "the Government" in the sum of Rs.* ——————to be paid to the said Government or its successor and assigns for which payment we bind ourselves and each of us, and each of our heirs, executors, administrators successors and assigns jointly and severally by these presents as hereinafter stated to be paid to the said Government in the manner as aforesaid.

2. Signed and sealed with our respective seals this day of——————19——————

3. Whereas the Joint/Deputy Chief Controller of Imports and Exports (hereinafter referred to as the Joint/Deputy Chief Controller which expression shall include the person for the time being performing the duties of the said Joint/Deputy Chief Controller which expression shall include the person for the time being performing the duties of the said Joint/Deputy Chief Controller) has permitted the importation of the goods specified in the Duty Exemption Entitlement Certificate No.——————dated——————issued under Notification of the Government of India, Ministry of Finance(Department of Revenue No. 117/F. No. 602/14/78DBK dated 9-6-1978 as amended) hereinafter referred to as the exempt materials by issue of Advance Licence/CCP/Release Order No.——————dated——————on certain terms and conditions.

4. AND whereas one of the terms of the aforesaid Notification provides that the importer will execute bond in the prescribed manner with such conditions as are hereunder :

5. Now the conditions of the above written bond are such that :

(a) If the said importer shall within—————— months from the date of clearance of the importation of the first consignment into India against the subject licence/CCP/ or Supply of the material by the canalising agency, or such further time as may be granted to him, make export of goods corresponding to the resultant products as specified in the said Duty Exemption Entitlement Certificate and hereunder written for ready reference (hereinafter referred to as "the resultant products)", required under the aforesaid Notification to a place outside India in accordance with the terms & conditions of the aforesaid licence and Duty Exemption Entitlement Certificate (except to any place in Nepal or Afghanistan if not paid in free foreign exchange and Bhutan and fulfil all other terms and conditions mentioned in the aforesaid notification and terms and conditions subject to which clearance of goods was allowed by Collector of Customs :

(b) If the said importer and/or surety shall deliver or cause to be delivered to the Joint/Deputy Chief Controller within one month from the date of expiry of the aforesaid period for fulfilment of export obligation, the said Duty Exemption Entitlement Certificate with all "parts" duly filled ! endorsed and signed as required up.

6. Then the above written bond shall be void and of no effect.
Otherwise the bond will remain in full force, virtue and effect.

7. AND IT IS HEREBY DECLARED THAT

(a) the above written bond shall remain in force and effect upto a period of—————— one year from the date of expiry of the export obligation period.

(b) Any forberance act or omission on the part of the Government in enforcing the condition of the aforesaid bond against the importer or any time being granted or any indulgence by the Government to the importers in connection herewith shall not discharge the surety ;

(c) This bond is entered into the orders of the Central Government for the performance of an act in which the public are interested ;

(d) (i) Any Customs duties and auxiliary Customs duties due under this bond shall, without prejudice to any other mode of recovery, be recovered in accordance with the provisions of Sec. 142 of Customs Act, 1962 and/or from any cash assistance payable to the importers; and

(d) (ii) Where goods permitted for import against the Advance licence are obtained through SAIL under the Ministry of Commerce Public Notice No. 58-ITC(PN)/82 dated 11th December, 1982 and the licensee fails to discharge the export obligation imposed on the licencee, he shall be liable to pay to SAIL, immediately on demand, the amount equivalent to the customs and auxiliary duties payable on the items obtained from SAIL had those items been imported. This would be without prejudice to any other mode of recovery provided in law and/or any amount of cash support payable to the licensee.

(e) the payment of the amount of the bond will not affect the liability of the said importers to any other action that may be taken under the law for the time being inforce

APPENDIX 38 *(contd.)*

EXEMPTION MATERIALS

S. No.	Description	Quality	Technical Character-istics	Limits Qty.	(Maximum) CIF Value

RESULTANT PRODUCTS

S. No	Description	Quality	Technical character-istics.	Qty.	CIF Value

In witness whereof the parties here upto have duly executed this bond the day of the month and the year first above written.

SIGNED, SEALED AND DELIVERED BY AND ON BEHALF OF THE IMPORTERS AT.... ....IN THE PRESENCE OF

1. ....

2. ....

*Witnesses should also give their occupation and address.

SIGNED, SEALED AND DELIVERED BY AND ON BEHALF OF THE SURETY AT................IN THE PRESENCE OF

1. ....

2. ....

Accepted for & on behalf of the President of India
Designation of the Authorised Officer.

*This should be equal to 50% or 25% of the value of advance licence or the amount of customs duties leviable whichever is higher .

APPENDIX 38—*concld.*

FORM OF LEGAL AGREEMENT FOR REGISTERED EXPORTERS FOR ADVANCE LICENCES

An Agreement made this ———— day of ———— 198 ———— between ———————————— (hereinafter referred to as "THE IMPORTER" which expression shall include its successors and assigns) of the one part and the PRESIDENT OF INDIA (hereinafter referred to as "GOVERNMENT", which expression shall include his successors in office and assigns) of the other part.

WHEREAS the Importer has obtained an Advance Licence/CCP/Release Order No. ————dated ———— for the import of raw materials & components of the c.i.f. value of Rs. ————.

AND WHEREAS the Importer has also obtained Duty Exemption Entitlement Certificate No. ———— dated———— to import the raw materials & components mentioned therein without paying the Customs duty etc. of the value of Rs. ————AND WHEREAS as a condition of the said Advance Licence/Release Order/CCP the Government has stipulated that the ———— Importer must earn foreign exchange to the extent of Rs. ———— over a period of ———— months from the date of importation of the first consignment into India or the supply of the material by the canalising agency against the subject Licence/CCP/Release Order for such further time as may be granted to him, by exporting resultant product viz. ————.

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH AS FOLLOWS:—

1. The Importer shall earn foreign exchange for an F.O.B. value of Rs. ———— by exporting ———— ———— within a period of ———— months as aforesaid. (In the event Advance Licence/Release Order/CCP No. ———— is not fully utilised by the said importer then the export obligation shall be proportionately scaled down). Exports to Bhutan will not qualify for redemption of export obligation as also exports to Afghanistan and Nepal, if made otherwise than against payment in free foreign exchange will not qualify for redemption of export obligation.

2. The Importer shall furnish the DEEC duly filled in within one month of the expiry of the said period of export obligation to the concerned Joint/Deputy Chief Controller of Imports and Exports as an evidence of the exports made viz. the particulars of goods exported, their quantity and f.o.b. value and the countries to which exported.

3. The Importer shall also submit to the concerned Joint/Deputy Chief Controller of Imports & Exports within six months of the expiry of the period of export obligation as aforesaid, bank certificates in original showing realisation of foreign exchange against exports made ———— in fulfilment of the export obligation and such other documents as may be demanded by the Joint/Deputy Chief Controller of Imports and Exports as evidence in support of the foreign exchange earned in fulfilment of the terms and conditions of this agreement.

4. In the event the Importer is not able fulfil the export obligation undertaken by it as aforesaid the Importer shall, on the instructions of the concerned Joint/Deputy Chief Controller of Imports & Exports or the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi hand over to the State Trading Corporation or such other agency as the Government including (CCI&E) may nominate (hereinafter referred to as the Agency), the resultant product of the quantity and FOB value equal to the difference between the stipulated export obligation and actual exports, for export by the Agency at such prices as is able to obtain aboard. The Importer shall also simultaneously pay to the Customs Authority the amount of duty that was leviable at the relevant time on the proportionate quantity of the exempt material corresponding to the product not exported by them. The Importer shall, in addition, pay simultaneously a sum of Rs............ (this would be equal to 5% of the export obligation subject to a maximum of Rs. 5 lakhs by way of "liquidated damages" to the Agency. The Agency (after exports and realisation of sale proceeds of the aforesaid product as expeditiously as possible) shall give to the Importer rupee equivalent of the net foreign exchange earned by the Agency on such exports after deducting such expenses (including the Agency's normal commission) as has been incurred by the Agency and the amount, if any, recoverable from the importer under this agreement.

5. The F.O.B. value representing the difference between the stipulated export obligation and the actual exports referred to above and also the amount representing 5% of the export obligation by way of "liquidated Damages" shall be determined by the Joint/Deputy Chief Controller of Imports & Exports or Chief Controller of Imports & Exports and the decision of said authority shall be final and binding on the Importer. While determining the value, the said authority will, if it is considered necessary, give an opportunity to the Importer to produce such evidence as it, can, in support of the determination of the value for this purpose.

6. In the event of the Importer failing to fulfil the export obligation undertaken by it as aforesaid, except when the fulfilment of such obligation is prevented or delayed because of any law, order, proclamation, regulations or Ordinance of the Government, the Government shall be free to take possession of the goods produced by the Importer or of the imported raw material as the case may be, and take such action as it may consider necessary for the disposal/distribution in a manner and at a price as may be decided by the Government, in addition to recovering liquidated damages in terms of this agreement. The Importer shall also be liable to pay the customs duty etc. on the material imported and not utilised for export. Any customs duties due under this Agreement shall also, without prejudice to any other mode of recovery, be recoverable in accordance with the provisions of Section 142 of tht Customs Act, 1962 and/or from any cash assistance payable to the Importer.

7. Any order issued by the Government in this regard shall be final and binding and the Importer thereby undertakes to comply unconditionally with such an order.

8. Any stamp duties payable on this document or any documents executed thereunder shall be borne by the Importer.

In Witness whereof the Common Seal of ———— ————has been hereunto affixed and for and on behalf of the President of India Shri ———— ————has set and subscribed his hands hereunto.

Common Seal of the within named Importer has been affixed hereunto in the presence

of (i) Shri———— (i) ———— Signature (Residential address)

Director and (ii) ———— (ii) ———— (Residential address)

Director who have been duly authorised for the purpose by a resolution of Board of the Directors ————

of the Company, passed at the meeting held on ———— and who have signed in the presence of ————

1. ————(name, designation & address)
2. ————(name, designation & address)

Signed for and on behalf of The President of India by Shri————

in the presence of

1. ————(name, designation & address)
2. ————(name, designation & address)

EXEMPTION MATERIALS

S. No	Description	Quality Technical Characteristics	Limits (Maximum) Qty..	CIF Value

RESULTANT PRODUCTS

S. No	Description	Quality Technical Characteristics	Qty.	CIF Value

APPENDIX—39

Ship Stores

[PUBLISHED IN THE PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii) OF THE GAZETTE OF INDIA DATED 2-8-1975]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT
(TRANSPORT WING)

New Delhi, the 15th July, 1975

NOTIFICATION
(Merchant Shipping)

S O. No 2473 —In pursuance of clause (g) sub-section (2) of section 101 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), and in supersession of the notification of the Govt. of India in the late Ministry of Transport and Shipping (Transport Wing) published under S.O. No. 2169, dated the 21st June, 1967 the Central Government hereby fixes the scales of provisions set out in the annexed schedule, to be the minimum scales which shall be supplied to the seamen engaged on ships on the Articles of Agreement approved by the Government of India, with effect from the 1st March, 1975.

SCHEDULE

Revised Scale of Provisions for Seamen signing on Indian Articles of Agreement (Foreign Going)

1	Rice (a)	Daily	350 Grms.
2	Flour or Atta and bread (bread to be made available daily, when practicable) (b)	Daily of which 80 grams shall be flour or atta.	160 "
3	Dal—Tur, Moong, Masoor or Split Peans (a)	Daily	80 "
4	Fresh Fish (whole) variety to be supplied, where available—six days a week (c)	"	110 "
5	Fresh Meat (with bones and normal fat—fat not to exceed 1/7th portion—Six days a week (d)	"	170 "
6	Vegetables (e)	"	345 "
7	Edible Oil (f)	"	25 "
8.	Ghee (Agmark or other good quality)	,,	45 "
9.	Curry stuff (g)	"	25 "
10.	Tamarind or Cocum	"	10 "
11.	Salt	"	25 "
12.	Pickle or Chutney	"	15 "
13.	Butter	"	20 "
14.	Jam	,,	10 "
15.	Tea and/or Coffee (h)	"	10 "
16.	Sugar	"	40 "
17.	Condensed Milk	"	35 "
18.	Chicken—once a week (eviscerated)	"	225
19.	Eggs	"	1 Number
20.	Fruit (six days a week) (j)	"	One whole piece or 115 Grms.
21.	Ice Cream—Once a week (when not supplied, fruit will be supplied)	"	115 Grms.
22.	Lime Juice	,,	15 "
23.	Water	Weekly	28 Qrts.
	For Tankers		
	Fresh Milk (Homogenised or Ultra Heat treated milk)	"	1 Pint.

Notes :

When a seaman is ill and off duty, biscuits, tea or coffee and sugar shall be given to him with arro-root or sago as needed.

(a) In bad weather, when unable to cook rice and Dal 185 Grms. of biscuits and additional 60 Grms. of sugar shall be substituted.

(b) When Bread is not supplied 160 Grms. of flour or atta shall be supplied.

(c) When fresh fish is not available tinned fish or pickled herrings shall be supplied in lieu of fresh fish, in the proportion 1 : 2.

(d) Mutton shall be supplied to seamen who decline to take beef or pork.

(e) Out of 345 Grms., 115 Grms. shall be Potatoes, 115 Grms. shall be Onions; 115 Grms. Fresh vegetables like Beans, Brinjals, Brussels, Sprouts, Cabbage, Cauli flower, Ladies Fingers, Capsicum or Peas or suitable available alternatives shall be supplied in order to provide variety.

As far as possible, Tomatoes should be supplied at least once a week. The same vegetables should not be repeated on more than two consecutive days. When fresh vegetables are not available, dehydrated vegetables can be supplied in the proportion 1 : 4.

(f) Til or Kardai oil for Bombay Seamen; Mustard oil for Calcutta seamen whenever available; coconut or Groundnut oil otherwise.

(g) Out of 25 Grms. of curry stuff, 18 Grms. should consist of red chillies, corriander seeds, turmeric, mustard, dry or green garlic, desicated or dry coconut, and 7 Grms. 'Garam Masala' i.e. cinnamon, cloves, cardamom, cummin seeds, black papper, poppy seeds, nutmeg, and mace, when fresh coconut is available, it shall be supplied in place of dry or desicated coconut.

(h) When instant coffee is suplied instead of powder coffee, it should be in the proportion of 1 : 4.

(i) When large fruit such as Papaya, Water Melon etc. is supplied, it shall be 115 Grms.

(k) Where fresh milk is not supplied, 100 Grms. of dried milk will be supplied weekly.

(l) During such periods as may be declared periods of foodgrains scarcity by the Director General of Shipping, if and when rice is not available in the quantities required, the daily scale of rice may be reduced in units of 25 grms., and as compensation therefor the scale of other items shall be increased per day as indicated below :—

10 Grams of fresh fish, or

5 grams of meat, or

50 grams of dry vegetables, or

25 grams of fresh vegetables.

(m) Whenever provisions are issued in tinned containers, the standard packings nearest to the grams weight as per above scale will be accepted by the seamen.

COLD WEATHER SCALE :

*In the cold weather, an additional 10 grms. of Tea and/or Coffee, 10 grms. of sugar and 5 grms. of condensed milk shall be supplied daily. No lime Juice will be supplied in cold weather.

The Scale for 'Gold Weather' shall apply—

(i) In the Northern Hemisphere during the months of October to March inclusive and North of 30°N in the Atlantic Ocean and elsewhere North of 24°N.

(ii) In the Southern Hemisphere during the months of May to September inclusive and South of 30°S.
[No. MSE(9)/75-MT]

Sd/- D. C. Ahir

Under Secretary to the Govt. of India

APPENDIX 40

PROFORMA FOR GIVING DETAILS OF PESTICIDES

Any person importing pesticides, under O.G.L. or a licence, against payment or as free sample or otherwise, should inform the Plant Protection Advisor, Faridabad under the Ministry of Agriculture, New Delhi, within 15 days of clearance through Customs, with following particulars :-

(i) Name of the importer.

(ii) Name of the manufacturer.

(iii) Name of the supplier.

(iv) Name of Pesticide including the name of technical grade material and the percentage thereof.

(v) Quantity.

(vi) CIF value

(vii) Port of import.

(viii) Date of taking delivery/clearance.

(ix) Reference to their registration No./permission issued by the Registration Committee/PPA.

(x) Reference No. of the licence.

(xi) Value of licence.

(xii) If imported under OGL, give No. and date of the relevant OGL.

(xiii) If the licence was utilised earlier, reference to earlier communication.

Date :

Signature.....................
Name of Block Letters...........
Position Held ....

APPENDIX 41

FORM OF INDIGENOUS MATERIALS RELEASE ADVICE

Na me of the Indigenous Producer......................

Office of Issue...

Government of India

Ministry of Commerce

Office of the......................

No........................ Dated................

To

M/s.————————————

(Name and address of the applicant)

Subject : Supply of................................
by indigenous producer namely,
M/s..................................
(Name and Address)

against Import Licence No..............
dated......................issued in favour
of M/s.......................
(Name and address)

in terms of provision in para 117
of Import Export Policy, 1982-83.

Gentlemen,

With reference to your application/letter dated .... on the above subject, I write to say that you may approach M/s.......................for obtaining the supply of the indigenously produced goods against the import licence referred to above as per details below :—

Sl. No.	Description of goods	Quantity		Value	
		in figures	in words	in figures	in words
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					

2. This release advice should be produced in original to above mentioned indigenous producer for supply of goods as per above details.

3. This release advice will be valid for a period of six months from the date of issue.

4. The material received by the holder of this release advice shall be subject to the same conditions as applicable to the import licence against which this release advice has been issued.

5. The limiting factors will be value or both quantity and value in cases where both have been indicated.

Yours faithfully,

Controller of Imports and Exports
for Dy./Jt. CC.I & E
Security Seal..................
Release Advice No.————

Note : Licensing authority concerned should ensure that quantity and value shown in above mentioned details of goods, conform to the hints as stipulated in the licence.

End. No.................. Dated...............

M/s..............(name and address of the indigenous producer) for necessary action.

Controller of Imports & Exports.
for Dy/Jt. C.C.I&E.

Details of materials supplied under above Release Advice

Sl. No.	Description of goods	Quantity supplied in figures	in words	Value of goods supplied in figures	in words
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					

We confirm having supplies the goods as per details above

Signature....................................

(Name and address of indigenous producer)

We confirm having received the goods as per details above.

Signature................................

(Name and address of the Release Advice Holder.)

APPENDIX 42

FORM OF LEGAL AGREEMENT FOR 100% EXPORT ORIENTED UNITS

An Agreement made this ——— day of...(19...) between M/s. ——————— a 100% export oriented Unit as defined in Ministry of Commerce (Deptt. of Commerce) Resolution No. 8 (15)/78/EP dated 31st December 1980 having its registered office at ————— (hereinafter referred to as "the Unit" which expression shall include its successors and assigns) of the one part and the President of India (hereinafter referred to as "Government" which expression shall include his successors in office and assigns) of the other part.

WHEREAS the Government have communicated *vide* —— ——————— dated ——————— to the Unit the terms and conditions for seting up the 100% export oriented unit for the manufacture of ——————— and the unit has duly accepted the said terms and conditions vide their letter No. ————— dated —————.

AND WHEREAS the Unit has been granted an import licence No. ——————— dated ——————— for a c.i.f. value of Rs. ——————— for import of plant, machinery and equipment and import licence No. ————— dated ——————— for a c.i.f. value of Rs. ————— for the import of raw materials, components and consumables.

AND WHEREAS the Unit has been allowed to import the capital goods, raw materials and components etc. free of import duty.

AND WHEREAS the Unit has been allowed to purchase indigenous capital goods, components and raw materials for a value of Rs. ——————— without payment of Central excise duty.

AND WHEREAS as a condition of the licence granted to the Unit, the Government has stipulated that the Unit must earn foreign exchange by exporting 100% of the production of the export product, namely, ——————— for a period of ————— years beginning from the first day after completion of the gestation period allowed by the Government (hereinafter referred to as the prescribed date) after allowing rejects upto ——————— percentage.

NOW THIS AGREEMENTS WITNESSETH AS FOLLOWS

1. The Unit shall earn foreign exchange by exporting 100% of their production of—————for a period of ————— years, counting from the prescribed date after allowing rejects upto ——————— percentage of production as aforesaid Exports to Bhutan will not qualify for redemption of export obligation as also exports to Afghanistan and Nepal if made otherwise than against payment in free foreign exchange. This export obligation shall be in addition to and over the above any other export obligation that might have been or may be imposed on the Unit on any other ground.

2. The Unit shall intimate the date of commencement of production for 100% export within one month of such date to the concerned Joint/Deputy Chief Controller of Imports & Exports.

3. The Unit shall within a period of three months, beginning from the first day of the financial year after the commencement of export production, submit to the Joint/Deputy Chief Controller of Imports and Exports certificates in original and such other documents as may be demanded by the said authority giving details of the following Imports exports effected and purchases made from the Domestic Tariff Area by the Unit during the period—

(a) Quantity, specifications and cif value of (i) capital goods, plant machinery and equipment and (ii) raw materials, components and consumables.

(b) Quantity, specifications and value of indigenously produced (i) plant, machinery and equipment and (ii) raw materials, components and consumables.

(c) Quantity, specifications and for value of exports of ———————.

The Unit shall submit similar certificates and such other documents to the said authority every year for a period of ——— years, within three months from the end of each financial year.

4. In the event the Unit is not able to fulfil the Export Obligation undertaken by it as aforesaid, the Unit shall, on the instructions of the concerned Joint/Deputy Chief Controller of Imports and Exports or the Chief Controller of Imports and Exports pay to the Government the amount of customs duty that would be leviable at the relevant time on the items of plant, machinery and equipment and raw materials, components and consumables allowed for import by the Unit in terms of the licence granted to them and also the amount of excise duty leviable on the indigenous plant, machinery and equipment and raw materials, components and consumables purchased by the Unit during the period. The Unit, shall, in addition pay simultaneously to the Government liquidated damages, the amount of which will be decided by the Government taking into account the circumstances of the case. The amount of liquidated damages shall be determined by the Joint/Deputy Chief Controler of Imports and Exports or the Chief Controller of Imports and Exports and the instructions of the said authority shall be final and binding on the unit while determining the extent of liquidated damages the said authority will, if it is considered necessary give an opportunity to the Unit to present its arguments

5. The Unit will under no circumstances be allowed to dispose of the export product in the domestic market unless specifically allowed by Government.

6. In the event of the Unit failing to fulfil the export obligation undertaken by it as aforesaid, except when the fulfilment of such obligation is prevented or delayed because of any law, order, proclamation, regulations or Ordinance of the Government, the Government shall be free to issue any directions to the Unit regarding the manner of disposal of the export goods and the Unit shall be bound to comply with the same. This will be without prejudice to any other action which may be taken against the unit under the provisions of the Imports and Exports (Control) Regulation or any other rules.

7. Any customs duties/excise duties due to Government under this Agreement shall also, without prejudice to any other mode of recovery be recoverable in the accordance will the provisions of Section 142 of the Customs Act 1962 and or from any other payment due to the Unit from the Government.

8. Any order issued by the Government in this regard shall be final and binding and the Unit thereby undertakes to comply unconditionally with such an order.

9. Any stamp duties payable on this document or any documents executed thereunder shall be borne by the Unit

IN Witness Whereof the Common Seal of ——————— has been hereunto affixed and for and ——— ————has set and subscribed his hands hereunto.

Common seal of the within named Unit has been affixed hereunto in the presence

Signature —

of (i) Shri ——————— (i) ———————
(Residential address)

Director and (ii) Shri ————— (ii) ———————
(Residential address)

Director who have been duly authorised for the purpose by a resolution of Board of the Directors.

———————
of the Company passed at the meeting held on ——————— and who have signed in the presence of———

1. ——————— (name, designation and address)

2. ——————— (name, designation and address)
Signed for and on behalf of
The President of India Shri
In the presence of

1. ——————— (name, designation and address)

2. ——————— (name, designation and address)

EXEMPTION MATERIALS

1. *Plant, Machinery and equipment imported*
No.

Description of material
CIF value

2. *Raw materials, components and consumables imported*
No.

Description
technical characteristics
CIF value

3. *Plant, Machinery and equipment and raw materials, components and consumable indigenously produced and purchased without payment of central excise duties*
No.

Description
technical characteristics
Value

4. *Resultant Products to be exported*

No.
Description
Quality
technical characteristics
Qty.
FOB Value

APPENDIX 43

ALLOTMENT OF CODE NUMBERS TO IMPORTERS

Every person (whether an individual, a firm or company etc.) importing goods into India shall be required to obtain "Importer Code Number (ICN)" in accordance with the provisions made in the Appendix. This will equally apply to a person importing goods as an agent or as holder of Letter of Authority, or as a transferee of an import licence. A provision to this effect has been made in the Imports (Control) Order, 1955 dated the 7th December, 1955, as amended.

2. The customs authorities shall not allow import to a person who is not in possession of Importer Code Number allotted by the import trade control licensing authority concerned. It shall be compulsory for the importer to quote his Code Number in the relevant Bill of Entry.

3. Code Number allotted to a person will be valid for miport of any commodity by that person.

4. In the following cases, the importers will be exempt from obtaining Code Numbers :—

(*i*) Importers covered by Savings Clause 11(1) of the Imports (Control) Order, 1955, as amended.

(*ii*) Ministries/Departments of Central or a State Government.

(*iii*) Persons importing goods for their personnel use, not connected with trade or manufacture or agriculture.

5. Applications for allotment of Code Numbers should be made, in triplicate, in the prescribed form to the regional import trade control licensing authority in the territorial jurisdiction of which the applicant is situated. The territorial jurisdiction of the regional licensing authorities is indicated in Appendix 8 of the Hand Book of Import-Export Procedures, 1983-84.

6. In the case of a company/firm, having branches, only the Head Office or Registered Office in the case of a company should apply for allotment of Code Number. The branch offices will use the code number allotted to the Head Office/Registered Office.

Annexure to Appendix 43

APPLICATION FORM FOR ALLOTMENT OF IMPORTER CODE NUMBER
(To be submitted in triplicate)

The application should be typed or hand-written in Capital letters.

1. Name of the importer
2. (a) Address in full of the Head/Principal of the importer
   (b) Names of various cities where branch offices are located
   (i) ....
   (ii) ....
   (iii) ....
   (iv) ....
   (v) ....
3. Date of establishment of the firm/company ....
4. Principal commodities to be imported (3 digit Indian Trade Classification—Revision 2 code should also be indicated)
   (i) ....
   (ii) .... [| |]
   (iii) .... [| |]
   (iv) .... [| |]
   (v) .... [| |]
   (vi) .... [| |]
   (vii) .... [| |]
   (viii) .... [| |]
   (ix) .... [| |]
   [| |]

I/We hereby declare that this application is made by us in our capacity as Head/Principal Office and I/We have not obtained or applied for any Importers' Code Number previously in this name from any office of the CCI&E in India.

Place :
Date :

(Signature of the Applicant)
with Office seal

(To be completed in Licensing Office)

1. Code Number allotted : ....
2. Letter No. with date of communication to the party : ....

Date :

Signature
Designation

For Importers' guidance

1. The application form for Importers' Code Number need to be filled in only by the Head/Principal Office and submitted in triplicate to the CCI & E/JCCI & E of their jurisdiction. The code number once allotted can be utilized by all branch offices of the firm for import through any of the ports in India. However, a branch office functioning in a name other than the Head/Principal office will have to obtain a fresh Importers' Code Number. The code numbers are not suspended with the suspension of import activities of the firm and would be valid for all future time.
2. Information in para 4 is to be given as commodity description and corresponding ITC Revision 2—code at 3 digit level. This is required to ascertain the activity area of the firm.
3. All the information supplied in this form would be kept strictly confidential and not be divulged to any agency for any purposes.

APPENDIX—44

FORM OF APPLICATION FOR IMPORT OF COMPUTER/COMPUTER SUB SYSTEMS/ COMPUTER BASED SYSTEM

File No.

Subject : Import of ——————————
by——————————
from (foreign supplier)——————————
——————————
through (Indian agent) ——————————
——————————
at a total FOB CIF value of——————————

1. User Reference No. . . . .
2. Name of the user organisation . . . . . .
3. Address . . . . ——————————
4. Contact person . . . .
5. *Computer items (with configuration details) to be imported* :

Sl. No.	Model No.	Qty.	Description	FOB/CIF value

6. Spares, Tools & Test Equipment (Cost) . . . . . .
7. Documentation & Training charges . . . .
8. Agency commission/service charges payable in Indian Rupees and the role of Indian Agents . . . .
9. Background of the Organisation . . . .
10. Justification for the import of proposed computer items clearly explaining the end-use of the equipment . . . . . .
11. If clearance from Ministry of Labour is required, attach copy of the letter . . . .
12. Budgetory provision from the competent authority . . .
13. Whether any indigenous system can meet your requirement ? If so, reasons therefore and a comparative statement of systems considered by you should be enclosed . . . .
14. Is the present import for augmentation of existing computer system. If so, please indicate . . . .
    (a) Complete system congration of the existing computer system . . . .
    (b) Reference . . . .
    (c) Date of Import and Installation . . . . . .
    (d) FOB/CIF value . . . .
    (d) FOB/CIF value . . . .
    (e) Any further augmentation envisaged during the current financial year . . . .
15. Technical literature on the proposed items to be imported and copy of proforma invoice are enclosed . . . . . .
16. Terms of warranty . . . .
17. Maintenance Plans . . . .
18. Any other remarks . . . .
19. Import licence application in form 'E' CG/NRI (as applicable) together with list of goods, proforma invoice literature and other supporting documents . . . .

19. NOTE : 1. Application will not be considered if complete information is not provided.
2. All details should be provided within the space allotted on the form. Only in exceptional cases additional pages of the same size may be attached.
3. One copy of this is sufficient.
4. Imported computer system/computer related equipment is to be maintained either in-house by the user or by Computer Maintenance Corporation.
5. Technical literature on the proposed item to be imported and copy of proforma invoice must be enclosed with the application.

Signature of the user
Dated :——————
Official Seal

APPENDIX—44 (*Concld.*)

FORM OF APPLICATION FOR IMPORT OF COMPUTER/COMPUTER SUB SYSTEMS UNDER THE SCHEME OF PROJECT OF SOFTWARE EXPORT

APPLICATION FOR THE SOFTWARE EXPORT PROJECT

(Any documents furnished earlier need not be furnished again if there is no change in content since application was made).

A. **Details of the Organisation :**
(To be extent not provided earlier)

To include companies previous record of computer projects, installations owned etc. . . . .

Schemes under which import is proposed . . . . . .

B. **Export Prospects :**

1. Total value of firm orders received (Attach copies of supporting documents) . . . . Rs.

2. Total value of anticipated orders (attach copies of letters of intent etc.) . . . . Rs.

3. Please indicate why import of the proposed computer equipment is essential for fulfilling the export orders . . . .

4. Please explain why exports cannot be achieved by using locally available or installed computers . . . .

5. Please describe the planned nature of export activities areas of computer application, result of initial market studies conducted by you, how you plan to obtain export orders within the specified time and details of associated companies, agents etc. . . . .

C. **Technical Capability :**

1. Please attach brief bio-data of professional and technical staff employed. Give name, age, qualifications, length of total computer experience and areas of special interest on experience . . . .

2. If the organisation has previous export or domestic computer experience please provide list of projects giving :

   (a) Details of customer . . . .

   (b) Title and brief description of project . . . . .

   (c) Value of project . . . .

   (d) Natur of work . . . .

3. Describe how you plan to achieve the export commitment giving details of

   (a) Relgion of operation . . . .

   (b) Method of execution of projects . . . . .

   (c) Programme of introduction, training and deployment of personnel . . . .

D. **Plan of utilisation of imported computer :**

1. Where will the computer be installed . . . . . .

2. Expected proportion of computer time and personnel to be engaged in export projects . . . .

3. Nature and details of domestic work to be undertaken .

E. Export expected year-wise for 5 years . . . . . .

F. Import licence application in from 'E' (CG)/NRT (As applicable) together with list of goods, proforma invoice, literature and other supporting documents . . . .

Signature of the user
Dated :————
Official Seal

APPENDIX 45

LIST OF MACHINERY FOR WHICH ADVERTISEMENT IS NOT REQUIRED

1. High frequency induction melting furnaces above 1200 KW rating.
2. High frequency induction heating equipment above 600 KW rating.
3. Machinery and equipment for the manufacture of Fluorescent lamps (excluding furnaces).
4. Machinery and equipment for the manufacture of Sodium Vapour discharge lamps (excluding furnaces).
5. Machinery and equipment for the manufacture of Mercury Vapour lamps (excluding furnaces).
6. Horizontal tube drawing line for tubular glass shells for fluorescent tubes (excluding furnaces).
7. 16 head Carousel machine for glass shells of GLS Lamps.
8. Multi spindle bar automats of above 77 mm bar capacity.
9. Multi spindle chucking automats of chucking dia exceeding 200 MM.
10. Internal and face grinder above 120 mm bore dia.
11. Honing machines.
12. Double colour high speed in printing machine
13. Photo-mechanical pre-press proofing system for letter press and offset printing machine.
14. Portable automatic internal sampler for effluents with time control.
15. Composite Extrusion line, with special design Rotating Die for the manufacture of 3/5 layer plastic packaging films.
16. Injection stretch Blow Moulding Machines for simultenous moulding of neck, shoulder and body of containers.
17. PVC Corrugated sheet making machine.
18. Composite Extrusion line for the manufacture of tensilised polyester film.
19. Machinery for manufacture of Hosiery Needles.
20. Specialised machinery for manufacture of polyester Zip fasteners.
21. Automatic Machine "Pointomatic Type" for manufacture of Metallic Ballpen refill tips.
22. Heavy duty looms for weaving tyrecord fabric.
23. Synthetic tyre yarn Weaving Machines.
24. Open end spinning machine.

MGIPF—2Comm/ /83—1-11-83—1000+10